

- चरणानुयोग [द्वितीय खण्ड]
[चारित्र्याचार, तपाचार एव वीर्याचार वर्णन]
-

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन :-

प्रथम संस्करण :

वीर निर्वाण सवत् २५१६
विक्रमाब्द २०४६
ई० सन् १९६० जनवरी

सेवा सहयोग मण्डल :

१-महासती श्री दर्शनप्रभा जी
२-महासती श्री चारुशीला जी
३-महासती श्री योगसाधना जी
४-महासती श्री उत्तमसाधना जी
५-महासती श्री अपूर्वसाधना जी
६-महासती श्री विरागसाधना जी

प्रकाशक :

बलदेवभाई डोसाभाई पटेल
प्रमुख
आगम अनुयोग ट्रस्ट
१५, स्थानकवासी जैन सोसायटी
नारायणपुरा क्रासिंग के पास,
अहमदाबाद-३८० ०१३

ट्रस्ट मण्डल :

१-श्री बलदेवभाई डोसाभाई पटेल
२-श्री हिम्मतलाल शामलदास शाह
३-श्री बलवन्तलाल शान्तीलाल शाह
४-श्री नवनीतलाल चुन्नीलाल पटेल
५-श्री रमणलाल माणिकलाल शाह
६-श्री विजयराज वी० जैन
७-श्री अजयराज के० मेहता

मुद्रण निर्देशन एव व्यवस्था

श्रीचन्द्र सुराना 'सरस'
ए-७, अवागढ हाउस,
२०८/२, एम० जी० रोड,
आगरा-२८२ ००२
के लिए विकास प्रिंटर्स, आगरा

सम्पर्क सूत्र :

श्री वर्धमान महावीर केन्द्र
सब्जी मण्डी के सामने
आबू पर्वत-३०७ ५०१ (राजस्थान)

मूल्य : एक सौ पचास रुपया मात्र
रु० १५०) मात्र

Published in Memory of Rev. Gurudeva Fateh-Pratap
Agam Anuyoga Pub No 5

CHARANĀNUYOGA

(SECOND VOLUME)
[with APPENDICES]

[An authentic compilation of Religious Rituals in Jain Agams,
Original texts with Hindi Translation]

Chief - Editor :

Agam Ratnakar, Anuyoga Pravartak
Muni Shri Kanhaiyalalji 'Kamal'

Colligator :

Shri Vinaymuniji 'Vagish'

Editors :

Mahasati Shri Muktiprabhaji
M. A , Ph D.

Mahasati Shri Divyaprabhaji
M A , Ph. D.

Assistant Editors :

Mahasati Shri Anupamaji, M A.

Mahasati Shri Bhavyasadhaji

Mahasati Shri Virtisadhaji, B A.

Special Advisor :

Pandit Shri Dalsukhbhai Malvaniya

Publishers :

AGAM ANUYOGA TRUST
AHMEDABAD-380 013

CHARANĀNUYOGA (Second Volume)

[Charitrachara, Tapachara, Viryachara]

[Conducive Conduct, Penancial Conduct, Energetic Conduct]

All rights reserved with the Publishers

Working Co-operators

- 1 Mahasati Shri Darshanprabhaji
- 2 Mahasati Shri Charusheelaji
- 3 Mahasati Shri Yogsadhaji
- 4 Mahasati Shri Uttamsadhaji
5. Mahasati Shri Apurvasadhaji
6. Mahasati Shri Viragsadhaji

First Edition :

Vir Nirvana Samvat 2516
January, 1990

Publishers :

Baldevbhai Dosabhai Patel
President
Agam Anuyoga Trust
15th, Sthanakvasi Jain Society
Near Narayanpura Crossing
Ahmedabad-380 013

Trustees :

- 1 Shri Baldevbhai Dosabhai Patel
2. Shri Himmatlal Shamaldas Shah
3. Shri Balwantlal Shantilal Shah
- 4 Shri Navnilal Chunilal Patel
- 5 Shri Ramanlal Maneklal Shah
6. Shri Vijayraj B Jain
- 7 Shri Ajayraj K Mehta

Printing Guidance and Management · Contact ·

Srichand Surana 'Saras'

A-7, Avagarh House,
208/2, M. G Road,
AGRA-282 002


at

Vikas Printers, Agra


Shri Vardhman Mahavir Kendra

Opp Subzi Mandi,
Mount Abu-307 501
(Rajasthan-India)

Price : Rs 150/- only
(Rupees One Hundred Fifty only)



समर्पण



पंचाचार की निर्मल साधना

जिनके जीवन-पुष्प में परम की भांति
सतत प्रवाहित रही

आमम - वाणी के प्रति जो
आजठम सचेतन श्रद्धावान् रही

उन जिनशासनचठिद्धका परम श्रद्धेया

परम पूज्या महासती उज्ज्वलकुमारी जी म० के प्रति

सविनय - सभक्ति - समर्पित

लाल भवन

जयपुर

ज्ञान पत्रमी वि० सं० २०४६

—साध्वी नुक्तिप्रभा

—साध्वी दिव्यप्रभा



प्रकाशकीय

भारतीय सस्कृति का सर्वमान्य सूत्र है—आचार प्रथमो धर्म—आचार प्रथम धर्म है। जैन परम्परा में “आचारो पढमो अंगो”—आचार प्रथम अंग है। अंग का अर्थ धर्मशास्त्र तो है ही, किन्तु व्यापक अर्थ में लेवें तो—जीवन का मुख्य अंग भी है। भारतीय आगमों में मानवता का जितना महत्व कहा है उससे भी कहीं अधिक महत्व साधक जीवन में आचार धर्म का कहा है।

प्राचीन जैन परम्परा में “आचार” के लिए “चरण” शब्द का प्रयोग होता था। चरण याने चारित्र्य। मनुष्य के आचार धर्म की मर्यादा, संयम-साधना का व्यवस्थित मार्ग—चरण है।

जैन श्रुत ज्ञान—शास्त्रों को चार अनुयोगों में विभक्त किया गया है—(१) चरणानुयोग, (२) धर्मकथानुयोग, (३) गणितानुयोग एवं (४) द्रव्यानुयोग। इनमें धर्मकथानुयोग तथा गणितानुयोग का प्रकाशन हम कर चुके हैं। चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विशाल ग्रन्थ हैं। चरणानुयोग का विषय बहुत विस्तृत है अतः पाठकों की सुविधा के लिए दो भागों में प्रकाशित किया जा रहा है। द्रव्यानुयोग मूल पाठ का सम्पादन कार्य भी पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैयालालजी महाराज सा “कमल” सम्पन्न कर चुके हैं। अब उसका अनुवाद एवं परिशिष्ट आदि कार्य शेष है।

चरणानुयोग का प्रथम भाग पाठकों की सेवा में पहुँच चुका है। अब द्वितीय भाग (सम्पूर्ण चरणानुयोग) प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, साथ ही हम अपने लक्ष्य को अब बहुत शीघ्र सम्पन्न कर सकेंगे इसका विश्वास पाठकों को दिलाता हूँ।

अनुयोग सम्पादन-प्रकाशन कार्य में गुरुदेव श्री कन्हैयालाल जी म० “कमल” ने अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसे जीवन-दानी श्रुत उपासक सन्त के प्रति आभार व्यक्त करना मात्र एक औपचारिकता होगी, आने वाली पीढ़ियाँ युग-युग तक उनका उपकार स्मरण कर श्रुत का बहुमान करेंगी यही उनके प्रति सच्ची कृतज्ञता होगी।

स्थानकवासी जैन समाज के प्रख्यात तत्त्वचिन्तक आत्मार्थी पू० मोहनऋषिजी म० सा०, विदुषी सुशिष्या जिनशासन चन्द्रिका महासती उज्ज्वल कुमारीजी की सुशिष्या डा० महासतीजी मुक्तिप्रभाजी, डा० महासतीजी दिव्यप्रभाजी तथा उनकी श्रुताभ्यासी शिष्याओं की सेवायें इस कार्य में समर्पित हैं—यह हम सब का अहोभाग्य है। उनकी अनवरत श्रुत सेवा से यह विशाल कार्य शीघ्र सम्पन्न हो सका है।

जैन दर्शन के विख्यात विद्वान श्री दलसुख भाई मालवणिया भारतीय प्राच्य विद्याओं के प्रतिनिधि विद्वान हैं, उनका आत्मीय सहयोग अनुयोग प्रकाशन कार्य में प्रारम्भ से ही रहा है। उन्होंने अत्यधिक उदारता व निःस्वार्थ भावना से इस कार्य में मार्गदर्शन किया, सहयोग दिया, समय-समय पर अपना मूल्यवान परामर्श भी दिया अतः उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है।

इसी के साथ एक भूल का सशोधन भी कर देना चाहते हैं, गणितानुयोग के प्रकाशन के समय जैन गणित शास्त्र सम्बन्धी अनेक दुर्लभ चित्र व आकृतियाँ हमें पूज्य आचार्यश्री विजययशोदेव सूरि जी महाराज की कृपा से प्राप्त हुई थी। आचार्यश्री ने अपने गम्भीर आगम ज्ञान व चित्रकला सम्बन्धी तलस्पर्शी अनुभव ज्ञान के आधार पर आगमगत विषयों को स्पष्ट करने हेतु वे महत्वपूर्ण चित्र तैयार करवाये थे तथा हमारी माँग पर वही ही उदारता व सद्भावना के साथ प्रकाशन हेतु हमें प्रदान किये। यद्यपि उन चित्रों में से बहुत कम चित्र हमने उपयोग में लिये, तथा वे भी गुजराती में होने के कारण हिन्दी भाषी जनता के लिए हिन्दी में उनके रेखाचित्र तैयार करवाकर प्रकाशित किये। हिन्दी रेखाचित्रकार उनमें अकित नाम संकेत को स्पष्ट करना भूल गये तथा आचार्यश्री का आदरपूर्वक स्मरण उल्लेख नहीं कर सके, इसके लिए हम आचार्यश्री से क्षमा चाहते हैं। अस्तु, हम आचार्यश्री की इस उदारता व सद्भावना के प्रति हार्दिक रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं एवं भविष्य में उनके स्नेह-सौजन्य सहकार की भावना रखते हैं।

जैनधर्म, दर्शन के सुप्रसिद्ध विद्वान डा० सागरमलजी जैन ने सर्वथा निस्पृह भावना पूर्वक ग्रन्थ की महत्वपूर्ण प्रस्तावना लिख कर अनुग्रहीत किया है, हम उनके आभारी रहेगे ।

दुरूह आगम कार्य को प्रेस की दृष्टि से व्यवस्थित कर सुन्दर शुद्ध मुद्रण के लिए जैन दर्शन के अनुभवी विद्वान श्रीचन्द्र जी सुराना 'सरस' के हम आभारी हैं जिन्होंने पूर्व दोनो अनुयोगो की भाँति इस ग्रन्थ के मुद्रण में भी पूर्ण सद्भावना के साथ सहयोग किया है ।

ट्रस्ट के सहयोगी सदस्य मण्डल के भी हम आभारी हैं जिनके आर्थिक अनुदान से इतना विशाल व्ययसाध्य कार्य हम सम्पन्न करने में समर्थ हुए हैं ।

इस प्रसंग पर हम आगम अनुयोग प्रकाशन परिषद् साडेराव के मान्य कार्यकर्ताओं का भी साभार स्मरण करते हैं जिन्होंने इस अति दुरूह कार्य के प्रारम्भ में अति उत्साहपूर्वक कदम बढ़ाया और हमारे लिए कार्यशैली का मार्ग प्रशस्त किया ।

आगम अनुयोग ट्रस्ट अहमदाबाद को उनका सहयोग बराबर मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलता रहेगा ऐसा विश्वास है । आगम वाणी के प्रति अत्यन्त श्रद्धावान लिमडी सम्प्रदाय के श्री भास्कर मुनिजी म० ने प्रकाशित अनुयोग ग्रन्थों के प्रचार-प्रसार में विशेष अभिरुचिपूर्वक जो सहयोग प्रदान किया है, वह एक आदर्श और अनुकरणीय—स्मरणीय रहेगा ।

प्रेस कापी करने का विशाल कार्य श्री राजेन्द्र मेहता शाहपुरा वाले ने श्रद्धा भक्ति एवं विवेकपूर्वक किया है इसलिए ट्रस्ट की ओर से उनका हम हार्दिक अभिनन्दन करते हैं ।

हमारे ट्रस्ट के मन्त्री अनुभवी एवं सेवाभावी श्री हिम्मत भाई शामलदास शाह अब काफी वृद्ध हो गये हैं, फिर भी ममय-समय पर वे अपने अनुभव आदि का लाभ दे रहे हैं । हमारे कार्य कुशल सहयोगी श्री जयन्ती भाई चन्दुलाल सघवी एवं अन्य सभी सहयोगी जनो का स्मरण करते हुए भावना करते हैं—श्रुत ज्ञान की अमर ज्योति सबके जीवन को प्रकाशमय करे ।

विनीत

बलदेवभाई डोसाभाई पटेल

अध्यक्ष

आगम अनुयोग ट्रस्ट, अहमदाबाद



सम्पादकीय

—मुनिश्री कन्हैयालाल 'कमल'

“चरण” प्रवृत्ति एवं पुरुषार्थ का प्रतीक है। “चरण” में मर्यादा एवं सम्यक् विवेक का योग होने पर वह आचरण (आड—मर्यादाया) कहलाता है। आचरण अर्थात् आचार-धर्म।

चरणानुयोग का अर्थ होता है आचार धर्म सम्बन्धी नियमावली, मर्यादा आदि की व्याख्या एव संग्रह।

प्रस्तुत चरणानुयोग ग्रन्थ अपनी इसी अभिधा में सार्थक है।

जैन साहित्य में “अनुयोग” के दो रूप मिलते हैं।

१. अनुयोग-व्याख्या

२. अनुयोग वर्गीकरण

किसी भी पद आदि की व्याख्या करने, उसका हार्द समझने/समझाने के लिए १ उपक्रम, २ निक्षेप ३. अनुगम और ४. नय—इन चार शैलियों का आश्रय लिया जाता है। अनुयोजनमनुयोग—(अणुजोअणमणुओगो) सूत्र का अर्थ के साथ सम्बन्ध जोड़कर उसकी उपयुक्त व्याख्या करना इसका नाम है—अनुयोग व्याख्या (जम्बू० वृत्ति)

अनुयोग-वर्गीकरण का अर्थ है—अभिधेय (विषय) की दृष्टि से शास्त्रो का वर्गीकरण करना। जैसे अमुक-अमुक आगम, अमुक अध्ययन, अमुक गाथा—अमुक विषय की है। इस प्रकार विषय-वस्तु की दृष्टि से वर्गीकरण करके आगमो का गम्भीर अर्थ समझने की शैली—अनुयोग वर्गीकरण पद्धति है।

प्राचीन आचार्यों ने आगमो के गम्भीर अर्थ को सरलता पूर्वक समझाने के लिए आगमो का चार अनुयोगो में वर्गीकरण किया है।

१—चरणानुयोग—आचार सम्बन्धी आगम

२—धर्मकथानुयोग—उपदेशप्रद कथा एवं दृष्टान्त सम्बन्धी आगम

३—गणितानुयोग—चन्द्र-सूर्य-अन्तरिक्ष विज्ञान तथा

भू-ज्ञान के गणित विषयक आगम।

४—द्रव्यानुयोग—जीव, अजीव आदि नव तत्वो की व्याख्या करने वाले आगम।

अनुयोग वर्गीकरण के लाभ

यद्यपि अनुयोग वर्गीकरण पद्धति आगमो के उत्तर-कालीन चिन्तक आचार्यों की देन है, किन्तु यह आगम पाठी, श्रुताभ्यासी भुमुक्षु के लिए बहुत उपयोगी है। आज के युग में तो इस पद्धति की अत्यधिक उपयोगिता है।

विशाल आगम साहित्य का अध्ययन कर पाना सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। इसलिए जब जिस विषय का अनुसन्धान करना हो, तब तद्विषयक आगम पाठ का अनुशीलन करके जिज्ञासा का समाधान करना—यह तभी सम्भव है, जब अनुयोग पद्धति से सम्पादित आगमो का शुद्ध संस्करण उपलब्ध हो।

अनुयोग पद्धति से आगमो का स्वाध्याय करने पर अनेक जटिल विषय स्वयं समाहित हो जाते हैं, जैसे—

१. आगमो का किस प्रकार विस्तार हुआ है—यह स्पष्ट हो जाता है।

२ कौन-सा पाठ आगम सकलन काल के पश्चात् प्रविष्ट हुआ है ?

३. आगम पाठों में आगम लेखन से पूर्व तथा पश्चात् वाचना भेद के कारण तथा देश-काल के व्यवधान के कारण लिपिक काल में क्या अन्तर पड़ा है ?

४ कौन-सा आगम पाठ स्व-मत का है, कौन-सा परमत की मान्यता वाला है ? तथा भ्रांतिवश परमत मान्यता वाला कौन-सा पाठ आगम में सकलित हो गया है।

इस प्रकार अनेक प्रश्नों के समाधान इस शैली से प्राप्त हो जाते हैं जिनका आधुनिक शोध छात्रो/प्राच्य

विद्या के अनुसन्धाता विद्वानों के लिए बहुत महत्व है ।

अनुयोग कार्य का प्रारम्भ—

लगभग आज से ५० वर्ष पूर्व मेरे मन में अनुयोग-वर्गीकरण पद्धति से आगमों का सकलन करने की भावना जगी थी । श्री दलसुख भाई मालवणिया ने उस समय मुझे मार्ग दर्शन किया, प्रेरणा दी और निस्वार्थ/निस्पृह भाव से आत्मिक सहयोग दिया । उनकी प्रेरणा व सहयोग का सम्बल पाकर मेरा सकल्प दृढ होता गया और मैं इस श्रुत-सेवा में जुट गया । आज के अनुयोग ग्रन्थ उसी बीज के मधुर फल हैं ।

सर्वप्रथम गणितानुयोग का कार्य स्वर्गीय गुरुदेव श्री फतेहचन्दजी म सा के सान्निध्य में प्रारम्भ किया था । किन्तु उसका प्रकाशन उनके स्वर्गवास के बाद हुआ ।

कुछ समय बाद धर्मकथानुयोग का सम्पादन प्रारम्भ किया । वह दो भागों में परिपूर्ण हुआ । तब तक गणितानुयोग का पूर्व सस्करण समाप्त हो चुका था तथा अनेक स्थानों से माँग आती रहती थी । इस कारण धर्मकथानुयोग के बाद पुनः गणितानुयोग का सशोधन प्रारम्भ किया, सशोधन क्या, लगभग ५० प्रतिशत नया सम्पादन ही हो गया । उसका प्रकाशन पूर्ण होने के बाद चरणानुयोग का यह सकलन प्रस्तुत है ।

कहावत है “श्रेयांसि बहु विघ्नानि” शुभ व उत्तम कार्य में अनेक विघ्न आते हैं । विघ्न-बाधाएँ हमारी दृढता व धीरता, सकल्प शक्ति व कार्य के प्रति निष्ठा की परीक्षा हैं । मेरे जीवन में भी ऐसी परीक्षाएँ अनेक बार हुई हैं । अनेक बार शरीर अस्वस्थ हुआ, कठिन बीमारियाँ आईं । सहयोगी भी कभी मिले, कभी नहीं, किन्तु मैं अपने कार्य में जुटा रहा ।

सम्पादन में सेवाभावी विनय मुनि “वागीश” भी मेरे साथ सहयोगी बने, वे आज भी शारीरिक सेवा के साथ-साथ मानसिक दृष्टि से भी मुझे परम साता पहुँचा रहे हैं और अनुयोग सम्पादन में भी सम्पूर्ण जागरूकता के साथ सहयोग कर रहे हैं ।

खम्भात सम्प्रदाय के आचार्य प्रवर श्री काति ऋषि जी म ने मुझ पर अनुग्रह करके व्याकरणाचार्य श्रीमहेन्द्र ऋषि जी म को श्रुत-सेवा में सहयोग करने के लिए भेजा था अतः मैं उनका हृदय से कृतज्ञ हूँ ।

सम्पादकीय सहयोग—

सौभाग्य से इस श्रमसाध्य महाकार्य में आगमज्ञ श्री-तिलोक मुनिजी का अप्रत्याशित सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है ।

इनकी अनन्य श्रुत भक्ति और सयम साधना देखकर ऐसा कौन होगा जो प्रभावित न हो, श्रमण जीवन की वास्तविक श्रमनिष्ठा आपकी रग-रग में समाहित है । आपका चिन्तन और आपके सुझाव मौलिक होते हैं ।

गत सात वर्षों से विदुषी महासती डा० मुक्तिप्रभाजी, डा० दिव्यप्रभाजी एवं उनकी साक्षर शिष्या परिवार का ऐसा अनुपम सुयोग मिला कि अनुयोग का कार्य आगे बढ़ता गया । मुझे अतीव प्रसन्नता है कि महासती मुक्ति-प्रभाजी आदि विदुषी श्रमणियों ने इस कार्य में तन्मय होकर जो सहयोग किया है उसका उपकार आगम अभ्यासी जन युग-युग तक स्मरण करेंगे । इनकी रत्न-त्रय साधना सर्वदा सफल हो, यही मेरा हार्दिक आशीर्वाद है ।

अनुयोग सम्पादन कार्य में प्रारम्भ में तो अनेक बाधाएँ आईं । जैसे आगम के शुद्ध सस्करण की प्रतियों का अभाव, प्राप्त पाठों में क्रम भंग और विशेषकर “जाव” शब्द का अनपेक्षित/अनावश्यक प्रयोग । फिर भी धीरे-धीरे जैसे आगम सम्पादन कार्य में प्रगति हुई वैसे-वैसे कठिनाइयाँ भी दूर हुईं । महावीर जैन विद्यालय वम्बई, जैन विश्व भारती लाडनू तथा आगम प्रकाशन समिति ब्यावर आदि आगम प्रकाशन संस्थाओं का यह उपकार ही मानना चाहिए कि आज आगमों के सुन्दर उपयोगी सस्करण उपलब्ध हैं, और अधिकांश पूर्वापेक्षा शुद्ध सुसम्पादित हैं । यद्यपि आज भी उक्त संस्थाओं के निदेशकों की आगम सम्पादन शैली पूर्ण वैज्ञानिक या जैसी चाहिए वैसी नहीं है । लिपि दोष, लेखक के मति-भ्रम व वाचना भेद आदि कारणों से आगमों के पाठों में अनेक स्थानों पर व्युत्क्रम दिखाई देते हैं । पाठ-भेद तो है ही, “जाव” शब्द कहीं अनावश्यक जोड़ दिया है जिससे अर्थ वृथारहित भी हो जाता है, कहीं लगाया नहीं है और कहीं पूरा पाठ देकर भी “जाव” लगा दिया गया है । प्राचीन प्रतियों में इस प्रकार के लेखन-दोष रह गये हैं जिससे आगम का उपयुक्त अर्थ करने व प्राचीन पाठ परम्परा का बोध कराने में कठिनाई होती है । विद्वान सम्पादकों को इस ओर ध्यान देना चाहिए था । प्राचीन प्रतियों में उपलब्ध पाठ ज्यों का त्यों रख देना—अडिग श्रुत श्रद्धा का रूप नहीं । श्रुत-भक्ति श्रुत को सत्य एवं शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने में है । कभी-कभी उपयुक्त-पाठ निर्धारण का पाठ का मि-ई दिन व-सन्धाता ज इस प्र-प्रस्तुत आव-

श्यकता है। अस्तु,

मैं अपनी शारीरिक अस्वस्थता के कारण, विद्वान सहयोगी की कमी के कारण, तथा परिपूर्ण साहित्य की अनुपलब्धि तथा समय के अभाव के कारण जैसा सशोधित शुद्ध पाठ देना चाहता था वह नहीं दे सका, फिर भी मैंने प्रयास किया है कि पाठ शुद्ध रहे, लम्बे-लम्बे समास पद जिनका उच्चारण दुरूह होता है, तथा उच्चारण करते समय अनेक आगम पाठी भी उच्चारण-दोष से ग्रस्त हो जाते हैं। वैसे दुरूह पाठों को सुगम रूप में प्रस्तुत कर छोटे-छोटे पद बनाकर दिया जाये व ठीक उनके सामने ही उनका अर्थ दिया जाय जिससे अर्थबोध सुगम हो। यद्यपि जिस संस्करण का मूल पाठ लिया है हिन्दी अनुवाद भी प्रायः उन्ही का लिया है फिर भी अपनी जागरूकता बरती है। अनेक स्थानों पर उचित सशोधन भी किया है। उपर्युक्त तीन संस्थानों के अलावा आगमोदय समिति रतलाम तथा सुत्तागमे (पुष्पमिक्खु जी) के पाठ भी उपयोगी हुए हैं। पूज्य अमोलक ऋषि जी म० एव आचार्य श्री आत्मारामजी म० द्वारा सम्पादित अनूदित आगमो का भी यथावश्यक उपयोग किया है।

मैं उक्त आगमो के सम्पादक विद्वानो व श्रद्धेय मुनिवरो के प्रति आभारी हूँ। प्रकाशन सस्थाएँ भी उपकारक हैं। उनका सहयोग कृतज्ञ भाव से स्वीकारना हमारा कर्तव्य है।

अब प्रस्तुत ग्रन्थ चरणानुयोग के विषय में भी कुछ कहना चाहता हूँ।

चरणानुयोग—

आगमो का सार आचार है—अंगण कि सारो ? आचारो !—आचाराग आगम तो अंगो का सारभूत आगम है ही, किन्तु आचार—अर्थात् “चारित्र” यह आगम का, श्रुत का सार है। ज्ञानस्य फलं विरतिः—ज्ञान का फल विरति है। श्रुत का सार चारित्र है। अतः चारित्र सम्बन्धी विवरण आगमों में यत्र-तत्र बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। यँ भी कहा जा सकता है कि “चारित्र” का विषय सबसे विशाल तथा व्यापक है। धर्मकथानुयोग के समान चरणानुयोग भी वर्णन की दृष्टि से विस्तृत है। अतः इसकी सामग्री अनुमान से अधिक हो गई है। इसलिए इसे दो भागों में विभक्त किया गया है।

“आचार” के प्रमुख पाँच विभाग हैं - १ ज्ञानाचार, २. दर्शनाचार, ३ चारित्राचार, ४. तपाचार, ५ वीर्या-

चार। वर्णन की दृष्टि से चारित्राचार सबसे विशाल है। प्रस्तुत भाग में ज्ञानाचार एवं दर्शनाचार का वर्णन तो २०४ पृष्ठों में ही आ गया है। चारित्राचार का वर्णन प्रथम भाग के ५१० पृष्ठ तथा द्वितीय भाग के २५६ पृष्ठ यो सर्व ७६६ पृष्ठ में आया है। तपाचार का विषय ११४ पृष्ठों में समाया है किन्तु वीर्याचार का विषय ६२ पृष्ठों में ही सम्पादित हो गया है।

मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि जो विषय आगमों में अनेक स्थानों पर आया है, वहाँ एक आगम का पाठ मूल में देकर बाकी आगम पाठ तुलना के लिए टिप्पणियों में दिये जायें। जिससे तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ने वालों को उपयोगी हों। अनेक पाठों के अर्थ में भ्रान्ति होती है, वहाँ टीका, भाष्य आदि का सहारा लेकर पाठ का अर्थ भी स्पष्ट किया गया है, व्याख्या का अन्तर भी दर्शाया है। कुछ पाठों की पूर्ति के लिए वृत्ति, चूर्ण, भाष्य आदि का भी उपयोग किया है।

इस प्रकार पूरी सावधानी बरती है कि जो विषय जहाँ है, वह अपने आप में परिपूर्ण हो, इसलिए उसके समान, पूरक तथा भाव स्पष्ट करने वाले अन्य आगमों के पाठ भी अंकित किये हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आगम ज्ञान के प्रति रुचि, श्रद्धा व भक्ति रखने वाले पाठकों को यह चरणानुयोग, उनकी जिज्ञासा को तृप्त करेगा, ज्ञान की वृद्धि करेगा तथा श्रुत भक्ति को और अधिक सुदृढ़ बनायेगा।

इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ की विस्तृत प्रस्तावना लिखने का दायित्व जैन समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान डा० सागरमल जी जैन ने सर्वथा निस्पृह भावना के साथ वहन किया है। वे जैन आचार शास्त्र के मर्मज्ञ हैं और बहुश्रुत हैं। प्रस्तावना में उन्होंने सभी विषयों पर तुलनात्मक दृष्टि से उनके विचार किये हैं जो पाठकों के लिए उपयोगी होगा। मैं प्रति कृतज्ञता का भाव रखता हूँ।

दोनों भागों की शब्द सूची तथा विषय सूची बनाने का श्रेय सम्पादन कला निष्णात श्रीयुत श्रीचन्दजी सुराना ‘सरस’ ने किया है। उनका सहयोग उल्लेखनीय रहेगा। ग्रन्थ के सुन्दर व शुद्ध मुद्रण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

अन्त में इस महान कार्य में प्रत्यक्ष-परोक्ष सहयोग देने वाले सभी सहयोगी जनों के प्रति हार्दिक भाव से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।



श्री हिम्मतलालजी प्रेमचन्दजी साकरिया साडेराव
 श्री कोरसीभाई हीरजीभाई चेरिटेवल ट्रस्ट, बम्बई
 श्री जयसुखभाई रामजीभाई कादावाडी, बम्बई
 श्री चिंमनलाल गिरधरलाल कादावाडी, बम्बई
 श्री मेघजी भाई थोभण हस्ते मणिलाल वीरचन्द
 कादावाडी, बम्बई

श्री प्रिंमलाल मोहनलाल दफ्तरी कादावाडी, बम्बई
 मैसर्स सिलमोहन एण्ड कम्पनी, बम्बई

(टाइपराइटर हेतु) हस्ते रमणीकलाल धानेरा

श्री नरोत्तमदास मीहनलाल, बम्बई
 श्री रतीलाल विट्ठलदास गोसलिया माघवनगर (महा)
 श्री वाडीलाल जेठालाल शाह बाल्केश्वर, बम्बई
 श्री जैन सस्कृति कला केन्द्र, मरीन लाइन, बम्बई
 आचार्य यशोदेव सुरीश्वरदेव महाराज की प्रेरणा से,
 श्री मेघजी खिमजी तथा श्रीमती लक्ष्मी बेन मेघजी
 खिमजी बम्बई

श्री हरखराजजी दौलतराजजी धारीवाल, हैदराबाद
 श्री लादूसिंहजी गाग एडवोकेट शाहपुरा, (राजस्थान)
 श्री एस० एन० भीकमचन्दजी सुखाणी लालबाजार,
 सिकन्द्राबाद

श्री ताराचन्द गुलाबचन्द बम्बई
 श्री गिरधरलाल मंछाचन्द झवेरी धानेरावाला, बम्बई
 श्री पुखराजजी कावडिया सादडी मारवाड़ (बम्बई)
 श्रीमती भूरीबाई भवरलालजी कोठारी, सेमा (मेवाड़)
 हस्ते सागरमल मदनलाल रमेशचन्द्र बम्बई
 श्री प्रेमराजजी चोरडिया मदनगंज, अजमेर

श्री चुन्नीलालजी वागरेचा, वालाघाट
 श्री रसिकलाल हीरालाल झवेरी, बम्बई
 श्री सूरजमल कनकमल, मदनगज
 श्री मागीलालजी सोलकी, सादडी वाले, पूना
 श्री प्रवीणभाई के० मेहता, बम्बई
 श्री सज्जनराजजी कटारिया, सिकन्द्राबाद
 श्री बाबूलालजी काकरिया, हैदराबाद
 श्री भरतभाई जे० शाह, अहमदाबाद
 श्री सोहनराजजी चौथमलजी सचेती (सोजत वाले)
 सुरगाणा

श्री गुलशनरायजी जैन, दिल्ली
 श्री चम्पालालजी हरखचन्दजी कोठारी, बम्बई
 श्री नगराजजी चन्दनमलजी मेहता, सादडी वाले, बम्बई
 श्री जयन्ती भाई के० पटेल साणंद वाले, अहमदाबाद
 श्री छोटालाल धनजी भाई दोमडिया, बम्बई
 श्रीमती शान्ताबेन कान्तीलालजी गांधी, बम्बई
 श्री प्रभुदास रामजी भाई सेठ, बम्बई
 श्री लालभाई दलपतिभाई चेरिटेवल ट्रस्ट, अहमदाबाद
 श्री लालचन्दजी भवरलालजी सचेती
 श्रीमती लताबेन विमलचन्दजी कोठारी, बम्बई
 श्रीमती कमलाबेन भूलचन्दजी गुगले, अहमदनगर
 श्रीमती लीलाबेन पोपटलाल बोरा, इचलकरजी
 श्री जे० डी० जैन, गाजियाबाद
 श्री शान्तीलालजी सचेती, मदनगज
 श्री लक्ष्मीचन्दजी तालेडा, जयपुर
 श्री पुखराजजी लूंकड, बम्बई





श्रीमान पुखराजजी लूंकड़, बम्बई

आप वर्तमान में अ. भा. श्वे स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं। समाज सगठन एवं विकास की दिशा में आपने बहुमुखी योजनाएँ प्रारम्भ की हैं। आप स्वभाव से विनम्र, मिलनसार और समन्वय वृत्ति प्रधान हैं।

महासती मुक्तिप्रभाजी की सुनिष्या महासती श्री अनुपमा जी एवं अपूर्व साधना जी के वर्षांतप पारणे के अवसर पर जोधपुर श्री संघ की ओर से ६१ वर्षांतप पारणो का अमृतपूर्व आयोजन हुआ। जिसकी अध्यक्षता श्रीमान पुखराजजी लूंकड़ ने की। इसी अवसर पर आपने "चरणानुयोग" (प्रथम भाग) का विमोचन किया और आगम अनुयोग ट्रस्ट, अहमदाबाद को २१ हजार की सहयोग राशि प्रदान की।



श्रीमान लक्ष्मीचन्दजी तालेड़ा

आप व्यावर के प्रसिद्ध श्रावक श्री स्वरूपचन्द जी तालेड़ा के सुपुत्र हैं। आप अनेक धार्मिक तथा सामाजिक सस्थाओं में सक्रिय सहयोग करते रहते हैं। स.धु सन्तो की सेवा में भी तन-मन-धन से तत्पर रहते हैं।

स्वर्गीय जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज के प्रति आपके परिवार की अनन्य आस्था रही है। वर्तमान में आपका जयपुर में "ओसवाल केविल्स (प्रा) लि., जयपुर" के नाम से औद्योगिक प्रतिष्ठान है।



श्री हिम्मतलालजी प्रेमचन्दजी साकरिया साडेराव
 श्री कोरसीभाई हीरजीभाई चेरिटेबल ट्रस्ट, बम्बई
 श्री जयसुखभाई रामजीभाई कादावाडी, बम्बई
 श्री चिमनलाल गिरधरलाल कादावाडी, बम्बई
 श्री मेघजी भाई थोभण हस्ते मणोलाल वीरचन्द
 कादावाडी, बम्बई

श्री प्रिभलाल मोहनलाल दफ्तरी कादावाडी, बम्बई
 मैसर्स सिलमोहन एण्ड कम्पनी, बम्बई

(टाइपराइटर हेतु) हस्ते रमणीकलाल धानेरा

श्री नरोत्तमदास मीहनलाल, बम्बई
 श्री रतीलाल विठ्ठलदास गोसलिया माधवनगर (महा)
 श्री वाडीलाल जेठालाल शाह बाल्केश्वर, बम्बई
 श्री जैन संस्कृति कला केन्द्र, मरीन लाइन, बम्बई
 आचार्य यशोदेव सुरीश्वरदेव महाराज की प्रेरणा से,
 श्री मेघजी खिमजी तथा श्रीमती लक्ष्मी बेन मेघजी
 खिमजी बम्बई

श्री हरखराजजी दौलतराजजी धारीवाल, हैदराबाद
 श्री लार्ड्सिंहजी गाग एडवोकेट शाहपुरा, (राजस्थान)
 श्री एस० एन० भीकमचन्दजी सुखाणी लालबाजार,
 सिकन्द्राबाद

श्री ताराचन्द गुलावचन्द बम्बई
 श्री गिरधरलाल मंछाचन्द झवेरी धानेरावाला, बम्बई
 श्री पुखराजजी कावडिया सादडी मारवाड (बम्बई)
 श्रीमती भूरीवाई भवरलालजी कोठारी, सेमा (मेवाड)
 हस्ते सागरमल मदनलाल रमेशचन्द्र बम्बई
 श्री प्रेमराजजी चोरडिया मदनगंज, अजमेर

श्री चुन्नीलालजी वागरेचा, वालाघाट
 श्री रसिकलाल हीरालाल झवेरी, बम्बई
 श्री सूरजमल कनकमल, मदनगंज
 श्री मागीलालजी सोलकी, सादडी वाले,
 श्री प्रवीणभाई के० मेहता, बम्बई
 श्री सज्जनराजजी कटारिया, सिकन्द्राबाद
 श्री वावूलालजी काकरिया, हैदराबाद
 श्री भरतभाई जे० शाह, अहमदाबाद
 श्री सोहनराजजी चौथमलजी सचेती (सोज)
 सुरगाणा

श्री गुलशनरायजी जैन, दिल्ली
 श्री चम्पालालजी हरखचन्दजी कोठारी, बम्बई
 श्री नगराजजी चन्दनमलजी मेहता, सादडी
 श्री जयन्ती भाई के० पटेल साणंद वाले, अह
 श्री छोटालाल धनजी भाई दोमडिया, बम्बई
 श्रीमती शान्ताबेन कान्तीलालजी गांधी, व
 श्री प्रभुदास रामजी भाई सेठ, बम्बई
 श्री लालभाई दलपतिभाई चेरिटेबल ट्रस्ट,
 श्री लालचन्दजी भवरलालजी सचेती
 श्रीमती लताबेन विमलचन्दजी कोठारी, व
 श्रीमती कमलाबेन मूलचन्दजी गुगले, अह
 श्रीमती लीलाबेन पोपटलाल वोरा, इचल
 श्री जे० डी० जैन, गाजियाबाद
 श्री शान्तीलालजी सचेती, मदनगंज
 श्री लक्ष्मीचन्दजी तालेडा, जयपुर
 श्री पुखराजजी लूंकड, बम्बई



प्रस्तावना

सदाचरण : एक बौद्धिक विमर्श

—प्रो० सागरमल जैन

मानव प्रकृति

मनुष्य विश्व में श्रेष्ठतम प्राणी है, उससे श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। फिर भी मानव-अस्तित्व जटिल (Complex), विरोधाभासपूर्ण (Paradoxical) और बहु-आयामी (Multi-dimensional) है। मनुष्य मात्र जैविक संरचना नहीं है, उसमें विवेकात्मक चेतना भी है। शरीर और चेतना यह हमारे अस्तित्व के मुख्य दो पक्ष हैं। शरीर से वासना और चेतना से विवेक का प्रस्फुटन होता है। मनुष्य की यह विवशता है कि उसे वासना और विवेक के इन दो स्तरों पर जीवन जीना होता है। उसके सामने शरीर अपनी माँग प्रस्तुत करता है, तो विवेक अपनी माँग प्रस्तुत करता है। एक ओर उसे दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, तो दूसरी ओर विवेक द्वारा निर्धारित जीवन जीने के कुछ आदर्शों का परिपालन भी करना होता है। वासना और विवेक के संघर्ष को झेलना यही मानव की नियति है। यद्यपि जीवन जीने के लिए शारीरिक माँगों को पूर्णतः ठुकराया नहीं जा सकता है, किन्तु एक विवेकशील प्राणी के रूप में मनुष्य का यह दायित्व बनता है कि वह अन्ध वासनाचालित जीवन से ऊपर उठे। वासनात्मक आवेगों से मुक्ति पाना, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। जहाँ पशु का जीवन-व्यवहार पूर्णतः जैविक-वासनाओं से नियन्त्रित होता है, वहाँ मनुष्य की यह विशेषता है कि वह विवेक तत्व के द्वारा अपने वासनात्मक जीवन पर भी नियन्त्रण कर सकता है और इसी में मानवीय आत्मा में अनुस्यूत स्वतन्त्रता की अभिव्यक्ति है। पशु का जीवन व्यवहार पूर्णतः प्रकृति के अन्धयान्त्रिक नियमों से चालित होता है, अतः वह परतन्त्र है, जबकि मनुष्य प्रकृति के यान्त्रिक नियमों से ऊपर उठकर जीवन जीने की क्षमता रखता है, अतः उसमें स्वतन्त्रता या मुक्त होने की सम्भावना भी है। यही कारण है कि जहाँ पशु जीवन में विकास और पतन की सम्भावनाएँ अत्यन्त सीमित होती हैं, वहाँ मनुष्य में विकास और पतन की अनन्त सम्भावनाएँ हैं। वह विकास की दिशा में आगे बढ़े तो देवत्व से ऊपर उठ सकता है और पतन की दिशा में नीचे गिरे तो पशु से भी नीचे गिर सकता है। इसे जैन धर्म की भाषा में कहे तो मनुष्य ही विश्व में ऐसा प्राणी है, जो एक ओर आध्यात्मिक पतन के द्वारा नारकीय जीवन

के निम्नतम स्तर (सप्तम नरक) को प्राप्त कर सकता है, तो दूसरी ओर आध्यात्मिक विकास के द्वारा मुक्ति के परम साध्य को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य की इस आध्यात्मिक विकास यात्रा को धर्म के नाम से अभिहित किया जाता है।

मानव की विकास यात्रा का सोपान - धर्म

सामान्यतया आचार और व्यवहार के कुछ विधि-विधानों के परिपालन को धर्म कहा जाता है। धर्म हमें यह बताता है कि यह करो और यह मत करो, किन्तु आचार के इन बाह्य नियमों के परिपालन मात्र को धर्म मान लेना भी एक भ्रान्ति ही है। आचार और व्यवहार के बाह्य नियम धर्म का शरीर तो अवश्य हैं, किन्तु वे धर्म की आत्मा नहीं हैं। धर्म की आत्मा तो उस विवेकपूर्ण जीवन-दृष्टि अथवा समतारूपी साध्य की उपलब्धि में निहित होती है, जो आचार और व्यवहार के इन स्थूल नियमों का मूल हार्द है। यही विवेकपूर्ण जीवन-दृष्टि ही आचार-व्यवहार की उन मर्यादाओं एवं विधि-निषेधों की सृजक है, जो वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में समता और शान्ति के सस्थापक हैं और जिन्हें सामान्यतया धर्म या सदाचार के नाम से जाना जाता है।

वैदिक एवं श्रमण धर्म-परम्पराएँ और उनका वैशिष्ट्य

भारतीय धर्मों को मुख्य रूप से वैदिक और श्रमण इन दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन का मूल आधार उनकी प्रवृत्तिमूलक और निवृत्तिमूलक जीवन दृष्टियाँ हैं, जो क्रमशः वासना और भावावेग जनित जैविक मूल्यों एवं विवेक-जनित आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित हैं। सामान्यतया वैदिक धर्म को प्रवृत्तिमूलक और श्रमण धर्मों को निवृत्तिमूलक कहा जाता है। यद्यपि आज वैदिक और श्रमण धर्मों की विविध जीवित परम्पराओं के बीच प्रवृत्ति और निवृत्ति के इन आधारों पर कोई विभाजक रेखा खींच पाना कठिन है क्योंकि आज किसी भी धर्म-परम्परा या धर्म-सम्प्रदाय को पूर्ण रूप से प्रवृत्तिमूलक या निवृत्तिमूलक नहीं कहा जा सकता है। जहाँ एक ओर वैदिक धर्म में औपनिषदिक चिन्तन के काल में ही निवृत्तिमूलक तत्त्व प्रविष्ट होने लगे और वैदिक कर्म-काण्ड, इहलौकिकवाद एवं भोगवादी जीवनदृष्टि समालोचना का विषय बनी, वही दूसरी ओर श्रमण परम्पराओं में भी धर्म-संघों की स्थापना के साथ ही संघ और

समाज व्यवस्था के रूप में कुछ प्रवृत्तिमूलक अवधारणाओं को स्वीकार किया गया और इस प्रकार लोककल्याण के पावन उद्देश्य को लेकर दोनों परम्पराएँ एक-दूसरे के निकट आ गयीं।

जैन जीवन-दृष्टि

जैन धर्म की आचार परम्परा में यद्यपि निवृत्तिमूलक जीवन-दृष्टि प्रधान रही है, परन्तु उसमें सामाजिक और ऐहिक जीवन-मूल्यों की पूर्ण उपेक्षा की गई हो, यह नहीं कहा जा सकता। उसमें भी जैविक एवं सामाजिक जीवन-मूल्यों को समुचित स्थान मिला है। फिर भी इतना निश्चित है कि जैन धर्म में जो प्रवृत्ति-मूलक तत्व प्रविष्ट हुए हैं, उनके पीछे भी मूल लक्ष्य तो निवृत्ति या संन्यास ही है। निवृत्तिमूलक धर्म से यहाँ हमारा तात्पर्य उस धर्म से है जो सासारिक जीवन और ऐन्द्रिक विषय-भोगों को गर्हणीय मानता है और जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में संन्यास और निर्वाण को स्वीकृत करता है। आज भी ये श्रमण परम्पराएँ निर्वाण को ही परमसाध्य स्वीकृत करती हैं। आज संन्यास और निर्वाण को जीवन का साध्य मानने वाले श्रमण धर्मों में मुख्य रूप से जैन और बौद्ध धर्म ही जीवित हैं। यद्यपि आजीवक आदि कुछ अन्य श्रमण परम्पराएँ भी थी, जो या तो काल के गर्भ में समाहित हो गयीं हैं या बृहद् हिन्दू धर्म का ही एक अंग बन गयीं हैं। अब उनका पृथक् अस्तित्व नहीं पाया जाता है।

जहाँ तक जैन धर्म का प्रश्न है, परम्परागत दृष्टि से यह इस कालचक्र में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव द्वारा प्रवर्तित माना जाता है। ऋषभदेव प्राग् ऐतिहासिक काल के तीर्थंकर हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे पास उनके सम्बन्ध में बहुत अधिक ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। वैदिक साहित्य में उल्लिखित ऋषभ की कुछ स्तुतियों और वातरसना मुनियों के उल्लेख से हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि वैदिक युग में भी कोई श्रमण या संन्यास-मार्गी परम्परा प्रचलित थी जो सासारिक विषय-भोगों से निवृत्ति पर और तप तथा ध्यान साधना की पद्धति पर बल देती थी। इसी निवृत्तिमार्गी परम्परा का अग्रिम विकास एक ओर वैदिक धारा के साथ समन्वय एवं समायोजन करते हुए औपनिषदिक धारा के रूप में तथा दूसरी ओर स्वतन्त्र रूप में यात्रा करते हुए जैन (निर्ग्रन्थ), बौद्ध एवं आजीवक आदि अन्य श्रमण परम्पराओं के रूप में हुआ।

आज यह मानना भ्रान्तिपूर्ण होगा कि कोई भी धर्म-परम्परा पूर्ण रूप से निवृत्तिप्रधान या प्रवृत्तिप्रधान होकर जीवित रह सकती है। वस्तुतः निवृत्ति और प्रवृत्ति के सम्बन्ध में ऐकान्तिक दृष्टिकोण न तो व्यावहारिक है और न मनोवैज्ञानिक। मनुष्य जब तक मनुष्य है, मानवीय आत्मा जब तक शरीर के माथ योजित होकर जीवन जीती है, तब तक एकान्त प्रवृत्ति और

एकान्त निवृत्ति की बात करना समुचित नहीं है। यद्यपि जैन परम्परा को हम निवृत्तिमार्गी परम्परा कहते हैं, किन्तु उसे भी एकान्त रूप से निवृत्ति-प्रधान मानना, एक भ्रान्ति ही होगी। यद्यपि जैन धर्म के आचार ग्रन्थों में प्रमुख रूप से निवृत्ति मार्ग की चर्चा देखी जाती है, किन्तु उनमें भी अनेक सन्दर्भ ऐसे हैं जहाँ निवृत्ति और प्रवृत्ति के बीच एक सन्तुलन बनाने का प्रयास किया गया है। अतः जो विचारक जैन धर्म को एकान्त रूप से निवृत्तिपरक मानकर उसके धर्म-ग्रन्थों में उपलब्ध सामाजिक और व्यावहारिक पक्ष की उपेक्षा करते हैं, वे वस्तुतः अज्ञान में ही जीते हैं। यद्यपि यह सत्य है कि जैन आचार्यों ने तप और त्याग पर अधिक बल दिया है, किन्तु इसका तात्पर्य इतना ही है कि व्यक्ति अपनी वासनाओं से ऊपर उठे। जैन-आचार्यों ने जितना भी उपदेशात्मक और वैराग्य-प्रधान साहित्य निर्मित किया है, उसका लक्ष्य मनुष्य को वासनात्मक जीवन में ऊपर उठाकर उसका आध्यात्मिक विकास करना है। उनकी दृष्टि में धर्म और साधना व्यक्ति के आध्यात्मिक अभ्युत्थान के लिए है और अध्यात्म का अर्थ है वासनाओं पर विवेक का शासन। फिर भी हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि कोई धर्म या साधना-पद्धति जैविक और सामाजिक जीवन-मूल्यों की पूर्णतः उपेक्षा नहीं कर सकती है, क्योंकि यही वह आधारभूमि है जहाँ से आध्यात्मिक विकास यात्रा आरम्भ की जा सकती है। जैनो के अनुसार धर्म और अध्यात्म का कल्पवृक्ष समाज और जीवन के आगम में ही विकसित होता है। धार्मिक होने के लिए सामाजिक होना आवश्यक है। जैन धर्म में जिनकल्प और स्थविर कल्प के रूप में जिन दो आचार मार्गों का प्रतिपादन है, उनमें स्थविर-कल्प, जो जन-साधारण के लिए है, समाज-जीवन या सघीय-जीवन में रहकर ही साधना करने की अनुशंसा करता है।

वस्तुतः समाज-जीवन या सघीय-जीवन प्रवृत्ति और निवृत्ति का सुमेल है। समाज-जीवन भी त्याग के बल पर ही खड़ा होता है। जब व्यापक हितों के लिये क्षुद्र स्वार्थों के विसर्जन की भावना बलवती होती है, तभी समाज खड़ा होता है। अतः समाज-जीवन या सघीय-जीवन में सर्जन और विसर्जन तथा राग और विराग का सुन्दर समन्वय है। जिसे आज हम "धर्म" कहते हैं वह भी पूर्णतः निजी या वैयक्तिक साधना नहीं है। उसमें व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के साथ-साथ स्वस्थ समाज का निर्माण भी अनुस्यूत है।

जैन आगमों में धर्म का स्वरूप

धर्म की विभिन्न व्याख्याएँ और परिभाषाएँ दी गई हैं। पूर्व-पश्चिम के विद्वानों ने धर्म को विविध रूपों में देखने और समझने का प्रयत्न किया है। सामान्यतया आचार और विचार की एक विशिष्ट प्रणाली को धर्म कहा जाता है, किन्तु जहाँ तक जैन-परम्परा का प्रश्न है, उसमें धर्म को एक स्वरूप की उपलब्धि

के अथवा आध्यात्मिक विकास के साधन के रूप में माना गया है। जैनाचार्यों ने धर्म की अनेक परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं, उनमें एक परिभाषा “वत्थुसहावो धम्मो” के रूप में की है।^१ जब हम यह कहते हैं कि आग का धर्म उष्णता और जल का धर्म शीतलता है तो यहाँ धर्म से तात्पर्य उनके स्वभाव से ही होता है। यद्यपि वस्तु-स्वभाव के रूप में धर्म की यह परिभाषा सत्य और प्रामाणिक है, किन्तु इससे धर्म के स्वरूप के सम्बन्ध में हमें कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिलता है। वस्तुतः जब हम धर्म की व्याख्या वस्तु-स्वभाव के रूप में करते हैं, तो हमारे सामने मूल प्रश्न मनुष्य के मूल स्वभाव के सम्बन्ध में ही उत्पन्न होता है। मनुष्य एक चेतन प्राणी है और एक चेतन प्राणी के रूप में उसका धर्म या स्वभाव चैतन्य समत्व की उपलब्धि है। यहाँ चैतन्य समत्व का तात्पर्य विभिन्न अनुकूल एवं प्रतिकूल अनुभूतियों में चेतना के स्तर पर अविचलित रहना है। दूसरे शब्दों में समत्व का अर्थ ज्ञाता द्रष्टा भाव में स्थित रहना है। वस्तुतः यह राग और द्वेष के तत्त्व हमारी चेतना के समत्व को विचलित करते हैं अतः राग-द्वेषजन्य विक्षोभों से रहित चेतना की समभाव में अवस्थिति ही उसका स्व-स्वभाव है और यही धर्म है।

वैयक्तिक धर्म समता

व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र में आत्म स्वभाव की चर्चा करते हुए यह प्रश्न उठाया गया है कि आत्मा क्या है और उसका साध्य या लक्ष्य क्या है? जैन आचार्यों ने इस सम्बन्ध में अपने उत्तर में कहा है कि आत्मा समत्व रूप है और उस समत्व को प्राप्त कर लेना यही उसका लक्ष्य है।^२ आचाराग सूत्र में इसी दृष्टिकोण के आधार पर धर्म को समता के रूप में परिभाषित किया गया है। उसमें कहा गया है कि “आर्यजनो ने समभाव में धर्मं कहा है।”^३ वस्तुतः समभाव के रूप में धर्म की यह परिभाषा धर्म की स्वभाव-परक परिभाषा से भिन्न नहीं है। मानवीय एवं प्राणी प्रकृति यही है कि वह सदैव ही तनावों से रहित समत्व की स्थिति को पाना चाहता है। अतः यह कहा जा सकता है कि वे सभी तथ्य, जो चेतना के इस समत्व को भंग करते हैं, विकार, विभाव या अधर्म

हैं, इसके विपरीत जीवन व्यवहार के वे सब तत्त्व जिनसे वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में समता की स्थापना होती है धर्म कहे जा सकते हैं। जब हम धर्म को वैयक्तिक दृष्टि से परिभाषित करना चाहते हैं तब उसे निश्चय ही समभाव के रूप में परिभाषित करना होगा। संक्षेप में कहे तो समता धर्म है और ममता अधर्म या पाप है, क्योंकि समता के द्वारा आत्मा समाधि या शान्ति की स्थिति में होती है यही उसकी अविकारी अवस्था या स्वभाव दशा है जबकि ममता के कारण वह तनाव एवं मानसिक असन्तुलन से ग्रस्त होती है, अतः ममता विकारी अवस्था या विभाव-दशा है।

सामाजिक धर्म अहिंसा

वैयक्तिक ममता के ये तत्त्व, जब बाह्य रूप में अभिव्यक्त होकर हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं, तो वे हिंसा और सघर्ष को जन्म देते हैं। ममता के कारण आधिपत्य, संग्रह और शोषण की वृत्तियों का उदय होता है। व्यक्ति अपने और पराये की दीवारें खींचता है जिससे परिणामतः समाज-जीवन में सघर्ष और हिंसा का जन्म होता है और इन्हीं सघर्षों और हिंसक व्यवहारों के कारण सामाजिक जीवन का समत्व या सामाजिक शान्ति भंग हो जाती है। आचाराग सूत्र में इसी सामाजिक जीवन-व्यवहार के दृष्टिकोण के आधार पर धर्म की एक दूसरी परिभाषा भी दी गई है, उसमें कहा गया है कि “भूतकाल में जो अर्हत् हुए हैं, वर्तमान में हैं अथवा भविष्य में होंगे वे सब यह प्रज्ञापित करते हैं, व्याख्यायित करते हैं कि किसी प्राण, भूत, जीव या सत्त्व को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, उनका घात नहीं करना चाहिए, उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। यही शाश्वत, शुद्ध एवं नित्य धर्म है।”^४

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैन आचार शास्त्रीय ग्रन्थों में वैयक्तिक दृष्टि से समता और सामाजिक दृष्टि से अहिंसा को धर्म कहा गया है।

धर्म सदाचार या सद्गुण के रूप में

प्रकारान्तर से अर्धमागधी और शौरसेनी जैन आगम में क्षमा, सरलता, निर्लोभता, सत्यता, सयम आदि को भी धर्म के रूप में

१ धम्मो वत्थु सहावो, खमादिभावो य दसविहो धम्मो ।

रणयत्तय च धम्मो, जीवाणां रक्खणं धम्मो ॥

२ आया सामाइए, आया सामाइयस्स अट्टे ।

३ समययाए धम्मो आरिएहिं पवेइए ।

४ से वेमि—जे य अतीता जे य पडुप्पणा जे य आगमेस्सा अरहता भगवंता सव्वे ते एवमाइक्खंति, एवं भासंति, एव पणवेंति, एव परुवेंति—सव्वे पाणा जाव सव्वे सत्ता ण हंतव्वा, ण अज्जावेयव्वा, ण परिघेतव्वा, ण परित्तावेयव्वा, एस धम्मो धुवे णित्तिए सासते, समेच्च लोग खेतन्नेहिं पवेदिते ।

—वारस्स अणुवेक्खा (कार्तिकेय) ४७८

—व्याख्याप्रज्ञप्ति १/९

—आचाराग १/५/३/१५७ (च०, पृ ३०)

—आचाराग १/४/१/१३१-१३२ (च०, पृ. ३३)

—सूत्रकृताग २/१/६८० (च० पृ. २१६)

परिभाषित किया गया है।

(१) आचाराग मे क्षमा आदि सद्गुणो को धर्म कहा गया है।^१

(२) स्थानाग मे क्षमा, अलोभ, सरलता, मृदुलता, लघुत्व, सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्यवास आदि जो धर्म के दस रूप प्रतिपादित किये गये हैं।^२

(३) कार्तिकेयानुप्रेक्षा मे भी क्षमादि दस सद्गुणो को दसविध धर्म के रूप मे परिभाषित किया गया है।^३

वस्तुत यह धर्म की सद्गुणपरक या नैतिक परिभाषा है। वे सभी सद्गुण जो सामाजिक समता को बनाए रखते हैं सामाजिक समत्व के संस्थापन की दृष्टि से धर्म कहे गये हैं। क्षमादि इन सद्गुणो की विशेषता यह कि ये वैयक्तिक और सामाजिक दोनों ही जीवन में समत्व या शान्ति-संस्थापन करते हैं।

वस्तुत धर्म की इस व्याख्या को संक्षेप मे हम यह कहकर प्रकट कर सकते हैं कि सद्गुण का आचरण या सदाचरण ही धर्म है और दुर्गुण का आचरण या दुराचरण ही अधर्म है। इस प्रकार जैन आचार्यों ने धर्म और नीति अथवा धर्म और सद्गुण मे तादात्म्य स्थापित किया है, उनके अनुसार धर्म और अनैतिक जीवन-सहगामी नहीं हो सकते। पाश्चात्य विचारक ब्रेडले के अनुसार भी वह धर्म जो अनैतिकता का सहगामी है, वस्तुतः धर्म नहीं, अधर्म ही है।

धर्म जिनाज्ञा का पालन

आचाराग मे धर्म की एक अन्य परिभाषा हमें इस रूप में मिलती है कि आज्ञा पालन मे धर्म है। तीर्थंकर या वीतराग पुरुषो के आदेशो का पालन ही धर्म है। आचाराग मे महावीर-स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मानवो के लिये मेरा निर्देश है कि मेरी आज्ञा का पालन करना ही धर्म है।^४ यहाँ आज्ञा पालन का तात्पर्य सद्गुणो को जीवन मे अपनाना है। यही धर्म का व्याव-

हारिक पक्ष है। आचाराग मे उपलब्ध धर्म की यह परिभाषा हमें मीमासा दर्शन मे उपलब्ध धर्म की उस परिभाषा की स्मृति दिला देती है जहाँ धर्म को चोदना (प्रेरणा) लक्षण कहकर परिभाषित किया गया है^५ और जिसके अनुसार वेद-विहित विधानो के पालन को धर्म कहा गया है।

धर्म सामाजिक-दायित्व का निर्वहन

स्थानाग सूत्र में धर्म की व्याख्या के एक अन्य सन्दर्भ मे राष्ट्र-धर्म, ग्राम-धर्म, नगर-धर्म, कुल-धर्म, गणधर्म आदि का भी उल्लेख हुआ है।^६

यहाँ धर्म का तात्पर्य राष्ट्र, ग्राम, नगर, कुल, गण आदि के प्रति हमारे जो कर्तव्य या दायित्व हैं, उनके परिपालन से है। इन धर्मो के प्रतिपादन का उद्देश्य व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाना है, ताकि सामाजिक और पारिवारिक जीवन के सघर्षों और तनावों को कम किया जा सके तथा वैयक्तिक जीवन के साथ-साथ सामाजिक जीवन मे भी शान्ति और समता की स्थापना की जा सके।

धर्म की विविध परिभाषाओ मे पारस्परिक सामंजस्य

जैन परम्परा मे उपलब्ध धर्म की इन विविध परिभाषाओ से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन आचार्यों ने धर्म को कभी भी रूढ़ि या विशिष्ट प्रकार के कर्म-काण्डो के परिपालन के रूप मे नहीं देखा है। उनकी दृष्टि मे धार्मिक साधना का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के चैतन्य जीवन मे उपस्थित पाशविक वासनाओ एव उन कषायजन्य आवेगो का परिशोधन कर उसकी आध्यात्मिक चेतना को समत्व, शान्ति या समाधि की दिशा मे अग्रसर करना है। यद्यपि जैन धर्म मे साधना और उपासना की विशिष्ट पद्धतियाँ अनुशासित है फिर भी उन सबका तात्पर्य व्यक्ति की प्रसुप्त चेतना को जागृत कर उसे अपनी आध्यात्मिक दुर्बलताओ का बोध कराना है तथा यह दिखाना है कि उसकी आवेगजन्य तनावपूर्ण

१ आचाराग, १/६१५।

२ दसविहे समण धम्म पणत्ते, तं जहा—

खति, मुत्ति, अज्जवे, महवे, लाघवे, सच्चे, सजमे, तथे, चियाए, बंभचेरवासे।

—स्थानाग १०/७१२ (च. पृ ३१)

ज्ञातव्य है कि आचाराग १/६/५, समवायांग १०/१, वारस्स अणुवेक्खा, तत्त्वार्थ ६/६ आदि मे भी इनका उल्लेख है यद्यपि आचाराग और स्थानाग की सूची में कुछ नाम भेद है। वैदिक परम्परा में मनुस्मृति १०/६३, ६/६२; महाभारत आदि-पर्व, ६५/ ५ मे भी कुछ नामभेद के साथ इनके उल्लेख हैं। श्रीमद्भागवत (४/४६) मे धर्म को पत्नियो एवं पुत्रों के रूप मे इन सद्गुणो का उल्लेख है।

वारस्सअणुवेक्खा (कार्तिकेय) ४७८।

३ आणाए मामग धम्म—एस उत्तरवादे इह माणवाण वियाहिए।

—आचाराग १/६/२/१८५ (च. पृ ६०)

४ मीमासा सूत्र, १/१/२।

५ दसविहे धम्म पणत्ते, तं जहा—

गामधम्म, नयरधम्म, रट्ठधम्म, पासंडधम्म, कुलधम्म, गणधम्म, सुयधम्म, चरित्तधम्म, अत्थिकायधम्म।

—स्थानाग, १०/७६० (च. पृ. ३१)

चैतन्यिक स्थिति के कारण क्या हैं ? और उन कारणों का निराकरण कर किस प्रकार आध्यात्मिक शुद्ध स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है ? जब स्थानांग सूत्र में धर्म का क्षमा आदि सद्गुणों से जो तादात्म्य बनाया गया है, तो उसका तात्पर्य भी यही है कि व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाकर चैतन्यिक समत्व या शान्ति का अनुभव करता हुआ अपनी आध्यात्मिक विकास-यात्रा या स्व-स्वरूप की उपलब्धि की दिशा में आगे बढ़ सके ।

वस्तुतः इन सद्गुणों की साधना का तात्पर्य भी यही है कि व्यक्ति की वासनाएँ और मानसिक तनाव कम हो और वह अपनी शुद्ध, स्वाभाविक तनावरहित एवं शान्त आत्मदशा की अनुभूति कर सके । यदि हम संक्षेप में कहे तो जैन दृष्टि से धर्म विभाव से स्वभाव की ओर यात्रा है । कषाय और दुर्गुण या दुष्प्रवृत्तियाँ मनुष्य की विभाव दशा अथवा पर-परिणति की सूचक हैं, क्योंकि ये पर के निमित्त से होती हैं । इनकी उपस्थिति में व्यक्ति मानसिक तनावों से युक्त होकर जीवन जीता है तथा उसकी आध्यात्मिक शान्ति और आध्यात्मिक समता भंग हो जाती है । अतः कषायों के निराकरण के द्वारा व्यक्ति की खोई हुई आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करना अथवा समत्व दशा या स्व-स्वभाव में स्थित होना यही धर्म का मूल उद्देश्य है । कोई भी धार्मिक साधना पद्धति या आराधना विधि यदि उसे विभाव से स्वभाव की ओर, ममता से समता की ओर, मानसिक आवेगों और तनावों से आध्यात्मिक शान्ति की ओर ले जाती है तो वह सार्थक कही जा सकती है, अन्यथा वह निरर्थक होती है । क्योंकि जो आचरण वैयक्तिक या सामाजिक समता को भंग करता है वह धर्म नहीं अधर्म ही है । इसके विपरीत जो आचरण वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में समता या शान्ति लाता है, वह धर्म है ।

जब हम धर्म को वीतराग प्रभु के प्रति अनन्य आस्था या उनके आदेशों के पालन के रूप में देखते हैं तो भी वह समत्व सस्थापन रूप अपने उस मूल स्वरूप से भिन्न नहीं होता है । वस्तुतः वे सभी साधक जो बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से अग्रिम कक्षाओं में स्थित नहीं हैं, अथवा जिनको धर्म और अधर्म की सम्यक् समझ नहीं है, उनके लिए उपादेश यही है कि वे उन लोगों के जीवन और उपदेशों का अनुसरण करें, जिन्होंने मानसिक आवेगों, वासनाओं और कषायों से अर्थात् विभाव दशा से ऊपर उठकर आध्यात्मिक समता अथवा वीतराग दशा का अनुभव किया है । जिस प्रकार दैहिक विकृतियों से छुटकारा पाने के लिये वैद्य के आदेशों और निर्देशों का पालन उपयोगी है, उसी प्रकार आध्यात्मिक कमियों से छुटकारा पाने के लिए वीतराग प्रभु के आदेशों और जीवनादर्शों का अनुसरण

करना आवश्यक है, क्योंकि धर्म साधना भी चैतन्यिक विकृतियों की चिकित्सा ही है । यदि व्यक्ति स्वयं इतना समर्थ है कि वह अपनी विकृति (रोग) को स्वयं जानकर चिकित्सा द्वारा उस विकृति का उपशमन या निरसन कर सकता है, तो उसे अधिकार है कि वह अपना मार्ग स्वयं बनाये और उस पर चले, उसे गुरु, मार्गदर्शक या धर्मोपदेष्टा की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि वह दूसरे के उपदेशों और आदेशों का पालन करे । ऐसा साधक स्वयं-सम्बुद्ध या प्रत्येक-बुद्ध होता है । किन्तु सभी व्यक्तियों में ऐसी सामर्थ्य नहीं होती है कि वे अपनी आध्यात्मिक विकृतियों को स्वयं जानकर उनके कारणों का निदान और निराकरण कर सकें । ऐसे साधकों के लिए गुरु, तीर्थंकर अथवा वीतराग पुरुष के आदेश और निर्देश का पालन आवश्यक है । ऐसे ही लोगों को लक्ष्य में रखकर आगम में यह कहा गया है कि तीर्थंकर के आदेशों का पालन ही धर्म है ।

यद्यपि जैन धर्म इस अर्थ में अनीश्वरवादी धर्म है क्योंकि वह विश्व के सृष्टा और नियन्ता के अर्थ में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है । अतः उसकी आस्था का केन्द्र और मार्ग निर्देशक विश्व-नियन्ता ईश्वर नहीं, अपितु वह वीतराग परमात्मा है, जिसने अपनी साधना के द्वारा राग-द्वेषजन्य आवेगों एवं आत्म-विकारों पर विजय प्राप्त कर समभावयुक्त शुद्धात्म-दशा, परम-शान्ति या समाधि को उपलब्ध कर लिया है । जैनधर्म में तीर्थंकर के आदेशों का पालन या उसके प्रति श्रद्धा या भक्ति का प्रदर्शन इसलिये नहीं किया जाता है कि वह प्रसन्न होकर हमें दुःख या अपूर्णता से मुक्ति दिलायेगा अथवा सकट की घड़ी में हमारी सहायता के लिए दौड़ा हुआ चला आयेगा, अपितु इसलिए किया जाता है कि उसके माध्यम से हम अपने शुद्ध स्वरूप का बोध कर सकें । उसके आदेशों का पालन इसलिए करना है कि सुयोग्य चिकित्सक की भाँति उसके निर्देशों का पालन करने से या उसके जीवनादर्शों का अनुसरण करने से हम आत्म-विकारों का उपशमन कर शुद्धात्मदशा को प्राप्त कर सकेंगे ।

अतः धर्म को चाहे वस्तु स्वभाव के रूप में परिभाषित किया जाये, चाहे समता या अहिंसा के रूप में परिभाषित किया जाये, चाहे हम उसे जिन-आज्ञा-पालन के रूप में व्याख्यायित करें, उसका मूल हार्द यही है कि वह विभाव से स्वभाव की ओर यात्रा है । वह आत्मशुद्धि अर्थात् वासना परिष्कार की दिशा में सम्यक् सचरण है । अतः धर्म और सदाचरण भिन्न नहीं है । यही कारण है कि स्थानांग की टीका में आचार्य अम्भयदेव ने और प्रवचनसार में आचार्य कुन्दकुन्द ने चारित्र्य को भी धर्म का लक्षण माना है ।^१

जैनाचार्यों ने आगम साहित्य की विषय वस्तु का जिन चार

अनुयोगो मे विभाजन किया है, उनमे चरणकरणानुयोग ही ऐसा है जिसका सीधा सम्बन्ध धर्म साधना से है। धर्म मात्र ज्ञान नहीं है अपितु जीवन शैली है। वह जानने की नहीं जीने की वस्तु है। धर्म वह है जो जिया जाता है। अत धर्म सदाचरण या सम्यक्चारित्र का पालन है।

धर्म रत्नत्रय की साधना

सामान्यतया जैन परम्परा मे सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र को रत्नत्रय के नाम से अभिहित किया गया है।

दिगम्बर परम्परा मे आचार्य कार्तिकेय ने अपने ग्रन्थ "वारस्स अणुवेक्खा" (४७८) मे रत्नत्रय की साधना को धर्म कहा है। वस्तुतः रत्नत्रय की साधना से भिन्न धर्म कुछ नहीं है। मनो-वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे अस्तित्व का मूल केन्द्र चेतना है और चेतना के तीन पक्ष हैं—ज्ञान, भाव (अनुभूति) और सकल्प। वस्तुतः रत्नत्रय की साधना अन्य कुछ नहीं, अपितु चेतना के इन तीनों पक्षों का परिशोधन है। क्योंकि सम्यक्ज्ञान, सम्यक्दर्शन और सम्यक्चारित्र क्रमशः वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध कराकर ज्ञेय के प्रति हमारी आसक्ति या राग भाव को जुड़ने नहीं देता है और हमें ज्ञाता-द्रष्टा भाव या समभाव मे स्थित रखता है। इस प्रकार हमारी चेतना के ज्ञानात्मक पक्ष के परिशोधन का उपाय सम्यक्ज्ञान, भावात्मक पक्ष के परिशोधन का उपाय सम्यक्दर्शन और सकल्पात्मक पक्ष के परिशोधन का उपाय सम्यक्चारित्र है। अतः रत्नत्रय की साधना भी अपने ही शुद्ध स्वरूप की साधना है, क्योंकि वह स्व-स्वरूप मे अवस्थिति के द्वारा समभाव और वीतराग की उपलब्धि का कारण है।

जैन साधना का लक्ष्य मोक्ष

सामान्यतया यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि व्यक्ति धर्म या सदाचार का पालन क्यों करे? पाश्चात्य नीतिशास्त्र मे इस प्रश्न का उत्तर मात्र सामाजिक व्यवस्था के आधार पर दिया जाता है। लेकिन जैन परम्परा सदाचार और दुराचार के परिणामों को केवल इहलौकिक सामाजिक कल्याण या अकल्याण तक सीमित नहीं मानती है। यद्यपि इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि जैन धर्म में धर्म साधना या नैतिक जीवन का सम्बन्ध मात्र पारलौकिक जीवन से माना गया है। जैन धर्म के अनुसार धर्म साधना न तो इहलौकिक जीवन के लिए होती है और न पारलौकिक जीवन के लिए होती है, अपितु वह व्यक्ति की विकृतियों या दुष्प्रवृत्तियों के परिशोधन के द्वारा आध्यात्मिक विकास के लिए होती है। सामान्यतया जैन आगमों मे धार्मिक और नैतिक जीवन का सार सर्व दुःखों का अन्त और भव-परम्परा की समाप्ति माना गया है और इसलिये कभी-कभी यह मान लिया जाता है कि जैन धर्म मे धार्मिक और नैतिक साधना के लक्ष्य

मोक्ष का सम्बन्ध पारलौकिक जीवन से है। लेकिन यह एक भ्रान्त धारणा ही होगी। मोक्ष दुःख-विमुक्ति और आत्मोपलब्धि है जो इसी जीवन मे प्राप्तव्य है।

मोक्ष समत्व का सस्थापन

जैनो की यह स्पष्ट मान्यता है कि दुःख-विमुक्ति पारलौकिक जीवन का तथ्य न होकर ऐहिक जीवन का ही तथ्य है। वस्तुतः धर्म साधना और सदाचरण का लक्ष्य जीवन मे तनावरहित, समत्वपूर्ण, शान्त आत्मदशा को प्राप्त करना है। जैसाकि हम पूर्व मे कह चुके हैं कि व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र के अनुसार समत्व या समभाव की प्राप्ति ही आत्मा का लक्ष्य है।

वस्तुतः मनुष्य का जीवन अन्तर्द्वन्द्वो से युक्त है। मानव जीवन मे हम तीन प्रकार के संघर्ष पाते हैं—प्रथम मनोवृत्तियों का आन्तरिक संघर्ष। यह संघर्ष दो वासनाओं के मध्य अथवा वासना और बौद्धिक आदर्शों के बीच होता है। आधुनिक मनो-विज्ञान इसे वासनात्मक अहं (id) और आदर्शात्मक अहं (Super ego) का संघर्ष कहता है। जिसे हम वासना और नैतिक आध्यात्मिक आदर्शों का संघर्ष भी कह सकते हैं। वस्तुतः यही संघर्ष व्यक्ति की आन्तरिक शान्ति को भंग कर तनाव उत्पन्न करता है। दूसरे प्रकार का संघर्ष व्यक्ति की आन्तरिक आकांक्षाओं (इच्छाओं) और बाह्य परिस्थितियों के बीच होता है। आन्तरिक आकांक्षाएँ और उनकी पूर्ति के बाह्य साधनों के मध्य यह संघर्ष चलता है। यह संघर्ष, व्यक्ति और उसके भौतिक परिवेश, व्यक्ति और व्यक्ति अथवा व्यक्ति और समाज के मध्य होता है। आकांक्षाएँ या वासनाएँ जहाँ व्यक्ति की आन्तरिक शान्ति को भंग करती हैं वही उनकी पूर्ति के प्रयत्न बाह्य सामाजिक जीवन की शान्ति को भंग करते हैं। इस प्रकार यह संघर्ष अन्तर और बाह्य दोनों ही प्रकार की शान्ति को भंग करता है। तीसरे प्रकार का संघर्ष बाह्य परिवेश में होने वाला संघर्ष है, जो विविध समाजों और राष्ट्रों के मध्य होता है। प्रत्येक समाज और राष्ट्र अपनी अस्मिता के लिए इस प्रकार के संघर्ष को जन्म देता है। यद्यपि यह संघर्ष बाह्य होते हुए भी व्यक्ति से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर समाज से जुड़ा हुआ ही होता है। इन संघर्षों को समाप्त करके वैयक्तिक और सामाजिक जीवन मे समत्व और शान्ति की स्थापना करना ही धर्म का लक्ष्य रहा है।

यहाँ हमें यह समझ लेना चाहिये कि संघर्ष या समत्व के विचलन जीवन मे घटित होते रहते हैं, फिर भी वे हमारा स्वभाव नहीं हैं। अस्तित्व के लिए भी संघर्ष करना होता है किन्तु जीवन का लक्ष्य संघर्ष या तनाव नहीं, अपितु संघर्ष या तनाव (Tension) का निराकरण है। अतः संघर्ष व्यक्ति और समाज की वैभाविक-दशा (विकृत दशा) के सूचक हैं, जबकि

विभाव से स्वभाव की ओर, सघर्ष से शान्ति की ओर, तनाव से समाधि (तनाव-मुक्ति) की ओर अथवा समत्व से समत्व की ओर यात्रा करना यही धार्मिक साधना और नैतिक आचरण का लक्ष्य है।

मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और विवेकशील प्राणी के रूप में उसका आचरण सदैव ही लक्ष्योन्मुख होता है। समाधि, शान्ति अथवा समत्व को लक्ष्य बनाकर जो आचरण किया जाता है वही आचरण नैतिक और धार्मिक जीवन का सूचक होता है। जैन परम्परा में जो मोक्ष को दुःखों के आत्यन्तिक अभाव की अवस्था कहा गया है, उसका तात्पर्य यही है कि व्यक्ति तनावों से मुक्त हो, क्योंकि तनाव या चैतन्यिक अशान्ति ही वास्तविक दुःख है। वस्तुतः सामाजिक जीवन में जो अशान्ति और सघर्ष देखे जाते हैं उनका भी मूलभूत कारण व्यक्ति की आंतरिक वासनाएँ और आकाक्षाएँ ही होती हैं। जिनकी पूर्ति के लिये व्यक्ति न केवल अपने को दुःखी बनाता है अपितु अपने साथियों को अथवा सामाजिक जीवन को भी दुःखी या तनाव-युक्त बनाता है। अतः मोक्ष जिसे सामान्यतया वैयक्तिक साधना का लक्ष्य माना जाता है वह सामाजिक शांति का भी आधार होता है। स्थितप्रज्ञ या वीतराग पुरुषों का जीवन वैयक्तिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर संघर्ष की स्थिति में नहीं होता है। अतः जो लोग धर्म साधना या नैतिकता के लक्ष्य मोक्ष या निर्वाण को मात्र वैयक्तिक मानते हैं, उनकी यह धारणा उचित नहीं है। धर्म और नैतिकता वैयक्तिक होने के साथ-साथ सामाजिक भी है। अतः धार्मिक और नैतिक साधना का लक्ष्य वैयक्तिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर समत्व का संस्थापन करना है। अतः जैन धर्म में हमें धर्म की जो परिभाषाएँ समत्व और अहिंसा के रूप में मिलती हैं वे मात्र वैयक्तिक जीवन एवं साधना से सम्बन्धित नहीं हैं। जब हम समता को धर्म कहते हैं तो वह समत्व व्यक्ति और समाज दोनों का है। वैयक्तिक समता के बिना सामाजिक समता सम्भव नहीं है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि उन्हें चाहे अलग-अलग देखें और जानें, किन्तु उन्हें कभी भी अलग-अलग किया नहीं जा सकता।

मोक्ष - आत्म पूर्णता

नैतिक जीवन का साध्य केवल समत्व का संस्थापन ही नहीं है, वरन् इससे भी अधिक है, और वह है आत्मपूर्णता की दिशा में प्रगति। क्योंकि जब तक अपूर्णता है, समत्व के विचलन की सम्भावनाएँ भी हैं। अपूर्णता की अवस्था में सदैव ही चाह (Want) उपस्थित रहती है और जब तक कोई भी चाह बनी हुई है, समत्व नहीं हो सकता। कामना, वासना और चाह सभी असन्तुलन की सूचक हैं, उनकी उपस्थिति में समत्व सम्भव नहीं होता। समत्व तो पूर्ण निष्काम एवं अनामकत जीवन में सम्भव

है। जब तक अपूर्णता है, कामना है, और जब तक कामना है, समत्व नहीं है। अतः पूर्ण समत्व के लिए आत्मपूर्णता आवश्यक है। हमारे व्यावहारिक जीवन में भी हमारा प्रयत्न चेतना के ज्ञानात्मक, अनुभूत्यात्मक और संकल्पात्मक पक्षों के विकास के निमित्त होता है। अन्तश्चेतना सदैव ही इस दिशा में प्रयत्नशील रहती है कि हम अपनी ही चेतना के इन तीनों पक्षों की देश-कालगत सीमाओं का अतिक्रमण कर सकें। व्यक्ति अपनी ज्ञानात्मक, अनुभूत्यात्मक और संकल्पात्मक क्षमताओं की पूर्णता चाहता है। सीमितता और अपूर्णता का बोध व्यक्ति के मन की एक कसक है और वह सदैव ही इस कसक से छुटकारा पाना चाहता है। उसकी सीमितता और अपूर्णता जीवन की वह प्यास है, जो पूर्णता के जल से परिशान्त होना चाहती है। जब तक आत्मपूर्णता को प्राप्त नहीं कर लिया जाता, तब तक पूर्ण समत्व नहीं होता, और जब तक पूर्ण समत्व नहीं होता, आध्यात्मिक पूर्णता भी सम्भव नहीं होती। आध्यात्मिक पूर्णता, आत्मपूर्णता और पूर्ण समत्व एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं। काण्ट ने नैतिक विकास की दृष्टि से आत्मा की अमरता को अनिवार्य माना है। नैतिक पूर्णता भी आत्मपूर्णता की अवस्था में ही सम्भव है। यह पूर्णता या अनन्त तक प्रगति, केवल इस मान्यता पर निर्भर है कि व्यक्तित्व में उस पूर्णता को प्राप्त करने की क्षमता है और उस अनन्तता या पूर्णता तक पहुँचने के लिए उसकी स्थिरता भी अनन्त है। दूसरे शब्दों में आत्मा अमर है। काण्ट ने अनन्त की दिशा में नैतिक प्रगति के लिए आत्मा की अमरता पर बल दिया, लेकिन अरबन ने प्रगति को भी नैतिकता की एक स्वतन्त्र मान्यता कहा है। यदि नैतिक प्रगति की सम्भावना को स्वीकार नहीं किया जायेगा, तो नैतिक जीवन का महान उद्देश्य समाप्त हो जायेगा और नैतिकता पारस्परिक सम्बन्धों की एक कहानी मात्र रहेगी।

पाश्चात्य जगत में नैतिक प्रगति का तात्पर्य मात्र सामाजिक सम्बन्धों एवं सामाजिक जीवन की प्रगति है; जबकि भारतीय दर्शन में नैतिक प्रगति से तात्पर्य, व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास है। मोक्ष, निर्वाण या परमात्मा की उपलब्धि के रूप में नैतिक पूर्णता की प्राप्ति को सम्भव मानना नैतिक जीवन की दृष्टि से अति आवश्यक है। यदि आत्मपूर्णता या परमश्रेय की प्राप्ति सम्भव नहीं है, तो सदाचरण, नैतिक जीवन और नैतिक प्रगति का कोई अर्थ नहीं रहेगा। नैतिक प्रगति के अन्तिम चरण के रूप में आध्यात्मिक पूर्णता या आत्मपूर्णता आवश्यक है।

वस्तुतः हमारी चेतना में अपनी अपूर्णता का जो बोध है, वह स्वयं ही हमारे अन्तस् में निहित पूर्णता का संकेत है। हमें अपनी अपूर्णता का स्पष्ट बोध है, लेकिन यह अपूर्णता का स्पष्ट बोध बिना पूर्णता के या बिना प्रत्यय के सम्भव नहीं। यदि

हमारी चेतना या आत्मा, अनन्त या पूर्ण न हो तो हमे अपनी अपूर्णता का बोध भी नहीं हो सकता। ब्रेडले का कथन है कि चेतना अनन्त है, क्योंकि वह अनुभव करती है कि उसकी क्षमताएँ सात एवं सीमित हैं। लेकिन सीमा या अपूर्णता को जानने के लिए असीम एव पूर्ण होना आवश्यक है। जब हमारी चेतना यह ज्ञान रखती है कि वह सात सीमित या अपूर्ण है तो उसका यह सीमित होने का ज्ञान स्वयं इस सीमा को पार कर जाता है। इस प्रकार ब्रेडले भी आत्मा (Self) में निहित पूर्णता का संकेत करते हैं।^१ आत्मा पूर्ण है, यह बात भारतीय दर्शन के विचारार्थी के लिए नयी नहीं है, लेकिन इस आत्मपूर्णता का अर्थ यह नहीं कि हम पूर्ण हैं। पूर्णता हमारी क्षमता (Capacity) है, योग्यता (Ablity) नहीं। पूर्णता के प्रकाश में हमे अपनी अपूर्णता का बोध होता है। अपूर्णता का बोध पूर्णता की उपस्थिति का संकेत अवश्य है, लेकिन वह पूर्णता की उपलब्धि नहीं है। जैसे दूध में प्रतीत होने वाली स्निग्धता उसमें निहित मक्खन की सूचक अवश्य है, लेकिन मक्खन की उपलब्धि नहीं है। जैसे दूध में निहित मक्खन को पाने के लिए प्रयत्न आवश्यक है वैसे आत्मा (Self) में निहित पूर्णता की उपलब्धि के लिए प्रयत्न आवश्यक है। नैतिकता या सदाचरण उसी सम्यक् प्रयत्न का सूचक है, जिसके माध्यम से हम उस पूर्णता को उपलब्ध कर सकते हैं। हैडफील्ड लिखते हैं कि "हम जो कुछ हैं वही हमारा 'स्व' (Self) नहीं है, वरन हमारा 'स्व' वह है जो कि हम हो सकते हैं।"^२ हमारी सम्भावनाओं में ही हमारी सत्ता अभिव्यक्त होती है और इसी अर्थ में आत्मपूर्णता हमारा साध्य भी है। जैसे एक बालक में निहित समग्र क्षमताएँ जहाँ एक ओर उसकी सत्ता में निहित हैं वही दूसरी ओर उसका साध्य हैं। ठीक इसी प्रकार आत्मपूर्णता हमारा साध्य है। यदि हम आत्मपूर्णता को नैतिक जीवन या धर्म साधना का परम साध्य मानते हैं, तो हमे यह भी स्पष्ट करना होगा कि आत्मपूर्णता का तात्पर्य क्या है? आत्मपूर्णता का तात्पर्य आत्मोपलब्धि ही है, वह स्व में "स्व" को पाना है। लेकिन जिस आत्मा या "स्व" को उपलब्ध करना है वह सीमित या अपूर्ण आत्मा नहीं, वरन् ऐसी आत्मा है जो समग्र वासनाओं, सकल्पों एवं सघर्षों से ऊपर है, विशुद्ध दृष्टा एवं साक्षी स्वरूप है। हमारी शुद्ध सत्ता हमारे ज्ञान, भाव और संकल्प सभी का आधार होते हुए भी सभी से ऊपर एक निर्विकल्प, वीतराग, साक्षी आत्म-सत्ता की स्थिति है। इसी स्थिति की उपलब्धि को पूर्णात्मा का साक्षात्कार, परम

आत्मा की उपलब्धि कहा जाता है। पाश्चात्य दर्शन में पूर्णता के दो अर्थ रहे हैं—एक अर्थ में वह चेतना के ज्ञान, भाव और सकल्प के मध्य साग सन्तुलन है तो दूसरी ओर वह वैयक्तिक सीमाओं और सीमितताओं से ऊपर उठना है, ताकि समाज के अन्य घटकों और हमारे बीच का द्वैत समाप्त हो सके और व्यक्ति एक महापुरुष के रूप में समाज का मार्गदर्शन कर सके। ब्रेडले का कथन है कि "मैं अपने को नैतिक रूप से अभिव्यक्त तभी करता हूँ, जब मेरी आत्मा मेरी निजी आत्मा नहीं रह जाती, जब मेरा सकल्प अन्य लोगों के संकल्प से भिन्न नहीं रह जाता और जब मैं दूसरों के सत्कार में केवल अपने को पाता हूँ। आत्मानुभूति का अर्थ है। असीम व अनन्त हो जाना, अपने व पराये के अन्तर को मिटा देना।"^३ यह है पराभौतिक स्तर पर आत्मानुभूति का अर्थ। म वैज्ञानिक स्तर पर आत्मानुभूति का अर्थ होगा हमारी सम्पूर्ण बौद्धिक, नैतिक एव कलात्मक योग्यताओं तथा क्षमताओं की अभिव्यक्ति। यदि हम अपनी कामनाओं एव उद्देश्यों को एक साथ रखकर देखें तो सभी विशेष उद्देश्य कुछ सामान्य और व्यापक उद्देश्यों के अन्तर्गत आ जाते हैं जो परस्पर मिलकर एक समन्वयात्मक समुच्चय बन जाते हैं। इसी समन्वयात्मक समुच्चय में हमारी आत्मा पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होती है।^४

भारतीय परम्परा में पूर्णता का अर्थ थोड़ा भिन्न है। पाश्चात्य परम्परा में आत्मा (Self) का अर्थ व्यक्तित्व है और जब हम पाश्चात्य परम्परा में आत्मपूर्णता की बात कहते हैं तो उसका तात्पर्य है व्यक्तित्व की पूर्णता। व्यक्तित्व का तात्पर्य है शरीर और चेतना। लेकिन अधिकांश भारतीय दर्शन आत्मा को तात्त्विक "सत्" के रूप में लेते हैं। अतः भारतीय चिन्तन के अनुसार आत्मपूर्णता का अर्थ अपनी तात्त्विक सत्यता की अथवा परमार्थ की उपलब्धि है। यो भारतीय परम्परा में आत्मपूर्णता का अर्थ आत्मा की ज्ञानात्मक, भावात्मक और सकल्पात्मक शक्तियों की पूर्णता भी मान्य है। भारतीय चिन्तन और विशेष रूप से जैन चिन्तन के अनुसार मनुष्य के ज्ञान, भाव और संकल्प का अनन्त ज्ञान, अनन्त सौख्य (आनन्द) और अनन्त शक्ति के रूप में अभिव्यक्त हो जाना ही आत्मपूर्णता है। यही वह अवस्था है जिसमें आत्मा परमात्मा बन जाता है। आत्मा की शक्तियों का अनावरण एव पूर्ण अभिव्यक्ति, यही परमात्म-तत्त्व की प्राप्ति है, और यही आत्मपूर्णता है।

१ देखें - Ethical Studies, chapter II

उद्धृत जैन, बौद्ध और गीता के आचार दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन, भाग १, पृ ४१२।

२ Psychology and Morals, p 183.

३ Ethical Studies p 11

४ Ibid p 11

मोक्ष : आत्म-साक्षात्कार

आत्म पूर्णता "पर" या पूर्व-अनुपस्थित वस्तु की उपलब्धि नहीं वरन् आत्मोपलब्धि ही है। यह एक ऐसी उपलब्धि है, जिसमें पाना कुछ भी नहीं, वरन् सब कुछ खो देना है। यह पूर्ण रिक्तता एवं शून्यता है। सब कुछ खो देने पर सब कुछ पा लिया जाता है। पूर्ण रिक्तता पूर्णता बनकर प्रकट हो जाती है। भौतिक स्तर पर "पर" को पाकर "स्व" को खोते हैं लेकिन आध्यात्मिक जीवन में "पर" को खोकर "स्व" को पा जाते हैं। जैन-दर्शन में इसे यह कहकर प्रकट किया गया है कि जितनी पर-परिणति या पुद्गल-परिणति है उतना ही आत्म विस्मरण है, "स्व" को खोना है और जितना पर-परिणति या पुद्गल-परिणति का अभाव है उतना ही आत्मरमण या "स्व" की उपलब्धि है। हमारी जितनी "पर" में आसक्ति होती है, उतने ही हम "स्व" से दूर होते हैं। इसके विपरीत "पर" में, आसक्ति का जितना अभाव होता है, उतना ही हम "स्व" या आत्मा के समीप होते हैं। जितनी मात्रा में वासनाएँ, अहंकार और चित्त-विकल्प कम होते हैं, उतनी ही मात्रा में हमें आत्मोपलब्धि या आत्मसाक्षात्कार होता है। जब चेतना में इनका पूर्ण अभाव हो जाता है, तो आत्मसाक्षात्कार आत्मपूर्णता के रूप में प्रकट हो जाता है।

जैन नैतिकता का साध्य भी आत्मोपलब्धि या आत्म-साक्षात्कार ही है। आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं कि "मोक्षकामी को आत्मा को जानना चाहिए, आत्मा पर ही श्रद्धा करना चाहिए और आत्मा की ही अनुभूति (अनुचरितव्य) करना चाहिए। सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, प्रत्याख्यान (त्याग), संवर (सयम) और योग सब अपने आपको पाने के साधन हैं। क्योंकि यही आत्मा ज्ञान में है, दर्शन में है, चारित्र्य में है, त्याग में है, संवर में है और योग में है।" आचार्य कुन्दकुन्द के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट हो जाता है कि नैतिक क्रियाएँ आत्मोपलब्धि ही हैं। व्यवहारनय से जिन्हें ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य कहा गया है निश्चयनय से वह आत्मा ही है। इस प्रकार नैतिक जीवन का लक्ष्य आत्म-साक्षात्कार या आत्मलाभ है।

साध्य, साधक और साधना का पारस्परिक सम्बन्ध

जैन धर्म में साध्य और साधक में अभेद माना गया है। समयसार टीका में आचार्य अमृतचन्द्र सूरि लिखते हैं कि परद्रव्य का परिहार और शुद्ध आत्मतत्त्व की उपलब्धि ही सिद्धि है।^१ आचार्य हेमचन्द्र साध्य और साधक में अभेद बताते हुए लिखते हैं

१ समयसार १५-१८ एवं उसकी आत्मव्याप्ति टीका।

२ समयसार, आत्मव्याप्ति टीका ३०५।

३ योगशास्त्र (हेमचन्द्र) ४/५।

४ अध्यात्मतत्त्वालोक, ४/६।

कि कषायो और इन्द्रियो से पराजित आत्मा ही संसार है और उनको विजित करने वाला आत्मा ही प्रबुद्ध पुरुषो द्वारा मोक्ष कहा जाता है।^१ अध्यात्मतत्त्वालोक में मुनि न्यायविजयजी कहते हैं कि आत्मा ही संसार है और आत्मा ही मोक्ष हैं। जहाँ तक आत्मा कषाय और इन्द्रियो के वशीभूत है, संसार है, और उनको ही जब अपने वशीभूत कर लेता है मोक्ष कहा जाता है।^२ इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म का साध्य अर्थात् मोक्ष और साधक दोनों ही आत्मा की दो अवस्थाएँ (पर्याय) हैं। दोनों में मौलिक अन्तर यही है कि आत्मा जब तक विषय और कषायो के वशीभूत होता है तब तक बन्धन में होता है और जब उन पर विजय लाभ कर लेता है तब वही मुक्त बन जाता है। आत्मा की वासनाओ के मल से युक्त अवस्था ही उसका बन्धन कही जाती है और विशुद्ध आत्म तत्व की अवस्था ही मुक्ति कही जाती है। इसी प्रकार आसक्ति को बन्धन और अनासक्ति को मुक्ति मानना एक मनोवैज्ञानिक सत्य है।

जैन धर्म में साध्य और साधक दोनों में अन्तर केवल इस बात को लेकर है कि आत्मा की विभाव दशा ही साधक की अवस्था है और आत्मा की स्वभाव दशा ही सिद्धावस्था है। जैन साधना का लक्ष्य अथवा आदर्श कोई बाह्य तत्व नहीं, वह तो साधक का अपना ही निजरूप है। उसकी ही अपनी पूर्णता की अवस्था है। साधक का आदर्श उसके बाहर नहीं वरन् उसके अन्दर ही है। साधक को उसे पाना भी नहीं है, क्योंकि पाया तो वह जाता है जो व्यक्ति में अपने में नहीं हो अथवा अपने से बाह्य हो। धर्म साधना का साध्य बाह्य उपलब्धि नहीं, आन्तरिक उपलब्धि है। दूसरे शब्दों में कहे तो वह अपना ही अनावरण है, अपने आपको उघाड़ना है, अपने निज गुणों का पूर्ण प्रकटन है। यहाँ भी हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा के निज गुण या स्व लक्षण तो सदैव ही उसमें उपस्थित हैं, साधक को केवल उन्हें प्रकटित करना है। हमारी क्षमताएँ साधक अवस्था और सिद्ध अवस्था में वही हैं। साधक और सिद्ध अवस्था में अन्तर क्षमताओं का नहीं, वरन् क्षमताओं को योग्यताओं में बदल देने का है। जैसे बीज वृक्ष के रूप में विकसित होता है वैसे ही मुक्तावस्था में आत्मा के निज गुण पूर्ण रूप में प्रकटित हो जाते हैं। साधक आत्मा के ज्ञान, भाव (अनुभूति) और सकल्प के तत्व ही मोक्ष की अवस्था में अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सौख्य और अनन्त शक्ति के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वह आत्मा जो

कपाय और राग-द्वेष से युक्त है और इनसे युक्त होने के कारण वद्ध, सीमित और अपूर्ण है, वही आत्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सौख्य और अनन्त शक्ति को प्रकट कर मुक्त एव पूर्ण बन जाता है। उपाध्याय अमर मुनिजी के शब्दों में जैन साधना के स्व में स्व को उपलब्ध करना है, निज में निज की शोध करना है अनन्त में पूर्णरूपेण रममाण होना है—आत्मा के बाहर एक कण में भी साधक की उन्मुखता नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन विचारणा में तात्त्विक दृष्टि से साध्य और साधक दोनों एक ही हैं। यद्यपि पर्यायार्थिक दृष्टि या व्यवहारनय से उसमें भेद माना गया है। आत्मा की स्वभाव पर्याय या स्वभाव की ओर आना यही साधना है।

साधना पथ और साध्य

जिस प्रकार साधक और साध्य में अभेद माना गया है, उसी प्रकार साधना मार्ग और साध्य में भी अभेद है। जीवात्मा अपने ज्ञान, अनुभूति और सकल्प के रूप में साधक कहा जाता है, उसके यही ज्ञान, अनुभूति और सकल्प सम्यक् दिशा में नियोजित होने पर साधना पथ बन जाते हैं और वे ही जब अपनी पूर्णता को प्रकट कर लेते हैं तो सिद्ध बन जाते हैं। जैन धर्म के अनुसार सम्यक् ज्ञान, सम्यक्-दर्शन, सम्यक् चारित्र और सम्यक्-तप क्रमशः अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सौख्य और अनन्त शक्ति की उपलब्धि कर लेते हैं तो यही अवस्था सिद्धि बन जाती है। आत्मा का ज्ञानात्मक पक्ष सम्यक् ज्ञान की साधना के द्वारा अनन्त ज्ञान को प्रकट कर लेता है, आत्मा का अनुभूत्यात्मक पक्ष सम्यक्-दर्शन की साधना के द्वारा अनन्त-दर्शन की उपलब्धि कर लेता है, आत्मा का सकल्पात्मक पक्ष सम्यक् चारित्र की साधना के द्वारा अनन्त सौख्य की उपलब्धि कर लेता है और आत्मा की क्रियाशक्ति सम्यक्-तप की साधना के द्वारा अनन्त शक्ति को उपलब्ध कर लेती है। इस प्रकार हम देखते हैं, कि जो साधक चेतना का स्वरूप है वही सम्यक् बन कर साधना पथ बन जाता है और उसी की पूर्णता साध्य होती है। इस प्रकार साधक, साधना पथ और साध्य सभी आत्मा की ही विभिन्न अवस्थाएँ हैं।

आत्मा की विभाव दशा अर्थात् उसकी विषय-वासनाओं में आसक्ति या रागभाव उसका बन्धन है, अपने इस रागभाव, आसक्ति या ममता को तोड़ने का जो प्रयास है, वही साधना है और उस आसक्ति, ममत्व या रागभाव का टूट जाना ही मुक्ति है। यही आत्मा का परमात्मा बन जाना है। जैन साधकों ने आत्मा की तीन अवस्थाएँ मानी हैं—

- (१) वहिरात्मा,
- (२) अन्तरात्मा, और
- (३) परमात्मा।

सन्त ध्यानधन जी कहते हैं—

त्रिविध सकल तनुधर गत आत्मा,
वहिरातम अधरूप सुज्ञानी।
बीजो अन्तर आतमा तीसरो,
परमातम अविच्छेद सुज्ञानी ॥

विषय-भोगों में उलझा हुआ आत्मा वहिरात्मा है। संसार के विषय-भोगों में उदासीन साधक अन्तरात्मा है और जिसने अपनी विषय-वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, जो विषय-विकार से रहित अनन्त चतुष्टय से युक्त होकर ज्ञाता-द्रष्टा भाव में स्थित है, वह परमात्मा है।

आत्मा और परमात्मा में सम्बन्ध

जैन धर्म में आत्मा और परमात्मा के पारस्परिक सम्बन्ध को लेकर कहा गया है—

“अप्पा सो परमप्पा”।

आत्मा ही परमात्मा है।

प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक चेतनसत्ता परमात्मस्वरूप है।

मोह और ममता और तदजनित कर्मवर्गणाओं के कोहरे में हमारा वह परमात्म-स्वरूप छुप गया है। जैसे बादलों के आवरण में सूर्य का प्रकाशपुञ्ज छिप जाता है और अन्धकार घिर जाता है, उसी प्रकार मोह-ममता और राग-द्वेषरूपी कर्मवर्गणाओं के आवरण से आत्मा का अनन्त आनन्द स्वरूप तिरोहित हो जाता है और जीव दुःख और पीडा से भर जाता है।

आत्मा और परमात्मा में स्वरूपत कोई भेद नहीं है। धान और चावल एक ही हैं, अन्तर मात्र इतना है कि एक आवरण (छिलके) सहित है और दूसरा निरावरण (छिलके-रहित)। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, फर्क केवल कर्म रूप आवरण का है।

जिस प्रकार धान के सुमधुर भात का आस्वादन तभी प्राप्त हो सकता है जब उसका छिलका उतार दिया जावे, उसी प्रकार अपने ही परमात्म स्वरूप की अनुभूति तभी सम्भव है जब हम अपनी चेतना से मोह-ममता और राग-द्वेष की खोल को उतार फेंके। छिलके-सहित धान के समान मोह-ममता की खोल में जकड़ी हुई चेतना आत्मा है और छिलके-रहित शुद्ध शुभ्र चावल के रूप में निरावरण शुद्ध चेतना परमात्मा है। कहा है—

सिद्धा जैसे जीव है, जीव सोय सिद्ध होय।

कर्म मेल का अंतरा, वृक्षे विरला कोय ॥

मोह-ममता रूपी परदे को हटाकर उस पार रहे हुए अपने ही परमात्मस्वरूप का दर्शन सम्भव है। हमें प्रयत्न परमात्मा को पाने का नहीं, इस परदे को हटाने का करना है, परमात्मा तो उपस्थित है ही। हमारी गलती यही है कि हम परमात्म स्वरूप को प्राप्त करना तो चाहते हैं, किन्तु इस आवरण को हटाने का प्रयास नहीं करते। हमारे प्रयत्नों की दिशा यदि सही हो तो

अपने मे ही निहित परमात्मा दर्शन दूर नहीं है। हमारा दुर्भाग्य तो यही है कि आज स्वामी का दास बना हुआ है। हमे अपनी हस्ती का अहसास ही नहीं है। किसी उर्दू शायर ने ठीक ही कहा है—

इन्सा की बदवस्ती अन्दाज से बाहर है।

कमवस्त खुदा होकर वंदा नजर आता है ॥

जैनदर्शन मे वीतराग का जीवनादर्श

जैन-दर्शन मे नैतिक जीवन या साधना का परमसाध्य वीतरागता की प्राप्ति रहा है। जैन-दर्शन मे वीतराग एवं अरिहन्त (अर्हत्) इसी जीवनादर्श के प्रतीक हैं। वीतराग की जीवन-शैली क्या होती है, इसका वर्णन जैनागमो मे यत्र-तत्र विखरा हुआ है। संक्षेप मे उन आधारो पर उसे इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैनागमो मे आदर्श पुरुष के लक्षण बताते हुए कहा गया है “जो ममत्व एव अहंकार से रहित है, जिमके चित्त मे कोई आसक्ति नहीं है और जिसने अभिमान का त्याग कर दिया है, जो प्राणिमात्र के प्रति समभाव रखता है। जो लाभ-अलाभ, सुख-दुख, जीवन-मरण, मान-अपमान और निन्दा-प्रशंसा मे समभाव रखता है। जिसे न इस लोक की और न परलोक की कोई अपेक्षा है, किसी के द्वारा चन्दन का लेप करने पर और किसी के द्वारा वसूले के छीलने पर, जिसके मन मे लेप करने वाले पर राग-भाव और वसूले के छीलने वाले पर द्वेष-भाव नहीं होता, जो खाने मे और अनशन व्रत करने मे समभाव रखता है, वही महापुरुष है।”^१ जिस प्रकार अग्नि से शुद्ध किया हुआ सोना निर्मल होता है, उसी प्रकार जो राग-द्वेष और भय आदि से रहित है, वह निर्मल है। जिस प्रकार कमल कीचड़ एवं पानी मे उत्पन्न होकर भी उसमे लिप्त नहीं होता उसी प्रकार जो सप्तर के काम-भोगो मे लिप्त नहीं होता, भाव से सदैव ही विरत रहता है, उस विरतात्मा, अनासक्त पुरुष को इन्द्रियो के शब्दादि विषय भी मन मे राग-द्वेष के भाव उत्पन्न नहीं करते। जो विषय रागी व्यक्तियो को दुख देते हैं, वे वीतरागी के लिए दुख के कारण नहीं होते हैं। वह राग, द्वेष और मोह के अध्यवसायो को दोष-रूप जानकर सदैव उनके प्रति जाग्रत रहता हुआ माध्यस्थभाव रखता है। किसी प्रकार के संकल्प-विकल्प नहीं करता हुआ तृष्णा का प्रहाण कर देता है। वीतराग पुरुष राग-द्वेष और मोह का प्रहाण कर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय कर्म का क्षय कर कृतकृत्य हो जाता है। इस प्रकार मोह, अन्तराय और आसक्तो से रहित वीतराग सर्वज्ञ, सर्वदर्शी होता है। वह शुक्ल-ध्यान और सुसमाधि सहित होता है और आयु का क्षय होने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है।^२

धर्मसाधना का स्वरूप

धर्म के स्वरूप एवं साध्य की इस चर्चा के पश्चात् यह आवश्यक है कि हम इस प्रश्न पर भी विचार करें कि धर्म साधना क्या है? धर्म को जीवन मे किस प्रकार जीया जा सकता है? क्योंकि धर्म साधना का तात्पर्य धर्म को जीवन मे जीना है। धर्म जीवन जीने की एक कला है और उससे अलग होकर उसका न तो कोई अर्थ है और न कोई मूल्य ही। धर्म के स्वरूप की चर्चा मे हमने जो कुछ निष्कर्ष रूप मे पाया था वह यह कि “समता धर्म है और ममता अधर्म है।” इसके साथ हमने यह भी देखा कि मनुष्य की व्यक्तिगत या सामाजिक जो भी पीडाएं हैं दुख हैं वे सब उसकी ममत्वबुद्धि, रागभाव और आसक्ति के परिणाम हैं। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ‘ममता दुख का मूल है और समता सुख का मूल’। जीवन मे ममता जितनी छूटेगी और समता जितनी प्रकटित होगी, उतना ही दुख कम होगा और व्यक्ति आनन्द का अनुभव करेगा। ममता और तृष्णा को छोड़ने से ही जीवन में समता और सुख को पाया जा सकता है और दूसरे शब्दो मे कहे तो धर्म को जीवन मे जीया जा सकता है। किन्तु ममता या राग-भाव का छूटना या छोड़ना अत्यन्त दुर्लभ या कठिन कार्य है। जन्म-जन्मान्तरो के सस्कारो के कारण हमारे जीवन मे ममता और तृष्णा के तत्व इतनी गहराई तक पैठे हुए हैं कि उन्हें निकाल पाना सहज नहीं है। वीतराग, अनासक्ति या वीततृष्ण होने की बात कही तो बड़ी सरलता से जा सकती है, किन्तु जीवन मे उसकी साधना करना अत्यन्त कठिन है। अनेक बार यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि कोई व्यक्ति वीतराग, वीततृष्ण या अनासक्त होकर कैसे जीवन जी सकेगा? जब जीवन मे ममता नहीं होगी, अपनेपन का बोध नहीं होगा, चाह नहीं होगी तो व्यक्ति को जीवन जीने का कौन सा आकर्षण रह जायेगा। ममता और चाह (तृष्णा) वस्तुतः हमारे जीवन व्यवहार के प्रेरक तत्व हैं। व्यक्ति किसी के लिए भी जो कुछ करता है, वह अपने ममत्व या रागभाव के कारण करता है, चाहे वह राग प्रशस्त हो या अप्रशस्त अथवा वह फिर अपनी किसी इच्छा (तृष्णा) की पूर्ति के लिए करता है। यदि राग और तृष्णा के ये दोनो तत्व जीवन से निकल जायें तो जीवन नीरस और निष्क्रिय हो जायेगा क्योंकि राग या ममता के कारण जीवन मे रस है और चाह के कारण सक्रियता। किन्तु यह दृष्टिकोण पूर्णतः सत्य नहीं है। आसक्ति, ममत्व या तृष्णा के अभाव मे भी कर्तव्य भाव और विवेक-युक्त करुणा के आधार पर जीवन जीया जा सकता है। यह सत्य है कि अनासक्त होकर मात्र कर्तव्यबोध या

निष्काम भाव से जीवन जीना कुछ विरले लोगो के लिए सम्भव हो सकता है, जनसामान्य के लिए यह सम्भव नहीं है। किन्तु दूसरी ओर यह भी सत्य है कि ममता, आसक्ति या तृष्णा ही सभी दुखों की जड़ है, ससार के सारे सघर्षों का कारण है। उसे छोड़े या उस पर नियन्त्रण किये बिना न तो व्यक्तिगत जीवन में और न सामाजिक जीवन में सुख-शान्ति आ सकती है। यही मानव-जीवन का विरोधाभास है। एक ओर ममत्व और कामना (चाह) सरस एवं सक्रिय जीवन के अनिवार्य तत्व हैं तो दूसरी ओर वे ही दुख और सघर्ष के कारण भी हैं। जैन और बौद्ध परम्पराओं में जीवन को जो दुःखमय कहा गया है उसका कारण यही है। ममत्व और कामना (तृष्णा) के बिना जीवन चलता नहीं है और जब तक ये उपस्थित हैं जीवन में सुख-शान्ति सम्भव नहीं है।

चाहे एक वार हम इस बात को मान भी लें कि जीवन में पूर्णतया अनासक्ति या निर्ममत्व लादा नहीं जा सकता, किन्तु साथ ही हमें यह भी मानना ही होगा कि यदि हम अपने जीवन को और मानव समाज को दुःख और पीड़ाओं से ऊपर उठाना चाहते हैं, तो ममता और कामना के त्याग अथवा उन पर नियन्त्रण के अतिरिक्त, अन्य कोई विकल्प भी नहीं है। जीवन में जब तक ममता की गाँठ टूटती नहीं है, आसक्ति छूटती नहीं है, कामना (तृष्णा) समाप्त नहीं होती है, तब तक आत्मिक शान्ति और सुख सम्भव नहीं है। यदि हमें सुख और शान्ति की अपेक्षा है, तो निश्चित रूप से आसक्ति और ममता की गाँठ को खोलना होगा और जीवन में समभाव और अनासक्ति (निष्कामता) को लाना होगा।

कर्मकाण्ड धर्मसाधना का लक्ष्य नहीं

सामान्यतया धर्म-साधना का सम्बन्ध कुछ विधि-विधानों, क्रियाकाण्डों, आचार-व्यवहार के विधि-निर्देशों के साथ जोड़ा जाता है। हमसे कहा जाता है—‘यह करो, और यह मत करो’। किन्तु हमें यह स्मरण रखना है कि ये बाह्य कर्मकाण्ड धार्मिक साधना के मूल तत्व नहीं हैं। यद्यपि मेरे कहने का यह तात्पर्य भी नहीं है कि धार्मिक जीवन में इनकी कोई उपयोगिता या सार्थकता नहीं है। आचार, व्यवहार या कर्मकाण्ड धार्मिक जीवन के सदैव से ही आवश्यक अंग रहे हैं और सदैव रहेंगे। किन्तु हमें एक बात का स्मरण रखना होगा कि यदि हमारे इन धार्मिक कहे जाने वाले क्रियाकाण्डों, विधि-विधानों या आचार-नियमों से हमारी आसक्ति या ममता छूटती नहीं है, चाह और चिन्ता में कमी होती नहीं है, जीवन में विवेक एवं आनन्द का प्रस्फुटन नहीं होता

है, तो ये सब निरर्थक हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। इनकी कोई उपादेयता नहीं। ये क्रियाकाण्ड साधन हैं, और साधनों का मूल्य तभी तक है जब तक वे साध्य की उपलब्धि में सहायक होते हैं। आइये, परखें और देखें कि जैन धर्म में धर्म साधना के उपाय कौन से हैं और इनकी मूल्यवत्ता क्या है ?

त्रिविध साधना-मार्ग

जैन दर्शन मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिविध साधना मार्ग प्रस्तुत करता है। तत्त्वार्थ सूत्र के प्रारम्भ में ही कहा है सम्यग्-ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य मोक्ष का मार्ग है।^१ उत्तराध्ययन सूत्र में सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्र्य और सम्यक्-तप ऐसे चतुर्विध मोक्ष मार्ग का भी विधान है।^२ परवर्ती जैन आचार्यों ने तप का अन्तर्भाव चारित्र्य में किया है और इसलिए परवर्ती साहित्य में इसी त्रिविध साधना मार्ग का विधान मिलता है। आचार्य कुन्दकुन्द ने समयसार एवं नियमसार में, आचार्य अमृतचन्द्र ने पुरुषार्थसिद्ध्युपाय में, आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में त्रिविध साधना पथ का विधान किया है।

त्रिविध साधना मार्ग ही क्यों ?

यह प्रश्न उठ सकता है कि त्रिविध साधना मार्ग का ही विधान क्यों किया गया है ? वस्तुतः त्रिविध साधना मार्ग के विधान में पूर्ववर्ती ऋषियों एवं आचार्यों की गहन मनोवैज्ञानिक सूझ रही है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानवीय चेतना के तीन पक्ष माने गये हैं—ज्ञान, भाव और संकल्प। जीवन का साध्य चेतना के इन तीनों पक्षों के परिष्कार में माना गया है। अतः यह आवश्यक ही था कि इन तीनों पक्षों के परिष्कार के लिए त्रिविध साधना पथ का विधान किया जाये। चेतना के भावात्मक पक्ष को सम्यक् वनाने के लिए एवं उसके सही विकास के लिए सम्यग्दर्शन या श्रद्धा (भाव) की साधना का विधान किया गया। इसी प्रकार ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ज्ञान का और संकल्पात्मक पक्ष के लिए सम्यक् चारित्र्य का विधान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिविध साधना-पथ के विधान के पीछे जैनो की एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि रही है। तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं—बौद्ध दर्शन में शील, समाधि और प्रज्ञा के रूप में और गीता में ज्ञानयोग, भक्तियोग एवं कर्मयोग के रूप में भी त्रिविध साधना मार्ग के उल्लेख हैं।

पाश्चात्य चिन्तन में त्रिविध साधना-पथ

पाश्चात्य परम्परा^३ में तीन नैतिक आदेश उपलब्ध होते हैं—

(१) स्वयं को जानो

(२) स्वयं को स्वीकार करो

१ तत्त्वार्थसूत्र, १/१।

३ साइकोलाजी एण्ड मारल्स, पृ० १८०।

(३) स्वयं ही बन जाओ

पाश्चात्य चिन्तन के ये तीन नैतिक आदेश जैन परम्परा के सम्यक् ज्ञान, दर्शन और चारित्र के त्रिविध साधनामार्ग के सम-कक्ष ही हैं। आत्मज्ञान में ज्ञान का तत्व, आत्म-स्वीकृति में श्रद्धा का तत्व और आत्म-निर्माण में चारित्र का तत्व स्वीकृत ही है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिविध साधना-मार्ग के विधान में जैन, बौद्ध और वैदिक परम्परार्यों ही नहीं, पाश्चात्य विचारक भी एकमत हैं। तुलना-मक रूप में उन्हें निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है—

जैन-दर्शन	बौद्ध-दर्शन	गीता	उपनिषद	पाश्चात्य दर्शन
सम्यग्ज्ञान	श्रद्धा, चित्त, समाधि	ज्ञान,	मनन	Know thyself
सम्यग्दर्शन	प्रज्ञा	श्रद्धा,	श्रवण	Accept thyself
सम्यक्चारित्र	शील, वीर्य	कर्म, सेवा	निदिध्यासन	Be thyself

साधना-त्रय परस्पर सम्बन्ध

जैन आचार्यों ने नैतिक साधना के लिए इन तीनों साधना-मार्गों को एक साथ स्वीकार किया है। उनके अनुसार नैतिक साधना की पूर्णता त्रिविध साधनापथ के समग्र परिपालन में ही सम्भव है। जैन विचारक तीनों के समवेत से ही मुक्ति मानते हैं। उनके अनुसार न अकेला ज्ञान, न अकेला कर्म और न अकेली भक्ति मुक्ति देने में समर्थ है जबकि कुछ भारतीय विचारकों ने इनमें से किसी एक को ही मोक्ष प्राप्ति का साधन मान लिया है। आचार्य शंकर केवल ज्ञान से और रामानुज केवल भक्ति से मुक्ति की सम्भावना को स्वीकार करते हैं, लेकिन जैन-दार्शनिक ऐसी किसी एकान्तवादिता में नहीं पड़ते हैं। उनके अनुसार तो ज्ञान, कर्म और भक्ति की समवेत साधना में ही मोक्ष सिद्धि सम्भव है। इनमें से किसी एक के अभाव में मोक्ष या समत्वरूपी साध्य की प्राप्ति सम्भव नहीं। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है कि दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता और जिसमें ज्ञान नहीं है उसका आचरण सम्यक् नहीं होता और सम्यक् आचरण के अभाव में आसक्ति से मुक्त नहीं हुआ जाता है और जो आसक्ति से मुक्त नहीं उसका निर्वाण या मोक्ष नहीं होता।^१ इस प्रकार शास्त्रकार यह स्पष्ट कर देता है कि निर्वाण या आत्मपूर्णता की प्राप्ति के लिए इन तीनों की समवेत रूप में

आवश्यकता है। वस्तुतः साध्य के रूप में जिस पूर्णता को स्वीकार किया गया है वह चेतना के किसी एक पक्ष की पूर्णता नहीं बरन् तीनों पक्षों की पूर्णता है और इसके लिए साधना के तीनों पक्ष आवश्यक हैं।

यद्यपि धर्म-साधना के लिए सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र या शील, समाधि और प्रज्ञा अथवा श्रद्धा, ज्ञान और कर्म तीनों आवश्यक हैं, लेकिन साधना की दृष्टि से इनमें एक पूर्वापरता का क्रम भी है।

सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान का पूर्वापर सम्बन्ध

ज्ञान और दर्शन की पूर्वापरता को लेकर ज्ञानमीमासा की दृष्टि से जैन विचारणा में काफी विवाद रहा है। कुछ आचार्य दर्शन को प्राथमिक मानते हैं तो कुछ ज्ञान को, कुछ ने दोनों का यौगपत्य (समानान्तरता) स्वीकार किया है। यद्यपि आचार-मीमासा की दृष्टि से दर्शन की प्राथमिकता ही प्रबल रही है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है कि दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता।^२ इस प्रकार ज्ञान की अपेक्षा दर्शन को प्राथमिकता दी गयी है। तत्त्वार्थ सूत्रकार उमास्वाति ने भी अपने ग्रन्थ में दर्शन को ज्ञान और चारित्र के पहले स्थान दिया है।^३ आचार्य कुन्दकुन्द दर्शन-पाहुड में कहते हैं कि धर्म (साधनामार्ग) दर्शन-प्रधान है।^४

लेकिन दूसरी ओर कुछ सन्दर्भ ऐसे भी हैं जिनमें ज्ञान को प्रथम माना गया है। उत्तराध्ययन सूत्र में, उसी अध्याय में मोक्ष मार्ग की विवेचना में जो क्रम है उसमें ज्ञान का स्थान प्रथम है।^५ वस्तुतः साधनात्मक जीवन की दृष्टि से भी ज्ञान और दर्शन में किसे प्राथमिक माना जाय, यह निर्णय करना सहज नहीं है। इस विवाद के मूल में यह तथ्य है कि श्रद्धावादी दृष्टिकोण सम्यग्दर्शन को प्रथम स्थान देता है, जबकि ज्ञानवादी दृष्टिकोण श्रद्धा के सम्यक् होने के लिए ज्ञान की प्राथमिकता को स्वीकार करता है। वस्तुतः इस विवाद में कोई ऐकान्तिक निर्णय लेना अनुचित ही होगा। यहाँ समन्वयवादी दृष्टिकोण ही संगत होगा। नवतत्त्वप्रकरण में ऐसा ही समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है जहाँ दोनों को एक दूसरे का पूर्वापर बताया है। कहा है कि जो जीवादि नव पदार्थों को यथार्थ रूप से जानता है उसे सम्यक्त्व होता है। इस प्रकार ज्ञान को दर्शन के पूर्व बताया गया है, लेकिन अगली पक्ति में ही ज्ञानाभाव में केवल श्रद्धा से ही सम्यक्त्व की प्राप्ति मान ली गई है और कहा गया है कि जो वस्तुतत्त्व को स्वतः नहीं जानता हुआ भी उसके प्रति भाव से श्रद्धा करता है उसे सम्यक्त्व हो जाता है।^६

१ उत्तराध्ययन, २८/३०।

३ तत्त्वार्थ. १/१।

५ उत्तराध्ययन, २८/२।

६ नवतत्त्वप्रकरण, उद्धृत आत्म-साधना संग्रह (मोतीलाल माण्डे) पृ. १५१।

२ उत्तराध्ययन, २८/३०।

४ दर्शनपाहुड २।

हम अपने दृष्टिकोण से इनमें से किसे प्रथम स्थान दें, इसका निर्णय करने के पूर्व दर्शन शब्द के अर्थ का निश्चय कर लेना जरूरी है। दर्शन शब्द के तीन अर्थ हैं—(१) यथार्थ दृष्टिकोण, (२) श्रद्धा और (३) अनुभूति। इसमें अनुभूतिपरक अर्थ का सम्बन्ध तो ज्ञानमीमासा है और उस मन्दर्भ में वह ज्ञान का पूर्ववर्ती है। यदि हम दर्शन का यथार्थ दृष्टिकोणपरक अर्थ लेते हैं तो साधना-मार्ग की दृष्टि से उसे प्रथम स्थान देना चाहिए। क्योंकि यदि व्यक्ति का दृष्टिकोण ही मिथ्या है, अयथार्थ है तो न तो उसका ज्ञान सम्यक् (यथार्थ) होगा और न चारित्र्य ही। यथार्थ दृष्टि के अभाव में यदि ज्ञान और चारित्र्य सम्यक् प्रतीत भी हो, तो भी वे सम्यक् नहीं कहे जा सकते। वह तो सायोगिक प्रसंग मात्र है। ऐसा साधक दिग्भ्रान्त भी हो सकता है। जिसकी दृष्टि ही दूषित है, वह क्या सत्य को जानेगा और क्या उसका आचरण करेगा? दूसरी ओर यदि हम सम्यग्दर्शन का श्रद्धापरक अर्थ लेते हैं तो उसका स्थान ज्ञान के पश्चात् ही होगा। क्योंकि अविचल श्रद्धा तो ज्ञान के बाद ही उत्पन्न हो सकती है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी दर्शन का श्रद्धापरक अर्थ करते समय उसे ज्ञान के बाद ही स्थान दिया गया है, उसमें कहा गया है कि ज्ञान से पदार्थ (तत्त्व) स्वरूप को जाने और दर्शन के द्वारा उस पर श्रद्धा करे।^१ व्यक्ति के स्वानुभव (ज्ञान) के पश्चात् ही जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसमें जो स्थायित्व होता है वह ज्ञानाभाव में प्राप्त हुई श्रद्धा से नहीं हो सकता। ज्ञानाभाव में जो श्रद्धा होती है, उसमें संशय होने की सम्भावना हो सकती है। ऐसी श्रद्धा यथार्थ श्रद्धा नहीं वरन् अन्धश्रद्धा ही हो सकती है। जिन-प्रणीत तत्वों में भी यथार्थ श्रद्धा तो उनके स्वानुभव एवं तार्किक परीक्षण के पश्चात् ही हो सकती है। यद्यपि साधना के लिए, आचरण के लिए श्रद्धा अनिवार्य तत्व है, लेकिन वह ज्ञानप्रसूत होनी चाहिए। उत्तराध्ययन सूत्र में स्पष्ट कहा है कि धर्म की समीक्षा प्रज्ञा के द्वारा करे, तब से तत्त्व का विश्लेषण करे।^२ इस प्रकार मेरी मान्यता के अनुसार यथार्थ दृष्टिपरक अर्थ में सम्यग्दर्शन को ज्ञान के पूर्व लेना चाहिए, जबकि श्रद्धापरक अर्थ में उसे ज्ञान के पश्चात् स्थान देना चाहिए।

सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य का पूर्वापर सम्बन्ध

चारित्र्य और ज्ञान दर्शन के पूर्वापर सम्बन्ध को लेकर जैन-विचारणा में कोई विवाद नहीं है। चारित्र्य की अपेक्षा ज्ञान और

दर्शन की प्राथमिकता प्रदान की गई है। चारित्र्य साधना मार्ग में गति है, जब ज्ञान साधना पथ का बोध है और दर्शन यह विश्वास जाग्रत करता है कि वह पथ उसे अपने लक्ष्य की ओर ले जाने वाला है। सामान्य पथिक भी यदि पथ के ज्ञान एवं इस दृढ़ विश्वास के अभाव में कि वह पथ उसके वांछित लक्ष्य को जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता तो फिर आध्यात्मिक साधना मार्ग का पथिक बिना ज्ञान और आस्था (श्रद्धा) के कैसे आगे बढ़ सकता है? उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि ज्ञान से (यथार्थ साधना मार्ग को) जाने, दर्शन के द्वारा उस पर विश्वास करे और चारित्र्य से उस साधना मार्ग पर आचरण करता हुआ तप से अपनी आत्मा का परिशोधन करे।^३

यद्यपि लक्ष्य को पाने के लिए चारित्र्य रूप प्रयास आवश्यक है, लेकिन प्रयास को लक्ष्योन्मुख और सम्यक् होना चाहिए। मात्र अन्धे प्रयासों से लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। यदि व्यक्ति का दृष्टिकोण यथार्थ नहीं है तो ज्ञान यथार्थ नहीं होगा और ज्ञान के यथार्थ नहीं होने पर चारित्र्य या आचरण भी यथार्थ नहीं होगा। इसलिए जैन आगमों में चारित्र्य से दर्शन (श्रद्धा) की प्राथमिकता बताते हुए कहा गया है कि सम्यग्दर्शन के अभाव में सम्यक्चारित्र्य नहीं होता।^४

भक्त परिज्ञा में कहा गया है कि दर्शन से भ्रष्ट (पतित) ही वास्तविक भ्रष्ट है, चारित्र्य से भ्रष्ट भ्रष्ट नहीं है, क्योंकि जो दर्शन में युक्त है वह ससार में अधिक परिभ्रमण नहीं करता जबकि दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति ससार से मुक्त नहीं होता। कदाचित् चारित्र्य से रहित सिद्ध भी हो जावे, लेकिन दर्शन से रहित कभी भी मुक्त नहीं होता।^५

वस्तुतः दृष्टिकोण या श्रद्धा ही एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति के ज्ञान और आचरण का सही दिशा-निर्देश करता है। आचार्य भद्रबाहु आचारांगनिर्युक्ति में कहते हैं कि सम्यक्दृष्टि से ही तप, ज्ञान और सदाचरण सफल होते हैं।^६ सन्त आनन्दधन दर्शन की महत्ता को सिद्ध करते हुए अनन्तजिन के स्तवन में कहते हैं—

शुद्ध श्रद्धा बिना सर्वं किरिया करी,

छार (राख) पर लीपणु तेह जाणो रे।

सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य की पूर्वापरता

जैन विचारकों ने चारित्र्य को ज्ञान के बाद ही रखा है। दशवैकालिक सूत्र में कहा गया है कि जो जीव और जीव के स्वरूप को नहीं जानता, ऐसा जीव और अजीव के विषय में

१ उद्धृत, आत्मसाधना संग्रह, पृ. १५१।

२ उत्तराध्ययन, २८/३५।

३ भक्तपरिज्ञा, ६५-६६।

४ उत्तराध्ययन, २३/२५।

५ वही, २८/२६।

६ आचारांगनिर्युक्ति, २२१।

अज्ञानी साधक क्या धर्म (सयम) का आचरण करेगा ?¹ उत्तराध्ययनसूत्र में भी यही कहा है कि सम्यग्ज्ञान के अभाव में सदाचरण नहीं होता।² इस प्रकार जैन दर्शन ज्ञान को चारित्र्य से पूर्व मानता है। जैन दार्शनिक यह तो स्वीकार करते हैं कि सम्यक् आचरण के पूर्व सम्यक् ज्ञान का होना आवश्यक है, फिर भी वे यह स्वीकार नहीं करते हैं कि अकेला ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। ज्ञान आचरण का पूर्ववर्ती अवश्य है, यह भी स्वीकार किया गया है कि ज्ञान के अभाव में चारित्र्य सम्यक् नहीं हो सकता।³ लेकिन यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या ज्ञान ही मोक्ष का मूल हेतु है ?

साधना-त्रय में ज्ञान का स्थान

जैन-आचार्य अमृतचन्द्रसूरि ज्ञान की चारित्र्य से पूर्वता को सिद्ध करते हुए एक चरम सीमा स्पर्श कर लेते हैं। वे अपनी समयसार टीका में लिखते हैं कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, क्योंकि ज्ञान का अभाव होने से अज्ञानियों में अन्तरंग व्रत, नियम, सदाचरण और तपस्या आदि की उपस्थिति होते हुए भी मोक्ष का अभाव है। क्योंकि अज्ञान तो बन्ध का हेतु है, जबकि ज्ञानी में अज्ञान का सद्भाव न होने से बाह्य व्रत, नियम, सदाचरण, तप आदि की अनुपस्थिति होने पर भी मोक्ष का सद्भाव है।⁴ आचार्य शंकर भी यह मानते हैं कि एक ही कार्य ज्ञान के अभाव में बन्धन का हेतु और ज्ञान की उपस्थिति में मोक्ष का हेतु होता है। इससे यही सिद्ध होता है कि कर्म नहीं ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है।⁵ आचार्य अमृतचन्द्र भी ज्ञान को त्रिविध साधनों में प्रमुख मानते हैं। उनकी दृष्टि में सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्य भी ज्ञान के ही रूप हैं। वे लिखते हैं कि मोक्ष के कारण सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य हैं। जीवादि तत्वों के यथार्थ श्रद्धान रूप से तो जो ज्ञान है वह तो सम्यग्दर्शन है और उनका ज्ञान-स्वभाव में ज्ञान होना सम्यग्ज्ञान है तथा रागादि के त्याग-स्वभाव से ज्ञान का होना सम्यक्चारित्र्य है। इस प्रकार ज्ञान ही परमार्थतः मोक्ष का कारण है।⁶

यहाँ पर आचार्य दर्शन और चारित्र्य को ज्ञान के अन्य दो पक्षों के रूप में सिद्ध कर मात्र ज्ञान को ही मोक्ष का हेतु सिद्ध करते हैं। उनके दृष्टिकोण के अनुसार दर्शन और चारित्र्य भी ज्ञानात्मक है, ज्ञान की ये पर्यायें हैं। यद्यपि यहाँ हमें यह स्मरण

रखना चाहिए कि आचार्य मात्र ज्ञान की उपस्थिति में मोक्ष के सद्भाव की कल्पना करते हैं, फिर भी वे अन्तरंग चारित्र्य की उपस्थिति से इन्कार नहीं करते हैं। अन्तरंग चारित्र्य तो कषाय आदि के क्षय के रूप में सभी साधकों में उपस्थित होता है। साधक और साध्य विवेचन में हम देखते हैं कि साधक आत्मा पारमार्थिक दृष्टि से ज्ञानमय ही है और वही ज्ञानमय आत्मा उसका साध्य है। इस प्रकार ज्ञानस्वभावमय आत्मा ही मोक्ष का उपादान कारण है। क्योंकि जो ज्ञान है, वह आत्मा है और जो आत्मा है वह ज्ञान है।⁷ अतः मोक्ष का हेतु ज्ञान ही सिद्ध होता है।

इस प्रकार जैन-आचार्यों ने साधन त्रय में ज्ञान को अत्यधिक महत्त्व दिया है। आचार्य अमृतचन्द्र का उपर्युक्त दृष्टिकोण तो जैनदर्शन को शंकर के निकट खड़ा कर देता है। फिर भी यह मानना कि जैन-दृष्टि में ज्ञान ही मात्र मुक्ति का साधन है, जैन विचारणा के मौलिक मन्तव्य से दूर होना है। यद्यपि जैन साधना में ज्ञान मोक्ष-प्राप्ति का प्राथमिक एवं अनिवार्य कारण है, फिर भी वह एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता। ज्ञान-भाव में मुक्ति सम्भव नहीं है, किन्तु मात्र ज्ञान से भी मुक्ति सम्भव नहीं है। जैन-आचार्यों ने ज्ञान को मुक्ति का अनिवार्य कारण स्वीकार करते हुए यह बताया कि श्रद्धा और चारित्र्य का आदर्शोन्मुख एवं सम्यक् होने के लिए ज्ञान महत्वपूर्ण तथ्य है, सम्यग्ज्ञान के अभाव में श्रद्धा अन्धश्रद्धा होगी और चारित्र्य या सदाचरण एक ऐसी कागजी मुद्रा के समान होगा, जिसका चाहे बाह्य मूल्य हो, लेकिन आन्तरिक मूल्य शून्य ही है। आचार्य कुन्दकुन्द, जो ज्ञानवादी परम्परा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे भी स्पष्ट कहते हैं कि कोरे ज्ञान से निर्वाण नहीं होता यदि श्रद्धा न हो और केवल श्रद्धा से भी निर्वाण नहीं होता यदि संयम (सदाचरण) न हो।⁸

जैन-दार्शनिक शंकर के समान न तो यह स्वीकार करते हैं कि मात्र ज्ञान से मुक्ति हो सकती है, न रामानुज प्रभृति भक्ति मार्ग के आचार्यों के समान यह स्वीकार करते हैं कि मात्र भक्ति से मुक्ति होती है। उन्हें भीमासा दर्शन की यह मान्यता भी ग्राह्य नहीं है कि मात्र कर्म से मुक्ति हो सकती है। वे तो श्रद्धा-समन्वित ज्ञान और कर्म दोनों से मुक्ति की सम्भावना स्वीकार करते हैं।

१ दशवैकालिक, ४/१२।

२ उत्तराध्ययन, २८/३०।

३ व्यवहारभाष्य, ७/२१७।

४ समयसार टीका, १५३।

५ गीता (शां०) अ. ५ पीठिका।

६ समयसार टीका, १५५।

७ आचारांग, जे आया से विज्ञाया, जे विज्ञाया से आया।

जेण विद्याणइ से आया, त पडुच्च पडिसंखाए। १/५/५

८ प्रवचनसार, चारित्र्याधिकार, ३।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र का पूर्वापर सम्बन्ध भी ऐकान्तिक नहीं—जैन विचारणा के अनुसार साधन-त्रय में एक क्रम तो माना गया है यद्यपि इस क्रम को भी ऐकान्तिक रूप में स्वीकार करना उसकी स्याद्वाद की धारणा का अतिक्रमण ही होगा। क्योंकि जहाँ आचरण के सम्यक् होने के लिए सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन आवश्यक हैं वही दूसरी ओर सम्यग्ज्ञान एवं दर्शन की उपलब्धि के पूर्व भी आचरण का सम्यक् होना आवश्यक है। जैनदर्शन के अनुसार जब तक तीव्रतम (अनन्तानुबन्धी) क्रोध, मान, माया और लोभ चार कषायों समाप्त नहीं होती, तब तक सम्यक्-दर्शन और ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता। आचार्य शंकर ने भी ज्ञान की प्राप्ति के पूर्व वैराग्य का होना आवश्यक माना है। इस प्रकार सदाचरण और संयम के तत्त्व सम्यक्-दर्शन और ज्ञान की उपलब्धि के पूर्ववर्ती भी सिद्ध होते हैं। दूसरे, इस क्रम या पूर्वापरता के आधार पर भी साधन त्रय में किसी एक को श्रेष्ठ मानना और दूसरे को गौण मानना जैनदर्शन को स्वीकृत नहीं है। वस्तुतः साधन-त्रय मान-वीय चेतना के तीन पक्षों के रूप में ही साधना-मार्ग का निर्माण करते हैं। धार्मिक चेतना के इन तीन पक्षों में जैसी पारस्परिक प्रभावकता और अवियोज्य सम्बन्ध रहा है, वैसी ही पारस्परिक प्रभावकता और अवियोज्य सम्बन्ध मानवीय तीनों पक्षों में है। ज्ञान और क्रिया के सहयोग से मुक्ति

साधना-मार्ग में ज्ञान और क्रिया (विहित आचरण) के श्रेष्ठत्व को लेकर विवाद चला आ रहा है। वैदिक युग में जहाँ विहित आचरण की प्रधानता रही है वहाँ औपनिषदिक युग में ज्ञान पर बल दिया जाने लगा। भारतीय चिन्तकों के समक्ष प्राचीन समय से ही यह समस्या रही है कि ज्ञान और क्रिया के बीच साधना का यथार्थ तत्त्व क्या है? जैन-परम्परा ने प्रारम्भ से ही साधना-मार्ग में ज्ञान और क्रिया का समन्वय किया है। पार्श्वनाथ के पूर्ववर्ती युग में जब श्रमण परम्परा देहदण्डन परक तप-साधना में और वैदिक परम्परा यज्ञयागपरक क्रिया-काण्डों में ही साधना की इतिश्री मानकर साधना के मात्र आचरणात्मक पक्ष पर बल देने लगी थी, तो उन्होंने उसे ज्ञान से समन्वित करने का प्रयास किया था। महावीर और उनके वाद जैन-विचारकों ने भी ज्ञान और आचरण दोनों से समन्वित साधना-पथ का उपदेश दिया। जैन-विचारकों का यह स्पष्ट निर्देश था कि मुक्ति न तो मात्र ज्ञान से प्राप्त हो सकती है और न केवल सदाचरण से। ज्ञानमार्गी औपनिषदिक एवं साख्य परम्पराओं की समीक्षा करते

हुए उत्तराध्ययन सूत्र में स्पष्ट कहा गया कि कुछ विचारक मानते हैं कि पाप का त्याग किए बिना ही मात्र आर्यतत्व (यथार्थता) को जानकर ही आत्मा सभी दुखों से छूट जाती है—लेकिन बन्धन और मुक्ति के सिद्धांत में विश्वास करने वाले ये विचारक संयम का आचरण नहीं करते हुए केवल वचनों से ही आत्मा को आशवासन देते हैं।^१ सूत्रकृतांग में कहा है कि मनुष्य चाहे वह ब्राह्मण हो, भिक्षुक हो, अनेक शास्त्रों का जानकार हो अथवा अपने को धार्मिक प्रकट करता हो यदि उसका आचरण अच्छा नहीं है तो वह अपने कर्मों के कारण दुखी ही होगा।^२ अनेक भाषाओं एवं शास्त्रों का ज्ञान आत्मा को शरणभूत नहीं होता। मन्त्रादि विद्या भी उसे कैसे वचा सकती है? असद् आचरण में अनुरक्त अपने आप को पण्डित मानने वाले लोग वस्तुतः मूर्ख ही हैं।^३ आवश्यकनियुक्ति में ज्ञान और चारित्र के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन विस्तृत रूप में है। उसके कुछ अंश इस समस्या का हल खोजने में हमारे सहायक हो सकेंगे। नियुक्तिकार आचार्य भद्रबाहु कहते हैं कि “आचरणविहीन अनेक शास्त्रों के ज्ञाता भी संसार समुद्र से पार नहीं होते। मात्र शास्त्रीय ज्ञान से, बिना आचरण के कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार निपुण चालक भी वायु या गति की क्रिया के अभाव में जहाज को इच्छित किनारे पर नहीं पहुँचा सकता वैसे ही ज्ञानी आत्मा भी तप-संयम रूप सदाचरण के अभाव में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता।”^४ मात्र ज्ञान लेने से कार्य-सिद्धि नहीं होती। तरना जानते हुए भी कोई फायचेष्टा नहीं करे तो डूब जाता है, वैसे ही शास्त्रों को जानते हुए भी जो धर्म का आचरण नहीं करता, वह डूब जाता है।^५ जैसे चन्दन ढोने वाला चन्दन से लाभान्वित नहीं होता, मात्र भार-वाहक ही बना रहता है वैसे ही आचरण से हीन ज्ञानी ज्ञान के भार का वाहक मात्र है, इससे उसे कोई लाभ नहीं होता।^६ ज्ञान और क्रिया के पारस्परिक सम्बन्ध को लोक-प्रसिद्ध अंध-पंगु न्याय के आधार पर स्पष्ट करते हुए आचार्य लिखते हैं कि जैसे वन में दावानल लगने पर पंगु उसे देखते हुए भी गति के अभाव में जल मरता है और अन्धा सम्यग् मार्ग न खोज पाने के कारण जल मरता है वैसे ही आचरणविहीन ज्ञान पंगु के समान है और ज्ञानचक्षुविहीन आचरण अन्ध के समान है। आचरणविहीन ज्ञान और ज्ञान-विहीन आचरण दोनों निरर्थक हैं और संसार रूपी दावानल से साधक को वचाने में असमर्थ हैं। जिस प्रकार एक चक्र से रथ नहीं चलता, अकेला अन्धा तथा अकेला पंगु इच्छित साध्य तक

१ उत्तराध्ययन, ६/६-१०।

२ उत्तराध्ययन, ६/११।

३ वही, ११५१-५४।

४ सूत्रकृतांग, २/१/७।

५ आवश्यकनियुक्ति, ६५-६७।

६ आवश्यकनियुक्ति, १००।

नहीं पहुँचते, वैसे ही मात्र ज्ञान अथवा मात्र क्रिया से मुक्ति नहीं होती, वरन् दोनों के सहयोग से मुक्ति होती है।^१ व्याख्या प्रज्ञप्ति में ज्ञान और क्रिया में से किसी एक को स्वीकार करने की विचारणा को मिथ्या विचारणा कहा गया है।^२ महावीर ने साधक की दृष्टि से ज्ञान और क्रिया के पारस्परिक सम्बन्ध की एक चतुर्भुजा का कथन इसी सन्दर्भ में किया है—

(१) कुछ व्यक्ति ज्ञान सम्पन्न हैं, लेकिन चारित्र-सम्पन्न नहीं हैं।

(२) कुछ व्यक्ति चारित्र सम्पन्न हैं, लेकिन ज्ञान-सम्पन्न नहीं हैं।

(३) कुछ व्यक्ति न ज्ञान सम्पन्न हैं, न चारित्र सम्पन्न हैं।

(४) कुछ व्यक्ति ज्ञान सम्पन्न भी हैं और चारित्र-सम्पन्न भी हैं।

महावीर ने इनमें से सच्चा साधक उसे ही कहा जो ज्ञान और क्रिया, श्रुत और शील दोनों से सम्पन्न है। इसी को स्पष्ट करने के लिए निम्न रूपक भी दिया जाता है।

(१) कुछ मुद्रायें ऐसी होती हैं जिनमें धातु भी खोटी है मुद्राकन भी ठीक नहीं है।

(२) कुछ मुद्राएँ ऐसी होती हैं जिनमें धातु तो शुद्ध है लेकिन मुद्राकन ठीक नहीं है।

(३) कुछ मुद्राएँ ऐसी हैं जिनमें धातु अशुद्ध है लेकिन मुद्राकन ठीक है।

(४) कुछ मुद्राएँ ऐसी हैं जिनमें धातु भी शुद्ध है और मुद्राकन भी ठीक है।

बाजार में वही मुद्रा ग्राह्य होती है जिसमें धातु भी शुद्ध होती है और मुद्राकन भी ठीक होता है। इसी प्रकार सच्चा साधक वही होता है जो ज्ञान-सम्पन्न भी हो और चारित्र सम्पन्न भी हो। इस प्रकार जैन-विचारणा यह बताती है कि ज्ञान और क्रिया दोनों ही नैतिक साधना के लिए आवश्यक हैं। ज्ञान और चारित्र दोनों की समवेत साधना से ही दुःख का क्षय होता है। क्रियाशून्य ज्ञान और ज्ञानशून्य क्रिया दोनों ही एकान्त है और एकान्त होने के कारण जैन दर्शन की अनेकान्तवादी विचारणा के अनुकूल नहीं हैं।

तुलनात्मक दृष्टि से विचार

जैन परम्परा में साधन-त्रय के समवेत में ही मोक्ष की निष्पत्ति मानी गई है जबकि वैदिक परम्परा में ज्ञान-निष्ठा, कर्मनिष्ठा और भक्तिमार्ग ये तीनों ही अलग-अलग मोक्ष के साधन माने जाते रहे हैं और इन आधारों पर वैदिक परम्परा में स्वतन्त्र सम्प्रदायों का उदय भी हुआ है। वैदिक परम्परा में

प्रारम्भ से ही कर्म-मार्ग और ज्ञान-मार्ग की धाराएँ अलग-अलग रूप में प्रवाहित होती रही हैं। भागवत सम्प्रदाय के उदय के साथ भक्तिमार्ग एक नई निष्ठा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इस प्रकार वेदों का कर्ममार्ग, उपनिषदों का ज्ञान-मार्ग और भागवत सम्प्रदाय का भक्तिमार्ग तथा इनके साथ-साथ ही योग सम्प्रदाय का ध्यान-मार्ग सभी एक-दूसरे से स्वतन्त्र रूप में मोक्ष मार्ग समझे जाते रहे हैं। सम्भवतः गीता एक ऐसी रचना अवश्य है जो इन सभी साधना विधियों को स्वीकार करती है। यद्यपि गीताकार ने इन विभिन्न धाराओं को समेटने का प्रयत्न तो किया, लेकिन वह उनको समन्वित नहीं कर पाया। यही कारण था कि परवर्ती टीकाकारों ने अपने पूर्व-संस्कारों के कारण गीता को इनमें से किसी एक साधना-मार्ग का प्रतिपादन बताने का प्रयास किया और गीता में निर्देशित साधना के दूसरे मार्गों को गौण बताया। शंकर ने ज्ञान को, रामानुज ने भक्ति को, तिलक ने कर्म को गीता का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय माना।

लेकिन जैन-विचारकों ने इस त्रिविध साधना-पथ को समवेत रूप में ही मोक्ष का कारण माना और यह बताया कि ये तीनों एक-दूसरे से अलग होकर नहीं, वरन् समवेत रूप में ही मोक्ष को प्राप्त करा सकते हैं। उसने तीनों को समान माना और उनमें से किसी को भी एक के अधीन बनाने का प्रयास नहीं किया। हमें इस भ्रांति से वचना होगा कि श्रद्धा, ज्ञान और आचरण ये स्वतन्त्र रूप में नैतिक पूर्णता के मार्ग हो सकते हैं। मानवीय व्यक्तित्व और नैतिक साध्य एक पूर्णता है और उसे समवेत रूप में ही पाया जा सकता है।

बौद्ध परम्परा और जैन परम्परा दोनों ही एकांगी दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। बौद्ध-परम्परा में शील, समाधि और प्रज्ञा अथवा प्रज्ञा, श्रद्धा और वीर्य को समवेत रूप में ही निर्वाण का कारण माना गया है। इस प्रकार बौद्ध और जैन परम्पराएँ न केवल अपने साधन-मार्ग के प्रतिपादन में, वरन् साधनत्रय के बलाबल के विषय में भी समान दृष्टिकोण रखती हैं।

वस्तुतः नैतिक साध्य का स्वरूप और मानवीय प्रकृति, दोनों ही यह बताते हैं कि त्रिविध साधना-मार्ग अपने समवेत रूप में ही नैतिक पूर्णता की प्राप्ति करा सकता है। यहाँ इस त्रिविध साधना-पथ का मानवीय प्रकृति और नैतिक साध्य से क्या सम्बन्ध है इसे स्पष्ट कर लेना उपयुक्त होगा।

मानवीय प्रकृति और त्रिविध साधना-पथ

मानवीय चेतना के तीन कार्य हैं—(१) जानना, (२) अनुभव करना और (३) संकल्प करना। हमारी चेतना का ज्ञानात्मक पक्ष न केवल जानना चाहता है, वरन् वह सत्य को ही जानना

चाहता है। ज्ञानात्मक चेतना निरन्तर सत्य की खोज में रहती है। अतः जिस विधि से हमारी ज्ञानात्मक चेतना सत्य को उपलब्ध कर सके उसे ही सम्यक् ज्ञान कहा गया है। सम्यक् ज्ञान चेतना के ज्ञानात्मक पक्ष को सत्य की उपलब्धि की दिशा में ले जाता है। चेतना का दूसरा पक्ष अनुभूति के रूप में आनन्द की खोज करता है। सम्यग्दर्शन चेतना में राग-द्वेषात्मक जो तनाव है, उन्हें समाप्त कर उसे आनन्द प्रदान करता है। चेतना का तीसरा सकल्पात्मक पक्ष शक्ति की उपलब्धि और कल्याण की क्रियान्विति चाहता है। सम्यक्चारित्र सकल्प को कल्याण के मार्ग में नियोजित कर शिव की उपलब्धि करता है। इस प्रकार सम्यग्ज्ञान, दर्शन और चारित्र का यह त्रिविध साधना-पथ चेतना के तीनों पक्षों को सही दिशा में निर्देशित कर उनके वांछित लक्ष्य सत्, सुन्दर और शिव अथवा अनन्त ज्ञान, आनन्द और शक्ति की उपलब्धि कराता है। वस्तुतः जीवन के साध्य को उपलब्ध करा देना ही इस त्रिविध साधना-पथ का कार्य है। जीवन का साध्य अनन्त एवं पूर्ण ज्ञान, अक्षय आनन्द और अनन्त शक्ति की उपलब्धि है, जिसे त्रिविध साधना-पथ के तीनों अंगों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चेतना के ज्ञानात्मक पक्ष को सम्यक्-ज्ञान की दिशा में नियोजित कर ज्ञान की पूर्णता को, चेतना के भावात्मक पक्ष को सम्यग्दर्शन में नियोजित कर अक्षय आनन्द की और चेतना के संकल्पात्मक पक्ष को सम्यक्चारित्र में नियोजित कर अनन्त शक्ति की उपलब्धि की जा सकती है। वस्तुतः जैन आचार दर्शन में साध्य, साधक और साधना पथ तीनों में अभेद माना गया है। ज्ञान, अनुभूति और सकल्पमय चेतना साधक हैं और यही चेतना के तीनों पक्ष सम्यक् दिशा में नियोजित होने पर साधना-पथ कहलाते हैं और इन तीनों पक्षों की पूर्णता ही साध्य है। साधक, साध्य और साधना-पथ भिन्न-भिन्न नहीं, वरन् चेतना की विभिन्न अवस्थाएँ हैं। उनमें अभेद माना गया है। आचार्य कुन्दकुन्द ने समयसार में और आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में इस अभेद को अत्यन्त मार्मिक शब्दों में स्पष्ट किया है। आचार्य कुन्दकुन्द समयसार में कहते हैं कि यह आत्मा ही ज्ञान, दर्शन और चारित्र है।^१ आचार्य हेमचन्द्र इसी अभेद को स्पष्ट करते हुए योगशास्त्र में कहते हैं कि आत्मा ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र है, क्योंकि आत्मा इसी रूप में शरीर में स्थित है।^२ आचार्य ने यह कहकर कि आत्मा ज्ञान, दर्शन और चारित्र के रूप में शरीर में स्थित है, मानवीय मनोवैज्ञानिक प्रकृति को ही स्पष्ट किया है। ज्ञान, चेतना और सकल्प तीनों सम्यक् होकर साधना-पथ का निर्माण कर देते हैं और यही पूर्ण होकर साध्य बन जाते हैं। इस प्रकार

जैन आचार-दर्शन में साधक, साधना-पथ और साध्य में अभेद है। सम्यग्दर्शन का स्वरूप

धर्म साधना के तीन मुख्य अंग हैं—भक्ति, ज्ञान और कर्म। जैन परम्परा में इन्हें ही क्रमशः सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान, सम्यक्-चारित्र कहा गया है। इनमें सबसे पहले हम सम्यक्-दर्शन के स्वरूप पर विचार करेंगे। वस्तुतः सम्यक्-दर्शन शब्द सम्यक् और दर्शन इन दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका मीधा और सरल अर्थ है सही ढंग से या अच्छी प्रकार से देखना। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि अच्छी प्रकार से देखने का क्या तात्पर्य है? जच्छी प्रकार से देखने का एक तात्पर्य तो यह है कि विकार रहित दृष्टि से देखना। आँख की विकृति हमारी चक्षु इन्द्रिय के बोध को विकृत कर देती है यथा—पीलिया का रोगी सफेद वस्तु को भी पीली देखता है, ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में राग-द्वेष हमारी दृष्टि को विकृत कर देते हैं, उनकी उपस्थिति के कारण हम सत्य का उसके यथार्थ रूप में दर्शन नहीं कर पाते हैं, जिस पर हमारा राग होता है उसके दोष नहीं दिखाई देते हैं और जिमसे द्वेष होता है, उसके गुण दिखाई नहीं देते हैं। राग-द्वेष आँख पर चढ़े रंगीन चश्मों के समान हैं जो सत्य को विकृत करके प्रस्तुत करते हैं। अतः सामान्य रूप से सम्यक् दर्शन का अर्थ है—राग और द्वेष अर्थात् पूर्वाग्रह के घेरे से ऊपर उठकर सत्य का दर्शन करना। राग और द्वेष के कारण ही आग्रह और मतान्धता पनपती है और वही हमारे सत्य के बोध को रंगीन या दूषित बना देती है। अतः आग्रह और मतान्धता से रहित दृष्टि ही सम्यक्-दृष्टि है। सत्य के पास उन्मुक्त भाव से जाना होता है तभी सत्य के दर्शन होते हैं। जब तक हम राग-द्वेष, मतान्धता, आग्रह आदि से ऊपर उठकर सत्य को देखने का प्रयत्न नहीं करते हैं तब तक सत्य का यथार्थ स्वरूप हमारे सामने प्रकट नहीं होता है। अतः आग्रह और पक्षपात से रहित दृष्टि ही सम्यक्दर्शन है।

जैन परम्परा में सम्यक्दर्शन शब्द तत्त्व श्रद्धा तथा देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा के अर्थ में भी रूढ है। लेकिन हमें यह समझ लेना चाहिए कि जब तक दृष्टि दूषित है तब तक श्रद्धा सम्यक् नहीं हो सकती है। दृष्टि के निर्दोष और निर्विकार होने पर सत्य का यथार्थ रूप में दर्शन होगा और उस यथार्थ बोध पर जो श्रद्धा या आस्था होगी वही सम्यक् श्रद्धा होगी।

सम्यक् दर्शन का श्रद्धापरक अर्थ उसका परवर्ती अर्थ है और भक्ति मार्ग के प्रभाव से जैन धर्म में आया है। मूल अर्थ तो दृष्टिपरक ही है। लेकिन श्रद्धापरक अर्थ भी साधना के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। यथार्थतः आत्म-बोध और अपनी विकृ-

तियों को समझने के दो ही रास्ते हैं। या तो हम स्वयं आग्रह, मतान्धता और राग-द्वेष के घेरे से उपर उठकर तटस्थ भाव से उनके द्रष्टा बनें, स्वयं अपने में आके और अपने को देखें अथवा फिर जिसने वीतराग दृष्टि से सत्य को देखा है उसके वचनो पर विश्वास करें। वीतराग के वचनो पर विश्वास या श्रद्धा—यह सम्यक् दर्शन का दूसरा अर्थ है। जिस प्रकार हमें अपनी वीमारी को समझने के लिए दो ही मार्ग होते हैं, एक तो जीवन के पूर्वा-पर अनुभवो की तुलना के द्वारा स्वयं यह निश्चय करें कि हमारे स्वास्थ्य में कोई विकृति है या फिर जो डाक्टर या विशेषज्ञ है उनकी बात पर विश्वास करें। उसी प्रकार जीवन के सत्य का या तो स्वयं अनुभव करें या फिर जिन्होंने उसे जाना है उनके वचनो पर विश्वास करें। अतः सम्यक् दर्शन का यह दूसरा अर्थ हमें यह बताता है कि यदि हम स्वयं जीवन के सत्य को और अपनी विकृतियों को समझने में सक्षम नहीं हैं तो हमें वीतराग के वचनो पर श्रद्धा रखकर उन्हें जान लेना चाहिए। क्योंकि एक बात निश्चित है कि जो रोग को रोग के रूप में जान लेता है वही रोग की चिकित्सा करवाता है, और वही रोग से मुक्त होका है।

वस्तुतः आध्यात्मिक विकृतियों को जानने के लिए हमें तटस्थ भाव से अपने अन्दर झाकना होता है, अपनी वृत्तियों को देखना होता है यही सम्यक् दर्शन है। वस्तुतः कोई व्यक्ति सम्यक् दृष्टि है या नहीं—इसकी पहचान उसका वाह्य जीवन नहीं है अपितु इसकी पहचान है कि वह अपनी विकृतियों को, अपनी कषायों को और अपनी राग-द्वेष की वृत्तियों को कितना और किस रूप में जान पाया है। वस्तुतः अपनी वृत्तियों का द्रष्टा ही सम्यक् दृष्टि है। सम्यक् दर्शन अपने आपका दर्शन है। अपनी वृत्तियों का और अपनी भावनाओं का दर्शन है। वह अपने आपको पढ़ना और देखना है। वस्तुतः मैं सम्यक् दृष्टि हूँ या नहीं—इसकी पहचान इतनी ही है कि मैं अपनी मनोवृत्तियों को और कमियों को कहाँ तक और कितना जान पाया हूँ। क्या मैं यह देख पाया हूँ कि मुझमें क्रोध, मान, माया और लोभ के तत्व अथवा राग-द्वेष के भाव कहाँ तक छिपे बैठे हैं।

वस्तुतः द्रष्टा या साक्षी भाव ही एक ऐसी अवस्था है जो हमें आध्यात्मिक विकृतियों से मुक्त कर सकती है। सम्यक्-दर्शन को साधना का मूल आधार कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक व्यक्ति को अपनी वासनाओं और विकारों का बोध नहीं होगा तब तक उनके प्रति उसके हृदय में एक ग्लानि उत्पन्न नहीं

होगी और तब तक उनसे छुटकारा भी सम्भव नहीं है। क्योंकि मनो-विकृतियाँ तभी पनपती हैं जबकि हम उनके द्रष्टा नहीं बनते हैं। आचाराग सूत्र में कहा गया है कि 'सम्यक्द्रष्टा कोई पाप नहीं करता।'¹ किन्तु यह बात हमारे सामने कुछ उलझन भी पैदा कर देती है, क्योंकि शास्त्रों में अविरत सम्यक्दृष्टि का भी उल्लेख है। अविरत सम्यक्-दृष्टि वह है जो अपने विषय वासनाओं या मनोविकृतियों को जानकर भी उनसे अपने को मुक्त नहीं कर पाता है। वैसे यह एक अनुभाविक तथ्य भी है कि सत्य को जानकर भी अनेक बार उसका आचरण सम्भव नहीं होता। महाभारत में दुर्योधन कहता है—'मैं धर्म को जानता हूँ किन्तु उसका आचरण नहीं कर पाता हूँ, मैं अधर्म को भी जानता हूँ किन्तु उससे छुटकारा नहीं पा सकता हूँ।'² किन्तु यहाँ हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा जानना केवल औपचारिक जानना है। क्या कोई विष को विष के रूप में जानते हुए भी उसका भक्षण कर सकता है? वस्तुतः बुराई को बुराई के रूप में जानते हुए भी उसमें निपट रहना, कम से कम उसका सही रूप में जानना तो नहीं कहा जा सकता, वह उस सत्य के प्रति हमारी निष्ठा का सूचक तो किसी भी स्थिति में नहीं माना जा सकता। यदि हम सत्य के प्रति निष्ठावान हैं, तो उसे हमारे जीवन व्यवहार में अभिव्यक्त होना ही चाहिए।

वैसे जो आगम में यह कहा गया है कि सम्यक्दृष्टि कोई पाप नहीं करता—उसका भी अपना एक अर्थ है। देखना और करना—ये दोनों ही मन की ही प्रवृत्तियाँ हैं और दोनों एक साथ सम्भव नहीं हैं। जिस समय मैं अपनी दुष्प्रवृत्तियों या अपने विषय-विकारों या वासनाओं का द्रष्टा होता हूँ, उसी समय मैं उनका कर्ता नहीं रह सकता हूँ। इस बात को एक सामान्य उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। मान लीजिए, हम क्रोधित हैं। यदि उसी समय हम उस क्रोध के भाव को देखने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दें, उसके कारणों का विश्लेषण करना प्रारम्भ कर दें, तो निश्चित ही हमारा क्रोध समाप्त हो जायेगा। क्रोध को देखना और क्रोध करना, यह एक साथ सम्भव नहीं है। जब भी व्यक्ति अपने मनोभावों का द्रष्टा बनता है उस समय वह उनका कर्ता नहीं रह जाता है। जब भी हम वासनाओं में होते हैं, आवेश में होते हैं तब हम द्रष्टा भाव में नहीं होते हैं, अप्रमत्त नहीं होते हैं, आत्मचेतन नहीं होते हैं, और जब आत्मचेतन होते हैं, द्रष्टा होते हैं, तो क्रोधादि विकारों के कर्ता नहीं होते। आत्मचेतन होना, द्रष्टा होना, अप्रमत्त होना, निष्पाप

१ सम्मत्तदसी न करेइ पाव—आचाराग १/३/२।

२ जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः।

होना है। यही सम्यक् दर्शन है। जीवन में जब इस प्रकार का द्रष्टाभाव आता है, तो वासनाएँ, विकार और आवेश अपने आप दूर होने लगते हैं। व्यक्ति निष्पाप और निर्विकार बनने लगता है। आवेश और तनाव शान्त होने लगते हैं और जीवन में शांति और आनन्द प्रकट हो जाते हैं।

सम्यक् दर्शन का श्रद्धापरक अर्थ और साधना के क्षेत्र में उसकी आवश्यकता

यदि हम सम्यक् दर्शन को तत्त्वश्रद्धान या देव-गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा के अर्थ के रूप में लें तो भी साधना के क्षेत्र में उसकी उपयोगिता स्पष्ट है। साधना के क्षेत्र में श्रद्धा या आस्था के सम्बल के बिना प्रगति सम्भव नहीं है। व्यक्ति अपने गन्तव्य नगर के मार्ग को जानता हो किन्तु यदि उसे यह विश्वास न हो कि यही मार्ग उसे गन्तव्य तक पहुँचाएगा तो सम्भव है कि वह अपने पथ से विचलित हो जाये। आज हमारे जीवन के सारे व्यवहार और पारस्परिक सम्बन्ध आस्था के बल पर ही टिके हुए हैं। यदि मनुष्य समाज में पारस्परिक आस्था और विश्वास न हो तो उसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं। परिवार में पारस्परिक विश्वास न रहने पर परिवार भंग हो जाता है। समाज में पारस्परिक विश्वास न रहने पर समाज-जीवन भंग हो जाता है। यदि समाज के सदस्यों में पारस्परिक अविश्वास का भाव हो तो न केवल समाज टूटता है, अपितु उसमें पारस्परिक संघर्ष और हिंसा की दावागिरी भी भड़क उठती है। आज विश्व के राष्ट्रों में पारस्परिक विश्वास का अभाव ही हमारी विध्वंसक अस्त्रों के दौड़ का मूलभूत कारण है। आज मानव समाज में जो भी भय और आतंक का वातावरण बना हुआ है। उसका मूल कारण भी परस्पर एक दूसरे के प्रति विश्वास का अभाव ही है। आस्था की औषधि मनुष्य के तनाव और भय को दूर कर सकती है।

धार्मिक साधना के क्षेत्र में आस्था के अनेक रूप दृष्टिगत होते हैं। मुख्यतः हम तीन प्रकार की आस्थाओं की चर्चा करना चाहेंगे।

एक आस्था अपने आपके प्रति होती है।

दूसरी आस्था अपने सहयोगियों एवं सघ के सदस्यों के प्रति होती है।

तीसरी आस्था परमात्मा के प्रति।

पहली आस्था जो आवश्यक है वह अपने प्रति होनी चाहिए। यदि हम अपने प्रति और अपनी क्षमताओं के प्रति आस्थावान नहीं हैं तो सम्भवतः हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पायेंगे। आत्मविश्वास ही एक ऐसा सम्बल है, जो मनुष्य को कठिनाइयों में साहस देता है और उसको सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होगा वह पग-पग पर खिन्न होगा, निराश होगा और इस प्रकार न केवल अपनी प्रगति

से वंचित रहेगा अपितु निराशा और अविश्वास के कारण उसका स्वयं का जीवन भी अशांत और विपादपूर्ण बन जाएगा। मन की क्षमता और शांति के लिए अपने आपके प्रति आस्था व विश्वास का होना आवश्यक है। निराशा से मुक्ति के लिए आस्था आवश्यक है क्योंकि आस्था से आत्मशक्ति का प्रकटन होता है। आस्था के कारण ही आत्मा की अनन्त शक्ति का अहसास होता है।

जहाँ तक सामाजिक शांति और सद्भाव का प्रश्न है, वहाँ समाज में पारस्परिक विश्वास व सद्भाव का होना आवश्यक है। यदि समाज के सदस्यों में या इससे आगे बढ़कर कहे कि मानव समाज में परस्पर सद्भाव व आस्था नहीं होगी, यदि प्रत्येक मनुष्य में निहित मानवीय गुणों के प्रति हमारा विश्वास नहीं जागेगा तो निश्चित ही अनावश्यक भय तथा आतंक से ग्रस्त होंगे। जैन चिन्तकों के अनुसार व्यक्ति में अपने आपके प्रति आस्था और समाज के प्रति वात्सल्यभाव का होना आवश्यक है। ये दोनों सम्यक्दर्शन के अंग माने गये हैं।

जहाँ तक परमात्मा के प्रति श्रद्धा या आस्था का प्रश्न है। जैन धर्म में इसे वीतराग-देव के प्रति श्रद्धा के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। यद्यपि जैनधर्म को अनीश्वरवादी कहा जाता है और इसी आधार पर कभी-कभी यह भी मान लिया जाता है कि उसमें श्रद्धा या भक्ति का कोई स्थान ही नहीं है। किन्तु यह एक भ्रान्त धारणा ही है। चाहे जैन विचारक ससार के सृष्टा और नियामक के रूप में किसी ईश्वर को न मानते हो, किन्तु आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप में परमात्मस्वरूप मानकर वे उसके प्रति आस्था एवं श्रद्धा को अवश्य मानते हैं।

पुनः किसी पराशक्ति या परानियम के प्रति आस्था को भी उन्होंने जीवन में आवश्यक माना है। इसे वे कर्म का नियम कहते हैं। उनके अनुसार यही एक ऐसा नियम है जो मनुष्य को दुःख और निराशा के क्षणों में शांति प्रदान कर सकता है और व्यक्ति में आशा की एक किरण प्रदान कर सकता है। क्योंकि इसमें होनहार के साथ पुरुषार्थ को भी स्थान दिया गया है। यह मानता है कि भूत हमारे हाथ से निकल गया, किन्तु अपने भविष्य के निर्माता तो हम स्वयं ही हैं। एक परानियमक के रूप में कर्म सिद्धान्त में जैनों की आस्था अटूट है और वही उन्हें दुःख और पीडा के क्षणों में समभाव और शांति का सम्बल प्रदान करती है। एक जैन कवि कहता है—

रे जीव साहस आवरो, मत थावो तुम दीन।

सुख-दुःख आपव-सम्पदा, पूरव करम अधीन ॥

कर्म नियम के प्रति यह अटूट आस्था ही एक ऐसा तत्व है जो हमारी समता को विचलित होने से बचा सकता है। इसी बात को एक अन्य रूप में इस प्रकार कहा गया है—

ज्ञानो देखी ज्ञान में निश्चय बर्ते सोय ।

जो जो पुदगल फरसना निश्चय फरसे सोय ॥

अर्थात् सर्वज्ञ प्रभु ने जो अपने भावी के ज्ञान में जान लिया है वह भवितव्यता घटित होती ही है। ऐसी स्थिति में हमें सुख हों या दुःख अपने मन की समता को विचलित नहीं होने देना चाहिए।

आस्था चाहे वह परानियम के प्रति हो या पराशक्ति के प्रति, निश्चित ही वह दुर्भाग्यपूर्ण क्षणों में मनुष्य को एक शांति और शक्ति प्रदान करती है। जिन धर्मों में ईश्वर के प्रति आस्था या श्रद्धा को आवश्यक माना गया है वे सभी यही उपदेश देते हैं कि व्यर्थ की दुश्चिन्ताओं और तनावों से तभी बचा जा सकता है जब वह अपनी समस्त इच्छाओं और आकांक्षाओं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दे और अपने को उस दैवी योजना का एक अंग मानकर अपना जीवन-व्यवहार चलाये। जिस प्रकार एक छोटा बालक अपने माता-पिता की शरण में समस्त भारी दुःख और चिन्ताओं से स्वयं को मुक्त अनुभव करता है और आनन्द से जीवन व्यतीत करता है उसी प्रकार एक सच्चा साधक ईश्वर, कर्म नियम या प्रकृति की व्यवस्था—चाहे हम उसे कुछ भी कहे—पर अटल विश्वास रखकर अपने मन की शांति को बनाये रख सकता है। भक्ति और श्रद्धा का जो महत्त्व है वह इसलिए कि उसके माध्यम से हम एक निश्चिन्त और शांत जीवन जी सकते हैं। जीवन में जो कुछ अच्छा या बुरा घटित होता है, सम्पदा और विपदा आती है, उसे प्रभु इच्छा या कर्म नियम की अटल व्यवस्था के रूप में स्वीकार कर हम अपने मन की शांति को बनाये रख सकते हैं। मेरी दृष्टि में श्रद्धा और भक्ति की साधना के क्षेत्र में यही उपयोगिता है कि वह हमें आकांक्षाओं से, विक्षोभों से, तनावों से और अशान्त मनोदशाओं से मुक्त करके समता, समाधि और शान्ति प्रदान करती है।

फिर भी हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि इस श्रद्धा और भक्ति का अर्थ अन्धश्रद्धा या अन्धविश्वास नहीं है। वह मात्र विपदा के क्षणों में आत्म सन्तोष के लिए है। कर्म सिद्धांत या ईश्वर के प्रति समर्पण का यह अर्थ भी नहीं है कि हम जीवन में प्रयत्न या पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्यवादी और निष्कर्मण्य बन जायें। हमें स्पष्ट रूप से इस बात को विश्वास में रखना होगा कि हम अपने नियामक हैं। कर्तव्य को करना यह हमारा दायित्व है। जैन धर्म में आस्था और विश्वास का अर्थ कर्तव्य-विमुख होना नहीं है। जिस प्रकार समुद्र में भटकते हुए जहाज के लिए

स्वयं कुछ न करके भी प्रकाश-स्तम्भ एक त्राणदाता होता है। उसी प्रकार दुःख के सागर में उतराते हमें पामर प्राणियों के लिए वीतराग प्रभु हमारे लिए कुछ नहीं करता हुआ भी त्राणदाता होता है। वह एक प्रकाश-स्तम्भ है, मार्गदर्शक है, आदर्श है, जिसके आलोक में हम अपनी यात्रा कर सकते हैं। किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि यात्रा स्वयं हमें करनी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि—

स्वधर्मकर्मविमुख कृष्णकृष्णेति वादिन ।

ते हरिद्वेषिणो मूढा धर्मार्थं जन्म यद्धरे ॥१

जो लोग अपने कर्तव्य को छोड़ बैठते हैं और केवल कृष्ण कृष्ण कहकर भगवान् का नाम जपते हैं वे वस्तुतः भगवान् के शत्रु और पापी हैं। क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए तो स्वयं भगवान् ने भी जन्म लिया था। भक्ति में त्याग कर्म-फल का करना है, कर्म (कर्तव्य) का नहीं। बाइबिल में भी कहा गया है कि हर कोई जो ईशा ईशा पुकारता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पायेगा अपितु वह पायेगा जो परमपिता की इच्छा के अनुसार काम करता है। (बाइबिल जोन २-९-११)।

महावीर ने कहा है कि एक मेरा नाम स्मरण करता है, दूसरा मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। उनमें जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, वही सच्चे रूप में मेरी उपासना करता है।^२

वस्तुतः श्रद्धा या भक्ति आवश्यक तो है किन्तु वह कर्तव्य-विमुखता की सूचक नहीं है। जिस प्रकार अपने पथ पर यह दृढ़ आस्था रखकर कि यह मुझे अपने गन्तव्य तक पहुँचायेगा, कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। उसी प्रकार आस्था का सम्बल लेकर जो व्यक्ति जीवन में कर्तव्य करता है वही जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। सन्त आनन्दधन ने स्पष्ट रूप से कहा है—

शुद्ध श्रद्धा बिना सर्व किरिया करी,

छार पर लीपनो तेह जानो रे ॥

जिस प्रकार राख पर लीपना निरर्थक होता है उसी प्रकार श्रद्धा के अभाव में धर्मक्रियाओं का कोई अर्थ नहीं है। किन्तु यह भी स्मरण रखना होगा कि आचरण के अभाव में मात्र श्रद्धा का भी कोई मूल्य नहीं रह जाता है।

जैन दर्शन में भक्ति के सच्चे स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उपाध्याय देवचन्द्रजी लिखते हैं—

अजकुलगत केशरी लहे रे निज पद सिंह निहाल ।

तिम प्रभु भक्ति भवी लहे रे आतम शक्ति संभाल ॥

जिस प्रकार भेड़-वकरियों के साथ पला हुआ सिंह का वच्चा

१ उद्धृत, भगवद्गीता (राधाकृष्णन्) भूमिका पृ. ७१ ।

२ आवश्यकवृत्ति पृ. ६६१-६६२, उद्धृत, अनुन्तरौपपातिकदशा भूमिका, पृ. २४ ।

वास्तविक सिंह के दर्शन से अपने प्रसुप्त सिंहत्व को प्रकट कर लेता है, उसी प्रकार साधक तीर्थंकर के गुण-कीर्तन या स्तवन के द्वारा निज में जिनत्व का बोध कर लेता है, स्वयं में निहित परमात्मशक्ति को प्रकट कर लेता है।

जैन साधना यह स्वीकार करती है कि भगवान की स्तुति हमारी प्रसुप्त अन्तश्चेतना को जाग्रत करती है और हमारे सामने साधना के आदर्श वा एक जीवन्त चित्र उपस्थित करती है। मात्र यही नहीं, वह हमें उस आदर्श की प्राप्ति के लिए प्रेरणा भी देती है। जैन विचारको ने स्वीकार किया है कि भगवान की स्तुति के माध्यम से व्यक्ति अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है। यद्यपि इसमें प्रयत्न व्यक्ति का ही होता है लेकिन साधना के आदर्श उन महापुरुषों का जीवन उसकी प्रेरणा का निमित्त आवश्यक होता है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है कि स्तवन से व्यक्ति की दर्शनविशुद्धि होती है। उसका दृष्टिकोण सम्यक् बनता है और परिणामस्वरूप वह आध्यात्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है।^१ यद्यपि जैन धर्म में यह माना गया है कि भगवद्भक्ति के फलस्वरूप पूर्व संचित कर्मों का क्षय होता है, तथापि इसका कारण परमात्मा की कृपा नहीं वरन् व्यक्ति के दृष्टिकोण की विशुद्धि ही है। आवश्यकनिर्युक्ति में जैनाचार्य भद्रवाहू ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि भगवान के नामस्मरण से पाप क्षीण होते हैं।^२ आचार्य विनयचन्द्र भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं—

पाप-पराल को पुंज वन्धो अति, मानो मेरू आकारो ।

ते तुम नाम हृताशन सेतो, सहज हो प्रजलत सारो ॥

हे प्रभु आपकी नामरूपी अग्नि में इतनी शक्ति है कि उससे मेरू समान पाप समूह भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। किन्तु यह प्रभाव प्रभु के नाम का नहीं अपितु साधक की आत्मिक शक्ति का है। जैसे मालिक के जागने पर चोर भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रभु के स्वरूप के ध्यान से आत्म-चेतना या स्वशक्ति का भान होता है और पाप रूपी चोर भाग जाते हैं।

सम्यग्ज्ञान का स्वरूप एव स्थान

बन्धन या दुःख के कारणों की विवेचना में लगभग सभी विचारको ने अज्ञान को एक प्रमुख तत्व माना है और इसलिए दुःख विमुक्ति के उपायों में ज्ञान को प्रमुखता दी गई है। बन्धन या दुःख के कारण इस अज्ञान को मोह के नाम से भी सम्बोधित किया गया है। वस्तुतः अज्ञान के कारण अनात्म या पर में आत्म-बुद्धि या अपनेपन का भाव उत्पन्न होता है, राग या ममता का सृजन होता है और यही समस्त दुःखों एवं बुराइयों की जड़

है अत आसक्ति, राग या अनात्म में आत्म-बुद्धि को समाप्त करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। जैन परम्परा में ऐसे ज्ञान को सम्यग्ज्ञान और ऐसे ज्ञान की प्रक्रिया को भेद-विज्ञान कहा गया है। वस्तुतः भेद विज्ञान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा साधक आत्म और अनात्म में या स्व या पर में भेद स्थापित करता है। आचार्य अमृतचन्द्रसूरि ने समयसार की टीका में कहा है कि जो कोई भी सिद्ध हुए हैं वे सभी इसी भेद विज्ञान से हुए हैं और जो कोई बन्धन में हैं वे सभी इसी भेद-विज्ञान में अभाव के कारण हैं।^१ आत्मज्ञान भारतीय और पाश्चात्य सभी चित्तको का मूलभूत उद्देश्य रहा है। अपने और पराये या स्व और पर में भेद स्थापित कर लेना यही आसक्ति और ममत्व को तोड़ने का एकमात्र उपाय है। यद्यपि यह कहना तो सहज है कि “स्व” को स्व के रूप में और पर के रूप में जानो, किन्तु यही साधना की सबसे कठिन प्रक्रिया भी है।

स्व को जानना तो अपने आप में एक दार्शनिक समस्या है, क्योंकि जो भी जाना जायेगा वह तो पर ही होगा। जानना हमेशा पर का ही हो सकता है। स्व तो वह है जो जानता है, ज्ञाता है। जो जानने वाला या ज्ञाता है वह ज्ञेय अर्थात् ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। जिस प्रकार आँख समस्त विश्व को देख सकती है, लेकिन स्वयं अपने आपको नहीं देख पाती है, नट स्वयं अपने कन्धे पर नहीं चढ़ पाता है, उसी प्रकार ज्ञाता आत्मा स्वयं को नहीं जान सकता। ज्ञाता जिसे भी जानेगा वह तो ज्ञान का विषय होने से उससे भिन्न होगा। इसीलिए उपनिषद् में ऋषि को कहना पडा था कि “विज्ञाता को कैसे जाना जावेगा, जिससे सब कुछ जाना जाता है उसे कैसे जाना जाये।”^४ वास्तविकता तो यह है कि जो सम्पूर्ण ज्ञान का आधार है, जो स्वयं जानने वाला है उसे कैसे जाना जा सकता है। मैं जिस भाति पर को जान सकता हूँ उसी भाति स्वयं को नहीं जान सकता। इसीलिए आत्मज्ञान जैसी सहज घटना भी दुर्लभ होती है। वस्तुतः आत्मज्ञान वह ज्ञान नहीं है जिससे हम परिचित हैं। सामान्यज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का जानने वाला और जो कुछ जाना जाता है उसका भेद बना रहता है जबकि आत्मज्ञान में यह भेद सम्भव ही नहीं। उसमें जो जानता है और जिसको जाना जाता है वे दोनों अलग-अलग नहीं होते। वस्तुतः आत्म-ज्ञान की प्रक्रिया एक निषेधात्मक प्रक्रिया है उसमें हम इस बात से प्रारम्भ करते हैं कि मैं क्या नहीं हूँ। “पर” से या जो ज्ञान का विषय है उससे अपनी भिन्नता स्थापित करते जाना यही आत्मज्ञान की प्रक्रिया है। इसे ही भेद-विज्ञान कहा गया है।

१ उत्तराध्ययन सूत्र, २६/६।

२ समयसार टीका १३१।

३ आवश्यकनिर्युक्ति १०७६।

४ बृहदारण्यक २/४/१४।

अन्य दर्शनो में इसे आत्म-अनात्म विवेक के नाम से जाना जा सकता है।

आचार्य कुन्दकुन्द समयसार में इस भेद-विज्ञान की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं—रूप आत्मा नहीं है क्योंकि वह कुछ नहीं जानता अतः रूप अन्य है और आत्मा अन्य है, ऐसा जिन कहते हैं।

वर्ण आत्मा नहीं है क्योंकि वह कुछ नहीं जानता अतः वर्ण अन्य है और आत्मा अन्य है, ऐसा जिन कहते हैं।

गन्ध आत्मा नहीं है क्योंकि वह कुछ नहीं जानता अतः गन्ध अन्य है और आत्मा अन्य है, ऐसा जिन कहते हैं।

रस आत्मा नहीं है क्योंकि वह कुछ नहीं जानता अतः रस अन्य है और आत्मा अन्य है, ऐसा जिन कहते हैं।

स्पर्श आत्मा नहीं है क्योंकि वह कुछ नहीं जानता अतः स्पर्श अन्य है और आत्मा अन्य है, ऐसा जिन कहते हैं।

कर्म आत्मा नहीं है, क्योंकि कर्म कुछ नहीं जानते अतः कर्म अन्य है और आत्मा अन्य है, ऐसा जिन कहते हैं।

अध्यवसाय आत्मा नहीं है क्योंकि अध्यवसाय कुछ नहीं जानते (मनोभाव भी किसी ज्ञायक के द्वारा जाने जाते हैं वे स्वतः कुछ नहीं जानते, यथा—क्रोध के भाव को जानने वाला ज्ञायक उससे भिन्न है) अतः अध्यवसाय अन्य है और आत्मा अन्य है।

अपने शुद्ध ज्ञायक स्वरूप की दृष्टि से आत्मा न राग है, न द्वेष है, न मोह है, न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है। अपने शुद्ध स्वरूप में वह इनका कारण और कर्ता भी नहीं है।^१

वस्तुतः आत्मा जब अपने शुद्ध ज्ञाता स्वरूप में अवस्थित होता है, तो संसार के समस्त पदार्थ ही नहीं, वरन् उमकी अपनी चित्तवृत्तियाँ और मनोभाव भी उसे “पर” (स्व से भिन्न) प्रतीत होते हैं। जब वह “पर” को पर के रूप में जान लेता है और उनसे अपनी पृथकता का बोध कर लेता है तब उसकी ममता या रागभाव समाप्त हो जाता है और वह अपने शुद्ध ज्ञायक स्वरूप को जानकर उसमें अवस्थित हो जाता है, यही वह अवसर होता है जब मुक्ति का द्वार उद्घाटित होता है, क्योंकि जिसने पर को पर के रूप में जान लिया है तो उसके लिए ममत्व या राग के लिए कोई स्थान नहीं रहता है। राग के गिर जाने पर वीतरागता का प्रकटन होता है और मुक्ति का द्वार खुल जाता है।

भेदविज्ञान की इस प्रक्रिया में आत्मा सबसे पहले वस्तुओं

एव पदार्थों से अपनी भिन्नता का बोध करता है। चाहे अनुभूति के स्तर पर इनसे भिन्नता स्थापित कर पाना कठिन हो किन्तु ज्ञान के स्तर पर यह कार्य कठिन नहीं है। क्योंकि यहाँ तादात्म्य नहीं रहता है अतः पृथकता का बोध सुस्पष्ट रूप से होता है। किन्तु इसके बाद क्रमशः उसे शरीर से, मनोवृत्तियों से एव स्वयं के रागादिक भावों से अपनी भिन्नता का बोध करना होता है, जो अपेक्षाकृत रूप से कठिन और कठिनतर है, क्योंकि यहाँ इनके और हमारे बीच तादात्म्य का बोध बना रहता है फिर भी हमें यह जान लेना होगा कि जो कुछ पर के निमित्त से है वह हमारा स्वरूप नहीं है। हमारे रागादि भाव भी पर के निमित्त से हो हैं। अतः वे हममें होते हुए भी हमारा निजस्वरूप नहीं हो सकते हैं। यद्यपि वे आत्मा में होते हैं फिर भी आत्मा से भिन्न हैं, क्योंकि उसका निजरूप नहीं है। जैसे गरम पानी में रही हुई उष्णता, उसमें रहते हुए भी उसका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह अग्नि के संयोग के कारण है वैसे ही रागादि भाव आत्मा में होते हुए भी उसका अपना स्वरूप नहीं हैं। यह स्व-स्वरूप का बोध ही जैन माधना का सार है जिसकी विधि है भेदविज्ञान अर्थात् जो स्व से भिन्न है उसे (पर) के रूप में जानकर उममें रही हुई तादात्म्यता के बोध को तोड़ देना। ममता वन्धन शिथिल हो जाता है। वस्तुतः जब साधक इस भेदविज्ञान के द्वारा यह जान लेता है कि पर क्या है तो उस पर के प्रति उसका अपनेपन का भाव भी समाप्त हो जाता है। वस्तुतः जो कुछ भी पर है, अपने से भिन्न है वह सब सायोगिक है अर्थात् संयोगवश ही हमें मिला है। जो संयोगवश मिला है, उसका वियोग भी अनिवार्य है, जिनका वियोग होना है वह हमारे लिए दुःख का कारण ही है। इसीलिए बौद्ध परम्परा में भी कहा गया है जो अनात्म है अर्थात् पराया है वह अनित्य है, अर्थात् उसका वियोग या नाश अपरिहार्य है और जिसका वियोग या नाश अपरिहार्य है वह दुःख रूप ही है।^२ वस्तुतः हमारा वन्धन और दुःख इसीलिए है कि हम पहले अनात्म में आत्मबुद्धि स्थापित करते हैं फिर उसके वियोग या नाश से अथवा नाश की सम्भावना से दुःखी होते हैं। जैसा कि हम पूर्व में भी स्पष्ट कर चुके हैं दुःख या पीडा वही तक है जहाँ तक पर में आत्मभाव है। हमारे जीवन का एक सामान्य अनुभव है कि हम प्रतिदिन अनेकों को मरता हुआ देखते हैं वा सुनते हैं, किन्तु उनकी मृत्यु हमारे हृदय को विचलित नहीं करती, हम सामान्यतया दुःखी नहीं होते, क्योंकि उन पर हमारा कोई राग-भाव या ममत्व बुद्धि नहीं है, किन्तु जहाँ भी राग भाव जुड़

१ समयसार, ३६२-४०३, नियमसार ७८-८१।

२ देखें—सयुक्तनिकाय, ३४/१/१/१; ३४/१/१/४; ३४/१/१/१२।

जाता है, ममत्वबुद्धि स्थापित हो जाती है, हम किसी को अपना मानने लगते हैं वहीं पर उसकी मृत्यु या वियोग हमें सताता है। अतः दुःख की निवृत्ति का कोई उपाय हो सकता है तो वह यही कि ससार की वस्तुओं या व्यक्तियों के प्रति हमारा रागभाव समाप्त हो और यह राग-भाव समाप्त हो सकता है, जबकि हम सम्यग्ज्ञान द्वारा आत्म-अनात्म के विवेक को प्राप्त कर सकते हैं। सम्यग्ज्ञान क्या है इसे स्पष्ट करते हुए जैनागमो में कहा गया है—

एगो मे सासभो अप्पा णाणदंसण संजुओ ।

सेसा मे बहिरा भावा सव्वे संजोगलक्षणणा ॥

अर्थात् मैं ज्ञाताद्रष्टारूप अकेला आत्मा हूँ। शेष सभी मुझसे भिन्न हैं और सायोगिक हैं।¹

हमें यह स्मरण रखना होगा कि हमारी जो भी सासारिक उपलब्धियाँ हैं, चाहे वह धनसम्पदा के रूप में हो या पत्नी, पुत्र-पुत्री आदि परिवार के रूप में हो वह सभी केवल सयोगजन्य उपलब्धियाँ हैं। व्यक्ति के लिए पत्नी सबसे निकट होती है, अन्यतया होती है, किन्तु हम जानते हैं कि वह केवल एक सायोगिक उपलब्धि है। दो प्राणी कहीं किसी परिस्थिति के कारण या संयोग के वश एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, और एक दूसरे को अपना मान लेते हैं, यही अपनापन या ममता ही ससार है जो उसे बन्धन, दुःख तथा दुश्चिन्ताओं से जकड़ लेता है, वह उसके लिए अच्छा-बुरा क्या-क्या नहीं करता। वस्तुतः सम्यग्ज्ञान का अर्थ है जीवन और जगत् के यथार्थ स्वरूप को पहचानना। वस्तुतः हम सम्यग्ज्ञान के अभाव में अदित्य को नित्य मान बैठते हैं, पराये को अपना मान बैठते हैं और इसी कारण फिर दुःखी होते हैं। हमारे यहाँ सम्यग्दृष्टि या ज्ञानी की एक स्पष्ट पहचान बतायी गई है, कहा गया है कि—

सम्यग्दृष्टि जीवड़ा, करे कुटुम्ब प्रतिपाल ।

अन्तरसू न्यारा रहे, ज्यो धाय खिलावे वाल ॥

हम सब यह अच्छी तरह जानते हैं कि एक कर्तव्यनिष्ठ नर्स किसी बच्चे का लालन-पालन उसकी माँ की अपेक्षा भी बहुत अच्छी प्रकार से करती है, एक कर्तव्यनिष्ठ डाक्टर किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए उसके पारिवारिक जनो की अपेक्षा अच्छी प्रकार से उस रोगी की परिचर्या करता है किन्तु नर्स और डाक्टर दोनों ही क्रमशः बालक और रोगी की पीड़ा और मृत्यु से उतने विचलित नहीं होते, जितने कि उनके पारिवारिक जन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण स्पष्ट है, पारिवारिकजनो के प्रति हमारे मन में एक ममत्वभाव होता है, एक अपनापन होता है, रागात्मकता होती है जबकि नर्स और

डाक्टर के मन में निरपेक्षता का भाव होता है। वे जो कुछ भी करते हैं कर्तव्यबुद्धि से करते हैं। एक ही काम एक व्यक्ति कर्तव्यबुद्धि से करता है, एक ममत्वबुद्धि से। जो ममत्वबुद्धि से करता है, वह विचलित होता है, दुःखी होता है किन्तु जो कर्तव्यबुद्धि से करता है वह निरपेक्ष बना रहता है, तटस्थ बना रहता है। वस्तुतः सम्यग्ज्ञान का मतलब है कि हम ससार में जो कुछ भी करें, जैसा भी जीयें, वह सब कर्तव्यबुद्धि से करें और जीयें, ममत्वबुद्धि से नहीं, जो सासारिक उपलब्धियाँ हैं और जो सासारिक पीड़ाएँ और दुःख हैं, उनके प्रति हमारा निरपेक्षभाव रहे, हम उन्हें मात्र परिस्थिति जन्य समझें। सुख-दुःख, सयोग-वियोग मान-अपमान, प्रशंसा और निन्दा—ये सब सासारिक जीवन के अनिवार्य तत्व हैं। कोई भी इनसे बच नहीं पाता, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के ही जीवन में सब तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, अन्तर यही है कि ज्ञानी उन्हें जीवन की यथार्थता मानकर समयावृत्त से अर्थात् अपने चित्त की समता को नहीं खोते हुए उनका वेदन करता है, जबकि अज्ञानी उनमें विचलित हो जाता है, उनके कारण दुःखी होता है। कहा भी है—

सुख दुःख आपद सम्पदा, सब काहू को होय ।

ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोय ॥

वस्तुतः सम्यग्ज्ञान का अर्थ है जीवन की अनुकूल एवं प्रतिकूल स्थितियों में अविचलित भाव से या समभाव से जीना। जब ज्ञान के द्वारा जीवन और जगत् के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में मन का समभाव साधता है। ज्ञान के द्वारा मन में निराकुलता जये, मन तनावों से मुक्त हो यही साधना के क्षेत्र में ज्ञान की उपयोगिता है।

सम्यक्चारित्र का स्वरूप

निश्चय दृष्टि से चारित्र का सच्चा अर्थ समभाव या समत्व की उपलब्धि है। मानसिक या चैतनसिक जीवन में, समत्व की उपलब्धि चारित्र का पारमार्थिक या नैश्वयिक पक्ष है। वस्तुतः चारित्र का यह पक्ष आत्म-रमण की स्थिति है। नैश्वयिक चारित्र का प्रादुर्भाव केवल अप्रमत्त अवस्था में ही होता है। अप्रमत्त चेतना की अवस्था में होने वाले सभी कार्य शुद्ध ही माने गये हैं। चेतना में जब राग, द्वेष, कपाय और वामनाओं की अग्नि पूरी तरह शांत हो जाती, तभी सच्चे नैतिक एवं धार्मिक जीवन का उद्भव होता है और चारित्र का साधन चार मोक्ष का कारण होता है। अप्रमत्त चेतना चारित्र का आधार है, राग, द्वेष, कपाय, विद्वेष, निद्रा से रहित अवस्था है। साधक

के सम्पादन में आत्मजाग्रत होता है तब उसका आचरण बाह्य आवेगों और वासनाओं से चलित नहीं होता और तभी वह सच्चे अर्थों में नैश्चयिक चरित्र का पालनकर्ता माना जाता है। वस्तुतः ज्ञाता-द्रष्टा बनकर जीवन जीना ही निश्चय सम्यक्चरित्र है।

व्यावहारिक सम्यक्-चरित्र का अर्थ आत्मनियन्त्रण या सयम है। पूर्व में मानव प्रकृति की चर्चा करते हुए हमने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था कि मनुष्य और पशु में यदि कोई अन्तर है तो वह यह कि मनुष्य में आत्मनियन्त्रण या सयम की सामर्थ्य होती है, जबकि पशु में उस सामर्थ्य का अभाव होता है। पशु विशुद्ध रूप से एक प्राकृतिक जीवन जीता है, उसका समस्त व्यवहार प्रकृति के नियमों के अनुसार संचालित होता है। भूखा होने पर वह खाद्य सामग्री को प्राप्त करता है और उसका उपभोग करता है, किन्तु भूख के अभाव में वह उपलब्ध खाद्य सामग्री को छूना तक नहीं है। इसके विपरीत मनुष्य ने प्रकृति से विमुख होकर जीवन जीने की एक शैली विकसित कर ली है। भूख से पीड़ित होकर एव खाद्य सामग्री के उपलब्ध होने पर भी वह खाने से इन्कार कर सकता है, तो दूसरी ओर वह पेट भरा होने पर भी अपनी प्रिय खाद्य सामग्री के लिए व्याकुल हो सकता है वह उसका उपभोग कर लेता है। मनुष्य में एक ओर वासना की तीव्रता है तो दूसरी ओर सयम की क्षमता भी है। वस्तुतः यह संयम उसकी साधना का मूल तत्त्व है। यह संयम ही उसे पशुत्व से ऊपर उठाकर देवत्व तक पहुँचाता है जबकि संयम के अभाव में पशु से भी नीचे उतर जाता है एक दरिद्र या राक्षस बन जाता है। यह सयम साधना ही जैन धर्म और जैनाचार का मूल तत्त्व है। सदाचार या सम्यक्-चरित्र के स्वरूप की विस्तृत चर्चा के पूर्व हमें सदाचार या दुराचार के मूलभूत दार्शनिक प्रश्नों की चर्चा करनी होगी।

जैन आचार शास्त्र की प्रमुख समस्याएं

जैन आचार के प्रमुख प्रश्नों में सबसे प्रथम प्रश्न यह है कि जैनधर्म में सदाचार-दुराचार का आधार क्या है। वह कौनसा मानदण्ड है, जिसके आधार पर किसी कर्म को सदाचार या दुराचार की संज्ञा देते हैं। इसके साथ आचारशास्त्र की दूसरी समस्या यह कि क्या कोई भी कर्म या आचार निरपेक्ष रूप से सदाचार या दुराचार बना रहा है अथवा देश, काल और परिस्थिति के आधार पर उसमें परिवर्तन होता है। तीसरा इसी से जुड़ा हुआ उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग का प्रश्न है। आगे हम इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे।

जैन धर्म में नैतिक प्रतिमानों का अनेकान्तवाद

वस्तुतः मनुष्यों की नीति-सम्बन्धी अवधारणाओं को मापदण्डों या प्रतिमानों की विविधता ही नैतिक निर्णयों की भिन्नता का कारण मानी जा सकती है। जब भी हम किसी आचरण का नैतिक मूल्यांकन करते हैं तो हमारे सामने नीति सम्बन्धी कोई मापदण्ड, प्रतिमान या मानक (Standard) अवश्य होता है, जिसके आधार पर हम व्यक्ति के चरित्र, आचरण अथवा कर्म का नैतिक मूल्यांकन (Moral valuation) करते हैं। विभिन्न देश, काल, समाज और संस्कृतियों में ये नैतिक मापदण्ड या प्रतिमान अलग-अलग रहे हैं और समय-समय पर इनमें परिवर्तन होते रहे हैं। प्राचीन ग्रीक संस्कृति में जहाँ साहस और न्याय को नैतिकता का प्रतिमान माना जाता था, वहीं परवर्ती ईसाई संस्कृति में सहनशीलता और त्याग को नैतिकता का प्रतिमान माना जाने लगा। यह एक वास्तविकता है कि नैतिक प्रतिमान या नैतिकता के मापदण्ड अनेक रहे हैं तथा विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न समाज अलग-अलग नैतिक प्रतिमानों का उपयोग करते रहे हैं। मात्र यही नहीं, एक ही व्यक्ति अपने जीवन में भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न नैतिक प्रतिमानों का उपयोग करता है। नैतिक प्रतिमान के इस प्रश्न पर न केवल जनसाधारण में अपितु नीतिवेत्ताओं में भी गहन मतभेद है।

नैतिक प्रतिमानों (Moral Standards) की इस विविधता और परिवर्तनशीलता को लेकर अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं। क्या कोई ऐसा सार्वभौम नैतिक प्रतिमान सम्भव है, जिसे सार्व-लौकिक और सार्वकालिक मान्यता प्राप्त हो? यद्यपि अनेक नीतिवेत्ताओं ने अपने नैतिक प्रतिमान को सार्वलौकिक, सार्व-कालीन एवं सार्वजनीन सिद्ध करने का दावा अवश्य किया है, किन्तु जब वे ही आपस में एकमत नहीं है तो फिर उनके इस दावे को कैसे मान्य किया जा सकता है? नीतिशास्त्र के इतिहास की नियमवादी परम्परा में कवीले के बाह्य नियमों की अवधारणा से लेकर अन्तरात्मा के आदेश तक तथा साध्यवादी परम्परा में स्थूल स्वार्थमूलक सुखवाद से प्रारम्भ करके बुद्धिवाद, पूर्णतावाद और मूल्यवाद तक अनेक नैतिक प्रतिमान प्रस्तुत किये गये हैं।

यदि हम नैतिक मूल्यांकन का आधार नैतिक आवेगों (Moral Sentiments) को स्वीकार करते हैं तो नैतिक मूल्यांकन में एकरूपता सम्भव नहीं होगी, क्योंकि व्यक्तिनिष्ठ नैतिक आवेगों में विविधता स्वाभाविक है। नैतिक आवेगों की इस विविधता को समकालीन विचारक एडवर्ड वैस्टरमार्क ने स्वयं

१ विस्तृत विवेचन के लिए देखें—जैन, बौद्ध और गीता के आचार दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन भाग १, अध्याय ५, पृ. ११६-१७४।

स्वीकार किया है। उनके अनुसार इस विविधता का कारण व्यक्तियों के परिवेश, धर्म और विश्वासी में पायी जाने वाली भिन्नता है। जो विचारक धर्म के नैतिक औचित्य एवं अनौचित्य के निर्धारण के लिए विधानवादी प्रतिमान अपनाते हैं और जाति, समाज, राज्य या धर्म द्वारा प्रस्तुत विधि-निषेध (यह करो और यह मत करो) की नियमावलियों को नैतिक प्रतिमान स्वीकार करते हैं उनमें भी प्रथम तो इस प्रश्न को लेकर ही मतभेद है कि जाति (समाज), राज्य शासन और धर्मग्रन्थ द्वारा प्रस्तुत अनेक नियमावलियों में से किसे स्वीकार किया जाये? पुनः प्रत्येक जाति, राज्य और धर्मग्रन्थ द्वारा प्रस्तुत ये नियमावलियाँ भी अलग-अलग हैं। इस प्रकार वाह्य विधानवाद नैतिक प्रतिमान का कोई एक सिद्धांत प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ है। समकालीन अनुमोदनात्मक सिद्धांत (Approbative Theories) जो नैतिक प्रतिमान को वैयक्तिक, रुचि-सापेक्ष अथवा सामाजिक एव धार्मिक अनुमोदन पर निर्भर मानते हैं, किसी एक सार्वभौम नैतिक प्रतिमान का दावा करने में असमर्थ हैं। व्यक्तियों का रुचिवैविध्य और सामाजिक आदर्शों में पायी जाने वाली भिन्नताएँ सुस्पष्ट ही हैं। धार्मिक अनुशासा भी अलग-अलग होती है। एक धर्म जिन कर्मों का अनुमोदन करता है और उन्हें नैतिक ठहराता है, दूसरा धर्म उन्हीं कर्मों को निषिद्ध और अनैतिक ठहराता है। वैदिक धर्म और इस्लाम जहाँ पशुबलि को वैध मानते हैं, वहीं जैन, वैष्णव और बौद्ध धर्म उसे अनैतिक और अवैध मानते हैं। निष्कर्ष यही है कि वे सभी सिद्धांत किसी एक सार्वभौम नैतिक प्रतिमान का दावा करने में असमर्थ हैं, जो नैतिकता की कसौटी, वैयक्तिक रुचि, सामाजिक अनुमोदन अथवा धर्मशास्त्र की अनुशासा को मानते हैं।

अन्तःप्रज्ञावाद अथवा सरल शब्दों में कहें तो अन्तरात्मा के अनुमोदन का सिद्धांत भी किसी एक नैतिक प्रतिमान को दे पाने में असमर्थ है। यद्यपि यह कहा जाता है कि अन्तरात्मा के निर्णय सरल, सहज और अपरोक्ष होते हैं, फिर भी अनुभव यही बताता है कि अन्तरात्मा के निर्णयों में एकरूपता नहीं होती। प्रथम तो स्वयं अन्तःप्रज्ञावादी ही इस सम्बन्ध में एकमत नहीं हैं कि इस अन्तःप्रज्ञा की प्रकृति क्या है, यह बौद्धिक है या भावना-परक। पुनः यह मानना कि सभी की अन्तरात्मा एक-सी है, ठीक नहीं है, क्योंकि अन्तरात्मा की संरचना और उसके निर्णय भी व्यक्ति के संस्कारों पर आधारित होते हैं। पशुबलि के सम्बन्ध में मुस्लिम एवं जैन परिवारों में संस्कारित व्यक्तियों के अन्तरात्मा के निर्णय एक समान नहीं होंगे। अन्तरात्मा कोई सरल तथ्य नहीं है, जैसा कि अन्तःप्रज्ञावाद मानता है, अपितु यह विवेकात्मक चेतना के विकास, पारिवारिक एव सामाजिक संस्कारों तथा परिवेशजन्य तथ्यों द्वारा निमित्त एक जटिल रचना है और ये

तीनों बातें हमारी अन्तरात्मा को और उसके निर्णयों को प्रभावित करती हैं।

इसी प्रकार साध्यवादी सिद्धांत भी किसी सार्वभौम नैतिक मानदण्ड का दावा नहीं कर सके हैं। सर्वप्रथम तो उनमें इस प्रश्न को लेकर ही मतभेद है कि मानव जीवन का साध्य क्या हो सकता है? मानवतावादी विचारक, जो मानवीय गुण के विकास को ही नैतिकता की कसौटी मानते हैं इस बात पर परस्पर सहमत नहीं है कि आत्म-चेतना, विवेकशीलता और सयम में किसे सर्वोच्च मानवीय गुण माना जाए। समकालीन मानवतावादियों में जहाँ वारनर फिटे आत्मचेतनता को प्रमुख मानते हैं, वहाँ सी० वी० गनैट और इन्साइल लेविन विवेकशीलता को तथा इरविंग वविट आत्मसयम को प्रमुख नैतिक गुण मानते हैं। साध्यवादी परम्परा के सामने यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण रहा है कि मानवीय चेतना के ज्ञानात्मक, अनुभूत्यात्मक और संकल्पात्मक पक्ष में से किसकी सन्तुष्टि को सर्वाधिक महत्व दिया जाए। इस सन्दर्भ में सुखवाद और बुद्धिवाद का विवाद तो सुप्रसिद्ध ही है। सुखवाद जहाँ मनुष्य के अनुभूत्यात्मक (वासनात्मक पक्ष की सन्तुष्टि को मानव-जीवन का साध्य घोषित करता है; वहाँ बुद्धिवाद भावना निरपेक्ष बुद्धि के आदेशों के परिपालन में ही नैतिक कर्तव्य की पूर्णता देखता है। इस प्रकार सुखवाद और बुद्धिवाद के नैतिक प्रतिमान एक दूसरे से भिन्न हैं। इसका मूल कारण दोनों की मूल्यदृष्टि की भिन्नता है, एक भोगवाद का समर्थक है, तो दूसरा वैराग्यवाद का। मात्र यही नहीं, सुखवादी विचारक भी "कौन-सा सुख साध्य है?" इस प्रश्न पर एकमत नहीं है? कोई वैयक्तिक सुख को साध्य बताता है तो कोई समष्टि सुख को अथवा अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को। पुनः यह सुख, ऐन्द्रिक सुख हो या मानसिक सुख हो अथवा आध्यात्मिक आनन्द हो, इस प्रश्न पर भी मतभेद है। वैराग्यवादी परम्पराएँ भी सुख को साध्य मानती हैं, किन्तु वे जिस सुख की बात करती हैं वह सुख वस्तुगत नहीं है, वह इच्छा, आसक्ति या तृष्णा के समाप्त होने पर चेतना की निर्द्वन्द्व, तनावरहित, समाधिपूर्ण अवस्था है। इस प्रकार सुख को साध्य मानने के प्रश्न पर उनमें आम सहमति होते हुए भी उनके नैतिक प्रतिमान भिन्न-भिन्न ही होंगे, क्योंकि सुख की प्रकृतियाँ भिन्न-भिन्न हैं।

यद्यपि पूर्णतावाद आत्मोपलब्धि को साध्य मानकर सुखवाद और बुद्धिवाद के बीच समन्वय साधने का प्रयत्न अवश्य करता है, किन्तु वह इस प्रयास में सफल हुआ है, यह नहीं कहा जा सकता। पुनः वह भी किसी एक सार्वभौम नैतिक प्रतिमान को प्रस्तुत कर सकता है, यह मानना भ्रांतिपूर्ण है; क्योंकि व्यक्तियों के हित न केवल भिन्न-भिन्न है, अपितु परस्पर विरोधी भी हैं।

रोगी का कल्याण और डाक्टर का कल्याण एक नहीं है, श्रमिक का कल्याण उसके स्वामी के कल्याण से पृथक् ही है, किसी सार्वभौम शुभ (Universal good) की बात कितनी ही आकर्षक क्यों न हो, वह भ्रांति ही है। वैयक्तिक हितों के योग के अतिरिक्त सामान्य हित (Common good) मात्र अमूर्त कल्पना है। न केवल व्यक्तियों के हित या शुभ अलग-अलग होंगे अपितु दो भिन्न परिस्थितियों में एक व्यक्ति के हित भी पृथक्-पृथक् होंगे। एक ही व्यक्ति दो भिन्न-भिन्न स्थितियों में दाता और याचक दोनों हो सकता है, किन्तु क्या दोनों स्थितियों में उसका हित समान होगा? समाज में एक का हित दूसरे के हित का बाधक हो सकता है। मात्र यही नहीं, हमारा एक हित हमारे ही दूसरे हित में बाधक हो सकता है। रसनेन्द्रिय या यौन वासना सन्तुष्टि के हित और स्वास्थ्य-सम्बन्धी हित (Good) सहगामी हो, यह आवश्यक नहीं है। वस्तुतः यह धारणा कि मनुष्य का या मनुष्यों का कोई सामान्य शुभ है अपने आपमें यथार्थ है, जिसे हम सामान्य शुभ कहना चाहते हैं वह विभिन्न शुभों का एक ऐसा स्कन्ध है, जिसमें न केवल भिन्न-भिन्न शुभों की पृथक्-पृथक् सत्ता है, अपितु वे एक दूसरे के विरोध में भी खड़े हुए हैं। शुभ एक नहीं, अनेक हैं और उनमें पारस्परिक विरोध भी है। क्या आत्मलाभ और आत्मत्याग के बीच कोई विरोध नहीं है? यदि पूर्णतावादी निम्न आत्मा (Lower Self) के त्याग द्वारा उच्चात्मा (Higher Self) के लाभ की बात कहते हैं तो वे जीवन के इन दो पक्षों में विरोध स्वीकार करते हैं। पुनः निम्नात्मा भी हमारी आत्मा है और यदि हम उसके निषेध की बात स्वीकार करते हैं तो हमें पूर्णतावाद के सिद्धांत को छोड़कर प्रकारान्तर से बुद्धिवाद या वैराग्यवाद को ही स्वीकार करना होगा। इसी प्रकार वैयक्तिक आत्मा और सामाजिक आत्मा का अथवा स्वार्थ और परार्थ का अन्तर्विरोध, भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसीलिए मूल्यवाद किसी एक मूल्य की बात न कहकर "मूल्यों" या "मूल्य-विश्व" की बात करता है। मूल्यों की विपुलता के इस सिद्धांत में नैतिक प्रतिमान की विविधता स्वभावतया ही होगी, क्योंकि प्रत्येक मूल्य का मूल्यांकन किसी दृष्टि विशेष के आधार पर ही होगा। चूंकि मनुष्यों की जीवन दृष्टियाँ या मूल्यदृष्टियाँ विविध हैं, अतः उन पर आधारित नैतिक प्रतिमान भी विविध ही होंगे। पुनः, मूल्यवाद में मूल्यों के तारतम्य को लेकर सदैव ही विवाद रहा है। एक दृष्टि से जो सर्वोच्च मूल्य लगता है, वही दूसरी दृष्टि से निम्न मूल्य हो सकता है। मनुष्य की जीवनदृष्टि या मूल्यदृष्टि का निर्माण भी स्वयं उसके संस्कारों एवं परिवेशजन्य तथ्यों से प्रभावित होता है, अतः मूल्यवाद नैतिक प्रतिमान के सन्दर्भ में विविधता की धारणा को ही पुष्ट करता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नैतिक प्रतिमान के प्रश्न पर न केवल विविध दृष्टिकोणों से विचार हुआ है, अपितु उसका प्रत्येक सिद्धांत स्वयं भी इतने अन्तर्विरोधों से युक्त है कि वह एक सार्वभौम नैतिक मापदण्ड होने का दावा करने में असमर्थ है। आज भी इस सम्बन्ध में किसी सर्वमान्य सिद्धांत का अभाव है।

वस्तुतः नैतिक मानदण्डों की यह विविधता स्वाभाविक ही है और जो लोग किसी एक सर्वमान्य नैतिक प्रतिमान की बात करते हैं वे कल्पनालोक में ही विचरण करते हैं। नैतिक प्रतिमानों की इस विविधता के कई कारण हैं। सर्वप्रथम तो नैतिकता और अनैतिकता का यह प्रश्न उस मनुष्य के सन्दर्भ में है जिसकी प्रकृति बहुआयामी (Multi dimensional) और अन्तर्विरोधों से परिपूर्ण है। मनुष्य केवल चेतनसत्ता नहीं है, अपितु चेतनायुक्त शरीर है, वह केवल व्यक्ति नहीं है, अपितु समाज में जीने वाला व्यक्ति है। उसके अस्तित्व में वासना और विवेक तथा वैयक्तिकता और सामाजिकता के तत्त्व समाहित हैं। यहाँ हमें यह भी समझ लेना है कि वासना और विवेक में तथा व्यक्ति और समाज में स्वभावतः संगति (Harmony) नहीं है। वे स्वभावतः एक-दूसरे के विरोध में हैं। मनोवैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि "इड" (वासना-तत्त्व) और "सुपर-ईगो" (आदर्श तत्त्व) मानवीय चेतना के समक्ष प्रतिपक्षी के रूप में ही उपस्थित होते हैं। उसमें समर्पण और शासन की दो विरोधी मूल प्रवृत्तियाँ एक साथ काम करती हैं। एक ओर वह अपनी अस्मिता को बचाये रखना चाहता है तो दूसरी ओर अपने व्यक्तित्व को व्यापक बनाना चाहता है समाज के साथ जुड़ना चाहता है। ऐसे बहुआयामी एवं अन्तर्विरोधों से युक्त सत्ता के शुभ या हित एक नहीं, अनेक होंगे और जब मनुष्य के शुभ या हित (good) ही विविध हैं तो फिर नैतिक प्रतिमान भी विविध ही होंगे। किसी परम शुभ (Ultimate good) की कल्पना परम सत्ता (Ultimate reality) के प्रसंग में चाहे सही भी हो, किन्तु मानवीय अस्तित्व के प्रसंग में सही नहीं है। मनुष्य को मनुष्य मानकर चलना होगा— ईश्वर मानकर नहीं, और एक मनुष्य के रूप में उसके हित या साध्य विविध ही होंगे। साथ ही हितों या साध्यों की यह विविधता नैतिक प्रतिमानों की अनेकता को ही सूचित करेगी।

नैतिक प्रतिमान का आधार व्यक्ति की जीवन-दृष्टि या मूल्य-दृष्टि होगी, किन्तु व्यक्ति की मूल्य-दृष्टि या जीवन-दृष्टि व्यक्तियों के बौद्धिक विकास, संस्कार एवं पर्यावरण के आधार पर ही निर्मित होती है। व्यक्तियों के बौद्धिक विकास, पर्यावरण और संस्कारों में भिन्नताएँ स्वाभाविक हैं, अतः उनकी मूल्य-दृष्टियाँ अलग-अलग होंगी और यदि मूल्य-दृष्टियाँ भिन्न-भिन्न होंगी तो नैतिक प्रतिमान भी विविध होंगे। यह एक आनुभविक तथ्य है कि विविध दृष्टिकोणों के आधार पर एक ही घटना का

नैतिक मूल्यांकन अलग-अलग होता है। उदाहरण के रूप में, परिवार-नियोजन की धारणा जनसंख्या के बाहुल्य वाले देशों की दृष्टि से चाहे उचित हो, किन्तु अल्प जनसंख्या वाले देशों एव जातियों की दृष्टियों से अनुचित होगी। राष्ट्रवाद अपनी प्रजाति की अस्मिता की दृष्टि से चाहे अच्छा हो, किन्तु सम्पूर्ण मानवता की दृष्टि से अनुचित है। हम भारतीय ही एक ओर जातिवाद एव सम्प्रदायवाद को कोमते हैं तो दूसरी ओर भारतीयता के नाम पर अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। क्या हम यहाँ दोहरे मापदण्ड का उपयोग नहीं कर रहे हैं? स्वतन्त्रता की बात को ही लें। क्या स्वतन्त्रता और सामाजिक अनुशासन सहगामी होकर चल सकते हैं? आपातकाल को ही लीजिये, वैयक्तिक स्वतन्त्रता के हनन की दृष्टि से या नौकरशाही के हावी होने की दृष्टि से हम उसकी आलोचना कर सकते हैं किन्तु अनुशासन बनाये रखने और अराजकता को समाप्त करने की दृष्टि से उसे उचित ठहराया जा सकता है। वस्तुतः उचितता और अनुचितता का मूल्यांकन किसी एक दृष्टिकोण के आधार पर न होकर विविध दृष्टिकोणों के आधार पर होता है, जो एक दृष्टिकोण या अपेक्षा से नैतिक हो सकता है, वही दूसरे दृष्टिकोण या अपेक्षा से अनुचित हो सकता है, जो एक परिस्थिति में उचित हो सकता है, वही दूसरी परिस्थिति में अनुचित हो सकता है। जो एक व्यक्ति के लिए उचित है, वही दूसरे के लिए अनुचित हो सकता है। एक स्थूल शरीर वाले व्यक्ति के लिए स्निग्ध पदार्थों का सेवन अनुचित है, किन्तु कृशकाय व्यक्ति के लिए उचित है। अतः हम कह सकते हैं कि नैतिक मूल्यांकन के विविध दृष्टिकोण हैं और इन विविध दृष्टिकोणों के आधार पर विविध नैतिक प्रतिमान बनते हैं, जो एक ही घटना का अलग-अलग नैतिक मूल्यांकन करते हैं।

नैतिक मूल्यांकन परिस्थिति-सापेक्ष एवं दृष्टि-सापेक्ष मूल्यांकन हैं, अतः उनकी सार्वभौम सत्यता का दावा करना भी व्यर्थ है। किसी दृष्टि-विशेष या अपेक्षा-विशेष के आधार पर ही वे सत्य होते हैं। संक्षेप में, सभी नैतिक प्रतिमान मूल्य-दृष्टि-सापेक्ष हैं और मूल्य-दृष्टि स्वयं व्यक्तियों के बौद्धिक विकास, संस्कार तथा सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण पर निर्भर करती हैं और चूँकि व्यक्तियों के बौद्धिक विकास, संस्कार तथा सांस्कृतिक, सामाजिक एव भौतिक पर्यावरण में विविधता और परिवर्तनशीलता है, अतः नैतिक प्रतिमानों में विविधता या अनेकता स्वाभाविक ही है।

वैयक्तिक शुभ की दृष्टि से प्रस्तुत नैतिक प्रतिमान सामाजिक शुभ की दृष्टि से प्रस्तुत नैतिक प्रतिमान से भिन्न होगा। इसी प्रकार वासना पर आधारित नैतिक प्रतिमान विवेक पर आधारित नैतिक प्रतिमान से अलग होगा। राष्ट्रवाद से प्रभावित

व्यक्ति की नैतिक कसौटी अन्तर्राष्ट्रीयता के समर्थक व्यक्ति की नैतिक कसौटी से पृथक् होगी। पूंजीवाद और साम्यवाद के नैतिक मानदण्ड भिन्न-भिन्न ही रहेंगे। अतः हमें नैतिक मानदण्डों की अनेकता को स्वीकार करते हुए यह मानना होगा कि प्रत्येक नैतिक मानदण्ड अपने उम दृष्टिकोण के आधार पर ही सत्य है।

कुछ लोग यहाँ किसी परम शुभ की अवधारणा के आधार पर किसी एक नैतिक प्रतिमान का दावा कर सकते हैं, किन्तु वह परम शुभ या तो इन विभिन्न शुभों या हितों को अपने में अन्तर्निहित करेगा, या इनसे पृथक् होगा, यदि वह इन भिन्न-भिन्न मानवीय शुभों को अपने में अन्तर्निहित करेगा तो वह भी नैतिक प्रतिमानों की अनेकता को स्वीकार करेगा, और यदि वह इन मानवीय शुभों से पृथक् होगा तो नीतिशास्त्र के लिए व्यर्थ ही होगा, क्योंकि नीतिशास्त्र का पूरा सन्दर्भ मानव-सन्दर्भ है। नैतिक प्रतिमान का प्रश्न तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक मनुष्य मनुष्य है, यदि मनुष्य मनुष्य के स्तर से ऊपर उठकर देवत्व को प्राप्त कर लेता है या मनुष्य के स्तर से नीचे उतरकर पशु बन जाता है तो उसके लिए नैतिकता या अनैतिकता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है और ऐसे यथार्थ मनुष्य के लिए नैतिकता के प्रतिमान अनेक ही होंगे। नैतिक प्रतिमानों के सन्दर्भ में यही अनेकान्तदृष्टि सम्यग्दृष्टि होगी। इसे हम नैतिक प्रतिमानों का अनेकान्तवाद कह सकते हैं।

जैन दर्शन में सदाचार का मानदण्ड

फिर भी मूल प्रश्न यह है कि जैन दर्शन का चरम साध्य क्या है? जैन दर्शन अपने चरम साध्य के बारे में स्पष्ट है। उसके अनुसार व्यक्ति का चरम साध्य मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति है, वह यह मानता है कि जो आचरण निर्वाण या मोक्ष की दिशा में जाता है वही सदाचार की कोटि में आता है। दूसरे शब्दों में जो आचरण मुक्ति का कारण है वह सदाचार है, और जो आचरण बन्धन का कारण है, वह दुराचार है। किन्तु यहाँ पर हमें यह भी स्पष्ट करना होगा कि उसका मोक्ष अथवा निर्वाण से क्या तात्पर्य है। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण या मोक्ष स्वभाव-दशा एव आत्मपूर्णता की प्राप्ति है। वस्तुतः हमारा जो निज स्वरूप है उसे प्राप्त कर लेना अथवा हमारी बीजरूप क्षमताओं को विकसित कर आत्मपूर्णता की प्राप्ति ही मोक्ष है। उसकी पारम्परिक शब्दावली में परमाव से हटकर स्वभाव में स्थित हो जाना ही मोक्ष है। यही कारण था कि जैन दार्शनिकों ने धर्म की एक विलक्षण एव महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। उनके अनुसार धर्म वह है जो वस्तु का- निज स्वभाव है (वत्पुसहायो धम्मो)। व्यक्ति का धर्म या साध्य वही हो सकता है जो उसकी चेतना या आत्मा का निज स्वभाव है और जो हमारा निज स्वभाव है उसी को पा लेना ही मुक्ति है। अतः उम स्वभाव

दशा की ओर ले जाने वाला आचरण ही सदाचरण कहा जा सकता है।

पुनः प्रश्न यह उठता है कि हमारा स्वभाव क्या है? व्याख्याप्रज्ञप्ति में गौतम ने भगवान महावीर के सम्मुख यह प्रश्न उपस्थित किया था। वे पूछते हैं, “भन्ते! आत्मा का निज स्वरूप क्या है और आत्मा का साध्य क्या है?” महावीर ने उनके इन प्रश्नों का जो उत्तर दिया था वही आज भी समस्त जैन आचारदर्शन में किसी कर्म के नैतिक मूल्यांकन का आधार है। महावीर ने कहा था, “आत्मा समत्व स्वरूप है और उस समत्व स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही आत्मा का साध्य है।” दूसरे शब्दों में समता स्वभाव है और विषमता विभाव है। और जो विभाव से स्वभाव की दिशा में अथवा विषमता से समता की दिशा में ले जाता है वही धर्म है, नैतिकता है, सदाचार है। अर्थात् विषमता से समता की ओर ले जाने वाला आचरण ही सदाचार है। संक्षेप में जैन धर्म के अनुसार सदाचार या दुराचार के मानदण्ड समता एवं विषमता अथवा स्वभाव एवं विभाव के तत्त्व हैं। स्वभाव से फलित होने वाला आचरण सदाचार है और विभाव या परभाव से फलित होने वाला आचरण दुराचार है।

यहाँ हमें समता के स्वरूप पर भी विचार कर लेना होगा। यद्यपि द्रव्याधिक नय की दृष्टि से समता का अर्थ परभाव से हटकर शुद्ध स्वभाव दशा में स्थित हो जाना है, किन्तु अपनी विविध अभिव्यक्तियों की दृष्टि से विभिन्न स्थितियों में इसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से समता या स्वभाव का अर्थ राग-द्वेष से ऊपर उठकर वीतरागता या अनासक्त भाव की उपलब्धि है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानसिक समत्व का अर्थ है—समस्त इच्छाओं, आकांक्षाओं से रहित मन की शांत एवं विक्षोभ (तनाव) रहित अवस्था। यही समत्व जब हमारे सामुदायिक या सामाजिक जीवन में फलित होता है तो इसे हम अहिंसा के नाम से अभिहित करते हैं। वैचारिक दृष्टि से इसे हम अनाग्रह या अनेकान्त दृष्टि कहते हैं। जब हम इसी समत्व के आर्थिक पक्ष से विचार करते हैं तो अपरिग्रह के नाम से जानते हैं। साम्यवाद एवं न्यासी-सिद्धांत इसी अपरिग्रह वृत्ति की आधुनिक अभिव्यक्तियाँ हैं। यह समत्व ही मानसिक क्षेत्र में अनासक्ति या वीतरागता के रूप में, सामाजिक क्षेत्र में अहिंसा के रूप में, वैचारिकता के क्षेत्र में अनाग्रह या अनेकान्त के रूप में और आर्थिक क्षेत्र में अपरिग्रह के रूप में अभिव्यक्त होता है। अतः जैन धर्म के अनुसार समत्व निर्विवाद रूप से सदाचार का मानदण्ड स्वीकार किया जा सकता है। किन्तु “समत्व” को सदाचार का मानदण्ड स्वीकार करते हुए भी हमें उसके विविध पहलुओं पर विचार तो करना ही होगा क्योंकि सदाचार का सम्बन्ध अपने साध्य के साथ-साथ उन साधनों से भी होता है

जिसके द्वारा हम उसे पाना चाहते हैं और जिस रूप में वह हमारे व्यवहार में और सामुदायिक जीवन में प्रकट होता है।

जहाँ तक व्यक्ति के चैतन्य या आन्तरिक समत्व का प्रश्न है हमें उसे वीतराग मनोदशा या अनासक्त चित्तवृत्ति की साधना मान सकते हैं। फिर भी समत्व की साधना का यह रूप हमारे वैयक्तिक एवं आन्तरिक जीवन से अधिक सम्बन्धित है। यह व्यक्ति की मनोदशा का परिचायक है। यह ठीक है कि व्यक्ति की मनोदशा का प्रभाव उसके आचरण पर भी होता है और हम व्यक्ति के आचरण का मूल्यांकन करते समय उसके इस आन्तरिक पक्ष पर विचार भी करते हैं किन्तु फिर भी यह सदाचार या दुराचार का प्रश्न हमारे व्यवहार के बाह्य पक्ष एवं सामुदायिक के साथ अधिक जुड़ा है। जब भी हम सदाचार एवं दुराचार के किसी मानदण्ड की बात करते हैं, तो हमारी दृष्टि व्यक्ति के आचरण के बाह्य पक्ष पर अथवा उस आचरण का दूसरे पर क्या प्रभाव या परिणाम होता है, इस बात पर अधिक होती है। सदाचार या दुराचार का प्रश्न केवल कर्ता के आन्तरिक मनोभावों या वैयक्तिक जीवन से सम्बन्धित नहीं है वह आचरण के बाह्य प्रारूप तथा हमारे सामाजिक जीवन में इसके आचरण परिणामों पर विचार करता है। यहाँ हमें सदाचार और दुराचार की व्याख्या के लिए कोई ऐसी कसौटी खोजनी होगी जो आचार के बाह्य पक्ष अथवा हमारे व्यवहार के सामाजिक पक्ष को भी अपने में समेट सके। सामान्यतया भारतीय चिन्तन में इस सम्बन्ध में एक सर्वमान्य दृष्टिकोण यह है कि परोपकार ही पुण्य है और परपीडा ही पाप है। तुलसीदास ने इसे निम्न शब्दों में प्रकट किया है—

“परहित सरिस धरम नहिं भाई,

पर-पीडा सम नहिं अधमाई।”

अर्थात् वह आचरण जो दूसरों के लिए कल्याणकारी या हितकारी है सदाचार है, पुण्य है, और जो दूसरों के लिए अकल्याणकारी है, अहितकर है, वही पाप है, दुराचार है। जैन धर्म में सदाचार के एक ऐसे ही मानदण्ड की चर्चा हमें आचारांग सूत्र में उपलब्ध होती है। वहाँ कहा गया है “भूतकाल में जितने अर्हत् हो गये हैं वर्तमान काल में जितने अर्हत् हैं और भविष्य में जितने अर्हत् होंगे वे सभी यह उपदेश करते हैं कि सभी प्राणी सभी भूतों, सभी जीवों और सभी सत्वों को किसी प्रकार का परिताप, उद्वेग या दुःख नहीं देना चाहिए, न किसी का हनन करना चाहिए। यही शुद्ध, नित्य और शाश्वत धर्म है।” किन्तु मात्र दूसरों की हिंसा नहीं करने के अहिंसा के निषेधात्मक पक्ष का या दूसरों के हित साधन को ही सदाचार की कसौटी नहीं माना जा सकता है। ऐसी अवस्थाएँ सम्भव हैं कि जब भेदे असत्य सम्भाषण एवं अनैतिक आचरण के द्वारा दूसरों का हित-

साधन होता हो, अथवा कम से कम किसी का अहित न होता हो, किन्तु क्या ऐसे आचरण को सदाचार कहने का साहस कर सकेंगे ? क्या वेश्यावृत्ति के माध्यम से अपार धनराशि को एकत्रित कर उसे लोकहित के लिए व्यय करने मात्र में कोई स्त्री सदाचारी की कोटि में आ सकेगी ? अथवा यौन वामना की मन्तुष्टि के वे रूप जिसमें किसी भी दूसरे प्राणी की हिंसा नहीं होती है, दुराचार की कोटि में नहीं आयेंगे ? सूत्रकृताग में सदाचारिता का एक ऐसा ही दावा अन्यतीर्थियों द्वारा प्रस्तुत भी किया गया था, जिसे महावीर ने अमान्य कर दिया था। क्या हम उस व्यक्ति को जो डाके डालकर उस सम्पत्ति को गरीबों में वितरित कर देता है, सदाचारी मान सकेंगे ? एक चोर और एक सन्त दोनों ही व्यक्ति को सम्पत्ति के पाश से मुक्त करते हैं फिर भी दोनों समान कोटि के नहीं माने जाते। वस्तुतः सदाचार या दुराचार का निर्णय केवल एक ही आधार पर नहीं होता है। उसमें आचरण का प्रेरक आन्तरिक पक्ष अर्थात् उसकी मनोदशा और आचरण का बाह्य परिणाम अर्थात् सामाजिक जीवन पर उसका प्रभाव दोनों ही विचारणीय हैं। आचार की शुभाशुभता विचार पर, और विचार या मनोभावों की शुभाशुभता स्वयं व्यवहार पर निर्भर करती है। सदाचार या दुराचार का मानदण्ड तो ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों को समाविष्ट कर सके।

साधारणतया जैन धर्म सदाचार का मानदण्ड अहिंसा को स्वीकार करता है, किन्तु यहाँ हमें यह विचार करना होगा कि क्या केवल किसी को दुःख या पीडा नहीं देना या किसी की हत्या नहीं करना मात्र ही अहिंसा है ? यदि अहिंसा की मात्र इतनी ही व्याख्या है तो फिर यह सदाचार और दुराचार का मानदण्ड नहीं बन सकती। जबकि जैन आचार्यों ने सदैव ही उसे सदाचार का एकमात्र आधार प्रस्तुत किया है। आचार्य अमृत चन्द्र ने कहा है कि अनृतवचन, स्तेय, मथुन, परिग्रह आदि पापों के जो भिन्न-भिन्न नाम दिये गये वे तो केवल शिष्यबोध के लिए हैं। मूलतः तो वे सब हिंसा ही हैं। वस्तुतः जैन आचार्यों ने अहिंसा को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचारना है। वह आन्तरिक भी है और बाह्य भी। उसके सम्बन्ध व्यक्ति से भी है और समाज से भी। इसे जैन परम्परा में स्व की हिंसा और पर की हिंसा ऐसे दो भागों में बाटा गया है। जब वह हमारे स्व-स्वरूप या स्वभाव दशा का घात करती है तो स्व-हिंसा है और जब वह दूसरों के हितों को चोट पहुँचाती है, वह पर की हिंसा है। स्व की हिंसा के रूप में वह आन्तरिक पाप है तो पर

की हिंसा के रूप में वह सामाजिक पाप। किन्तु उसके ये दोनों रूप दुराचार की कोटि में ही आते हैं। अतः अपने इस व्यापक अर्थ में हिंसा को दुराचार की और अहिंसा को सदाचार की कसौटी माना जा सकता है।

जैन दर्शन में सदाचार और दुराचार की सापेक्षता और निरपेक्षता का प्रश्न

पश्चिम की तरह भारत में भी नैतिकता के सापेक्ष और निरपेक्ष पक्षों पर काफी गहन विचार हुआ है। नैतिक कर्मों को अपवादात्मकता और निरपवादिता की चर्चा के स्वर वेदों, स्मृति ग्रन्थों और पौराणिक साहित्य में काफी जोरों से सुनाई देते हैं। जैन विचारणा के अनुसार, नैतिकता को एवान्तिक रूप से न तो सापेक्ष कहा जा सकता है और न निरपेक्ष। यदि वह सापेक्ष है तो इसीलिए कि वह निरपेक्ष भी है।^१ निरपेक्ष के अभाव में सापेक्ष सच्चा नहीं है। वह निरपेक्ष इसलिए है कि वह सापेक्षता से ऊपर भी है। नैतिकता की सापेक्षता एवं निरपेक्षता के प्रश्न का एकान्तिक हल जैन विचारणा प्रस्तुत नहीं करती। वह नैतिकता को सापेक्ष मानते हुए भी उसमें निरपेक्षता के सामान्य तत्व की अवधारणा करती है। वह सापेक्षिक नैतिकता की उस कमजोरी को स्पष्ट रूप से जानती थी कि उसमें नैतिक आदर्श के रूप में जिस सामान्य तत्व की आवश्यकता होती है, उसका अभाव होता है। सापेक्ष नैतिकता आचरण के तथ्यों को प्रस्तुत करती है, लेकिन आचरण के आदर्श को नहीं। यही कारण है कि जैन विचारणा ने भी इस समस्या के निराकरण के लिए वही समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया था, जिसे स्पेन्सर और डिवी ने अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि के नवीन सन्दर्भों में वर्तमान युग में प्रस्तुत किया है।

इस प्रश्न पर गहराई से विचार करना आवश्यक है कि जैन नैतिकता किस अर्थ में सापेक्ष है और किस अर्थ में निरपेक्ष है। जैन तत्व ज्ञान अनेकान्त-सिद्धांत को आधार मानकर चलता है। उसके अनुसार, सत् अनन्त धर्मात्मक है, अतः सत् सम्बन्धी प्राप्त मारा ज्ञान आधिक ही होगा, पूर्ण नहीं होगा। हम सब जो नैतिकता के क्षेत्र में आते हैं अथवा जो उसके आचरण में लगे हुए हैं, पूर्ण नहीं हैं। हमें अपनी अपूर्णता का स्पष्ट बोध है। अतः हम जो भी जानेंगे वह अपूर्ण ही होगा, सान्त होगा, समझ होगा, और इसलिए आशिक एवं सापेक्ष होगा। और यदि ज्ञान ही सापेक्ष होगा तो हमारे नैतिक निर्णय भी, जो हम अपने प्राप्त ज्ञान के आधार पर देते हैं, सापेक्ष ही होंगे। इस प्रकार अनेकान्त की धारणा से नैतिक निर्णयों की सापेक्षता निष्पन्न होती है।

१ देखिए, गीतारहस्य, अध्याय २, कर्मजिज्ञासा।

२ स्वयम्भूतोत्र, १०३।

आचरण के जिन तथ्यों को हम शुभ-अशुभ अथवा पुण्य-पाप के नाम से सम्बोधित करते हैं, उनके सन्दर्भ में साधारण व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्णय सापेक्ष ही हो सकते हैं। हमारे निर्णयों के देने में कम से कम कर्ता के प्रयोजन एवं कर्म के परिणाम के पक्ष तो उपस्थित होते ही हैं। दूसरे व्यक्ति के आचरण के सम्बन्ध में दिये गये हमारे अधिकांश निर्णय परिणाम-सापेक्ष होते हैं। जबकि हमारे अपने आचरण सम्बन्धी निर्णय प्रयोजन-सापेक्ष होते हैं। किसी भी व्यक्ति को न तो पूर्णतया यह ज्ञान होता है कि कर्ता का प्रयोजन क्या था और न यह ज्ञान होता है कि उसके कर्मों का दूसरों पर क्या परिणाम हुआ। अतः जनसाधारण के नैतिक निर्णय हमेशा अपूर्ण ही होंगे।

दूसरी ओर यह सारा जगत ही अपेक्षाओं से युक्त है, क्योंकि जगत की प्रत्येक वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। ऐसे जगत में आचरित नैतिकता निरपेक्ष नहीं हो सकती। सभी कर्म देश, काल अथवा व्यक्ति से सम्बन्धित होते हैं, इसलिए निरपेक्ष नहीं हो सकते। बाह्य जागतिक परिस्थितियाँ और कर्म के पीछे वैयक्तिक प्रयोजन भी आचरण को सापेक्ष बना देते हैं।

जैन दृष्टिकोण

एक ही प्रकार से आचरित कर्म एक स्थिति में नैतिक होता है और भिन्न स्थिति में अनैतिक हो जाता है। एक ही कर्म एक के लिए नैतिक हो सकता है, दूसरे के लिए अनैतिक। जैन विचारधारा आचरित कर्मों की नैतिक सापेक्षता को स्वीकार करती है। प्राचीनतम जैन आगम आचाराग सूत्र में कहा गया है कि जो आचरित कर्म आस्रव या बन्धन के कारण हैं वे भी मोक्ष के हेतु हो जाते हैं और जो मोक्ष के हेतु हैं, वे भी बन्धन के हेतु हो जाते हैं।^१ इस प्रकार कोई भी अनैतिक कर्म विशेष परिस्थिति में नैतिक बन जाता है और कोई भी नैतिक कर्म विशेष परिस्थिति में अनैतिक बन सकता है।

न केवल साधक की मन स्थिति, जिसे जैन परिभाषा में "भाव" कहते हैं, आचरण के कर्मों का मूल्यांकन करती है, और उसके साथ-साथ जैन विचारको ने द्रव्य, क्षेत्र और काल को भी कर्मों की नैतिकता और अनैतिकता का निर्धारक तत्त्व स्वीकार किया है। उत्तराध्ययन चूर्ण में कहा है, "तीर्थंकर देश और काल के अनुरूप धर्म का उपदेश करते हैं।"^२ आचार्य आत्माराम

जी महाराज लिखते हैं कि बन्ध और निर्जरा (कर्मों की अनैतिकता और नैतिकता) में भावों की प्रमुखता है, परन्तु भावों के साथ स्थान और क्रिया का भी मूल्य है।^३ आचार्य हरिभद्र के ग्रन्थ 'अष्टकप्रकरण' की टीका में आचार्य जिनेश्वर ने चरक-सहिता का एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसका आशय यह है कि देश, काल और रोगादि के कारण मानव जीवन में कभी-कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब अकार्य कार्य बन जाता है, विधान निषेध की कोटि में चला जाता है और निषेध विधान की कोटि में चला जाता है। इस प्रकार जैन नैतिकता में स्थान (देश), समय (काल), मन स्थिति (भाव) और व्यक्ति इन चार आपेक्षिकताओं का नैतिक मूल्यों के निर्धारण में प्रमुख महत्त्व है। आचरण के कर्म इन्हीं चारों के आधार पर नैतिक और अनैतिक बनते रहते हैं। संक्षेप में, एकान्त रूप से न तो कोई आचरण, कर्म या क्रिया नैतिक है और न अनैतिक, वरन् देशकालगत बाह्य परिस्थितियाँ और द्रव्य तथा भावगत परिस्थितियाँ उन्हें वैसा बना देती हैं। इस प्रकार जैन नैतिकता व्यक्ति के कर्तव्यों के सम्बन्ध में अनेकान्तवादी या सापेक्ष दृष्टिकोण अपनाती है। वह यह भी स्वीकार करती है कि सामान्य स्थिति में कुल देवों का पूजन अथवा दानादि कार्य, जो एक गृहस्थ के नैतिक कर्तव्य हैं, वे ही एक साधु या संन्यासी के लिए अकर्तव्य होते हैं— अनैतिक एवं अनाचरणीय होते हैं। कर्तव्याकर्तव्य मीमांसा में जैन विचारणा किसी भी ऐकान्तिक दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करती। आचार्य हरिभद्र लिखते हैं कि सर्वज्ञ तीर्थंकर देवों ने न किमी बात के लिए एकान्त विधान किया है और न एकान्त निषेध ही किया है, उनका एक ही आदेश है कि जो कुछ भी कार्य तुम कर रहे हो उसे सत्यभूत होकर करो, उसे पूरी प्रामाणिकता के साथ करते रहो।^४ आचार्य उमास्वाति का कथन है, "नैतिक, अनैतिक, विधि (कर्तव्य), निषेध (अकर्तव्य), अथवा आचरणीय (कल्प), अनाचरणीय (अकल्प) एकान्त रूप से नियत नहीं हैं। देश, काल, व्यक्ति अवस्था उपघात और विशुद्ध मन स्थिति के आधार पर अनाचरणीय आचरणीय बन जाता है और आचरणीय अनाचरणीय।"^५

उपाध्याय अमरमुनिजी जैन दर्शन की अनेकान्तदृष्टि के आधार पर जैन नैतिकता के सापेक्षित दृष्टिकोण को स्पष्ट करते

१ आचारांग, १/४/२/१३०, देखिए—श्री अमर भारती, मई १९६४, पृ. १५।

२ उत्तराध्ययनचूर्ण, २३।

३ आचारांग, हिन्दी टीका, पृ. ३७८।

४ उपदेशपद, ७७६।

५ प्रथमरति-प्रकरण (उमास्वाति), १४६, तुलना कीजिए—ब्रह्मसूत्र (शा०), ३/१/२५; गीता (शा) ३/३५ तथा १८/४७-४८।

हुए लिखते हैं कि त्रिभुवनोदर विवरवर्ती समस्त असंख्येय भाव अपने आपमें न तो मोक्ष का कारण हैं और न ससार का कारण हैं, माधक की अपनी अन्त स्थिति ही उन्हें अच्छे और बुरे का रूप दे देती है।^१ अतः एकान्त रूप में न कोई आचरण शुभ होता है और न कोई अशुभ। इसे स्पष्ट करते हुए वे आगे कहते हैं कि 'कुछ विचारक जीवन में उत्सर्ग (नैतिकता की निरपेक्ष या निरपवाद स्थिति) को पकड़कर चलना चाहते हैं, जीवन में अपवाद का सर्वथा अपलाप करते हैं। उनकी दृष्टि में अपवाद (नैतिकता का सापेक्षित दृष्टिकोण) धर्म नहीं, अपितु एक महत्तर पाप है। दूसरी ओर, कुछ साधक वे हैं जो उत्सर्ग को भूलकर केवल अपवाद का सहारा लेकर ही चलना चाहते हैं। ये दोनों विचार एकांगी होने से उपादेय की कोटि में नहीं आ सकते। जैन धर्म की साधना एकान्त की नहीं, अनेकान्त की स्वस्थ और सुन्दर साधना है।^२ उसके दर्शन कक्ष में मोक्ष के हेतुओं की कोई बंधी-बंधायी नियत रूपरेखा नहीं है, कोई इयत्ता नहीं है।^३ अतः यह स्पष्ट है कि जैन दर्शन को अनेकान्तवादी विचारपद्धति के आधार पर सापेक्षिक नैतिकता की धारणा मान्य है। यद्यपि उमका यह सापेक्ष दृष्टिकोण निरपेक्ष दृष्टिकोण का विरोधी नहीं है। जैन नैतिकता में एक पक्ष निरपेक्ष नैतिकता का भी है, जिस पर आगे विचार किया जायेगा।

वस्तुन नीति की सापेक्षता और निरपेक्षता का यह प्रश्न अति प्राचीनकाल से एक विवादास्पद विषय रहा है। महाभारत, स्मृति ग्रन्थ एवं ग्रीक दार्शनिक साहित्य में इस सम्बन्ध में पर्याप्त चिन्तन हुआ है और आज तक विचारक इस प्रश्न को सुलझाने में लगे हुए हैं। वर्तमान युग में समाज-वैज्ञानिक सापेक्षतावाद, नवोवैज्ञानिक सापेक्षतावाद और ताकिक भाववादी सापेक्षतावाद आदि चिन्तन धाराएँ नीति को सापेक्ष मानती हैं। उनके अनुसार, नैतिक मानदण्ड और नैतिक मूल्यांकन सापेक्ष हैं। वे यह मानते हैं कि किसी कर्म की नैतिकता देश, काल, व्यक्ति और परिस्थिति के परिवर्तित होने से परिवर्तित हो सकती है, अर्थात् जो कर्म एक देश में नैतिक माना जाता है वही दूसरे देश में अनैतिक माना जा सकता है, जो आचार किसी युग में नैतिक माना जाता था वही दूसरे युग में अनैतिक माना जा सकता है, इसी प्रकार जो कर्म एक व्यक्ति के लिए एक परिस्थिति में नैतिक हो सकता है वही दूसरी परिस्थिति में अनैतिक हो सकता है। दूसरे शब्दों में, नैतिक नियम, नैतिक मूल्यांकन और नैतिक निर्णय सापेक्ष हैं। देश, काल, समाज, व्यक्ति और परिस्थिति के

तथ्य उन्हें प्रभावित करते हैं। चाहे हम नैतिक मानदण्ड और नैतिक निर्णय को समाज-सापेक्ष माने या उन्हें वैयक्तिक मनोभावों की अभिव्यक्ति कहे, उनकी सापेक्षिकता में कोई अन्तर नहीं होता है। संक्षेप में, सापेक्षतावादियों के अनुसार नैतिक नियम सार्व-कालिक, सार्वदेशिक और सार्वजनिक नहीं हैं। जबकि निरपेक्षता-वादियों का कहना है कि 'नैतिक मानक और नैतिक नियम अपरिवर्तनीय, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वजनिक और अपरिवर्तनीय हैं, अर्थात् नैतिकता और अनैतिकता के बीच एक ऐसी कठोर विभाजक रेखा है जो अनुल्लंघनीय है, नैतिक कभी भी अनैतिक नहीं हो सकता और अनैतिक कभी भी नैतिक नहीं हो सकता। नैतिक नियम देश, काल, समाज, व्यक्ति और परिस्थिति से निरपेक्ष हैं। वे शाश्वत सत्य हैं। नैतिक जीवन में अपवाद और आपद्धर्म के लिए कोई स्थान नहीं है।'

वस्तुतः नीति के सन्दर्भ में एकान्त सापेक्षवाद और एकान्त निरपेक्षवाद दोनों ही उचित नहीं हैं। वे आशिक सत्य तो हैं लेकिन नीति के सम्पूर्ण स्वरूप को स्पष्ट कर पाने में समर्थ नहीं हैं। दोनों की अपनी कुछ कमियाँ हैं।

नीति में सापेक्षता और निरपेक्षता दोनों का क्या और किस रूप में स्थान है, यह जानने के लिए हमें नीति के विविध पक्षों को समझ लेना होगा। सर्वप्रथम नीति का एक बाह्य पक्ष होता है और दूसरा आंतरिक पक्ष होता है, अर्थात् एक ओर आचरण होता है तो दूसरी ओर आचरण की प्रेरक और निर्देशक चेतना होती है। एक ओर नैतिक आदर्श या साध्य होता है और दूसरी ओर उस साध्य की प्राप्ति के साधन या नियम होते हैं। इसी प्रकार हमारे नैतिक निर्णय भी दो प्रकार के होते हैं - एक वे जिन्हें हम स्वयं के सन्दर्भ में देते हैं, दूसरे वे जिन्हें हम दूसरों के सम्बन्ध में देते हैं। साथ ही ऐसे अनेक सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर नैतिक निर्णय दिये जाते हैं।

जहाँ तक नैतिकता के बाह्य पक्ष, अर्थात् आचरण या कर्म का सम्बन्ध है, वह निरपेक्ष नहीं हो सकता, सर्वप्रथम तो व्यक्ति जिस विश्व में आचरण करता है वह आपेक्षिकता से युक्त है। जो कर्म हम करते हैं और उसके जो परिणाम निष्पन्न होते हैं वे मुख्यतः हमारे सकल्प पर निर्भर न होकर उन परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं जिनमें हम जीवन जीते हैं। बाह्य जगत पर व्यक्ति की डच्छाएँ नहीं अपितु परिस्थितियाँ शासन करती हैं। पुनः चाहे मानवीय संकल्प को स्वतन्त्र मान भी लिया जाये किन्तु मानवीय आचरण को स्वतन्त्र नहीं माना जा सकता है, वह

१ श्री अमरभारती, मई १९६४, पृ. १५।

२ श्री अमरभारती, फरवरी १९६५, पृ. ५।

३ वही, मार्च १९६५, पृ. २८।

• आन्तरिक और बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर होता है। अतः मानवीय कर्म का सम्पादन और उनके निष्पन्न परिणाम दोनों ही देश, काल और परिस्थिति पर निर्भर होंगे। कोई भी कर्म देश, काल, व्यक्ति, समाज और परिस्थिति से निरपेक्ष नहीं होगा। हमने देखा कि भारतीय चिन्तन की जैन, बौद्ध और वैदिक परम्पराएँ इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करती हैं कि कर्म की नैतिकता निरपेक्ष नहीं है। पुनः नैतिक मूल्यांकन और नैतिक निर्णय उन सिद्धांतों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं जिनमें वे दिये जाते हैं। सर्वप्रथम तो नैतिक मूल्यांकन व्यक्ति और परिस्थिति से निरपेक्ष होकर नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति जिस समाज में जीवन जीता है वह विविधताओं से युक्त है। समाज में व्यक्ति की अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं के आधार पर एक निश्चित स्थिति होती है, उसी स्थिति के अनुसार उसके कर्तव्य एवं दायित्व होते हैं, अतः वैयक्तिक दायित्वों और कर्तव्यों में विविधता होती है। गीता का वर्णाश्रम धर्म का सिद्धांत और ब्रेडले का 'मेरा स्थान और उसके कर्तव्य' का सिद्धांत एक सापेक्षित नैतिकता की धारणा को प्रस्तुत करते हैं। अतः हमें सामाजिक सन्दर्भ में आचरण का मूल्यांकन सापेक्ष रूप में ही करना होगा। विश्व में ऐसा कोई एक सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है जो हमारे निर्णयों का आधार बन सके। कुछ प्रसंगों में हम अपने नैतिक निर्णय निष्पन्न कर्म-परिणाम पर देते हैं, तो कुछ प्रसंगों में कर्म के वांछित या अग्रावलोकित परिणाम पर, और कभी कर्म के प्रेरक के आधार पर भी नैतिक निर्णय दिये जाते हैं। अतः कर्म के बाह्य स्वरूप और उसके सन्दर्भ में होने वाले नैतिक मूल्यांकन तथा नैतिक निर्णय निरपेक्ष नहीं हो सकते, उन्हें सापेक्ष ही मानना होगा। पुनः कर्म या आचरण किसी आदर्श या लक्ष्य का साधन होता है और साधन अनेक हो सकते हैं। लक्ष्य या आदर्श एक होने पर भी उसकी प्राप्ति के लिए साधनों को अपनी स्थिति के अनुसार अनेक मार्ग सुझाये जा सकते हैं अतः आचरण की विविधता एक स्वाभाविक तथ्य है। दो भिन्न सन्दर्भों में परस्पर विपरीत दिखाई देने वाले मार्ग भी अपने लक्ष्य की अपेक्षा से उचित माने जा सकते हैं। पुनः, जब हम दूसरे व्यक्तियों के आचरण पर कोई नैतिक निर्णय देते हैं तो हमारे सामने कर्म का बाह्य स्वरूप ही होता है। अतः दूसरे व्यक्तियों के आचरण के सम्बन्ध में हमारे मूल्यांकन और निर्णय सापेक्ष ही हो सकते हैं। हम उसके मनोभावों के प्रत्यक्ष द्रष्टा नहीं होते हैं और इसलिए उसके आचरण के मूल्यांकन में हमको निरपेक्ष निर्णय देने का कोई अधिकार ही नहीं होता है, क्योंकि हमारा निर्णय केवल घटित परिणामों पर ही होता है। अतः यह निश्चय ही सत्य है कि कर्म के बाह्य पक्ष या व्यावहारिक पक्ष की नैतिकता और उसके सन्दर्भ में दिये जाने वाले

नैतिक निर्णय दोनों ही सापेक्ष होंगे। नीति और नैतिक आचरण को परिस्थिति निरपेक्ष मानने वाले नैतिक सिद्धांत शून्य में विचरण करते हैं और नीति के यथार्थ स्वरूप को स्पष्ट कर पाने में समर्थ नहीं होते हैं।

किन्तु नीति को एकान्त रूप से सापेक्ष मानना भी खतरों से खाली नहीं है। (१) सर्वप्रथम, नैतिक सापेक्षतावाद व्यक्ति और समाज की विविधता पर तो दृष्टि डालता है किन्तु उस विविधता में अनुस्यूत एकता की उपेक्षा करता है। वह दैशिक, कालिक, सामाजिक और वैयक्तिक असमानता को ही एकमात्र सत्य मानता है।

(२) दूसरे, वह साध्य या आदर्श की अपेक्षा साधनों पर अधिक बल देता है, जबकि साधनों का मूल्य स्वयं उस साध्य पर आश्रित होता है, जिसके वे साधन हैं।

(३) तीसरे, सापेक्षतावाद कर्म के बाह्य स्वरूप को ही उसका सर्वस्व मान लेता है, उनके आन्तरिक पक्ष या कर्म के मानस-पक्ष की उपेक्षा करता है जबकि कर्म की प्रेरक भावना का भी नैतिक दृष्टि से समान मूल्य है।

(४) चौथे, नैतिक सापेक्षतावाद संकल्पस्वातन्त्र्य के सिद्धांत के विरोध में जाता है। यदि नीति के निर्धारक तत्त्व बाह्य हैं तो फिर हमारी संकल्प की स्वतन्त्रता का कोई अधिक महत्त्व नहीं रहता है। सापेक्षतावाद के अनुसार नीति का नियामक तत्त्व देशकालगत परिस्थितियाँ एवं सामाजिक तथ्य है, वैयक्तिक चेतना नहीं। किन्तु ऐसी स्थिति में संकल्पस्वातन्त्र्य का क्या अर्थ रह जायेगा, यह विचारणीय है। संकल्प को सापेक्ष मानने का अर्थ उसकी स्वतन्त्रता को सीमित करना है।

(५) पाँचवें, नीति के सन्दर्भ में सापेक्षतावाद हमें अनिवार्यतः आत्मनिष्ठावाद की ओर ले जाता है। लेकिन आत्मनिष्ठावाद में आकर नैतिक नियम अपना समस्त स्थायित्व और वस्तुगत आधार खो देते हैं। नैतिक जीवन में समरूपता और वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है तथा नैतिकता का ढाँचा अस्तव्यस्त हो जाता है।

(६) छठे, हम यह भी कह सकते हैं कि सापेक्षतावाद में नैतिकता का शरीर तो बचा रहता है किन्तु प्राण चले जाते हैं, उसमें विषय सामग्री तो रहती है किन्तु आकार नहीं होता है, क्योंकि निरपेक्षता नैतिकता की आत्मा है।

(७) सापेक्षतावाद में नैतिक मानव की एकरूपता समाप्त हो जाती है, एक सार्वभौम मानदण्ड का अभाव होता है। अतः नैतिक निर्णय देने में व्यक्ति को वैसी ही कठिनाई अनुभव होती है जैसी उस ग्राहक को होती है जिसे प्रत्येक दुकान पर भिन्न-भिन्न माप मिलते हैं। पुनः, नैतिक परिस्थिति स्वयं एक ऐसा जटिल तथ्य है जिसमें जनसाधारण के लिए विना किसी स्पष्ट सार्वभौम निर्देशक सिद्धांत के यह तय कर पाना कठिन है कि

उस परिस्थिति में क्या नैतिक है और क्या अनैतिक ? अतः नीति में किसी निरपेक्ष तत्व की अवधारणा करना भी आवश्यक है। इस मन्दर्भ में जान डिवी का दृष्टिकोण अधिक संगतपूर्ण जान पड़ता है।¹ वे परिस्थितियाँ जिनमें नैतिक आदर्शों की सिद्धि की जाती है, सदैव परिवर्तनशील हैं और नैतिक नियमों, नैतिक कर्तव्यों और नैतिक मूल्यांकनों के लिए इन परिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ समायोजन करना आवश्यक होता है। किन्तु यह मान लेना मूर्खतापूर्ण ही होगा कि नैतिक सिद्धांत इतने सापेक्षिक हैं कि किसी सामाजिक स्थिति में उनमें कोई नियामक शक्ति ही नहीं होती। शुभ की विषयवस्तु बदल सकती है किन्तु शुभ का आकार नहीं, दूसरे शब्दों में, नैतिकता का शरीर परिवर्तनशील है किन्तु नैतिकता की आत्मा नहीं। नैतिकता का विशेष स्वरूप समय समय पर वैसे-वैसे बदलता रहता है जैसे-जैसे सामाजिक या सांस्कृतिक स्तर पर अन्य परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, किन्तु नैतिकता का सामान्य स्वरूप स्थिर रहता है। नैतिक नियमों में अपवाद या आपद्धर्म का निश्चित ही स्थान है और अनेक स्थितियों में अपवाद-मार्ग का आचरण ही नैतिक होता है। फिर भी हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि अपवाद कभी भी सामान्य नियम का स्थान नहीं ले पाते हैं। निरपेक्षतावाद के मन्दर्भ में यह एक भ्रांति है कि वह सभी नैतिक नियमों को निरपेक्ष मानता है। निरपेक्षतावाद भी सभी नियमों की सार्वभौमिकता सिद्ध नहीं करता, वह केवल मौलिक नियमों की सार्वभौमिकता ही सिद्ध करता है।

वस्तुतः नीति की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए निरपेक्षतावाद और सापेक्षतावाद दोनों ही अपेक्षित हैं। नीति का कौन सा पक्ष सापेक्ष होता है और कौन सा पक्ष निरपेक्ष इसे निम्नांकित रूप में समझा जा सकता है। (१) संकल्प की नैतिकता निरपेक्ष होती है और आचरण की नैतिकता सापेक्ष होती है। हिंसा का संकल्प कभी नैतिक नहीं होता यद्यपि हिंसा का कर्म सदैव अनैतिक हो, यह आवश्यक नहीं। नीति में जब संकल्प की स्वतन्त्रता को स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर हमें यह कहने का अधिकार नहीं रहता कि संकल्प सापेक्ष है, अतः संकल्प की नैतिकता सापेक्ष नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, कर्म का जो मानसिक पक्ष है, वैदिक पक्ष है, वह निरपेक्ष हो सकता है किन्तु कर्म का जो व्यावहारिक पक्ष है, आचरणात्मक पक्ष है, वह सापेक्ष है। अर्थात् मनोमूलक नीति निरपेक्ष होगी और आचरणमूलक नीति सापेक्ष होगी। संकल्प का क्षेत्र, प्रज्ञा का क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ चेतना या प्रज्ञा ही सर्वोच्च शासक है। अन्तस् में व्यक्ति स्वयं अपना शासक है, वहाँ परि-

स्थितियों या समाज का शासन नहीं है, अतः इस क्षेत्र में नीति की निरपेक्षता सम्भव है। अनासक्त कर्म का दर्शन इसी सिद्धांत पर स्थित है क्योंकि अनेक स्थितियों में कर्म का बाह्यात्मक रूप कर्ता के मनोभावों का यथार्थ परिचायक नहीं होता अतः यह माना जा सकता है कि मनोवृत्त्यात्मक या भावनात्मक नीति निरपेक्ष होगी किन्तु आचरणात्मक या व्यवहारात्मक नीति सापेक्ष होगी। यही कारण है कि जैन दर्शन में नैतिकता को निरपेक्ष और व्यावहारिक नैतिकता को सापेक्ष माना गया है। (२) दूसरे, साध्यात्मक नीति या नैतिक आदर्श निरपेक्ष होता है किन्तु साधनापरक नीति सापेक्ष होती है। दूसरे शब्दों में, जो सर्वोच्च शुभ है वह निरपेक्ष है किन्तु उस सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति के जो नियम या मार्ग हैं वे सापेक्ष हैं। क्योंकि एक ही साध्य की प्राप्ति के अनेक साधन हो सकते हैं। पुनः, वैयक्तिक रुचियों, क्षमताओं और स्थितियों की भिन्नता के आधार पर सभी के लिए समान नियमों का प्रतिपादन सम्भव नहीं है। अतः साध्यपरक नीति को या नैतिक साध्य को निरपेक्ष और साधनापरक नीति को सापेक्ष मानना ही एक यथार्थ दृष्टिकोण हो सकता है। (३) तीसरे, नैतिक नियमों में कुछ नियम मौलिक होते हैं और कुछ नियम उन मौलिक नियमों के सहायक होते हैं, उदाहरणार्थ, भारतीय परम्परा में सामान्य धर्म और विशेष धर्म (वर्णाश्रम धर्म) ऐसा वर्गीकरण हमें मिलता है। जैन परम्परा में भी एक ऐसा ही वर्गीकरण मूलगुण और उत्तरगुण नाम से है। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि साधारणतया सामान्य या मूलभूत नियम ही निरपेक्ष एवं अपरिवर्तनीय माने जा सकते हैं, विशेष नियम तो सापेक्ष एवं परिवर्तनीय ही होते हैं। यद्यपि हमें यह मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि अनेक स्थितियों में सामान्य नियमों के भी अपवाद हो सकते हैं और वे नैतिक भी हो सकते हैं, फिर भी यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि अपवाद को कभी नियम का स्थान नहीं दिया जा सकता। यहाँ एक बात जो विचारणीय है वह यह कि मौलिक नियमों की निरपेक्षता भी उनकी अपरिवर्तनशीलता या उनके स्थायित्व के आधार पर ही है, साध्य की अपेक्षा से तो वे भी सापेक्ष हो सकते हैं।

जो नैतिक विचारधाराएँ मात्र निरपेक्षतावाद को स्वीकार करती हैं वे यथार्थ की भूमिका को भूलकर मात्र आदर्शों की ओर देखती हैं। वे नैतिक आदर्शों को तो प्रस्तुत कर देती हैं किन्तु उस मार्ग का निर्धारण करने में सफल नहीं हो पाती जो उस साध्य एवं आदर्श तक ले जाता है, क्योंकि, नैतिक आचरण एवं व्यवहार तो परिस्थिति सापेक्ष होता है। नैतिकता एक लक्ष्योन्मुख गति है। लेकिन यदि उस गति में व्यक्ति की दृष्टि मात्र

उस यथार्थ भूमिका तक हो, जिसमें वह खड़ा है, सीमित है तो वह कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता, वह पथभ्रष्ट हो सकता है। दूसरी ओर वह व्यक्ति, जो गन्तव्य की ओर तो देख रहा है किन्तु उस मार्ग को नहीं देख रहा है जिसमें वह गति कर रहा है, मार्ग में वह ठोकर खाता है और कण्टको से अपने को पद विद्ध कर लेता है। जिस प्रकार चलने के उपक्रम में हमारा काम न तो मात्र सामने देखने से चलता है और न मात्र नीचे देखने से ही, उसी प्रकार नैतिक प्रगति में हमारा काम न तो मात्र निरपेक्ष दृष्टि से चलता है और न मात्र सापेक्ष दृष्टि से चलता है। निरपेक्षतावाद उस स्थिति की उपेक्षा कर देता है जिसमें व्यक्ति खड़ा है, जबकि सापेक्षतावाद उस आदर्श या साध्य की उपेक्षा करता है जो कि गन्तव्य है। इसी प्रकार निरपेक्षतावाद सामाजिक नीति की उपेक्षा कर मात्र वैयक्तिक नीति पर बल देता है, किन्तु व्यक्ति समाजनिरपेक्ष होकर नहीं जी सकता। पुनः निरपेक्षवादी नीति में साध्य की सिद्धि ही प्रमुख होती है, किन्तु वह साधन उपेक्षित बना रहता है जिसके बिना साध्य की सिद्धि सम्भव नहीं है। अतः सम्यक् नैतिक जीवन के लिए नीति में सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों तत्वों की अवधारणा को स्वीकार करना आवश्यक है।^१

उत्सर्ग और अपवाद की समस्या^२

जैन नैतिक विचारणा में नैतिकता के सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों रूप स्वीकृत हैं। लेकिन उसमें भी निरपेक्षता दो भिन्न अर्थों में प्रयुक्त है। प्रथम प्रकार की निरपेक्षता वह है जिसमें आचार के सामान्य या मौलिक नियमों को निरपेक्ष माना जाता है और विशेष नियमों को सापेक्ष माना जाता है, जैसे अहिंसा सामान्य या सार्वभौम नियम है, लेकिन फलाहार विशेष नियम है। जैन परिभाषा में कहे तो श्रमण के मूलगुण सामान्य नियम हैं और इस प्रकार निरपेक्ष है, जबकि उत्तरगुण विशेष नियम हैं, सापेक्ष हैं। आधार के सामान्य नियम देशकालगत विभेद में भी अपनी मूलभूत दृष्टि के आधार पर निरपेक्ष प्रतीत होते हैं। लेकिन इस प्रकार की निरपेक्षता वस्तुतः सापेक्ष ही है। आचरण के जिन नियमों का विधि और निषेध जिस सामान्य दशा में किया गया है, उसकी अपेक्षा से आचरण के वे नियम उसी रूप में आचरणीय हैं। व्यक्ति सामान्य स्थिति में उन नियमों के परिपालन में किसी अपवाद या छूट की अपेक्षा नहीं कर सकता। यहाँ पर भी सामान्य दशा का विचार व्यक्ति एवं उसकी देशकालगत बाह्य परिस्थितियों के सन्दर्भ में किया गया

है, अर्थात् यदि व्यक्ति स्वस्थ है और देशकालगत परिस्थितियाँ भी वे ही हैं जिनको ध्यान में रखकर विधि या निषेध किया गया है, तो व्यक्ति को उन नियमों तथा कर्तव्यों का पालन भी तदनु रूप करना होगा। जैन परिभाषा में इसे “उत्सर्ग-मार्ग” कहा जाता है, जिसमें साधक को नैतिक आचरण शास्त्रों में प्रतिपादित रूप में ही करना होता है। उत्सर्ग नैतिक विधि-निषेधों का सामान्य कथन है। जैसे मन, वचन, काय से हिंसा न करना, न करवाना, न करने वाले का समर्थन करना। लेकिन जब इन्हीं सामान्य विधि-निषेधों को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में शिथिल कर दिया जाता है, तब नैतिक आचरण की उस अवस्था को “अपवाद-मार्ग” कहा जाता है। उत्सर्ग मार्ग अपवाद-मार्ग की अपेक्षा से सापेक्ष है, लेकिन जिस परिस्थितिगत सामान्यता के तत्व को स्वीकार कर उत्सर्ग-मार्ग का निरूपण किया जाता है, उस सामान्यता के तत्व की दृष्टि से निरपेक्ष ही होता है। अपवाद की अवस्था में सामान्य नियम का भंग हो जाने से उसकी मान्यता खण्डित नहीं हो जाती, उसकी सामान्यता या सार्वभौमिकता समाप्त नहीं हो जाती। मान लीजिए, हम किसी निरपराध प्राणी की जान बचाने के लिए असत्य बोलते हैं, इससे सत्य बोलने का सामान्य नियम खण्डित नहीं होता। अपवाद न तो कभी मौलिक नियम बन सकता है, न अपवाद के कारण उत्सर्ग की सामान्यता या सार्वभौमिकता ही खण्डित होती है। उत्सर्ग-मार्ग को निरपेक्ष कहने का प्रयोजन यही होता है कि वह मौलिक होता है, यद्यपि उन मौलिक नियमों पर आधारित बहुत से विशेष नियम हो सकते हैं। उत्सर्ग-मार्ग अपवाद-मार्ग का वाध नहीं करता है, वह तो मात्र इतना ही बताता है कि अपवाद सामान्य नियम नहीं बन सकता। डा० श्रीचन्द के शब्दों में, “निरपेक्षवाद (उत्सर्ग-मार्ग) सभी नियमों की सार्वभौमिकता सिद्ध नहीं करना चाहता, परन्तु केवल सभी मौलिक नियमों की सार्वभौमिकता सिद्ध करना चाहता है।”^३ उत्सर्ग की निरपेक्षता देश, काल एवं व्यक्तिगत परिस्थितियों के अन्दर ही होती है, उससे बाहर नहीं। उत्सर्ग और अपवाद नैतिक आचरण की विशेष पद्धतियाँ हैं। लेकिन दोनों ही किसी एक नैतिक लक्ष्य के लिए हैं, इसलिए दोनों नैतिक हैं। जैसे, दो मार्ग यदि एक ही नगर तक पहुँचाते हों, तो दोनों ही मार्ग होंगे, अमार्ग नहीं, वैसे ही अपवादात्मक नैतिकता का सापेक्ष स्वरूप और उत्सर्गात्मक नैतिकता का निरपेक्ष स्वरूप दोनों ही नैतिकता के स्वरूप हैं और कोई भी अनैतिक नहीं है।

१ देखें—जैन, बौद्ध और गीता के आचार दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन, भाग १, पृ. ७७-७८।

२ वही पृ. ६७-६९।

३ नीतिशास्त्र का परिचय, डा. श्रीचन्द, पृ. १२२।

लेकिन नैतिक निरपेक्षता का एक रूप और है, जिसमें वह सदैव ही देश, काल एव व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठी होती है। नैतिकता का वह निरपेक्ष रूप अन्य कुछ नहीं, स्वयं 'नैतिक आदर्श' ही है। नैतिकता का लक्ष्य एक ऐसा निरपेक्ष तथ्य है जो सारे नैतिक आचरणों के मूल्यांकन का आधार है। नैतिक आचरण की शुभाशुभता का अंकन इसी पर आधारित है। कोई भी आचरण, चाहे वह उत्सर्ग-मार्ग से हो या अपवाद-मार्ग से, हमें उस लक्ष्य की ओर ले जाता है जो शुभ है। इसके विपरीत जो भी आचरण इस नैतिक आदर्श से विमुख करता है, वह अशुभ है, अनैतिक है। नैतिक जीवन के उत्सर्ग और अपवाद नामक दोनो मार्ग इसी की अपेक्षा से सापेक्ष हैं और इसी के मार्ग होने से निरपेक्ष भी, क्योंकि मार्ग के रूप में किसी स्थिति तक इससे अभिन्न भी होते हैं और यही अभिन्नता उनको निरपेक्षता का यथार्थ तत्व प्रदान करती है। लक्ष्यरूपी नैतिक चेतना के सामान्य तत्व के आधार पर ही नैतिक जीवन के उत्सर्ग और अपवाद दोनो मार्गों का विधान है। लक्ष्यात्मक नैतिक चेतना ही उनका निरपेक्ष तत्व है, जबकि आचरण का साधनात्मक मार्ग सापेक्ष तथ्य है। लक्ष्य या नैतिक आदर्श नैतिकता की आत्मा है और बाह्य आचरण उसका शरीर है। अपनी आत्मा के रूप में नैतिकता निरपेक्ष है, लेकिन अपने शरीर के रूप में वह सदैव सापेक्ष है। इस प्रकार जैन दर्शन में नैतिकता के दोनो ही पक्ष स्वीकृत हैं। वस्तुतः नैतिक जीवन की सम्यक् प्रगति के लिए दोनो ही आवश्यक हैं। जैसे लक्ष्य पर पहुँचने के लिए यात्रा और पढाव दोनो आवश्यक हैं वैसे ही नैतिक जीवन के लिए भी दोनो पक्ष आवश्यक हैं। कोई भी एक दृष्टिकोण समुचित और सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। समकालीन नैतिक चिन्तन में भी जैन दर्शन के इसी दृष्टिकोण का समर्थन मिलता है।

सदाचार और दुराचार का निर्धारण कैसे हो ?

(अ) गीतार्थ का आदेश

सापेक्ष नैतिकता में जनसाधारण के द्वारा कर्तव्याकर्तव्य का निश्चय करना सरल नहीं है। अतः जैन नैतिकता में सामान्य व्यक्ति के मार्गदर्शन के रूप में "गीतार्थ" की योजना की गई है। गीतार्थ वह आदर्श व्यक्ति है जिसका आचरण जनसाधारण के लिए प्रमाण होता है। गीता के आचारदर्शन में भी जनसाधारण के लिए मार्गदर्शन के रूप में श्रेष्ठजन के आचार को ही प्रमाण माना गया है। गीता स्पष्ट रूप में कहती है कि श्रेष्ठ

या आर्हमज्ञानी पुरुष जिस प्रकार आचरण करता है, साधारण मनुष्य भी उसी के अनुरूप आचरण करते हैं। वह आचरण के जिस प्रारूप को प्रामाणिक मानकर अंगीकार करता है लोग भी उसी का अनुकरण करते हैं।^१ महाभारत में भी कहा है कि महाजन जिन मार्ग से गये हो वही धर्म मार्ग है।^२ यही बात जैनागम उत्तराध्ययन में इस प्रकार कही गई है, "बुद्धिमान आचार्यों (आर्यजन) के द्वारा जिस धार्मिक व्यवहार का आचरण किया गया है उसे ही प्रामाणिक मानकर तदनु रूप आचरण करने वाला व्यक्ति कभी भी निन्दित नहीं होता है।"^३ पाश्चात्य विचारक ब्रैंडले के अनुसार भी नैतिक आचार की शुभाशुभता का निश्चय आदर्श व्यक्ति के चरित्र के आधार पर किया जा सकता है।^४

उपाध्याय अमर मुनि^५ के अनुसार जैन विचारणा नैतिक मर्यादाओं को न तो इतनी कठोर ही बनाती है कि व्यक्ति उनके अन्दर स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण न कर सके, न ही इतनी अधिक लचीली कि व्यक्ति इच्छानुसार उन्हें मोड़ दे। जैन विचारणा में नैतिक मर्यादाएँ दुर्ग के खण्डहर जैसी नहीं हैं जिसमें विचरण की पूर्ण स्वतन्त्रता तो होती है, लेकिन शत्रु के प्रविष्ट होने का सदा भय बना रहता है। वह तो सुदृढ चार दीवारियों से युक्त उस दुर्ग के समान है जिसके अन्दर व्यक्ति को विचरण की स्वतन्त्रता है और विशेष परिस्थितियों में वह उससे बाहर भी आ-जा सकता है लेकिन शर्त यही है कि ऐसी प्रत्येक स्थिति में उसे दुर्ग के द्वारपाल की अनुज्ञा लेनी होगी। जैन विचारणा के अनुसार नैतिकता के इस दुर्ग का द्वारपाल वह "गीतार्थ" है जो देश, काल एव वैयक्तिक परिस्थितियों को समुचित रूप में समझकर सामान्य व्यक्ति को अपवाद के क्षेत्र में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा देता है। अपवाद की अवस्था के सम्बन्ध में निर्णय देने का एव यथा-परिस्थिति अपवाद मार्ग में आचरण करने अथवा दूसरे को कराने का समस्त उत्तरदायित्व "गीतार्थ" पर ही रहता है। गीतार्थ वह व्यक्ति होता है जो नैतिक विधि-निषेध के आचारांगादि आचारसहिता का तथा निशीथ आदि छेदसूत्रों का मर्मज्ञ हो एवं स्व-प्रज्ञा से देश, काल एव वैयक्तिक परिस्थितियों को समझने में समर्थ हो। गीतार्थ वह है जिसे कर्तव्य और अकर्तव्य के लक्षणों का यथार्थ ज्ञान है,^६ जो आय-व्यय, कारण-अकारण, अगाढ (रोगी, वृद्ध) अनागाढ, वस्तु-अवस्तु, युक्त-अयुक्त, समर्थ-असमर्थ, यतना-अयतना का सम्यग्ज्ञान रखता है, साथ ही समस्त कर्तव्य कर्म के परिणामों को भी जानता है,

१ गीता, ३/२१।

२ उत्तराध्ययन, १/४२।

३ देखें— श्री अमर भारती १९६४ में क्रमशः प्रकाशित उत्सर्ग और अपवाद पर उपाध्याय अमरमुनिजी के लेख।

४ अभिधानराजेंद्रकोश, खण्ड ३, पृ. ६०२।

५ महाभारत, वनपर्व, ३१२/११५।

६ एथिकल स्टडीज, पृ. १६६, २२६।

वही विधिवान गीतार्थ है।^१

(ब) मार्गदर्शक रूप में शास्त्र

यद्यपि जैन विचारणा के अनुसार परिस्थिति विशेष में कर्तव्याकर्तव्य का निर्धारण "गीतार्थ" करता है, तथापि गीतार्थ भी व्यक्ति है, अतः उसके निर्णयो में भी मनपरतावाद की सम्भावना रहती है। उसके निर्णयो को वस्तुनिष्ठता प्रदान करने के लिए उसके मार्ग-निर्देशक के रूप में शास्त्र है। सापेक्ष नैतिकता को वस्तुगत आधार देने के लिए ही शास्त्र को भी स्थान दिया गया। गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि कार्य-अकार्य की व्यवस्था देने में शास्त्र प्रमाण है।^२ लेकिन यदि शास्त्र को ही कर्तव्याकर्तव्य के निश्चय का आधार बनाया गया, तो नैतिक सापेक्षता पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह सकती। परिस्थितियाँ इतनी भिन्न-भिन्न होती हैं कि उन सभी परिस्थितियों के सन्दर्भों सहित आचार-नियमों का विधान शास्त्र में उपलब्ध नहीं हो सकता। परिस्थितियाँ सतत परिवर्तनशील हैं, जबकि शास्त्र अपरिवर्तनशील होता है। अतः शास्त्र को भी सभी परिस्थितियों के कर्तव्याकर्तव्य का निर्णायक या आधार नहीं बनाया जा सकता। फिर शास्त्र (श्रुतियाँ) भी भिन्न-भिन्न हैं और परस्पर भिन्न नियम भी प्रस्तुत करते हैं, अतः वे भी प्रामाणिक नहीं हो सकते।^३ इस प्रकार सापेक्ष नैतिकता में कर्तव्याकर्तव्य के निश्चय की समस्या रहती है, शास्त्र के आधार पर उसका पूर्ण समाधान सम्भव नहीं है।

(स) निष्पक्ष बौद्धिक प्रज्ञा ही अन्तिम निर्णायक

इस समस्या के समाधान में हमें जैन दृष्टिकोण की एक विशेषता देखने को मिलती है। वह न तो एकान्त रूप में शास्त्र को ही सारे विधि-निषेध का आधार बनाता है, न व्यक्ति को ही, उसके अनुसार शास्त्र मार्गदर्शक है, लेकिन अन्तिम निर्णायक नहीं। अन्तिम निर्णायक व्यक्ति का राग और वासनाओं से रहित निष्पक्ष विवेक ही है। किसी परिस्थिति विशेष में व्यक्ति का क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इसका निर्णय शास्त्र को मार्गदर्शक मानकर स्वयं व्यक्ति को ही लेना होता है।

आचारशास्त्र का कार्य है व्यक्ति के सम्मुख सामान्य और अपवादात्मक स्थितियों में आचार का स्वरूप प्रस्तुत करना। लेकिन परिस्थिति का निश्चय तो व्यक्ति को ही करना होता है। शास्त्र आदेश नहीं, निर्देश देता है। यही दृष्टिकोण गीता का भी है।^४ गीतोक्त शास्त्रप्रामाण्य भी इस तत्व का पोषक

है। लेकिन शास्त्र का प्रमाण मात्र जानने की वस्तु है, जिसके द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। निर्णय करने का अधिकार तो व्यक्ति के पास ही सुरक्षित है। प्रस्तुत श्लोक का "ज्ञात्वा" शब्द स्वयं ही इस तथ्य को स्पष्ट करता है। पाश्चात्य आचार-दर्शन में भी यह दृष्टिकोण स्वीकृत रहा है। पाश्चात्य पलवादी विचारक जान डिवी लिखते हैं कि नैतिक सिद्धांतों का उपयोग आदेश के रूप में नहीं है, वरन् उस साधन के रूप में है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में कर्तव्य का विश्लेषण किया जा सके। नैतिक सिद्धांतों का कार्य उन दृष्टिकोणों और पद्धतियों को प्रस्तुत कर देना है जो व्यक्ति को इस योग्य बना सके कि जिस विशेष परिस्थिति में वह है, उसमें शुभ और अशुभ का विश्लेषण कर सके।^५ इस प्रकार अन्तिम रूप में तो व्यक्ति की निष्पक्ष प्रज्ञा ही कर्तव्याकर्तव्य के निर्धारण में आधार बनती है। जहाँ तक सापेक्ष नैतिकता को मनपरतावाद के ऐकात्मिक दोषों से बचाने का प्रश्न है, जैन दार्शनिकों ने उसके लिए "गीतार्थ" (आदर्श व्यक्ति) एवं "शास्त्र" के वस्तुनिष्ठ आधार भी प्रस्तुत किये हैं, यद्यपि इनका अन्तिम स्रोत निष्पक्ष प्रज्ञा ही मानी गयी।

आचार-प्रज्ञप्ति

जैन आचार्यों ने सदाचरण या सम्यक् चारित्र्य का विवेचन एवं वर्गीकरण विविध आधारों पर किया है। चूंकि प्रस्तुत ग्रन्थ में प्राचीन परम्परा के अनुसार आचार का विवेचन—(१) ज्ञानाचार, (२) दर्शनाचार, (३) चारित्र्याचार, (४) तपाचार और (५) वीर्याचार के रूप में हुआ है (स्थानाग ५/२/४३३)। अतः हमने भी इसे उसी रूप में उनका विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। यहाँ ज्ञान, दर्शन आदि का अन्तर्भाव आचार में इसलिए किया गया है कि ज्ञान और दर्शन मात्र जानने तथा आस्था रखने के विषय नहीं हैं। वे जीवन में जीने के लिए हैं। उनका आचरण करना होता है। ज्ञान, दर्शन आदि का यही आचरण-त्मक पक्ष ज्ञानाचार, दर्शनाचार कहा जाता है। इसी प्रकार आराधना की चर्चा के प्रसंग में भी ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना और चारित्र्य आराधना की चर्चा हुई है। इसी प्रकार तपा-आराधना का उल्लेख भी जैन साहित्य में हुआ है। इसका तात्पर्य भी यही है कि उनकी साधना की जानी चाहिए। यह साधना की प्रक्रिया ही आचार कही जाती है इसे हम ज्ञान, दर्शन आदि का व्यवहार पक्ष भी कह सकते हैं।

१ बृहत्कल्पभाष्य, ६५१।

२ महाभारत, वनपर्व, ३१२/११५।

४ तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यं व्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं मिहांहंसि ॥

५ कण्टेम्पररि एयिकल थोरीज, पृ. १६३।

२ गीता, १६/२४।

ज्ञान और ज्ञानाचार

आगम साहित्य में पाँच प्रकार के आचारों की चर्चा के प्रसंग में सर्वप्रथम ज्ञानाचार का विवेचन हुआ है। ज्ञानाचार शब्द ज्ञान + आचार से मिलकर बना है। ज्ञान के माथ आचार शब्द का प्रयोग सामान्यतया विचित्र मा लगता है। जब हम त्रिविध साधना मार्ग में सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन और सम्यक् चारित्र्य को अलग-अलग करते हैं तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से खड़ा हो जाता है कि यदि ज्ञान चारित्र्य से भिन्न है तो ज्ञान की आचार कैसे माना जाये। सामान्यतया जानना और करना दो भिन्न स्थितियाँ हैं अतः इन्हें अलग-अलग ही मानना चाहिये। मेरी दृष्टि में ज्ञानाचारों जब ज्ञानाचार की चर्चा करते हैं तो उनका तात्पर्य ज्ञान से न होकर ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया से होता है। ज्ञान प्राप्त कैसे किया जाये यह तथ्य मुख्यतया आचार पक्ष से सम्बन्धित है और इसी आधार पर ज्ञान-प्राप्ति की प्रक्रिया (Process) को ज्ञानाचार कहा गया है।

ज्ञान-प्राप्ति का उद्देश्य

ज्ञानाचार्यों ने सर्वप्रथम ज्ञान-प्राप्ति के उद्देश्य को स्पष्ट किया है। ज्ञान-प्राप्ति के चार उद्देश्य बताये गये हैं—(१) मुझे श्रुत (आगम-ज्ञान) प्राप्त होगा इसलिए अध्ययन करना चाहिए, (२) मैं एकान्त-चित्त होऊँगा इसलिए अध्ययन करना चाहिए, और (३) मैं धर्म में स्थित होऊँगा इसलिए अध्ययन करना चाहिए, और (४) मैं धर्म में स्थित होकर दूसरों को उसमें स्थिर करूँगा इसलिए अध्ययन करना चाहिए।¹ वस्तुतः इस प्रसंग में “ज्ञान ज्ञान के लिए” (Knowledge for Knowledge's sake) इस सिद्धांत को न मानकर ज्ञान को चित्तविशुद्धि और सदाचरण या धर्म मार्ग में स्थिरता प्राप्त करने के एक साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार ज्ञान स्वयं साध्य न होकर एक साधन है। ज्ञानी होने का उद्देश्य है चित्तसमाधि को प्राप्त करना और धर्म मार्ग और सदाचार में स्थित होना। इस प्रकार ज्ञान का भी एक प्रायोगिक पक्ष है। ज्ञान का यह प्रायोगिक पक्ष ही ज्ञानाचार है।

ज्ञानाचार की विषयवस्तु

इस चरणानुयोग नामक प्रस्तुत सकलनात्मक ग्रन्थ में ज्ञानाचार की चर्चा करते हुए उसे पूर्वोक्त आठ ज्ञान आचारों में विभक्त किया गया है। सर्वप्रथम हम इस ग्रन्थ में ज्ञानाचार के अन्तर्गत किन-किन मुख्य विषयों का संकलन हुआ है, इसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना चाहेंगे। इस ग्रंथ में प्रथम काल ज्ञानाचार के अन्तर्गत स्वाध्याय या ज्ञान साधना के लिए उपयुक्त और अनुपयुक्त काल की चर्चा की गई है और यह बताया गया

है कि साधक को किम ममय अध्ययन करना चाहिए और किम समय नहीं। इसके साथ ही दैशिक एवं कालिक उन विशेष परिस्थितियों का चिन्तन किया गया है जिनमें उपस्थित हो जाने पर अध्ययन या स्वाध्याय करने का वर्जन किया गया है।

इसी प्रकार द्वितीय विनय ज्ञानाचार के अन्तर्गत ज्ञान-प्राप्ति के लिए विनय की क्या आवश्यकता है, अविनय के क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसकी चर्चा की गई है। साथ ही यह बताया गया है कि आचार्य और शिष्य के पारस्परिक कर्तव्य क्या हैं? इसी के अन्तर्गत आचार्य की विनय प्रतिपत्ति और शिष्य की विनय प्रतिपत्ति का विवेचन किया गया है। इसके साथ ही विनय के स्वरूप और उसके भेद प्रभेदों का विस्तृत चित्रण किया गया है। ज्ञानाचार की इस चर्चा के प्रसंग में विनय-ज्ञानाचार पर प्रस्तुत ग्रंथ में सर्वाधिक चर्चा उपलब्ध होती है। कारण यह है कि आगम साहित्य में इस विषय पर विशद विवरण उपलब्ध होता है। गुरु और शिष्य के पारस्परिक सम्बन्धों की चर्चा के बाद इसमें विनय के प्रकार, उसके स्वरूप, उसकी उपमाएँ, अविनीत और सुविनीत का अन्तर आदि की चर्चा हुई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि अविनीत और सुविनीत आचार-व्यवहार का स्वयं उस पर तथा संघ पर क्या प्रभाव होता है? इसी प्रसंग में शिक्षा प्राप्ति के अयोग्य व्यक्तियों और शिक्षा प्राप्ति में बाधक कारणों की चर्चा की गई है। अन्त में गुरु आचार्य और वरिष्ठ मुनि (रातिनक) की अवहेलना (आशातना) या उपेक्षा का क्या परिणाम होता है इसकी चर्चा की गई है तथा आचार्य आदि के अविनय या अवहेलना (आशातना) करने पर निश्चित प्रायश्चित्तों का विधान किया गया है।

तृतीय बहुमान-ज्ञानाचार के अन्तर्गत आचार्य की महिमा, आचार्य की सेवा या फल और आचार्यों के विविध प्रकारों का विस्तार से उल्लेख हुआ है। उसके पश्चात् आचार्य अथवा गुरु की उपासना कैसे करनी चाहिए, उसकी सेवा-शुश्रूषा का क्या फल होता है यह बताया गया है। इसी के प्रसंग में गुरु के साम्निध्य में रहने अर्थात् गुरुकुल में निवास करने के महत्व की चर्चा की गई है। उसके पश्चात् शिष्य द्वारा गुरु से प्रश्न करने और गुरु के द्वारा उनके उत्तर देने की विधि का उल्लेख हुआ है। इसी प्रसंग में यह भी बताया गया है कि उत्तर देते समय गुरु को शिष्य से सत्य को नहीं छिपाना चाहिए। इसी चर्चा के प्रसंग में बहुश्रुत (ज्ञानी) के प्रकारों की चर्चा की गई है। बहुश्रुत की यह चर्चा उत्तराध्ययन ११वें अध्याय में भी विस्तार से उपलब्ध है, जिसका यहाँ संकलन किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत ग्रंथ में कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार का विस्तृत

विवरण सकलन किया गया है। लेकिन ज्ञानाचार के शेष उप-धानाचार, अनिन्दुवाचार, व्यंजन ज्ञानाचार, अर्थज्ञानाचार, तदुभय ज्ञानाचार की सक्षिप्त चर्चा उपलब्ध होती है। यद्यपि इन विषयो की भी विस्तृत चर्चा आगमिक व्याख्या साहित्य में उपलब्ध हो जाती है। चूँकि प्रस्तुत ग्रंथ में आगमों से ही विषयो का संकलन किया गया है अतः आगमों में ही उनका विस्तृत विवेचन उपलब्ध नहीं होने से अनुयोग के कर्ता ने इनका यहाँ संक्षेप में ही उल्लेख किया है। आगे हम इन सबकी चर्चा करेंगे।

आचारांग की टीका में श्रीलाक ने आठ प्रकार के ज्ञानाचारों का उल्लेख किया है—(१) कालाचार, (२) विनयाचार, (३) बहुमानाचार, (४) उपधानाचार, (५) अनिन्दुवाचार, (६) व्यंजनाचार, (७) अर्थाचार और (८) उभयाचार।^१ वस्तुतः इन आठ ज्ञानाचारों में मुख्य रूप से ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया का ही विवेचन किया गया है।

(१) कालाचार^२

कालाचार में ज्ञान-प्राप्ति के उपयुक्त समय का विचार किया गया है। जैन परम्परा यह मानती है कि प्रथम वय से लेकर अन्तिम वय तक अर्थात् बाल्यकाल से लेकर वृद्धावस्था तक ज्ञान की साधना की जा सकती है। दूसरे शब्दों में ज्ञान-प्राप्ति की साधना जीवन पर्यन्त चल सकती है। जैन आचार्यों ने इस सम्बन्ध में भी विस्तार से चर्चा की है कि स्वाध्याय और ज्ञानार्जन के लिए उपयुक्त समय कौन-सा है? सामान्यतया तो सभी कालों को ज्ञान-प्राप्ति के योग्य माना गया है, फिर भी मुख्य रूप से दिवस और रात्रि के प्रथम और अन्तिम प्रहरों को स्वाध्याय के लिए अधिक उपयुक्त काल माना गया है। इन्हें क्रमशः पूर्वान्ह, अपरान्ह, प्रदोष और प्रत्यूप कहा गया है। स्वाध्याय के या ज्ञानार्जन के लिए निषिद्ध समय की चर्चा करते हुए यह बताया गया है कि सूर्योदय का काल, सूर्यास्त का काल, मध्यान्ह और अर्ध रात्रि का काल, ये चार काल अथवा चार संध्याएँ स्वाध्याय के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसी प्रकार से स्थानांग में भी उन सभी स्थितियों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है जिनमें स्वाध्याय नहीं की जानी चाहिए। इसी प्रकार जैन आचार्यों ने इस सम्बन्ध में भी विस्तार से चर्चा की है कितनी दीक्षा-पर्याय वाले व्यक्ति को किस आगम का अध्ययन कराया जाना चाहिये। अध्ययन के लिए उपयुक्त वय, समय और साधनात्मक परिपक्वता का विचार ही कालाचार है।

(२) विनयाचार^३

विनयाचार में इस तथ्य की विस्तार से चर्चा की गई है कि गुरु शिष्य का सम्बन्ध कैसा होना चाहिये और शिष्य को गुरु या आचार्य के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए। दुर्भाग्य से आज जब शिक्षा एक व्यवसाय बन गया है उसमें विनय का स्थान गौण हो गया है। आज तो ज्ञान के लिए गुरु का होना भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। किन्तु जब ज्ञान गुरु-मुख से ही उपलब्ध होता था तब यह अपरिहार्य था कि शिष्य का गुरु के प्रति आदर या श्रद्धा भाव रहे क्योंकि आचार्य या गुरु की प्रसन्नता पर ही ज्ञान की उपलब्धि सम्भव थी। इस चर्चा के प्रसंग में जैन आगमों में आचार्य का स्वरूप और उसके विभिन्न भेद विस्तार से उल्लिखित हैं। इसी प्रसंग में यह भी बताया गया है कि आचार्य, उपाध्याय, गुरु और सहयोगी साधको की सेवा का क्या फल मिलता है। उसमें यह बताया गया है कि तथारूप अर्थात् गुण सम्पन्न आचार्य की पर्युपासना करने से धर्म श्रवण का लाभ मिलता है। धर्म श्रवण से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से विज्ञान अर्थात् विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति हेय का परित्याग करता है उसके फलस्वरूप शनाश्रव की प्राप्ति होती है। अनाश्रव से तप का विकास होता है, तप से निर्जरा या कर्म नाश होता है और जिससे अन्त में अयोग अवस्था या मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसी प्रसंग में यह भी बताया गया है कि साधक के लिए गुरुकुलवास अर्थात् गुरु के सान्निध्य में रहने की क्या उपयोगिता है। यह स्पष्ट है कि गुरु के सान्निध्य में रहने से एक ओर व्यक्ति का हृदय शकाओं से आक्रांत नहीं होता है, क्योंकि शका होने पर उसके समाधान के लिए गुरु का सान्निध्य बना रहता है। दूसरी ओर उसके चारित्र्य का भी अनुरक्षण होता है क्योंकि गुरु का सान्निध्य होने पर वह सहज रूप से चारित्र्य के दोषों को सेवन में अग्रसर नहीं हो पाता है। इसी प्रसंग में इस तथ्य की चर्चा भी उपलब्ध होती है कि गुरु को शिष्य से सत्य को नहीं छिपाना चाहिए। अपसिद्धांत का आश्रय लेकर आगम-पाठ को तोड़-मरोड़ कर व्याख्या नहीं करनी चाहिए और न स्वयं अपने ज्ञान का अहंकार प्रदर्शित करना चाहिए। उसे प्राप्त और साधक प्रश्नकर्ता या श्रोता की उपेक्षा या परिहास भी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से आचार्य को शिष्य की शंकाओं का किस प्रकार समाधान करना चाहिए, इसकी भी विस्तार से चर्चा की गई है। दूसरे शब्दों में शिष्य के साथ-साथ गुरु के

१ आचारांग टीका, १/१/७, (च पृ. ५५)।

२ च. पृ. ७०-६६।

३ च. पृ. ६२-६८।

दायित्व बोध को भी स्पष्ट किया गया है। इसी प्रसंग में उत्तराध्ययन ११वें अध्याय के आधार पर कौन व्यक्ति श्रद्धा के योग्य बहुश्रुत हो सकता है, इसकी विवेचना की गई है। उत्तराध्ययन के प्रथम एवं ग्यारहवें अध्याय में तथा दशवैकालिक के नवें अध्याय में विनीत-अविनीत लक्षणों की विस्तृत चर्चा है। इसी प्रकार सुयोग्य शिष्य को कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस प्रसंग में दशाश्रुतस्कन्ध में ३३ आशतनाओं का उल्लेख है। अनुयोगकर्ता ने इन सभी तथ्यों को प्रस्तुत कृति में संकलित कर दिया है।

उपघानाचार

जैन परम्परा में ज्ञान साधना को तप साधना के साथ जोड़ा गया है, जिसे उनकी पारम्परिक भाषा में उपघान कहा जाता है। प्राचीन काल से ही हमें इस तथ्य के संकेत उपलब्ध होते हैं कि किस आगम का अध्ययन करते समय शिष्य को किस प्रकार का तप करना चाहिए। इस प्रकार जहाँ एक ओर जैनाचार्यों ने ज्ञान-साधना और तप-साधना को परस्पर जोड़ा है वहाँ आगम साहित्य में ऐसे भी प्रसंग हैं जहाँ नवदीक्षित एवं अध्ययनशील शिष्य के लिए कठोर एवं दीर्घकालिक तपो का नियम किया गया है।

अनिन्दवाचार

अनिन्दवाचार का सामान्य अर्थ है कि सत्य सिद्धांत और अपने विद्या-गुरु के नाम को छिपाना नहीं चाहिये। सामान्यतया व्यक्ति अपने आप को बहुश्रुत या विद्वान सिद्ध करने के लिए अपने ज्ञानदाता गुरुजनों की उपेक्षा करता है और उनका नामादि नहीं बताता है। यह प्रसंग विशेष रूप से उस समय उपस्थित होता है जब शिष्य और गुरु में मतभेद उपस्थित हो जाता है और वह अपने गुरु से पृथक् होकर और स्वयं अपने ही नाम से सिद्धांत का प्रचार करता है। निन्दव शब्द का अर्थ सत्य को छिपाना है। अनेक वार व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी अपनी चारित्रिक कमजोरियों के कारण या अपनी सुविधा के लिए उसे तोड़-मरोड़कर व्याख्यायित करता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति सामान्यतया सुविधावाद शिथिलाचारी व्यक्तियों में पायी जाती है। वस्तुतः अनिन्दवाचार का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति को अपने अहंकार के पोषण के लिये अथवा अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिये सत्य को विवृत्त नहीं करना चाहिये। वस्तुतः यह एक प्रकार से ज्ञान के क्षेत्र में प्रामाणिक बने रहने की शिक्षा है। जैनधर्म में आगम-पाठों को अपनी सुविधा के लिए तोड़-मरोड़ कर व्याख्या करना ममीचीन नहीं माना गया है।

व्यंजनाचार, अर्थाचार और उभयाचार

व्यंजनाचार का तात्पर्य शब्दों के उच्चारण की शुद्धता को बनाये रखना है। यह पाठ-शुद्धि की साधना है। आगम ग्रन्थों में

आये हुए स्वर और व्यञ्जन का अन्यथा उच्चारण नहीं करना यही व्यंजनाचार है, क्योंकि उच्चारणभेद से पाठभेद और पाठ-भेद होने से अर्थभेद होने की सम्भावना बनी रहती है। अतः उस युग में जब सम्पूर्ण ज्ञान श्रुत-परम्परा से संचित रहता था तब व्यंजनाचार का अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान था। वस्तुतः यह ग्रन्थ के मूलपाठ को यथावत् सुरक्षित रखने की एक शैक्षिक प्रणाली थी, जो कि आगम पाठों को यथावत् एवं प्रामाणिक बनाये रखने के लिए आवश्यक थी।

इसी प्रकार आगम में आये हुए प्रत्येक शब्द का उसके सन्दर्भ के अनुकूल सही अर्थ करना अर्थाचार है। सामान्यतया प्रत्येक भाषा में और विशेष रूप से प्राकृत भाषा में एक ही शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। जैसे—“सुह” शब्द “सुख” और “शुभ” दोनों का वाचक है या “सत्य” शब्द शास्त्र और शस्त्र दोनों का वाचक है। अतः आगमिक पाठों के अर्थ निर्धारण करने में प्रामाणिकता को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक माना गया कि अध्ययन में शुद्ध उच्चारण और सम्यक अर्थ का प्रतिपादन आवश्यक है। शब्द के उच्चारण और अर्थ निर्धारण की संयुक्त प्रक्रिया तदुभयाचार कही जाती है।

ज्ञानार्जन के क्षेत्र में और उसके प्रतिपादन के क्षेत्र में किस प्रकार की सावधानी अपेक्षित है इसकी चर्चा सूत्रकृताग में उपलब्ध होती है। उममें कहा गया है कि शास्ता के प्रति श्रद्धा रखते हुये श्रमण को न तो आगम का अन्यथा उच्चारण करना चाहिये और न आगम के अर्थ को छिपाना या दूषित करना चाहिये। गुरु से जिस प्रकार सूत्रार्थ की व्याख्या सुनी है उसे गुरु के निर्देशपूर्वक यथावत् प्रतिपादन करना चाहिए। क्योंकि सूत्र के अशुद्ध उच्चारण से अर्थभेद होता है। अर्थभेद से क्रिया भेद होता है, क्रियाभेद से सम्यक् आचार के अभाव में निर्जरा नहीं होती और निर्जरा के नहीं होने से मोक्ष भी नहीं होता। इस प्रकार आगम-पाठ की उच्चारण-शुद्धता और उनके प्रसंगानुसार सम्यक् अर्थ का प्रतिपादन ज्ञानार्जन प्रक्रिया की एक आवश्यक शर्त है।

स्वाध्याय

जैन परम्परा में स्वाध्याय को ज्ञान-साधना का अनिवार्य अंग माना गया है। उत्तराध्ययन सूत्र में मुनि की दैनिक चर्चा या विवेचन करते हुये दिन और रात्रि के आठ पहरो में चार प्रहर स्वाध्याय के लिए, दो प्रहर ध्यान के लिए एक प्रहर शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और एक प्रहर निद्रा के लिए निश्चित किया गया है। इससे जैन साधना के क्षेत्र में ज्ञान की उपासना का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, यह स्पष्ट हो जाता है। जैन आगमों में और परवर्ती ग्रन्थों में स्वाध्याय के लिए अनुपयुक्त काल और स्थान की भी चर्चा की गई है, जिसका

विस्तृत उल्लेख प्रस्तुत चरणानुयोग ग्रन्थ में हुआ है। अतः इस भूमिका में हम इसकी विशेष चर्चा नहीं करेंगे। जहाँ तक स्वाध्याय के स्वरूप का प्रश्न है यह एक विचारणीय प्रश्न है। सामान्यतया स्वाध्याय के निम्न पाँच अंग माने गये हैं—

(१) वाचना—मूल ग्रन्थ एवं उसके अर्थ का पठन-पाठन।

(२) पृच्छना—ग्रन्थ के पठन में उपस्थित शकाओं का समाधान प्राप्त करना।

(३) परिवर्तना—पठित ग्रन्थों की आवृत्ति करना या उनका पुनः पठन करना।

(४) अनुप्रेक्षा—पठित विषयों के सम्बन्ध में विशेष रूप से चिन्तन करना। स्वाध्याय का यह पक्ष चिन्तन या विमर्श की महत्ता को स्पष्ट करता है।

(५) धर्मकथा—प्रवचन करना या उपदेश देना। वस्तुतः स्वाध्याय का यह अंग इस बात का संकेत करता है कि प्राप्त ज्ञान का वितरण भी ज्ञान-साधना का एक आवश्यक अंग है।

किन्तु मेरी दृष्टि में यह सब स्वाध्याय का एक वाह्य रूप ही है। जैनो की पारम्परिक शब्दावली में इसे द्रव्य-स्वाध्याय भी कह सकते हैं। स्वाध्याय का वास्तविक अर्थ क्या है? वह स्वयं तो उस शब्द की व्युत्पत्ति में ही छिपा हुआ है। स्वाध्याय शब्द स्व+अध्याय से बना है। अध्याय शब्द अध्ययन, पठन एवं मनन का वाचक है। यदि इस दृष्टि से हम इसका अर्थ करें तो इसका एक अर्थ होगा "स्व" अर्थात् स्वयं का अध्ययन। यहाँ यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि स्वयं के अध्ययन से क्या तात्पर्य और साधना के क्षेत्र में इसकी क्या उपयोगिता है? "आत्मान विद्धि" यह उपनिषदों का महत्त्वपूर्ण उद्घोष है। जैन परम्परा में आचाराग आत्मज्ञान की प्राथमिकता को प्रतिपादित करता है। "के अहं आसी" "मैं कौन हूँ" यह उपनिषदों और जैन आगमों का मूल हार्द है, किन्तु हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि वह अमूर्त आत्म तत्त्व जो समस्त ज्ञान प्रक्रिया का आधा है, वह ज्ञान का विषय नहीं बनाया जा सकता, जो ज्ञान का विषय बन सकती है वे हैं व्यक्ति की अनुभूतियाँ और भावनाएँ। व्यक्ति अपनी अनुभूतियों, वृत्तियों, वासनाओं और मनोदशाओं का ज्ञाता हो सकता है। इनका ज्ञाता होना या इनको जानने का प्रयत्न करना ही स्वाध्याय का मूल अर्थ है। स्वाध्याय का तात्पर्य है अपने अन्दर जाकना, स्व की वृत्तियों और वासनाओं को देखना, अपनी मनोदशाओं को पढ़ना। जहाँ तक जैन साधना का प्रश्न है आचाराग में साधक को बार-बार यह कहा जाता है कि तू देव या दृष्टा बन। निश्चित रूप से आध्यात्मिक विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी वासनाओं, मनोवृत्तियों और मनोभावों को जाने क्योंकि दुर्वासनाओं और दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों का

निराकरण तभी सम्भव है। जबकि व्यक्ति उन्हें उस रूप में जाने। जो व्यक्ति अपनी बीमारी और विकृति को जानता है वही चिकित्सा के माध्यम से उसका निवारण कर सकता है। अतः स्व के अध्ययन का तात्पर्य है व्यक्ति अपनी मनोदशाओं और वृत्तियों को जानकर उनका निराकरण करे। जैनागमों में इस आत्मा के अध्ययन को स्वाध्याय नहीं कह कर ध्यान कहा गया है जो स्वाध्याय के बाद की अवस्था है। स्वाध्याय को आत्मज्ञान, चित्त की एकाग्रता (ध्यान) आदि का साधन माना है और आत्मानुभूति की प्रक्रिया को ध्यान कहा है।

हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि चाहे शास्त्र का अध्ययन हो या अपनी वृत्तियों और वासनाओं का अध्ययन। सभी का लक्ष्य हमारे मनोविकारों और वासनाओं का परिशोधन है और आत्म-शोधन की इस प्रक्रिया में ज्ञान मात्र "ज्ञान" न रहकर "ज्ञानाचार" बन जाता है।

जैनाचार्यों ने इन तथ्यों की विस्तारपूर्वक चर्चा की है कि कौन व्यक्ति शिक्षा प्रदान करने के अयोग्य है। बृहत् कल्पसूत्र (४/६) में नपुंसक (पण्डक), कामुक (वातिक) और क्लोव (हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति) को शिक्षा प्रदान करने के अयोग्य कहा गया है। उत्तराध्ययन सूत्र (११/५) में उन कारणों का भी विश्लेषण किया गया है जिनकी उपस्थिति में ज्ञान प्राप्ति सम्भव नहीं है। ये कारण पाँच माने गये हैं—(१) मान (अहंकार), (२) क्रोध, (३) प्रमाद (अनुत्साह), (४) रोग और (५) आलस्य। इस प्रकार जैनागमों में ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया के रूप में ज्ञानाचार का विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है। ज्ञानाचार वस्तुतः, ज्ञान का प्रयोगात्मक या व्यावहारिक पक्ष है। वह ज्ञानोपलब्धि की प्रक्रिया है।

दर्शनाचार

जिस प्रकार ज्ञान को एक आचार अर्थात् साधना की एक विशेष प्रक्रिया माना गया है उसी प्रकार दर्शन को भी साधना की एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसा कि हम पूर्व में संकेत कर चुके हैं जैन परम्परा में दर्शन शब्द ऐन्द्रिक अनुभूति, आध्यात्मिक अनुभूति, आत्मसाक्षात्कार, दृष्टिकोण-विशेष, दार्शनिक-सिद्धांत-विशेष, दार्शनिक अथवा तत्त्वमीमासीय अवधारणाओं के प्रति आस्था, तथा देव, गुरु, धर्म के प्रति आस्था, इन विविध अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। किन्तु जब हम दर्शन शब्द का प्रयोग दर्शनाचार के रूप में करते हैं तो यहाँ हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया विशेष या साधना विशेष से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति सम्यक्-दृष्टिकोण को प्राप्त करता है। अतः हमें दर्शनाचार की विवेचना करते हुए सर्वप्रथम उन तथ्यों पर विचार करना होगा, जिनके द्वारा व्यक्ति का दृष्टिकोण दूषित होता है और फिर उन तथ्यों पर विचार करना होगा, जिससे

व्यक्ति को दृष्टि या श्रद्धा सम्यक् बनती है। क्योंकि दर्शनाचार का तात्पर्य है, व्यक्ति को मिथ्या मान्यताओं से छुटकारा दिना-कर सम्यक् मान्यताओं के प्रति सुस्थिर करना।

जैन परम्परा में अयथार्थ मान्यताओं के रूप में मिथ्या दर्शन की चर्चा करते हुए विपरीत मान्यताओं के नाथ-नाथ आग्रह, अभिनिवेश, एकांत आदि को भी मिथ्यात्व की कोटि में माना गया है। वस्तुतः जैनदर्शन सत्य को अपने सम्पूर्ण रूप में देखने का प्रयत्न करता है। यद्यपि वह यह मानता है कि "अनत-धर्मात्मक वस्तु" के सम्पूर्ण पक्षों का बोध सीमित मानवीय ज्ञान के द्वारा सम्भव नहीं है। अतः अपने ज्ञान की सीमाओं को जानते हुए, दूसरे दृष्टिकोणों या सम्भावनाओं को पूर्णतः असत्य कहकर नहीं नकारना, यथार्थ या सम्यक् दृष्टिकोण का आवश्यक अंग माना गया है। यह स्पष्ट है कि ऐकात्मिक दृष्टिकोण या हमारे पूर्वाग्रह अथवा दुरभिनिवेश सत्य को समझने में बाधक होते हैं अतः सम्यग्दर्शन की उपलब्धि के लिये आवश्यक यह है कि व्यक्ति अपने को दुरभिनिवेश और पूर्वाग्रहों से मुक्त रखे। पाश्चात्य दार्शनिक देकार्त ने भी इस तथ्य की विशेष रूप से चर्चा की है। क्योंकि जब तक व्यक्ति दुराग्रहों से और पूर्वाभिनिवेश से मुक्त नहीं होता तब तक दृष्टि निर्मल नहीं होती और जब तक दृष्टि निर्मल नहीं होती तब तक वह सत्य को यथार्थ रूप में नहीं समझ पाता। जब तक व्यक्ति की दृष्टि पर राग और द्वेष रूपी रंगीन चश्मा चढ़ा हुआ है, वह पूर्वाग्रह और दुरभिनिवेशों से मुक्त नहीं है, तब तक उसके लिये सत्य का दर्शन सम्भव नहीं है। अतः दर्शन-विशुद्धि के लिए अपने पूर्वाग्रह और दुरभिनिवेश को छोड़ना होगा।

जैनागमों और विशेष रूप से सूत्रकृताग में उन ऐकात्मिक मिथ्या धारणाओं का उल्लेख है जिन्हें मुख्यतः क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद और विनयवाद से वर्गीकृत किया गया है किन्तु इसके अतिरिक्त ईश्वरकतृत्ववाद, एकत्ववाद, अण्डे से सृष्टि की उत्पत्ति, नियतिवाद, भौतिकवाद या भोगवाद आदि का भी उल्लेख एवं खण्डन जैनागमों में देखा जाता है। सम्यक्-दर्शन के जिन पाँच लक्षणों की चर्चा हमें जैन आगम साहित्य में मिलती है उनमें समत्व का स्थान पहला है। समभाव, अनासक्ति, पाप कर्मों के प्रति भय, दूसरे प्राणियों को आत्मवत् समझकर उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करना जैसा कि अपने प्रति चाहते हैं और आन्तव्य या श्रद्धा ये पाँच सम्यक् दर्शन के लक्षण माने गये हैं। इनमें भी समत्व और अनासक्ति प्रमुख तत्त्व हैं, समत्व से प्राणियों को आत्मवत् मानने का बोध उत्पन्न होता है, जो अनुकम्पा का कारण बनता है, साथ ही समत्व की साधना से सांसारिक अनुभूति और प्रतिकूल परिस्थितियों में चित्त की अविचलता बनी रहती है। यही आन्तव्यिक रूप में दृष्टिकोण की

विशुद्धि का आधार है। पुनः अनासक्ति का तत्त्व वैराग्य और पापकर्म से विरति का कारण बनता है, क्योंकि आसक्ति या राग का तत्त्व ही हमें ससार से जोड़ता है और अशुभाचरण का कारण होता है।

किन्तु इन सबके अतिरिक्त जैन चिन्तकों ने सम्यक् दर्शन की उपलब्धि के लिये क्रोध, अहंकार (मान), कपटवृत्ति (माया) और लोभ के तीव्रतम आवेगों अर्थात् अनन्तानुबन्धी कपायों का उपशमन आवश्यक माना है। जब तक इन तीव्रतम कपायों का उपशमन नहीं होता है तब तक सम्यक्-दर्शन की उपलब्धि और उमका टिकाव सम्भव नहीं होता है।

अतः दर्शनाचार की साधना का अर्थ है सदैव ही यह प्रयत्न करना या सजगता रखना कि कपायों या वासनाओं के आवेश हमारी अन्तरात्मा की आवाज या आत्मानुभूति को दबा न लें। किन्तु प्रत्येक साधक के लिए यह सम्भव नहीं होता है कि वह अपने दृष्टिकोण को पूर्वाग्रहों, राग-द्वेषजन्य दुरभिनिवेशों एवं कपायों के तीव्रतम आवेगों से मुक्त कर सकें। जैन धर्म में साधना का मुख्य लक्ष्य वीतराग-दशा या समत्व (सामायिक) की उपलब्धि माना गया है। अतः यदि हम सम्यक् दर्शन का अर्थ रागद्वेष से ऊपर उठकर वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए वीतराग दृष्टि की प्राप्ति को मानें तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसी वीतराग दृष्टि का निर्माण तो साधना के अन्त में होता है। जबकि सम्यक् दर्शन की साधना का प्रारम्भिक एवं आवश्यक चरण माना गया है। इस समस्या के समाधान के लिए जैन आचार्यों ने यह व्यवस्था दी कि जब तक व्यक्ति स्वयं दुराग्रहों और दुरभिनिवेश से मुक्त होकर वीतराग जीवन-दृष्टि को उपलब्ध नहीं कर पाया है तब तक उसके लिये यही उचित है कि वह वीतराग के बचनों के प्रति आस्तिक्य-बुद्धि या श्रद्धाभाव रखे। रोगी को रोग से मुक्त होने के लिए दो ही विकल्प होते हैं, या तो वह स्वयं अपनी बीमारी को समझ कर और उसके निराकरण का प्रयत्न करे। किन्तु यदि वह स्वयं इस क्षेत्र में अपने को असमर्थ अनुभव करता है तो उसके लिए वैद्य का सहारा लेना, उसके आदेशों को मानना और तदनुसार व्यवहार करना अत्यावश्यक होता है। यही बात आध्यात्मिक मन्दर्भ में भी है। या तो व्यक्ति स्वयं अपनी आध्यात्मिक विकृतियों को या अपूर्णताओं को समझे और उन्हें स्वयं ही दूर करने का प्रयत्न करे। आध्यात्मिक विकृति से यहाँ हमारा तात्पर्य राग-द्वेष और कपायों से मुक्त होना है। यदि व्यक्ति इतना समर्थ नहीं है कि वह सजग होकर अपनी वामनात्मक वृत्तियों या चित्त की विकृतियों को दूर करे और उनमें ऊपर उठ सके, तो उसके लिए दूसरा उपाय यही है कि प्रबुद्ध-आत्माओं के उपदेशों को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करके तदनुसार साधना करे।

यही साधना के क्षेत्र में श्रद्धा या आस्तित्व-बुद्धि का स्थान होता है। यही दर्शनाचार है।

तत्त्वार्थ सूत्र में सम्यक्-दर्शन के दो रूप माने गये हैं (१) निसर्गज और (२) अभिगमज।^१ इसी को उत्तराध्ययन सूत्र में निसर्गरुचि-सम्यक्त्व और उपदेशरुचि-सम्यक्त्व कहकर व्याख्यायित किया गया है।^२ निसर्गरुचि सम्यक्त्व का मतलब है कि बिना परोपदेश के स्वयं ही अपनी कपायो और वासनाओं की मन्दता के कारण सत्य का यथार्थ रूप में दर्शन कर लेना। व्यक्ति के जीवन में कभी-कभी ऐसे अवसर उपलब्ध हो जाते हैं जब स्वाभाविक रूप से ही उसकी कपायो और वासनाओं का आवेग कम हो जाता है और व्यक्ति सत्य का दर्शन या अनुभूति करने लगता है। वह अपनी कपायो की तरतमता के आधार पर निश्चित रूप से अपनी आत्मिक विकृतियों या कमजोरियों को जान लेता है। इसे एक अन्य उदाहरण से इस प्रकार समझा जा सकता है एक पाण्डुरोग से ग्रस्त व्यक्ति रक्त में पीलेपन की मात्रा के तरतमता के कारण जब वह जान लेता है कि उसकी दृष्टि में कहीं दोष है, तो वह उसकी चिकित्सा या निवारण का प्रयत्न करता है। किन्तु सभी लोगो में इतनी वैचारिक परिपक्वता नहीं होती है कि वे अपनी विकृतियों को सम्यक् प्रकार से जान भी नहीं पाते हैं। उनके लिए यही उचित होता है कि वे चिकित्सक की सलाह मानें और तदनु रूप अपनी बीमारी को दूर करने का प्रयत्न करें।

उत्तराध्ययन सूत्र में सम्यक्त्व के प्रकारों के सन्दर्भ में दस प्रकार की सम्यक्त्व रुचि का विवरण मिलता है।^३ हमने यहाँ उनमें से केवल दो निसर्ग रुचि और उपदेश रुचि का विवेचन किया है। उपदेश रुचि का तात्पर्य है दूसरों के माध्यम से सत्य के स्वरूप को सुनकर आस्था या विश्वास रखना। इन रुचियों में आज्ञारुचि, क्रियारुचि भी महत्वपूर्ण है। वरिष्ठजनों की अथवा वीतराग की आज्ञा के पालन को ही धर्म साधना का सर्वस्व समझना यही आज्ञा-रुचि-सम्यक्त्व है। इसी प्रकार अभिगम-रुचि सम्यक्त्व का तात्पर्य है बुद्धि पूर्वक सत्य को समझकर उस पर श्रद्धा करना।

इसी प्रकार जिस व्यक्ति की रुचि और आस्था का केन्द्र धार्मिक विधि-विधानों या धार्मिक क्रिया-काण्डों का सम्पादन होता है उसे क्रियारुचि सम्यक्त्व कहा जाता है। इनमें हम देखते हैं कि जहाँ निसर्गरुचि और अभिगम रुचि में समझपूर्वक आस्था होती है वहाँ उपदेशरुचि, आज्ञारुचि और क्रिया-रुचि में विवेक के स्थान पर आस्था का पक्ष अधिक महत्वपूर्ण होता है। दर्शना-

चार की चर्चा के प्रसंग में उनके विविध रूपों की विस्तृत चर्चा यहाँ सम्भव नहीं है। फिर भी हम यदि ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से विचार करें तो जैन धर्म में सम्यक्-दर्शन शब्द के अर्थ का जो विकास हुआ है उसमें आगे चलकर सत्य की अनुभूति अथवा पूर्वाग्रहों से मुक्त दृष्टि की अपेक्षा क्रमशः आस्था और श्रद्धा का तत्त्व प्रधान होता गया और अन्त में वह देव, गुरु और धर्म या शास्त्र के प्रति श्रद्धा का वाचक बन गया, किन्तु प्रारम्भ में यह स्थिति नहीं थी, दर्शन शब्द आत्मानुभूति या द्रष्टाभाव का वाचक था। उसके पश्चात् भी सम्यक् दर्शन में श्रद्धा का स्थान होते हुए भी वह श्रद्धा तात्त्विक मान्यताओं के सन्दर्भ में थी; व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं।

प्राचीन ग्रन्थों में आत्मा के अस्तित्व, आत्मा की नित्यता, आत्मा का कर्तृत्व एव भोक्तृत्व, आत्मा की मुक्ति की सम्भावना और मुक्ति के मार्ग को स्वीकार करना ही सम्यक्-दर्शन माना गया, किन्तु जब हम आगमों में सम्यक्-दर्शन के आठ अंगों और पाँच अतिचारों की चर्चा को देखते हैं तो निश्चित ही हमें धार्मिक आस्थाओं के प्रति श्रद्धा को दूढ़ करने के प्रयत्न दिखाई देते हैं। इसी प्रसंग में उत्तराध्ययन सूत्र में सम्यक्त्व के आठ प्रभावना अंगों की चर्चा हुई है। यहाँ प्रभावना का तात्पर्य लोगों को जिन धर्म के प्रति आकर्षित करना और उसमें उनकी श्रद्धा को दूढ़ बनाना है। यह आठ प्रभावना अंग निम्न हैं—

(१) जिन प्रवचन के प्रति सन्देह से रहित होना।

(२) फलाकांक्षा अथवा अन्य धर्म और दर्शन की आकांक्षा से रहित होना।

(३) जिनधर्म के प्रति आलोचक दृष्टि का अभाव।

(४) मूर्खतापूर्ण अन्ध विश्वासों से मुक्ति।

(५) अपनी श्रद्धा को सबल बनाने का प्रयत्न।

(६) धर्म मार्ग से विचलित लोगों को पुनः स्थिर करना।

(७) स्वधर्मी बन्धुओं के प्रति वात्सल्य भाव अर्थात् उनके सुख-दुःख में सहभागी बनना।

(८) जिनधर्म की प्रभावना या प्रसार का प्रयत्न करना।

इस प्रकार यहाँ हम स्पष्ट रूप से यह देखते हैं कि जहाँ सम्यक्-दर्शन के मूल में पूर्वाग्रहों से रहित और समभाव से युक्त होने या साक्षी भाव में स्थित रहने की बात मुख्य थी। वही आगे चलकर धार्मिक अभिनिवेश और आस्था की पुष्टि के प्रयत्न प्रमुख होते गये। दर्शन आत्म-दर्शन से तत्त्वदर्शन और फिर श्रद्धाभाव बन गया।

इसी प्रकार जब दर्शन के पाँच अतिचारों की चर्चा हुई तो

१ तत्त्वार्थ. १/३।

३ उत्तराध्ययन २८, गा. १६-२७।

२ उत्तराध्ययन २८/१६, स्थानांग २/१/५६।

४ उत्तराध्ययन २८/३१।

उममें भी जिनवचन के प्रति श्रद्धा करने, अन्य मत की आकांक्षा या इच्छा करने, अन्य धर्मविलम्बियों के साथ सम्पर्क रखने और उनकी प्रशंसा करने का निषेध कर दिया गया। क्योंकि ये ही ऐसे आधार थे जिनके द्वारा किसी व्यक्ति की जिनधर्म के प्रति आस्था को सुगन्धित रखा जा सकता था। यद्यपि ये तथ्य सम्यक्-दर्शन के मूल अर्थ के साथ सगति नहीं रखते हैं क्योंकि सम्यक्-दर्शन का मूल तात्पर्य तो सत्य-निष्ठा या निष्पक्ष दृष्टि से सत्यान्वेषण का प्रयास करना है। जहाँ सम्यक्-दर्शन के अति-चारों की चर्चा के प्रसंग में सशय को एक अतिचार माना गया है और उसकी गणना "हेय" तत्व में की गई है। वही आचार-राग में संशय को ज्ञान का आवश्यक साधन माना गया है। उममें कहा गया है कि "जो सशय का परिज्ञाता होता है, वह समार का परिज्ञाता होता है।" वस्तुतः यहाँ सशय को ज्ञान की प्राप्ति में बाधक न मानकर, ज्ञान के विकास का कारण माना गया है। यहाँ सशय व्यक्ति की जिज्ञासावृत्ति का सूचक है। क्योंकि जिज्ञासा वृत्ति के अभाव में ज्ञान का विकास नहीं होता है। इसी प्रकार जहाँ सम्यक्-दर्शन के अतिचारों के रूप में अन्य मत की प्रशंसा करना और उनके अनुयायियों के साथ सम्पर्क रखना अनुचित माना गया है, वहाँ सूत्रकृताग में उन व्यक्तियों की आलोचना की गई है, जो अपने मत की प्रशंसा और दूसरे के मत की निन्दा करते हैं^१। मात्र यही नहीं सूत्रकृताग में तो असितकेवल, नमि, रामपुत्र, बाहुक, पाराशर, द्विपायन आदि को जिन-प्रवचन सम्मत माना गया है।^२ उत्तराध्ययन में भी अन्यलिग सिद्धों का उल्लेख है ही। ऋषिभाषित में नारद, याज्ञवल्क्य, आरुलि, उद्दालक, संखलिगोसाल सजय (वियद्विपुट) सारिपुत्र, महाकाश्यप आदि को अर्हतमर्हापि का सम्मानित पद दिया गया है।^३ इस प्रकार इन दोनों दृष्टिकोणों में एक महत्वपूर्ण अन्तर है और जो इस बात का भी सूचक है जो सम्यक्-दर्शन शब्द किसी युग में आगहमुक्त दृष्टि से सत्यान्वेषण या आत्मानुभूति का परिचायक था, वही आगे चलकर एक परम्परा विशेष की मान्यताओं से बद्धमूल होने लगा। यद्यपि सूत्रकृताग में भी हमें अन्य मतों की समालोचना उपलब्ध होती है किन्तु वे समालोचनाएँ मूलतः या तो एकात्मिक और अयुक्तिसंगत मान्यताओं के प्रति हैं, या फिर शिथिलाचारी या स्वच्छद प्रवृत्ति के लिए हैं। जहाँ सूत्रकृताग में मुत्तयतया पंचमहाभूतवादी, ईश्वर-कर्तृत्ववादी, आत्माहृतवादी, नियतिवादी आदि अवधारणाओं की समालोचना प्रस्तुत की गई है, वहाँ आचारराग में आत्मवाद,

लोकवाद, क्रियावाद और कर्मवाद की स्थापना की गई है। वस्तुतः, प्रारम्भ में जैन परम्परा में सम्यक्-दर्शन का तात्पर्य आत्मानुभूति या साक्षीभाव था। उसके पश्चात् आत्मा और लोक के अस्तित्व को स्वीकार कर आत्मा को अपने कर्मानुसार फल प्राप्ति के रूप में विविध योनियों में जन्म लेने वाला स्वीकार करना माना गया। पदद्वयो और नौ तत्वों के प्रति आस्था को सम्यक् दर्शन कहा गया है, फिर जिन और जिन आगमों के प्रति आस्था को ही सम्यक् दर्शन कहा गया है। यही आगे चलकर देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा वाचक बना। इस समस्त चर्चा से यह भी सिद्ध होता है कि दर्शन शब्द मात्र विश्वास का प्रतीक न होकर विश्वास के अनुरूप जीवन जीने का सूचक है और इसी अर्थ में वह दर्शनाचार बन जाता है। दर्शनाचार प्रस्तुत कृति में

दर्शनाचार का प्रारम्भ दर्शन के स्वरूप की चर्चा से किया गया है। इसमें सम्यक्-दर्शन के लक्षण एवं प्रकार, सम्यक्-दर्शन का फल, उसकी प्राप्ति के लिए अनुकूल आयु, काल एवं दिशाएँ जैसी महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा के साथ-साथ सम्यक्त्व की प्रभावना के आठ अंग, रुचि के आधार पर सम्यक्त्व के दस प्रकारों की चर्चा भी प्रसंगानुसार मिलती है, जिनका संकेत हम पूर्व में कर चुके हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में सम्यग्दर्शन के सम्बन्ध में इन महत्वपूर्ण चर्चाओं के अतिरिक्त बोधि की सुलभता एवं दुर्लभता के पाँच कारणों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसी प्रसंग में तीन प्रकार के दुर्बोध्य तथा तीन प्रकार के सुबोध्य जीवों का वर्णन करते हुए सुलभबोधि और दुर्लभबोधि के लक्षणों एवं उनके अन्तर को स्पष्ट किया गया है। साथ ही बोधिलाभ में बाधक एवं साधक हेतुओं का विस्तृत विवरण भी उपलब्ध होता है। श्रद्धानु और अश्रद्धानु के अन्तर को स्पष्ट करते हुए अत में यह बताया गया है कि सम्यक्-दृष्टि का समस्त ज्ञान एवं आचार भी सम्यक् रूप में परिणत हो जाता है।

इसी प्रसंग में सम्यग्दर्शी श्रमण के परीपहजय अर्थात् साधना मार्ग में सफलता तथा असम्यग्दर्शी श्रमण के परीपह-पराजय अर्थात् साधना के क्षेत्र में विफलता की चर्चा की गई है। पुनः सम्यक्त्व-पराक्रम अर्थात् सम्यक्त्व साधना के अंगों की उत्तराध्ययन सूत्र के २६वें अध्याय के आधार पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही सवेग, निर्वेद आदि की चर्चा भी की गई है। इसमें चार प्रकार की श्रद्धा और सम्यक्त्व के पाँच अतिचारों का भी विशद विवेचन उपलब्ध है। इसी प्रसंग में अनुसूचित और

१ आचारराग १/५/१/१४६।

२ वही १/३/४/१-४

३ सूत्रकृताग १/१/२/२३।

४ ऋषिभाषित एक अध्ययन (डा. सागरमल जैन) पृ. १७-१८

प्रतिज्ञोत जैसे महत्वपूर्ण विषयो की चर्चा के साथ-साथ अस्थिर-रात्मा कैसा होता है, यह भी विभिन्न उपमाओं से बताया गया है। साधुता से पतित श्रमण की दशा का वर्णन करते हुए सयम साधना में रत रहने वालों को सुखी तथा उससे पतित होने वालों को दुःखी कहा गया है तथा श्रमणों को सयम में स्थिर रहने का संदेश दिया गया है। मिथ्यादर्शन पर विजय पाने से क्या लाभ होता है इस पर भी प्रकाश डाला गया है। चार अन्यतीर्थियों की श्रद्धा का निरसन करते हुए क्रमशः तत्त्वजीव तत्त्वशरीरवाद, पंच महाभूतवाद, ईश्वरकारणिकवाद तथा नियतिवाद की समालोचना की गई है। मिथ्यादृष्टियों की इस चर्चा के प्रसंग में सूत्रकृतांग में उल्लेखित सृष्टि की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों, आत्म अकर्तावाद, एकात्मवाद, आत्मषष्ठवाद और पंचमहाभूत के अतिरिक्त अवतारवाद, लोकवाद एवं पंच-स्कन्धवाद की भी समीक्षा की गई है। किन्तु इसके साथ-साथ सूत्रकृतांग में यह भी बताया गया है कि जो अपने मत की प्रशंसा एवं अन्य मत की निन्दा करते हैं वे ससार में परिभ्रमण करते हैं। इस गाथा में हमें जैन दर्शन की अनेकान्तवादी या सहिष्णुवादी दृष्टि के दर्शन होते हैं। मिथ्यात्व की इस चर्चा के प्रसंग में मिथ्यादर्शन के भेद-प्रभेदों की चर्चा के साथ-साथ मोहमूढ या मिथ्यादृष्टि की दुर्दशा पर भी चर्चा की गई है। उसमें ही प्रसंगानुसार विवाद या शास्त्रार्थ के छह प्रकारों तथा विपरीत प्ररूपणा के प्रायश्चित्त का विधान भी उपलब्ध होता है। अन्यतीर्थियों के चार सिद्धांतों यथा—क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद तथा अज्ञानवाद की विस्तृत चर्चा भी हम जैनानुसंगों में पाते हैं। यहाँ सूत्रकृतांग के आधार पर इन चारों ही प्रकार के सिद्धांतों के स्वरूप की चर्चा की गई है और इनके एकांतवादी रूपों को समझाने का भी प्रयास किया गया है। इसी चर्चा में श्वेतकमल को पाने में सफल निस्पृह भिक्षु का उल्लेख किया गया है एवं एकांत दृष्टि के निषेध पर बल दिया गया है। साथ ही पाश्चात्-पत्यो अर्थात् शिथिलाचारियों की प्रशंसा, उनसे संसर्ग आदि के प्रायश्चित्त की क्या व्यवस्था है इसका उल्लेख हुआ है।

अन्य तीर्थियों की मोक्ष अवधारणा और उन अवधारणाओं के परित्याग पर विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है। चर्चा के इस प्रसंग में निर्वाण ही साध्य है, ऐसा बताया गया है। मोक्ष मार्ग में अप्रमत्त भाव से गमन करने के उपदेश के साथ यह भी कहा गया है कि निर्वाण का मूल सम्यक्दर्शन है। प्रधान मोक्ष-मार्ग की चर्चा करते हुए गुरु और वृद्धों की सेवा, स्वाध्याय, एकान्तवास आदि उसके महत्वपूर्ण उपाय बताये गये हैं। अन्त में इसमें सन्मार्ग और उन्मार्ग के स्वरूप का चित्रण किया गया है।

चारित्र्याचार—चारित्र्याचार के अन्तर्गत प्रस्तुत ग्रन्थ में निम्न विषयों का सकलन किया गया है—

१ देखें—सूत्रकृतांग १/३/४/१-४।

सर्वप्रथम चरणविधि के महत्व का प्रतिपादन किया है। इसके पश्चात् संवर की उत्पत्ति और अनुत्पत्ति कब, किस वय में और किस प्रकार होती है इसकी चर्चा की गई है। तदनन्तर आश्रव और संवर के स्वरूप का कथन किया गया है। पाँच संवर द्वारों पर प्रकाश डालते हुए यह बताया गया है कि अविरति और विरति से जीव किस प्रकार गुरुता और लघुता को प्राप्त होता है। उसी क्रम में दस प्रकार के असंवर दस प्रकार के संवर की चर्चा करते हुए यह बताया गया है कि संवर करने वाला ही महायज्ञ का कर्ता है। इसके पश्चात् दस प्रकार की असमाधि और दस प्रकार की समाधि तथा असंवृत और संवृत अणुगार के ससार परिभ्रमण की चर्चा के साथ-साथ चारित्र्य सम्पन्नता के फल की भी चर्चा की गयी है। तदन्तर चारित्र्याचार में पाँच महाव्रतों की विस्तृत विवेचना उपलब्ध होती है।

प्रथम महाव्रत के रूप में अहिंसा के स्वरूप और उसकी आराधना का वर्णन किया गया है। प्रसंगानुसार प्रथम महाव्रत की प्रतिज्ञा का स्वरूप, अहिंसा के साठ नाम, भगवती अहिंसा की आठ उपमाएँ एवं अहिंसा के स्वरूप के प्ररूपक और पालक विभिन्न प्रकार के साधकों की चर्चा है। इसके पश्चात् अहिंसा के आधार के रूप में आत्मवत् दृष्टि जैसे महत्वपूर्ण विषय का विवेचन मिलता है।

हिंसा के निषेध के लिये प्रथमतः छह जीवनिकायों का विवेचन किया गया है। तत्पश्चात् इन जीवनिकायों की हिंसा नहीं करने की प्रतिज्ञा पर बल डाला गया है। षड्जीवनिकाय में प्रथम पृथ्वीकाय, जीवों की चर्चा करते हुये पृथ्वीकाय जीवों की वेदना को मनुष्य की वेदना के समान बताकर उनकी हिंसा का निषेध किया गया है।

इसी तरह का विवरण अप्कायिक जीवों, तेजसकायिक जीवों, वायुकायिक जीवों, वनस्पतिकायिक जीवों तथा त्रसकायिक जीवों के सम्बन्ध में भी दिया गया है। इसी प्रसंग में आर्य-अनार्य वचनों के स्वरूप, बालजीवों का पुन-पुनः मरण प्राप्त करना, अयतना का निषेध तथा छ. जीवनिकाय की हिंसा के परिणामों पर भी प्रकाश डाला गया है। चारित्र्याचार के इसी सन्दर्भ में षड्जीवनिकाय की हिंसा के प्रायश्चित्त पर भी व्यापक चर्चा मिलती है। इसमें सचित्त (हरे) वृक्ष के मूल में मलमूत्र आदि का विसर्जन करना, सचित्त वृक्ष पर चढ़ना, प्राणियों को बाँधना आदि के प्रायश्चित्तों की विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। प्रायश्चित्त विधान को लेकर हमने इसी भूमिका में अन्यत्र विचार किया है।

सदोष चिकित्सा का निषेध करने के क्रम में गृहस्थ से नख, दात, ओष्ठ आदि रंगवाना, फोड़े, व्रण आदि की शल्य चिकित्सा करवाना, वैयावृत्य (सेवा) करवाना, गृहस्थकृत चिकित्सा की

अनुमोदना, लीच, कृमि आदि निवालने की अनुमोदना का निषेध किया गया है।

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिनी द्वारा परस्पर चिकित्सा करने सम्बन्धी प्रायश्चित्त की चर्चा प्रमंग में निम्न बातों पर प्रायश्चित्त करने का विधान किया गया है। जैसे निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के पैरो आदि की माज-सज्जा, निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के पैरो आदि की माज-सज्जा (परिकर्म), निर्ग्रन्थ द्वारा निर्ग्रन्थी के व्रणो एवं गण्डादि की चिकित्सा करना, निर्ग्रन्थी द्वारा निर्ग्रन्थ के व्रणो एवं गण्डादि की चिकित्सा, निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थी द्वारा परस्पर एक दूसरे के कृमि निकालना आदि के प्रायश्चित्त का विधान जैना-गमो में उपलब्ध है। इसी तरह के प्रायश्चित्त अन्यतीथिक या गृहस्थ द्वारा चिकित्सा करवाने तथा उनकी चिकित्सा करने के सम्बन्ध में भी है।

प्रस्तुत ग्रन्थ में अहिंसा नामक प्रथम महाव्रत के परिशिष्टाक के अन्तर्गत प्रथम महाव्रत की पाँच भावनाएँ, आरम्भ-सारम्भ-समारम्भ तथा अनारम्भ-अनारम्भ और असमारम्भ के सात-सात प्रकारों, प्राण सूक्ष्म, पनक सूक्ष्म, बीज सूक्ष्म, हरित सूक्ष्म, पुष्प सूक्ष्म, अण्ड सूक्ष्म, लयन सूक्ष्म (विल) तथा स्नेह सूक्ष्म आदि आठ सूक्ष्मों की चर्चा और उनकी हिंसा का निषेध, दम प्रकार के अमयम तथा दम प्रकार के सयम का निरूपण किया गया है। साथ ही पाप-श्रमण का स्वरूप, अन्यतीथिकों का स्वविरो के साथ पृथ्वीकायिक हिंसा विषयक विवाद जैसे महत्वपूर्ण विषय का भी संकलन किया गया है।

द्वितीय सत्य महाव्रत की चर्चा करते हुए मृपावाद विरमण महाव्रत की प्रतिज्ञा एवं उसकी पाँच भावनाओं की चर्चा है। तदनन्तर सत्य वचन की महिमा, सत्य वचन की छ उपमाएँ, अवक्तव्य तथा वक्तव्य सत्य, सत्य वचन का फल और मृपावाद के प्रायश्चित्तों का वर्णन किया गया है। इसी प्रमंग में नही बोलने योग्य छ प्रकार के वचनों का निषेध किया गया है।

तृतीय अस्तेय महाव्रत का प्रतिपादन करते हुए उसकी प्रतिज्ञा, उसकी पाँच भावनाएँ, दत्त अनुज्ञात सवर के आराधक, दत्त अनुज्ञात सवर के फल, अन्य भी साधना के उपकरण एवं स्थान का उपयोग हेतु ग्रहण के विधि-निषेध की चर्चा है। इसके पश्चात् यह कहा गया है कि राज्य परिवर्तन या राजा के वंश विच्छेद या पराजित होने पर परिवर्तन की स्थिति में नये राजा की अनुमति पूर्वक ही वहाँ विहार एवं स्थान (अवग्रह) आदि का उपयोग कल्पनीय होता है। अन्त में अदत्तादान के प्रायश्चित्त का विशद विवेचन उपलब्ध होता है। इसमें किसी अन्य श्रमण के शिष्य या आचार्य के अपहरण का भी प्रायश्चित्त बताया गया है।

परिशिष्ट में तृतीय अदत्तादान महाव्रत की पाँच भावनाओं

की चर्चा के साथ अन्यतीथिकों के अदत्तादान सम्बन्धी आक्षेपों का निराकरण किया गया है।

चतुर्थ ब्रह्मचर्य महाव्रत की चर्चा में ब्रह्मचर्य का स्वरूप, उसकी प्रतिज्ञा, मैथुन विरमणव्रत की पाँच भावनाएँ ब्रह्मचर्य महिमा, उसकी सैनीम उपमाएँ, उसके खण्डित होने पर सभी महाव्रतों का खण्डित हो जाना, ब्रह्मचर्य साधना की अनुकूल एवं प्रतिकूल स्थितियाँ, ब्रह्मचर्य की आराधना का फल, ब्रह्मचर्य की साधना के अनुकूल वय, प्रहर, जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया है। ब्रह्मचर्य की निर्विघ्न साधना सम्बन्धी निर्देशों के साथ विविक्त शयनासन के सेवन का सुपरिणाम तथा स्त्री के साथ आमन पर बैठने, उसकी इन्द्रियो के अवलोकन करने तथा वासनाजन्य शब्दों के उच्चारण का निषेध किया गया है। इसी प्रकार पूर्व अनुभूत भोगों के स्मरण का निषेध, विकारवर्धक आहार करने का निषेध, अधिक आहार करने का निषेध, विभूया का निषेध, शब्दादि विषयों में आसक्ति का निषेध तथा वेश्याओं के निवास सम्बन्धी मार्ग में आवागमन का निषेध किया गया है। इसी चर्चा में ब्रह्मचर्य के अठारह प्रकारों का निरूपण भी स्पष्ट रूप से किया गया है। ब्रह्मचर्य का पालन क्यों किया जाये, इसकी चर्चा करते हुए कहा गया है कि यह अधर्म का मूल है तथा इसके पालन से स्वियो के सम्पर्क से होने वाले भव-श्रमण जन्य रोग नहीं होते हैं। ब्रह्मचर्य की इसी चर्चा में शारीरिक साज-सज्जा, काय-क्रिया आदि का निषेध किया गया है।

भिक्षु-भिक्षुणी का परस्पर अथवा किसी गृहस्थ से चिकित्सा करवाना या व्रण, गण्डादि की चिकित्सा करवाना एवं कृमि निकालने जैसे चिकित्सा के उपायों का सहारा लेने पर उनके प्रायश्चित्त का विधान किया गया है।

परिकर्मकरण (साज-सज्जा) की चर्चा के प्रसंग में शरीर-परिकर्म, पाद-परिकर्म, नख-परिकर्म, जघा-परिकर्म, ओष्ठ-परिकर्म, उत्तरोष्ठ-रोम-राजि (दाढ़ी) परिकर्म, दन्त-परिकर्म, चक्षु-परिकर्म, अक्षिपत्र-परिकर्म, रोम-परिकर्म, केश-परिकर्म आदि की चर्चा है। इसी प्रसंग में स्वयं परिकर्म करने अथवा परस्पर अन्यतीथिकों एवं गृहस्थों से परिकर्म कराने सम्बन्धी प्रायश्चित्तों पर भी प्रकाश डाला गया है।

आगमिक सन्दर्भों से यह स्पष्ट है कि जैन परम्परा में ब्रह्मचर्य की सुरक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसलिए मैथुन के सक्ल्प से अपने भित्तलिंगी के स्पर्श और स्पर्शसुख के आस्वादन का निषेध किया गया है। इसी प्रसंग मैथुन सेवन के संकल्प से गुह्य अंगों के प्रक्षालन आदि का भी निषेध किया गया। इसी प्रकार मैथुन सेवन के लिए प्रार्थना करने, वस्त्र हटाने, वासना सम्बन्धी अंगों का संचालन करने, उन्हें सजाने सवारने, हस्तकर्म से वीर्यपात करने आदि का न केवल निषेध

किया गया बल्कि इनके लिए चातुर्मासिक परिहारस्थान आदि कठोर प्रायश्चित्त की व्यवस्था भी की गई है। इसी प्रकार किसी भिक्षु, भिक्षुणी अथवा स्त्री-पुरुष को आकर्षित करने अथवा उसे मैथुन सेवन के लिये सहमत करने हेतु वस्त्र पात्र आदि भिक्षु-जीवन के उपकरणों अथवा आभूषण, माला आदि को रखने पर भी जैन आचार्यों ने प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है। इसी प्रकार मैथुन-सेवन के उद्देश्य से कलह करके अपने साथियों को अलग कर देना, पत्र लिखना, पत्र लिखवाना अथवा पत्र लिखने के उद्देश्य से बाहर जाना भी प्रायश्चित्त योग्य अपराध माना गया है। इसी सन्दर्भ में वशीकरण, पौष्टिक आहार का सेवन आदि को भी निषिद्ध और प्रायश्चित्त योग्य अपराध माना गया है।

पंच महाव्रतों की चर्चा करते समय पंचम अपरिग्रह महाव्रत सम्बन्धी विवेचन का प्रारम्भ अपरिग्रह महाव्रत की प्रतिज्ञा से होता है। इसके पश्चात् अपरिग्रह महाव्रत की पाँच भावनाओं का वर्णन कर पाँचों इन्द्रियों के संयम का विवरण प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः परिग्रह का मूल कारण इन्द्रियों की अपने विषयों की भोगाकांक्षा ही है। अतः इस भोगाकांक्षा पर विजय पाने में ही अपरिग्रह की साधना सम्भव है। साधुओं को किन वस्तुओं का सन्धय कल्प्य नहीं है इसकी चर्चा के प्रसंग में प्राचीन काल के कुछ मिष्ठानों का भी उल्लेख हुआ है, विशेष रूप में सक्कुलि (तिलपापड़ी) वेडिम (वेष्टिम जलेवी) का उल्लेख है। इसी प्रसंग में अपरिग्रही श्रमण की उपमा कमल पत्र से दी गई है, जिस प्रकार कमल पत्र जल में रहकर भी इससे निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार श्रमण को भी, देह रक्षण के निमित्त जो आहारादि किया जाता है, उसमें निर्लिप्त भाव से रहना चाहिये। इसी प्रसंग में यह भी बताया गया है कि हिंसा का मूल कारण आसक्ति या परिग्रह ही है। जो परिग्रह में आसक्त होता है वही हिंसक होता है और वही बाल या मूर्ख कहा गया है। वस्तुतः अनासक्ति ही साधना का मूलतत्त्व है और वही मुक्ति का आधार भी है। इसी प्रसंग में प्रस्तुत चरणानुयोग नामक कृति में आसक्ति के निषेध पर विस्तृत चर्चा उपलब्ध होती है। यद्यपि जब तक इन्द्रियाँ हैं, उनके विषयों का ग्रहण होगा ही, यह सम्भव नहीं है कि इन्द्रियाँ अपने विषयों की अनुभूति न करें, आँख की उपस्थिति में रूप दिखाई देगा ही, श्रवण-इन्द्रिय की उपस्थिति में शब्द सुनाई देगा ही। आवश्यकता इस बात की है कि साधक उन ऐन्द्रिक अनुभूतियों में अपनी आसक्ति को न जोड़े और मन के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही प्रकार की अनुभूतियों में साक्षी भाव से रहे।

इस चर्चा के अन्त में यह उल्लेख है कि जो भिक्षु आसक्त होकर इन्द्रियों के विषयों के पीछे भागता है, वह प्रायश्चित्त का पात्र होता है।

परिग्रह की चर्चा के पश्चात्-प्रस्तुत कृति में रात्रि भोजन निषेध और उसमें होने वाले दोषों का विवरण है। इसी सन्दर्भ में रात्रि में अशनानादि ग्रहण करने, उनका भोग करने या उन्हे संचित करके रखने में विविध प्रायश्चित्तों के विधान की चर्चा है।

चारित्र्याचार की इस विवेचना के अन्त में पंच समितियों और तीन गुप्तियों का वर्णन है। जहाँ समितियाँ आचार के विधि-पक्ष को प्रस्तुत करती हैं, वहाँ गुप्तियाँ निषेध पक्ष को प्रस्तुत करती हैं। समिति यह बताती है कि साधक को अपना जीवन व्यवहार किस प्रकार संचालित करना चाहिये, जिसके फलस्वरूप वह अपने आपको कर्म-बन्धन से मुक्त रख सके, जबकि गुप्तियों का मुख्य उद्देश्य मन-वाणी की प्रवृत्तियों का नियन्त्रण या संयम करना है।

प्रस्तुत कृति में मुख्य रूप से एषणा समिति अर्थात् भिक्षा ग्रहण करने सम्बन्धी नियमों का विस्तार से विवेचन है। यह सत्य है कि जैन परम्परा में आहार-शुद्धि के सन्दर्भ में विशेष सतर्कता रखी गयी है। इसमें दो ही दृष्टियाँ प्रमुख हैं—प्रथम भिक्षु-भिक्षुणियों का जीवन समाज पर भाररूप न हो। दूसरे यह कि वे हिंसा के दोष के भागी न बनें। इस सम्बन्ध में अधिक-काश विधि-निषेध इन्हीं दोनों सिद्धांतों के आधार पर हुए हैं। यद्यपि इस संकलन में एषणा समिति का विवेचन अधिक विस्तार से हुआ है, किन्तु अन्य समितियों की उपेक्षा भी नहीं हुई है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि स्थानाग एव उत्तराध्ययन में पंच समितियों और तीन गुप्तियों को मिलाकर आठों का समितियों के रूप में उल्लेख हुआ है अर्थात् गुप्तियों को भी समिति के अन्तर्गत ही वर्गीकृत कर लिया गया है, जबकि समवायाग में इनका उल्लेख अष्ट प्रवचनमाता के रूप में हुआ है। विस्तार भय से हम इस सबकी चर्चा में नहीं जाना चाहते हैं। विस्तार से जानने के इच्छुक विद्वान इन्हे प्रस्तुत कृति से अथवा मेरे ग्रन्थ “जैन, बौद्ध और गीता के आचार दर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन” भाग २ के “श्रमणाचार” नामक अध्ययन में देख सकते हैं।

ईर्या समिति

ईर्या समिति के वर्णन में उसके स्वरूप और भेदों का कथन है। भगवती सूत्र में वर्णित प्रासुक विहार का तात्पर्य बताया गया है गमनागमन से सापरायिक क्रिया और इरियावही क्रिया का सम्बन्ध संवृत-असंवृत अणुगार से किया गया है।

विषम मार्ग में एवं प्राणियों आदि से अवरुद्ध मार्ग में न जाना, रात्रि में विहार न करना, अनार्य क्षेत्रों में नहीं विचरना आदि विषयों का वर्णन है। अकारण अनार्य क्षेत्र में विचरने का प्रायश्चित्त विधान करके साथ ही चोर आदि के उपद्रव होने का विषय वर्णन किया गया है।

गृहस्थ से उपधि नहीं उठवाना, रास्ते में चलते समय वार्ता-

लाप न करना, किसी के मार्ग पूछने पर या पशु-पक्षी आदि के विषय में पूछने पर मौन रहना, आस-पास के दर्शनीय स्थल देखने में चित्त न लगाना आदि मार्ग सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण विश्लेषण हैं। मार्ग में छोटी या बड़ी नदियों को पँदल या नाव द्वारा विवेक से पार करने का भी निर्देश किया गया है।

भाषा समिति

जैनाचार्यों ने समितियों में भाषा समिति का पालन अति कठिन कहा है अतः इसके पालन में विवेक की अत्यधिक आवश्यकता है। आचाराग और दशवैकालिक सूत्र के आधार से यह समझाया गया है कि कव वचन प्रयोग करना और कव न करना, किस प्रकार करना और किस प्रकार न करना।

इस प्रकरण के प्रारम्भ में भाषा के प्रकारों का कथन करके उनका स्वरूप प्रज्ञापना सूत्र के आधार से बताया गया है। मावद्य भाषा, निश्चय भाषा प्रादि भाषाओं का निषेध एवं प्रज्ञापक आदि भाषाओं का विधान किया है।

दान सम्बन्धी भाषा के सावद्य निर्वद्य की चर्चा एवं उसमें गाधु को तटस्थ रहने का विवेक कर्मवन्ध से वचने के लिए अधिकरणी भाषा का विवेक, संखडी एव नदी आदि को देखकर बोलने का विवेक बताकर भाषा सम्बन्धी अनेक प्रायश्चित्तों का विधान किया है।

एषणा समिति

इस प्रकरण के अन्दर (१) पिडेपणा, (२) पाणेपणा, (३) शय्येपणा, (४) वस्त्रैपणा, (५) पात्रैपणा, (६) रजोहरणैपणा एवं (७) पादप्रोक्षणैपणा आदि विभाग हैं।

(१) पिडेपणा में मद्युकरी वृत्ति, मृगचर्या, कापोतवृत्ति, अदीनवृत्ति आदि से एषणाओं का महत्व और उपमायुक्त चोभंगिया हैं।

आहार, विगय, एषणा, भिक्षा, गोचरचर्या आदि के भेदों का निरूपण है। तदनन्तर गवेपण विधि और गवेपण की योग्यता का कथन करके पारिवारिक जनो के यहाँ भिक्षार्थ जाने या न जाने का स्पष्टीकरण किया गया है।

भिक्षाचार्यों के घरों का, उनमें प्रवेश करने का तथा अन्य विधानों का सूचन, उद्गम, उत्पादना एव एषणा दोषों का अलग-अलग विस्तृत वर्णन, निर्दोष आहार ग्रहण करने का विवेक एवं निर्दोष विधि से उसे खाना इत्यादि एषणा समिति के महत्वपूर्ण अंगों का कथन है। पूर्वाचार्यों ने बताया है कि समुद्र को पार करने के समान गवेपणा है और कीचड़ आदि से युक्त किनारे को पार करने के समान परिभोगेपणा है। आहार करने के ६ कारण और नहीं करने के ६ कारणों को ध्यान में रखते हुए राग द्वेष रहित होकर उचित विधि से विवेक पूर्वक उदर-पूर्ति के लिए आहार किया जाता है।

एषणा के प्रमुख ४७ दोषों के स्पष्टीकरण के साथ शय्यातर पिड, राजपिड आदि की विस्तृत चर्चा हुई है।

(२) पाणेपणा के वर्णन में अनेक प्रकार के अचित्त जलो का वर्णन है। आगमों में अचित्त जलो की सख्या निश्चित नहीं की गई है किन्तु कुछ नाम उदाहरण के रूप में कहकर अन्य अनेक अचित्त जलो के होने की एव ग्रहण करने की सूचना की गई है। आगमों में आये जलो के नामों का स्पष्टार्थ करके कल्पनीय-अकल्पनीय जलो को विभाजित किया गया है, साथ ही साथ शुद्धोदक और गर्म जल की चर्चा कर उनका अन्तर भी स्पष्ट किया है।

ठाणाग सूत्र और पयुपणा कल्प सूत्र के आधार से तपस्या में भी विविध प्रकार के (धोवन) जलो को ग्राह्य कहा है। दाता की अनुज्ञा से स्वयं के हाथों से जल ग्रहण करने की विधि भी कही है। अन्त में तत्काल बने हुए धोवन पानी के लेने का प्रायश्चित्त विधान है। अर्थात् धोवन जलो के निष्पन्न होने के कुछ समय (घड़ी अर्द्धगुहूर्ण) बाद ही उन्हें ग्रहण करना कल्पता है।

(३) आहार पानी की गवेपणा के साथ-साथ मकान की गवेपणा का भी महत्व है। सयम, शरीर, स्वाध्याय एव परिष्ठापन आदि की सुविधाओं से युक्त होने के साथ-साथ चित्त की एकाग्रता के योग्य उपाश्रय होना भी आवश्यक है। धान्य, ग्राह्य, पदार्थ, जल, अग्नि, स्त्री आदि से युक्त उपाश्रय का निषेध और साथ ही कुछ आपवादिक विधान है।

औद्देशिक आदि दोष एव अनेक प्रकार के परिकर्म दोष युक्त मकानों की चर्चा करते हुए एषणीय अनेपणीय उपाश्रय का वर्णन है।

गृहस्थ के घरों में ठहरने पर होने वाले दोषों की सम्भावना व्यक्त की गई है।

भित्ति से असुरक्षित ऊँचे स्थानों पर, जल युक्त नदी आदि के किनारे, कम ऊँचाई वाले घास के झुँपड़ों में ठहरने का निषेध है।

चातुर्मासिकाल के निकट आने पर कैसे ग्राम आदि में ठहरना, इस विषय का स्पष्टीकरण है, साथ ही एकाकी बहुश्रुत भिक्षु के ठहरने के स्थान की चर्चा भी है। तदनन्तर पाँच प्रकार के अवग्रहों का कथन एव अनेक प्रकार के अवग्रहों का उल्लेख किया है साथ ही सस्तारक का ग्रहण, अनुज्ञा, प्रत्यर्पण आदि की विधियों का उल्लेख हुआ है। संयम साधना काल में प्राप्त मनोनुकूल या प्रतिकूल शय्या में समभाव रखने का उपदेश है। इसके पश्चात् अत में सस्तारक एव उपाश्रय सम्बन्धी विविध प्रायश्चित्तों की चर्चा है।

(४-५) वस्त्रवर्णना पात्रवर्णना

शरीर के संरक्षण हेतु रखे जाने वाले वस्त्रों की एवं कल्पनीय पात्रों की जाति का उल्लेख करके यह कहा है कि तरुण स्वस्थ मुनि इनमें से एक-एक जाति के वस्त्र या पात्र ही धारण करे। इस विषय में अर्थ भ्रम से संख्या की अपेक्षा एक ही वस्त्र या एक ही पात्र के नियम की कल्पना की जाती है, जो गौतम स्वामी के पात्र वर्णन या अन्य सूत्रों के पात्र वर्णन से मेल नहीं खाता है।

वस्त्रों की और पात्रों की विविध गवेषणा विधियों का उल्लेख करने के साथ यह भी बताया गया है कि कभी दाता वाद में आने का संकेत करे या आधाकर्मी आहार पानी युक्त पात्र दे तो नहीं लेना। पूर्ण निर्दोष वस्त्र पात्र भी लेते समय अच्छी तरह प्रतिलेखन करके लेना। यहाँ दोनों प्रकरण में चार-चार विशिष्ट प्रतिज्ञाएँ वस्त्र पात्र के गवेषणा एवं धारण सम्बन्ध में कही हैं। अनावश्यक परिकर्म एवं विभूषा कृत्यों का निषेध किया है। ठाणाग सूत्र में वस्त्र धारण करने के कारण कहे हैं और व्यवहार सूत्र आदि में मर्यादा से अधिक वस्त्र, पात्र आदि देने के और रखने के आपवादिक विधान हैं तथा उनके प्रायश्चित्तों का कथन है। आचाराग में वर्णित एक-दो या तीन वस्त्र धारण करने की विशेष प्रतिज्ञा का उल्लेख करते हुए अचेल साधना का भी महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है।

साध्वी के उपयोगी वस्त्र ग्रहणादि के उल्लेख भी अलग सूचित किये गये हैं। अकारण वस्त्र प्रक्षालन आदि का निषेध करके सकारण धोए गये वस्त्रों को सुखाने के स्थलों की विचारणा की गई है। बहुमूल्य वस्त्र पात्रों का निषेध एवं प्रायश्चित्त के साथ, चर्म धारण सम्बन्धी आपवादिक विधानों की चर्चा भी हुई है।

जीव रक्षा आदि हेतुओं से वस्त्र की चिलमिलिका—मच्छर-दानी रखने का उल्लेख है। अन्त में अनेक प्रायश्चित्तों का सकलन है।

(६-७) आगमों में प्रादप्रोछन और रजोहरण ये दो अलग-अलग उपकरण कहे हैं। उनके विभिन्न उपयोगों का विधान है। फिर भी कभी कभी सूत्रों में प्रयुक्त पादप्रोछन का अर्थ रजोहरण करने का भ्रम उत्पन्न होता है जिसमें लिपि प्रमाद आदि का कारण ही प्रमुख है।

निशीथ सूत्र में भी दोनों उपकरणों के भिन्न-भिन्न प्रायश्चित्त कहे गये हैं और प्रश्नव्याकरण सूत्र में साधु के उपकरणों का सकलित कथन है उसमें भी दोनों नाम अलग-अलग हैं और टीकाकार ने उन्हें अलग-अलग गिन कर उपकरणों की निश्चित संख्या सूचित की है।

पाद प्रोछन एक वस्त्र खण्ड होता है जो कभी पाँव पोछने में

या कभी मलोत्सर्ग करते समय उपयोग में लिया जाता है अथवा कभी उसको डंडे में बांधकर मकान के ऊँचे विभागों का शोधन किया जाता है इसे औपग्रहिक उपकरण कहा गया है।

किन्तु रजोहरण साधु साध्वी के लिए अत्यावश्यक उपकरण है। उसके रखने का मुख्य हेतु जीव रक्षा एवं मुनि का चिन्ह है जिनकल्पी अचेल साधुओं के लिए भी रजोहरण एक आवश्यक उपकरण है।

प्रस्तुत प्रकरण में पाँच प्रकार के रजोहरणों का वर्णन करके तत्सम्बन्धी अनेक विधानों को प्रायश्चित्त कथन के माध्यम से स्पष्ट किया गया है जिसमें रजोहरण के परिमाण का, उस पर बैठने सोने आदि के निषेध का, अविधि से बाँधने का तथा सदा अपने पास रखने का इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों का प्ररूपण हुआ है।

आदान निक्षेप समिति

इस प्रकरण में औधिक उपधि की संख्या और औपग्रहिक उपकरणों के अनेक नाम सूचित कर उन उपकरणों को विहार गोचरी आदि में साथ रखने का कहा गया है।

स्थविरो के दण्ड छत्र उपानह आदि उपकरणों की चर्चा भी यहाँ है। गिनती एवं माप से अमर्यादित उपकरण रखने का प्रायश्चित्त कहा है।

प्रतिलेखन का वर्णन करते हुए उसकी विधि एवं अनेक प्रमाद जनित दोषों का वर्णन किया गया है साथ ही प्रतिलेखन न करने वाले को प्रायश्चित्त का पात्र बताया है।

अन्त में ऊणोदरी आदि तप की अपेक्षा उपकरण के प्रत्याख्यान का फल बताया है। साथ ही किसी साधु का खोया हुआ उपकरण मार्ग में किसी साधु को मिल जाय तो क्या करना चाहिए इसका विवेक कहा गया है।

उच्चार-प्रसन्नवण समिति

यहाँ परठने योग्य पदार्थों का, परठने योग्य सदोष निर्दोष स्थानों का और स्थंडिल के दस गुणों का कथन किया गया है साथ ही उच्चारादि परठने की भूमि से सम्पन्न मकान में ठहरने का विधान किया है।

आचाराग में इस विषय का स्वतन्त्र अध्ययन है उसके आधार से एवं निशीथ सूत्र के तीसरे, चौथे आदि उद्देशकों के आधार से अनेक अकल्पनीय स्थलों का वर्णन करने के साथ यह भी बताया गया है कि किस विधि से मलोत्सर्ग करना तथा मल द्वार की शुद्धि करना।

आचाराग एवं निशीथ के सूत्रों से उच्चार मात्रक में मलोत्सर्ग करने की विधि भी बताई गई है। अन्त में उनके अनेक प्रायश्चित्तों का विधान है।

गुप्ति

तीन गुप्तियों का स्वरूप एवं भेदों का कथन करके यह भी बताया गया है कि सम्पूर्ण अशुभ प्रवृत्तियों से निवृत्त होना ही गुप्ति है। समाधि युक्त साधु के लक्षण बताते हुए उसे हाथ पाव आदि से सयत एवं गुप्त होना कहा गया है।

उत्तराध्ययन २३ के अनुसार मन के निग्रह को कठिन कह कर उसे नियन्त्रित करने के उपाय भी कहे गये हैं। दस चित्त-समाधि स्थानों का विस्तृत वर्णन करके दस प्रकार की समाधि और असमाधि का वर्णन किया है। अन्त में मन गुप्ति का परिणाम कहकर वचन गुप्ति का प्ररूपण करते हुए उसके चार प्रकार एवं फल बताया गया है।

कायगुप्ति के वर्णन में उसके प्रकार, महत्व एवं फल बता कर पाँचों इन्द्रियों के निग्रह का अलग-अलग फल बताया गया है।

अप्रमत्त मुनि के अध्यवसायो का दिग्दर्शन करके उपयोग-शून्य एवं चंचल आसन वाले को पापी श्रमण कहा गया है।

दीक्षा

आत्म कल्याण के कर्तव्यों में द्रव्य एवं भाव से सयम स्वीकार करना भी साधक का एक प्रमुख कर्तव्य है। सयम, दीक्षा, प्रव्रज्या, अणगार धर्म, आदि एकार्थक शब्द हैं। इसे स्वीकार करने वाला सयमी, दीक्षित, साधु, मुनि, अणगार या भिक्षु आदि कहा जाता है।

यद्यपि महाव्रत समिति गुप्ति के वर्णन से चारित्र्याचार का वर्णन सम्पन्न हो जाता है फिर भी आगमों में स्थित अनेक प्रकीर्णक विषयों को इस विशिष्ट वर्गीकरण में विभाजित करने पर अनेक विषय महाव्रत समिति एवं गुप्ति के प्रकरण के बाद भी अवशेष रह जाते हैं। उसे अष्ट प्रवचन माता के वर्णन रूप प्रथम भाग के अनन्तर द्वितीय भाग में (१) दीक्षा, (२) संयमी जीवन, (३) समाचारी, (४) प्रतिक्रमण, (५) गृहस्थ धर्म, (६) आराधक विराधक, (७) अनाचार, (८) सघव्यवस्था आदि में वर्गीकरण किया गया है।

दीक्षा प्रकरण में सर्व प्रथम यह कहा गया है कि जिसके धर्मान्तराय कर्म का क्षयोपशम हुआ है वही किसी से धर्म सुनकर या बिना सुने ही सयम ग्रहण करता है।

तदनन्तर दीक्षित होने वाले के वैराग्य की विभिन्न अवस्थाओं का, वय का, निश्चा का, उपकरणों का वर्णन करके नपुंसक और असमर्थ को दीक्षा देने का निषेध किया गया है।

ठाणग सूत्र से उद्धृत चौभागियों द्वारा विविध प्रकार की प्रव्रज्याओं का वर्णन करते हुए दस प्रकार के मुंडन कहे गये हैं।

छेदोपस्थापनीय चारित्र्य (वडी दीक्षा) देने की सम्पूर्ण विधि, उसके काल मान की चर्चा एवं उसके योग्यायोग्य की चर्चा की

गई है। अन्त में अयोग्य को दीक्षा देने पर गुरु चौमासी प्रायश्चित्त का विधान किया है।

सयमी जीवन

इस प्रकरण में सयम का स्वरूप, उसका महत्त्व एवं सामायिक आदि पाँच चारित्र्य, छह प्रकार की कल्पस्थिति का वर्णन करके संयम के भेदों प्रभेदों के कथन के बाद सतरह प्रकार के सयम का कथन किया गया है।

सयमी के लक्षणों का वर्णन करके अणगार के अनेक गुणों का आदर्शों का और शिक्षित जीवन का दिग्दर्शन भी प्रस्तुत किया गया है। जिसमें आचाराग, सूयगढाग, दशवैकालिक उत्तराध्ययन के अध्ययनों को समाविष्ट किया गया है।

आत्मार्थी अनात्मार्थी के लाभालाभ की चर्चा करते हुए अणगार के सत्तावीस गुणों का स्पष्टीकरण करके निर्ग्रन्थों के अनेक प्रशस्त लक्षण कहे गये हैं। उसके बाद संयमी की अनेक उपमाओं का संग्रह किया गया है।

साधक के अपने ही हायमान एवं वर्द्धमान परिणामों से सयम सुखद और दुःखद प्रतीत होता है। इसे दुःखशय्या और सुखशय्या के नाम से निर्दिष्ट किया है।

तदनन्तर सयम के प्रेरणात्मक उपदेशी विषय, विनय, विवेक, सयम की शुद्ध आराधना का स्वरूप, पूजा-प्रशंसा की चाहना का निषेध, परीपह विजेता होने की प्रेरणा, एवं सदा जाग्रत रहने का सूचन आदि संयमोन्मत्ति के अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों का सकलन किया गया है। प्रतिदिन करने योग्य साधुओं के तीन मनोरथ भी बताये गये हैं।

संयम पोषक वत्तीस योग संग्रह का और अहिंसा आदि अठारह प्रमुख आचरण के स्थानों का विस्तार से वर्णन है एवं तत्सम्बन्धी अनेक अपवाद एवं प्रायश्चित्त भी साथ में कहे हैं।

अन्त में सयम धर्म आराधना का फल बताते हुए सुश्रमणों की सत्सारा से मुक्ति एवं कुश्रमणों की दुर्गति का कथन किया है एवं मद्यसेवी की अवघ्नति एवं दुर्दशा भी कही गई है।

समाचारी

इस प्रकरण में भिक्षु की दस प्रकार की समाचारी, दिवस एवं रात्रि के प्रहरो से सम्बन्धित दिनचर्या का विधान किया है, जिसमें स्वाध्याय, वैयावृत्य, प्रतिलेखन, भिक्षाचर्या, प्रतिक्रमण, निद्रा, ध्यान आदि आवश्यक कर्तव्यों की विचारणा हुई है।

इसके साथ ही पोरिसी परिमाण का विज्ञान, तिथिक्षय, प्रतिलेखन विधि एवं उसके दोषों का कथन भी है।

वर्षावास समाचारी का विस्तृत वर्णन है इसमें क्षेत्र की सीमा बताकर अनेक आपवादिक कारणों से चातुर्मास में विहार करने की चर्चा करके अकारण विहार करने का प्रायश्चित्त कहा गया है। फिर भिक्षाचर्या सम्बन्धी वर्णन करते हुए आठ प्रकार

के सूक्ष्मो का विस्तार से वर्णन किया गया है।

विशिष्ट तपस्याओ का सलेखना का कथन करते हुए उसमें ग्रहण करने योग्य धोवन पानी और गर्म पानी की चर्चा है। अन्त में पर्युषणा एव चातुर्मास सम्बन्धी अनेक कर्तव्यों की सूचना की गई है।

प्रतिक्रमण

इस प्रकरण में सर्व प्रथम “आवश्यक” की अनुयोग पद्धति से व्याख्या की गई है। जिसमें द्रव्य भाव आवश्यक एवं नय दृष्टि की चर्चा भी हुई है।

तदनन्तर प्रतिक्रमण के प्रकार, अतिक्रम आदि के प्रकार और उनकी विशुद्धि की चर्चा की गई है फिर प्रतिक्रमण की विधि एव उसमें उपयुक्त पाठों का अर्थ स्पष्ट किया गया है। दस प्रकार के पञ्चक्खाणो और उनके आगारो का स्पष्टीकरण भी है। अन्त में पञ्चक्खाण पूर्ण होने पर उसको पारने की विधि का सूत्र भी दिया गया है।

पञ्चक्खाणो के विविध स्वरूप के साथ मूलगुण पञ्चक्खाण और उत्तरगुण पञ्चक्खाणो की विस्तृत चर्चा करते हुए दु.पञ्चक्खाणी एवं सुपञ्चक्खाणी का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। फिर प्रतिक्रमण एवं अनेक प्रकार के पञ्चक्खाणो के फल बताये गये हैं।

गृहस्थ धर्म

इस प्रकरण में श्रमणोपासको के प्रकार उपमा द्वारा बता कर चार प्रकार की विश्रान्ति का उपमा द्वारा स्पष्टीकरण किया गया है। तदनन्तर अल्पायु-दीर्घायु बध्न की चर्चा भी की गई है।

सम्यक्त्व सहित श्रावक के वारह व्रतों का स्वरूप और उसके अनिचारो का विश्लेषण किया गया है।

चारित्र्याचार में संयमी जीवन का तो महत्वपूर्ण स्थान है ही साथ ही श्रावक धर्म का भी प्रमुख स्थान है। वह किसी अपेक्षा से साधु से कम है तो किसी अपेक्षा से समान है और किसी अपेक्षा से अधिक भी है यथा—(१) महाव्रत की अपेक्षा उनके अणुव्रत कहे गये है अत कम है। (२) दोनो धर्मों की आराधना करने वाले उत्कृष्ट १५ भव से मुक्त हो जाते हैं अत समान है। (३) “संति एगोहि भिक्खूहि गारत्था संजमुत्तरा” इस कथन के द्वारा साधुओ के संयम से गृहस्थ के संयम को श्रेष्ठ कहा गया है।

सामान्यतया कोई श्रावक भी एकभवावतारी हो सकता है और कोई साधु १५ भव या विराधक हो तो अनन्त भव भी कर सकता है।

साधु जीवन स्वीकार करने वाले को नियमत. पांच महाव्रत, पांच समिति आदि स्वीकार करके उनका जीवन पर्यन्त पालन करना होता है। इसमें ऐच्छिक नहीं है, किन्तु गृहस्थ जीवन में

श्रद्धा प्ररूपणा के मिवाय किसी भी व्रत पञ्चक्खाण की अनिवार्यता नहीं है वह चाहे एक व्रत धारण करे या वारह व्रत अथवा श्रावक प्रतिमा धारण करे सभी ऐच्छिक हैं। एक या अनेक व्रतों को भी वह पूर्ण या अपूर्ण तथा अनेक आगारो सहित भी धारण कर सकता है अर्थात् “जैसी शक्ति वैसा धारे, पर प्रमाद को दूर निवारे” इस कथन को ध्यान में रखना आवश्यक है। श्रावक के भी तीन मनोरथ हैं जिसका सदा चिंतन मनन कर उसे आत्मविकास करना चाहिए।

श्रावक के वारह व्रतों में सामायिक के विषय की एवं श्रमणो को शुद्ध आहारादि देने के विषय की विस्तृत विचारणा की गई है एवं उसका फल बताया गया है।

श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओ का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। इन प्रतिमाओ की यह विशेषता है कि इसमें आगार रहित नियमों का पालन किया जाता है। प्रतिमा के वर्णन में पाँचवी, छठी प्रतिमा के स्वरूप सम्बन्धी पाठ में कुछ भिन्नता है उसे सुधार कर व्यवस्थित भी किया गया है।

तदनन्तर श्रावक के व्रत पञ्चक्खाण का रहस्य बताते हुए व्रत धारण करने के ४६ भंगों का विश्लेषण किया गया है। अन्त में गृहस्थ धर्म का फल बताते हुए आजीविक श्रमणोपासक की मर्यादाओ का कथन कर श्रमणोपासक को अपना आदर्श जीवन बनाने की प्रेरणा की गई है।

आराधक विराधक

जिस प्रकार वर्ष भर की पढाई का परिणाम परीक्षा में होता है उसी प्रकार सयम जीवन एवं गृहस्थ जीवन का परिणाम आराधक विराधक की परीक्षा में निहित है।

आराधना प्रकरण के प्रारम्भ में जिन वचनों के श्रद्धा की दृढता का कथन है तदनन्तर आलोचना के भावों की विस्तृत विचारणा की गई है। साथ ही आलोचना न करने वाले के परिणामों की चर्चा करते हुए उसे “माई” कहा है।

आराधना विराधना के विषय को “दावदव” वृक्षों की उपमा देकर कहा गया है कि मुनि को आभ्यंतर परिपह और बाह्य परिपह के वचन आदि समभाव से सहन करना चाहिए।

इसके बाद शील एवं श्रुत की चौभंगी एव आराधना विराधना की अनेक चौभंगिया कही हैं। अन्त में आधाकर्म आदि दूषित आहार के सम्बन्ध से आराधना विराधना की चर्चा की गई है।

आराधना के विविध प्रकारों की चर्चा करते हुए ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य इन तीनों आराधनाओ का परस्पर सम्बन्ध भी बताया है।

तदनन्तर उववाई सूत्र में वर्णित आराधक विराधक साधु, श्रमणोपासक, अन्य तापस, परित्नाजक एवं तिर्यंच आदि का

विस्तृत वर्णन करके उनकी देवगति में उत्पत्ति का विशद वर्णन किया गया है।

जैन मुनि के कादम्बिक किल्बिषिक आदि भावों से संयम का दूषित होना बताकर उनकी दुर्गति होने का निर्देश किया गया है और उन अभियोगिक किल्बिषिक अवस्थाओं के प्राप्त होने के कारण भी बताये गये हैं।

इसके बाद ६ निदानों की विस्तृत विचारणा कर अनिदान संयम जीवन की प्रेरणा एवं उसका मुक्तिफल प्रदर्शित किया गया है।

आराधना विराधना का अन्तिम निर्णय मरण समय से होता है अतः यहाँ बालमरण आदि का स्वरूप भी स्पष्ट किया गया है जिसमें १७ प्रकार के मरण, १२ या २० प्रकार के बालमरणों का स्वरूप बताकर दो मरण (फासी और गृह स्पृष्ट मरण) ब्रह्मचर्य रक्षा हेतु स्वीकार करना प्रशस्त कहा गया है।

फिर उत्तराध्ययन अ ५ के आधार से दोनों मरणों का विस्तृत कथन है। अन्त में बालमरणों की प्रशंसा करने का भी चौमासी प्रायश्चित्त बताया गया है।

अनाचार

संयम स्वीकार कर लेने पर भी सभी साधक आराधक ही होते हैं, यह जरूरी नहीं है। विराधक होने वाले अपने वैराग्य एवं लक्ष्य के परिवर्तित हो जाने के कारण अनेक अनाचरणीय कृत्य करते हैं। इस प्रकार में ऐसे अनेक अनाचारों का वर्णन है। यद्यपि प्रचलित भाषा में वाचन अनाचार भी कहे जाते हैं किन्तु सूत्रों में अनेक जगह अनेक अनाचरणीय विभिन्न अपेक्षाओं से कहे हैं किन्तु वाचन की संख्या कहीं भी नहीं कही है।

सर्वप्रथम अनाचार एवं मूर्च्छा भाव का निषेध करते हुए सूत्रकृतांग में वर्णित अनाचारों का स्वरूप बताकर स्वच्छन्द और पापी श्रमण की प्रवृत्ति का दिग्दर्शन किया है। फिर प्रमत्त-अप्रमत्त भाव एवं अवस्था का स्वरूप बताकर अप्रमत्त होने की प्रेरणा की गई है।

धर्म में विघ्न करने वाले, धर्मघातक, प्रमाद और अठारह पाप आदि भेदों का विश्लेषण करते हुए १० प्रकार से विशुद्धि होनी भी बताई है।

तदनन्तर दशवैकालिक सूत्र वर्णित अनाचार कहे गये हैं साथ ही २० असमाविस्थान, ३० महामोह बन्ध के कारण, १३ क्रियास्थानों का स्वरूप बताया गया है।

निमित्त कथन का निषेध, कषाय का निषेध एवं कषाय को अग्नि की उपमा, आठ मद, आदि विषयों का वर्णन करके श्लोधादि विजय का फल बताया गया है।

अन्त में विविध अनाचारों के प्रायश्चित्तों का सकलन किया गया है।

संघ-व्यवस्था

इस प्रकरण के प्रारम्भ में तीर्थ, संघ आदि का स्वरूप, जिनशासन का प्रवर्तन काल एवं केवली, जिन, स्पविर, रत्नाधिक आदि के प्रकारों का वर्णन है।

प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के शासन से बीच के तीर्थंकरों के शासन का महाव्रत सम्बन्धी अन्तर आदि कथन है। पाच प्रकार के व्यवहारों के उपयोग करने का स्पष्टीकरण किया गया है। तीन प्रकार के आत्मरक्षक कहकर आचार्य एवं शिष्यों के प्रकारों का चौभागियों द्वारा कथन किया गया है।

आचार्य एवं गणावच्छेदक के आचार सम्बन्धी अतिशय बता कर आचार्य की आठ सपदा का वर्णन करके अनेक कर्तव्याकर्तव्य की चर्चा की गई है।

आचार्य उपाध्याय गणावच्छेदक आदि पदों की व्यवस्था का वर्णन करते हुए दीक्षापर्याय श्रुतज्ञान एवं अन्य गुण सम्पन्न होने की चर्चा की गई है। आचार्य के दिवंगत होने के बाद किसे आचार्य बनाना या हटाना इसकी विशद चर्चा हुई है।

अब्रह्मचर्य, असत्य एवं मायाचरण करने वालों को उनके पदों से मुक्त करने का दण्ड विधान किया गया है एवं पुनः तीन वर्ष या जीवन पर्यन्त भी उन्हें पद नहीं देने का निर्देश किया गया है।

संघाडा प्रमुख या गण धारण करने वाले के ६ प्रमुख गुणों की चर्चा की गई है साथ ही गण धारण कर स्वतन्त्र विचरण करने के लिए आज्ञा लेने की विधि बताई गई है एवं योग्यता विना या आज्ञा विना जाने वाले को प्रायश्चित्त कहा है।

६वें १०वें प्रायश्चित्त विधान की एवं तरुण साधुओं को आचार्य उपाध्याय नियुक्ति रहित गच्छो में नहीं रहने की विचारणा की गई है।

विचरण करते हुए संघाडा प्रमुख के काल करने पर शेष साधुओं के कर्तव्याकर्तव्य का विवेक बताया गया है।

इसी प्रकार साध्वियों के प्रवर्तिनी गणावच्छेदिनी आदि पदों की चर्चा की गई है, जिसमें ६० वर्ष की दीक्षा पर्याय वाली साध्वियों को भी आचार्य की निश्रा करके ही विचरण का आदेश दिया गया है।

तदनन्तर साधु साध्वी को आचाराग-निशीथसूत्र कंठस्थ धारण करने की आवश्यकता कही है और भूल जाने पर कठोर दण्ड व्यवस्था का भी निर्देश दिया गया है।

इसके बाद साधु साध्वियों के विनय व्यवहार सम्बन्धी आवश्यक कर्तव्यों की चर्चा की गई है।

अध्ययन-अध्यापन व्यवस्था का वर्णन करते हुए दीक्षा पर्याय के साथ सम्बन्ध बताया गया है।

विचरण व्यवस्था के वर्णन में आचार्य उपाध्याय प्रवर्तिनी

आदि के साथ साधु साध्वियों की संख्या बताई गई है तथा आचार्य उपाध्याय प्रवर्तिनी एव गणावच्छेदक गणावच्छेदिका को एकाकी विचरने का स्पष्ट निषेध किया गया है। विचरण काल एवं विचरण क्षेत्र की चर्चा करके रात्रि में गमनागमन का निषेध किया गया है।

साधु-साध्वी के पारस्परिक व्यवहारों की चर्चा करते हुए उनके आलाप-संलाप, आवास-सवास, वैयावृत्य एवं काल धर्म प्राप्त साधु से सम्बन्धित कृत्यों के उत्सर्ग-अपवाद की चर्चा की गई है। अन्त में विशेष कारण के बिना परस्पर सेवा करने, करवाने का या आलोचना करने का निषेध किया गया है।

साभोगिक (व्यावहारिक) व्यवस्था में १२ संभोगो (पारस्परिक व्यवहारों) का कथन करके विसंभोग करने की अर्थात् संभोग सम्बन्ध को पृथक् कर देने के कारणों की चर्चा की गई है एव उसकी विधि भी बताई गई है।

सभोग (व्यवहार) पञ्चकषाण करने को एक विशिष्ट साधना रूप में कहकर उसका अनुपम फल प्रदर्शित किया गया है।

गृहस्थों के साथ पारस्परिक व्यवहार की चर्चा एवं प्रायश्चित्त का कथन किया गया है।

गणापक्रमण (गच्छ त्याग) के कारणों की विशद चर्चा करते हुए श्रुत ग्रहण के लिए अन्य गच्छ में जाने की विचारणा की गई है। साथ ही संभोग व्यवहार परिवर्तन हेतु और अन्य को अध्यापन हेतु भी गच्छ परिवर्तन या उपसंपदा परिवर्तन की विचारणा की गई है। इस विचारणा में आचार्य आदि पदवी-धरो को अपना पद त्याग कर अन्य को नियुक्त कर के ही जाने की विधि बताई गई है।

सातिचार संयम वाले पार्श्वस्थ आदि का गणापक्रमण एवं पुनः आने पर उन्हें गच्छ में रखने सम्बन्धी चर्चा विचारणा की गई है।

तदनन्तर एकल विहार चर्या का वर्णन, एकल विहारी के आठ गुण, उसके ठहरने के उपाश्रय ग्राम आदि की चर्चा भी की गई है। अव्यक्त भिक्षु के एकाकी विचरण का निषेध एव अनिष्ट फल बताया गया है।

योग्य भिक्षु को परिस्थितिवश एकाकी विहार करने की आज्ञा दी गई है साथ ही अनेक सावधानियाँ रखने की सूचना भी की गई है। एव प्रशस्त एकाकी विहारी वी सयम चर्चा का वर्णन किया है। बाद में श्रोधी, मानी आदि अप्रशस्त एकल विहारी का वर्णन भी किया है। असमर्थ एकाकी विहारी के गण

में पुनरागमन सम्बन्धी विचारणा भी की है।

अन्त में सूयगडाग सूत्र के आधार से संयमरत तपस्वी सकारण एकाकी विहारी भिक्षु के निर्वाण प्राप्ति का कथन है।

पार्श्वस्थ आदि शिथिल सयम साधकों के व्यवहार सम्बन्धी चर्चा में उनके साथ आहार, वस्त्र, पात्र, आदान, प्रदान, वंदन व्यवहार एवं साधुओं का आदान प्रदान आदि के प्रायश्चित्त भी कहे गए हैं तथा इनके पुन गण में आने पर यथायोग्य परीक्षण एवं प्रायश्चित्त के द्वारा शुद्धि करके गण में लेने की चर्चा भी है। टिप्पण में इनके स्वरूप को सरल सक्षिप्त भाषा में कहा है। इन वर्णनों में शिथिलाचारियों के १० प्रकार हैं अर्थात् सयम-च्युत साधकों के दस विभाग किए गये हैं।

संघ व्यवस्था के अन्तिम प्रकरण में कलह की उत्पत्ति के कारण, गणव्युद्ग्रह के कारण, कलह उपशम का उपदेश कर अनुपशात की विराधना का निर्देश किया है। विवाद उत्पत्ति एव उसके निवारण के उपाय भी बताये गए हैं। अन्त में क्षमापना के अनुपम फल की चर्चा करते हुए कलह सम्बन्धी प्रायश्चित्तों का कथन किया गया है।

तपाचार

प्रस्तुत कृति में चारित्राचार के बाद तपाचार का उल्लेख हुआ है। उत्तराध्ययन^१ और कुन्दकुन्द के दर्शनप्राभूत^२ में त्रिविध साधना मार्ग के स्थान पर चतुर्विध साधना-मार्ग का उल्लेख मिलता है। साधना के इस चतुर्थ अंग को तप कहा गया है। तप की साधना ही तपाचार है। उत्तराध्ययन में पूर्व कर्म सस्कारों को दग्ध करने के लिए अथवा पूर्व कर्मों की निर्जरा के लिये तप को साधना का एक आवश्यक अंग कहा गया है। तप जैन साधना का प्राण है। तप के अभाव में साधना विना नीव के प्रासाद के समान है। प्रो० भरतसिंह उपाध्याय के शब्दों में भारतीय सस्कृति में जो कुछ भी शाश्वत है, जो कुछ भी उदात्त एवं महत्वपूर्ण तत्व है, वह सब तपस्या से ही सभूत है। तपस्या ही इस राष्ट्र का बल है।^३

जैन परम्परा में तप शब्द का प्रयोग सामान्यतया तितिक्षा या कष्टसहिष्णुता के अर्थ में हुआ है। वस्तुतः जीवन जीने में उपस्थित अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को समभावपूर्वक सहन करना ही तप है। यद्यपि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि तप का अर्थ केवल अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों को समभाव पूर्वक सहन करना ही नहीं है, बल्कि यह स्वेच्छापूर्वक कष्ट को निमन्त्रण देना भी है। जैन परम्परा में परीषह और तप में अन्तर किया गया है। परीषह में जो कुछ घटित होता

१ उत्तराध्ययन २८/२, ३, ३५।

२ बौद्धदर्शन एवं अन्य भारतीय दर्शन पृ. ७१-७२ (भरतसिंह उपाध्याय)।

३ दर्शन प्राभूत (कुन्दकुन्द) ३२।

है उसे सहा जाता है परन्तु तप मे स्वेच्छा से कष्टमय जीवन को अपनाया जाता है। हमे यह स्मरण रखना चाहिये कि तप का अर्थ मात्र देह-दण्डन नहीं है। जैन परम्परा मे तप मे देह-दण्डन तो है, किन्तु यह मात्र देहदण्डन के लिए नहीं है, अपितु अहिंसा की और संयम की साधना के लिये है। जैन धर्म मे तप साधना के दो चरण हैं—(१) अहिंसा की साधना और (२) संयम की साधना। इन दोनों पर वह प्रतिष्ठित है।

पण्डित सुखलाल संघवी ने भारतीय परम्परा मे तप साधना के विभिन्न रूपों के विकास का एक चित्र प्रस्तुत किया है। वे लिखते हैं कि 'ऐसा ज्ञात होता है कि तप का स्वरूप क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होता गया। तपोमार्ग का विकास होता गया और उसके स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर आदि अनेक प्रकार साधकों ने अपनाए। यह तपोमार्ग अपने विकास मे चार भागों मे बाटा जा सकता है। (१) अवधूत साधना, (२) तापस साधना, (३) तपस्वी साधना, (४) योग साधना। जिनमे क्रमशः तप के सूक्ष्म प्रकारों का उपयोग होता गया, तप का स्वरूप बाह्य से आभ्यन्तर बनता गया। साधना देह-दमन से चित्तवृत्ति के निरोध की ओर बढ़ती गई।' जैन साधना तपस्वी जीवन एव योय साधना का समन्वित रूप मे प्रतिनिधित्व करती है, जबकि बौद्ध एव गीता के आचार दर्शन मुख्यतः योग-साधना का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी वे सभी अपने विकास के मूल केन्द्र से पूर्ण अलग नहीं है।

जैन आगम आचाराग सूत्र का घृत अध्ययन, बौद्ध ग्रन्थ विमुद्धिमग्ग का घृतगनिदेश और हिन्दू साधना की अवधूत गीता इन आचार-दर्शनों के किसी एक ही मूल केन्द्र की ओर इंगित करते हैं। जैन-साधना का तपस्वी मार्ग ही अहिंसक सस्करण है।^१

जैन साधना में तप का प्रयोजन

तप यदि नैतिक जीवन की एक अनिवार्य प्रश्रिया है तो उसे किसी लक्ष्य के निमित्त होना चाहिए। अतः यह निश्चय कर लेना भी आवश्यक है कि तप का उद्देश्य और प्रयोजन क्या है?

जैन साधना का लक्ष्य शुद्ध आत्म-तत्त्व की उपलब्धि या आत्मा का शुद्धिकरण है। लेकिन यह शुद्धिकरण क्या है? जैन दर्शन यह मानता है कि प्राणी कायिक, वाचिक एवं मानसिक क्रियाओं के माध्यम से कर्म वर्गणाओं के पुद्गलों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित कर्मवर्गणाओं के पुद्गल राग-द्वेष

या कषाय वृत्ति के कारण आत्मतत्त्व से एकीभूत होकर उसकी शुद्ध सत्ता, शक्ति एव ज्ञान ज्योति को अवतरित कर देते हैं। यह जब तत्त्व एव चैतन तत्त्व का संयोग ही विकृति है।

अतः शुद्ध आत्म-तत्त्व की उपलब्धि के लिये आत्मा की स्वशक्ति को आवरित करने वाले कर्म पुद्गलों का विलगाव आवश्यक है। कर्म पुद्गलों के पृथक् करने की इस क्रिया को निर्जरा कहते हैं जो दो रूपों मे सम्पन्न होती है। जब कर्म पुद्गल अपनी निश्चित अवधि के पश्चात् अपना फल देकर स्वतः अलग हो जाते हैं, वह सविपाक निर्जरा है, लेकिन यह तप साधना का उद्देश्य नहीं है। तप साधना तो सप्रयास है। प्रयास-पूर्वक कर्म-पुद्गलों को आत्मा से अलग करने की क्रिया को भविष्यक निर्जरा कहते हैं और तप ही वह क्रिया है जिसके द्वारा भविष्यक निर्जरा होती है।

तप का प्रयोजन है प्रयासपूर्वक कर्म-पुद्गलों को आत्मा से अलग कर आत्मा की स्वशक्ति को प्रकट करना। यही शुद्ध आत्म-तत्त्व की उपलब्धि है। यही आत्मा का विशुद्धिकरण है और यही तप साधना का लक्ष्य है। उत्तराध्ययन सूत्र मे भगवान महावीर तप के विषय में कहते हैं कि 'तप आत्मा के परिशोधन की प्रक्रिया है।'^३ आवद्ध कर्मों के क्षय करने की पद्धति है।^४ तप के द्वारा ही महर्षिगण पूर्वं पापकर्मों को नष्ट करते हैं।^५ तप राग द्वेष जन्य पाप-कर्मों के वन्धन को क्षीण करने का मार्ग है।^६

इस तरह जैन साधना में तप का उद्देश्य या प्रयोजन पूर्व-वद्ध कर्म-पुद्गलों का आत्म तत्त्व से पृथक्करण, आत्म-परिशोधन और शुद्ध आत्म-तत्त्व की उपलब्धि है।

जैन साधना में तप का वर्गीकरण

जैन आचार-प्रणाली मे तप के बाह्य (शारीरिक) और आभ्यन्तर (मानसिक) ऐसे दो भेद हैं।^७ इन दोनों के भी छह-छह भेद हैं।

(१) बाह्य तप—(१) अनशन, (२) ऊनोदरी, (३) शिक्षा-चर्या, (४) रस-परित्याग, (५) कायक्लेश और (६) सलीनता।

(२) आभ्यन्तर तप—(१) प्रायश्चित्त, (२) विनय, (३) वैयावृत्य, (४) स्वाध्याय, (५) ध्यान और (६) व्युत्सर्ग। शारीरिक या बाह्य तप के भेदः

(१) अनशन—आहार के त्याग को अनशन कहते हैं। यह दो प्रकार का है—एक निश्चित समयावधि के लिये किया

१ समदर्शी हरिभद्र पृ. ६७।

३ उत्तराध्ययन, २८/३५।

५ वही २८/३६, ३०/६।

७ वही ३०/७।

२ वही पृ. ६७।

४ वही २६/२७।

६ वही ३०/१।

८ वही २०/८-२८।

हुआ आहार-त्याग, यह एक मुहूर्त से लगाकर छह मास तक का होता है। दूसरा जीवन-पर्यन्त के लिये किया हुआ आहार-त्याग। जीवन पर्यन्त के लिए आहार त्याग की अनिवार्य शर्त यह है कि उस अवधि में मृत्यु की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। आचार्य पूज्यपाद के अनुसार आहार त्याग का उद्देश्य आत्म-संयम, आसक्ति में कमी, ध्यान, ज्ञानार्जन और कर्मों की निर्जरा है, न कि सासारिक उद्देश्यों की पूर्ति।¹ अनशन में मात्र देह-दण्ड नहीं है, वरन् आध्यात्मिक गुणों की उपलब्धि का उद्देश्य निहित है। स्थानाग सूत्र में आहार ग्रहण करने के और आहार त्याग के छह छह कारण बताये गये हैं। उसमें भूख की पीडा से निवृत्ति, सेवा, ईर्या, सयमनिर्वाहार्थ, धर्मचिन्तार्थ और प्राण-रक्षार्थ ही आहार ग्रहण करने की अनुमति है।

(२) ऊनोदरी (अवमौदर्य)—इस तप में आहार विषयक कुछ स्थितियाँ या शर्तें निश्चित की जाती हैं। इसके चार प्रकार हैं।

(१) आहार की मात्रा कुछ कम खाना, यह द्रव्य-ऊनो-दरी तप है। (२) भिक्षा के लिए, आहार के लिए कोई स्थान निश्चित कर वहीं से मिली भिक्षा लेना, यह क्षेत्र ऊनोदरी तप है। (३) किसी निश्चित समय पर आहार लेना यह काल ऊनो-दरी तप है। (४) भिक्षा प्राप्ति के लिए आहारार्थ किसी शर्त (अभिग्रह) का निश्चय करना यह भाव ऊनोदरी तप है। सक्षेप में ऊनोदरी तप वह है जिसमें किसी विशेष समय एवं स्थान पर, विशेष प्रकार से उपलब्ध आहार को अपनी आहार की मात्रा से कम मात्रा में ग्रहण किया जाता है। मूलाचार के अनुसार ऊनोदरी तप की आवश्यकता निद्रा एवं इन्द्रियों के संयम के लिए तथा तप एवं षट् आवश्यकों के पालन के लिये है।^२

(३) रस परित्याग—भोजन में दूध, दही, घृत, तैल, मिष्ठान आदि सबका या उनमें से किसी एक का ग्रहण न करना रस-परित्याग है। रस-परित्याग स्वाद-जय है। नैतिक जीवन की साधना के लिए स्वाद-जय आवश्यक है। महात्मा गाँधी ने ग्यारह व्रतों का विधान किया, उसमें अस्वाद भी एक व्रत है। रस परित्याग का तात्पर्य यह है कि साधक स्वाद के लिए नहीं, वरन् शरीर-निर्वाह अथवा साधना के लिए आहार करता है।

(४) भिक्षाचर्या—भिक्षा विषयक विभिन्न विधि-नियमों का पालन करते हुए भिक्षान्न पर जीवन यापन करना भिक्षाचर्या तप है। इसे वृत्ति परिसंख्यान भी कहा गया है। इसका बहुत कुछ सम्बन्ध भिक्षुक जीवन से है। भिक्षा के सम्बन्ध में पूर्व निश्चय कर लेना और तदनुकूल ही भिक्षा ग्रहण करना वृत्ति-परिसंख्यान है। इसे अभिग्रह तप भी कहा गया है।

(५) कायक्लेश—वीरासन, गोदुहासन आदि विभिन्न आसन करना, शीत या उष्णता सहन करने का अभ्यास करना काय-क्लेश तप है। कायक्लेश तप चार प्रकार का है—(१) आसन, (२) आतापना—सूर्य की रश्मियों का ताप लेना, शीत को सहन करना, अल्प वस्त्र अथवा निर्वस्त्र रहना। (३) विभूषा का त्याग (४) परिकर्म—शरीर की साज-सज्जा का त्याग।

(६) सलीनता—सलीनता चार प्रकार की है—(१) इन्द्रिय सलीनता—इन्द्रियों के विषयों से वचना, (२) कषाय-सलीनता—क्रोध, मान, माया और लोभ से वचना, (३) योग संलीनता—मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्तियों से वचना (४) विविक्त शयनासन—एकान्त स्थान पर सोना-वैठना। सामान्य रूप से यह माना गया है कि कषाय एवं राग-द्वेष के बाह्य निमित्तों से वचने के लिए साधक को श्मशान, शून्यागार और वन के एकांत स्थानों में रहना चाहिए।

आभ्यन्तर तप के भेद

आभ्यन्तर तप, तप का वह रूप है जो बाह्य रूप से तो तप के रूप में प्रतीत नहीं होता किन्तु आत्मविशुद्धि का कारण होने से जैन परम्परा में उसे तप ही कहा गया है। बाह्य तप स्थूल है जबकि आभ्यन्तर तप सूक्ष्म है। उत्तराध्ययन आदि सभी जैन ग्रन्थों में आभ्यन्तर तप के निम्न छ भेद माने गये हैं—

(१) प्रायश्चित्त—अपने द्वारा हुए व्रतभंग दुराचरण के प्रति ग्लानि प्रकट करना, उसे वरिष्ठ गुरुजनों के समक्ष प्रकट करके उसके शुद्धिकरण हेतु योग्य दण्ड की याचना करना एवं उनके द्वारा दिये गये योग्य दण्ड को स्वीकार करना, प्रायश्चित्त तप है जो वस्तुतः आत्मशोधन की एक प्रक्रिया है। वासनाओं एवं कषायों से उद्धेलित होना मनुष्य का सहज स्वभाव है। प्रायश्चित्त के स्वरूपादि के सन्दर्भ में हमने आगे विस्तार से चर्चा की है। अतः पाठकों को वही देख लेने की अनुशंसा करता हूँ।

(२) विनय—आत्मशुद्धि विना विनय सम्भव नहीं है। विनय व्यक्ति को अहंकार से मुक्त करता है और यह स्पष्ट है कि आत्मगत दोषों में अहंकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राचीन जैन ग्रन्थों में विनय शब्द का तात्पर्य है आचार के नियम। अतः आचार के नियमों का सम्यक् रूप में परिपालन ही विनय है। दूसरे अर्थ में विनय विनम्रता का सूचक है। इस दूसरे अर्थ में विनय का तात्पर्य है, वरिष्ठ एवं गुरुजनों का सम्मान करते हुए उनकी आज्ञाओं का पालन करना अथवा उन्हें आदर प्रदान करना। विनय के सात भेद हैं—(१) ज्ञान विनय, (२) दर्शन विनय, (३) चारित्र्य विनय, (४) मनोविनय, (५) वचनविनय, (६) काय विनय और (७) लोकोपचार विनय। शिष्टाचार के

५६ | चरणानुयोग : प्रस्तावना

रूप में किये गये वाह्योपचार को लोकोपचार विनय कहा जाता है।

(३) वैयावृत्य—वैयावृत्य का अर्थ सेवा-शुश्रूषा करना है। भिक्षु-संघ में दस प्रकार के साधकों की सेवा करना भिक्षु का कर्तव्य है—(१) आचार्य, (२) उपाध्याय, (३) तपस्वी, (४) गुरु, (५) रोगी, (६) वृद्ध मुनि, (७) सहपाठी, (८) अपने भिक्षु संघ का सदस्य, (९) दीक्षा स्यविर और (१०) लोक सम्मानित भिक्षु। इन दस की सेवा करना वैयावृत्य तप है। इसके अतिरिक्त संघ (समाज) की सेवा भी भिक्षु का कर्तव्य है।

(४) स्वाध्याय—स्वाध्याय शब्द का सामान्य अर्थ आध्यात्मिक साहित्य का पठन-पाठन एवं मनन आदि है। स्वाध्याय के पाँच भेद हैं—

(क) वाचना—सद्ग्रन्थों का पठन एवं अध्ययन करना।

(ख) पृच्छना—उत्पन्न शकाओं के निरसन के लिए एवं नवीन ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त विद्वज्जनो से प्रश्नोत्तर एवं वार्तालाप करना।

(ग) परावर्तन—परावर्तन का अर्थ दोहराना है। अर्जित ज्ञान के स्थायित्व के लिये यह आवश्यक है।

(घ) अनुप्रेक्षा—ज्ञान के विकास के लिए उसका चिन्तन करना एवं उस चिन्तन के द्वारा अर्जित ज्ञान को विशाल करना 'अनुप्रेक्षा' है।

(ङ) धर्मकथा—धार्मिक उपदेश करना धर्मकथा है।

(५) ध्यान—चित्त की अवस्थाओं का किसी विषय पर केन्द्रित होना ध्यान है। जैन परम्परा में ध्यान के चार प्रकार हैं—(१) आर्त-ध्यान, (२) रौद्रध्यान, (३) धर्मध्यान और (४) शुक्लध्यान। आर्तध्यान और रौद्रध्यान चित्त की दूषित प्रवृत्तियाँ हैं अतः साधना एवं तप की दृष्टि से उनका कोई मूल्य नहीं है, ये दोनों ध्यान त्याज्य हैं। आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से धर्मध्यान और शुक्लध्यान ये दोनों महत्त्वपूर्ण हैं। अतः इन पर थोड़ी विस्तृत चर्चा करना आवश्यक है।

धर्मध्यान—इसका अर्थ है चित्त-विशुद्धि का प्रारम्भिक अभ्यास।

धर्म-ध्यान के लिये ये चार बातें आवश्यक हैं—(१) आगम ज्ञान, (२) अनासक्ति, (३) आत्म-सयम और (४) मुमुक्षुभाव। धर्म ध्यान के चार प्रकार हैं—

(१) आज्ञा विचय—आगम के अनुसार तत्त्व स्वरूप एवं कर्तव्यों का चिन्तन करना।

(४) संस्थान-स्वरूपो का चिन्तन

संस्थान-विचय जित है—(अ) पिण्ड के चिन्तन पर आध्यात्मिक वाह्योपचार और तत्त्वभूत ध्यान—यह ध्यान करके किया जाता है। आदि विकारों से रक्षित-ध्यान—निराकरण करना।

शुक्ल ध्यान—ध्यान के द्वारा मन इसकी अन्तिम परिधि तक पहुँचाया जाता है। शुक्ल-ध्यान चार—इस ध्यान में शब्द का और शब्द करने लगता है।

संक्रमण होते रहते हैं। (२) एकत्व-वितर्क से रहित, एक पक्ष ध्यान कहलाता है और शरीर व्यापार वास की सूक्ष्म क्रिया प्राप्त होती है। (३) और शरीर की सम्पूर्ण क्रिया कोई भी सूक्ष्म क्रिया शुक्लध्यान अवस्था से क्रमशः कायिक, वाचिक व

कर अन्त में सिद्धांत और योग साधना के लिए आवश्यक है।

(६) व्युत्सर्ग-व्युत्सर्ग के आभ्यन्तरीय चार भेद हैं—

(१) कायोत्सर्ग हटा देना।

(३) उपधि-व्युत्सर्ग—वस्त्र, पात्र आदि मुनि-जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं का त्याग करना या उनमें कमी करना ।

(४) भक्तपान व्युत्सर्ग—भोजन का परित्याग । यह अनशन का ही रूप है ।

आभ्यन्तर व्युत्सर्ग तीन प्रकार का है—

(१) कषाय-व्युत्सर्ग—क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कषायों का परित्याग करना ।

(२) ससार-व्युत्सर्ग—प्राणीमात्र के प्रति राग-द्वेष की प्रवृत्तियों को छोड़कर सबके प्रति समत्वभाव रखना ।

(३) कर्म-व्युत्सर्ग—आत्मा की मलिनता मन, वचन और शरीर की विविध प्रवृत्तियों को जन्म देती है । इस मलिनता के परित्याग के द्वारा शारीरिक, मानसिक एवं वाचिक प्रवृत्तियों का निरोध करना ।

जैन धर्म में प्रायश्चित्त एवं दण्ड व्यवस्था

प्रायश्चित्त और दण्ड—जैन आचार्यों ने न केवल आचार के विधि-निषेधों का प्रतिपादन किया अपितु उनके भंग होने पर प्रायश्चित्त एवं दण्ड की व्यवस्था भी की । सामान्यतया जैन आगम ग्रन्थों में नियम-भंग या अपराध के लिए प्रायश्चित्त का ही विधान किया गया और दण्ड शब्द का प्रयोग सामान्यतया “हिंसा” के अर्थ में हुआ है । अतः जिसे हम दण्ड-व्यवस्था के रूप में जानते हैं, वह जैन परम्परा में प्रायश्चित्त व्यवस्था के रूप में ही मान्य है । सामान्यतया दण्ड और प्रायश्चित्त पर्यायवाची माने जाते हैं, किन्तु दोनों में सिद्धातत अन्तर है । प्रायश्चित्त में अपराध-बोध की भावना से व्यक्ति में स्वतः ही उसके परिमार्जन की अन्त प्रेरणा उत्पन्न होती है । प्रायश्चित्त अन्त प्रेरणा से स्वयं ही किया जाता है, जबकि दण्ड अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है । जैन परम्परा अपनी आध्यात्मिक-प्रकृति के कारण साधनात्मक जीवन में प्रायश्चित्त का ही विधान करती है । यद्यपि जब साधक अन्त प्रेरित होकर आत्मशुद्धि के हेतु स्वयं प्रायश्चित्त की याचना नहीं करता है तो सध व्यवस्था के लिए उसे दण्ड देना होता है ।

यद्यपि हमें यह स्मरण रखना होगा कि दण्ड देने से साधक की आत्मशुद्धि नहीं होती । चाहे सामाजिक या सध-व्यवस्था के लिए दण्ड आवश्यक हो किन्तु जब तक उसे अन्त प्रेरणा से स्वीकृत नहीं किया जाता तब तक वह आत्मशुद्धि करने में सहायक नहीं होता । जैन प्रायश्चित्त व्यवस्था में परिहार, छेद,

मूल, पाराचिक आदि वाह्यतः तो दण्डरूप है, किन्तु उनकी आत्म-शुद्धि की क्षमता को लक्ष्य में रखकर ही ये प्रायश्चित्त दिये जाते हैं ।

प्रायश्चित्त शब्द का अर्थ

प्रायश्चित्त शब्द की आगमिक व्याख्या साहित्य में विभिन्न परिभाषाएँ प्रस्तुत की गई हैं । जीतकल्प भाष्य के अनुसार जो पाप का छेदन करता है, वह प्रायश्चित्त है ।^१ यहाँ “प्रायः” शब्द को पाप के रूप में तथा “चित्त” शब्द को शोधक के रूप में परिभाषित किया गया है । हरिभद्र ने पचाशक में प्रायश्चित्त के दोनों ही अर्थ मान्य किये हैं । वे मूलतः “पायच्छित्त” शब्द की व्याख्या उसके प्राकृत रूप के आधार पर ही करते हैं । वे लिखते हैं कि जिसके द्वारा पाप का छेदन होता है, वह प्रायश्चित्त है ।^२ इसके साथ ही वे दूसरे अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिसके द्वारा पाप से चित्त का शोधन होता है, वह प्रायश्चित्त है ।^३ प्रायश्चित्त शब्द के संस्कृत रूप के आधार पर “प्रायः” शब्द को प्रकर्ष के अर्थ में लेते हुए यह भी कहा गया है कि जिसके द्वारा चित्त प्रकर्षता अर्थात् उच्चता को प्राप्त होता है वह प्रायश्चित्त है ।^४

दिगम्बर टीकोकारों ने “प्रायः” शब्द का अर्थ अपराध और चित्त शब्द का अर्थ शोधन करे यह माना है कि जिस क्रिया के करने से अपराध की शुद्धि हो वह प्रायश्चित्त है ।^५ एक अन्य व्याख्या में “प्रायः” शब्द का अर्थ “लोक” भी किया गया है । इस दृष्टि से यह माना गया है कि जिस कर्म से साधुजनो का चित्त प्रसन्न होता है वह प्रायश्चित्त है ।^६ मूलाचार में कहा गया है कि प्रायश्चित्त वह तप है जिसके द्वारा पूर्वकृत पापों की शुद्धि की जाती है ।^७ इसी ग्रन्थ में प्रायश्चित्त के पर्यायवाची नामों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जिसके द्वारा पूर्वकृत कर्मों का क्षपण, क्षेपण, निर्जरण, शोधन, धावन, पुनःक्षण अर्थात् निराकरण, उत्क्षेपण एवं छेदन होता है, वह प्रायश्चित्त है ।^८

प्रायश्चित्त के प्रकार

श्वेताम्बर परम्परा में विविध प्रायश्चित्तों का उल्लेख स्थानाग, निशीथ, वृहत्कल्प, व्यवहार, जीतकल्प आदि ग्रन्थों में मिलता है । किन्तु जहाँ समवायाग में प्रायश्चित्तों के प्रकारों का मात्र नामोल्लेख है वहीं निशीथ आदि ग्रन्थों में प्रायश्चित्त योग्य अपराधों का भी विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है । प्रायश्चित्त

१ जीतकल्पभाष्य ५ ।

२ यही ।

३ तत्त्वार्थ वातिक ६/२२/१, पृ. ६२० ।

४ मूलाचार ५/१६४ ।

२ पंचाशक (हरिभद्र) १६/३ (प्रायश्चित्तपंचाशक) ।

४ अग्निधान राजेन्द्र कोष ।

६ वही ।

८ वही ५/१६६ ।

सम्बन्धी विविध सिद्धांतों और समस्याओं का स्पष्टतापूर्वक विवेचन बृहत्कल्प भाष्य, निशीथभाष्य, व्यवहारभाष्य, निशीथ-चूर्णि, जीतकल्पभाष्य एवं जीतकल्पचूर्णि में उपलब्ध होता है। जहाँ तक प्रायश्चित्त के प्रकारों का प्रश्न है, इन प्रकारों का उल्लेख श्वेताम्बर आगम स्थानाग, बृहत्कल्प, निशीथ और जीत कल्प में, यापनीय ग्रन्थ मूलाचार में, दिगम्बर ग्रन्थ जयध्वला में तथा तत्त्वार्थ सूत्र एव उसकी श्वेताम्बर और दिगम्बर आचार्यों की टीकाओं में मिलता है।

स्थानाग सूत्र में प्रायश्चित्त के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख हुआ है, उसके तृतीय स्थान में ज्ञान प्रायश्चित्त, दर्शन प्रायश्चित्त और चारित्र्य-प्रायश्चित्त ऐसे तीन प्रायश्चित्तों का उल्लेख हुआ है।^१ इसी तृतीय स्थान में अन्यत्र आलोचना, प्रतिक्रमण और तदुभय ऐसे प्रायश्चित्त के तीन रूपों का भी उल्लेख हुआ है।^२ इसी आगम ग्रन्थ में अन्यत्र छ, आठ और नौ प्रायश्चित्तों का भी उल्लेख हुआ है, किन्तु ये सभी प्रायश्चित्तों के प्रकार उसके दशम स्थान में जो दशविध प्रायश्चित्तों का विवरण दिया गया है उसमें ममाहित हो जाते हैं।^३ अतः हम उनकी स्वतन्त्र रूप से चर्चा न करके उसमें उपलब्ध दशविध प्रायश्चित्त की चर्चा करेंगे—

स्थानाग, जीतकल्प और ध्वला में प्रायश्चित्त के निम्न दस प्रकार माने गये हैं—

(१) आलोचना, (२) प्रतिक्रमण, (३) उभय, (४) विवेक, (५) व्युत्सर्ग, (६) तप, (७) छेद, (८) मूल, (९) अनवस्थाप्य और (१०) पाराचिक।^४ यदि हम इन दस नामों की तुलना यापनीय ग्रन्थ मूलाचार^५ और तत्त्वार्थ सूत्र^६ से करते हैं तो मूलाचार में प्रथम आठ नाम तो जीतकल्प के समान ही हैं किन्तु जीतकल्प के अनवस्थाप्य के स्थान पर परिहार और पाराचिक के स्थान पर श्रद्धान का उल्लेख हुआ है। मूलाचार श्वेताम्बर परम्परा से भिन्न होकर तप और परिहार को अलग-अलग मानता है। तत्त्वार्थ सूत्र में तो इनकी संख्या नौ मानी गई है। इसमें सात नाम तो जीतकल्प के समान ही हैं किन्तु मूल के स्थान पर उपस्थापन और अनवस्थाप्य के स्थान पर परिहार का उल्लेख हुआ है। पाराचिक का उल्लेख तत्त्वार्थ में नहीं है अतः वह नौ प्रायश्चित्त ही मानता है। श्वेताम्बर आचार्यों ने तप और परिहार को एक माना है, किन्तु तत्त्वार्थ में तप और परिहार दोनों स्वतन्त्र प्रायश्चित्त माने गये हैं, अतः तत्त्वार्थ में भी परि-

हार का अर्थ अनवस्थाप्य ही हो सकता है। इस प्रकार तत्त्वार्थ और मूलाचार दोनों तप और परिहार को अलग-अलग मानते हैं और दोनों में उसका अर्थ अनवस्थाप्य के समान है। यद्यपि दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थ ध्वला १७ में स्थानाग और जीतकल्प के समान ही १० प्रायश्चित्तों का वर्णन है और उनके नाम भी वे ही हैं। इस प्रकार जहाँ ध्वला श्वेताम्बर परम्परा से सगति रखती है, वहाँ मूलाचार और तत्त्वार्थ कुछ भिन्न हैं। सम्भवतः ऐसा प्रतीत होता है कि जीतकल्प सूत्र के उल्लेखानुसार जब अनवस्थाप्य और पाराचिक इन दोनों प्रायश्चित्तों को भद्रवाहु के वाद व्यवच्छिन्न मान लिया गया या दूसरे शब्दों में इन प्रायश्चित्तों का प्रचलन बन्द कर दिया गया^७ तो इन अन्तिम दो प्रायश्चित्तों के स्वतन्त्र स्वरूप को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया और उनके नामों में अन्तर हो गया। मूलाचार के अन्त में परिहार का जो उल्लेख है वह अनवस्थाप्य से कोई भिन्न नहीं कहा जा सकता, किन्तु उसमें श्रद्धान प्रायश्चित्त का क्या तात्पर्य है यह न तो मूल ग्रन्थ से और न उसकी टीका से ही स्पष्ट होता है। यह अन्तिम प्रायश्चित्त है, अतः कठोरतम होना चाहिये। इसका अर्थ यह माना जा सकता है कि ऐसा अपराधी व्यक्ति जो श्रद्धा से रहित मानकर सघ से पूर्णतया वहिष्कृत कर दिया जाये किन्तु टीकाकार वसुनन्दी ने श्रद्धान का अर्थ तत्त्वार्थ एवं क्रोधदि त्याग किया है। इन प्रायश्चित्तों में जो क्रम है वह सहजता से कठोरता की ओर है अतः अन्त में श्रद्धा नामक सहज प्रायश्चित्त को रखने का कोई औचित्य नहीं है। वस्तुतः जिन प्रवचन के प्रति श्रद्धा का समाप्त हो जाना ही वह अपराध है, जिसका दण्ड मात्र वहिष्कार है। अतः ऐसे श्रमण की श्रद्धा जब तक सम्यक् नहीं है तब तक उसे सघ से वहिष्कृत रखना ही इस प्रायश्चित्त का तात्पर्य है।

प्रायश्चित्त का सर्वप्रथम रूप वह है जहाँ साधक को स्वयं ही अपने मन में अपराधबोध के परिणामस्वरूप आत्मश्लानि का भाव उत्पन्न हो। वस्तुतः आलोचना का अर्थ है अपराध को अपराध के रूप में स्वीकार कर लेना। आलोचन शब्द का अर्थ देखना, अपराध को अपराध के रूप में देख लेना ही आलोचना है। सामान्यतया वे अपराध जो हमारे दैनन्दिन व्यवहार में असावधानी (प्रमाद) या वाध्यतावश घटित होते हैं, आलोचना नामक प्रायश्चित्त के विषय माने गये हैं। अपने द्वारा हुए अपराध या नियम भंग को आचार्य या गीतार्थ मुनि के समक्ष निवेदित

१ स्थानाग ३/४७०।

४ (अ) स्थानाग १०/७३, (ब) जीतकल्पसूत्र ४, (स) ध्वला १३/५, २६/६३/१।

५ मूलाचार ५/१६५।

२ वही ३/४४८।

३ वही १०/७३।

६ तत्त्वार्थ ६/२२।

७ जीतकल्पभाष्य २५८६, जीतकल्प १०२।

करके उनसे उसके प्रायश्चित्त की याचना करना ही आलोचना है। सामान्यतया आलोचना करते समय यह विचार आवश्यक है कि अपराध क्यों हुआ ? उसका प्रेरक तत्व क्या है ? अपराध क्यों और कैसे ?

अपराध या व्रतभंग क्यों और किन परिस्थितियों में किया जाता है, इसका विवेचन हमें स्थानाग सूत्र के दशम स्थान में मिलता है, उसमें दस प्रकार की प्रतिसेवना का उल्लेख हुआ है। प्रतिसेवना का तात्पर्य है गृहीत व्रत के नियमों के विरुद्ध आचरण करना अथवा भोजन आदि ग्रहण करना। वस्तुतः प्रतिसेवना का सामान्य अर्थ व्रत या नियम के प्रतिकूल आचरण करना ही है। यह व्रतभंग क्यों, कब और किन परिस्थितियों में होता है इसे स्पष्ट करने हेतु ही स्थानाग में दस प्रतिसेवनाओं का उल्लेख है।^१

(१) दर्प-प्रतिसेवना—आवेश अथवा अहंकार के वशीभूत होकर जो हिंसा आदि करके व्रत भंग किया जाता है वह दर्प प्रतिसेवना है।

(२) प्रमाद प्रतिसेवना—प्रमाद एवं कषायों के वशीभूत होकर जो व्रत भंग किया जाता है, वह प्रमाद प्रतिसेवना है।

(३) अनाभोग प्रतिसेवना—स्मृति या सजगता के अभाव में अशक्य या नियम विरुद्ध वस्तु का ग्रहण करना अनाभोग प्रतिसेवना है।

(४) आतुर प्रतिसेवना—भूख-प्यास आदि से पीडित होकर किया जाने वाला व्रत-भंग आतुर प्रतिसेवना है।

(५) आपात प्रतिसेवना—किसी विशिष्ट परिस्थिति के उत्पन्न होने पर व्रत-भंग या नियम विरुद्ध आचरण करना आपात प्रतिसेवना है।

(६) शक्ति प्रतिसेवना—शंका के वशीभूत होकर जो नियम भंग किया जाता है, उसे शक्ति प्रतिसेवना कहते हैं, जैसे यह व्यक्ति हमारा अहित करेगा ऐसा मानकर उसकी हिंसा आदि कर देना।

(७) सहसाकार प्रतिसेवना—अकस्मात् होने वाले व्रत या नियम भंग को सहसाकार प्रतिसेवना कहते हैं।

(८) भय प्रतिसेवना—भय के कारण जो व्रत या नियम भंग किया जाता है वह भय प्रतिसेवना है।

(९) प्रदोष प्रतिसेवना—द्वेषवश किसी प्राणी की हिंसा अथवा उसका अहित करना प्रदोष प्रतिसेवना है।

(१०) विमर्श प्रतिसेवना—शिष्यों की क्षमता अथवा उनकी श्रद्धा आदि के परीक्षण के लिए व्रत या नियम का भंग करना विमर्श प्रतिसेवना है।

दूसरे शब्दों में किसी निश्चित उद्देश्य के लिये विचारपूर्वक

व्रतभंग करना या नियम के प्रतिकूल आचरण करना विमर्श प्रतिसेवना है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति अपराध केवल स्वेच्छा से जानबूझकर ही नहीं करता अपितु परिस्थितिवश भी करता है। अतः उसे प्रायश्चित्त देते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अपराध क्यों और किन परिस्थितियों में किया गया है।

आलोचना करने का अधिकारी कौन ?

आलोचना कौन व्यक्ति कर सकता है इस सम्बन्ध में भी स्थानाग सूत्र^२ में पर्याप्त चिन्तन किया गया है। इसके अनुसार निम्न दस गुणों से युक्त व्यक्ति ही आलोचना करने के योग्य होता है—

(१) जाति सम्पन्न, (२) कुल सम्पन्न, (३) विनय सम्पन्न, (४) ज्ञान सम्पन्न, (५) दर्शन सम्पन्न, (६) चारित्र्य सम्पन्न, (७) क्षान्त (क्षमासम्पन्न) (८) दान्त (इन्द्रिय-जयी), (९) अमायावी (मायाचार रहित) और (१०) अपश्चात्तापी (आलोचना करने के बाद उसका पश्चात्ताप न करने वाला)।

आलोचना किसके समक्ष की जाये ?

आलोचना किस व्यक्ति के समक्ष की जानी चाहिए यह भी एक विचारणीय प्रश्न है, योग्य और गम्भीर व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष आलोचना करने का परिणाम यह होता है कि वह आलोचना करने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचा सकता है तथा उसे अपयश का भागी बनना पड़ सकता है। अतः जैनाचार्यों ने माना कि आलोचना सदैव ऐसे व्यक्ति के समक्ष करनी चाहिये जो आलोचना सुनने योग्य हो, उसे गोपनीय रख सकता हो और उसका अनैतिक लाभ न ले। स्थानाग सूत्र^३ के अनुसार जिस व्यक्ति के सामने आलोचना की जाती है उसे निम्नलिखित दस गुणों से युक्त होना चाहिए।

(१) आचारवान—सदाचारी होना आलोचना देने वाला व्यक्ति का प्रथम गुण है, क्योंकि जो स्वयं दुराचारी है वह दूसरों के अपराधों की आलोचना सुनने का अधिकारी नहीं है। जो अपने ही दोषों को शुद्ध नहीं कर सका वह दूसरों के दोषों को क्या दूर करेगा ?

(२) आधारवान—अर्थात् उसे अपराधों और उसके सम्बन्ध में नियत प्रायश्चित्तों का बोध होना चाहिए, उसे यह भी ज्ञान होना चाहिए कि किस अपराध के लिए किस प्रकार का प्रायश्चित्त नियत है।

(३) ध्यवहारवान—उसे आगम, श्रुत, जिनाज्ञा, धारणा और जीत इन पाँच प्रकार के व्यवहारों को जानने वाला होना

१ स्थानाग १०/६६।

३ स्थानाग १०/७२।

२ स्थानाग १०/७१।

सम्बन्धी विविध सिद्धांतों और समस्याओं का स्पष्टतापूर्वक विवेचन बृहत्कल्प भाष्य, निशीथभाष्य, व्यवहारभाष्य, निशीथ-चूर्णि, जीतकल्पभाष्य एवं जीतकल्पचूर्णि में उपलब्ध होता है। जहाँ तक प्रायश्चित्त के प्रकारों का प्रश्न है, इन प्रकारों का उल्लेख श्वेताम्बर आगम स्थानाग, बृहत्कल्प, निशीथ और जीत कल्प में, यापनीय ग्रन्थ मूलाचार में, दिगम्बर ग्रन्थ जयध्वला में तथा तत्त्वार्थ सूत्र एवं उसकी श्वेताम्बर और दिगम्बर आचार्यों की टीकाओं में मिलता है।

स्थानाग सूत्र में प्रायश्चित्त के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख हुआ है, उसके तृतीय स्थान में ज्ञान प्रायश्चित्त, दर्शन प्रायश्चित्त और चारित्र्य-प्रायश्चित्त ऐसे तीन प्रायश्चित्तों का उल्लेख हुआ है।^१ इसी तृतीय स्थान में अन्यत्र आलोचना, प्रतिक्रमण और तदुभय ऐसे प्रायश्चित्त के तीन रूपों का भी उल्लेख हुआ है।^२ इसी आगम ग्रन्थ में अन्यत्र छ, आठ और नौ प्रायश्चित्तों का भी उल्लेख हुआ है, किन्तु ये सभी प्रायश्चित्तों के प्रकार उसके दशम स्थान में जो दशविध प्रायश्चित्तों का विवरण दिया गया है उसमें समाहित हो जाते हैं।^३ अतः हम उनकी स्वतन्त्र रूप से चर्चा न करके उसमें उपलब्ध दशविध प्रायश्चित्त की चर्चा करेंगे—

स्थानाग, जीतकल्प और ध्वला में प्रायश्चित्त के निम्न दस प्रकार माने गये हैं—

(१) आलोचना, (२) प्रतिक्रमण, (३) उभय, (४) विवेक, (५) व्युत्सर्ग, (६) तप, (७) छेद, (८) मूल, (९) अनवस्थाप्य और (१०) पाराचिक।^४ यदि हम इन दस नामों की तुलना यापनीय ग्रन्थ मूलाचार^५ और तत्त्वार्थ सूत्र^६ से करते हैं तो मूलाचार में प्रथम आठ नाम तो जीतकल्प के समान ही हैं किन्तु जीतकल्प के अनवस्थाप्य के स्थान पर परिहार और पाराचिक के स्थान पर श्रद्धान का उल्लेख हुआ है। मूलाचार श्वेताम्बर परम्परा से भिन्न होकर तप और परिहार को अलग-अलग मानता है। तत्त्वार्थ सूत्र में तो इनकी सख्या नौ मानी गई है। इसमें सात नाम तो जीतकल्प के समान ही हैं किन्तु मूल के स्थान पर उपस्थापन और अनवस्थाप्य के स्थान पर परिहार का उल्लेख हुआ है। पाराचिक का उल्लेख तत्त्वार्थ में नहीं है अतः वह नौ प्रायश्चित्त ही मानता है। श्वेताम्बर आचार्यों ने तप और परिहार को एक माना है, किन्तु तत्त्वार्थ में तप और परिहार दोनों स्वतन्त्र प्रायश्चित्त माने गये हैं, अतः तत्त्वार्थ में भी परि-

हार का अर्थ अनवस्थाप्य ही हो सकता है। इस प्रकार तत्त्वार्थ और मूलाचार दोनों तप और परिहार को अलग-अलग मानते हैं और दोनों में उसका अर्थ अनवस्थाप्य के समान है। यद्यपि दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थ ध्वला १७ में स्थानाग और जीतकल्प के समान ही १० प्रायश्चित्तों का वर्णन है और उनके नाम भी वे ही हैं। इस प्रकार जहाँ ध्वला श्वेताम्बर परम्परा से सगति रखती है, वहाँ मूलाचार और तत्त्वार्थ कुछ भिन्न हैं। सम्भवतः ऐसा प्रतीत होता है कि जीतकल्प सूत्र के उल्लेखानुसार जब अनवस्थाप्य और पाराचिक इन दोनों प्रायश्चित्तों को भद्रबाहु के वाद व्यवच्छिन्न मान लिया गया या दूसरे शब्दों में इन प्रायश्चित्तों का प्रचलन बन्द कर दिया गया^७ तो इन अन्तिम दो प्रायश्चित्तों के स्वतन्त्र स्वरूप को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया और उनके नामों में अन्तर हो गया। मूलाचार के अन्त में परिहार का जो उल्लेख है वह अनवस्थाप्य से कोई भिन्न नहीं कहा जा सकता, किन्तु उसमें श्रद्धान प्रायश्चित्त का क्या तात्पर्य है यह न तो मूल ग्रन्थ से और न उसकी टीका से ही स्पष्ट होता है। यह अन्तिम प्रायश्चित्त है, अतः कठोरतम होना चाहिये। इसका अर्थ यह माना जा सकता है कि ऐसा अपराधी व्यक्ति जो श्रद्धा से रहित मानकर सघ से पूर्णतया बहिष्कृत कर दिया जाये किन्तु टीकाकार वसुनन्दी ने श्रद्धान का अर्थ तत्त्वार्थ एवं ऋषिदि त्याग किया है। इन प्रायश्चित्तों में जो क्रम है वह सहजता से कठोरता की ओर है अतः अन्त में श्रद्धा नामक सहज प्रायश्चित्त को रखने का कोई औचित्य नहीं है। वस्तुतः जिन प्रवचन के प्रति श्रद्धा का समाप्त हो जाना ही वह अपराध है, जिसका दण्ड मात्र बहिष्कार है। अतः ऐसे श्रमण की श्रद्धा जब तक सम्यक् नहीं है तब तक उसे सघ से बहिष्कृत रखना ही इस प्रायश्चित्त का तात्पर्य है।

प्रायश्चित्त का सर्वप्रथम रूप वह है जहाँ साधक को स्वयं ही अपने मन में अपराधबोध के परिणामस्वरूप आत्मग्लानि का भाव उत्पन्न हो। वस्तुतः आलोचना का अर्थ है अपराध को अपराध के रूप में स्वीकार कर लेना। आलोचन शब्द का अर्थ देखना, अपराध को अपराध के रूप में देख लेना ही आलोचना है। सामान्यतया वे अपराध जो हमारे दैनन्दिन व्यवहार में असावधानी (प्रमाद) या बाध्यतावशा घटित होते हैं, आलोचना नामक प्रायश्चित्त के विषय माने गये हैं। अपने द्वारा हुए अपराध या नियम भंग को आचार्य या गीतार्थ मुनि के समक्ष निवेदित

१ स्थानाग ३/४७०।

२ वही ३/४४८।

३ वही १०/७३।

४ (अ) स्थानाग १०/७३, (ब) जीतकल्पसूत्र ४, (स) ध्वला १३/५, २६/६३/१।

५ मूलाचार ५/१६५।

६ तत्त्वार्थ ६/२२।

७ जीतकल्पभाष्य २५८६, जीतकल्प १०२।

करके उनसे उसके प्रायश्चित्त की याचना करना ही आलोचना है। सामान्यतया आलोचना करते समय यह विचार आवश्यक है कि अपराध क्यों हुआ ? उसका प्रेरक तत्व क्या है ? अपराध क्यों और कैसे ?

अपराध या व्रतभंग क्यों और किन परिस्थितियों में किया जाता है, इसका विवेचन हमें स्थानाग सूत्र के दशम स्थान में मिलता है, उसमें दस प्रकार की प्रतिसेवना का उल्लेख हुआ है। प्रतिसेवना का तात्पर्य है गृहीत व्रत के नियमों के विरुद्ध आचरण करना अथवा भोजन आदि ग्रहण करना। वस्तुतः प्रतिसेवना का सामान्य अर्थ व्रत या नियम के प्रतिकूल आचरण करना ही है। यह व्रतभंग क्यों, कब और किन परिस्थितियों में होता है इसे स्पष्ट करने हेतु ही स्थानाग में दस प्रतिसेवनाओं का उल्लेख है।^१

(१) दर्प-प्रतिसेवना—आवेश अथवा अहंकार के वशीभूत होकर जो हिंसा आदि करके व्रत भंग किया जाता है वह दर्प प्रतिसेवना है।

(२) प्रमाद प्रतिसेवना—प्रमाद एवं कषायों के वशीभूत होकर जो व्रत भंग किया जाता है, वह प्रमाद प्रतिसेवना है।

(३) अनाभोग प्रतिसेवना—स्मृति या सजगता के अभाव में अशक्य या नियम विरुद्ध वस्तु का ग्रहण करना अनाभोग प्रतिसेवना है।

(४) आतुर प्रतिसेवना—भूख-प्यास आदि से पीडित होकर किया जाने वाला व्रत-भंग आतुर प्रतिसेवना है।

(५) आपात प्रतिसेवना—किसी विशिष्ट परिस्थिति के उत्पन्न होने पर व्रत-भंग या नियम विरुद्ध आचरण करना आपात प्रतिसेवना है।

(६) शक्ति प्रतिसेवना—शंका के वशीभूत होकर जो नियम भंग किया जाता है, उसे शक्ति प्रतिसेवना कहते हैं, जैसे यह व्यक्ति हमारा अहित करेगा ऐसा मानकर उसकी हिंसा आदि कर देना।

(७) सहसाकार प्रतिसेवना—अकस्मात् होने वाले व्रत या नियम भंग को सहसाकार प्रतिसेवना कहते हैं।

(८) भय प्रतिसेवना—भय के कारण जो व्रत या नियम भंग किया जाता है वह भय प्रतिसेवना है।

(९) प्रदोष प्रतिसेवना—द्वेषवश किसी प्राणी की हिंसा अथवा उसका अहित करना प्रदोष प्रतिसेवना है।

(१०) विमर्श प्रतिसेवना—शिष्यों की क्षमता अथवा उनकी श्रद्धा आदि के परीक्षण के लिए व्रत या नियम का भंग करना विमर्श प्रतिसेवना है।

दूसरे शब्दों में किसी निश्चित उद्देश्य के लिये विचारपूर्वक

व्रतभंग करना या नियम के प्रतिकूल आचरण करना विमर्श प्रतिसेवना है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति अपराध केवल स्वेच्छा से जानबूझकर ही नहीं करता अपितु परिस्थितिवश भी करता है। अतः उसे प्रायश्चित्त देते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अपराध क्यों और किन परिस्थितियों में किया गया है।

आलोचना करने का अधिकारी कौन ?

आलोचना कौन व्यक्ति कर सकता है इस सम्बन्ध में भी स्थानाग सूत्र^२ में पर्याप्त चिन्तन किया गया है। इसके अनुसार निम्न दस गुणों से युक्त व्यक्ति ही आलोचना करने के योग्य होता है—

(१) जाति सम्पन्न, (२) कुल सम्पन्न, (३) विनय सम्पन्न, (४) ज्ञान सम्पन्न, (५) दर्शन सम्पन्न, (६) चारित्र्य सम्पन्न, (७) क्षान्त (क्षमासम्पन्न) (८) दान्त (इन्द्रिय-जयी), (९) अमायावी (मायाचार रहित) और (१०) अपश्चात्तापी (आलोचना करने के बाद उसका पश्चात्ताप न करने वाला)।

आलोचना किसके समक्ष की जाये ?

आलोचना किस व्यक्ति के समक्ष की जानी चाहिए यह भी एक विचारणीय प्रश्न है, योग्य और गम्भीर व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष आलोचना करने का परिणाम यह होता है कि वह आलोचना करने वाले व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचा सकता है तथा उसे अपयश का भागी बनना पड़ सकता है। अतः जैनाचार्यों ने माना कि आलोचना सदैव ऐसे व्यक्ति के समक्ष करनी चाहिये जो आलोचना सुनने योग्य हो, उसे गोपनीय रख सकता हो और उसका अनैतिक लाभ न ले। स्थानाग सूत्र^३ के अनुसार जिस व्यक्ति के सामने आलोचना की जाती है उसे निम्नलिखित दस गुणों से युक्त होना चाहिए।

(१) आचारवान—सदाचारी होना आलोचना देने वाला व्यक्ति का प्रथम गुण है, क्योंकि जो स्वयं दुराचारी है वह दूसरों के अपराधों की आलोचना सुनने का अधिकारी नहीं है। जो अपने ही दोषों को शुद्ध नहीं कर सका वह दूसरों के दोषों को क्या दूर करेगा ?

(२) आधारवान—अर्थात् उसे अपराधों और उसके सम्बन्ध में नियत प्रायश्चित्तों का बोध होना चाहिए, उसे यह भी ज्ञान होना चाहिए कि किस अपराध के लिए किस प्रकार का प्रायश्चित्त नियत है।

(३) व्यवहारवान—उसे आगम, श्रुत, जिनाज्ञा, धारणा और जीत इन पाँच प्रकार के व्यवहारों को जानने वाला होना

१ स्थानाग १०/६६।

३ स्थानाग १०/७२।

२ स्थानाग १०/७१।

चाहिए क्योंकि सभी अपराधों एवं प्रायश्चित्तों की सूची आगमों में उपलब्ध नहीं है अतः आलोचना सुनने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिये जो स्वविवेक से ही आगमिक आधारों पर किसी कर्म के प्रायश्चित्त का अनुमान कर सके।

(४) अपनीडक—आलोचना सुनने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि आलोचना करने वाले की लज्जा छुड़ाकर उसमें आत्म-आलोचना की शक्ति उत्पन्न कर सके।

(५) प्रकारी—आचार्य अथवा आलोचना सुनने वाले में यह सामर्थ्य होना चाहिए कि वह अपराध करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को रूपान्तरित कर सके।

(६) अपरिधायी—उसे आलोचना करने वाले के दोषों को दूसरे के सामने प्रगत नहीं करना चाहिये, अन्यथा कोई भी व्यक्ति उसके सामने आलोचना करने में संकोच करेगा।

(७) निर्यापक—आलोचना सुनने वाला व्यक्ति ऐसा होना कि वह प्रायश्चित्त विधान इस प्रकार करे कि प्रायश्चित्त करने वाला व्यक्ति धराकर उसे आधे में ही न छोड़ दे। उसे प्रायश्चित्त करने वाले का सहयोगी बनना चाहिए।

(८) अपायदर्शी—अर्थात् उसे ऐसा होना चाहिए कि वह आलोचना करने अथवा न करने के गुण-दोषों की समीक्षा कर सके।

(९) प्रियधर्मा—अर्थात् आलोचना सुनने वाले व्यक्ति की धर्म मार्ग में अविचल निष्ठा होनी चाहिए।

(१०) बृद्धधर्मा—उसे ऐसा होना चाहिए कि वह कठिन से कठिन समय में भी धर्म मार्ग से विचलित न हो सके।

जिसके समक्ष आलोचना की जा सकती है उस व्यक्ति की इन सामान्य योग्यताओं का निर्धारण करने के साथ-साथ यह भी माना गया है कि किसी गीतार्थ, बहुश्रुत एवं आगमज्ञ के समक्ष ही आलोचना की जानी चाहिए। साथ ही इनके पदक्रम और वरीयता पर विचार करते हुए यह कहा गया है कि जहाँ आचार्य आदि उच्चाधिकारी उपस्थित हों, वहाँ सामान्य साधु या गृहस्थ के समक्ष आलोचना नहीं करनी चाहिए। आचार्य के उपस्थित होने पर उसी के समक्ष आलोचना की जानी चाहिए। आचार्य की अनुपस्थिति में उपाध्याय के समक्ष, उपाध्याय की अनुपस्थिति में सांभोगिक साधमिक साधु के समक्ष और उनकी अनुपस्थिति में अन्य सांभोगिक साधमिक साधु के समक्ष आलोचना करनी चाहिए। यदि अन्य सांभोगिक साधमिक साधु भी उपलब्ध न हों तो ऐसी स्थिति में बहुश्रुत और बहुआगमज्ञ समान-वेश धारक साधु के समक्ष आलोचना करे। उसके उपलब्ध न होने पर यदि पूर्व में दीक्षा पर्याय को छोड़ा हुआ बहुश्रुत और आगमज्ञ श्रमणो-

पासक उपस्थित हो तो उसके समक्ष आलोचना करे। उसके अभाव में सम्यक्त्व भावित अतःकरण वाले के समक्ष अर्थात् सम्यक्त्वी जीव के समक्ष आलोचना करे। यदि सम्यक्त्व भावी अन्तःकरण वाला भी न हो तो ग्राम या नगर के बाहर जाकर पूर्व या उत्तर दिशा में अभिमुख होकर अरिहन्त और सिद्ध की साक्षीपूर्वक आलोचना करे।^१

आलोचना सम्बन्धी इस चर्चा के प्रसंग में यह भी तथ्य ध्यान देने योग्य है कि आलोचना दोषमुक्त हो। स्थानाग, मूलाचार, भगवती आराधना आदि ग्रन्थों में आलोचना के दस दोषों का उल्लेख हुआ है।^२

(१) आकम्पित दोष—आचार्य आदि को उपकरण आदि देकर अपने अनुकूल बना लेना आकम्पित दोष है। कुछ विद्वानों के अनुसार आकम्पित दोष का अर्थ है कापते हुए आलोचना करना, जिससे प्रायश्चित्तदाता कम से कम प्रायश्चित्त दे।

(२) अनुमानित दोष—अल्प प्रायश्चित्त या दण्ड मिले इस भय से अपने को दुर्बल, रोगग्रस्त आदि दिखाकर आलोचना करना अनुमानित दोष है।

(३) अद्रष्ट—गुरु अथवा अन्य किसी ने जो अपराध देख लिया हो उसकी आलोचना करना और अद्रष्ट दोषों की आलोचना न करना यह अद्रष्ट दोष है।

(४) वादर दोष—बड़े दोषों की आलोचना करना और छोटे दोषों की आलोचना न करना वादर दोष है।

(५) सूक्ष्म दोष—छोटे-छोटे दोषों की आलोचना करना और बड़े दोषों को छिपा लेना सूक्ष्म दोष है।

(६) छन्न दोष—आलोचना इस प्रकार से करना कि गुरु उसे पूरी तरह सुन ही न सके वह छन्न दोष है। कुछ विद्वानों के अनुसार आचार्य के समक्ष मैंने यह दोष किया, यह न कहकर किसी बहाने से उस दोष का प्रायश्चित्त ज्ञात कर स्वयं ही उसका प्रायश्चित्त ले लेना छन्न दोष है।

(७) शब्दाकुलित दोष—फोलाहलपूर्ण वातावरण में आलोचना करना जिसे आचार्य सम्यक् प्रकार से सुन न सके, यह शब्दाकुलित दोष है। दूसरे शब्दों में भीड़-भाड़ अथवा व्यस्तता के समय गुरु के सामने आलोचना करना दोषपूर्ण माना गया है।

(८) बहुजन दोष—एक ही दोष की अनेक लोगों के समक्ष आलोचना करना और उनमें से जो सबसे कम दण्ड या प्रायश्चित्त दे उसे स्वीकार करना बहुजन दोष है।

(९) अव्यक्त दोष—दोषों को पूर्णरूप से स्पष्ट न कहते हुए उनकी आलोचना करना अव्यक्त दोष है।

१ व्यवहारसूत्र १/१/३३।

२ (अ) स्थानाग, १०/७०। (ब) मूलाचार, ११/१५।

(१०) तत्सेवी दोष—जो व्यक्ति स्वयं ही दोषों का सेवन करने वाले हैं उनके सामने दोषों की आलोचना करना तत्सेवी दोष है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं दोष का सेवन करने वाला है उसे दूसरे को प्रायश्चित्त देने का अधिकार नहीं है। दूसरे, ऐसा व्यक्ति उचित प्रायश्चित्त भी नहीं दे पाता।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैनाचार्यों ने आलोचना के सन्दर्भ में उसके स्वरूप, आलोचना करने व सुनने की पात्रता और उसके दोषों पर गहराई से विचार किया है। इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा निशीथ आदि में पायी जाती है। पाठकों से उसे वहाँ देखने की अनुशासा की जाती है।

आलोचना योग्य कार्य—जीतकल्प के अनुसार जो भी करणीय अर्थात् आवश्यक कार्य हैं, वे तीर्थंकरों द्वारा सम्पादित होने पर तो निर्दोष होते हैं, किन्तु छद्मस्थ श्रमणों द्वारा इन कर्मों की शुद्धि केवल आलोचना से ही मानी गयी है। जीतकल्प में कहा गया है कि आहार आदि का ग्रहण, गमनागमन, मल-मूत्र विसर्जन, गुणवदन आदि सभी क्रियाएँ आलोचना के योग्य हैं।^१ इन्हें आलोचना योग्य मानने का तात्पर्य यह है कि साधक इस बात का विचार करे कि उसने इन कार्यों का सम्पादन सजगता-पूर्वक अप्रमत्त होकर किया है या नहीं। क्योंकि प्रमाद के कारण दोष लगना सम्भव है। इसी प्रकार आचार्य से सौ हाथ की दूरी पर रहकर जो भी कार्य किये जाते हैं, वे भी आलोचना के विषय माने गये हैं। इन कार्यों की गुरु के समक्ष आलोचना करने पर ही साधक को शुद्ध माना जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि साधक गुरु को यह बताये कि उसने गुरु से दूर रहकर क्या-क्या कार्य किस प्रकार सम्पादित किये हैं। इसके साथ ही किसी कारणवश या अकारण ही स्वर्गण का परित्याग कर पर-गण में प्रवेश करने को अथवा उपसम्पदा, विहार आदि कार्यों को भी आलोचना का विषय माना गया है। ईर्या आदि पाँच समितियों और तीन गुप्तियों में लगे हुए दोष सामान्यतया आलोचना के विषय हैं। यद्यपि हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये सभी दोष जो आलोचना के विषय हैं, वे देश-काल परिस्थिति और व्यक्ति के आधार पर प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, परिहार, छेद आदि प्रायश्चित्त के योग्य भी हो सकते हैं।

प्रतिक्रमण—प्रायश्चित्त का दूसरा प्रकार प्रतिक्रमण है। अपराध या नियम भंग को अपराध के रूप में स्वीकार कर पुनः उससे वापस लौट आना अर्थात् भविष्य में उसे नहीं करने की प्रतिज्ञा करना ही प्रतिक्रमण है। दूसरे शब्दों में अपराधिक स्थिति से अनपराधिक स्थिति में लौट आना ही प्रतिक्रमण है।

आलोचना और प्रतिक्रमण में अन्तर यह है कि आलोचना में अपराध को पुनः सेवन न करने का निश्चय नहीं होता, जबकि प्रतिक्रमण में ऐसा करना आवश्यक है।

मन, वचन और काय से जो अशुभ आचरण किया जाता है, अथवा दूसरों के द्वारा कराया जाता है और दूसरे लोगों के द्वारा आचरित पापाचरण का जो अनुमोदन किया जाता है, इन सबकी निवृत्ति के लिए कृत-पापों की समीक्षा करना और पुनः नहीं करने की प्रतिज्ञा करना प्रतिक्रमण है। आचार्य हेमचन्द्र प्रतिक्रमण का निर्वचन करते हुए लिखते हैं कि शुभयोग से अशुभ योग की ओर गये हुए अपने आपको पुनः शुभयोग में लौटाना प्रतिक्रमण है।^२ आचार्य हरिभद्र ने प्रतिक्रमण की व्याख्या में इन तीन अर्थों का निर्देश किया है—(१) प्रमादवृत्त स्वस्थान से परस्थान (स्वधर्म से परस्थान, परधर्म) में गये हुए साधक का पुनः स्वस्थान पर लौट आना यह प्रतिक्रमण है। अप्रमत्त चेतना का स्व-चेतना केन्द्र में स्थित होना स्वस्थान है, जबकि चेतना का वहिर्मुख होकर पर-वस्तु पर केन्द्रित होना पर-स्थान है। इस प्रकार बाह्यदृष्टि से अन्तर्दृष्टि की ओर आना प्रतिक्रमण है। (२) क्षायोपशमिक भाव से औदायिक भाव में परिणत हुआ साधक जब पुनः औदायिक भाव से क्षायोपशमिक भाव में लौट आता है, तो यह भी प्रतिकूलगमन के कारण प्रतिक्रमण कहलाता है। (३) अशुभ आचरण से निवृत्त होकर मोक्षफलदायक शुभ आचरण में निःशुभ भाव से प्रवृत्त होना प्रतिक्रमण है।^३

आचार्य भद्रबाहु ने प्रतिक्रमण के निम्न पर्यायवाची नाम दिये हैं—(१) प्रतिक्रमण—पापाचरण के क्षेत्र से प्रतिगामी होकर आत्मशुद्धि के क्षेत्र में लौट आना। (२) प्रतिचरण—हिंसा, असत्य आदि से निवृत्त होकर अहिंसा, सत्य एवं सयम के क्षेत्र में अग्रसर होना। (३) परिहरण—सब प्रकार से अशुभ प्रवृत्तियों एवं दुराचरणों का त्याग करना। (४) वारण—निषिद्ध आचरण की ओर प्रवृत्ति नहीं करना। बौद्ध धर्म में प्रतिक्रमण के समान की जाने वाली क्रिया को प्रवारणा कहा गया है। (५) निवृत्ति—अशुभ भावों से निवृत्त होना। (६) निन्दा—गुरुजन, वरिष्ठ-जन अथवा स्वयं अपनी ही आत्मा की साक्षी से पूर्वकृत अशुभ आचरणों को बुरा समझना तथा उसके लिये पश्चात्ताप करना। (७) गर्हा—अशुभ आचरण को गर्हित समझना, उससे घृणा करना। (८) शुद्धि—प्रतिक्रमण आलोचना, निन्दा आदि के द्वारा आत्मा पर लगे दोषों से आत्मा को शुद्ध बनाता है, इसलिये उसे शुद्धि कहा गया है।

१ जीतकल्प ६, देखें—जीतकल्पभाष्य गाथा ७३१-१८१०।

२ योगशास्त्र स्वोपज्ञवृत्ति, ३।

३ आवश्यक टीका, उद्धृत धम्मसूत्र, पृ. ८७।

प्रतिक्रमण किसका

स्थानांग सूत्र मे इन छह वातो के प्रतिक्रमण का निर्देश है—

(१) उच्चार प्रतिक्रमण—मल आदि का विसर्जन करने के बाद ईर्या (आने-जाने मे हुई जीवहिंसा) का प्रतिक्रमण करना उच्चार प्रतिक्रमण है। (२) प्रस्रवण प्रतिक्रमण—पेशाव करने के बाद ईर्या का प्रतिक्रमण करना प्रस्रवण प्रतिक्रमण है। (३) इत्वर प्रतिक्रमण—स्वल्पकालीन (दैवसिक रात्रिक आदि) प्रतिक्रमण करना इत्वर प्रतिक्रमण है। (४) यावत्कथिक प्रतिक्रमण—सम्पूर्ण जीवन के लिए पाप मे निवृत्त होना यावत्कथिक प्रतिक्रमण है। (५) यत्किचिन्मिथ्या प्रतिक्रमण—सावधानीपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए भी प्रमाद अथवा अमावधानी से किसी भी प्रकार का असयमरूप आचरण हो जाने पर तत्काल उस भूल को स्वीकार कर लेना, 'मिच्छामि दुष्कण्ड' ऐसा उच्चारण करना और उसके प्रति पश्चात्ताप करना यत्किचिन्मिथ्या प्रतिक्रमण है। (६) स्वप्नान्तिक प्रतिक्रमण—विकार-वासना रूप कुम्ब्वन् देखने पर उसके सम्बन्ध मे पश्चात्ताप करना स्वप्नान्तिक प्रतिक्रमण है।^१ यह विवेचना प्रमुखतः साधुओं की जीवनचर्या से सम्बन्धित है। आचार्य भद्रवाहु ने जिन-जिन तथ्यों का प्रतिक्रमण करना चाहिए इसका निर्देश आवश्यक नियुक्ति मे किया है।^२ उनके अनुसार (१) मिथ्यात्व, (२) असयम, (३) कषाय एवं (४) अप्रशस्त कायिक, वाचिक एवं मानसिक व्यापारों का प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रकारान्तर से आचार्य ने निम्न वातो का प्रतिक्रमण करना भी अनिवार्य माना है— (१) गृहस्थ एवं श्रमण उपासक के लिए निषिद्ध कार्यों का आचरण कर लेने पर, (२) जिन कार्यों के करने का शास्त्र मे विधान किया गया है उन विहित कार्यों का आचरण न करने पर, (३) अश्रद्धा एवं शका के उपस्थित हो जाने पर और (४) असम्यक् एवं असत्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करने पर अवश्य प्रतिक्रमण करना चाहिए।

जैन परम्परा के अनुसार जिनका प्रतिक्रमण किया जाना चाहिए, उनका सक्षिप्त वर्गीकरण इस प्रकार है—

(अ) २५ मिथ्यात्वो, १४ ज्ञानातिचारो और १८ पापस्थानो का प्रतिक्रमण सभी को करना चाहिए।

(ब) पच महाव्रतो, मन, वाणी और शरीर के असंयम तथा गमन, भाषण, याचना, ग्रहण-निक्षेप एवं मलमूत्र विसर्जन आदि से सम्बन्धित दोषों का प्रतिक्रमण श्रमण साधकों को करना चाहिए।

(स) पाच अणुव्रतो, ३ गुणव्रतो, ४ शिक्षाव्रतो मे लगने वाले ७५ अतिचारो का प्रतिक्रमण व्रतो श्रावकों को करना चाहिए।

(द) संलेखना के पाच अतिचारो का प्रतिक्रमण उन साधकों

के लिए है जिन्होंने संलेखना व्रत ग्रहण किया हो।

श्रमण प्रतिक्रमण सूत्र और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र मे सम्बन्धित सम्भावित दोषों की विवेचना विस्तार से की गई है। इसके पीछे मूल दृष्टि यह है कि उनका पाठ करते हुए आचरित सूक्ष्मतम दोष भी विचार-पथ से ओझल न हो।

प्रतिक्रमण के भेद—साधकों के आधार पर प्रतिक्रमण के दो भेद हैं—(१) श्रमण प्रतिक्रमण और (२) श्रावक प्रतिक्रमण। कालिक आधार पर प्रतिक्रमण के पाच भेद हैं—(१) दैवसिक—प्रतिदिन सायकाल के समय पूरे दिवस मे आचरित पापों का चिन्तन कर उनकी आलोचना करना दैवसिक प्रतिक्रमण है। (२) रात्रिक—प्रतिदिन प्रातःकाल के समय सम्पूर्ण रात्रि के आचरित पापों का चिन्तन कर उनकी आलोचना करना रात्रिक प्रतिक्रमण है। (३) पाक्षिक—पक्ष के अन्तिम दिन अर्थात् अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन सम्पूर्ण पक्ष मे आचरित पापों का विचार कर उनकी आलोचना करना पाक्षिक प्रतिक्रमण है। (४) चातुर्मासिक—कार्तिकी पूर्णिमा, फाल्गुनी पूर्णिमा एवं आपाढी पूर्णिमा को चार महीने के आचरित पापों का विचार कर उनकी आलोचना करना चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है। (५) सावत्सरिक—प्रत्येक वर्ष मे संवत्सरी महापर्व (ऋषि पंचमी) के दिन वर्ष भर के पापों का चिन्तन कर उनकी आलोचना करना सावत्सरिक प्रतिक्रमण है।

तदुभय—तदुभय प्रायश्चित्त वह है जिसमे आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों किये जाते हैं। अपराध या दोष को दोष के रूप मे स्वीकार करके फिर उसे नहीं करने का निश्चय करना ही तदुभय प्रायश्चित्त है। जीतकल्प मे निम्न प्रकार के अपराधों के लिए तदुभय प्रायश्चित्त का विधान किया गया है—(१) भ्रम-वश किये गये कार्य, (२) भयवश किये गये कार्य, (३) आतुरता-वश किये गये कार्य, (४) सहसा किये गये कार्य, (५) परवशता मे किये कार्य, (६) सभी व्रतों मे लगे हुए अतिचार।

विवेक—विवेक शब्द का सामान्य अर्थ यह है कि किसी कर्म के औचित्य एवं अनौचित्य का सम्यक् निर्णय करना और अनुचित कर्म का परित्याग कर देना। मुनि जीवन मे आहारादि के ग्राह्य और अग्राह्य अथवा शुद्ध और अशुद्ध का विचार करना ही विवेक है। यदि अज्ञात रूप से सदोष आहार आदि ग्रहण कर लिया हो तो उसका त्याग करना ही विवेक है। वस्तुतः सदोष क्रियाओं का त्याग ही विवेक है। मुख्य रूप से भोजन, वस्त्र, मुनि जीवन के अन्य उपकरण एवं स्थानादि प्राप्त करने मे जो दोष लगते हैं उनकी शुद्धि विवेक प्रायश्चित्त द्वारा मानी गयी है।

१ स्थानांग सूत्र, ६/५३८।

२ आवश्यकनियुक्ति, १२५०-१२६८।

व्युत्सर्ग—व्युत्सर्ग का तात्पर्य परित्याग या विसर्जन है। सामान्यतया इस प्रायश्चित्त के अन्तर्गत किसी भी सदोष आचरण के लिए शारीरिक व्यापारो का विरोध करके मन की एकाग्रता-पूर्वक देह के प्रति रहे हुए ममत्व का विसर्जन किया जाता है। जीतकल्प के अनुसार गमनागमन, विहार, श्रुत अध्ययन, सदोष स्वप्न, नाव आदि के द्वारा नदी को पार करना तथा भक्त-पान, शय्या-आसन, मलमूत्र विसर्जन, काल व्यतिक्रम, अर्हत एवं मुनि का अविनय आदि दोषो के लिए व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। जीतकल्प में इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार के दोष के लिए कितने समय या श्वासोच्छ्वास का कायोत्सर्ग किया जाना चाहिए। प्रायश्चित्त के प्रसंग में व्युत्सर्ग और कायोत्सर्ग पर्यायवाची रूप में ही प्रयुक्त हुए हैं।

तप प्रायश्चित्त

सामान्य दोषो के अनिरिक्त विशिष्ट दोषो के लिए तप प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। किस प्रकार के दोष का सेवन करने पर किस प्रकार के तप का प्रायश्चित्त करना होता है उसका विस्तारपूर्वक विवेचन निशीथ, बृहत्कल्प और जीतकल्प में तथा उनके भाष्यो में मिलता है। निशीथ सूत्र में तप प्रायश्चित्त के योग्य अपराधो की विस्तृत सूची उपलब्ध है। उसमें तप प्रायश्चित्त के विविध प्रकारो की चर्चा करते हुए मासलघु, मासगुरु, चातुर्मासलघु, चातुर्मासगुरु से लेकर षट्मास लघु और षट्मासगुरु प्रायश्चित्तो का उल्लेख मिलता है। जैसा कि हमने पूर्व में संकेत किया है मासगुरु या मासलघु आदि का क्या तात्पर्य है, यह इन ग्रन्थो के मूल में कही स्पष्ट नहीं किया गया है किन्तु इन पर लिखे गये भाष्य-चूर्ण आदि में इनके अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, मात्र यही नहीं लघु की लघु, लघुतर और लघुतम तथा गुरु की गुरु, गुरुतर और गुरुतम ऐसी तीन-तीन कोटिया निर्धारित की गई हैं।

कही-कही गुरुक, लघुक और लघुष्वक ऐसे तीन भेद भी किये गये हैं और फिर इनमें से प्रत्येक के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ये तीन-तीन भेद किये गये हैं। व्यवहारसूत्र की भूमिका में अनुयोगकर्त्ता मुनि श्री कन्हैयालालजी 'बमल' ने उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य प्रत्येक के भी तीन-तीन विभाग किये हैं। यथा—उत्कृष्ट के उत्कृष्ट, उत्कृष्टमध्यम और उत्कृष्टजघन्य तीन विभाग हैं। ऐसे ही मध्यम और जघन्य के भी तीन-तीन विभाग किये गये हैं। इस प्रकार तप प्रायश्चित्तो के ३ × ३ × ३ = २७ भेद हो जाते हैं। उन्होंने विशेष रूप से जानने के लिए व्यवहार भाष्य का संकेत किया है किन्तु व्यवहार भाष्य मुझे उपलब्ध न होने के कारण मैं इस चर्चा के प्रसंग में उनके व्यवहारसुत्त के सम्पादकीय का ही उपयोग कर रहा हूँ। उन्होंने इन सम्पूर्ण २७ भेदो और उनसे सम्बन्धित तपो का भी उल्लेख नहीं

किया है अतः इस सम्बन्ध में मुझे भी मौन रहना पड़ रहा है। इन प्रायश्चित्तो से सम्बन्धित मास, दिवस एवं तपो की सख्या का उल्लेख हमें बृहत्कल्प भाष्य गाथा ६०४१-६०४४ में मिलता है। उसी आधार पर निम्न विवरण प्रस्तुत है—

प्रायश्चित्त का नाम तप का स्वरूप एवं काल
 यथागुरु—छह मास तक निरन्तर पाच पाच उपवास
 गुरुतर—चार मास तक निरन्तर चार-चार उपवास
 गुरु—एक मास तक निरन्तर तीन-तीन उपवास (तेले)
 लघु—१० वेले १० दिन पारणे (एक मास तक निरन्तर दो-दो उपवास)
 लघुतर—२५ दिन तक निरन्तर एक दिन उपवास और एक दिन भोजन।
 यथालघु—२० दिन निरन्तर आयम्बिल (रूखा-सूखा भोजन)
 लघुष्वक—१५ दिन तक निरन्तर एकासन (एक समय भोजन)
 लघुष्वकतर—१० दिन तक निरन्तर दो पोरसी अर्थात् १२ वजे के बाद भोजन ग्रहण।
 यथालघुष्वक—पांच दिन निरन्तर निर्विकृति (घी, दूध आदि रहित भोजन)

लघुमासिक के योग्य अपराध

दारुण्ड का पादप्रोष्ठन बनाना, पानी निकलने के लिए नाली बनाना, दानादि लेने के पूर्व अथवा पश्चात् दाता की प्रशंसा करना, निष्कारण परिचित्त घरों में द्वारा प्रवेश करना, अन्यतीर्थिक अथवा गृहस्थ की संगति करना, शय्यांतर अथवा आवास देने वाले मकान मालिक के यहाँ का आहार-पानी ग्रहण करना आदि क्रियाएँ लघुमासिक प्रायश्चित्त के कारण हैं।

गुरुमासिक योग्य अपराध—अगादान का मर्दन करना, अगादान के ऊपर की त्वचा दूर करना, अंगादान को नली में डालना, पुष्पादि सूँघना, पात्र आदि दूसरों से साफ करवाना, सदोष आहार का उपभोग करना आदि क्रियाएँ गुरुमासिक प्रायश्चित्त के कारण हैं।

लघु चातुर्मासिक के योग्य अपराध—प्रत्याख्यान का वार-वार भग करना, गृहस्थ के वस्त्र, शय्या आदि का उपयोग करना, प्रथम प्रहर में ग्रहण किया हुआ आहार चतुर्थ प्रहर तक रखना, अर्धभोजन अर्थात् दो कोस से आगे जाकर आहार लाना, विरेचन लेना अथवा अकारण औषधि का सेवन करना, वाटिका आदि सार्वजनिक स्थानों में मल-मूत्र डालकर गन्दगी करना, गृहस्थ आदि को आहार-पानी देना, समान आचार वाले निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी को स्थान आदि की सुविधा न देना, गीत गाना, वाद्य यन्त्र बजाना, नृत्य करना, अस्वाध्याय के काल में स्वाध्याय करना अथवा स्वाध्याय के काल में स्वाध्याय न करना, अयोग्य

को शास्त्र पढाना, योग्य को शास्त्र न पढना, मिथ्यात्व भावित अम्यतीर्थिक अथवा गृहस्थ को शास्त्र पढाना अथवा उससे पढना आदि क्रियायें लघुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त की कारण है।

गुरुचातुर्मासिक के योग्य अपराध—मैथुन सम्बन्धी अतिचार या अनाचारो का सेवन करना, राजपिड ग्रहण करना, आधाकमीं आहार ग्रहण करना, रात्रि भोजन करना, रात्रि मे आहारादि रखना, धर्म की निन्दा और अधर्म की प्रशंसा करना, अनन्तकाय युक्त आहार खाना, आचार्य की अवज्ञा करना, लाभालाभ का निमित्त बताना, किसी श्रमण-श्रमणी को वहकाना, किसी दीक्षार्थी को भडकाना, अयोग्य को दीक्षा देना आदि क्रियाएँ गुरुचातुर्मासिक प्रायश्चित्त के योग्य है।

तप और परिहार का सम्बन्ध—जैसा कि हमने पूर्व में सूचित किया है, तत्त्वार्थ और यापनीय परम्परा के ग्रन्थ मूलाचार मे परिहार को स्वतन्त्र प्रायश्चित्त माना गया है। जबकि श्वेताम्बर परम्परा के आगमिक ग्रन्थो मे और धवला मे इसे स्वतन्त्र प्रायश्चित्त न मानकर इसका सम्बन्ध तप के साथ जोडा गया है। परिहार शब्द का अर्थ वहिष्कृत करना अथवा त्याग करना होता है। श्वेताम्बर आगम ग्रन्थो के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि गृहित अपराधो को करने पर भिक्षु या भिक्षुणी को न केवल तप रूप प्रायश्चित्त दिया जाता था अपितु उसे यह कहा जाता था कि वे भिक्षु सघ या भिक्षुणी सघ से पृथक् होकर निर्धारित तप पूर्ण करें। निर्धारित तप को पूर्ण कर लेने पर उसे पुनः सघ मे सम्मिलित कर लिया जाता था। इस प्रकार परिहार का तात्पर्य था कि प्रायश्चित्त रूप तप की निर्धारित अवधि के लिए सघ से भिक्षु का पृथक्करण। परिहार तप की अवधि मे वह भिक्षु भिक्षुसघ के साथ रहते हुए भी अपना आहार-पानी अलग करता था। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि परिहार प्रायश्चित्त मे तथा अनवस्थाप्य और पाराचिक प्रायश्चित्त मे मूलभूत अन्तर था। अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त मे जहाँ उसे गृहस्थ वेप धारण करवाकर के ही उपस्थापन किया जाता था, वहाँ परिहार में ऐसा कोई विधान न था। यह केवल प्रायश्चित्त की तपावधि के लिए मर्यादित पृथक्करण था। सम्भवतः प्राचीनकाल में तप नामक प्रायश्चित्त दो प्रकार से दिये जाता रहा होगा। परिहारपूर्वक और परिहाररहित। इसी आधार पर आगे चलकर जब अनवस्थाप्य और पाराचिक प्रायश्चित्तो का प्रचलन समाप्त कर दिया गया तब प्रायश्चित्तों की इस सख्या को पूर्ण करने के लिए यापनीय परम्परा मे तप और परिहार की गणना अलग-अलग की जाने लगी होगी। परिहार नामक प्रायश्चित्त की भी अधिकतम अवधि छ मास मानी गई है क्योंकि तप प्रायश्चित्त की अधिकतम अवधि छ मास ही है। परिहार का छेद प्रायश्चित्त से अन्तर यह है कि जहाँ छेद प्राय-

श्चित्त दिये जाने पर भिक्षुणी सघ मे वरीयता बदल जाती थी वहाँ परिहार प्रायश्चित्त से उसकी वरीयता पर कोई प्रभाव नहीं पडता था। मूलाचार में परिहार को जो छेद और मूल के वाद स्थान दिया गया है, वह उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि कठोरता की दृष्टि से छेद और मूल की अपेक्षा परिहार प्रायश्चित्त कम कठोर था। वसुनन्दी की मूलाचार की टीका मे परिहार की गण से पृथक् रहकर तप-अनुष्ठान करना ऐसी जो व्याख्या की गई है वह समुचित एव श्वेताम्बर परम्परा के अनुरूप ही है। फिर भी यापनीय और श्वेताम्बर परम्परा मे मूलभूत अंतर इतना तो अवश्य है कि श्वेताम्बर परम्परा परिहार को तप से पृथक् प्रायश्चित्त के रूप में स्वीकार नहीं करती है। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि दिगम्बर परम्परा यापनीय ग्रन्थ षट्खण्डागम की धवला टीका परिहार को पृथक् प्रायश्चित्त नहीं मानती है। उसमे श्वेताम्बर परम्परा सम्मत दस प्रायश्चित्तो का उल्लेख हुआ है जिसमे परिहार का उल्लेख नहीं है।

छेद प्रायश्चित्त जो अपराधी शारीरिक दृष्टि से कठोर तप-साधना करने मे असमर्थ हो अथवा ममर्थ होते हुए भी तप के गर्व के उन्मत्त है और तप प्रायश्चित्त से उसके व्यवहार मे सुधार सम्भव नहीं होता है और तप प्रायश्चित्त करके पुनः-पुनः अपराध करता है, उसके लिए छेद प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। छेद प्रायश्चित्त का तात्पर्य है भिक्षु या भिक्षुणी के दीक्षा पर्याय को कम कर देना, जिसका परिणाम यह होता है कि अपराधी का श्रमण सघ मे वरीयता की दृष्टि से जो स्थान है, वह अपेक्षाकृत निम्न हो जाता है अर्थात् जो दीक्षा पर्याय मे उससे लघु हैं वे उससे ऊपर हो जाते हैं। दूसरे शब्दो मे उसकी वरिष्ठता (सीनियरिटी) कम हो जाती है। और उसे इस आधार पर जो भिक्षु उसे कभी कनिष्ठ रहे हैं उनको उसे वन्दन आदि करना होता है। किस अपराध मे कितने दिन का छेद प्रायश्चित्त आता है इसका स्पष्ट उल्लेख मुझे देखने को नहीं मिला। संभवत यह परिहारपूर्वक तप प्रायश्चित्त का एक विकल्प है। अर्थात् जिस अपराध के लिए जितने मास या दिन के लिए तप निर्धारित हो, उस अपराध के करने पर कभी उतने दिन का दीक्षा छेद का प्रायश्चित्त दिया जाता है। जैसे जो अपराध षण्मासिक प्रायश्चित्त के योग्य होते हैं, उनके करने पर कभी उसे छह मास का छेद प्रायश्चित्त भी दिया जाता है। दूसरे शब्दो मे उसकी वरीयता छह मास कम कर दी जाती है। अधिकतम तपावधि ऋषभदेव के समय मे एक वर्ष, अन्य वार्हेस तीर्थंकरो के समय मे आठ मास और महावीर के समय मे छह मास मानी गई है अतः अधिकतम एक साथ छह मास का ही छेद प्रायश्चित्त दिया जा सकता है। सामान्यतया पार्श्वस्थ, अवसन्न, कुशील और ससक्त भिक्षुओ को छेद प्रायश्चित्त दिये

जाने का विधान है ।

मूल प्रायश्चित्त—मूल प्रायश्चित्त का अर्थ होता था, पूर्व की दीक्षा पर्याय को समाप्त कर नवीन दीक्षा प्रदान करना । इसके परिणामस्वरूप ऐसा भिक्षु उस भिक्षुसंघ में जिस दिन उसे यह प्रायश्चित्त दिया जाता था वह सबसे कनिष्ठ बन जाता था । मूल प्रायश्चित्त अनवस्थाप्य और पाराचिक प्रायश्चित्तों से इस अर्थ में भिन्न था कि इसमें अपराधी भिक्षु को गृहस्थवेष धारण करना अनिवार्य न था । सामान्यतया पचेन्द्रिय प्राणियों की हिंसा एवं मैथुन सम्बन्धी अपराधों को मूल प्रायश्चित्त के योग्य माना जाता है । इसी प्रकार जो भिक्षु मृषावाद, अदत्तादान और परिग्रह सम्बन्धी दोषों का पुनः-पुनः सेवन करता है वह भी मूल प्रायश्चित्त का पात्र माना गया है । जीतकल्प भाष्य के अनुसार निश्चयनय की दृष्टि से ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की विराधना होने पर मूल प्रायश्चित्त दिया जा सकता है, परन्तु व्यवहारनय की दृष्टि से ज्ञान और दर्शन की विराधना होने पर मूल प्रायश्चित्त दिया भी जा सकता है और नही भी दिया जा सकता है परन्तु चारित्र्य की विराधना होने पर तो मूल प्रायश्चित्त दिया ही जाता है । जो तप के गर्व से उन्मत्त हो अथवा जिस पर सामान्य प्रायश्चित्त या दण्ड का कोई प्रभाव ही न पड़ता हो, उनके लिए मूल प्रायश्चित्त का विधान किया गया है ।

पाराचिक प्रायश्चित्त—वे अपराध जो अत्यन्त गहिष्ठ हैं और जिनके सेवन से न केवल व्यक्ति अपितु सम्पूर्ण जैन संघ की व्यवस्था धूमिल होती है, वे पाराचिक प्रायश्चित्त के योग्य होते हैं । पाराचिक प्रायश्चित्त का अर्थ भी भिक्षु संघ से बहिष्कार ही है । वैसे जैनाचार्यों ने यह माना है कि पाराचिक अपराध करने वाला भिक्षु यदि निर्धारित समय तक निर्धारित तप का अनुष्ठान पूर्ण कर लेता है तो उसे एक बार गृहस्थवेष धारण करवाकर पुनः संघ में प्रविष्ट किया जा सकता है । बौद्ध परम्परा में भी पाराचिक अपराधों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि ऐसा अपराध करने वाला भिक्षु सदैव के लिए संघ से बहिष्कृत कर दिया जाता है । जीतकल्प के अनुसार अनवस्थाप्य और पाराचिक प्रायश्चित्त भद्रवाहु के काल से बन्द कर दिया गया है । इसका प्रमुख कारण शारीरिक क्षमता की कमी हो जाना है । स्थानाग सूत्र में निम्न पांच अपराधों को पाराचिक प्रायश्चित्त के योग्य माना गया है ।

- (१) जो कुल में परस्पर कलह करता हो ।
- (२) जो गण में परस्पर कलह करता हो ।
- (३) जो हिंसा प्रेमी हो अर्थात् कुल या गण के साधुओं का घात करना चाहता हो ।
- (४) जो छिद्रप्रेमी हो अर्थात् जो छिद्रान्वेषण करता हो ।
- (५) जो प्रश्न शास्त्र का बार-बार प्रयोग करता हो ।

स्थानाग सूत्र में ही अन्यत्र अन्योन्य मैथुनसेवी भिक्षुओं को पाराचिक प्रायश्चित्त के योग्य बताया गया है । यहाँ यह विचारणीय है कि जहाँ हिंसा करने वाले को, स्त्री से मैथुन सेवन करने वाले को मूल प्रायश्चित्त के योग्य बताया, वहाँ हिंसा की योजना बनाने वाले एवं परस्पर मैथुन सेवन करने वाले को पाराचिक प्रायश्चित्त के योग्य बताया । इसका कारण यह है कि जहाँ हिंसा एवं मैथुन सेवन करने वाले का अपराध व्यक्त होता है और उसका परिशोधन सम्भव होता है किन्तु इन दूसरे प्रकार के व्यक्तियों का अपराध बहुत समय तक बना रह सकता है और संघ के समस्त परिवेश को दूषित बना देता है । वस्तुतः जब अपराधी के सुधार की सभी सम्भावनाएँ समाप्त हो जाती हैं तो उसे पाराचिक प्रायश्चित्त के योग्य माना जाता है । जीतकल्प के अनुसार तीर्थंकर के प्रवचन अर्थात् श्रुत, आचार्य और गणधर की आशातना करने वाले को भी पाराचिक प्रायश्चित्त का दोषी माना गया है । दूसरे शब्दों में जो जिन-प्रवचन का अवर्णवाद करता हो वह संघ में रहने के योग्य नहीं माना जाता । जीतकल्पभाष्य के अनुसार कपायदुष्ट, विषयदुष्ट, राजा के वध की इच्छा करने वाला, राजा की अग्रमहिषी से संभोग करने वाला भी पाराचिक प्रायश्चित्त का अपराधी माना गया है । वैसे परवर्ती आचार्यों के अनुसार पाराचिक अपराध का दोषी भी विशिष्ट तप-साधना के पश्चात् संघ में प्रवेश का अधिकारी मान लिया गया है । पाराचिक प्रायश्चित्त का कम से कम समय छह मास, मध्यम समय १२ मास और अधिकतम समय १२ वर्ष माना गया है । कहा जाता है कि सिद्धसेन दिवाकर को आगमो को संस्कृत भाषा में रूपान्तरित करने के प्रयत्न पर १२ वर्ष का पाराचिक प्रायश्चित्त दिया गया था । विभिन्न पाराचिक प्रायश्चित्त के अपराधों और उनके प्रायश्चित्तों का विवरण हमें जीतकल्प भाष्य की गाथा २५४० से २५८६ तक मिलता है । विशिष्ट विवरण के इच्छुक विद्वद्भक्तों को वहाँ उसे देख लेना चाहिए ।

अनवस्थाप्य—अनवस्थाप्य का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति को पद से च्युत कर देना है या अलग कर देना है । इस शब्द का दूसरा अर्थ है—जो संघ में स्थापना अर्थात् रखने योग्य नहीं है । वस्तुतः जो अपराधी ऐसे अपराध करता है जिसके कारण उसे संघ से बहिष्कृत कर देना आवश्यक होता है वह अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त के योग्य माना जाता है । यद्यपि परिहार में भी भिक्षु को संघ से पृथक् किया जाता है किन्तु वह एक सीमित रूप में होता है और उसका वेष परिवर्तन आवश्यक नहीं माना जाता । जबकि अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त के योग्य भिक्षु को संघ से निश्चित अवधि के लिए बहिष्कृत कर दिया जाता है और उसे तब तक पुनः भिक्षु संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता है जब तक कि वह प्राय-

श्चित्त के रूप में निदिष्ट तप-साधना को पूर्ण नहीं कर लेता है। और सध इस तथ्य से आश्वस्त नहीं हो जाता है कि वह पुनः अपराध नहीं करेगा। जैन परम्परा में बार-बार अपराध करने वाले अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए यह दण्ड प्रस्तावित किया गया है। स्थानाग सूत्र के अनुसार साधर्मियों की चोरी करने वाला, अन्यधर्मियों की चोरी करने वाला तथा डण्डे, लाठी आदि से दूसरे भिक्षुओं पर प्रहार करने वाला भिक्षु अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त के योग्य माना जाता है।

प्रायश्चित्त देने का अधिकार—सामान्य प्रायश्चित्त देने का अधिकार आचार्य या गणि का माना गया है। सामान्य व्यवस्था के अनुसार अपराधी को अपने अपराध के लिए आचार्य के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और आचार्य को भी परिस्थिति और अपराध की गुरुता का विचार कर उसे प्रायश्चित्त देना चाहिए। इस प्रकार दण्ड या प्रायश्चित्त देने का सम्पूर्ण अधिकार आचार्य, गणि या प्रवर्तक को होता है। आचार्य या गणि की अनुपस्थिति में उपाध्याय, उपाध्याय की अनुपस्थिति में प्रवर्तक अथवा वह वरिष्ठ मुनि जो छेद सूत्रों का ज्ञाता हो, प्रायश्चित्त दे सकता है। स्व-गण के आचार्य आदि के अभाव में अन्य गण के स्वर्लिंगी आचार्य आदि से भी प्रायश्चित्त लिया जा सकता है। किन्तु अन्य गण के आचार्य आदि सभी प्रायश्चित्त दे सकते हैं जब उनसे इस सम्बन्ध में निवेदन किया जाये। जीत-कल्प के अनुसार स्वर्लिंगी अन्य गण के आचार्य या मुनि की अनुपस्थिति में छेदसूत्र का अध्येता गृहस्थ जिसने दीक्षा पर्याय छोड़ दिया हो वह भी प्रायश्चित्त दे सकता है। इन सब के अभाव में साधक स्वयं भी पापशोधन के लिए स्वविवेक से प्रायश्चित्त का निश्चय कर सकता है।

क्या प्रायश्चित्त सार्वजनिक रूप में दिया जाये ?

इस प्रश्न के उत्तर में जैनाचार्यों का दृष्टिकोण अन्य परम्पराओं से भिन्न है। वे प्रायश्चित्त या दण्ड को आत्मशुद्धि का साधन तो मानते हैं लेकिन प्रतिरोधात्मक सिद्धांत के विरोधी हैं। उनकी दृष्टि में दण्ड केवल इसलिए नहीं दिया जाता है कि उसे देखकर अन्य लोग अपराध करने से भयभीत हो, अतः जैन परम्परा सामूहिक रूप में, खुले रूप में दण्ड की विरोधी है, इसके विपरीत बौद्ध परम्परा में दण्ड या प्रायश्चित्त को सध के सम्मुख सार्वजनिक रूप से देने की परम्परा है। बौद्ध परम्परा में प्रवाराणा के समय साधक भिक्षु को सध के सम्मुख अपने अपराध को प्रकट कर संघ प्रदत्त प्रायश्चित्त या दण्ड को स्वीकार करना होता है। वस्तुतः बुद्ध के निर्वाण के बाद किसी संघ प्रमुख की नियुक्ति को आवश्यक नहीं माना गया, अतः प्रायश्चित्त या दण्ड देने का दायित्व सधपद पर आ पड़ा। किन्तु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सार्वजनिक रूप से दण्डित करने की यह प्रक्रिया उचित नहीं

है, क्योंकि इससे समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा गिरती है, तथा कभी-कभी सार्वजनिक रूप में दण्डित किये जाने पर व्यक्ति विद्रोही बन जाता है।

अपराध की समानता पर दण्ड की समानता का प्रश्न

प्रायश्चित्त की चर्चा के प्रसंग में यह भी विचारणीय है कि क्या जैन सध में समान अपराधों के समान दण्ड की व्यवस्था है या एक ही समान अपराध के लिए दो व्यक्तियों को अलग-अलग दण्ड दिया जा सकता है। जैन विचारकों के अनुसार एक ही प्रकार के अपराध के लिए सभी प्रकार के व्यक्तियों को एक ही समान दण्ड नहीं दिया जा सकता। प्रायश्चित्त के कठोर और मृदु होने के लिए व्यक्ति की सामाजिक स्थिति एवं वह विशेष परिस्थिति भी विचारणीय है जिसमें कि वह अपराध किया गया है। उदाहरण के लिए एक ही समान प्रकार के अपराध के लिए जहाँ सामान्य भिक्षु या भिक्षुणी को अल्प दण्ड की व्यवस्था है वहीं श्रमण सध के पदाधिकारियों को अर्थात् प्रवर्तिनी, प्रवर्तक, गणि, आचार्य आदि को कठोर दण्ड देने की व्यवस्था है। पुनः जैन आचार्य यह भी मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्वतः प्रेरित होकर कोई अपराध करता है और कोई व्यक्ति परिस्थितियों से बाध्य होकर अपराध करता है तो दोनों के लिए अलग-अलग प्रकार के प्रायश्चित्त की व्यवस्था है। यदि हम मैथुन सम्बन्धी अपराध को लें तो जहाँ बलात्कार की स्थिति में भिक्षुणी के लिए किसी दण्ड की व्यवस्था नहीं है किन्तु उस स्थिति में भी यदि वह सम्भोग का आस्वादन लेती है तो उसके लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था है अतः एक ही प्रकार के अपराध हेतु दो भिन्न व्यक्तियों में परिस्थितियों में अलग-अलग प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। यही नहीं जैनाचार्यों ने यह भी विचार किया है कि अपराध किसके प्रति किया गया है। एक सामान्य साधु के प्रति किए गये अपराध की अपेक्षा आचार्य के प्रति किया गया अपराध अधिक दण्डनीय है। जहाँ सामान्य व्यक्ति के लिए किये गये अपराध को मृदु या अल्प दण्ड माना जाता है वहीं श्रमण संघ के किसी पदाधिकारी के प्रति किये गये अपराध को कठोर दण्ड के योग्य माना जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने प्रायश्चित्त विधान या दण्ड प्रक्रिया में व्यक्ति या परिस्थिति के महत्त्व को ओझल नहीं किया है और माना है कि व्यक्ति और परिस्थिति के आधार पर सामान्य और विशेष व्यक्तियों को अलग-अलग प्रायश्चित्त दिया जा सकता है जबकि सामान्यतया बौद्ध परम्परा में इस प्रकार के विचार का अभाव देखते हैं। हिन्दू परम्परा यद्यपि प्रायश्चित्त के सन्दर्भ में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करती है किन्तु उसका दृष्टिकोण जैन परम्परा से विलकुल विपरीत दिखाई देता है। जहाँ जैन परम्परा उसी अपराध के लिए प्रतिष्ठित

व्यक्तियों एवं पदाधिकारियों के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था करती है वही हिन्दू परम्परा आचार्यों, ब्राह्मणों आदि के लिए मृदु दण्ड व्यवस्था करती है। उसमें एक सामान्य अपराध करने पर भी एक शूद्र को कठोर दण्ड दिया जाता है वहाँ एक ब्राह्मण को अत्यन्त मृदु दण्ड दिया जाता है। दोनों परम्पराओं का यह दृष्टिभेद विशेष रूप से द्रष्टव्य है। बृहत्कल्पभाष्य की टीका में इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है कि जो पद जितना उत्तरदायित्वपूर्ण होता है उस पद के धारक व्यक्ति को उतना ही कठोर दण्ड दिया जाता था। उदाहरण के रूप में भिक्षुणियों का नदी-तालाव के किनारे ठहरना, वहाँ स्वाध्याय आदि करना निषिद्ध है। उस नियम का उल्लंघन करने पर जहाँ स्थविर को मात्र पट्लघु, भिक्षुणी को पट्गुरु प्रायश्चित्त दिया जाता, वहाँ गणिनी को छेद और प्रवर्तिनी को मूल प्रायश्चित्त देने का विधान है। सामान्य साधु की अपेक्षा आचार्य के द्वारा वही अपराध किया जाता है तो आचार्य को कठोर दण्ड दिया जाता है।

बार-बार अपराध या दोष सेवन करने पर अधिक दण्ड

जैन परम्परा में प्रथम बार अपराध करने की अपेक्षा दूसरी बार या तीसरी बार उसी अपराध को करने पर कठोर प्रायश्चित्त की व्यवस्था की गई है। यदि कोई भिक्षु या भिक्षुणी एक नियम का बार-बार अतिक्रमण करता है तो उस नियम के अतिक्रमण की सख्या में जैसे-जैसे वृद्धि हो जाती है प्रायश्चित्त की कठोरता भी बढ़ती जाती है। जिससे उसी अपराध का प्रायश्चित्त मास-लघु से बढ़ता हुआ छेद एवं नई दीक्षा तक बढ़ जाता है।

प्रायश्चित्त देते समय व्यक्ति की परिस्थिति का विचार

जैन दण्ड या प्रायश्चित्त व्यवस्था में इस बात पर भी पर्याप्त रूप से विचार किया गया है कि कठोर अपराध को करने वाला व्यक्ति भी यदि रुग्ण हो, अतिवृद्ध हो, विक्षिप्त चित्त हो, उन्माद या उपसर्ग से पीड़ित हो, उसे भोजन-पानी आदि सुविधापूर्वक न मिलता हो अथवा मुनि जीवन के आवश्यक सामग्री से रहित हो तो ऐसे भिक्षुओं को तत्काल संघ से बहिष्कृत करना अथवा बहिष्कृत करके शुद्धि के लिए कठोर तप आदि की व्यवस्था देना समुचित नहीं है।

आधुनिक दण्ड सिद्धांत और जैन प्रायश्चित्त व्यवस्था

जैसा कि हमने प्रारम्भ में ही स्पष्ट किया है कि दण्ड और प्रायश्चित्त की अवधारणाओं में एक मौलिक अन्तर है। जहाँ प्रायश्चित्त अन्तःप्रेरणा से स्वतः लिया जाता है, वहाँ दण्ड व्यक्ति को बलात् दिया जाता है। अतः आत्मशुद्धि तो प्रायश्चित्त से ही सम्भव है, दण्ड से नहीं। दण्ड में तो प्रतिशोध, प्रतिकार या आपराधिक प्रवृत्ति के निरोध का दृष्टिकोण ही प्रमुख होता है।

प्रायश्चित्त विचारको ने दण्ड के तीन सिद्धांत प्रतिपादित

किये हैं—

‡

(१) प्रतिकारात्मक सिद्धात, (२) निरोधात्मक सिद्धात, (३) सुधारात्मक सिद्धात। प्रथम प्रतिकारात्मक सिद्धात यह मानकर चलता है कि दण्ड के द्वारा अपराध की प्रतिशत की जाती है अर्थात् अपराधी ने दूसरे की जो क्षति की है उसकी परिपूर्ति करना या उसका बदला लेना ही दण्ड का मुख्य उद्देश्य है। “आँख के बदले आँख” और “दात के बदले दात”, ही इस दण्ड सिद्धात की मूलभूत अवधारणा है। इस प्रकार की दण्ड व्यवस्था से न तो समाज के अन्य लोग आपराधिक प्रवृत्तियों से भयभीत होते हैं और न उस व्यक्ति का जिसने अपराध किया है, कोई सुधार ही होता है।

अपराध का दूसरा निरोधात्मक सिद्धात मूलतः यह मानकर चलता है कि अपराधी को दण्ड इसलिए नहीं दिया जाता है कि उसने अपराध किया है अपितु इसलिए दिया जाता है कि दूसरे लोग अपराध करने का साहस न करें। समाज में आपराधिक प्रवृत्ति को रोकना ही दण्ड का उद्देश्य है, इसमें छोटे अपराध के लिए भी कठोर दण्ड की व्यवस्था होती है। किन्तु इस सिद्धात में अपराध करने वाले व्यक्ति को समाज के दूसरे व्यक्तियों को आपराधिक प्रवृत्ति से भयभीत करने के लिए साधन बनाया जाता है। अतः दण्ड का यह सिद्धांत न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। इसमें दण्ड का प्रयोग साध्य के रूप में नहीं अपितु साधन के रूप में किया जाता है।

दण्ड का तीसरा सिद्धात सुधारात्मक सिद्धात है, इस सिद्धात के अनुसार अपराधी भी एक प्रकार का रोगी है अतः उसकी चिकित्सा अर्थात् उसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। इस सिद्धात के अनुसार दण्ड का उद्देश्य व्यक्ति का सुधार होना चाहिए। वस्तुतः कारागृहों को सुधारगृहों के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए ताकि अपराधी के हृदय को परिवर्तित कर उसे सभ्य नागरिक बनाया जा सके।

यदि हम इन सिद्धातों की तुलना जैन प्रायश्चित्त व्यवस्था से करते हैं तो यह कहा जा सकता है कि जैन त्रिचारक अपनी प्रायश्चित्त या दण्ड व्यवस्था में न तो प्रतिकारात्मक सिद्धात को और न निरोधात्मक सिद्धात अपनाते हैं अपितु सुधारात्मक सिद्धात से सहमत होकर यह मानते हैं कि व्यक्ति में स्वतः ही अपराधबोध की भावना उत्पन्न कर सके एवं आपराधिक प्रवृत्तियों से दूर रहने को अनुशासित किया जाये। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि जब तक व्यक्ति में स्वतः ही अपराध के प्रति आत्म-ग्लानि उत्पन्न नहीं होगी तब तक वह आपराधिक प्रवृत्तियों से विमुक्त नहीं होगा। यद्यपि इस आत्म-ग्लानि या अपराधबोध का तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति जीवन भर इसी भावना से पीड़ित रहे अपितु वह अपराध या दोष को दोष के रूप में देखे और यह

समझे कि अपराध एक सयोगिक घटना है और उसका परिशोधन कर आध्यात्मिक विकास के पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है।

तप का सामान्य स्वरूप एक मूल्यांकन—तप शब्द अनेक अर्थों में भारतीय आचार दर्शन में प्रयुक्त हुआ है और जब तक उसकी सीमाएँ निर्धारित नहीं कर ली जाती, उसका मूल्यांकन करना कठिन है। “तप” शब्द एक अर्थ में त्याग-भावना को व्यक्त करता है। त्याग चाहे वह वैयक्तिक स्वार्थ एवं हितों का हो, चाहे वैयक्तिक सुखोपलब्धियों का हो, तप कहा जा सकता है। सम्भवतः यह तप की विस्तृत परिभाषा होगी, लेकिन यह तप के निषेधात्मक पक्ष को ही प्रस्तुत करती है। यहाँ तप, संयम, इन्द्रिय नियंत्रण और देह-दण्डन वन कर रह जाता है। तप मात्र त्यागना ही नहीं है, उपलब्ध करना भी है। तप का केवल विसर्जनात्मक मूल्य मानना भ्रम होगा। भारतीय आचार-दर्शनो ने जहाँ तप के विसर्जनात्मक मूल्यों की गुण-गाथा गायी है, वहीं उसके सृजनात्मक मूल्य को भी स्वीकार किया है। वैदिक परम्परा में तप को लोक-कल्याण का विधान करने वाला कहा गया है। गीता की लोक-संग्रह की और जैन परम्परा की वैयावृत्य या संघ-सेवा की अवधारणाएँ तप के विधायक अर्थात् लोक-कल्याणकारी पक्ष को ही तो अभिव्यक्त करती हैं। बौद्ध परम्परा जब ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ का उद्घोष देती है तब वह भी तप के विधायक मूल्य का ही विधान करती है।

सृजनात्मक पक्ष में तप आत्मोपलब्धि ही है, लेकिन यहाँ स्व-आत्मन इतना व्यापक होता है कि उसमें स्व या पर का भेद ही नहीं टिक पाता है और इसीलिए एक तपस्वी का आत्म-कल्याण और लोक-कल्याण परस्पर विरोधी नहीं होकर एक रूप होते हैं। एक तपस्वी के आत्मकल्याण में लोककल्याण समाविष्ट रहता है और उसका लोककल्याण आत्मकल्याण ही होता है।

जिस प्रकार व्यायाम के रूप में किया हुआ शारीरिक कष्ट स्वास्थ्य रक्षा एवं शक्ति-संचय का कारण होकर जीवन के व्यावहारिक क्षेत्र में भी लाभप्रद होता है, वैसे ही तपस्या के रूप में देह दुःख का अभ्यास करने वाला अपने शरीर में कष्ट-सहिष्णु शक्ति विकसित कर लेता है, जो वासनाओं के सघर्ष में ही नहीं, जीवन की सामान्य स्थितियों में भी सहायक होती है। एक उपवास का अभ्यासी व्यक्ति यदि किसी परिस्थिति में भोजन प्राप्त नहीं कर पाता, तो इतना व्याकुल नहीं होगा जितना अनभ्यस्त व्यक्ति। कष्ट-सहिष्णुता का अभ्यास आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टि के बिना शारीरिक यन्त्रणा अपने आप में कोई तप नहीं है, उसमें भी यदि इस शारीरिक यन्त्रणा के पीछे लौकिक या पारलौकिक स्वार्थ हैं तो फिर उसे तपस्या कहना महान मूर्खता होगी। जैन-दार्शनिक भाषा में तपस्या में देह-दण्डन किया नहीं जाता, हो जाता है। तपस्या

का प्रयोजन आत्म-परिशोधन है, न कि देह-दण्डन। घृत की शुद्धि के लिए घृत को तपाना होता है न कि पात्र को। उसी प्रकार आत्मशुद्धि के लिए आत्म-विकारों को तपाया जाता है न कि शरीर को। शरीर तो आत्मा का भाजन पात्र होने से तप जाता है, तपाया नहीं जाता। जिस तप में मानसिक कष्ट हो, वेदना हो, पीडा हो, वह तप नहीं है। पीडा का होना एक बात है और पीडा की व्याकुलता की अनुभूति करना दूसरी बात है। तप में पीडा हो सकती है लेकिन पीडा की व्याकुलता की अनुभूति नहीं। पीडा शरीर का धर्म है, व्याकुलता की अनुभूति आत्मा का। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें इन दोनों को अलग-अलग देखा जा सकता है। जैन बालक जब उपवास करता है, तो उसे भूख की पीडा अवश्य होगी, लेकिन वह पीडा की व्याकुलता की अनुभूति नहीं करता। वह उपवास तप के रूप में करता है और तप तो आत्मा का आनन्द है। वह जीवन के सौष्ठव को नष्ट नहीं करता, वरन् जीवन के आनन्द को परिष्कृत करता है।

अब जैन-परम्परा में स्वीकृत तप के भेदों के मूल्यांकन का किञ्चित् प्रयास किया जा रहा है।

अनशन में कितनी शक्ति हो सकती है, उसे आज गाँधी युग का हर व्यक्ति जानता है। वह तो उसके प्रत्येक प्रयोग देख चुके हैं। सर्वोदय समाज-रचना तो उपवास के मूल्य को स्वीकार करती ही है, देश में उत्पन्न अन्न-संकट की समस्या ने भी इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। इन सबके साथ आज चिकित्सिक एवं वैज्ञानिक भी इसकी उपादेयता को सिद्ध कर चुके हैं। प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली का तो मूल आधार ही उपवास है।

इसी प्रकार ऊनोदरी या भूख से कम भोजन, नियमित भोजन तथा रस-परित्याग का भी स्वास्थ्य की दृष्टि से पर्याप्त मूल्य है। साथ ही यह समय एवं इन्द्रियजय में भी सहायक है। गाँधीजी ने तो इसी से प्रभावित हो ग्यारह व्रतों में अस्वाद व्रत का विधान किया था।

यद्यपि वर्तमान युग भिक्षा-वृत्ति को उचित नहीं मानता है, तथापि समाज-व्यवस्था की दृष्टि से इसका दूसरा पहलू भी है। जैन आचार-व्यवस्था में भिक्षावृत्ति के जो नियम प्रतिपादित हैं वे अपने आप में इतने सबल हैं कि भिक्षावृत्ति के सम्भावित दोषों का निराकरण स्वतः हो जाता है। भिक्षावृत्ति के लिए अहं का त्याग आवश्यक है और नैतिक दृष्टि से उसका कम मूल्य नहीं है।

इसी प्रकार आसन-साधना और एकातवास का योग-साधना की दृष्टि से मूल्य है। आसन योग-साधना का एक अनिवार्य अंग है।

तप के आभ्यन्तर भेदों में ध्यान और कायोत्सर्ग का भी साधनात्मक मूल्य है। पुनः स्वाध्याय, वैयावृत्य (सेवा) एवं विनय (अनुशासन) का तो सामाजिक एवं वैयक्तिक दोनों दृष्टियों से बड़ा महत्व है। सेवाभाव और अनुशासित जीवन ये दोनों सभ्य समाज के आवश्यक गुण हैं। ईसाई धर्म में तो इस सेवाभाव को काफी अधिक महत्व दिया गया है। आज उसके व्यापक प्रचार का एक मात्र कारण उसकी सेवाभावना ही तो है। मनुष्य के लिए सेवाभाव एक आवश्यक तत्व है जो अपने प्रारम्भिक क्षेत्र में परिवार से प्रारम्भ होकर "वसुधैव कुटुम्बकम्" तक का विशाल आदर्श प्रस्तुत करता है।

स्वाध्याय का महत्त्व आध्यात्मिक विकास और ज्ञानात्मक विकास दोनों दृष्टियों से है। एक ओर वह स्व का अध्ययन है तो दूसरी ओर ज्ञान का अनुशीलन। ज्ञान और विज्ञान की सारी प्रगति के मूल में तो स्वाध्याय ही है।

प्रायश्चित्त एक प्रकार से अपराधी द्वारा स्वयाचित दण्ड है। यदि व्यक्ति में प्रायश्चित्त की भावना जागृत हो जाती है तो उसका जीवन ही बदल जाता है। जिस समाज में ऐसे लोग हों, वह समाज तो आदर्श ही होगा।

वास्तव में तो तप के इन विभिन्न अंगों के इतने अधिक पहलू हैं कि जिनका समुचित मूल्यांकन सहज नहीं।

तप आचरण में व्यक्त होता है। वह आचरण ही है। उसे शब्दों में व्यक्त करना सम्भव नहीं है। तप आत्मा की ऊष्मा है, जिसे शब्दों में बाधा नहीं जा सकता।

यह किसी एक आचार-दर्शन की वपौती नहीं, वह तो प्रत्येक जागृत आत्मा की अनुभूति है। उसकी अनुभूति से ही मन के कलुष धुलने लगते हैं, वासनाएँ शिथिल हो जाती हैं, अहं गलने लगना है। तृष्णा और कपायो की अग्नि तप की ऊष्मा के प्रकट होते ही निःशेष हो जाती है। जडता क्षीण हो जाती है। चेतना और आनन्द का एक नया आयाम खुल जाता है, एक नवीन अनुभूति होती है। शब्द और भाषा मौन हो जाती है, आचरण की वाणी मुखरित होने लगती है।

तप का यही जीवन्त और जागृत शाश्वत स्वरूप है जो सार्वजनीन और सार्वकालिक है। सभी साधना पद्धतियाँ इसे मानकर चलती हैं और देश काल के अनुसार इसके किसी एक द्वार से साधकों को तप के इस भव्य महल में लाने का प्रयास करती हैं, जहाँ साधक अपने परमात्म स्वरूप का दर्शन करता है, आत्मन् ब्रह्म या ईश्वर का साक्षात्कार करता है।

तप एक ऐसा प्रशस्त योग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है, आत्मा का परिष्कार कर उसे परमात्म-स्वरूप बना

देता है।

वीर्याचार—पाँच आचारों के इस विवेचन में अन्तिम आचार वीर्याचार है। जैन परम्परा में वीर्याचार का अर्थ पुरुषार्थ या प्रयत्न करना है। अभिधान राजेन्द्र कोश में योग, वीर्यक्षमता, उत्साह पराक्रम और चेष्टा को एकार्थक माना गया है। यदि हम चारित्र्याचार, तपाचार और वीर्याचार में कोई विभाजन रेखा खींचना चाहे तो वह इस प्रकार होगी। जहाँ चारित्र्याचार संयम अर्थात् मन और इन्द्रियों पर नियन्त्रण का सूचक है वहीं तपाचार कष्ट, तितिक्षा या सहनशीलता का परिचायक है। जबकि वीर्याचार साधना के क्षेत्र में स्वशक्ति का प्रकटन करता है। चारित्र्य संवर करता है, तप सहन करता है किन्तु वीर्य प्रयत्न या पुरुषार्थ करता है। चारित्र्य और तप निषेध-परक हैं जबकि वीर्य विधिपरक है। यद्यपि तप किया जाता है फिर भी उसे करने में 'सहना' ही प्रधान होता है। प्रस्तुत कृति में वीर्याचार के अन्तर्गत किन-किन तथ्यों का सकलन किया गया है यह तत्सम्बन्धी मुद्रित पृष्ठों की अनुपलब्धि के कारण नहीं कह पा रहा हूँ। किन्तु आचाराग आदि प्राचीन आगम ग्रन्थों के देखने से यह स्पष्ट होता है कि उनमें साधक को बार-बार यह निर्देश दिया गया है कि वह पराक्रम या पुरुषार्थ करे और साधना के क्षेत्र में शिथिल न हो। यहाँ यह विचार स्वाभाविक ही है कि यह पुरुषार्थ किस रूप में किया जाये। वीर्य शब्द, पुरुषार्थ, प्रयत्न, पराक्रम या परिश्रम का सूचक है। जैन परम्परा में भिक्षु को श्रमण कहा गया है, जो श्रम करता है वह श्रमण है किन्तु यहाँ श्रम का तात्पर्य शारीरिक श्रम नहीं है, यहाँ श्रम से तात्पर्य है अपनी वृत्तियों या वामनाओं के परिशोधन हेतु सतत प्रयत्न करना। आचाराग में साधना को युद्ध का रूप दिया गया है और साधक को वीर कहा गया है। वस्तुतः अपनी वामनाओं और वृत्तियों पर विजय प्राप्त करना ही वीरत्व का लक्षण है और इस वीरत्व का प्रदर्शन ही वीर्याचार है। जैनागमों में कहा गया है कि सहस्रो योद्धाओं पर विजय प्राप्त करने की अपेक्षा अपनी आत्मा पर विजय पाना ही श्रेष्ठ है। जैनागमों में अनेक स्थलों पर साधक को यह निर्देश दिया गया है कि वह अपनी शक्ति को छिपाये नहीं अपितु उसे प्रकट करे। किन्तु यहाँ शक्ति के प्रकटीकरण का तात्पर्य क्या है, यह विचारणीय है। सासारिक सुखभोग और उनकी उपलब्धि के प्रयासों में तो अपनी शक्ति का प्रकटन जैन साधु के लिए निषिद्ध ही माना गया है अतः उसका शक्ति-प्रकटन केवल साधना के क्षेत्र में ही विहित माना जा सकता है। अतः आत्मविशुद्धि के लिए प्रयत्न करना वीर्याचार है। अपनी वासनाओं को नियन्त्रित

करना, उन पर काबू रखना और उन्हें सजगतापूर्वक आत्मा से बाहर निकाल फेंकना यही वीर्याचार है।

सक्षेप में कहे तो कषायो, वासनाओ और मनोविकारो पर विजय लाभ करने के लिए प्रयत्नशील होना ही वीर्याचार है।

आत्मा की वे शक्तियाँ जो कि कर्मावरण के कारण अनभिव्यक्त हैं उन्हें अभिव्यक्त करना ही पुरुषार्थ है और यही वीर्य है। जैन परम्परा में आत्मा को अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त-सुख और अनन्तवीर्य से युक्त माना गया है। आत्मा के उस अनन्तवीर्य को प्रकट कर लेना ही वीर्याचार है। आत्मा की शक्ति को आवृत या गोपित करने वाले कारणों के उन्मूलन करने में ही वीर्य या पुरुषार्थ निहित है। जिस प्रकार किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में कोई भौतिक वस्तु अपने यथार्थ गुण-धर्मों को प्रकट करने में समर्थ होती है। उसी प्रकार किसी वस्तु या व्यक्ति में निहित क्षमता या शक्ति को ही वीर्य कहा जाता है और उस क्षमता का यथार्थ रूप में प्रकटन कर लेना ही वीर्य पुरुषार्थ है। उदाहरण के रूप में एक उच्च बुद्धिलब्धि वाले बालक में स्नातकोत्तर अध्ययन की सामर्थ्य होती है किन्तु जब वह अध्ययन करता हुआ क्रमशः विकास करता है तब वह योग्यता में बदल जाती है। इसी प्रकार आत्मा में निहित सामर्थ्य को योग्यता में परिणत कर देना ही वीर्याचार है। वीर्य का वर्गीकरण अनेक रूपों में उपलब्ध होता है जैसे कायवीर्य (शारीरिक सामर्थ्य), वाग्वीर्य (वाग्मिता), आध्यात्मिक वीर्य (आत्म-शोधन की सामर्थ्य)। अन्यत्र वीर्य का वर्गीकरण आगारवीर्य और अनगारवीर्य के रूप में भी हुआ है। यहाँ आगारवीर्य का तात्पर्य गृहस्थ जीवन के व्रतों के पालन की सामर्थ्य और अनगार या मुनिजीवन के व्रतों के पालन करने की सामर्थ्य। पुनः वीर्य के बालवीर्य, पंडितवीर्य और बालपंडितवीर्य, ऐसे विभाग भी किये गये हैं। मूर्खों का पुरुषार्थ या प्रयत्न बालवीर्य है जबकि ज्ञानियों का पुरुषार्थ पंडितवीर्य है। पुनः प्रमादीजनो का पुरुषार्थ बालवीर्य और अप्रमत्त साधको का पुरुषार्थ पंडितवीर्य है। बालवीर्य सकर्म अर्थात् बन्धनकारक होता है जबकि पंडितवीर्य अकर्म अर्थात् मुक्ति का साधक होता है। सूत्रकृताग में कहा गया है कि जो सम्यक्दृष्टि और वीर्य सम्पन्न है उनका पुरुषार्थ शुद्ध होता है और वह कर्मफल से युक्त नहीं होता। वीर्याचार के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा वीर्यप्रवाद नामक पूर्वग्रन्थ में थी, ऐसी सूचना ज्ञात होती है। सूत्रकृताग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के आठवें अध्याय में तथा आचाराग में यत्र-तत्र वीर्याचार की चर्चा देखी जा सकती है। अभिधान राजेन्द्र कोषा (भाग ६, पृ० १३६७-१४०६) में भी वीर्याचार की चर्चा उपलब्ध होती है। इसमें कहा गया है कि अपने बल और वीर्य को न छिपाते हुए यथा-शक्ति पुरुषार्थ (पराक्रम) करना वीर्याचार है। वस्तुतः ज्ञान,

दर्शन, चारित्र्य और तप इन चारों में अपनी सामर्थ्य को न छिपाते हुए पुरुषार्थ करना ही वीर्याचार है, इस प्रकार वीर्याचार ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप के क्षेत्र में किया गया पुरुषार्थ है और इस दृष्टि से वह इन चारों आचारों में अनुस्यूत है किन्तु अनुस्यूत होते हुए भी उनका प्राण है क्योंकि बिना पुरुषार्थ और प्रयत्न के साधना सफल नहीं होती है।

उत्सर्ग और अपवाद—जैन आचार्यों ने आचार सम्बन्धी जो विभिन्न विधि-निषेध प्रस्तुत किये हैं वे निरपेक्ष नहीं हैं। देश-काल और व्यक्ति के आधार पर उनमें परिवर्तन सम्भव हो सकता है। आचार के जिन नियमों का विधि-निषेध जिस सामान्य स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है उसमें वे आचार के विधि-निषेध यथावत् रूप में पालनीय माने गये हैं, किन्तु देश-काल, परिस्थिति अथवा वैयक्तिक परिस्थितियों की भिन्नता में उनमें परिवर्तन भी स्वीकार किया गया है। व्यक्ति और देश-कालगत सामान्य परिस्थितियों में जिन नियमों का पालन किया जाता है वे उत्सर्ग मार्ग कहे जाते हैं किन्तु जब देशकालगत और वैयक्तिक विशेष परिस्थितियों में उन सामान्य विधि-निषेधों को शिथिल कर दिया जाता है तो उसे अपवाद मार्ग कहा जाता है। वस्तुतः आचार के सामान्य नियम उत्सर्ग मार्ग कहे जाते हैं और विशिष्ट नियम अपवाद मार्ग कहे जाते हैं। यद्यपि दोनों की व्यावहारिकता परिस्थिति सापेक्ष होती है। जैन आचार्यों की मान्यता रही है कि सामान्य परिस्थितियों में उत्सर्ग मार्ग का अवलम्बन किया जाना चाहिए किन्तु देशकाल, परिस्थिति अथवा व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं क्षमता में किसी विशेष परिवर्तन के आ जाने पर अपवाद मार्ग का अवलम्बन किया जा सकता है। यहाँ इस तथ्य को भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि अपवाद मार्ग का सम्बन्ध केवल आवरण सम्बन्धी बाह्य विधि-निषेधों से होता है और आपवादिक परिस्थिति में किये गये सामान्य नियम के छण्डन से न तो उस नियम का मूल्य कम होता है और न सामान्य रूप से उसके आचरणीय होने पर कोई प्रभाव पड़ता है। जहाँ तक आचार के आन्तरिक पक्ष का प्रश्न है, जैनाचार्यों ने उसे सदैव ही निरपेक्ष या उत्सर्ग के रूप में स्वीकार किया है। हिंसा का विचार या हिंसा की भावना किसी भी परिस्थिति में नैतिक या आचरणीय नहीं मानी जाती, जिस सम्बन्ध में अपवाद की चर्चा की जाती है वह अहिंसा के बाह्य विधि-निषेधों से सम्बन्धित होता है। मान लीजिए कि हम किसी निरपराध प्राणी का जीवन बचाने के लिए अथवा किसी स्त्री का शील सु-क्षित रखने के लिए हिंसा अथवा असत्य का सहारा लेते हैं तो इससे अहिंसा या सत्य-सम्भाषण का सामान्य नैतिक आदर्श समाप्त नहीं हो जाता। अपवाद मार्ग न तो कभी मौलिक एवं सार्वभौमिक नियम बनता

है और न अपवाद के आचरण का कारण माना जाता है, उसी प्रकार अनुज्ञा के अनुसार अर्थात् अपवाद मार्ग पर चलने पर भी आचरण को विशुद्ध ही माना जाना चाहिए। यदि ऐसा न माना जाता तब तो एकमात्र उत्सर्ग मार्ग पर ही चलना अति-वार्य हो जाता, फलस्वरूप अपवाद मार्ग का अवलम्बन करने के लिए कोई भी किसी भी परिस्थिति में तैयार ही न होता। परिणाम यह होता कि साधना मार्ग में केवल जिनकल्प को ही मानकर चलना पड़ता। किन्तु जब से साधको के सध एव गच्छ वनने लगे, तब से केवल औत्सर्गिक मार्ग अर्थात् जिनकल्प संभव नहीं रहा। अतएव स्थविरकल्प में यह अनेवार्य हो गया कि जितना 'प्रतिषेध' का पालन आवश्यक है, उतना ही आवश्यक 'अनुज्ञा' का आचरण भी है। बल्कि परिस्थितिविशेष में "अनुज्ञा" के अनुसार आचरण नहीं करने पर प्रायश्चित्त का भी विधान करना पडा है। जिस प्रकार प्रतिषेध का भंग करने पर प्रायश्चित्त है उसी प्रकार अपवाद का आचरण नहीं करने पर भी प्रायश्चित्त है। अर्थात् "प्रतिषेध" और "अनुज्ञा" उत्सर्ग और अपवाद दोनों ही समबल माने गये हैं। दोनों में ही विशुद्धि है। किन्तु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उत्सर्ग राजमार्ग है, जिसका अवलम्बन साधक के लिए सहज है, किन्तु अपवाद, यद्यपि आचरण में सरल है, तथापि सहज नहीं है।^१

वस्तुतः जीवन में नियमो उपनियमो की जो सर्व सामान्य विधि होती है वह उत्सर्ग और जो विशेष विधि है वह अपवाद विधि है। उत्सर्ग सामान्य अवस्था में आचरणीय होता है और अपवाद विशेष सकटकालीन अवस्था में। यद्यपि दोनों का उद्देश्य एक ही होता है कि साधक का समय सुरक्षित रहे। समर्थ साधक के द्वारा संयम रक्षा के लिए जो अनुष्ठान किया जाता है वह उत्सर्ग है और असमर्थ साधक के द्वारा संयम की रक्षा के लिए ही उत्सर्ग से विपरीत जो अनुष्ठान किया जाता है वह अपवाद है। अनेक परिस्थितियों में यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति उत्सर्ग मार्ग के प्रतिपालन के द्वारा संयम, ज्ञानादि गुणो सुरक्षा नहीं कर पाता तब उसे अपवाद मार्ग का ही सहारा लेना होता है। यद्यपि उत्सर्ग और अपवाद परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं किन्तु लक्ष्य की दृष्टि से विचार करने में उनमें वस्तुतः विरोध नहीं होता है। दोनों ही साधना की सिद्धि के लिए होते हैं। उसकी सामान्यता एव सार्वभौमिकता खण्डित होती है। उत्सर्गमार्ग को सार्वभौम कहने का तात्पर्य भी यह नहीं है कि अपवाद का कोई स्थान नहीं है। उसे सार्वभौम कहने का तात्पर्य इतना ही है कि सामान्य परिस्थितियों में उसका ही

आचरण किया जाना चाहिए। उत्सर्ग और अपवाद दोनों की आचरणीयता परिस्थिति सापेक्ष है निरपेक्ष नहीं। यह उस परिस्थिति पर निर्भर होता है कि व्यक्ति उसमें उत्सर्ग का अवलम्बन ले या अपवाद का। कोई भी आचार, परिस्थिति निरपेक्ष नहीं हो सकता अतः आचार के नियमों के परिपालन में परिस्थिति के विचार को सम्मिलित किया गया है फलतः अपवाद मार्ग की आवश्यकता स्वीकार की गई।

जैन संध में अपवाद मार्ग का कैसे विकास हुआ इस सम्बन्ध में पं० दलसुख भाई मालवणिया का कथन है कि आचाराग में निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थी सध के कर्तव्य और अकर्तव्य के भौतिक उपदेशों का संकलन है किन्तु देश काल अथवा क्षमता आदि के परिवर्तित होने से उत्सर्ग मार्ग पर चलना कठिन हो जाता है। अस्तु ऐसी स्थिति में आचाराग की ही निशीथ नामक चूला में उन आचार नियमों के विषय में जो वितथकारी है उनका प्रायश्चित्त बताया गया है। अपवादों का मूल सूत्रों में कोई विशेष निर्देश नहीं है। किन्तु नियुक्ति, भाष्य, चूर्ण आदि में स्थान-स्थान पर विस्तृत वर्णन है। जब एक बार यह स्वीकार कर लिया जाता है कि आचार के नियमों की व्यवस्था के सन्दर्भ में विचारणा को अवकाश है तब परिस्थिति को देखकर मूलसूत्रों के विधानों में अपवादों की सृष्टि करना गीतार्थ आचार्यों के लिए सहज हो जाता है। उत्सर्ग और अपवाद के बलाबल के सम्बन्ध में विचार करते हुए पं० जी पुन लिखते हैं कि "संयमी पुरुष के लिए जितने भी निषिद्ध कार्य न करने योग्य कहे गये हैं, वे सभी "प्रतिषेध" के अन्तर्गत आते हैं और जब परिस्थितिविशेष में उन्हीं निषिद्ध कार्यों को करने की "अनुज्ञा" दी जाती है, तब वे ही निषिद्ध कर्म "विधि" बन जाते हैं। परिस्थिति विशेष में अकर्तव्य भी कर्तव्य बन जाता है, किन्तु प्रतिषेध को विधि में परिणत कर देने वाली परिस्थिति का औचित्य और परीक्षण करना, साधारण साधक के लिये सम्भव नहीं है। अतएव ये "अपवाद" "अनुज्ञा" या "विधि" सब किसी को नहीं बताये जाते। यही कारण है कि "अपवाद" का दूसरा नाम "रहस्य" (नि० चू० गा० ४६५) पडा है। इससे यह भी फलित हो जाता है कि जिस प्रकार "प्रतिषेध" का पालन करने से आचरण विशुद्ध माना जाता है, उसी प्रकार अनुज्ञा के अनुसार अर्थात् अपवाद मार्ग पर चलने पर भी आचरण को विशुद्ध ही माना जाना चाहिए। (देखें निशीथ एक अध्ययन पृ० ५४) प्रशमरति में उमास्वाति^२ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परिस्थितिविशेष में जो भोजन, शय्या, वस्त्र, पात्र एवं औषधि आदि ग्राह्य होती है

१ पं० दलसुख मालवणिया, निशीथ एक अध्ययन, पृ. ५४।

२ प्रशमरति—उमास्वाति, श्लोक १४५।

वही परिस्थिति विशेष में अग्राह्य हो जाती है और जो अग्राह्य होती है वही ग्राह्य हो जाती है। निशीथ भाष्य^१ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समर्थ साधक के लिए उत्सर्ग स्थिति में जो द्रव्यादि निषिद्ध माने जाते हैं वे असमर्थ साधक के लिए आप-वादिक स्थिति में ग्राह्य हो जाते हैं। सत्य यह है कि देश, काल, रोग आदि के कारण कभी-कभी जो अकार्य होता है वह कार्य बन जाता है और जो कार्य होता है वह अकार्य बन जाता है। उदाहरण के रूप में सामान्यतया ज्वर की स्थिति में भोजन निषिद्ध माना जाता है किन्तु वात, श्रम, क्रोध, शोक और कामादि से उत्पन्न ज्वर में लंघन हानिकारक माना जाता है।

उत्सर्ग और अपवाद की इस चर्चा में स्पष्ट रूप से एक बात सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि दोनों ही परिस्थिति सापेक्ष हैं और इसलिए दोनों ही मार्ग हैं, अमार्ग कोई भी नहीं है। यद्यपि यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि यह कैसे निर्णय किया जाये कि किस व्यक्ति को उत्सर्ग मार्ग पर चलना चाहिए और किसको अपवाद मार्ग पर। इस सम्बन्ध में जैनाचार्यों की दृष्टि यह रही है कि साधक को सामान्य स्थिति में उत्सर्ग का अवलम्बन करना चाहिए किन्तु यदि वह किसी विशिष्ट परिस्थिति में फँस गया है जहाँ उसके उत्सर्ग के आलम्बन से स्वयं उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है तो उसे अपवाद मार्ग का सेवन करना चाहिए फिर भी यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि अपवाद का आल-म्बन किसी परिस्थिति-विशेष में ही किया जाता है और उस परिस्थिति-विशेष की समाप्ति पर साधक को पुन उत्सर्ग मार्ग का निर्धारण कर लेना चाहिए। परिस्थिति-विशेष उत्पन्न होने पर जो अपवाद मार्ग का अनुसरण नहीं करता उसे जैन आचार्यों ने प्रायश्चित्त का भागी बताया किन्तु जिस परिस्थिति में अपवाद का अवलम्बन लिया गया था उसके समाप्त हो जाने पर भी यदि कोई साधक उस अपवाद मार्ग का परित्याग नहीं करता है तो वह भी प्रायश्चित्त का भागी होता है। कब उत्सर्ग का आचरण किया जाये और कब अपवाद का इसका निर्णय देश कालगत परिस्थितियों अथवा व्यक्ति के शरीर-सामर्थ्य पर निर्भर होता है। एक बीमार साधक के लिए अकल्प्य आहार एषणीय माना जा सकता है किन्तु उसके स्वस्थ हो जाने पर वही आहार उसके लिए अनैषणीय हो जाता है।

यहाँ यह प्रश्न भी स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि साधक कब अपवाद मार्ग का अवलम्बन करे? और इसका निश्चय कौन करे? जैनाचार्यों ने इस सन्दर्भ में गीतार्थ की आवश्यकता अनुभव की और कहा कि गीतार्थ को ही यह अधि-कार होता है कि वह साधक को उत्सर्ग या अपवाद किसका

अवलम्बन लेना है, निर्णय दे। जैन परम्परा में गीतार्थ उस आचार्य को कहा जाता है जो देश, काल और परिस्थिति को सम्यक् रूप से जानता हो और जिसने निशीथ, व्यवहार, कल्प आदि छेद सूत्रों का सम्यक् अध्ययन किया हो। साधक को उत्सर्ग और अपवाद में किसका अनुसरण करना है इसके निर्देश का अधिकार गीतार्थ को ही है।

जहाँ तक उत्सर्ग और अपवाद इन दोनों में कौन श्रेय है और कौन अश्रेय अथवा कौन सबल है, कौन निर्बल है? इस समस्या के समाधान का प्रश्न है। जैनाचार्यों के अनुसार दोनों ही अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुसार श्रेय व सबल हैं। आपवादिक परिस्थिति में अपवाद को श्रेय और सबल माना गया है किन्तु सामान्य परिस्थिति में उत्सर्ग को श्रेय एवं सबल कहा गया है। बृहत्कल्पभाष्य^२ के अनुसार ये दोनों (उत्सर्ग और अपवाद) अपने-अपने स्थानों में श्रेय व सबल होते हैं। इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए बृहत्कल्पभाष्य^३ की पीठिका में कहा गया है कि जो साधक स्वस्थ एवं समर्थ है उसके लिए उत्सर्ग स्वस्थान है और अपवाद परस्थान है। जो अस्वस्थ एवं असमर्थ है उसके लिए अपवाद स्वस्थान है और उत्सर्ग परस्थान है। वस्तुतः जैसा कि हम पूर्व में सूचित कर चुके हैं यह सब व्यक्ति की सामर्थ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कभी आचरणीय अनाचरणीय एवं अनाचरणीय आचरणीय हो जाता है। कभी उत्सर्ग का पालन उचित होता है तो कभी अपवाद का। वस्तुतः उत्सर्ग और अपवाद की इस समस्या का समाधान उन परिस्थितियों में कार्य करने वाले व्यक्ति के स्वभाव का विश्लेषण कर किये गये निर्णय में निहित है। जैसे तो उत्सर्ग और अपवाद के सम्बन्ध में भी कोई सीमा रेखा निश्चित कर पाना कठिन है, फिर भी जैनाचार्यों ने कुछ आपवादिक परि-स्थितियों का उल्लेख कर यह बताया है कि उनमें किस प्रकार का आचरण किया जाये।

सामान्यतया अहिंसा को जैन साधना का प्राण कहा जा सकता है। साधक के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा भी वजित मानी गई है। किन्तु जब कोई विरोधी व्यक्ति आचार्य या संघ के वध के लिए तत्पर हो, किसी साधवी का बलपूर्वक अपहरण करना चाहता हो वह उपदेश से भी नहीं मानता हो ऐसी स्थिति में भिक्षु, आचार्य, संघ अथवा साधवी की रक्षा के लिए पुलाकलन्धि का प्रयोग करता हुआ साधक भी सयमी माना गया है।

सामान्यतया श्रमण साधक के लिए वनस्पतिक जीवों अथवा अप्कायिक जीवों के स्पर्श का भी निषेध है किन्तु जीवन रक्षा के लिए इन नियमों के अपवाद स्वीकार किये गये हैं। जैसे

१ निशीथ भाष्य ५२४५।

३ वही गा. ३२३-३२४।

२ बृहत्कल्पभाष्य पीठिका गा. ३२२।

पर्वत से फिसलते समय भिक्षु वृक्ष की शाखा या लता आदि का सहारा ले सकता है। जल में बहते हुए साधु-साध्वी की रक्षा के लिए नदी आदि में उतर सकता है।

इसी प्रकार उत्सर्ग मार्ग में स्वामी की आज्ञा बिना भिक्षु के लिए एक तिनका भी अग्राह्य है। दशवैकालिक^१ के अनुसार श्रमण अदत्तादान न स्वयं ग्रहण कर सकता है, न दूसरो से ग्रहण करवा सकता है और न अदत्त ग्रहण करने वाले का अनुमोदन ही कर सकता है। परन्तु परिस्थितिवश अपवाद मार्ग में भिक्षु के लिए अयाचित स्थान आदि ग्रहण के उल्लेख है। जैसे भिक्षु भयंकर शीतादि के कारण या हिंसक पशुओं का भय होने पर स्वामी की आज्ञा लिए बिना ही ठहरने योग्य स्थान पर ठहर जाए तत्पश्चात् स्वामी की आज्ञा प्राप्त करने का प्रयत्न करें।^२

जहाँ तक ब्रह्मचर्य सम्बन्धी अपवादों का प्रश्न है उस पर हमें दो दृष्टि से विचार करना है। जहाँ अहिंसा, सत्य आदि व्रतों में अपवाद मार्ग का सेवन करने पर बिना तप-प्रायश्चित्त के भी विशुद्धि सम्भव मानी गई है वहाँ ब्रह्मचर्य के सम्बन्ध में तप प्रायश्चित्त के बिना विशुद्धि को सम्भव नहीं माना गया है। ऐसा क्यों किया गया इस सम्बन्ध में जैनाचार्यों का तर्क है कि हिंसा आदि में राग-द्वेषपूर्वक और रागद्वेष रहित दोनों ही प्रकार की प्रतिसेवना सम्भव है और यदि प्रतिसेवना रागद्वेष से रहित है तो उसके लिए विशेष प्रायश्चित्त नहीं है किन्तु मैथुन का सेवन राग के अभाव में नहीं होता अतः ब्रह्मचर्य व्रत की स्वलना में तप-प्रायश्चित्त अपरिहार्य है। जिस स्वलना पर तप प्रायश्चित्त विधान हो उसे अपवाद मार्ग नहीं कहा जा सकता। निशीथ भाष्य के आधार पर प० दलसुख भाई मालवणिया का कथन^३ है कि यदि हिंसा आदि दोषों का सेवन संयम के रक्षण हेतु किया जाय तो तप प्रायश्चित्त नहीं होता किन्तु अब्रह्मचर्य सेवन के लिए तो तप या छेद प्रायश्चित्त आवश्यक है।

यद्यपि ब्रह्मचर्य व्रत की स्वलना पर प्रायश्चित्त विधान होने से ब्रह्मचर्य का कोई अपवाद स्वीकार नहीं किया गया है, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जैनाचार्यों ने उन सब परिस्थितियों पर विचार नहीं किया है जिनमें कि जीवन की रक्षा अथवा सध की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए शीलभंग हेतु विवश होना पड़े। निशीथ^४ और बृहत्कल्पभाष्य^५ में यह उल्लेख है कि यदि ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जहाँ शीलभंग और जीवन-रक्षण में से एक ही विकल्प हो तो ऐसी स्थिति में श्रेष्ठ तो यही है कि व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार करे और शीलभंग न करे, किन्तु

जो मृत्यु स्वीकार करने में असमर्थ होने के कारण शीलभंग करे तो इस स्थिति में शीलभंग करने वाले भिक्षु के मनोभावों को लक्ष्य में रखकर ही प्रायश्चित्त का निर्धारण किया जाता है।

जैनाचार्यों ने ब्रह्मचर्य की सुरक्षा पर सर्वाधिक बल दिया इसलिए उन्होंने न केवल मैथुन सेवन का निषेध किया अपितु भिक्षु के लिए नवजात कन्या का और भिक्षुणी के लिए नवजात शिशु का स्पर्श भी वर्जित कर दिया। आगमों में उल्लेख है कि भिक्षुणी को कोई भी पुरुष चाहे वह उसका पुत्र या पिता ही क्यों न हो, स्पर्श नहीं करे किन्तु अपवाद रूप में यह बात स्वीकार की गई कि नदी में डूबती हुई या विक्षिप्त चित्त भिक्षुणी को भिक्षु स्पर्श कर सकता है। इसी प्रकार सर्पदंश या काटा लग जाने पर उसकी चिकित्सा का कोई अन्य उपाय न रह जाने पर भिक्षु या भिक्षुणी परस्पर एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं।

यह स्मरण रखना चाहिए कि उक्त अपवाद ब्रह्मचर्य के खण्डन से सम्बन्धित न होकर स्त्री-पुरुष के परस्पर स्पर्श से सम्बन्धित है। निशीथ भाष्य और बृहत्कल्पभाष्य के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि जैनाचार्यों ने ब्रह्मचर्य की सुरक्षा पर कितनी गहराई से विचार किया। जैनाचार्यों ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि एक ओर व्यक्ति शीलभंग नहीं करना चाहता किन्तु दूसरी ओर वासना का आवेग इतना तीव्र होता है कि वह अपने पर संयम नहीं रख पाता। ऐसी स्थिति में क्या किया जाये ?

ऐसी स्थिति में जैनाचार्यों ने सर्वनाश की अपेक्षा अर्द्ध विनाश की नीति को भी स्वीकार किया है। इसी प्रसंग में जैनाचार्यों ने यह उपाय भी बताया है कि ऐसे भिक्षु अथवा भिक्षुणी को अध्ययन, लेखन, वैयावृत्य आदि कार्यों में इतना व्यस्त कर दिया जाये कि उसके पास काम वासना जगने का समय ही न रहे। इस प्रकार उन्होंने काम वासना पर विजय प्राप्त करने के उपाय भी बताए।

सामान्यतया भिक्षु के लिए परिग्रह के पूर्णतः त्याग का विधान है और इसी आधार पर अचेलता की प्रशंसा की गई है। सामान्यतः आचाराग आदि सूत्रों में भिक्षु के लिए अधिकतम तीन वस्त्र और अन्य परिमित उपकरण रखने की अनुमति है किन्तु यदि हम मध्यकालीन जैन साहित्य का और साधु जीवन का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट लगता है कि धीरे-धीरे भिक्षु जीवन में रखने योग्य वस्तुओं की संख्या बढ़ती गई है। अन्य भी

१ दशवैकालिक ६, १४।

३ निशीथ : एक अध्ययन, पृ ६८।

५ बृहत्कल्पभाष्य गाथा ४६४६-४६४७।

२ व्यवहार सूत्र उद्दे. ८।

४ निशीथ गाथा ३६६-७।

आचार सम्बन्धी कठोरतम नियम स्थिर नहीं रह सके हैं। अतः आपवादिक रूप में कई अकरणीय कार्यों का करना भी विहित मान लिया गया है जो सामान्यतया निन्दित माने जाते थे। अपवाद मार्ग के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा निशीथ भाष्य एवं निशीथ चूर्ण आदि में उपलब्ध है। साथ ही प० दलसुखभाई मालवणिया ने अपने ग्रन्थ "निशीथ एक अध्ययन" में एव उपाध्याय अमरमुनिजी ने निशीथ चूर्ण के तृतीय भाग की भूमिका में इसका विस्तार से विवेचन किया है। जिज्ञासु पाठक उसे वहाँ देख सकते हैं। निशीथ सूत्र हिन्दी विवेचन में भी उत्सर्ग अपवाद का स्वरूप समझाया गया है।^१

"अनुयोग" विश्लेषण एवं प्रस्तुत कृति

शब्द दो प्रकार के होते हैं—(१) यौगिक, (२) रूढ।

उनमें से कई शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, भिन्न-भिन्न देश काल में भिन्न-भिन्न अर्थ प्रसंगानुसार प्रचलित रहते हैं। किन्तु प्रयोग कर्ता के आशय के अनुसार एक अर्थ प्रमुख रहता है।

तदनुसार अनुयोग शब्द के भी दो अर्थ अपेक्षित हैं—

- (१) सूत्र के अनुकूल अर्थ का योग करना,
- (२) एक-एक विषय के अनुरूप (सदृश) विषयो का योग करना अर्थात् वर्गीकृत सकलन करना।

प्रस्तुत संकलन में दूसरे अर्थ को अपेक्षित करके संकलन किया गया है जिसका आधार निम्न प्रयोग है—

- (१) द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, घर्मकथानुयोग, गणितानुयोग।
- (२) दृष्टिवाद का एक विभाग-अनुयोग।
- (३) गणघर गण्डिकानुयोग, तपगण्डिकानुयोग आदि।

इन प्रयोगों से यह ज्ञात होता है कि जिसमें विवक्षित एक विषय का कथन हो या एक व्यक्ति का जीवन हो उसके नाम के साथ अनुयोग या गण्डिकानुयोग शब्द जोड़कर कहा जाता है।

आचाराग, उववाई आदि सूत्रों की टीका में कहे गये चार अनुयोगों को आधारभूत मानकर प्रस्तुत कृति में सम्पूर्ण आगमों को चार अनुयोगों में विभाजित किया गया है।

अनुयोग शब्द की उपलब्ध व्याख्याएँ

अभिधान राजेन्द्र कोष के प्रथम भाग में अनुयोग शब्द के अनेक अर्थ एवं उनके प्रयोगों की विस्तृत व्याख्या पृ० ३४० से ३६० तक है।

कुछ अर्थ यहाँ दिये जाते हैं—

१ अणु-सूत्र, महान अर्थः, ततो महतो अर्थस्य अणुना सूत्रेण योगो अनुयोगः। पृष्ठ ३४०/२

२ अनुयोगो-व्याख्यानम्। पृ. ३५४/१

३. अनुरूपो योग अनुयोग, सूत्रस्य अर्थेन सादृं अनुरूप सम्बन्धो, व्याख्यानमित्यर्थः। पृ ३५५/२२

४. आर्य वज्राद यावत् अपृथक्त्वे सति "सूत्र व्याख्या रूप" एकोप्यनुयोग क्रियमाणः प्रतिभूत्र चत्वारि द्वाराणि भावते: चरणकरणादीश्चतुरोऽपि अर्थात् प्रतिपादयति इत्यर्थः। पृथक्त्वानुयोगकरणादेव ध्यवच्छिन्नः। ततः प्रभृति एक-एक चरणकरणादीनामन्यतरो अर्थ प्रतिभूत्रं व्याख्यायते, न चत्वारोऽपि इत्यर्थः।

५ अनुयोगो—अर्थं व्याख्यानम्। पृ. ३५८/२ पक्ति १-२

६ अध्ययनार्थकथनविधि अनुयोगः। "अनुयोग द्वार" पृ. ३५८

७ महापुरस्य इव सामायिकस्य अनुयोगार्थं व्याख्यानार्थं द्वाराणि इति अनुयोग द्वाराणि।

८. अणुयोगद्वाराई, महापुरस्सेव तस्स चत्तारि।

अणुयोगो त्ति सदत्थो, दाराई तस्स उ महाइ।

"अणुओगद्वार" पृ ३५८/२

९. संहिताय पदं चेष, पयत्थो, पदविग्गहो।

चालणा य पसिद्धी य, छव्विहं विद्धि लखणं।।

पृ ३५५/१६

१०. सं च अनुयोगो यद्यपि अनेक ग्रन्थ विषय सम्भवति तथापि प्रतिशास्त्रं प्रति अध्ययन, प्रति उद्देशक, प्रति वाक्य, प्रति पदं च उपकारित्वाद् पृ ३५६/१ अनुयोगद्वार टीका।

११. "अनुयोगिन" —अनुयोगो व्याख्यानम्, परूपणा इति यावत्, स यत्र अस्ति। अनुयोगी—आचार्य, अणुयोगी, लोपाणं ससय णासओ वढ होति।

अणुओगघर—अनुयोगिक।

१२. अणुओगपर —सिद्धान्त व्याख्याननिष्ठ।

१३ नंदी सूत्र, गाथा ३२ टीका—मलयगिरीया—

"कालिकश्रुतानुयोगिकान्"—कालिकश्रुतानियोगे व्याख्याने नियुक्ता कालिकश्रुतानुयोगिका, तान्। अथवा कालिकश्रुतानुयोग येषां विद्यन्ते इति कालिकश्रुतानुयोगिन।

१४. अणुओगे च नियोगी, भास विभाव य अत्तियं चेष।

एए अणुओगस्स उ नामा एगट्टिया पंच।।

बृहत्कल्प भाष्य। कोष पृ ३४४

अणुओयण अणुओगो, सुयस्स नियएण जमभिहेएण।

वावारो वा जोगो, जो अणुसोओ अणुकूलो वा।।

पृ ३४४

१ पं. दलसुखभाई मालवणिया —"निशीथ एक अध्ययन" पृष्ठ ५३-७०।

२ निशीथ सूत्र चूर्ण—तृतीय भाग भूमिका पृष्ठ ७-२८।

३ छेद सूत्र—पृष्ठ ७४-७५ आगम प्रकाशन समिति व्याखर।

सुत्तथो खलु पढमो, वीओ निज्जुत्ति मीसिओ भणिओ ।
तइओ य निरवसेसो, एस विही भणिय अणुओगे ॥

पृ ३४५/१४

इन उपर्युक्त उद्धरणों में सूत्र के अर्थ को संक्षिप्त या विस्तृत कहने की पद्धति को अर्थात् व्याख्या करने की पद्धतियों को अनुयोग शब्द से परिलक्षित किया गया है ।

नन्दी सूत्र में अनुयोग शब्द के प्रयोग—

१. रयणकरण्डगभूओ अणुओगे रक्खिओ जेहि ॥३२॥
२. अयलपुरा निवसंते कालियसुय अणुओगिए धीरे ।
वंभदीवग-सीहे, वायग पयमुत्तमं पत्ते ॥३६॥
३. जेसि इमो अणुओगे पयरइ अज्जावि अड्ढ भरहम्मि
॥३७॥
४. कालिय सुय अणुओगस्स धारए, धारए य पुच्चारणं ।
हिमवंत समासमणे वन्दे नागज्जुणायरिए ॥३९॥
५. गोविदाणं पि णमो, अणुओगे विउल धारणिदाण ॥४१॥
६. सीलगुण गहियाण अणुओग जुगप्पहाणणं ॥४८॥

नन्दी सूत्र की इन गाथाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि कालिक सूत्र की जो संक्षिप्त या विस्तृत व्याख्या की जाती है उसकी एक विशिष्ट पद्धति होती है जो आगम काल से सूत्रों के साथ ही शिष्यों को समझाई जाती थी । उन व्याख्याओं सहित सूत्र विस्तृत हो जाते थे उन्हें कंठस्थ धारण करना क्रमशः कठिन होता गया । इसलिए अनुयोग पद्धति से की जाने वाली व्याख्या युक्त कालिक सूत्रों को धारण करने वाले बहुश्रुत आचार्यों को अनुयोगधर, अनुयोगरक्षक, अनुयोगिक, अनुयोग प्रधान आदि विशेषणों से विभूषित किया गया है ।

यहाँ गाथा में प्रयुक्त अनुयोग (व्याख्या पद्धति) पहले से प्रचलित थी, जिसका रक्षण और धारण युग प्रधान आचार्यों ने किया था । अतः इन गाथाओं से अनुयोग के पृथक्करण या नवीनीकरण का कुछ भी संकेत समझना भ्रमपूर्ण है ।

गाथा ३७ के अनुसार (नन्दी रचना के समय) में जो सूत्रों की व्याख्याएँ कंठस्थ परम्परा में उपलब्ध थी वे सब स्कन्दिलाचार्य द्वारा व्यवस्थित एवं निश्चित की गई थी ।

अभिधान राजेन्द्र कोष से उद्धृत नं० ४ के अनुसार प्रत्येक अध्ययन के प्रत्येक सूत्र की व्याख्याएँ चारों अनुयोगों के आधार से की जाती थी अर्थात् उस सूत्र में तत्त्व क्या कहा गया है ? उसका संयमाचरण से क्या सम्बन्ध है ? उसके लिए उदाहरण क्या है ? इत्यादि यथा सम्भव २-३ या ४ अनुयोगों में घटित करके समझाया जाता था ।

समान पाठों (विषयों) का अनुयोग—

सामान्यतया पाठक विषयानुसार वर्गीकरण को पढ़ने में विशेष रुचि रखता है । समझने में भी एक विषय का सम्पूर्ण

वर्णन एक साथ अत्यन्त सुविधाजनक होता है ।

स्वाध्यायशील पाठको एवं अन्वेषक विद्यार्थियों के लिए तो वर्गीकृत विषयों का संकलन अत्यन्त उपयोगी होता है ।

अतः वर्गीकृत विषयों के संकलन की आवश्यकता एवं उपयोगिता सदा मानी गई है ।

आगमों में भी इस पद्धति का ही अधिकांशतः अवलम्बन लिया गया है ।

विषयों का विभाजन अनेक दृष्टिकोणों से किया जाता है । यह विभाजनकर्ता के दृष्टिकोण पर निर्भर है । यथा—१. “जीव द्रव्य के विषय का अलग विभाग करना किन्तु उसमें अन्य कोई क्रम, गति या दण्डक के विभाजन का लक्ष्य नहीं रखना, २. गतियों की अपेक्षा विभाजन करना किन्तु दण्डको के क्रम या व्युत्क्रम का लक्ष्य न रखना, ३. दण्डको के क्रम से विभाजन करना किन्तु उसमें १२ देवलोक ७ नरक या ५ तिर्यंच का क्रम न रखना इत्यादि स्थूल से सूक्ष्म या सूक्ष्मतर अपेक्षित विभाजन उपयोगितानुसार किये जा सकते हैं ।

अथवा—(१) प्रायश्चित्त विधानों को एक सूत्र में कहना, (२) लघु, गुरु, मासिक, चौमासी इन विभागों के क्रम से करना, (३) इनमें भी पाँच महाव्रतों की अपेक्षा से विभाजित करना, (४) समिति, गुप्ति, दीक्षा, सघ व्यवस्था, स्वाध्याय आदि विभागों में विभाजन करना इत्यादि अनेक प्रकार से विभाजन किए जा सकते हैं ।

आगमों में की गई विभाजन पद्धति भी एक सापेक्ष पद्धति है यथा—

(१) आचाराग प्रथम श्रुतस्कन्ध में संयम के प्रेरक विषय हैं,
(२) आचाराग के द्वितीय श्रुत स्कन्ध में साधु के अत्यावश्यक आचारों से सम्बन्धित विषय हैं,

(३) सूत्रकृताग के प्रथम श्रुत स्कन्ध में प्रथम अध्ययन को छोड़कर शेष सभी अध्ययनों में साधवाचार का प्रतिपादन किया गया है ।

(४) दशवैकालिक में मुनि जीवन का पूर्ण मार्गदर्शन किया है ।

(५) ज्ञाता से विपाक पर्यन्त सूत्रों में विविध कर्मकथाएँ हैं ।

(६) प्रश्न व्याकरण में ५ आश्रव ५ सवर का विषय संकलित है ।

(७) नन्दी में ज्ञान का विस्तृत विषय है ।

(८) चार छेद सूत्रों में भी प्रमुख आचार सम्बन्धी विषयों का संकलन है । जिसमें निशीय सूत्र तो पूरा प्रायश्चित्त विधानों का ही संकलन है ।

इसी प्रकार अन्य उपांग आदि कई सूत्र एक-एक विषय के संकलन युक्त हैं ।

ठाणाग समवायाग का संकलन सख्या प्रधान है किन्तु उसमें विषयों की विभिन्नता है।

भगवती सूत्र पूरा विविध विषयों के प्रश्नोत्तर का संकलन है।

उत्तराध्ययन सूत्र विभिन्न विषयों का गद्य-पद्यात्मक सूत्र है।

निष्कर्ष यह है कि इन आगमों की रचना पद्धति भी विषय संकलन में एक विशेष विवक्षा वाली है फिर भी विषयों के सूक्ष्म सूक्ष्मतर विभाजन की जिज्ञासा वालों को उनके अध्ययन में कठिनाई का अनुभव होना स्वाभाविक है। अतः प्रस्तुत अनुयोग विभाजन एक विशिष्ट विभाजन की पूर्ति के लिए किया गया है।

यद्यपि इस प्रकार के विभाजन की आवश्यकता प्राचीन समय में भी थी किन्तु ऐसा वर्गीकरण करने का साहस किसी ने भी नहीं किया। क्योंकि ऐसा करने से सूत्रों के अस्तित्व को नष्ट करने का भ्रमित वातावरण उपस्थित होने का भय था। किन्तु इसमें न तो सूत्रों का अस्तित्व नष्ट करना है और न आगमों के मूल्य का ह्रास करना है अपितु आगमों की उपयोगिता बढ़ाना है।

आगमों का स्वतन्त्र अस्तित्व भी अलग रह जाता है और विषयानुसार वर्गीकरण वाले चार अनुयोग रूप इन चार अनुपम ग्रन्थों का अलग महत्व भी स्पष्ट है।

इस साहस पूर्ण और श्रम पूर्ण कार्य को वर्तमान में पं० रत्न मुनि श्री कन्हैयालालजी म सा "कमल" ने स्वेच्छा से

किया है और बत्तीस सूत्रों का विशिष्ट पद्धति से विषयानुसार वर्गीकरण करके सयमी जीवन के पचास वर्षों में श्रुत की अनुपम सेवा की है। आपका यह कार्य जैन धर्म और जैन साहित्य के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आगमों के सन्दर्भ में यह ऐसा महान कार्य है जो विगत दो हजार वर्षों के जैन इतिहास में नहीं हो सका था। इस महान कार्य के लिए निश्चित ही सम्पूर्ण जैन समाज, मुनि श्री जी का आभारी है। मुनि श्री ने न केवल यह वर्गीकरण का महान कार्य किया अपितु उन्होंने इसके साथ-साथ शब्दानुसारी हिन्दी अनुवाद देकर उन लोगों का भी उपकार किया जो प्राकृत का ज्ञान न रखते हुए भी आगमों की विषयवस्तु को समझने के लिए उत्सुक हैं। मुनि श्री जी की यह ज्ञान साधना उनकी कीर्ति को अक्षुण्ण रखेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

मैं स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से मुनि श्री जी का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इसकी भूमिका लिखने का निर्देश देकर मुझे आगमों के अध्ययन का एक और अवसर प्रदान किया। साथ ही उनसे इसलिए क्षमाप्रार्थी भी हूँ कि प्रस्तुत भूमिका के लिए मैंने उन्हें पर्याप्त रूप से प्रतीक्षा करवाई। यद्यपि इसमें मेरे प्रमाद की अपेक्षा मेरी व्यस्तता व मेरी बाह्य परिस्थितियाँ ही अधिक बाधक रही, जिनके कारण मैं इसे शीघ्र पूर्ण न कर सका। अन्त में पुनः सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिनका इस भूमिका लेखन में प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग रहा है।

डा० सागरमल जैन

निदेशक

श्री पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान,

वाराणसी (३० प्र०)



अनुक्रमणिका (चरणानुयोग भाग-2)

(१) दीक्षा

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	समारम्भ-असमारम्भ से संयम-असंयम के प्रकार		
प्रव्रज्या ग्रहण विधि-निषेध-१			संयम योग्य जन	७१	१७
धर्मान्तराय कर्मों के क्षयोपशम से प्रव्रज्या	१३३९	१	संयम योग्य प्रहर	७२	१७
प्रव्रज्या-पालक की चौभंगी	१३४०	२	संयम योग्य वय	७३	१७
तीन प्रकार के सयत	४१	३	यतनावरणीय कर्मों के क्षयोपशम से संयम	७४	१७
प्रव्रज्या योग्य जन	४२	३	संयमी के लक्षण-४		
प्रव्रज्या योग्य प्रहर	४३	३	निर्ग्रन्थ के लक्षण	७५	१९
प्रव्रज्या योग्य वय	४४	३	अणगार के लक्षण	७६	१९
प्रव्रज्या योग्य दिशा	४५	४	सयती के लक्षण	७७	२०
प्रव्रजित करने आदि के विधि-निषेध	४६	४	माहण आदि के लक्षण	७८	२०
बालक-बालिका को बड़ी दीक्षा आदि का			त्यागी-अत्यागी के लक्षण	७९	२१
विधि-निषेध	४७	४	सुसाधु के लक्षण	८०	२१
प्रव्रजित होने वाले के उपकरणों का प्ररूपण	४८	५	भिक्षु के लक्षण	८१	२२
प्रव्रज्या के अयोग्य	४९	५	महर्षि के लक्षण	८२	२६
असमर्थ को प्रव्रजित करने का प्रायश्चित्तसूत्र	५०	५	मुनियों के लक्षण	८३	२६
प्रव्रज्या के प्रकार-२			अमुनि तथा मुनि का स्वरूप	८४	२८
विविध प्रकार की प्रव्रज्या	५१	६	अनात्मवान और आत्मवान	८५	२८
प्रव्रज्या को कृषि की उपमा	५२	७	अणगार के गुण	८६	२९
प्रव्रज्या को धान्य की उपमा	५३	७	मृतादि निर्ग्रन्थ का स्वरूप	८७	२९
मुण्डन के प्रकार	५४	७	निर्ग्रन्थों के प्रशस्त लक्षण	८८	३०
प्रव्रज्या के दस प्रकार	५५	७	संयमी की विभिन्न उपमाएँ-५		
दुःख का अंत करने वाली प्रव्रज्या	५६	८	श्रमण की उपमायें	८९	३१
उपस्थापना विधि-निषेध-३			सूर्य सदृश्य महर्षि	९०	३४
बड़ी दीक्षा देने का काल प्रमाण	५७	८	पक्षी की तरह लघुभून विहारी	९१	३४
उपस्थापन के विधान	५८	८	पक्षीवत् अप्रतिबन्ध विहारी	९२	३४
बड़ी दीक्षा के योग्य	५९	९	हाथी के समान धैर्यवान	९३	३४
बड़ी दीक्षा के अयोग्य	६०	१०	मेरु के समान अकम्पमान	९४	३४
अयोग्य को बड़ी दीक्षा देने का प्रायश्चित्तसूत्र	६१	१०	वृषभ सम भवाटवी पारकर्ता	९५	३४
			संयम का उपदेश तथा विशिष्ट चर्चाएँ-६		
			निर्ग्रन्थ की दुःख शय्याएं	९६	३५
			निर्ग्रन्थ की सुख शय्याएं	९७	३६
			संयम ग्रहण का उपदेश	९८	३७
			संयम से दुर्गति का निरोध	९९	३७
			जन्म-मरण से विमुक्ति	१००	३८
			संयती को विनय का उपदेश	१०१	३८
			संयम की आराधना का उपदेश	१०२	३८
			गृहस्थों की वैयावृत्य का तथा वन्दन पूजन		
			की चाहना का निषेध	१०३	४२
			अधिकरण विवर्जन	१०४	४२
			कलहप्रिय-पापश्रमण	१०५	४२
			परीषहजय का उपदेश	१०६	४२

नोट :

चरणानुयोग भाग २ में सूत्रांक १३३९ से प्रारंभ हुआ है । प्रेस की सुविधा के लिए आगे के नम्बर १३०० हटाकर सिर्फ ४१, ४२ आदि लिये हैं जो क्रमशः १३४१ आदि का बोधक मानना चाहिए ।

अध्यात्म जागरण से मुक्ति	१०७	४३	दिवस रात्रिक समाचारी-१		
श्रमणों की तीन भावनायें	१०८	४४	समाचारी का महत्त्व	१४८	५७
श्रमणों के वत्तीस योग संग्रह	१०९	४४	दस प्रकार की समाचारी	१४९	५७
संयम योग में आत्मा की स्थापना	११०	४५	समाचारी का प्रवर्तन	१५०	५८
संयमी जीवन के अठारह स्थान-७			दिवस समाचारी	१५१	५८
संयम के अठारह स्थान	१११	४५	पौरुषी विज्ञान	१५२	५९
प्रथम 'अहिंसा' स्थान	११२	४५	छ क्षय तिथियाँ	१५३	५९
द्वितीय 'सत्य' स्थान	११३	४६	छ वृद्धि तिथियाँ	१५४	५९
तृतीय 'अस्तेय' स्थान	११४	४६	पात्र-प्रतिलेखना का काल	१५५	५९
चतुर्थ 'ब्रह्मचर्य' स्थान	११५	४६	प्रथम पौरुषी की समाचारी	१५६	६०
पंचम 'अपरिग्रह' स्थान	११६	४६	प्रतिलेखना की विधि	१५७	६०
छठा 'रात्रि भोजन विवर्जन' स्थान	११७	४७	प्रतिलेखना के दोष	१५८	६०
सातवाँ 'पृथ्वीकाय अनारम्भ' स्थान	११८	४७	अन्यूनाधिक प्रतिलेखना	१५९	६१
आठवाँ 'अपकाय अनारम्भ' स्थान	११९	४७	प्रतिलेखना-प्रमत्त विराधक	१६०	६१
नवमा 'तेजस्काय अनारम्भ' स्थान	१२०	४७	प्रतिलेखना में उपयुक्त आराधक	१६१	६४
दसवाँ 'वायुकाय अनारम्भ' स्थान	१२१	४८	तृतीय पौरुषी समाचारी	१६२	६१
ग्यारहवाँ 'वनस्पतिकाय अनारम्भ' स्थान	१२२	४८	चतुर्थ पौरुषी समाचारी	१६३	६१
बारहवाँ 'त्रसकाय अनारम्भ' स्थान	१२३	४८	दैनिक प्रतिक्रमण समाचारी	१६४	६१
तेरहवाँ 'अकल्प्य आहारादि वर्जन' स्थान	१२४	४८	निद्राशील पापश्रमण	१६५	६२
चौदहवाँ 'गृहस्थ पात्र में भोजन निषेध' स्थान	१२५	४९	रात्रि-समाचारी	१६६	६२
गृहस्थ के पात्र में भोजन करने का प्रायश्चित्त सूत्र	१२६	४९	रात्रिपौरुषी विज्ञान	१६७	६२
पन्द्रहवाँ 'पल्पक निषेधा वर्जन' स्थान	१२७	४९	रात्रि के चतुर्थ प्रहर की समाचारी	१६८	६२
गृहस्थ की शय्या पर बैठने का प्रायश्चित्त सूत्र	१२८	४९	रात्रि प्रतिक्रमण समाचारी	१६९	६२
सोलहवाँ 'गृह निषेधा वर्जन' स्थान	१२९	५०	उपसंहार	१७०	६३
गृह निषेधा के अपवाद	१३०	५०	वर्षावास-समाचारी-२		
सत्रहवाँ 'अस्नान' स्थान	१३१	५१	वर्षाकाल के आ जाने पर विहार का निषेध	१७१	६३
अठारहवाँ 'अविभूषा' स्थान	१३२	५१	वर्षावास के अयोग्य क्षेत्र	१७२	६३
संयमी जीवन का फल-८			वर्षावास योग्य क्षेत्र	१७३	६४
सर्वगुण सम्पन्नता का फल	१३३	५१	वर्षावास के बाद विहार के अयोग्य काल	१७४	६४
सामायिक का फल	१३४	५२	वर्षावास के बाद विहार के योग्य काल	१७५	६४
संयम की आराधना का फल	१३५	५२	वर्षावास के अवग्रह क्षेत्र का प्रमाण	१७६	६४
धर्मााराधना का फल	१३६	५३	वर्षावास में विहार करने का विधि-निषेध	१७७	६४
संवृत भिक्षु का फल	१३७	५४	वर्षावास में ग्लान हेतु गमन का क्षेत्र प्रमाण	१७८	६५
निर्ग्रन्थ की मुक्ति	१३८	५४	प्रथम-द्वितीय प्रावृत् में विहार करने के प्रायश्चित्त सूत्र	१७९	६५
सुश्रमण की समाधि और कुश्रमण की असमाधि	१३९	५४	वर्षावास आहार समाचारी-३		
अज्ञानी श्रमण की गति	१४०	५५	सर्वत्र आचार्यादि की आज्ञा से जाना, बिना आज्ञा के नहीं जाना	१८०	६६
भिक्षु के अहिंसा का परिणाम	१४१	५५	भिक्षाचर्या के लिए जाने योग्य क्षेत्र	१८१	६६
भिक्षु के हिंसानुमोदन का फल	१४२	५५	भिक्षाचर्या की दिशा कहकर भिक्षार्थ जाने का विधान	१८२	६६
भोगासक्ति का परिणाम	१४३	५५	नित्यभोजी के गोचरी जाने का विधान	१८४	६७
सुव्रती साधु का संसार पार	१४४	५५	नित्यभोजी के लिए सर्व पेय ग्रहण करने का विधान	१८४	६७
कुश्रमण की दुर्गति और सुश्रमण की सदगति	१४५	५६	श्रद्धावान घरों में अदृष्ट पदार्थ मांगने का निषेध	१८५	६७
मद्य सेवन का और विवर्जन का परिणाम	१४६	५६			
मद्यादि सेवन का निषेध	१४७	५७			

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	सूक्ष्माष्टक की प्रतिलेखना का विधान	२१३	७७
आचार्य की आज्ञानुसार भक्त-पान ग्रहण करना और देना	१८६	६७	अकाल में पर्युषण करने का तथा काल में पर्युषण न करने के प्रायश्चित्त सूत्र	२१४	७७
ग्लान को पूछकर के ही आहार पानी लाने का विधान	१८७	६८	सावत्सरिक स्थविर कल्प की आराधना का फल	२१५	७७
विकृति ग्रहण निषेध	१८८	६८	(४) प्रतिक्रमण		
आचार्य से पूछकर ही विकृति ग्रहण करने का विधान	१८९	६८	आवश्यक स्वरूप-१		
ग्लान के लिए विकृति ग्रहण करने का विधान	१९०	६९	चार प्रकार के आवश्यक	२१६	७८
वर्षा बरसने पर पूर्व गृहीत भक्त-पान के उपयोग की विधि	१९१	६९	छह प्रकार के आवश्यक	२१७	८२
वर्षा बरसने पर एक स्थान में निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों के ठहरने की विधि	१९२	६९	प्रतिक्रमण के प्रकार-२		
गीला शरीर हो तब तक आहार करने का निषेध	१९३	७०	पांच प्रकार के प्रतिक्रमण	२१८	८३
वर्षावास-तप-संलेखना समाचारी-४			छह प्रकार के प्रतिक्रमण	२१९	८३
आचार्यदि से पूछकर तप करने का विधान	१९४	७१	अतिक्रमादि के प्रकार	२२०	८३
उपवास करने वाले के पानी ग्रहण करने का विधान	१९५	७१	अतिक्रमादि की विशुद्धि	२२१	८४
दो उपवास करने वाले के पानी ग्रहण करने का विधान	१९६	७१	श्रमण प्रतिक्रमण-३		
तीन उपवास करने वाले के पानी ग्रहण करने का विधान	१९७	७२	कायोत्सर्ग करने की प्रतिज्ञा	२२२	८४
चार आदि उपवास करने वाले के गरम पानी ग्रहण करने का विधान	१९८	७२	सामायिक सूत्र	२२३	८५
भक्त प्रत्याख्यान अनशन वाले के गरम पानी ग्रहण करने का विधान	१९९	७२	गुरु वंदन सूत्र	२२४	८५
दत्ति की संख्याओं का विधान	२००	७२	गुरु वंदन के बारह आवर्तन	२२५	८५
पर्युषण में आहार करने का प्रायश्चित्तसूत्र	२०१	७२	समुच्चय अतिचारों का प्रतिक्रमण सूत्र	२२६	८६
आचार्यादि से पूछकर पादपोषण करने का विधान	२०२	७३	ऐर्यापिथिक प्रतिक्रमण सूत्र	२२७	८६
वर्षावास सम्बन्धी प्रकीर्णक-समाचारी-५			शय्या दोष निवृत्ति सूत्र	२२८	८७
तीन उपश्रयों के ग्रहण का विधान	२०३	७३	गोचर चर्या दोष निवृत्ति सूत्र	२२९	८७
शय्या एवं आसन ग्रहण करने का विधान	२०४	७४	स्वाध्याय तथा प्रतिलेखन सूत्र	२३०	८७
वर्षावास रहे हुए निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को तीन मात्रक ग्रहण करने कल्पते हैं,	२०५	७४	तेतीस प्रकार के स्थानों का प्रतिक्रमणसूत्र	२३१	८८
वर्षावास में पात्र और वस्त्र ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र	२०६	७५	निर्ग्रन्थ धर्मातिचार शुद्धि सूत्र	२३२	९१
वर्षावास में वस्त्र सुखाने के विधि-निषेध	२०७	७५	मारणान्तिक संलेखना के अतिचार	२३३	९३
उच्चार प्रस्रवण भूमि प्रतिलेखना	२०८-	७५	क्षमापना सूत्र	२३४	९३
आचार्यादि से पूछकर चिकित्सा कराने का विधान	२०९	७६	उपसंहार सूत्र	२३५	९३
पर्युषणा के बाद केश रखने का निषेध	२१०	७६	कायोत्सर्ग-विधि सूत्र	२३६	९३
पर्युषणा के बाद केश रखने का प्रायश्चित्त सूत्र	२११	७६	दस पञ्चक्खाण-४		
पर्युषणा में कलह की क्षमायाचना करने का विधान	२१२	७६	नौकारसी प्रत्याख्यान सूत्र	२३७	९४
			पौरुषी प्रत्याख्यान सूत्र	२३८	९४
			दो पौरुषी प्रत्याख्यान सूत्र	२३९	९४
			एकाशन प्रत्याख्यान सूत्र	२४०	९५
			एक स्थान प्रत्याख्यान सूत्र	२४१	९५
			आयबिल प्रत्याख्यान सूत्र	२४२	९५
			उपवास प्रत्याख्यान सूत्र	२४३	९६
			दिवसचरिम प्रत्याख्यान सूत्र	२४४	९६
			भवचरिम प्रत्याख्यान सूत्र	२४५	९६
			अभिग्रह प्रत्याख्यान सूत्र	२४६	९६
			निर्विकृतिक (नीवी) प्रत्याख्यान सूत्र	२४७	९७
			सर्व प्रत्याख्यान पारण सूत्र	२४८	९८
			पञ्चक्खाण के प्रकार-५		
			प्रत्याख्यान के प्रकार	२४९	९९

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	अनर्थदण्ड-विरमण-व्रत का स्वरूप और अतिचार	२८३	१११
प्रत्याख्यान के भेद-प्रभेद	२५०	९९	सामायिक व्रत का स्वरूप और अतिचार	२८४	१११
सुप्रत्याख्यानी और दुष्प्रत्याख्यानी का स्वरूप	२५१	१०१	सामायिक किये हुए की क्रिया	२८५	११२
ज्ञान पूर्वक प्रत्याख्यान करने वाले	२५२	१०२	सामायिक किये हुए का ममत्व	२८६	११२
प्रतिक्रमण फल-६			सामायिक किये हुए का प्रेमबंधन	२८७	११३
प्रतिक्रमण का फल	२५३	१०२	देशावगासिक व्रत का स्वरूप और अतिचार	२८८	११३
पञ्चकलाण फल-७			पौषघ व्रत का स्वरूप और अतिचार	२८९	११४
प्रत्याख्यान का फल	२५४	१०३	अतिथि-संविभाग-व्रत का स्वरूप और अतिचार	२९०	११४
संभोग प्रत्याख्यान का फल	२५५	१०३	श्रमण को शुद्ध आहार देने का फल	२९१	११५
उपधि प्रत्याख्यान का फल	२५६	१०३	असंयत को आहार देने का फल	२९२	११५
आहार प्रत्याख्यान का फल	२५७	१०३	श्रावक प्रतिमा-३		
कषाय-प्रत्याख्यान का फल	२५८	१०३	रयारह उपासक प्रतिमाये	२९३	११६
भोग-प्रत्याख्यान का फल	२५९	१०४	श्रमणोपासकों की तीन भावनाएं	२९४	१२१
शरीर-प्रत्याख्यान का फल	२६०	१०४	श्रावक के प्रत्याख्यान-४		
सहाय-प्रत्याख्यान का फल	२६१	१०४	प्रत्याख्यान पालन का रहस्य	२९५	१२१
भक्त-प्रत्याख्यान (अनशन) का फल	२६२	१०४	प्रत्याख्यान का स्वरूप व उसके		
सद्भाव-प्रत्याख्यान का फल	२६३	१०४	करण योगों के भंग	२९६	१२१
प्रत्याख्यान भंग का प्रायश्चित्त सूत्र	२६४	१०५	गृहस्थ धर्म का फल-५		
गृहस्थ-धर्म			शीलरहित और शीलसहित श्रमणोपासक		
गृहस्थ धर्म-१			के प्रशस्त-अप्रशस्त	२९७	१२५
श्रमणोपासकों के प्रकार	२६५	१०५	सुव्रती गृहस्थ व उसकी देवगति	२९८	१२५
श्रमणोपासक के चार विश्रान्ति स्थान	२६६	१०५	असंयत की गति	२९९	१२६
सामान्य रूप से अतिचारों का विशुद्धिकरण	२६७	१०६	आजीविक श्रमणोपासकों के नाम, कर्मादान		
अल्पायु बंध के कारण	२६८	१०६	और गति	३००	१२६
दीर्घायु बंध के कारण	२६९	१०६	आराधक-विराधक		
अशुभ दीर्घायु बंध के कारण	२७०	१०६	आराधक विराधक का स्वरूप-१		
शुभ दीर्घायु बंध के कारण	२७१	१०७	आराधक का स्वरूप	३०१	१२७
समकित सहित याहू व्रत-२			विराधक का स्वरूप	३०२	१२८
सम्यक्त्व का स्वरूप और अतिचार	२७२	१०७	आराधक-निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी	३०३	१२८
सम्यक्त्व की प्रधानता	२७३	१०७	भिक्षु की आराधना-विराधना	३०४	१३०
श्रावक धर्म के प्रकार	२७४	१०८	दृष्टांत द्वारा आराधक-विराधक का स्वरूप	३०५	१३१
स्थूल-प्राणातिपात-विरमण-व्रत का स्वरूप			श्रुत और शील से आराधक-विराधक का स्वरूप	३०६	१३२
और अतिचार	२७५	१०८	आराधक-अनाराधक निर्ग्रन्थ आदि के भंग	३०७	१३३
स्थूल-मूषावाद-विरमण-व्रत का स्वरूप और			आधाकर्म आदि की विपरीत प्ररूपणा	३०८	१३४
अतिचार	२७६	१०९	आराधना विराधना के प्रकार-२		
स्थूल-अदत्तादानविरमण-व्रत का स्वरूप और			आराधना के प्रकार	३०९	१३५
अतिचार	२७७	१०९	जघन्य-उत्कृष्ट आराधना	३१०	१३५
स्थूल-मैथुन-विरमण-व्रत का स्वरूप और			विराधना के प्रकार	३११	१३६
अतिचार	२७८	१०९	आराधक विराधक की गति-३		
परिग्रह-परिमाणव्रत का स्वरूप और अतिचार	२७९	११०	आराधक-अणारम्भ-अणगार	३१२	१३६
दिशाव्रत का स्वरूप और अतिचार	२८०	११०	आराधक अल्पारम्भी श्रमणोपासक	३१३	१३८
उपभोग-परिभोग-परिमाण-व्रत का स्वरूप			आराधक सन्निपंचेन्द्रिय तिर्यच्योनिक	३१४	१४०
और अतिचार	२८१	११०	विराधक एकान्त वाल	३१५	१४०
पन्द्रह कर्मादान	२८२	१११	विराधक अकाम निर्जरा करने वाले	३१६	१४१

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	मूच्छा और अविरति का निषेध	३५१	१७४
विराधक अकाम कष्ट भोगने वाले	३१७	१४२	अनाचार परिहार उपदेश-२		
विराधक भद्र प्रकृति मनुष्य	३१८	१४३	भिक्षु के विविध अनाचरणीय स्थान	३५२	१७५
विराधक स्त्रियों	३१९	१४४	छ उन्माद स्थान	३५३	१७६
विराधक बाल तपस्वी	३२०	१४५	सामुदानिक गवेषणा नहीं करने वाला पापश्रमण	३५४	१७६
विराधक वानप्रस्थ	३२१	१४५	स्वच्छन्द विहारी पापश्रमण	३५५	१७६
विराधक कांदर्पिक श्रमण	३२२	१४७	श्रुतज्ञान की उपेक्षा	३५६	१७६
विराधक परिव्राजक	३२३	१४७	असंविभागी पापश्रमण	३५७	१७७
विराधक प्रत्यनीक श्रमण	३२४	१५१	आरम्भ-जीवी को पापासक्ति	३५८	१७७
विराधक आजीविक	३२५	१५१	बार-बार आहार करने वाला पापश्रमण	३५९	१७७
विराधक आत्मोत्कर्षक श्रमण	३२६	१५१	प्रमाद निषेध-३		
विराधक निन्हव	३२७	१५२	प्रमाद निषेध	३६०	१७७
कांदर्पिक आदि विराधक श्रमण	३२८	१५३	अप्रमत्त होकर आचरण करने का उपदेश	३६१	१७९
विराधकों के संयम का विनाश	३२९	१५४	प्रमाद के प्रकार-४		
निदान-अनिदान से आराधना-विराधना-४			छ कल्प के विघ्न करने वाले स्थान	३६२	१८०
(१) निर्ग्रन्थ का मनुष्य सम्बन्धी भोगों के लिए निदान करना	३३०	१५५	छ प्रकार के प्रमाद	३६३	१८०
(२) निर्ग्रन्थी का मनुष्य सम्बन्धी भोगों के लिए निदान करना	३३१	१५७	दस धर्म के घातक	३६४	१८०
(३) निर्ग्रन्थ का स्त्रीत्व के लिए निदान करना	३३२	१५८	दस धर्मविशोधि	३६५	१८१
(४) निर्ग्रन्थी का पुरुषत्व के लिए निदान करना	३३३	१५९	अठारह प्रकार के पापस्थान	३६६	१८१
(५) निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी द्वारा पर-देवी परिचाराणा का निदान करना	३३४	१६०	औदृशिकादि अनाचार-५		
(६) निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी द्वारा स्व-देवी परिचाराणा का निदान करना	३३५	१६१	औदृशिकादि अनाचार	३६७	१८१
(७) निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के द्वारा सहज दिव्य भोग का निदान करना	३३६	१६३	शयल दोष-६		
(८) श्रमणोपासक होने के लिए निदान करना	३३७	१६४	इकबीस शबल दोष	३६८	१८१
(९) श्रमण होने के लिए निदान करना	३३८	१६६	असमाधि स्थान-७		
निदान रहित की मुक्ति	३३९	१६७	बीस असमाधि स्थान	३६९	१८५
तप की फलाकांक्षा का निषेध	३४०	१६८	मोहनीय स्थान-८		
याल-पङ्कित मरण से आराधना-विराधना-५			तीस महामोहनीय स्थान	३७०	१८५
अनेक प्रकार के मरण	३४१	१६९	क्रिया स्थान-९		
बालमरण के प्रकार	३४२	१६९	तेरह क्रियास्थान	३७१	१८९
मरण के प्रकार	३४३	१७०	निमित्त कथन-१०		
अज्ञानियों के बालमरण	३४४	१७१	आठ प्रकार के महानिमित्त	३७२	१९०
बालमरण का स्वरूप	३४५	१७१	निमित्त कथन निषेध	३७३	१९०
पण्डितमरण का स्वरूप	३४६	१७२	निमित्त का प्रयोक्ता पापश्रमण	३७४	१९०
बालमरण और पण्डितमरण का फल	३४७	१७२	कषाय निषेध-११		
वीतराग सम्मत देहानस बालमरण	३४८	१७३	कषाय निषेध	३७५	१९०
बालमरण की प्रशंसा के प्रायश्चित्त सूत्र	३४९	१७३	कषायों को अग्नि की उपमा	३७६	१९१
			आठ प्रकार के मद	३७७	१९१
अनाचार			मद निषेध	३७८	१९२
अनाचार निषेध-१			रूपमद निषेध	३७९	१९२
अनाचार का निषेध	३५०	१७४	लज्जा निषेध	३८०	१९२
			कषाय और गर्व का निषेध	३८१	१९२
			साम्प्रदायिक कर्मों का त्रिकरण निषेध	३८२	१९२

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	समनुज्ञा के प्रकार		
क्रोधविजय का फल	३८३	१९३	उपसम्पदा के प्रकार	४१८	२०१
मान-विजय का फल	३८४	१९३	पद त्याग के प्रकार	४१९	२०१
माया-विजय का फल	३८५	१९३	तीन प्रकार से आत्म-रक्षा	४२०	२०२
लोभ-विजय का फल	३८६	१९३	जलाशय जैसे आचार्य	४२१	२०२
अनाचार प्रायश्चित्त-१२			आचार्य के प्रकार	४२२	२०२
अधिक हँसने का प्रायश्चित्त सूत्र	३८७	१९४	शिष्य के प्रकार	४२३	२०२
शिल्पकलादि सिखाने का प्रायश्चित्त सूत्र	३८८	१९४	विविध प्रकार के गण की वैयावृत्य करने वाले	४२४	२०३
अपशब्द और कठोर वचन के प्रायश्चित्त सूत्र	३८९	१९४	आचार्य के अतिशय-२	४२५	२०३
आशातना का प्रायश्चित्त सूत्र	३९०	१९४	आचार्य आदि के अतिशय	४२६	२०५
सच्चित्त गंध सूँघने का प्रायश्चित्त सूत्र	३९१	१९५	ऋद्धि के प्रकार	४२७	२०५
कौतुक कर्म का प्रायश्चित्त सूत्र	३९२	१९५	गणि-सम्पदा	४२८	२०६
भूति कर्म करने का प्रायश्चित्त सूत्र	३९३	१९५	आचार-सम्पदा	४२९	२०६
प्रश्नादि कहने के प्रायश्चित्त सूत्र	३९४	१९५	श्रुत-सम्पदा	४३०	२०६
लक्षण-व्यजन स्वप्नफल कहने के प्रायश्चित्त सूत्र	३९५	१९५	शरीर-सम्पदा	४३१	२०६
विद्यादि का प्रयोग करने के प्रायश्चित्त सूत्र	३९६	१९६	वचन-सम्पदा	४३२	२०७
मागादि बताने का प्रायश्चित्त सूत्र	३९७	१९६	वाचना-सम्पदा	४३३	२०७
धातु और निधि बताने के प्रायश्चित्त सूत्र	३९८	१९६	मति-सम्पदा	४३४	२०७
अपने आपको आचार्य के लक्षण युक्त कहने का प्रायश्चित्त सूत्र	३९९	१९६	प्रयोग-सम्पदा	४३५	२०८
निमित्त कथन के प्रायश्चित्त सूत्र	४००	१९७	संग्रह-परिज्ञा सम्पदा	४३६	२०८
भयभीत करने के प्रायश्चित्त सूत्र	४०१	१९७	सात संग्रह-असंग्रह स्थान	४३७	२०८
विस्मित करने के प्रायश्चित्त सूत्र	४०२	१९७	निर्ग्रन्थ पद व्यवस्था-४		
विपर्यासकरण प्रायश्चित्त	४०३	१९७	आचार्य उपाध्याय पद योग्य निर्ग्रन्थ	४३८	२०९
अन्यतीर्थिकों की प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त सूत्र	४०४	१९७	आचार्य उपाध्याय पद के अयोग्य निर्ग्रन्थ	४३९	२१०
स्वच्छन्द्याचारी की प्रशंसा एवं वंदना करने के प्रायश्चित्त सूत्र	४०५	१९८	एक पक्षीय भिक्षु को पद देने का विधान	४४०	२११
			रत्न आचार्यादि के द्वारा पद देने का निर्देश	४४१	२११
			संयम त्याग कर जाने वाले आचार्यादि के द्वारा पद देने का निर्देश	४४२	२१२
			पापजीवी बहुश्रुतों को पद देने का निषेध	४४३	२१२
			आचार प्रकल्प विस्मृत को पद देने का विधि-निषेध	४४४	२१३
			अब्रह्मसेवी को पद देने के विधि-निषेध	४४५	२१४
			संयम त्याग कर जाने वालों को पद देने का विधि-निषेध	४४६	२१५
			उपाध्याय पद देने के विधि-निषेध	४४७	२१५
			अनवस्थाप्य और पाराचिक भिक्षु की उपस्थापना	४४८	२१६
			आचार्य के नेतृत्व के बिना विचरने का निषेध	४४९	२१६
			गणधारण करने योग्य अणगार	४५०	२१६
			गणधारण करने का विधि-निषेध	४५१	२१६
			अग्रणी के काल करने पर भिक्षु का कर्तव्य	४५२	२१७
			निर्ग्रन्थी पद व्यवस्था-४		

संघ व्यवस्था

संघ व्यवस्था-१

तीर्थ का स्वरूप	४०६	१९८			
तीर्थ प्रवर्तन का काल	४०७	१९८			
जिन के प्रकार	४०८	१९९			
केवली के प्रकार	४०९	१९९			
अरिहन्त के प्रकार	४१०	१९९			
रात्रिक पुरुषों के प्रकार	४११	१९९			
रात्रिक इन्द्रों के प्रकार	४१२	१९९			
स्यविर के प्रकार	४१३	१९९			
महाव्रत धर्म के प्ररूपक	४१४	२००			
दुर्गम-सुगम स्थान	४१५	२००			
पौत्र प्रकार के व्यवहार	४१६	२००			
अनुज्ञा के प्रकार	४१७	२०१			

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के सामूहिक साधर्मिक अन्य कर्म	४७७	२२९
ग्लान प्रवर्तनी के द्वारा पद देने का निर्देश संयम परित्याग करने वाली प्रवर्तिनी द्वारा पद देने का निर्देश	४५३	२१८	निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के परस्पर सेवा करने के विधान	४७८	२२९
निर्ग्रन्थी के लिए आचार्य उपाध्याय पद योग्य निर्ग्रन्थ	४५५	२१९	परस्पर सेवा करने का विधि-निषेध	४७९	२३०
आचार प्रकल्प विस्मृत निर्ग्रन्थी को पद देने का विधि-निषेध	४५६	२१९	परस्पर आलोचना करने के विधि-निषेध	४८०	२३०
आचार्यादि के नेतृत्व के बिना निर्ग्रन्थी के रहने का निषेध	४५७	२२०	परस्पर प्रसन्नवण ग्रहण करने का विधि-निषेध	४८१	२३०
अग्रणी साध्वी के काल करने पर साध्वी का कर्तव्य	४५८	२२०	सांभोगिक संबंध व्यवस्था-९		
विनय-व्यवहार-५			श्रमणों के पारस्परिक व्यवहार	४८२	२३१
प्रव्रज्या पर्याय के अनुक्रम से वन्दना का विधान	४५९	२२१	सम्बन्ध विच्छेद करने के कारण	४८३	२३१
शील और रत्नाधिक का व्यवहार	४६०	२२१	सम्बन्ध विच्छेद करने का विधि-निषेध	४८४	२३२
रत्नाधिक को अग्रणी मानकर विचरने का विधान	४६१	२२१	समनोज्ञ-असमनोज्ञों के व्यवहार	४८५	२३३
अध्यापन व्यवस्था-६			सदृश आचारवान को स्थान न देने के प्रायश्चित्त सूत्र	४८६	२३३
श्रमण का अध्ययन क्रम	४६२	२२३	सम्भोग प्रत्याख्यान का फल	४८७	२३३
आचार प्रकल्प के अध्ययन योग्य वय का विधि-निषेध	४६३	२२४	गृहस्थ के साथ व्यवहार-१०		
विचरण-व्यवस्था-७			सर्पदंश चिकित्सा के विधि-निषेध	४८८	२३४
आचार्यादि के साथ रहने वाले निर्ग्रन्थों की संख्या	४६४	२२४	गृहस्थ आदि के साथ भिक्षार्थ जाने का निषेध	४८९	२३४
प्रवर्तिनी आदि के साथ विचरने वाली निर्ग्रन्थियों की संख्या	४६५	२२५	गृहस्थ आदि के साथ भिक्षार्थ जाने का प्रायश्चित्त सूत्र	४९०	२३४
अकेली निर्ग्रन्थी को जाने का निषेध	४६६	२२५	गृहस्थ आदि को अशनादि देने का निषेध	४९१	२३४
निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के विचरण क्षेत्र की मर्यादा	४६७	२२५	मांग-मोंग कर याचना करने के प्रायश्चित्त सूत्र	४९२	२३५
निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के विहार करने का विधि-निषेध	४६८	२२६	गृहस्थ से उपधि वहन कराने के प्रायश्चित्त सूत्र	४९३	२३६
विकट क्षेत्र में जाने का विधि-निषेध	४६९	२२६	गृहस्थ को आहार देने का प्रायश्चित्त सूत्र	४९४	२३६
रात्रि में उपाश्रय से बाहर जाने का विधि-निषेध	४७०	२२६	गृहस्थों के साथ आहार करने के प्रायश्चित्त सूत्र	४९५	२३६
अन्त पुर में प्रवेश के कारण	४७२	२२७	गणापक्रमण-११		
निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के सामूहिक व्यवहार-८			भिक्षु द्वारा गण-परित्याग	४९६	२३७
साधु-साध्वी के वार्तालाप करने के कारण	४७३	२२७	आचार्य-उपाध्याय द्वारा गण परित्याग	४९७	२३७
साधु-साध्वी के एक स्थान पर ठहरने के कारण	४७४	२२७	श्रुत ग्रहण के लिए अन्य गण में जाने का विधि-निषेध	४९८	२३८
अचेलक के सचेलिका के साथ रहने के कारण	४७५	२२८	सांभोगिक व्यवहार के लिए अन्य गण में जाने का विधि-निषेध	४९९	२३९
निर्ग्रन्थी को अवलम्बन देने के कारण	४७६	२२९	सांभोगिक व्यवहार के लिए गणसंक्रमण का प्रायश्चित्त सूत्र	५००	२४१
			आचार्य आदि को वाचना देने के लिए अन्य गण में जाने का विधि-निषेध	५०१	२४१
			अन्य गण से आये हुआओं को गण में सम्मिलित करने के विधि-निषेध	५०२	२४२

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	आगम के अनुसार प्रायश्चित्त देने व ग्रहण करने का विधान		
एकल विहार चर्या-१२				५३७	२५६
एकल विहारी के आठ गुण	५०३	२४४			
अकेले भिक्षु के रहने का विधि-निषेध	५०४	२४४	तप का स्वरूप एवं प्रकार-१		
अपरिपक्व एकाकी भिक्षु के दोष	५०५	२४४	तप का स्वरूप	५३८	२५७
अपवाद में एकाकी विहार का विधान	५०६	२४५	तप के प्रकार	५३९	२५८
एकाकी भिक्षु की प्रशस्त विहार चर्या	५०७	२४५	आजीविक तप के प्रकार	५४०	२५८
एकाकी भिक्षु की अप्रशस्त विहार चर्या	५०८	२४६	अनशन तप-२		
एकाकी विहारी का गण में पुनरागमन	५०९	२४६	अनशन के प्रकार	५४१	२५८
एकाकी विहारी को समाधि	५१०	२४६	इत्वरिक तप के भेद	५४२	२५८
पार्श्वस्थ आदि के साथ व्यवहार व्यवस्था-१३			तपस्वी भिक्षु के कल्पनीय पानी	५४३	२५९
पारिहारिक के साथ भिक्षार्थ जाने का प्रायश्चित्त सूत्र	५११	२४७	आजीवन अनशन	५४४	२६०
पार्श्वस्थ के साथ देन-लेन करने के प्रायश्चित्त सूत्र	५१२	२४७	सलेखना का काल क्रम	५४५	२६०
अवसन्न के साथ देन-लेन करने के प्रायश्चित्त सूत्र	५१३	२४७	पंडित मरण का स्वरूप	५४६	२६०
कुशील के साथ देन-लेन करने के प्रायश्चित्त सूत्र	५१४	२४८	पण्डित मरण के प्रकार	५४७	२६१
संसक्त के साथ देन-लेन करने के प्रायश्चित्त सूत्र	५१५	२४८	भक्त-प्रत्याख्यान अनशन	५४८	२६२
नित्यक को देने-लेने के प्रायश्चित्त सूत्र	५१६	२४९	भक्त प्रत्याख्यात अणगार का परभव में आहार	५४९	२६२
पार्श्वस्थ विहारी का गण में पुनरागमन	५१७	२५१	इंगिमिरण अनशन ग्रहण विधि	५५०	२६३
यथाच्छन्द विहारी का गण में पुनरागमन	५१८	२५१	पादपोगमन अनशन ग्रहण विधि	५५१	२६४
कुशील विहारी का गण में पुनरागमन	५१९	२५१	पादपोगमन अनशन	५५२	२६५
अवसन्न विहारी का गण में पुनरागमन	५२०	२५१	अनशन ग्रहण करने की दिशाएँ	५५३	२६५
संसक्त विहारी का गण में पुनरागमन	५२१	२५१	अनशन का फल	५५४	२६५
अन्य लिंग ग्रहण के बाद गण में पुनरागमन	५२२	२५२	अवमोदरिका-३		
कलह और उसकी उपशान्ति-१४			अवमोदरिका के भेद	५५५	२६६
क्लेश के प्रकार	५२३	२५२	द्रव्य अवमोदरिका का स्वरूप	५५६	२६६
असंक्लेश के प्रकार	५२४	२५२	द्रव्य अवमोदरिका के भेद-प्रभेद	५५७	२६६
अहित करने वाले स्थान	५२५	२५३	क्षेत्र अवमोदरिका	५५८	२६७
हित करने वाले स्थान	५२६	२५३	काल अवमोदरिका	५५९	२६७
गण विग्रह के कारण	५२७	२५३	भाव अवमोदरिका	५६०	२६८
गण में विग्रह न होने के कारण	५२८	२५३	पर्यव अवमोदरिका	५६१	२६८
कलह उपशमन के विधि-निषेध	५२९	२५४	भिक्षाचर्या-४		
अन्य के अनुपशांत रहने पर भी स्वयं को उपशांत होने का निर्देश	५३०	२५४	भिक्षाचर्या का स्वरूप	५६२	२६८
अनुपशान्त भिक्षु को पुनः स्वर्गण में भोजना क्षमापना का फल	५३१	२५५	भिक्षाचर्या के प्रकार	५६३	२६९
कलह करने का प्रायश्चित्त सूत्र	५३३	२५५	रस परित्याग-५		
एकाकी आगन्तुक भिक्षु को बिना निर्णय रखने का प्रायश्चित्त सूत्र	५३४	२५५	रस परित्याग का स्वरूप	५६४	२७२
कलह करने वालों के साथ आहार करने का प्रायश्चित्त सूत्र	५३५	२५५	रस परित्याग के प्रकार	५६५	२७२
कदाग्राही के साथ लेन देन करने के प्रायश्चित्त सूत्र	५३६	२५६	काय-क्लेश-६		
			काय-क्लेश का स्वरूप	५६६	२७३
			काय-क्लेश के प्रकार	५६७	२७३
			निर्ग्रन्थियों के लिए आतापना का विधि-निषेध	५६८	२७४
			निर्ग्रन्थियों के लिए निषिद्ध काय-क्लेश	५६९	२७५
			प्रतिसलीनता-७		

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक			
प्रतिसंलीनता के भेद	५७०	२७५	द्वितीय सप्त अहोरात्रिकी भिक्षु प्रतिमा	६०६	२८६
इन्द्रिय प्रतिसंलीनता के भेद	५७१	२७६	तृतीय सप्त अहोरात्रिकी भिक्षु प्रतिमा	६०७	२८६
कषाय प्रतिसंलीनता के भेद	५७२	२७६	अहोरात्रिकी भिक्षु प्रतिमा	६०८	२८७
योग प्रति संलीनता के भेद	५७३	२७७	एक रात्रिकी भिक्षु प्रतिमा	६०९	२८७
एकान्त शयनासन के सेवन का स्वरूप	५७४	२७८	प्रतिमा ग्रहण करने से मुक्ति	६१०	२८८
विविक्त शयनासन के सेवन का फल	५७५	२७८	एषणा प्रतिमाएँ-८ (३)		
अनेक प्रकार के अप्रतिसंलीन	५७६	२७८	आहार लेने की सात प्रतिमाएँ	६११	२८८
प्रतिमायें-८(१)			पानी लेने की सात प्रतिमायें	६१२	२९०
अनेक प्रकार की प्रतिमायें	५७७	२७९	प्रतिमा धारण करने वाले का वचन विवेक	६१३	२९१
भिक्षु प्रतिमायें-८ (२)			संस्तारक लेने की चार प्रतिमायें	६१४	२९२
भिक्षु प्रतिमायें	५७८	२७९	वस्त्र लेने की चार प्रतिमाएँ	६१५	२९३
प्रतिमा आराधन काल में उपसर्ग	५७९	२८०	पात्र लेने की चार प्रतिमाएँ	६१६	२९४
मासिकी भिक्षु प्रतिमा	५८०	२८१	खड़े रहकर कायोत्सर्ग करने की चार प्रतिमाएँ	६१७	२९५
प्रतिमाधारी के भिक्षा काल	५८१	२८१	अवग्रह लेने की सात प्रतिमाएँ	६१८	२९५
प्रतिमाधारी की गोचर चर्या	५८२	२८१	दक्षि-पश्चिमाएँ-८(४)		
प्रतिमाधारी का वसतिवास काल	५८३	२८२	सप्तसप्तमिका भिक्षु प्रतिमा	६१९	२९६
प्रतिमाधारी की कल्पनीय भाषायें	५८४	२८२	अष्ट-अष्टमिका भिक्षु प्रतिमा	६२०	२९७
प्रतिमाधारी के कल्पनीय उपाश्रय	५८५	२८२	नव-नवमिका भिक्षु प्रतिमा	६२१	२९७
प्रतिमाधारी के कल्पनीय सस्तारक	५८६	२८२	दश-दशमिका भिक्षु प्रतिमा	६२२	२९७
प्रतिमाधारी को स्त्री-पुरुष का उपसर्ग	५८७	२८३	दो प्रकार की चन्द्र प्रतिमायें	६२३	२९७
प्रतिमाधारी को अग्नि का उपसर्ग	५८८	२८३	मवमध्य चन्द्र प्रतिमा	६२४	२९७
प्रतिमाधारी को ठूँठा आदि निकालने का निषेध	५८९	२८३	वज्र मध्य चन्द्र प्रतिमा	६२५	३०१
प्रतिमाधारी को प्राणी आदि निकालने का निषेध	५९०	२८३	दक्षि प्रमाण निरूपण	६२६	३०५
सूर्यास्त होने पर विहार का निषेध	५९१	२८३	मोक प्रतिमा-विधाज्ञ	६२७	३०५
सच्चित्त पृथ्वी के निकट निद्रा लेने का निषेध	५९२	२८३	प्रतिमा संग्रह-८ (५)		
मलावरोध का निषेध	५९३	२८४	प्रतिमाओं का संग्रह	६२८	३०७
सच्चित्त रजयुक्त शरीर से गोचरी जाने का निषेध	५९४	२८४	विनय वैयावृत्य की प्रतिमाएँ	६२९	३०८
हस्तादि धोने का निषेध	५९५	२८४	१० प्रायश्चित्त (क) (आभ्यन्तर तप) (१)		
दुष्ट अश्वदि का उपद्रव होने पर भयभीत होने का निषेध	५९६	२८४	आभ्यन्तर तप का प्ररूपण	६३०	३०९
सर्दी और गर्मी सहन करने का विधान	५९७	२८५	आभ्यन्तर तप के भेद	६३१	३०९
भिक्षु प्रतिमाओं का सम्यग् आराधन	५९८	२८५	प्रायश्चित्त योग्य चारित्र	६३२	३०९
द्वि मासिकी भिक्षु प्रतिमा	५९९	२८५	प्रायश्चित्त योग्य प्रतिसेवना के प्रकार	६३३	३०९
त्रैमासिकी भिक्षु प्रतिमा	६००	२८५	प्रायश्चित्त का स्वरूप	६३४	३१०
चातुर्मासिकी भिक्षु प्रतिमा	६०१	२८५	प्रायश्चित्त के प्रकार	६३५	३१०
पंचमासिकी भिक्षु प्रतिमा	६०२	२८५	आरोपणा-१ (रा)		
षण्मासिकी भिक्षु प्रतिमा	६०३	२८५	आरोपणा के पाँच प्रकार	६३६	३११
सप्तमासिकी भिक्षु प्रतिमा	६०४	२८६	आरोपणा के अट्ठाइस प्रकार	६३७	३१२
प्रथम सप्त अहोरात्रिकी भिक्षु प्रतिमा	६०५	२८६	दो मास प्रायश्चित्त की स्थापिता आरोपणा	६३८	३१२
			दो मास प्रायश्चित्त की प्रस्थापिता आरोपणा वृद्धि	६३९	३१३
			एक मास प्रायश्चित्त की स्थापिता आरोपणा	६४०	३१४
			एक मास प्रायश्चित्त की प्रस्थापिता आरोपणा वृद्धि	६४१	३१५
			मासिक और दो मासिक प्रायश्चित्त की प्रस्थापिता आरोपणा वृद्धि	६४२	३१६

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
आलोचना—१(ग)			वैयावृत्य-विधान	६७६	३३८
आलोचना के कारण	६४३	३१८	ग्लान के निमित्त भेजे गये आहार		
आलोचना के दोष	६४४	३१८	का विधि-निषेध	६७७	३३८
आलोचना करने का क्रम	६४५	३१९	विशिष्ट चर्या में सेवा करने के संकल्प	६७८	३३९
आलोचना श्रवण के योग्य	६४६	३२०	वैयावृत्य का फल	६७९	३४०
आलोचना करने के योग्य	६४७	३२०	वैयावृत्य न करने आदि का प्रायश्चित्त सूत्र	६८०	३४१
साधर्मिकों की आलोचना तथा प्रस्थापनाविधि	६४८	३२०	असमर्थ से सेवा करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र	६८१	३४१
आलोचना न करने वाले का आर्तध्यान	६४९	३२१	विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक
आलोचना करने के कारण	६५०	३२१	स्वाध्याय—३		
आलोचना न करने के कारण	६५१	३२२	स्वाध्याय के भेद	६८२	३४२
आलोचना न करने का फल	६५२	३२३	सूत्र सीखने के हेतु	६८३	३४२
आलोचना करने का फल	६५३	३२३	स्वाध्याय का फल	६८४	३४२
आलोचना का फल	६५४	३२४	अन्यतीर्थिकादि के साथ स्वाध्याय भूमि गमन		
कपट सहित तथा कपट रहित आलोचक			प्रायश्चित्त सूत्र	६८५	३४३
को प्रायश्चित्त देने की विधि	६५५	३२४	निन्दित कुल में स्वाध्याय देने का प्रायश्चित्त सूत्र	६८६	३४३
प्रस्थापना में प्रतिसेवना करने पर आरोपणा	६५६	३२७	सूत्र वाचना के हेतु	६८७	३४३
आलोचना और प्रायश्चित्त—१(घ)			सूत्र वाचना के योग्य	६८८	३४३
आक्षेप लगाने वालों को प्रायश्चित्त	६५७	३३०	सूत्र वाचना के अयोग्य	६८९	३४४
अनुद्धातिक प्रायश्चित्त के योग्य	६५८	३३०	सूत्र वाचना का फल	६९०	३४४
अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त के योग्य	६५९	३३०	घृणित कुल में वाचना देने लेने के		
अनवस्थाप्य ग्लान भिक्षु को लघु प्रायश्चित्त देने			प्रायश्चित्त सूत्र	६९१	३४४
का विधान	६६०	३३१	अविधि से वाचना देने के प्रायश्चित्त सूत्र	६९२	३४४
छेदोपस्थापनीय प्रायश्चित्त के योग्य	६६१	३३१	पार्श्वस्थादि को वाचना देने के प्रायश्चित्त सूत्र	६९३	३४५
पाराचिक प्रायश्चित्त के योग्य	६६२	३३१	प्रतिप्रश्न का फल	६९४	३४६
पाराचित ग्लान भिक्षु को लघु प्रायश्चित्त देने का			पुनरावृत्ति का फल	६९५	३४६
विधान	६६३	३३२	अनुप्रेक्षा का फल	६९६	३४६
लघु प्रायश्चित्त के योग्य	६६४	३३२	कथा के भेद	६९७	३४६
प्रायश्चित्त का फल	६६५	३३३	प्रवचन का स्वरूप	६९८	३४८
आत्मनिदा का फल	६६६	३३३	धर्म कथा के विधि-निषेध	६९९	३४८
अनेक प्रकार की गृहा	६६७	३३३	धर्मकथा विवेक	७००	३४८
आत्मगृहा का फल	६६८	३३४	धर्मकथा का प्रभाव	७०१	३५०
परिहारिक तप—१ (ङ)			धर्मकथा का फल	७०२	३५१
परिहारिक और अपरिहारिकों का निषद्यादि			स्त्री परिषद में रात्रि धर्म कथा करने का		
व्यवहार	६६९	३३४	प्रायश्चित्त सूत्र	७०३	३५१
परिहारिक और अपरिहारिकों के परस्पर			ध्यान—४		
आहार सम्बंधी व्यवहार	६७०	३३५	निषिद्ध ध्यान और विहित ध्यान	७०४	३५१
परिहारकल्पस्थित रुग्ण भिक्षु को अल्प			ध्यान के भेद	७०५	३५१
प्रायश्चित्त देने का विधान	६७१	३३६	आर्तध्यान के भेद	७०६	३५१
परिहार कल्पस्थित भिक्षु की वैयावृत्य	६७२	३३७	आर्तध्यान के लक्षण	७०७	३५२
वैयावृत्य—२			रौद्रध्यान के भेद	७०८	३५२
वैयावृत्य स्वरूप	६७३	३३७	रौद्रध्यान के लक्षण	७०९	३५२
वैयावृत्य करने वालों की चौभगी	६७४	३३७	धर्मध्यान के भेद	७१०	३५२
वैयावृत्य के प्रकार	६७५	३३७	धर्मध्यान के लक्षण	७११	३५३
			धर्मध्यान के आलम्बन	७१२	३५३

विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक			
धर्मध्यान की अनुप्रेक्षाएं	७१३	३५३	(१०) निषीधिका परीषह	७४९	३७४
शुक्ल ध्यान के भेद	७१४	३५३	(११) शय्या परीषह	७५०	३७४
शुक्ल ध्यान के लक्षण	७१५	३५४	(१२) आक्रोश परीषह	७५१	३७५
शुक्ल ध्यान के अवलम्बन	७१६	३५४	(१३) वध परीषह	७५२	३७६
शुक्ल ध्यान की अनुप्रेक्षायें	७१७	३५४	(१४) याचना परीषह	७५३	३७६
कायोत्सर्ग-५			(१५) अलाभ परीषह	७५४	३७७
व्युत्सर्ग का स्वरूप	७१८	३५५	(१६) रोग परीषह	७५५	३७७
व्युत्सर्ग के भेद प्रभेद	७१९	३५५	(१७) तृण स्पर्श परीषह	७५६	३७७
कायोत्सर्ग का फल	७२०	३५६	(१८) जल्ल परीषह	७५७	३७७
तपसमाधि एवं फल-६			(१९) सत्कार पुरस्कार परीषह	७५८	३७७
तपाचरण का उद्देश्य	७२१	३५७	(२०) प्रज्ञा परीषह	७५९	३७७
तपाचरण का फल	७२२	३५७	(२१) अज्ञान-परीषह	७६०	३७८
तपादि के चोरो की दुर्गति	७२३	३५८	(२२) दर्शन-परीषह	७६१	३७८
तपस्वियों और नैरयिकों के कर्म			सभी परीषह जीतने का निर्देश	७६२	३७८
निर्जरा की तुलना	७२४	३५८	परीषहों से अपराजित मुनि	७६३	३७८
तप से प्राप्त चारणलब्धि का वर्णन	७२५	३६०	परीषहों से पराजित मुनि	७६४	३७९
			परीषह सहन करने वाला भिक्षु	७६५	३७९
			परीषहजय का फल	७६६	३८०
			उपसर्ग-जय-३		
			अनेक प्रकार के उपसर्ग	७६७	३८०
			देवकृत उपसर्ग	७६८	३८०
			मानवकृत उपसर्ग	७६९	३८०
			तिर्यचकृत उपसर्ग	७७०	३८१
			अविवेकोद्भूत उपसर्ग	७७१	३८१
			प्रतिकूल उपसर्ग	७७२	३८१
			मोह संग सम्बन्धी उपसर्ग	७७३	३८१
			उपसर्गों से अपीडित मुनि	७७४	३८३
			पूर्व पुरुषों के दृष्टांत से संयम शिथिल मुनि	७७५	३८४
			परीषह सहने का निर्देश	७७६	३८५
			परीषह सहने का फल	७७७	३८५
			पंचेन्द्रिय खिरतिकरण-४		
			शब्द की आसक्ति का निषेध	७७८	३८५
			रूप की आसक्ति का निषेध	७७९	३८६
			गंध की आसक्ति का निषेध	७८०	३८८
			रस की आसक्ति का निषेध	७८१	३८९
			स्पर्श की आसक्ति का निषेध	७८२	३९०
			वीर्य-शक्ति-५		
			समत्व बुद्धि से आत्म-शक्ति का समुत्थान	७८३	३९२
			आत्म-वीर्य में चार अंग दुर्लभ	७८४	३९२
			आत्म-बल से कर्म क्षय	७८५	३९२
			मुनित्व से कर्म क्षय	७८६	३९२
			अप्रमत्त भावना से करणीय कृत्य	७८७	३९३
			आज्ञानुसार आचरण करने का उपदेश	७८८	३९३
			प्रमाद परित्याग का उपदेश	७८९	३९४

वीर्याचार

वीर्य का स्वरूप-१

वीर्य का स्वरूप	७२६	३६३
वालवीर्य आदि की विवक्षा	७२७	३६३
वालवीर्य का स्वरूप	७२८	३६३
अज्ञ ही उपदेश योग्य है	७२९	३६४
सकर्मवीर्य का स्वरूप	७३०	३६४
अकर्मवीर्य का स्वरूप	७३१	३६४
पण्डित वीर्य का स्वरूप	७३२	३६५
तितिक्षा से मोक्ष	७३३	३६६
समाधि युक्त की सिद्धगति	७३४	३६६
भ्रान्तचित्त वालों की वीर्यहानि	७३५	३६७
परीषह जय-२		
परीषह सहने से कर्मों का क्षय	७३६	३६८
परीषह के प्रकार	७३७	३६८
परीषह प्ररूपणा	७३८	३६९
(१) क्षुधा परीषह	७३९	३६९
(२) पिपासा परीषह	७४०	३६९
(३) शीत परीषह	७४१	३६९
(४) उष्ण परीषह	७४२	३७०
(५) दंश मशक परीषह	७४३	३७०
(६) अचेल परीषह	७४४	३७०
अचेलत्व का प्रशस्त परिणाम	७४५	३७१
(७) अरति-परीषह	७४६	३७१
(८) स्त्री परीषह	७४७	३७२
(९) चर्या परीषह	७४८	३७४


विषय	सूत्रांक	पृष्ठांक	कथायों को कृश करने का पराक्रम	८०७	४०३
तीन प्रकार की धर्म जागरणा	७९०	३९४	बंधन से मुक्त होने का पराक्रम	८०८	४०३
एकत्व अन्यत्व भावना	७९१	३९४	लोकज्ञ ही आत्मज्ञ	८०९	४०४
अनित्य- भावना	७९२	३९५	आत्मवादी का सम्यक् पराक्रम	८१०	४०४
अज्ञान भावना	७९३	३९५	ज्ञानादि से युक्त मुनि का पराक्रम	८११	४०४
मैत्री भावना	७९४	३९६	समाधि के इच्छुक श्रमण का पराक्रम	८१२	४०४
सवर भावना	७९५	३९६	संयम में पराक्रम करने वाले की मुक्ति	८१३	४०५
संयम में पराक्रम-६			धर्म में पराक्रम के लिए एलक का दृष्टांत	८१४	४०६
प्रज्ञावानों का पराक्रम	७९६	३९६	धर्म में पराक्रम के लिए काकिणी और आम्र का दृष्टांत	८१५	४०७
पण्डित का पराक्रम	७९७	३९७	धर्म में पराक्रम के लिए वणिक का दृष्टांत	८१६	४०७
समत्वदर्शी का पराक्रम	७९८	३९७	धर्म में पराक्रम के लिए दिव्य-मानुषिक भोग की तुलना	८१७	४०८
मुक्तात्मा का स्वरूप	७९९	३९७	धर्म में पराक्रम के लिए उपदेश	८१८	४०८
वीर पुरुष का पराक्रम	८००	३९७	धर्म में पराक्रम का समय	८१९	४०८
भिक्षु का पराक्रम	८०१	३९९	वीतराग-भाव-७		
आत्मगुप्त भिक्षु का पराक्रम	८०२	३९९	वीतराग भाव की प्ररूपणा	८२०	४०९
मेघावी मुनि का पराक्रम	८०३	४००	कर्म-निर्जरा का फल	८२१	४११
महर्षि का पराक्रम	८०४	४०२	वीतरागता का फल	८२२	४११
परिग्रह के परित्याग में अप्रमत्त का पराक्रम	८०५	४०२	उपसंहार	८२३	४११
कर्म भेदन में पराक्रम	८०६	४०२			



सकेत स्पष्टीकरण


प्रस्तुत ग्रन्थ में उद्धृत आगमों के संक्षिप्त संकेतों का स्पष्टीकरण

आ. सु. अ. उ. सु.	आचारांग, श्रुतस्कन्ध, अध्ययन, उद्देशक, सूत्र
आ. अ.	आवश्यक सूत्र. अध्ययन
उ. अ. गा.	उत्तराध्ययन, अध्ययन, गाथा
उव सु.	उववाइ (औपपातिक) सूत्र
उवा. अ.	उवासगदशा (उपासकदशा) अध्ययन
कप्प. उ. सु.	कल्पदशा (बृहत्कल्प सूत्र) उद्देशक, सूत्र
ठाण. अ. उ. सु.	ठाणांग, अध्ययन (स्थान) उद्देशक, सूत्र
णाया. अ.	गायाधम्मकहा (ज्ञाता धर्मकथा) अध्ययन
दस. अ. गा.	दशवैकालिक, अध्ययन, गाथा
दसा. द.	दशाश्रुतस्कन्ध-दशा, सूत्र
नि. उ.	निशीथ सूत्र, उद्देशक, सूत्र
पण्ह. (प.) सु अ. सु.	पण्हावागरण (प्रश्न व्याकरण) श्रुतस्कन्ध, अध्ययन, सूत्र
वव. उ.	व्यवहार सूत्र उद्देशक
वि. (विया) स. उ.	विवाह प्रज्ञप्ति (भगवती सूत्र) शतक, उद्देशक
सम. स.	समवायाग, समवाय सूत्र
सूय. अ. उ. गा.	सूयगडाग (सूत्रकृताग) श्रुतस्कन्ध, अध्ययन, गाथा




चरणानुयोग

[द्वितीय भाग]



चारित्राचार

[प्रथम भाग से आगे क्रमशः]



(१) दीक्षा

प्रव्रज्या ग्रहण : विधि-निषेध—१

धम्मन्तराय कम्मखओवसमेणं पव्वज्जा—

*१३३६. प०—असोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खिय-उवासियाए वा केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अण-गारिय पव्वएज्जा ?

उ०—गोयसा ! असोच्चा णं केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खिय-उवासियाए वा अत्थेगतिए केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा, अत्थेगतिए केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय नो पव्वएज्जा ।

प०—से केणट्ठेण भंते ! एवं वुच्चइ—

असोच्चा ण केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खिय-उवासियाए वा अत्थेगतिए केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अण-गारिय पव्वएज्जा, अत्थेगतिए केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय नो पव्वएज्जा ?

उ०—गोयसा ! जस्स ण धम्मन्तराइयाण कम्माणं खओ-वसमे कडे भवइ से णं असोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खिय-उवासियाए वा केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा ।

जस्स ण धम्मन्तराइयाण कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ, से ण असोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खिय-उवासियाए वा केवल मुंडे भवित्ता अगाराओ अण-गारियं नो पव्वएज्जा ।

से तेणट्ठेण गोयसा ! एवं वुच्चइ—

असोच्चा ण केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खिय-उवासियाए अत्थेगइए केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा अत्थेगइए केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय नो पव्वएज्जा ।^१

—वि स ६, उ. ३१, सु. ४

धर्मान्तराय कर्मों के क्षयोपशम से प्रव्रज्या—

१३३६. प्र०—भन्ते ! केवली से—यावत्—केवलिपाक्षिक उपासिका से विना सुने कोई जीव मुण्डित होकर गृहस्थावास को छोड़कर प्रव्रजित हो सकता है ?

उ०—गौतम ! केवली से—यावत्—केवलिपाक्षिक उपासिका से सुने विना कोई एक जीव मुण्डित होकर गृहस्थावास को छोड़कर प्रव्रजित हो सकता है और कोई एक जीव मुण्डित होकर गृहस्थावास को छोड़कर प्रव्रजित नहीं हो सकता है ।

प्र०—भन्ते ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है ?

केवली से—यावत्—केवलिपाक्षिक उपासिका से सुने विना कोई एक जीव मुण्डित होकर गृहस्थावास को छोड़कर प्रव्रजित हो सकता है और कोई एक जीव मुण्डित होकर गृहस्था-वास छोड़कर प्रव्रजित नहीं हो सकता है ?

उ०—गौतम ! जिसके धर्मान्तराय कर्मों का क्षयोपशम हुआ है वह केवली से—यावत्—केवलिपाक्षिक उपासिका से सुने विना मुण्डित होकर गृहस्थावास को छोड़कर प्रव्रजित हो सकता है ।

जिसके धर्मान्तराय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है वह केवली से—यावत्—केवलिपाक्षिक उपासिका से सुने विना मुण्डित होकर गृहस्थावास को छोड़कर प्रव्रजित नहीं हो सकता है ।

गौतम ! इस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है कि—

केवलि से—यावत्—केवलिपाक्षिक उपासिका से सुने विना कोई एक जीव मुण्डित होकर गृहस्थावास को छोड़कर प्रव्रजित हो सकता है । और कोई एक जीव मुण्डित होकर गृहस्थावास को छोड़कर प्रव्रजित नहीं हो सकता है ।

* यह सूत्राक भाग १ से आगे चालू है । प्रथम भाग मे १३३८ तक सूत्र है ।

१ (क) अनगर धर्म की प्राप्ति मे चारित्रमोहनीय कर्म अन्तराय करता है अतः धर्मान्तराय कर्म, चारित्रमोहनीय कर्म ही है—
उसके क्षयोपशम से प्रव्रज्या ग्रहण की जा सकती है, ऐसा समझना चाहिए ।

(ख) वि स. ६, उ. ३१, सु. १३ ।

प०—सोच्चा णं भते ! केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खियउवासियाए वा केवल मुडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वएज्जा ?

उ०—गोयमा ! सोच्चा ण केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खियउवासियाए वा अत्येगतिए केवलमुडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा, अत्येगतिए केवलं मुडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय नो पव्वएज्जा ।

प०—से केणट्ठेण भते ! एव वुच्चई—
सोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा अत्येगतिए केवलं मुडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा, अत्येगतिए केवल मुडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय नो पव्वएज्जा ?

उ०—गोयमा ! जस्स ण धम्मतराइयाणं कम्मणं खओवसमे कडे भवइ से ण सोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं मुडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वएज्जा ।

जस्स णं धम्मतराइयाणं कम्मणं खओवसमे नो कडे भवइ, से ण सोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खियउवासियाए वा केवल मुडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय णो पव्वएज्जा ।

से तेणट्ठे ण गोयमा ! एव वुच्चई—
सोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खियउवासियाए वा अत्येगइए केवल मुडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वएज्जा । अत्येगइए केवल मुडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय णो पव्वएज्जा ।

—वि. स ६, उ ३१, सु. ३२

पव्वज्जा पालगरस चउभंगो—

१३४० चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, त जहा—

(१) सीहत्ताए णाममेगे णिक्खते सीहत्ताए विहरइ,

(२) सीहत्ताए णाममेगे णिक्खते सियालत्ताए विहरइ,

(३) सीयालत्ताए णाममेगे णिक्खते सीहत्ताए विहरइ,

(४) सीयालत्ताए णाममेगे णिक्खते सीयालत्ताए विहरइ ।

—ठाणं अ ४, उ ३, सु. ३२६

प्र०—भन्ते ! केवली से—यावत्—केवलिपाक्षिक उपासिका से सुनकर कोई एक जीव मुण्डित होकर गृहस्थावास को छोडकर प्रव्रजित हो सकता है ?

उ०—गौतम ! केवली से—यावत्—केवलिपाक्षिक उपासिका से सुनकर कोई एक जीव मुण्डित होकर गृहस्थावास को छोडकर प्रव्रजित हो सकता है और कोई एक जीव मुण्डित होकर गृहस्थावास को छोडकर प्रव्रजित नहीं हो सकता है ।

प्र०—भन्ते ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है—
केवली से—यावत्—केवलिपाक्षिक उपासिका से सुनकर कोई एक जीव मुण्डित होकर गृहस्थावास को छोडकर प्रव्रजित हो सकता है और कोई एक जीव मुण्डित होकर गृहस्थावास को छोडकर प्रव्रजित नहीं हो सकता है ?

उ०—गौतम ! जिसके धर्मान्तराय कर्मों का क्षयोपशम हुआ है वह केवली से—यावत्—केवलिपाक्षिक उपासिका से सुनकर मुण्डित होकर गृहस्थावास को छोडकर प्रव्रजित हो सकता है ।

जिसके धर्मान्तराय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है वह केवली से—यावत्—केवलिपाक्षिक उपासिका से सुनकर मुण्डित होकर गृहस्थावास को छोडकर प्रव्रजित नहीं हो सकता है ।

गौतम ! इस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है कि—
केवली से—यावत्—केवलिपाक्षिक उपासिका से सुनकर कोई एक जीव मुण्डित होकर गृहस्थावास को छोडकर प्रव्रजित हो सकता है । कोई एक जीव मुण्डित होकर गृहस्थावास को छोडकर प्रव्रजित नहीं हो सकता है ।

प्रव्रज्या-पालक की चौभंगी—

१३४० पुरुष चार प्रकार के कहे गये हैं । जैसे—

(१) कोई पुरुष सिंहवृत्ति से प्रव्रजित होता है और सिंहवृत्ति से ही विचरता है अर्थात् सयम का दृढता से पालन करता है ।

(२) कोई पुरुष सिंहवृत्ति से प्रव्रजित होता है किन्तु शृगालवृत्ति से विचरता है, अर्थात् दीनवृत्ति से सयम का पालन करता है ।

(३) कोई पुरुष शृगालवृत्ति से प्रव्रजित होता है, किन्तु सिंहवृत्ति से विचरता है,

(४) कोई पुरुष शृगालवृत्ति से प्रव्रजित होता है और शृगालवृत्ति से ही विचरता है ।

तिविहा संजया—

*४१. (१) जे पुव्वुट्टाई णो पच्छाणिवाती,

(२) जे पुव्वुट्टाई, पच्छाणिवाती,

(३) जे णो पुव्वुट्टाई णो पच्छाणिवातो ।

से वि तारिसए सिया जे परिणाय लोगमण्णेसयति ।

एयं णिदाय मुणिणा पवेदित—इह आणाकंखी पडित्ते अणिहे पुव्वावररायं जयमाणे सया सीलं संपेहाए सुणिया भवे अकामे अन्नञ्जे ।

—आ. सु. १, अ. ५, उ. ३, सु. १५८

पव्वज्जा जोग्गाजणा—

४२. दो ठाणाइं अपरियाइत्ता आया णो केवल मुंडे भवित्ता

अगाराओ अणगारियं पव्वइज्जा,
तं जहा—आरंभे च्चव, परिग्गहे च्चव ।

दो ठाणाइं परियाइत्ता आया केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ
अणगारियं पव्वइज्जा,

त जहा—आरंभे च्चव, परिग्गहे च्चव ।

—ठाणं अ. २, उ. १, सु. ५४-५५

पव्वज्जा जोग्गा जामा—

४३. तओ जामा पणत्ता, त जहा—

पढमे जामे, मज्झिमे जामे, पच्छिमे जामे ।

तिहिं जामेहिं आया केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगा-
रियं पव्वइज्जा, त जहा—

पढमे जामे, मज्झिमे जामे, पच्छिमे जामे^१ ।

—ठाण. अ. ३, उ. २, सु. १६३

पव्वज्जा जोग्गा वया—

४४. तओ वया पणत्ता, त जहा—

पढमे वए, मज्झिमे वए, पच्छिमे वए ।

तिहिं वएहिं आया केवलं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं
पव्वइज्जा । त जहा—

तीन प्रकार के संयत—

४१. (१) जो पहले प्रव्रज्या स्वीकार करते हैं और उन्हीं िष्ठा से उसका पालन करते हैं वे साधना पथ से च्युत नहीं होते हैं ।

(२) जो पहले प्रव्रज्या स्वीकार करते हैं किन्तु बाद में उमसे च्युत हो जाते हैं ।

(३) जो न तो पहले प्रव्रज्या स्वीकार करते हैं और न ही बाद में च्युत होते हैं ।

जो साधक लोक को परिज्ञा से जानकर उसका त्याग कर पुन लोकेषणा में संलग्न हो जाता है वह भी गृहस्थ जैसा ही हो जाता है ।

यह केवलज्ञान से जानकर तीर्थंकरों ने कहा है—पंडित मुनि आज्ञा में रुचि रखे, स्नेह न करे । रात्रि के प्रथम और अन्तिम भाग में (स्वाध्याय और ध्यान) करे । सदा शील का अनुपालन करे । परमतत्व को सुनकर काम और कलह से मुक्त हो जाय ।

प्रव्रज्या योग्य जन—

४२. आरम्भ और परिग्रह—इन दो स्थानों को जाने और छोड़े बिना आत्मा मुण्ड होकर, घर को छोड़कर सम्पूर्ण अनगारिता को नहीं पाता ।

आरम्भ और परिग्रह—इन दो स्थानों को जानकर और छोड़कर आत्मा मुण्ड होकर घर छोड़कर सम्पूर्ण अनगारिता को पाता है ।

प्रव्रज्या योग्य प्रहर—

४३. तीन प्रकार के याम (प्रहर) कहे गये हैं यथा—

(१) प्रथम याम, (२) मध्यम याम, (३) अन्तिम याम ।

तीनों ही यामों में आत्मा मुण्डित होकर गृहवास का परि-
त्याग कर प्रव्रजित होता है । यथा—

(१) प्रथम याम, (२) मध्यम याम, (३) अन्तिम याम ।

प्रव्रज्या योग्य वय—

४४. तीन प्रकार के वय कहे गये हैं । यथा—

(१) प्रथम वय, (२) मध्यम वय, (३) अन्तिम वय ।

तीनों ही वयों में आत्मा मुण्डित होकर गृहवास का परि-
त्याग कर प्रव्रजित होता है । यथा—

* सूत्राक ४१ में १३०० जोड़कर पढ़ें । आगे प्रेस की सुविधा व स्थान अधिक खाली न रहे अतः १३०० कम करके ४१ का अंक ही रखा गया है ।

१ (क) जामा तिण्णि उदाहिया जेसु इमे आयरिया संबुज्झमाणा समुट्ठिया ।

—आ. सु. १, अ. ८, उ. १, सु. २०२

(ख) मज्झिमेणं वयसा वि एगे संबुज्झमाणा समुट्ठिता सोच्चा मेघावी वयण पडियाण णिसामिया ।

—आ. सु. १, अ. ८, उ. ३, सु. २०६ (क)

पहमे वए, मज्झिमे वए, पच्छिमे वए ।

—ठाण आ ३, उ २, सु १६३

पव्वज्जा जोग्गो दिसा—

४५ दो दिसाओ अभिगिज्झ कप्पति णिग्गथाण वा णिग्गथीण वा पव्वावेत्तए-पाईण चेव, उदीण चेव ।

दो दिसाओ अभिगिज्झ कप्पति णिग्गथाण वा णिग्गथीण वा, मुडावेत्तए सिक्खावेत्तए उवट्ठावेत्तए सभुज्जित्तए सव-सित्तए सज्झायमुद्दिसित्तए सज्झाय समुद्दिसित्तए सज्झायमणु-जाणित्तए आलोइत्तए पडिक्कमित्तए णिदित्तए गरहित्तए विउट्ठित्तए विसोहित्तए अकरणयाए अणुदिसित्तए अहारिह पायच्छित्तं तवोक्कम्मं पडिक्कित्तए—

पाईण चेव, उदीण चेव ।

—ठाण अ २, उ १, सु ६६ (क)

पव्वावणाईण विहि-णिसेहो—

४६ नो कप्पइ णिग्गथाण णिग्गथि अप्पणो अट्ठाए पव्वावेत्तए वा, मुडावेत्तए वा, सेहावेत्तए वा, उवट्ठावेत्तए वा, सवासित्तए वा, सभुज्जित्तए वा, तीसे इत्तरियं दिस वा अणुदिसं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

कप्पइ णिग्गथाणं णिग्गथि अन्नेसि अट्ठाए पव्वावेत्तए वा -जाव-सभुज्जित्तए वा, तीसे इत्तरियं दिसं वा अणुदिसं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

नो कप्पइ णिग्गथीण णिग्गथ अप्पणो अट्ठाए पव्वावेत्तए वा -जाव-सभुज्जित्तए वा, तीसे इत्तरियं दिस वा अणुदिस वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

कप्पइ णिग्गथीण णिग्गथ अप्पणो अट्ठाए पव्वावेत्तए वा-जाव-सभुज्जित्तए वा, तीसे इत्तरियं दिसं वा अणुदिस वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा । —वव उ ७, सु ६-९

खुड्डगस्स खुड्डियाए वा उवट्ठावण विहि-णिसेहो—

४७ नो कप्पइ णिग्गथाण वा णिग्गथीण वा खुड्डगं वा खुड्डिय वा अणट्ठवासजायं उवट्ठावेत्तए वा सभुज्जित्तए वा ।

कप्पइ णिग्गथाण वा णिग्गथीण वा खुड्डगं वा खुड्डिय वा साइरेगअट्ठवासजाय उवट्ठावेत्तए वा सभुज्जित्तए वा ।

—वव. उ १०, सु २०-२१

(१) प्रथम वय मे, (२) मध्यम वय मे, (३) अन्तिम वय मे ।

प्रब्रज्या योग्य दिशा—

४५ निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियाँ पूर्व और उत्तर इन दो दिशाओं की ओर मुँह कर प्रब्रजित करें ।

निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियाँ पूर्व और उत्तर इन दो दिशाओं की ओर मुँह कर मुण्डित करें, शिक्षा दें, महाव्रतो मे आरोपित करें, भोजन-मण्डली मे सम्मिलित करें, सस्तारक मण्डली में सम्मिलित करें, स्वाध्याय का उद्देश दें, स्वाध्याय का समुद्देश दें, स्वाध्याय की अनुज्ञा दें, आलोचना करें, प्रतिक्रमण करें, निन्दा करें, गर्हा करें, पश्चात्ताप करें विशोधि करें, सावध-प्रवृत्ति न करने के लिए उठें, यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तप कर्म स्वीकार करें ।

प्रब्रजित करने आदि के विधि-निषेध—

४६ निर्ग्रन्थियों को अपनी शिष्या बनाने के लिए प्रब्रजित करना, मुण्डित करना, शिक्षित करना, चारित्र्य मे पुन उपस्था पित करना, उसके साथ रहना और साथ बैठकर भोजन करना निर्ग्रन्थ को नहीं कल्पता है तथा अल्पकाल या यावज्जीवन के लिए पद देना या उसे धारण करना नहीं कल्पता है ।

अन्य की शिष्या बनाने के लिए किसी निर्ग्रन्थिनी को प्रब्रजित करना—यावत्—साथ बैठकर भोजन करने के लिए निर्देश देना निर्ग्रन्थ को कल्पता है तथा अल्पकाल या यावज्जीवन के लिए पद देना या उसे धारण करना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थ को अपने लिए प्रब्रजित करना—यावत्—साथ बैठकर भोजन करने के लिए निर्देश करना निर्ग्रन्थी को नहीं कल्पता है तथा अल्पकाल या यावज्जीवन के लिए पद देना या उसे धारण करना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थ को अन्य (आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक) के लिए प्रब्रजित करना—यावत्—साथ बैठकर भोजन करने के लिए निर्देश करना निर्ग्रन्थी को कल्पता है तथा अल्पकाल या यावज्जीवन के लिए पद देना या उसे धारण करने के लिए अनुज्ञा देना कल्पता है ।

बालक-बालिका को बड़ी दीक्षा आदि का विधि-निषेध—

४७ निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को आठ वर्ष से कम उम्र वाले बालक-बालिका को बड़ी दीक्षा देना और उनके साथ आहार करना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को आठ वर्ष में अधिक उम्र वाले बालक-बालिका को बड़ी दीक्षा देना और उनके साथ आहार करना कल्पता है ।

पव्वयमाणस्स उवगरणपरूवणा—

४८. निग्गंथस्स तप्पढमयाए सपव्वयमाणस्स कप्पइ रयहरण-
गोच्छग-पडिग्गह-मायाए तिहिं कसिणेहिं वत्थेहिं आयाए
संपव्वइत्तए ।

से य पुव्वोवट्टिए सिया, एवं से नो कप्पइ रयहरण-गोच्छग-
पडिग्गहमायाए तिहिं कसिणेहिं वत्थेहिं आयाए संपव्वइत्तए ।

कप्पइ से अहापरिग्गहियाइ वत्थाइं गहाय-आयाए संपव्व-
इत्तए ।

निग्गंथीए णं तप्पढमयाए संपव्वयमाणीए कप्पइ रयहरण-
गोच्छग-पडिग्गहमायाए चउहिं कसिणेहिं आयाए संपव्व-
इत्तए ।

सा य पुव्वोवट्टिया सिया एवं से नो कप्पइ रयहरण-गोच्छग
पडिग्गहमायाए चउहिं कसिणेहिं वत्थेहिं आयाए संपव्व-
इत्तए ।

कप्पइ से अहापरिग्गहियाइ वत्थाइ गहाय-आयाए संपव्व-
इत्तए । —कप्प. उ. ३, सु. १४-१५

पव्वज्जा अजोग्गा—

४९. तओ णो कप्पति पव्वावेत्तए त जहा—

(१) पडए, (२) वात्तिए, (३) कीवे ।

तओ णो कप्पति मुंडावित्तए, सिक्खावित्तए, उवट्ठावित्तए,
संभुजित्तए सवासित्तए, तं जहा—

पडए, वात्तिए, कीवे^१ । —ठाण. अ. ३, उ. ४ सु २०४

असमत्थपव्वावण-पायच्छित्तसुत्त—

५०. जे भिक्खू णायगं वा, अणायगं वा, उवासगं वा, अणुवासग
वा, अणल पव्वावेइ पव्वावेत्तं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।
—नि. उ. ११, सु. ८४

प्रव्रजित होने वाले के उपकरणों का प्ररूपण—

४८ गृहवास त्यागकर सर्वप्रथम प्रव्रजित होने वाले निर्ग्रन्थ को
रजोहरण, गोच्छक, पात्र तथा तीन अखण्ड वस्त्र अपने साथ
लेकर प्रव्रजित होना कल्पता है ।

यदि वह पहले दीक्षित हो चुका हो तो उसे रजोहरण,
गोच्छक, पात्र तथा तीन अखण्ड वस्त्र लेकर प्रव्रजित होना नहीं
कल्पता है ।

किन्तु पूर्व गृहीत वस्त्रों को लेकर आत्मभाव से प्रव्रजित
होना कल्पता है ।

गृहवास त्यागकर सर्वप्रथम प्रव्रजित होने वाली निर्ग्रन्थी
को रजोहरण गोच्छक पात्र तथा चार अखण्ड वस्त्र अपने साथ
लेकर प्रव्रजित होना कल्पता है ।

यदि वह पहले दीक्षित हो चुकी हो तो उसे रजोहरण,
गोच्छक, पात्र तथा चार अखण्ड वस्त्र लेकर प्रव्रजित होना नहीं
कल्पता है ।

किन्तु पूर्व गृहीत वस्त्रों को लेकर आत्मभाव से प्रव्रजित
होना कल्पता है ।

प्रव्रज्या के अयोग्य—

४९. तीन को प्रव्रजित करना नहीं कल्पता है, यथा—

(१) नपुंसक, (२) वातिक, (३) और क्लीब ।

तीन को मुण्डित करना, शिक्षा देना महाव्रतो मे आरोपित
करना, उनके साथ आहार आदि का सम्बन्ध रखना और उनके
साथ रहना या उसे साथ रखना नहीं कल्पता है । यथा—

नपुंसक, वातिक और क्लीब^२ ।

असमर्थ को प्रव्रजित करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

५०. जो भिक्षु अयोग्य स्वजन को, परिजन को, उपासक को,
और अनुपासक को प्रव्रजित करता है, करवाता है, करने वाले
का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।



१ कप्प. उ ४, सु. ४-६ ।

२ प्रथम सामान्य नपुंसक है, द्वितीय-तृतीय विशेष प्रकार के नपुंसक हैं ।

प्रव्रज्या के प्रकार—२

विविध प्रकार का प्रव्रज्या—

५१ चउव्विहा पव्वज्जा पणत्ता, त जहा—

- (१) इहलोगपडिवद्धा,
- (२) परलोगपडिवद्धा,
- (३) दुहओलोगपडिवद्धा,^१

(४) अप्पडिवद्धा ।

चउव्विहा पव्वज्जा पणत्ता, तं जहा—

(१) पुरओ पडिवद्धा,

(२) मगओ पडिवद्धा,

(३) दुहओ पडिवद्धा,^२

(४) अप्पडिवद्धा ।

चउव्विहा पव्वज्जा पणत्ता, त जहा—

(१) ओवाय-पव्वज्जा,

(२) अक्खात-पव्वज्जा,

(३) सगार-पव्वज्जा,^३

(४) विगह-गइ-पव्वज्जा ।

चउव्विहा पव्वज्जा पणत्ता, तं जहा—

(१) तुयावइत्ता,

(२) पुयावइत्ता,

(३) बुमावइत्ता,^४

(४) परिपुयावइत्ता ।

चउव्विहा पव्वज्जा पणत्ता, तं जहा—

(१) णडलइया,

(२) भडलइया,

(३) सीहलइया,

विविध प्रकार का प्रव्रज्या—

५१ प्रव्रज्या (निर्ग्रन्थ दीक्षा) चार प्रकार की कही गई है। जैसे—

(१) इस लोक की सुख-कामना से ली जाने वाली प्रव्रज्या।

(२) परलोक की सुख-कामना से ली जाने वाली प्रव्रज्या।

(३) दोनों लोको की सुख-कामना से ली जाने वाली प्रव्रज्या ।

(४) किसी भी प्रकार की कामना से रहित होकर ली जाने वाली प्रव्रज्या ।

पुन प्रव्रज्या चार प्रकार की कही गई है। जैसे—

(१) मनोज्ञ आहारादि की प्राप्ति के लिए ली जाने वाली प्रव्रज्या ।

(२) परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने की कामना से ली जाने वाली प्रव्रज्या ।

(३) उपरोक्त दोनों प्रकार की कामना से ली जाने वाली प्रव्रज्या ।

(४) उक्त दोनों प्रकार की कामनाओं से रहित होकर ली जाने वाली प्रव्रज्या ।

पुनः प्रव्रज्या चार प्रकार की कही गई है। जैसे—

(१) सद्-गुरुओं की सेवा से प्राप्त होने वाली दीक्षा ।

(२) दूसरों के कहने से ली जाने वाली दीक्षा ।

(३) परस्पर प्रतिज्ञाबद्ध होने से ली जाने वाली दीक्षा ।

(४) परिवारादि से अलग होकर देशान्तर में जाकर ली जाने वाली दीक्षा ।

पुन प्रव्रज्या चार प्रकार की कही गई है। जैसे—

(१) कष्ट देकर दी जाने वाली दीक्षा ।

(२) अन्यत्र ले जाकर दी जाने वाली दीक्षा ।

(३) वातचीत करके दी जाने वाली दीक्षा ।

(४) स्निग्ध, मिष्ट भोजन कराकर दी जाने वाली दीक्षा ।

पुन प्रव्रज्या चार प्रकार की कही गई है। जैसे—

(१) नट की तरह धर्मकथा कहकर आजीविका की जाने वाली प्रव्रज्या ।

(२) सुभट के समान दुःख प्रदर्शन कर आजीविका की जाने वाली प्रव्रज्या ।

(३) सिंह के समान, आजीविका की जाने वाली प्रव्रज्या

(४) सियालखइया ।

— ठाण अ ४, उ. ४, सु ३५५

पव्वज्जाए किसी-उचमा—

५२ चउव्विहा किसी पणत्ता, तं जहा—

- (१) वाविया,
- (२) परिवाविया,
- (३) णिदिता,
- (४) परिणिदिता ।

एवामेव चउव्विहा पव्वज्जा पणत्ता, तं जहा—

- (१) वाविता,
- (२) परिवाविता,
- (३) णिदिता,
- (४) परिणिदिता ।

—ठाण अ. ४, उ. ४, सु. ३५५

पव्वज्जाए धण्णोचना —

५३ चउव्विहा पव्वज्जा पणत्ता, तं जहा—

- (१) धण्णपुंजितसमाणा,
- (२) धण्णविरल्लितसमाणा,
- (३) धण्णविक्लित्तसमाणा,
- (४) धण्णसकड्ढित समाणा ।

—ठाण अ ४, उ. ४, सु ३५५

मुण्डणस्सप्यगारा—

५४ पच मुंडा पणत्ता, तं जहा—

- (१) सोत्तिदियमुंडे (२) च्चिक्खिदियमुंडे, (३) घाणिदियमुंडे,
- (४) जिन्निदियमुंडे, (५) फासिदियमुंडे ।

पंच मुंडा पणत्ता, तं जहा—

- (१) कोहमुंडे, (२) माणमुंडे, (३) मायामुंडे,
- (४) लोभमुंडे, (५) सिरमुंडे ।

—ठाण. अ. ५, उ. ३, सु. ४४३ (२-३)

✓ दस पव्वज्जा पगारा—

५५ दसविधा पव्वज्जा पणत्ता, तं जहा—

- (१) छदा, (२) रोसा, (६) परिजुण्णा,
- (४) सुविणा, (५) पडिस्सुता चैव, (६) सारणिया

(४) सियाल के समान दीन-वृत्ति से आजीविका की जाने वाली प्रव्रज्या ।

प्रव्रज्या को कृषि की उपमा—

५२. कृषि (खेती) चार प्रकार की कही गई है । जैसे—

- (१) एक बार बोयी गई कृषि ।
- (२) उगे हुए धान्य को उखाड़कर रोपण की जाने वाली कृषि ।
- (३) घास को निकालकर तैयार की जाने वाली कृषि ।
- (४) घास को अनेक बार निवारण करने पर होने वाली कृषि ।

इसी प्रकार प्रव्रज्या भी चार प्रकार की कही गई है । जैसे—

- (१) सामायिक चारित्र्य में आरोपित करना (छोटी दीक्षा)
- (२) महाव्रतो में आरोपित करना (बड़ी दीक्षा)
- (३) एक बार आलोचना से आने वाली दीक्षा ।
- (४) बार-बार आलोचना से आने वाली दीक्षा ।

प्रव्रज्या को धान्य की उपमा —

५३ प्रव्रज्या चार प्रकार की कही गई है, जैसे—

- (१) खलिहान में साफ करके रखे गए धान्यपुंज के समान निर्दोष प्रव्रज्या ।
- (२) साफ किये गये किन्तु खलिहान में बिखरे हुए धान्य के समान अल्प-अतिचार वाली प्रव्रज्या ।
- (३) खलिहान में वैलो आदि के द्वारा कुचले गये धान्य के समान बहु-अतिचार वाली प्रव्रज्या ।
- (४) खेत से काटकर खलिहान में लाए गये धान्य-फूलों के समान बहुतर अतिचार वाली प्रव्रज्या ।

मुण्डन के प्रकार—

५४ मुण्ड (जयी) पांच प्रकार के होते हैं—

- (१) श्रोत्रेन्द्रिय मुण्ड, (२) चक्षुरिन्द्रिय मुण्ड, (३) घ्राणेन्द्रिय मुण्ड, (४) जिह्वेन्द्रिय मुण्ड, (५) स्पर्शनेन्द्रिय मुण्ड ।

मुण्ड पांच प्रकार के होते हैं—

- (१) क्रोध मुण्ड, (२) मान मुण्ड, (३) माया मुण्ड,
- (४) लोभ मुण्ड, (५) शिरो मुण्ड ।

प्रव्रज्या के दस प्रकार—

५५. दस प्रकार से प्रव्रज्या ली जाती है, जैसे—

- (१) अपनी इच्छा से, (२) रोष से, (३) दरिद्रता से,
- (४) स्वप्न के निमित्त से, (५) पहले की हुई प्रतिज्ञा के कारण,

(७) रोगिणिया, (८) अणादित्ता, (९) देवसण्णत्ती,
(१०) वच्छाणुवंधिया । —ठाणं अ १०, सु ७१२

(६) पूर्व जन्म स्मरण से, (७) रोग के निमित्त से, (८) अनादर होने पर, (९) देव द्वारा बोध पाने पर, (१०) दीक्षित होते हुए पुत्र के निमित्त से ली जाने वाली दीक्षा ।

दुःखांतकरी पव्वज्जा—

५६ सुणेह मे एगगमणा, मग्ग बुद्धेहि देसिय ।
जमायरन्तो भिक्खु दुक्खाणन्तकरो भवे ॥

दुःख का अन्त करने वाली प्रव्रज्या—

५६ तुम एकाग्र मन होकर (तीर्थंकरों) के द्वारा उपदिष्ट मार्ग को मुझ से सुनो जिसका आचरण करता हुआ भिक्षु दुःखों का अन्त कर देता है ।

गिहवासं परिच्चज्ज पव्वज्जा मासिओ मुणी ।
इमे सगे वियाणिज्जा जेहि सज्जन्ति गाणवा ॥१

—उत्त अ ३५, गा. १-२

जो मुनि गृहवास को छोड़कर प्रव्रज्या को अंगीकार कर चुका है वह इन कर्मवन्ध के स्थानों को जाने जिनमें कि मनुष्य आसक्त होते हैं ।



उपस्थापना—विधि-निषेध—३

उवट्टावणं कालमाणं—

५७. तओ सेहभूमिओ पणत्ताओ, तं जहा—

१ सत्त-राइदिया, २ चाउम्मासिया,
३ छम्मासिया ।

छम्मासिया उक्कोसिया ।

चाउम्मासिया मज्झमिया ।

सत्त-राइदिया जहन्निया ।^१ — वव. उ १०, सु १६

बड़ी दीक्षा देने का काल प्रमाण—

५७ नवदीक्षित शिष्य की तीन शैक्ष भूमियाँ कही गई हैं । जैसे—

(१) सप्तरात्रि-देवसिक, (२) चातुर्मासिक और
(३) पाण्मासिक ।

उत्कृष्ट छह मास से महाव्रत आरोपण करना ।

मध्यम चार मास से महाव्रत आरोपण करना ।

जघन्य सातवें दिन महाव्रत आरोपण करना ।

उवट्टावण विहागाइं—

५८ आयरिय-उवज्जाए सरमाणे पर चउराय पंचरायाओ कप्पाग भिक्खु नो उवट्टावेइ, कप्पाए, अत्थियाइं से केइ माणणिज्जे कप्पाए, नत्थि से केइ छेए वा, परिहारे वा ।

णत्थियाइं से केइ माणणिज्जे कप्पाए, से सन्तरा छेए वा परिहारे वा ।

उपस्थापन के विधान—

५८ आचार्य या उपाध्याय को स्मरण होते हुए भी बड़ी दीक्षा के योग्य भिक्षु को चार पाँच रात के बाद भी बड़ी दीक्षा में उपस्थापित न करे । उस समय यदि उस नवदीक्षित के कोई पूज्य पुरुष की बड़ी दीक्षा होने में देर हो तो उन्हें दीक्षा छेद या तप रूप कोई प्रायश्चित्त नहीं आता है ।

यदि उस नवदीक्षित के बड़ी दीक्षा लेने योग्य कोई पूज्य पुरुष न हो तो उन्हें उस चार पाँच रात्रि उल्लघन करने का छेद या तप रूप प्रायश्चित्त आता है ।

१ इन गाथाओं से आगे की गाथायें प्रत्येक महाव्रत के साथ सकलित की गई हैं अतः मानव की आसक्ति के हेतु “सग” के प्रकार वहाँ से जान लें ।

२ ठाण. अ ३, उ. २, सु. १६७ (१) ।

आयरिय-उवज्झाए असरमाणे पर चउरायाओ पंचरायाओ वा कप्पागं भिक्खु नो उवट्ठावेइ, कप्पाए, अत्थियाइ से केइ माणणिज्जे कप्पाए, नत्थि से केइ छेए वा परिहारे वा,

णत्थियाइं से केइ माणणिज्जे कप्पाए, से सतरा छेए वा परिहारे वा ।

आयरिय-उवज्झाए सरमाणे वा असरमाणे वा परं दसराय कप्पाओ कप्पागं भिक्खु नो उवट्ठावेइ कप्पाए, अत्थियाइ से केइ माणणिज्जे कप्पाए, नत्थि से केइ छेए वा परिहारे वा ।

णत्थियाइं से केइ माणणिज्जे कप्पाए, संवच्छर तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्त वा-जाव-गणावच्छेइयत्त वा उद्दिसित्तए ।

—वव. उ ४, सु. १५-१७

उवट्ठावण जोग्गा—

५९ पुढविकाइए जीवे, सद्दहइ जो जिणेहिं पणत्ते ।
अभिगयपुण्ण-पावो, सो ह् उवट्ठावणे जोग्गो ॥

आउक्काइए जीवे, सद्दहइ जो जिणेहिं पणत्ते ।
अभिगयपुण्ण-पावो, सो ह् उवट्ठावणे जोग्गो ॥

तेउक्काइए जीवे, सद्दहइ जो जिणेहिं पणत्ते ।
अभिगयपुण्ण-पावो, सो ह् उवट्ठावणे जोग्गो ॥

वाउक्काइए जीवे, सद्दहइ जो जिणेहिं पणत्ते ।
अभिगयपुण्ण-पावो सो ह् उवट्ठावणे जोग्गो ॥

वणस्सइकाइए जीवे, सद्दहइ जो जिणेहिं पणत्ते ।
अभिगयपुण्ण-पावो, सो ह् उवट्ठावणे जोग्गो ॥

तसकाइए जीवे, सद्दहइ जो जिणेहिं पणत्ते ।
अभिगयपुण्ण-पावो, सो ह् उवट्ठावणे जोग्गो ॥^१

—दस. अ. ४, गा. ७-१२

आचार्य या उपाध्याय को स्मृति में न रहने से बड़ी दीक्षा के योग्य भिक्षु को चार पाँच रात के बाद भी बड़ी दीक्षा में उपस्थापित न करे। उस समय यदि वहाँ उस नवदीक्षित के कोई पूज्य पुरुष की बड़ी दीक्षा होने में देर हो तो उन्हें दीक्षाच्छेद या तपरूप कोई प्रायश्चित्त नहीं आता है।

यदि उस नवदीक्षित के बड़ी दीक्षा लेने योग्य कोई पूज्य पुरुष न हो तो उन्हें उस चार पाँच रात्रि उल्लघन करने का छेद या तप रूप प्रायश्चित्त आता है।

आचार्य या उपाध्याय को स्मृति में रहते हुए या स्मृति में न रहते हुए बड़ी दीक्षा के योग्य भिक्षु को दस दिन के बाद भी बड़ी दीक्षा में उपस्थापित न करे। उस समय यदि उस नवदीक्षित के कोई पूज्य पुरुष की बड़ी दीक्षा होने में देर हो तो उन्हें दीक्षा छेद या तप रूप कोई प्रायश्चित्त नहीं आता है।

यदि उस नवदीक्षित के बड़ी दीक्षा के योग्य कोई पूज्य पुरुष न हो तो उन्हें उस दश रात्रि उल्लघन करने के कारण एक वर्ष तक आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक पद पर रहना नहीं कल्पता है।

बड़ी दीक्षा के योग्य—

५९ जो जिन-प्रज्ञप्त पृथ्विकायिक जीवों में (जीव है इस प्रकार की) श्रद्धा रखता है और पुण्य एवं पाप को जानता है, वह बड़ी दीक्षा के योग्य है।

जो जिन-प्रज्ञप्त अपृथ्विकायिक जीवों में (जीव है इस प्रकार की) श्रद्धा रखता है और पुण्य एवं पाप को जानता है, वह बड़ी दीक्षा के योग्य है।

जो जिन-प्रज्ञप्त तेजस्कायिक जीवों में (जीव है इस प्रकार की) श्रद्धा रखता है और पुण्य एवं पाप को जानता है, वह बड़ी दीक्षा के योग्य है।

जो जिन-प्रज्ञप्त वायुकायिक जीवों में (जीव है इस प्रकार की) श्रद्धा रखता है और पुण्य एवं पाप को जानता है, वह बड़ी दीक्षा के योग्य है।

जो जिन-प्रज्ञप्त वनस्पतिकायिक जीवों में (जीव है इस प्रकार की) श्रद्धा रखता है और पुण्य एवं पाप को जानता है, वह बड़ी दीक्षा के योग्य है।

जो जिन-प्रज्ञप्त त्रसकायिक जीवों में (जीव है इस प्रकार की) श्रद्धा रखता है और पुण्य एवं पाप को जानता है, वह बड़ी दीक्षा के योग्य है।

१ उपरोक्त गायार्थे महावीर विद्यालय की प्रति में है।

उवट्टावणा अजोग्गा—

६०. पुढविकाइए जीवे, ण सहहइ जो जिणेहिं पणत्ते ।
अणभिययपुण्ण-पावो, ण सो उवट्टावणा जोग्गो ॥

आउवकाइए जीवे, ण सहहइ जो जिणेहिं पणत्ते ।
अणभिययपुण्ण-पावो, ण सो उवट्टावणा जोग्गो ॥

तेउवकाइए जीवे ण सहहइ जो जिणेहिं पणत्ते ।
अणभिययपुण्ण-पावो, ण सो उवट्टावणा जोग्गो ॥

वाउवकाइए जीवे, ण सहहइ जो जिणेहिं पणत्ते ।
अणभिययपुण्ण-पावो, ण सो उवट्टावणा जोग्गो ॥

वणस्सइकाइए जीवे, ण सहहइ जो जिणेहिं पणत्ते ।
अणभिययपुण्ण-पावो, ण सो उवट्टावणा जोग्गो ॥

तसकाइए जीवे, ण सहहइ जो जिणेहिं पणत्ते ।
अणभिययपुण्ण-पावो, ण सो उवट्टावणा जोग्गो ॥

—दस. अ. ४, गा १-६

अजोग्गस्स उवट्टावणपायच्छित्तसुत्त—

६१ जे भिक्खू णायग वा, अणायग वा, उवासग वा, अणुवासगं
वा अणल उवट्टावेइ उवट्टावेत्त वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्टाण षणुघाइय ।

—नि. उ. ११, सु ८५

बड़ी दीक्षा के अयोग्य—

६०. जो जिन-प्रज्ञप्त पृथ्वीकायिक जीवो मे (जीव है इस प्रकार की) श्रद्धा नहीं रखता है और पुण्य एव पाप को नहीं जानता है वह बड़ी दीक्षा के अयोग्य है ।

जो जिन-प्रज्ञप्त अप्कायिक जीवो मे (जीव है इस प्रकार की) श्रद्धा नहीं रखता है और पुण्य एव पाप को नहीं जानता है वह बड़ी दीक्षा के अयोग्य है ।

जो जिन-प्रज्ञप्त तेजस्कायिक जीवो मे (जीव है इस प्रकार की) श्रद्धा नहीं रखता है और पुण्य एव पाप को नहीं जानता है वह बड़ी दीक्षा के अयोग्य है ।

जो जिन-प्रज्ञप्त वायुकायिक जीवो मे (जीव है इस प्रकार की) श्रद्धा नहीं रखता है और पुण्य एव पाप को नहीं जानता है वह बड़ी दीक्षा के अयोग्य है ।

जो जिन-प्रज्ञप्त वनस्पतिकायिक जीवो मे (जीव है इस प्रकार की) श्रद्धा नहीं रखता है और पुण्य एव पाप को नहीं जानता है वह बड़ी दीक्षा के अयोग्य है ।

जो जिन-प्रज्ञप्त त्रसकायिक जीवो मे (जीव है इस प्रकार की) श्रद्धा नहीं रखता है और पुण्य एव पाप को नहीं जानता है वह बड़ी दीक्षा के अयोग्य है ।

अयोग्य को बड़ी दीक्षा देने का प्रायश्चित्त सूत्र —

६१. जो भिक्षु अयोग्य स्वजन को, परिजन को, उपासक को और अनुपासक को बड़ी दीक्षा देता है, दिलाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

आता है ।



(२) संयमी जीवन

संयम का स्वरूप—१

संजम सरूवं—

६२. एगओ खिरइ कुज्जा, एगओ य पवत्तणं ।
असजमे निर्यात्ति च, सजमे य पवत्तणं ॥

—उत्त. अ. ३१, गा. २

सजमस्स महत्त—

६३. मासे मासे तु जो बालो, कुस्सग्गेणं तु भुजए ।
न सो सुअक्खायधम्मस्स, कलं अग्घइ सोलत्ति ॥

—उत्त. अ. ६, गा. ४४

संयम का स्वरूप—

६२. भिक्षु को एक स्थान से निवृत्ति और एक स्नान में प्रवृत्ति करनी चाहिए अर्थात् असयम से निवृत्ति और मयम में प्रवृत्ति करनी चाहिए ।

सयम का महत्त्व—

६३ अज्ञानी जीव एक-एक मास की तपश्चर्या के पारण में कुशाग्र जितना आहार करे तो भी सर्वज्ञ-प्ररूपित चारित्रधर्म की सोलहवी कला को भी प्राप्त नहीं होता ।



संयम के प्रकार—२

पांच चरित्ता, चरित्त-परिभासा य—

६४ सामाहयत्थ पढमं, छेओवट्टावण भवे वीयं ।
परिहारविसुद्धीयं, सुहुमं तह सपरायं च ॥
अकसायं अहक्खाय छउमत्थस्स जिणस्स वा ।

एयं चयरित्ताकर, चारित्तं होइ आहियं ॥

—उत्त अ. २८, गा. ३२-३३

छव्विहा कप्पट्ठित्ती—

६५. छव्विहा कप्पट्ठित्ती पणत्ता, तं जहा —

- (१) सामाहयसजयकप्पट्ठित्ती,
- (२) छेओवट्टावणियसंजयकप्पट्ठित्ती,

(३) णिव्विसमाण कप्पट्ठित्ती,

(४) णिव्विट्ठकाइय कप्पट्ठित्ती,

(५) जिणकप्पट्ठित्ती,

(६) धेरकप्पट्ठित्ती ॥

-- कप्प. उ. ६, मु. २०

पांच प्रकार के चारित्र और उनकी परिभाषा—

६४. (चारित्र पांच प्रकार के हैं)

१. पहला—सामायिक, २. दूसरा—छेदोपस्थापनीय
३. तीसरा—परिहार-विशुद्धि, ४. चौथा—सूक्ष्म-सपराय,
- ५ पांचवां—यथाख्यात-चारित्र-कपाय रहित होता है । वह

छद्मस्थ और केवली दोनों को होता है ।

ये सभी चारित्र कर्म सचय को रिक्त (खाली) करते हैं, इस-लिए ये चारित्र कहे जाते हैं ।

छह प्रकार की कल्पस्थिति—

६५. कल्प की स्थिति छह प्रकार की कही गई है । जैसे—

१. सामायिक चारित्र की मर्यादाएँ ।
२. छेदोपस्थापनीय चारित्र (बड़ी दीक्षा के बाद) की मर्यादाएँ ।

३. परिहारविशुद्धि चारित्र में तप वहन करने वालों की मर्यादाएँ ।

४. परिहारविशुद्धि चारित्र में गुरुकल्प तथा अनुपरिहारिक भिक्षुओं की मर्यादाएँ ।

५. गच्छ निर्गत विशिष्ट तपस्वी जीवन विताने वाले जिन-कल्पी भिक्षुओं की मर्यादाएँ ।

६. स्थविर-कल्पी अर्थात् गच्छवासी भिक्षुओं की मर्यादाएँ ।

संयमभेदयुग्मभेदा—

६६ दुविहे सजमे पन्नत्ते, त जहा—

(१) सरागसजमे चैव (२) वीयरगसजमे चैव ।

सरागसजमे दुविहे पन्नत्ते, त जहा —

(१) सुहृमसपरायसरागसजमे चैव, (२) वादरसपरायसराग-सजमे चैव ।

सुहृमसपरायसरागसजमे दुविहे पन्नत्ते, त जहा —

(१) पढम-समय सुहृम-सपराय-सराग-सजमे चैव,
(२) अपढम-समय सुहृम-सपराय-सराग-सजमे चैव ।

अहवा चरमसमयसुहृमसपरायसरागसजमे चैव अचरिमसमय-सुहृमसपरायसराग सजमे चैव ।

अहवा सुहृमसपरायसरागसजमे दुविहे पन्नत्ते, त जहा—

संकिलेसमाणे चैव, विसुज्जमाणे चैव ।

वादरसपरायमरागसजमे दुविहे पन्नत्ते, त जहा—

पढमसमय वादरसपरायसरागसजमे चैव, अपढमसमयवादर-सपरायसरागसजमे चैव ।

अहवा चरिम-समयवादर-सपराय-सराग-सजमे चैव, अच-रिम-समय वादर-सपराय-सराग-सजमे चैव ।

अहवा वायरसपरायसरागसजमे दुविहे पन्नत्ते, त जहा—

पडिवाति चैव, अपडिवाति चैव ।

वीयरगसजमे दुविहे पणत्ते, त जहा —

उवसतकसाय वीयरगसजमे चैव, खीणकसायवीयरगसजमे चैव ।

उवसतकसायवीयरगसजमे दुविहे पणत्ते, तं जहा—

पढमसमयउवसतकसायवीयरगसजमे चैव, अपढमसमयउव-सतकसायवीयरगसजमे चैव ।

अहवा चरिमसमयउवसतकसायवीयरगसजमे चैव, अचरि-मसमय उवसतकसायवीयरगसजमे चैव ।

खीणकसायवीयरगसजमे दुविहे पन्नत्ते, त जहा—

छउमत्यखीणकसायवीयरगसजमे चैव, केवलिखीणकसायवी-यरगसजमे चैव ।

छउमत्य-खीण-कसाय-वीयरग-सजमे दुविहे पणत्ते, त जहा—

सयंबुद्धछउमत्यखीणकसायवीतरागसजमे चैव, बुद्धवोहिय-छउमत्यखीणकसाय-वीतरागसजमे चैव ।

सयम के भेद-प्रभेद—

६६ सयम दो प्रकार का कहा गया है, यथा—

मरागसयम और वीतरागसयम ।

मरागसयम दो प्रकार का कहा गया है, यथा—

सूक्ष्मसम्पराय मराग सयम और वादरसम्पराय सराग सयम ।

सूक्ष्मसम्पराय सरागसयम दो प्रकार का कहा गया है, यथा—

प्रथमसमय सूक्ष्मसम्पराय सरागसयम और

अप्रथमसमय सूक्ष्मसम्पराय सरागसयम ।

अथवा चरमसमय सूक्ष्मसम्पराय सरागसयम और अचरम-समय सूक्ष्मसम्पराय सरागसयम ।

अथवा सूक्ष्मसम्पराय सरागसयम दो प्रकार का कहा गया है, यथा—

सकिलश्यमान सूक्ष्मसम्पराय सरागसयम और विशुद्धयमान सूक्ष्मसम्पराय सरागसयम ।

वादरसम्पराय सरागसयम दो प्रकार का कहा गया है, यथा —
प्रथमसमय—वादरसम्पराय सरागसयम और अप्रथमसमय—
वादरसम्पराय सरागसयम ।

अथवा चरमसमय वादरसम्पराय सरागसयम और अचरम-समय वादरसम्पराय सरागसयम ।

अथवा वादरसम्पराय सरागसयम दो प्रकार का कहा गया है, यथा —

प्रतिपाती वादरसम्पराय सरागसयम और अप्रतिपाती वादर-सम्पराय मरागसयम ।

वीतराग सयम दो प्रकार का कहा गया है, यथा—
उपशान्तकपाय वीतरागसयम और क्षीणकपाय वीतराग-सयम ।

उपशान्तकपाय वीतरागसयम दो प्रकार का कहा गया है, यथा—

प्रथमसमय उपशान्तकपाय वीतरागसयम और अप्रथमसमय उपशान्तकपाय वीतरागसयम ।

अथवा चरमसमय उपशान्तकपाय वीतरागसयम और अचरम-समय उपशान्तकपाय वीतरागसयम ।

क्षीणकपाय वीतरागसयम दो प्रकार का कहा गया है, यथा—
छद्मस्थ क्षीणकपाय वीतरागसयम और केवलीक्षीणकपाय वीतरागसयम ।

छद्मस्थ क्षीणकपाय वीतरागसयम दो प्रकार का कहा गया है, यथा—

स्वयंबुद्ध छद्मस्थक्षीणकपायवीतरागसयम और बुद्धवोधित छद्मस्थ—क्षीणकपाय वीतरागसयम ।

सयवुद्धछउमत्थखीणकसायवीतरागसंजमे दुविहे पणत्ते, त जहा—

पढमसमयसयवुद्धछउमत्थखीणकसायवीतरागसंजमे चेव, अपढमसमयसयवुद्धछउमत्थखीणकसायवीतरागसंजमे चेव ।

अहवा—चरिमसमयसयवुद्धछउमत्थखीणकसायवीतरागसंजमे चेव, अचरिमसमयसयवुद्धछउमत्थखीणकसायवीतरागसंजमे चेव ।

बुद्धवोहियछउमत्थखीणकसायवीतरागसंजमे दुविहे पणत्ते, त जहा—

पढमसमयबुद्धवोहियछउमत्थखीणकसायवीतरागसंजमे चेव, अपढमसमयबुद्धवोहियछउमत्थखीणकसायवीतरागसंजमे चेव ।

अहवा — चरिमसमयबुद्धवोहियछउमत्थखीणकसायवीतरागसंजमे चेव, अचरिमसमयबुद्धवोहियछउमत्थखीणकसायवीतरागसंजमे चेव ।

केवलिखीणकसायवीतरागसंजमे दुविहे पणत्ते, तं जहा—

सजोगिकेवलिखीणकसायवीतरागसंजमे चेव, अजोगिकेवलिखीणकसायवीतरागसंजमे चेव ।

सजोगिकेवलिखीणकसायवीतरागसंजमे दुविहे पणत्ते, त जहा—

पढमसमयसजोगिकेवलिखीणकसायवीतरागसंजमे चेव, अपढमसमयसजोगिकेवलिखीणकसायवीतरागसंजमे चेव ।

अहवा चरिमसमयसजोगिकेवलिखीणकसायवीतरागसंजमे चेव, अचरिमसमयसजोगिकेवलिखीणकसायवीतरागसंजमे चेव ।

अजोगिकेवलिखीणकसायवीतरागसंजमे दुविहे पणत्ते, तं जहा—

पढमसमयअजोगिकेवलिखीणकसायवीतरागसंजमे चेव, अपढमसमयअजोगिकेवलिखीणकसायवीतरागसंजमे चेव ।

अहवा चरिमसमयअजोगिकेवलिखीणकसायवीतरागसंजमे चेव, अचरिमसमयअजोगिकेवलिखीणकसायवीतरागसंजमे चेव ।

— ठाणं. अ. २, उ. १, सु ६२

अउव्विहे संजमे पणत्ते, त जहा—

(१) मणसंजमे, (२) वइसंजमे,
(३) कायसंजमे, (४) उवगरणसंजमे ।

अउव्विहे चियाए पणत्ते, त जहा—

(१) मणचियाए, (२) वइचियाए,
(३) कायचियाए, (४) उवगरणचियाए ।

अउव्विहा अकिञ्चनता पणत्ता, तं जहा—

(१) मणअकिञ्चनता, (२) वइअकिञ्चनता,

स्वयवुद्ध छद्मस्थक्षीणकपाय वीतराग संयम दो प्रकार का कहा गया है, यथा—

प्रथमसमयस्वयवुद्ध छद्मस्थक्षीणकपाय वीतराग सयम और अप्रथमसमयस्वयवुद्ध—छद्मस्थक्षीणकपाय वीतरागसयम ।

अथवा चरमसमय स्वयवुद्ध छद्मस्थ क्षीणकपाय वीतराग मयम और अचरमसमय स्वयवुद्ध-छद्मस्थक्षीणकपाय वीतराग-सयम ।

बुद्धवोधितछद्मस्थक्षीणकपायवीतरागसयम दो प्रकार का कहा गया है, यथा—

प्रथमसमय बुद्धवोधित छद्मस्थक्षीणकपायवीतरागसयम और अप्रथमसमय बुद्धवोधित छद्मस्थ क्षीणकपाय वीतराग सयम ।

अथवा चरमसमय बुद्धवोधित छद्मस्थक्षीणकपायवीतराग सयम और अचरमसमय बुद्धवोधित छद्मस्थक्षीणकपाय वीतराग सयम ।

केवली—क्षीणकपाय वीतरागसयम दो प्रकार का कहा गया है, यथा—

सयोगीकेवली—क्षीणकपाय वीतरागसयम और अयोगी-केवली—क्षीणकपाय वीतराग सयम ।

सयोगीकेवली क्षीणकपाय वीतराग सयम दो प्रकार का कह गया है, यथा—

प्रथम समय सयोगीकेवली क्षीणकपाय वीतराग सयम और अप्रथम समय सयोगीकेवली क्षीणकपाय वीतरागसयम ।

अथवा चरमसमय सयोगीकेवली क्षीणकपाय वीतरागसयम और अचरमसमय सयोगीकेवली क्षीणकपाय वीतरागसयम ।

अयोगीकेवली क्षीणकपाय वीतरागसंयम दो प्रकार का कहा गया है, यथा—

प्रथमसमय अयोगीकेवली क्षीणकपाय वीतरागसयम और अप्रथमसमय अयोगीकेवली क्षीणकपाय वीतरागसयम ।

अथवा चरमसमय अयोगीकेवली क्षीणकपाय वीतरागसयम और अचरम समय अयोगीकेवली क्षीणकपाय वीतरागसयम ।

सयम के चार प्रकार हैं—

१ मन-सयम, २ वाक्-सयम,
३ काय-सयम, ४ उपकरण-सयम ।

त्याग के चार प्रकार हैं—

१ मन-त्याग, २ वाक्-त्याग,
३ काय-त्याग, ४ उपकरण-त्याग ।

अकिञ्चनता के चार प्रकार हैं—

१ मन-अकिञ्चनता, २ वाक्-अकिञ्चनता,

- (३) कायअकिञ्चनता, (४) उचगरणअकिञ्चनता । ३ काय-अकिञ्चनता, ४ उपकरण-अकिञ्चनता ।
—ठाणं अ ४, उ २, सु ३१० (१-३)

सयमप्यगारा—

६७ सत्तरसविहे सजमे पणत्ते, त जहा—

- (१) पुढवीकायसजमे, (२) आउकायसजमे,
(३) तेउकायसजमे, (४) वाउकायसजमे,
(५) वणस्सइकायसजमे, (६) वेइदियसजमे,
(७) तेइदियसजमे, (८) चउरिदियसजमे,
(९) पचिदियसजमे, (१०) अजीवकायसजमे,
(११) पेहासजमे,
(१२) उपेहासजमे,

(१३) अवहट्टुसजमे,

- (१४) पमज्जणासंजमे, (१५) मणसंजमे,
(१६) वइसजमे, (१७) कायसजमे ।

—सम स १७, सु. १

असंयमप्यगारा—

६८ सत्तरसविहे असजमे पणत्ते, त जहा—

- (१) पुढवीकायअसजमे, (२) आउकायअसजमे,
(३) तेउकायअसजमे, (४) वाउकायअसजमे,
(५) वणस्सइकायअसजमे, (६) वेइदियअसजमे,
(७) तेइदियअसंजमे, (८) चउरिदियअसंजमे,
(९) पचिदियअसजमे, (१०) अजीवकायअसजमे,
(११) पेहाअसजमे, (१२) उपेहाअसजमे,
(१३) अवहट्टुअसजमे, (१४) अप्पमज्जणाअसजमे,
(१५) मणअसजमे, (१६) वइअसजमे,
(१७) कायअसजमे ।

—सम स १७, सु १

चरित्तस्स-पगारा—

६९ पचविहे सजमे पणत्ते, तं जहा—

- (१) सामाइयसजमे, (२) छेदोवट्टावणियसजमे,
(३) परिहारविसुद्धियसंजमे, (४) सुहुमसपरागसजमे,
(५) अहकत्तायचरित्तसजमे ।

—ठाण अ ५, उ २, सु ४२८

समारम्भ-असमारम्भेण सयम असंयमप्यगारा—

७०. एगिदिया णं जीवा असमारभमाणस्स पचविहे सजमे
फज्जति, त जहा—

- (१) पुढविकाइयसजमे, (२) आउकाइयसजमे,

सयम के प्रकार—

६७. सयम सतरह प्रकार के कहे गये हैं, यथा —

- १ पृथ्वीकाय सयम, २ अप्काय सयम,
३ तेजस्काय सयम, ४ वायुकाय सयम,
५ वनस्पतिकाय सयम, ६ द्वीन्द्रिय सयम,
७ त्रीन्द्रिय सयम, ८ चतुरिन्द्रिय सयम,
९ पचेन्द्रिय सयम, १० अजीवकाय संयम,
११ प्रेक्षा मयम—प्रत्येक प्रवृत्ति देवभालकर करना ।
१२ उपेक्षा सयम—अमयम मे प्रवृत्ति करते वाली के प्रति
उपेक्षा भव रखना ।

१३ अपहृत्य मयम—उच्चार प्रस्रवण आदि का विधि से
परिष्ठापन करना ।

- १४ प्रमार्जना संयम, १५ मन सयम,
१६ वचन सयम, १७ काय सयम ।

असयम के प्रकार—

६८. असयम मतरह प्रकार के कहे हैं, जैसे—

- १ पृथ्वीकाय असयम, २ अप्काय असयम,
३ तेजस्काय असयम, ४ वायुकाय असयम,
५ वनस्पतिकाय असंयम, ६ द्वीन्द्रिय असयम,
७ त्रीन्द्रिय असयम, ८ चतुरिन्द्रिय असयम,
९ पचेन्द्रिय असयम, १० अजीवकाय अमयम,
११ प्रेक्षा अमयम, १२ उपेक्षा असयम,
१३ अपहृत्य अनयम, १४ अप्रमार्जना असयम,
१५ मन असयम, १६ वचन असयम,
१७ काय असयम ।

चरित्र के प्रकार—

६९ सयम के पाँच प्रकार है—

- १ सामायिक संयम, २ छेदोपस्थापनीय संयम,
३ परिहारविशुद्धिक सयम, ४ सूक्ष्मसम्पराय सयम,
५ यथाख्यातचरित्र सयम ।

समारम्भ-असमारम्भ से संयम-असयम के प्रकार—

७०. एकैन्द्रिय जीवो का अममारम्भ करता हुआ जीव पाँच प्रकार
का सयम करता है—

१. पृथ्वीकाय सयम, २ अप्काय सयम,

(३) तेजकाइयसजमे, (४) वाउकाइयसजमे,
(५) वणस्सइकाइयसजमे ।
एईंदिया णं जीवा समारभमाणस्स पच्चविहे असंजमे कज्जति,
त जहा —

- (१) पुढविकाइयसजमे, (२) आउकाइयसजमे,
(३) तेजकाइयसजमे, (४) वाउकाइयसजमे,
(५) वणस्सइकाइयसजमे ।

—ठाण. अ ५, उ. २, सु. ४२६

वेईंदियाणं जीवा असमारभमाणस्स चउव्विहे संजमे कज्जति,
तं जहा—

- (१) जिब्भामयातो सोक्खातो अववरोवित्ता भवइ,
(२) जिब्भामएणं दुक्खेण असंजोगेत्ता भवइ,
(३) फासामयातो सोक्खातो अववरोवेत्ता भवइ,
(४) फासामएणं दुक्खेण असंजोगित्ता भवइ ।

वेईंदिया ण जीवा समारभमाणस्स चउव्विहे असजमे कज्जति,
त जहा—

- (१) जिब्भामयातो सोक्खातो ववरोवित्ता भवइ,
(२) जिब्भामएणं दुक्खेण संजोगित्ता भवइ,
(३) फासामयातो सोक्खातो ववरोवेत्ता भवइ
(४) फासामएणं दुक्खेण संजोगित्ता भवइ ।

—ठाणं अ ४, उ. ४, सु ३६८

तेईंदिया णं जीवा असमारभमाणस्स छव्विहे सजमे कज्जति,
त जहा—

- (१) घाणामयातो सोक्खातो अववरोवेत्ता भवइ,
(२) घाणामएणं दुक्खेण असजोगेत्ता भवइ,
(३) जिब्भामयातो सोक्खातो अववरोवेत्ता भवइ,
(४) जिब्भामएणं दुक्खेण असजोगेत्ता भवइ ।
(५) फासामयातो सोक्खातो अववरोवेत्ता भवइ,
(६) फासामएणं दुक्खेण असजोगेत्ता भवइ ।

तेईंदिया ण जीवा समारभमाणस्स छव्विहे असजमे कज्जति,
त जहा —

- (१) घाणामयातो सोक्खातो ववरोवेत्ता भवइ,
(२) घाणामएणं दुक्खेण संजोगेत्ता भवइ,
(३) जिब्भामयातो सोक्खातो ववरोवेत्ता भवइ,
(४) जिब्भामएणं दुक्खेण संजोगेत्ता भवइ,
(५) फासामयातो सोक्खातो ववरोवेत्ता भवइ,
(६) फासामएणं दुक्खेण संजोगेत्ता भवइ ।

—ठाणं अ. ६, सु. ५२१,

चउरिंदिया णं जीवा असमारभमाणस्स अदुव्विधे सजमे
कज्जति, तं जहा—

- ३ तेजस्काय संयम, ४ वायुकाय संयम,
५ वनस्पतिकाय संयम ।

एकेन्द्रिय जीवो का समारम्भ करता हुआ जीव पाँच प्रकार
का असयम करता है—

- १ पृथ्वीकाय असंयम, २ अप्काय असंयम,
३. तेजस्काय असंयम, ४. वायुकाय असंयम,
५. वनस्पतिकाय असंयम ।

द्वीन्द्रिय जीवो का आरम्भ नहीं करने वाले के चार प्रकार
का संयम होता है—

१. रसमय सुख का वियोग नहीं करने से,
२ रसमय दुःख का संयोग नहीं करने से,
३. स्पर्शमय सुख का वियोग नहीं करने से,
४. स्पर्शमय दुःख का संयोग नहीं करने से ।

द्वीन्द्रिय जीवो का आरम्भ करने वाले के चार प्रकार का
असयम होता है—

१. रसमय सुख का वियोग करने से,
२. रसमय दुःख का संयोग करने से,
३ स्पर्शमय सुख का वियोग करने से,
४. स्पर्शमय दुःख का संयोग करने से ।

त्रीन्द्रिय जीवो का आरम्भ न करने वाले के छ प्रकार का
सयम होता है—

- १ घ्राणमय सुख का वियोग नहीं करने से,
२ घ्राणमय दुःख का संयोग नहीं करने से,
३ रसमय सुख का वियोग नहीं करने से,
४. रसमय दुःख का संयोग नहीं करने से,
५. स्पर्शमय सुख का वियोग नहीं करने से,
६. स्पर्शमय दुःख का संयोग नहीं करने से ।

त्रीन्द्रिय जीवो का आरम्भ करने वाले के छ प्रकार का
असयम होता है—

१. घ्राणमय सुख का वियोग करने से,
२ घ्राणमय दुःख का संयोग करने से,
३ रसमय सुख का वियोग करने से,
४. रसमय दुःख का संयोग करने से,
५ स्पर्शमय सुख का वियोग करने से,
६. स्पर्शमय दुःख का संयोग करने से ।

चतुरिन्द्रिय जीवो का आरम्भ नहीं करने वाले के आठ
प्रकार का संयम होता है—

- (१) चक्षुमातो सोक्खातो अववरोवेत्ता भवति,
- (२) चक्षुमएण दुक्खेण असजोएत्ता भवति,
- (३) घाणामातो सोक्खातो अववरोवेत्ता भवति,
- (४) घाणामएण दुक्खेण असजोएत्ता भवति,
- (५) जिन्मामातो सोक्खातो अववरोवेत्ता भवति,
- (६) जिन्मामएण दुक्खेण असजोएत्ता भवति,
- (७) फासामातो सोक्खातो अववरोवेत्ता भवति,
- (८) फासामएण दुक्खेण असजोएत्ता भवति ।

चत्तुरिन्दिया ण जीवा समारभमाणस्स अट्टविधे असजमे
कज्जति, त जहा—

- (१) चक्षुमातो सोक्खातो ववरोवेत्ता भवति,
- (२) चक्षुमएण दुक्खेण संजोगेत्ता भवति,
- (३) घाणामातो सोक्खातो ववरोवेत्ता भवति,
- (४) घाणामएण दुक्खेण संजोगेत्ता भवति,
- (५) जिन्मामातो-सोक्खातो ववरोवेत्ता भवति,
- (६) जिन्मामएण दुक्खेण संजोगेत्ता भवति,
- (७) फासामातो सोक्खातो ववरोवेत्ता भवति,
- (८) फासामएण दुक्खेण संजोगेत्ता भवति ।

—ठाण अ ८, सु ६१५

पच्चिदिया ण जीवा असमारभमाणस्स पच्चविहे सजमे
कज्जति, तं जहा—

- (१) सोत्तिदियसजमे, (२) च्चिख्खदियसजमे,
- (३) घाणिदियसजमे, (४) जिन्मिदियसजमे,
- (५) फासिदियसजमे ।

पच्चिदिया ण जीवा समारभमाणस्स पच्चविहे असजमे कज्जति,
त जहा—

- (१) सोत्तिदियअसजमे, (२) च्चिख्खदियअसजमे,
- (३) घाणिदियअसजमे, (४) जिन्मिदियअसजमे,
- (५) फासिदियअसजमे ।

सत्त्वपाणभूयजीवसत्ता ण असमारभमाणस्स पच्चविहे सजमे
कज्जति, त जहा—

- (१) एगिदियसजमे, (२) वेइदियसजमे,
- (३) तेइदियसजमे, (४) चत्तुरिन्दियसजमे,
- (५) पच्चिदियसजमे ।

सत्त्वपाणभूयजीवसत्ता ण समारभमाणस्स पच्चविहे असजमे
कज्जति, त जहा—

- (१) एगिदियअसजमे, (२) वेइदियअसजमे,
- (३) तेइदियअसजमे, (४) चत्तुरिन्दियअसजमे,
- (५) पच्चिदियअसजमे । —ठाणं अ ५, उ २, सु ४३०

- १ चक्षुमय सुख का वियोग नहीं करने से,
 - २ चक्षुमय दुःख का संयोग नहीं करने से,
 - ३ घ्राणमय सुख का वियोग नहीं करने से,
 - ४ घ्राणमय दुःख का संयोग नहीं करने से,
 - ५ रसमय सुख का वियोग नहीं करने से,
 - ६ रसमय दुःख का संयोग नहीं करने से,
 - ७ स्पर्शमय सुख का वियोग नहीं करने से,
 - ८ स्पर्शमय दुःख का संयोग नहीं करने से,
- चत्तुरिन्द्रिय जीवों का आरम्भ करने वाले के आठ प्रकार

का असयम होता है—

- १ चक्षुमय सुख का वियोग करने से,
- २ चक्षुमय दुःख का संयोग करने से,
- ३ घ्राणमय सुख का वियोग करने से,
- ४ घ्राणमय दुःख का संयोग करने से,
- ५ रसमय सुख का वियोग करने से,
- ६ रसमय दुःख का संयोग करने से,
- ७ स्पर्शमय सुख का वियोग करने से,
- ८ स्पर्शमय दुःख का संयोग करने से ।

पचेन्द्रिय जीवों का असमारम्भ करता हुआ जीव पाँच प्रकार
का संयम करता है—

- १ श्रोत्रेन्द्रिय संयम, २ चक्षुरिन्द्रिय संयम,
- ३ घ्राणेन्द्रिय संयम, ४ जिह्वेन्द्रिय संयम,
- ५ स्पर्शेन्द्रिय संयम ।

पचेन्द्रिय जीवों का समारम्भ करता हुआ जीव पाँच प्रकार
का असयम करता है—

- १ श्रोत्रेन्द्रिय असयम, २ चक्षुरिन्द्रिय असयम
- ३ घ्राणेन्द्रिय असयम, ४ जिह्वेन्द्रिय असयम,
- ५ स्पर्शेन्द्रिय असयम ।

सर्व प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों का असमारम्भ करता हुआ
जीव पाँच प्रकार का संयम करता है—

- १ एकेन्द्रिय संयम, २ द्वीन्द्रिय संयम,
- ३ त्रीन्द्रिय संयम, ४ चत्तुरिन्द्रिय संयम,
- ५ पचेन्द्रिय संयम ।

सर्व प्राण, भूत, जीव और सत्त्वों का समारम्भ करता हुआ
जीव पाँच प्रकार का असयम करता है—

- १ एकेन्द्रिय असयम, २ द्वीन्द्रिय असयम,
- ३ त्रीन्द्रिय असयम, ४ चत्तुरिन्द्रिय असयम,
- ५ पचेन्द्रिय असयम ।

संजम जोगगा जणा—

७१ दो ठाणाइ अपरियाणेतता आया णो केवलेणं संजमेणं संजमेज्जा, त जहा—

(१) आरंभे च्वेव, (२) परिग्गहे च्वेव ।

दो ठाणाइं परियाणेतता आया केवलेणं सजमेण सजमेज्जा, तं जहा—

(१) आरंभे च्वेव, (२) परिग्गहे च्वेव ।

—ठाणं. अ. २, उ. १, सु. ५४-५५

संजमजोगगा जामा—

७२. तओ जामा पणत्ता, तं जहा—

(१) पढमे जामे, (२) मज्झिमे जामे, (३) पच्छिमे जामे ।

तिहिं जामेहिं आया केवलेण संजमेण संजमेज्जा, त जहा—

(१) पढमे जामे, (२) मज्झिमे जामे, (३) पच्छिमे जामे ।

—ठाणं. अ. ३, उ. २, सु. १६३

संजमजोगगा वया—

७३. तओ वया पणत्ता, तं जहा—

(१) पढमे वए, (२) मज्झिमे वए, (३) पच्छिमे वए ।

तिहिं वएहिं आया केवलेण संजमेणं सजमेज्जा, तं जहा—

(१) पढमे वए, (२) मज्झिमे वए, (३) पच्छिमे वए ।

—ठाणं अ. ३, उ. २, सु. १६३

जयणावरणिज्जकम्मखओवसमेण संजमं—

७४ प्र०—असोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खिय-उवासियाए वा केवलेणं संजमेण सजमेज्जा ?

उ०—गोयमा ! असोच्चा ण केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खिय-उवासियाए वा अत्येगइए केवलेण संजमेणं संजमेज्जा, अत्येगइए केवलेणं सजमेण नो संजमेज्जा ।

प्र०—से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चइ—

असोच्चा ण केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खियउवासियाए वा अत्येगइए केवलेणं सजमेणं संजमेज्जा, अत्येगइए केवलेण संजमेण नो सजमेज्जा ?

उ०—गोयमा ! जस्स णं जयणावरणिज्जाण कम्माण^१

संयम योग्य जन—

७१. आरम्भ और परिग्रह—इन दो स्थानों को जाने और छोड़े बिना आत्मा सम्पूर्ण संयम के द्वारा संयत नहीं होता ।

आरम्भ और परिग्रह—इन दो स्थानों को जानकर और छोड़कर आत्मा सम्पूर्ण संयम के द्वारा संयत होता है ।

संयम योग्य प्रहर—

७२. तीन प्रकार के याम (प्रहर) कहे गये हैं—यथा—

(१) प्रथम याम, (२) मध्यम याम, (३) अन्तिम याम ।

तीनों ही यामों में आत्मा विशुद्ध संयम से संयत हो सकता है—यथा —

(१) प्रथम याम में, (२) मध्यम याम में, (३) अन्तिम याम में ।

संयम योग्य वय—

७३ तीन प्रकार के वय कहे गये हैं—यथा—

(१) प्रथम वय, (२) मध्यम वय, (३) अन्तिम वय ।

तीनों ही वयों में आत्मा विशुद्ध संयम से संयत हो सकता है—यथा—

(१) प्रथम वय में, (२) मध्यम वय में, (३) अन्तिम वय में ।

यतनावरणीय कर्मों के क्षयोपशम से संयम—

७४. प्र०—भन्ते ! केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से बिना सुने कोई एक जीव संयम पालन कर सकता है ?

उ०—गौतम ! केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुने बिना कोई जीव संयम पालन कर सकता है और कोई जीव संयम पालन नहीं कर सकता है ।

प्र०—भन्ते ! किम प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है कि—

केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुने बिना कोई जीव संयम पालन कर सकता है और कोई जीव संयम पालन नहीं कर सकता है ?

उ०—गौतम ! जिसके यतनावरणीय कर्मों का क्षयोपशम

१ अयतना प्रमाद से होती है, प्रमाद आश्रव है । यतना अप्रमाद से होती है, अप्रमाद संवर है ।

संवर ही संयम है ।

वीर्यान्तराय के क्षयोपशम से अप्रमत्तता और उमस्से यतना होना निश्चित है ।

यहाँ वीर्यान्तराय के क्षयोपशम को यतनावरणीय कर्म का क्षयोपशम समझना चाहिए ।

खओवसमे कडे भवइ से ण असोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खियउवासियाए वा केवलेण संजमेणं संजमेज्जा ।

जस्स ण जयणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ से ण असोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खियउवासियाए वा केवलेणं सजमेणं नो संजमेज्जा ।

असोच्चा ण केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खियउवासियाए वा अत्येगइए केवलेण संजमेणं सजमेज्जा । अत्येगइए केवलेण सजमेणं नो संजमेज्जा ।

—विद्या. स ६, उ ३१, सु. ६

प०—सोच्चा ण भते ! केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खियउवासियाए वा केवलेण सजमेणं संजमेज्जा ?

उ०—गोयमा ! सोच्चा ण केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खियउवासियाए वा अत्येगइए केवलेण संजमेणं संजमेज्जा, अत्येगइए केवलेण संजमेणं नो संजमेज्जा ।

प०—से केणट्ठेणं भते ! वुच्चइ—

सोच्चा ण केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खियउवासियाए वा अत्येगइए केवलेण सजमेणं संजमेज्जा, अत्येगइए केवलेणं सजमेणं नो संजमेज्जा ?

उ०—गोयमा ! जस्स ण जयणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे कडे भवइ सेण सोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खियउवासियाए वा केवलेण सजमेणं संजमेज्जा ।

जस्स ण जयणावरणिज्जाणं कम्माणं खओवसमे नो कडे भवइ सेण सोच्चा केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खियउवासियाए वा केवलेण सजमेणं नो संजमेज्जा ।

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एव वुच्चइ—

सोच्चा ण केवलिस्स वा-जाव-तप्पक्खियउवासियाए वा अत्येगइए केवलेणं संजमेणं संजमेज्जा । अत्येगइए केवलेणं सजमेणं नो संजमेज्जा ।

—विद्या. स ६, उ. ३१, सु. ३२

हुआ है वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुने बिना संयम पालन कर सकता है ।

जिसके यतनावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुने बिना संयम पालन नहीं कर सकता है ।

गौतम ! इस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है कि—

केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुने बिना कोई एक जीव सयम पालन कर सकता है और कोई एक जीव सयम पालन नहीं कर सकता है ।

प्र०—भन्ते ! केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर कोई जीव सयम पालन कर सकता है ?

उ०—गौतम ! केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर कोई एक जीव सयम पालन कर सकता है और कोई जीव संयम पालन नहीं कर सकता है ।

प्र०—भन्ते ! किस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है कि—केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर कोई जीव सयम पालन कर सकता है और कोई जीव संयम पालन नहीं कर सकता है ?

उ०—गौतम ! जिसके यतनावरणीय कर्मों का क्षयोपशम हुआ है वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर संयम पालन कर सकता है ।

जिसके यतनावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नहीं हुआ है वह केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर सयम पालन नहीं कर सकता है ।

गौतम ! इस प्रयोजन से ऐसा कहा जाता है कि—

केवली से—यावत्—केवली पाक्षिक उपासिका से सुनकर कोई एक जीव सयम पालन कर सकता है और कोई एक जीव संयम पालन नहीं कर सकता है ।



संयमी के लक्षण—४

निर्ग्रन्थ लक्षण—

७५. पंचासवपरिभ्राया, तिगुत्ता छमु सजया ।
पंचनिग्गहणा धीरा, निग्गथा उज्जुदंसिणो ॥

—दश. अ. ३, गा. ११

ते अणवकखमाणा, अणतिवातेमाणा, अपरिग्गहेमाणा, णो
परिग्गहावति सव्वावति च ण लोगसि णिहाय दंडं पाणेहि
पाव कम्मं अकुच्चमाणे एस मह अगंथे वियाहिये ।

ओए जुइमस्स खेत्तण्णे उववाय चयण च णच्चा ।

—आ. सु. १, अ. ८, उ. ३, सु. २०६

अणगार लक्षण—

७६. तं णो करिस्सामि समुट्ठाए मत्ता मत्तिमं,

अभय विदित्ता त जे णो करए एसोवरते, एत्थोवरए एस
अणगारे त्ति पवुच्चति ।

—आ. सु. १, अ. १, उ. ५, सु. ४०

जणाणाए पुट्ठा वि एगे गियट्टन्ति मन्दा मोहेण पाउडा ।

“अपरिग्गहा भविस्सामो” समुट्ठाए लद्धे कामे अभिगाहति ।
अणाणाए मुणिणो पडिलेहति । एत्थ मोहे पुणो पुणो सण्णा,
णो हव्वाए, णो पाराए ।

विमुक्का ह्नु ते जणा, जे जणा पारगामिणो लोभं अलोभेणं
दुग्गुंछमाणे लद्धे कामे णाभिगाहति ।

विणा वि लोभ निक्खम्म, एस अकम्मे जाणति पासति ।

पडिलेहाए णावकखति, एस अणगारे त्ति पवुच्चति ।

—आ. सु. १, अ. २, उ. २, सु. ७०-७१

निर्ग्रन्थ के लक्षण—

७५. पाँच आश्रवो का निरोध करने वाले, तीन गुप्तियों से गुप्त,
छह काया के जीवों के प्रति संयत, पाँचों इन्द्रियों का निग्रह करने
वाले, धीर निर्ग्रन्थ मोक्षमार्गदर्शी होते हैं ।

वे काम-भोगों की आकांक्षा न रखने वाले, प्राणियों के प्राणों
का अतिपात न करते हुए और परिग्रह न रखते हुए समग्र लोक
में अपरिग्रहवान् होते हैं । जो प्राणियों के लिए दण्ड का त्याग
करके पाप-कर्म नहीं करता, उसे ही महान् अग्रन्थ (निर्ग्रन्थ)
कहा गया है ।

वह साधक राग-द्वेष से रहित है, सयम एव मोक्ष का ज्ञाता
है एवं जन्म मरण के स्वरूप को जानकर पाप का आचरण नहीं
करता है ।

अणगार के लक्षण—

७६. मुनि धर्म को स्वीकार कर, जीवों के स्वरूप को जानकर
बुद्धिमान साधक यह सकल्प करे कि “मैं वनस्पतिकाय के जीवों
की हिंसा नहीं करूँगा ।”

“प्रत्येक जीव अभय चाहता है” यह जानकर जो हिंसा
नहीं करता, वही आरंभनिवृत्त कहा जाता है । वही जिनमार्ग
में स्थित है, वही “अणगार” कहलाता है ।

अज्ञान से आवृत, विवेकशून्य कितने ही कायर प्राणी
परीषहों के उपस्थित होने पर वीतराग आज्ञा से विरुद्ध आचरण
करके सयम मार्ग से च्युत हो जाते हैं ।

कई साधु हम “अपरिग्रही बनेंगे” इस तरह का विचार
कर तथा दीक्षा लेकर भी प्राप्त काम-भोगों का सेवन करते हैं ।
वे मुनि वीतराग आज्ञा से बाह्य काम-भोगों की आकांक्षा करते
हैं । वे मोह में वार-वार निमग्न होते हैं, इसलिए वे न तो इस
तीर (गृहवास) पर आ सकते हैं और न उस पार (श्रमणत्व)
जा सकते हैं ।

जो विषयों के दलदल से पारगामी होते हैं, वे वास्तव में
विमुक्त हैं । वे अलोभ (सन्तोष) से लोभ को पराजित करते हुए
काम-भोग प्राप्त होने पर भी उनके सेवन की इच्छा नहीं
करते हैं ।

जो लोभ से निवृत्त प्रव्रज्या लेता है, वह अकर्म होकर सब
कुछ जानता है, देखता है ।

जो हिताहित का विचार कर त्रिपयो की आकांक्षा नहीं
करता है वह “अणगार” कहलाता है ।

से वेमि—से जहा वि अणगारे उज्जुकडे णियागपडिवन्ने
अमाय कुच्चमाणे वियाहिते ।

जाए सद्धाए णिक्खतो तमेव अणुपालिज्जा विजहिता
विसोत्तियं ।

पण्या वीरा महावीहिं ।

—आ. सु १, अ १, उ. ३, सु १६-२१

संजयाण लक्खण—

७७. आयावयति गिम्हेसु हेमन्तेसु अवाउडा ।

वासासु पडिसंलीणा सजया सुसमाहिया ॥

—दस. अ. ३, गा १२

माहणाईणं लक्खणाइं—

७८. ५०—कहं से दत्ते दविए वोमट्टुकाए त्ति वच्चे-माहणे त्ति वा,
समणे त्ति वा, भिक्खू त्ति वा, णिगंथे त्ति वा ? त नो
बुहि महागुणी ! ।

उ०—एवं से दत्ते, दविए, वोसट्टुकाए त्ति वच्चे (१) माहणे
त्ति वा, (२) समणे त्ति वा, (३) भिक्खू त्ति वा,
(४) णिगंथे त्ति वा,

इति विरए सव्वपावकम्मे पेज्ज-दोस-कलह-अभक्खण
पेसुन्न-परपरिवाय अरतिरति-मायामोस-मिच्छादसण-
सल्ल-विरए, समिए, सहिए, सयाजए णो कुज्जे णो
माणी माहणे त्ति वच्चे ।

एत्य वि समणे-अणिस्सिए अणिदाणे, आदाण च,
अतिवार्यं च, मुसावाय च, बहिद्ध च, कोह च, माण
च, मायं च, लोमं च, पेज्जं च, दोस च इच्चेव जओ-
जओ आयाणाओ अप्पणो पदोस हेअं तओ-तओ
आयाणाओ पुच्चं पडिविरए सिआ दत्ते दविए वोसट्टु-
काए समणे त्ति वच्चे ।

‘हे शिष्य !’ अणगार—मुनि का जो वास्तविक स्वरूप है,
वह मैं कहता हूँ । जो प्रबुद्ध पुरुष सयम का परिपालक है, मोक्ष-
मार्ग पर गतिशील है और माया-छल-कपट आदि कपायो का
त्यागी है या निश्चल एव निष्कपट (शुद्ध हृदय वाला है, वही
अणगार—मुनि कहा जाता है ।

जिस श्रद्धा (निष्ठा-वैराग्य भावना) के साथ संयम-मथ पर
कदम बढ़ाया है, उसी श्रद्धा के साथ सयम का पालन करे, सयम
में आने वाली बाधाओ को दूर करते हुए जीवन पर्यन्त सयम का
पालन करे ।

यह संयम मार्ग अनेक वीर पुरुषो द्वारा आसेवित है ।

संयतो के लक्षण—

७७ समाधियुक्त संयत गर्मी में सूर्य की आतापना लेते हैं, सर्दी
में खुले बदन रहते हैं और वर्षा में एक स्थान में रहते हैं ।

माहण आदि के लक्षण—

७८ प्र०—किस प्रकार दमितेन्द्रिय, मोक्षगमन योग्य तथा शरीर
के प्रति ममत्व का व्युत्सर्ग करने वाला माहण, श्रमण, भिक्षु या
निरंन्य कहलाता है ? हे महामुने ! कृपया यह हमें बताइये ।

उ०—इस प्रकार दमितेन्द्रिय मोक्षगमन योग्य तथा शरीर
के प्रति ममत्व त्याग करने वाला (१) माहण, (२) श्रमण,
(३) भिक्षु (४) निरंन्य कहलाता है ।

जो साधक समस्त पापकर्मों से विरत है, जो राग-द्वेष
कलह, मिथ्या-दोषारोपण, चुगली, निन्दा, सयम में अरुचि,
असयम में रुचि (अयवा हर्ष-शोक), कपट युक्त असत्य, मिथ्या-
दर्शन शल्य से विरत होता है, पाँच समितियों से युक्त और
ज्ञान-दर्शन चारित्र्य से सम्पन्न है, सदैव षड्जीवनिकाय की यतना
में तत्पर रहता है, किसी पर क्रोध नहीं करता है, न अभिमान
करता है, इन गुणों से सम्पन्न अणगार “माहण” कहे जाने
योग्य है ।

ये ‘श्रमण’ ऐसे समझे जायें जो अनिश्रित है, निदान रहित
है तथा कर्मबन्ध के कारणभूत प्राणातिपात, मृपावाद, मयुन
और परिग्रह (उपलक्षण से अदत्तादान) से रहित है, तथा क्रोध,
मान, माया, लोभ, राग और द्वेष इत्यादि जो जो कर्मबन्ध के
कारण हो आत्मा के लिए दोष के कारण हैं उन-उन कर्मबन्ध के
कारणों से पहले से ही निवृत्त है वह दमितेन्द्रिय, मोक्षगमन
योग्य तथा शरीर के प्रति ममत्व से रहित ‘श्रमण’ कहे जाने
योग्य है ।

एत्य वि भिक्खू अणुत्तए, नावणए दंते, दविए, वोसट्टकाए, सविद्युणीय विरूवरूवे परीसहोवसग्गे, अज्झप्पजोगसुद्धादाणे, उवट्टिए, ठियप्पा, संखाए पर-दत्तभोई, भिक्खु त्ति वच्चे ।

एत्य वि णिग्गंथे-एगे, एगविऊ, बुद्धे, सच्छिण्णसोए, सुसंजते, सुसमिए, सुसामाइए, आयवायपत्ते, विऊ, दुहतो वि सोयपलिच्छिण्णे, णो पूया-सक्कार लाभट्ठी, धम्मट्ठी, धम्मविऊ, णियागपडिवण्णे, संमिय चरे, दंते, दविए, वोसट्टकाए निग्गंथे त्ति वच्चे ।

से एवमेव जाणह जमह भयंतारो त्ति वेमि ।

—सूय. सु. १, अ. १६, सु. ६३२-६३७

चाई-अचाई लक्खणं—

७६. वत्थगंधमलकारं, इत्थीओ सयणाणि य ।
अच्छंदा जे न भुंजंति, न से “चाइ” त्ति वुच्चइ ॥

जे य कंते पिए भोए, लद्धे वि पिट्टिकुव्वई ।
साहिणे चयइ भोए, से ह्ठु “चाइ” त्ति वुच्चइ ॥

—दस अ. २, गा २-३

सुसाहु लक्खणाइं—

८०. एवं से संजते विमुत्ते निस्संगे निप्परिग्गहर्हई निम्ममे,
निन्नेह-बधणे, सव्वपावविरए ।
वासी-चदण-समाणकप्पे, सम-तिण-मणि-मुत्ता-लेट्ठुकं चणे,
समे य माणावमाणणाए, समियरए, समित्तरागदोसे, समिए
समितीसु, सम्मदिट्ठी । समे य जे सव्वपाण-भूतेसु, से ह्ठु
“समणे” सुयधारए उज्जुए सजए सुसाहु ।

सरणं सव्वभूयणं, सव्वजगवच्छले, सच्चभासगा य
संसारंतट्ठिते य, ससार-समुच्छिन्ने, सततं मरणाणुपारए,
पारगे य सव्वेसि ससयाण ।

ये ‘भिक्षु’ ऐसे समझे जाये जो निराभिमान हो किन्तु हीन भावनाओं से ग्रस्त न हो, दमितेन्द्रिय हो, मोक्षगमन योग्य हो, कायममत्वरहित हो, नाना प्रकार के परीषहो और उपसर्गों को समभावपूर्वक सहने वाला हो, अध्यात्मयोग से जिसका चारित्र शुद्ध हो, जो सच्चारित्र-पालन में उद्यत हो, जिसकी आत्मा शुद्ध भाव में स्थित हो, ससार की असारता जानता हो तथा जो परदत्तभोजी हो वह ‘भिक्षु’ कहे जाने योग्य है ।

ये ‘निर्ग्रन्थ’ ऐसे समझे जाय जो अकेला हो, जो एकवेत्ता हो, जो तत्वज्ञ हो, जिसने आस्रवों को रोक दिया हो, जो सुसयत हो, जो पाँचों समितियों से युक्त हो, सम्यक् समभाव वाला हो, जो आत्म स्वरूप का ज्ञाता हो, जो विद्वान हो, जो द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से इन्द्रियों का संयम करने वाला हो, जो पूजा सत्कार एवं द्रव्यादि के लाभ का अभिलाषी नहीं हो, जो धर्मार्थी और धर्मवेत्ता हो जिसने मोक्षमार्ग को सब प्रकार से स्वीकार कर लिया हो, जो सम्यग् आचरण करने वाला हो, वह दमितेन्द्रिय, मोक्षगमन के योग्य और शरीर के ममत्व से रहित ‘निर्ग्रन्थ’ कहे जाने योग्य है ।

इसे ऐसा ही जानो जो मैंने भगवान से सुना है ।

त्यागी-अत्यागी के लक्षण—

७६. जो व्यक्ति परवश होने से या रोगादिग्रस्त होने से वस्त्र, गन्ध, अलंकार का तथा स्त्रियों का एवं शय्याओं का उपभोग नहीं करता, वह त्यागी नहीं कहलाता है ।

किन्तु जो कान्त और प्रिय भोग उपलब्ध होने पर उनकी ओर से पीठ फेर लेता है अर्थात् स्वेच्छा से भोगों का त्याग करता है वही त्यागी कहलाता है ।

सुसाधु के लक्षण—

८० पूर्वोक्त अपरिग्रहव्रती संयमी साधु धन-धान्यादि का त्यागी आसक्ति रहित, अपरिग्रह में रुचि वाला, ममत्व रहित, स्नेह बन्धन से मुक्त, समस्त पापों से निवृत्त, कुल्हाड़ी से काटे जाने पर या चन्दन से चर्चित करने पर समबुद्धि रखने वाला, तृण, मणि, मुक्ता मिट्टी के ढेले और सोने में समानभाव रखने वाला, सन्मान और अपमान में समता का धारक, पाप कर्म रूपी रज को शान्त करने वाला अथवा राग-द्वेष को शान्त करने वाला, पाँच समितियों से युक्त, सम्यग्दृष्टि और सब जीवों पर समभाव रखने वाला है, वही श्रमण है, श्रुत धारक है, सरल है, सयत है और सुसाधु है ।

वह साधु समस्त प्राणियों के लिए शरणभूत है, समस्त जगद्वर्ती जीवों का हितैषी है, सत्यभाषी है, ससार के किनारे पर स्थित है, भवपरम्परा को नष्ट करने वाला है, निरन्तर होने वाले बाल मरण का पारगामी है और सब संशयों से रहित होगया है ।

पवयणमायाहि अट्टहि अट्टक्म्मगठीविमोयके, अट्टमयमहणे,
ससमयफुसले य भवति, सुहदुक्वनिध्विसेसे ।

अन्धन्तर-वाहिरमि सया तवोवहाणमि य सुदठुजुत्ते, खते,
दते य हियनिरते ।

ईरियासमिए, भासासमिए, एसणासमिए, आयाण-भड-मत्त-
निकखेवणासमिए, उच्चार-पासवण-खेल-सिघाण-जल्ल-परिट्ठा-
वणियासमिए, मणगुत्ते, वयगुत्ते, कायगुत्ते, गुत्तिदिए, गुत्त-
बभयारी ।

चाई, लज्जू, धन्ने, तवस्सी, खतिलमे, जिर्तिदिए, सोहिए,
अणियाणे, अयहिल्लेसे, अममे, अकचणे, छिन्नगथे, निरुध-
लेवे । —पण्ह. सु २, अ ५, सु ६

जवू ! अपरिग्रह-सवुडे य समणे आरभ-परिग्रहाओ विरते,
विरते कोह-माण-माया-लोभा,
एगे असजमे-जाव-तेत्तीसा आसायणा एककाविय करेत्ता
एक्कुत्तारियाए वुड्ढिए तीसाओ-जाव-उ भवे तिगाहिया,
विरतिपणिहीसु अविरतीसु य, एवमाइएसु वहुसु ठाणेसु जिण-
पसत्येसु, अवितहेसु सासयभावेसु अवट्टिएसु सक कख निरा-
परेत्ता सहहए सासण भगवओ अणियाणे अगारवे अलुद्धे
अमूढ-भण-वयण-कायगुत्ते । —पण्ह. सु २, अ ५, सु. १

गासे-नामे एगराय, नगरे-नगरे य पचरायं दुइज्जते य
जिइदिए जितपरीसहे निम्भओ, विऊ सचित्ताचित्त-मीसकेहि
द्वेहि विरागंगते, संचयातो विरए, मुत्ते लहुके, निरवकखे
जीविय-भरणास-विप्पमुक्के, निस्सध निक्खण घरित्ते, धीरे
फाएण फासयते, अज्झप्पज्झाणजुत्ते निहुए, एगे चरेज्ज धम्मा ।
—पण्ह सु. २, अ. ५, सु ११

भिक्षुस्स लक्षणणइ—

८१. निक्खम्ममाणए बुद्धययणे, निच्च चित्तममाहिओ भवेज्जा ।
इत्थीण यसं न पायि गच्छे, चंत नो पडियायइ जे स भिक्षू ।।

जो आठ प्रवचनमाताओ के द्वारा आठ कर्मों की ग्रन्थि को
नष्ट करने वाला है, आठ मदों का मथन करने वाला है और
जो स्वसमय में निष्णात है। वह सुख दुःख दोनों अवस्थाओं में
समान रहता है ।

आभ्यन्तर और बाह्य तप रूप उपधान में सम्यक् प्रकार से
सदा उद्यत रहता है। क्षमावान्, इन्द्रियविजेता, स्व पर हित में
सलग्न रहता है ।

ईर्यासमिति, भापासमिति, एषणासमिति, आदान-भाण्ड-
मात्र-निक्षेपणासमिति और मल-भूत्र-कफ-नासिकामल शरीरमल
आदि के परिष्ठापना समिति से युक्त, मनोगुप्ति, वचनगुप्ति
और कायगुप्ति से युक्त, इन्द्रियों का गोपन करने वाला, ब्रह्मचर्य
की सुरक्षा करने वाला,

समस्त परिग्रह का त्यागी, पाप से लज्जा करने वाला,
धन्य, तपस्वी, क्षमागुण के कारण सहनशील, जितेन्द्रिय, सद्गुणों
से सुशोभित, निदान से रहित, परिणामों को समय परिधि से
बाहर न जाने देने वाला, अभिमानसूचक शब्दों से रहित,
सम्पूर्ण रूप से द्रव्य रहित, स्नेह बन्धन को काटने वाला और
कर्म के उपलेप से रहित होता है ।

हे जम्बू ! अपरिग्रह से संवृत श्रमण आरम्भ परिग्रह से
विरत होता है, क्रोध, मान, माया, लोभ से विरत होता है, एक
प्रकार का असयम—यावत्—तेत्तीस प्रकार की असातना इस
प्रकार एक से लेकर तेत्तीस संख्या तक के स्थानों में हिंसा आदि
आसन्न स्थानों और संयम स्थानों में जो कि जिनेन्द्र भगवान के
द्वारा उपदिष्ट, शाश्वत, अवस्थित भाव हैं उन में शंका कांक्षा
को दूर करके भगवान के शासन में शुद्ध श्रद्धा रखता है।
निदान रहित, गर्व रहित, आसक्ति रहित और मूढता रहित
होकर मन वचन काया को गुप्त रखता है ।

वह अनगार, गाँवों में एक रात्रि और नगरी में पाँच रात्रि
तक निवास करने वाला, जितेन्द्रिय, परीपहो को जीतने वाला,
निर्भय, विद्वान, सचित्त-अचित्त और मिश्र द्रव्यों में वैराग्यवान,
सग्रह से निरत, मुक्त, परिग्रह के भार से हल्का, आकाक्षा रहित
जीवन मरण की आशा से मुक्त, सधि और व्रण रूप दोष से
रहित चारित्र्य वाला, धैर्यवान्, शरीर से चारित्र्य का पालन करने
वाला, सदा अध्यात्म ध्यान से युक्त, उपशान्त, अकेला अर्थात्
रागद्वेष रहित होकर धर्म का आचरण करे ।

भिक्षु के लक्षण—

८१. जो तीर्थंकर के उपदेश से संयम ग्रहण कर सदा प्रसन्नचित्त
वाला होता है, जो स्त्रियों के वशीभूत नहीं होता है, जो त्यक्त
भोगों का पुन सेवन नहीं करता है, वह भिक्षु है ।

पृथ्वी न खणे न खणावए, सीओदग न पिए न पियावए ।
अगणिसत्य जहा सुनिसियं, तं न जले न जलावए जे स भिक्षू ॥

अनिलेण न वीए वीयावए, हरियाणि न छिदे न छिदावए ।
बीयाणि सया विवज्जयतो, सच्चिचं नाहारए जे स भिक्षू ॥

वहणं तस-थावराणं होइ, पुढवितणकट्टनिस्सयाणं ।
तम्हा उहेसिय न भुंजे, नो वि पए न पयावए जे स भिक्षू ॥

रोइय नायपुत्तवयणे, अत्तासमे मन्नेज्ज छप्पि काए ।
पच्च य फासे महव्वयाइ, पंचासवसंवरे जे स भिक्षू ॥

चत्तारि वसे सया कसाए धुवयोगी य ह्वेज्ज बुद्धवयणे ।
अट्टणे निज्जायरूव-रयाए, गिहिजोगं परिवज्जए जे स भिक्षू ॥

सम्मट्ठिटी सया अमूढे, अत्थि हु नाणे तवे सजमे य ।
तवसा धुणइ पुराणपावणं, मणवयकाय सुसवुडे जे स भिक्षू ॥

—दस अ १०, गा. १-७

न य वुग्गहिय कह कहेज्जा, न य कुप्पे निहूइदिए पसंते ।
संजमधुवजोगजुत्ते, उवसते अविहेडए जे स भिक्षू ॥

—दस. अ. १०, गा. १०

उवहिम्मि अमुच्छिण्ण अगिद्धे,
अस्साय-उच्छं पुलनिप्पुलाए ।
कय-विककय-सन्निहिओ विरए,
सव्व-सगावगए य जे स भिक्षू ॥

अलोल भिक्षू न रसेसु गिद्धे,
उच्छं चरे जीविय नाभिकंखे ।
इड्ढि च सक्कारण पूयणं च,
चए ठियप्पा अणिहे जे स भिक्षू ॥

न परं वएज्जासि अय कुसीले,
जेणऽस्सा कुप्पेज्ज न त वएज्जा ।
जाणिय एत्तेय पुण्णपाव,
अत्ताणं न समुक्कसे जे स भिक्षू ॥

—दस. अ. १०, गा १६-१८

जो पृथ्वी का खनन न करता है और न कराता है, जो शीतो-
दक (सचित्त जल) न पीता है और न पिलाता है, सुतीक्ष्ण शस्त्र के
समान अग्नि को न जलाता है और न जलवाता है, वह भिक्षु है ।

जो पखे आदि से हवा न करता है और न कराता है, जो
हरित का छेदन न करता है और न कराता है, जो बीजों के
स्पर्श आदि का सदा विवर्जन करता है, जो सचित्त पदार्थों का
आहार नहीं करता है—वह भिक्षु है ।

भोजन बनाने में पृथ्वी, तृण और काष्ठ के आश्रय में रहने
हुए त्रस स्थावर जीवों का वध होता है, अतः जो औद्देशिक
(अपने निमित्त) का बना हुआ नहीं खाता तथा जो स्वयं न
पकाता है और न दूसरों से पकवाता है—वह भिक्षु है ।

जो ज्ञातपुत्र के वचन में श्रद्धा रखकर छह काय के जीवों को
आत्मा के समान समझता है, पाँच महाव्रतों का पालन करता है
और पाँच आस्रवों का परित्याग करता है—वह भिक्षु है ।

जो चारों कषायों का परित्याग करता है, निर्ग्रन्थ-प्रवचन में
नियमित रूप से प्रवृत्ति करने वाला है, धन-सोना-चाँदी आदि से
रहित है और (क्रय-विक्रय आदि) गृहस्थ के कार्यों का त्यागी
है—वह भिक्षु है ।

जो सम्यक्दर्शी है, सदा अमूढ है, ज्ञान, तप और सयम के
अस्तित्व में आस्थावान् है, जो तप के द्वारा पुराने पापों को नष्ट
कर देता है और मन वचन तथा काया से सुसवृत है—वह
भिक्षु है ।

जो कलहकारी कथा नहीं करता, किसी पर क्रोध नहीं
करता, इन्द्रियों को चंचल नहीं होने देता, सदा प्रशान्त रहता है,
सयम में तीनों योगों को नियमित रूप से जोड़ता है, उपशान्त
है, दूसरों को तिरस्कृत नहीं करता—वह भिक्षु है ।

जो मुनि वस्त्रादि उपधि में ममत्व नहीं रखता है पदार्थों
में आसक्त नहीं होता है, अज्ञात कुलों से थोड़ा-थोड़ा आहार
लेता है, सयम को असार करने वाले दोषों से रहित है, क्रय-
विक्रय और सन्निधि से विरत है, सब प्रकार के कर्म वध के
स्थानों से रहित है—वह भिक्षु है ।

जो भिक्षु अलोलुप है, रसों में गृह्य नहीं है, अज्ञात कुलों से
थोड़ी-थोड़ी भिक्षा लेता है, असयमी जीवन की आकांक्षा नहीं
करता है, ऋद्धि, सत्कार और पूजा की आकांक्षा नहीं रखता है,
स्थितात्मा है, अपनी शक्ति का गोपन नहीं करता है—वह भिक्षु है ।

प्रत्येक व्यक्ति के पुण्य-पाप पृथक्-पृथक् होते हैं—ऐसा जान-
कर जो दूसरे को “यह कुशील है” ऐसा नहीं कहता है और
जिमसे दूसरा कुपित हो ऐसी बात नहीं कहता है, जो अपनी
विशेषताओं पर अहंकार नहीं करता है—वह भिक्षु है ।

पवेयए अज्जपय महामुणी,
 धम्मे ठिओ ठावयई पर पि ।
 निक्खम्म वज्जेज्ज कुसीलालिग,
 न यावि हास कुहए जे स भिक्खू ॥
 न देहवास असुइ असासयं,
 सया चए निच्च हियद्वियप्पा ।
 छिदित्तु जाईमरणस्स वधण,
 उवेइ निक्खू अपुपागमं गइ ॥
 —दस. अ १०, गा २०-२१
 मोण चरिस्सामि समिच्च धम्मां,
 सहिए उज्जुकडे नियाणछिन्ने ।
 सयव जहिज्ज अकामकामे,
 अन्नायएसी परिव्वए स भिक्खू ॥
 राओवरयं चरेज्ज लाढे,
 विरए वेयविपायरक्खिए ।
 पन्ने अमिभूय सच्चदती,
 जे कन्दिह्वि न मुच्छिए स भिक्खू ॥
 अणकोसवहं विइत्तु धीरे
 मुणी चरे लाढे, निच्चमायगुत्ते ।
 अच्चगमणे असपहिदढे,
 जे कसिणं अहियासए स भिक्खू ॥
 पन्त सयणासण भइत्ता,
 सी-उण्ह विविह च दंसमसगं ।
 अच्चगमणे असपहिदढे,
 जे कसिण अहियासए स भिक्खू ॥
 नो सयिकयमिच्छई न पूय,
 नो वि य वन्दणग कुओ पसस ।
 से सजए सुव्वए तवस्सी,
 सहिए आयगवेसए स भिक्खू ॥
 जेण पुण जहाइ जीवियं,
 मोहं वा कसिण नियच्छई ।
 नरनारि पजहे सया तवस्सी,
 न य कोऊहल उवेइ स भिक्खू ॥
 छिन्नं, सरं भोमं, अन्तलियाए,
 सुमिण, तपखणदण्डवत्थुविज्ज ।
 अगधियारं मरस्स विजय,
 जो जिज्जाहि न जोवई स भिक्खू ॥

जो महामुनि शुद्ध धर्म का उपदेश करता है, स्वयं धर्म में स्थित होकर दूसरो को भी धर्म में स्थित करता है, प्रव्रजित होकर कुशील आचार का वर्जन करता है, जो दूसरो को हंसाने के लिए कुतूहलपूर्ण चेष्टा नहीं करता है—वह भिक्षु है ।

अपनी आत्मा को सदा हित में स्थापित रखने वाला भिक्षु अशुचिमय नश्वर देहवास को सदा के लिए त्याग देता है और वह जन्म-मरण के बन्धन को काटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ।

“धर्म को स्वीकार कर मुनि-व्रत का आचरण करूँगा”— जो ऐसा संकल्प करता है, ज्ञानादि से सहित है, जिसका अनुष्ठान सरलता से युक्त है, निदान से रहित है, जो परिचय का त्याग करता है, काम-भोगों की अभिलाषा को छोड़ चुका है अथवा मोक्ष की कामना करने वाला है, अज्ञात कुल में भिक्षा ग्रहण करते हुए विचरण करने वाला है—वह भिक्षु है ।

जो राग से रहित और सदनुष्ठान पूर्वक विचरण करने वाला, असयम से निवृत्त, सिद्धान्त का वेत्ता, आत्मरक्षक, बुद्धिमान हो तथा परीपहो को जीतकर सर्व प्राणियों को अपने समान देखने वाला हो और किसी भी पदार्थ में आसक्त नहीं होता है—वह भिक्षु है ।

जो धीर मुनि आक्रोश और वध आदि परीपहो को अपने कर्मों का फल जानकर शान्त भाव से सहन करता है, नित्य आत्मगुप्त होकर सदनुष्ठानपूर्वक विचरण करता है तथा आकुलता और हर्ष से रहित होकर सब कुछ सहन करता है—वह भिक्षु है ।

साधारण शय्या और आसन आदि प्राप्त होने पर तथा सर्वों गर्भी, डास और मच्छरो का उपसर्ग होने पर भी आकुलता और हर्ष से रहित होकर सब कुछ सहन करता है—वह भिक्षु है ।

जो सत्कार, पूजा और वन्दना की इच्छा नहीं करता और प्रशंसा को भी नहीं चाहता । जो सयत सुव्रती, तपस्वी ज्ञानादि से युक्त है तथा आत्म-नक्षेपक है—वह भिक्षु है ।

जिसके सयोग मात्र से सयम-जीवन छूट जाता है और सम्पूर्ण मोह की प्राप्ति हो जाती है वैसे स्त्री पुरुष की सगति को जो तपस्वी सदा के लिए छोड़ देता है और कौतुहल को प्राप्त नहीं होता है—वह भिक्षु है ।

जो छिन्न विद्या, म्वर विद्या, भूकम्प विद्या, अन्तरिक्ष विद्या, म्यप्न विद्या, नक्षत्र विद्या, दण्ड विद्या, वास्तु विद्या, अग स्फुरण विद्या और शब्द विद्या आदि इन विद्याओं के द्वारा जो आजीविका नहीं करता है—वह भिक्षु है ।

मन्तं मूल विविहं वेज्जचिन्तं,
 वमणविरेयणधूमणेत्तसिणाणं ।
 आउरे सरणं तिगिच्छियं च,
 त परिन्नाय परिव्वए स भिक्खू ॥
 खत्तियगणउग्गरायपुत्ता,
 माहणभोइय विविहा य सिप्पिणो ।
 नो तेसि वयइ सिलोगपूर्यं,
 त परिन्नाय परिव्वए स भिक्खू ॥
 गिहिणो जे पव्वइएण विट्ठा,
 अप्पव्वइएण व संथुया हविज्जा ।
 तेसि इहलोइयफलट्ठा,
 जो संथवं न करेइ स भिक्खू ॥
 सयणासणपाणभोयणं,
 विविहं खाइमं साइमं परेसिं ।
 अदए पडिसेहिए नियण्ठे,
 जे तत्थ न पउस्सई स भिक्खू ॥
 जं किंचि आहारपाणग,
 विविहं खाइमं साइमं परेसिं लद्धं ।
 जो तं तिविहेण नाणुकम्पे,
 मणवयकाय-सुसंबुडे स भिक्खू ॥
 आयामग चेव जवोदणं च,
 सीय च सोवीर जवोदणं च ।
 नो हीलए पिण्डं नीरस तु,
 पन्तकुलाइं परिव्वए स भिक्खू ॥
 सदा विविहा भवन्ति लोए,
 दिव्वा माणुस्सगा तथा तिरिच्छा ।
 भीमा भयभेरवा उराला,
 जो सोच्चा न विहिज्जई स भिक्खू ॥
 वादं विविहं समिच्च लोए,
 सहिए खेयाणुगए य कोवियप्पा ।
 पन्ने अभिभूय सव्वदंसी उवसन्ते,
 अविहेडए स भिक्खू ॥
 असिप्पजोवी अगिहे अमित्ते,
 जिइन्दिए सव्वभो विप्पमुक्के ।
 अणुक्कसाई लद्धअप्पभवली चेच्चा,
 गिहं एगचरे स भिक्खू ॥

—उत्त अ. १५, गा. १-१६

हिरण्ण जायरुव्व च, मणसा वि न पत्थए ।

समलेट्ठुक्कणो भिक्खू, त्रिरए कयविक्रए ॥

—उत्त अ. ३५, गा. १३

जो मन्त्र प्रयोग, जड़ी बूटी प्रयोग अनेक प्रकार की चिकित्सा वमन, विरेचन, धूम्र प्रयोग, मन्त्रित जल से स्नान प्रयोग तथा रोगातुर होने पर स्वजन की शरण व चिकित्सा—इनका परित्याग कर जो संयम मार्ग में विचरण करता है—वह भिक्षु है ।

क्षत्रिय राजा, गणराजा, आरक्षकादि कुल, ब्राह्मण, भोग-कुल के पुत्र, विविध प्रकार के शिल्पी, उनकी जो श्लाघा और पूजा नहीं करता है किन्तु उनका परित्याग कर जो संयम मार्ग में विचरण करता है—वह भिक्षु है ।

जो गृहस्थ प्रव्रजित होने के पश्चात् परिचय में आये हो अथवा गृहस्थ अवस्था के परिचित हो उनके साथ इहलौकिक फल की प्राप्ति के लिए जो परिचय नहीं करता—वह भिक्षु है ।

शयन, आसन, पान, भोजन और विविध प्रकार के खाद्य-स्वाद्य गृहस्थ न दे तथा माँगने पर भी इन्कार हो जाये, उस स्थिति में जो निर्ग्रन्थ प्रद्वेष न करे—वह भिक्षु है ।

गृहस्थो से जो कुछ आहार, पानी और विविध प्रकार के खाद्य-स्वाद्य प्राप्त कर जो मन, वचन, काया से अनुकम्पित न हो अर्थात् विचलित न हो और जो मन, वचन, काया से सुसंवृत रहे—वह भिक्षु है ।

ओसामन, जौ का दलिया, ठण्डा वासी आहार, काजी का पानी, जौ का पानी, ऐसी नीरस भिक्षा की जो निन्दा नहीं करता, अपितु जो सामान्य घरों में भिक्षा के लिए जाता है—वह भिक्षु है ।

लोक में देवता, मनुष्य और तिर्यंचो के अनेक प्रकार के रौद्र, अत्यन्त भयकर और अद्भुत शब्द होते हैं, उन्हें सुनकर जो नहीं डरता है—वह भिक्षु है ।

लोक में विविध प्रकार के वादों को जान कर ज्ञानादि से युक्त होकर संयम का पालन करते हुए जिसे आगम का परम अर्थ प्राप्त हुआ है, जो प्राज्ञ है, परीषहों को जीतने वाला है और सब जीवों को आत्म-तुल्य समझने वाला है, जो उपशान्त और किसी को भी अपमानित न करने वाला है—वह भिक्षु है ।

जो शिल्प-जीवी नहीं होता है, जिसके घर नहीं होता है, जिमके मित्र नहीं होते, जो जितेन्द्रिय होता है, सब प्रकार के परिग्रह से मुक्त होता है, जिसका कपाय बन्द होता है, जो थोड़ा और निस्सार भोजन करता है, जो घर को छोड़ अकेला विचरता है—वह भिक्षु है ।

ऋय और विक्रय से निवृत्त, मिट्टी के ढेले और सोने को समान समझने वाला भिक्षु सोने और चाँदी की मन से भी इच्छा न करे ।

विरया वीरा समुद्रिया, कोहाकायरियाइपोसणा ।

पाणे ण हणति सव्वसो, पावाओ विरयाऽभिणिन्वुडा ॥

—सूय. सु. १, अ २, उ. १, गा १२

सोओदग पडिदुगुछिणो, अपडिण्णस्स लवावसक्किणो ।

सामाहयमाहु तस्स जं, जो गिहिमत्तेऽसणं न भुजइ ॥

—सूय सु १, अ २, उ. २, गा. २०

महेसिणं लक्खणाइं—

८२ परीसहरिऊदता, धुयमोहा जिइदिया ।

सव्वदुक्खप्पहीणट्टा, पक्कमति महेसिणो ॥

—दस अ. ३, गा. १३

मुणीणं लक्खणाइं—

८३. अकरिस्सं च हं, कारवेसु च हं,

करओ यावि समणुण्णे भविस्सामि' ।

एयावति सव्वावति लोगसि,

कम्मसमारंभा परिजाणियव्वा भवति ॥

अपरिणायकम्मे खलु अय पुरिसे, जो इमाओ दिसाओ वा
अणुदिसाओ वा, अणुसचरति, सव्वाओ दिसाओ सव्वाओ
अणुदिसाओ सहेइ, अणैगरूवाओ जोणीओ सधेति, विरूवरूवे
फासे य, पडिसवेदयति ।

तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेदिता ।

इमस्स चेष जीवियस्स,

परिवदण-मायण-पूयणाए,

जाइ-मरण-भोयणाए,

दुक्खपडिग्घायहेउं ।

एतावति सव्वावति लोगंसि कम्मसमारंभा परिजाणियव्वा
भवति ।

जस्सेते लोगंसि कम्मसमारंभा परिण्णाया भवति से ढु मुणी
परिण्णाय-कम्मे त्ति वेमि ।

—आ. सु. १, अ. १, उ १, सु. ४-६

एय से उट्ठिते ठितप्पा अणिहे अचले चले अवहिलेस्से
परिध्वए ।

जो हिंसा आदि से विरत है, क्रोध-माया आदि कपायो का
विदारण करने के कारण वीर है और मोक्षमार्ग में उद्यत है । जो
मन-वचन-काय से सर्वथा प्राणी हिंसा से उपरत है, वे पापो से
रहित मुक्त जीवों के समान ही परिशान्त हैं ।

जो साधु अचित्त जल से धृणा करता है, दुःसकल्प या निदान
नहीं करता है, कर्मबन्धन से दूर रहता है तथा जो गृहस्थ के
वर्तन में भोजन नहीं करता है उसे सर्वज्ञो ने साम्याधिक चारित्र्य-
वान् अर्थात् सयमी कहा है ।

महर्षि के लक्षण—

८२. परीपहरूपी शत्रुओं का दमन करने वाले, अज्ञान का नाश
करने वाले, जितेन्द्रिय, महर्षि सर्व दुःखों के नाश के लिए परा-
क्रम करते हैं ।

मुनियों के लक्षण—

८३ मैंने क्रिया की थी, मैं क्रिया करवाता हूँ, मैं क्रिया करने
वाले का अनुमोदन करूँगा ।

समस्त लोक में कर्मबन्ध के हेतुभूत क्रियाएँ इतनी ही
जाननी चाहिये ।

जो पुरुष क्रियाओं के यथार्थ स्वरूप को भलीभाँति नहीं
जानता है, वह दिशाओं विदिशाओं में परिभ्रमण करता है,
सभी दिशाओं विदिशाओं में कर्मों के साथ जाता है । अनेक
प्रकार की जीवोनियों को प्राप्त होता है । विविध प्रकार के
दुःखों का सवेदन करता है ।

कर्मबन्धन के कारणों के विषय में भगवान् ने यह उपदेश
दिया है कि सासारिक प्राणी—

(१) वर्तमान जीवन निर्वाह के लिए,

(२) प्रशंसा, सम्मान व पूजा के लिए,

(३) जन्म मरण से मुक्त होने के लिए,

(४) दुःख के प्रतिकार के लिए, पाप क्रियाएँ करते हैं ।

समस्त लोक में ये सभी कर्म ममारम्भ जानने योग्य और
त्यागने योग्य होते हैं ।

लोक में ये जो कर्म ममारम्भ हैं इन्हें जो जान लेता है और
त्याग देता है, वह परिज्ञातकर्मी मुनि होता है ।

वह उत्थित, स्थितात्मा, स्नेह रहित, अविचल, चल, अप्य
वमाय को संयम से बाहर न ले जाने वाला मुनि अप्रतिबन्ध
होकर संयम में विचरण करे ।

१ आदि मध्य तथा अन्त की क्रिया में यहाँ नव क्रियाएँ समझनी चाहिए ।

१. मैंने क्रिया की थी,

२. कराई थी,

३. अनुमोदन किया था,

४ मैं क्रिया करता हूँ,

५ कराता हूँ,

६ अनुमोदन करता हूँ,

७ मैं क्रिया करूँगा,

८ कराऊँगा,

९ करने वाले का अनुमोदन करूँगा,

पाँचवीं और तीसरी क्रिया का निर्देश सूत्र में हुआ है ।

सखाय पेसल दिट्टिमं परिणिव्वुडे ।

तम्हा सगं ति पासहा ।

गंथेहि गढिता णरा विसण्णा कामक्कता ।

तम्हा लूहातो णो परिवत्तसेज्जा । जस्सिमे आरभा सत्त्वतो सव्वताए सुपरिण्णाता भवंति जस्सिमे लूसिणो णो परिवत्तसत्ति, से वता कोध च माणं च मायं च लोभ च । एस त्तिउट्टे वियाहिते त्ति वेमि ।

कायस्स वियावाए एस सगामसीसे वियाहिए । से ह्व पारंगमे मुणो ।

अवि हम्ममाणे फलगावतट्टी कालोवणीते कखेज्ज कालं-जाव-सरीरभेदी त्ति वेमि ।

—आचा. सु १, अ ६, उ. ५, सु १६४-१६८

सुत्ता अमुणो मुणिणो सया जागरति ।

लोगसि जाण अहियाय दुक्खं ।

समय लोगस्स जाणित्ता एत्थ सत्थोवरते ।

—आ सु १, अ. ३, उ. १, सु. १०६

जस्सिमे सद्दा य रूवा य गंधा य रसा य फासा य अभिस-मण्णागता भवंति से आतवं णाणवं वेयवं धम्मवं वंभव ।

पण्णाणेहि परिजाणंति लोग, मुणो ति वच्चे धम्मविदु त्ति अंजू आवट्टसोए सगमभिजाणति ।

—आ. सु. १, अ. ३, उ १, सु. १०७

संघि लोगस्स जाणित्ता आयओ वहिया पास ।

तम्हा ण हंता ण विघातए ।

जमिण अण्णमण्णवित्तिगिंछाए पडिलेहाए ण करेति पावं कम्मं किं तत्थ मुणो कारणं सिया ?

—आ सु. १, अ. ३, उ. ३, सु. १२२

अत्तोत्तुए अक्कुहए अमाई,
अपिसुणे यावि अदीणवित्ती ।

नो भावए नो वि य भावियप्पा,
अकोउहल्ले य सया स पुज्जो ॥

वह सम्यग्दृष्टि मुनि पवित्र उत्तम धर्म को सम्यक् रूप से जानकर कषायो को सर्वथा उपशान्त करे ।

इसलिए तुम आसक्ति के विपाक को देखो ।

परिग्रह में गृह्य और उनमें निमग्न बने हुए मनुष्य काम-भोगो से आक्रान्त होते हैं ।

इसलिए मुनि समय से उद्विग्न न हो । जिन आरम्भो से हिंसक वृत्ति वाले मनुष्य उद्विग्न नहीं होते उन आरम्भो को जो मुनि सब प्रकार से सर्वात्मना भलीभाँति त्याग देते हैं । वे ही मुनि क्रोध, मान, माया और लोभ का वमन करने वाले होते हैं । वे ही मुनि ससार-शृंखला को तोड़ने वाले कहलाते हैं ।

शरीर का विताश (मृत्यु) कर्म-संग्राम का अग्रिम मोर्चा कहा गया है । इसमें पराजित नहीं होने वाला मुनि पारगामी होता है ।

मुनि परीपहो से आहत होने पर भी लकड़ी के पाटिये की भाँति स्थिर रहकर मृत्युकाल निकट आने पर समाधिमरण की आकांक्षा करते हुए जब तक शरीर का आत्मा से वियोग न हो तब तक वह मरणकाल की प्रतीक्षा करे ।

अज्ञानी सदा सोये रहते हैं और मुनि निरन्तर जागृत रहते हैं । इस बात की जानो कि लोक में अज्ञान अहित के लिए होता है ।

मुनि सभी आत्माओ को समान जानकर उनकी हिंसा से उपरत रहे ।

जिस पुरुष ने शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श को सम्यक् प्रकार से जानकर उनकी आसक्ति का त्याग कर दिया है वह आत्मवान्, ज्ञानवान्, शास्त्रज्ञ, धर्मवान् और ब्रह्मचारी होता है ।

जो पुरुष अपनी प्रज्ञा से लोक को जानता है, वह मुनि कहलाता है । वह धर्मवेत्ता और ऋजु होता है । वह आसक्ति को ससार भ्रमण का हेतु समझता है ।

साधक धर्म के अवसर को जानकर अपनी आत्मा के समान ही बाह्य जगत के जीवो को देखे । (कि सभी जीवो को सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय है ।) इसलिए किसी भी जीव का हनन न करे और न दूसरो से हनन करवाये ।

जो व्यक्ति परस्पर आशंका भय एवं लज्जा के कारण पाप कर्म नहीं करता है, तो क्या यह भी मुनित्व का कारण है ? अर्थात् नहीं है ।

जो साधु रस लोल्प नहीं होता, इन्द्रजाल आदि के चमत्कार प्रदर्शित नहीं करता, माया नहीं करता, चुगली नहीं करता, दीन भावना से याचना नहीं करता, दूसरो से आत्म-श्लाघा नहीं करवाता, स्वयं भी आत्मश्लाघा नहीं करता और जो कुतूहल नहीं करता, वह पूज्य है ।

गुणेहि साह्र अगुणेहऽसाह्र,
गिण्हाहि साह्र गुणमुंचऽसाह्र ।
वियाणिया अप्पगमप्पएण,
जो रागदोतेहि समो स पुज्जो ॥
तहेव डहर व महल्लग वा,
इत्यो पुमं पव्वइय गिहि वा ।
नो हीलए नो वि य खित्तएज्जा,
यंभं च कोह च चए स पुज्जो ॥
—दस अ ६, उ ३, गा. १०-१२

अमुणी-मुणी सरूवं—

८४. दुक्खसु मुणी अणाणाए, तुच्छए गित्ताति वत्तए ।

एस वीरे पसंसिए अच्चेति लोगसंजोग । एस णाए पवुच्चति ।

जं दुक्ख पवेवितं इह माणवाण तस्स दुक्खस्स कुसला
परिणमुदाहरंति इति कम्म परिण्णाय सन्वसो ।

जे अणण्णदसी से अणण्णारामे, जे अणण्णारामे से, जे अण-
ण्णदंसी । —आ सु १, अ. २, उ. ६, सु. १००-१०१

सजयमणुस्साण सुत्ताणं पच जागरा पण्णत्ता, त जहा—
(१) सद्दा, (२) रुवा, (३) गघा (४) रसा, (५) फासा ।
सजयमणुस्साण जागराणं पच सुत्ता पण्णत्ता, त जहा—
(१) सद्दा, (२) रुवा, (३) गघा, (४) रसा, (५) फासा ।
असजयमणुस्साण सुत्ताण वा जागराण वा जागरा पण्णत्ता,
त जहा—
(१) सद्दा, (२) रुवा, (३) गघा, (४) रसा, (५) फासा ।
—ठाण अ ५, उ २, सु. ४२२

अणत्तवओ अत्तवओयणा —

८५ छठाणा अणत्तवओ अहिताए असुभाए अखमाए अणीसेसाए
अणाणुगामियत्ताए भवति, तं जहा—
(१) परियाए, (२) परियाले, (३) सुते,
(४) तवे, (५) लाभे, (६) पूयासक्कारे ।
छठाणा अत्तवतो हिताए सुभाए समाए णीसेसाए आणुगामि-
यत्ताए भवति, त जहा—
(१) परियाए, (२) परियाले, (३) सुते,
(४) तवे, (५) लाभे, (६) पूयासक्कारे ।
—ठाण. अ. ६, सु. ४६६

मनुष्य गुणो से साधु होता है और अवगुणो से असाधु होता है । इसलिए साधु के गुणो को ग्रहण करना चाहिए और अव-
गुणो को छोड़ देना चाहिए । अपनी ज्ञान-आत्मा के द्वारा आत्मा को बोधित कर जो राग-द्वेष में समभाव रखता है, वह पूज्य है ।

जो साधु बालक या वृद्ध की, स्त्री या पुरुष की, साधु या गृहस्थ की हीलना विसना नहीं करता है, गर्व और क्रोध का त्याग करता है, वह पूज्य है ।

अमुनि तथा मुनि का स्वरूप—

८४. जो मुनि वीतराग की आज्ञा का पालन नहीं करता वह समय-धन से रहित होता है, वह चारित्र्य से तुच्छ (हीन) होने के कारण धर्म का कथन करने में लज्जा का अनुभव करता है ।

वही वीर पुरुष सर्वत्र प्रशंसा प्राप्त करता है जो लोक संयोग से दूर हट जाता है वही नायक (अन्य को मोक्ष की ओर ले जाने वाला) कहलाता है ।

इस संसार में मनुष्यों के जो दुःख बताये हैं, कुशल पुरुष उन दुःखों से मुक्त होने का मार्ग बताते हैं कि सब प्रकार के कर्म बन्ध के कारणों को जानकर उनका त्याग करना चाहिये ।

जो स्वयं की आत्मा को देखता है, वह आत्मा में रमण करता है । जो आत्मा में रमण करता है, वह अपनी आत्मा को देखता है ।

सयत मनुष्य सुप्त होते हैं तब उनके पाँच जाग्रत होते हैं—
(१) शब्द, (२) रूप, (३) गन्ध, (४) रस, (५) स्पर्श ।
सयत मनुष्य जाग्रत होते हैं तब उनके पाँच सुप्त होते हैं—
(१) शब्द, (२) रूप, (३) गन्ध, (४) रस, (५) स्पर्श ।
असंयत मनुष्य सुप्त हो या जाग्रत फिर भी उनके पाँच जाग्रत होते हैं—

(१) शब्द, (२) रूप, (३) गन्ध, (४) रस, (५) स्पर्श ।

अनात्मवान और आत्मवान—

८५ अनात्मवान के लिए छह स्थान—अहित, अणुभ, असम, अनि-श्रेयस तथा अनानुगामिकता (अशुभ अनुबन्ध) के हेतु होते हैं—
(१) पर्याय—अवस्था या दीक्षा में बड़ा होना, (२) परिवार
(३) श्रुत, (४) तप, (५) लाभ, (६) पूजा-सत्कार ।
आत्मवान के लिए छह स्थान हित, शुभ, क्षम, नि-श्रेयस तथा आनुगामिकता के हेतु होते हैं—

(१) पर्याय, (२) परिवार, (३) श्रुत,
(४) तप, (५) लाभ, (६) पूजा-सत्कार ।

अणगार गुणा—

८६ सत्तावीस अणगारगुणा पणत्ता, तं जहा—

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| (१) पाणातिवातवेरमणे, | (२) मुसावाए वेरमणे, |
| (३) अदिण्णादाण वेरमणे, | (४) मेहुण वेरमणे, |
| (५) परिग्गह वेरमणे, | (६) सोइदिय निग्गहे, |
| (७) च्चिक्खिदियनिग्गहे, | (८) घाणिदिय निग्गहे, |
| (९) जिब्भिमदियनिग्गहे, | (१०) फासिदिय निग्गहे, |
| (११) कोहविवेगे, | (१२) माणधिवेगे, |
| (१३) मायाविवेगे, | (१४) लोभ विवेगे, |
| (१५) भावसच्चे, | |
| (१६) करण सच्चे, | |
| (१७) जोगसच्चे | |
| (१८) खमा, | (१९) विरागता, |
| (२०) मणसमाहरणता, | |
| (२१) वइसमाहरणता, | (२२) कायसमाहरणता, |
| (२३) णाणसंपणया, | (२४) दंसण सपणया, |
| (२५) चरित्तसपणया, | (२६) वेयणअहियासयणया, |
| (२७) मारणंतियअहियासयणया । | — सम. सम. २७, सु. १ |

मडाई णियंठ सरूवं—

८७ प०—मडाई णं भंते ! नियंठे णो निरुद्धभवे, णो निरुद्ध-
भवपवचे, णो पहीणससारे, णो पहीणसंसारवेअणिज्जे,
णो वोच्छिन्नसंसारे, णो वोच्छिन्नसंसारवेअणिज्जे, नो
निट्ठियट्ठे, नो निट्ठियट्ठकरणिज्जे पुणरवि इत्तत्थ हव्व
आगच्छइ ?

उ०—हता गोयमा ! मडाई णं नियंठे-जाव-पुणरवि इत्तत्थं
हव्वं आगच्छइ । —वि स. २, उ १, सु. ८-९

प०—से णं भते ! किं त्ति वत्तव्वं सिया ?

उ०—गोयमा ! “पाणे” त्ति वत्तव्वं सिया,

“भूए” त्ति वत्तव्वं सिया,

“जीवे” त्ति वत्तव्वं सिया,

“सत्ते” त्ति वत्तव्वं सिया,

“विण्णू” त्ति वत्तव्वं सिया,

“वेदे” त्ति वत्तव्वं सिया,

पाणे, भूए, जीवे, सत्ते, विण्णू वेदे नि वत्तव्वं सिया !

प० - से केणट्ठेण भते ! पाणे त्ति वत्तव्वं सिया-जाव-वेदे
त्ति वत्तव्वं सिया ?

अणगार के गुण—

८६. मुनि के सत्ताईस गुण कहे गये हैं, यथा—

- | | |
|--|------------------------------|
| (१) प्राणातिपात विरमण, | (२) मृषावाद विरमण, |
| (३) अदत्तादान विरमण, | (४) मैथुन विरमण, |
| (५) परिग्रह विरमण, | (६) श्रोत्रेन्द्रिय निग्रह, |
| (७) चक्षुइन्द्रिय निग्रह, | (८) घ्राणेन्द्रिय निग्रह, |
| (९) रसनेन्द्रिय निग्रह, | (१०) स्पर्शनेन्द्रिय निग्रह, |
| (११) क्रोध विवेक, | (१२) मान विवेक, |
| (१३) माया विवेक, | (१४) लोभ विवेक, |
| (१५) भाव सत्य (अन्तरात्मा की पवित्रता), | |
| (१६) करण सत्य (क्रिया को सम्यक् प्रकार से करना) | |
| (१७) योग सत्य (मन, वचन, काया का सम्यक् प्रवर्तन) | |
| (१८) क्षमा, | (१९) वैराग्य, |
| (२०) मन समाहरण (मन का सकोचन) | |
| (२१) वचन समाहरण, | (२२) काय समाहरण, |
| (२३) ज्ञान सम्पन्नता, | (२४) दर्शन सम्पन्नता, |
| (२५) चारित्र सम्पन्नता, | (२६) वेदना सहन करना, |
| (२७) मारणान्तिक कष्ट सहन करना । | |

मृतादि निर्ग्रन्थ का स्वरूप—

८७. प्र०—भगवन् ! जिसने ससार का निरोध नहीं किया है,
ससार के प्रपञ्चो का निरोध नहीं किया है, ससार को क्षीण नहीं
किया है, ससार वेदनीय कर्म को क्षीण नहीं किया है, जिसका
संसार व्युच्छिन्न नहीं हुआ है, संसार वेदनीय कर्म व्युच्छिन्न
नहीं हुआ है, जिसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ है, जिसका
कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, ऐसा प्रासुक आहार करने वाला अनगार
क्या पुन शीघ्र मनुष्यभव आदि भावो को प्राप्त करता है ?

उ०—हाँ गौतम ! ऐसा प्रासुक भोजी अनगार—यावत्—
पुन शीघ्र मनुष्यभव आदि भावो को प्राप्त करता है ।

प्र०—भन्ते ! उसे किस शब्द से कहा जाये ?

उ०—गौतम ! वह “प्राण” ऐसा कहा जा सकता है,

“भूत” ऐसा कहा जा सकता है,

“जीव” ऐसा कहा जा सकता है,

“सत्व” ऐसा कहा जा सकता है,

“विज्ञ” ऐसा कहा जा सकता है,

“वेद” ऐसा कहा जा सकता है,

तथा एक साथ प्राण, भूत, जीव, सत्व, विज्ञ और वेद भी
कहा जा सकता है ।

प्र०—भन्ते ! किस कारण से उसे प्राण—यावत्—वेद
कहा जा सकता है ?

उ०—गोयमा ! जम्हा आणमइ वा पाणमइ वा, उत्ससइ वा, णीससइ वा, तम्हा “पाणे” त्ति वत्तव्व सिया,

जम्हा भूते, भवति, भविस्मति य तम्हा ‘भूए’ त्ति वत्तव्व सिया,

जम्हा जीवे जीवति, जीवत्त आउय च कम्म उव-जीवति, तम्हा “जीवे” त्ति वत्तव्व सिया,

जम्हा सत्ते सुमासुमेहिं कम्मोहिं तम्हा “सत्ते” त्ति वत्तव्वं सिया,

जम्हा तित्त-कडुय-कसायविल-महुरे रसे जाणइ तम्हा ‘विन्नु’ त्ति वत्तव्वं सिया ।

जम्हा वेदेइ य सुह-डुक्ख तम्हा ‘वेदे’ त्ति वत्तव्व सिया,

से तेणट्ठेण गोयमा ! ‘पाणे’ त्ति वत्तव्व सिया -जाव-वेदे त्ति वत्तव्वं सिया ।

प०—मडाई णं भते ! नियठे निरुद्धभवे, निरुद्धभवपवचे -जाव-निट्ठिअट्ठकरणिज्जे णो पुणरवि इत्तय हव्व आगच्छइ ?

उ०—हता गोयमा ! मडाई णं नियठे-जाव-नो पुणरवि इत्तय हव्व आगच्छइ ।

प०—से ण भते ! किं वत्तव्व सिया ?

उ०—गोयमा ! “सिद्धे” त्ति वत्तव्व सिया,
“बुद्धे” त्ति वत्तव्व सिया,
“मुक्ते” त्ति वत्तव्व सिया,

“पारगए” त्ति वत्तव्व सिया, “परम्परगए” त्ति वत्तव्वं सिया, सिद्धे, बुद्धे, मुक्ते, परिनिव्वुडे, अतफडे, सव्वदुक्ख-पहीणे त्ति वत्तव्व सिया, —वि. स २, उ. १, सु ८-९

निर्गन्थाणं पसत्थ लखणा—

८८ प०—से नूण भते ! लाघविय अप्पिच्छा [अमुच्छा अगेही अपडिवद्धया समणाण निग्गन्थाण पसत्थ ?

उ०—हता, गोयमा ! लाघविय-जाव-अपडिवद्धया समणाण निग्गन्थाण पसत्थं ।

प०—से नूण भते ! अकोहत्त अमाणत्तं अमायत्त अलोभत्त समणाण निग्गन्थाण पसत्थं ?

उ०—हता, गोयमा ! अकोहत्तं-जाव-अलोभत्त समणाण निग्गन्थाणं पसत्थं ।

प०—से नूणं भते ! कत्ता-पदोसे खीणे समणे निग्गये अंत-करे भवति, अंतिममरीरिए वा, चहुमोटे वि य ण

उ०—गौतम ! क्योकि वह बाह्य और आभ्यन्तर श्वासोच्छ्वास लेता है और छोड़ता है इस कारण “प्राण” कहा जा सकता है ।

वह भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा, इस कारण “भूत” कहा जा सकता है ।

वह जीता है तथा जीवत्व का और आयुक्रम वा अनुभव करता है, अतएव “जीव” कहा जा सकता है ।

वह शुभ अशुभ कर्मों से सम्बद्ध है, अत “सत्त्व” कहा जा सकता है ।

वह तीखा, कड़वा, कपिला, खट्टा और मीठा इन रसों को जानता है, अत वह “विज्ञ” कहा जा सकता है ।

वह सुख दुःख का वेदन करता है अत वह “वेद” कहा जा सकता है ।

इस कारण से गौतम ! उसे ‘प्राण’—यावत् - ‘वेद’ कहा जा सकता है ।

प्रा०—भन्ते ! जो प्रासुक भोजी अनगार ससार का निरोध कर चुका है, भवप्रपच का निरोध कर चुका है—यावत्—जिसका कार्य पूर्ण हो चुका है, वह पुन मनुष्यत्व आदि भावों को प्राप्त नहीं करता है ?

उ०—गौतम ! ऐसा प्रासुक भोजी अनगार—यावत्—पुन मनुष्यत्व आदि भावों को प्राप्त नहीं करता ।

प्र०—भन्ते ! उसे किस शब्द से कहना चाहिए ?

उ०—गौतम ! उसे “सिद्ध” कहा जा सकता है,

“बुद्ध” कहा जा सकता है,

“मुक्त” कहा जा सकता है, ससार के पार पहुँचा हुआ कहा जा सकता है,

अनुक्रम से ससार के पार पहुँचा हुआ कहा जा सकता है तथा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिवृत्त, अन्तकृत और सब दुःखों का नाश करने वाला कहा जा सकता है ।

निर्ग्रन्थों के प्रशस्त लक्षण—

८८ भगवन् ! क्या लाघव, अल्प इच्छा, अमूर्च्छा, अनामक्ति और अप्रतिवद्धता, ये श्रमण निर्ग्रन्थों के लिए प्रशस्त है ?

उ०—हां गौतम ! लाघव—यावत्—अप्रतिवद्धता ये श्रमण निर्ग्रन्थों के लिए प्रशस्त हैं ।

प्र०—भगवन् ! क्रोधरहितता, मानरहितता, मायारहितता और अलोभत्व, क्या ये श्रमण निर्ग्रन्थों के लिए प्रशस्त हैं ?

उ०—हां गौतम ! क्रोधरहितता—यावत्—अलोभत्व, ये नव श्रमण निर्ग्रन्थों के लिए प्रशस्त हैं ।

प्र०—भगवन् ! क्या काक्षाप्रदोष क्षीण होने पर श्रमण-निर्ग्रन्थ अन्तपर अथवा अन्तिम शरीरी (चरम) होता है ? अथवा

पूर्व्व विहरित्ता अह पच्छा संवुडे कालं करेति तओ
पच्छा सिज्जति-जाव-अंतं करेइ ?

उ०—हता, गोयमा ! कंखा-पदोसे खीणे-जाव-सव्व दुक्खाण-
मन्त करेति । —विया. स १, उ. ६. सु. १६-१६

पूर्व्वविस्था मे बहुत मोहवाला होकर विहरण करे और फिर
संवरयुक्त होकर मृत्यु प्राप्त करे, तो क्या तत्पश्चात् वह सिद्ध,
बुद्ध, मुक्त होता है—यावत्—सब दुखों का अन्त करता है ?

उ०—हाँ गौतम ! काक्षाप्रदोष नष्ट हो जाने पर—यावत्—
सब दुखों का अन्त करता है ।



संयमी की विभिन्न उपमाएँ—५

समणोवमाओ—

८६ एवं से संजए विमुत्ते निस्संगे-जाव-निरुवलेवे,

१. सुविमलवर-कंसभायणं व मुक्कतोए,

२ संखे विव निरंजणे विगय-राग-दोस-मोहे ।

३ कुम्मे इव इंदिएसु गुत्ते ।

४ जच्चकचणं व जायह्वे ।

५ पोक्खरपत्त व निरुवलेवे ।

६ चन्दे इव सोमभावयाए ।

७ सूरौव्व दित्ततेए ।

८. अचले जह मन्दरे गिरिवरे ।

९. अक्खोभे सागरोव्व थिमिए ।

१०. पुढवी व सव्वफास-विसहे ।

११ तवसा वि व भासरासिछन्निव्वजात्तेए ।

१२. जलियहुयासणे विव तेयसा जलंते ।

१३. गोसीसच्चदण पि व सीयले सुगघे य ।

१४. हरय इव समियभावे ।

१५. उग्घसियसुनिम्मल आयंसमंडलतल व पागडभावेणं सुद्ध-
भावे ।

१६. कु जरोव्व सोंडीरे ।

१७. वसभे व्व जायथामे ।

१८. सीहे व जहा भिगाहिवे होति डुप्पघरिसे ।

१९. सारयसलिलं व सुद्धहियए ।

श्रमण की उपमायें—

८६. इस प्रकार वह (अपरिग्रही सयमी) साधु धन आदि के लोभ
से मुक्त, आसक्ति रहित—यावत्—कर्म या आसक्ति के लेप से
रहित,

(१) निर्मल उत्तम कास्य भाजन के समान स्नेह बन्धन
से रहित ।

(२) शख के समान शुद्ध अर्थात् राग-द्वेष और मोह से रहित ।

(३) कछुए के समान गुप्तेन्द्रिय ।

(४) उत्तम स्वर्ण के समान शुद्ध अर्थात् दोष रहित ।

(५) कमल के पत्ते के सदृश निर्लेप ।

(६) चन्द्रमा के समान सौम्य स्वभाव वाला ।

(७) सूर्य के समान देदीप्यमान तेज वाला !

(८) परीषह होने पर मन्दर पर्वत के समान अचल ।

(९) सागर के समान क्षोभरहित एवं स्थिर ।

(१०) पृथ्वी के समान समस्त अनुकूल एवं प्रतिकूल स्पर्शा
को सहन करने वाला ।

(११) भस्म राशि से आच्छादित अग्नि के समान तप तेज
वाला ।

(१२) प्रज्वलित अग्नि के सदृश तेजस्विता से दैदीप्यमान ।

(१३) गोशीर्ष चन्दन की तरह शीतल और शील के सौरभ
से युक्त ।

(१४) सरोवर के समान प्रशान्त स्वभाव वाला ।

(१५) घिस कर चमकाए हुए निर्मल दर्पण तल के समान
स्वच्छ एवं प्रकट भाव वाला ।

(१६) गजराज की तरह शूरवीर ।

(१७) वृषभ की तरह अगीकृत व्रत भार का निर्वाह करने
वाला ।

(१८) मृगाधिपति सिंह के समान परीषहादि से अजेय ।

(१९) शरत्कालीन जल के सदृश स्वच्छ हृदय वाला ।

२०. भारटे चैव अप्पमत्ते । (२०) भारण्ड पक्षी के समान अप्रमत्त ।
 २१. खग्गिक्खिमाण य एगजाते । (२१) गेंडें के सीग के समान अकेला ।
 २२. साणु चैव उट्ठकाए । (२२) स्याणु (ठूठ) की भाँति कायोत्सर्ग मे स्थित ।
 २३. मुत्तागारे द्दव अप्पिकम्मे । (२३) शून्य गृह के समान शारीरिक साज सज्जा से रहित ।
 २४. मुत्तागारावणस्सतो निवाय - सरण - प्पदीप-ज्झाणमिव निप्पकपे । (२४) वायुरहित शून्य घर मे स्थित प्रदीप की तरह ध्यान मे निश्चल ।
 २५. जहा खुरो चैव एगधारे । (२५) छुरे की तरह धार वाला, अर्थात् एक उत्सर्गमार्ग मे ही प्रवृत्ति करने वाला ।
 २६. जहा अही चैव एगदिट्ठी । (२६) सर्प के समान एकाग्र (भोक्ष) दृष्टि वाला ।
 २७. आगासा चैव निरालम्बे । (२७) आकाश के समान किसी का सहारा न लेने वाला ।
 २८. विहग विव सच्चओ विप्पमुक्के । (२८) पक्षी के सदृश पूर्ण निष्परिग्रही ।
 २९. कयपरनिए जह चैव उरए । (२९) सर्प के समान दूसरो के लिए निर्मित स्थान मे रहने वाला ।
 ३०. अप्पिद्वद्धे अनिलोद्व । (३०) वायु के समान प्रतिबन्ध से मुक्त ।
 ३१. जीवो द्दव अप्पिद्वह्यगतो ।^१—प सु. २, अ ५, सु. १० (३१) जीव के समान अत्रिहित (विरोकटोक) गति वाला ।

१ (क) से जहानामए अणगारा भगवतो इरियासमिता-जाव-निरुवलेवा,

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| १. कसपाई व मुक्कतोया, | २. सखो इव णिरगणा |
| ३. जीवो इव अप्पिद्वह्यगती, | ४. गगणतल पि व निरालवणा, |
| ५. वायुरिव अप्पिद्वद्धा, | ६. सारदसलिलं व सुद्धहियया, |
| ७. पुक्खरपत्त व निरुवलेवा, | ८. कुम्भो इव गुत्तिदिया, |
| ९. विहग इव विप्पमुक्का, | १०. खग्गविसाण व एगजाया, |
| ११. भारण्डपक्खी व अप्पमत्ता, | १२. कुजरो इव सोडीरा, |
| १३. वसभो इव जातत्यामा, | १४. सीहो इव दुद्धरिसा, |
| १५. मन्दरो इव अप्पकपा, | १६. सागरो इव गभीरा, |
| १७. चंदो इव सोमलेसा, | १८. सूरो इव दित्ततेया, |
| १९. जच्चकणग व जातरूवा, | २०. वसुन्धरा इव सव्वफासविसहा, |
| २१. सुहुतद्वयामणो विव तेयमा जलता । | |

—सूय० सू० २, अ० २, सु० ७१४

(ख) मे जहानामए अणगारा भवति इरियाममिया-जाव-निरुवलेवा,

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| १. कमपाई व मुक्कतोया, | २. सख इव निरगणा, |
| ३. जीवो इव अप्पिद्वह्यगती, | ४. जच्चकणग पिव जायरूवा, |
| ५. आदरिसफलगा इव पागडभावा, | ६. कुम्भो इव गुत्तिदिया, |
| ७. पुक्खरपत्त व निरुवलेवा, | ८. गगणमिव निरालवणा, |
| ९. अणिलो इव निरालया, | १०. चंदो इव सोमलेसा, |
| ११. नूरो उव दित्ततेया, | १२. सागरो इव गभीरा, |
| १३. विहग इव सच्चओ विप्पमुक्का, | १४. मन्दरो इव अप्पकपा, |
| १५. माग्गिसनिनं इव सुद्धहियया, | १६. खग्गविसाण इव एगजाया, |
| १७. भारण्डपक्खी व अप्पमत्तो, | १८. कुजरो इव सोडीरा, |
| १९. वसभो उव जायत्यामा, | २०. सीहो इव दुद्धरिसा, |
| २१. वसुन्धरा इव मव्वफासविसहा, | २२. सुहुतद्वयामणो इव तेयमा जलता । |

(ग) उय० सु० २७

—उय० सु० १२६

(टिप्पण पृष्ठ ३२ से चालू)

तीनों आगमों में प्ररूपित इन उपमाओं के सख्या भेद और क्रम की तालिका—

प्रश्नव्याकरण सूत्र (३१)	सूत्रकृतांग सूत्र (२१)	औपपातिक सूत्र (२२)
१. कास्य पात्र	१ कास्य पात्र	१ कास्य पात्र
२. शंख	२ शख	२ शख
३. कूर्म	८ कूर्म	६ कूर्म
४. कनक	१६ कनक	४ कनक
५. पद्मपत्र	७ पद्मपत्र	७ पद्मपत्र
६. चन्द्र	१७ चन्द्र	१४ चन्द्र
७. सूर्य	१८ सूर्य	११ सूर्य
८. मदर पर्वत	१५ मदर पर्वत	१४ मदर पर्वत
९. सागर	१६ सागर	१२ सागर
१०. पृथ्वी	२० पृथ्वी	२१ पृथ्वी
११. भस्माच्छादित अग्नि	—	—
१२. प्रज्वलित अग्नि	२१ प्रज्वलित अग्नि	२२ प्रज्वलित अग्नि
१३. चन्दन	—	—
१४. हृद (सरोवर)	—	—
१५. दर्पण	—	५ दर्पण
१६. कुंजर	१२ कुंजर	१८ कुंजर
१७. वृषभ	१३ वृषभ	१९ वृषभ
१८. सिंह	१४ सिंह	२० सिंह
१९. शारद सलिल	६ शारद सलिल	१५ शारद सलिल
२०. भारंड पक्षी	११ भारंड पक्षी	१७ भारंड पक्षी
२१. गेंडा	१० गेंडा	१६ गेंडा
२२. स्थाणु	—	—
२३. शून्यागार	—	—
२४. दीपक	—	—
२५. क्षुर (उस्तरा)	—	—
२६. सर्प	—	—
२७. गगन	४ गगन	८ गगन
२८. विहग	६ विहग	१३ विहग
२९. उरग (सर्प)	—	—
३०. वायु	५ वायु	९ वायु
३१. जीव	३ जीव	३ जीव



सूरियसरिसो महेसी —

६० सद्भाणनाणोवगए महेसी, अणुत्तरं चरिउ धम्मसचय ।
अणुत्तरनाणघरे जसंसी, आभासई सूरिए वऽन्तलिषे ॥

—उत्त. अ. ६१, गा. २३

पक्षी विव लघुभूयविहारी—

६१ भोगे भोच्चा वमिन्ता य, लघुभूयविहारिणो ।
आमोयमाणा गच्छन्ति, दिया कामकमा इव ॥

—उत्त अ १४, गा. ४४

विहग इव अपडिवद्ध विहारी—

६२ इयरो वि गुणसमिद्धो, तिगुत्तिगुत्तो तिदडविरओ य ।
विहग इव विप्पमुक्को, विहरइ वसुह विगयमोहो ॥

—उत्त अ, २०, गा. ६०

कुजर इव धीरो—

६३ परीसहा दुव्विसहा अणगे, सीयन्ति जत्या वहुकायरा नरा ।
से तत्य पत्ते न वहेज्ज भिक्खू, संगामसीसे इव नागराया ॥

—उत्त अ २१, गा. १७

मेरु इव अकम्पो—

६४ पहाय राग च तहेव दोस, मोह च भिक्खू सयय वियक्खणो ।
मेरुव्व चाएण अकपमाणो, परीसहे आयगुत्ते सहेज्जा ॥

—उत्त. अ २१, गा. १६

वसह इव ससार कंतार पारगामी—

६५ वहणे वहमाणस्स, कन्तारं अइवत्तई ।
जोए वहमाणस्स, ससारो अइवत्तई ॥^१

—उत्त. अ. २७, गा. २

सूर्य सहस्र महर्षि—

६०. अनुत्तर चारित्र धर्म का आचरण करने वाला, सम्यग्ज्ञान से युक्त तथा अनुत्तर ज्ञानधारी, यशस्वी, महर्षि, अन्तरिक्ष में सूर्य की भाँति धर्म-सध में प्रकाशमान होता है ।

पक्षी की तरह लघु-भूत विहारी—

६१ जो भोगों को भोगकर तथा यथावसर उनका त्याग करके लघुभूत होकर विचरण करते हैं । वे अपनी इच्छानुसार विचरण करने वाले पक्षियों की तरह साधुचर्या में प्रसन्नतापूर्वक विचरण करते हैं ।

पक्षीवत् अप्रतिबन्धविहारी—

६२ गुणों से समृद्ध तीन गुणियों में गुप्त, तीन दण्डों से विरत मुनि पक्षी की तरह प्रतिबन्धमुक्त तथा मोह रहित होकर भू-मण्डल पर विचरण करता है ।

हाथी के समान धैर्यवान—

६३ अनेक असह्य परीपह होने पर बहुत से कायर व्यक्ति तैद का अनुभव करते हैं किन्तु भिक्षु परीपह होने पर सश्रम में आगे रहने वाले हाथी की तरह व्यथित नहीं होता है ।

मेरु के समान अकम्पमान—

६४ विचक्षण भिक्षु सतत राग-द्वेष और मोह को छोड़कर वायु से अकथित मेरु की भाँति आत्मगुप्त बनकर परीपहों को सहन करे ।

वृषभ सम भवाटवी पारकर्ता—

६५ शकटादि वाहन को ठीक तरह वहन करने वाला बैल जैसे अटवी को सुखपूर्वक पार करता है, उमी तरह सयम भार का वहन करने वाला मुनि ससार को पार कर जाता है ।



१ बहुभूत भिगु की उपमाएँ ज्ञानाचार (चरणानुयोग भाग १) पृ. १०६, सु. १६१ में देवें ।

संयम का उपदेश तथा विशिष्ट चर्याएँ—६

निर्ग्रन्थस्स दुहसेज्जाओ—

६६ चत्तारि दुहसेज्जाओ पणत्ताओ तं जहा—

१. तत्थ खलु इमा पढमा दुहसेज्जा—

से णं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए णिग्गंथे पावयणे सकिते कांखिते वित्तिगिच्छिते भेयसमावण्णे कलुस-समावण्णे णिग्गथ पावयणं णो सहहति णो पत्तियति णो रोएइ, णिग्गथ पावयण असदहमाणे अपत्तियमाणे अरोए-माणे मणं उच्चावयं णियच्छति, विणिघातमावज्जति—पढमा दुहसेज्जा ।

२. अहावरा दोच्चा दुहसेज्जा—

से ण मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए सएणं लाभेणं णो तुस्सति, परस्स लाभमासाएति पीहेति पत्थेति अभिलसति, परस्स लाभमासाएमाणे पीहेमाणे पत्थेमाणे अभिलसमाणे मणं उच्चावयं णियच्छइ, विणिघातमावज्जति—दोच्चा दुहसेज्जा ।

३. अहावरा तच्चा दुहसेज्जा—

से ण मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए दिव्वे माणुस्सए कामभोगे आसाएइ पीहेति पत्थेति अभिलसति, दिव्वे माणुस्सए कामभोगे आसाएमाणे पीहेमाणे पत्थेमाणे अभिलसमाणे मणं उच्चावयं णियच्छति, विणिघातमावज्जति—तच्चा दुहसेज्जा ।

४. अहावरा चउत्था दुहसेज्जा—

से ण मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए, तस्स णं एव भवति—

जया ण अहमगारवासमावसामि तदाणमहं संवाहणपरिमदण-गातव्भंग-गातुच्छोलणाइ लभामि, जप्पभिइं च णं अहं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए तप्पभिइं च णं अहं सवगहण-परिमदण-गातव्भंग गातुच्छोलणाइ णो लभामि ।

से ण सवाहणं-परिमदण-गातव्भंग गातुच्छोलणाइं आसाएति पीहेति पत्थेति अभिलसति,

से णं संवाहण-परिमदण-गातव्भंग-गातुच्छोलणाइं आसाएमाणे पीहेमाणे पत्थेमाणे अभिलसमाणे मणं उच्चावयं णियच्छति, विणिघातमावज्जति—चउत्था दुहसेज्जा ।

—ठाण. अ. ४, उ. ३, सु. ३२५

निर्ग्रन्थ की दुःख शय्याएँ—

६६. चार दुःख शय्या हैं—

(१) पहली दुःखशय्या यह है—

कोई व्यक्ति मुण्ड होकर अगार से अनगारत्व में प्रव्रजित होकर, निर्ग्रन्थ प्रवचन में शक्ति, काक्षित, विचिकित्सित भेद-समापन्न, कलुष समापन्न होकर निर्ग्रन्थ प्रवचन में श्रद्धा नहीं करता, प्रतीति नहीं करता, रुचि नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ प्रवचन पर अश्रद्धा करता हुआ, अप्रतीति करता हुआ, अरुचि करता हुआ, मानसिक उतार-चढ़ाव और विनिघात को प्राप्त होता है ।

(२) दूसरी दुःखशय्या यह है—

कोई व्यक्ति मुण्ड होकर अगार से अनगारत्व में प्रव्रजित होकर अपने लाभ (भिक्षा में लब्ध आहार आदि) से सन्तुष्ट नहीं होकर दूसरे के लाभ का आस्वाद करता है, स्पृहा करता है, प्रार्थना करता है, अभिलाषा करता है, वह दूसरे के लाभ का आस्वाद करता हुआ, स्पृहा करता हुआ, अभिलाषा करता हुआ, मानसिक उतार-चढ़ाव और विनिघात को प्राप्त होता है ।

(३) तीसरी दुःखशय्या यह है—

कोई व्यक्ति मुण्ड होकर अगार से अनगारत्व में प्रव्रजित होकर देवताओं तथा मनुष्यों के काम-भोगों का आस्वादन करता है, स्पृहा करता है, प्रार्थना करता है, अभिलाषा करता है, वह उनका आस्वाद करता हुआ, स्पृहा करता हुआ, प्रार्थना करता हुआ, अभिलाषा करता हुआ मानसिक उतार-चढ़ाव और विनिघात को प्राप्त होता है ।

(४) चौथी दुःखशय्या यह है—

कोई व्यक्ति मुण्ड होकर अगार से अनगारत्व में प्रव्रजित होने के बाद ऐसा सोचता है—

जब मैं गृहवास में था तब संवाधन-मर्दन, परिमर्दन-उवटन, गात्राभ्यंग-तेल आदि की मालिश, गात्रोत्क्षालन-स्नान आदि करता था पर जब से मुण्ड होकर अगार से अनगारत्व में प्रव्रजित हुआ हूँ तब से सवाधन, परिमर्दन, गात्राभ्यंग तथा गात्रोत्क्षालन नहीं कर पा रहा हूँ,

ऐसा सोचकर वह सवाधन, परिमर्दन, गात्राभ्यंग तथा गात्रोत्क्षालन का आस्वाद करता है, स्पृहा करता है, प्रार्थना करता है, अभिलाषा करता है,

वह सम्वाधन, परिमर्दन, गात्राभ्यंग, गात्रोत्क्षालन का आस्वाद करता हुआ, स्पृहा करता हुआ, प्रार्थना करता हुआ, अभिलाषा करता हुआ मानसिक उतार-चढ़ाव और विनिघात को प्राप्त होता है ।

निर्ग्रन्थस्य सुहसेज्जाओ—

६७ चत्तारि सुहसेज्जाओ पणत्ताओ, त जहा—

१ तत्थ खलु इमा पढमा सुहसेज्जा—

से ण मुंढे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए णिग्गंये पावयणे णिस्सकित्ते णिक्कखित्ते णिच्चित्तिगिच्छए णो भेदस-
मावण्णे णो कलुससमावण्णे णिग्गथ पावयणं सद्वहइ पत्तियइ
रोएति, णिग्गथ पावयणं सद्वहमाणे पत्तियमाणे रोएमाणे णो
मणं उच्चावयं णियच्छति, णो विणिघातमावज्जति—पढमा
सुहसेज्जा ।

२ अहावरा दोच्चा सुहसेज्जा—

से णं मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए सएण
लाभेणं तुस्सति परस्स लाभं णो आसाएति णो पीहेति णो
पत्येइ णो अभिलसति, परस्स लाभमाणासाएमाणे अपीहेमाणे
अपत्येमाणे अणभिलसमाणे णो मणं उच्चावयं णियच्छति, णो
विणिघातमावज्जति - दोच्चा सुहसेज्जा ।

३. अहावरा तच्चा सुहसेज्जा—

से णं मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए दिव्व-
माणुस्सए कामभोगे णो आसाएति णो पीहेति णो पत्येति
णो अभिलसति, दिव्वमाणुस्सए कामभोगे अणासाएमाणे
अपत्येमाणे अणभिलसमाणे णो मणं उच्चावयं णियच्छति,
णो विणिघातमावज्जति—तच्चा सुहसेज्जा ।

४. अहावरा चउत्था सुहसेज्जा—

से ण मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए, तस्स ण
एव भवति—जइ ताव अरहता भगवन्तो हट्ठा अरोगा बलिया
कल्लसरीरा अणयराइ ओरालाइ कल्लाणाइ विउल्लाइ पय-
ताइ पग्गहिताइं महानुभागाइं कम्मक्खयकरणाइ तवोकम्माइ
पडिवज्जति, किमग पुण अहं अन्भोवगमिओवक्कमियं वेयणं
णो सम्मं सहामिं खमामिं तित्तिक्खेमिं अहियासेमिं ?

मम च ण अन्भोवगमिओवक्कमियं सम्ममसहमाणस्स अक्ख-
ममाणस्स अतित्तिक्खेमाणस्स अणहियासेमाणस्स किं मण्णे
कज्जति ?

एगतसो मे पावे कम्मे कज्जति । ममं च ण अन्भोवगमिओ
वक्कमियं सम्मं सहमाणस्स खममाणस्स तित्तिक्खेमाणस्स
अहियासेमाणस्स किं मण्णे कज्जति ?

एगतसो मे णिज्जरा कज्जति—चउत्था सुहसेज्जा ।

—ठाण अ ४, उ. ३, सु. ३२५

निर्ग्रन्थ की सुख शय्याएँ—

६७ सुखशय्या चार हैं—

(१) पहली सुखशय्या यह है—

कोई व्यक्ति मुण्ड होकर अगार से अनगारत्व में प्रव्रजित
होकर, निर्ग्रन्थ प्रवचन में, निःशंक, निष्काक्ष, निर्विचिकित्सित,
अभेद समापन्न, अकलुषसमापन्न होकर निर्ग्रन्थ प्रवचन में श्रद्धा
करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है। वह निर्ग्रन्थ प्रवचन
में श्रद्धा करता हुआ, प्रतीति करता हुआ, रुचि करता हुआ मन
में समता को धारण करता है और धर्म में स्थिर हो जाता है।

(२) दूसरी सुखशय्या यह है—

कोई व्यक्ति मुण्ड होकर अगार से अनगारत्व में प्रव्रजित
होकर अपने लाभ से सन्तुष्ट होता है, दूसरे के लाभ का आस्वा-
दन नहीं करता, स्पृहा नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, अभि-
लाषा नहीं करता, वह दूसरे के लाभ का आस्वादन नहीं करता
हुआ स्पृहा नहीं करता हुआ, प्रार्थना नहीं करता हुआ, अभि-
लाषा नहीं करता हुआ मन में समता को धारण करता है और
धर्म में स्थिर हो जाता है।

(३) तीसरी सुखशय्या यह है—

कोई व्यक्ति मुण्ड होकर अगार से अनगारत्व में प्रव्रजित
होकर देवो तथा मनुष्यो के काम-भोगो का आस्वाद नहीं करता,
स्पृहा नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, अभिलाषा नहीं करता,
वह उनका आस्वाद नहीं करता हुआ, स्पृहा नहीं करता हुआ,
प्रार्थना नहीं करता हुआ, अभिलाषा नहीं करता हुआ मन में
समता को धारण करता है और धर्म में स्थिर हो जाता है।

(४) चौथी सुखशय्या यह है—

कोई व्यक्ति मुण्ड होकर अगार से अनगारत्व में प्रव्रजित
होने के बाद ऐसा सोचता है—जब अर्हन्त भगवान् हृष्ट नीरोग,
बलवान तथा स्वस्थ होकर भी कर्मक्षय के लिए उदार, कल्याण,
विपुल, सुसयन, प्रगृहीत, सादर स्वीकृति महानुभाग—अमेय
शक्तिशाली और कर्मक्षयकारी विचित्र तपस्याएँ स्वीकृत करते
हैं तब मैं आभ्युपगमिकी तथा औपक्रमिकी वेदना को ठीक प्रकार
से क्यों न सहन करता हूँ।

यदि मैं आभ्युपगमिकी तथा औपक्रमिकी वेदना को ठीक
प्रकार से सहन नहीं करूँगा तो मुझे क्या होगा ?

मुझे एकान्तत पाप कर्म होगा। यदि मैं आभ्युपगमिकी
और औपक्रमिकी वेदना को ठीक प्रकार से सहन करूँगा तो
मुझे क्या होगा ?

मुझे एकान्तत निर्जरा होगी।

संजम गहण उवएसो—

६८ माहणा खत्तिया वेस्सा, चडाला अदु बोक्कसा ।
एसिया वेसिया सुदा, जे आरम्मणिस्सिया ॥

परिग्गहे निविट्ठाण, वेरं तेसि पवड्ढई ।
आरम्मसम्मिया कामा, न ते दुवखविमोयगा ॥

आघातकिच्चमाघातु, नायओ विसएसिणो ।
अन्ने हरति त वित्त, कम्मो कम्मोहि किच्चह ॥

माया पिया ण्हसा भाया, भज्जा पुत्ता य ओरसा ।
णालं ते तव ताणाए, लुप्पंतस्स सकम्मुणा ॥

एयमट्ठ सपेहाए, परमट्ठाणुगामियं ।
निम्ममो निरहंकारो, चरे भिक्खू जिणाहितं ॥

चिच्चा वित्तं च पुत्ते य, नायओ य परिग्गहं ।
चेच्चाणं अंतग सोयं, निरवेक्खो परिव्वए ॥

—सूय. सु १, अ ६, गा. २-७

पुरिसोरम पावकम्मुणा, पलियन्त मणुयाण जीवियं ।
सन्ना इह काममुच्छिया, मोह जति नरा असवुडा ॥

—सूय सु १, अ. २. उ १, गा. १०

संबुज्झह किं न बुज्झह, सबोही खलु पेच्च दुल्लहा ।
णो हवणमति रात्तिओ, णो सुलभ पुणरावि जीवियं ॥

—सूय. सु १, अ. २, उ. १, गा १

मायाहि पियाहि लुप्पई, णो सुलहा सुगइ य पेच्चओ ।
एयाइ भयाइ देहिया, आरंभा विरमेज्ज सुव्वइ ॥

—सूय. सु. १, अ २, उ. १, गा. ३

सजमेण दुग्गइ निरोहो—

६९. प०—अधुवे असासयंमि, संसारम्मि दुक्खपउराए ।
किं नाम होज्ज तं कम्मयं, जेणाइ दोग्गइ न गच्छेज्जा ॥

उ०—विजहित्तु पुव्वसजोगं, न सिणेहि कहिंचि कुव्वेज्जा ।
असिणेह सिणेहकरेहि, दोसपओसेहि मुच्चए भिक्खू ॥

संयम ग्रहण का उपदेश—

६८ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चाडाल, वर्णसंकर, शिकारी, वेष से या विभिन्न कलाओं से जीविका चलाने वाले और खेती करने वाले आदि जो भी आरम्भ में रत रहते हैं ।

तथा जो परिग्रह में मूर्च्छित रहते हैं उनके वैर की वृद्धि होती है । वे आरम्भ और परिग्रह से प्राप्त काम भोग, उन्हें दुःखों से मुक्त नहीं कर सकते ।

विषय सुख के अभिलाषी ज्ञातिजन या अन्य लोग मृत व्यक्ति का दाहसंस्कार आदि मरणोत्तर कृत्य करके उस धन को ग्रहण कर लेते हैं, परन्तु नाना पापकर्म करके धन संचित करने वाला वह मृत व्यक्ति अकेला अपने पापकर्मों के फलस्वरूप दुःख को भोगता है ।

अपने पापकर्म से ससार में पीडित होते हुए तुम्हारी रक्षा करने में माता, पिता, पुत्रवधु, भाई, पत्नी और सगे पुत्र आदि कोई भी ममर्थ नहीं होते ।

परमार्थ की ओर जाने वाले इस अर्थ को समझकर ममता और अहंकार से रहित होकर भिक्षु जिनोक्त धर्म का आचरण करें ।

धन, पुत्र, ज्ञातिजन और परिग्रह का त्याग करके अन्तर् के शोक-सन्नाप को छोड़कर साधक निस्पृह होकर सयम पालन करें ।

हे पुरुष ! उस पाप कर्म से उपरमण कर, (क्योंकि) मनुष्य जीवन का अन्त अवश्यम्भावी है । जो काम भोग आदि में निमग्न होकर इन्द्रिय-विषयो में मूर्च्छित हैं वे असवृत पुरुष मोह को प्राप्त होते हैं ।

हे भव्यो ! तुम बोध प्राप्त करो । तुम बोध क्यों नहीं प्राप्त करते ? जो रातों रात चुकी हैं वे वापस लौटकर नहीं आती और यह सयमी जीवन भी फिर सुलभ नहीं है ।

जो व्यक्ति माता, पिता के मोह में पड़कर धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, उनकी अगले जन्म में सुगति सुलभ नहीं है । इन भय-स्थानों पर विचारकर सुव्रती पुरुष हिंसा से विरत हो जाए ।

संयम से दुर्गति का निरोध—

६९ प्र०—अध्रुव, अशाश्वत और दुःख-बहुल ससार में ऐसा कौन सा कार्य है, जिससे मैं दुर्गति में न जाऊँ ?

उ०—पूर्व सम्बन्धों का त्याग कर, किसी भी वस्तु में स्नेह न करे । स्नेह करने वालों के साथ भी स्नेह न करता हुआ भिक्षु दोषों और प्रदोषों से मुक्त हो जाता है ।

तो नाण दसणसमग्गो, हियनिस्सेसाए सव्वजीघाण ।
तेत्ति विमोक्खणट्ठाए, भासई मुणिवरो विगयमोहो ॥

सव्व गंथ कलह च, विप्पजहे तहाविह भिक्खू ।
सव्वेसु कामजाएसु पासमाणो न लिप्पई ताई ॥
—उत्त अ ८, गा १-४

जन्म-मरणेण विमुक्ति—

१०० तिउट्टति तु मेधावी, जाणं लोगसी पावग ।
तुट्टति पावकम्माणि, नव कम्ममकुव्वओ ॥

अकुव्वतो णव नत्थि, कम्म नाम विजाणइ ।
विस्साय से महावीरे, जेण जाति ण मिज्जती ॥
—सूय. सु १, अ. १५, गा ६-७

एत्थोवरए तं क्षोसमाणे ।
आयाणिज्जं परिण्णाय, परियाएण विगिचइ ॥
—आ० सु० १, अ० ६, उ० २, सु० १८५ (ग)

संजयस्स विणयोवएसो—

१०१ राइणिएसु विणय पडजे, डहरावि य जे परियाय जेट्ठा ।
नियत्तणे वट्टइ सच्चवाई, ओवायव वक्ककरे स पुज्जो ॥
—दस अ. ६, उ ३, गा ३

निहं च बहुमन्नेज्जा, सपहास विवज्जए ।
मिहो कहाहिं न रमे, सज्झायम्मि रओ सया ॥
जोग च समणधम्मम्मि, जुजे अणलसो धुव ।
जुत्तो य समणधम्मम्मि, अट्ट लहइ अणुत्तर ।
—दस. अ ८, गा ४१-४२

हत्थं पाय च काय च, पणिहाय जिइदिए ।
अत्थीण गुत्तो निसीए, सगासे गुरुणो मुणो ॥
न पक्खओ न पुरओ, नेव किच्चाण पिट्ठओ ।
न य ऊरुं समासेज्जा, चिट्ठेज्जा गुरुणतिए ॥
—दस. अ ८, गा ४४-४५

संजमस्स आराहणाए उवएसो—

१०२ जीवित पिट्ठतो किच्चा, अंत पावति कम्मणा ।
कम्मणा समुहोभूया, जे मग्गसणुसासति ॥

केवलज्ञान और केवलदर्शन से युक्त तथा मोह से रहित मुनिवर ने सब जीवों के हित और कल्याण के लिए तथा उन्हें (पांच सौ चोरो को) प्रतिबोध देने के लिए कहा ।

भिक्षु सभी कर्मबन्ध के हेतुभूत परिग्रह और कलह का त्याग करे । सब प्रकार के काम भोगों में दोष देखता हुआ आत्म-रक्षक मुनि उनमें लिप्त न बने ।

जन्म-मरण से विमुक्ति—

१००. लोक में पाप कर्म को जानने वाला मेधावी सभी बन्धनों को तोड़ देता है क्योंकि नया कर्म बन्धन न करने वाले पुरुष के पापकर्म रूपी सभी बन्धन टूट जाते हैं ।

जो पुरुष नये कर्म (कार्य) नहीं करता है, उसके कर्मों का बन्ध नहीं होता है । वह कर्मों को विशेष रूप से जान लेता है, इस प्रकार जानकर वह वीर पुरुष न जन्म लेता है और न भरता है ।

विषय से उपरत साधक उत्तरवाद का आशेवन करता है । वह कर्म-बन्ध का विवेक कर (सयम) पर्याय (मुनि जीवन) के द्वारा उसका विसर्जन कर देता है ।

संयती को विनय का उपदेश—

१०१ जो अल्पवयस्क होते हुए भी दीक्षा काल में ज्येष्ठ है— उन पूजनीय साधुओं के प्रति जो भिक्षु विनय का प्रयोग करता है, नम्र व्यवहार करता है, सत्यवादी है, गुरु के समीप रहने वाला है और जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है वह पूज्य है ।

भिक्षु निद्रा अधिक न ले, हसी मजाक न करे, विकथाओं में समय न खोवे, किन्तु सदा स्वाध्याय में लगा रहे ।

मुनि आलस्य रहित होकर श्रमण धर्म में अपने मन, वचन और काया को लगावे, क्योंकि श्रमण धर्म में तल्लीन बना हुआ मुनि मोक्ष को प्राप्त करता है ।

जितेन्द्रिय मुनि हाथ, पैर और शरीर को संयमित कर मन और वाणी से सयत होकर गुरु के समीप बैठे ।

आचार्य आदि के वरावर न बैठे, आगे और पीछे भी न बैठे । गुरु के समीप उनके ऊरु से अपना ऊरु सटाकर न बैठे ।

सयम की आराधना का उपदेश—

१०२ भिक्षु अपने जीवन के प्रति निरपेक्ष होकर कर्मों का अन्त कर लेते हैं । वे कर्मों के सामने खड़े होकर मोक्ष मार्ग का अनुशासन करते हैं ।

अणुसासण पुढो पाणे, वसुमं पूयणासए ।
अणासए जए दंते, दढे आरयमेहुणे ॥

णीवारे य न लोएज्जा, छिन्नसोते अणाविले ।
अणाइले सया दते, सधिपत्ते अणेत्तिसं ॥

अणेत्तिसस्स खेतण्णे, ण विरुज्जेज्ज केणइ ।
मणसा वयसा चेव, कायसा चेव चक्खुम ॥

से ह्व चक्खू मणुस्साणं, जे कखाए तु अतए ।
अतेणं खुरो वहती, चक्क अतेण लोट्टति ॥

अताणि धीरा सेवति, तेणं अंतकरा इह ।
इह माणुस्सए ठाणे, धम्ममाराहिउं णरा ॥

—सूय सु. १, अ १५, गा. १०-१५

आहत्तहिय समुपेहमाणे, सर्व्वेहि पाणेहि निहाय दढं ।
नो जीविय नो मरणाभिकखी, परिव्वएज्जा वलयाविमुक्के ॥

—सूय. सु. १, अ १३, सु. २३

वहिया उड्ढमादाय नावकखे कयाइ वि ।
पुव्वकम्म खयट्ठाए, इमं देह समुद्धरे ॥

—उत्त अ ६, गा १३

आघ मइम अणुवीति धम्मं,
अजू समाहिं तमिण सुणेह ।
अपडिण्ण भिक्खू तु समाहिपत्ते,
अणियाणभूते सुपरिव्वएज्जा ॥

—सूय सु २, अ १०, गा १

इत्थीसु या अरओ मेहुणा उ, परिग्गह चेव अकुव्वमाणे ।
अच्चावएसु विसएसु ताई, णिस्संसयं भिक्खू समाहिपत्ते ॥

—सूय. सु. १, अ १०, गा १३

आहारमिच्छे मियमेसणीय, सहायमिच्छे णिउणत्थ बुद्धि ।
निकेयमिच्छेज्ज विवेग जोगं, समाहिं कामे समणे तवस्सी ॥

—उत्त. अ. ३२, गा ४

संविदियाभिनिव्वुडे पयासु, चरे मुणी सव्वतो विपपमुक्के ।
प्रासाहिं पाणे य पुढो वि सत्ते, दुक्खेण अट्ठे परिचवमाणे ॥

—सूय सु. १, अ १०, गा. ४

संयम धन से सम्पन्न संयमी प्राणियों की योग्यता के अनुसार अनुशामन करते हैं किन्तु वे पूजा की इच्छा नहीं रखते हैं और वे अभिलाषा रहित, सयत, दान्त, दृढ संयमी मैथुन से विरत होते हैं ।

जिसने आसन्नद्वारो को रोक दिया है, जो निर्मल चित्त वाला है वह प्रलोभन के स्थान में लिप्त नहीं होता है । वह सदा निर्मल चित्त वाला दान्त अनुपम सधि (ज्ञान आदि) को प्राप्त करता है ।

अनुपम सन्धि को जानने वाला पुरुष किसी भी प्राणी के साथ मन वचन और काया से विरोध नहीं करता है वही परमार्थदर्शी है ।

जो आकाक्षाओं का अन्त करता है वह मनुष्यों का चक्षुभूत (मार्ग दर्शक) है क्योंकि अन्त (धार) वाला उस्तरा ही चलता है और गाडी का चक्का अन्त (छोर) से ही चलता है ।

धीर पुरुष अन्त प्रान्त आहार का सेवन करते हैं इसलिए वे समस्त दुखों का अन्त कर देते हैं ऐसे ही पुरुष लोक में इस धर्म की आराधना करने के योग्य होते हैं ।

साधु सम्यग् ज्ञान आदि को भली-भाँति जानता देखना हुआ समस्त प्राणियों की हिंसा का त्याग कर जीवन एव मरण की आकाक्षा न करे, तथा माया से मुक्त होकर संयम का पालन करे ।

ऊर्ध्वलक्षी होकर मुनि कभी भी बाह्य (विषयो) की आकाक्षा न करे । पूर्वोपाजित कर्मों के क्षय के लिए ही इस शरीर को धारण करे ।

सर्वज्ञ भगवान महावीर ने केवलज्ञान के द्वारा जानकर सरलता व समाधि धर्म का प्रतिपादन किया है, वह तुम सुनो ! समाधि प्राप्त भिक्षु अमूर्च्छित और हिंसा आदि आश्रवों से मुक्त रहकर शुद्ध संयम का पालन करे ।

जो स्त्रियों के साथ मैथुन सेवन नहीं करता है, परिग्रह नहीं रखता है, नाना प्रकार के विषयो में राग द्वेष रहित होकर जीवों की रक्षा करता है निःसन्देह वही भिक्षु समाधि प्राप्त होता है ।

समाधि की आकाक्षा रखने वाला तपस्वी श्रमण परिमित और एषणीय आहार की इच्छा करे । तत्त्वार्थों को जानने में निपुण बुद्धि वाले को सहायक साथी बनावे तथा स्त्री आदि से रहित एकान्त स्थान में निवास करे ।

मुनि सभी इन्द्रियों से स्त्रियों के प्रति संयत तथा सर्वज्ञ बन्धन मुक्त होकर रहे । पृथक्-पृथक् रूप से दुःख से पीडित और सताये जाते हुए प्राणियों को देखे ।

अमविषु पुरा वि भिक्खवो, आएसो वि भवति सुव्वया ।
एयाइ गुणाइ आहू ते, कासवस्स अणुधम्मचारिणो ॥

तिविहेण वि पाण मा हणे, आयहिते अणियाण सवुडे ।
एव सिद्धा अणंतगा, सपति जे ष अणागयाडवरे ॥

एव से उदाहू अणुत्तरनाणी अणुत्तरदसी अणुत्तरनाणदसणधरे ।
अरहा णायपुत्ते भगव वेसालीए वियाहिए ॥
—सूय. सु १, अ २, उ ३, गा २०-२२

जाए सद्धाए निक्खतो परियायट्ठाणनुत्तमं ।
तमेव अणुपालेज्जा, गुणे आयरियसम्मए ॥

—दस अ ८, गा ६०

सोच्चा भगवाणुसासणं, सच्चे तत्थ करेज्जुवक्कमं ।
सव्वत्थ विणीयमच्छरे उछ भिक्खु विसुद्ध माहरे ॥

सव्व णच्चा अहिहए, धम्मट्ठी उवहाणवीरिए ।
गुत्ते जुत्ते सदा जए, आय-परे परमाययट्ठिए ॥

—सूय. सु १, अ. २, उ. ३, गा १४-१५

सुअक्खातधम्मे वित्तिगिच्छतिण्णे,
लाढे चरे आयतुले पयासु ।

आय न कुज्जा इह जीवियट्ठी,
चय न कुज्जा सुतवस्सि भिक्खु ॥

—सूय सु १, अ १०, गा ३

गुत्ते तईए य समाहिपत्ते, लेसं समाहट्ठु परिव्वएज्जा ।
गिह ण छाए ण वि छावएज्जा, सम्मिस्सिभाव पजहे पयासु ॥

—सूय. सु १, अ १०, गा १५

जहित्तु सगं थ महाकिलेस,
महतमोह कसिण मयावहं ।
परियायधम्मं चअमिरोयएज्जा,
वयाणि सीलाणि परीसहे थ ॥

अहिंस सच्च च अतेणयं च,
तत्तो य वंभं अपरिग्गह च ।
पड्विज्जया पच महव्वयाइं,
चरेज्ज धम्म जिणवेसिय विद्दु ॥

हे भिक्षुओ ! पूर्वकाल मे भी जो (सर्वज्ञ) हो चुके हैं और भविष्य मे भी जो होंगे, उन सुव्रत पुरुषो ने इन्हीं गुणो को मोक्ष का साधन बताया है, उन्होंने ऋषभदेव भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म का ही अनुसरण किया है ।

साधक मन, वचन और काया से प्राणियो की हिंसा न करे तथा आत्महिन मे सलग्न रहकर स्वर्गादि सुखो के निदान से रहित होकर संयम पालन करे इस प्रकार की साधना से अनन्त जीव मुक्त हुए हैं, वर्तमान मे होते हैं और भविष्य मे भी अनन्त जीव मुक्त होंगे ।

इस प्रकार अनुत्तरज्ञानी, अनुत्तरदर्शी, अनुत्तर ज्ञान-दर्शन धारक इन्द्रादि देवो द्वारा पूजनीय (अर्हन्त) ज्ञातपुत्र तथा ऐश्वर्यादि गुण युक्त भगवान् महावीर स्वामी ने वैशाली नगरी मे कहा था सो मे कहता हूँ ।

जिस श्रद्धा से उत्तम प्रब्रज्या स्थान के लिए घर का त्याग किया है उसी श्रद्धा को पूर्ववत् बनाये रखें और सर्वज्ञ सम्मत गुणो का अनुपालन करे ।

भिक्षु भगवान के अनुशासन (आगम वाणी) को सुनकर उसमे कहे गये संयम मे पुरुषार्थ करें एव सर्वत्र मत्सरभाव रहित होकर अल्प और शुद्ध आहार ग्रहण करें ।

साधु सव पदार्थो को जानकर संयम का आचरण करे, धर्मार्थी रहे, तप मे अपनी शक्ति लगाये, मन-वचन-काया की गुप्ति से युक्त होकर रहे, सदा स्व-पर का कल्याण करें अथवा आत्मपरायण होकर यत्न करे और मोक्ष के लक्ष्य मे स्थित रहे ।

उत्तम तपस्वी भिक्षु तीर्थकरोक्त धर्म मे शकाओ से रहित होकर पृथ्वीकाय आदि प्राणियो के प्रति आत्मतुल्य होकर योग्य जनपद मे विचरण करे । इस लोक मे चिरकाल तक जाने की इच्छा से आय अर्थात् आश्रवो का सेवन न करे तथा कर्मो का सचय न करे ।

भिक्षु वाणी से सयत हो समाधि-प्राप्त बने, विशुद्ध लेश्या के साथ परिब्रजन करे, स्वयं घर न छाए और दूसरो से न छावाए, गृहस्थो के साथ एक स्थान मे न रहे ।

महाक्लेशकारी, महामोहोत्पादक और महाभय को उत्पन्न करने वाले मपूर्ण परिग्रह एव स्वजनादि का त्याग करके मुनि प्रब्रज्या धर्म मे लीन रहे । पांच महाव्रतो तथा पिंड विशुद्धि आदि के पालने मे और परीपहो को समभाव से सहन करने मे अभिरुचि रहे ।

विद्वान् मुनि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—इन पांच महाव्रतो को स्वीकार करके जिनोपदिष्ट धर्म का भलीभाँति आचरण करे ।

सर्वेहि भूएहि दयाणुकपी,
 खतिकखमे संजयबंभयारी ।
 सावज्जजोगं परिवज्जयंतो,
 चरेज्ज, भिक्खू सुसमाहिइदिए ॥
 कालेण काल विहरेज्ज रट्ठे,
 वलावलं जाणिय अप्पणो उ ।
 सीहो व सट्ठेण न संतसेज्जा,
 वइजोग सोच्चा न असन्भमाहु ॥

—उत्त. अ. २१, गा ११-१४

वुसिए य विगयगेही आयाणं सं (सम्म) रक्खए ।
 चरिआसणहेज्जासु, भत्तपाणे य अत्तसो ॥

एतेहि तिहि ठाणेहि, संजए सततं मुणी ।
 उक्कस जलण णूमं, मज्झत्थं च विंगिचए ॥
 समिए य सया साहू, पचसवरसंबुडे ।
 सिएहि असिए भिक्खू, अमोक्खाय परिव्वएज्जासि ॥

—सूय सु १, अ १, उ ४, गा. ११-१३

अणिएयवासो समुयाणचरिया अणायउंछ पइरिक्कया य ।
 अप्पोवही कलहविज्जणा य विहारचरिया इसिण पसत्था ॥

—दश चू २, गा ५

सुक्कज्जाण क्षियाएज्जा अनियाणे अकिंचणे ।
 वोसट्टकाए विहरेज्जा जाव कालस्स पज्जओ ॥

—उत्त अ ३५, उ ४, गा ११-१३

सम अन्नयरम्मि संजमे, संसुद्धे समणे परिव्वए ।
 जे आवफहा समाहिए, दविए कालमकासि पडिए ॥
 दूरं अणुपस्सिया मुणी तीतं धम्ममणागघ तहा ।
 पुट्ठे फरुत्तेहि माहणे, अवि हण्णू समयंसि रोयइ ॥

पणसमत्ते सदा जए, समया धम्ममुदाहरे मुणी ।
 सुहमे उ सदा अलूसए, णो कुज्जे णो माणि माहणे ॥

वहुज्जण-णमणम्मि संबुडे, सव्वट्ठेहि णरे अणिस्सिते ।
 हरए व सया अणाविले, धम्मं पाटुरकासि फासवं ॥

वहवे पाणा पुढो सिया, पत्तेयं समयं समीहिया ।
 जे मोणपद उवट्टिते, विरतिं, तत्तयमकासि पडिते ॥

—सूय मु. १, अ. २, उ २, गा ४-८

इन्द्रियो का सम्यक् संवरण करने वाला भिक्षु सब जीवो के प्रति करुणाशील रहे, क्षमा से दुर्वचनादि को सहन करने वाला हो, सयत हो, ब्रह्मचारी हो । वह सदैव सावद्ययोग का परित्याग करता हुआ विचरण करे ।

मुनि यथासमय क्रियानुष्ठान करता हुआ राष्ट्र में विचरण करे । अपनी आत्मा के बलाबल को जानकर तप में प्रवृत्ति करे तथा प्रतिकूल शब्दो को सुनकर सिंह की भाँति किसी से त्रस्त न हो तथा असभ्य वचन भी न कहे ।

दस प्रकार की साधु समाचारी में स्थित और आहार आदि की आसक्ति से रहित मुनि आत्मा की सम्यक प्रकार से रक्षा करे तथा चर्या, आसन और शय्या के सम्बन्ध में जीवन पर्यन्त विवेक रखे ।

इन तीनों स्थानों में सतत सयत मुनि क्रोध, मान, माया और लोभ का त्याग करे ।

सदा पाँच समितियों से युक्त पाँच सवर से संबृत भिक्षु गृहस्थो में मूच्छा न रखता हुआ मोक्ष प्राप्त होने तक समय में पुरुषार्थ करे ।

ऋपियो के लिए अनियतवास, सामुदानिकी भिक्षा, अज्ञात कुलो की भिक्षा, साधारण आहार ग्रहण, एकान्तवास, उपकरणों की अल्पता और कलह का वर्जन इत्यादि संयम चर्या कल्याणकारी कही गई है ।

मुनि शुक्लध्यान ध्याए । अनिदान और अकिंचन रहे । वह जीवन पर्यन्त व्युत्सृष्टकाय (देहाध्यास से मुक्त) होकर विहार करे ।

जो शुद्ध श्रमण प्रत्येक समय स्थान में जीवन पर्यन्त प्रवृत्त रहे वह समाधिस्थ पंडित काल करके मुक्त होता है ।

मुनि दीर्घ दृष्टि से भूत और भविष्य का तथा जीवो के स्वभाव का अवलोकन करके कठोर वाक्यों को समभाव से सहन करे तथा मारे जाने पर भी दृढता से समय में ही विचरण करे ।

कुशल प्रज्ञावाला और सदा अप्रमत्त मुनि समता धर्म का निरूपण करे । वह सूक्ष्मदर्शी मुनि सदा अहिंसक रहे । वह न क्रोध करे और न अभिमान करे ।

अनेक लोगो द्वारा नमस्करणीय मुनि समस्त पदार्थों में — अप्रतिवद्ध होकर सरोवर की तरह सदा निर्मल रहता हुआ काश्यप गोत्रीय भगवान महावीर के धर्म का कथन करे ।

ससार में अनन्त प्राणी हैं । इनका अस्तित्व पृथक्-पृथक् है, प्रत्येक प्राणी में समानता है अर्थात् उन्हें सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय है यह विचार कर जो मुनि पद में उपस्थित है वह पंडित उनसे विरति करे अर्थात् किसी प्राणी का उपघात न करे ।

अमज्जमसासि अमच्छरीया, अभिक्खण निव्विगइ गओ य ।
अभिक्खण काउस्सगकारी, सज्जायजोगे पयओ ह्वेज्जा ॥

न पडिन्नवेज्जा सयणाऽसणाइ, सेज्ज निसेज्जं तह भत्तपाण ।
गामे कुले वा नगरे व देसे, ममत्तभाव न कर्हि चि कुज्जा ॥

—दस अ १०, चू २, गा. ७-८

गिहत्थाण वेयावडियं तह वंदण पूयण कामणाणिसेहो—

१०३ सच्च जगं तु समयानुपेही,

पियमपिय कस्सइ नो करेज्जा ।

उट्ठाय दीणे तु पुणो विसण्णे,

सपूयण च्चैव सिलोयकामी ॥

—सूय सु १, अ १०, गा. ७

गिहिणो वेयावडियं न कुज्जा, अभिवायण वदण पूयण च ।
असकिन्दिठ्ठेहिं समं वसेज्जा, मुणी चरित्तस्स जओ न हाणी ।

—दस. चू २, गा ६

इत्थिय पुरिस वा वि, डहर वा महल्लग ।

वदमाण न जाएज्जा, नो य ण, फरुसं वए ॥

जे न वदे न से कुप्पे, वदिओ न समुक्कसे ।

एवमन्नेसमाणस्स सामण्णमणुच्चिट्ठई ॥

—दस. अ ५, उ २, गा. २६-३०

अच्चण रयण च्चैव, वन्दण पूयण तहा ।

इड्ढोसपकारसम्माण मणसा वि न पत्थए ॥

—उत्त अ ३५, गा १८

अहिगरण णिसेहो—

१०४ अहिगरण कडस्स भिक्खुणो, वयमाणस्स पासज्ज दारुण ।

अट्ठे परिहायती व्ह, अहिगरणं न करेज्ज पडिए ॥

—सूय सु १, अ २, उ २, गा १६

कलहकारगो पावसमणो—

१०५ विवाद च उदीरेइ, अहम्मे अत्तपन्नहा ।

वुग्गहे फलहे रत्ते, पावसमणे त्ति वुच्चइ ॥

—उत्त अ. १७, गा १२

परीसहजय उवएसो—

१०६ अरतिं रतिं च अभिभूय भिक्खू, तणाइफासं तह सीतफासं ।

उण्ह च दस च हियासएज्जा, सुन्निं च दुन्निं च तित्तिक्खएज्जा ॥

—सूय. सु. १, अ १०, गा. १४

साधु मद्य, मास और मत्स्य का अभोजी हो, बार-बार दूध दही आदि विगयो को सेवन न करने वाला हो, बार-बार कायो-त्सर्ग करने वाला और स्वाध्याय की प्रवृत्तियों में प्रयत्नशील हो ।

भिक्षु शयन, आसन, शय्या, निषद्या तथा आहार पानी में आमक्तिपूर्वक कोई प्रतिज्ञा न करे और ग्राम, नगर तथा देश में श्रद्धालु घरों में कहीं भी ममत्व भाव न करे ।

गृहस्थो की वैयावृत्य का तथा वन्दन पूजन की चाहना का निषेध—

१०३ साधु समस्त जगत को समभाव से देखे । वह किसी का भी प्रिय या अप्रिय न करे । कोई साधक प्रव्रजित होकर भी परीषहो एव उपसर्गों की वाधा आने पर दीन और विन्न हो जाते हैं और कोई-कोई अपनी प्रशंसा व पूजा के अभिलाषी बन जाते हैं (किन्तु साधक को ऐसा नहीं करना चाहिये) ।

साधु गृहस्थ का वैयावृत्य न करे, अभिवादन वन्दन और पूजन न करे । मुनि संक्लेशरहित साधुओं के साथ रहे जिससे कि चारित्र्य की हानि न हो ।

वन्दना करते समय किसी भी स्त्री या पुरुष से, बालक या वृद्ध से साधु याचना न करे और आहार न देने वाले गृहस्थ को कठोर वचन भी न कहे ।

जो वन्दना न करे उस पर क्रोध न करे, वन्दना करने पर गर्व न करे । इस प्रकार अन्वेषण करने वाले मुनि का श्रामण्य भाव अखण्ड रहता है ।

मुनि अर्चना, रचना (अश्रुत मोती आदि का स्वस्तिक बनाना) वन्दना, पूजा, ऋद्धि, मत्कार और सम्मान को मन से भी न चाहे ।

अधिकरण विवर्जन—

१०४ कलह करने वाले तथा कलहवश भयकर कठोर वचन बोलने वाले भिक्षु का बहुते सयम नष्ट हो जाता है । अतः पण्डित मुनि कभी भी कलह न करे ।

कलहप्रिय-पाप श्रमण—

१०५ जो शान्त हुए विवाद को पुनः उत्तेजित करता है, जो सदाचार रहित है, जो कुतर्कों द्वारा अपनी बुद्धि को मलिन करता है, जो कदाग्रह और कलह में प्रवृत्त रहता है वह पाप श्रमण कहलाता है ।

परीषहजय का उपदेश—

१०६ भिक्षु अरति और रति परीषह को जीते, तृण आदि का स्पर्श तथा सर्पों गरमी के स्पर्श और मच्छर आदि के दण की सहे । सुगन्ध और दुर्गन्ध में समभाव रखे ।

उवेहमाणो उ परिन्वएज्जा,
 पियमप्पिय सव्व तित्तिक्खएज्जा ।
 न सव्व सव्वत्थसभिरोयएज्जा,
 न यावि पूयं गरहं च सजए ॥
 अणेगच्छन्दा इह माणवेहि,
 जे भावओ सपकरेइ भिव्खू ।
 भयभेरवा तत्थ उइन्ति भीमा,
 दिव्वा मणुस्सा अट्टुवा तिरिच्छा ॥

—उत्त अ २१, गा. १५-१६

सीओसिणा दसमसा य फासा, आयंकात्तिविहा फुसन्ति देहं ।
 अकुक्कुओ तत्थसहियासएज्जा, रयाइ खेवेज्ज पुरेकडाइ ॥
 —उत्त. अ २१, गा. १८
 अणुन्नए नावणए महेसी, न यावि पूयं गरहं च संजए ।
 स उज्जुमावं पडिवज्ज संजए, निव्वाणमग्ग विरए उवेइ ॥

अरइरइसहे पहीणसथवे, विरए आयहिए पहाणवं ।
 परमट्टपएहि चिट्ठई, छिन्नसोए अममे अकिंचणे ॥

विवित्तलयणाइं भएज्ज ताई, निरोवलेवाइं असंथडाइं ।
 इसीहि चिण्णाइ महायसेहि, काएण फासेज्ज परीसहाइ ॥
 —उत्त. अ २१, गा. २०-२२

अज्झत्थ जागरणाए मुत्ति —

१०७. जो पुव्वरत्तावररत्तकाले,

सपेहए अप्पगमप्पएणं ।

कि मे कड कि च मे किच्च सेसं,
 कि सक्कणिज्ज न समायरामि ॥

कि मे परो पासइ कि च अप्पा,
 कि वाह खलिय न विवज्जयामि ।

इच्चेव सम्मं अणुपासमाणो,
 अणागय नो पडिवध कुज्जा ॥

जत्थेव पासे कई दुप्पउत्त काएण वाया अट्टु माणसेण ।
 तत्थेव धीरो पडिसाहरेज्जा, आइन्नओ खिप्पमिवक्खलीण ॥

जस्सेरिसा जोग जिइदियस्स, धिईमओ सुप्पुरिसस्स निच्चं ।
 तमाहु लोए पडिवुद्धजीवी, सो जीवई सजमजीविएणं ॥

अप्पा खलु सयय रक्खियव्वो, सन्निदिएहि सुसमाहिएहि ।
 अरक्खिओ जाइपहं उवेई, सुरक्खिओ सव्वदुहाण मुच्चइ ॥

—दत्त. चू. २, गा. १२-१६

सयमी प्रतिकूलताओ की उपेक्षा करता हुआ विचरण करे ।
 अनुकूल-प्रतिकूल सब परीषहो को सहन करे । सर्वत्र जो भी
 अच्छी चीज देखे या सुने उनकी अभिलाषा न करे, पूजा और
 गर्हा भी न चाहे ।

इस ससार मे मनुष्यो के अनेक प्रकार के अभिप्राय होते हैं,
 भिक्षु उन अभिप्रायो का सम्यक् रीति से विचार करे तथा अपने
 उदय मे आये हुए देवकृत, मनुष्यकृत तथा तिर्यंचकृत भयोत्पादक
 भीषण उपसर्गो को सहन करे ।

शीत, उष्ण, डार, मच्छर, तृण-स्पर्श तथा अन्य विविध
 प्रकार के आतंक जब भिक्षु को स्पर्श करें, तत्र वह कुत्सित शब्द न
 करते हुए उन्हे समभाव से सहन करे तथा पूर्वकर्मो को क्षीण करे ।

जो साधु पूजा-प्रतिष्ठा मे उन्नत और गर्हा मे अवनत नही
 होता है वह समभावी विरत सयमी सरलता को स्वीकार करके
 निर्वाण-मार्ग को प्राप्त होता है ।

जो अरति और रति को सहन करता है, ससारी जनो के
 परिचय से दूर रहता है, विरक्त है, आत्म-हित का साधक है,
 सयमशील है, शोक रहित है, ममत्व रहित है, परिग्रह रहित
 है, वह सम्यग् दर्शनादि मोक्ष-साधनो मे स्थित होता है ।

षट्काय रक्षक मुनि—अलिप्त वीज आदि से रहित और
 महायशस्वी ऋषियो द्वारा सेवित एकान्त स्थानो का सेवन करे
 तथा काया से परीषहो को सहन करे ।

अध्यात्म जागरण से मुक्ति—

१०७. जो साधु रात्रि के पहले और पिछले प्रहर मे स्वयं आत्म-
 निरीक्षण करे कि—“मैंने क्या किया ? मेरे लिए क्या कार्य
 करना शेष है ? वह कौनसा कार्य है जिसे मैं कर सकता हूँ
 परन्तु नही कर पा रहा हूँ ?

दूसरा मेरे किन दोषो को देखता है अथवा कौन सी अपनी
 भूल को मैं स्वयं देख लेता हूँ ? वह कौन सा दोष है जिसे मैं
 नही छोड रहा हूँ ? इस प्रकार सम्यक् प्रकार से आत्म-निरीक्षण
 करता हुआ मुनि भविष्य मे कोई दोष न लगावे ।

जब कभी मन, वचन और काया को दुष्प्रवृत्त होता हुआ
 देखे तो धैर्यवान साधु वही सम्हल जाये । जैसे जातिमान अश्व
 लगाम को खींचते ही शीघ्र सम्हल जाता है ।

जिस जितेन्द्रिय धैर्यवान मत्पुरुष के योग सदा इस प्रकार
 के होते हैं उसे लोक मे प्रतिबुद्धजीवी कहा जाता है वही सयमी
 जीवन जीता है ।

समाधियुक्त इन्द्रियो से आत्मा की सतत रक्षा करनी
 चाहिए । क्योंकि अरक्षित आत्मा जन्म-मरण को प्राप्त होता है
 और सुरक्षित आत्मा सब दुःखो से मुक्त हो जाता है ।

समणाणं तिविहा भावणा—

१०८. तिहिं ठाणेहिं समणे णिग्गथे महाणिज्जरे महापज्जवसाणे भवति, त जहा—

- (१) कया णं अह अप्प वा ब्रह्म वा सुय अहिज्जिस्सामि ?
(२) कया ण अह एकल्लविहारपडिमं उवसपज्जित्ता ण विहरिस्सामि ?

(३) कया ण अह अपच्छिममारणांतियसलेहणा-झूसणा-झूसिते भत्तपाणपडियाइविखते पाओवगते काल अणवकंख-माणे विहरिस्सामि ?

एव समणासा सवयसा सकायसा पागडेमाणे समणे निग्गथे महाणिज्जरे महापज्जवसाणे भवति ।

—ठाणं अ. ३, उ ४, सु २१०

समणाण वत्तीसं जोग-सगहा—

१०९. वत्तीसं जोगसगहा पणत्ता, तं जहा—

- (१) आलोयणा,
(२) निरवलावे,
(३) आवडंसु दढधम्मया,
(४) अणिस्सिओवहाणे,
(५) सिक्खा,
(६) निप्पडिकम्मया,
(७) अण्णायता,
(८) अलोभे य,
(९) तित्तिक्खा,
(१०) अज्जवे,
(११) सुई,
(१२) सम्मदिट्ठी,
(१३) समाही,
(१४) आघारे,
(१५) विणओवए,
(१६) धिईमई,
(१७) सवेगे,
(१८) पणिही,
(१९) सुविहि,
(२०) संवरे,
(२१) अत्तदोसोवसहारे,
(२२) सव्वकामविरत्तया,
(२३) मूलगुण-पच्चवखाणे,
(२४) उत्तरगुण-पच्चवखाणे,
(२५) विउस्सगे,

श्रमणो की तीन भावनायें—

१०८ तीन कारणो से श्रमण निर्ग्रन्थ महानिर्जरा और ससार का अन्त करने वाला होता है—

(१) कव मैं अल्प या बहुत श्रुत का अध्ययन करूँगा ?

(२) कव मैं एकल विहारी प्रतिमा को स्वीकार कर विहार करूँगा ?

(३) कव मैं अपश्चिम भारणान्तिक सलेखना की आराधना से युक्त होकर भक्त-पान का परित्याग कर पादपोषणमन सधारा स्वीकार कर मृत्यु की आकाक्षा नहीं करता हुआ विचरूँगा ?

इस प्रकार मन, वचन और काया से युक्त प्रकट रूप से भावना करता हुआ श्रमण निर्ग्रन्थ कर्मों का क्षय और ससार का अन्त करने वाला होता है ।

श्रमणो के वत्तीस योग संग्रह—

१०९. वत्तीस योग संग्रह कहे गये हैं, यथा—

- (१) दोषो की यथार्थ आलोचना करना,
(२) आलोचना सुनकर अन्य को नहीं कहना,
(३) संकट पडने पर भी धर्म में दृढ रहना,
(४) आसक्ति रहित तप करना,
(५) आचार्य द्वारा दी गई शिक्षा ग्रहण करना,
(६) शरीर का परिक्रमं न करना,
(७) गुप्त तप करना,
(८) निर्लोभी रहना,
(९) कण्टसहिष्णु होना,
(१०) व्यवहार में सरलता रखना,
(११) हृदय पवित्र रखना,
(१२) सम्यक्त्व शुद्ध रखना,
(१३) प्रसन्न चित्त रहना,
(१४) पचाचारो का पालन करना,
(१५) रत्नाधिक का विनय करना,
(१६) धैर्य रखना,
(१७) सवेग युक्त रहना,
(१८) अध्यवसायो की एकाग्रता रखना,
(१९) आचरण शुद्ध रखना,
(२०) सवर की वृद्धि करना,
(२१) आत्मा में आते हुए दोषो को रोकना,
(२२) समस्त विषयो से विरक्त रहना,
(२३) मूलगुणो का शुद्ध पालन करना,
(२४) उत्तरगुणो का शुद्ध पालन करना,
(२५) वस्त्र-यात्रादि उपकरणो तथा कपायादि का व्युत्सर्ग करना,

- (२६) अप्पमादे,
 (२७) लवालवे,
 (२८) क्षाणसंवरजोगे य,
 (२९) उदए मारणत्तिए,
 (३०) संगण च परिण्णा,
 (३१) पायच्छित्तकरणेत्ति य,
 (३२) आराहणा य मरणंते,
 वत्तीस जोगसगहा ।

—सम. सम ३२, सु १

सजम जोगे अप्पाण ठवणा—

११०. इच्चएहिं ठाणेहिं, जिणे दिट्ठेहिं संजए ।
 धारयन्ते उ अप्पाण, आमोक्खाए परिवएज्जासि ॥

—सूय सु. २, अ ५, गा. ३३

- (२६) प्रमाद का त्याग करना,
 (२७) समाचारी में सतत सावधान रहना,
 (२८) शुभ ध्यान में रहना,
 (२९) मारणान्तिक वेदना होने पर भी अधीर न होना,
 (३०) आसक्ति के स्वरूप को जानकर परित्याग करना,
 (३१) गृहीत प्रायश्चित्त का अनुष्ठान करना,
 (३२) मरण समय में सलेखना करके आराधक बनना ।
 ये वत्तीस योग संग्रह (समाधि के कारणभूत स्थान) हैं ।

संयम योग में आत्मा की स्थापना—

११०. जिनेश्वर भगवान द्वारा उपदिष्ट इन स्थानों से अपनी आत्मा को संयम में स्थापित करता हुआ मुनि मोक्ष प्राप्त होने तक पचाचार पालन में प्रगति करे ।



संयमी जीवन के अठारह स्थान—७

संजमस्स अट्टारस ठाणाइं—

१११. समणेणं भगवया महावीरेणं समणाण णिग्गथाणं सखुड्डयवि-
 अत्ताण अट्टारस ठाणा पण्णत्ता । त जहा—

वयच्छक्कं कायच्छक्कं, अकप्पो गिहिभायण ।
 पलियक निसिज्जा य, सिणाण सोभवज्जण ॥¹

—सम. स. १८, सु १

दस अट्ट य ठाणाइं जाइं वालोऽवरज्जई ।
 तत्थ अन्नयरे ठाणे निग्गथत्ताओ भत्सई ॥

—दश. अ. ६, गा ७

पढमं 'अहिंसा' ठाणं—

११२. तत्थिम पढम ठाणं, महावीरेणं देसिय ।
 अहिंसा निउण दिट्ठा, सव्वभूएसु संजमो ॥

जावति लोए पाणा, तसा अट्टव थावरा ।
 ते जाणमजाण वा, न हणे णो वि घायए ॥
 सव्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीविउं न मरिज्जिउं ।
 तम्हा पाणवहं घोर, निग्गंथा वज्जयंति णं ॥

—दस. अ. ६, गा ८-१०

संयम के अठारह स्थान—

१११. श्रमण भगवान् महावीर ने आवाल वृद्ध सभी श्रमण निर्ग्रन्थों के लिए अठारह स्थान कहे हैं । जैसे—

छः व्रत का पालन, छ काया का रक्षण, अकल्पनीय आहार आदि, गृहि-भाजन, पर्यंक (पलंग आदि), निषद्या, स्नान और शोभा (इन छ) का वर्जन ।

साधवाचार के ये अठारह स्थान हैं जो बाल अज्ञानी साधु इन अठारह स्थानों में से किसी एक भी स्थान की विराधना करता है, वह साधुपने से भ्रष्ट हो जाता है ।

प्रथम 'अहिंसा' स्थान—

११२. भगवान महावीर ने इन अठारह स्थानों में से पहला स्थान अहिंसा का कहा है । इसे उन्होंने सूक्ष्मरूप से देखा है । सब जीवों के प्रति संयम रखना अहिंसा है ।

लोक में जितने भी व्रम और स्थावर प्राणी हैं, मुनि उनका जान या अनजान में न हनन करे और न कराए ।

सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते । इसलिए प्राण-वध को भयानक जानकर निर्ग्रन्थ उसका वर्जन करते हैं ।

जगनिस्तिर्णहि भूएहि तसनामेहि थावरेहि च ।
नो तेसिमारभे दढ, मणसा वयसा कायसा चवे ॥

—उत्त अ ८, गा १०

उद्ध अहे य तिरिय दिसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा ।
हृथेहि पाएहि य सजमेत्ता, अदिणमन्नेसु य नो गहेज्जा ॥

—सूय सु १, अ. १०, गा २

द्वितीय 'सच्च' ठाणं—

११३. अप्पणट्ठा परट्ठा वा, कोहा वा जइ वा भया ।

हिसग न मुस बूया, नो वि अन्न वयावए ॥

मुसावाओ य लोगम्मि, सच्चसाहूहि गरहिओ ।

अविस्सासो य भूयाण, तम्हा मोस विवज्जए ॥

—दस. अ. ६, गा ११-१२

ततियं 'अतेणगं' ठाणं—

११४. चित्तमतमचित्त वा, अप्प वा जइ वा बहू ।

दत्तसोहणमेत्त पि, ओग्गहसि अजाइया ॥

त अप्पणा न गेण्हति, नो वि गेण्हावए पर ।

अन्न वा गेण्हमाणं पि, नाणुजाणति सजया ॥

—दस अ ६, गा. १३-१४

चउत्थं 'बंभच्चरिय' ठाणं—

११५ अवभच्चरिय घोर, पमाय दुरहिद्विय ।

नायरति मुणी लोए, भेयाययणवज्जिणो ॥

मूलमेयमहम्मस्त, महादोससमुस्सय ।

तम्हा भेहुणससग्ग, निग्गथा वज्जयति ण ॥

—दस अ ६, गा १५-१६

पचम 'अपरिग्रह' ठाणं—

११६ विडमुब्भेइमं लोण, तिल्ल सप्पि च फाणिय ।

न ते सन्निहिमिच्छन्ति, नायपुत्तवओरया ॥

लोहस्सेस अणुफासे, मन्ने अन्नयरामवि ।

जे सिया सन्निहीकामे, गिही पव्वइए न से ॥

ज पि वत्थं व पाय वा, कन्नल पायपुच्छं ।

त पि सजमलज्जट्ठा, धारेंति परिहरति य ॥

न सो परिग्रहो वुत्तो, नायपुत्तेण ताइणा ।

मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, इइ वुत्त महेसिणा ॥

संसार मे रहे हुए जो भी त्रम और स्थावर प्राणी है, उनके प्रति मन, वचन, काया रूप किसी भी प्रकार के दण्ड का प्रयोग न करे ।

ऊँची-नीची और तिरछी दिशाओ मे जो त्रस और स्थावर प्राणी हैं उन्हें अपने हाथो और पैरो को सयम मे रखकर किसी भी प्रकार से पीडा नही देनी चाहिए तथा दूसरो के द्वारा न दिये हुए पदार्थ को ग्रहण नही करना चाहिए ।

द्वितीय 'सत्य' स्थान—

११३ निर्ग्रन्थ अपने या दूसरो के लिए, क्रोध से या भय से पर पीडाकारक असत्य न बोले, न दूसरो से बुलवाए ।

इस लोक में मृपावाद समस्त साधुओ द्वारा गहित है और वह प्राणियो के लिए अविश्वसनीय है । अत निर्ग्रन्थ असत्य न बोले ।

तृतीय 'अस्तेय' स्थान—

११४ सयमी मुनि सजीव या निर्जीव, अल्प या बहुत, दन्तशोधन मात्र वस्तु का भी उसके अधिकारी की आज्ञा लिए विना स्वयं ग्रहण नही करता, दूसरो से ग्रहण नही कराता और ग्रहण करने वाले का अनुमोदन भी नही करता ।

चतुर्थ 'ब्रह्मचर्य' स्थान—

११५ अब्रह्मचर्य लोक मे घोर प्रमाद-जनक और दुर्जन व्यक्तियो द्वारा सेवन किया जाता है । चारित्र-भग के स्थान से वचने वाले मुनि उसका सेवन कभी भी नही करते ।

यह अब्रह्मचर्य अधर्म का मूल और महादोषो का समूह है । इसलिए निर्ग्रन्थ मैथुन के ससर्ग का सर्वथा परित्याग करते हैं ।

पचम 'अपरिग्रह' स्थान—

११६ जो महावीर स्वामी के वचनो मे रत है, वे मुनि विडलवण (जलाकर अचित्त बना नमक) उद्विग्न (अन्य शस्त्रो से अचित्त बना) लवण, तेल, घी, और गीले गुड के सग्रह करने की इच्छा नही करते ।

जो कुछ भी सग्रह किया जाता है वह लोभ का ही प्रभाव है अत तीर्थकर देव ऐसा मानते हैं कि जो श्रमण सन्निधि का कामी है वह गृहस्थ है, साधु नही है ।

जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल और रजोहरण है, उन्हें भी मुनि सयम और लज्जा की रक्षा के लिए ही रचते हैं और उनका उपयोग करते हैं ।

सब जीवो के रक्षक ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान महावीर ने वस्त्र आदि को परिग्रह नही कहा है । 'मूच्छा परिग्रह है' ऐसा महर्षियो ने कहा है ।

सव्वत्थुवहिणा बुद्धा, संरक्खणपरिग्गहे ।
अवि अप्पणो वि देहम्मि, नायरति ममाइय ॥
— दस अ ६, गा १७-२१

छट्ठे 'राइभोयण-विरमणं' ठाण—

११७. अहो निच्च तवोकम्म, सव्ववुद्धेहिं वणिणय ।
जा य लज्जासमा वित्ती, एगभत्तं य भोयणं ॥

सत्तिमे सुहुमा पाणा, तसा अदुव थावरा ।
जाइ राओ अपासतो, कहमेसणिय चरे ? ॥

उट्ठल्लं, वीयससत्त, पाणा निवडिया म्हि ।
दिया ताइ विवज्जेज्जा, राओ तत्थ कह चरे ? ॥

एयं च दोस दट्ठूण, नायपुत्तेण भासिय ।
सव्वाहार न भुजंति, निग्गथा राइभोयण ॥
— दम अ ६, गा २२-२५

सत्तमं 'पुढविकाय-अणारभं' ठाणं —

११८. पुढविकायं न हिंसति, मणमा वयसा फायसा ।
तिविहेण करणजोएण, संजया सुसमाहिया ॥
पुढविकाय विहिंसतो, हिंसई उ तयस्सिए ।
तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे य अचक्खुसे ॥

तम्हा एय वियाणित्ता, दोस, दुग्गइवड्ढणं ।
पुढविकायसमारभ जावज्जीवाए वज्जए ॥
— दस. अ ६, गा २६-२८

अट्ठमं 'आउकाय-अणारंभ' ठाणं—

११९. आउकायं न हिंसति, मणसा वयसा कायसा ।
तिविहेण करणजोएण, संजया सुसमाहिया ॥
आउकाय विहिंसतो, हिंसई उ तयस्सिए ।
तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे य अचक्खुसे ॥

तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवड्ढणं ।
आउकायसमारभं, जावज्जीवाए वज्जए ॥
— दम. अ ६, गा २९-३१

नवमं 'तेजकाय-अणारंभ' ठाणं—

१२०. जायतेय न इच्छति पावग जलइत्तए ।
तिवखमन्नयरं सत्थ, सव्वओ वि दुरासय ॥

पाईण पडिण वा वि, उड्ढ अणुदिसामवि ।
अहे दाहिणओ वा वि, दहे उत्तरओ वि य ॥

तत्त्वज्ञ मुनि संयम मे सहायक उपकरणों को संयम की रक्षा के लिए ही रखते हैं, मूर्च्छा भाव से नहीं रखते, और तो क्या वे अपने शरीर पर भी ममत्व भाव नहीं रखते ।

छठा 'रात्रि भोजन विवर्जन' स्थान—

११७ अहो ! सभी तीर्थंकरों ने श्रमणों के लिए सयम के अनु-कूल वृत्ति और देह पालन के लिए केवल दिन में ही एक बार भोजन रूप इस नित्य तप कर्म का उपदेश दिया है ।

ये जो त्रम और स्थावर अनेक सूक्ष्म प्राणी हैं जिनको कि रात्रि में साधु नहीं देख सकता है तो उनकी रक्षा करता हुआ किस प्रकार एपणीय आहार की श्वेपणा कर सकेगा ?

उदक से आर्द्र और वीज से युक्त भोजन तथा जीव युक्त मार्ग हो तो उन्हें दिन में टाला जा सकता है पर रात में उन्हें टाल कर मुनि कैसे भिक्षाचर्या कर सकेगा ?

ज्ञातपुत्र भगवान महावीर स्वामी के बताये हुए इन रात्रि भोजन के दोषों को सम्यक्तया जानकर निर्ग्रन्थ किमी भी प्रकार का आहार रात्रि में नहीं करते ।

सातवाँ 'पृथ्वीकाय अनारम्भ' स्थान—

११८ सुसमाहित संयमी पृथ्वीकाय की मन, वचन, वाया रूप तीन योगों से और तीन करण से हिंसा नहीं करते हैं ।

पृथ्वीकाय की हिंसा करता हुआ व्यक्ति उसके आश्रित अनेक प्रकार के दृश्यमान व अदृश्यमान त्रस और स्थावर प्राणियों की भी हिंसा करता है ।

इसलिए इन दुर्गति-वर्धक दोषों को जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त पृथ्वीकाय के समारम्भ का वर्जन करे ।

आठवाँ 'अपकाय अनारम्भ' स्थान—

११९ सुसमाहित संयमी अपकाय की मन, वचन, काया रूप तीन योगों से और तीन करण से हिंसा नहीं करते हैं ।

अपकाय की हिंसा करता हुआ व्यक्ति उसके आश्रित अनेक प्रकार के दृश्यमान व अदृश्यमान त्रस और स्थावर प्राणियों की भी हिंसा करता है ।

इसलिए इन दुर्गति-वर्धक दोषों को जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त अपकाय के समारम्भ का वर्जन करे ।

नवमा 'तेजस्काय अनारम्भ' स्थान —

१२०. मुनि पापरूप अग्नि को जलाने की इच्छा नहीं करते । क्योंकि वह दूसरे शस्त्रों की अपेक्षा तीक्ष्ण शस्त्र है तथा सब ओर से दुराश्रय है ।

यह अग्नि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्ध्व, अध दिशा और विदिशाओं में रहे हुए सभी जीवों को जलाती है ।

भूयाणमेसमाधाओ, हृव्ववाहो न ससओ ।
त पईवपयावट्ठा, सजया किचि नारभे ॥
तम्हा एय वियाणित्ता, दोस दुग्गइवड्ढण ।
तेउकायसमारभ, जावज्जीवाए वज्जए ॥

—दस. अ. ६, गा ३२-३५

दसमं 'वाउकाय-अणारभ' ठाण—

१२१. अनिलस्स समारभं, बुद्धा मन्नति तारिस ।
सावज्जवहुलं चेष, नेय ताईहिं सेविय ॥

तालियटेण पत्तेण, साहाविट्ठयणेण वा ।
न ते वीइउमिच्छन्ति, वीयावेउण वा परं ॥
जपि वत्थ व पाय वा, कवलं पायपुच्छण ।
न ते वायमुईरति, जय परिहरति य ॥

तम्हा एय वियाणित्ता, दोस दुग्गइवड्ढण ।
वाउकायसमारभं, जावज्जीवाए वज्जए ॥

—दस अ ६, गा. ३६-३९

एगादसम 'वणस्सइकाय-अणारंभं' ठाण —

१२२ वणस्सइ न हिंसति मणसा वयसा कायमा ।
तिविहेण करणजोएण, सजया सुसमाहिया ॥
वणस्सइ विहिंसतो, हिंसई उ तयस्सिए ।
तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे य अचक्खुसे ॥

तम्हा एयं वियाणित्ता, दोस दुग्गइवड्ढणं ।
वणस्सइममारभ, जावज्जीवाए वज्जए ॥

—दस अ. ६, गा ४०-४२

वारसमं 'तसकाय-अणारंभं' ठाणं—

१२३. तसकाय न हिंसंति, मणसा वयसा कायसा ।
तिविहेण करणजोएण, सजया सुसमाहिया ॥
तसकाय विहिंसतो, हिंसई उ तयस्सिए ।
तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे य अचक्खुसे ॥

तम्हा एय वियाणित्ता, दोस दुग्गइवड्ढणं ।
तसकायसमारभ, जावज्जीवाए वज्जए ॥

—दस अ. ६, गा. ४३-४५

तेरसम 'अकप्पिय-आहाराइ-विचरुजण' ठाण—

१२४. जाइ चत्तारिउमोज्जाइ, इसिणाऽहारमाईणि ।
ताइ तु विवज्जतो, सजम अणुपालए ॥
पिड मेज्ज च वत्थ च, चउत्थं पायमेव य ।
अकप्पिय न इच्छेज्जा, पिडिगाहेज्ज कप्पिय ॥

नि सन्देह अग्नि जीवो को आघात पहुँचाने वाली है, सयमी मुनि प्रकाश और ताप के लिए इसका कुछ भी आरम्भ न करे ।
इसलिए इन दुर्गति-वर्धक दोषो को जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त अग्निकाय के समारम्भ का वर्जन करे ।

दसवाँ 'वायुकाय अनारम्भ' स्थान—

१२१ नत्वज्ज पुरुष वायु के समारम्भ को अग्नि समारम्भ के तुल्य ही प्रचुर पाप युक्त मानते हैं । अतः यह छहकाय के त्राता मुनियो के द्वारा आसेवित नही है ।

वे साधु ताड के पखे से, पत्र से, वृक्ष की शाखा से, न तो स्वयं हवा करना चाहते हैं और न दूसरो से हवा कराना चाहते हैं ।
जो भी वस्त्र, कम्बल और पादपुछन आदि उपकरण हैं उनके द्वारा वे वायु की उदीरणा नही करते, किन्तु यतनापूर्वक उनका परिभोग करते हैं ।

इमलिए इन दुर्गतिवर्धक दोषो को जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त वायुकाय के समारम्भ का वर्जन करे ।

ग्यारहवाँ 'वनस्पतिकाय अनारम्भ' स्थान—

१२२ सुसमाहित सयमी वनस्पतिकाय की मन, वचन, काया रूप तीन योगो से और तीन करण से हिंसा नही करते ।
वनस्पतिकाय की हिंसा करता हुआ व्यक्ति उसके आश्रित अनेक प्रकार के दृश्यमान व अदृश्यमान त्रस और स्वावर प्राणियो की भी हिंसा करता है ।

इसलिए इन दुर्गति-वर्धक दोषो को जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त वनस्पति के समारम्भ का वर्जन करे ।

वारहवाँ 'त्रसकाय अनारम्भ' स्थान —

१२३. सुसमाहिन संयमी त्रसकाय की मन, वचन, काया रूप तीन योगो से और तीन करण से हिंसा नही करते ।
त्रसकाय की हिंसा करता हुआ व्यक्ति उसके आश्रित अनेक प्रकार के दृश्यमान व अदृश्यमान त्रस और स्वावर प्राणियो की भी हिंसा करता है ।

इसलिए इन दुर्गति-वर्धक दोषो को जानकर मुनि जीवन-पर्यन्त त्रसकाय के समारम्भ का वर्जन करे ।

तेरहवाँ 'अकल्प्य आहारादि वर्जन' स्थान—

१२४ मुनियो के लिए आहार आदि चार पदार्थ जो अकल्पनीय है उनका वर्जन करता हुआ यथाविधि सयम का पालन करे ।
मुनि अकल्पनीय आहार, शय्या, वस्त्र और पात्र को ग्रहण करने की इच्छा न करे किन्तु कल्पनीय ही ग्रहण करे ।

जे नियोगं ममायंति, कीयमुद्देशियाहड ।
वह ते समणुजाणति, इइ वुत्त महेसिणा ॥

तम्हा असणपाणाइ कीयमुद्देशियाहडं ।
वज्जयंति ठियप्पाणो, निग्गया धम्मजीविणा ॥
—दस अ. ६, गा ४६-४९

चौदसमं 'गिहि-भायण-अभुज्जं' ठाण—

१२५. कंसेसु कंसपाएसु, कुंडमोएसु वा पुणो ।
भुंजंतो असणपाणाइं, आयारा परिभस्सइ ॥

सीओदगसमारभे, मत्तधोयणछड्डणे ।
जाइं छन्नंति भूयाइ, दिट्ठो तत्थ असजमो ॥

पच्छाकम्म पुरेकम्म, सिया तत्थ न कप्पइ ।
एयमट्ठं न भुजंति, निग्गया गिहिभायणे ॥^१
—दस अ. ६, गा ५०-५२

गिहिमत्ते भोयण करणस्स पायच्छित्त-सुत्तं—

१२६ जे भिक्खू गिहिमत्ते भुजइ, भुंजंतं वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ॥
—नि उ. १२, सु १०

पण्णरसमं 'पलियं-अनिसेज्जं' ठाण —

१२७. आसंदीपलियंकेसु, मच्चमासालएसु वा ।
अणायरियमज्जाणं, आसइत्तु सइत्तु वा ॥
नासंदीपलियंकेसु, न निसेज्जा न पीढए ।
निग्गंथाऽपडिलेहाए, बुद्धवत्तमहिट्ठगा ॥

गभीरविजया एए, पाणा हुप्पडिलेहगा ।
आसंदीपलियका य, एयमट्ठ विवज्जिया ॥
—दस अ. ६, गा ५३-५५

गिही णिसेज्जाए णिसीयण पायच्छित्त-सुत्तं—

१२८. जे भिक्खू गिहिणिसेज्ज वाहेइ, वाहेत वा साइज्जइ ।

• आमन्त्रित पिण्ड, निर्ग्रन्थ के निमित्त खरीदे हुए, निर्ग्रन्थ के निमित्त बनाये गये, सम्मुख लाये गये आहार आदि को जो साधु ग्रहण करते हैं वे प्राणि-वध का अनुमोदन करते हैं । ऐसा महर्षि महावीर ने कहा है ।

इसलिए धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले स्थितात्मा निर्ग्रन्थ मुनि क्रीत, औद्देशिक और आहृत अशन, पान आदि का वर्जन करते हैं ।

चौदहवां 'गृहस्थपात्र में भोजन निषेध' स्थान—

१२५ जो मुनि गृहस्थ के कासे के प्याले में, कांसे के पात्र में और मिट्टी के बर्तन में आहार पानी भोगता है वह श्रमण के आचार से भ्रष्ट होता है ।

वर्तनों को सचित्त जल से धोने में और वर्तनों के धोए हुए पानी को अयतनापूर्वक डालने में प्राणियों की हिंसा होती है अतः गृहस्थ के वर्तन में भोजन करने में तीर्थंकरों ने असयम देखा है ।

गृहस्थ के वर्तन में भोजन करने से "पश्चान् कर्म" और "पूर्वकर्म" दोष लगने की सम्भावना रहती है । वह निर्ग्रन्थ के लिए कल्प्य नहीं है इसलिए वे गृहस्थ के वर्तन में भोजन नहीं करते ।

गृहस्थ के पात्र में भोजन करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

१२६ जो भिक्षु गृहस्थ के पात्र में आहार करता है, आहार करवाता है या आहार करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

पन्द्रहवां 'पल्यक निषेधा वर्जन' स्थान—

१२७ बेंत आदि की कुर्सी, पलंग, खाट और आराम कुर्सी आदि पर बैठना या सोना साधुओं के लिए अनाचार रूप है ।

तीर्थंकर भगवान की आज्ञा पालन करने वाले निर्ग्रन्थ आसन्दी, पलंग, आसन और पीठ का (विशेष स्थिति में उपयोग करना पड़े तो) प्रतिलेखन किए बिना उन पर न बैठें और न सोए ।

आसन्दी पलंग आदि गहरे छिद्र वाले होते हैं । इनमें प्राणियों की प्रतिलेखना करना कठिन होता है । इसलिए इन पर बैठना या सोना वर्जित किया है ।

गृहस्थ की शय्या पर बैठने का प्रायश्चित्त सूत्र—

१२८ जो भिक्षु गृहस्थ के पल्यकादि पर बैठता है, विठाता है या बैठने वाले का अनुमोदन करता है ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्ठाण उग्घाइय ।

—नि उ १२, सु १२

सोलसम 'गिही-णिसेज्जा-वज्जणं' ठाणं—

१२६ गोयरगपविट्ठस्स, निसेज्जा जस्स कप्पई ।
इनेरिसमणायार, आवज्जइ अवोहिय ॥
चिवत्ती बंभचेरस्स, पाणाणं अवहे च्हो ।
चणीमगपडिग्घाओ, पडिकोहो अगारिण ॥

अगुत्ती बभचेरस्स, इत्थीओ यावि सकणं ।
कुसीलवड्ढणं ठाण, दूरओ परिवज्जए ॥

—दस. अ ६, गा. ५७-५९

गोयरगपविट्ठो उ, न निसीएज्ज कत्थइ ।
कह च न पवधेज्जा, चिट्ठित्ताण व सजए ॥

—दस अ ५, उ. २, गा. ८

अंतरगिहे णिसेज्जाए अववाओ—

१३०. तो कप्पइ निग्गथाण वा निग्गथीण वा—अतरगिहसि—

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| (१) चिट्ठित्तए वा, | (२) निसीइत्तए वा, |
| (३) तुयट्ठित्तए वा, | (४) निदाइत्तए वा, |
| (५) पयलाइत्तए वा, | (६) असण वा, |
| (७) पाण वा, | (८) खाइम वा, |
| (९) साइम वा आहारमाहरित्तए, | (१०) उच्चार वा, |
| (११) पासवण वा, | (१२) खेल वा, |
| (१३) सिघाण वा परिट्ठवेत्तए | |
| (१४) सज्जायं वा करित्तए, | (१५) क्षाण वा क्षाइत्तए, |
| (१६) काउसग वा ठाण ठाइत्तए । | |

अह पुण एव जाणेज्जा वाहिए^१, जरानुण्णे, तवस्सी, दुब्बले,
फित्ते, मुच्छेज्ज वा, पवडेज्ज वा, एव से कप्पइ अतर-
गिहसि चिट्ठित्तए वा-आव-काउसग वा ठाण ठाइत्तए ।

गो कप्पइ णिग्गथाण वा णिग्गथीण वा अतरगिहसि-जाव-
चउगाह वा पचगाह वा आइषिखत्तए वा विभवित्तए वा
किट्ठित्तए वा पवेइत्तए वा ।

नप्पत्थ एगनाएण वा, एगवागरणेणं वा, एगगाहाए वा,
एगसिलोएण वा, से वि य ठिच्चा, नो च्चेव णं अठिच्चा ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

सोलहवाँ 'गृह निषद्या वर्जन' स्थान—

१२६. भिक्षा के लिए प्रविष्ट मुनि गृहस्थ के घर में बैठता है
तो वह इन अनाचार और दोषों को प्राप्त होता है ।

ब्रह्मचर्य व्रत का विनाश, प्राणियों का अकाल में वध,
अन्य भिक्षाचरों के अन्तराय और घरवालों को क्रोध उत्पन्न
होना ।

ब्रह्मचर्य असुरक्षित होता है और स्त्री के प्रति शका उत्पन्न
होती है अतः गृहस्थ के घर में बैठना कुशीलवर्धक स्थान समझ
कर मुनि इसका दूर से ही वर्जन करे ।

गोचरी के लिए गया हुआ साधु कहीं भी न बैठे और
खड़ा रहकर भी अधिक समय कथा वार्ता न करे ।

गृह निषद्या के अपवाद—

१३०. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियो को गृहस्थ के घर में,

- | | |
|--|------------------|
| (१) ठहरना, | (२) बैठना, |
| (३) सोना, | (४) निद्रा लेना, |
| (५) ऊष लेना, | (६) अशन, |
| (७) पान, | (८) खादिम, |
| (९) स्वादिम आहार करना, | (१०) मल, |
| (११) मूत्र, | (१२) खैका, |
| (१३) श्लेष्म परिष्ठापन करना, | |
| (१४) स्वाध्याय करना, | (१५) ध्यान करना, |
| (१५) कायोत्सर्ग कर स्थित होना नहीं कल्पता है । | |

यदि वह जाने कि जो भिक्षु व्याधिग्रस्त हो, वृद्ध हो,
तपस्वी हो, या दुर्बल हो, अकाल धवराहट से युक्त हो, वह
मूर्च्छित हो जाये या गिर पड़े तो उसे गृहस्थ के घर में ठहरना
—यावत्—कायोत्सर्ग कर स्थित होना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियो को गृहस्थ के घर में चार या पाँच
गाथाओं द्वारा कथन करना, उनका अर्थ करना, धर्माचरण का
कहना एव विस्तृत विवेचन करना नहीं कल्पता है ।

किन्तु आवश्यक होने पर केवल एक उदाहरण, एक प्रश्नो-
त्तर, एक गाथा या एक श्लोक द्वारा कथन आदि करना
कल्पता है । वह भी खड़े रहकर कथन करे किन्तु बैठकर नहीं ।

१ तिप्पहमन्नयरगस्स, निसेज्जा जस्स कप्पई । जराए अभिभूयस्स वाहियस्स तवम्सिणो ।

—दस. अ. ६, गा ६०

उस गाथा में अतिवृद्ध, व्याधिग्रस्त और तपस्वी इन तीन को अपवाद रूप में गृहस्थ के घर में बैठने का विधान है
किन्तु बृहत्कल्प सूत्र में दुर्बल और परिश्रान्त का अधिक उल्लेख है । जिनका समावेश व्याधिग्रस्त में समझा जा सकता है ।

नो कप्पइ निग्गथाण वा निग्गथीण वा अतरगिहसि, इमाइ पच्च महव्वयाइं सभावणाइं, आइक्खित्तए वा, विभावित्तए वा किट्टित्तए वा पवेइत्तए वा ।

नन्नत्थ एगनाएण वा-जाव-एगसिलोएण वा ।

से वि थ ठिच्चा, नो च्चेव ण अठिच्चा ॥

—कप्प. उ. ३, सु २१-२३

सत्तरसमं 'असिणाणं' ठाण—

१३१. वाहिओ वा अरोगी वा, सिणाण जो उ पत्थए ।

वुक्कंतो होइ आयारो, जडो हवइ सजमो ॥

सत्तिमे सुहमा पाणा, घसासु भिलुगासु य ।

जे उ भिक्खू सिणायतो, विथडेणुप्पिलावए ॥

तम्हा ते न सिणायति, सीएण उसिणेण वा ।

जावज्जीवं वय घोर, असिणाणं महिडुगा ॥

सिणाणं अट्टुवा कक्कं, लोद्धं पउमगाणि य ।

गायस्सुध्वट्टणट्टाए, नायरति कयाइ वि ॥

—दस. अ. ६, गा ६१-६४

अट्टारसमं 'अविभूसा' ठाण—

१३२. नगिणस्स वा वि भुडस्स, दीहरोम-नहंसिणो ।

मेहूणा उवसंतस्स, किं विभूसाए कारिय ? ॥

विभूसावत्तिर्यं भिक्खू, कम्मं वंघइ चिक्कण ।

ससारसायरे घोरे, जेणं पडइ डुरुत्तरे ॥

विभूसावत्तिय च्चेयं, बुद्धा मन्नति तारिसं ।

सावज्जवहुल च्चेय, नेय ताईहिं सेविय ॥

—दस अ ६, गा ६५-६७

निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को गृहस्थ के घर में भावना सहित पाँच महाव्रतों का कथन, अर्थ विस्तार या महाव्रताचरण के फल का कथन करना एवं विस्तृत विवेचन करना नहीं कल्पता है ।

किन्तु आवश्यक होने पर केवल एक उदाहरण—यावत्—एक श्लोक से कथन आदि करना कल्पता है । वह भी खड़े रहकर किन्तु बैठकर नहीं ।

सत्रहवाँ 'अस्नान' स्थान—

१३१. जो अस्वस्थ या स्वस्थ साधु स्नान करने की अभिलाषा करता है उसके आचार का उल्लंघन होता है तथा उसका समय शिथिल हो जाता है ।

पौली भूमि और दरार युक्त भूमि में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं । भिक्षु के प्रासुक जल से स्नान करने पर भी उन जीवों की जल में डूबने से विराधना अवश्य होती है ।

इसलिए मुनि शीत या उष्ण अचित्त जल से भी स्नान नहीं करते हैं वे जीवनपर्यन्त अस्नान रूप कठिन व्रत का पालन करते हैं ।

मुनि शरीर का उबटन करने के लिए सुगन्धित चूर्ण, कल्क, लोघ्र पद्मकेसर आदि का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं ।

अठारहवाँ 'अविभूषा' स्थान —

१३२. मलिन एवं परिमित वस्त्र होने से नग्न, द्रव्य-भाव से मुण्डित, दीर्घ-रोम और नखों वाले तथा मैथुन से निवृत्त मुनि को विभूषा से क्या प्रयोजन है ? अर्थात् कोई प्रयोजन नहीं होता है ।

विभूषा वृत्ति के द्वारा भिक्षु चिकने (गाढ) कर्म का बन्धन करता है उसमें वह दुस्तर और घोर समार सागर में गिरता है ।

तीर्थंकर विभूषा के सकल्प को भी विभूषा प्रवृत्ति के समान ही मानते हैं यह विभूषा वृत्ति प्रचुर पाप का कारण है अतः छहकाय के रक्षक मुनि इसका सेवन नहीं करते हैं ।



संयमी जीवन का फल—८

सर्वगुण सम्पन्नयाए फल—

१३३ प्र०—सर्वगुणसंपन्नयाए णं भन्ते । जीवे किं जणयइ ?

उ०—सर्वगुणसंपन्नयाए ण अपुनरावत्ति जणयइ । अपुनरावत्ति पत्तए ण जीवे सारीरमाणसाणं दुक्खणं नो भागी भवइ ।

—उत्त अ. २६, गा ४६

सर्व गुण सम्पन्नता का फल—

१३३. प्र०—भन्ते । सर्वगुण-सम्पन्नता में जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—सर्वगुण-सम्पन्नता से वह अपुनरावृत्ति अर्थात् मुक्ति को प्राप्त होता है । अपुनरावृत्ति को प्राप्त करने वाला जीव सारीरिक और मानसिक दुःखों का भागी नहीं होता ।

सामाह्य फल—

१३४ प०—सामाह्येण भते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—सामाह्येण सावज्जजोगधिरइ जणयइ ।

—उत्त अ २६, सु. १०

सजमाराहणाए फल—

१३५ दुक्कराइ करेत्ताण, दुस्सहाइ सहेत्तु य ।
के इत्थं देवलोएसु, केई सिज्झति नीरया ॥

खवित्ता पुव्वकम्माइ सजमेण तत्थेण य ।

सिद्धिमग्गमणुप्पत्ता ताइणो परिनिव्वुडे ॥

—दस अ ३, गा १४-१५

खवेत्ति अप्पाणममोहदसिणो, तवेरया सजम अज्जवे भुणे ।
धुणति पावाइ पुरेफडाइ, नवाइ पावाइ न ते करेत्ति ॥

सओवसता अममा अकिंचणा,

तविज्जविज्जाणुगया जससिणो ।

उउप्पसन्ते विमले व चदिमा,

सिद्धिं विमाणाइ उवेत्ति ताइणो ॥

—दम. अ. ६, गा. ६७-६८

एते ओघ तरिस्सति, समुइ य ववहारिणो ।

जत्थ पाणा विसण्णासी, फिच्चती सयकम्मुणा ॥

तं च भिक्खू परिण्णाय, सुव्वते समिते चरे ।

मुसावाय च वज्जेज्जा, अदिण्णादाण च वोसिरे ॥

उड्ढमहे तिरिय वा, जे केई तस-थावरा ।

सव्वत्थं विरतिं कुज्जा, संति निव्वानमाहितं ॥

—सूय सू. १, अ. ३, उ ४, गा १८-२०

प०—जे इमे भते ! अज्जत्ताए समणा निग्गथा विहरंति,

एते णं कस्स तेयलेस्सं वीयीवयति ?

उ०—गोयमा ! मास परियाए समणे निग्गथे वाणमंतराण

देवाण तेयलेस्सं वीयीवयति ।

दुमासपरियाए समणे निग्गथे असुरिदवज्जियाण

भवणवासीण देवाणं तेयलेस्सं वीयीवयति ।

तिमासपरियाए समणे निग्गथे असुरकुमाराणं देवाणं

तेयलेस्स वीयीवयति ।

सामायिक का फल—

१३४. प्र०—भन्ते ! सामायिक की आराधना से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—सामायिक से वह योगी की सावद्य प्रवृत्ति से विरति को प्राप्न होता है ।

सयम की आराधना का फल—

१३५. दुष्कर आचार का पालन करते हुए और दुःसह परीपहों को सहते हुए उन निर्ग्रन्थों में से कई देवलोक में जाते हैं और कई कर्म रहित होकर सिद्ध होते हैं ।

छ काय के रक्षक मुनि सयम और तप द्वारा पूर्व संचित कर्मों का क्षय करके सिद्धि मार्ग को प्राप्त कर मुक्त हो जाते हैं ।

अमोघदर्शी, तप, सयम और ऋजुता आदि गुणों में रत मुनि अपने शरीर को कृश कर देते हैं । वे पुराकृत पाप कर्मों का नाश करते हैं और नए पाप कर्म नहीं करते हैं ।

सदा उपशान्त, ममता-रहित, अकिंचन, आत्म-विद्यायुक्त, यशस्वी और छ काया के रक्षक मुनि शरद् ऋतु के चन्द्रमा की तरह निर्मल होकर मुक्त हो जाते हैं या वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं ।

जिस ससार समुद्र में पड़े हुए प्राणी अपने कर्मों से पीड़ित होते हैं उस ससार को मुनि उसी तरह पार कर लेते हैं जिस तरह कि व्यापारी समुद्र को पार कर लेते हैं ।

सयम व परीपहों के स्वरूप को जानकर भिक्षु महाव्रतों का सम्यग् रूप से पालन करे । असत्य भाषण का पूर्ण रूप से वर्जन करे तथा अदत्त ग्रहण आदि का भी पूर्ण त्याग करे ।

ऊपर नीचे तिरछे लोक में जो कोई भी त्रस स्थावर प्राणी है उनकी हिंसा से पूर्ण निवृत्त रहे । ऐसा करने से ही शान्ति रूपी निर्वाण पद की प्राप्ति कही गई है ।

प्र०—भगवन् ! जो ये श्रमण निर्ग्रन्थ आर्यन्तव युक्त (पाप रहित) होकर विचरण करते हैं, वे किसकी तेजोलेश्या का अतिक्रमण करते हैं ?

उ०—गौतम ! एक मास की दीक्षा पर्याय वाला श्रमण-निर्ग्रन्थ वाणव्यन्तर देवों की तेजोलेश्या का अतिक्रमण करता है ।

दो मास की दीक्षा-पर्याय वाला श्रमण-निर्ग्रन्थ असुरेन्द्र के सिवाय भवनवासी देवों की तेजोलेश्या का अतिक्रमण करता है ।

तीन मास की दीक्षा-पर्याय वाला श्रमण-निर्ग्रन्थ, असुरकुमार देवों की तेजोलेश्या का अतिक्रमण करता है ।

चउम्मासपरियाए समणे निग्गथे नक्खत्ततारारूवाण
जोतिसियाण देवाणं तेयलेस्सं वीयीवयति ।

पचमासपरियाए समणे निग्गथे च्चदिमधूरियाणं
जोतिसियाण जोतिसराईणं तेयलेस्स वीयीवयति ।

छम्मासपरियाए समणे निग्गथे सोहम्मीसाणाणं देवाण
तेयलेस्सं वीयीवयति ।

सत्तमासपरियाए समणे निग्गथे सणकुमार माहिदाणं
देवाणं तेयलेस्सं वीयीवयति ।

अट्टमासपरियाए बंभलोग-लतगाणं देवाणं तेयलेस्स
वीयीवयति ।

नवमासपरियाए समणे निग्गथे महासुक्क-सहस्साराणं
देवाणं तेयलेस्स वीयीवयति ।

दसमासपरियाए समणे निग्गथे आणय-पाणय-आरण-
अच्चुयाण देवाणं तेयलेस्सं वीयीवयति ।

एक्कारसमासपरियाए समणे निग्गथे गेवेज्जगाणं
देवाणं तेयलेस्स वीयीवयति ।

वारसमासपरियाए समणे निग्गथे अनुत्तरोववातियाणं
देवाणं तेयलेस्स वीयीवयति ।

तेण पर सुक्के सुक्काभिजातिए भवित्ता ततो पच्छा
सिज्जति-जाव-अत्तं करेति ।

—विद्या. स. १४, उ. ६, सु १७

धम्मराहणाए परिणामो—

१३६ अणागयमपस्सता, पच्चुप्पन्नगवेसगा ।
ते पच्छा परितप्पंति, खीणे आउम्मि जोव्वणे ॥

जेहि काल परवकत, न पच्छा परितप्पए ।
ते धीरा वधणुमुक्का नावकांखति जीवियं ।

—सूय. सु १, अ. ३, उ. ४, गा. १४-१५

तिहि ठाणेहि सपण्णे अणगारे

१. अणादीयं, २. अणवदगं, ३. दीहमद्वं ।

चाउरतं संसारफतार वीईवएज्जा, तं जहा—

१. अणिदानयाए, २. दिट्ठिसंपण्णयाए ३ जोगवाहियाए ।

—ठाण. अ. ३, उ. १, सु. १४४

चार मास की दीक्षा-पर्याय वाला श्रमण-निर्ग्रन्थ ग्रहण-
नक्षत्र तारारूप ज्योतिष्क देवो की तेजोलेश्या का अतिक्रमण
करता है ।

पाँच मास की दीक्षा पर्याय वाला श्रमण निर्ग्रन्थ ज्योतिष्केन्द्र
ज्योतिष्कराज चन्द्र और सूर्य की तेजोलेश्या का अतिक्रमण
करता है ।

छह मास की दीक्षा-पर्याय वाला श्रमण-निर्ग्रन्थ सौधर्म और
ईशानकरूपनामी देवो की तेजोलेश्या का अतिक्रमण करता है ।

सात मास की दीक्षा-पर्याय वाला श्रमण-निर्ग्रन्थ सनत्कुमार
और माहेन्द्र देवो की तेजोलेश्या का अतिक्रमण करता है ।

आठ मास की दीक्षा-पर्याय वाला श्रमण-निर्ग्रन्थ ब्रह्मलोक
और लान्तक देवो की तेजोलेश्या का अतिक्रमण करता है ।

नौ मास की दीक्षा-पर्याय वाला श्रमण-निर्ग्रन्थ महाशुक्र और
सहस्रार देवो की तेजोलेश्या का अतिक्रमण करता है ।

दस मास की दीक्षा पर्याय वाला श्रमण-निर्ग्रन्थ आनत,
प्राणत, आरण और अच्युत देवो की तेजोलेश्या का अतिक्रमण
करता है ।

ग्यारह मास की दीक्षा-पर्याय वाला श्रमण-निर्ग्रन्थ, ग्रैवेयक
देवो की तेजोलेश्या का अतिक्रमण करता है ।

बारह मास की दीक्षा-पर्याय वाला श्रमण निर्ग्रन्थ अनुत्तरो-
पपातिक देवो की तेजोलेश्या का अतिक्रमण करता है ।

इसके बाद शुक्ल एव परम शुक्ल होकर फिर वह सिद्ध
होता है,—यावत्—समस्त दु खो का अन्त करता है ।

धर्माराधना का फल—

१३६. भविष्य मे होने वाले दुःख को न देखते हुए जो लोग
वर्तमान सुख के अन्वेषण मे रत रहते हैं वे वाद मे आयु और
युवावस्था क्षीण होने पर पश्चात्ताप करते हैं ।

जिन पुरुषो ने धर्मोपार्जन के समय पर ही धर्माचरण मे
पराक्रम किया है, वे पीछे पश्चात्ताप नहीं करते । वे धीर पुरुष
बन्धनो से उन्मुक्त होकर असयमी जीवन की आकाक्षा नहीं
करते हैं ।

तीन म्यानो से सम्पन्न अनगार अनादि अनन्त अतिविस्तीर्ण
चातुर्गतिक ससार कातार से पार हो जाता है—(१) अनिदानता
—भोग प्राप्ति के लिए संकल्प नहीं करने से, (२) दृष्टि सम्पन्नता
—सम्यग् दृष्टि से, (३) योगवाहिता—योग का बहन करने या
समाधिस्थ रहने मे ।

सवुड भिक्खुस्स फलं—

१३७ सवुडक्कम्मस्स भिक्खुणो, जं दुक्खं पुट्ठ अवोहिए ।
तं सज्जमओवच्चिज्जइ, मरण हेच्च वयति पड्डिता ॥
—सूय सु १, अ २, उ ३, गा १

णिग्गय मुत्ति—

१३८ सीतोमिणच्चाई से णिग्गये, अरति-रतिसहे, फारुसियं णो
वेदेति, जागर-वेरोवरते वीरे । एव दुक्खा पमोक्खसि ।
—आ. सु. १, अ ३, उ १, सु. १०७ (ख)

सुसमणस्स समाहि तह कुसमणस्स असमाहि—

१३९. अहो य रातो य समुद्धितेहि, तहागतेहि पड्डिलक्क घम्म ।
समाहिमाघातमक्षोसयता, सत्थारमेव फरस वयति ॥

विसोहिय ते अणुकाहयते, जे आतभावेण वियागरेज्जा
अट्टाणिए होति वहुगुणाण, जे णाणसकाए मुस वदेज्जा ॥

जे यावि पुट्टा पलिउच्चयति, आदाणमट्ठं खलु वंचयति ।
असाहुणो ते इइ साधुमाणी, मायण्णि एहिंति अणंतघ ॥

जे कोहणे होइ जगट्टमासी, विओसिय जे उ उदीरएज्जा ।
अधे व से दडपह गहाय, अविओसिए, घासइ पावकम्मो ॥

जे विग्गहीए अन्नायभासी,
न से समे होति अन्नक्षपत्ते ।
ओवायकारी य हिरीमणे य,
एगतविट्ठी य अमाइस्से ॥

से पेसले सुहमे पुरिसजाते,
जच्चणिए चेव सुउज्जुयारे ।
वह्ण पि अणुसासिते जे तहच्चा,
समे ह्ण से होति अन्नक्षपत्ते ॥

जे यावि अप्प वसुम ति मत्ता,
सत्ताय वाद अपरिच्छ कुज्जा ।
तथेण वाह सहिउ ति मत्ता,
अण्णं जण पस्सति विवभूत ॥

सवृत भिक्षु का फल—

१३७ अष्टविध कर्मों का आगमन जिनने रोक दिया है । ऐसे भिक्षु को अज्ञानवश जो दुःख स्पृष्ट हो चुका है, वह समय से क्षीण हो जाता है । वे पण्डित मृत्यु को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं । निर्ग्रन्थ की मुक्ति—

१३८ निर्ग्रन्थ सर्दी और गर्मी को सहन करता है, अरति और रति को सहन करता है, कष्ट का वेदन नहीं करता । जागृत रहता है और वैर से उपरत होता है, वह वीर दुःख से मुक्त हो जाता है ।

सुश्रमण की समाधि और कुश्रमण की असमाधि—

१३९. दिन-रात सम्यक् रूप से अनुष्ठान करने में उद्यत, तीर्थ-करो से श्रुत-चारित्र्य धर्म को पाकर उनके द्वारा कथित समाधि का सेवन न करते हुए कुछ अविनीत शिष्य अपने धर्मोपदेशक को ही कठोर शब्द कहते हैं ।

जो शुद्ध वीतराग मार्ग से विपरीत अपनी रुचि के अनुसार प्ररूपणा करते हैं तथा तीर्थकर के ज्ञान में शका करके मिध्या-भाषण करते हैं वे उत्तम गुणों के पात्र नहीं होते हैं ।

जो पूछने पर अपने गुरु आदि का नाम छिपाते हैं, वे मोक्ष से अपने आप को वंचित करते हैं । वे वस्तुतः इस जगत् में असाधु होते हुए भी स्वयं को साधु मानते हैं ऐसे मायावी अनन्त वार जन्म-मरण को प्राप्त होते हैं ।

जो पुरुष श्रोधी है, परदोषभापी है, जो उपशान्त हुए कलह को फिर जगाता है, वह पापकर्मी, सदा कलहग्रस्त व्यक्ति, संकडी पगडडी से जाते हुए अधे की तरह दुःख का भागी होता है ।

जो साधक कलह करता है, न्याय विरुद्ध बोलता है, वह मध्यस्थ नहीं हो सकता है तथा कलह रहित भी नहीं होता किन्तु जो गुरु के निर्देशानुसार चलने वाला, पाप कार्य से लज्जित होने वाला, जीवादि तत्त्वों में निश्चित दृष्टि वाला तथा माया रहित व्यवहार वाला होता है ।

भूल होने पर आचार्य आदि के द्वारा अनेक वार अनुशासित होकर भी जो अपनी लेश्या शुद्ध रखता है, वह सुसाधक मृदु-भापी या विनयादिगुणयुक्त है । सूक्ष्मार्थदर्शी है, समय में पुरुषार्थी है, उत्तम जाति से समन्वित और साधवाचार में सहज सरल भाव से प्रवृत्त रहता है मध्यस्थभाव युक्त और मायादि कपाय से रहित होता है ।

जो अपने आप को संयम एवं ज्ञान का धनी मानकर अपनी परीक्षा किये बिना ही किसी के साथ वाद छेड़ देता है, अथवा अपनी प्रशंसा करता है, तथा "मैं महान् तपस्वी हूँ", इस प्रकार के मद से मत्त होकर दूसरे व्यक्ति को जल में पड़े हुए चन्द्रमा के प्रतिविम्ब की तरह निरर्थक समझता है ।

एगंतकूडेण उ से पलेइ,
ण विज्जती मोणपदसि गोत्ते ।
जे माणणट्ठेण विउक्कसेज्जा,
वसुमण्णतरेण अबुज्झमाणे ॥

जे माहणे जातिए खत्तिए वा,
तह उग्गपुत्ते तह लेच्छती वा ।
जे पव्वइते परदत्तभोई,
गोत्ते ण जे थवभति माणवद्धे ॥

ण तस्स जाई व कुल प ताण,
णणत्थ विज्जा-चरण सुत्तिण्ण ।
णिक्खम्म जे सेवइणारिकम्मं,
ण से पारए होइ विमोयणाए ॥
—सूय. सु १, अ १३, गा. २-११

अण्णाणी समणस्स गई—

१४०. समणा मु एगे वयमाणा, पाणवह मिया अयाणन्ता ।
मन्दा निरयं गच्छन्ति, वाला पाविमहिं दिट्ठीहिं ॥
—उत्त. अ. ८, गा ७

भिक्षुस्स अहिंसा फलं—

१४१. पाणे य नाइवाएज्जा, से 'समिए' ति वुच्चई ताई ।
तथो से पावय कम्म, निज्जाइ उदग व थलाओ ॥
—उत्त अ ८, गा ९

भिक्षुस्स हिंसाणुमोयण फलं—

१४२. "न ह्ण पाणवह अणुजाणे, मुच्चेज्ज कयाइ सव्वदुक्खाण" ।
एवापरिण्हिं अक्खाय, जेहिं इमो साहुधम्मो पण्णत्तो ॥
—उत्त. अ ८, गा. ८

भोगासत्ति परिणामो—

१४३. भोगामिसदोसविसण्णे हियनिस्सेयस बुद्धिवोच्चत्थे ।
वाले य मन्दिए मूढे, वज्झई मच्छिया व खेलमि ॥
—उत्त अ ८, गा ५

सुव्वयाणं संसारुत्तारो—

१४४. वुपरिच्चया इमे कामा, नो सुजहा अधीरपुरिसेहिं ।
अह सन्ति सुव्वया साहू, जे तरन्ति अतरं वणिघा व ॥
—उत्त अ. ८, गा. ६

वह मदलिप्त साधु एकान्तरूप से मोहरूपी कूटपाश में फस कर ससार में परिभ्रमण करता है, तथा जो सम्मान प्राप्ति के लिए सयम, तपस्या, ज्ञान आदि में विविध प्रकार का मद करता है, वह संयम पथ में स्थित नहीं है। वास्तव में संयम लेकर जो ज्ञानादि का मद करता है, वह परमार्थतः सर्वज्ञ-मार्ग को नहीं जानता।

जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, उग्र अथवा लिच्छवीवंशी है जो प्रव्रजित होकर परदत्तभोजी है, जो अभिमान योग्य (उच्च) गोत्र का मद नहीं करता है, वही सर्वज्ञोक्त यथातथ्य चारित्र्य में प्रवृत्त साधु है।

भलीभांति आचरित ज्ञान और चारित्र्य के सिवाय अन्य जाति कुल आदि दुर्गति से उसकी रक्षा नहीं कर सकते। जो प्रव्रज्या लेकर फिर गृहस्थ के कर्मों (सावद्य कार्य) का सेवन करता है वह कर्मों से विमुक्त होने में समर्थ नहीं होता।

अज्ञानी श्रमण की गति—

१४०. कुछ पशु की भांति अज्ञानी पुरुष "हम श्रमण हैं" ऐसा कहते हुए भी प्राणवध को नहीं जानते। वे मन्द और बालपुरुष अपनी पापमयी दृष्टियों से नरक में जाते हैं।

भिक्षु के अहिंसा का परिणाम—

१४१. जो जीवों की हिंसा नहीं करता वह साधक "समित" सम्यक् प्रवृत्ति वाला कहा जाता है। उस आत्मा से पाप-कर्म वैसे ही निकल जाता है जैसे ऊँचे स्थान से जल।

भिक्षु के हिंसाणुमोदन का फल—

१४२. जिन्होंने साधु धर्म की प्ररूपणा की है, उन आर्य पुरुषों ने ऐसा कहा है कि—“जो प्राणवध का अनुमोदन भी करता है, वह कभी भी सब दुःखों से मुक्त नहीं हो सकता।”

भोगासक्ति का परिणाम—

१४३. आत्मा को दूषित करने वाले, आमिरूप भोगों में निमग्न, हित और मोक्ष के विषय में विपरीत बुद्धि रखने वाला, अज्ञानी, मन्द और मूढ जीव कर्मों से वैसे ही बंध जाता है, जैसे श्लेष्म में मक्खी।

सुव्रती साधु का संसार पार—

१४४. इन काम-भोगों का त्याग दुष्कर है, अधीर पुरुषों के द्वारा कामभोग आसानी में नहीं छोड़े जाते। किन्तु जो सुव्रती साधु हैं वे दुस्तर काम भोगों को उसी प्रकार पार कर लेते हैं, जैसे—वणिक ममुद्राको।

कुसमणस्स दुग्गई सुसमणस्स सुग्गई—

१४५ एयारिसे पंच कुसीलस्सवुडे, रुवधरे म्णिषवराण हेट्ठिमे ।
अयसिलोए विसमेव गरहिए, न से इह नेव परत्यलोए ॥
—उत्त अ १७, गा २०

सुहसायगस्स समणस्स, सायाजलगस्स निगामसाइस्स ।
उच्छोलणा पहोइस्स, दुल्लहा सुग्गइ तारिसगस्स ॥
—दस अ ४, गा २६

चीराजिण नगिणिण जडी सघाडी मुडिण ।
एयाणि वि न तायति दुस्सील परियागय ॥
पिडोलए व्व दुस्सीलो नरगाओ न मुच्चई ।
भिक्षाए वा गिहत्थे वा सुव्वए फमई दिवं ॥
—उत्त अ ५, गा २१-२२

जे वज्जए एए सया उ दोसे, से सुव्वए होइ मुणीणमज्जे ।
अयसि लोए अमयं व पूइए, आराहए लोगमिणं तहापर ॥
—उत्त अ १७, गा २१

मज्ज सेवणस्स विवज्जणस्स थ परिणामो—

१४६ सुर वा मेरण वा वि, अन्नं वा मज्जग रस ।
ससक्ख न पिवे भिक्षू, जस सारक्खमप्पणो ॥
पिया एगइओ तेणो, न मे कोइ वियाणइ ।
तस्स पस्सह दोसाइ, नियडिं च सुणेह मे ॥

वड्ढई सोंडिया तस्स, मायामोस च भिवड्डुणो ।
अयसो य अनिब्बाणं, सययं च असाहुया ॥
निचुट्ठिवग्गो जहा तेणो, अत्तकम्मेहि दुम्मई ।
तारिसो मरणते वि, नाराहेइ सवर ॥

आयरिए नाऽऽराहेइ, समणे यावि तारिसो ।
गिहत्थे वि ण गरहत्ति, जेण जाणत्ति तारिस ॥

एवं तु अगुणप्पेही, गुणाण च विवज्जओ ।
तारिसो मरणते वि, नाऽऽराहेइ संवर ॥

तवं कुव्वइ मेहावी, पणीयं वज्जए रसं ।
मज्जप्पमायविरओ, तवस्सी अइउवकसो ॥

कुश्रमण की दुर्गति और सुश्रमण की सद्गति—

१४५ जो पूर्व नर्णित आचरण करने वाला, पाँच प्रकार के कुशीलो से युक्त केवल मुनि के वेश को धारण करने वाला और श्रेष्ठ मुनियो की अपेक्षा हीन समय वाला होता है, वह इस लोक में विप की तरह निन्दित होता है तथा उसके यह लोक और परलोक दोनो ही नहीं सुधरते ।

जो श्रमण इन्द्रिय सुख का इच्छुक, शाता के लिए आकुल, अधिक सोने वाला और हाथ पैर आदि को बार-बार धोने वाला होता है उसके लिए सुगति दुर्लभ है ।

वस्त्र, चर्म, नग्नता, जटा धारण, गुदडी धारण, सिरमुडन आदि दुःशील साधु की दुर्गति से रक्षा नहीं कर सकते ।

भिक्षाजीवी साधु यदि दुःशील है तो वह नरक से मुक्त नहीं हो सकता । भिक्षु हो या गृहस्थ यदि वह सुव्रती है तो दिव्य गति को प्राप्त करता है ।

जो इन पूर्वोक्ता दोषो का सदा वर्जन करता है वह मुनियो में सुव्रती होता है । वह इम लोक में अमृत की तरह पूजित होता है तथा इस लोक और परलोक दोनो लोक की आराधना करता है ।

मद्य सेवन का और विवर्जन का परिणाम—

१४६ अपने समय का संरक्षण करता हुआ भिक्षु सुरा, मेरक या अन्य किसी प्रकार का मादक रस आत्म-साक्षी से न पीए ।

जो मुनि मुझे कोई नहीं जानता (यो सोचता हुआ) एकान्त में स्तेनवृत्ति से मादक रस पीता है, उसके दोषो को देखो और मायाचरण को मुझसे सुनो ।

उस भिक्षु के उन्मत्तता, माया मृपा, क्षयश, अतृप्ति और सतत अमाधुता ये दोष बढ़ते हैं ।

वह दुर्मति अपने दुष्कर्मों से चोर की भाँति सदा उद्विग्न रहता है । मद्यप मुनि मरणान्त-काल में भी सवर की आराधना नहीं कर पाता ।

वह न तो आचार्य की आराधना कर पाता है और न श्रमणो की भी । गृहस्थ भी उसे मद्यप मानते हैं, इसलिए उसकी गर्हा करते हैं ।

इस प्रकार अगुणो की प्रेक्षा (आमेवना) करने वाला और गुणो को वर्जने वाला मुनि मरणान्त-काल में भी सवर की आराधना नहीं कर पाता ।

जो बुद्धिमान् साधक प्रणीत रम युक्त भोजनो को छोडकर तपश्चर्या करता है, जो मद्य प्रमाद में विरत होना है । वह तपन्वी विकास मार्ग में आगे बढ़ता है ।

तस्स पस्सह कल्लानं, अणेगसाहुपूइयं ।
विउलं अत्थसंजुत्तं, कित्तइस्सं सुणेह मे ॥

एव तु गुणप्पेही, अगुणाणं च विवज्जओ ।
तारिसो मरणंते वि, आराहेइ संवरं ॥

आयरिए आराहेइ, समणे यावि तारिसो ।
गिहत्था वि णं पूयंति, जेण जाणंति तारिस ॥

—दस अ. ५, उ. २, गा. ३६-४५

मज्जाइ सेवण-णिसेहो—

१४७. अमज्ज-मंसासि अमच्छरिया, अभिक्खणं निव्विगईगया य ।
अभिक्खणं काउसग्गकारी, सज्जायजोगे पयओ ह्वेज्जा ॥
—दस अ १०, चू २, गा. ७

अनेक साधुओं के द्वारा प्रशंसा को प्राप्त उस भिक्षु के कल्याण को देखो—वह विपुल सयम गुणों से युक्त होता है। मैं उसके गुणों का कथन करूँगा उसे मुझसे सुनो—

इस प्रकार गुण की प्रेक्षा (आसेवना) करने वाला और अगुणों को वर्जने वाला, शुद्ध भोजी मुनि मरणान्तकाल में भी संवर की आराधना करता है।

वह आचार्य की आराधना करता है और भ्रमणों की भी। गृहस्थ भी उसे शुद्ध भोजी मानते हैं, इसलिए उसकी पूजा करते हैं।

मद्यादि सेवन का निषेध—

१४७. साधु मद्य और मास का अभोजी हो, अमत्सरी हो, वार-वार विकृतियों को सेवन न करने वाला हो, वार-वार कायोत्सर्ग करने वाला और स्वाध्याय के लिए योगोद्वहन में प्रयत्नशील हो।



दिवस रात्रिक समाचारी—१

समायारी महत्तं—

१४८. सामायारि पवक्खामि, सव्वदुक्खविमोक्खणि ।
ज चरित्ता ण निग्गथा, तिण्णा संसार-सागर ॥

—उत्त. अ २६, गा. १

दसविहा समायारी—

१४९ पढमा आवस्सिया नामं, विइया य निसीहिया ।
आपुच्छणा य तइया, चउत्थी पडिपुच्छणा ॥
पंचमो छन्दणा नाम, इच्छाकारो य छट्ठो ।
सत्तमो मिच्छकारो य, तहक्कारो य अट्ठमो ॥
अव्वुट्ठाण च नवम, दसमी उवसपदा ।
एसा दसगा साहूणं सामायारी पवेइया ॥^१

—उत्त अ. २६, गा. २-४ है।

समाचारी का महत्त्व—

१४८ मैं सब दुःखों से मुक्त करने वाली उम समाचारी का निरूपण करूँगा, जिसका आचरण कर अनेक निर्ग्रन्थ ससार-सागर से तिर गये।

दस प्रकार की समाचारी—

१४९ पहली आवश्यकी, दूसरी नैपेधिकी,
तीसरी आपुच्छना, चौथी प्रति-पुच्छना है।
पाँचवी छन्दना, छठी इच्छाकार,
सातवी मिथ्याकार, आठवी तथाकार।
नाँवी अभ्युत्थान, दशवी उपमम्पदा,
ज्ञानियों ने यह दश प्रकार की साधुओं की समाचारी कही

१ दस प्रकार की समाचारी,

उत्तराध्ययन अ २६, गाथा २-३-४,

स्थानाग अ. १०, सूत्र ७४९,

भगवती श. २५, उ ७, सूत्र १६४

स्थानाग और भगवती में नाम और क्रम समान है अतः भगवती और उत्तराध्ययन की तालिका दी जाती है.—

उत्तराध्ययन सूत्र

(१) आवश्यकी

(२) नैपेधिकी

(३) आपुच्छणा

भगवती सूत्र

(४) आवश्यकी

(५) नैपेधिकी,

(६) आपुच्छणा

(शेष टिप्पण अगले पृष्ठ पर)

समाचारीए पव्वत्तण—

- १५० (१) गमणे आवस्सियं कुज्जा,
 (२) ठाणे कुज्जा नित्तीहिय,
 (३) आपुच्छणा सयकरणे,
 (४) परकरणे पडिपुच्छणा,
 (५) छन्दणा दव्वमाण,
 (६) इच्छाकारो य सारणे,
 (७) मिच्छाकारो य निन्दाए,
 (८) तह्वकारो य पडिस्सुए,
 (९) अब्भुट्ठाण गुरुपूया,
 (१०) अच्चणे उवसपदा ।

एव दु-पचसजुत्ता, सामायारी पवेइया ।

—उत्त अ २६, गा. ५-७

देवसिय सामायारी—

- १५१ पुव्विल्लम्मि चउत्तमाए, आइच्चम्मि समुट्ठिए ।
 भण्डय पडिलेहिता, वन्दित्ता य तओ गुरु ॥
 पुच्छेज्ज पजलिउडो, कि कायव्व मए इह ? ।
 इच्छ निओइड भन्ते ! वेयावच्चे व सज्जाए ॥

वेयावच्चे निउत्तेण, कायव्व अगिलायओ ।
 सज्जाए वा निउत्तेण, सव्वदुव्वखविमोक्खणे ॥

(पिछले पृष्ठ का शेष)

उत्तराध्ययन सूत्र

- (४) पडिपुच्छणा
 (५) छंदणा
 (६) इच्छाकार
 (७) मिच्छाकार
 (८) तह्वकार
 (९) अभ्युत्थान
 (१०) उवसपया

समाचारी का प्रवर्तन—

- १५० १ स्थान से बाहर जाते समय आवस्सही ३ कहना ।
 २ स्थान में प्रवेश करते समय निस्सही ३ कहना ।
 ३ अपना कार्य करने से पूर्व गुरु से अनुमति लेना ।
 ४ एक कार्य से दूसरा कार्य करते समय गुरु से पुनः अनुमति लेना ।
 ५. 'आपकी इच्छा हो तो इन पदार्थों में से कुछ लें' इस प्रकार गुरु आदि से कहना ।
 ६. सारणा में इच्छाकार का प्रयोग करे, आपकी इच्छा हो तो मैं आपका अमुक कार्य करूँ, आपकी इच्छा हो तो कृपया मेरा अमुक कार्य करें ।
 ७ साधु वृत्ति से विपरीत आचरण होने पर 'मिच्छामि दुक्कड' देना ।
 ८ गुरु के वचनो को सुनकर 'तहत्ति'—'जैसा आपने कहा वैसा ही है' इस तरह कहना ।
 ९ गुरु के प्रति पूज्य भाव दिखाने के लिए गुरु के आने पर खड़ा होना ।
 १०. ज्ञान प्राप्ति के लिए आचार्य या उपाध्याय आदि के पास रहना ।
 यह दश प्रकार की समाचारी कही गई है ।

दिवस समाचारी—

- १५१ सूर्य के उदय होने पर दिन के प्रथम प्रहर के चतुर्थ भाग में उपकरणों की प्रतिलेखना करे । तदनन्तर गुरु को वन्दना कर—
 हाथ जोड़ कर पूछे—'अब मुझे क्या करना चाहिए ? भते । मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वैयावृत्य या स्वाध्याय में से किसी एक कार्य में नियुक्त करें ।'
 वैयावृत्य में नियुक्त किये जाने पर अग्लान भाव से वैयावृत्य करे अथवा सर्वं दुःखी से मुक्त करने वाले स्वाध्याय में नियुक्त किये जाने पर अग्लान भाव से स्वाध्याय करे ।

भगवती सूत्र

- (७) पडिपुच्छणा
 (८) छंदणा
 (१) इच्छाकार
 (२) मिच्छाकार
 (३) तह्वकार
 (९) निमन्त्रण
 (१०) उवसपया

६वीं १०वीं समाचारी का क्रम तीनों सूत्रों में समान है । शेष के क्रम में भिन्नता है । ६वीं समाचारी के नाम की भिन्नता है किन्तु सर्वं समान ही किया है ।

दिवसस्स चउरो भागे, कुज्जा भिक्खू वियक्खणो ।
तओ उत्तरगुणे कुज्जा, दिणभागेसु चउसु वि ॥
पढम पोरिन्नि सज्जायं, वीय क्षाणं झियायई ।
तइयाए भिक्खायरिय, पुणो चउत्थीए सज्जायं ॥

—उत्त अ. २६, गा. ८-१२

पोरिसी विष्णाणं—

१५२ आसाढे मासे दुपया, पोस मासे चउप्पया ।
चित्तासोएसु मासेसु, तिपया हवइ पोरिसी ॥

अंगुलं सत्तरत्तेण, पक्खेण य दुयगुलं ।
वड्ढए हायए वावी, मासेण चउरंगुल ॥

—उत्त अ. २६, गा. १३-१४

छ ओमरत्ताओ —

१५३. छ ओमरत्ता पणत्ता, त जहा —

- (१) ततिए पव्वे,
- (२) सत्तमे पव्वे,
- (३) एक्कारसमे पव्वे,
- (४) पण्णरसमे पव्वे,
- (५) एगुणवीसइमे पव्वे,
- (६) तेवीसइमे पव्वे ।^१ —ठाणं अ. ६, सु. ५२४ (क)

छ अतिरत्ताओ —

१५४ छ अतिरत्ता पणत्ता, तं जहा—

- (१) चउत्थे पव्वे,
- (२) अट्टमे पव्वे,
- (३) दुवालसमे पव्वे,
- (४) सोलसमे पव्वे,
- (५) वीमइमे पव्वे,
- (६) चउवीसइमे पव्वे । —ठाणं. अ. ६, सु ५२४ (ख)

पत्त-पडिलेहणा कालो—

१५५ जेट्टामूले आसाढ सावणे, छहिं अंगुलोहो पडिलेहा ।
अट्टहिं वीय तियमी, तइए दस अट्टहिं चउत्थे ॥

—उत्त. अ. २६, गा १६

विचक्षण भिक्षु दिन के चार भाग करे । उन चारो भागो मे स्वाध्याय आदि उत्तरगुणो की आराधना करे ।

प्रथम प्रहर मे स्वाध्याय और दूसरे प्रहर मे ध्यान करे । तीसरे प्रहर मे भिक्षाचरी और चौथे मे पुन स्वाध्याय करे ।

पौरुषी विज्ञान—

१५२. आषाढ मास मे दो पाद प्रमाण पौष मास मे चार पाद प्रमाण, चैत्र तथा आश्विन माम मे तीन पाद प्रमाण छाया होने पर पौरुषी होती है ।

सात दिन रात मे एक अंगुल, पक्ष मे दो अंगुल और एक मास मे चार अंगुल वृद्धि और हानि होती है । (श्रावण मास से पौष तक वृद्धि और माघ से आषाढ तक हानि होती है ।)

छ. क्षय तिथियां—

१५३. छह अवमरात्र (क्षय तिथियां) होते है, यथा—

१. तीसरे पर्व—आषाढ कृष्णपक्ष मे,
२. सातवें पर्व—भाद्रपद कृष्णपक्ष मे,
३. ग्यारहवें पर्व—कार्तिक कृष्णपक्ष मे,
४. पन्द्रहवें पर्व—पौष कृष्णपक्ष मे,
५. उन्नीसवें पर्व—फाल्गुन कृष्णपक्ष मे,
६. तेईसवें पर्व—वैशाख कृष्णपक्ष मे,

छ वृद्धि तिथियां—

१५४ छह अतिरात्र (वृद्धि तिथियां) होती हैं, यथा—

१. चौथे पर्व—आषाढ शुक्लपक्ष मे,
२. आठवें पर्व—भाद्रपद शुक्लपक्ष मे,
३. बारहवें पर्व—कार्तिक शुक्लपक्ष मे,
४. सोलहवें पर्व—पौष शुक्लपक्ष मे,
५. वीसवें पर्व—फाल्गुन शुक्लपक्ष मे,
६. चौबीसवें पर्व—वैशाख शुक्लपक्ष मे,

पात्र-प्रतिलेखना का काल—

१५५. ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण इस प्रथम त्रिक मे छह अंगुल, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक इम द्वितीय त्रिक मे आठ अंगुल, मृगशिर, पौष, माघ इम तृतीय त्रिक मे दस अंगुल और फाल्गुन, चैत्र, वैशाख इस चतुर्थ त्रिक मे आठ अंगुल पौरुषी के माप में वृद्धि करने से पौन पौरुषी (अर्थात् पात्र-प्रतिलेखना) का समय होता है ।

पढम पोरिसी समायारी—

१५६ पुव्वल्लमि चउव्माए, पडिलेहिताण भण्डय ।
गुरुं वन्दित्तु सज्जायं, कुज्जा दुक्खविमोक्खण ॥

पोरिसीए चउव्माए, वन्दित्ताण तओ गुरु ।
अपडिक्कमित्ता कालस्स, भायण पडिलेहए ॥

—उत्त. अ. २६, गा २१-२२

पडिलेहणा विही—

१५७ मुहपोत्तिय पडिलेहिता, पडिलेहिज्ज गोच्छग ।
गोच्छगलइयगुत्तिओ, वत्थाइ पडिलेहए ॥

उद्धं थिरं अतुरियं, पुव्व ता वत्थमेव पडिलेहे ।
तो विइय पफ्फोडे, तइयं च पुणो पमज्जेज्जा ॥

अणच्चावियं अवलिय, अणाणुवन्धि अमोसलिं चे व ।
छप्पुरिमा नव खोडा, पाणीपाणविसोहणं ॥

—उत्त. अ. २६, गा २३-२५

पडिलेहणा दोसाई—

१५८ (१) आरभटा, (२) सम्मदा,
वज्जेयव्वा य मोसली (३) नइया ।
पफ्फोडणा (४) चउत्थी,
विकिखत्ता (५) वेइया (६) छट्टा ॥

(७) पसिडिल (८) पलम्ब (९) लोला,
(१०) एगामोत्ता (११) अपेगख्वघुणा ।

कुणइ (१२) पमाणि-पमाय,
संकिए गणणोवग (१३) कुज्जा ॥

—उत्त. अ. २६, गा. २६-२७

प्रथम पौरुषी की समाचारी—

१५६. दिन के प्रथम प्रहर के प्रथम चतुर्थ भाग में उपकरणों का प्रतिलेखन कर, गुरु को वन्दना कर, दुःख से मुक्त करने वाला स्वाध्याय करे ।

पौन पौरुषी बीत जाने पर गुरु को वन्दना करके स्वाध्याय काल का प्रतिक्रमण कायोत्सर्ग किए बिना ही पात्र की प्रतिलेखना करे ।

प्रतिलेखना की विधि—

१५७ मुख-वस्त्रिका की प्रतिलेखना कर गोच्छग की प्रतिलेखना करे और गोच्छग को अगुलियों से पकडकर वस्त्रों की प्रतिलेखना करे ।

प्रतिलेखना करते समय वस्त्र को ऊंचा रखे, स्थिर रखे और शीघ्रता किए बिना उमकी प्रतिलेखना करे । दूसरे में वस्त्र को झटकाए और तीसरे में वस्त्र को प्रमार्जना करे ।

प्रतिलेखना करते समय—१ वस्त्र या शरीर को न नचाए, २ वस्त्र कहीं मुडा हुआ न रहे, ३ वस्त्र पर निरन्तर उपयोग रखे, ४ भीत आदि से वस्त्र का स्पर्श न करे, ५ वस्त्र के छह पूर्व और नौ खोटक करे और ६ जो कोई प्राणी हो उसको हाथों पर लेकर विशोधन करे ।

प्रतिलेखना के दोष—

१५८ (१) आरभटा—उतावल से प्रतिलेखना करना ।
(२) सम्मदा—उपधि पर बैठकर प्रतिलेखना करना ।
(३) मोसली—प्रतिलेखन करते समय वस्त्र को ऊपर, नीचे, तिरछे दिवाल आदि से मघट्टित करना ।
(४) प्रस्फोटना—अयतना से वस्त्र को झटकना ।
(५) विकिषत्ता—प्रतिलेखित-अप्रतिलेखित वस्त्रों को एक साथ रखना ।
(६) वेदिका—विपरीत आसन से बैठकर प्रतिलेखना करना ।
(७) प्रशिथिल—वस्त्र को ढीला पकडना ।
(८) प्रलम्ब—वस्त्र की प्रतिलेखना दूर से करना ।
(९) लोल—प्रतिलेख्यमान वस्त्र का भूमि से सघर्ष करना ।
(१०) एकामशा—एक दृष्टि में ही समूचे वस्त्र को देख लेना ।

(११) अनेक रूप धूनना—वस्त्र को अनेक बार झटकना ।

(१२) प्रमाण-प्रमाद - प्रस्फोटन प्रमार्जन का जो प्रमाण बताया है उसमें प्रमाद करना ।

(१३) गणनोपगणना—प्रस्फोटन और प्रमार्जन के निर्दिष्ट प्रमाण में शंका होने पर उमकी गिनती करना ।

अणूणाइरित्त-पडिलेहणा—

१५६. अणूणाइरित्तपडिलेहा अविवच्चासा तहेव य ।

पढम पय पसत्थ सेसाणि उ अप्पसत्थाइं ॥

—उत्त अ २६, गा २८

पडिलेहणा पमत्तो विराहओ—

१६०. पडिलेहण कुणन्तो, मिहोकह कुणइ जणवयकह वा ।

देइ व पच्चक्खणां, वाएइ सयं पडिच्छइ वा ॥

पुढवी-आउक्काए, तेऊ-चाऊ-वणस्सइ-तसाण ।

पडिलेहणापमत्तो, छण्ह पि विराहओ होइ ॥

—उत्त अ २६, गा. २६-३०

पडिलेहणा आउत्तो आराहओ—

१६१. पुढवी-आउक्काए, तेऊ-चाऊ-वणस्सइ-तसाण ।

पडिलेहणाउत्तो छण्ह आराहओ होइ ॥

—उत्त अ. २६, गा ३०

तइयाए पोरिसीए समायारी—

१६२. तइयाए पोरिसीए भत्त पाण गवेसए ।

छण्ह अन्नयरागम्मि. कारणंमि समुट्टिए ॥

—उत्त अ २६, गा ३१

चउत्थीए पोरिसीए समायारी—

१६३. चउत्थीए पोरिसीए, निक्खवित्ताण भायणं ।

सज्जाय तओ कुज्जा, सव्वभावविभावण ॥

पोरिसीए चउत्थाए, वन्दित्ताण तओ गुरुं ।

पडिक्कमित्ता कालस्स, सेज्ज तु पडिलेहए ॥

पासवणुच्चारभूमि च, पडिलेहिज्ज जय जई ।

काउस्सगं तओ कुज्जा, सव्वदुक्खविमोक्खणं ॥

—उत्त. अ. २६, गा. ३६-३८

देवसिय-पडिक्कमण समायारी—

१६४. देवसियं च अईयार, चिन्तिज्ज अणुपुव्वसो ।

नाणे य दसणे चैव, चरित्तम्मि तहेव य ॥

पारिय-काउस्सगो, वन्दित्ताण तओ गुरुं ।

देवसिय तु अईयारं, आलोएज्ज जहक्कम ॥

पडिक्कमित्तु निस्सल्लो, वन्दित्ताण तओ गुरुं ।

काउस्सगं तओ कुज्जा, सव्वदुक्खविमोक्खण ॥

पारियकाउस्सगो, वन्दित्ताण तओ गुरुं ।

“पुइमगल च काऊणं” काल संपडिलेहए ॥

—उत्त. अ. २६, गा. ३६-४२

अन्युनाधिक प्रतिलेखना—

१५६. प्रतिलेखना के विषय में शास्त्रोक्त विधि से कम न करना, अधिक न करना और विपरीत न करना यह प्रथम विकल्प प्रशस्त है और शेष अप्रशस्त है ।

प्रतिलेखना-प्रमत्त विराधक—

१६०. जो प्रतिलेखना करते समय परस्पर वार्तालाप करता है, जन-पद की कथा करता है, प्रत्याख्यान कराता है, दूसरे को पढाता है अथवा स्वयं पढता है ।

इस प्रकार प्रतिलेखना में प्रमत्त मुनि पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय—इन छहों कायो का विराधक होता है ।

प्रतिलेखना में उपयुक्त आराधक—

१६१. प्रतिलेखना में अप्रमत्त मुनि पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय—इन छहों कायो का आराधक होता है ।

तृतीय पौरुषी समाचारी—

१६२. छह कारणों में से किसी एक के उपस्थित होने पर तीमरे प्रहर में भक्त और पान की गवेषणा करे ।

चतुर्थ पौरुषी समाचारी—

१६३. चौथे प्रहर में प्रतिलेखना करके पात्रों को बांध कर रख दे, फिर सर्व भावों को प्रकाशित करने वाला स्वाध्याय करे ।

चौथे प्रहर के चतुर्थ भाग में (पौन पौरुषी वीत जाने पर) गुरु को वन्दना कर, स्वाध्याय काल का प्रतिक्रमण कर शय्या की प्रतिलेखना करे ।

यतनाशील मुनि फिर प्रस्रवण और उच्चार-भूमि की प्रतिलेखना करे । तदनन्तर सर्व दुःखों से मुक्त करने वाला कायोत्सर्ग करे ।

द्वैसिक प्रतिक्रमण समाचारी—

१६४. ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में लगे दिन सम्बन्धी अतिचारों का अनुक्रम से चिन्तन करे ।

कायोत्सर्ग को समाप्त कर गुरु को वन्दना करे । फिर अनुक्रम से दिन सम्बन्धी अतिचारों की आलोचना करे ।

प्रतिक्रमण से निःशुल्य होकर गुरु को वन्दना करे । फिर सर्व दुःखों से मुक्त करने वाला कायोत्सर्ग करे ।

कायोत्सर्ग को समाप्त कर गुरु को वन्दना करे । फिर ‘स्तुति-मगल’ (णमोत्पुण का पाठ) करके स्वाध्याय काल की प्रतिलेखना करे ।

निद्राशीलो पावसमणो—

१६५ जे के इमे पव्वइए, निद्राशीले पगामसो ।
भोच्चा पेच्चा सुह सुवद, पावसमणि त्ति वुच्चई ॥

—उत्त अ १७, गा २

राईय समायारी—

१६६ रत्ति पि चउरो भागे, भिक्खू कुज्जा विवक्खणो ।
तओ उत्तरगुणे कुज्जा, राइमाएसु चउसु वि ॥
पढम पोरिसि सज्जाय, वीय क्षाण क्षियायइ ।
तइयाए निद्दमोक्ख तु, चउत्थो भुज्जो वि सज्जाय ॥

—उत्त. अ २६, गा १७-१८

राईय पोरिसी विण्णाण—

१६७ ज नेइ जया रत्ति, नक्खत्तं तमि नह-चउग्भाए ।
सपत्ते विरमेज्जा, सज्जाय पओस-कालम्मि ॥

तम्मैव य नक्खत्ते, गयण-चउग्भाग-सावसेसमि ।
वेरत्तिय पि काल, पडिलेहिच्चा मुणी कुज्जा ॥

—उत्त अ २६, गा. १९-२०

राईय-चउत्थीए पोरिसीए समायारी—

१६८ “पोरिसीए चउत्थीए, कालं तु पडिलेहिच्चा ।
सज्जाय तओ कुज्जा, अबोहन्तो असजए ॥
पोरिसीए चउग्भाए, “वन्दिऊण तओ गुरु” ।
पडिक्कमित्तु कालस्स, काल तु पडिलेहए ॥

आगए काय-वोस्सग्गे, सव्व-दुक्ख-विमोक्खणे ।
काउस्सग्ग तओ कुज्जा, सव्व-दुक्ख-विमोक्खण ॥

—उत्त अ २६, गा ४४-४६

राईय पडिक्कमण समायारी—

१६९ राइय च अईयारं, चिन्तिज्ज अणुपुव्वसो ।
नाणमि दसणमि, चरित्तमि तवमि य ॥
पारिय काउस्सग्गो, वन्दित्ताण तओ गुरु ।
राइय तु अईयारं, आलोएज्जा जहक्कमं ॥
पडिक्कमित्तु निस्सल्लो, वन्दित्ताण तओ गुरु ।
काउस्सग्ग तओ कुज्जा, सव्व-दुक्ख-विमोक्खण ॥
फि तव पडिक्कज्जामि, एव तत्थ विचिन्तए ।
काउस्सग्ग तु पारित्ता, फरिज्जा जिणनयव ॥

१ उत्त. अ २६, गा. ४३ ।

निद्राशील पापश्रमण—

१६५. जो प्रव्रजित होकर बार-बार नींद लेता है, चा-भीकर
आराम से लेट जाता है, यह पाप-श्रमण कहलाता है ।

रात्रि-पमाचारी—

१६६ विवक्षण भिक्षु रात्रि के भी चार भाग करे । उन चारो
भागो मे स्वाध्याय आदि उत्तर गुणो की आराधना करे ।

प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरी मे ध्यान, तीसरी मे निद्रा
और चौथी मे पुन स्वाध्याय करे ।

रात्रि पौरुषी विज्ञान—

१६७ जो नक्षत्र जिस रात्रि को वहन करता है, वह नक्षत्र जब
आकाश के चतुर्थ भाग मे आये तब प्रदोष-काल (रात्रि के
प्रारम्भ) मे प्रारम्भ की हुई स्वाध्याय से विरत हो जाए ।

वही नक्षत्र जब आकाश के चतुर्थ भाग मे शेष रहे तब
वैरात्रिक काल अर्थात् रात का चतुर्थ प्रहर आया हुआ जानकर
मुनि फिर स्वाध्याय काल की प्रतिलेखना करे ।

रात्रि के चतुर्थ प्रहर की समाचारी—

१६८ चौथे प्रहर मे काल की प्रतिलेखना कर असयत व्यक्तियो
को न जगाता हुआ स्वाध्याय करे अर्थात् ऊँचे स्वर से न बोले ।

रात्रि के चौथे प्रहर के चतुर्थ भाग मे गुरु को वन्दना करे,
स्वाध्याय काल से निवृत्त होकर प्रतिक्रमण काल की प्रतिलेखना
करे ।

कायोत्सर्ग का समय आने पर सर्व प्रकार के दुखो से मुक्त
करने वाला कायोत्सर्ग करे ।

रात्रि प्रतिक्रमण समाचारी—

१६९ ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप मे लगे रात्रि सम्बन्धी
अतिचारो का अनुक्रम से चिन्तन करे ।

कायोत्सर्ग को समाप्त कर गुरु को वन्दना करे । फिर
अनुक्रम से रात्रि सम्बन्धी अतिचारो की आलोचना करे ।

प्रतिक्रमण से निःश्लथ होकर गुरु को वन्दना करे, फिर सर्व
दुखो से मुक्त करने वाला कायोत्सर्ग करे ।

में कौन-सा तप ग्रहण करूँ ? कायोत्सर्ग मे इस प्रकार का
चिन्तन करे । फिर कायोत्सर्ग को समाप्त कर जिन सत्त्व
(लोगस्स का पाठ) करे ।

पारिय-काउस्सगो, वन्दित्ताण तओ गृहं ।
तवं संपडिवज्जेत्ता, कुज्जा सिद्धाण सयवं ॥

—उत्त. अ. २६, गा. ४७-५१

उपसंहारो—

१७० एसा सामायारी, समासेण वियाहिया ।
ज चरित्ता वहु जीवा, तिण्णा ससार सागरं ॥

—त्ति वेमि ।

—उत्त अ. २६, गा. ५२

कायोत्सर्गं पारित होने पर (जिन सस्तव करके) मुनि गुरु को वन्दना करे। फिर तप को स्वीकार कर मिद्धो की स्तुति (णमोत्पुणं का पाठ) करे।

उपसंहार—

१७० यह समाचारी मैंने सक्षेप में कही है। इसका आचरण कर बहुत से जीव ससार-सागर से तिर गये।

—ऐसा मैं कहता हूँ।



वर्षावास-समाचारी—२

वासावासे संपत्ते विहार-णिसेहो—

१७१. अब्भुवगते खलु वासावासे अमिपवुट्ठे, वहवे पाणा अभि-
सभूया, वहवे वीया भहुणुविमण्णा, अतरा से मग्गा बहुपाणा
-जाव-मक्कडा-संताणगा, अणभिककंता, पथा, णो विण्णाया
मग्गा, सेवं णच्चा णो गामाणुगाम दूइज्जेज्जा^१, ततो
संजयामेव वासावासं उवल्लिएज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ३, उ १, सु ४६४

वासावास-अजोग खेत्तं—

१७२ से भिक्खू वा भिक्खूणी वा से ज्ज पुण जाणेज्जा गामं वा
-जाव-रायहाणि वा,
इमंसि खलु गामसि वा-जाव-रायहाणिमि वा णो महती
विहारभूमि, णो महती वियारभूमि ।

णो सुलभे पीढ-फलग-सेज्जा सथारए णो सुलभे फासुए-ऊछे
अहेसणिज्जे,
वहवे जत्थ समण-साहण-अतिहि-किवण-वणीमगा-उवागता,
उवागमिस्संति य, उच्चाइण्णा-चित्ती, णो पणस्स णिक्खमण
पवेसाए-जाव-घम्माणुओग-चित्ताए ।

सेवं णच्चा तहप्पगारं गाम वा-जाव-रायहाणिं वा णो
वासावास उवल्लिएज्जा ।

—आ. सु. २, अ. ३, उ. १, सु. ४६५

वर्षाकाल आ जाने पर विहार का निषेध—

१७१ वर्षाकाल आ जाने पर वर्षा हो जाने से बहुत से प्राणी उत्पन्न हो गये हो, बहुत से बीज अकुरित हो गये हो, मार्ग के बीच में बहुत से जीव चलते हो - यावत्—मकड़ी के जाले हो गये हो, वर्षा के कारण मार्ग चलने योग्य न रहे हो या मार्ग का पता नहीं चलता हो, ऐसी स्थिति जानकर साधु एक ग्राम से दूसरे ग्राम को विहार न करे। अपितु यतनापूर्वक वर्षावास व्यतीत करे।

वर्षावाम के अयोग्य क्षेत्र—

१७२ वर्षावास करने वाले भिक्षु या भिक्षुणी उस ग्राम—यावत्—
राजधानी की स्थिति जाने कि—

इस ग्राम—यावत्—राजधानी में स्वाध्याय करने योग्य विशाल भूमि नहीं है, मल-मूत्र त्यागने के लिए योग्य विशाल भूमि नहीं है।

चौकी, पाटे, शय्या एवं मस्तारक की प्राप्ति भी सुलभ नहीं है और न प्रासुक निर्दोष एवं एषणीय आहार पानी ही सुलभ है।

जहाँ बहुत से श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, दरिद्री और भित्तारी लोग पहले से आए हुए हैं और भी दूसरे आने वाले हैं, जिससे मार्गने वालों की अत्यन्त भीड़ रहती है, प्रज्ञावान साधु-साध्वी को वहाँ निकलना और प्रवेश करना—यावत्—धर्मचिन्तन करना उपयुक्त नहीं हो सकता है।

यह जानकर ऐसे ग्राम—यावत्—राजधानी में वर्षावाम न करे।

१ तो कप्पइ णिग्गधाण वा णिग्गधीण वा वामावासासु चारए ।

वासावसजोग खेत --

१७३ से मिक्खू वा मिक्खूणी वा से ज्ज पुण जाणेज्जा गामं वा
-जाव-रायहारिण वा,
इमसि खलु गामसि वा-जाव-रायहारिणसि वा महती विहार-
भूमि, महती विहारभूमि ।
सुत्तमे जत्थ-पीठ-फलक-सेज्जा-सथारए, सुलभे फासुए उछे-
अहेसणिज्जे,

णो जत्थ वहवे समण-जाव-वणीमगा उवागया उवागमिस्सति
य, अप्पाइण्णा-वित्ती, पण्णस्त णिक्खमण पवेसाए-जाव-
धम्माणुभोग-चित्ताए ।

सेव णच्चा तहप्पगारं गाम वा-जाव-रायहारिण वा ततो
संजयामेव वासावास उवल्लिज्जजा ।

—आ मु २, अ ३, उ १, सु ४६६

वासावासाणतर-विहार-अज्जोगं कालं—

१७४ अह पुणेव जाणेज्जा—चत्तारि मासा वासा-वासाण
वीतिक्कंता, हेमताण य पंचा-दस-रायकप्पे परिवुसित्ते,
अंतरा मे मग्गा बह्पपाणा जाव-सत्ताणगा, णो जत्थ वहवे
समण जाव-वणीमगा उवागया उवागमिस्सति य, सेव णच्चा
णो गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

—आ मु. २, अ ३, उ १, सु ४६७

वासावासाणंतर विहार जोग कालं—

१७५ अह पुणेव जाणेज्जा—चत्तारि मासा वासा-वासाणं
वीतिक्कंता, हेमताण य पच-दस-रायकप्पे परिवुसित्ते अतरा
से मग्गा अप्पडा-जाव-सत्ताणगा, वहवे जत्थ समण-जाव-
वणीमगा उवागया उवागमिस्सति य । सेव णच्चा ततो
संजयामेव गामाणुगामं दूइज्जेज्जा ।

—आ मु २, अ ३, उ १, सु ४६८

वासावासावग्गह खेतपमाण—

१७६ वासावास पज्जोसविद्याण कप्पइ निग्गयाण वा, निग्गयीण
घा सव्वओ समता सक्कोस जोयणं उग्गह ओगिण्हत्ताण
चिट्ठिउ अहालदमवि उग्गहे । —दसा द ८, सु ८

वासावासे विहार करण विहि णिमेहो—

१७७ णो कप्पइ निग्गयाण वा निग्गयीण वा पढमपाउससि
गामाणुगामं दूइज्जिए ।

पर्वाहि ठाणेहि कप्पइ, त जहा—

वर्षावास योग्य क्षेत्र—

१७३ वर्षावास करने वाला भिक्षु या भिक्षुणी यदि ग्राम-यावत्-
राजधानी के सम्बन्ध में यह जाने कि—

इस ग्राम—यावत्—राजधानी में स्वाध्याय करने योग्य
विशाल भूमि है, मल-मूत्र विसर्जन के लिए विशाल भूमि है ।

यहाँ पीठ, फलक, शय्या एवं सस्तारक की प्राप्ति भी सुलभ
है, माथ ही प्रासुक निर्दोष एवं एषणीय आहार पानी भी
सुलभ है ।

यहां बहुत से श्रमण—यावत्—भिखारी आये हुए नहीं हैं
और न आयेंगे, अतः यहाँ माँगने वालों की भीड़ भी नहीं रहती
है, प्रज्ञावान साधु-साध्वी को यहाँ निकलना और प्रवेश करना
—यावत्—धर्मचिन्तन करना उपयुक्त हो सकता है ।

यह जानकर ऐसे ग्राम—यावत्—राजधानी में यतनापूर्वक
वर्षावास व्यतीत करे ।

वर्षावास के बाद विहार के अयोग्य काल—

१७४ यदि साधु-साध्वी यह जाने कि वर्षाकाल के चार मास
व्यतीत हो चुके हैं तथा हेमन्त ऋतु के पाँच या दस दिन व्यतीत
हो गये हैं । उस समय यदि मार्ग में अडे हो—यावत्—मकड़ी
के जालों से युक्त हो, बहुत से श्रमण—यावत्—वणीमक आदि
उन मार्गों से आए न हों, न ही आने वाले हों तो यह जानकर
ग्रामानुग्राम विहार न करे ।

वर्षावास के बाद विहार के योग्य काल—

१७५ यदि साधु-साध्वी यह जाने कि वर्षाकाल के चार मास
व्यतीत हो चुके हैं तथा हेमन्त ऋतु के पाँच दस दिन व्यतीत हो
गए हैं । उस समय यदि मार्ग में अडे नहीं हैं—यावत्—मकड़ी
के जाले नहीं हैं । बहुत से श्रमण—यावत्—भिखारी भी उन
मार्गों पर आने जाने लगे हैं या आने जाने वाले भी हैं तो यह
जानकर साधु यतनापूर्वक ग्रामानुग्राम विहार कर सकता है ।

वर्षावास के अवग्रह क्षेत्र का प्रमाण—

१७६ वर्षावास में रहे हुए निर्ग्रन्थी और निर्ग्रन्थियों को चारों
दिशाओं में तथा विदिशाओं में एक कोश सहित एक योजन क्षेत्र
का अवग्रह (स्थान) ग्रहण करके रहना कल्पता है । उस अवग्रह
से बाहर “यथालन्द काल” ठहरना भी नहीं कल्पता है ।

वर्षावास में विहार करने का विधि-निषेध—

१७७ निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को प्रथम प्रावृट् में ग्रामानुग्राम
विहार करना नहीं कल्पता है—

किन्तु पाँच कारणों से विहार करना कल्पता है । जैसे—

(१) भयंसि वा,

(२) दुष्मिक्खसि वा,

(३) पव्वहेज्ज वा ण कोई,

(४) दओघसि वा एज्जमाणंसि,

(५) महता वा अणारिएहि (उवद्धवमाणेहि) ।

वासावासं पज्जोसवियाणं णो कप्पइ णिग्गथाण वा णिग्गं-
थीण वा गामाणुगाम द्वइज्जित्तए ।

पच्चहि ठाणेहि कप्पइ, तं जहा—

(१) णाणट्टयाए,

(२) दंसणट्टयाए,

(३) चरित्तट्टयाए,

(४) आयरिए उवज्ज्जाया वा से वीसुभेज्जा,

(५) आयरिय-उवज्ज्जायाण वा वहिया वेआवच्चं-करणयाए ।

—ठाणं अ ५, उ २, सु ४१३

वासावासे गिलाणट्टु गमण खेत्तप्पमाण—

१७८. वासावासं पज्जोसवियाणं कप्पइ णिग्गथाण वा, णिग्गंथीण
वा गिलाणहेउ-जाव-चत्तारि पच जोयणाइं गतुं पडिनि-
यत्तए ।

अतरा वि से कप्पइ वत्थए,

नो से कप्पइ त रयणि तत्थेव उवायणावित्तए ।

—दसा द ८, सु ७५

पढम-बितीयपाउसमि विहार करण पायच्छित्त सुत्ताइ—

१७९ जे भिक्खू पढम^१-पाउसम्मि गामाणुगाम द्वइज्जइ, द्वइज्जंत
वा साइज्जइ ।जे भिक्खू वासावासंसि पज्जोसवियंसि द्वइज्जइ, द्वइज्जंत
वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइय ।

—नि. उ. १०, सु ४०-४१

(१) शरीर या उपकरण आदि के अपहरण का भय होने पर ।

(२) दुर्भिक्ष होने पर ।

(३) किमी के द्वारा व्यथित किये जाने पर (या ग्राम से निकाल दिये जाने पर) ।

(४) बाढ आ जाने पर ।

(५) अनायों के द्वारा उपद्रव किये जाने पर ।

वर्षावास में पर्युपण करने के बाद निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को ग्रामनुग्राम विहार करना नहीं कल्पता है ।

किन्तु पाँच कारणों से विहार करना कल्पता है । जैसे—

(१) विशेष ज्ञान की प्राप्ति के लिए ।

(२) दर्शन-प्रभावक शास्त्र का अर्थ पाने के लिए ।

(३) चारित्र की रक्षा के लिए ।

(४) आचार्य या उपाध्याय की मृत्यु हो जाने पर ।

(५) अन्यत्र रहे हुए आचार्य या उपाध्याय की वैयावृत्य करने के लिए ।

वर्षावास में ग्लान हेतु गमन का क्षेत्र प्रमाण—

१७८ वर्षावास रहे हुए निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को ग्लान के लिए चार पाँच योजन तक जाकर लौट आना कल्पता है ।

मार्ग में रात्रि रहना भी कल्पता है,

किन्तु जहाँ जावे वहाँ रात रहना नहीं कल्पता है ।

प्रथम-द्वितीय प्रावृट् में विहार करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

१७९ जो भिक्षु प्रथम वर्षावास (संवत्सरी के पूर्व) में ग्रामानुग्राम विहार करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु वर्षावास रहने पर (संवत्सरी के बाद) विहार करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।



१ बृहत्कल्प उद्दे० १, सु० ३५, की नियुक्ति गा० २७३४ में वर्षावास दो प्रकार का कहा है—

(१) प्रावृट् और (२) वर्षारत्र ।

श्रावण और भाद्रपद मास “प्रावृट्”, आश्विन और कार्तिक मास “वर्षारत्र” कहे जाते हैं ।

निशीय चूर्ण भाग ३, पृ० ७७४ में भी यही कहा गया है ।

ठाण. अ. ५, उ २, सु ४१३, टीका पृ० ३०८ में वर्षाकाल के चार मास को प्रावृट् कहा है तथा प्रावृट् के दो भाग किए गए हैं ।

प्रथम प्रावृट् पचास दिन का, द्वितीय प्रावृट् सत्तर दिन का ।

वर्षावास आहार समाचारी—३

सर्वत्र आयरियाईण आणाए गमण अणाणाए अगमण—

१८० वासावास पज्जोसविए भिक्खू इच्छिज्जा गाहावइकुल भत्ताए वा, पाणाए वा, निक्खमित्तए वा, पविसित्तए वा ।

नो मे कप्पइ अणापुच्छित्ता,

(१) आयरियं वा, (२) उवज्जाय वा, (३) थेर वा,
(४) पवत्तयं वा, (५) गणिं वा, (६) गणहरं वा,
(७) गणावच्छेअय वा, जं च वा पुरओ काउ विहरइ ।

कप्पइ से आपुच्छिउ-आयरिय वा-जाव-गणावच्छेअय वा, ज च वा पुरओ काउं विहरइ—

“इच्छामि ण भते । तुंमेहि अवत्तणुण्णाए समाणे गाहावइ-कुल भत्ताए वा, पाणाए वा, निक्खमित्तए वा, पविसित्तए वा ?”

ते य से वियरेज्जा, एव से कप्पइ गाहावइकुलं भत्ताए वा, पाणाए वा, निक्खमित्तए वा, पविसित्तए वा ।

ते ये से नो वियरेज्जा, एव से नो कप्पइ गाहावइकुल भत्ताए वा, पाणाए वा, निक्खमित्तए वा, पविसित्तए वा ।

प०—से किमाहु भते !

उ०—आयरिया पच्चवाय जाणति ।

एव विहारभूमि वा, वियारभूमि वा, अन्न वा किञ्चि पओअण, एव गामाणुगाम दूडज्जित्तए ।

—दसा द ८, सु ५१-६१

भिक्खायरियाए गमण जोग्गखेलं—

१८१ वासावाम पज्जोसवियाणं कप्पइ निग्गयाण वा, निग्गथीण वा सत्त्वओ समता मकोस जोयण भिक्खायरियाए गतु पडि-नियत्तए ।

—दना द ८, सु ६

भिक्खारिया दिसंकाहिता भिक्खट्ठागमण विहाणं—

१८२ वासावास पज्जोसवियाणं निग्गयाण वा, निग्गथीण वा कप्पइ अण्णयरिं दिमं वा अणुदिस वा अवगिज्झिय भत्तपाण गवेमित्तए ।

प०—से किमाहु भते !

उ०—उत्सण्णं समणा भगवतो वासामु तवसपउत्ता भवति ।

सर्वत्र आचार्यादि की आज्ञा से जाना, विना आज्ञा के नहीं जाना—

१८०. वर्षावास रहा हुआ भिक्षु गृहस्थो के घरों में भक्त-पान के लिए निष्क्रमण और प्रवेश करना चाहे तो—

(१) आचार्य, (२) उपाध्याय, (३) न्यविर
(४) प्रवर्तक, (५) गणित, (६) गणधर या
(७) गणावच्छेदक अथवा जिसको अग्रणी मानकर वह विचर रहा हो, उन्हें पूछे बिना आना-जाना नहीं कल्पता है ।

किन्तु आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक अथवा जिसको अग्रणी मानकर वह विचर रहा हो उन्हें पूछकर ही आना-जाना कल्पता है ।

(आज्ञा लेने के लिए भिक्षु इस प्रकार कहे—)

“हे भगवन् ! आपकी आपकी आज्ञा मिलने पर गृहस्थो के घरों में भक्त-पान के लिए निष्क्रमण-प्रवेश करना चाहता हूँ ।”

यदि आचार्यादि आज्ञा दे तो गृहस्थो के घरों में भक्तपान के लिए निष्क्रमण-प्रवेश करना कल्पता है ।

यदि आचार्यादि आज्ञा न दें तो गृहस्थो के घरों में भक्तपान के लिए निष्क्रमण-प्रवेश करना नहीं कल्पता है ।

प्र०—हे भगवन् ! ऐसा क्यों कहा ?

उ०—आचार्यादि आने वाली विघ्न-बाधाओं को जानते हैं ।

उसी प्रकार उपाध्याय भूमि और शौचभूमि या अन्य भी किसी प्रयोजन के लिए उक्त आचार्यादि की आज्ञा लेकर ही आना-जाना कल्पता है ।

इसी प्रकार ग्रामानुग्राम जाने के लिए भी उक्त आचार्यादि की आज्ञा लेकर जाना-आना कल्पता है ।

भिक्षाचर्या के लिए जाने योग्य क्षेत्र—

१८१. वर्षावाम रहने वाले निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को एक कोश महित एक योजन क्षेत्र में चारों ओर भिक्षाचर्या के लिए जाना एवं लौटकर आना कल्पता है ।

भिक्षाचर्या की दिशा कहकर भिक्षार्थ जाने का विधान—
१८२ वर्षावास रहे हुए निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को किसी एक दिशा या त्रिदिशा का निश्चय करके आहार पानी की गवेपणा करना कल्पता है ।

प्र०—हे भगवन् ! आपने ऐसा क्यों कहा ?

उ०—वर्षाकाल में श्रमण भगवन्त प्रायः तपश्चर्या करने रहते हैं ।

तवस्सी दुब्बले किलते मुच्छिज्ज वा, पवडिज्ज वा,
तमेव दिस वा अणुदिस वा समणा भगवतो पडिजा-
गरति । — दसा द. ८, सु. ७४

निचचभत्तियस्स गोअरकाल विहाण—

१८३ वासावास पज्जोसवियस्स निचचभत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पइ
एग गोअरकाल गाहावड्कुलं भत्ताए वा, पाणाए वा,
निक्खमित्तए वा, पविसित्तए वा ।

नन्नत्थ आयरिय-वेयावच्चेण वा, उवज्झाय-वेयावच्चेण वा,
तवस्सि-वेयावच्चेण वा, गिलाण-वेयावच्चेण वा, खुड्डएण
वा अवज्जण-जाणएण । — दसा. द. ८, सु. १६-२४

निचचभत्तियस्स सव्वयाणग-गहण-विहाणं—

१८४ वासावास पज्जोसवियस्स निचचभत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पंति
सव्वाइं पाणगाइं पडिगाहित्तए । — दसा. द. ८, सु. २६

सड्ढी कुलेसु अदिट्ठ जायणा णिसेहो—

१८५ वासावास पज्जोसवियाणं अत्थि ण थेराणं तहप्पगाराइ
कुलाइ कडाइ पत्तिआइं थिज्जाइं वेसासियाइं समयाइ
बहुमयाइं अणुमयाइ भवति ।

तत्थ से नो कप्पइ अदक्खु वइत्तए “अत्थि ते आउसो ! इम
वा, इम वा”

प०—से किमाहु भते !

उ०—सड्ढी गिही गिण्हइ, तेणियं पि कुज्जा ।

— दसा द. ८, सु. १८

आयरिय आणाणसारेण भत्त-पाणगहणं दाणं च—

१८६ वासावास पज्जोसवियाणं अत्थेगइयाण एव वुत्तपुव्वं भवइ—
“दावे भंते !” एवं से कप्पइ दावित्तए, नो से कप्पइ पडि-
गाहित्तए ।

वासावास पज्जोसवियाणं अत्थेगइयाण एव वुत्तपुव्वं भवइ—
“पडिगाहेहि भते !” एवं से कप्पइ पडिगाहित्तए नो से
कप्पइ दावित्तए ।

वासावास पज्जोसवियाणं अत्थेगइयाणं एव वुत्तपुव्वं भवइ—
“दावे भंते ! पडिगाहेहि भते !” एवं से कप्पइ दावित्तए वि
पडिगाहित्तए वि ।

अत वे तपस्वी दुर्बल क्लान्त कही मूर्च्छित हो जाएँ या
गिर जाएँ तो साथ वाले श्रमण भगवन्त उनी दिशा में उनकी
शोध कर सकें ।

नित्यभोजी के गोचरी जाने का विधान -

१८३ वर्षावास रहे हुए सदा आहार करने वाले भिक्षु के लिए
एक गोचर काल का विधान है और उसे गृहस्थों के घरों में
भक्तपान के लिए एक वार निष्क्रमण-प्रवेश करना कल्पता है ।
किन्तु आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, ग्लान की वैयावृत्त्य करने
वाले तथा अप्राप्त यौवन वाले लघु शिष्यों को छोड़कर ।

(अर्थात् इनको अनेक वार भी जाना कल्पता है ।)

नित्यभोजी के लिए सर्व पेय ग्रहण करने का विधान—

१८४ वर्षावास रहे हुए नित्यभोजी भिक्षु के लिए सभी प्रकार
के अचित्त पानी ग्रहण करने कल्पते हैं ।

श्रद्धावान घरों में अदृष्ट पदार्थ माँगने का निषेध—

१८५ वर्षावास में रहने वाले साधु-माध्वी इस प्रकार के कुलो
को जाने कि—जिनको स्थविरो ने प्रतिबोधित किये हैं, जो
प्रीतिकर है, दान देने में उदार हैं, विश्वस्त हैं, जिनमें साधुओं
का प्रवेश सम्मत है, साधु सम्मान को प्राप्त है, साधुओं को दान
 देने के लिए नौकरो को भी स्वामी द्वारा अनुमति दी हुई है ।
ऐसे कुलो में अदृष्ट वस्तु के लिए “हे आयुष्मन् ! तुम्हारे यहाँ
यह वस्तु है, वह वस्तु है ?” ऐसा पूछना नहीं कल्पता है ।

प्र०—हे भगवन् ! ऐसा क्यों कहा ?

उ०—श्रद्धालु गृहस्वामी माँगी गई वस्तु को खरीद कर
लायेगा या चुराकर लायेगा ।

आचार्य की आज्ञानुसार भक्त-पान ग्रहण करना और
देना—

१८६ वर्षावास रहे हुए साधुओं में से किसी साधु को आचार्य
इस प्रकार कहे कि “हे भदन्त ! आज तुम ग्लान साधु के लिए
आहार लाकर दो ।” तो लाकर देना उसे कल्पता है । किन्तु
स्वयं को दूसरों से ग्रहण करना नहीं कल्पता है ।

वर्षावास रहे हुए साधुओं में से किसी साधु को आचार्य इस
प्रकार कहे कि “हे भदन्त ! आज तुम दूसरों से आहार ग्रहण
करो ।” तो ग्रहण करना कल्पता है किन्तु दूसरों को देना नहीं
कल्पता है ।

वर्षावास रहे हुए साधुओं में से किसी साधु को आचार्य
इस प्रकार कहे कि “हे भदन्त ! तुम आज ग्लान साधु को
आहार लाकर दो और हे भदन्त ! तुम दूसरों से ग्रहण भी कर
लो ।” तो लाकर देना और स्वयं को ग्रहण करना भी
कल्पता है ।

वासावास पञ्जोसवियाण अत्येगइयाण एव वृत्तपुन्व भवइ—
“नो दावे भते ! नो पडिगाहे भते !” एव से कप्पइ नो
दावित्तए, नो पडिगाहित्तए । दसा द ८, सु १२-१५

गिलाण पुच्छिता एव भत्तापाण ग्रहण विहाण—

१८७ वासावाम पञ्जोसवियाण नो कप्पइ निग्गथाण वा
निग्गथीण वा अपरिण्णएण अपरिण्णयस्स अट्टाए असण वा,
पाण वा खाइम वा साइम वा पडिगाहित्तए ।

प०—से किमाहु भते ?

उ०—इच्छा परो अपरिण्णए भुजिज्जा, इच्छा परो न
भुजिज्जा । —दसा द ८, सु ४८

विगइ ग्रहण णिसेहो—

१८८ वासावास पञ्जोसवियाणं नो कप्पइ निग्गथाण वा
निग्गथीण वा हट्ठाण आरोगाणं वलिय—सरीराण अण्ण-
यरीओ विगईओ आहारित्तए । —दसा द ८, सु १६

आयरिहेहिं पुच्छिता एव विगइ ग्रहण विहाण —

१८९ वासावास पञ्जोसविए भिक्खू इच्छिज्जा अण्णयारिं विगइ
आहारित्तए^१

नो से कप्पइ अणापुच्छिता आयरियं वा-जाव-गणावच्छेयय
वा जं घ वा पुरओ काउ विहरइ ।

कप्पइ से आपुच्छिता आयरियं वा-जाव-गणावच्छेयय वा,
जं वा पुरओ काउ विहरइ,

“इच्छामि ण भते ! तुभोहे अन्नणुण्णाए समाणे अन्नयारिं
विगइं आहारित्तए, त एवइय वा, एवइखुत्तो वा ।”

ते य से वियरेज्जा, एव से कप्पइ अण्णयारिं विगइ आहा-
रित्तए ।

ते य से नो वियरेज्जा, एवं से नो कप्पइ अण्णयारिं विगइ
आहारित्तए ।

प०—से किमाहु भते !

उ०—आयरिआ पच्चवायं जाणंति ।

—दसा. द ८, सु. ६२

वर्षावास रहे साधुओं में से किसी साधु को आचार्य इस
प्रकार कहे कि “हे भदन्त ! आज तुम ग्लान साधु को आहार
लाकर न दो और तुम स्वयं भी आहार ग्रहण न करो ।” तो न
देना कल्पता है और न स्वयं को ग्रहण करना कल्पता है ।

ग्लान को पूछकर के ही आहार पानी लाने का विधान—
१८७ वर्षावास रहे हुए निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को ग्लान भिक्षु की
सूचना के बिना या उसे पूछे बिना अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य
ग्रहण करना नहीं कल्पता है ।

प्र०—हे भगवन् ऐसा क्यों कहा ?

उ०—ग्लान की इच्छा हो तो वह अपरिज्ञप्त (बिना मगाया
हुआ) आहार भोगे, इच्छा न हो तो न भोगे ।

विकृति ग्रहण निषेध -

१८८. वर्षावास रहे हुए हृष्ट-पुष्ट, निरोग एव सशक्त शरीर
वाले निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को कोई भी विकृतियों का आहार करना
नहीं कल्पता है ।

आचार्य से पूछकर ही विकृति ग्रहण करने का विधान—

१८९ वर्षावास में रहा हुआ भिक्षु किसी विगय का आहार
करना चाहे तो आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक अथवा जिसको
अगुथा मानकर वह विचर रहा हो उन्हें पूछे बिना लेना नहीं
कल्पता है ।

किन्तु आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक अथवा जिसको
अगुथा मानकर वह विचर रहा हो उन्हें पूछकर लेना कल्पता है ।

(आज्ञा लेने के लिये भिक्षु इस प्रकार कहे—)

‘हे भगवन् ! आपकी आज्ञा हो तो किसी विगय का आहार
करना चाहता हूँ । वह भी इतने परिमाण में और इतनी दार ।’

यदि वे आज्ञा दें तो किसी विगय का आहार करना
कल्पता है ।

यदि आज्ञा न दें तो किसी भी विगय का आहार करना
नहीं कल्पता है ।

प्र०—हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

उ०—आचार्यादि आने वाली विघ्न वाधाओं को जानते हैं ।

१ (क) तरुण अवस्था में विकृति ग्रहण का निषेध है परन्तु रुग्ण अवस्था में गुरु आदि की आज्ञा लेकर विगय ग्रहण करना
कल्पता है ।

(ख) उक्त० अ० १७, गा० १५ में विगयभोजी को पापी श्रमण कहा है ।

(ग) विकृति के नव प्रकार—ठाण० अ० ६, सु० ६७४

(घ) ठाण० अ० ४, उ० १, सु० २७४ में ४ महाविगय का कथन है ।

(ङ) विकृति भक्षण प्रावश्चित्तं नि० उ० ४, सु० २१

गिलाणट्टा विगड ग्रहण विहाणं—

१६०. वासावासं पज्जोसविघाण एव वुत्तपुव्व भवइ—

'अट्टो भते ! गिलाणस्स'

से य वइज्जा —“अट्टो”

से ये पुच्छियव्वे —“केवइएणं अट्टो ?”

से ये वएज्जा —“एवइएण अट्टो गिलाणस्स,”

ज से पमाण वयइ, से य पमाणओ धित्तव्वे ।

से य विन्नवेज्जा, से य विन्नवेमाणे लभेज्जा,

से य पमाणपत्ते होउ “अलाहि” इय वत्तव्वं सिया ।

से किमाहु भते !

एवइएण अट्टो गिलाणस्स,

सिया णं एवं वयत परो वइज्जा—“पडिगाहेइ अज्जो !
पच्छा तुम भोक्खसि वा, पाहिसि वा ।”

एवं से कप्पइ पडिगाहित्तए,

नो से कप्पइ गिलाणनीसाए पडिगाहित्तए ।

—दसा द. ८, सु. १७

वुट्टिकाए णिवडिए पुव्वगहिय भत्त-पाण भक्खण-विही—

१६१. वासावासं पज्जोसवियस्स निग्गथस्स वा, निग्गथीए वा,
गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए अणुपविट्ठस्स निगिज्झिय
निगिज्झिय वुट्टिकाए निवइज्जा, कप्पइ से अहे आरामंसि वा,
अहे उवस्सयसि^१वा, अहे वियडगिहंसि वा, अहे रूक्खमूलंसि^१वा
उवागच्छित्तए^१ नो से कप्पइ पुव्वगहिण भत्त-पाणेणं वेत्तं
उवायणावित्तए ।कप्पइ से पुव्वामेव वियडगं भुच्चा, पिच्चा पडिग्गहं
संलिहिय-संलिहिय संपमज्जिय-संपमज्जिय एगाययं मंडगं
कट्ठु सावसेसे सूरे जेणेव उवस्सए तेणेव उवागच्छित्तए ।

नो से कप्पइ त रयणि तत्येव उवायणावित्तए ।

—दसा. द. ८, सु. ४४

वुट्टिकाए णिवडिए णिग्गथ-णिग्गथीण एगयओ चिट्ठण
विही—

१६२ वासावासं पज्जोसवियस्स निग्गथस्स वा, निग्गथीए वा

ग्लान के लिए विकृति ग्रहण करने का विधान—

१६०. वर्षावाम रहे हुए निर्ग्रन्थो मे से वैयावृत्य करने वाला
निर्ग्रन्थ आचार्य से पूछे कि—“हे भगवन् ! आज किसी ग्लान के पथ्य की आवश्य-
कता है ?”

आचार्य कहे—“हाँ आवश्यकता है ।”

निर्ग्रन्थ पूछे “कितनी मात्रा आवश्यक है ?”

आचार्य कहे—“इतनी मात्रा आवश्यक है ।”

इस प्रकार वे जितना प्रमाण कहे उस प्रमाण से लाना
चाहिए ।वैयावृत्य करने वाला निर्ग्रन्थ गृहस्थ के घर जाकर पथ्य
की याचना करे—तथा आवश्यकतानुसार प्राप्त होने पर “वस
पर्याप्त है” इस प्रकार कहे ।

गृहस्थ यदि कहे “हे भदन्त ! आप ऐसा क्यों कहते हैं ?”

तब निर्ग्रन्थ इस प्रकार कहे “ग्लान साधु के लिए इतनी ही
पर्याप्त है ।”इस प्रकार कहने पर भी यदि गृहस्थ कहे कि “हे आर्य !
और भी ग्रहण करो । ग्लान के उपयोग मे आने के बाद आप भी
खा लेना या पी लेना ।”

गृहस्थ के ऐसा कहने पर अधिक पथ्य लेना कल्पता है ।

किन्तु ग्लान के निमित्त से अधिक ग्रहण करना नहीं
कल्पता है ।वर्षा वरसने पर पूर्व गृहीत भक्त-पान के उपयोग की
विधि—१६१. वर्षावास रहे हुए निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियाँ गृहस्थो के घरों मे
आहार के लिए गये हुए हो और उस समय रुक-रुक कर वर्षा
आने लगे तो उन्हें आराम गृह, उपाश्रय, विकट (चौतरफ से
खुले) गृह और वृक्ष के नीचे आकर ठहरना कल्पता है । किन्तु
पूर्व गृहीत भक्त पान से भोजन वेला का अतिक्रमण करना नहीं
कल्पता है ।(अर्थात् सूर्यास्त पूर्व) निर्दोष आहार खा-पीकर पात्रों को
पोछकर और साफ करके एकत्रित करे तथा सूर्य के रहते हुए
जहाँ उपाश्रय हो वहाँ आ जाए ।

किन्तु वहाँ (अन्यत्र) रात रहना नहीं कल्पता है ।

वर्षा वरसने पर एक स्थान मे निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के ठह-
रने की विधि—

१६२. वर्षावाम रहे हुए निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियाँ गृहस्थो के घरों मे

गाहावडकुल पिडवाय-पडियाए अणुपविट्टस्स निगिज्झय निगिज्झय वुट्टिकाए निवइज्जइ कप्पइ से अहे आर मसि या, अहे उवस्सयसि वा, अहे वियडगिहसि वा, अहे रूख-मूलंसि वा उवागच्छित्तए ।

१ तत्य नो कप्पइ एगस्स निग्गथस्म, एगाए य निग्गथीए एगयओ चिट्ठित्तए ।

२ तत्य नो कप्पइ एगस्स निग्गथस्म दुण्ह निग्गथीण एगयओ चिट्ठित्तए ।

३. तत्य नो कप्पइ दुण्ह निग्गथाण एगाए य निग्गथीए एगयओ चिट्ठित्तए ।

४ तत्य नो कप्पइ दुण्ह निग्गथाण, दुण्ह निग्गथीण य एगयओ चिट्ठित्तए ।

अत्थि य इत्थ केइ पंचमे खुड्डए खुड्डीया वा अन्नेसि वा सलोए सपडिडुवारे, एव ण कप्पइ एगयओ चिट्ठित्तए ।

धासावासं पज्जोसविद्यस्स निग्गथस्स गाहावडकुल पिडवाय-पडियाए अणुपविट्टस्स निगिज्झय निगिज्झय वुट्टिकाए निवइज्जा, कप्पइ से अहे आरामसि वा, अहे उवस्सयसि वा, अहे वियडगिहसि वा, अहे रूखमूलसि वा उवागच्छित्तए ।

तत्य नो कप्पइ एगस्स निग्गथस्स, एगाए य आगारीए एगयओ चिट्ठित्तए ।

एवं चत्तारि भगा भाणियव्वा ।

अत्थि या इत्थ केइ पचमए थेरे वा, येरियाइ वा, अन्नेसि वा सलोए सपडिडुवारे, एव ण कप्पइ एगयओ चिट्ठित्तए ।

एवं चेव निग्गथीए अगारस्म य चत्तारि भगा भाणियव्वा ।

—दमा द ८, गु ४५-४७

उदउल्लकाएण आहार-णिसेहो—

१६३. धासावास पज्जोसविद्याण नो कप्पइ निग्गथाण वा, निग्गथीण वा उदउल्लेण वा, ससिणिद्धेण वा काएणं असण धा-जाव-साइमं वा आहारित्तए ।

प०—से किमाहु भते ?

उ०—सत्त सिणेहाययणा पण्णत्ता, त जहा—

१. पाणी,

२ पाणिलेहा,

३. नहा,

४ नहसिहा,

५. भमुहा,

६, अहरोट्टा,

७ उत्तरोट्टा ।

आहार के लिए गए हुए हो और उस समय रुक-रुक कर वर्षा आने लगे तो उन्हें आराम-गृह, उपाश्रय, विकटगृह या वृक्ष के नीचे आकर ठहरना कल्पता है ।

(१) किन्तु वहाँ अकेले निर्ग्रन्थ को अकेली निर्ग्रन्थी के साथ ठहरना नहीं कल्पता है ।

(२) अकेले निर्ग्रन्थ को दो निर्ग्रन्थियों के साथ ठहरना नहीं कल्पता है ।

(३) दो निर्ग्रन्थों को अकेली निर्ग्रन्थी के साथ ठहरना नहीं कल्पता है ।

(४) दो निर्ग्रन्थों को दो निर्ग्रन्थियों के साथ ठहरना नहीं कल्पता है ।

यदि वहाँ पर पाँचवा व्यक्ति बालक या बालिका कोई भी हो अथवा वह स्थान आने-जाने वालों को स्पष्ट दिखाई देता हो तो वहाँ पर एक साथ ठहरना कल्पता है ।

वर्षावाम रहा हुआ निर्ग्रन्थ गृहस्थों के घरों में आहार के लिए गया हुआ हो और उस समय रुक-रुक कर वर्षा आने लगे तो उसे आरामगृह, उपाश्रय, विकटगृह या वृक्ष के नीचे आकर ठहरना कल्पता है ।

किन्तु वहाँ अकेले निर्ग्रन्थ को अकेली स्त्री के साथ ठहरना नहीं कल्पता है ।

इस प्रकार (उपरोक्त) चार भंग कह लेने चाहिये ।

यदि वहाँ पर पाँचवा स्थविर पुरुष या स्थविर स्त्री हो अथवा वह स्थान आने-जाने वालों को स्पष्ट दिखाई देता हो तो वहाँ पर एक साथ ठहरना कल्पता है ।

इसी प्रकार निर्ग्रन्थी और गृहस्थ पुरुष के चार भंग कहने चाहिए ।

गीला शरीर हो तब तक आहार करने का निषेध—

१६३. वर्षावास रहे हुए निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को वर्षा के जल से स्वयं का शरीर गीला हो या वर्षा का जल स्वयं के शरीर से टपकता हो तो अशन—याचत्—स्वाद्य आहार करना नहीं कल्पता है ।

प्र०—हे भगवन् ! ऐसा क्यों कहा गया है ?

उ०—शरीर पर पानी टिकने के सात स्थान कहे गये हैं ।

यथा—

(१) हाथ और,

(२) हाथ की रेखाएँ,

(३) नख और,

(४) नख के अग्रभाग,

(५) भोंद,

(६) दाढ़ी और

(७) मूछ ।

अह पुण एवं जाणिज्जा—विगभोदगे मे काए छिन्नसिणेहे,
एव से कप्पइ असण वा-जाव साइम वा आहारित्तए ।

—दसा. द. ८, सु ४६

यदि वह ऐसा जाने कि मेरे शरीर से वर्षा का जल नितर
गया है अथवा वर्षा का जल सूख गया है तो उसे अशन—यावत्—
स्वाद्य आहार करना कल्पता है ।



वर्षावास—तप-संलेखना समाचारी—४

आयरियाइएहिं आपुच्छित्ता तवोकम्म करण विहाणं—

१६४ वासावास पज्जोसविण भिक्खू इच्छेज्जा अण्णयर ओरालं
कल्लाण सिधं धण्णं मगलं सस्सिरीय महाणुभाव तवोकम्म
उपसपज्जित्ताण विहरित्तए ।

नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरिय वा-जाव-गणावच्छेयय
वा ज च वा पुरओ काउ विहरइ ।

कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरिय वा-जाव-गणावच्छेयय वा
ज च वा पुरओ काउ विहरइ ।

“इच्छामि णं भते । तुव्भेहिं अब्भणुण्णाए समाणे अण्णयर
ओराल-जाव-तवोकम्म उवसंपज्जित्ताण विहरित्तए त एवइय
वा, एवइखुत्तो वा ।”

ते य से विरेज्जा, एव से कप्पइ अण्णयर ओराल-जाव-
तवोकम्म उवसपज्जित्ताण विहरित्तए ।

ते य मे नो वियरेज्जा, एव से नो कप्पइ अण्णयर ओरालं
-जाव-तवोकम्म उवसपज्जित्ताणं विहरित्तए ।

प०—से किमाहु भंते ।

उ०—आयरिया पच्चवाय नाणंति ।

—दसा द ८, सु. ६४

चउत्थभत्तियस्स पाणगगहण विहाणं—

१६५ वासावासं पज्जोसवियस्स-चउत्थभत्तियस्स भिक्खुस्स
कप्पति तभो पाणागाइं पडिगाहित्तए, तं जहा—

१ उस्सेइम,

२ ससेइम,

३ चाउलोदगं ।

—दसा द ८, सु. ३०

छट्ठभत्तियस्स पाणग गहण विहाणं—

१६६ वासावास पज्जोसवियस्स छट्ठभत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पति
तभो पाणागाइं पडिगाहित्तए, तं जहा—

१ तिलोदगं वा,

२ तुसोदगं वा,

३ जवोदगं वा ।

—दसा. द. ८, सु ३१

आचार्यादि से पूछकर तप करने का विधान—

१६४. वर्षावास रहा हुआ भिक्षु यदि किसी प्रकार का प्रशस्त,
कल्याणकर, शिवप्रद, धन्यकर, मंगलरूप, श्रीयुक्त, महाप्रभावक
तप कर्म स्वीकार करना चाहे तो—

आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक अथवा जिसको अगुआ
मानकर वह विचर रहा हो उन्हें पूछे बिना तप कर्म स्वीकार
करना नहीं कल्पता है ।

किन्तु आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक अथवा जिसको
अगुआ मानकर वह विचर रहा हो उन्हें पूछकर ही तप कर्म
स्वीकार करना कल्पता है ।

(आज्ञा लेने के लिए भिक्षु इस प्रकार पूछे—)

“हे भगवन् ! आपकी आज्ञा हो तो किसी प्रकार का
प्रशस्त—यावत्—तप कर्म स्वीकार करना चाहता हूँ वह भी
अमुक प्रकार का और इतनी बार ।”

यदि वे आज्ञा दें तो अन्यतर प्रशस्त—यावत्—तप कर्म
स्वीकार करना कल्पता है ।

यदि वे आज्ञा न दें तो अन्यतर प्रशस्त यावत्—तप कर्म
स्वीकार करना नहीं कल्पता है ।

प्र०—हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

उ०—आचार्यादि आने वाली विघ्न-वाधाओं को जानते हैं ।

उपवास करने वाले के पानी ग्रहण करने का विधान—

१६५. वर्षावाम रहे हुए चतुर्थ भक्त (उपवास) करने वाले भिक्षु
को तीन प्रकार के पानी लेने कल्पते हैं । यथा—

(१) उत्त्वेदिम,

(२) संस्वेदिम,

(३) और चावलो का धोवन ।

दो उपवास करने वाले के पानी ग्रहण करने का विधान—

१६६. वर्षावाम रहे हुए पष्ठ भक्त (बेले) करने वाले भिक्षु को
तीन प्रकार के पानी लेने कल्पते हैं, यथा—

(१) निलोदक,

(२) तुपोदक और,

(३) यवोदक ।

अट्टममत्तियस्स पाणग ग्रहण विहाणं—

१६७ वामावाम पज्जोसवियस्स अट्टममत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पइ तओ पाणगाइ पडिगाहित्तए, तं जहा—

१. आयामे वा, २ सोवीरे वा,
३ सुद्धवियडे वा ।^१ —दसा. द ८, मु ३२

विगिट्टमत्तियस्स उस्सिणोदग ग्रहण विहाणं—

१६८. वामावासं पज्जोसवियस्स विगिट्टमत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पइ एगे उस्सिणवियडे पडिगाहित्तए ।

से वि य ण असित्थे, नो वि य णं ससित्थे ।
—दसा. द ८, मु ३३

भत्त-पडियाइक्खियस्स उस्सिणोदग ग्रहण-विहाणं—

१६९ वासावास पज्जोसवियस्स भत्तपडियाइक्खियस्स भिक्खुस्स कप्पइ एगे उस्सिणवियडे पडिगाहित्तए ।

से वि य ण असित्थे, नो चेव ण ससित्थे ।
से वि य ण परिपुए, नो चेव ण अपरिपुए ।
से वि य ण परिमिए, नो चेव णं अपरिमिए ।
से वि य ण वहुसपन्ने, नो चेव ण अवहुसपन्ने ।

दसा द ८, मु ३४

दत्तिसंखा-विहाणं—

२००. वासावास पज्जोसवियस्स सखादत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पति पच दत्तीओ^२ भोअणस्स पडिगाहित्तए, पंच पाणगस्स ।

अहवा चत्तारि भोअणस्स, पंच पाणगस्स ।
अहवा पच भोअणस्स, चत्तारि पाणगस्स ।
तत्थ ण एगा लोणासायणमन्नि पडिगाहिआ सिया कप्पइ से तट्ठिसं तेणेव भत्तट्ठेण पज्जोसवित्तए ।
नो से कप्पइ दुच्चंपि गाहावइ-कुल भत्ताए वा पाणाए वा, निपत्तमित्तए वा, पविसित्तए वा । —दसा. द ८, मु ३५

पज्जोसवणाए आहारकरणस्स पायच्छित्त सुत्त—

२०१. जे भिक्खू पज्जोसवणाए इत्तरिय आहारं आहारेइ आहारत वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्ठाण अणुग्घाइय ।

—नि. उ १०, मु ४५

तीन उपवास करने वाले के पानी ग्रहण करने का विधान—

१६७. वर्षावास रहे हुए अष्टम भक्त (तेले) करने वाले भिक्षु को तीन प्रकार के पानी लेने कल्पते हैं यथा—

(१) आयाम, (२) मौवीर और,
(३) शुद्ध विकट जल ।

चार आदि उपवास करने वाले के गरम पानी ग्रहण करने का विधान—

१६८. वर्षावास रहे हुए तेले से अधिक तपस्या करने वाले भिक्षु को एकमात्र उष्ण अचित्त जल ग्रहण करना कल्पता है । वह भी अन्न कण से रहित हो किन्तु अन्न कण युक्त नहीं हो ।

भक्त प्रत्याख्यान अनशन वाले के गरम पानी ग्रहण करने का विधान—

१६९. वर्षावास रहे हुए भक्त प्रत्याख्यानी भिक्षु को एक मात्र उष्ण अचित्त जल ग्रहण करना कल्पता है ।

वह भी असिक्ख हो, समिक्ख न हो ।

वह भी छाना हुआ हो, बिना छाना न हो ।

वह भी परिमित हो, अपरिमित न हो ।

वह भी अच्छी तरह उवाला हुआ हो, कम उवाला हुआ

न हो ।

दत्ति की सख्याओ का विधान—

२०० वर्षावास रहे हुए तथा दत्तियों की सख्या का नियम धारण करने वाले भिक्षु को आहार की पाँच दत्तियाँ और पानी की पाँच दत्तियाँ ग्रहण करना कल्पता है ।

अथवा—आहार की चार और पानी की पाँच ।

अथवा—आहार की पाँच और पानी की चार ।

उनमें एक दत्ति नमक की डली जितनी भी हों उस दिन उमें उसी आहार से निर्वाह करना चाहिए ।

किन्तु उसे गृहस्थों के घर में आहार पानी के लिए दूमरी वार निष्क्रमण-प्रवेश करना नहीं कल्पता है ।

पर्युषण में आहार करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

२०१ जो भिक्षु पर्युषण अर्थात् सबत्सरी के दिन अल्प आहार भी करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुदधातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

१ यहाँ वर्षावास नमाचारी में यह विशेष कथन है । सामान्य कथन ठाणाग सूत्र में है । अतः चातुर्मास में या शेष काल में उक्त तपश्चर्याओं में उक्त प्रामुख जल ग्रहण किये जा सकते हैं ऐसा समझना चाहिए ।

२ दत्ति का स्वरूप व्यवहार सूत्र उ० ६ में भी है, वह तपाचार में देखें ।

आयरियाइर्णह आपुच्छित्ता पाओवगमणकरण विहाण—

२०२. वासावासं पज्जोसविण् भिक्खु इच्छिज्जा अपच्छिम-मारण-
णतिय-संलेहणा-झूसणा झूसिए, भत्त-पाण-पडियाइक्खिए,
पाओवगए, अणवकंखमाणे विहरित्तए वा,

निक्खमित्तए वा, पविसित्तए वा ।

असणं वा-जाव-साइमं वा आहारित्तए,
उच्चारं वा, पासवण वा, परिट्ठावित्तए,
सज्झायं वा करित्तए,
धम्मजागरिय वा जागरित्तए ।

नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरिय वा-जाव-गणावच्छेय
वा, ज च वा पुरओ काउ विहरइ ,

कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरिय वा-जाव-गणावच्छेय वा,
जं च वा पुरओ काउ विहरइ ।

“इच्छामि ण भते ! तुव्मेहि अड्ढणुण्णाए ममाणे अपच्छिम-
मारणं-तिय-संलेहणा-झूसणा झूसिए-जाव-धम्मजागरियं वा
जागरित्तए ।”

ते य से वियरेज्जा, एव से कप्पइ अपच्छिम-मारण-
तिय-संलेहणा-झूसणा झूसिए-जाव-धम्मजागरियं वा जागरित्तए ।

ते य से नो वियरेज्जा एव से नो कप्पइ अप-च्छिम-मारण-
तिय-संलेहणा-झूसणा झूसिए-जाव-धम्मजागरियं वा जाग-
रित्तए ।

प०—से किमाहु भते ?

उ०—आयरिया पच्चवाय जाणंति ।

—दसा. द. ८, सु. ६५

आचार्यादि से पूछकर पादपोषण करने का विधान—

२०२. वर्षावास रहा हुआ भिक्षु मरण-समय समीप आने पर
सलेखना द्वारा कर्म क्षय करना चाहे, आहार पानी का त्याग
करके कटे हुए वृक्ष के गमान रहकर मृत्यु की कामना नहीं करता
हुआ रहना चाहे,

उपाश्रय से निष्क्रमण-प्रवेश करना चाहे,
अशन—यावत्—स्वाद्य का आहार करना चाहे,
मल-मूत्र त्यागना चाहे,
स्वाध्याय करना चाहे,
और धर्म जागरणा करना चाहे तो,

आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक अथवा जिनको अगुआ
मानकर विचर रहा हो उन्हें पूछे बिना उक्त कार्य करना नहीं
कल्पता है ।

किन्तु आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक को अथवा जिनको
अगुआ मानकर विचर रहा हो, उन्हें पूछकर करना कल्पता है ।

(आज्ञा लेने के लिए भिक्षु इस प्रकार कहे —)

“हे भगवन् ! आपकी आज्ञा हो तो मरण समय समीप आने
पर संलेखना द्वारा कर्मक्षय—यावत्—धर्मजागरणा करना
चाहता हूँ ।”

यदि वे आज्ञा दें तो मरण समय समीप आने पर सलेखना
द्वारा कर्मक्षय—यावत्—धर्मजागरणा करना कल्पता है ।

यदि वे आज्ञा न दें तो मरण समय समीप आने पर सले-
खना द्वारा कर्मक्षय—यावत्—धर्मजागरणा करना नहीं
कल्पता है ।

हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

आचार्यादि आने वाली विध्न-बाधाओ को जानते हैं ।



वर्षावास सम्बन्धी प्रकीर्णक-समाचारी—५

तिण्हं उवस्सयाण ग्रहण-विहाणं—

२०३. वासावासं पज्जोसविद्याण निग्गथाण वा निग्गथीण वा
तओ उवस्सया गिण्हित्तए,

वे कुट्टिया पठिलेहा, साइज्जिया पमज्जणा ।

—दसा. द. ८, सु. ७३

तीन उपाश्रयो के ग्रहण का विधान—

२०३ वर्षावास रहे हुए निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियो को तीन उपाश्रय
ग्रहण करना चाहिए ।

दो उपाश्रयो की केवल प्रतिवेशना करना तथा प्रतिदिन
उपयोग में आने वाले उपाश्रय की प्रमार्जना करना ।

सेज्जासण ग्रहण विहाण—

२०४ वामावास पज्जोसवियाण नो कप्पइ निग्गंधाण वा, निग्गंधीण वा अणभिग्गहिय सिज्जासणियाणं हुत्तए ।

आयाणमेय—

- १ अणभिग्गहिय सिज्जासणियस्स,
- २ अणुच्चाकुइयस्स,
- ३ अणुट्ठावधियस्स,
- ४ अमियासणियस्स,
- ५ अणातावियस्स,
- ६ असमियस्स,
- ७ अभिक्खणं अभिक्खण अपडिलेहणासीलस्स,
- ८ अपमज्जणासीलस्स, तथा तथा संजमे दुराराहए भवइ ।

अणायाणमेय—

- १ अभिग्गहिय सिज्जासणियस्स,
- २ उच्चाकुइयस्स,
- ३ अट्ठावधियस्स,
- ४ मियासणियस्स,
- ५ आयावियस्स,
- ६ समियस्स,
- ७ अभिक्खणं-अभिक्खण पडिलेहणासीलस्स,

८ पमज्जणासीलस्स तथा तथा संजमे सुआराहए भवइ ।

—दसा द ८, सु ६७

तिण्णि मत्तगग्रहण-विहाण—

२०५ वामावासां पज्जोसवियाणं कप्पइ निग्गंधाण वा, निग्गंधीण वा तओ मत्तगाइ गिण्हत्तए, त जहा—

- १ उच्चार-मत्तए, २ मासवण-मत्तए,
- ३ सेल-मत्तए । —दमा. द ८, सु ६६

शय्या एवं आसन ग्रहण करने का विधान—

२०४ वर्षावास रहे हुए निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियो को शय्या और आसन ग्रहण किए बिना रहना नहीं कल्पता है ।

शय्या और आसन नहीं रखना कर्म बन्ध का कारण है । क्योंकि,

- (१) शय्या और आसन नहीं ग्रहण करने वाले,
 - (२) एक हाथ से नीचा और चूँ चूँ करने वाला शय्या और आसन रखने वाले ।
 - (३) हिलने वाले शय्या और आसन रखने वाले,
 - (४) परिमाण से अधिक शय्या और आसन रखने वाले,
 - (५) यथासमय शय्या और आसन को धूप में नहीं सुखाने वाले ।
 - (६) एपणा समिति के अनुसार शय्या और आसन नहीं लेने वाले ।
 - (७) शय्या और आसन की बार-बार प्रतिलेखना नहीं करने वाले तथा,
 - (८) शय्या और आसन की प्रमार्जना नहीं करने वाले भिक्षु का संयम दुराराध्य होता है ।
- किन्तु शय्या और आसन रखना कर्मबन्ध का कारण नहीं है । क्योंकि

- (१) शय्या और आसन ग्रहण करने वाले,
- (२) एक हाथ ऊँचा और चूँ चूँ नहीं करने वाला शय्यासन रखने वाले,
- (३) नहीं हिलने वाले शय्यासन रखने वाले,
- (४) परिमाण युक्त शय्या आसन रखने वाले,
- (५) यथासमय शय्या और आसन को धूप में देने वाले,
- (६) एपणा समिति के अनुसार शय्या और आसन लेने वाले,
- (७) शय्या और आसन की बार-बार प्रतिलेखना करने वाले तथा

(८) शय्या और आसन की प्रमार्जना करने वाले भिक्षु का संयम सु-आराध्य होता है ।

तीन मात्रक ग्रहण करने का विधान—

२०५. वर्षावास रहे हुए निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियो को तीन मात्रक ग्रहण करने कल्पते हैं, यथा—

- (१) मल त्यागने का पात्र, (२) मूत्र त्यागने का पात्र,
- (३) कफ त्यागने का पात्र ।

पढमसमोसरणे पत्त-चीवर-गहण-पायच्छित्त सुत्तं —

२०६. जे भिक्षू पढम-समोसरणुहेसे पत्त-चीवराहं पडिग्गाहेह पडिग्गाहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वण अणुग्घाइय ।

—नि उ. १०, सु ४७

वासावासे वत्थ आतावण विहि-णसेहो—

२०७ घासावास पज्जोसविए भिक्षू इच्छिज्जा वत्थ वा, पडिग्गहं वा, कवल वा, पापपुंछणं वा अण्यरि वा उवहिं आयावित्तए वा, पयावित्तए वा । नो से कप्पइ एग वा, अणेग वा अपडिण्णवित्ता—

१. गाहावइकुल भत्ताए वा, पाणाए वा, निक्खमित्तए वा, पविसित्तए वा ।

२. असण वा-जाव-साइम वा आहारित्तए ।

३. वहिया विहारभूमि वा,

४. विचारभूमि वा निहरित्तए,

५. सज्जाय वा करित्तए,

६. काउस्सग वा,

७. ठाणं वा ठाइत्तए ।

अत्थि य इत्थि केइ अभिसमण्णागए अहासणिहिए एगे वा, अणेगे वा कप्पइ से एवं चइत्तए—

“इमं ता अज्जो ! तुम मुहुत्तग जाणेहिं-जाव-ताव अहं, गाहावइकुल भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा-जाव-काउस्सगं वा ठाणं वा ठाइत्तए ।”

ते य पडिसुणेज्जा, एवं से कप्पई-जाव-ठाण वा ठाइत्तए ।

ते य णो पडिसुणेज्जा, एवं से नो कप्पई-जाव-ठाण वा ठाइत्तए ।

—दसा. द. ८, सु. ६६

उच्चार-पासवण भूमि पडिलेहणा—

२०८. वासावास पज्जोसवियाणं कप्पइ निग्गथाण वा, निग्गंथीग वा तओ उच्चार-पासवण भूमिओ पडिलेहित्तए, त जहा हेमंत-गिम्हासु, जहा णं वासासु ।

प०—से फिमाहु भते !

उ०—वासासु ण उस्सण पाणा य, तणा य, बीया य, पणगा य, हरियाणि य भवति ।

—दसा. द. ८, सु. ६८

वर्षावास में पात्र और वस्त्र ग्रहण करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

२०६. जो भिक्षु चातुर्मास में पात्र और वस्त्र ग्रहण करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुदघातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

वर्षावास में वस्त्र सुखाने के विधि-निषेध—

२०७ वर्षावास में रहा हुआ भिक्षु यदि वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादपुंछनक या किसी प्रकार की उपधि को धूप में थोड़ी देर या अधिक देर तक सुखाना चाहे तो एक या अनेक भिक्षुओं को सूचित किए बिना,

(१) गृहस्थों के घरों में आहार-पानी के लिए निष्क्रमण प्रवेश करना,

(२) अशन—यावत्—स्वाद्य का आहार करना ।

(३) उपाश्रय के बाहर स्वाध्याय स्थल में जाना या,

(४) मल-मूत्र त्यागने के स्थान में जाना ।

(५) स्वाध्याय करना,

(६) कायोत्सर्ग करना,

(७) ध्यान करना नहीं कल्पता है ।

यदि वहाँ पर आये हुए या समीप बैठे हुए एक या अनेक मुनि हों तो उन्हें इस प्रकार कहना कल्पता है—

“हे आर्य ! धूप में सुखाये हुए इन उपकरणों का मुहूर्त पर्यन्त ध्यान रखना जब तक कि मैं गृहस्थों के घरों में आहार पानी के लिए निष्क्रमण प्रवेश करूँ,—यावत्—कायोत्सर्ग या ध्यान करूँ ।

यदि वे स्वीकार कर लें तो उसे कल्पता है—यावत्—ध्यान करना ।

यदि वे स्वीकार नहीं करें तो उसे नहीं कल्पता है—यावत्—ध्यान करना ।

उच्चार प्रस्रवण भूमि प्रतिलेखना—

२०८ वर्षावास में रहे हुए निग्रन्ध-निग्रन्धियों को तीन उच्चार-प्रस्रवण भूमियों की प्रतिलेखना करना कल्पता है । हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में तीन उच्चार-प्रस्रवण भूमियों की प्रतिलेखना करना वर्षाकाल के समाप्त आवश्यक नहीं है ।

प्र०—हे भगवन् ! आपने ऐसा क्यों कहा ?

उ०—वर्षा ऋतु में प्रायः सर्वत्र त्रस प्राणी, हरी घाम, बीज, फूलण और हरे अकुर पैदा हो जाते हैं ।

आयरियाइर्हं पुच्छित्ता तिगिच्छा विहाण—

२०६. वासावामं पज्जोसविएं भिक्खू इच्छिज्जा अण्णयारिं तेइच्छियं
आउट्टित्तए नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरिय वा-जाव-
गणावच्छेयय वा ज वा पुरओ फाउ विहरइ ।

कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरिय वा-जाव-गणावच्छेययं वा ज
वा पुरओ फाउं विहरइ ।

“इच्छामि ण भते ! तुम्हेहं अब्भणुण्णाए समाणे अण्णयारिं
तेइच्छियं आउट्टित्तए”

ते य से विवरेज्जा, एव से कप्पइ अण्णयारिं तेइच्छियं आउ-
ट्टित्तए ।

ते य से नो विवरेज्जा, एव से कप्पइ अण्णयारिं तेइच्छियं
आउट्टित्तए ।

प०—से किमाहु भते !

उ०—आयरिया पच्चवाय जाणंति ।

—दसा द ८, सु. ६३

पज्जोसवणाओ परं केस-रक्खण णिसेहो—

२१०. वासावास पज्जोसवियाणं नो कप्पइ निग्गयाण वा
निग्गथीणं वा परं पज्जोसवणाओ गोलोमप्पमाणमित्ते वि
केसे त रयणि उवाइणावित्तए । —दसा द ८, सु ७०

पज्जोसवणाओ परं केस-रक्खण पायच्छित्तं चुत्तं—

२११. जे भिक्खू पज्जोसवणाए गोलोममाय पि वालाइ उवा-
इणावेइ उवाइणावेत्त वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्ठाण अणुग्घाइय ।

—नि. उ, १०, सु. ४४

पज्जोसवाए अहिगरण खमावण विहाण—

२१२. वासावास पज्जोसवियाण नो कप्पइ निग्गयाण वा निग्गथीण
वा परं पज्जोसवणाओ अहिगरण वडत्तए ।

जो णं निग्गथो वा, निग्गथो वा परं पज्जोसवणाओ
अहिगरण वडइ—ने ण “अकप्पे ण अज्जो ! वयसो त्ति”
वत्तव्ये सिया ।

जो ण निग्गथो वा, निग्गथो वा परं पज्जोसवणाए अहि-
गरण वडइ—से ण निज्जूहियव्ये सिया ।

—दसा. द. ८, सु ७१

आचार्यादि से पूछकर चिकित्सा कराने का विधान—

२०६ वर्षावास रहा हुआ भिक्षु किसी एक रोग की चिकित्सा
कराना चाहे तो आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक अथवा जिसको
अगुआ मानकर वह विचर रहा हो उन्हें पूछे बिना चिकित्सा
कराना नहीं कल्पता है ।

किन्तु आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक अथवा जिसको
अगुआ मानकर वह विचर रहा हो उन्हें पूछकर ही चिकित्सा
कराना कल्पता है ।

(आज्ञा लेने के लिए भिक्षु इस प्रकार कहे—)

“हे भगवन् ! आपकी आज्ञा मिलने पर अमुक रोग की
चिकित्सा करना चाहता हूँ ।”

यदि आचार्यादि आज्ञा दें तो चिकित्सा कराना कल्पता है ।

यदि आचार्यादि आज्ञा न दे तो चिकित्सा कराना नहीं
कल्पता है ।

प्र०—हे भगवन् ! आपने ऐसा क्यों कहा ?

उ०—आचार्यादि आने वाली विघ्न-गाथाओ को जानते हैं ।

पर्युषण के बाद केश रखने का निषेध—

२१०. वर्षावास रहे हुए निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियो को पर्युषणा (सव-
त्सरी) की रात्रि के बाद गाय के रोम जितने केश भी रखना
नहीं कल्पता है ।

पर्युषणा के बाद केश रखने का प्रायश्चित्त सूत्र—

२११ जो भिक्षु पर्युषणा के बाद गाय के रोम जितने भी बाल
रखता है, रखवाता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

पर्युषणा में कलह की क्षमायाचना करने का विधान—

२१२. वर्षावास रहे हुए निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियो को पर्युषणा (सव-
त्सरी) के बाद पूर्व वर्ष में हुए कलह को पुनः कहना नहीं
कल्पता है ।

जो निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी पर्युषणा (सवत्सरी) के बाद पूर्व
वर्ष में हुए अधिकरण को कहता है तो उसे कहा जाये कि “हे
आर्य ! पूर्व वर्ष में हुए अधिकरण को कहना तुम्हें नहीं
कल्पता है ।”

इतना कहने पर भी जो निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी पूर्व वर्ष में हुए
अधिकरण को कहता है उसे सध से निकाल देना चाहिए ।

वासावासं पञ्जोसवियाण इह खलु निग्गथाण वा, निग्गंथीण
वा अज्जेव कक्खडे-कडुए वुग्गहे समुप्पज्जिज्जा
खमियव्व खमावियव्वं,

उवसमियव्व उवसमावियव्वं,
सुमइ सपुच्छणा बहुलेण होयव्व ।
जो उवसमइ तस्स अत्थि आराहणा,
जो नो उवसमइ तस्स नत्थि आराहणा ।
तम्हा अप्पणा चेव उवसमियव्व ।
प०—से किमाहु भते !
उ०—“उवसमसार खु सामण ।” —दसा. द ८, सु. ७२

अट्टसुहम पडिलेहण विहाणं—

२१३. वासावासं पञ्जोसवियाणं इह खलु निग्गथाण वा, निग्गंथीण
वा, इमाइ अट्ट सुहमाइं अभिक्खण अभिक्खणं जाणियव्वाइं
पासियव्वाइं पडिलेहियव्वाइं भवंति, तं जहा —
(१) पाणसुहमं, (२) पणगसुहम, (३) वीअसुहम,
(४) हरियसुहमं, (५) पुप्फसुहम, (६) अंडसुहम,
(७) लेणसुहमं, (८) सिणेहसुहम ।^१
—दसा द ८, सु. ५०

अकाले पञ्जोसवणा करणस्स काले पञ्जोसवणा
अकरणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

२१४. जे भिक्खू अपञ्जोसवणाए पञ्जोसवेइ पञ्जोसवेतं वा
साइज्जइ ।
जे भिक्ख पञ्जोसवणाए ण पञ्जोसवेइ ण पञ्जोसवेतं वा
साइज्जइ ।
जे भिक्खू अपणउत्थिय वा गारत्थियं वा पञ्जोसवेइ,
पञ्जोसवेत वा साइज्जइ ।
तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्ठाण अणुग्घाइय ।
—नि उ. १०, सु. ४२, ४३, ४६

सांवच्छरिय थविरकप्पस्स आराहणा फल—

२१५. इच्चेइयं संवच्छरियं थेरकप्पं अहामुत्त अहाकप्प अहामग
सम्मं काएण फासित्ता पालित्ता सोधित्ता तीरित्ता किट्ठित्ता
आराहित्ता आणाए-अणुपालित्ता—

वर्षावास रहे हुए निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियो मे जिस दिन कर्कश
कट्टु वचनो से क्लेश हुआ हो,

तो उन्हे उसी दिन क्षमा-याचना करनी चाहिए और क्षमा
याचना करने वाले को क्षमा कर देना चाहिये । सरल एव शुद्ध
मन से बारम्बार कुशल क्षेम पूछना चाहिये ।

स्वय को उपशान्त होना चाहिए और प्रतिपक्षी को भी
उपशान्त करना चाहिये ।

जो उपशान्त होता है उसकी ही धर्माराधना होती है ।
जो उपशान्त नहीं होता है उसकी धर्माराधना नहीं होती है ।
इसलिए स्वय को तो उपशान्त बना ही लेना चाहिये ।
प्र०—हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

उ०—उपशान्त होना ही सयम का सार है ।

सूक्ष्माष्टक को प्रतिलेखना का विधान—

२१३. वर्षावास रहे हुए निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियो को ये आठ सूक्ष्म
वार-वार जानने योग्य, देखने योग्य और प्रतिलेखन करने योग्य
हैं, यथा—

(१) प्राणी सूक्ष्म, (२) पनक सूक्ष्म, (३) बीज सूक्ष्म,
(४) हरित सूक्ष्म, (५) पुष्प सूक्ष्म, (६) अण्ड सूक्ष्म,
(७) लयन सूक्ष्म, और (८) स्नेह सूक्ष्म ।

अकाल में पर्युषण करने का तथा काल में पर्युषण करने
के प्रायश्चित्त सूत्र—

२१४. जो भिक्षु पर्युषण के दिन से अन्य दिन में पर्युषण करता
है, करवाता है, या करने वाले का अनुमोदन करता है ।
जो भिक्षु पर्युषण (मवत्तरी) के दिन पर्युषण नहीं करता
है, नहीं करवाता है, या नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है ।
जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के साथ पर्युषणा कल्प
वाचन करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।
उसे चातुर्मासिक अनुद्वातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

सावत्सरिक स्थविर कल्प की आराधना का फल—

२१५. इस सावत्सरिक स्थविरकल्प का सूत्र, कल्प और मार्ग के
अनुसार सम्यक्तया काया से स्पर्श कर, पालन कर, अतिचारो
का शोधन कर, जीवन-पर्यन्त आचरण कर, अन्य को करने का
उपदेश देकर भगवान की आज्ञा के अनुसार आराधना कर और
अनुपालन कर—

१ सूक्ष्माष्टक का स्वरूप तथा प्रकार प्रथम महाव्रत में लिये हैं परन्तु जानने, देखने और प्रतिलेखन रूप विशिष्ट नमाचारी युक्त होने से यह एक सूत्र यहाँ लिया है ।

अत्येगद्दया समणा निग्गया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्जंति
युज्जति मुच्चति परिनिव्वाइति सव्वदुक्खाणमतं करेति ।

अत्येगद्दया दुच्चेणं भवग्गहणेण-जाव-सव्वदुक्खाणमतं करति ।

अत्येगद्दया तच्चेण भवग्गहणेणं-जाव-सव्वदुक्खाणमतं
करति । सत्तद्दु भवग्गहणाइ पुण नाइयकमति ।

—दसा द न, मु ७६

कितने ही श्रमण निर्ग्रन्थ तो उभी भव से सिद्ध होते हैं, बुद्ध
होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त होते हैं और सर्व दुखों
का अन्त करते हैं ।

कितने ही दो भव ग्रहण करके—यावत्—सर्व दुखों का
अन्त करते हैं ।

कितने ही तीन भव ग्रहण करके—यावत्—सर्व दुखों का
अन्त करते हैं । किन्तु उत्कृष्ट सात आठ भव ग्रहण का तो कोई
अतिक्रमण नहीं करते हैं ।



प्रतिक्रमण—४

आवश्यक स्वरूप—१

चउव्विहे आवस्सए—

२१६. प०—से किं त आवस्सय ?

उ०—आवस्सय चउव्विह पण्णत्त, त जहा—

(१) नामावस्सय, (२) ठवणावस्सय,

(३) दव्वावस्सय, (४) भावावस्सय ।

प०—से किं त नामावस्सय ?

उ०—नामावस्सय जस्स ण जीवस्स वा, अजीवस्स वा,
जीवाण वा, अजीवाण वा, तदुभयस्स वा, तदुभयाण
वा 'आवस्सए' त्ति नाम कीरए । से त नामावस्सयं ।

प०—से किं त ठवणावस्सय ?

उ०—ठवणावस्सय जण्ण कट्टकम्मे वा, चित्तकम्मे वा,
पोत्यकम्मे वा, लेप्पकम्मे वा, गयिमे वा, वेडिमे वा,
पूरिमे वा, संघाइमे वा, अपसे वा, चराडए वा, एणे
घा, अणेगा या, सम्भावठवणाए वा, असम्भावठवणाए
वा 'आवस्सए' त्ति ठवणा ठविज्जति । मे त ठवणा-
वस्सय ।

प०—नाम—ठवणाण को पइविसेसो ?

उ०—नाम आवकहिण, ठवणा इत्तरिया या होज्जा,
आवकहिण वा ।

प०—से किं त दव्वावस्सय ?

उ०—दव्वावस्सय उविहं पण्णत्त, तं जहा—

(१) आगमतो य, १

(२) नोआगमतो य ।

चार प्रकार के आवश्यक—

२१६ प्र०—आवश्यक कितने प्रकार के कहे गए हैं ?

उ०—आवश्यक चार प्रकार के कहे गए हैं—यथा—

(१) नाम आवश्यक, (२) स्थापना आवश्यक,

(३) द्रव्य आवश्यक, (४) भाव आवश्यक ।

प्र०—नाम आवश्यक क्या है ?

उ०—नाम आवश्यक—जिस जीव का या अजीव का,
जीवों का या अजीवों का जीवाजीव का या जीवाजीवों का
“आवश्यक” नाम किया गया है । वह नाम आवश्यक है ।

प्र०—स्थापना आवश्यक क्या है ?

उ०—स्थापना आवश्यक—किसी काष्ठ की पुतली में,
चित्र में, पुस्तक में, मिट्टी आदि के लेप से बनी हुई, गुंथी हुई,
वस्त्रादि लपेट कर बनाई हुई, पूरित की हुई, संग्रहित की हुई
आकृति में, अक्ष में, कौडी में, एक या अनेक पदार्थ की सद्भाव
या असद्भाव स्थापना से “आवश्यक” इस नाम की स्थापना की
गई हो—वह स्थापना आवश्यक है ।

प्र०—नाम और स्थापना में क्या अन्तर है ?

उ०—नाम यावज्जीवन के लिए होता है और स्थापना
अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक भी होती है ।

प्र०—द्रव्य आवश्यक कितने प्रकार के कहे गये हैं ?

उ०—द्रव्य आवश्यक दो प्रकार के कहे गए हैं—यथा—

(१) आगम से द्रव्यावश्यक और,

(२) नोआगम से द्रव्यावश्यक ।

प०—से किं तं आगमतो द्वावस्सयं ?

उ०—आगमतो द्वावस्सयं—जस्स ण “आवस्सए” त्ति पदं सिखित्तं, ठित्तं, जित्तं, मित्तं, परिजित्तं, णामसमं, घोससमं, अहीणक्खरं, अणच्चक्खरं, अच्चाइद्धक्खरं, अक्खलियं, अमित्तियं, अवच्चामेलियं, पडिपुण्णं, पडिपुण्णघोसं, कंठोद्विप्पमुक्कं गुरुवायणोवगयं ।

से ण तत्थ वायणाए, पुच्छणाए परियट्टणाए, धम्म-
कहाए, णो अणुप्पेहाए ।

प० - कम्हा ?

उ०—अणुवओगो द्वावमिति कट्टु ।

(१) णेगमस्स—एगो अणुवउत्तो आगमओ एग
द्वावस्सयं, दोणिण अणुवउत्ता आगमओ दोणिण
द्वावस्सयाइं, तिण्णिण अणुवउत्ता आगमओ तिण्णिण
द्वयावस्सयाइं एव जावइया अणुवउत्ता तावयाइ ताइ
णेगमस्स आगमओ द्वावस्सयाइं ।

(२) एवमेव ववहारस्स वि ।

(३) सगहस्स—एगो वा, अणेगा वा, अणुवउत्तो वा,
अणुवउत्ता वा, आगमओ द्वावस्सयं वा, द्वावस्स-
याणि वा से एगो द्वावस्सए ।

(४) उज्जुसुयस्स—एगो अणुवउत्तो आगमओ एगं
द्वावस्सयं, पुहत्त नेच्छइ ।

(५) तिण्ह सट्ठनयाण—जाणए अणुवउत्ते अवत्थू ।

प०—कम्हा ?

उ० जइ जाणए अणुवउत्ते न भवइ, जइ अणुवउत्ते जाणए
न भवइ, तम्हा णत्थि आगमओ द्वावस्सयं ।

से त आगमओ द्वावस्सयं ।

प०—से किं तं नोआगमतो द्वावस्सयं ?

उ०—नोआगमतो द्वावस्सयं—तिविह पणत्तं, तं जहा—

(१) जाणगसरीर द्वावस्सयं,

(२) भवियसरीर द्वावस्सयं,

प्र०—आगम से द्वावस्सयं क्या है ?

उ०—आगम से द्वावस्सयं—‘आवश्यक’ यह पद जिसके
सीखा हुआ है, धारण किया हुआ है, जाना हुआ है, पूर्णाक्षर है,
सम्यक् प्रकार से जाना हुआ है, स्वनाम समान मदा याद है, शुद्ध
उच्चारण किया हुआ है, न हीनाक्षर है, न अधिकाक्षर युक्त है,
सभी अक्षर क्रमबद्ध है, अस्खलित है, अक्षर मिले हुए नहीं हैं,
अपुनरुक्त है, प्रतिपूर्ण है, प्रतिपूर्ण स्वर से घोषित है, कठ और
ओष्ठ से सुप्रयुक्त है, गुरु द्वारा दी गई वाचना से युक्त है ।

जो कि वाचना से, पृच्छाओ से, पुनरावृत्ति से और धर्म
कथा से युक्त होता है, किन्तु अनुप्रेक्षा से नहीं होता है ।

प्र०—इसका क्या कारण है ?

उ०—उपयोग रहित होना ही द्रव्य आवश्यक होने का
कारण है इसलिये अनुप्रेक्षा का निषेध किया गया है ।

(१) नैगमनय के अनुसार—उपयोग रहित एक व्यक्ति
आगम से एक द्वावस्सयं है, उपयोग रहित दो व्यक्ति आगम
से दो द्वावस्सयं हैं, तीन उपयोग रहित व्यक्ति आगम से तीन
द्रव्य आवश्यक है । इस प्रकार जितने उपयोग रहित व्यक्ति हो उतने
ही वे नैगमनयानुसार आगम से द्वावस्सयं हैं ।

(२) इसी प्रकार व्यवहार नय के अनुसार भी द्वावस्सयं
होते हैं ।

(३) संग्रहनय के अनुसार—एक हो या अनेक, एक व्यक्ति
उपयोग रहित हो या अनेक व्यक्ति उपयोग रहित हो, आगम से
एक द्वावस्सयं हो या अनेक द्वावस्सयं हो, वे संग्रहनयानुसार
एक द्वावस्सयं है ।

(४) ऋजुसूत्रनय के अनुसार—एक व्यक्ति जो उपयोग
रहित हो वही एक द्वावस्सयं है । ऋजुसूत्रनय भिन्न-भिन्न
व्यक्तियों की विवक्षा नहीं करता ।

(५-६-७)—शब्द आदि तीन नयों के अनुसार—जो ज्ञाता
हो और उपयोग रहित भी हो ऐसा नहीं हो सकता है ।

प्र०—इसका क्या कारण है ?

उ०—जो ज्ञाता हो वह (इन नयों की अपेक्षा) उपयोग
रहित नहीं होता है । जो उपयोग रहित हो वह ज्ञाता नहीं
कहलाता है, अतः वह आगम से द्वावस्सयं नहीं है ।

यह आगम से द्वावस्सयं हुआ ।

प्र०—नोआगम से द्वावस्सयं क्या है ?

उ०—नोआगम से द्वावस्सयं तीन प्रकार का कहा गया
है । यथा—

(१) जायकशरीर द्वावस्सयं,

(२) भव्यशरीर द्वावस्सयं,

(३) जाणगसरीर भवियमरीर वऱरित्त दव्वावस्सय ।

प०—से कि त जाणगमरीर दव्वावस्सयं ?

उ०—जाणगमरीर दव्वावस्सय—“आवस्सए” त्ति पदत्था-
धिपार जाणगस्स जं सरीरय चवगय चुत चावित्त
चत्त देहं, जीव विप्पजड, सेज्जागय वा, सथारगय
वा, सिद्धसित्तातलगय वा पामित्ता ण कोइ मणेज्जा ।

“अहो ण इमेणं सरीरसमुस्सएण जिणदिट्ठेण
भावेण “आवस्सए” त्ति पय आघविय, पण्णाविद्यं,
पस्सविय, दसिय, निदसिय, उवदसिय ।

प०—जहा को दिट्ठन्तो ?

उ०—अय मह्कूमे आसी अय घयकूमे आसी ।

से त जाणगसरीर दव्वावस्सयं ।

प०—से कि न भवियसरीर दव्वावस्सय ?

उ०—भवियमरीर दव्वावस्सय—जे जीवे जोणिजम्मण-
णिवत्तते इमेण च्चव मरीरसमुस्सएण आदत्तएण
जिणोवदिट्ठेण भावेण “आवस्सए” त्ति पय सेयकाले
सिक्खित्तइ, न ताव सिक्खइ ।

प०— जहा को दिट्ठन्तो ?

उ०—अय मह्कूमे भविस्सइ, अय घयकूमे भविस्सइ ।
से त भवियमरीर दव्वावस्सय ।

प०—से कि त जाणगमरीर भवियसरीर वडरित्ते दव्वा-
वस्सए ?

उ०—जाणगसरीर—भवियसरीर वडरित्ते दव्वावस्सए
त्तिविधे पण्णत्ते, त जहा—

(१) लोइए,

(२) कुप्पावयणिए,

(३) लोमुत्तरिए ।

प०—से कि त लोडयं दव्वावस्सय ?

उ०—लोडय दव्वावस्सयं जे इमे राईसर-त्तलवर-माडंवि-
यो-कोट्टिविय-इदम-तेट्टि-सेणावड-सत्थवाहप्पभित्तिओ-कल्ल
पाडप्पमायाए रयणोए मुधिमलाए फुल्लुप्पल-कमल
कोमलुम्मिल्लियम्मि अहापट्टरे पभाए रत्तामोगप्पगास-
सिमुय-मुयमुह गुजद्धरागसरित्ते कमलागर-नल्लिणि-
मउयोए, उट्टियम्मि मूरे महस्सरस्सिम्मि दिणयरे
तेयमा जनते मुह्धोयण-दत्तपग्गालण तेत्त-फणिह
सिद्धत्थय-हरियात्तिय-उद्दान-धूय-पुक्क-मल्ल-गध-तवोल

(३) ज्ञायकशरीर भव्यशरीर व्यतिरिक्त द्रव्यावश्यक ।

प्र०—ज्ञायकशरीर द्रव्य आवश्यक क्या है ?

उ०—ज्ञायकशरीर द्रव्यावश्यक—‘आवश्यक’ इस पद के
अर्थ और अधिकार को जानने वाले के जीव रहित शरीर को
शय्या पर, सस्तारक पर पडा देखकर या सिद्ध शिला पर देख-
कर कोई कहे कि—

“अहो इस शरीर से सर्वज्ञ प्ररूपित भवानुसार ‘आवश्यक’
यह पद कहा, प्ररूपित किया, उसका अध्ययन कगया, दृष्टान्त
द्वारा समझाया और उपदेश किया है ।

प्र०—इस विषय मे दृष्टान्त क्या है ?

उ०—यह मधु का कुंभ था, यह घृत का कुंभ था, ये
दृष्टान्त समझना ।

यह ज्ञायकशरीर द्रव्यावश्यक हुआ ।

प्र०—भव्य शरीर द्रव्यावश्यक क्या है ?

उ०—भव्यशरीर द्रव्यावश्यक—जो जीव योनि से जन्म
लेकर क्रमश बढ़ने वाले शरीर को प्राप्त कर जिनकथित भावा-
नुसार आवश्यक इस पद को भविष्य मे भीवेगा किन्तु वर्तमान मे
सीखता नहीं है ।

प्र०—इस विषय मे क्या दृष्टान्त है ?

उ०—यह मधु का कुंभ होगा, यह घृत का कुंभ होगा ये
दृष्टान्त समझना । यह भव्यशरीर द्रव्यावश्यक हुआ ।

प्र०—ज्ञायकशरीर—भव्यशरीर व्यतिरिक्त द्रव्यावश्यक
क्या है ?

उ०—ज्ञायकशरीर—भव्यशरीर व्यतिरिक्त द्रव्यावश्यक तीन
प्रकार का कहा गया है, यथा—

(१) लौकिक,

(२) कुप्रावचनिक,

(३) लोकोत्तरिक ।

प्र०—लौकिक द्रव्यावश्यक क्या है ?

उ०—लौकिक द्रव्यावश्यक—जो ये राज्येश्वर, नगर रक्षक,
मीमा रक्षक, ग्राम रक्षक, घनी, सेठ, सेनापति, सार्थवाह आदि
प्राण कालीन प्रभायुक्त निर्मल रजनी मे कोमल उत्पल कमल
पुष्प खिले हुए पाण्डुवर्ण प्रभात मे रक्त, अशोक, किशुक, सुव-
मुन्व तथा गुजाघं नदश, रक्त कमल समूह एव नलिनी को
विकसित करने वाले, तेज मे जाज्वल्यमान, महत्प्र किरण
दिनकर (सूर्य) के उदय होने पर मुह धोकर दन्त प्रक्षालन कर
आरीसे को गामने रखकर शिर मे तेल मल कर, कंधे से केग

वत्यमाइयाइं दव्वावस्सयाइं करेत्ता ततो पच्छा राय-
कुलं वा, देवकुल वा, आराम वा, उज्जाण वा, समं
वा, पवं वा गच्छति । से त लोइय दव्वावस्सयं ।

प०—से किं त कुप्पावयणिय दव्वावस्सयं ?

उ०—कुप्पावयणियं दव्वावस्सयं—जे इमे चरग-चीरिग-चम्म-
खंडिय - निच्छुंडग-पंडरग-गोतम-गोव्वतिय-गिहिधम्म
धम्मचित्तग-अविरुद्धविरुद्ध-वुड्ड-सावगप्पभित्तयो पासं-
डत्था कल्लं पाउप्पभायाए रयणीए-जाव-तेयसा जलंते
इंदस्स वा, खदस्स वा, रुदस्स वा, सिवस्स वा, वेस-
मणस्स वा, देवस्स वा, नागस्स वा, जक्खस्स वा,
भूयस्स वा, मुगुदस्स वा, अज्जाए वा, कोट्ट किरियाए
वा उवलेवण-सम्मज्जणाऽऽवरिसण-धूव-पुप्फ गध-
मल्लाइयाइ दव्वावस्सयाइ करेत्ति ।

से त कुप्पावयणिय दव्वावस्सय ।

प०—से किं तं लोगुत्तरिय दव्वावस्सय ?

उ०—लोगुत्तरियं दव्वावस्सय—जे इमे समणगुणमुक्कजोगी
छक्कायनिरणुक्कां हया इव उद्दामा गया इव
निरंकुसा, घट्टा, मट्टा, तुप्पोट्टा, पडरपडपाउरणा,
जियाण अणाणाए सच्छंदं विहरिऊण उमओकाल
आवस्सगस्स उवट्टंति । से तं लोगुत्तरिय दव्वा-
वस्सय । से त जाणगसरीर भवियसरीर वइरित्त
दव्वावस्सयं । से त नोआगमओ दव्वावस्सय । से तं
दव्वावस्सय ।

प०—से किं त भावावस्सयं ?

उ०—भावावस्सयं दुविह पणत्तं—त जहा —
(१) आगमतो य, (२) नोआगमतो य ।

प०—से किं तं आगमतो भावावस्सयं ?

उ०—आगमतो भावावस्सयं—जाणए उवउत्ते । से त आग-
मतो भावावस्सय ।

प०—से किं त नोआगमतो भावावस्सय ?

उ०—नोआगमतो भावावस्सयं तिविहं पणत्ते, तं जहा—
(१) लोइय, (२) कुप्पावयणिय,
(३) लोगुत्तरिय ।

प०—से किं तं लोइय भावावस्सय ?

उ०—लोइय भावावस्सय—पुव्वहे भारहं, अवरण्हे रामा-
यण । से तं लोइय भावावस्सय ।

प०—से किं तं कुप्पावयणियं भावावस्सयं ?

सवार कर, धूप, पुष्प, माला, सुगन्ध, पान वस्त्र आदि द्रव्य
आवश्यक करके राजकुल मे, देवकुल मे, आराम, उद्यान, मभा
या क्रीडास्थल पर जाते हैं । यह लौकिक द्रव्यावश्यक है ।

प्र०—कुप्रावचनिक द्रव्यावश्यक क्या है ?

उ०—कुप्रावचनिक द्रव्यावश्यक—जो ये त्रिदण्डी, फटे
पुराने वस्त्र पहनने वाले, भिक्षुक, चर्म धारी, भिखारी, वैनयिक
भिक्षु गौतम गोत्रीय गोत्रतिक, अनिरुद्ध धर्म चित्तक अविरुद्ध वृद्ध
श्रावक ब्राह्मण व्रतधारी-प्रात कालीन प्रभायुक्त प्रभात मे-यावत्-
सूर्योदय होने पर इन्द्र, स्कन्द, रुद्र, शिव, वैश्रमण, देव, नाग, यक्ष,
भूत, मुकुद, पार्वती या दुर्गादेवी के चन्दन का लेपन, मार्जन,
निचन, धूप, पुष्प, गन्ध, माल्य आदि द्रव्यावश्यक करते हैं ।

यह कुप्रावचनिक द्रव्यावश्यक हुआ ।

प्र०—लोकोत्तरिक द्रव्यावश्यक क्या है ?

उ०—लोकोत्तरिक द्रव्यावश्यक—जो ये श्रमण के गुणो से
रहित प्रवृत्ति वाले, छ काय पर अनुकम्पा न करने वाले, अश्व
के समान स्वच्छन्द, निरकुश गज के समान, घषित-भ्रक्षित
शरीर वाले, घृत से स्निग्ध ओष्ठ वाले, धूले स्वच्छ वस्त्र धारण
करने वाले, जिनाजा से विपरीत स्वच्छन्द विचरण कर उभय-
काल आवश्यक करते हैं । यह लोकोत्तरिक द्रव्यावश्यक हुआ ।
यह ज्ञायकशरीर भव्यशरीर व्यतिरिक्त द्रव्यावश्यक हुआ ।
यह नोआगम से द्रव्यावश्यक हुआ । यह द्रव्यावश्यक हुआ ।

प्र०—भाव आवश्यक क्या है ?

उ०—भाव आवश्यक दो प्रकार का कहा गया है, यथा—
(१) आगम से, (२) नोआगम से ।

प्र०—आगम से भावावश्यक क्या है ?

उ०—जो जानकार है और उपयोग युक्त है वह आगम से
भावावश्यक है । यह आगम से भावावश्यक हुआ ।

प्र०—नोआगम से भावावश्यक क्या है ?

उ०—नोआगम से भावावश्यक तीन प्रकार का है, यथा—
(१) लौकिक, (२) कुप्रावचनिक,
(३) लोकोत्तरिक ।

प्र०—लौकिक भावावश्यक क्या है ?

उ०—लौकिक भावावश्यक—पूर्वाह्न (प्रात काल से मध्याह्न
तक) मे महाभारत का पारायण, अत्राह्न (मध्याह्न के बाद
मायकाल तक) मे रामायण का पारायण । यह लौकिक भावा-
वश्यक हुआ ।

प्र०—कुप्रावचनिक भावावश्यक क्या है ?

उ०—कुप्पावणिय भावावस्सय—जे इमे चरग चीरिग-जाव-पासण्डत्या इज्जजलि-होम-जप-उंडुस्सक-नमोवकार-माइयाइ भावावस्सयाइ करेति । से त कुप्पावणिय भावावन्म ।

प०—से कि तं लोगुत्तरिय भावावस्सय ?

उ० - लोगुत्तरिय भावावस्सय — जं ण इमं समणे वा, समणी वा, सावए वा. माविया वा तच्चित्ते, तम्मणे, तत्तेसे, तदज्जवसिए, तत्तिव्वज्जवसाणे, तदद्वोवउत्ते तदप्पियकरणे तदभावाणाभाविते अण्णत्य फत्यइ मणं अकरेमाणे उमओ कालं आवस्सय करेति । से त लोगुत्तरिय भावावन्मस्य । से त नोआगमतो भावावस्सयं । से त भावावस्सय ।

तस्स ण इमे एगद्धिया णाणाघोसा णाणावजणा णाम-घेज्जा भवति । त जहा—गाहाओ—

- (१) आवस्सय, (२) अवस्सकरणिज्ज,
(३) धुवणिग्गहो, (४) विसोही य ।
(५) अज्जयण छक्कवग्गो, (६) नाओ,
(७) आराहणा, (८) मग्गो ॥

समणेण सावएण य, अवस्सकायव्वय हवति जम्हा ।

अतो अहो निसिस्स व, तम्हा आवस्सय नाम ॥

से त आवस्सयं ॥

—अणु सु ६-२६

छव्विहे आवस्सए -

२१७ छव्विहे आवस्सए पण्णत्ते, त जहा—

- (१) सामाइय, (२) चउवीसत्थओ, (३) वदण,
(४) पडिक्कमण, (५) काउस्सग्गो, (६) पच्चवखाण ।

—अणु सु ७४

आवस्सगस्स णं इमे अत्याहिगारा भवति । तं जहा—

- (१) सावज्जजोगविरतो, (२) उक्कित्तण,
(३) गुणवओ य पडिवत्ती ।
(४) एत्तियस्स निदणा, (५) वणत्तिगिच्छ,
(६) गुणधारणा, चंव ॥

—अणु. सु ७३

उ०—कुप्पावर्चनिक भावावश्यक—जो ये त्रिदण्डी, फटे पुराने वस्त्र पहनने वाले—यावत्—ब्रती यज्ञ, होम, जप, वृषभ की तरह आवाज करना, नमस्कार करना आदि भावावश्यक करते हैं । यह कुप्पावर्चनिक भावावश्यक है ।

प्र०—लोकोत्तरिक भावावश्यक क्या है ?

उ०—लोकोत्तरिक भावावश्यक - जो ये श्रमण, श्रमणी, श्रावक, श्राविका आवश्यक में चित्त व मन लगाकर तत्त्वीन हो उत्साह युक्त आवश्यक के अर्थ में उपयोग युक्त, पूर्णतः एकाग्र भाव से अन्य किसी भी चिन्तन में मन को न लगाते हुए उभय-काल आवश्यक करते हैं ।

यह लोकोत्तरिक भावावश्यक है । यह नोआगम से भावावश्यक है । यह भावावश्यक है ।

उस आवश्यक के ये एक अर्थ वाले नाना ध्वनि वाले, नाना व्यजन वाले नाम हैं—यथा—गाथार्थ—

- (१) आवश्यक, (२) अवश्यकरणीय,
(३) ध्रुव-निग्रह, (४) विष्णुद्धी,
(५) छह अध्ययनों का वर्ग, (६) ज्ञात,
(७) आराधना और (८) मार्ग ।

यह श्रमण और श्रावक को दिन और रात के अन्त में अवश्य करणीय होता है । इसलिए इसका 'आवश्यक' नाम है । यह आवश्यक है ।

छह प्रकार के आवश्यक—

२१७ छह प्रकार के आवश्यक कहे गये हैं, यथा—

- (१) सामायिक, (२) चतुर्विंशतिस्तव, (३) वन्दना,
(४) प्रतिक्रमण, (५) कायोत्सर्ग, और (६) प्रत्यास्थान ।

आवश्यक के अर्थाधिकारो के नाम इस प्रकार हैं—

- (१) सावद्ययोगविरति, (२) उत्कीर्तन
(३) गुणवत्प्रतिपत्ति,
(४) स्वत्तितनिन्दा, (५) व्रणचिकित्सा और
(६) गुणधारणा ।



प्रतिक्रमण के प्रकार—२

पंचविहे पडिक्कमणे—

२१८ पंचविहे पडिक्कमणे पण्णत्ते, तं जहा—

- (१) आसवदारपडिक्कमणे,
- (२) मिच्छत्तपडिक्कमणे,
- (३) कसायपडिक्कमणे,
- (४) जोगपडिक्कमणे,

(५) भावपडिक्कमणे । —ठाण. अ. ५, उ. ३, सु. ४६६

छव्विहे पडिक्कमणे—

२१९. छव्विहे पडिक्कमणे पण्णत्ते, तं जहा—

- (१) उच्चार-पडिक्कमणे,
- (२) पासवण-पडिक्कमणे,
- (३) इत्तरिए-पडिक्कमणे,
- (४) आवक्कहिय-पडिक्कमणे,
- (५) जंकिच्चिमिच्छा-पडिक्कमणे,

(६) सोमणतिय-पडिक्कमणे, —ठाण. अ. ६, सु. ५३८

अइक्कमाईणं पगारा—

२२०. तिविहे अइक्कमे पण्णत्ते, तं जहा—

- (१) णाणअइक्कमे, (२) दंसणअइक्कमे,
- (३) चरित्तअइक्कमे ।

तिविहे अइक्कमे पण्णत्ते, तं जहा—

- (१) णाणवइक्कमे, (२) दसणवइक्कमे,
- (३) चरित्तवइक्कमे ।

तिविहे अइयारे पण्णत्ते, तं जहा—

- (१) णाणअइयारे, (२) दसणअइयारे,
- (३) चरित्तअइयारे ।

पाँच प्रकार के प्रतिक्रमण—

२१८. प्रतिक्रमण पाँच प्रकार का कहा गया है । यथा—

- (१) प्राणातिपात आदि आश्रवो से आत्मा को निवृत्त करना ।
- (२) मिथ्यात्व का परित्याग करना ।
- (३) कपायो से आत्मा को निवृत्त करना ।
- (४) मन-वचन-काया को अशुभ प्रवृत्तियों से निवृत्त करना ।
- (५) राग-द्वेष के भावो का परित्याग करना ।

छह प्रकार के प्रतिक्रमण—

२१९. प्रतिक्रमण छह प्रकार का होता है—

- (१) उच्चार प्रतिक्रमण—मल त्याग करने के बाद वापस आकर ईर्यापथिकी सूत्र के द्वारा प्रतिक्रमण करना ।
- (२) प्रसवण प्रतिक्रमण—मूत्र-त्याग करने के बाद वापस आकर ईर्यापथिकी सूत्र के द्वारा प्रतिक्रमण करना ।
- (३) इत्वरिक प्रतिक्रमण—दैनिक, रात्रिक आदि प्रतिक्रमण करना ।
- (४) यावत्कथिक प्रतिक्रमण—हिंसा आदि से सर्वथा निवृत्त होना अथवा आजीवन अनशन करना ।
- (५) यत्किंचित्मिथ्यादुष्कृत प्रतिक्रमण—साधारण अयतना होने पर उसकी विशुद्धि के लिए “मिच्छामि दुक्कड” इस भाषा में खेद प्रकट करना ।
- (६) स्वप्नान्तिक प्रतिक्रमण—मोकर उठने के पश्चात् शय्या दोष निवृत्ति सूत्र के द्वारा प्रतिक्रमण करना ।

अतिक्रमादि के प्रकार—

२२०. अतिक्रम (प्रतिकूल आचरण का सकल्प) तीन प्रकार का कहा गया है यथा—

- (१) ज्ञान-अतिक्रमण, (२) दर्शन-अतिक्रमण,
- (३) चारित्र्य अतिक्रमण,

व्यतिक्रम (प्रतिकूल आचरण का प्रयत्न) तीन प्रकार का कहा गया है यथा—

- (१) ज्ञान-व्यतिक्रमण, (२) दर्शन-व्यतिक्रमण,
- (३) चारित्र्य-व्यतिक्रमण,

अतिचार (आशिक प्रतिकूल आचरण) तीन प्रकार का कहा गया है, यथा—

- (१) ज्ञान-अतिचार, (२) दर्शन-अतिचार,
- (३) चारित्र्य-अतिचार,

तिविहे अणायारे पणहो त जहा—

- (१) पाणअणायारे, (२) दंसणअणायारे,
(३) चरित्तअणायारे । —ठाण अ ३, उ ४, सु. १६८

अडकम्मार्इण विसोही—

२२१ तिण्हमइक्कमाण आलोएज्जा, पडिक्कमेज्जा, णिदेज्जा, गरहेज्जा, विट्टेज्जा, विसोहेज्जा, अकरणयाए अम्मूठेज्जा, अहारिह तवोकम्म पायच्छित्त पडिवज्जेज्जा, त जहा—

- (१) पाणातिक्कमस्स, (२) दसणातिक्कमस्स,
(३) चरित्तातिक्कमस्स ।

तिण्ह वइक्कमाण-आलोएज्जा-जाव-अहारिह तवोकम्म पायच्छित्त पडिवज्जेज्जा, त जहा—

- (१) पाणवइक्कमस्स, (२) दसणवइक्कमस्स,
(३) चरित्तवइक्कमस्स ।

तिण्हमतिचारणं-आलोएज्जा-जाव-अहारिह तवोकम्म पायच्छित्त पडिवज्जेज्जा, त जहा—

- (१) पाणातिचारस्स, (२) दसणातिचारस्स,
(३) चरित्तातिचारस्स ।

तिण्हमणायाराण-आलोएज्जा-जाव-अहारिह तवोकम्म पायच्छित्त पडिवज्जेज्जा, त जहा—

- (१) पाणअणायारस्स, (२) दंसण-अणायारस्स,
(३) चरित्त-अणायारस्स । —ठाण. अ ३, उ ४, सु. १६८

अनाचार (पूर्ण प्रतिकूल आचरण) तीन प्रकार का कहा गया है, यथा—

- (१) ज्ञान-अनाचार, (२) दर्शन-अनाचार,
(३) चारित्र-अनाचार ।

अतिक्रमादि की विशुद्धि—

२२१. तीन प्रकार के अतिक्रमों की आलोचना करे, प्रतिक्रमण करे, निन्दा करे, गहाँ करे, पाप से निवृत्त होवे, विशुद्धि करे, पुन वैसा नहीं करने का मकल्प करे, यथोचित तप रूप प्रायश्चित्त स्वीकार करे । यथा—

- (१) ज्ञानातिक्रमण की, (२) दर्शनातिक्रमण की,
(३) चारित्रातिक्रमण की,

तीन प्रकार के व्यतिक्रमों की आलोचना करे—यावत्—यथोचित तप रूप प्रायश्चित्त स्वीकार करे । यथा—

- (१) ज्ञान-व्यतिक्रमण की, (२) दर्शन-व्यतिक्रमण की,
(३) चारित्र-व्यतिक्रमण की ।

तीन प्रकार के अतिचारों की आलोचना करे—यावत्—यथोचित तपरूप प्रायश्चित्त स्वीकार करे । यथा—

- (१) ज्ञानातिचार की, (२) दर्शनातिचार की,
(३) चारित्रातिचार की ।

तीन प्रकार के अनाचारों की आलोचना करे—यावत्—यथोचित तपरूप प्रायश्चित्त स्वीकार करे । यथा—

- (१) ज्ञान-अनाचार की, (२) दर्शन-अनाचार की,
(३) चारित्र-अनाचार की ।



श्रमण प्रतिक्रमण—३

फाउस्सग-क्करण पइण्णा—

२२२ आवस्सही इच्छाकारेण संदित्तह भगवन् !
देवमी पडिक्कमणं ठाएमि,

देवसो पाण-दसण-चरित्त-त्तव-अदयार चित्तणत्थ करेमि
फाउमगं । —नुत्तागमे. आव ध. १, नु १

सामाइय मुत्तं—

२२३. वरेमि भंते ! मामादय सव्वं सायज्जं जोग पच्चरग्गामि,

कायोत्सर्ग करने की प्रतिज्ञा—

२२२ हे भगवन् ! मुझे आज्ञा प्रदान करे,
मैं दिवस मम्बन्धी प्रतिक्रमण (आवश्यक) करने की इच्छा रखता हूँ और

ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तप के दिवस मम्बन्धी अतिचारों का चिन्तन करने के लिए कायोत्सर्ग करना चाहता हूँ ।

मामायिक नूत्र—

२२३ भन्ते ! मैं मामायिक ग्रहण करता हूँ । सर्व नावद्य (पाप कम वाले) व्यापारों का त्याग करता हूँ ।

जावज्जीवाए तिविहं तिविहेण मणेण, वायाए, काएण न
करेमि, न कारवेमि, करत पि अन्नं न समणुजाणामि,

तस्स भते । पडिक्कमामि, निदामि, गरिहामि, अप्पाण
वोसिरामि । —आव. अ. १, सु २

गुरु वदणमुत्त —

२२४. इच्छामि खमासमणो ! वदिउं, जावणिज्जाए निसीहियाए,

अणुजाणह मे मिउग्गह. निसीहिं,

अहोकार्यं काय-संफास,

खमणिज्जो मे किलामो,

अप्पकिलताणं बहुसुभेणं मे दिवसो वड्ढकंतो ?

जत्ता भे ?

जवणिज्ज च भे ?

खामेमि खमासमणो ! देवसियं घड्ढकमं,

आवस्सिआए पडिक्कमामि—

खमासमाणं देवसियाए आसायणाए तित्तीसन्नयराए, जं
किंचि मिच्छाए मणदुक्कडाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्कडाए,
फोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, सव्वकालियाए, सव्व-
मिच्छोवयाराए, सव्वधम्मइक्कमणाए, आसायणाए-जो मे
अइयारो फओ तस्स खमासमणो ! पडिक्कमामि, निदामि,
गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । —आव अ. ३, सु १०

गुरुवंदणस्स दुवालसावत्ताणाइ—

२२५. दुवालसावत्ते कित्तिफम्मे पणत्ते, तं जहा—

जीवन-पर्यन्त तीन करण तीन योग से अर्थात् मन, वचन,
और काया से (सर्व सावद्य-पाप कर्म) न मैं स्वयं करूंगा, न
दुमरो से कराऊंगा और न पाप कर्म करने वाले का अनुमोदन
ही करूंगा ।

भन्ते ! मैं पूर्वकृत पापों से निवृत्त होता हूँ, आत्मसाक्षी से
उमकी निन्दा करता हूँ, आपकी साक्षी से मैं उसकी गद्दी करता
हूँ और पाप कर्म करने वाली आत्मा की अतीत अवस्था का पूर्ण
रूप से त्याग करता हूँ ।

गुरु वंदन सूत्र—

२२४. हे क्षमाशील श्रमण ! मैं पाप-प्रवृत्ति से निवृत्त हुए अपने
शरीर से आपको यथाशक्ति वन्दना करना चाहता हूँ ।

अतएव मुझे आपके चारों ओर के अवग्रह (तीन हाथ जितने
क्षेत्र) में प्रवेश करने की आज्ञा दीजिए ।

मैं अणुभ क्रियाओं को त्यागकर अपने मस्तक तथा हाथ से
आपके चरणों का सम्यग् रूप से स्पर्श करता हूँ ।

चरण स्पर्श करते समय आपको जो कुछ भी पीडा हुई हो
वह क्षन्तव्य है अतः क्षमा करें ।

क्या ग्लानि रहित आपका आज का दिन बहुत आनन्द से
व्यतीत हुआ,

आपकी तप एव सयम रूप यात्रा निर्वाध है ?

और आपका शरीर मन तथा इन्द्रियों की बाधा से
रहित है ?

हे क्षमा श्रमण गुरुदेव ! मेरे से दिन में कोई अपराध
हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ ।

भगवन् ! आवश्यक क्रिया करते समय मेरे से कोई विपरीत
आचरण हुआ हो तो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ ।

आप क्षमाश्रमणों को दिवस सम्बन्धी तैतीम आशातनाओं
में से किसी एक प्रकार की आशातना मिथ्याभाव से, मानसिक
द्वेष से, दुर्वचन से, शारीरिक कुचेष्टाओं से, क्रोध से, मान से,
माया से, लोभ से, मर्वकाल से सम्बन्धित, सब प्रकार के मिथ्या-
भावों से, सब प्रकार के धर्मों को अतिक्रमण करने वाली आशा-
तना के द्वारा मैंने जो कोई भी अतिचार किया हो तो हे क्षमा
श्रमण ! उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, मन से उसकी निन्दा
करता हूँ, आपके नमस्कार उमकी गद्दी करता हूँ, और पाप कर्म
करने वाली आशातना युक्त उम आत्मा का परिन्याग करता हूँ ।

गुरु वन्दन के वारह आवर्तन—

२२५. वारह आवर्तनयुक्त गुरु वन्दन किया जाता है, यथा—

(१) दुओणयं,	(१) दो बार नमन करना (गुरु के अवग्रह प्रवेश के समय)	= २
(२) जहाजाय,	(२) उत्काटुक आसन से मस्तक के पास अजलि करके	= १
(३) कितिकम्म—वारसावय,	(३) बारह आवर्तन करना (४ बार, तीन-तीन आवर्तन करना)	= १२
(४) चउत्तिर,	(४) चार बार मस्तक झुकाना। (पत्येक आवर्तनत्रिक के	= ४
(५) तिगुत्त च,	(५) मन, वचन, काया की एकाग्रता रखना।	= ३
(६) दुपवेमं,	(६) दो बार गुरु के अवग्रह में प्रवेश करना।	= २
(७) एगनिषखमाण । ^१	(७) एक बार गुरु के अवग्रह से निकलना।	= १

—मम सम १२, सु, १

२५

ओघाद्दयारस्स पडिक्कमणमुत्ता—

२२६ इच्छामि पडिक्कमिउ जो मे देवसिओ अद्दयारो कओ काद्दओ याद्दओ माणसिओ,

उस्सुत्तो उम्मगो अकप्पो अकग्णिज्जो दुज्झाओ दुच्चि-
चित्तिओ अणायारो अणिच्छियच्चो असमणपाउग्गो,

नाणे तह दसणे चरित्ते सुए सामाइए तिण्ह गुत्तीणं, चउण्ह
कसायाण, पचण्ह महव्वयाण, छण्ह जीवनिक्कायाण, सत्तण्हं
पिट्ठेसणाण, अट्टण्ह पवयणमाऊण, नवण्ह वभचेरगुत्तीणं,
दसविहे समणधम्मो, समणाण जोगाण ज खंडिय जं विरा-
हिय तस्स मिच्छामि दुक्कड । —आव अ. ४, सु १५

हरियावहिया पडिक्कमण सुत्ता—

२२७ इच्छामि पडिक्कमिउं हरियावहियाए विराहणाए गमणास्स-
गमणे, पाणक्कमणे, वीयक्कमणे, हरियक्कमणे ओसा-उत्तग-
पणग-वग-मट्टि-मक्कटा-सताणा सक्कमणे, जे मे जीवा विरा-
हिया

एगिदिया, वेहदिया, तेहदिया, चउरिदिया, पंचिदिया,
अभिहया, चत्तिया लेत्तिया सघाद्दया संघट्टिया परियाविद्या
फित्तामिया उट्टिविया ठाणाओ ठाण मकामिया जीवियाओ
वयरोविद्या तस्स मिच्छा मि दुक्कड ।

—आव. अ. ४, सु १६

समुच्चय अतिचारों का प्रतिक्रमण सूत्र—

२२६ में प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ, जो मैंने दिवस सम्बन्धी
अतिचार किये हो वे, (१) कायिक, (२) वाचिक, और (३)
मानसिक हैं, जो सूत्र विरुद्ध हैं, मोक्ष मार्ग के विरुद्ध हैं, अकल्पनीय
हैं, न करने योग्य हैं, दुर्घानरूप हैं, दुष्चिन्तन रूप हैं, अनाच-
रणीय हैं, अनिच्छनीय हैं, श्रमण के लिए अनुचित हैं ।

जो ज्ञान दर्शन तथा चारित्र्य में लगे हैं, श्रुतज्ञान में और
सामायिक चारित्र्य में तीन गुप्तियों की, चार कपायों (के निषेधों)
की, पाँच महाव्रतों की, छह जीवनिक्कायों की, सात पिण्डेपणाओं
की, आठ प्रवचनमाताओं की, नौ ब्रह्मचर्य गुप्तियों की, दस
श्रमण धर्मों की और अन्य सभी श्रमण याग्य कतव्यों की जो
चण्डना की हो, जो विराधना की हो उसका दुष्कृत मेरे लिए
मिथ्या हो ।

ऐर्यापथिक प्रतिक्रमण सूत्र—

२२७ में प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ, जाते-आते मार्ग में चलते
समय जो जीवों की विराधना हुई हो (उसका) प्राणियों को
कुचलकर, वीजों को कुचलकर, हरी वनस्पति को कुचलकर
ओम को, कीड़ी नगरे को, काई को, सचित्त जल को, सचित्त
पृथ्वी को, मकड़ी के जालों को कुचलकर जो मैंने जीवों की
विराधना की हो ।

उन एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय
जीवों को गन्मुख जाते हुए को रोके हो, धूल आदि से ढके हो,
भूमि पर ममने हो, दकट्टे किए हो, छूकर पीड़ित किये हो,
परिताप पहुँचाया हो, घायल किये हो, उपद्रवित किये हो, एक
स्थान में हमरे स्थान पर रमे हो, जीवन रहित किये हो तो
उसका दुष्कृत मेरे लिए मिथ्या हो ।

१ "अ—हो"

२ "वा—य"

३ "का—य"

४ "जत्ता—मे"

५ "जयणि ज्ज"

६ "च-भे" । ये छ प्रथम बार में और ६ दूसरी बार में यों कुल १२ आवर्तन होते हैं ।

सेज्जा अइयार विसोही सुत्तं—

२२८. इच्छामि पडिक्कमिउ,

पगामसिज्जाए, निगामसिज्जाए, संथारा उच्चट्टणाए, परि-
वट्टणाए, आउट्टणाए, पसारणाए, छप्पइय-सघट्टणाए,

कुइए, कक्कराइए, छोए, जभाइए,

आमोसे, ससरक्खामोसे, आउलमाउलाए. सोअणवत्तियाए,
इत्थीविप्परियासियाए, दिट्ठिविप्परियासियाए, मण-विप्प-
रियासियाए, पाणभोयण-विप्परियासियाए—

जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छा मि दुक्कड ।

—आव अ. ४, सु. १७

गोयरचरिया अइयार विसोहि सुत्तं—

२२९ पडिक्कामि गोयरचरियाए भिक्खायरियाए,

उग्घाड-कवाड-उग्घाडणाए, साणा-वच्छा-सारासंघट्टणाए,

मंडी-पाहुडियाए, वलि-पाहुडियाए, ठवणा-पाहुडियाए,

सफिए सहसागारे, अणेसणाए,

पाणभोयणाए, वीयभोयणाए, हरियभोयणाए, पच्छाकम्मि-
याए, पुरेकम्मियाए, अदिट्टहडाए,इग-ससट्टहडाए, रय-ससट्टहडाए, परिसाडणियाए, पारिट्ठा-
वणियाए ओहासण-भिक्खाए,जं उग्गमेण, उप्पायणेसणाए अपरिसुद्धं परिग्गहिय, परि-
भुत्तं वा, जं न परिट्टविय तस्स मिच्छा मि दुक्कड ।

—आव अ. ४, सु. १८

सज्जाय पडिलेहणा विसोहि सुत्तं—

२३० पडिक्कामि चाउक्काल सज्जायस्स अकरणयाए उभओकालं
मंढोवगरणस्स अप्पडिलेहणाए, दुप्पडिलेहणाए, अप्पमज्ज-

शय्या दोष निवृत्ति सूत्र—

२२८. में प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ—

अधिक सोने से, बार-बार अधिक सोने से, करवट बदलने
से, बार-बार करवट बदलने से, अग-उपागो को सिकोडने से,
अंग-उपागो को पसारने से, जू आदि को स्पर्श करने से,जोर मे खासते हुए, कठोर शय्या पर सोते हुए, जोर से
छीकते हुए, उवासी लेते हुए,प्रमार्जन किए बिना शरीर का स्पर्श करने से, सचित्त रज
युक्त पदार्थ के स्पर्श से, आकुल-व्याकुल होने से, स्वप्न निमित्त
से, स्त्री सम्बन्धी विपरीत परिणाम होने से, दृष्टि सम्बन्धी
विपरीत प्रवृत्ति होने से, मन सम्बन्धी विपरीत सकल्प होने से,
आहार पानी के विपर्यास से,जो भी मैंने दिवस सम्बन्धी अतिचार किया हो तो उसका
दुष्कृत मेरे लिए मिथ्या हो ।

गोचर-चर्या दोष निवृत्ति सूत्र—

२२९ में प्रतिक्रमण करता हूँ—गोचर चर्या मे, भिक्षा चर्या मे
(लगे दोषो का)आधे खुले क़िवाडो को खोलने मे, कुत्ते, बछड़े और बच्चो
को टक्कर लगने से,अग्रपिण्ड की भिक्षा से, वलि कर्म की भिक्षा से, स्थापना
की भिक्षा से,सदिग्ध आहार लेने से, बिना विचारे आहार लेने से, एषणा
किये बिना आहार लेने से ।प्राणी युक्त आहार लेने से वीज युक्त आहार लेने से, हरी
वनस्पति युक्त आहार लेने से, आहार लेने के बाद दाता द्वारा
लगाये जाने वाले दोषो से, आहार लेने के पूर्व लगाये गये दोषो
से, अदृष्ट आहारादि लेने से,जल से स्पृष्ट आहारादि लेने से, सचित्त रज से स्पृष्ट
आहारादि लेने से, आहारादि देने वाला मार्ग मे गिरता हुआ
आहार दे उसे लेने से, आहार देने के पात्र में पहले से रहे हुए
किसी भोजन को बाहर डालकर दिया जाने वाला आहार लेने से,उद्गम-उत्पादन-एषणा के दोष से युक्त अशुद्ध आहार ग्रहण
करने से, तथा उभका उपभोग करने मेभूल से ग्रहण किये अशुद्ध आहार को न परठने से जो दुष्कृत
हुवा है वह मेरे लिये मिथ्या हो ।

स्वाध्याय तथा प्रतिलेखन शुद्धि सूत्र—

२३०. में प्रतिक्रमण करता हूँ चागे काल मे स्वाध्याय के न
करने से, उभयकाल पात्रो का तथा उपकरणो का प्रतिलेखन न

जाग, दुष्पमज्जणाए, अद्वयफमे, वद्वयफमे, अद्वयारे, अणायारे,
जो मे देवमिओ अद्वयारो फओ तस्म मिच्छा मि दुक्कटं ।

—वाय अ ४, सु. १६

तेतीसविह् ठाणाइं पडिक्कमण सुत्तं—

२३१ पडिक्कमामि एगयिहे असंजमे ।

पडिक्कामि दोहि वघणेहि—

(१) रागवघणेणं, (२) दोसवघणेण^१

(१) पडिक्कमामि तिहि दडेहि—

(१) मणदडेण, (२) वयदडेण, (३) फात्रपंटेण^२

(२) पडिक्कमामि तिहि गुत्तोहि—

(१) मणगुत्तोए, (२) वयगुत्तोए, (३) कायगुत्तोए^३

(३) पडिक्कमामि तिहि सल्लेहि—

(१) मायामल्लेण, (२) नियामल्लेण,

(३) मिच्छादसणल्लेणं^४

(४) पडिक्कमामि तिहि गारवेहि—

(१) इड्ढीगारवेण, (२) रसगारवेणं,

(३) सायागारवेण^५

(५) पडिक्कमामि तिहि विराहणाहि—

(१) णाणविराहणाए, (२) दमणविराहणाए,

(३) चरित्तविराहणाए^६

(१) पडिक्कमामि चर्जाहि कसाएहि—

(१) फोहकनाएण, (२) माणकसाएण, (३) मायाकसाएणं

(४) लोहकसाएण^७

(२) पडिक्कमामि चर्जाहि मण्णाहि—

करने से, अच्छी तरह प्रतिवेगन न करने से, प्रमार्जन न करने
में, अच्छी तरह प्रमार्जन न करने में, जो अतिश्रम, व्यतिश्रम,
अतिचार या अनाचार सम्बन्धी जो भी देवमिक अतिचार लगा
हो उगका दुष्कृत मेरे लिए मिथ्या हो ।

तेतीस प्रकार के स्थानों का प्रतिक्रमण सूत्र—

२३१. एक प्रकार के समय से निवृत्त होता हूँ—

दो प्रकार के वन्धनों से लगे दोषों का प्रतिक्रमण करता हूँ—

(१) राग के वन्धन से, (२) द्वेष के वन्धन में ।

(१) तीन प्रकार के दण्डों में लगे दोषों का प्रतिक्रमण
करता हूँ—

(१) मनोदण्ड से, (२) वचन-दण्ड से, (३) काय-दण्ड से ।

(२) तीन प्रकार की गुप्तियों में जो भी दोष लगे हों, उनका
प्रतिक्रमण करता हूँ—

(१) मनोगुप्ति में, (२) वचनगुप्ति में, (३) कायगुप्ति में ।

(३) तीन प्रकार के शल्यों से होने वाले दोषों का प्रतिक्रमण
करता हूँ—

(१) मायाशल्य से, (२) निदानशल्य से,

(३) मिथ्यादर्शन शल्य से ।

(४) तीन प्रकार के गर्व से लगने वाले दोषों का प्रतिक्रमण
करता हूँ—

(१) ऋद्धि के गर्व से, (२) रस के गर्व से,

(३) माता—सुत्र के गर्व से ।

(५) तीन प्रकार की विराधनाओं से होने वाले दोषों का
प्रतिक्रमण करता हूँ—

(१) ज्ञान की विराधना से, (२) दर्शन की विराधना से,

(३) चारित्र की विराधना से ।

(१) चार कपाय के द्वारा होने वाले अतिचारों का प्रति-
क्रमण करता हूँ—

(१) क्रोध कपाय, (२) मान कपाय, (३) माया कपाय,

(४) लोभ कपाय ।

(२) चार प्रकार की सजाओं के द्वारा जो भी अतिचार
लगा हो उसका प्रतिक्रमण करता हूँ—

१ सम मम २, सु. १

२ (क) ठाणं अ. ३, उ. १, सु. १३४ (५)

३ (द) ठाणं अ. ३, उ. १, सु. १३४ (१)

४ (क) ठाण. अ. ३, उ. ३, सु. १२८

५ (क) ठाण. अ. ३, उ. १, सु. २१५

६ मम. मम. ३, सु. १

७ (क) ठाण. अ. ४, उ. १, सु. २४६

(क) मम. मम. ३, सु. १

(ख) सम मम. ३, सु. १

(ग) मम मम. ३, सु. १

(घ) मम. मम. ३, सु. १

(च) मम. मम. ४, सु. १

- (१) आहारसण्णाए, (२) भयसण्णाए,
 (३) मेह्णसण्णाए, (४) परिग्गहसण्णाए ।^१
 (३) पडिक्कमामि चउर्हि विकहाहि—

- (१) इत्थीकहाए, (२) भक्तकहाए,
 (३) देसकहाए, (४) रायकहाए ।^२
 (४) पडिक्कमामि चउर्हि ज्ञाणेहि—

- (१) अट्ठेणं ज्ञाणेणं, (२) रुद्धेण ज्ञाणेण,
 (३) धम्मणेण ज्ञाणेण, (४) सुक्केण ज्ञाणेणं ।^३
 (१) पडिक्कमामि पंचहि किरियाहि—

- (१) काइयाए, (२) अहिगरणियाए, (३) पाओसियाए,
 (४) पारितावणियाए, (५) पाणाइवायकिरियाए ।^४
 (२) पडिक्कमामि पंचहि कामगुणेहि—

- (१) सट्ठेणं, (२) रूवेण, (३) गंधेणं, (४) रसेणं,
 (५) फासेणं ।^५
 (३) पडिक्कमामि पंचहि महव्वएहि—

- (१) पाणाइवायाओ वेरमण, (२) मुसावायाओ वेरमणं,
 (३) अदिण्णादाणाओ वेरमण, (४) मेह्णुणाओ वेरमणं,
 (५) परिग्गहाओ वेरमण ।^६
 (४) पडिक्कमामि पंचहि समिईहि—

- (१) इरियासमिईए, (२) भासासमिईए,
 (३) एसणासमिईए, (४) आयाणभंडमत्तनिक्खेवणासमिईए,
 (५) उच्चार-पासवण-खेल-सिघाण-जल्ल परिट्ठावणिया-
 समिईए ।^७
 (१) पडिक्कमामि छहि जीवनिक्काएहि—

- (१) पुढविकाएणं, (२) आउकाएणं, (३) तेउकाएण,
 (४) वाउकाएण, (५) वणस्सइकाएण, (६) तसकाएणं ।^८

- (१) आहार संज्ञा, (२) भय संज्ञा,
 (३) मैथुन संज्ञा, (४) परिग्रह संज्ञा ।
 (३) चार विकथाओ के द्वारा जो भी अतिचार लगा हो,
 उसका प्रतिक्रमण करता हूँ—

- (१) स्त्री कथा, (२) भक्त कथा,
 (३) देश कथा, (४) राज कथा ।
 (४) चार ध्यानो मे से दो के करने पर और दो के न करने
 पर जो भी अतिचार लगा हो तो उसका प्रतिक्रमण करता हूँ—

- (१) आर्त ध्यान, (२) रौद्र ध्यान,
 (३) धर्म ध्यान, (४) शुक्ल ध्यान ।
 (१) पांच क्रियाओ के द्वारा जो भी अतिचार लगा हो
 उसका प्रतिक्रमण करता हूँ—

- (१) कायिकी, (२) अधिकरणिकी, (३) प्राद्वेषिकी,
 (४) पारितापनिकी, (५) प्राणातिपात क्रिया ।
 (२) पांच काम गुणो के द्वारा जो भी अतिचार लगा हो
 उसका प्रतिक्रमण करता हूँ—

- (१) शब्द, (२) रूप, (३) गन्ध, (४) रस,
 (५) स्पर्श ।
 (३) पांच महाब्रतो का सम्यक् रूप से पालन न करने से
 जो भी अतिचार लगा हो, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ—

- (१) सर्व प्राणातिपात-विरमण, (२) सर्व मृषावाद-विरमण,
 (३) सर्व अदत्तादान-विरमण, (४) सर्व मैथुन-विरमण,
 (५) सर्व परिग्रह-विरमण ।
 (४) पांच समितियों का सम्यक् पालन न करने से जो भी
 अतिचार लगा हो, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ—

- (१) ईर्या समिति, (२) भाषा समिति,
 (३) एषणासमिति, (४) आदान-भाण्डमात्रानिक्षेपणासमिति,
 (५) उच्चार-प्रस्रवण-श्लेष्म-जल्ल-सिघाण-पारिष्ठापनिका
 समिति ।

- (१) छह प्रकार के जीवनिक्कायो की हिंसा करने से जो
 भी अतिचार लगा हो उसका प्रतिक्रमण करता हूँ—

- (१) पृथ्वीकाय, (२) अप्काय, (३) तेजस्काय,
 (४) वायुकाय, (५) वृनस्पतिकाय, (६) त्रसकाय ।

१ सम. सम. ४, सु १

२ (क) ठाणं अ ४, उ. २, सु. २८२

३ (क) ठाण अ. ४, उ. १, सु. २४७

४ सम. सम. ५, सु. १

५ (क) ठाण. अ ५, उ. १, सु. ३६०

६ (क) ठाण. अ ५, उ. १, सु. ३८६

७ (क) ठाण. अ ५, उ. ३, सु. ४५७

८ (क) ठाणं. अ. ६, सु. ४८९

(ख) सम. सम. ४, सु १

(ख) सम. सम. ४, सु १

(ग) तपाचार

(ख) सम सम. ५, सु. १

(ख) सम. सम. ५, सु. १

(ख) सम. सम. ५, सु. १

(ख) सम. सम. ६, सु. १

(२) पडिक्कमामि छॉह् सेमाहि—

(१) क्पिह्लेमाए, (२) नीललेसाए, (३) काडलेमाए,
(४) तेडलेमाए, (५) पम्ह्लेमाए, (६) सुक्कलेमाए^१

पडिक्कमामि मत्तहि मयट्ठाणेहि^२

अट्ठहि मयट्ठाणेहि^१

नवहि बंमचेन्गुत्तोहि,^४

दमविहे समणघम्मै—^५

एक्कारमाहि उवामग पडिमाहि,^६

वारमाहि भिक्कु-पडिमाहि^७

तेरमाहि किरियाठाणेहि,^८

चउट्ठेहि भूयगामेहि,^९

पन्नरमाहि परमाहम्मिमाहि,^{१०}

सोलमाहि गाहासोलसएहि,^{११}

सत्तरमविहे अमंजमे,^{१२}

अट्ठारमविहे अवमे,^{१३}

एगूणवोमाए नायगसयणेहि,^{१४}

वीमाए असमाहिट्ठाणेहि,^{१५}

तीन अधर्म लेश्याओं के करने से और तीन धर्म लेश्याओं के न करने से जो भी अतिचार लगा हो, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ—

(१) कृष्णलेश्या, (२) नीललेश्या, (३) कपोतलेश्या,
(४) तेजोलेश्या, (५) पद्मलेश्या, (६) शुक्ललेश्या ।

प्रतिक्रमण करता हूँ—सात भय के कारणों से

आठ मद स्थानों के सेवन से,

नौ ब्रह्मचर्य की गुप्तियों का सम्यक् पालन न करने से,

दश विघ क्षमा आदि श्रमण-धर्म की विराघना से,

ग्यारह श्रावक की प्रतिमाओं की अश्रद्धा तथा विपरीत प्ररूपणा से,

बारह भिक्षु प्रतिमाओं की श्रद्धा, प्ररूपणा तथा पालन अच्छी तरह से न करने से,

तेरह क्रिया-स्थानों के करने से,

चौदह प्रकार के जीवों की हिंसा से,

पन्द्रह परमाधामिकों के प्रति अशुभ परिणाम करने से,

सूत्रकृतांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्वन्ध के गाथा अध्ययन सहित नीलह अध्ययनों में प्ररूपित धर्मानुसार आचरण न करने से ।

सत्तरह प्रकार के असंयमों के आचरण से,

अट्ठारह प्रकार के अत्रह्यचर्य से,

जाता सूत्र के उन्नीस अध्ययनों में प्रतिपादित भावानुसार समय में न रहने से,

वीम अनमाधि स्थानों के सेवन से,

- १ (क) ठाग. व. ६, नु. ५०४
२ (क) ठाणं. व. ७, नु. ५४६
३ (क) ठाणं. व. ८, नु. ६०६
४ (क) ठाणं. व. ९, नु. ६६३
५ (क) ठाणं. व. १०, नु. ७१२
६ (क) ठाग. व. १०, नु. ७५५
(ग) दमा. व. ६, नु. १-३०
७ (क) ठाणं. व., १०, नु. ७५५
(ग) दमा. व. ७, नु. १-३६
८ (क) अनाचार
९ मम. मम. १४, नु. १
११ मम. मम. १६, नु. १
१२ (क) मम. मम. १७, नु. १
१३ (क) मम. मम. १८, नु. १
१४ मम. मम. १९, नु. १
१५ (क) ठाग. व. १०, नु. ७५५

- (ख) मम. मम. ६, नु. १
(व) मम. मम. ७, नु. १
(ख) मम. मम. ८, नु. १
(ख) मम. मम. ९, नु. १ (ग) चतुर्यं महाव्रत
(ख) मम. मम. १०, नु. १
(ख) मम. मम. १०, नु. १
(घ) गृहस्थ धर्म
(ख) मम. मम. १२, नु. १
(घ) संयमी जीवन
(ख) मम. मम. १३, नु. १
१० मम. मम. १५, नु. १
(ख) संयमी जीवन
(ख) चतुर्यं महाव्रत
(ख) मम. मम. २०, नु. १ (ग) अनाचार,

इक्कीसाए सवलेहि,¹
 बावीसाए परीसहेहि²
 तेवीसाए स्यगडज्जयणेहि³
 चउव्वीसाए देवेहि,^४
 पणवीसाए भावणाहि,^५
 छव्वीसाए दसाकप्पववहारणं उद्देसणकालेहि,⁶

सत्तावीसाए अणगारगुणेहि⁷
 अट्ठावीसाए आयारपकप्पेहि,⁸

एगुणतीसाए पावसुयपसंगेहि,⁹
 तीसाए मोहणीयद्वुणेहि,¹⁰
 एगतीसाए सिद्धाइगुणेहि,¹¹
 वत्तीसाए जोगसंगहेहि,¹²
 तेत्तीसाए आसायणाहि,¹³
 जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं ।

—आव. अ. ४, सु. २०-२६

णिगगंथ धम्माइयार विसोहि सुत्तं—

२३१. नमो चउवीसाए तित्थयराणं उसभाए-महावीरपज्जव-
 साणाणं ।

इणमेव निग्गथ पावयणं—

सच्चं, अणुत्तरं, केवलिय, पडिपुण्ण, नेआउयं, समुद्धं,
 सल्लकत्तणं, सिद्धिमग्गं, मुत्तिमग्गं, निज्जाणमग्ग, निव्वाण-
 मग्गं, अवित्तहमविसाँधि, सब्बदुक्खप्पहीणमग्ग ।

इक्कीस शवल दोषो के सेवन से,
 वाईस परीषह सहन न करने से,
 सूत्रकृनाग सूत्र के तेईस अध्ययनो मे प्ररूपित आचरण न करने से
 चौवीस देवो की अवहेलना करने से,
 पाच महाव्रतो की पञ्चीस भावनानुसार आचरण न करने से,
 दशा-श्रुतस्कन्ध, वृहत्कल्प और व्यवहार—उक्त सूत्रत्रयी के
 छव्वीस उद्देशन कालो मे प्रतिपादित विधि-निषेधो का आचरण
 न करने से,

सत्ताईस साधु के गुणो को पूर्णत. धारण न करने से,
 आचार-प्रकल्प = आचाराग तथा निशीथ सूत्र के अट्ठाईस
 अध्ययनो मे प्रतिपादित विधि-निषेधो का आचरण न करने से,
 उन्तीस पाप-श्रुतो का प्रयोग करने से,
 महामोहनीय कर्म के तीस स्थानो के सेवन करने से,
 सिद्धो के इक्कीस गुणो की उचित श्रद्धा प्ररूपणा न करने से,
 वत्तीस योग संग्रहो का यथार्थ आचरण न करने से,
 तेतीस आशातनाओ के करने से,
 जो मुझे दिवस सम्बन्धी अतिचार दोष लगा हो उसका मेरा
 पाप निष्फल हो ।

निर्ग्रन्थ धर्मातिचार शुद्धि सूत्र—

२३२. भगवान् ऋषभदेव से लेकर भगवान् महावीर पर्यन्त
 चौवीस तीर्थकर देवो को नमस्कार करता हूँ ।

यह निर्ग्रन्थ प्रवचन,

सत्य है, सर्वोत्तम है, केवलज्ञानियो से प्ररूपित है, मोक्ष
 प्राप्त कराने वाले गुणो से परिपूर्ण है, मोक्ष पहुँचाने वाला है या
 न्याय से अवाधित है, पूर्ण शुद्ध है, माया आदि शल्यो को नष्ट
 करने वाला है, सिद्धि की प्राप्ति का उपाय है, मुक्ति का साधन
 है, मोक्ष स्थान का मार्ग है, पूर्ण शान्ति रूप निर्वाण का मार्ग है,
 असत्य नहीं है यथार्थ है, विच्छेद रहित है अथवा पूर्वापर
 विरोध से रहित है, सब दुःखो को पूर्णतया क्षय करने का मार्ग है ।

१ (क) ठाण. अ. १०, सु. ७५५

२ (क) सम. सम. २२, सु. १

३ सम. सम. २३, सु. १

५ (क) सम. सम. २५, सु. १

६ सम. सम. २६, सु. १

७ (क) सम. सम. २७, सु. १

८ सम. सम. २८, सु. १

१० (क) ठाण. अ. १०, सु. ७५५

११ सम. सम. ३१, सु. १

१२ (क) सम. सम. ३२, सु. १

१३ (क) सम. सम. ३३, सु. १

(ख) सम. सम. २१, सु. १

(ख) वीर्याचार

४ सम. सम. २४, सु. १

(ख) पाँच महाव्रत

(ख) संयमी जीवन

६ सम. सम. २६, सु. १

(ख) सम, सम ३०, सु. १

(ख) संयमी जीवन

(ख) ज्ञानाचार

(ग) अनाचार

(ग) उक्त. अ. २

(ग) अनाचार

(ग) दशा. द. ३

इत्य ठिआ जीवा सिज्झति, वुज्झति, मुच्चति, परिनिब्वा-
यति, सच्चदुवखाणमत करेति ।

त धम्मं सद्दहामि, पत्तिआमि, रोएमि, फासेमि, पालेमि,
अणुपालेमि ।

तं धम्मं सद्दहंतो, पत्तिअंतो, रोअतो, फासंतो, पालतो,
अणुपालंतो ।

तस्स धम्मस्स अब्भुट्ठिओमि आराहणाए, विरओमि विराह-
णाए ।

(१) असजमं परिआणामि, संजम उवसपज्जामि ।

(२) अवम परिआणामि, वम उवसपज्जामि ।

(३) अकप्प परिआणामि, कप्प उवसंपज्जामि ।

(४) अज्ञाणं परिआणामि, नाणं उवसपज्जामि ।

(५) अकिरियं परिआणामि, किरियं उवसंपज्जामि ।

(६) मिच्छत्तं परिआणामि, सम्मत्तं उवसपज्जामि ।

(७) अवोहि परिआणामि, वोहि उवसपज्जामि ।

(८) अमग्ग परिआणामि, मग्ग उवसपज्जामि ।

ज सभरामि, ज च न सभरामि,
ज पडिक्कमामि, जं घ न पडिक्कमामि,

तस्स सच्चस्स देवसियस्स अइआरस्स पडिक्कमामि ।
समणोऽहं संजय - विरय - पडिहय - पच्चवखाय - पाक्कम्मो,
अनियाणो, दिट्ठिसपत्तो, माया-मोस-विज्जिओ ।

अट्ठाइज्जेसु दीय समुद्देसु, पत्तरससु कम्मभूमिसु ।
जावत के वि साहू, रयहरण-गुच्छ-पडिग्गह-धरा ॥

इस निर्ग्रन्थ प्रवचन मे स्थित रहने वाले अर्थात् तदनुसार
आचरण करने वाले भव्य जीव सिद्ध होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, पूर्ण
आत्म-शान्ति को प्राप्त करते हैं तथा समस्त दुखों का (सदा
काल के लिए) अन्त करते हैं ।

मैं इस निर्ग्रन्थ-प्रवचन स्वरूप धर्म की श्रद्धा करता हूँ,
सभक्ति स्वीकार करता हूँ, रुचि करता हूँ, स्पर्शना करता हूँ,
पालन करता हूँ, विशेष रूप से निरन्तर पालन करता हूँ ।

मैं प्रस्तुत जिन-धर्म की श्रद्धा करता हुआ, प्रतीति करता
हुआ, रुचि करता हुआ, आचरण करता हुआ, पालना करता
हुआ, विशेष रूपेण निरन्तर पालन करता हुआ—

उस धर्म की आराधना करने में पूर्ण रूप से तत्पर हूँ और
धर्म की विराधना से पूर्णतया निवृत्त होता हूँ—

(१) असयम को जानकर त्यागता हूँ, सयम को स्वीकार
करता हूँ ।

(२) अब्रह्मचर्य को जानकर त्यागता हूँ, ब्रह्मचर्य को स्वीकार
करता हूँ ।

(३) अकल्प्य को जानकर त्यागता हूँ, कल्प्य को स्वीकार
करता हूँ ।

(४) अज्ञान को जानकर त्यागता हूँ, ज्ञान को स्वीकार
करता हूँ ।

(५) अकृत्य को जानकर त्यागता हूँ, कृत्य को स्वीकार
करता हूँ ।

(६) मिथ्यात्व को जानकर त्यागता हूँ, सम्यक्त्व को
स्वीकार करता हूँ ।

(७) मिथ्यात्व के कार्य को जानकर त्यागता हूँ, सम्यक्त्व
के कार्य को स्वीकार करता हूँ ।

(८) हिंसा आदि अमार्ग को जानकर त्यागता हूँ, अहिंसा
आदि मार्ग को स्वीकार करता हूँ ।

जो दोष स्मृति में है और जो स्मृति में नहीं है,
जिनका प्रतिक्रमण कर चुका हूँ और जिनका प्रतिक्रमण नहीं
कर पाया हूँ ।

उन सब दिवस सम्बन्धी अतिचारों का प्रतिक्रमण करता हूँ,
मैं श्रमण हूँ, संयमी हूँ, विरत हूँ, पाप कर्मों को रोकने
वाला हूँ, एव पाप कर्मों का त्याग करनेवाला हूँ, निदान-शल्य से
रहित हूँ, सम्यग्दर्शन से युक्त हूँ, माया सहित मृपावाद का परिहार
करने वाला हूँ ।

अबाई द्वीप और दो समुद्र के परिमाण वाले मनुष्य क्षेत्र में
अर्थात् पन्द्रह कर्मभूमियों में जो भी रजोहरण, गुच्छक एव पात्र
के धारण करने वाले हैं—

पंचमहव्य-धरा अट्टारस सहस्स-सीलंगधरा ।
अखयायारचरित्ता, ते सव्वे सिरसा मणसा मत्थएण वदामि ॥
—आव. अ. ४, सु. २७-३१

मारणान्तिय संलेहणा सुत्तं—

२३३ तयाणंतरं च ण अपच्छिम-मारणतिय-संलेहणा-झूसणा
आराहणाए पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा,
तं जहा—

- (१) इहलोगासंसप्पओगे
- (२) परलोगासंसप्पओगे,
- (३) जीवियासंसप्पओगे,
- (४) मरणासंसप्पओगे,
- (५) कामभोगासंसप्पओगे । —आव. अ. १, सु. ५७

खामणा सुत्तं—

२३४. खामेमि सव्वेजीवा, सव्वे जीवा खमंतु मे ।
मित्ती मे सव्वभूएसु, वेर मज्झं न केणइ ॥

आयरिय-उवज्जाए-सीसे साहम्मिए कुल गणे य ।
जे मे केइ कसाया सव्वे तिविहेण खामेमि ॥

सव्वस्स समणसंघस्स, भगवओ अंजलि करीय सीसे ।
सव्वं खमावइत्ता, खमामि सव्वस्स अहमवि ॥

सव्वस्स जीवरासिस्स, भावओ धम्म निहियनियचित्तो ।
सव्व खमावइत्ता, खमामि सव्वस्स अहमवि ॥

—सुत्तागमे आव. अ. ४, सु. ३२

उवसंहार सुत्तं—

२३५. एवमहं आलोइअ, निंदियं गरहिअं दुगुंछियं सम्मं ।
तिविहेण पडिक्कतो, वंदामि जिण चउव्वीस ॥
—आव. अ. ४, सु. ३३

काउस्सग विहि सुत्तं—

२३६. तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्त-करणेण, विसोहि-करणेण,
विसत्ती-करणेण, पावाण कम्माण निग्घायणट्टाए ठामि
काउस्सगं ।

अन्नत्य ऊससिएण, नीससिएणं, खासिएण, छीएणं, जभाइ-
एणं, उड्डुएण, वायनिसग्गेण, भमलीए, पित्तमुच्छाए, सुहु-
मेहि अंगतचालेहि, सुहुमेहि खेसचालेहि, सुहुमेहि दिट्ठि-

तथा पांच महाव्रत, अठारह हजार संयम के गुणों को धारण
करने वाले एव अक्षत आचार के पालक जो त्यागी साधु हैं, उन
सबको मैं शिर से, मन से, मस्तक से वन्दना करता हूँ ।

मरणान्तिक संलेखना के अतिचार—

२३३ तदनन्तर अपश्चिम-मरणान्तिक-संलेखणा-झोषणा आराधना
के पांच अतिचारों को जानना चाहिए उनका आचरण नहीं
करना चाहिए, वे इस प्रकार हैं—

- (१) इहलौकिक सुख की चाहना करना ।
- (२) परलौकिक सुख की चाहना करना ।
- (३) जीने की चाहना करना ।
- (४) मरने की चाहना करना ।
- (५) काम-भोगों की आकांक्षा करना ।

क्षमापना सूत्र—

२३४. मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ और वे सब जीव भी
मुझे क्षमा करें । मेरी सब जीवों के साथ पूर्ण मित्रता है, किसी
के साथ भी मेरा वैरभाव नहीं है ।

आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, साधर्मिक, कुल एवं गण के प्रति
जो मैंने कोई भी कषाय किये हों उनकी मन, वचन, काया से
क्षमा याचना करता हूँ ।

मस्तक पर अंजली चढाकर भगवान महावीर के समस्त
श्रमणसंघ से मैं क्षमा याचना करता हूँ वह सब मुझे भी क्षमा
प्रदान करे ।

मैं धर्म में दत्तचित्त होकर समस्त जीव राशि से क्षमा
याचना करता हूँ, वह जीवराशि मुझे भी क्षमा प्रदान करे ।

उपसंहार सूत्र—

२३५. इस प्रकार मैं सम्यक् प्रकार से आलोचना, निन्दा, गर्हा
और जुगुप्सा के द्वारा तीन प्रकार से अर्थात् मन, वचन, काया
से, प्रतिक्रमण कर पापों से निवृत्त होकर चौबीस तीर्थंकर देवों
को वन्दना करता हूँ ।

कायोत्सर्ग-विधि सूत्र—

२३६ आत्मा की श्रेष्ठता के लिए, प्रायश्चित्त के लिए, विशेष
निर्मलता के लिए, शल्य-रहित होने के लिए, पाप कर्मों का
पूर्णतया विनाश करने के लिए, आगे कहे जाने वाले आगारों को
छोड़कर मैं कायोत्सर्ग करता हूँ ।

उच्छ्वास, निश्वास, खांसी, छीक, उवासी, डकार, अपान-
वायु, चक्कर, पित्त-विकारजन्य मूर्च्छा, सूक्ष्म रूप से अंगों का
हिलना, सूक्ष्म रूप से कफ का संचार, सूक्ष्म रूप से दृष्टि चमना

सचालेहि एवमाइएहि आगारेहि, अभग्गो, अविराहिओ, इत्यादि आगारो से मेरा कायोत्सर्ग अभग्ग एव अविराधित हो ।
हुज्ज मे काउस्सगो ।

जाव अरिहताण भगवंताण, नमुषकारेण न पारेमि, ताव काय ठाणेण, भोगेण, ज्ञाणेण, अप्पाण चोसिरामि ।

—आव अ ५, सु ३६-३७

जब तक अरिहत भगवान् को नमस्कार न कर लूं अर्थात् “नमो अरिहताण” न पढ लूं, तब तक एक स्थान पर स्थिर रहकर, मौन रहकर, धर्म ध्यान मे चित्त की एकाग्रता करके अपनी आत्मा को पाप व्यापारो से अलग करता हूँ ।



दस पच्चक्खाण—४

दसविह-पच्चक्खाणा—

णमोवकार-सहियं पच्चक्खाण-सुत्त—

२३७ उग्गए सूरे नमोवकारसहियं^१ पच्चक्खामि, चउच्चिव्ह पि आहार—असण, पाण, खाइम, साइमं ।

१ अन्नत्यज्जाभोगेण, २ सहसागारेण,
चोसिरामि । —आव अ ६, सु ६६

पोरिसी पच्चक्खाण-सुत्त—

२३८ उग्गए सूरे पोरिसिं^२ पच्चक्खामि, चउच्चिव्ह पि आहार—
असण, पाणं, खाइम, साइम ।

१. अन्नत्यज्जाभोगेण, २ सहसागारेण, ३ पच्छन्नकालेण,
४ दिसामोहेण, ५. साहुवयणेण,
६. सबसमाहिवत्तियागारेण,
चोसिरामि । —आव अ ६, सु. ८७

पुरिमड्ढ पच्चक्खाण-सुत्त—

२३९. उग्गए सूरे, पुरिमड्ढं^३ पच्चक्खामि, चउच्चिव्हं पि आहार—
असण, पाण, खाइम, साइमं ।

दस प्रकार के प्रत्याख्यान—

नौकारसी प्रत्याख्यान सूत्र—

२३७ सूर्योदय बाद से (एक मुहूर्त पर्यन्त) “नमस्कार सहित” अशन, पान, खादिम, स्वादिम चारो ही प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान करता हूँ ।

(१) अनाभोग, (२) सहसाकार,
इन दो आगारो के सिवाय चारो प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ ।

पौरुपी प्रत्याख्यान सूत्र—

२३८ सूर्योदय से लेकर पौरुपी तक अशन, पान, खादिम, स्वादिम इन चारो प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान करता हूँ ।

(१) अनाभोग, (२) सहसाकार, (३) पच्छन्नकाल,
(४) दिसामोह, (५) साधु-वचन,
(६) सर्व-समाधि प्रत्ययागार,
इन छह आगारो के सिवाय पूर्णतया चारो आहार का त्याग करता हूँ ।

दो पौरुपी प्रत्याख्यान सूत्र—

२३९. सूर्योदय से लेकर दिन के पूर्वार्द्ध तक अर्थात् दो प्रहर तक अशन, पान, खादिम, स्वादिम चारो प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान करता हूँ ।

१ यह “नमस्कार सहित” प्रत्याख्यान का सूत्र है । सूर्योदय से लेकर एक मुहूर्त बाद जब तक नमस्कार मन्त्र न पढे तब तक आहारदि ग्रहण नहीं करना ‘नौकारसी’ कहलाता है ।

२ सूर्योदय से लेकर एक प्रहर दिन चढ़े तब तक चारो प्रकार के आहार का त्याग करना ‘पौरुपी’ प्रत्याख्यान है ।

३ यह ‘पूर्वार्द्ध’ प्रत्याख्यान का सूत्र है । इसमे सूर्योदय से लेकर दिन के पूर्व भाग तक अर्थात् दो प्रहर दिन चढ़े तब तक चारो आहार का त्याग किया जाता है ।

१. अन्नत्यज्जामोगेण, २. सहसागारेण, ३. पच्छन्नकालेण,
४. दिसामोहेण, ५. साधुवयणेण, ६. महत्तरागारेण,
७. सब्वसमाहिवत्तियागारेण वोसिरामि ।

—आव. अ. ६, सु. ६८

एगासण पच्चक्खाण-सुत्त —

२४०. एगासण^१ पच्चक्खामि तिविहं पि आहार असण, खाइम, साइम,

१. अन्नत्यज्जामोगेण, २. सहसागारेण,
३. सागारियागारेण, ४. आउंटण-पसारणेण,
५. गुरु-अब्भुट्टाणेण, ६. पारिट्ठावणियागारेण,
७. महत्तरागारेण, ८. सब्वसमाहिवत्तियागारेण,
वोसिरामि ।

—आव. अ. ६, सु. ६६

एगट्ठाण पच्चक्खाण-सुत्त —

२४१. एक्कासणं^२ एगट्ठाणं^३ पच्चक्खामि, चउत्विहं पि आहार असण, पाणं, खाइम, साइमं ।

१. अन्नत्यज्जामोगेण, २. सहसागारेण,
३. सागारियागारेण, ४. गुरुअब्भुट्टाणेण,
५. पारिट्ठावणियागारेण, ६. महत्तरागारेण,
७. सब्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि ।

—आव. अ. ६, सु. १००

आयंवल्ल-पच्चक्खाण-सुत्त —

२४२. आयवल्लं पच्चक्खामि^४ तिविहं पि आहार असण, खाइमं, साइमं ।

१. अन्नत्यज्जामोगेण, २. सहसागारेण,
३. लेवालेवेणं, ४. उक्खित्तविवेगेणं,
५. गिहत्थ संसट्ठेण, ६. पारिट्ठावणियागारेणं,
७. महत्तरागारेणं, ८. सब्वसमाहिवत्तियागारेण,
वोसिरामि ।

—आव. अ. ६, सु. १०१

- (१) अनाभोग, (२) सहसाकार, (३) प्रच्छन्नकाल,
(४) दिशामोह, (५) साधुवचन, (६) महत्तराकार,
(७) सर्वसमाधिप्रत्ययागार । इन सात आहारो के सिवाय

पूर्णतया चारो आहारो का त्याग करता हूँ ।

एकाशन प्रत्याख्यान सूत्र —

२४०. एकाशन तप स्वीकार करता हूँ, अशन, खादिम, स्वादिम, इन तीनों प्रकार के आहारो का प्रत्याख्यान करता हूँ ।

- (१) अनाभोग, (२) सहसागार,
(३) सागारिकाकार, (४) आकुंचनप्रसारण,
(५) गुर्वभ्युत्थान, (६) पारिष्ठापनिकाकार,
(७) महत्तराकार, (८) सर्व-समाधिप्रत्ययाकार,

इन आठ आहारो के सिवाय पूर्णतया तीनों आहारो का त्याग करता हूँ ।

एकस्थान प्रत्याख्यान सूत्र —

२४१. एकाशन रूप एकस्थान ग्रहण करता हूँ, अशन, पान, खादिम और स्वादिम इन चारो प्रकार के आहारो का प्रत्याख्यान करता हूँ ।

- (१) अनाभोग, (२) सहसाकार,
(३) सागारिकाकार, (४) गुर्वभ्युत्थाने,
(५) पारिष्ठापनिकाकार, (६) महत्तराकार,
(७) सर्वसमाधि-प्रत्ययाकार, इन सात आहारो के सिवाय

पूर्णतया चारो आहारो का त्याग करता हूँ ।

आयवल्ल प्रत्याख्यान सूत्र —

२४२. आयवल्ल तप स्वीकार करता हूँ, अशन, खादिम, स्वादिम इन तीनों आहारो का त्याग करता हूँ ।

- (१) अनाभोग, (२) सहसाकार,
(३) लेपालेप, (४) उत्क्षिप्त विवेक,
(५) गृहस्थसंसृष्ट, (६) पारिष्ठापनिकाकार,
(७) महत्तराकार, (८) सर्वसमाधिप्रत्ययाकार,

इन आठ आहारो के अतिरिक्त तीनों आहार का त्याग करता हूँ ।

१. पौरुषी या पूर्वाह्न के बाद दिन में एक बार भोजन करना उसके बाद तीनों आहारो का त्याग करना 'एकाशन' तप होता है । एकाशन का अर्थ है—एक अशन अर्थात् दिन में एक बार भोजन करना अथवा एक आसन से भोजन करना ।
२. दिन में एक बार एक ही आसन से भोजन एवं पानी ग्रहण करना उसके बाद चारो आहार का त्याग करना 'एक स्थान'—एगलट्ठाण तप होता है ।
३. दिन में एक बार, रुक्म, नीरस एवं विगय रहित एक आहार ही ग्रहण करना और उसके बाद तीन आहार का त्याग करना 'आयंवल्ल' तप कहा जाता है ।
दूध, दही, घी, तेल, गुड, शक्कर और पक्वान्त आदि किसी भी प्रकार का स्वादु भोजन आयवल्ल व्रत में ग्रहण नहीं किया जा सकता है ।

अमत्तद्व-पञ्चकलाण-सुत्तं—

२४३ उगए सूरे अमत्तद्व^१ पञ्चकलामि, चउच्चिहं पि आहार असण, पाणं, खाइमं, साइमं ।

- १ अन्नत्यज्जणाभोगेणं, २ सहसागारेणं,
३. पारिष्ठावणियागारेणं, ४. महत्तरागारेणं,
५ सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि ।

—आव अ ६, सु १०२

दिवसचरिम-पञ्चकलाण-सुत्तं—

२४४ दिवसचरिमं पञ्चकलामि^२ चउच्चिहं पि आहार, असण, पाण, खाइम, साइमं ।

१. अन्नत्यज्जणाभोगेण, २ सहसागारेण,
३ महत्तरागारेणं, ३. सव्वसमाहिवत्तियागारेण,
वोसिरामि । —आव अ ६, सु. १०३(१)

भवचरिम-पञ्चकलाण-सुत्तं—

२४५ भवचरिम पञ्चकलामि^३ चउच्चिहं पि आहार—असण, पाण, खाइम, साइमं ।

- १ अन्नत्यज्जणाभोगेण, २ सहसागारेण,
३. महत्तरागारेणं, ४ सव्वसमाहिवत्तियागारेण
वोसिरामि । —आव. अ ६, सु १०३(२)

अभिग्रह-पञ्चकलाण-सुत्तं—

२४६. अभिग्रह पञ्चकलामि^४ चउच्चिहं पि आहार—असण, पाण, खाइमं, साइमं ।

उपवास प्रत्याख्यान सूत्र—

२४३ सूर्योदय से उपवास तप ग्रहण करता हूँ, अशन, पान, खादिम, और स्वादिम चारो ही आहार का त्याग करता हूँ ।

- (१) अनाभोग, (२) सहसाकार,
(३) पारिष्ठापनिकाकार, (४) महत्तराकार,
(५) सर्वसमाधिप्रत्ययाकार, इन पाँच आहारों के सिवाय
सब प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ ।

दिवसचरिम प्रत्याख्यान सूत्र—

२४४ दिवस चरिम का व्रत ग्रहण करता हूँ, अशन, पान, खादिम और स्वादिम चारो आहार का त्याग करता हूँ ।

- (१) अनाभोग, (२) सहसाकार,
(३) महत्तराकार, (४) सर्वसमाधिप्रत्ययाकार,
इन चार आहारो के सिवाय सब प्रकार के आहार का त्याग
करता हूँ ।

भवचरिम प्रत्याख्यान सूत्र—

२४५ भवचरिम ग्रहण करता हूँ, अशन, पान, खादिम और स्वादिम चारो आहार का त्याग करता हूँ ।

- (१) अनाभोग, (२) सहसाकार,
(३) महत्तराकार, (४) सर्वसमाधिप्रत्ययाकार,
इन चार आहारो के सिवाय सब प्रकार के आहार का
त्याग करता हूँ ।

अभिग्रह प्रत्याख्यान सूत्र—

२४६ अभिग्रह ग्रहण करता हूँ, अशन, पान, खादिम, और स्वादिम चारो ही आहार का त्याग करता हूँ ।

१ अमत्तार्थं—उपवास, अ=नहीं, भक्त=आहार का, अर्थ=प्रयोजन । तीनों का सम्पूर्ण अर्थ यह होता है कि भक्त का प्रयोजन नहीं है जिसे व्रत में वह 'उपवास' है । सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय तक चारो आहार का त्याग करना उपवास तप है । पानी के आहार से उपवास करना ही तो प्रत्याख्यान सूत्र में "चउच्चिहं पि आहार" के स्थान पर "तिविहं पि आहार" ऐसा पाठ कहना चाहिए ।

२ यह चरम प्रत्याख्यान सूत्र है । "चरम" का अर्थ "अन्तिम भाग" है । वह दो प्रकार का है—दिवस का अन्तिम भाग और भव अर्थात् आयु का अन्तिम भाग । सूर्य अस्त होने से पहले ही दूसरे दिन सूर्योदय तक साधु को चारो आहार का त्याग करना और गृहस्थ को चारों अथवा तीनों आहारो का त्याग करना "दिवस चरम" प्रत्याख्यान है ।

३ 'भवचरम' प्रत्याख्यान का अर्थ है जब साधु को यह निश्चय हो जाय कि आयु थोड़ी ही शेष है तो यावज्जीवन के लिए चारो या तीनों आहारो का त्याग कर दे और सथारा ग्रहण करके समय की आराधना करे । भवचरम का प्रत्याख्यान जीवन भर का सधम साधना का उज्ज्वल प्रतीक है । भव चरम चउच्चिहं या तिविहं दोनो प्रकार से होते हैं ।

४ गवेपणा के मामान्य नियमो के सिवाय अन्य व्यक्ति, वस्तु और वर्ण आदि के सकेतो में युक्त भिक्षा ग्रहण करने के लिए नियम करना 'अभिग्रह' तप होता है । नक्त्यप निश्चित करने के बाद उक्त पाठ से प्रत्याख्यान किया जाता है, अभिग्रह पूर्ण होने पर ही आहार ग्रहण किया जाता है एव अभिग्रह पूर्ण के पूर्व अभिग्रह विषयक सकल प्रकट नहीं किया जाता है ।

१. अन्नत्यऽणामभोगेण, २. सहसागारेण, ३. महत्तरागारेण,
सर्वसमाह्वित्तियागारेणं वोसिरामि ।

—आव. अ. ६, सु. १०४

निर्विगद्वया-पच्चक्खाण-सुत्त—

२४७. निर्विगद्वयो^१ पच्चक्खामि—

- | | |
|--|---------------------|
| (१) अन्नत्यऽणामभोगेणं, | (२) सहसागारेणं, |
| (३) लेवालेवेण, | (४) गिहत्यससट्ठेण, |
| (५) उक्खित्तविवेगेणं, | (६) पडुच्चमक्खिएणं, |
| (७) पारिट्ठावणियागारेणं, | (८) महत्तरागारेणं, |
| (९) सर्वसमाह्वित्तियागारेणं, ^२ वोसिरामि । | |

—आव. अ. ६, सु. १०५ प्रकार के विगयो का परित्याग करता हूँ ।

अनाभोग, सहसाकार, महत्तराकार और सर्वसमाधिप्रत्यया-
कार, इन चार आगारो के सिवाय अभिग्रहपूर्ति तक चारो आहार
का त्याग करता हूँ ।

निर्विकृतिक (नीवी) प्रत्याख्यान सूत्र—

२४७. निर्विकृतिक तप स्वीकार करता हूँ,

- | | |
|---|-----------------------|
| (१) अनाभोग, | (२) सहसाकार, |
| (३) लेपालेप, | (४) गृहस्थ-ससृष्ट, |
| (५) उत्क्षिप्तविवेक, | (६) प्रतीत्यभ्रक्षित, |
| (७) परिष्ठापनिकाकार, | (८) महत्तराकार, |
| (९) सर्वसमाधिप्रत्ययाकार, इन नौ आगारो के सिवाय सब | |

१ (क) दिन में एक बार विगय रहित आहार करना “निर्विकृति” (निवी—नीवी) तप होता है ।

(ख) मन में विकार उत्पन्न करने वाले पदार्थों को ‘विगय’ कहते हैं ।

“मनसो विकृतिहेतुत्ववाद् विकृतय” योगशास्त्र तृतीय प्रकाश वृत्ति ।

विकृति में दूध, दही, मक्खन, घी, तेल, गुड, मधु आदि पदार्थ सम्मिलित हैं ।

२ दस प्रत्याख्यानो के १५ आगारो का विवेचन—

(१) अनाभोग—‘अभी मेरे प्रत्याख्यान’ है—यह सर्वथा विस्मृत हो जाये और ऐसी स्थिति में भूल से कुछ खा ले या पी ले तो यह अनाभोग आगार है ।

(२) सहसाकार - अनिच्छा से कोई पदार्थ मुँह में चला जाय, यह सहसाकार आगार है, यथा—पानी, छाछ आदि के छीटों मुँह में चले जायें । अथवा कोई जबरदस्ती से मुँह में ठूस दे या बलपूर्वक खिलावे तो यह भी सहसाकार आगार समझ सकते हैं ।

(३) प्रच्छन्नकाल—वादल आदि से सूर्य न दिखने पर पौरुषी का निश्चित काल ज्ञात न होने से पौरुषी के पूर्व प्रत्याख्यान पार लेवे तो यह प्रच्छन्नकाल आहार है ।

(४) दिशामोह—भ्रान्ति से पूर्व या पश्चिम दिशा का यथार्थ भान न रहे और पौरुषी न आने पर भी पौरुषी आ गई ऐसा मानकर पौरुषी का प्रत्याख्यान पार ले तथा खा ले पी ले तो यह दिशामोह आगार है ।

(५) साधु वचन—“पौरुषी आ गई है” ऐसा साधु पुरुष के कहने पर पौरुषी आये बिना प्रत्याख्यान पार लेना—यह साधु वचन आगार है ।

(६) सर्व समाधि प्रत्यय आगार—जब तक समाधिभाव है तब तक प्रत्याख्यान है, प्राणघातक शूल आदि रोग निमित्तक असमाधि से प्रत्याख्यान पार लेना यह सर्वसमाधि प्रत्यय आगार है ।

(७) महत्तरागार—आचार्य आदि बड़े पुरुषों की आज्ञा से प्रत्याख्यान पार लेना, यह महत्तरागार है ।

(८) सागारिक आगार—एक आसन से एक बार भोजन करने का प्रत्याख्यान होने पर भी भोजन करते समय यदि कोई गृहस्थ आ जाए तो उठना पड़े और अन्यत्र जाकर भोजन करना पड़े तो यह सागारिक आगार है ।

(९) आकुंचन-प्रसारण आगार—एक आसन से भोजन करते हुए भी बैठे-बैठे पैर आदि शून्य हो जाए तो हाथ पैर आदि को फैलाना या मिकोडना पड़े तो यह आकुंचन-प्रसारण आगार है ।

(१०) गुरु-अभ्युत्थान आगार—एक आसन से भोजन करते हुए यदि गुरुदेव आ जायें तो खड़ा होना और बाद में पुनः बैठकर भोजन करना, यह गुरु-अभ्युत्थान आगार है ।

(११) पारिष्ठापनिका आगार—यदा-कदा आहार गवेषक की असावधानी से या दाता के आग्रह से अधिक आहार आ जाए और आहार कर लेने के बाद भी जो शेष बच जाये तो सभी स्वर्धर्मिक माधुओं को दे कदाचित् फिर भी शेष रह जाये तो स्वविर गुरुजनों की आज्ञा से प्रत्याख्यान वाला उम आहार का उपयोग करे—यह पारिष्ठापनिका आगार है ।

(शेष टिप्पण अगले पृष्ठ पर)

सर्वपञ्चवखाण-पारण-सुत्तं—

सर्वं प्रत्याख्यान पारण सूत्र—

२४८. उगाए सूरे 'नमुक्कार-सहित' पञ्चवखाण^१ कय । तं पञ्चवखाण सम्मं फाएण फासिय, पालिय, तीरिय, किट्टिय सोहिय, आराहियं । ज च न आराहिय, तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।
—सुत्तागमे आव अ ६

२४८. सूर्योदय होने पर जो 'नमस्कार-सहित' प्रत्याख्यान किया था वह प्रत्याख्यान मन, वचन, काया के द्वारा सम्यक् रूप से स्पृष्ट, पालित, तीरित, कीर्तित, शोधित एवं आराधित किया हो और सम्यक् रूप से जो आराधित न किया हो उसका दुष्कृत मेरे लिए मिथ्या हो ।



(टिप्पण पृष्ठ १७ से चालू)

(१२) लेपालेप आगार—आयविल = (आचाम्ल) में सरस आहार लेने का प्रत्याख्यान होते हुए भी दाता यदि शाक तथा घृत आदि विकृति के लेप वाले चम्मच को पोंछकर दे तो उसे ग्रहण करना यह लेपालेप आहार है ।

(१३) उत्क्षिप्त विवेक आगार - आयविल योग्य निरस आहार पर गुड आदि (लेप रहित) पडे हुए पदार्थ को उठाकर दाता उस निरस आहार को दे तो उसे ग्रहण करना यह उत्क्षिप्त विवेक आगार है ।

(१४) गृहस्थ ससृष्ट आगार—दाता के हाथ अगुलियाँ आदि घृत, तेल, गुड आदि से लिप्त हो तो उसके हाथ से आयविल योग्य निरस आहार ग्रहण करना, यह गृहस्थ ससृष्ट आगार है ।

(१५) प्रतीत्य अक्षित आगार—गेहूँ आदि के गीले आटे पर घृत, तेल आदि चुपड दिया जाता है उससे बनाये गये रोटी पापड आदि रुक्ष खाद्य पदार्थ ग्रहण करना, यह प्रतीत्य अक्षित आगार है ।

उक्त १५ आगारों में ६ आगार केवल माधु-साध्वियों के लिए ही नियत है ।

(१) सागारिक आगार, (२) पारिष्ठापनिका आगार, (३) लेपालेप आगार,
(४) उत्क्षिप्त विवेक आगार, (५) गृहस्थ ससृष्ट आगार, (६) प्रतीत्यअक्षित आगार,
शेष ९ आगार साधु-साध्वी श्रावक-श्राविका आदि सबके लिए उपयुक्त है—

(१) अनाभोग आगार, (२) सटसाकार आगार, (३) दिशामोह आगार,
(४) साधु वचन आगार, (५) आकुचन प्रसारण आगार, (६) गुरु अभ्युत्थान आगार,
(७) महत्तरागार, (८) प्रच्छन्नकाल आगार, (९) सर्वं ममाधि प्रत्ययागार ।

दस प्रत्याख्यानो में से पाँच प्रत्याख्यानो में पारिष्ठापनिका आगार है—यथा—

(१) एकासन, (२) एक-स्थान, (३) आयविल, (४) उपवास, (५) निर्विकृतिक ।

शेष ५ प्रत्याख्यानो में पारिष्ठापनिका आगार नहीं है । यथा—

(१) नमस्कार सहित (नौकारसी) (२) पौरुपी, (३) पूर्वार्ध (दो पौरुपी),
(४) दिवस-चरिम, (५) अभिग्रह ।

१ यहाँ नमुक्कार सहियं नमस्कारिका वा सूचक सामान्य शब्द है । इसके स्थान में जो प्रत्याख्यान ग्रहण कर रक्वा हो उसका नाम लेना चाहिए । जैसे कि पौरुपी रक्खी हो तो "पौरिसीपञ्चवखाणकय" ऐसा कहना चाहिए ।

प्रत्याख्यान पालने के छह अंग बतलाये गये हैं, वे ये हैं—

(१) फासियं—विधि पूर्वक प्रत्याख्यान लेना ।
(२) पालिय—प्रत्याख्यान को बार-बार उपयोग में लाकर सावधानी के साथ उसकी सतत रक्षा करना ।
(३) सोहिय—कोई दूषण लग जाये तो उसकी शीघ्र शुद्धि करना ।
(४) तीरियं— लिए हुए प्रत्याख्यान का समय पूरा हो जाने पर भी कुछ समय ठहर कर भोजन करना ।
(५) किट्टिय—लिए हुए प्रत्याख्यान का उत्कीर्तन करना कि मेरा प्रत्याख्यान भलीभाँति पूर्ण हो गया है ।
(६) आराहियं—मन दोषों से दूर रहते हुए आराधना करना ।

ज च न आराहिय—इस प्रकार यदि शुद्ध आराधना न की हो तो आलोचना एवं प्रतिक्रमण करने से बत शुद्ध हो जाता है ।

पञ्चक्खाण के प्रकार—५

पञ्चक्खाणप्पगारा—

२४६ तिविहे पञ्चक्खाणे पणत्ते, त जहा—

१. मणसा वेगे पञ्चक्खाति,
२. वयसा वेगे पञ्चक्खाति^१,
३. कायसा वेगे पञ्चक्खाति, पावाण कम्माण अकरणयाए ।
अहवा — पञ्चक्खाणे तिविहे पणत्ते, त जहा—

१. दीहंपेगे अद्धं पञ्चक्खाति,

२ रहस्सपेगे अद्ध पञ्चक्खाति^२,

३. कायपेगे पडिसाहरति, पावाणं कम्माण अकरणयाए ।

—ठाणं अ. ३, उ. १, सु. १३६

पञ्चविहे पञ्चक्खाणे पणत्ते, तं जहा—

१. सद्दहणसुद्धे,
२. विणयसुद्धे,
३. अणुभासणसुद्धे,
४. अणुपालणसुद्धे,

५. भावसुद्धे ।

—ठाणं अ ५, उ. ३, सु ४६६

पञ्चक्खाण-भेयप्पभेया—

२५० प०—कतिविहे ण भंते ! पञ्चक्खाणे पणत्ते ?

उ०—गोयमा ! बुविहे पञ्चक्खाणे पणत्ते, त जहा—

१ मूलगुणपञ्चक्खाणे य, २ उत्तरगुणपञ्चक्खाणे य ।

प०—मूलगुणपञ्चक्खाणे णं भंते ! कतिविहे पणत्ते ?

उ०—गोयमा ! बुविहे पणत्ते, तं जहा—

१. सच्चमूलगुणपञ्चक्खाणे य,

२. देसमूलगुणपञ्चक्खाणे य ।

प्रत्याख्यान के प्रकार—

२४९. प्रत्याख्यान तीन प्रकार का कहा गया है, यथा—

पाप कर्म न करने के लिए—

(१) कोई मन से प्रत्याख्यान करते हैं ।

(२) कोई वचन से प्रत्याख्यान करते हैं ।

(३) कोई काया से प्रत्याख्यान करते हैं ।

अथवा प्रत्याख्यान तीन प्रकार का कहा गया है, यथा—

पाप कर्म न करने के लिए—

(१) कोई दीर्घकाल के लिए पापकर्मों का प्रत्याख्यान करते हैं ।

(२) कोई अल्पकाल के लिए पाप-कर्मों का प्रत्याख्यान करते हैं ।

(३) कोई काया का निरोध कर लेते हैं ।

प्रत्याख्यान पाँच प्रकार का कहा गया है, जैसे—

(१) शुद्ध श्रद्धा पूर्वक किया गया त्याग ।

(२) विनय पूर्वक किया गया त्याग ।

(३) 'वोसिरामि' कहते हुए प्रत्याख्यान ग्रहण करना ।

(४) विकट स्थिति में भी प्रत्याख्यान का निर्दोष पालन करना ।

(५) राग द्वेष से रहित होकर शुद्ध भाव से प्रत्याख्यान का पालन करना ।

प्रत्याख्यान के भेद-प्रभेद—

२५०. प्र०—भगवन् ! प्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा गया है ?

उ०—गौतम ! प्रत्याख्यान दो प्रकार का कहा गया है, यथा—

(१) मूलगुण प्रत्याख्यान, (२) उत्तरगुण प्रत्याख्यान ।

प्र०—भगवन् ! मूलगुण प्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा गया है ?

उ०—गौतम ! दो प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार है—

(१) सर्वमूलगुण प्रत्याख्यान,

(२) देशमूलगुण प्रत्याख्यान ।

प०—सर्वमूलगुणपञ्चकलाणे ण भते ! कतिविहे पणत्ते ?

प्र०—भगवन् ! सर्वमूलगुणप्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा गया है ?

उ०—गोयमा ! पञ्चविहे पणत्ते, त जहा—

उ०—गौतम ! पाँच प्रकार का कहा गया है वह इस प्रकार है—

- १ सत्त्वाओ पाणाइवायाओ वेरमण,
- २ सत्त्वाओ मुसावायाओ वेरमण,
३. सत्त्वाओ अदिम्लादाणाओ वेरमण,
- ४ सत्त्वाओ मेह्ठणाओ वेरमण,
- ५ सत्त्वाओ परिग्गहाओ वेरमण ।

- (१) सर्व—प्राणातिपात से विरमण,
- (२) सर्व—मृषावाद से विरमण,
- (३) सर्व—अदत्तादान से विरमण,
- (४) सर्व—मैथुन से विरमण,
- (५) सर्व—परिग्रह से विरमण ।

प०—देशमूलगुणपञ्चकलाणे ण भते ! कतिविहे पणत्ते ?

प्र०—भगवन् ! देशमूलगुणप्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा गया है ?

उ०—गोयमा ! पञ्चविहे पणत्ते, त जहा—

उ०—गौतम ! पाँच प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार है—

- थूलाओ पाणाइवायाओ वेरमणं-जाव-थूलाओ परिग्गहाओ वेरमण ।

स्थूल प्राणातिपात से विरमण—यावत्—स्थूल परिग्रह से विरमण ।

प०—उत्तरगुणपञ्चकलाणे ण भते ! कतिविहे पणत्ते ?

प्र०—भगवन् ! उत्तरगुण प्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा गया है ?

उ०—गोयमा ! दुविहे पणत्ते, त जहा—

उ०—गौतम ! दो प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार है—

- १ सत्त्वुत्तरगुणपञ्चकलाणे य,
- २ देसुत्तरगुणपञ्चकलाणे य ।

- (१) सर्व-उत्तरगुण प्रत्याख्यान,
- (२) देश-उत्तरगुण प्रत्याख्यान ।

प०—सत्त्वुत्तरगुणपञ्चकलाणे ण भते ! कतिविहे पणत्ते ?

प्र०—भगवन् ! सर्व-उत्तरगुण प्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा गया है ?

उ०—गोयमा ! दसविहे पणत्ते, त जहा—

उ०—गौतम ! सर्व-उत्तरगुण प्रत्याख्यान दस प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार है—

- १-२ अणागतमइक्कंत
३. कोडीसहिइ, ४. णियटिय चेव,
- ५-६. सागारमणागार,
७. परिमाणकड, ८. निरवसेस,
- ९ साकेय चेव,
- १० अद्दाए पञ्चकलाण भवे दसहा^१ ।

- (१) अनागत, (२) अतिक्रान्त,
- (३) कोटिसहित, (४) नियन्त्रित,
- (५) सागार, (६) अनागार,
- (७) परिमाणकृत, (८) निरवशेष,
- (९) संकेत,
- (१०) अद्दाप्रत्याख्यान ।

प०—देसुत्तरगुणपञ्चकलाणे णं भते ! कतिविहे पणत्ते ?

प्र०—भगवन् ! देश-उत्तरगुणप्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा गया है ?

उ०—गोयमा ! सत्तविहे पणत्ते, तं जहा—

उ०—गौतम ! सात प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार है—

१. दिसिद्वय, २ उवभोग-परिभोगपरिमाण,
३. अणत्तयदड-वेरमण, ४. सामाइयं,
५. देसावगासिय, ६. पोसहोववासी,

- (१) दिशापरिमाण, (२) उपभोग-परिभोगपरिमाण,
- (३) अनर्थदण्डविरमण, (४) सामायिक,
- (५) देशावकाशिक, (६) पोषधोपवाम,

७ अतिहिसंविभागो,
अपच्छिममारणंतिथ-सलेहणा झूसणा आराहणया ।

—वि स ७, उ २, सु २-८

सुपच्चक्खाणी-दुपच्चक्खाणी सरूवं—

२५१ प०—से नूण भते । सव्वपाणेहि सव्वभूतेहि सव्वजीवेहि
सव्वसत्तेहि पच्चक्खाय इति वयमाणस्स सुपच्चक्खायं
भवति ? दुपच्चक्खाय भवति ?

उ०—गोयमा ! “सव्वपाणेहि-जाव-सव्वसत्तेहि पच्चक्खायं”
इति वदमाणस्स सिय सुपच्चक्खाय भवति, सिय
दुपच्चक्खाय भवति ।

प० से केणट्ठे णं भंते । एवं वुच्चइ “सव्वपाणेहि-जाव-
सव्वसत्तेहि पच्चक्खायं” इति वयमाणस्स सिय
सुपच्चक्खायं भवति सिय दुपच्चक्खाय भवति ?

उ०—गोयमा ! जस्स ण “सव्वपाणेहि-जाव-सव्वसत्तेहि
पच्चक्खायं” इति वयमाणस्स णो एव अभिसमन्ना-
गत भवति—

इमे जीवा, इमे अजीवा,

इमे तसा, इमे थावरा,

तस्स ण “सव्वपाणेहि-जाव-सव्वसत्तेहि पच्चक्खायं”
इति वयमाणस्स नो सुपच्चक्खाय भवति, दुपच्चक्खाय
भवति । एवं खलु से दुपच्चक्खाई सव्वपाणेहि-जाव-
सव्वसत्तेहि “पच्चक्खायं” इति वयमाणो नो सच्च
भासं भासति, मोस भासं भासइ, एव खलु से मुसा-
वातो सव्वपाणेहि-जाव-सव्वसत्तेहि तिविहं तिविहेण
असंजय-अविरय-अपडिहयपच्चक्खायपावकम्मे सकि-
रिए असदुडे एगंतदंडे एगतवाले यावि भवति ।

जस्स ण “सव्वपाणेहि-जाव-सव्वसत्तेहि पच्चक्खायं”
इति वयमाणस्स एवं अभिसमन्नागतं भवति ।

इमे जीवा, इमे अजीवा,

इमे तसा, इमे थावरा,

तस्स णं-जाव-सुपच्चक्खायं भवति, नो दुपच्चक्खाय
भवति । एव खलु से सुपच्चक्खाई-जाव-एगंतपडित्ते
यावि भवति ।

से तेणट्ठेण गोयमा ! एव वुच्चइ-जाव-सिय दुपच्च-
क्खायं भवति । —वि. न ७, उ. २, सु. १

(७) अतिथि सविभाग तथा अपश्चिम मारणातिक-संलेखना-
झोषणा-आराधना ।

सुप्रत्याख्यानी और दुष्प्रत्याख्यानी का स्वरूप—

२५१ प्र०—हे भगवन् ! “मैंने सर्व प्राण, सर्व भूत, सर्व जीव
और सभी सत्वो की हिंसा का प्रत्याख्यान किया है” इस प्रकार
कहने वाले के सुप्रत्याख्यान होता है या दुष्प्रत्याख्यान होता है ?

उ०—गौतम ! “मैंने सभी प्राण—यावत्—सभी सत्वो की
हिंसा का प्रत्याख्यान किया है”, इस प्रकार कहने वाले के कदा-
चित् सुप्रत्याख्यान होता है और कदाचित् दुष्प्रत्याख्यान होता है ।

प्र०—भगवन् ! ऐसा क्यों कहा जाता है कि “समस्त प्राण
—यावत्—समस्त सत्वो की हिंसा का प्रत्याख्यान किया है”
इस प्रकार उच्चारण करने वाले के कदाचित् सुप्रत्याख्यान होता
है और कदाचित् दुष्प्रत्याख्यान होता है ?

उ०—गौतम ! “मैंने समस्त प्राण—यावत्—समस्त सत्वो
की हिंसा का प्रत्याख्यान किया है”, इस प्रकार कहने वाले जिस
पुरुष को यदि यह ज्ञात नहीं हो कि,

ये जीव हैं, ये अजीव हैं,

ये त्रस हैं, ये स्थावर हैं,

उस पुरुष का “समस्त प्राण—यावत्—सर्व सत्वो का
प्रत्याख्यान” सुप्रत्याख्यान नहीं होता किन्तु दुष्प्रत्याख्यान होता
है इसलिए वह दुष्प्रत्याख्यानी पुरुष “मैंने सभी प्राण—यावत्—
सभी सत्वो की हिंसा का प्रत्याख्यान किया है”, इस प्रकार कहता
हुआ सत्यभाषा नहीं बोलता, किन्तु मृषाभाषा बोलता है और
वह मृषावादी सर्व प्राण—यावत्—समस्त सत्वो के प्रति तीन
करण, तीन योग से असयत, अविरत, पापकर्म से अप्रतिहत और
पापकर्म का अप्रत्याख्यानी, क्रियाओ से युक्त, सवररहित, एकान्त
दण्डकारक एव एकान्त बाल होता है ।

“मैंने सर्व प्राण—यावत्—सर्व सत्वो की हिंसा का प्रत्या-
ख्यान किया है”, यो कहने वाले जिस पुरुष को यह ज्ञात होता
है कि,

ये जीव हैं, ये अजीव हैं,

ये त्रस हैं, ये स्थावर हैं,

उस पुरुष का—यावत्—प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है,
किन्तु दुष्प्रत्याख्यान नहीं होता है और वह सुप्रत्याख्यानी-यावत्-
एकान्त पण्डित होता है ।

इमीलिए हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि—यावत्—
कदाचित् सुप्रत्याख्यान होता है और कदाचित् दुष्प्रत्याख्यान
होता है ।

णाणपुव्वगपच्चक्खाणकारी —

२५२. चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, त जहा—

१. परिणायकम्मे नाममेगे नो परिणायसण्णे,

२. परिणायसण्णे नाममेगे नो परिणायकम्मे,

३. एगे परिणायकम्मे वि, परिणायसण्णे वि,

४. एगे नो परिणायकम्मे, नो परिणायसण्णे ।

चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, त जहा—

१. परिणायकम्मे नाममेगे नो परिणायगिहावासे,

२. परिणायगिहावासे नाममेगे नो परिणायकम्मे,

३. एगे परिणायकम्मे वि परिणायगिहावासे वि,

४. एगे णो परिणायकम्मे णो परिणायगिहावासे ।

चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, त जहा—

१. परिणायसण्णे नाममेगे नो परिणायगिहावासे,

२. परिणायगिहावासे नाममेगे नो परिणायसण्णे,

३. एगे परिणायसण्णे वि परिणायगिहावासे वि,

४. एगे नो परिणायसण्णे नो परिणायगिहावासे ।

—ठाण अ ४, उ. ३, सु. ३२७

ज्ञानपूर्वक प्रत्याख्यान करने वाले—

२५२ पुरुष च र प्रकार के कहे गये हैं, यथा—

(१) कुछ पुरुष पाप कर्म का तो परित्याग कर देते हैं, किन्तु पाप भावना का त्याग नहीं कर पाते ।

(२) कुछ पुरुष पाप भावना का तो परित्याग कर देते हैं किन्तु पाप कर्म का परित्याग नहीं कर पाते ।

(३) कुछ पुरुष पाप कर्म और पाप भावना दोनों का परित्याग कर देते हैं ।

(४) कुछ पुरुष न पाप कर्म करना छोड़ते हैं और न पाप भावना का परित्याग करते हैं ।

पुरुष चार प्रकार के होते हैं यथा—

(१) कुछ पुरुष पाप कर्म का परित्याग कर देते हैं किन्तु गृहवाम का परित्याग नहीं करते ।

(२) कुछ पुरुष गृहवास का तो त्याग कर देते हैं किन्तु गृ-वास के कार्यों का परित्याग नहीं कर पाते ।

(३) कुछ पुरुष पाप कर्म और गृहवास दोनों का परित्याग कर देते हैं ।

(४) कुछ पुरुष पाप कर्म और गृहवाम दोनों का परित्याग नहीं कर पाते ।

पुरुष चार प्रकार के होते हैं, यथा—

(१) कुछ पुरुष पाप भावना का परित्याग कर देते हैं किन्तु गृहवास का परित्याग नहीं करते ।

(२) कुछ पुरुष गृहवास का त्याग कर देते हैं, किन्तु पाप भावना का त्याग नहीं करते ।

(३) कुछ पुरुष पाप भावना एवं गृहवाम दोनों का परित्याग कर देते हैं ।

(४) कुछ पुरुष पाप भावना एवं गृहवाम दोनों का परित्याग नहीं कर पाते ।



प्रतिक्रमण फल—६

पडिक्कमण फलं—

२५३. प०—पडिक्कमणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—पडिक्कमणेण वयच्छिद्दाइं पिहेइ । पिहियवयच्छिद्दे पुण जीवे निरुद्धासवे, असवलचरित्ते, अट्टमु पवयणमायासु उवउत्ते अपुहत्ते सुप्पणिहिण्ण विहरइ ।

—उत्त अ २६, सु. १३

प्रतिक्रमण का फल—

२५३. प्र०—भन्ते ! प्रतिक्रमण से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—प्रतिक्रमण से वह व्रत के छिद्रों को ढक देता है । जिसने व्रत के छिद्रों को भर दिये वह जीव आश्रयो को रोक देता है, चारित्र्य छिद्रों को मिटा देता है, आठ-प्रवचनमाताओं में सावधान हो जाता है, मयम में एकरम हो जाता है और भली-भाँति समाधिस्थ होकर विहार करता है ।

पञ्चकखाण फल—७

पञ्चकखाण-फल—

२५४. प०—पञ्चकखाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—पञ्चकखाणेण आसवदाराइं निरुम्मइ ।।

—उत्त. अ. २६, सु० १५

संभोग-पञ्चकखाण-फल—

२५५. प० संभोग-पञ्चकखाणेण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ० - संभोग-पञ्चकखाणेण आलवणाइं खवेइ । निरालवणस्स य आययट्ठिया जोगा भवंति । सएण लाभेणं संतुस्सइ परलाभं नो आसादेइ, नो तक्केइ नो पीहेइ, नो पत्थेइ, नो अभिलसइ । परलाभ अणासायमाणे, अतक्केमाणे अपीहेमाणे, अपत्थेमाणे, अणभिलसमाणे, दुच्च सुहसेज्ज उवसपज्जित्ता ण विहरइ ।

— उत्त अ २६, सु ३५

उवहि-पञ्चकखाण-फल—

२५६ प०—उवहिपञ्चकखाणेण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ० - उवहिपञ्चकखाणेणं अपलिमन्थ जणयइ । निरुवहिए ण जीवे निक्कखे उवहिमंतरेण य न संकिलिस्सइ ।

—उत्त. अ. २६, सु ३६

आहार-पञ्चकखाण-फल—

२५७ प०—आहारपञ्चकखाणेण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—आहारपञ्चकखाणेण जीवियाससप्पओगं वोच्छिदइ, जीवियाससप्पओग वोच्छिन्दिता जीवे आहारमंतरेण न सफिलिस्सइ ।

— उत्त अ २६, सु. ३७

कसाय-पञ्चकखाण-फल—

२५८. प०—कसायपञ्चकखाणेण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—कसायपञ्चकखाणेण वीयरगभाव जणयइ । वीयरग-भावपडिवन्ते य ण जीवे समसुहट्टुक्खे भवइ ।

—उत्त. अ. २६ सु. ३८

प्रत्याख्यान का फल—

२५४. प्र०—भन्ते ! प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—प्रत्याख्यान से वह आश्रव-द्वारो का निरोध करता है ।

संभोग प्रत्याख्यान का फल—

२५५. प्र०—भन्ते ! संभोग के प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—संभोग प्रत्याख्यान से जीव का परावलम्बीपन छूट जाता है । स्वावलम्बी होने से उसकी सभी प्रवृत्तियाँ आत्म प्रयोजन वाली हो जाती हैं, वह अपने लाभ में सन्तुष्ट रहता है । पर के लाभ का उपभोग नहीं करता कल्पना नहीं करता, इच्छा नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता और अभिलाषा नहीं करता है । इस प्रकार पर के लाभ का आस्वादन, कल्पना, चाहना, प्रार्थना और अभिलाषा न करता हुआ वह दूसरी स्वलाभ संतोष-सुख शय्या (प्रथम सुख-शय्या - समय) को प्राप्त करके विचरण करता है ।

उपधि प्रत्याख्यान का फल—

२५६ प्र०—भन्ते उपधि (वस्त्र आदि उपकरणों) के प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—उपधि के प्रत्याख्यान से वह स्वाध्याय-ध्यान में होने वाली क्षति से बच जाता है । उपधि रहित मुनि अभिलाषा से मुक्त होकर उपधि के अभाव में मानसिक संक्लेश को प्राप्त नहीं होता ।

आहार प्रत्याख्यान का फल—

२५७. प्र०—भन्ते ! आहार-प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—आहार-प्रत्याख्यान से वह जीवित रहने की लालसा करना छोड़ देता है । जीवित रहने की अभिलाषा छोड़ देने वाला व्यक्ति आहार के बिना (तपस्या आदि में) संक्लेश को प्राप्त नहीं होता ।

कपाय-प्रत्याख्यान का फल—

२५८ प्र०—भन्ते ! कपाय (क्रोध मान, माया और लोभ) के प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—कपाय-प्रत्याख्यान से वह वीतराग-भाव को प्राप्त होता है । वीतराग-भाव को प्राप्त हुआ जीव सुख-दुःख में सम-भाव को प्राप्त होता है ।

जोग-पञ्चकलाण-फल—

२५६. प०—जोगपञ्चकलाणेण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—जोगपञ्चकलाणेणं अजोगत्तं जणयइ । अजोगी ण जीवे नव कम्म न वन्धइ पुव्ववद्धं निज्जरेइ ।

—उत्त अ २६ सु ३६

शरीर-पञ्चकलाण-फल—

२६०. प०—शरीर-पञ्चकलाणेण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—शरीरपञ्चकलाणेण सिद्धाइसयगुणत्तं निव्वत्तेइ । सिद्धाइसयगुणसपन्ने य ण जीवे लोगगमुवगए परम-सुही भवइ ।

—उत्त अ. २६ सु ४०

सहाय-पञ्चकलाण-फल—

२६१. प०—सहायपञ्चकलाणेण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—सहायपञ्चकलाणेण एगीभाव जणयइ । एगीभावभूए वि य ण जीवे एगग भावेमाणे अप्पसद्दे, अप्पझझे, अप्पकलहे, अप्पकमाए, अप्पतुमत्तुमे, सजमवहुले, सवर वहुले, समाहिए यावि भवइ ।

—उत्त अ. २६, सु ४१

भक्त-पञ्चकलाण-फल—

२६२. प०—भक्तपञ्चकलाणेण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—भक्तपञ्चकलाणेण अणेगाइं भवसयाइ निरुभइ ।^१

—उत्त अ २६, सु ४२

सद्भाव-पञ्चकलाण-फल—

२६३. प०—सद्भावपञ्चकलाणेण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—सद्भावपञ्चकलाणेण अनियट्ठि जणयइ । अनियट्ठि पडिवन्ने य अणगारे चत्तारि केवलिकम्मसे खवेइ, तं जहा—

१ वेयणिज्ज, २ आज्ज,
३ नाम, ४ गोय ।

तओ पच्छा मिज्झइ, वुज्झइ, मुच्चइ, परिनिव्वाएइ सच्चदुक्खाण अन्त करेइ । —उत्त अ २६, सु ४३

योग-प्रत्याख्यान का फल—

२५६ प०—भन्ते ! योग (मन, वचन, काया की प्रवृत्ति) के प्रत्याख्यान से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—योग-प्रत्याख्यान से वह अयोगत्व को प्राप्त होता है । अयोगी जीव नए कर्मों का उपार्जन नहीं करता और पूर्व उपाजित कर्मों को क्षीण कर देता है ।

शरीर-प्रत्याख्यान का फल—

२६० प्र०—भन्ते ! शरीर का त्याग करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—शरीर का त्याग करने से वह मुक्त अवस्था के अतिशय गुणो को प्रकट करता है, मुक्त आत्माओ के अतिशय गुणो को प्राप्त करने वाला जीव लोक के शिखर में पहुँचकर परम सुखी हो जाता है ।

सहाय-प्रत्याख्यान का फल—

२६१ प्र०—भन्ते ! महाय-प्रत्याख्यान (दुमरो का सहयोग न लेने) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—सहाय-प्रत्याख्यान से वह एकत्वभाव को प्राप्त होता है । एकत्वभाव को प्राप्त हुआ जीव एकत्व के आलम्बन का अभ्यास करता हुआ कोलाहल पूर्ण शब्दों से मुक्त, कलह से मुक्त, झगडे से मुक्त, कपाय से मुक्त, तू-तू से मुक्त, विशिष्ट सयम वाला, विशिष्ट सवर वाला और समाधि युक्त हो जाता है ।

भक्त-प्रत्याख्यान (अनशन) का फल—

२६२ प्र०—भन्ते ! भक्त-प्रत्याख्यान (अनशन) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—भक्त-प्रत्याख्यान से वह अनेक सँकडो भवों का निरोध करता है ।

सद्भाव-प्रत्याख्यान का फल—

२६३ प्र०—भन्ते ! सद्भाव-प्रत्याख्यान (पूर्ण संवर रूप शैलेशी अवस्था) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—सद्भाव-प्रत्याख्यान से वह अनिवृत्ति (शुक्ल ध्यान) को प्राप्त होता है—अनिवृत्ति को प्राप्त हुआ अणगार केवली के विद्यमान चार कर्मों को क्षीण कर देता है । यथा—

(१) वेदनीय कर्म, (२) आयुष्यकर्म,
(३) नाम कर्म, (४) गोत्र कर्म ।

उसके पश्चात् वह सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, पूर्ण शान्ति को प्राप्त करता है, और सब दुखों का अन्त करता है ।

१ भक्त प्रत्याख्यान अनशन का वर्णन 'अनशन' तप मे देगिये ।

पञ्चक्वाण-भंजन-पायश्चित्त-सुत्त—

२६४. जे भिक्षु अभिक्षणं अभिक्षणं पञ्चक्वाण भजइ भजंत वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वानं उग्घाइय ।

—नि. उ १२, सु. २ आता है ।

प्रत्याख्यान भंग का प्रायश्चित्त सूत्र—

२६४ जो भिक्षु बार-बार प्रत्याख्यान तोड़ता है, तुड़वाता है या तोड़ने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)



गृहस्थ-धर्म

गृहस्थ धर्म—१

समणोवासगप्पगारा—

२६५. चत्तारि समणोवासगा पण्णत्ता, तं जहा—

- | | |
|------------------|------------------|
| १ अम्मापिइसमाणे, | २. भाइसमाणे, |
| ३. मित्तसमाणे, | ४. सवत्तिसमाणे । |

चत्तारि समणोवासगा पण्णत्ता, त जहा—

- | | |
|-----------------|-----------------|
| १. अद्दागसमाणे, | २. पडागसमाणे, |
| ३. खानुसमाणे, | ४. खरकटथसमाणे । |

—ठाणं. अ. ४, उ ३, सु. ३२२

समणोवासगस्स चत्तारि आसासा—

२६६. भारणं घहमाणस्स चत्तारि आसासा पण्णत्ता, तं जहा—

- १ जत्थ णं अंसाओ अस साहरइ, तत्थवि य से एगे आसासे पण्णत्ते,
- २ जत्थ वि य णं उच्चारं वा पासवण वा परिट्ठवेत्ति, तत्थवि य से एगे आसासे पण्णत्ते,
३. जत्थवि य ण णागकुमारावासंसि वा, सुवण्णकुमारा-वासंसि वा वास उवेत्ति, तत्थवि य से एगे आसासे पण्णत्ते,
४. जत्थवि य णं आवकहाए चिट्ठत्ति, तत्थवि य से एगे आसासे पण्णत्ते ।

एवामेव समणोवासगस्स चत्तारि आसासा पण्णत्ता, त जहा—

- १ जत्थवि य ण सीलव्वयगुणव्वय-वेरमण-पच्चक्वाण-पोसहोववासाइं पडिवज्जत्ति, तत्थवि य से एगे आसासे पण्णत्ते,
- २ जत्थवि य ण सामाइयं देसावगासियं सम्ममणुपालेइ, तत्थवि य से एगे आसासे पण्णत्ते,

श्रमणोपासको के प्रकार—

२६५. श्रमणोपासक चार प्रकार के कहे गये हैं । यथा—

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| (१) माता-पिता के समान, | (२) भाई के समान, |
| (३) मित्र के समान, | (४) सपत्नी (सोक) के समान । |

पुन श्रमणोपासक चार प्रकार के कहे गये हैं । जैसे—

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| (१) दर्पण के समान, | (२) ध्वजा के समान, |
| (३) ठूंड के समान, | (४) तीक्ष्ण काटे के समान । |

श्रमणोपासक के चार विश्रान्ति स्थान—

२६६. भारवाही के लिए चार आश्वाम (विश्राम) स्थान होते हैं—

- (१) पहला आशवास तब होता है जब वह भार को एक कधे से दूसरे कधे पर रख लेता है,
- (२) दूसरा आशवास तब होता है जब वह भार को रखकर लघुशका या बड़ी शका करता है,
- (३) तीसरा आशवास तब होता है जब वह नागकुमार, सुपर्णकुमार आदि के आवामों में (रात्रिकालीन) निवास करता है,
- (४) चौथा आशवास तब होता है जब वह कार्य को सम्पन्न कर भारमुक्त हो जाता है ।

इसी प्रकार श्रमणोपासक (श्रावक) के लिए भी चार आशवास होते हैं—

- (१) जब वह शीलव्रत, गुणव्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास को स्वीकार करता है, तब पहला आशवास होता है,
- (२) जब वह मामाधिक तथा देशावकाशिक व्रत का सम्यक् अनुपालन करता है तब दूसरा आशवास होता है,

३ जत्यवि य णं चाउद्दसट्टमुद्धिद्वपुण्णमासिणीसु पडिपुण्ण पोसहं सम्मं अणुपालेइ, तत्यवि य से एगे आसासे पण्णत्ते,

४ जत्यवि य णं अपच्छिममारणतियसलेहणा-भूसणा-भूसिते भक्तपाणपडियाइक्खिते पाओवगते कालमणवक्खमाणे विहरति, तत्यवि य से एगे आसासे पण्णत्ते ।

—ठाणं अ. ४, उ ३, सु ३१४

ओघाद्धार विसोहीकरणं—

२६७. इच्छामि ठामि फाउस्सग, जो मे देवसिओ अइआरो कओ फाइओ, वाइओ, माणसिओ, उस्सुत्तो, उम्मगो, अकप्पो, अकरणज्जो, दुज्जाओ, दुव्विचित्तो अणायारो अणिच्छियव्वो असावगपावगो । नाणे तह दंसणे चरित्ताचरित्ते सुए सामाइए तिण्ह गुत्तीणं, चउण्ह कसायाण, पंचण्ह अणुव्वयाण, तिण्ह गुणव्वयाणं, चउण्ह सिक्खावयाण, वारस विहस्स सावगधम्मस्स जं खडिय ज विराहिय तस्स मिच्छामि दुक्कड ।

—आव अ. ४

अप्पाउवधकारणाइ—

२६८ तिहिं ठाणेहिं जीवा अप्पाउयत्ताए कम्म पगरंति, तं जहा—
१ पाणे अतिवात्तिता भवति,
२ मुस वत्तिता भवति,
३. तहास्व समण वा माहण वा अफासुएण अणेसणिज्जेणं असण-पाण-साइम-साइमेण पडिलाभेत्ता भवति,

इच्चेतेहिं तिहिं ठाणेहिं जीवा अप्पाउयत्ताए कम्मं पगरंति ।

—ठाणं. अ. ३, उ. १, सु. १३३ (१)

दीहाउवंध कारणाइं—

२६९ तिहिं ठाणेहिं जीवा दीहाउयत्ताए कम्मं पगरंति, तं जहा—
१ णो पाणे अतिवात्तिता भवति,
२. णो मुस वत्तिता भवति,
३ तहास्व-समणं वा माहण वा फासुयएसणिज्जेण असण-पाण-साइम-साइमेणं पडिलाभेत्ता भवति,

इच्चेतेहिं तिहिं ठाणेहिं जीवा दीहाउयत्ताए कम्म पगरंति ।

—ठाणं. अ ३, उ १, सु १३३ (२)

असुह दीहाउवंधकारणाइं—

२७०. तिहिं ठाणेहिं जीवा असुभदीहाउयत्ताए कम्म पगरंति, तं जहा—

१. पाणे अतिवात्तिता भवति, २ मुस वत्तिता भवति,
३ तहास्व नमण वा माहण वा हीत्तिता, णिदित्ता,

(३) जब वह अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन परिपूर्ण—दिन रात भर पौष का सम्यक् अनुपालन करता है, तब तीसरा आश्वास होता है,

(४) जब वह अन्तिम-मरणातिक सलेखना की आराधना से युक्त होकर भक्त-पान का त्याग कर पादोपगमन अनशन को स्वीकार कर मृत्यु के लिए अनुत्सुक होकर विहरण करता है, तब चौथा आश्वास होता है ।

सामान्य रूप से अतिचारो का विशुद्धिकरण—

२६७ में कायोत्सर्ग करना चाहता हूँ, जो मैंने दिवस सम्बन्धी अतिचार किये हो वे कायिक, वाचिक, मानसिक, सूत्र से विरुद्ध, मार्ग से विरुद्ध, अकल्पनीय, नहीं करने योग्य, दुर्ध्यान रूप, दुश्चिन्तन रूप, नहीं आचरने योग्य, नहीं चाहने योग्य, श्रावक के लिए अनुचित, ज्ञान, दर्शन व चारित्र्याचारित्र्य मे, श्रुत ज्ञान मे, सामायिक मे तथा तीन गुप्ति की, चार कपायो से निवृत्ति की, पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत एव वारह प्रकार के श्रावक धर्म की जो खण्डना की हो, जो विराधना की हो तो उसका दुष्कृत मेरे लिए मिथ्या हो ।

अल्पायु बध के कारण—

२६८ तीन प्रकार से जीव अल्प आयुष्य कर्म बाधते हैं, यथा—
(१) प्राणियों की हिंसा करने से,
(२) असत्य बोलने से,
(३) तथारूप श्रमण माह्न को अप्रासुक, अनेपणीय अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, आहार का दान करने से ।

इन तीन प्रकारो से जीव अल्प आयुष्य कर्म का बन्ध करते हैं ।

दीर्घायु बध के कारण—

२६९ तीन प्रकार से जीव दीर्घायुष्य कर्म बाँधते हैं, यथा—

(१) प्राणियों की हिंसा न करने से,
(२) असत्य न बोलने मे,
(३) तथारूप श्रमण माह्न को प्रासुक एपणीय अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य आहार का प्रतिलाभ करने से,

इन तीन प्रकारो से जीव दीर्घ आयुष्य कर्म का बन्ध करते हैं ।

अशुभ दीर्घायु बध के कारण—

२७०. तीन प्रकार से जीव अशुभ दीर्घायुष्य कर्म बाँधते हैं, यथा—

(१) प्राणो का घात करने से, (२) मृषावाद बोलने मे,
(३) तथारूप श्रमण माह्न की अवहेलना, निन्दा, अवज्ञा,

खिसित्ता, गरहित्ता, अवमाणित्ता अन्नयरेणं अमणुष्णेणं
अपीइ-कारण असण-पाण-खाइम-साइमेण, पडिलाभेत्ता
भवति,

इच्चतेहि तिहि ठाणेहि जीवा असुभदीहाउयत्ताए कम्म
पगरेति । —ठाणं. अ ३, उ. १, सु. १३३ (३)

सुहदीहाउ बंध कारणाइ—

२७१. तिहि ठाणेहि जीवा सुभदीहाउअत्ताए कम्मं पगरेति,
त जहा—

१. णो पाणे अतिवात्तिता भवति, २. णो मुस ववित्ता भवइ,
३. तहाख्व समणं वा माहणं वा वंविता नमसित्ता सक्का-
रेत्ता सम्माणेत्ता कल्लारणं मंगल देवयं चेइयं पज्जुवासेत्ता
मणुष्णेण पीइकारणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं पडिला-
भेत्ता भवति ।

इच्चतेहि तिहि ठाणेहि जीवा सुभदीहाउयत्ताए कम्मं
पगरेति ।^१ —ठाणं. अ ३, उ १, सु १३३ (४)

गर्हा और अपमान करने से तथा अन्य अमनोज्ञ, अप्रीतिकर
अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य का प्रतिलाभ करने से,

इन तीन प्रकारो से जीव अशुभ दीर्घ आयुष्य कर्म का बन्ध
करते हैं ।

शुभ दीर्घायु बन्ध के कारण—

२७१. तीन प्रकार से जीव दीर्घायुष्य कर्म बांधते हैं, यथा—

(१) प्राणो का घात न करने से, (२) मृषावाद न बोलने से,
(३) तथारूप श्रमण माहन को वन्दन-नमस्कार कर, उनका
सत्कार-सम्मान कर, कल्याण-रूप, मंगलरूप, देवरूप तथा ज्ञान-
वंत मानकर, उनकी सेवाभक्ति कर, उन्हें मनोज्ञ एव प्रीतिकर
अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य आहार का प्रतिलाभ करने से ।

इन तीन प्रकारो से जीव शुभ दीर्घायुष्य कर्म का बन्ध
करते हैं ।



समकित सहित बारह व्रत—२

समत्तसरूवं-अइयारा य—

२७२ से य सम्मत्ते पसत्य-सम्मत्त-मोहणीय-कम्माणुवेयणोवसम-
खयसमत्ये पसम-संवेगाइलिगे सुहे आयपरिणामे पण्णत्ते ।

सम्मत्तस्स समणोवासएण पंच अइयारा पेयाला जाणियव्वा
न समायरियव्वा, तं जहा —

१ संका, २ कखा,
३ विइगिच्छा, ४ परपासंडपससा,
५. परपासडसयवे ।^२ —आव अ. ६, सु ६४-६५

समत्त पाहण्ण—

२७३ एतस्स पुण समणोवासगधम्मस्स मूलवत्युं सम्मत्तं । त
निसग्गेण वा, अधिगमेण वा ।

पचात्तिचार विसुद्ध अणुव्वय — गुणव्वयाइ च, अभिग्गहा,
अन्ते य पडिमादओ विसेसकरणजोगा, अपच्छिमा मारणतिया
सत्तेहणाक्षोसणाराहणया । —आव अ ६, सु. ६४

सम्यक्त्व का स्वरूप और अतिचार —

२७२. वह सम्यक्त्व-प्रशस्तसम्यक्त्व-मोहनीय कर्म के उदय, उप-
शम अथवा क्षय से निष्पन्न, सम संवेग आदि का हेतुभूत एव
आत्मा के शुभ परिणामस्वरूप कहा गया है ।

श्रमणोपासक को सम्यक्त्व के पाँच मुख्य अतिचार जानने
योग्य है आचरण करने योग्य नहीं है । वे अतिचार इस
प्रकार हैं—

(१) शंका, (२) काक्षा,
(३) विचिकित्सा, (४) पर-पापड प्रशंसा,
(५) पर-पापड-सस्तव ।

सम्यक्त्व की प्रधानता—

२७३. इस श्रमणोपासक धर्म का मूल-सम्यक्त्व है । वह सम्यक्त्व
स्वभाव से या उपदेश से होता है ।

पाँच अतिचारो से विशुद्ध सम्यक्त्व युक्त अणुव्रत, गुणव्रत,
अभिग्रह और अन्य प्रतिभा आदि विशेष करने योग्य धार्मिक
आचार वालो को जीवन के अन्त मे या मरण समय मे कपाय
क्षय या कर्मक्षय के लिए सलेखना करनी चाहिए ।

समणोवासगधम्मप्पगारा—

२७४. अगारधम्म बुवालसविहं आइक्खइ, तं जहा—

पंच अणुव्वयाइ, तिण्णि गुणव्वयाइ, चत्तारि सिक्खावयाइ ।

पच अणुव्वयाइं त जहा—

१ यूलाओ पाणाइवायाओ वेरमणं,

२ यूलाओ मुसावायाओ वेरमण,

३ यूलाओ अदिण्णादाणाओ वेरमणं,

४ सवारसतोसे,

५. इच्छापरिमाणे^१ ।

तिण्णि गुणव्वयाइ त जहा—

६ दिस्सिक्खय,

७ उवभोगपरिभोगपरिमाणं,

८. अणत्यवंडवेरमण ।

चत्तारि सिक्खावयाइं, तं जहा—

९ सामाइय, १० देसावगासिय,

११ पोसहोववासे, १२ अतिहिसविभागे ।

अपच्छिमा मारणतिया सलेहणाभूसणाराहणा ।

अयमाउत्तो ! अगारसामाइए धम्मो पणत्ते । एयस्स धम्मस्स

सिक्खाए उवट्ठिए ममणोवासए वा समणोवासिया वा विहर-

माणे आणाए आराहए भवइ^२ । —उवा. अ. १, सु ११

एत्य पुण समणोवासगधम्मो पंचाणुव्वयाइ तिण्णिगुणव्वयाइ

आवफहियाइ चत्तारि सिक्खावयाइ इत्तरियाइ ।

—आव अ ६, सु ६३

स्यूल-पाणाइवाय-विरमणस्स सरुवं अइयारा य—

२७५ यूलगपाणाइवाय समणोवासओ पच्चक्खाइ । से य पाणाइ-

वाए दुविहे पन्नत्ते तं जहा—

१ सकप्पओ य, २ आरम्मओ य,

तत्य समणोवासओ सकप्पओ जावज्जीवाए पच्चक्खाइ, नो

आरम्मओ ।

यूलगपाणाइवायवेरमणस्स समणोवासएणं इमे पच अइयारा

जाणियव्वा, न समायरियव्वा । त जहा—

१ वधे, २ वहे,

३. छयिच्छेए, ४. अइसारे,

५ मत्त पाण-योच्छेए^३ । —आव अ. ६, सु. ६६-६७

श्रावक धर्म के प्रकार—

२७८. भगवान् ने श्रावक-धर्म बारह प्रकार का बतलाया है यथा—

पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत ।

पाँच अणुव्रत इस प्रकार हैं—

(१) स्थूल प्राणातिपात से निवृत्त होना,

(२) स्थूल मृषावाद से निवृत्त होना,

(३) स्थूल अदत्तादान से निवृत्त होना,

(४) स्वदार सतोप करना,

(५) इच्छा का परिमाण करना ।

तीन गुणव्रत इस प्रकार है—

(६) दिग्गत दिशा का परिमाण करना,

(७) उपभोग-परिभोग का परिमाण व्रत,

(८) अर्थदण्ड से निवृत्त होना ।

चार शिक्षाव्रत इस प्रकार हैं—

(९) सामायिक व्रत, (१०) देशावकाशिक व्रत,

(११) पोषधोपवासव्रत, (१२) अतिथि-सविभाग व्रत ।

तथा अन्तिम मरणरूप सलेखना-अनशन की आराधना ।

हे आयुष्यमन् ! यह गृहस्थ का आचरणीय धर्म है । इस धर्म के अनुसरण में प्रयत्नशील होते हुए श्रमणोपासक या श्रमणोपासिका आज्ञा के आराधक होते हैं ।

इस बारह प्रकार के श्रमणोपासक धर्म में पाँच अणुव्रत और तीन गुणव्रत जीवन पर्यन्त के लिये ग्रहण किए जाते हैं तथा चार शिक्षाव्रत अल्प काल के लिए ग्रहण किए जाते हैं ।

स्थूल - प्राणातिपात - विरमण - व्रत का स्वरूप और अतिचार—

२७५ स्थूल प्राणातिपात का श्रमणोपासक प्रत्याख्यान करता है । वह प्राणातिपात दो प्रकार का कहा गया है । जैसे—

(१) सकल्प से, (२) आरम्भ से,

उसमें श्रमणोपासक सकल्प से स्थूल प्राणातिपात का याव-ज्जीवन प्रत्याख्यान करता है, आरम्भ से स्थूल-प्राणातिपात का प्रत्याख्यान नहीं करता है ।

श्रमणोपासक को स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत के पाँच प्रमुख अतिचार जानना चाहिए उनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं—

(१) वाँधना, (२) मारपीट करना,

(३) अगोपाग का छेदन करना, (४) अधिक भार लादना,

(५) भोजन पानी बन्द करना ।

१ ठाप अ ५, उ १, सु ३८६ ।

२ उवा. अ १, सु ४५ ।

२ उव मु ५७ ।

थूल-मुसावायविरमणस्स सरूव अइयारा य—

२७६ थूलगमुसावाय समणोवासओ पच्चक्खाइ । से य मुसावाए पचविहे पन्नत्ते, तं जहा—

- १ कन्नालीए,
- २ गोवालीए,
- ३ मोमालीए, ४ नासावहारो,
- ५ कूडसंक्खिज्जे ।

थूलगमुसावायविरमणस्स समणोवासएणं पंच अइयारा जाणि-
यत्त्वा न समायरियत्त्वा ।

तं जहा—

१. सहसाऽऽमवखाणे,
२. रहस्साऽऽमवखाणे,
३. सदारमतभेए,
४. मोसोवएसे,
५. कूडलेहकरणे^१ । —आव अ. ६, सु. ६८-६९

थूल-अदत्तादान-विरमणस्स सरूवं अइयारा य—

२७७ थूलगअदत्तादानं समणोवासओ पच्चक्खाइ । से य अदत्ता-
दाने दुविहे पन्नत्ते, तं जहा—

- १ सच्चित्तादत्तादाने य,
- २ अच्चित्तादत्तादाने य ।

थूलग अदिग्णादानविरमणस्स समणोवासएण इमे पंच अइ-
यारा जाणियत्त्वा न समायरियत्त्वा । तं जहा—

- १ तेणाहडे,
- २ तक्करप्पओगे,
- ३ विरुद्ध-रज्जाइक्कमणे,
४. कूडतुल्ल-कूडमाणे,
- ५ तप्पडिरुक्कववहारो^२ । —आव. अ. ६, सु. ७०-७१

थूल-मेहुण-विरमणस्स सरूव अइयारा य—

२७८ परदारगमण समणोवासओ पच्चक्खाइ, सदारसतोसं वा पडि-
यज्जह ।

से य परदारगमणे दुविहे पन्नत्ते, तं जहा—

- १ ओरालिय-परदारगमणे य, २ वेउच्चिय-परदारगमणे य ।
- सदार-संतोसस्स समणोवासएणं इमे पंच अइयारा जाणियत्त्वा
न समायरियत्त्वा, तं जहा—

- १ इत्तरियपरिग्गहियागमणे,

स्थूल-मृषावाद-विरमण-व्रत का स्वरूप और अतिचार—

२७६. श्रमणोपासक स्थूलमृषावाद का प्रत्याख्यान करता है । वह
मृषावाद पाँच प्रकार का कहा गया है । जैसे—

- (१) कन्या सम्बन्धी मृषावाद,
- (२) गाय आदि पशु सम्बन्धी मृषावाद,
- (३) भूमि सम्बन्धी मृषावाद, (४) धरोहर का अपहरण,
- (५) कूट साक्षी अर्थात् झूठी साक्षी ।

श्रमणोपासक को स्थूलमृषावादविरमण व्रत के पाँच प्रमुख
अतिचार जानना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए ।
वे इस प्रकार हैं—

- (१) सहसा (विना विचारे) झूठा कलक लगाना,
- (२) एकान्त मे मन्त्रणा करने वालो पर आरोप लगाना ।
- (३) स्त्री की गुप्त वार्ते प्रगट करना ।
- (४) मिथ्या उपदेश देना या खोटी सलाह देना ।
- (५) असत्य लिखावट करना ।

स्थूल-अदत्तादान-विरमण-व्रत का स्वरूप और अतिचार—

२७७ श्रमणोपासक स्थूल अदत्तादान का प्रत्याख्यान करता है ।
वह अदत्तादान दो प्रकार का कहा गया है । जैसे—

- (१) सचित्त अदत्तादान,
- (२) अचित्त अदत्तादान,

श्रमणोपासक को स्थूल अदत्तादानविरमण व्रत के पाँच
प्रमुख अतिचार जानना चाहिए उनका आचरण नहीं करना
चाहिए । वे इस प्रकार हैं—

- (१) चोरी की वस्तु लेना,
- (२) चोर को सहायता देना,
- (३) राज्य-विरुद्ध कार्य करना,
- (४) झूठा तोल व माप करना,
- (५) अच्छी वस्तु दिखाकर खराब देना ।

स्थूल-मैथुन-विरमण-व्रत का स्वरूप और अतिचार—

२७८. श्रमणोपासक परस्त्रीगमन का प्रत्याख्यान करता है और
स्वदारा से संतोष करता है ।

परस्त्रीगमन दो प्रकार का कहा गया है । जैसे—

- (१) औदारिक परस्त्रीगमन, (२) वैक्रिय परस्त्रीगमन ।

श्रमणोपासक को स्वदारसतोष-व्रत के पाँच प्रमुख अतिचार
जानना चाहिए उनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस
प्रकार हैं—

- (१) अल्प वय वाली स्त्री के साथ गमन करना,

- २ अपरिग्रहियागमणे,
३ अणगफोडा,
४. परविवाहकरणे,
५ कामभोगतिव्वाभिलासे ।^१ —आव अ ६, सु ७२-७३

- (२) विवाह के पूर्व स्त्री के साथ गमन करना,
(३) अन्य अंग से काम क्रीडा करना,
(४) अन्य का विवाह कराना,
(५) काम भोग की तीव्र अभिलाषा करना ।

परिग्रह-परिमाणस्त सख्व अइयारा य—

२७६ अपरिमियपरिग्रहं समणोवासओ पच्चक्खाति, इच्छापरिमाणं उवसपज्जइ ।

से य परिग्रहे बुविहे पन्नत्ते, तं जहा—

१. सचित्तपरिग्रहे य, २. अचित्तपरिग्रहे य ।

इच्छा परिमाणस्त समणोवासएण इमे पच अइयारा जाणियव्वा, न समायरियव्वा । तं जहा—

- १ खेत्त-वत्थु-पमाणाइक्कमे ।
२ हिरण्ण-सुवण्ण-पमाणाइक्कमे ।
३ घण-घन्न-पमाणाइक्कमे ।
४. दुपय-चउप्पय-पमाणाइक्कमे ।
५. कुविय-पमाणाइक्कमे^२ । —आव अ ६, सु ७४-७५

परिग्रह-परिमाण-व्रत का स्वरूप और अतिचार—

२७६ श्रमणोपासक अपरिमित परिग्रह का प्रत्याख्यान करता है एव इच्छाओ का परिमाण करता है ।

परिग्रह दो प्रकार का कहा गया है । जैसे—

(१) सचित्त परिग्रह, (२) अचित्त परिग्रह ।

श्रमणोपासक को इच्छा-परिमाण-व्रत के पाँच प्रमुख अतिचार जानना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं—

- (१) घर तथा खुली भूमि के परिमाण का अतिक्रमण करना ।
(२) सोना-चाँदी के परिमाण का अतिक्रमण करना ।
(३) घन-धान्य के परिमाण का अतिक्रमण करना ।
(४) द्विपद-चतुष्पद के परिमाण का अतिक्रमण करना ।
(५) अन्य सामग्री के परिमाण का अतिक्रमण करना ।

दिसिवय सख्वं अइयारा य—

२८०. दिसिवए तिधिहे पन्नत्ते । त जहा—

१. उड्ढदिसिवए, २. अहोदिसिवए,
३. तिरियदिसिवए ।

दिसिवयस्त समणोवासएण इमे पच अइयारा जाणियव्वा, न समायरियव्वा, त जहा—

- १ उड्ढदिसिपमाणाइक्कमे ।
२. अहोदिसिपमाणाइक्कमे ।
३ तिरियदिसिपमाणाइक्कमे ।
४. खेत्तवुड्ढी,
५. सद्धअंतरद्धा ।^३ —आव. अ. ६, सु ७६-७७

दिशाव्रत का स्वरूप और अतिचार—

२८० दिग्ब्रत तीन प्रकार के कहे गए हैं—

- (१) ऊर्ध्व दिशाप्रमाण व्रत, (२) अधोदिशा प्रमाण व्रत,
(३) तिर्यक्-दिशा प्रमाण व्रत ।

श्रमणोपासक को दिशाव्रत के पाँच प्रमुख अतिचार जानना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं—

- (१) ऊँची दिशा के परिमाण का अतिक्रमण करना ।
(२) नीची दिशा के परिमाण का अतिक्रमण करना ।
(३) तिरछी दिशा के परिमाण का अतिक्रमण करना ।
(४) एक दिशा में घटाकर दूसरी दिशा में क्षेत्र बढ़ाना ।
(५) क्षेत्र परिमाण के भूलने पर आगे चलना ।

उपभोग-परिभोग-परिमाणस्त सख्वं अइयारा य—

२८१. उयनोगपरिभोगवए बुविहे पणत्ते, त जहा—

- १ भोयणओ य, २. कम्मओ य ।

भोयणओ समणोवासएणं इमे पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, त जहा—

१. सचित्तहारे,
२ सचित्तपडियद्धाहारे,
३ अप्पउत्तिओमहिमपत्तणघा,

उपभोग-परिभोग-परिमाण-व्रत का स्वरूप और अतिचार—

२८१ उपभोग-परिभोग दो प्रकार का कहा गया है—

- (१) भोजन की अपेक्षा से, (२) कर्म की अपेक्षा से ।

भोजन की अपेक्षा से श्रमणोपासक को पाँच अतिचार जानने चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं—

- (१) प्रत्याख्यान उपरांत मचित्त का आहार करना ।
(२) मचित्त मवद्ध का आहार करना ।
(३) अपक्व को पक्व समझकर खाना ।

१ उवा अ १, सु ४८ ।

२ उवा अ १, सु ५० ।

२ उवा अ. १, सु. ४६ ।

४ दुष्पुत्रलिभोसहिभक्खणया,

५ तुच्छोसहिभक्खणया । —आव अ ६, सु ७८-७९ (१)

पण्णरस कम्मादाणाइं—

२८२ कम्मओ ण समणोवासएण पण्णरस कम्मादाणाइं जाणि-
यव्वाइ न समायरियव्वाइ । तं जहा—

१. इंगालकम्मे,

२. वणकम्मे,

३. साडीकम्मे,

४. भाडीकम्मे,

५. फोडीकम्मे,

६. दंतवाणिज्जे,

७. लक्खवाणिज्जे,

८. रसवाणिज्जे,

९. विसवाणिज्जे,

१०. केसवाणिज्जे,

११. जंतपीलणकम्मे,

१२. निल्लंछणकम्मे,

१३. दवग्गिदावणया,

१४. सर-दह-तलायपरिसोसणया,

१५. असईजणपोसणया^१ । —आव. अ ६, सु ७९ (२)

अणत्थदंडं विरमणस्स सरूव अइयारा य—

२८३. अणत्थदंडे चउच्चिहे पत्तत्ते, तं जहा—

१. अवज्झाणाचरिए,

२. पमायाचरिए,

३. हिंसपपयाणे,

४. पावकम्मोवएसे ।

अणद्वंदंडवेरमणस्स समणोवासएण इमे पच अइयारा जाणि-
यव्वा, न समायरियव्वा, तं जहा—

१. कदप्पे,

२. कुक्कुडए,

३. मोहरिए,

४. संजुत्ताहिगरणे,

५. उवभोग-परिभोगाइरित्ते ।^२ —आव अ ६, सु. ८०-८१

सामाइय-सरूवं अइयारा य—

२८४. सामाइय नाम सावज्ज जोगपरिवज्जण निरवज्जजोगपडि-
सेवण च ।

१ उवा. अ. १, सु ५१ ।

(४) अर्धपक्व को पूर्णपक्व समझकर खाना ।

(५) तुच्छ वस्तुओं का आहार करना ।

पन्द्रह कर्मादान—

२८२. कर्म की अपेक्षा से श्रमणोपासक को पन्द्रह-कर्मादान जानना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं—

(१) अग्नि आरम्भजन्य कर्म,

(२) वनस्पति आरम्भ जन्य कर्म,

(३) वाहन निर्माण कर्म,

(४) वाहन द्वारा भाडा कमाने का कर्म,

(५) पृथ्वीकाय के आरम्भ जन्य कर्म,

(६) अस जीवों के अवयवों का व्यापार,

(७) लाख आदि पदार्थों का व्यापार,

(८) रस वाले पदार्थों का व्यापार,

(९) विषैले पदार्थ और शस्त्रों का व्यापार,

(१०) पशु पक्षी आदि के केशों का व्यापार,

(११) तिल, ईख आदि पीलने के यन्त्रों का कर्म,

(१२) बिघना, खस्ती करना आदि कर्म,

(१३) जंगल आदि में आग लगाना,

(१४) तालाब, नदी, द्रह आदि को सुखाना,

(१५) हिंसक जानवरों का और दुष्चरित्र स्त्रियों का पोषण करना ।

अनर्थदण्ड-विरमण-व्रत का स्वरूप और अतिचार—

२८३. अनर्थदण्ड चार प्रकार का कहा गया है । जैसे—

(१) आर्त, रौद्र ध्यान करना,

(२) प्रमाद से अविवेक पूर्ण प्रवृत्ति करना,

(३) हिंसा करने के शस्त्र देना,

(४) पाप कर्म करने की प्रेरणा करना ।

श्रमणोपासक को अनर्थ-दण्ड विरमण व्रत के पांच प्रमुख अतिचार जानना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस प्रकार हैं—

(१) विकार युक्त कथा करना,

(२) शरीर से हास्यकारी कुचेष्टाएं करना,

(३) अति वाचालता करना,

(४) हिंसाकारी उपकरणों को अविधि से रखना,

(५) खाद्य सामग्री आदि का अधिक संग्रह करना ।

सामायिक व्रत का स्वरूप और अतिचार—

२८४. सावद्ययोगो का परित्याग करना और निरवद्ययोगो का आचरण करना इसको सामायिक कहते हैं ।

२ उवा. अ. १, सु ५२ ।

सामाह्यस्म समणोवासएण इमे पंच अइयारा जाणियव्वा,
न समायरियव्वा त जहा—

- १ मणहुप्पणिहाणे,
- २ ययहुप्पणिहाणे,
- ३ फायहुप्पणिहाणे,
- ४ सामाह्यस्स सइ अकरणया,
- ५ सामाह्यस्स अणवट्टियस्स करणया^१ ।

—आव अ ६, सु ८२-८६

सामाह्यकडस्स किरिया—

२८५ प०—समणोवासगस्स णं भते ! सामाह्यकडस्स समणोवस्सए
अच्छमाणस्स तस्स ण भते कि ईरियावहिया किरिया
कज्जइ ? संपराइया किरिया कज्जइ ?

उ०—गोयमा ! नो इरियावहिया किरिया कज्जइ, सपरा-
इया किरिया कज्जइ ।

प०—से केणट्ठेणं भते ! एव वुच्चइ-जाव-सपराइया किरिया
कज्जइ ?

उ०—गोयमा ! समणोवासयस्स णं सामाह्यकडस्स समणो-
वस्सए अच्छमाणस्स आया अहिगरणी भवति । आया-
अहिगरणयत्ति य च ण तस्स नो ईरियावहिया किरिया
कज्जति, संपराइया किरिया कज्जति ।

से तेणट्ठेण गोयमा ! एवं वुच्चइ-जाव-सपराइया
किरिया कज्जइ । —वि म ७, उ १, सु ६

सामाह्यकडस्स ममत्तभावं—

२८६ आजीविया ण भते ! धेरे भगवते एव वयासि—

प०—समणोवासगस्स ण भते ! सामाह्यकडस्स समणोवस्सए
अच्छमाणस्स केइ महे अवहरेज्जा, से णं भते ! त
मट अणुगवेसमाणे कि समट अणुगवेसइ ? परायण
मटं अणुगवेसइ ?

उ०—गोयमा ! समट अणुगवेसइ, नो परायण मट अणु-
गवेसेइ ।

प०—तस्स ण भते ! तेहि मीलव्वत-गुण-वेरमण-पच्चदक्खण-
पोमहोववासेहि मे मंडे अमटे भदति ?

उ०—हंता, भदति ।

श्रमणोपासक को सामायिक व्रत के पांच प्रमुख अतिचारो
को जानना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस
प्रकार हैं—

- १ मन से अशुभ चिन्तन करना,
- २ वचन से अशुभ शब्द बोलना,
- ३ काया से अशुभ प्रवृत्ति करना,
- ४ सामायिक की स्मृति न रखना,
- ५ दोष-रहित व विधियुक्त सामायिक न रहना ।

सामायिक किये हुए की क्रिया—

२८५ प्र०—हे भगवन् ! श्रमण के उपाश्रय मे बैठकर सामायिक
किये हुए श्रमणोपासक को क्या ईर्यापथिकी क्रिया लगती है,
अथवा साम्परायिकी क्रिया लगती है ?

उ०—गौतम ! उसे ईर्यापथिकी क्रिया नहीं लगती है किन्तु
साम्परायिकी क्रिया लगती है ।

प्र०—हे भगवन् किस कारण से ऐसा कहा जाता है
—यावत्—साम्परायिकी क्रिया लगती है ।

उ०—गौतम ! श्रमण के उपाश्रय मे बैठकर सामायिक किये
हुए श्रमणोपासक की आत्मा कपाय से युक्त होती है । जिसकी
आत्मा कपाय से युक्त होती है, उसे ईर्यापथिकी क्रिया नहीं लगती
है किन्तु साम्परायिकी क्रिया लगती है ।

हे गौतम ! इस कारण से ऐसा कहा जाता है—यावत्—
साम्परायिकी क्रिया लगती है ।

सामायिक किये हुए का ममत्व—

२८६ हे भगवन् ! आजीविक गौशालक के शिष्य स्वविर भगवन्तो
से इस प्रकार पूछते हैं कि—

प्र०—श्रमण के उपाश्रय मे बैठकर सामायिक किये हुए
श्रमणोपासक के वस्त्र आदि सामान को कोई अपहरण कर ले
जाए तो सामायिक पूर्ण होने पर उन वस्तुओं का अन्वेपण करना
हुआ वह अपने सामान का अन्वेपण करता है या दूसरो के
सामान का अन्वेपण करता है ?

उ०—गौतम ! वह अपने ही सामान का अन्वेपण करता है,
परायें सामान का अन्वेपण नहीं करता ।

प्र०—भगवन् ! उन मीलव्वत, गुणव्वत, विरमणव्वत,
प्रत्याख्यान और पीयघोपवास को स्वीकार किये हुए श्रावक के वे
भाण्ड क्या उसके लिए अभाण्ड ही जाते हैं ?

उ०—हे गौतम ! वे भाण्ड उसके लिए अभाण्ड ही जाते हैं ।

प०—से केणं खाइणं अट्ठेणं भते ! एवं वुच्चति “सभंडं अणुगवेसइ नो परायणं भंडं अणुगवेसइ ?

उ०—गोयमा ! तस्स णं एवं भवति—

“णो मे हिरण्णे, नो मे सुवण्णे, नो मे कंसे, नो मे दूसे, नो मे विउल घण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण-मादीए, संतसारसाव-देज्जे”, ममत्तभावे पुण से अपरिण्णाते भवति ।

से तेणट्ठेण गोयमा ! एव वुच्चइ सभंडं अणुगवेसइ, नो परायणं भंडं अणुगवेसइ ।

—वि. स ८, उ. ५, सु. २-३

सामाह्यकडस्स पेज्जबधण—

२८७. प०—समणोवासगस्स ण भंते ! सामाह्यकडस्स समणो-वस्सए अचछमाणस्स केइ जाय चरेज्जा, से णं भते ! किं जाय चरइ, अजायं चरइ ?

उ०—गोयमा ! जाय चरइ, नो अजाय चरइ ।

प०—तस्स ण भते ! तेहिं सीलव्वय-गुण-वेरमण-पच्चवखाण पोसहोववासेहिं सा जाया अजाया भवइ ?

उ०—हंता, भवइ ।

प०—से केण खाइण अट्ठेणं भंते ! एव वुच्चइ “जाय चरइ, नो अजायं चरइ ?”

उ०—गोयमा ! तस्स णं एवं भवइ “णो मे माया, णो मे पिया, णो मे भाया, णो मे भगिणी, णो मे भज्जा, णो मे पुत्ता, णो मे धूया, णो मे सुण्हा”, पेज्जबधणे पुण से अक्कोच्छिन्ने भवइ,

से तेणट्ठेण गोयमा ! एवं वुच्चइ जाय चरइ, नो अजाय चरइ । —वि. स. ८, उ. ५, सु. ४-५

देशावगासिय-सरूव अइयारा य—

२८८ दिसिक्खय-गहियस्स दिसा परिमाणस्स पइदिण परिमाण-करणं देशावगासियं ।

प्र०—हे भगवन् ! यदि वे भाण्ड उसके लिए अभाण्ड ही जाते हैं तो आप ऐसा क्यों कहते हैं कि वह श्रावक अपने भाण्ड का अन्वेषण करता है, दूसरे के भाण्ड का अन्वेषण नहीं करता ?

उ०—गौतम सामायिक आदि करने वाले उस श्रावक के मन में ऐसे परिणाम होते हैं कि—

“हिरण्य मेरा नहीं है, सुवर्ण मेरा नहीं है, कास्य मेरा नहीं है, वस्त्र मेरे नहीं हैं तथा विपुल धन, कनक, रत्न, मणि, मोती, शंख, मूंगा, पद्मरागादि मणि इत्यादि विद्यमान सारभूत द्रव्य मेरा नहीं है ।” किन्तु उसके ममत्वभाव का प्रत्याख्यान नहीं होता है ।

हे गौतम ! इस कारण से ऐसा कहता हूँ कि वह श्रावक अपने ही भाण्ड का अन्वेषण करता है किन्तु दूसरे के भाण्ड का अन्वेषण नहीं करता ।

सामायिक किये हुए का प्रेमबन्धन—

२८७. प्र०—हे भगवन् ! श्रमण के उपाश्रय में बैठकर सामायिक किये हुए श्रमणोपासक की पत्नी के साथ कोई भोग भोगता है तो क्या वह श्रावक की पत्नी को भोगता है या दूसरे की स्त्री को भोगता है ?

उ०—गौतम ! वह श्रावक की पत्नी को भोगता है किन्तु दूसरे की स्त्री को नहीं भोगता है ।

प्र०—हे भगवन् ! शीलव्रत, गुणव्रत, विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास कर लेने से क्या उस श्रावक की वह जाया “अजाया” हो जाती है ?

उ०—हाँ गौतम ! श्रावक की वह जाया अजाया हो जाती है ।

प्र०—हे भगवन् ! जब श्रावक की जाया “अजाया” हो जाती है, तब आप ऐसा क्यों कहते हैं कि वह व्यभिचारी उसकी जाया को भोगता है, अजाया को नहीं भोगता ?

उ०—गौतम ! उस श्रावक के मन में ऐसे परिणाम होते हैं कि—“माता मेरी नहीं है, पिता मेरे नहीं हैं, भाई मेरा नहीं है, बहन मेरी नहीं है, स्त्री मेरी नहीं है, पुत्र मेरे नहीं हैं, पुत्री मेरी नहीं है, पुत्रवधू मेरी नहीं है”, किन्तु इन सबके प्रति उसका प्रेम बन्धन टूटा हुआ नहीं होता है ।

हे गौतम ! इस कारण से ऐसा कहता हूँ कि—वह पुरुष उस श्रावक को जाया को भोगता है, अजाया को नहीं भोगता ।

देशावगासिक व्रत का स्वरूप और अतिचार—

२८८ ग्रहण किये हुए दिशाव्रत का प्रतिदिन सक्षिप्त परिमाण करना देशावगासिक व्रत है ।

देशावगासियस्स समणोवासएणं इमे पंच अइयारा जाणियव्वा,
न समायरियव्वा, तं जहा—

- (१) आणवणप्पओगे,
- (२) पेसवणप्पओगे,
- (३) सहाणुवाए,
- (४) रुवाणुवाए,
- (५) वहियापोगलपक्खेवे ।^१ —आव. अ. ६, सु. ८७-८८

पोसह-सरुवं अइयारा य—

२८६ पोसहोववासे चउच्चिहे पन्नत्ते, तं जहा—

- (१) आहारपोसहे,
- (२) सरीरसवकारपोसहे,
- (३) वमचेरपोसहे,
- (४) अच्चावारपोसहे ।

पोसहोववासस्स समणोवासएणं इमे पंच अइयारा जाणि-
यव्वा, न समायरियव्वा, तं जहा—

- (१) अप्पडिलेहिय-दुप्पडिलेहिय-सिज्जासथारे ।
- (२) अप्पमज्जिय-दुप्पमज्जिय-सिज्जासथारे ।
- (३) अप्पडिलेहिय-दुप्पडिलेहिय-उच्चारपासवणभूमि ।
- (४) अप्पमज्जिय-दुप्पमज्जिय-उच्चारपासवणभूमि ।
- (५) पोसहोववासस्स सम्म अणणुपालणयाः।

—आव. अ. ६, सु. ८६-९०

अतिहि संविभागस्स सरुवं अइयारा य—

२९० अतिहिसविभागो नाम नायागघाणं कप्पणिज्जाणं अन्न-
पाणाईणं दव्वाण वेस-काल-सद्धा-सवकारकमजुयं पराए
भत्तोए आयाणुग्गहवुद्धीए सजयाण दाण ।

अतिहि^२-सविभागस्स-समणोवासएण इमे पंच अइयारा
जाणियव्वा, न समायरियव्वा, तं जहा—

- (१) सचित्तनिक्खेवणया,

श्रमणोपासक को देशावकाशिक व्रत के पाँच प्रमुख अतिचार
जानना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस
प्रकार हैं—

- (१) मर्यादा के बाहर की वस्तु मँगाना,
- (२) मर्यादा के बाहर वस्तु भिजवाना,
- (३) मर्यादा के बाहर शब्द से सकेत करना,
- (४) मर्यादा के बाहर रूप से सकेत करना,
- (५) मर्यादा के बाहर पुद्गल फेंककर सकेत करना ।

पौषघ व्रत का स्वरूप और अतिचार—

२८६. पौषघोपवास व्रत के चार प्रकार कहे गये हैं । जैसे—

- (१) आहार त्याग रूप पौषघ,
- (२) शरीर सत्कार त्याग रूप पौषघ,
- (३) ब्रह्मचर्य पौषघ,
- (४) सावद्य प्रवृत्ति परित्याग पौषघ ।

श्रमणोपासक को पौषघोपवास व्रत के पाँच प्रमुख अतिचार
जानना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना चाहिए । वे इस
प्रकार हैं—

- (१) शय्या सस्तारक की प्रतिलेखना नहीं करना या अविधि
से करना ।
- (२) शय्या सस्तारक का प्रमार्जन नहीं करना या अविधि
से करना ।
- (३) परठने की भूमि का प्रतिलेखन नहीं करना या अविधि
से करना ।
- (४) परठने की भूमि का प्रमार्जन नहीं करना या अविधि
से करना ।
- (५) पौषघ के नियमों का सम्यक् प्रकार से पालन नहीं
करना ।

अतिथि-सविभाग-व्रत का स्वरूप और अतिचार—

२९० भोजन पानी आदि द्रव्यों का देश काल के अनुकूल, श्रद्धा
सत्कार युक्त, परमभक्ति से तथा आत्म कल्याण की भावना से
ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान महावीर के सयतो को दान देना अतिथि
सविभाग है ।

श्रमणोपासक को अतिथि सविभाग व्रत के पाँच प्रमुख
अतिचारों को जानना चाहिए, उनका आचरण नहीं करना
चाहिए, वे इस प्रकार हैं—

- (१) विवेक न रखते हुए अचित्त वस्तु सचित्त पर रमना,

१ उवा. अ. १, सु. ५४

२ उवा. अ. १, सु. ५६ यहाँ "अतिहिसविभागस्स" शब्द के स्थान पर "अट्टमविगस्स" शब्द का प्रयोग है ।

- (२) सचित्तपिहणया,
(३) कालाद्वक्कमे,

(४) परववएसे,

(५) मच्छरिया ।^१

—आव अ. ६, सु. ६१-६२

समणस्स सुद्ध आहार दाणफलं—

२६१. प०—समणोवासएणं भत्ते ! तहारूवं समणं वा माहणं वा फासुएणं एसणिज्जेण असण-पाणं-खाइमं-साइमेणं, पडिलाभेमाणे किं लभति ?

उ०—गोयमा ! समणोवासएणं तहारूवं समणं वा माहणं वा-जाव-पडिलाभेमाणे तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा समाहि उप्पाएति, समाहिकारएण से तामेव समाहि पडिलभति ।

प०—समणोवासए ण भत्ते तहारूवं समणं वा माहणं वा -जाव-पडिलाभेमाणे किं चयति ?

उ०—गोयमा ! जीवियं-चयति, दुच्चय चयति, दुक्करं करेइ, दुल्लसं लभति, बोहिं वृज्जति तओ पच्छा सिज्जइ-जाव-अंसं करेइ ।

—वि स ७, उ १, सु ६-१०

प०—समणोवासए णं भत्ते ! तहारूवं समणं वा माहणं वा फासुयएसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-साइमेण पडिलाभेमाणे किं कज्जति ?

उ०—गोयमा ! एगंतसो से निज्जरा कज्जइ, नत्थि य से पावे कम्मे कज्जइ ।

प०—समणोवासए ण भत्ते ! तहारूव समणं वा माहणं वा अफासुएणं अणेसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-साइमेण पडिलाभेमाणे किं कज्जइ ?

उ०—गोयमा ! बहुतरिया से निज्जरा कज्जइ, अप्पतराए से पावे कम्मे कज्जइ ।

—वि म. ८, उ. ६, सु. १-२

असंजयस्स आहार-दाण-फलं—

२६२. प०—समणोवासए ण भत्ते ! तहारूवं असंजय-अविरय-अपडिहय-अपच्चक्खाय-पावकम्म फासुएणं वा अफासुएणं वा एसणिज्जेण वा अणेसणिज्जेण वा, असण-पाण-खाइम-साइमेणं पडिलाभेमाणे किं कज्जइ ?

(२) विवेक न रखते हुए अचित्त वस्तु सचित्त से ढंकना ।

(३) विवेक न रखते हुए भिक्षा के असमय में दान की भावना रखना ।

(४) विवेक न रखते हुए दूसरो से दान दिलाना ।

(५) कषाय युक्त भावो से दान देना ।

श्रमण को शुद्ध आहार देने का फल—

२६१. प्र०—हे भगवन् ! उत्तम श्रमण और माहन को प्रासुक एषणीय अशन, पान, खादिम, स्वादिम द्वारा प्रतिलाभित करते हुए श्रमणोपासक को क्या लाभ होता है ?

उ०—गौतम ! तथारूप श्रमण या माहन को—यावत्—प्रतिलाभित करता हुआ श्रमणोपासक, तथारूप श्रमण या माहन को समाधि पहुँचाता है । उन्हें समाधि प्राप्त कराने वाला वह श्रमणोपासक स्वयं भी उसी समाधि को प्राप्त करता है ।

प्र०—हे भगवन् ! तथारूप श्रमण या माहन को—यावत्—प्रतिलाभित करता हुआ श्रमणोपासक क्या त्याग करता है ?

उ०—गौतम ! श्रमणोपासक जीवन के आधारभूत अन्न-पानादि का त्याग करता है, दुस्त्यज वस्तु का त्याग करता है, दुष्कर कार्य करता है, दुर्लभ वस्तु से लाभ लेता है, बोधि को प्राप्त करता है, उसके पश्चात् वह सिद्ध होता है—यावत्—सब दुखों का अन्त करता है ।

प्र०—हे भगवन् ! तथारूप श्रमण अथवा माहन को प्रासुक एवं एषणीय अशन, पान, खादिम और स्वादिम आहार द्वारा प्रतिलाभित करने वाले श्रमणोपासक को किस फल की प्राप्ति होती है ?

उ०—गौतम ! वह एकान्त रूप से निर्जरा करता है और वह पापकर्म का बन्ध नहीं करता है ।

प्र०—हे भगवन् ! तथारूप श्रमण या माहन को अप्रासुक एवं अनेषणीय आहार द्वारा प्रतिलाभित करते हुए श्रमणोपासक को किस फल की प्राप्ति होती है ?

उ०—गौतम ! उसके अधिक निर्जरा होती है और अल्प पापकर्म का बन्ध होता है ।

असयत को आहार देने का फल—

२६२. प्र०—हे भगवन् ! तथारूप असयत, अविरत, जिमने पाप कर्मों को नहीं रोका और पाप का प्रत्याख्यान भी नहीं किया उसे प्रासुक या अप्रासुक, एषणीय या अनेषणीय अशन-पान, खादिम, स्वादिम द्वारा प्रतिलाभित करते हुए श्रमणोपासक को किस फल की प्राप्ति होती है ?

उ०—गोधमा ! एगतसो से पावे कम्मे कज्जइ, णत्थि से
काइ निज्जरा कज्जइ ।^१

उ०—गौतम ! उसे एकान्त पाप कर्म होता है, निर्जरा
कुछ भी नहीं होती ।

—वि. स. ८, उ. ६, सु. ३



श्रावक प्रतिमा—३

एगादस-उवासगपडिमाओ—

२६३. एषकारस उवासग-पडिमाओ पण्णत्ताओ^२ त जहा—

- (१) दसणसावए,
- (२) फयव्वयकम्मे,
- (३) सामाहयकडे,
- (४) पोसहोववासणिरते,
- (५) दिया बभयारी, रत्ति परिमाणकडे^३,
- (६) असिणाती, विअटमोड, भोलिकडे, दिआ वि राओ
वि वभयारी ।
- (७) सच्चित्तपरिण्णाए,
- (८) आरम्भपरिण्णाए,
- (९) पेसपरिण्णाए,
- (१०) उद्दिट्ठभत्तपरिण्णाए,

ग्यारह उपासक प्रतिमायें—

२६३ ग्यारह उपासक प्रतिमायें कही गई हैं । यथा—

- (१) दर्शन श्रावक प्रतिमा,
- (२) कृतव्रत कर्म प्रतिमा,
- (३) सामायिक कृत प्रतिमा,
- (४) पौषघोषवासनिरत प्रतिमा,
- (५) दिवा ब्रह्मचारी और रात्रि परिमाणकृत प्रतिमा ।
- (६) अस्नान, दिवस भोजन, मुकुलिकृत, दिवा-रात्रि ब्रह्म-
चर्य प्रतिमा ।
- (७) सच्चित्त परित्याग प्रतिमा ।
- (८) आरम्भ-परित्याग प्रतिमा ।
- (९) प्रेष्य-परित्याग प्रतिमा ।
- (१०) उद्दिष्ट भक्त-परित्याग प्रतिमा ।

१ यहाँ असयत को सुगुरुभाव से सन्मान करके सर्वथा निर्दोष आहार देने का फल श्रमणोपासक के लिए एकान्त निर्जरा कहा है, सामान्य सदोष आहार देने का फल अल्प पाप अधिक निर्जरा कहा है और तथारूप के (सन्यासी) असयत को पूज्य भाव से सदोष-निर्दोष आहार देने का फल एकान्त पाप कहा है । किन्तु अन्य असयत भिखारी पशु-पक्षी आदि को अनुकम्पा बुद्धि से आहार देने का फल श्रमणोपासक के लिए यहाँ एकान्त पाप नहीं कहा है ।

आगमो मे नो प्रकार के पुण्यो का कयन है । 'रायप्पसेणिय' सूत्र मे प्रदेणी राजा ने श्रमणोपासक होने के वाद दानशाला प्रारम्भ की ऐसा वर्णन है ।

दान के सम्बन्ध मे मुनियो के मीन रहने का जो सूत्रकृताग मे विधान है वहाँ यह स्पष्ट कहा है कि "दान के कार्यों मे पुण्य नहीं है" ऐसा भी माधु न कहे तथा ऐसा कहने वाले मुनि प्राणियो की आजीविका का नाश करते हैं ।

निष्कर्ष यह है कि असयत भिखारी पशु पक्षी आदि को अनुकम्पा बुद्धि से आहार देने का फल एकान्त पाप नहीं है । किन्तु तथारूप के सन्यासी आदि को पूज्यभाव (गुरुबुद्धि) से देने मे एकान्त (मिथ्यात्वरूप) पाप होता है ऐसा समझना चाहिए ।

२ दसा द ६, सु १-२

३ पाँचवीं प्रतिमा का नाम दशाश्रुतस्कध में और समवायाग मे भिन्न-भिन्न है । किन्तु वर्णित विषयानुसार दशाश्रुतस्कध मे कथित नाम विशेष मगत प्रतीत होता है । "एक रात्रि की कायोत्सर्ग-प्रतिमा" यह नाम दशाश्रुतस्कध सूत्र के मूल पाठ में है । इस प्रतिमा मे श्रावक पौषघ के दिन सम्पूर्ण रात्रि कायोत्सर्ग करता है ।

नमवायाग सूत्र मे सूचित नाम उपयुक्त भी नहीं है । क्योंकि "दिन मे ब्रह्मचर्य पालन करना और रात्रि मे परिमाण करना" यह तो प्रतिमा धारण के प्रारम्भ में ही आवश्यक होता है । अतः पाँचवीं प्रतिमा मे इस नियम का कोई महत्व नहीं रहता है ।

(११) समणभूए यावि समणाउसो । —सम. ११, सु. १

पढमा उवासग पडिमा—

सव्व-धम्म-रुई यावि भवति ।

तस्स णं बहूइं सीलवय-गुणवय-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहो-
ववासाइं नो सम्मं पटुवित्ताइं^१ भवति ।

से त पढमा उवासग-पडिमा ।

अहावरा दोच्चा उवासग पडिमा—

सव्व धम्म-रुई यावि भवइ ।

तस्स णं बहूइं सीलवय-गुणवय-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहो-
ववासाइं सम्मं पटुवित्ताइं भवति ।

से ण सामाइय देसावगासियं नो सम्मं अणुपालित्ता भवइ ।

से त दोच्चा उवासग-पडिमा ।

अहावरा तच्चा उवासग पडिमा—

सव्व-धम्म-रुई यावि भवइ ।

तस्स णं बहूइं सीलवय-गुणवय-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहो-
ववासाइं सम्मं पटुवित्ताइं भवति ।

से णं सामाइय देसावगासियं सम्मं अणुपालित्ता भवइ ।

से ण चउट्ठसि-अट्ठमि-उट्ठि-पुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहो-
ववासं नो सम्मं अणुपालित्ता भवइ ।

से त तच्चा उवासग-पडिमा ।

अहावरा चउत्था उवासग-पडिमा—

सव्व-धम्म-रुई यावि भवइ ।

तस्स णं बहूइं सीलवय-गुणवय-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहो-
ववासाइं सम्मं पटुवित्ताइं भवति ।

(११) श्रमणभूत प्रतिमा ।

हे आयुष्मन् श्रमणो ! उपासक ग्यारह प्रतिमाओ से संपन्न होता है ।

प्रथम उपासक प्रतिमा—

वह प्रतिमाधारी श्रावक सर्वधर्मरुचिवाला होता है, अर्थात् श्रुतधर्म और चारित्र धर्म में श्रद्धा रखता है ।

किन्तु वह अनेक शीलव्रत, गुणव्रत, प्राणातिपातविरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास आदि का सम्यक् प्रकार से धारण नहीं होता ।

यह प्रथम उपासक प्रतिमा है ।

अब दूसरी उपासक प्रतिमा का वर्णन करते हैं—

वह प्रतिमाधारी श्रावक सर्वधर्मरुचिवाला होता है—

उसके बहुत से शीलव्रत, गुणव्रत, प्राणातिपातादि-विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास आदि सम्यक् प्रकार से धारण किये हुए होते हैं ।

किन्तु वह सामायिक और देशावकाशिकव्रत का सम्यक् प्रतिपालक नहीं होता है ।

यह दूसरी उपासक प्रतिमा है ।

अब तीसरी उपासक प्रतिमा का निरूपण करते हैं—

यह प्रतिमाधारी श्रावक सर्वधर्मरुचिवाला होता है—

उसके बहुत से शीलव्रत, गुणव्रत, प्राणातिपातादि विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास आदि सम्यक् प्रकार से धारण किये हुए होते हैं ।

वह सामायिक और देशावकाशिक शिक्षाव्रत का भी सम्यक् परिपालक होता है ।

किन्तु चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णमासी इन तिथियों में परिपूर्ण पौषधोपवास का सम्यक् परिपालक नहीं होता ।

यह तीसरी उपासक प्रतिमा है ।

अब चौथी उपासक प्रतिमा का निरूपण करते हैं—

वह प्रतिमाधारी श्रावक सर्वधर्मरुचिवाला होता है,

उसके बहुत से शीलव्रत, गुणव्रत, प्राणातिपातादि विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास आदि सम्यक् धारण किये हुए होते हैं ।

१ प्रतिमा धारण करने के पूर्व श्रावक माधारणतया अनेक व्रत-पच्चक्खाण करने वाला व वारहव्रत धारी श्रावक भी होता है, तथापि विशिष्ट प्रतिमा रूप में धारण किया हुआ नहीं होता है इस अपेक्षा से यहाँ पूर्व प्रतिमाओ में अगली प्रतिमा के विषय भूत व्रत-नियम का निषेध किया है ।

से ण सामाह्य देसावगासिय सम्मं अणुपालित्ता भवइ ।

से णं चउदसद्वमुद्धिद्व-पुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहोववास सम्म अणुपालित्ता भवइ ।

से णं एगराइयं काउस्सग-पडिमं नो सम्म अणुपालित्ता भवइ ।

से तं चउत्या उवासग-पडिमा ।

अहावरा पचमा उवामग-पडिमा—

सव्व-धम्म रई यावि भवइ ।

तस्स ण बहूइं सोलवय-गुणवय-वेरमण-पञ्चकखाणं-पोसहोव-वासाइ सम्म पट्टवियाइं भवति ।

से णं सामाह्य देसावगासियं सम्म अणुपालित्ता भवइ ।

से ण चउदसि-अट्टमि-उद्धिद्व-पुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहो-ववासं सम्मं अणुपालित्ता भवइ ।

से णं एगराइय काउस्सग-पडिम सम्म अणुपालित्ता भवइ ।

से णं असिणाणए, वियडभोई, मउलिकडे, दिया य राओ य वमचरं, णो सम्मं अणुपालित्ता भवइ ।

से णं एयास्वेणं विहारेणं विहरमाणे जहण्णेण एगाहं वा, दुयाह वा, तियाह वा, -जाव-उक्कोसेण पच मास विहरेइ ।^१

से त पंचमा उवासग-पडिमा ।

अहावरा छट्ठा उवामग-पडिमा—

सव्व-धम्म रई यावि भवइ-जाव-से ण एगराइयं काउस्सग पडिम सम्म अणुपालित्ता भवइ ।

से ण असिणाणए, वियडभोई, मउलिकडे, दिया य राओ य वभयारी,

सचित्ताहारे से अपरिण्णाए भवइ ।

से णं एयास्वेण विहारेणं विहरमाणे जहण्णेण एगाह वा दुआह वा, तियाहं वा-जाव-उक्कोसेण छम्मासे विहरेज्जा ।

वह सामायिक और देशावकाशिक शिक्षाव्रत को भी सम्यक् प्रकार से पालन करता है ।

वह चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णमासी तिथियो मे परिपूर्ण पौषधोपवास का सम्यक् परिपालन करता है ।

किन्तु एक रात्रिक कायोत्सर्ग प्रतिमा का सम्यक् परिपालन नही करता है ।

यह चौथी उपासक प्रतिमा है ।

अब पाँचवीं उपासक प्रतिमा का वर्णन करते हैं—

वह प्रतिमाधारी श्रावक सर्वधर्मरुचिवाला होता है ।

उसके बहुत से शीलव्रत, गुणव्रत, प्राणातिपातादि विरमण, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास आदि सम्यक् धारण किये हुए होते हैं ।

वह सामायिक और देशावकाशिक व्रत का सम्यक् प्रकार से परिपालन करता है ।

वह चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णमासी तिथियो मे परिपूर्ण पौषधोपवास का सम्यक् परिपालन करता है ।

वह एक रात्रिक कायोत्सर्ग प्रतिमा का सम्यक् परिपालन करता है ।

किन्तु अस्नान, दिवस भोजन, मुकुलीकरण, दिवस एव रात्रि मे ब्रह्मचर्य पालन इनका सम्यक् परिपालन नही करता है ।

वह इस प्रकार के आचरण से विचरता हुआ जघन्य एक दिन, दो दिन या तीन दिन से लगाकर उत्कृष्ट पाँच मास तक इस प्रतिमा का पालन करता है ।

यह पाँचवी उपासक प्रतिमा है ।

अब छठी उपासक प्रतिमा का निरूपण करते हैं—

वह प्रतिमाधारी श्रावक सर्वधर्मरुचिवाला होता है—यावत्— वह एक रात्रिक कायोत्सर्ग प्रतिमा का सम्यक् प्रकार से पालन करता है ।

वह स्नान नही करता, दिन मे भोजन करता है, धोती की लाग नही लगाता, दिन मे और रात्रि मे पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है ।

किन्तु वह सचित्त आहार का परित्यागी नही होता है ।

इस प्रकार का आचरण करते हुए विचरता हुआ वह जघन्य एक दिन, दो दिन या तीन दिन से लगाकर उत्कृष्ट छह मास तक इस प्रतिमा का पालन करता है ।

१ प्रारम्भ की चार प्रतिमाओ का काल मान नही भहा गया है, तथापि उपासकदशा की टीका मे इनका काल बताया है वह इस प्रकार है—

पहली प्रतिमा का उत्कृष्ट एक मास, दूसरी का उत्कृष्ट दो मास, तीसरी का उत्कृष्ट तीन मास, और चौथी का उत्कृष्ट चार मास ।

से त छट्ठा उवासग-पडिमा ।

अहावरा सत्तमा उवासग-पडिमा—

सव्व-धम्म-रुई यावि भवति-जाव-दिया य राओ य बंभयारी ।

सच्चित्ताहारे से परिण्णाए भवति ।

आरम्भे से अपरिण्णाए भवति ।

से णं एयास्वेणं विहारेणं विहरमाणे जहण्णेणं एगाहं वा दुआहं वा तिआहं वा-जाव-उक्कोसेणं सत्तमासे विहरेज्जा ।

से त सत्तमा उवासग-पडिमा ।

अहावरा अट्टमा उवासग-पडिमा—

सव्व-धम्म-रुई यावि भवति-जाव-दिया य राओ य बंभयारी,

सच्चित्ताहारे से परिण्णाए भवइ ।

आरम्भे से परिण्णाए भवइ ।

पेसारम्भे से अपरिण्णाए भवइ ।

से ण एयास्वेणं विहारेणं विहरमाणे जहण्णेणं एगाह वा दुआहं वा तिआह वा-जाव-उक्कोसेणं अट्टमासे विहरेज्जा ।

से तं अट्टमा उवासग-पडिमा ।

अहावरा नवमा उवासग-पडिमा—

सव्व-धम्म-रुई यावि भवइ-जाव-दिया य राओ य बंभयारी ।

सच्चित्ताहारे से परिण्णाए भवइ ।

आरम्भे से परिण्णाए भवइ ।

पेसारम्भे से परिण्णाए भवइ ।

उद्दिट्ठ-भत्ते से अपरिण्णाए भवइ ।

से णं एयास्वेणं विहारेणं विहरमाणे जहण्णेणं एगाह वा दुआहं वा तिआहं वा-जाव-उक्कोसेणं नव मासे विहरेज्जा ।

से तं नवमा उवासग-पडिमा ।

अहवरा दसमा उवासग-पडिमा—

सव्व-धम्म-रुई यावि भवइ-जाव-उद्दिट्ठ-भत्ते से परिण्णाए भवइ ।

से णं सुरमुंडए वा, सिहा-धारए वा, तस्स णं आमद्वस्स वा समाभद्वस्स वा कप्पंति दुवे मासाओ भात्तिअए ।

तं जहा—

यह छठी उपासक प्रतिमा है ।

अब सातवीं उपासक प्रतिमा का निरूपण करते हैं—

वह प्रतिमाधारी श्रावक सर्वधर्मरुचि वाला होता है—यावत्—वह दिन मे और रात्रि मे पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है ।

वह सच्चित्ताहार का परित्यागी होता है,

किन्तु वह आरम्भ करने का परित्यागी नहीं होता है ।

इस प्रकार के विहार से विचरता हुआ, वह जघन्य एक दिन, दो दिन या तीन दिन से लगाकर उत्कृष्ट सात मास तक इस प्रतिमा का पालन करता है ।

यह सातवी उपासक प्रतिमा है ।

अब आठवीं उपासक प्रतिमा का निरूपण करते हैं—

वह प्रतिमाधारी श्रावक सर्वधर्मरुचिवाला होता है—यावत्—वह दिन मे और रात मे पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है ।

वह सच्चित्ताहार का परित्यागी होता है,

वह सर्व आरम्भो का परित्यागी होता है ।

किन्तु वह दूसरो से आरम्भ कराने का परित्यागी नहीं होता है ।

इस प्रकार के विहार से विचरता हुआ वह जघन्य एक दिन, दो दिन या तीन दिन से लगाकर उत्कृष्ट आठ मास तक इस प्रतिमा का पालन करता है ।

यह आठवी उपासक प्रतिमा है ।

अब नवमी उपासक प्रतिमा का निरूपण करते हैं—

वह प्रतिमाधारी श्रावक सर्वधर्मरुचिवाला होता है—यावत्—वह दिन मे और रात्रि मे पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है ।

वह सच्चित्ताहार का परित्यागी होता है ।

वह आरम्भ का परित्यागी होता है ।

वह दूसरो के द्वारा आरम्भ कराने का भी परित्यागी होता है ।

किन्तु वह उद्दिष्ट भक्त का परित्यागी नहीं होता है ।

इस प्रकार के विहार से विचरता हुआ वह जघन्य एक दिन, दो दिन या तीन दिन से लगाकर उत्कृष्ट नौ मास तक इस प्रतिमा का पालन करता है ।

यह नवमी उपासक प्रतिमा है ।

अब दसवीं उपासक प्रतिमा का निरूपण करते हैं—

वह प्रतिमाधारी श्रावक सर्वधर्मरुचिवाला होता है—यावत्—वह उद्दिष्ट भक्त का परित्यागी होता है ।

वह शिर के बालो का क्षुर मुंडन करा देता है अथवा शिखा (बालो) को धारण करता है, किसी के द्वारा एक बार या अनेक बार पूछे जाने पर उसे दो भाषाएँ बोलना कल्पता है। यथा—

(१) जाणं वा जाणं,

(२) अजाणं वा णो जाण ।

से णं एयास्वेणं विहारेणं विहरमाणे जहण्णेणं एगाहं वा
दुआहं वा, तिआह वा-जाव-उक्कोसेण दस मासे विहरेज्जा ।

से तं दसमा उवासग-पडिमा ।

अहावरा एकादसमा उवासग-पडिमा—

सव्व-धम्म-रुई याचि भवइ-जाव-उद्धिद्व-भत्ते से परिण्णाए
भवइ ।

से ण खुरमुंडए वा, लुचसिरए वा, गहियायार-भंडग-नेवत्ते
जारिसे,

समणाणं निगंथाणं धम्मे पण्णत्ते तं सम्म फाएणं फासेमाणे,
पालेमाणे, पुरओ जुगमायाए पेहमाणे, वट्ठूण तसे पाणे
उद्धट्टु पाए रीएज्जा, साहट्टु पाए रीएज्जा, तिरिच्छं
वा पाय कट्टु रीएज्जा, सति परक्कमे संजयामेव परिक्क-
मेज्जा, नो उज्जुय गच्छेज्जा ।

केवल से नायए पेज्जवंधणे अवोच्छिन्ने भवइ, एव से
कप्पति नाय विहि एत्तए ।^१

तस्स ण गाहावइ-कुल पिडवाय-पडियाए अणुप्पविट्ठस्स
कप्पति एव वदित्तए—

“समणोवासगस्स पडिमापडिवन्नस्स भिक्ख दत्तयह”

त च एयास्वेण विहारेण विहरमाण केइ पासित्ता वदिज्जा—

प०—केइ आउसो ! तुमं वत्तव्व सिया ?

उ०—“समणोवासए पडिमा-पडिवण्णए अहमसो” ति
वत्तव्व सिया ।

से ण एयास्वेण विहारेण विहरमाणे जहण्णेण एगाहं वा
दुआह वा तिआह वा-जाव-उक्कोसेण एककारसमासे
विहरेज्जा ।

से तं एकादसमा उवासग पडिमा ।

एयाओ एलु ताओ भेरेहि भगवत्तेहि एकशरस उवासग-
पडिमाओ पण्णत्ताओ । दमा द ६, मु १७-३०

(१) यदि जानता हो तो कहे—“मैं जानता हूँ ।”

(२) यदि नहीं जानता हो तो कहे—“मैं नहीं जानता हूँ ।”
इस प्रकार के विहार से विचरता हुआ वह जघन्य एक दिन,
दो दिन या तीन दिन से लगाकर उत्कृष्ट दश मास तक इस
प्रतिमा का पालन करता है ।

यह दशवी उपासक प्रतिमा है ।

अब ग्यारहवीं उपासक प्रतिमा का निरूपण करते हैं—

वह प्रतिमाधारी श्रावक सर्वधर्मरुचिवाला होता है—यावत्-
वह उद्दिष्ट भक्त का परित्यागी होता है ।

वह क्षुरा के स्त्रि का मुंडा कराता है अथवा केशो का
लुचन करता है, वह साधु का आचार, भण्डोपकरण और वेप-
भूषा ग्रहण करता है,

जो श्रमण निग्रन्थो का धर्म होता है, उसका सम्यक्तया
काया से स्पर्श करता हुआ, पालन करता हुआ, चलते समय
आगे चार हाथ भूमि को देखता हुआ, प्रस प्राणियों को देखकर
उनकी रक्षा के लिए अपने पैर उठाता हुआ, पैर सकुचित करता
हुआ, अथवा तिरछे पैर रखकर सावधानी से चलता है । यदि
दूसरा जीव रहित मार्ग हो तो उसी मार्ग पर यतना के साथ
चलता है किन्तु जीव सहित सीधे मार्ग से नहीं चलता ।

केवल ज्ञाति-वर्ग से उसके प्रेम-बन्धन का विच्छेद नहीं
होता है इसलिए उसे ज्ञातिजनों के घरों में भिक्षा वृत्ति के लिए
जाना कल्पता है ।

जब वह गृहस्थ के घर में भक्त पान की प्रतिज्ञा से प्रविष्ट
होवे तब उसे इस प्रकार बोलना कल्पता है—

“प्रतिमाधारी श्रमणोपासक को भिक्षा दो ।”

इस प्रकार की चर्या से उसे विचरते हुए देखकर यदि कोई
पूछे—

प्र०—हे आयुष्मन् ! तुम कौन हो ? तुम्हें क्या कहा जाए ?

उ०—“मैं प्रतिमाधारी श्रमणोपासक हूँ” इस प्रकार उसे
कहना चाहिए ।

इस प्रकार के विहार से विचरता हुआ वह जघन्य एक दिन,
दो दिन या तीन दिन से लगाकर उत्कृष्ट ग्यारह मास तक
विचरण करे ।

यह ग्यारहवीं उपासक प्रतिमा है ।

न्यविर भगवन्तो ने ये ग्यारह उपामक प्रतिमाएँ कही हैं ।

समणोवासगणं तिविहा भावणा—

२६४. तिहिं ठाणेहिं समणोवासए महाणिज्जरे महापज्जवसाणे भवति, त जहा—

(१) कया ण अहं अप्प वा बहुयं वा परिग्गह परिचइ-स्सामि ?

(२) कया ण अहं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्व-इस्सामि ?

(३) कया ण अहं अपच्छिम-मारणतिय-सलेहणा झूसणा-झूसिते भत्त पाण-पडियाइक्खिते पाओवगते कालं अणवकख-माणे विहरिस्सामि ?

एव समणसा सवयसा सकायसा पागडेमाणे समणोवासए महाणिज्जरे महापज्जवसाणे भवति ।

—ठाण. अ ३, उ. ४, सु. २१०

श्रमणोपासकों की तीन भावनाएँ—

२६४. तीन कारणों से श्रमणोपासक कर्मों का क्षय और ससार का अन्त करने वाला होता है । यथा—

(१) कब मैं अल्प या बहुत परिग्रह का परित्याग करूँगा ?

(२) कब मैं मुंडित होकर गृहस्थ से साधुपने में प्रव्रजित होऊँगा ?

(३) कब मैं अपश्चिम मारणान्तिक सलेखना की आराधना से युक्त होकर भक्त-पान का परित्याग कर पादोपगमन सथारा स्वीकार कर मृत्यु की आकांक्षा नहीं करता हुआ विचरूँगा ?

इस प्रकार मन, वचन और काया से युक्त होकर प्रगट रूप से भावना करता हुआ श्रमणोपासक महानिर्जरा और महापर्यवसान वाला होता है ।



श्रावक के प्रत्याख्यान—४

पच्चक्खाण-पालन-रहस्सं—

२६५. प०—समणोवासगस्स ण भते ! पुव्वामेव तसपाणसमारंभे पच्चक्खाते भवति, पुढविसमारंभे अपच्चक्खाते भवति, से य पुढविं खणमाणे अन्नयर तस-पाणं विहिं-सेज्जा, से ण भते ! त वयं अतिचरति ?

उ०—णो इणट्ठे समट्ठे, नो खलु से तस्स अतिवायाए आजट्ठति ।

प०—समणोवासगस्स णं भंते ! पुव्वामेव वणस्सतिसमारंभे पच्चक्खाते भवति, पुढवि-समारंभे अपच्चक्खाते भवति, से य पुढविं खणमाणे अन्नयरस्स रुक्खस्स मूल छिदेज्जा, से णं भते ! त वयं अतिचरति ?

उ०—णो इणट्ठे समट्ठे, नो खलु से तस्स अतिवायाए आजट्ठति । —वि स. ७, उ. १, सु. ७-८

पच्चक्खाण सरूवं तस्स करणजोगाण य भंगा—

२६६ प०—समणोवासगरस्स ण भते ! पुव्वामेव धूलए पाणाइ-वाए अपच्चक्खाए भवइ, से णं भते ! पच्छा पच्चा-इक्खमाणे किं करेति ?

प्रत्याख्यान पालन का रहस्य—

२६५. प्र०—हे भगवन् ! जिस श्रमणोपासक ने पहले से ही त्रस-प्राणियों के समारम्भ का प्रत्याख्यान कर लिया हो किन्तु पृथ्वीकाय के समारम्भ का प्रत्याख्यान नहीं किया हो, उस श्रमणोपासक से पृथ्वी खोदते हुए किसी त्रमजीव की हिंसा हो जाए तो हे भगवन् ! क्या उसके व्रत का उल्लंघन होता है ?

उ०—गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, क्योंकि वह त्रस जीव के वध के लिए प्रवृत्त नहीं होता ।

प्र०—हे भगवन् ! जिस श्रमणोपासक ने पहले से ही वनस्पति के समारम्भ का प्रत्याख्यान कर लिया हो किन्तु पृथ्वी के समारम्भ का प्रत्याख्यान न किया हो, उस श्रमणोपासक से पृथ्वी खोदते हुए किसी वृक्ष का मूल छिन्न हो जाए तो हे भगवन् ! क्या उसका व्रत भंग होता है ?

उ०—गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है, क्योंकि वह श्रमणोपासक उसके वध के लिए प्रवृत्त नहीं होता ।

प्रत्याख्यान का स्वरूप व उसके करण योगों के भंग—

२६६ प्र०—हे भगवन् ! जिस श्रमणोपासक ने पूर्व में म्यूल प्राणातिपात का प्रत्याख्यान नहीं किया है तो हे भगवन् ! वह बाद में प्रत्याख्यान करता हुआ क्या करता है ?

उ०—गोपमा । तीत पडिक्कमति, पडुप्पन्न सवरेति,
अणागत पच्चक्खाति ।

प०—तीत पडिक्कममाणे किं—

- १ तिविहं तिविहेणं पडिक्कमति,
- २ तिविहं दुविहेणं पडिक्कमति,
- ३ तिविह एगविहेणं पडिक्कमति,
- ४ बुविहं तिविहेण पडिक्कमति,
५. बुविहं दुविहेणं पडिक्कमति,
- ६ दुविहं एगविहेण पडिक्कमति,
- ७ एकविहं तिविहेणं पडिक्कमति,
८. एकविहं दुविहेण पडिक्कमति,
- ९ एकविहं एगविहेण पडिक्कमति ?

उ०—गोपमा । तिविहं वा तिविहेणं पडिक्कमति-जाव-
एकविहं वा एकविहेण पडिक्कमति ।

(१) तिविहं वा तिविहेण पडिक्कममाणे—

न करेति, न कारवेति, करेत्तं णाणुजाणति, मणसा वयसा
कायसा,

(२) तिविहं दुविहेण पडिक्कमाणे,

१. न करेति, न कारवेति, करेत्तं णाणुजाणति, मणसा
वयसा,

२. अहया न करेति, न कारवेति, करेत्तं णाणुजाणति,
मणसा, कायसा,

३ अहया न करेद्द, न कारवेद्द, करेत्तं णाणुजाणति, वयसा,
कायसा ।

(३) तिविहं एगविहेण पडिक्कमाणे,

१ न करेति, न कारवेति, करेत्तं णाणुजाणति मणसा,

२. अहया न करेद्द, न कारवेति, करेत्तं णाणुजाणति, वयसा,

३. अहया न करेति, न कारवेति, करेत्तं णाणुजाणति,
कायसा ।

(४) बुविहं तिविहेण पडिक्कमाणे,

१. न करेद्द, न कारवेति, मणसा, वयसा, कायसा,

उ०—गौतम । अतीत काल मे किये हुए प्राणातिपात का
प्रतिक्रमण करता है, वर्तमानकालीन प्राणातिपात का सवर करता
है एव भविष्यत्कालीन प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता है ।

प्र०—अतीतकालीन प्राणातिपात का प्रतिक्रमण करता हुआ
क्या—

- (१) तीन करण, तीन योग से,
- (२) तीन करण, दो योग से,
- (३) तीन करण, एक योग से,
- (४) दो करण, तीन योग से,
- (५) दो करण, दो योग से,
- (६) दो करण, एक योग से,
- (७) एक करण, तीन योग से,
- (८) एक करण, दो योग से,
- (९) एक करण, एक योग से, प्रतिक्रमण करता है ?

उ०—गौतम । वह तीन करण तीन योग से प्रतिक्रमण
करता है—यावत्—एक करण एक योग से प्रतिक्रमण करता है ।

१. जब वह तीन करण तीन योग से प्रतिक्रमण करता है,
तब—

स्वयं करता नहीं, दूसरे से करवाता नहीं और करते हुए
का अनुमोदन करता नहीं मन से, वचन से और काया से । (१)

२ जब वह तीन करण दो योग से प्रतिक्रमण करता है,
तब—

(१) स्वयं करता नहीं, दूसरे से करवाता नहीं और करते
हुए का अनुमोदन करता नहीं, मन से और वचन से,

(२) अथवा वह स्वयं करता नहीं, दूसरे से करवाता नहीं
और करते हुए का अनुमोदन करता नहीं मन से और काया से ।

(३) अथवा वह स्वयं करता नहीं, दूसरे से करवाता नहीं
और करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, वचन से और काया
से । (२-४)

३ जब तीन करण एक योग से प्रतिक्रमण करता है, तब—

(१) स्वयं करता नहीं, दूसरे से करवाता नहीं और करते
हुए का अनुमोदन करता नहीं मन से,

(२) अथवा स्वयं करता नहीं, दूसरे से करवाता नहीं और
करते हुए का अनुमोदन करता नहीं वचन से,

(३) अथवा स्वयं करता नहीं, दूसरे से करवाता नहीं और
करते हुए का अनुमोदन करता नहीं काया से । (५-७)

४. जब दो करण तीन योग से प्रतिक्रमण करता है, तब—

(१) स्वयं करता नहीं, दूसरे से करवाता नहीं, मन, वचन,
और काया से,

२. अहवा न करेति, करेतं नाणुजाणइ, मणसा, वयसा, कायसा,
 ३. अहवा न कारवेइ, करेतं नाणुजाणइ, मणसा, वयसा, कायसा ।
 (५) दुविह दुविहेणं पडिक्कममाणे,
 १ न करेति, न कारवेति, मणसा, वयसा,
 २ अहवा न करेति, न कारवेति, मणसा कायसा,
 ३. अहवा न करेति, न कारवेति, वयसा कायसा,
 ४. अहवा न करेति, करेतं नाणुजाणइ, मणसा वयसा,
 ५. अहवा न करेति, करेतं नाणुजाणइ, मणसा कायसा,
 ६. अहवा न करेति, करेतं नाणुजाणइ, वयसा कायसा,
 ७. अहवा न कारवेति, करेतं नाणुजाणति, मणसा वयसा,
 ८. अहवा न कारवेइ, करेतं नाणुजाणइ, मणसा कायसा,
 ९. अहवा न कारवेति, करेतं नाणुजाणइ, वयसा कायसा ।
 (६) दुविह एक्कविहेण पडिक्कममाणे,
 १. न करेति, न कारवेति, मणसा,
 २. अहवा न करेति, न कारवेति वयसा,
 ३. अहवा न करेति, न कारवेति कायसा,
 ४ अहवा न करेति, करेतं नाणुजाणइ मणसा,
 ५. अहवा न करेइ, करेतं नाणुजाणइ वयसा,
 ६. अहवा न करेइ, करेतं नाणुजाणइ कायसा,
 ७ अहवा न कारवेइ, करेतं नाणुजाणइ मणसा,
 ८. अहवा न कारवेइ, करेतं नाणुजाणइ वयसा,

- (२) अथवा स्वयं करता नहीं, करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, मन, वचन और काया से,
 (३) अथवा दूसरों से करवाता नहीं, करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, मन, वचन और काया से । (८-१०)
 ५. जब दो करण दो योग से प्रतिक्रमण करता है, तब—
 (१) स्वयं करता नहीं, दूसरो से करवाता नहीं, मन और वचन से,
 (२) अथवा स्वयं करता नहीं, दूसरो से करवाता नहीं, मन और काया से,
 (३) अथवा स्वयं करता नहीं, दूसरो से करवाता नहीं, वचन और काया से ।
 (४) अथवा स्वयं करता नहीं, करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, मन और वचन से ।
 (५) अथवा स्वयं करता नहीं, करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, मन और काया से ।
 (६) अथवा स्वयं करता नहीं, करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, वचन और काया से ।
 (७) अथवा दूसरो से करवाता नहीं, करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, मन और वचन से ।
 (८) अथवा दूसरो से करवाता नहीं, करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, मन और काया से ।
 (९) अथवा दूसरो से करवाता नहीं, करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, वचन और काया से । (११-१६)
 ६. जब दो करण एक योग से प्रतिक्रमण करता है, तब—
 (१) स्वयं करता नहीं, दूसरो से करवाता नहीं, मन से ।
 (२) अथवा स्वयं करता नहीं, दूसरो से करवाता नहीं, वचन से ।
 (३) अथवा स्वयं करता नहीं, दूसरों से करवाता नहीं, काया से ।
 (४) अथवा स्वयं करता नहीं, करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, मन से ।
 (५) अथवा स्वयं करता नहीं, करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, वचन से ।
 (६) अथवा स्वयं करता नहीं, करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, काया से ।
 (७) अथवा दूसरो से करवाता नहीं, करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, मन से ।
 (८) अथवा दूसरो से करवाता नहीं, करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, वचन से ।

६. अहवा न कारवेइ, करैतं नाणुजाणइ कायसा ।

(७) एगविह ति विहेण पडिक्कममाणे,

१ न करैति मणसा वयसा कायसा,

२ अहवा न कारवेइ मणसा वयसा कायसा,

३ अहवा करैत नाणुजाणति मणसा वयसा कायसा ।

(८) एक्कविह दुविहेण पडिक्कममाणे—

१ न करैति मणसा वयसा,

२. अहवा न करैति मणसा कायसा,

३ अहवा न करेइ वयसा कायसा,

४ अहवा न कारवेति मणसा वयसा,

५ अहवा न कारवेति मणसा कायसा,

६ अहवा न कारवेइ वयसा कायसा,

७. अहवा करैत नाणुजाणइ मणसा वयसा,

८. अहवा करैतं नाणुजाणइ मणसा कायसा,

९. अहवा करैत नाणुजाणइ वयसा कायसा ।

(९) एक्कविह एगविहेणं पडिक्कममाणे—

१ न करैति, मणसा,

२ अहवा न करैति वयसा,

३ अहवा न करैति कायसा,

४ अहवा न कारवेति मणसा,

५ अहवा न कारवेति वयसा,

६. अहवा न कारवेति कायसा,

७ अहवा करैत नाणुजाणइ मणसा,

८ अहवा करैत नाणुजाणइ वयसा,

९ अहवा करैत नाणुजाणइ कायसा ।

प०—पट्टुप्पन्न सवरमाणे किं ति विह सवरेइ-जाव-एगविह
एगविहेणं सवरेइ ?

उ०—एव जहा पडिक्कममाणेणं एगुणपण्णं भगा, भणिया
एवं नवरमाणेण वि एगुणपण्ण भगा भाणियच्चा ।

प०—अणागय पच्चसप्तमाणे किं ति विह ति विहेणं पच्चसप्ताइ
-जाव एगविहं एगविहेणं पच्चसप्ताइ ?

(९) अथवा दूसरो से करवाता नहीं, करते हुए का अनु-
मोदन करता नहीं, काया से । (२०-२८)

७. जब एक करण तीन योग से प्रतिक्रमण करता है, तब—

(१) स्वय करता नहीं, मन, वचन और काया से ।

(२) अथवा दूसरो से करवाता नहीं, मन, वचन और
काया से ।

(३) अथवा करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, मन,
वचन और काया से । (२९-३१)

८. जब एक करण दो योग से प्रतिक्रमण करता है, तब—

(१) स्वय करता नहीं, मन और वचन से,

(२) अथवा स्वय करता नहीं, मन और काया से,

(३) अथवा स्वय करता नहीं, वचन और काया से,

(४) अथवा दूसरो से करवाता नहीं, मन और वचन से,

(५) अथवा दूसरो से करवाता नहीं, मन और काया से,

(६) अथवा दूसरो से करवाता नहीं, वचन और काया से,

(७) अथवा करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, मन और
वचन से,

(८) अथवा करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, मन और
काया से,

(९) अथवा करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, मन और
काया से । (३२-४०)

९. जब एक करण एक योग से प्रतिक्रमण करता है, तब—

(१) स्वय करता नहीं, मन से,

(२) अथवा स्वय करता नहीं, वचन से,

(३) अथवा स्वय करना नहीं काया से,

(४) अथवा दूसरो से करवाता नहीं, मन से,

(५) अथवा दूसरो से करवाता नहीं, वचन से,

(६) अथवा दूसरो से करवाता नहीं, काया से,

(७) अथवा करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, मन से,

(८) अथवा करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, वचन से,

(९) अथवा करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, काया
से । (४१-४६)

प्र०—हे भगवन् ! वर्तमानकालीन सवर करता हुआ,
श्रावक क्या तीन करण तीन योग से सवर करता है—यावत्—
एक करण एक योग में सवर करता है ?

उ०—जिस प्रकार प्रतिक्रमण सम्बन्धी ४६ भग कहते उसी
प्रकार संवर सम्बन्धी ४६ भग कहने चाहिये ।

प्र०—हे भगवन् ! भविष्यत काल का प्रत्यास्थान करता
हुआ श्रावक क्या तीन करण तीन योग में प्रत्यास्थान करता है
—यावत्—एक करण एक योग में प्रत्यास्थान करता है ?

उ०—एव ते चेव एगूणपण्ण भंगा भाणियव्वा ।

प०—समणोवासगस्स णं भते । पुच्चाभेव थूलमुसावादे अपच्चक्खाए भवइ, से ण भंते ! पच्छा पच्चाइक्ख-माणे किं करेति ?

उ०—एवं जहा पाणाइवायस्म सीयालं भगसतं भणित, तहा मुसावायस्स वि भाणियव्व ।

एव अदिण्णादाणस्स वि । एव थूलगस्स मेहुणस्स वि, एव थूलगस्स परिग्गहस्स वि सीयालं भंगसत भाणियव्व । —वि. स. ८, उ. ५, सु. ६-८

उ०—यहाँ वे ही ४६ भंग कहने चाहिए ।

प्र०—हे भगवन् ! जिस श्रमणोपासक ने पूर्व में स्थूल मृपावाद का प्रत्याख्यान नहीं किया है, किन्तु वह वाद में प्रत्याख्यान करता हुआ क्या करता है ?

उ०—जिस प्रकार प्राणातिपात के विषय में एक सौ सैंतालीस भंग कहे गए हैं, उसी प्रकार मृषावाद के सम्बन्ध में भी एक सौ सैंतालीस भंग कहने चाहिए ।

इसी प्रकार स्थूल अदत्तादान के विषय में, इसी प्रकार स्थूल मय्युत के विषय में, इसी प्रकार स्थूल परिग्रह के विषय में भी एक सौ सैंतालीस—एक सौ सैंतालीस त्रिकालिक भंग कहने चाहिए ।



गृहस्थ धर्म का फल—५

निस्सील सस्सील समणोवासगस्स पसत्या-अपसत्या—

२६७. तओ ठाणा णिसीलस्स णिव्वयस्स णिग्गुणस्स णिम्मरेस्स णिप्पच्चक्खाण-पोसहोववासस्स गरहिता भवति, तं जहा—
१. अस्सि लोगे गरहिते भवइ,
२. उववाते गरहिते भवइ,
३. आयाती गरहिता भवइ ।

तओ ठाणा सुसीलस्स सुक्खयस्स सगुणस्स समेरस्स सपच्च-क्खाण पोसहोववासस्स पसत्या भवति, तं जहा—
१. अस्सि लोगे पसत्ये भवइ,
२. उववाए पसत्ये भवइ,
३. आजाती पसत्या भवइ । ठाण. अ. ३, उ. २, सु. १६६

सुव्वई गिहत्य तस्स देवगई य—

२६८. अगारि-सामाइयगाइं, सड्ढी काएण फासए ।
पोसहं दुहओ पव्व, एगगय न हावए ॥

एवं सिक्खा-समावन्ने, गिह-वासे वि सुव्वए ।
मुच्चइ छवि-पच्चाओ गच्छे जक्ख-सत्तोगय ॥

—उत्त. अ. ५, गा. २३-२४

शीलरहित और शीलसहित श्रमणोपासक के प्रशस्त-अप्रशस्त—

२६७. शील, व्रत, गुण, मर्यादा, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास से रहित पुरुष के तीन स्थान गर्हित होते हैं—
(१) इहलोक (वर्तमान) गर्हित होता है,
(२) उपपात (देवलोक तथा नर्क का जन्म) गर्हित होता है,
(३) आगामी जन्म (देवलोक या नरक के बाद होने वाला मनुष्य या तिर्यंच का जन्म) गर्हित होता है ।

शील, व्रत, गुण, मर्यादा, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास से युक्त पुरुष के तीन स्थान प्रशस्त होते हैं—

(१) इहलोक प्रशस्त होता है,
(२) उपपात प्रशस्त होता है,
(३) आगामी जन्म (देवलोक या नरक के बाद होने वाला मनुष्य जन्म) प्रशस्त होता है ।

सुव्रती गृहस्थ व उसकी देवगति—

२६८. श्रद्धानु श्रावक गृहस्थ धर्म की सामायिक के अंगों का मन वचन काया से पालन करे । दोनों पक्षों में यथासमय (अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या) को पौषध करे । यदि पूर्ण पौषध न कर सके तो रात्रि पौषध तो अवश्य करे ।

इस प्रकार व्रत पालन रूप शिक्षा से सम्पन्न सुव्रती श्रावक गृहवास में रहता हुआ भी औदारिक शरीर से मुक्त होकर देवलोक में जाता है ।

गार पि य आवसे नरे, अणुपुच्छं पाणेहि सजए ।

समया मच्चत्य सुच्चए, देयाण गच्छे सलोगय ॥

—मूय सु १, अ २, उ ३, गा. १३

असजयस्स गई —

२६६ प०—जीवे ण भते ! असजते अविरते अप्पडिहय-पच्च-
षयाय-प'वकम्मे इतो चुए पेच्चा देवे सिया ?

उ०—गोयमा ! अत्येगइए देवे सिया, अत्येगइए नो देवे
सिया ।

प०—से केणट्ठेण भते ! एद वुच्चइ अत्येगइए देवे सिया,
अत्येगइए नो देवे सिया ?

उ०—गोयमा ! जे इमे जीवा गामाऽऽगर-नगर-निगम-
रायहाणि खेड-कच्चड-मडंब-दोणमुह-पट्टणाऽऽसम-सन्नि-
वेसेसु अकामतण्हाए अकामल्लुहाए अकामवभचेरवा-
सेण अकामसीतातव-दसमसग अण्हाणगसेय-जल्ल-
मल-पकपरिदाहेणं अप्पतरो वा भुज्जतरो वा काल
अप्पाण परिकिलेसति, अप्पाण परिकिलेसित्ता काल-
मासे काल फिच्चा अन्नतरेसु वाणमतरेसु देवतोगेसु
देवत्ताए उववत्तारो भवति ।

—वि. स १, उ. १, सु १२

आजीविय समणोवासगाण णामाई, कम्मादाणाइ, गई य—

३००. एए खलु एरिसगा समणोवासगा भवति, नो खलु एरि-
सगा आजीविओवासगा भवति ।

आजीवियसभयस्स ण अयमट्ठे पण्णत्ते-अक्खीणपडिभोइणो
सव्वे सत्ता, से हुता छेत्ता भेत्ता लुपित्ता विलुपित्ता उद्द-
यइत्ता आहारमाहारंति ।

तत्थ एतु इमे दुवासस आजीवियोवासगा भवति, त जहा—

१. ताले, २. तालपलत्रे, ३. उच्चिहे,
४. सविहे, ५. अवविहे, ६. उवए, ।
७. नामुदए, ८. णम्मुदए, ९. अणुवालए,
१०. सणयालए, ११. अयपुत्ते, १२. फायरए ।

इच्चंते दुवालस आजीविओवासग अरहतदेयतागा अम्मा
पिठमुत्सूमगा पचफल-पट्टिकरुता, त जहा—उयरेहि, वड्ढेहि,
ओरेहि, सतरेहि, पिलगुहि, पलट्ट-हमण फद-भूलयिवज्जगा,

गृहवास मे रहता हुआ जो मनुष्य क्रमश प्राणियो पर सयम
रखता है तथा सर्वत्र समता रखता है वह सुव्रती देवलोक मे
जाता है ।

असंयत की गति—

२६६ प्र०—हे भगवन् ! असंयत, अविरत तथा जिसने पाप
कर्मों को नहीं रोका एव त्याग नहीं किया है, वह जीव इम लोक
से मर कर क्या परलोक मे देव होता है ?

उ०—गौतम ! कोई जीव देव होता है और कोई जीव देव
नहीं होता ।

प्र०—हे भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा है कि कोई
जीव देव होता है और कोई जीव देव नहीं होता है ?

उ०—गौतम ! जो ये जीव—(१) ग्राम, (२) आकर,
(३) नगर, (४) निगम, (५) राजधानी, (६) खेट, (७) कवंट,
(८) मडम्ब, (९) द्रोणमुख (१०) पट्टण, (११) आश्रम,
(१२) सन्निवेश आदि स्थानों मे अकाम तृषा से, अकाम क्षुधा से,
अकाम ब्रह्मचर्य पालन से, अकाम शीत उष्ण तथा हास-मच्छरो
के काटने के दुख को सहने से, अकाम अस्नान, पसीना, जल
मैल तथा पक द्वारा होने वाले परिदाह से, थोड़े समय तक या
बहुत समय तक अपनी आत्मा को क्लेशित करते हैं, वे अपनी
आत्मा को क्लेशित करके मृत्यु के समय पर मर कर वाणव्यन्तर
देवों मे देवरूप से उत्पन्न होते हैं ।

आजीविक श्रमणोपासको के नाम, कर्मादान और गति—

३०० ये इस प्रकार के ४६ भगो से प्रत्याख्यान आदि करने
वाले श्रमणोपासक होते हैं, किन्तु आजीविकोपासक ऐसे नहीं
होते ।

आजीविक (गोशालक) के सिद्धान्त का यह अर्थ है कि
समस्त जीव सचित्ताहारी होते हैं । इसलिए वे प्राणियों को
हनन, छेदन-भेदन करके, पक्ष आदि को लुप्त कर, चमड़ी आदि
को उतार कर और जीवन से रहित करके खाते हैं ।

उस आजीविक मत मे ये प्रमुख वारह आजीविकोपासक हैं—
उमके नाम इस प्रकार हैं—

(१) ताल, (२) तालप्रलम्ब, (३) उदयिघ,
(४) मविघ, (५) अवयिघ, (६) उदय,
(७) नामोदय, (८) नमोदय, (९) अनुपालक,
(१०) शखपालक, (११) अयम्पुल, (१२) कातर ।

इन प्रकार वारह आजीविकोपासक हैं । इनका देव गोशालक
है । वे माता-पिता की सेवा करने वाले हैं । वे पाँच प्रकार के
फल नहीं खाते यथा—गुत्तर के फल, चट के फल, बोर, गहनूत

अग्निल्लंछिर्एह अणकभिन्नेहि गोणेहि, तस पाणविवज्जि-
एहि खित्तेहि वित्ति कप्पेमाणे विहरंति ।

एए वि ताव एवं इच्छति, किमग पुण जे इमे समणोवासगा
भवति,
जेसि नो कप्पंति इमाइं पण्णरस कम्मादाणाइ सयं करेत्तए
वा, कारवेत्तए वा, करेत्त वा अन्नं समणुजाणेत्तए, तं जहा—

- | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| १. इंगालकम्मे, | २. वणकम्मे, | ३. साडीकम्मे, |
| ४. भाडीकम्मे, | ५. फोडीकम्मे, | ६. दंतवाणिज्जे, |
| ७. लखवाणिज्जे, | ८. केसवाणिज्जे, | ९. रसवाणिज्जे, |
| १०. विसवाणिज्जे, | ११. जतपीलणकम्मे, | |
| १२. निल्लंछणकम्मे, | १३. दवग्गिदावणया, | |
| १४. सर-दह-तलायपरिसोसणया, | १५. असतीपोसणया । | |

इच्चेते समणोवासगा सुक्का सुक्काभिजातीया भवित्ता
कालमासे कालं किच्चा अन्नयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उव-
वत्तारो भवति । वि स ८, उ. ५, सु ६-१४

के फल, पीपल के फल, प्याज, लहसुन आदि कन्दमूल के त्यागी
होते हैं । तथा खस्सी न किये हुए और नाक नहीं नाथे हुए बैलो
से, त्रस प्राणी से रहित भूमि के द्वारा आजीविका करते हैं ।

जब इन आजीविकोपासको का भी यह अभीष्ट है, तो फिर
ये जो श्रमणोपासक हैं, उनका तो कहना ही क्या ?

जिनको कि ये पन्द्रह कर्मादान स्वयं करना, दूसरो से कराना
और करते हुए का अनुमोदन करना कल्पनीय नहीं है ।

वे कर्मादान इस प्रकार हैं—

- | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|
| (१) अंगार कर्म, | (२) वनकर्म, | (३) शाकटिक कर्म, |
| (४) भाटी कर्म, | (५) स्फोटक कर्म, | (६) दन्तवाणिज्य, |
| (७) लाक्षवाणिज्य, | (८) केशवाणिज्य, | (९) रसवाणिज्य, |
| (१०) विषवाणिज्य, | (११) यत्रपीडन कर्म, | |
| (१२) निर्लाछनकर्म, | (१३) दावाग्निदापनता, | |
| (१४) सर-द्रह तडाग-शोषणता, | (१५) असतीपोषणता । | |

ऐसे ये व्रतपालक श्रमणोपासक मत्सरभाव रहित पवित्र
धार्मिक जीवन से युक्त होकर मरण के समय मृत्यु प्राप्त करके
किन्ही देवलोको मे देवरूप से उत्पन्न होते हैं ।



आराधक-विराधक

आराधक विराधक का स्वरूप—१

आराहगसरूचं—

३०१. प०—से नूण भते । तमेव सच्चं णीसकं ज जिणेहि
पवेइय ?

उ०—हुंता गोयमा । तमेव सच्चं णीसकं जं जिणेहि
पवेदितं ।^२

आराधक का स्वरूप—

३०१. प्र०—भन्ते । क्या वही सत्य और असदिग्ध है जो
जिनेन्द्रो ने कहा है ?

उ०—हाँ गोतम । वही सत्य और असदिग्ध है जो जिनेन्द्रों
ने कहा है ।

१ (क) प्रतिमा धारण करने वाला आराधक कहलाता है ।

(ख) पाँच प्रकार का व्यवहार करने वाला आराधक है ।

(ग) विवेकपूर्वक सत्यादि चारो भाषाओ का वक्ता आराधक और अविवेकपूर्वक चारो भाषाओ का वक्ता विराधक होता है ।

(घ) पापश्रमण (दोपसेवी) विराधक होता है और जो श्रमण समाचारी का निर्दोष आचरण करता है वह आराधक होता है ।

(क) सूय. सु. १, अ २, गा. १२६

(ख) उक्त. अ. १७, गा. १२

(ङ) आलोचना न करने वाला माधक विराधक और आलोचना करने वाला माधक आराधक होता है ।—ठाण अ. ८, सु. ५६७

(च) उपशान्त न होने वाला माधक नयम की आराधना नहीं कर सकता है । जो उपशान्त होता है उसकी आराधना होती है ।

—कप्प. उ १, सु ३६

२ आ. सु. १, अ. ५, उ. ५, सु. १६८ ।

५०—से नृणं भते । एव मणं धारेमाणे, एव पकरेमाणे,
एव चिद्वेमाणे, एवं सवरेमाणे आणाए आराहए
भवति ?

उ०—हंता गोयमा ! एव मणं धारेमाणे-जाव-आराहए
भवद् । —वि म १, उ ३, सु ६

विराहग सख्व—

३०२ गृहम्मट्टी तुम सि णाम वाले आरमट्टी अणुवयमाणे—
'हणपाणे', घातमाणे, हणओ यावि समणुजाणमाणे घोरे
घम्मे उदीरिते । उवेहति णं अणाणाए ।

एस विमण्णे वित्ते वियाहिते ।

—आ. सु १, अ. ६, उ. ४, मु १६२

आराहगा णिगंथा-णिग्गथोओ—

३०३ ५०—निग्गथेण य गाहावइक्कुल पिडवायपडियाए पविट्टेण
अन्नपरे अक्किच्चट्टाणे पडिसेविए, तस्स ण एव भवति-
इहेव ताव अह एयस्स ठाणस्स आलोएमि, पडिक्क-
मामि, निन्दामि, गरिहामि, विउट्टामि, विसोहेमि
अकरणयाए अट्टमुट्टेमि, अहारिह पायच्छित्त तवोकम्म
पडिवज्जामि,

तओ पच्छा थेराणं अंतिय आलोएस्सामि-जाव-
तवोकम्म पडिवज्जिस्सामि ।

से य सपट्टिए असपत्ते थेरा य अमुहा सिया, से ण
भते ! कि आराहए विराहए ?

उ०—गोयमा ! आराहए, नो विराहए ।

५०—से य संपट्टिए असपत्ते अप्पणा य पुग्घामेव अमुहे
सिया, से ण भते ! कि आराहए, विराहए ?

उ०—गोयमा ! आराहए, नो विराहए ।

५०—ने य सपट्टिए असपत्ते थेरा य काल करेज्जा, से णं
भंते ! कि आराहए, विराहए ?

उ०—गोयमा ! आराहए, नो विराहए ।

प्र०—हे भगवन् ! क्या इस प्रकार मन में धारण करता
हुआ, आचरण करता हुआ, रहता हुआ और सवरण करता
हुआ प्राणी वीतराग की आज्ञा का आराधक होता है ?

उ०—हाँ गौतम ! इस प्रकार मन में धारण करता हुआ
—यावत्—आज्ञा का आराधक होता है ।

विराधक का स्वरूप—

३०२ धर्मशून्य साधक को आचार्यादि इस प्रकार अनुशासित
करते हैं—तू अघर्मार्थी है, बाल-अज्ञ है, आरम्भार्थी है, तू इस
प्रकार कहता है कि 'प्राणियों का वध करो' अथवा तू स्वयं
प्राणीवध करता है और प्राणियों का वध करने वाले की अनु-
मोदना करता है । 'भगवान् ने दुष्कर धर्म का प्रतिपादन किया
है', ऐसा कहकर तू उनकी आज्ञा का अतिक्रमण कर उपेक्षा
करता है ।

ऐसा साधक कामभोगों के कीचड़ में लिप्त और हिंसक
बना जाता है ।

आराधक-निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी—

३०३ प्र०—गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट निर्ग्रन्थ
द्वारा किसी अकृत्य स्थान का प्रतिसेवन हो जाए और उसके मन
में ऐसा विचार आवे कि—'मे यही पर इस अकृत्य स्थान की
आलोचना, प्रतिक्रमण, निन्दा और गद्गर्ह करूँ, उसके अनुबन्ध का
छेदन करूँ, इसमें विशुद्ध वनूँ, पुनः ऐसा अकृत्य न करने के लिए
प्रतिज्ञाबद्ध होऊँ और यथोचित प्रायश्चित्त रूप तप कर्म स्वीकार
करूँ,

उसके बाद स्थविरो के समीप में आलोचना करूँगा, यावत्-
तप कर्म स्वीकार करूँगा",

ऐसा विचार कर वह निर्ग्रन्थ स्थविर मुनियों के पास जाने
के लिए रवाना हुआ, किन्तु स्थविर मुनियों के पास पहुँचने से
पहले ही वे स्थविर मूक हो जाएँ (बोल न सकें) अर्थात् प्रायश्चित्त
न दे सकें । तौ हे भगवन् ! वह निर्ग्रन्थ आराधक है या विरा-
धक है ?

उ०—गौतम ! वह निर्ग्रन्थ आराधक है, विराधक नहीं ।

प्र०—स्थविर मुनियों के पास जाने के लिए रवाना हुआ
किन्तु उनके पास पहुँचने से पूर्व ही स्वयं मूक हो जाए तो हे
भगवन् ! वह निर्ग्रन्थ आराधक है या विराधक ?

उ०—गौतम ! वह निर्ग्रन्थ आराधक है, विराधक नहीं ।

प्र०—स्थविर मुनियों के पास जाने के लिए रवाना हुआ
किन्तु उनके पहुँचने में पूर्व ही स्थविर मुनि बान कर जाएँ तो
हे भगवन् ! वह निर्ग्रन्थ आराधक है या विराधक ?

उ०—गौतम ! वह निर्ग्रन्थ आराधक है, विराधक नहीं ।

प०—से य संपट्टिए असंपत्ते अप्पणा य पुव्वामेव काल
करेज्जा,

से णं भन्ते ! किं आराहए, विराहए ?

उ०—गोयमा ! आराहए, नो विराहए ।

प०—से य संपट्टिए संपत्ते, थेरा य अमुहा सिया,

से ण भन्ते ! किं आराहए, विराहए ?

उ०—गोयमा ! आराहए, नो विराहए ।

प०—से य संपट्टिए संपत्ते अप्पणा य पुव्वामेव अमुहे सिया,
से ण भन्ते ! किं आराहए, विराहए ?

उ०—गोयमा ! आराहए, नो विराहए ।

प०—से य संपट्टिए संपत्ते थेरा य काल करेज्जा,
से णं भन्ते ! किं आराहए, विराहए ?

उ०—गोयमा ! आराहए, नो विराहए ।

प०—से य संपट्टिए संपत्ते अप्पणा य पुव्वामेव काल
करेज्जा, से णं भन्ते किं आराहए, विराहए ?

उ०—गोयमा ! आराहए, नो विराहए ।

एव वहिया वियारभूमि वा विहारभूमि वा णिव्वत्तेण
वि एए चेव अट्ट आलावगा भाणियव्वा ।

एव गामाणुगाम दूइज्जमाणेण वि एए चेव अट्ट
आलावगा भाणियव्वा

एव जहा णिग्गंथस्स तिण्णि गम्मा भणिया,
तहेव णिग्गथीए वि एए चेव तिण्णि गमा भाणियव्वा ।

प०—से केणट्ठेणं भन्ते ! एवं वुच्चइ-आराहए, नो विराहए ?

उ०—गोयमा ! मे जहानामए केइ पुरिसे एगं मह उण्णा-
लोमं वा, गपलोमं वा, सणलोमं वा, कप्पासलोमं
वा, तणसूर्यं वा, दुहा वा, तिहा वा, संखेज्जहा वा,
छिदित्ता अगणिकायसि पक्खिवेज्जा, से नूणं गोयमा !
छिज्जमाणे छिन्ने, पक्खिप्पमाणे पक्खित्ते, उज्जमाणे
बद्धे सि वत्तव्व सिया ?

हंता भगवं ! छिज्जमाणे छिन्ने-नाव-वट्ठे सि वत्तव्वं
सिया ।

प्र०—स्थविर मुनियो के पास जाने के लिए रवाना हुआ
किन्तु वहाँ पहुँचा नहीं उससे पूर्व ही स्वयं काल कर जाये तो हे
भगवन् ! वह निर्ग्रन्थ आराधक है या विराधक ?

उ०—गौतम ! वह निर्ग्रन्थ आराधक है, विराधक नहीं ।

प्र०—स्थविर मुनियो के पास जाने के लिये रवाना हुआ
और स्थविरो के पास पहुँच गया, तत्पश्चात् वे स्थविर
मुनि भूक हो जाँएँ तो हे भगवन् ! वह निर्ग्रन्थ आराधक है या
विराधक ?

उ०—गौतम ! वह निर्ग्रन्थ आराधक है, विराधक नहीं ।

प्र०—स्थविर मुनियो के पास जाने के लिये रवाना हुआ
किन्तु स्थविरो की सेवा में पहुँचने के पश्चात् वह स्वयं भूक हो
जाये तो हे भगवन् ! वह निर्ग्रन्थ आराधक है या विराधक ?

उ०—गौतम ! वह निर्ग्रन्थ आराधक है, विराधक नहीं ।

प्र०—स्थविर मुनियो के पास जाने के लिये रवाना हुआ
और स्थविरो की सेवा में पहुँचने के पश्चात् स्थविर मुनि काल
कर जाये तो हे भगवन् ! वह निर्ग्रन्थ आराधक है या विराधक ?

उ०—गौतम ! वह निर्ग्रन्थ आराधक है, विराधक नहीं ।

प्र०—स्थविर मुनियो के पास जाने के लिये रवाना हुआ
और स्थविरो की सेवा में पहुँचने के पश्चात् वह स्वयं काल कर
जाये तो हे भगवन् ! वह निर्ग्रन्थ आराधक है या विराधक ?

उ०—गौतम ! वह निर्ग्रन्थ आराधक है, विराधक नहीं ।

इसी प्रकार उच्चार प्रस्त्रवण भूमि या स्वाध्याय भूमि के
लिए बाहर निकले हुए निर्ग्रन्थ के भी ये आठ आलापक कहने
चाहिये ।

इसी प्रकार ग्रामानुग्राम विहार करते हुए निर्ग्रन्थ के भी ये
आठ आलापक कहने चाहिये ।

जिस प्रकार निर्ग्रन्थ के तीन गमक (२४ आलापक) कहे
जैसे ही निर्ग्रन्थी के भी तीन गमक कहने चाहिये ।

प्र०—भगवन् ! किस कारण से ऐसा कहा गया है कि—वे
आराधक हैं, विराधक नहीं ?

उ०—गौतम ! जैसे कोई पुरुष विशाल मात्रा में भेड के
वाल, हाथी के रोम, सण के रेशे, कपास के रेशे, अथवा तृण
समूह के दो, तीन या संख्यात टुकड़े करके भाग में डाले तो हे
गौतम ! काटे जाते हुए वे काटे गए, अग्नि में डाले जाते हुए वे
डाले गए या जलते हुए वे जल गए, इस प्रकार कहा जा
सकता है ?

(गौतम स्वामी) हाँ भगवन् ! काटते हुए वे काटे गए
—यावत्—जलते हुए वे जल गए यो कहा जा सकता है ।

ने जहा वा केह पुरिसे वत्थं अहयं वा, घोय वा, ततुगयं वा, मज्झिमादीणोए पक्खिवेज्जा, से नून गोयमा । उक्खिप्पमाणे उक्खित्ते, पक्खिप्पमाणे पक्खित्ते, रज्जमाणे रत्ते त्ति वत्तव्वं सिया ? हंता, भगवं ! उक्खिप्पमाणे-जाव-रत्ते त्ति वत्तव्व सिया ।

से तेणट्ठेण गोयमा । एवं वुच्चइ—आराहए, नो विराहए । —वि स ८, उ. ६, सु. ७-११

भिक्षुस्स आराहणा-विराहणा—

३०४ भिक्षू य अन्नपरं अफिच्चट्टाणं पडिसेवित्ता, से णं ठाणस्स तस्स अणालोइय-ऽपडिक्कंते काल करेति, नत्थि तस्स आराहणा ।

से ण तस्स ठाणस्स आलोइयपडिक्कंते कालं करेति अत्थि तस्स आराहणा ।

भिक्षू य अन्नपरं अफिच्चट्टाणं पडिसेवित्ता, तस्स णं एव भवति पच्छा वि णं अहं चरिमकालसमयसि एयस्स ठाणस्स आलोएस्सामि-जाव-पडिक्कंतेस्सामि,

से ण तस्स ठाणस्स अणालोइयऽपडिक्कंते काल करेति नत्थि तस्स आराहणा ।

से णं तस्स ठाणस्स आलोइयपडिक्कंते काल करेइ, अत्थि तस्स आराहणा ।

भिक्षू य अन्नपरं अफिच्चट्टाणं पडिसेवित्ता, तरस ण एव भवति—“जइ ताव समणोवासगा वि कालमासे काल किच्च अन्नपरेशु देवलोगेशु देवताए उववत्तारो भवति किमग पुण अहं अणपन्नियदेवत्तणं पि नो लमिस्सामि ?” त्ति कट्टु से ण तस्स ठाणस्स अणालोइयऽपडिक्कंते काल करेति, नत्थि तस्स आराहणा ।

से ण तस्स ठाणस्स आलोइयपडिक्कंते काल करेति, अत्थि तस्स आराहणा । —विद्या स १०, उ २, मु ७-६

मायी ण तस्म ठाणस्स अणालोइयऽपडिक्कंते काल करेइ, नत्थि तस्स आराहणा ।

अमायी ण तस्म ठाणस्स आलोइयपडिक्कंते काल करेइ, अत्थि तस्स आराहणा ।—त्रिया. म ३, उ २, मु १६(३)

जैसे कोई पुरुष बिल्कुल नये, घोये या करघे से तुरन्त उतरे हुए वस्त्र को मजीठ के द्रोण पात्र में डाले तो हे गौतम ! उठाते हुए वस्त्र को उठाया गया, डालते हुए वस्त्र को डाला गया अथवा रगते हुए वस्त्र को रगा गया यो कहा जा सकता है ।

(गौतम स्वामी)—हाँ भगवन् ! उठाते हुए वस्त्र को उठाया गया—यावत्—रगते हुए वस्त्र को रगा गया, इस प्रकार कहा जा सकता है ।

(भगवान्) इसी कारण से हे गौतम ! कहा जाता है कि (आराधना के लिए उद्यत हुए साधु या साध्वी) आराधक हैं, विराधक नहीं ।

भिक्षु की आराधना-विराधना—

३०४. कोई भिक्षु किसी अकृत्य स्थान का सेवन करके, यदि उस अकृत्यस्थान की आलोचना तथा प्रतिक्रमण किये बिना ही काल कर जाता है तो उसके आराधना नहीं होती ।

यदि वह भिक्षु उस सेवित अकृत्यस्थान की आलोचना और प्रतिक्रमण करके काल करता है तो उसके आराधना होती है ।

कदाचित् किसी भिक्षु ने किसी अकृत्यस्थान का सेवन कर लिया, किन्तु बाद में उसके मन में ऐसा विचार उत्पन्न हो कि मैं अपने अन्तिम समय में इस अकृत्यस्थान को आलोचना करूँगा—यावत्—तत्परूप प्रायश्चित्त स्वीकार करूँगा परन्तु उस अकृत्यस्थान की आलोचना और प्रतिक्रमण किये बिना ही काल कर जाए तो उसके आराधना नहीं होती ।

यदि वह (अकृत्यस्थानसेवी भिक्षु) आलोचन और प्रतिक्रमण करके काल करे, तो उसके आराधना होती है ।

कदाचित् किसी भिक्षु ने किसी अकृत्यस्थान का सेवन कर लिया हो और उसके बाद उसके मन में यह विचार उत्पन्न हो कि—“श्रमणोपामक भी काल के अवसर पर काल करके किन्हीं देवलोको में देवरूप में उत्पन्न हो जाते हैं, तो क्या मैं क्षणपन्निक देवत्व भी प्राप्त नहीं कर सकूँगा ?” यह सोचकर यदि वह उस अकृत्य स्थान की आलोचना और प्रतिक्रमण किये बिना ही काल कर जाता है तो उसके आराधना नहीं होती ।

यदि वह (अकृत्यसेवी साधु) उस अकृत्यस्थान की आलोचना और प्रतिक्रमण करके काल करता है तो उसके आराधना होती है ।

मायी मनुष्य उम स्थान (वैक्रियकरणरूप प्रवृत्तिप्रयोग) की आलोचना और प्रतिक्रमण किये बिना काल करता है तो उसके आराधना नहीं होती ।

अमायी मनुष्य उन विराधना स्थान की आलोचना और प्रतिक्रमण करने काल करता है, तो उसके आराधना होती है ।

दिदृन्तेण आराहग विराहग सरूवं—

३०५ तए णं गोयमे समणं भगवं महावीरं एव वयासी—

प०—कहं ण भंते ! जीवा आराहगा वा विराहगा वा भवंति ?

उ०—गोयमा ! से जहाणामए एगसि समुद्दकूलसि दावद्वा नामं रुक्खा पण्णत्ता किण्हा-जाव-निउरंवसूया, पत्तिया, पुप्फिया, फलिया, हरियग-रेरिज्जमाणा सिरीएइईव उवसोभेमाणा-उवसोभेमाणा चिद्वन्ति ।

समणाउसो ! जया णं दीविच्चगा ईंसि पुरवाया, पच्छावाया, मदावाया, महावाया वायति, तथा णं बह्वे दावद्वा रुक्खा पत्तिया-जाव-उवसोभेमाणा चिद्वन्ति ।

अप्पेगइया दावद्वा रुक्खा जुष्सा झोडा परिसडिय-पंडुपत्त-पुप्फ-फला-सुक्करुक्खओविच मिलायमाणा-मिलायमाणा चिद्वन्ति ।

एवामेव समणाउसो ! जे अम्ह निग्गथो वा निग्गंथी वा आयरियउवज्जायाण अंतिए मुंडे भवित्ता आगाराओ अणगारियं पव्वइए समाणे-वहूण समणाण, वहूणं समणीण, वहूण सावयाणं, वहूण सावियाण सम्म सहइ-जाव-अहियासेइ,

वहूणं अणउत्थियाणं, वहूणं गिहत्थाणं नो सम्म सहइ-जाव-अहियासेइ, एस ण मए पुरिसे देमविराहए पण्णत्ते ।

समणाउसो ! जया णं सामुद्दगा ईंसि पुरेवाया, पच्छावाया, मदावाया, महावाया वायति, तथा णं बह्वे दावद्वा रुक्खा जुष्सा झोडा-जाव-मिलायमाणा मिलायमाणा चिद्वन्ति ।

अप्पेगइया दावद्वा रुक्खा पत्तिया पुप्फिया-जाव-उवसोभेमाणा उवसोभेमाणा चिद्वन्ति ।

एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निग्गंथो वा निग्गंथी वा-जाव-पव्वइए समाणे वहूणं अणउत्थियाण, वहूण गिहत्थाण मम्मं सहइ-जाव-अहियासेइ । वहूणं समणाण, वहूण समणीणं, वहूण सावयाणं, वहूण सावि-

दृष्टान्त द्वारा आराधक-विराधक का स्वरूप—

३०५. किसी समय गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान् महावीर से इस प्रकार पूछा—

प्र०—भन्ते ! जीव किस प्रकार आराधक और किस प्रकार विराधक होते हैं ?

उ०—गौतम ! जैसे एक समुद्र के किनारे दावद्रव नामक वृक्ष कहे गये हैं वे कृष्णवर्ण वाले—यावत्—गुच्छा रूप हैं । पत्तो वाले, फूलो वाले, फलो वाले, अपनी हरियाली के कारण मनोहर और श्री से अत्यन्त शोभित होते हुए रहते हैं ।

हे आयुष्मन् श्रमण ! जब द्वीप सम्बन्धी कुछ-कुछ स्निग्ध वायु, वनस्पति के लिए हितकारक वायु, मन्द और प्रचण्ड वायु चलती है, तब बहुत से दावद्रव वृक्ष पत्र से युक्त होकर—यावत्—शोभित होते हुए रहते हैं ।

उनमे से कोई-कोई दावद्रव-वृक्ष जीर्ण जैसे हो जाते हैं, सडे पत्तो वाले, खिरे हुए पत्तो वाले, पीले पत्तो वाले और पुष्प-फल से रहित होकर सूखे पेड की तरह मुरझाते हुए खडे रहते हैं ।

इसी प्रकार हे आयुष्मन् श्रमण ! जो मेरा आज्ञानुवर्ती साधु या साध्वी आचार्य-उपाध्याय के समीप मे मुंडित होकर गृहवास का त्याग कर अनगार धर्म मे दीक्षित होकर बहुत से साधुओ, बहुत सी साध्वियो, बहुत से श्रावको और बहुत सी श्राविकाओ के प्रतिकूल वचनो को सम्यक् प्रकार से सहन करता है—यावत्—विशेष रूप से सहन करता है ।

किन्तु बहुत से अन्यतीर्थिको के तथा गृहस्थो के दुर्वचन को सम्यक् प्रकार से सहन नही करता है—यावत्—विशेष रूप से सहन नही करता है, ऐसे पुरुष अर्थात् साधु साध्वी को मैंने देश-विराधक कहा है ।

हे आयुष्मन् श्रमण ! जब समुद्र सम्बन्धी अल्प पुरोवात, पथ्य वात, मन्दवात और महावात बहती है, तब बहुत से दावद्रव-वृक्ष जीर्ण से हो जाते हैं, झड जाते हैं—यावत्—मुरझाये हुए रहते हैं ।

किन्तु कोई-कोई दावद्रव-वृक्ष पत्रित, पुष्पित—यावत्—अत्यन्त शोभायमान रहते है ।

इसी प्रकार हे आयुष्मन् श्रमण ! जो मेरा (आज्ञानुवर्ती) साधु या साध्वी—यावत्—दीक्षित होकर बहुत से अन्यतीर्थिको के और बहुत से गृहस्थो के दुर्वचन सम्यक् प्रकार से प्रहन करता है—यावत्—विशेष रूप से सहन करता है किन्तु बहुत से साधुओ, बहुत सी साध्वियो, बहुत से श्रावको तथा बहुत सी श्राविकाओ के दुर्वचन सम्यक् प्रकार से सहन नही करता है

याणं नो सम्म सहइ-जाव-अहियासेइ । एस ण मए पुरिसे देमाराहए पण्णत्ते ।

समणाउसो ! जया ण नो दोविच्चगा, णो सामुद्गा, ईसिं पुरेवाया, पच्छावाया, मदावाया, महावाया वायति, तथा ण सन्वे दावद्वा रुक्खा जुण्णा श्लोडा-जाव-मिलायमाणा मिलायमाणा चिट्ठन्ति ।

एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निग्गथो वा निग्गथो वा-जाव-पव्वइए समाणे, बहूण समणाणं, बहूण समणीण, बहूणं सावयाण, बहूण साविद्याणं, बहूण अन्न-तिययाण बहूणं गिहत्थयाणं नो सम्म सहइ-जाव-अहिया-सेइ । एस ण मए पुरिसे सव्वविराहए पण्णत्ते ।

समणाउसो ! जया ण दोविच्चगा वि सामुद्गा वि ईसिं पुरेवाया, पच्छावाया, मदावाया, महावाया वायति तथा णं सन्वे दावद्वा रुक्खा पत्तिया-जाव-उवसोभेमाणा चिट्ठन्ति ।

एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं निग्गथो वा निग्गथो-जाव-पव्वइए समाणे बहूण समणाणं, बहूण समणीण, बहूणं सावयाण, बहूण साविद्याण, बहूण अन्नउत्थि-याण, बहूण गिहत्थयाणं सम्म सहइ-जाव-अहियासेइ । एस ण मए पुरिसे सव्वाराहए पण्णत्ते समणाउसो । एव खलु गोयमा ! जीवा आराहगा वा विराहगा वा भवंति । —णाया. अ ११, सु ३-१३

सुय-सीलावेक्खया आराहग-विराहग सरूवं—

३०६ रायगिहे नयरे-जाव-एव वयासी—

प०—अन्नउत्थियाण भन्ते ! एवमाइक्खति-जाव-एवं परव्वेति—
एव एतु

१ सीलं सेय, २ सुय सेय,
३. सुय सेय सील सेयं, से कहमेय भन्ते ! एव ?

उ० - गोयमा ! जं णं ते अन्नउत्थिया एवमाइक्खति-जाव-एव पण्णवेति, “जे ते एवमाहसु मिच्छा ते एवमा-हसु ।” अह पुण गोयमा ! एवमाइक्खामि-जाव-एव परव्वेमि, एव एतु मए घत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा—

१ मोत्तसंपन्ने नाम एगे णो सुयसंपन्ने ।
२ सुयसंपन्ने नामं एगे णो सीलसंपन्ने ।
३. एगे मोत्तसंपन्ने वि सुयसंपन्ने वि ।

—यावत्—विशेष रूप से सहन नहीं करता है उस पुरुष को मैंने देशाराधक कहा है ।

हे आयुष्मन् श्रमण ! जब द्वीप सम्बन्धी और समुद्र सम्बन्धी अल्प पुरोवात, पथ्यवात, मन्दवात और महावात नहीं बहते, तब अब दावद्रव-वृक्ष जीर्ण सरीखे हो जाते हैं—यावत्—मुरसाये रहते हैं ।

इसी प्रकार हे आयुष्मन् श्रमण ! जो मेरा (आज्ञानुवर्ती) साधु या साध्वी—यावत्—प्रव्रजित होकर बहुत से साधुओं, बहुत सी साध्वियों, बहुत से श्रावकों, बहुत सी श्राविकाओं, बहुत से अन्यतीर्थिकों एवं बहुत से गृहस्थों के दुर्वचन को सम्यक् प्रकार से सहन नहीं करता है—यावत्—विशेष रूप से सहन नहीं करता है । उस पुरुष को मैंने सर्वविराधक कहा है ।

हे आयुष्मन् श्रमण ! जब द्वीप सम्बन्धी और समुद्र सम्बन्धी भी अल्प पुरोवात, पथ्यवात, मन्दवात और महावात बहती है, तब सभी दावद्रव-वृक्ष पत्रित—यावत्—सुशोभित रहते हैं ।

इसी प्रकार हे आयुष्मन् श्रमण ! जो मेरा (आज्ञानुवर्ती) साधु या साध्वी—यावत्—प्रव्रजित होकर बहुत से श्रमणों के, बहुत सी श्रमणियों, बहुत से श्रावकों, बहुत सी श्राविकाओं, बहुत से अन्यतीर्थिकों और बहुत से गृहस्थों के दुर्वचन सम्यक् प्रकार से सहन करता है, उस पुरुष को मैंने सर्वाराधक कहा है । इस प्रकार हे गौतम ! जीव आराधक या विराधक होते हैं ।

श्रुत और शील से आराधक-विराधक का स्वरूप—

३०६ राजगृही नगर मे—यावत्—गौतम स्वामी ने इस प्रकार कहा—

प्र०—भन्ते ! अन्यतीर्थिक इस प्रकार कहते हैं—यावत्—प्ररूपणा करते हैं कि—

(१) शील द्वी श्रेयस्कर है, (२) श्रुत ही श्रेयस्कर है,
(३) शीलनिरपेक्ष श्रुत और श्रुतनिरपेक्ष शील श्रेयस्कर है । भन्ते ! क्या उनका ये कथन सत्य है ?

उ०—गौतम ! अन्यतीर्थिक जो इस प्रकार कहते हैं—यावत्—इस प्रकार की प्ररूपणा करते हैं उनका यह कथन मिथ्या है । हे गौतम ! मैं इन प्रकार कहना हूँ—यावत्—प्ररूपणा करना है कि चार प्रकार के पुरुष होते हैं । यथा—

(१) एक व्यक्ति शीलमम्पन्न है, श्रुतमम्पन्न नहीं है ।
(२) एक व्यक्ति श्रुतमम्पन्न है, शीलमम्पन्न नहीं है ।
(३) एक व्यक्ति शीलमम्पन्न भी है और श्रुतमम्पन्न भी है ।

४. एगे णो सीलसंपन्ने णो सुयसंपन्ने ।

१. तत्थ णं जे से पढमे पुरिसजाए से णं पुरिसे सीलव, असुयवं, उवरए, अविघ्नायधम्मे, एस णं गोयमा ! मए पुरिसे देसाराहए पण्णत्ते ।

२. तत्थ ण जे से दोच्चे पुरिसजाए से णं पुरिसे असीलव, सुयवं, अणुवरए, विघ्नायधम्मे, एस ण गोयमा ! मए पुरिसे देसविराहए पण्णत्ते ।

३. तत्थ णं जे से तच्चे पुरिसजाए से णं पुरिसे सीलव, सुयव, उवरए, विघ्नायधम्मे, एस ण गोयमा ! मए पुरिसे सव्वाराहए पण्णत्ते ।

४ तत्थ णं जे से चउत्थे पुरिसजाए से ण पुरिसे असीलव, असुयवं, अणुवरए, अविघ्णायधम्मे, एस णं गोयमा ! मए पुरिसे सव्वविराहए पण्णत्ते ।

—विया. स ८, उ. १०, सु १-२

आराहग-अणाराहग णिग्गंथाईणं भगा—

३०७ चत्तारि णिग्गंथा पण्णत्ता, त जहा—

१ रातिणिए समणे णिग्गथे महाकम्मे महाकिरिए अणातावी असमिते धम्मस्स अणाराहए भवति ।

२. रातिणिए समणे णिग्गथे अप्पकम्मे अप्पकिरिए आतावी समिए धम्मस्स आराहए भवति ।

३ ओमरातिणिए समणे णिग्गथे महाकम्मे महाकिरिए अणातावी असमिते धम्मस्स अणाराहए भवति ।

४. ओमरातिणिए समणे णिग्गथे अप्पकम्मे अप्पकिरिए आतावी समिते धम्मस्स आराहए भवति ।

एव चेव चत्तारि समणोवासगा पण्णत्ता-जाव-आराहए भवई ।

चत्तारि णिग्गंथीओ पण्णत्ताओ, त जहा—

१. रातिणिया समणी णिग्गथी महाकम्मा महाकिरिया अणा-याओ असमिता धम्मस्स अणाराहिया भवति ।

२. रातिणिया समणी णिग्गंथी अप्पकम्मा अप्पकिरिया आताओ समिता धम्मस्स आराहिया भवति ।

(४) एक व्यक्ति न शीलसम्पन्न है और न श्रुतसम्पन्न है ।

(१) इनमे से जो प्रथम प्रकार का पुरुष है, वह शीलवान् है, परन्तु श्रुतवान् नहीं है। वह पापादि से निवृत्त है किन्तु धर्म को विशेष रूप से नहीं जानता है। हे गौतम ! इस पुरुष को मैंने 'देश-आराधक' कहा है ।

(२) इनमे से जो दूसरा पुरुष है, वह पुरुष शीलवान् नहीं है, परन्तु श्रुतवान् है। पापादि से अनिवृत्त है, परन्तु धर्म को विशेष रूप से जानता है। हे गौतम ! इस पुरुष को मैंने 'देश-विराधक' कहा है ।

(३) इनमे से जो तृतीय पुरुष है वह पुरुष शीलवान् भी है और श्रुतवान् भी है। वह पापादि से निवृत्त है और धर्म का भी ज्ञाता है। हे गौतम ! इस पुरुष को मैंने 'सर्व आराधक' कहा है ।

(४) इनमे से जो चौथा पुरुष है, वह न तो शीलवान् है और न श्रुतवान् है। वह पापादि से अनिवृत्त है, धर्म का भी ज्ञाता नहीं है। हे गौतम ! इस पुरुष को मैंने 'सर्व विराधक' कहा है ।

आराधक-अनाराधक निर्ग्रन्थ आदि के भंग—

३०७ निर्ग्रन्थ चार प्रकार के कहे गये हैं। जैसे—

(१) कोई श्रमण निर्ग्रन्थ दीक्षापर्याय मे ज्येष्ठ होकर भी महाकर्म वाला, महाक्रिया वाला, अतपस्वी और समिति रहित होने के कारण धर्म का विराधक होता है ।

(२) कोई रात्तिक श्रमण निर्ग्रन्थ अल्पकर्म वाला, अल्प-क्रिया वाला, तपस्वी और पाँच समितियों से युक्त होने के कारण धर्म का आराधक होता है ।

(३) कोई निर्ग्रन्थ श्रमण दीक्षा पर्याय मे छोटा होकर महा-कर्म, महाक्रिय, अनातापी और असमित होने के कारण धर्म का विराधक होता है ।

(४) कोई अल्प दीक्षा पर्याय वाला श्रमण निर्ग्रन्थ अल्पकर्म, अल्पक्रिय, तपस्वी और समित होने के कारण धर्म का आराधक होता है ।

इसी प्रकार चार प्रकार के श्रमणोपासक कहे गये हैं—यावत्-आराधक होते हैं ।

निर्ग्रन्थियाँ चार प्रकार की कही गई हैं। जैसे—

(१) कोई रात्तिक श्रमणी निर्ग्रन्थी महाकर्म, महाक्रिया, अतपस्विनी और असमित होने के कारण धर्म की विराधिका होती है ।

(२) कोई रात्तिक श्रमणी निर्ग्रन्थी अल्पकर्म, अल्पक्रिया, तपस्विनी और समित होने के कारण धर्म की आराधिका होती है ।

३ ओमरातिगिया नमणी णिगयो महाकम्मा महाकिरिया अणायावी असमिता धम्मस्स अणाराहिया भवति ।

४. ओमरातिगिया समणी णिगयो अप्पकम्मा अप्पकिरिया आतावी समिता धम्मस्स आराहिया भवति ।

एव चैव चत्तारि ममणोवासियाओ पणत्ताओ-जाव-आरा-हिया भवत् । —ठाण अ. ४, उ ३, सु ३२१

आहाकम्म आईण विवरीय परूवणा—

३०८ "आहाकम्म णं अणवज्जे" त्ति मणं पहारेत्ता भवति, से ण तस्स ठाणस्स अणात्तोइय-अपडिक्कते कालं करेति नत्थि तस्स आराहणा ।

से णं तस्स ठाणस्स आलोइयपडिक्कते कालं करेति अत्थि तस्म आराहणा ।

एतेण गमेण नेयव्व—कीयकड, ठवियग, रडयग, कतारभत्त, दुत्थिभक्कपभत्त, वट्टलियाभत्त, गिलाणभत्त, मिज्जातरपिंड रायपिंड ।

"आहाकम्म ण अणवज्जे" त्ति वहुजणमज्जे भासित्ता सयमेव परिभुजित्ता भवति-जाव अत्थि तस्स आराहणा ।

एतेण गमेण नेयव्व—कीयकड जाव-रायपिंड ।

"आहाकम्मं ण अणवज्जे" त्ति सधं अन्नमन्नस्स अणुप्पदावेत्ता भवति-जाव-अत्थि तस्स आराहणा ।

एतेण गमेण नेयव्व—कीयकड-जाव-रायपिंड ।

"आहाकम्म ण अणवज्जे" त्ति वहुजणमज्जे पन्नवइत्ता भवति-जाव-अत्थि तस्स आराहणा ।

एतेण गमेण नेयव्व—कीयकड-जाव-रायपिंड ।

—नि म ४, उ ६, सु. १५-१८

(३) कोई अवमरात्तिक श्रमणी निर्ग्रन्थी महाकर्मा, महा-क्रिया अतपस्विनी और असमित होने के कारण धर्म की विरा-धिका होती है ।

(४) कोई अवमरात्तिक श्रमणी निर्ग्रन्थी अल्पकर्मा, अल्प-क्रिया, तपस्विनी और समित होने के कारण धर्म की आराधिका होती है ।

इसी प्रकार चार प्रकार की श्रमणोपासिकाएँ कही गई हैं—यावत्—आराधिका होती हैं ।

आधाकर्म आदि की विपरीत प्ररूपणा—

३०८ "आधाकर्म आहार आदि निर्दोष है" इस प्रकार की जो साधु मन में धारणा बना लेता है यदि वह उस आधाकर्म विषयक अपनी धारणा की आलोचना एवं प्रतिक्रमण किये बिना ही काल कर जाता है तो उसके आराधना नहीं होती है ।

यदि वह उस स्थान की आलोचना एवं प्रतिक्रमण करके काल करता है तो उसके आराधना होती है ।

आधाकर्म के आलापकद्वय के अनुसार ही श्रौतकृत, स्थापित, रचितक, फान्तरभक्त, दुग्भिक्ष भक्त, वर्दलिकामक्त, ग्लान भक्त, शय्यातरपिण्ड, राजपिण्ड, इन सब दोषों से युक्त आहारादि के विषय में जानना चाहिये ।

"आधाकर्म आहार आदि निर्दोष है" इस प्रकार से जो साधु बहुत से मनुष्यों के बीच में कह कर स्वयं ही उस आधाकर्म आहारादि का सेवन करता है तो—यावत्—उसके आराधना होती है ।

इसी प्रकार से ही श्रौत दोष—यावत्—राजपिण्ड के आला-पक समझ लेने चाहिए ।

"आधाकर्म आहार आदि निर्दोष होता है" इस प्रकार कह कर जो साधु एक दूसरे साधु को देता है तो—यावत्—उसके आराधना होती है ।

इसी प्रकार से ही श्रौत दोष—यावत्—राजपिण्ड के आला-पक जान लेने चाहिए ।

"आधाकर्म आहार निर्दोष होता है" इस प्रकार जो साधु बहुत से लोगों के बीच में प्ररूपण करता है—यावत्—उसके आराधना होती है ।

इसी प्रकार से ही श्रौत दोष—यावत्—राजपिण्ड के आला-पक समझ लेने चाहिए ।



आराधना विराधना के प्रकार—२

आराहणा-पगारा—

३०६. दुविहा आराहणा पणत्ता, तं जहा—

१. घम्मियाराहणा चेव, २. केवलिआराहणा चेव^१ ।

घम्मियाराहणा दुविहा पणत्ता, तं जहा—

१. सुयधम्माराहणा चेव, २. चरित्तधम्माराहणा चेव ।

केवलिआराहणा दुविहा पणत्ता, तं जहा—

१ अन्तकिरिया चेव, २ कप्पविमाणोववत्तिया चेव ।

—ठाणं. अ. २, उ. ४, सु. ११८

प०—कइविहा ण भंते ! आराहणा पणत्ता ?

उ०—गोयमा ! तिविहा आराहणा पणत्ता, तं जहा—

१. णाणाराहणा, २. दंसणाराहणा,

३ चारित्ताराहणा ।

प०—णाणाराहणा ण भंते ! कइविहा पणत्ता ?

उ०—गोयमा ! तिविहा पणत्ता, तं जहा—

१ उक्कोसिया, २ मज्झिमा, ३ जहण्णा ।

प०—दसणाराहणा ण भंते ! कइविहा पणत्ता ?

उ०—गोयमा ! तिविहा पणत्ता, तं जहा—

१ उक्कोसिया, २. मज्झिमा, ३. जहण्णा ।

प०—चरित्ताराहणा णं भंते ! कइविहा पणत्ता ?

उ०—गोयमा ! तिविहा पणत्ता, तं जहा—

१ उक्कोसिया, २ मज्झिमा, ३ जहण्णा ।

—वि स ८, उ १०, सु. ३-६

जहण्णुक्कोसिया आराहणा—

३१० प०—जस्स णं भंते ! उक्कोसिया णाणाराहणा तस्स उक्कोसिया दंसणाराहणा ? जस्स उक्कोसिया दसणाराहणा तस्स उक्कोसिया णाणाराहणा ?

उ०—गोयमा ! जस्स उक्कोसिया णाणाराहणा तस्स दसणाराहणा उक्कोसिया वा अजहण्णुक्कोसिया वा, जस्स पुण उक्कोसिया दंसणाराहणा तस्स णाणाराहणा उक्कोमा वा जहण्णा वा, अजहण्णमणुक्कोसा वा ।

आराधना के प्रकार—

३०६. आराधना दो प्रकार की कही गई है । यथा—

(१) धार्मिकी आराधना, (२) केवली आराधना, धार्मिकी आराधना दो प्रकार की कही गई है । यथा—

(१) श्रुतधर्म की आराधना, (२) चारित्रधर्म की आराधना, केवलिकी आराधना दो प्रकार की कही गई है । यथा—

(१) अन्तक्रिया रूप, (२) कल्पविमान उत्पत्ति रूप,

प्र०—भन्ते ! आराधना कितने प्रकार की कही गई है ?

उ०—गौतम ! तीन प्रकार की कही गई है । यथा—

(१) ज्ञान आराधना, (२) दर्शन आराधना,

(३) चारित्र आराधना ।

प्र०—भन्ते ! ज्ञान आराधना कितने प्रकार की कही गई है ?

उ०—गौतम ! तीन प्रकार की कही गई है । यथा—

(१) उत्कृष्ट, (२) मध्यम, (३) जघन्य ।

प्र०—भन्ते ! दर्शन आराधना कितने प्रकार की कही गई है ?

उ०—गौतम ! तीन प्रकार की कही गई है । यथा—

(१) उत्कृष्ट, (२) मध्यम, (३) जघन्य ।

प्र०—भन्ते ! चारित्र आराधना कितने प्रकार की कही गई है ?

उ०—गौतम ! तीन प्रकार की कही गई है । यथा—

(१) उत्कृष्ट, (२) मध्यम, (३) जघन्य ।

जघन्य-उत्कृष्ट आराधना—

३१०. प्र०—भगवन् ! जिस जीव के उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है, क्या उसके उत्कृष्ट दर्शनाराधना होती है जिस जीव के उत्कृष्ट दर्शनाराधना होती है, क्या उसके उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है ?

उ०—गौतम ! जिस जीव के उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है, उसके दर्शनाराधना उत्कृष्ट या मध्यम होती है ।

जिस जीव के उत्कृष्ट दर्शनाराधना होती है, उसके उत्कृष्ट, जघन्य या मध्यम ज्ञानाराधना होती है ;

१ यहाँ केवली से श्रुतकेवली, अवधिज्ञानी, मन पर्यवज्ञानी और केवलज्ञानी ये चारो नियो जाते है । स्थानांग वृत्तिकार ने कहा — “श्रुतावधि मन पर्याय केवलज्ञानीनाम् इय केवलिकी (मंजा) । सा चाभावाराधना त्रेति केवलिक्याराधनेति ।

प०—जस्स ण भत्ते ! उक्कोसिया णाणाराहणा तस्स उक्कोसिया चरित्ताराहणा ? जस्सुक्कोसिया चरित्ताराहणा तस्सुक्कोसिया णाणाराहणा ?

उ०—जहा उक्कोमिया णाणाराहणा य दसणाराहणा य भणिया तथा उक्कोसिया णाणाराहणा य चरित्ताराहणा य भाणियव्वा ।

प०—जस्स ण भत्ते ! उक्कोसिया दसणाराहणा तस्सुक्कोसिया चरित्ताराहणा ? जस्सुक्कोसिया चरित्ताराहणा तस्सुक्कोसिया दसणाराहणा ?

उ०—गोयमा ! जस्स उक्कोसिया दंसणाराहणा तस्स चरित्ताराहणा उक्कोसा वा जहण्णा वा अजहण्णमणुक्कोसा वा,
जस्स पुण उक्कोसिया चरित्ताराहणा तस्स दसणाराहणा णियमा उक्कोसा ।

—वि. स ८, उ. १०, सु ७-९

विराहणा पगारा—

३११ तओ विराहणाओ पण्णत्ताओ, त जहा—

१ णाण विराहणाए, २ दसण विराहणाए,
३ चरित्त विराहणाए। —सम. सम. ३, सु १

प्र०—भगवन् ! जिस जीव के उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है, क्या उसके उत्कृष्ट चारित्र्याराधना होती है, जिस जीव के उत्कृष्ट चारित्र्याराधना होती है, क्या उसके उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है ?

उ०—जिस प्रकार उत्कृष्ट ज्ञानाराधना और दर्शनाराधना के विषय में कहा उसी प्रकार उत्कृष्ट ज्ञानाराधना और उत्कृष्ट चारित्र्याराधना के विषय में भी कहना चाहिए ।

प्र०—भगवन् ! जिसके उत्कृष्ट दर्शनाराधना होती है, क्या उसके उत्कृष्ट चारित्र्याराधना होती है, जिसके उत्कृष्ट चारित्र्याराधना होती है क्या उसके उत्कृष्ट दर्शनाराधना होती है ?

उ०—गौतम ! जिसके उत्कृष्ट दर्शनाराधना होती है, उसके उत्कृष्ट, मध्यम या जघन्य चारित्र्याराधना होती है ।

जिसके उत्कृष्ट चारित्र्याराधना होती है, उसके नियम से उत्कृष्ट दर्शनाराधना होती है ।

विराधना के प्रकार—

३११. विराधना तीन प्रकार की कही गई है । यथा—

(१) ज्ञान विराधना, (२) दर्शन विराधना,
(३) चारित्र्य विराधना ।



आराधक विराधक की गति—३

आराहगा अणारंभा अणगार—

३१२. से जे इमे गामागर सण्णिवेसेसु मणुया भवति, तं जहा—

अणारभा, अपरिग्गहा, धम्मिया, धम्माणुया, धम्मिटा,
धम्मवत्ताई, धम्मपत्तोई, धम्मपत्तज्जणा, धम्मसमुदायारा,
धम्मेष चेष विस्ति वप्पेणाणा, सुव्वया, सुपट्टियाणदा, साहू ।

१. सव्व्याओ पाणाइवयाओ पट्टिविरया ।
२. सव्व्याओ मुत्तावायाओ पट्टिविरया ।
३. सव्व्याओ अदिप्पादाणाओ पट्टिविरया ।

आराधक-अणारम्भ-अणगार—

३१२ ग्राम, आकर—यावत्—सध्विवेण मे जो ये मनुष्प होते हैं, यथा—

आरम्भ रहित, परिग्रह रहित, धार्मिक, धर्मानुगामी, धर्मिष्ठ, धर्म का कथन करने वाले, धर्म का अवलोकन करने वाले, धर्मप्रजन, धर्मसमुदाचार, धर्मपूर्वक जीविका चलाने वाले, मुनील, मुग्रन, स्वात्मपरितुष्ट होते हैं ।

(१) सब प्रकार की हिंसा से प्रतिविरत होते हैं ।
(२) सब असत्य में प्रतिविरत होते हैं ।
(३) सब चोरी से प्रतिविरत होते हैं ।

१. पट्टिविरान्ति तिदि विराहणाए, त जहा—१. णाणविराहणाए, २. दसणविराहणाए, ३. चरित्तविराहणाए ।

—आव अ ४ सु २२(५)

४ सव्वाओ मेहुणाओ पडिविरया ।

५ सव्वाओ परिग्गहाओ पडिविरया ।

६. सव्वाओ कोहाओ, ७ माणाओ, ८. मायाओ,
९. लोमाओ, १०. पेज्जाओ, ११. दोसाओ, १२. कलहाओ,
१३. अन्मक्खाणाओ, १४. पेसुण्णाओ, १५. परपरिवायाओ,
१६. अरइरईओ, १७. मायामोसाओ, १८. मिच्छादंसण-
सल्लाओ पडिविरया ।

सव्वाओ आरम्भ-समारम्भाओ पडिविरया ।

सव्वाओ करण-कारावणाओ पडिविरया ।

सव्वाओ पयण-पयावणाओ पडिविरया ।

सव्वाओ कोट्टण-पिट्टण-तज्जण-तालण-वह-बध-परिकिलेसाओ
पडिविरया ।

सव्वाओ ण्हाण-मद्दण-चण्णग-विलेवण-सद्-फरिस-रस-रूव-
गंध मल्लालकाराओ पडिविरया ।

जे यावण्णे तहप्पगारा सावज्जजोगोवहिया कम्मता परपाण-
परियावणकरा कज्जंति, तओ वि पडिविरया जावज्जीवाए ।

से जहाणामए अणगारा भवति—१ इरियासमिया, २
भासासमिया, ३. एसणासमिया, ४. आयाण-भंड-मत्त-
णिक्षेवणासमिया, ५ उच्चार-पासवण-खेल-सैघाण-जल्ल
परिट्ठावणिआ ममिया,

मणसमिया, वइसमिया, कायसमिया, मणगुत्ता, वइगुत्ता,
कायगुत्ता, गुत्ता, गुत्तिदिया, गुत्तवंभयारी, चाई, लज्जू,
धन्ना, खतिखमा, जिहंदिया, सोहिया, अणियाणा, अप्पस्सुया,
अबहिल्लेसा सुसामण्णरया, दंता, इणमेव निग्गथं पावयण
पुरओकाळ विहरति ।^१

तेसि णं भगवंताणं एएणं विहारेण विहरमाणानं अत्येगइ-
याणं अणते अणुत्तरे णिव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे
केवलयरणाणवंसणे समुप्पज्जइ ।

ते बहूइं यासाइं केवलपरियागं पाउणंति, पाउणिता भत्तं
पच्चवखंति पच्चवित्ता, बहूइं भत्ताइ अणसणाए छेदंति,
छेदिता,

(४) संपूर्णतः अब्रह्मचर्यं से प्रतिविरत होते हैं ।

(५) तथा सम्पूर्णतः परिग्रह से प्रतिविरत होते हैं ।

सम्पूर्णत (६) क्रोध से, (७) मान से, (८) माया से,
(९) लोभ से, (१०) राग से, (११) द्वेष से, (१२) कलह से,
(१३) अभ्याख्यान से, (१४) वैशुन्य से, (१५) परपरिवाद से,
(१६) अरति-रति से, (१७) माया मृपा से, (१८) मिथ्यादर्शन-
शल्य से यावज्जीवन प्रतिविरत होते हैं ।

सब प्रकार के आरम्भ-समारम्भ से प्रतिविरत होते हैं,

करने तथा कराने से सम्पूर्णत प्रतिविरत होते हैं,

पकाने एव पकवाने से सर्वथा प्रतिविरत होते हैं,

कूटने, पीटने, तर्जित करने, ताड़ित करने, वध-वन्धन एवं
किसी को कष्ट देने से सम्पूर्णत प्रतिविरत होते हैं ।

स्नान, मर्दन-वर्णक-विलेपन-शब्द-स्पर्श-रस-रूप-गन्ध-माला-
और अलंकार से सम्पूर्ण रूप से प्रतिविरत होते हैं ।

इसी प्रकार और भी जो पाप-प्रवृत्तियुक्त, छल-प्रपचयुक्त
दूसरो के प्राणो को कष्ट पहुंचाने वाले कर्म किये जाते हैं उनसे
भी जीवन भर के लिए सम्पूर्णत प्रतिविरत होते हैं ।

वे अनगार भगवन्त—(१) ईर्यासमिति युक्त, (२) भाषा
समिति युक्त, (३) एषणासमिति युक्त, (४) पात्र आदि के उठाने,
इधर-उधर रखने की समिति से युक्त, (५) मल-मूत्र-खंखार
नाक आदि का मैल त्यागने की समिति से युक्त होते हैं ।

मन समित, वचन समित, काय समित, जो मन वचन तथा
शरीर की क्रियाओ का सयम करने वाले, गुप्त—शब्द आदि विषयो
मे राग रहित-अन्तर्मुख, गुप्तेन्द्रिय—इन्द्रियो को उनके विषय-
व्यापार मे लगाने की उत्सुकता से रहित, गुप्त ब्रह्मचारी—नियमो-
पनियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का संरक्षण करने वाले, त्यागी, लज्जा
वाले, धन्य, क्षमा-धारी, जितेन्द्रिय, शोधन करने वाले, अल्प
उत्सुक, संयत-विचार वाले, सुश्रामण्यरत, दान्त और केवल इस
निर्ग्रन्थ प्रवचन मे श्रद्धा रखकर विचरण करते हैं ।

ऐसी चर्या द्वारा सयमी जीवन का निर्वाह करने वाले पूज-
नीय श्रमणो मे से कइयो को अन्तरहित सर्वश्रेष्ठ, वाधारहित,
आवरणरहित, सर्वार्थग्राहक, परिपूर्ण, केवलज्ञान केवलदर्शन
समुत्पन्न होता है ।

वे बहुत वर्षों तक केवलीपर्याय का पालन करके, अन्त मे
आहार का परित्याग करके अनशन सम्पन्न कर,

जस्मद्ग्राह्ये कीरड नगभावे, मुडभावे, अण्हाणए, अदंतवणए, षेमलोए, वमचेरवामे, अच्छतग, अपोवाहणग, भूमिसेज्जा, फलहेमज्जा, षट्ठमेज्जा, परघरपवेसो, लद्धावलद्ध, परेहि, हौलणाओ, निदणाओ, खिसणाओ, गरहणाओ, तज्जणाओ, तान्णणाओ, परिन्नवणाओ, पव्वहणाओ, उच्चवाचया, गाम-फंटगा, चावीम परीसहोवसग्गा अहियासिज्जति ।

तमट्टमाराहिता चरिमेहि उस्सासणिस्सासेहि सिज्जति, युज्जति, मुच्चति, परिणिच्चाणयति सव्वदुपखाणमतं करेति ।

जेमि पि ष एणइयाण णो केवलवरणाणदसणे समुपज्जइ, ते व्हइं वासाइ छउमत्यपरियाग पाउणति, पाउणित्ता भावाहे उप्पण्णे वा अनुप्पण्णे वा भत्त पच्चक्खति । ते बहूइ भत्ताइ अणसणाए छेदंति, जस्सद्ग्राह्ये, कीरड नगभावे जाव-तमट्टमाराहिता चरिमेहि उस्सासणीसासेहि अणतं, अणुत्तर, निच्चाघाय, निरावरण, फसिणं, पडिपुण्ण केवलवरणाण-दसणं उप्पादंति, तओ पच्छा सिज्जिहिहि-जाव-सव्वदुपखाण-मतं करेहिंति ।

एगच्चा पुण एगे भयतारो पुव्वकम्मावतेसेण कालमासे काल पिच्चा उवकोसेण सव्वट्टसिद्धे महाविमाणे देवत्ताए उववत्तारो भवति ।

तहिं तेसिं गई, तहिं तेसिं ठिई, तहिं तेसिं उववाए पणत्ते ।

प०—तेसिं ण भते ! देवाण केवइय काल ठिई पणत्ता ?

उ०—गोयमा ! तेत्तीस सागरोवमाइं ठिई पणत्ता ।

प०—अत्थि णं भते ! तेसिं ण देवाण इड्ढी इ वा, जुई इ वा, जसे इ वा, वले इ वा, वीरिए इ वा, पुरि-सक्कारपरक्कमे इ वा ?

उ०—हंता अत्थि ।

प०—ते ण भते ! देवा परलोगस्स आराहगा,

उ०—हता अत्थि । —उव मु १२६-१२६

आराहगा अप्पारम्भा समणीवासगा—

३१२ से जे इमे गामागर-जाव-सण्णिवेसेमु मणुया भवति, त जहा— अप्पारम्भा, अप्पपरिग्गहा, धम्मिया, धम्माणुया, धम्मिद्ग्राह्ये, धम्ममत्ताई, धम्मपलोई, धम्मपलज्जणा, धम्मममुदायारा, धम्मणे चेष चित्ति मप्पेमाणा, सुगीता, सुव्वया, सुप्पडि-याणंदा ।

जिस लक्ष्य के लिए नग्नभाव, मुण्डभाव, अस्तान, अदन्त-धावन, केशलुचन, ब्रह्मचर्यवास, छाते तथा जूते का अप्रहण, भूमि, फलक व काष्ठ पट्टिका पर शयन, प्राप्त अप्राप्त की चिंता किये बिना भिक्षा हेतु परगृह प्रवेश, दूसरे के द्वारा की गई अज्ञा, अपमान, निन्दा, खिसना, गर्हा, तर्जना, ताड़ना, परिभव, प्रव्यया अनेक अल्पाधिक ईन्द्रिय-कष्ट वाईस प्रकार के परीपह एव उप-सर्ग आदि स्वीकार किये जाते हैं ।

उस लक्ष्य को पूर्ण कर अपने अन्तिम उच्छ्वास-निश्वास में सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, परिनिर्वात होते हैं और सब दुःखों का अन्त करते हैं ।

जिन कतिपय अनारो को केवलज्ञान, केवलदर्शन उत्पन्न नहीं होता वे बहुत वर्षों तक छद्मस्य-पर्याय में समय-पालन करते हैं । फिर किसी रोग आदि के उत्पन्न होने पर या न होने पर भी वे भोजन का परित्याग कर देते हैं । बहुत दिनों का अनशन करते हैं, अनशन सम्पन्न कर जिस लक्ष्य से कष्ट पूर्ण संयम पथ स्वीकार किया—यावत्—उसे आराधित करके अन्तिम उच्छ्वास निश्वास में अनन्त, अनुत्तर, निर्व्याघात, निरावरण, कृत्स्न प्रतिपूर्ण केवलज्ञान, केवलदर्शन प्राप्त करते हैं । तत्पश्चात् सिद्ध होते हैं—यावत्—सब दुःखों का अन्त करते हैं ।

कई एक ही भव करने वाले पूर्व-संचित कर्मों में से कुछ कर्म क्षय अवशेष रहने के कारण मृत्यु काल आने पर देह-त्याग कर उत्कृष्ट सर्वार्थसिद्ध महाविमान में देवरूप में उत्पन्न होते हैं ।

वहाँ अपने स्थान के अनुरूप उनकी गति, स्थिति और उप-पात होता है ।

प्र०—हे भगवन् ! उन देवों की स्थिति कितने काल की कही गई है ?

उ०—गौतम ! उनकी स्थिति तेत्तीस सागरोपम-प्रमाण कही है ।

प्र०—भन्ते ! उन देवों की श्रद्धि, श्रुति, यश, वन, योग्य एव पुरुपाकार पराक्रम होता है ?

उ०—हाँ, होता है ।

प्र०—भन्ते ! वे देव परलोक के आराधक होते हैं ?

उ०—हाँ, होते हैं ।

आराधक अल्परम्भो श्रमणोपासक—

३१३. ग्राम, आकर—यावत्—गन्निवेश आदि में वे जो मनुष्य रहते हैं, यथा—अल्परम्भो, अल्परिग्रही, धार्मिक, धर्मानुयायी, धर्मिष्ठ, धर्मवादी, धर्मप्रलोकी, धर्मानुरागी, धर्मरूप सादाचार वाले, धर्म में ही जीवन-निर्वाह करने वाले, मुनीन, सुव्रती, सदा प्रसन्नचित्त रहने वाले होते हैं ।

साहर्हि एगच्चाओ पाणाइवायाओ पडिविरया जावज्जीवाए,
एगच्चाओ अपडिविरया-जाव-एगच्चाओ परिगहाओ पडि-
विरिया जावज्जीवाए, एगच्चाओ अपडिविरिया,
एगच्चाओ कोहाओ, माणाओ, मायाओ, लोहाओ, पेज्जाओ,
दोसाओ, कलहाओ, अन्धक्खाओ, पेसुण्णाओ, परपरि-
वायाओ, अरइरईओ, मायामोसाओ, मिच्छादसणसत्ताओ,
एगच्चाओ पडिविरया जावज्जीवाए, एगच्चाओ अपडि-
विरया,

एगच्चाओ आरंभसमारंभाओ पडिविरया जावज्जीवाए,
एगच्चाओ अपडिविरया,

एगच्चाओ करणकारावणाओ पडिविरया जावज्जीवाए,
एगच्चाओ अपडिविरया,

एगच्चाओ पयणपयावणाओ पडिविरया जावज्जीवाए,
एगच्चाओ अपडिविरया,

एगच्चाओ कोट्टण-पिट्टण-तज्जण-तालण-वह-वध-परिकिले-
साओ पडिविरया जावज्जीवाए, एगच्चाओ अपडिविरया,
एगच्चाओ प्हाण-मट्टण-वण्णक-विलेवण-सट्ट-फरिस-रस-रूव-
गंध-मल्लालकाराओ पडिविरया जावज्जीवाए, एगच्चाओ
अपडिविरया,

जे यावणे तहप्पगारा सावज्जजोगोवहिया कम्मंता परपाण-
परियावणकरा फज्जति तओ वि एगच्चाओ पडिविरया
जावज्जीवाए, एगच्चाओ अपडिविरया ।

तं जहा—समगोवासगा भवति, अभिगयजीवाजीवा उवलद्ध-
पुण्णपावा आसव सवर-निज्जर-फिरिया-अहिगरण-चंध-भोक्ख-
-फुसला ।^१

असहेज्जाओ देवासुर-णाग-जक्ख-रक्खस-किन्नर-किपुरिस-
गरुल-गधव्व-महोरगाइएहि देवगणेहि निग्गंथाओ पावयणाओ
अणद्वक्कमणिज्जा,

निग्गंथे पावयणे णिस्संक्रिया, णिक्कंक्रिया, निव्वितिगिच्छा
लद्धट्ठा, गहियट्ठा, पुच्छियट्ठा, अभिगयट्ठा, विणिच्छियट्ठा,
अट्ठिमिजपेमाणुरागरत्ता,

'अयमाउसो ! निग्गंथे पावयणे, अट्ठे, अय परमट्ठे, सेसे
अणट्ठे,' ऊसियफलिहा, अवंगुयदुवारा, चियत्ततेउरपरघर-
दारप्पवेसा, चउइसट्टमुद्दिदुपुण्णमासिणीसु पडिपुण्ण पोसहं
सम्म अणुपालेत्ता,

जो साधुओ के पास स्थूल हिंसा से यावज्जीवन विरत होते
हैं और सूक्ष्म हिंसा से अविरत होते हैं—यावत्—परिग्रह से
यावज्जीवन अंशतः विरत और अशतः अविरत होते हैं ।

तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्या-
ख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद, रति-अरति, मायामृपा और मिथ्या-
दर्शनशल्य मे यावज्जीवन अंशतः विरत और अशतः अविरत
होते हैं,

आरम्भ समारम्भ से यावज्जीवन अशतः विरत अशतः
अविरत,

करने कराने से यावज्जीवन अंशतः विरत अशतः अविरत,

पचन पाचन से यावज्जीवन अशतः विरत, अंशतः अविरत,

कूटने-पीटने-तर्जन-ताडन-वध-वध और परिवर्तन से याव-
ज्जीवन अशतः विरत, अशतः अविरत,

स्नान, मर्दन, वर्णक-विलेपन-शब्द-स्पर्श-रस-रूप-गंध, माला
एवं अलंकार से यावज्जीवन अंशतः विरत, अशतः अविरत
होते हैं ।

अन्य भी जो ऐसे पाप प्रवृत्तियुक्त तथा दूसरो के प्राणो को
कष्ट पहुँचाने वाले जो कार्य किये जाते हैं उनसे भी यावज्जीवन
अशतः विरत अशतः अविरत होते हैं ।

वे इस प्रकार के श्रमणोपासक होते हैं—जीव-अजीव के
ज्ञाता, पुण्य पाप को भली भाँति समझे हुए, आश्रय, संवर,
निर्जरा, क्रिया, अधिकरण, वध और मोक्ष तत्वो मे कुशल,

किसी की सहायता की अपेक्षा न रखने वाले, देव-अमुर-
नाग-यक्ष-राक्षस-किन्नर-किम्पुरुप-नारुड-गधर्व-महोरग आदि देव-
गणो के द्वारा भी निर्ग्रन्थ-प्रवचन से विचलित न किये जा सकने
वाले,

निर्ग्रन्थ प्रवचन मे नि शक, निष्काक्ष, निर्विचिकित्स, लब्धार्थ,
गृहीतार्थ, पुष्टार्थ, अभिगतार्थ, विनिश्चितार्थ होते हैं, निर्ग्रन्थ
प्रवचन के प्रति रग-रग मे अनुराग से रगे हुए होते हैं ।

हे आयुष्मन् ! निर्ग्रन्थ प्रवचन ही सार है, यही परमार्थ है
और शेष अनर्थ है, ऐसा श्रद्धान और कथन करने वाले, अंगला
को न लगाने वाले, अतिथियो के लिए द्वार खुला रखने वाले,
अन्तःपुर तथा परकीय घर में वेरोक टोक आने-जाने वाले, चतु-
दंशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा इन तिथियो मे प्रतिपूर्ण
पोषध व्रत का सम्यक् प्रकार से पालन करने वाले,

१ धर्म शिक्षा मे उपस्थित श्रावक श्राविका आज्ञा का आराधक होता है ।

समणे निगंथे फामुय एमणिज्जेण असण-पाण-खाइम-साइ-
मेणं, यत्यपडिगह-कवल-पायपुछणेण, ओसहभेसज्जेणं, पडि-
हारएण य पीठ-फलण-सेज्जा सथारएण, पडिलाभेमाणा
विहरति विहरिता भत्त पच्चवत्तति, भत्त पच्चविखत्ता
ते बहूइं भत्ताइं अपसणाए छेदंति, छेदित्ता आलोइयपडिक्कंता
समाहिपत्ता कालमासे काल किच्चा उक्कोसेण अच्चुए कप्पे
देवत्ताए उववत्तारो भवति ।

तहिं तेसिं गई-जाव-चावीस सागरोवमाइ ठिई-जाव-पर-
सोगस्स आराहगा । —उव. सु. १२३-१२४

आराहगा सण्णिपचेन्द्रिय तिरिक्खजोणिया—

३१४. से जे इमे सण्णिपचेन्द्रियतिरिक्खजोणिया पज्जत्तया भवति,
तजहा—जलयरा, यलयरा, खहयरा ।
तेसिं णं अत्येगइयाण सुभेण परिणामेणं, पसस्येहि अज्जव-
साणेहि, सेस्ताहिं विमुज्जसाणीहिं, तयावरणिज्जाण कम्मणं
त्तओवसमेणं, ईहावूह-भग्गण-भवेत्तणं करेमाणाण सण्णीपुच्च-
जाइसरणे समुप्पजइ ।

तए णं समुप्पण-जाइसरणा समाणा सयमेव पंचाणुध्वयाइं
पडिक्खज्जति पडिक्खजित्ता,
बहूइं सीलव्वयगुणवेरमणपच्चक्खण पोसहोववासेहिं अप्पाणं
भावेमाणा,
बहूइं धासाइ आउयं पालेति, पालित्ता आलोइयपडिक्कता,
समाहिपत्ता कालमासे कालं किच्चा उक्कोसेण सहस्सारे
कप्पे देवत्ताए उववत्तारो भवति ।

तहिं तेसिं गई-जाव-अट्टारस सागरोवमाइ ठिई-जाव-पर-
सोगस्स आराहगा । —उव. सु. ११८-११९

विराहगा एगंत बाला—

३१५. प०—जीवे ण भत्ते ! असंजए, अखिरए, अपडिहयपच्च-
क्कतायपायक्कम्मे, सखिरए, असक्खे, एगतदडे, एगत-
बासे, एगतमुत्ते, ओसण्णतसपाणघाई कालमासे काल
किच्चा पेरइएसु उववत्तति ?

उ०—इंता उववत्तति ।

—उव सु ६७

तथा श्रमण निर्ग्रन्थो को प्रासुक एव एषणीय ब्रह्मण, पान,
खादिम और र्गादिम आहार का तथा वस्त्र, पात्र, बन्धन,
पादप्रोक्षण, औषध, भेषज तथा पडिहारी (वापिस लेने मोप)
पीठ, फलक, शय्या, सस्तारक का दान करते हुए विचरते हैं,
विचरकर अन्त में आहार का प्रत्याख्यान करते हैं । आहार का
प्रत्याख्यान करके बहुत से भक्तो (भोजन वेलाओ का) अनशन से
छेदन करते हैं, छेदन करके आलोचना-प्रतिक्रमण करके समाधि
को प्राप्त होकर काल मास में काल करके उत्कृष्ट अच्युत कल्प
में देव रूप से उत्पन्न होते हैं ।

वहाँ उनके स्थान के अनुरूप गति—यावत्—चाईस साग-
रोपम की स्थिति कही गई है—यावत्—वे परलोक के आराधक
होते हैं ।

आराधक सन्निपचेन्द्रिय तिर्यचयोनिः—

३१४. जो ये सन्निपचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यचयोनिः होते हैं,

जैसे—(१) जलचर, (२) स्थलचर, (३) खेचर,

उनमें से कइयो के उत्तम अध्यवसाय, शुभ परिणाम तथा
विशुद्ध होती हुई लेश्याओ के कारण ज्ञानावरणीय एव धीरान्त-
राय कम के क्षयोपशम से ईहा, अपोह, मागंगा, गवेयणा करते
हुए अपनी सज्जित-अवस्था से पूर्ववर्ती भवो की स्मृति रूप जाति-
स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है ।

जाति-स्मरण ज्ञान उत्पन्न होने पर वे स्वयं पाँच अपुत्र
स्वीकार करते हैं, स्वीकार करके,

अनेकविध शीलव्रत, गुणव्रत, विरति, प्रत्याख्यान पीपधोप-
वास आदि द्वारा आत्मा को भावित करते हुए बहुत वर्षों तक
अपने आयुष्य का पालन करते हैं फिर वे अपने पापस्यातो की
आलोचना कर प्रतिक्रमण कर समाधि-अवस्था प्राप्त कर मृत्यु
काल आने पर देह-त्याग कर उत्कृष्ट सहस्रार-कल्प-देवलोक में
देव रूप में उत्पन्न होते हैं ।

अपने स्थान के अनुरूप उनकी गति होती है—यावत्—
उनकी वहाँ अठारह सागरापम की स्थिति कही गई है—यावत्—
वे परलोक के आराधक होते हैं ।

विराधक एकान्त बाल—

३१५ प्र०—भगवन् ! जो जीव समय रहित है, अखिरत है,
जिसने सम्यक्त्वपूर्वक पापकर्मों को हलका नहीं किया है, नहीं
मिटाया है, जो सत्रिय है-सवररहित है-पापपूर्ण प्रवृत्तियों द्वारा
अपने को तथा ओरो को दण्डित करता है, एकान्त बाल है तथा
मिथ्यात्व की प्रगाढ़ निद्रा में सोया हुआ है, तस प्राणियों की
हिंसा में लगा रहता है तो क्या वह मृत्यु आने पर मरकर नैर-
यिकों में उत्पन्न होता है ?

उ०—हाँ, गौतम यह नरक में उत्पन्न होता है ।

विराहगा अकाम निज्जरा कारगा—

३१६. प०—जीवे णं भंते ! असंजए अविरए अप्पडिहयपच्च-
क्खायपावकम्मे इओ च्चुए पेच्चा देवे सिया ?

उ०—गोयमा ! अत्येगइया देवे सिया, अत्येगइया णो देवे
सिया ।

प०—से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ—

“अत्येगइया देवे सिया, अत्येगइया णो देवे सिया ?”

उ०—गोयमा ! जे इमे जीवा गामागर-णगर-णिगम-राय-
हाणि - खेड - कब्बड-मडव-दोणमुह-पट्टणासम-संवाह-
सण्णिवेसेसु अकामतण्हाए, अकामछुहाए, अकामवंभ-
चेरवासेण, अकामअण्हाणग-सोयायववंसमसग-सेय-
जल्ल-मल्ल-पंक्कपरितावेणं अप्पतरो वा भुज्जतरो वा
कालं अप्पाणं परिकिलेसंति, अप्पतरो वा भुज्जतरो
वा काल अप्पाणं परिकिलेसित्ता कालमासे काल
किच्चा अण्णयरेसु बाणमतरेसु देवलोएसु देवत्ताए
उववत्तारो भवंति । तहिं तेसिं गई, तहिं तेसिं ठिई,
तहिं तेसिं उववाए पण्णत्ते ।

प०— तेसिं णं भंते ! देवाणं केवइय काल ठिई पण्णत्ता ?

उ०—गोयमा ! वसवाससहस्साईं ठिई पण्णत्ता ।

प०—अत्थि ण भंते ! तेसिं देवाणं इड्ढी इ वा, जुई इ वा
जसे इ वा, बले इ वा, खीरिए इ वा, पुरिसक्कार-
परक्कमे इ वा ?

उ०—हंता अत्थि ।

प०—ते ण भंते ! देवा परलोगस्स आराहगा ?

उ०—णो इणट्टे समट्टे । —उव. सु. ६८-६९

विराहगा अकाम परिकिलेसगा—

३१७. से जे इमे गामागर-जाव-सण्णिवेसेसु मणुया भवति, त
जहा—

१. अंडबडगा,

२. गिअसबडगा,

३. हडिबडगा,

४. चारगबडगा,

५. हत्थाठिण्णगा,

विराधक अकाम निर्जरा करने वाले—

३१६. प्र०—भगवन् ! जिन्होंने समय नहीं साधा है, जो हिंसा,
असत्य आदि से विरत नहीं है, जिन्होंने सम्यक् श्रद्धापूर्वक पापों
का त्याग कर उन्हें नहीं मिटाया है, वे यहाँ से मृत्यु प्राप्त कर
आगे के जन्म में क्या देव होते हैं ?

उ०—गौतम ! कई देव होते हैं, कई देव नहीं होते हैं ।

प्र०—भगवन् ! आप किस अभिप्राय से ऐसा कहते हैं कि
कई देव होते हैं, कई देव नहीं होते हैं ?

उ०—गौतम ! जो जीव मोक्ष की अभिलाषा के बिना या
कर्मक्षय के लक्ष्य के बिना ग्राम, आकर, नगर, निगम, राजधानी
खेट, कर्वट, मडव, द्रोणमुख, पत्तन, आश्रम, संवाह और सन्निवेश
में तृपा, क्षुधा ब्रह्मचर्य, अस्नान, शीत, आतप, डास, मच्छर,
पसीना, रज, मैल, पक इन परितापों से अपने आपको थोड़ा या
अधिक क्लेश देते हैं, कुछ समय तक अपने आपको क्लेशित करके
मृत्यु का समय आने पर देह का त्याग कर वे वानव्यन्तर देव-
लोको में से किसी देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न होते हैं ।
वहाँ उनकी अपनी विशेष गति, स्थिति तथा उपपात होता है ।

प्र०—भगवन् ! वहाँ उन देवों की स्थिति कितने समय की
वतलाई गई है ?

उ०—गौतम ! वहाँ उनकी स्थिति दस हजार वर्ष की
वतलाई गई है ।

प्र०—भगवन् ! क्या उन देवों की ऋद्धि, द्युति, यश, बल,
वीर्य, पुरुषार्थ तथा पराक्रम होते हैं ?

उ०—हाँ, गौतम ऐसा होता है ।

प्र०—भगवन् ! क्या वे देव परलोक के आराधक होते हैं ?

उ०—गौतम ! ऐसा नहीं होता अर्थात् वे आराधक नहीं
होते हैं ।

विराधक अकाम कण्ट भोगने वाले—

३१७. जो ये ग्राम, आकर—यावत्—सन्निवेश में मनुष्य होते
हैं, यथा—

(१) जिनके किसी अपराध के कारण काठ या लोहे के
बन्धन से हाथ और बाँध दिये जाते हैं,

(२) जो वेडियों से जकड़ दिये जाते हैं,

(३) जिनके पैर काठ के खोड़े में डाल दिये जाते हैं,

(४) जो कारागार में बन्द कर दिये जाते हैं,

(५) जिनके हाथ काट दिये जाते हैं,

६. पायछिण्णगा, (६) जिनके पैर काट दिये जाते हैं,
७. फण्णछिण्णगा, (७) जिनके कान काट दिये जाते हैं,
८. नक्कछिण्णगा, (८) जिनके नाक काट दिये जाते हैं,
९. ओट्टछिण्णगा, (९) जिनके होठ छेद दिये जाते हैं,
१०. जिम्मछिण्णगा, (१०) जिह्वाएँ काट दी जाती हैं,
११. सीसछिण्णगा, (११) मस्तक छेद दिये जाते हैं,
१२. मुत्तछिण्णगा, (१२) मुह छेद दिये जाते हैं,
१३. मज्झछिण्णगा, (१३) मध्य भाग (पेट) छेद दिये जाते हैं,
१४. वेक्कच्छिण्णगा, (१४) वार्ये कन्धे से लेकर दाहिनी काँख तक के मस्तक सहित विदीर्ण कर दिये जाते हैं,
१५. हिययत्तप्पाडियगा, (१५) हृदय चीर दिये जाते हैं,
१६. णयणुप्पाडियगा, (१६) आँखें निकाल ली जाती हैं,
१७. दसणुप्पाडियगा, (१७) दाँत तोड़ दिये जाते हैं,
१८. थसणुप्पाडियगा, (१८) अडकोप उखाड़ दिये जाते हैं,
१९. गेवच्छिण्णगा, (१९) गर्दन तोड़ दी जाती है,
२०. तडुलच्छिण्णगा, (२०) चावलो की तरह जिनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते हैं,
२१. कागणिमंसक्खावियगा, (२१) शरीर का कोमल मांस उखाड़ कर जिन्हें खिलाया जाता है,
२२. ओलवियगा, (२२) जो रस्सी से बाँधकर कुएँ खड्डे आदि में लटका दिये जाते हैं,
२३. लम्बियगा, (२३) वृक्ष की शाखा में हाथ बाँध कर लटका दिये जाते हैं,
२४. घसियगा, (२४) चन्दन की तरह पत्थर आदि पर घिस दिये जाते हैं,
२५. घोलियगा, (२५) पात्र-स्थित दही की तरह जो मथ दिये जाते हैं,
२६. फालियगा, (२६) काठ की तरह कुल्हाड़े से फाड़ दिये जाते हैं,
२७. पीलियगा, (२७) जो गन्ने की तरह कोल्हू में पेल दिये जाते हैं,
२८. सूलाइयगा, (२८) जो सूली में पिरो दिये जाते हैं,
२९. सूलमिण्णगा, (२९) जिनके देह से लेकर मस्तक में से सूली निकाल दी जाती है,
३०. सारवत्तिया, (३०) जो सार के वर्तन में डाल दिये जाते हैं,
३१. वज्जवत्तिया, (३१) जो गीले चमड़े से बाँध दिये जाते हैं,
३२. सीहपुच्छियगा, (३२) सिंह की पूँछ से बाँधे जाते हैं, अथवा जिनके जन्नेन्द्रिय काट दिये जाते हैं,
३३. वयगिदद्धगा, (३३) जो दावाग्नि में जल जाते हैं,
३४. पंकीमण्णगा, (३४) जो कीचड़ में डूब जाते हैं,
३५. पंकेणुत्तगा, (३५) जो कीचड़ में फम जाते हैं,
३६. बल्लमयगा, (३६) जो गला मोड़कर मरते हैं,
३७. वसट्टमयगा, (३७) जो आतंघ्यान से पीड़ित होकर मरते हैं,
३८. गियाणमयगा, (३८) जो निदान करके मरते हैं,
३९. संतोसत्तमयगा, (३९) जो भाले आदि में अपने आपको बंधकर मरते हैं,

४०. गिरिपडियगा,
 ४१. तरुपडियगा,
 ४२. मरुपडियगा,
 ४३. गिरिपक्खंदोलगा,
 ४४. तरुपक्खंदोलगा,
 ४५. मरुपक्खंदोलगा,

४६. जलपवेशिगा,
 ४७. जलणपवेशिगा,
 ४८. धिसभक्खियगा,
 ४९. सत्योवाडियगा,
 ५०. वेहाणसिया,

५१. गिद्धपिट्टुगा,

५२. कंतारमयगा,
 ५३. दुग्गिभक्खमयगा,

असकिलिट्टपरिणामा ते कालमासे कालं किच्चा अण्णयरेसु
 वाणमत्तरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवति । तर्हि
 तेसि गर्ई-जाव-वारसवाससहस्ताइ ठिई-जाव-परलोगस्त
 विराहगा ।

—उव. सु. ७०

विराहगा भद्रपगइ जणा—

३१८. से जे इमे गामागर-जाव-सण्णिवेसेसु मणुया भवति, त
 जहा—

१. पगइमहगा, २. पगइउवसंता,
 ३. पगइपतणुकोहमाणमायालोहा,

४. मिउमह्वसंपण्णा,
 ५. अल्लीणा, ६. विणीया,
 ७. अम्मापिउसुसुसगा,
 ८. अम्मापिउण अणइक्कमणिज्जवयणा.
 ९. अप्पिच्छा,
 १०. अप्पारम्भा,
 ११. अप्पपरिगहा,
 १२. अप्पेणं आरम्भेणं,
 १३. अप्पेणं समारम्भेणं,
 १४. अप्पेणं आरम्भसमारम्भेणं चित्तिं कप्पेमाणा ।

- (४०) जो पर्वत से दृश्यमान स्थान में गिरकर मरते हैं,
 (४१) जो वृक्ष से गिरकर मरते हैं,
 (४२) जो पर्वत से अदृश्य स्थान पर गिरकर मरते हैं,
 (४३) जो पर्वत से छलाग लगाकर मरते हैं,
 (४४) जो वृक्ष से छलाग लगाकर मरते हैं,
 (४५) जो पर्वत से अदृश्य स्थान पर छलाग लगाकर
 मरते हैं,

- (४६) जो जल में प्रवेश कर मरते हैं,
 (४७) जो अग्नि में प्रवेश कर मरते हैं,
 (४८) जो जहर खाकर मरते हैं,
 (४९) जो शस्त्रों से अपने आप को विदीर्ण कर मरते हैं,
 (५०) जो वृक्ष की डाली आदि से लटककर फाँसी लगाकर
 मरते हैं,

(५१) जो मरे हुए मनुष्य, हाथी, ऊँट, गधे आदि की देह
 में प्रविष्ट होकर गीघो की चोचो से विदारित होकर मरते हैं,

- (५२) जो जंगल में खोकर मरते हैं,
 (५३) जो दुर्भिक्ष में भूख प्यास आदि से मर जाते हैं,
 यदि उनके परिणाम सक्लिष्ट—अर्थात् आर्त रौद्र ध्यान
 युक्त न हो तो उस प्रकार से मृत्यु प्राप्त कर वे वानव्यन्तर देव-
 लोको में से किसी देवलोक में देवरूप में उत्पन्न होते हैं । वहाँ
 उस लोक के अनुरूप उनकी गति होती है—यावत्—उनकी
 स्थिति वारह हजार वर्ष की होती है—यावत्—वे परलोक के
 विराधक होते हैं ।

विराधक भद्र प्रकृति मनुष्य—

३१८. जो ये ग्राम, आकर—यावत्—सन्निवेश में मनुष्य होते
 हैं, यथा—

- (१) प्रकृति भद्र, (२) शान्त,
 (३) स्वभावतः क्रोध, मान, माया एवं लोभ की उग्रता से
 रहित,
 (४) मृदु मार्दवमम्पन्न,
 (५) गुरुजन के आज्ञापालक, (६) विनयशील,
 (७) माता-पिता की सेवा करने वाले,
 (८) माता-पिता के वचनों का उल्लंघन नहीं करने वाले,
 (९) बहुत कम इच्छाएँ रखने वाले,
 (१०) कम से कम हिंसा करने वाले,
 (११) परिग्रह के अल्प परिमाण से परितुष्ट,
 (१२) अल्पारम्भ,
 (१३) अल्पसमारम्भ और
 (१४) अल्प आरम्भ समारम्भ में आजीविका चलाने वाले ।

वहई यासाइ आउयं पालेंति, पालित्ता कालमासे कालं
किच्चा अप्पयरेसु चाणमंतरेसु देवलोगेसु देवत्ताए उववत्तारो
भवति । तहिं तेंति गई-जाव-चउहसवासहस्साइ ठिई-जाव-
परलोगस्स विराहगा । —उव सु. ७१

वहुत वर्षों का आयुष्य भोगते हुए, आयुष्य पूरा कर, मृत्यु-
काल आने पर देह-त्याग कर वानव्यन्तर देवलोको मे से किसी
देवलोक में देवरूप में उत्पन्न होते हैं । वहाँ अपने स्थान के अनुष्य
उनकी गति होती है—यावत्—इनकी स्थिति षोडह हजार वर्षों
की होती है—यावत्—वे परलोक के विराघक होते हैं ।

विराघक स्त्रियाँ—

विराहगाओ इत्यियाओ—

३१९ से जाओ इमाओ गामागर-जाव-सण्णिवेसेसु इत्यियाओ
भवन्ति, तं जहा—

- १ अतो अंतैउरियाओ,
२. गयपइयाओ,
- ३ मयपइयाओ,
४. चालविहवाओ,
- ५ छट्टिट्ठपल्लियाओ,
- ६ माइरक्खियाओ,
७. पियरक्खियाओ,
- ८ भायरक्खियाओ,
९. पइरक्खियाओ,
१०. कुलघररक्खियाओ,
११. समुरकुलरक्खियाओ,
१२. मित्तनाइनिघगसंबधिरक्खियाओ,

१३. परुडणहकेसकपखरोमाओ,

१४ ववगयधूवपुप्फगधमल्लालंकाराओ,

१५ अण्हागसेयजल्लमल्लपकपरित्ताधिपाओ,

१६ ववगयधूवीर-दहि - णयणीय- सप्पि-तेल्ल-धुल लोण-महु-
मज्ज-मस-परिचत्तकपाहाराओ,

१७. अप्पिच्छाओ,

१८. अप्पारमाओ,

१९ अप्पपरिग्गहाओ,

२०. अप्पेणं आरम्भेण,

२१. अप्पेणं समारम्भेण,

२२. अप्पेणं आरम्भत्तमारम्भेण वित्ति अप्पेमाणीओ,

२३ अशामयमचेरयामेणं,

२४. तामेव पइमेउमं पाइक्कमंति,

३१९. २ो ये ग्राम, आकर—यावत्—सन्निवेश में स्त्रियाँ होती
हैं, यथा—

(१) जो अन्त.पुर के अन्दर निवास करती हों,

(२) जिनके पति परदेश गये हों,

(३) जिनके पति मर गये हों,

(४) जो चाल्यावस्था में ही विधवा हो गई हों,

(५) जो पतियों द्वारा परित्यक्त कर दी गई हों,

(६) जिनका पालन-पोषण, संरक्षण माता-पिता द्वारा होता हो,

(७) जो पिता द्वारा रक्षित हों,

(८) जो भाइयों द्वारा रक्षित हों,

(९) जो पति द्वारा रक्षित हों,

(१०) जो पीहर के अभिभावकों द्वारा रक्षित हों,

(११) जो धवसुर-कुल के अभिभावकों द्वारा रक्षित हों,

(१२) जो पति या पिता आदि के मित्रों, अपने हितैषियों,

मामा, नाना आदि सम्बन्धियों, अपने सगोत्रीय देवर, जेठ आदि
पारिवारिकजनो द्वारा रक्षित हों,

(१३) विशेष परिष्कार के अभाव में जिनके नख, केस,
नाख के बाल बढ गये हों,

(१४) जो धूप, पुष्प, सुगन्धित पदार्थ, मालाएँ धारण नहीं
करती हों,

(१५) जो अस्नान, स्वेद, मल्ल, पक से पीड़ित रहती हों,

(१६) जो दूध, दही, मक्खन, घृत, तेल, गुड, नमक, मधु,
मद्य और आम रहित आहार करती हों,

(१७) जिनकी इच्छाएँ बहुत कम हों,

(१८) जो कम हिसा करने वाली हों,

(१९) जिनके धन, धान्य आदि परिग्रह बहुत कम हों,

(२०) जो अल्प आरम्भ,

(२१) जो अल्प समारम्भ,

(२२) जो अल्प जीव-परितापन द्वारा अपनी जीविका
चलाती हों,

(२३) मोक्ष की अभिनाया या लक्ष्य के बिना जो ब्रह्मचर्य
या पावन करती हों,

(२४) जो पति-धर्या का अतिक्रमण नहीं करती हों ।

ताओ ण इत्थियाओ एयारूवेणं विहारेण विहरमाणीओ बहूइं
वासाइं आउयं पालेंति, पालित्ता कालमासे कालं किच्चा
अण्णयरेसु वाणमंतरेसु देवलोएसु देवत्ताए-उववत्तारीओ
भवन्ति, तहिं तेंसि गई-जाव-चउसद्धिं वाससहस्साइ ठिई
-जाव-परलोगस्स विराहगा । —उव. सु. ७२

विराहगा बाल तवस्सी—

३२० से जे इमे गामागर-जाव-सण्णिवेसेसु मणुया भवति,
तं जहा—

१. दगविइया,

२. दगतइया,

३. दगसत्तमा,

४. दगएक्कारसमा,

५. गोयम,

६. गोव्वइय,

७. गिहिघम्म,

८. घम्मचित्तग,

९. अवरुद्ध,

१०. विरुद्ध,

११. वृद्ध—

१२. सावगप्पभित्तयो, तेसि ण मणुयाणं णो कप्पति इमाओ
नवरसविगइओ आहारेत्तए, त जहा—

१. खोरं, २. दाहिं, ३. णवणीय, ४. सप्पि, ५. तेल्लं

६. फाणियं, ७. महं, ८. मज्ज, ९. मंसं, णो अण्णत्थ

एक्काए सरिसवविगइए । ते ण मणुया अप्पिच्छा-जाव-

चउरासीइ वाससहस्साइ ठिई-जाव-परलोगस्स विराहगा ।

—उव. सु ७३

विराहगा वाणपत्या —

३२१. से जे इमे गंगाकूलगा वाणपत्या तावसा भवति, तं जहा—

१. होत्तिया,

२. पोत्तिया,

इस प्रकार के आचरण द्वारा जीवनयापन करती हुई बहुत
वर्षों का आयुष्य पूरा कर, मृत्यु काल आने पर देह-त्याग कर
वानव्यन्तर देवलोको मे से किसी देवलोक मे देवरूप मे उत्पन्न
होती हैं । वहाँ अपने स्थान के अनुरूप उनकी गति होती है
—यावत्—उनकी स्थिति चौंसठ हजार वर्ष की होती है—यावत्-
वे परलोक की विराधक होती है ।

विराधक बाल तपस्वी—

३२०. जो ये ग्राम, आकर—यावत्—सन्निवेश मे मनुष्य होते
यथा—

(१) उदक द्वितीय—एक खाद्य पदार्थ तथा दूसरा जल सेवन
करने वाले,

(२) उदक तृतीय—दो खाद्य पदार्थ तथा तीसरे जल का
सेवन करने वाले,

(३) उदक सप्तम—छह खाद्य पदार्थ तथा सातवें जल का
सेवन करने वाले,

(४) उदकैकादश—भात आदि दस पदार्थ तथा ग्यारहवें जल
का सेवन करने वाले,

(५) गौतम—प्रशिक्षित वेल द्वारा मनोरजक प्रदर्शन प्रस्तुत
कर भिक्षा मांगने वाले,

(६) गोव्रतिक—गो-सेवा का विशेष व्रत स्वीकार करने वाले,

(७) अतिथि सेवा दान आदि गृहस्थ-धर्म को ही कल्याण-
कारी मानने वाले,

(८) धर्मचिन्तक—धर्मशास्त्र के पाठक,

(९) अवरुद्ध—वैनयिक-भक्ति मार्गी,†

(१०) विरुद्ध—अक्रियावादी-क्रिया-विरोधी,

(११) वृद्ध तापस,

(१२) श्रावक—धर्मशास्त्र के श्रोता, ब्राह्मण आदि,

जो (१) दूध, (२) दही, (३) मक्खन, (४) घृत, (५) तेल,
(६) गुड, (७) मधु, (८) मद्य तथा (९) मांस को अपने लिए
अकल्प्य-अग्राह्य मानते हैं, मरसो के तेल के सिवाय इनमे मे
किसी का सेवन नहीं करते, जिनकी आकाशाएँ बहुत कम होती
हैं, ऐसे मनुष्यों की—यावत्—८४ हजार वर्ष की स्थिति होती
है—यावत्—वे परलोक के विराधक होते हैं ।

विराधक वानप्रस्थ—

३२१. जो ये गंगा के किनारे रहने वाले वानप्रस्थ तापस होते
हैं, यथा—

(१) अग्नि मे हवन करने वाले,

(२) वन्य धारण करने वाले,

- ३ फोत्तिषा,
 ४ जप्गई,
 ५ मद्दई,
 ६ धालई,
 ७ हुवउट्टा,
 ८ दतुक्कल्लिया,
 ९ चम्मज्जगा,
 १० सम्मज्जगा,
 ११ निमज्जगा,
 १२ संपक्खाला,
 १३ दक्खिणकूलगा,
 १४ उत्तरकूलगा,
 १५ सपघमगा,
 १६ फूलघमगा,
 १७ मिगलुद्धगा,
 १८ हत्थितावसा,
 १९ उद्दडगा,
 २० दिसापोकियणो,
 २१ वाक्कासिणो,
 २२ विलवासिणो,
 २३ येलवासिणो,
 २४ जलवासिणो,
 २५ रक्खमूलिया,
 २६ अयुमभियणो,
 २७ वाउमभियणो,
 २८ मेवालभियणो,
 २९ मूलाहारा,
 ३० क्वाहारा,
 ३१ तयाहारा,
 ३२ पत्ताहारा,
 ३३ पुष्पाहारा,
 ३४ फलाहारा,
 ३५ बीपाहारा,
 ३६ परित्तिव्व-कंठ मूल-तय-पत्त-पुष्फ-फलाहारा,
- (३) पृथ्वी पर सोने वाले,
 (४) यज्ञ करने वाले,
 (५) श्राद्ध करने वाले,
 (६) पात्र धारण करने वाले,
 (७) कुण्डी धारण करने वाले,
 (८) फल-भोजन करने वाले,
 (९) पानी में एक बार डुबकी लगाकर नहाने वाले,
 (१०) बार-बार डुबकी लगाकर नहाने वाले,
 (११) पानी में कुछ देर तक डूबे रहकर स्नान करने वाले,
 (१२) मिट्टी आदि के द्वारा देह को रगडकर स्नान करने वाले,
 (१३) गंगा के दक्षिणी तट पर रहने वाले,
 (१४) गंगा के उत्तरी तट पर निवास करने वाले,
 (१५) तट पर शंख बजाकर भोजन करने वाले,
 (१६) तट पर खड़े होकर, शब्द कर भोजन करने वाले,
 (१७) व्याधो की तरह हिरणो का मांस ग्याकर जीवन चलाने वाले,
 (१८) हाथी का वध कर उसका मांस ग्याकर बहुत काल व्यतीत करने वाले,
 (१९) दण्ड को ऊंचा किये घमने वाले,
 (२०) दिशाओ में जल छिडककर फलफूल इकट्ठे करने वाले,
 (२१) वृक्ष की छाल को वस्त्रो की तरह धारण करने वाले,
 (२२) गुफाओ में निवास करने वाले,
 (२३) समुद्र तट के समीप निवास करने वाले,
 (२४) पानी में निवास करने वाले,
 (२५) वृक्ष के नीचे निवास करने वाले,
 (२६) जल का आहार करने वाले,
 (२७) हवा का ही आहार करने वाले,
 (२८) काई का आहार करने वाले,
 (२९) मूल का आहार करने वाले,
 (३०) कन्द का आहार करने वाले,
 (३१) वृक्ष की छाल का आहार करने वाले,
 (३२) वृक्ष के पत्तो का आहार करने वाले,
 (३३) फूलों का आहार करने वाले,
 (३४) फलों का आहार करने वाले,
 (३५) बीजों का आहार करने वाले,
 (३६) अपने आप गिरे हुए कन्द, मूल, छान, पत्र, पुष्प तथा फल का आहार करने वाले,

३७. जलाम्बिसेयकडिणगायभूया,

३८. आयावणाहि,

३९. पंचगितावेहि,

४०. इंगालसोल्लियं,

४१. कण्डुसोल्लियं,

४२. कण्डुसोल्लियं पिव अप्पाणं करेमाणा बहूइं वासाइ परियाग पाउणति, बहूइं वासाइ परियागं पाउणित्ता कालमासे कालं किच्चा उक्कोसेणं जोइसिएसु देवेसु देवत्ताए उववत्तारो भवति । तर्हि तेसिं गई-जाव-पलिओवमं वाससयसहस्समग्महिय ठिई-जाव-परलोगस्स विराहगा ।

—उव. सु. ७४

विराहगा कंदप्पिया समणा—

३२२. से जे इमे गामागर-जाव-सण्णिवेसेसु पव्वइया समणा भवति, तं जहा—

१. कंदप्पिया,

२. कुक्कुइया,

३. मोहरिया,

४. गीयरइप्पिया,

५. नच्चणसीला ।

ते णं एएणं विहारेण विहरमाणा बहूइं वासाइं सामण्ण-परियायं पाउणति, बहूइं वासाइं सामण्णपरियाय पाउणित्ता तस्स ठाणस्स अणालोइय अप्पडिक्कता कालमासे कालं किच्चा उक्कोसेण सोहम्मे कंदप्पिएसु देवेसु देवत्ताए उववत्तारो भवति । तर्हि तेसिं गई-जाव-पलिओवमं वाससयसहस्समग्महिय ठिई-जाव-परलोगस्स विराहगा ।

—उव. सु. ७५

विराहगा परिव्वायगा—

३२३. से जे इमे गामागर-जाव-सण्णिवेसेसु परिव्वायगा भवति, तं जहा—

१. संखा,

२. जोगी,

३. काविला,

४. मिज्झा,

५. हंसा,

(३७) जलाभिषेक करने से जिनका शरीर कठिन हो गया है ऐसे,

(३८) सूर्य की आतापना से शरीर को तपाने वाले,

(३९) पचाग्नि की आतापना से,

(४०) तपकर कोयले के समान शरीर को बनाने वाले,

(४१) भाड में भुंजे हुए के समान,

(४२) काठ के समान शरीर को बनाने वाले, बहुत वर्षों तक वानप्रस्थ पर्याय का पालन करते हैं और पालन कर मृत्यु-काल आने पर देह त्यागकर वे उत्कृष्ट ज्योतिष्क देवों में देव रूप में उत्पन्न होते हैं । वहाँ अपने स्थान के अनुरूप उनकी गति होती है—यावत्—एक लाख वर्ष अधिक एक पत्योपम-प्रमाण की स्थिति होती है—यावत्—वे परलोक के विराधक होते हैं ।

विराधक कांदर्पिक श्रमण—

३२२ जो ये ग्राम, आकर—यावत्—सन्निवेश में प्रव्रजित श्रमण होते हैं, जैसे—

(१) कान्दर्पिक—हसी-मजाक करने वाले,†

(२) कोत्कुचिक—भौ, आँख, मुँह, हाथ, पैर आदि से भाडों की तरह कुत्सित चेष्टाएँ कर हँसाने वाले,

(३) मौखरिक—असम्बद्ध या ऊटपटाग बोलने वाले,

(४) गीतरतिप्रिय—गानयुक्त क्रीडा में विशेष अभिरुचि वाले,

(५) नर्तनशील-नाचने की प्रवृत्ति वाले ।

जो अपने-अपने जीवनक्रम के अनुसार आचरण करते हुए बहुत वर्षों तक श्रमण-जीवन का पालन करते हैं, पालन कर अन्त समय में अपने पाप-स्थानों का आलोचन-प्रतिक्रमण नहीं करते, गुरु के समक्ष आलोचना कर दोष-निवृत्त नहीं होते, वे मृत्युकाल आने पर देह-त्याग कर उत्कृष्ट मौर्धम-कल्प में प्रथम देवलोक में हास्य-क्रीडा-प्रधान देवों में उत्पन्न होते हैं । वहाँ अपने स्थान के अनुरूप उनकी गति होती है—यावत्—एक लाख वर्ष अधिक एक पत्योपम स्थिति होती है—यावत्—वे परलोक के विराधक होते हैं ।

विराधक परिव्राजक—

३२३ जो ये ग्राम, आकर—यावत्—सन्निवेश में अनेक प्रकार के परिव्राजक होते हैं, जैसे—

(१) माख्य-पुरुष,

(२) योगी—हठ योग के अनुष्ठाता,

(३) कापिल—महर्षि कपिल को मानने वाले निरीश्वरवादी सांख्य मतानुयायी,

(४) भागव—भृगु ऋषि की परम्परा के अनुमर्ता,

(५) हंस,

६. परमहसा,
७ बहुजदगा,
८. मुनिव्याया,
९ कृष्णपरिव्याया ।

तस्य सप्तु इमे अट्ट माहर्ण-परिव्यायागा भवति तं जहा—
१ षण्णे य ० करकंडे य, ३. अवडे य ४ परासरे ।
५ षण्णे ६. दीवाषणे चैव ७ देवगुप्ते य ८. नारए ॥
तस्य सप्तु इमे अट्ट सत्तियपरिव्यायागा भवति, तं जहा—
१ सोनई २ ससिहारे य, ३ नगई ४. भगई ति य ।
५. विदेहे ६, रायाराया, ७ राया रामे ८ चलेति य ॥

ते ण परिव्यायागा रिउव्येद-यजुष्वेद-सामवेद-अह्वणवेद
इतिहास-पचमाण, निघण्टुछट्टाणं, संगोवंगण सरहस्साण
चउण्ह वेदाण सारगा पारगा धारगा, सडंगवी, सट्टित्तवि-
सारया, मंसाणे, सिक्खा, फण्णे, धारगणे, छवे, निरुत्ते,
जोहसामयणे, अण्णेषु य बहुसु यंमण्णएसु य सत्थेषु परि-
व्यायएसु य नएसु सुपरिणिट्ठिया यावि होत्था ।

ते ण परिव्यायागा दाणधम्म च भोयधम्म च तित्थामिसेय
च आयवेमाणा, पण्णवेमाणा, पत्थेमाणा विहरंति । ज ण
अम्ह किं चि असुइ भवइ, त ण उदएण य मट्टिपाए य
पक्खालियं समाणं सुई भवति । एव सत्तु अम्हे चोक्खा,
चोक्खाधारा, सुई, सुइसमाधारा भवित्ता अभिसेयजलपूय-
प्पाणो अचिग्घेण सग्ग भमिस्सामो ।

तेसि ण परिव्यायागाण णो कप्पइ १. अगडं वा, २ तलाय
वा, ३ नइ वा, ४ यावि वा, ५ पोक्खारिणिं वा, ६. दीहिय
वा, ७ गुजालिय वा, ८ सरं वा, ९. सागर वा, ओगा-
हिसए, णण्णत्थ अट्टाणगमणेण ।

तेसि ण परिव्यायागाण णो कप्पइ १. सगड वा, २ रह वा,
३ जाण वा, ४ जुग्ग वा, ५. गिल्लि वा, ६. विल्लि वा,
७ पयहणं वा, ८ सोय वा, ९ सदमाणिय वा दुस्सहिसा
ण गच्छिसए ।

तेसि ण परिव्यायागाण णो कप्पइ १ आस वा, २. हृषि
वा, ३. उट्टं वा ४. गोण वा, ५ महिमं वा, ६ पर वा,
दुहहिसा वा भमिसए, पत्थत्थ वत्तामिओणेण ।

- (६) परमहस,
(७) बहुदक,
(८) कुटीचर सज्ञक चार प्रकार के यति एव,
(९) कृष्ण परिव्राजक आदि ।

उनमे आठ ब्राह्मण-परिव्राजक होते हैं, जो इस प्रकार हैं—
(१) कर्ण, (२) करकण्ट, (३) अम्बड, (४) पारामर,
(५) कृष्ण, (६) द्वैपायन, (७) देवगुप्त तथा (८) नारद ।

उनमे आठ क्षत्रिय परिव्राजक होते हैं, जो उस प्रकार हैं—
(१) शीलघी, (२) शशिधर, (३) नग्नक, (४) भग्नक,
(५) विदेह, (६) राजराज, (७) राजराम तथा (८) यल ।

वे परिव्राजक, ऋक्, यजु, साम, अपवर्ण—इन चारों वेदो,
पाँचवे इतिहास, छठे निघण्टु के अध्येता, वेदो के सागोपाग
रहस्यज्ञाता, चारो वेदो के सम्प्रवर्तक, वेदो के पारगामी-उन्हें
स्मृति मे बनाये रखने मे सक्षम तथा वेदो के छोड़ो अगो के ज्ञाता
पण्डितन्त्र मे विशारद, गणित, विद्या, शिक्षा, कल्प, व्याकरण,
छन्द, निरुक्त, ज्योतिष शास्त्र तथा अन्य ब्राह्मणो के लिए हिता-
वह शास्त्र अथवा वैदिक विद्वानो के विचारो के सकलनात्मक
ग्रन्थ—इन सब मे सुपरिपक्व ज्ञानयुक्त होते हैं ।

वे परिव्राजक दान-धर्म, शौच-धर्म, तीर्थस्थान का जनसमु-
दाय मे कथन करते हुए, विशेष रूप से समझाते हुए, युक्तिपूर्वक
सिद्ध करते हुए विचरण करते हैं । उनका कथन है कि हमारे
मतानुसार जो कुछ भी अशुचि-अपवित्र प्रतीत हो जाता है, वह
मिट्टी लगाकर जल मे धो लेने पर पवित्र हो जाता है । इस
प्रकार हम निर्मल देह एव निर्मल आचार युक्त हैं, पवित्र और
पवित्राचार युक्त हैं, अभिषेक-स्नान द्वारा जल मे अपने आपको
पवित्र कर निर्विघ्नतया स्वर्ग जायेंगे ।

उन परिव्राजको के लिए (१) कुए, (२) तालाब, (३) नदी,
(४) बावडी, (५) पुष्करिणी, (६) दीधिका, (७) गुंजालिका,
(८) तालाब तथा (९) जलाणय मे प्रवेश करना नहीं मन्वता
है । किन्तु माग मे आवे तो इनमे चल सकते हैं ।

उन परिव्राजको को (१) गाडी, (२) रथ, (३) यान,
(४) युग्म-दो हाथ नम्बे चौडे डोली जैसे यान, (५) गिल्लि—दो
आदमियों द्वारा उठाई जाने वाली एक प्रकार की गिबिका,
(६) विल्लि—दो घोडों की बग्घी, (७) गिबिका, (८) पददार
पानथी तथा (९) म्यन्दमानिका—पुरुष-प्रमाण पानथी पर चढ़-
कर जाना नहीं मल्पता है ।

उन परिव्राजको को (१) घोडे, (२) हाथी, (३) ऊँट, (४) बैल,
(५) भैंसे तथा (६) गधे पर सवार होकर जाना नहीं मन्वता है
किन्तु उचर्दम्भी कोई बँडा दे तो उनको प्रतिज्ञा गच्छि मही होना है ।

तेसि ण परिव्वायगाणं णो कप्पइ—

- १ नडपेच्छा इ वा,
२. नट्टगप्पेच्छा इ वा,
३. जल्लपेच्छा इ वा,

- ४ मल्लपेच्छा इ वा,
५. मुट्ठियपेच्छा इ वा,
- ६ वेलवगपेच्छा इ वा,
- ७ पवगपेच्छा इ वा,
८. कहगपेच्छा इ वा,

९. लासगपेच्छा इ वा,
१०. आइक्खगपेच्छा इ वा,
- ११, लंखपेच्छा इ वा,
१२. मखपेच्छा इ वा,

१३ तूणइल्लपेच्छा इ वा,

१४. तुववीणियपेच्छा इ वा,
१५. भुयगपेच्छा इ वा,

१६ भागहपेच्छा इ वा, पेच्छित्तए ।

तेसि णं परिव्वायगाणं णो कप्पइ हरियाण १. लेसणया वा,
२. घट्टणया वा, ३ थंभणया वा, ४ लूसणया वा, ५. उप्पा-
उणया वा करित्तए ।

तेसि ण परिव्वायगाणं णो कप्पइ १. इत्थिकहा इ वा,
२. भत्तकहा इ वा, ३. देसकहा इ वा, ४ रायकहा इ वा,
५ चोरकहा इ वा, ६. जणवयकहा इ वा, अणत्यदंडं
करित्तए ।

तेसि णं परिव्वायगाणं णो कप्पइ १. अयपायाणि वा,
२ तउअपायाणि वा, ३ तंघपायाणि वा, ४ जसदपायाणि
वा, ५. सोसगपायाणि वा, ६. रुप्पपायाणि वा, ७ सुवण्ण-
पायाणि वा अण्णयरानि वा बहुमुल्लानि धारित्तए, णणत्थ
१. अत्ताउपाएण वा, २. दारुपाएण वा, ३. मट्ठिया-
पाएण वा ।

तेसि णं परिव्वायगाणं णो कप्पइ १ अयबंधणाणि वा,
२. तउअबंधणाणि वा, ३ तंघबंधणाणि वा, ४. जसद-

उन परिव्राजको को—

- (१) नाटक दिखाने वालो के नाटक,
- (२) नाचने वालो के नाच,
- (३) रस्सी आदि पर चढकर कलावाजी दिखाने वालो के खेल,
- (४) पहलवानो की कुश्तियाँ,
- (५) मुक्केवाजो के प्रदर्शन,
- (६) मसखरों की मसखरियाँ,
- (७) कथको के कयालाप,
- (८) उछलने या नदी आदि के तैरने का प्रदर्शन करने वालो के खेल,
- (९) रास गाने वालो के वीर गीत,
- (१०) शुभ अशुभ वार्ते बताने वालो के करिश्मे,
- (११) वास पर चढकर खेल दिखाने वालो के खेल,
- (१२) चित्रपट दिखाकर आजीविका चलाने वालो की करतूतें,
- (१३) तूण नामक तन्तु-वाद्य बजाकर आजीविका कमाने वालो के करतव,
- (१४) पूंगी बजाने वालो के गीत,
- (१५) ताली बजाकर मनोविनोद करने वालो के विनोदपूर्ण उपक्रम तथा,
- (१६) स्तुति-गायको के प्रशस्तिमूलक कार्य-कलाप आदि देखना, सुनना नही कल्पता है ।

उन परिव्राजको के लिए हरी वनस्पति का (१) स्पर्श करना (२) उन्हे परम्पर घिसना, (३) हाथ आदि द्वारा अवरुद्ध करना, (४) शाखाओ, पत्तो आदि को ऊँचा करना या उन्हे मोडना, (५) लुखाडना नही कल्पता है ।

उन परिव्राजको के लिए (१) स्त्री-कथा, (२) भोजन-कथा, (३) देश-कथा, (४) राज-कथा, (५) चोर-कथा, (६) जनपद-कथा, ये जो निरर्थक हैं, उन्हे करना नही कल्पता है ।

उन परिव्राजको के लिए (१) तूँवे, (२) काठ तथा (३) मिट्टी के पात्र के सिवाय, (१) लोहे, (२) रांगे, (३) तावे, (४) जमद, (५) शीशे, (६) चाँदी या (७) नोने के पात्र या दूनरे बहुमूल्य धातुओ के पात्र धारण करना नही कल्पता है ।

उन परिव्राजको के लिए (१) लोहे, (२) रांगे, (३) ताँवे, (४) जसद—

यद्यपि वा, ५ सीसगवधपाणि वा, ६ रूपवधपाणि वा, ७ सुवपनबंधपाणि वा अण्णघराणि वा बहुमुल्लाणि धारित्तए ।

तेसि ण परिव्वायगाण णो कप्पइ णाणाधिहवण्णरागरत्ताइ वत्याइ धारित्तए, णण्णत्य एगाए धाउरत्ताए ।

तेसि णं परिव्वायगाण णो कप्पइ १. हार वा, २. अद्धहार वा, ३. एगावलि वा, ४. मुत्तावलि वा, ५. कणगारलि वा, ६. रयणावलि वा, ७. मुरावि वा, ८. कंठमुरावि वा, ९. पालंब वा, १०. तिसरयं वा, ११. कडिमुत्तं वा, १२. दसमुद्दिआणत्तग वा, १३. कडयाणि वा, १४. तुडि-याणि वा, १५. अगयाणि वा, १६. केऊराणि वा, १७. कुडलाणि वा, १८. मउडं वा, १९. चूलामाणि वा पिणद्धि-त्तए, णण्णत्य एगेण तविण्ण पवित्तएण ।

तेसि णं परिव्वायगाण णो कप्पइ १. गंधिम, २. वेद्विम, ३. पुरिम, ४. मघाइमे चउव्विहे मल्ले धारित्तए, णण्णत्य एगेण कण्णपूरेण ।

तेसि ण परिव्वायगाण णो कप्पइ १. अगलुएण वा, २. चदणेण वा, ३. कुकुमेण वा गायं अणुलिपित्तए, णण्णत्य एण्णकाए गगामट्टियाए ।

तेसि ण परिव्वायगाण कप्पइ मागहए पत्यए जलस्स पडि-ग्गाहित्तए, १. से वि य वहुमाणे, णो चेव ण अवहुमाणे २. से वि य यिमिओदए, णो चेव ण कहुमोदए, ३. से वि य वहुप्पसण्णे, णो चेव ण अवहुप्पसण्णे, ४. से वि य परि-पूए, णो चेव ण अपरिपूए, ५. से वि य ण दिण्णे, णो चेव णं अदिण्णे, ६. से वि य पिचित्तए, णो चेव णं हत्य-पाय-चर-चमस-पक्कालणट्टाए सिणाइत्तए वा ।

ते सि ण परिव्वायगाणं कप्पइ मागहए थाडए जलस्स पडि-ग्गाहित्तए, से वि य वहुमाणे, णो चेव ण अवहुमाणे-जाव-मे वि य ण दिण्णे, णो चेव ण अदिण्णे, से वि य हत्य-पाय-चर-चमस-पक्कालणट्टाए णो चेव ण पिचित्तए, सिणा-इत्तए वा ।

ते ण परिव्वायगाण एगावणे विहारेण विहरमाणा बहूदं वासाइं परिव्वाय पाउत्तए, बहूदं वासाइं परिव्वाय पाउत्तए

(५) सीसे, (६) चांदी, (७) स्वर्णं या दूसरे बहुमूल्य वस्तुओं से बंधे हुए पात्र रखना नहीं कल्पता है ।

उन परिव्राजको को गेरुएँ वस्त्रों के सिवाय तरह-तरह के रंगों से रंगे हुए वस्त्र धारण करना नहीं कल्पता है ।

उन परिव्राजको को तावे की अगूठी के अतिरिक्त (१) हार, (२) अर्घंहार, (३) एकावली, (४) मुक्तावली, (५) बनकावली, (६) रत्नावली, (७) मुखी-हार विशेष, (८) कण्ठ का आभरण विशेष, (९) लम्बी माला, (१०) तीन लडो का हार, (११) कटिसूत्र, (१२) दशमुद्रिकाएँ, (१३) कडे, (१३) ऋद्धि, (१५) अंगद, (१६) वाजूवन्द, (१७) कुण्डल, (१८) मुकुट तथा (१९) चूडामणि धारण करना नहीं कल्पता है ।

उन परिव्राजको को फूलों से बने केवल एक कर्णपूर के सिवाय (१) गूँथकर बनाई गई मालाएँ, (२) लपेट कर बनाई गई मालाएँ, (३) फूलों को परस्पर सयुक्त कर बनाई गई मालाएँ या (४) सहित कर परस्पर एक दूसरे में उलझा कर बनाई गई मालाएँ—ये चार प्रकार की मालाएँ धारण करना नहीं कल्पता है ।

उन परिव्राजको को केवल गंगा की मिट्टी के अनिरिक्त (१) अंगर, (२) चन्दन, (३) कुकुम या (४) केसर से शरीर को लिप्त करना नहीं कल्पता है ।

उन परिव्राजको के लिए मगध देश के तोल के अनुसार एक प्रस्थ जल लेना कल्पता है । (१) वह भी बहता हुआ हो, किन्तु तालाव आदि का बन्द जल न हो । (२) वह भी स्वच्छ हो किन्तु कीचड़युक्त न हो, (३) वह भी माफ और निर्मल हो, किन्तु गंदला न हो, (४) वह भी वस्त्र से छाना हुआ हो, किन्तु अनछाना न हो, (५) वह भी दिया गया हो, किन्तु बिना दिया हुआ न हो, (६) वह भी केवल पीने के लिए ग्राह्य है, हाथ पैर, भोजन का पात्र, चम्मच धोने के लिए या स्नान करने के लिए नहीं ।

उन परिव्राजको के लिए मगध तोल के अनुसार एक आठव जल लेना कल्पता है । वह भी बहता हुआ हो, एक जगह बधा हुआ न हो—यावत्—वह भी दिया गया हो—बिना दिया हुआ न हो तो उमसे केवल हाथ, पैर, चर, चमस या चम्मच धोना कल्पता है, किन्तु पीने के लिए या स्नान करने के लिए नहीं कल्पता है ।

ये परिव्राजक हम प्रकार की चर्या द्वारा विचरण करते हुए, बहूत वर्षों तक परिव्राजक-धर्म का पालन करते हैं । बहूत वर्षों

कालमासे कालं किञ्चा उक्कोसेणं वंभलोए कप्पे देवत्ताए उववत्तारो भवन्ति । तर्हि तेसिं गई-जाव-दस सागरोवमाइं ठिई-जाव-परलोगस्स विराहगा । —उव. सु ७६-५१

विराहगा पडिणीया समणा—

३२४. से जे इमे गामागर-जाव-सण्णिवेसेसु पव्वइया समणा भवन्ति, तं जहा—१ आयरिय-पडिणीया, २. उवज्जाय-पडिणीया, ३. कुल-पडिणीया, ४ गण-पडिणीया, ५. आय-रिय-उवज्जायाणं अयसकारगा, ६ अवण्णकारगा, ७ अकि-त्तिकारया,

वहूहि असव्भावुव्भावणाहिं, मिच्छत्ताभिणिवेसेहिं य अप्पाणं च परं च तदुभय च वृग्गाहेमाणा, वुप्पाएमाणा विहरित्ता, वहूइं वासाइ सामण्णपरियाणं पाउणंति पाउणित्ता,

तस्स ठाणस्स अणालोइय-अप्पडिक्कता कालमासे कालं किञ्चा उक्कोसेणं लंतए कप्पे देवकिट्ठिसिएसु देवकिट्ठि-सियत्ताए उववत्तारो भवन्ति ।

तर्हि तेसिं गई-जाव-तेरस सागरोवमाइं ठिई-जाव-परलोगस्स विराहगा । —उव. सु ११७

विराहगा आजीविया—

३२५ से जे इमे गामागर-जाव-सण्णिवेसेसु आजीविया भवति,

तं जहा—१ दुघरतरिया, २. तिघरंतरिया, ३. सत्तघरं-तरिया, ४ उप्पलव्वेटिया, ५ घरसमुदाणिया, ६. विज्जुयं-तरिया, ७ उट्टिया समणा,

ते ण एयास्वेणं विहारेण विहरमाणा वहूइं वासाइं सामण्ण परियाय पाउणंति पाउणित्ता कालमासे कालं किञ्चा उक्कोसेणं अच्चुए कप्पे देवत्ताए उववत्तारो भवन्ति ।

तर्हि तेसिं गई-जाव-धावीस सागरोवमाइं ठिई-जाव-परलो-गस्स विराहगा । —उव मु. १२०

विराहगा अत्तुक्कोसिया समणा—

३२६ से जे इमे गामागर-जाव-सण्णिवेसेसु पव्वइया समणा भवति, तं जहा—

तक वैसा कर मृत्युकाल आने पर देह त्याग कर उत्कृष्ट ब्रह्मलोक कल्प मे देव रूप मे उत्पन्न होते हैं । वहाँ अपने स्थान के अनुरूप उनकी गति होती है—यावत्—दस सागरोपम की स्थिति होती है—यावत्—वे परलोक के विराधक होते हैं ।

विराधक प्रत्यनीक श्रमण—

३२४. ग्राम, आकर—यावत्—सन्निवेश मे जो ये प्रव्रजित श्रमण होते हैं, जैसे—(१) आचार्य के विरोधी, (२) उपाध्याय के विरोधी, (३) कुल के विरोधी, (४) गण के विरोधी, (५) आचार्य और उपाध्याय का अपयश करने वाले, (६) अवर्णवाद बोलने वाले, (७) अपकीर्ति या निन्दा करने वाले ।

वे बहुत से असत्य आरोपणों से तथा मिथ्यात्व के अभि-निवेशों द्वारा अपने को औरों को तथा दोनों को दुराग्रह में डालते हुए, मजबूत करते हुए इस प्रकार विचरण करते हुए बहुत वर्षों तक श्रमण पर्याय का पालन करते हैं और पालन करके—

अपने पाप-स्थानों की आलोचना प्रतिक्रमण नहीं करते हुए मृत्यु-काल आ जाने पर मरण प्राप्त कर वे उत्कृष्ट लान्तक नामक छोटे देवलोक मे किल्बिषिक संज्ञक देवों मे देवरूप मे उत्पन्न होते हैं ।

वहाँ अपने स्थान के अनुरूप उनकी गति होती है—यावत्—तेरह सागरोपम प्रमाण की स्थिति होती है—यावत्—वे परलोक के विराधक होते हैं ।

विराधक आजीविक—

३२५. ग्राम, आकर—यावत्—सन्निवेश मे जो ये आजीविक (गोशालक के अनुयायी) होते हैं—

यथा—(१) दो, (२) तीन या (३) सात घर बीच-बीच मे छोड़कर भिक्षा ग्रहण करने वाले, (४) भिक्षा मे कमल डण्ठल ग्रहण करने वाले, (५) प्रत्येक घर से भिक्षा लेने वाले, (६) विजली चमकने पर भिक्षा के लिए नहीं घूमने वाले और (७) मिट्टी की कोठी मे प्रविष्ट होकर तपस्या करने वाले ।

इस प्रकार का आचरण करते हुए वे बहुत वर्षों तक आजी-विक पर्याय का पालन कर काल मास में काल करके उत्कृष्ट अच्युत कल्प मे देवरूप में उत्पन्न होते हैं ।

वहाँ अपने स्थान के अनुरूप उनकी गति होती है—यावत्—त्राईस सागरोपम की स्थिति होती है—यावत्—वे परलोक के विराधक होते हैं ।

विराधक आत्मोत्कर्षक श्रमण—

३२६. ग्राम, आकर—यावत्—सन्निवेश मे जो ये प्रव्रजित श्रमण होते हैं, यथा—

१ अक्षुकोसिया, २. परपरिवाइया, ३. भूइकम्मिया,
४ मुज्जो-मुज्जो कौउयकारगा,
ते ण एयाम्बेण विहारेणं विहरमाणा व्हई वासाइ साम-
णपरियाग पाउणति पाउणित्ता तस्स ठाणस्स अणालोइय-
अपट्ठिकता कालमासे कालं किच्चा उक्कोसेण अच्चुए
मप्पे आभिओगिएसु देवेसु. देवत्ताए उववत्तारो भवति ।

तहि तेसि गई-जाव-वावोस सागरोवमाइ ठिई-जाव-परलो-
गस्म विराहगा । —उव. सु १२१

विराहगा णिण्हगा—

३२७ से जे इमे गामागर-जाव-सण्णिवेसेसु णिण्हगा भवति, तं
जहा—

- १ ग्रहुरया,
- २ जीवपएसिया,
- ३ अव्वत्तिया,
- ४ सामुच्छेइया,
५. दोकिरिया,
- ६ तेरासिया,
- ७ अवद्विया ।

इच्छेते सत्त पवयणणिण्हगा केवलघरियालिगसामण्णा,
मिच्छादिट्ठी व्हईह असव्भावुग्भावणाहि मिच्छत्तामिणिवे-
सेहि य अप्पाण च पर च तदुभयं च वुग्गाहेमाणा वुप्पा-
एमाणा विहरित्ता. व्हइ वासाइ सामणपरियाग पाउणति,
पाउणित्ता कालमासे काल किच्चा उक्कोसेणं उवरिमेसु
गेवेग्जेसु देवत्ताए उववत्तारो भवति,

तहि तेसि गई-जाव-एक्कतोस सागरोवमाइ ठिई-जाव-पर-
लोगस्म विराहगा । —उव सु १२२

(१) स्वय के प्रणसक, (२) दूसरो के निदक, (३) भूमि-
कमिक और (४) बार-बार कौतुक कर्म करने वाले,

इस प्रकार की चर्या से विचरते हुए वे बहुत वर्षों तक
श्रमण-पर्याय का पालन करते हैं और पालन करके अपने पाप
स्थानों की आलोचना प्रतिक्रमण नहीं करते हुए मृत्यु काल आने
पर देह त्याग कर उत्कृष्ट अच्युत कल्प में आभिधोग वर्ग के
देवों में देव रूप में उत्पन्न होते हैं ।

वहाँ अपने स्थान के अनुरूप उनकी गति होती है—यावत्-
वाईस सागरोपम की स्थिति होती है—यावत्—वे परलोक के
विराधक होते हैं ।

विराधक निन्द्व—

३२७. ग्राम, आकर—यावत्—सन्निवेश में जो ये निन्द्व होते
हैं, यथा—

- (१) अनेक समयों से कार्य की निष्पत्ति मानने वाले,
- (२) अन्तिम एक प्रदेश को ही जीव मानने वाले,
- (३) सम्पूर्ण बाह्य व्यवहार को मदिग्ध मानने वाले,
- (४) प्रतिक्षण नरकादि अवस्था का विनाश मानने वाले,
- (५) एक समय में दो क्रिया का अनुभव होता है यह मानने
वाले,
- (६) जीव, अजीव और मिश्र यो तीन राशि मानने वाले,
- (७) जीव और कर्म को बद्ध न मानकर मात्र स्पूट मानने
वाले ।

ये सात प्रवचन निन्द्व हैं वे केवलचर्या और वेग से नयमी
होते हैं किन्तु मिथ्यादृष्टि हैं ।

असत् प्ररूपणाओ और मिथ्या आग्रहो द्वारा अपने को,
दूसरो को और दोनों को भ्रमित करते हैं, पयघ्नष्ट करते हैं और
इस प्रकार का आचरण करते हुए बहुत वर्षों तक श्रमण पर्याय
का पालन करते हैं तत्पश्चात् कालमाम में फाल करके उत्कृष्ट
उपरितन गैवेयक विमानों में देवरूप से उत्पन्न होते हैं ।

वहाँ अपने स्थान के अनुरूप उनकी गति होती है—यावत्-
इक्कीम सागरोपम की स्थिति होती है—यावत्—वे परलोक के
विराधक होते हैं ।

१ प्रस्तुत आराधक-विराधक मन्वन्धी वर्णन में तीन आराधक हैं एव तैरह विराधक हैं—

- १ मन्ती निपंत पचेन्द्रिय,
- २ अनारभी-अपन्थिही ।
१. एचान्त बान गगन कामो,
- २ त्ति आदि
- ३ म्निदा,
- ४ बानप्रम्य,

२ अत्पारंभी-अल्प परिग्रही ।

२. अक्काम निजंगा वग्ने वाने,
४. प्रतृतिभद्र,
६. बान नपम्बो,
८. कान्दपिक श्रमणादि, (जिप टिप्पण अगले पृष्ठ पर)

कंदर्पियाइ विराहगा समणा—

३२८. कन्दर्पकोक्कुइयाइं तह सील-सहाव-हास-विकहाहि ।
विम्हावेन्तो य परं, कन्दर्पं भावणं कुणइ ॥

मन्ताजोगं काउ भूईकम्म च जे पउंजन्ति ।
सायरसइडिडेहेउं अमिओगं भावण कुणइ ॥
नाणस्स केवलीण धम्मायरियस्स सघसाहूणं ।
माई अवण्णवाई किन्विसिय भावण कुणइ ॥

(टिप्पण पृष्ठ १५२ से चालू)

६. परिव्राजक,
११ आत्मप्रशसकश्रमणादि,
१३. निन्हव,

ये तीन आराधक और तेरह विराधक इस प्रकार कुल सोलह श्रेणियों में विभाजित आत्माओं की मरने पर क्या क्या गति होती है ? इसका उल्लेख प्रस्तुत प्रकरण में उववाई सूत्र से लिया गया है । वि. ज. १, उ. २ में भी वह वर्णन है किन्तु इस विभाग निर्दिष्ट वर्णन में और व्याख्याप्रज्ञप्ति के वर्णन में कुछ अन्तर है उसकी जानकारी के लिए तालिका दी जाती है ।

उववाई सूत्र में

१. संज्ञी तिर्यच पचेन्द्रिय
२. अल्पारंभी अल्पपरिग्रही श्रमणोपासक
३ अनारम्भी अवरिग्रही श्रमण
४ एकान्त बाल तरकगामी
५ अकाम निर्जरा करने वाले
६ बन्दी आदि
७ प्रकृति भद्र
८. कुछ स्त्रियाँ
९. बाल तपस्वी,
१० वानप्रस्थ,
११. कान्दर्पिक श्रमण आदि,
१२. सांख्य आदि परिव्राजक
१३ प्रत्यनीक श्रमण
१४ आत्मप्रशसकार्काद
१५ आजीविक
१६ निन्हव
१७ × ×
१८. × ×
१९. × ×
२०. × ×

कादर्पिक आदि विराधक श्रमण—

३२८. जो काम-कथा करता रहता है, दूसरो को हँसाने की चेष्टा करता रहता है, शील, स्वभाव, हास्य और विकथाओं के द्वारा दूसरो को विस्मित करता रहता है, वह कादर्पी भावना का आचरण करता है ।

जो सुख, रस और समृद्धि के लिए मन्त्र, योग और भूतिकर्म का प्रयोग करता है, वह अभियोगी भावना का आचरण करता है ।

जो ज्ञान, केवली-ज्ञानी धर्माचार्य, सघ तथा साधुओं की निन्दा करता है वह मायावी पुरुष कित्विपिकी भावना का आचरण करता है ।

१०. प्रत्यनीक श्रमण,

१२. आजीविक,

व्याख्याप्रज्ञप्ति में

११. तिर्यच,
४ अविराधित संयमामयमी,
२ अविराधित संयमी,
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×

- ७ तापस

८. कान्दर्पिक श्रमण,

९. चरक परिव्राजक,

१०. कित्विपिक,

१२. अभियोगिक,

१३. आजीविक

१४. दर्शन भ्रष्ट वेप धारक

१. असयत भव्य द्रव्य देव

३. विराधित संयमी

- ५ विराधित संयमा संयमी

६. असजी

दोनों सूत्रों में निम्नांकित बीस पृच्छा होती हैं । भगवती सूत्र में छ कम होने में चौदह हैं और "उववाई सूत्र" में चार कम होने में सोलह हैं । इन पृच्छा दोनों सूत्र में समान हैं । प्रजापता सूत्र पद २० सूत्र १४७० में भगवती सूत्र के समान ही चौदह पृच्छा हैं ।

अणुवद्धरोसपसरो तह व निमित्तंमि होइ पडिसेवी ।
एएहि कारणेहि आसुरिय भावण कुणइ ॥

सस्थग्गहण विसभक्खण च, जलण च जलप्पवेसो य ।
अणाधारभण्डसेवी जम्मणमरणाणि वधति ॥
—उत्त अ ३६, गा २६३-२६७

विराहगाणं सजमस्स अपद्ध सो—

३२९ चउव्विहे अवद्धसे पणत्ते, त जहा—

१ आसुरे, २ आभिओगे,
३ संमोहे, ४ देवकित्तिसे ।

चउहि ठाणेहि जीवा आसुरत्ताए कम्मं पगरेंति, त जहा—

१ कोवसीलताए,
२ पाहृडसीलताए,
३ ससत्तवोकम्मणेण,

४ णिमित्ताजीवियाए ।

चउहि ठाणेहि जीवा आभिओगत्ताए कम्म पगरेंति,
तं जहा—

१ अत्तुक्कोसेण,
२. परपरिवाएण,
३ भूतिकम्मणेण,
४ कोउयकरणेण ।

चउहि ठाणेहि जीवा सम्मोहत्ताए कम्म पगरेंति, त जहा—

१ उम्मग्गदेसणाए,
२ मगंततराएणं,

३ कामासंसपओगेण,

४ मिज्जाणिघाण करणेण ।

चउहि ठाणेहि जीवा देवकित्तिसयत्ताए कम्म पगरेंति,
तं जहा—

१ अरहताणं अवण्णं वदमाणे,
२. अरहंतपणत्तस्स धम्मस्स अवण्ण वदमाणे,
३ आयरियउवज्जायाणमवण्ण वदमाणे,
४ चाउवण्णस्स संघस्स अवण्ण वदमाणे ।

—ठाण अ ४, उ ४, सु ३५४

जो क्रोध को निरन्तर बढ़ावा देता रहता है और निमित्त कहता है वह अपनी इन प्रवृत्तियों के कारण आसुरी भावना का आचरण करता है ।

जो शस्त्र के द्वारा, विष-भक्षण के द्वारा, अग्नि में प्रविष्ट होकर या पानी में कूद कर आत्म-हत्या करता है और जो मर्यादा से अधिक उपकरण रखता है, वह जन्म-मरण की परम्परा को पुष्ट करता हुआ मोही भावना का आचरण करता है ।
विराधको के सयम का विनाश—

३२९ साधना का विनाश चार प्रकार का है—

(१) आसुर-अपध्वंस, (२) अभियोग-अपध्वंस,
(३) सम्मोह अपध्वंस, (४) देवकित्तिष-अपध्वंस ।

चार स्थानों से जीव आसुरत्व-कर्म का अर्जन करता है—

(१) कोपशीलता से,
(२) प्राभृत शीलता अर्थात् बलह स्वभाव से,
(३) ससक्त तप -कर्म—आहार उपधि की प्राप्ति के लिए तप करने से,

(४) निमित्त-जीविता—निमित्त आदि बताकर आहार आदि प्राप्त करने से ।

चार स्थानों से जीव आभियोगित्व-कर्म का अर्जन करता है—

(१) आत्मोत्कर्ष—आत्म-गुणों का अभिमान करने से,
(२) पर-परिवाद—दूसरों का अवर्णवाद बोलने से,
(३) भूतिकर्म—भस्म, लेप आदि के द्वारा चिकित्सा करने से,
(४) कौतुककरण—मंत्रित जल से स्नान कराने से ।

चार स्थानों से जीव सम्मोहत्व-कर्म का अर्जन करता है—

(१) उन्मार्ग देशना—मिथ्या धर्म का प्ररूपण करने से,
(२) मार्गान्तराय—मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त व्यक्ति के लिए विघ्न उत्पन्न करने से,

(३) कामाशसाप्रयोग शब्दादि विषयों में अभिलाषा करने से,

(४) मिथ्यानिदानकरण—गृद्धि-पूर्वक निदान करने से ।

चार स्थानों से जीव देव-कित्तिषिकत्व कर्म का अर्जन करता है—

(१) अहंन्तो का अवर्णवाद बोलने से,
(२) अहंन्त प्रज्ञप्त धर्म का अवर्णवाद बोलने से,
(३) आचार्य तथा उपाध्याय का अवर्णवाद बोलने से,
(४) चतुर्विध संघ का अवर्णवाद बोलने से ।



निदान-अनिदान से आराधना-विराधना—४

(१) निर्ग्रन्थस्य माणुस्सग-भोगद्वारा निदान करणं—

३३०. एव खलु समणाउसो । मए धम्मसे पणत्ते, इणमेव निर्गंथे पावयणे सच्चे, अणुत्तरे, पडिपुण्णे, केवले, संसुद्धे, णेआउए, सल्लकत्तणे, सिद्धिमग्गे, मुत्तिमग्गे, निज्जाणमग्गे, निव्वाणमग्गे, अवित्तहमविसंदिद्धे, सच्चदुक्खप्पहीणमग्गे ।

इत्थं ठिया जीवा, सिज्झंति, वुज्झंति, मुच्चति, परिनिव्वायति, सच्चदुक्खणमंतं करंति ।

जस्स ण धम्मस्स निर्गंथे सिक्खाए उवट्टिए विहरमाणे, पुरा विगिच्छाए, पुरा पिवासाए, पुरा सीताऽऽतवेहिं पुरा पुट्टोहिं विरूवरूवेहिं परोसहोवसग्गेहिं उट्ठिणकामजाए यावि विहरेज्जा से य परक्कमेज्जा, से य परक्कमाणे पासेज्जा जे इमे उग्गपुत्ता महा-माउया भोगपुत्ता महा-माउया ।

तेसि णं अण्णयरस्स अतिजायमाणस्स वा निज्जायमाणस्स वा, पुरओ मह दास-दासी-किंकर-कम्मकर-पुरिसा, छत्त भिगार गहाय निग्गच्छति ।

तयाणंतरं च ण पुरओ महाभासा आसवरा, उभओ तेसि नागा नागवरा पिट्टओ रहा रहवरा रहसंगेल्लि पुरिस पदाति परिखित ।

से य उद्धरिय-सेय-छत्ते, अट्ठुगये भिगारे, पग्गहिय तालियटे, पवीयमाण-सेय-चामर-वालवीयणीए ।

अभिकखण अभिकखणं अतिजाइ य निज्जाइ य सप्पभा ।

स पुव्वावर च ण ण्हाए-जाव-^१ सच्चालंकारविभूसिए, महति महालियाए कूटागारसालाए, महति महालयसि सयणिज्जंसि बुहओ उण्णतेमज्जे णतगभीरे वण्णओ सच्च रातिणिएणं जोइणा सियायमाणेण, इत्थिय-गुम्म-परिवुडे महायाहत-नट्ट-गीय-वाइय-तंतो-तल-ताल-त्तुडिय घण मुइंग-मुट्टगल-पट्टुप्प-याइय-रवेण उरालाइं माणुसगाइं कामभोगाइ भुजमाणे विहरति ।

तस्स णं एगमवि आणवेमाणस्स-जाव-चत्तारि पच अबुत्ता चेव धम्ममुट्टंति —

(१) निर्ग्रन्थ का मनुष्य सम्बन्धी भोगों के लिए निदान करना—

३३०. हे आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने धर्म का निरूपण किया है । यह निर्ग्रन्थ प्रवचन ही सत्य है, श्रेष्ठ है, प्रतिपूर्ण है, अद्वितीय है, शुद्ध है, न्यायसंगत है, शत्रुओं का सहार करने वाला है, सिद्धि, मुक्ति, निर्याण एवं निर्वाण का यही मार्ग है, यही यथार्थ है, सदा शाश्वत है और सब दुःखों से मुक्त होने का यही मार्ग है ।

इस सर्वज्ञ प्रज्ञप्त धर्म के आराधक सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त होते हैं और सब दुःखों का अन्त करते हैं ।

इस धर्म की आराधना के लिए उपस्थित होकर आराधन करते हुए निर्ग्रन्थ के भूख-प्यास सर्दों गर्मी आदि अनेक परीषह उपसर्गों से पीड़ित होने पर काम वासना का प्रबल उदय हो जाए और साथ ही समय आराधना में पराक्रम करते हुए वह विशुद्ध मातृ-पितृ पक्ष वाले उग्रवशीय या भोगवशीय राजकुमार को देखे ।

उनमें से किसी के घर में प्रवेश करते या निकलते समय छत्र, झारी आदि ग्रहण किये हुए अनेक दास दासी किंकर और कर्मकर पुरुष आगे-आगे चलते हैं ।

उसके बाद राजकुमार के आगे उत्तम अश्व, दोनों ओर गजराज और पीछे-पीछे श्रेष्ठ सुमज्जित रथ चलते हैं और वह अनेक पैदल चलने वाले पुरुषों से घिरे हुए रहता है ।

जो कि श्वेत छत्र ऊँचा उठाये हुए, झारी लिये हुए, ताड़-पत्र का पखा लिए, श्वेत चामर डुलाते हुए चलते हैं । इस प्रकार के वैभव से वह वारम्बार गमनागमन करता है ।

वह राजकुमार यथामय स्नान कर—यावत्—मव अल-कारो से विभूषित होकर विशाल कूटागारशाला (राजाप्रमाद) में दोनों किनारों से उन्नत और मध्य में अवनत एव गम्भीर (इत्यादि वर्णन जानना) ऐसे सर्वोच्च शयनीय में सारी रात दीप ज्योति जगमगाते हुए वनितावृन्द से घिरा हुआ कुशल नर्तकों का नृत्य देवता है, गायकों का गीत सुनता है और वाद्ययंत्र, तंत्री, तल-ताल त्रुटित, घन, मृदंग मादल आदि महान् शब्द करने वाले वाद्यों की मधुर ध्वनियाँ सुनता है—इस प्रकार वह उत्तम मानुषिक कामभोगों को भोगता हुआ रहता है ।

उसके द्वारा किसी एक को बुलाये जाने पर चार-पाँच विना बुलाये ही उपस्थित हो जाते हैं और वे पूछते हैं कि—

“भण देवानुप्पिया ! किं करेमो ? किं उवणेमो ? किं आहरेमो ? किं आचिद्धामो ? किं मे हिय-इच्छिय ? किं ते आसगस्स सदति ?”

ज पासित्ता णिग्गथे णिदाण करेइ—

“जइ इमस्स सुचरिय-तव-नियम-वंभचेरवासस्स कल्लाणे फलवित्ति-विसेसे अत्थि, त अहमवि आगमिस्साए इमाइ एयाह्वाइ उरालाइ माणुस्सगाइ काम-भोगाइ भुजमाणे विहरामि-से तं साह ।”

एष खलु समाणाउसो ! निग्गथे णिदाण किञ्चा तस्स ठाणस्स अणालोइय—अप्पड्विकते कालमासे कालं किञ्चा अणयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवति-महड्डिएसु महज्जुएसु महव्वलेसु महायसेसु महासुखेसु महाणुभागेसु दूरगईसु चिरट्ठिएसु ।

से ण तत्थ देवे भवइ महड्डिए-जाव-^१ दिब्बाइ भोगाइ भुजमाणे विहरइ -जाव-^२ से ण तओ देवलोगाओ आउक्ख-एणं, भवक्खएणं, ठिइक्खएण, अणतरं चय चइत्ता से जे इमे भवति उग्गपुत्ता महामाउया भोगपुत्ता महा-माउया, तेसि णं अन्नयरसि कुलसि पुत्तत्ताए पच्चायाति ।

से ण तत्थ दारए भवइ, सुकुमाल-पाणि-पाए, अहीण पडि-पुण्ण पच्चिद्विय सरीरे, लक्खण-वज्जण-गुणोववेए, ससिसोमा-गारे, कंते पिय, दसणे, सुखे ।

तए णं से दारए उम्मुक्क-वाल-भावे, विण्णाणपरिणयमित्ते, जोवणगमणुप्पत्ते सयमेव पेइयं दाय पड्विज्जति ।

तस्स ण अत्तिजायमाणस्स वा णिज्जायमाणस्स वा, पुरओ मह वासी-दास किंकर-कम्मकर पुरित्ता छत्त भिंजार गहाय निग्गच्छति-जाव-^३ तस्स ण एगमवि आणेवेमाणस्स-जाव-चत्तारि पच अवुत्ता चेव अन्भुट्ठेति “भण देवानुप्पिया ! किं करेमो-जाव-^४ किं ते आसगस्स सदति ?”

प०—तस्स ण तहप्पगारस्स पुरिसजायस्स तहाखेवे समणे वा माहणे वा उभओ काल केवलपण्णत्त घम्ममा-इक्खेज्जा ?

उ०—हंन ! आइवखेज्जा ।

“हे देवानुप्रिय ! कहो हम क्या करें ? क्या लावें ? क्या अर्पण करें और क्या आचरण करें ? आपकी हार्दिक अभिलाषा क्या है ? आपके मुख को कौन से पदार्थ स्वादिष्ट लगते हैं ?”

उसे देखकर निर्ग्रन्थ निदान करता है कि—

“यदि सम्यक् प्रकार से आचरित मेरे तप, नियम एवं ब्रह्मचर्य-पालन का कल्याणकारी विशिष्ट फल हो तो मैं भी आगामी काल में इस प्रकार के उत्तम मनुष्य सम्बन्धी काम भोगों को भोगते हुए विचरण करूँ तो यह श्रेष्ठ होगा ।”

हे आयुष्मान् श्रमणो ! वह निर्ग्रन्थ निदान करके उस निदान सम्बन्धी सकल्पो की आलोचना एवं प्रतिक्रमण किये बिना जीवन के अन्तिम क्षणों में देह छोड़कर महान् ऋद्धि वाले, महाद्युति वाले, महाबल वाले, महायश वाले, महासुख वाले, महाप्रभा वाले, दूर जाने की शक्ति वाले, लम्बी स्थिति वाले किसी देव-लोक में देवरूप में उत्पन्न होता है ।

वह वहाँ महर्घिक देव होता है—यावत्—देव सम्बन्धी भोगों को भोगता हुआ विचरता है—यावत्—वह आयु भव और स्थिति के क्षय होने से उस देवलोक से च्यव कर शुद्ध मातृ-पितृ पक्ष वाले उग्र कुल या भोग कुल में से किसी एक कुल में पुत्र रूप में उत्पन्न होता है ।

वहाँ वह बालक सुकुमार हाथ-पैर वाला, शरीर तथा पाँचों इन्द्रियों से प्रतिपूर्ण, शुभ लक्षण-व्यजन-गुणों से युक्त, चन्द्रमा के समान सौम्य, कात प्रिय दर्शन वाला और सुन्दर रूप वाला होता है ।

वात्यकाल बीतने पर तथा विज्ञान की वृद्धि होने पर वह बालक यौवन को प्राप्त होता है । उस समय वह स्वयं पतुक सम्पत्ति को प्राप्त कर लेता है ।

उसके कहीं जाते समय या आते समय आगे छत्र, क्षारी आदि लेकर अनेक दासी-दास-नौकर चाकर चलते हैं—यावत्—एक को बुलाने पर उसके सामने चार पाँच बिना बुलाये ही आकर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि “हे देवानुप्रिय ! कहो हम क्या करें—यावत्—आपके मुख को कौन से पदार्थ अच्छे लगते हैं ?”

प्र०—इस प्रकार की ऋद्धि से युक्त उस पुरुष को तप-सयम के मूर्तरूप श्रमण-माहण उभयकाल केवल-प्ररूपित धर्म कहते हैं ?

उ०—हाँ, कहते हैं ।

१ ठाण अ ८, सु १० ।

३ इसी निदान में ।

२ ठाणं. अ ८, सु १० ।

४ इसी निदान में ।

प०—से ण पडिसुणेज्जा ?

उ०—णो इणट्ठे समट्ठे । अमवि ए णं से तस्स घम्मस्स सवणयाए ।

से य भवइ महिच्छे^१ -जाव-दाहिणगामी नेरइए कण्ह-पक्खिए, आगमिस्साए दुल्लहवोहिए यावि भवइ ।

तं एखु खलु समणाउसो ! तस्स णियाणस्स इमेयाह्वे पावए फल-विवागे-जं णो संचाएइ केवल्लिपणत्त घम्मं पडिसुणित्तए । —दमा द १०, सु २२-२५

(२) निर्ग्रन्थीए भाणुस्सग भोगट्ठा णिदाण करण—

३३१ एवं खलु समणाउसो ! मए घम्मे पणत्ते, इणमेव निर्ग्रन्थे पावयणे सच्चे-जाव^२ सव्वदुक्खाण अतं करेति ।

जस्स ण घम्मस्स निर्ग्रन्थी सिक्खाए उवट्ठिया विहरमाणी -जाव-^३ पासेज्जा से जा इमा इत्थिया भवइ-एगा, एगजाया, एगामरण-पिहाणा, तेल्ल-पेला इव सुसंगोपिता, चेल-पेला इव सुसंपरिगहिया, रयणकरंडकसमाणी ।

तीसे णं अतिजायमाणीए वा, निज्जायमाणीए वा पुरओ महं दासी-दास किंकर-कम्मकर-पुरिसा, छत्तं भिगारं गहाय निग्गच्छंति-जाव-^४ तस्स णं एगमवि आणवेमाणस्स-जाव-चत्तारि पच अवुत्ता चेंव अब्भट्ठेति, “भण देवाणुप्पिया ! किं करेमो-जाव-^५ किं ते आसगस्स सत्तति ?”

ज पासित्ता निर्ग्रन्थी णिदाण करेति—

“जइ इमस्स सुचरिय-तव-नियम-बंभचेरवासस्स फल्लाणे फलवित्तिविसेसे अत्थि, तं अहमवि आगमिस्साए इमाइं एया-रुवाइ उरालाइ भाणुस्सगाइ कामभोगाइं भुंजमाणी विहरामि से तं साहु ।”

एवं खलु समणाउसो ! निर्ग्रन्थी णिदाणं किच्चा तस्स ठाणस्स अणालोइय अप्पडिक्कंता फालमासे फालं किच्चा अणत्तरेसु देवल्लोएसु देवत्ताए उववत्तारा भवइ-जाव-^६ दिव्वाइ भोगाइ भुंजमाणी विहरति-जाव-^७ सा णं ताओ देवल्लोगाओ आउ-वण्णं, भववखण्णं, ठिइक्खण्णं अणंतरं चय चइत्ता जे इमे भवति जग्गपुत्ता महामाउया-भोगपुत्ता महामाउया एतेसि ण अणपरसि कुलसि दारियत्ताए पच्चायाति ।

प्र०—क्या वह सुनता है ?

उ०—यह सम्भव नहीं है, क्योंकि वह उस धर्म श्रवण के योग्य नहीं है ।

वह महा इच्छाओ वाला—यावत्—दक्षिण दिशावर्ती नरक में कृष्णपाक्षिक नैरयिक रूप में उत्पन्न होता है तथा भविष्य में उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति भी दुर्लभ होती है ।

हे आयुष्मान् श्रमणो ! उस निदान शल्य का यह पापकारी परिणाम है कि वह केवल-प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण भी नहीं कर सकता है ।

(२) निर्ग्रन्थी का मनुष्य सम्बन्धी भोगो के लिए निदान करना—

३३१. हे आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने धर्म का प्रतिपादन किया है । यही निर्ग्रन्थ प्रवचन सत्य है—यावत्—सब दुःखों का अन्त करते हैं ।

इस धर्म की आराधना के लिए उपस्थित होकर आराधना करती हुई निर्ग्रन्थी—यावत्—एक ऐसी स्त्री को देखती है जो अपने पति की केवल एकमात्र प्राणप्रिया है । वह एक सरीखे (स्वर्ण के या रत्नों के) आभरण एवं वस्त्र-पहने हुई है तथा तेल की कुप्पी, वस्त्रों की पेट्टी एवं रत्नों के करडिये के समान संरक्षणीय है और मग्नहणीय है ।

प्रामाद में आते-जाते हुए उसके आगे छत्र, झारी लेकर अनेक दासी-दास नौकर चाकर चलते हैं—यावत्—एक को बुलाने पर उसके सामने चार-पाँच विना बुलाये ही आकर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि “हे देवानुप्रिय ! कहो हम क्या करें ? —यावत्—आपके मुख को कौन से पदार्थ अच्छे लगते हैं ?”

उसे देखकर निर्ग्रन्थी निदान करती है कि—

“यदि मम्यक् प्रकार से आचरित मेरे तप, नियम एवं ब्रह्मचर्य पालन का कल्याणकारी विशिष्ट फल हो तो मैं भी आगामी काल में इस प्रकार के उत्तम मनुष्य सम्बन्धी काम भोगो को भोगते हुए विचरण करूँ तो यह श्रेष्ठ होगा ।”

हे आयुष्मान् श्रमणो ! वह निर्ग्रन्थी निदान करके उस निदान की आलोचना एवं प्रतिक्रमण किये बिना जीवन के अन्तिम क्षणों में देह त्याग कर किसी एक देवलोक में देवरूप में उत्पन्न होती है—यावत्—दिव्य भोग-भोगती हुई रहती है —यावत्—आयु भव और स्थिति का क्षय होने पर वह उस देवलोक से च्यवकर विशुद्ध मातृ-पितृ पक्ष वाले उग्रवंशी या भोगवंशी कुल में किसी एक कुल में बालिका रूप में उत्पन्न होती है ।

१ सूय. श्रु २, अ. २, सू. ५८-६१ (अंगमुनाणि)

२-७ प्रथम निदान में देखें ।

सा ण तत्स दारिया भवइ सुकुमाला-जाव-^१ सुख्वा ।
तए ण तं दारिय अम्मा-पियरो उम्मुक्क-वालभाव, विण्णाण-
परिणयमित्त, जोव्वणगमणुप्पत्त, पडिख्वेण सुक्केण पडि-
ख्वस्स भत्तारस भारियत्ताए दलयति ।

सा ण तस्स भारिया भवइ एगा, एगजाया, इट्ठा, कता,
पिया, मणुणा, मणामा, धेज्जा, वेसासिया सम्मया बहुमया,
अणुमया, रयण-करंडग-समाणा ।

तीसे ण अत्तिजायमाणीए वा निज्जायमाणीए वा पुरतो मह
दासी-दास-किंकर-कम्मकर पुरिसा छत्त, भिगारं गहाय
निगगच्छति-जाव-^२ तस्स णं एगमवि आणवेमाणस्स जाव
चत्तारि पच्च अवुत्ता च्चव अन्मुट्ठेति—“मण देवाणुप्पिया !
किं करेमो-जाव-^३-किं ते आसगस्स सदति ।”

प०—तीसे ण तहप्पगाराए इत्थियाए तहारुवे समणे वा
माहणे वा उभयकाल केवलपणत्तं धम्म आइक्खेज्जा ?

उ०—हता ! आइक्खेज्जा ।

प०—सा ण पडिसुणेज्जा ?

उ०—णो इणट्ठे समट्ठे । अमविया ण सा तस्स धम्मस्स
सवणयाए ।

सा य भवति महिच्छा-जाव-^४ दाहिणगामिए णेरइए
कण्हपक्खिए आगमिस्साए दुल्लभबोहिया यावि भवइ ।

एव खलु समणाउसो ! तस्स नियणस्स इमेयारुवे
पावए, फल-दिवागे-ज णो सचाएति केवलपणत्त धम्म
पडिसुणित्तए । —दसा द १०, सु २६-२९

३ णिगथस्स इत्थित्तट्ठा णिदानं करण—

३३२ एव खलु समणाउसो ! मए धम्मे पणत्ते, इणमेव निगगथे
पावयणे सच्चे-जाव^५ सव्वदुक्खाण अंतं करेति ।

जस्स णं धम्मस्स सिक्खाए निगगथे उवट्ठिए विहरमाणे-जाव^६
पासेज्जा—से जा इमा इत्थिया भवति—एगा, एगजाया
जाव^७ ज पासित्ता निगगथे निदान करेति—

“दुक्खं खलु पुमत्तणए,

जे इमे उग्गपुत्ता महा-माउया, भोगपुत्ता महा-माउया,
एतेसि णं अणत्तरेसु उच्चावएसु महासमर-सगामेसु उच्चा-
वयाइं सत्याइ उरसि च्चव पडिसवेदेति । तं दुक्ख खलु
पुमत्तणए, इत्थित्तणय साहू ।”

वहाँ वह बालिका सुकुमार—यावत् - सुरूप होती है ।

उसके बाल्य भाव मुक्त होने पर तथा विज्ञान परिणत एव
यौवन वय प्राप्त होने पर उसे उसके माता-पिता उस जैसे सुन्दर
एव योग्य पति को अनुरूप दहेज के साथ पत्नी रूप में देते हैं ।

वह उस पति की इष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ, अतीव मनोहर,
धैर्य का स्थान, विषवासपात्र, सम्मत, बहुमत, अनुमत (अतीव
मान्य) रत्न करण्ड के समान केवल एक भार्या होती है ।

आते-जाते उसके आगे छत्र झारी लेकर अनेक दासी-दास,
नौकर चाकर चलते हैं—यावत्—एक को बुलाने पर उसके
सामने चार-पाँच बिना बुलाये ही आकर खड़े हो जाते हैं और
पूछते हैं कि—“हे देवानुप्रिय ! कहो हम क्या करें ?—यावत्—
आपके मुख को कौन में पदार्थ अच्छे लगते हैं ?”

प्र०—उस ऋद्धि सम्पन्न स्त्री को तप सयम के मूर्त रूप
श्रमण-माहन उभयकाल केवल प्रज्ञप्त धर्म कहते हैं ?

उ०—हाँ कहते हैं ।

प्र०—क्या वह (श्रद्धा पूर्वक) सुनती है ?

उ०—यह सम्भव नहीं है, क्योंकि वह उस धर्म श्रवण के
लिए अयोग्य है ।

वह उत्कृष्ट अभिलाषाओ वाली—यावत्—दक्षिण दिशा-
वर्ती नरक में कृष्णपाक्षिक नैरयिक रूप में उत्पन्न होती है तथा
भविष्य में उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति भी दुर्लभ होती है ।

हे आयुष्मान् श्रमणो ! उम निदान शल्य का यह पापकारी
परिणाम है कि—वह केवल प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण भी नहीं कर
सकती है ।

(३) निर्ग्रन्थ का स्त्रीत्व के लिए निदान करना—

३३२ हे आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने धर्म का निरूपण किया है ।
यही निर्ग्रन्थ प्रवचन सत्य है—यावत्—सब दुखों का अन्त
करते हैं ।

कोई निर्ग्रन्थ केवल प्रज्ञप्त धर्म की आराधना के लिए
उपस्थित हो विचरते हुए—यावत्—एक स्त्री को देखता है—
जो अपने पति की केवल एकमात्र प्राणप्रिया है—यावत्—
निर्ग्रन्थ उस स्त्री को देखकर निदान करता है ।

“पुरुष का जीवन दुःखमय है,

क्योंकि जो ये विशुद्ध मातृ-पितृ पक्ष वाले उग्रवशी या भोग-
वशी पुरुष हैं वे किसी छोटे-बड़े युद्ध में जाते हैं और छोटे-बड़े
शस्त्रों का प्रहार वक्षस्थल में लगने पर वेदना से व्यथित होते
हैं । अतः पुरुष का जीवन दुःखमय है और स्त्री का जीवन सुख-
मय है ।”

“जइ इमस्स सुचरिय तव-नियम-वंभचेरवासस्स फलवित्ति-
विसेसे अत्थि तं अहमवि आगमेस्साए इमाइं एयारूवाइ उरा-
लाइं इत्थिभोगाइं भुजमाणे विहरामि—से तं साहू ।”

एव खलु समणाउसो ! णिगंथे णियाण किच्चा तस्स ठाणस्स
अणालोइय अपडिक्कंते-जाव-^१आगमेस्साए दुल्लहवोहिए
यावि भवइ ।

एव खलु समणाउसो ! तस्स णियाणस्स इमेयारूवे पावए
फलविवागे ज नो संचाएइ केवलिपणत्त धम्मं पडिसु-
णित्तए ।
—दसा द १०. सु. ३०-३२

णिगंथोए पुमत्तट्टा णियाण करण—

३३३. एव खलु समणाउसो ! मए धम्मे पणत्ते इणमेव णिगथे
पावयणे सच्चे-जाव-^३सच्चदुक्खाण अतं करेति ।

जस्स ण धम्मस्स निगंथी सिक्खाए उवट्ठिया विहरमाणी
-जाव ^३पासेज्जा-जे इमे उग्गपुत्ता महामाउया भोगपुत्ता
महामाउया-जाव-^५ज पासित्ता निगथी णिदाण करेति ।

‘दुक्ख खलु इत्थित्तणए,
दुस्संचराइं गामंतराइ-जाव-^५सच्चिवेसतराइ ।

से जहानामए अंब—पेसियाइ वा, मातुल्लिगपेसियाइ वा,
अबाडग—पेसियाइ वा, उच्छुखंडियाइ वा, संबलि—फलि-
याइ वा, बहुजणस्स आसायणिज्जा, पत्थणिज्जा, पीहणिज्जा,
अभिलसणिज्जा ।

एवामेव इत्थिया वि बहुजणस्स आसायणिज्जा-जाव-^६
अभिलसणिज्जा तं दुक्खं खलु इत्थित्तणए, पुमत्तणए ण
साहू ।”

“जइ इमस्स सुचरित-तव-नियम-वंभचेरवासस्स फलवित्ति
विसेसे अत्थि, त अहमवि आगमेस्साए इमाइ एयारूवाइ
उरालाइं पुरिस-भोगाइ भुजमाणी विहरामि—से त साहू ।”

एवं खलु समणाउसो ! णिगथी णिदाणं किच्चा तस्स
ठाणस्स आणालोइय अप्पडिक्कंता-जाव-^७आगमेस्साए
दुल्लहवोहिया यावि भवइ ।

- १ द्वितीय निदान मे देखें
- ३ प्रथम निदान मे देखें
- ५ इसी निदान मे देखें
- ७ प्रथम निदान मे देखें ।

“यदि सम्यक् प्रकार से आचरित मेरे इम तप-नियम एवं
ब्रह्मचर्य पालन का विशिष्ट फल हो तो मैं भी भविष्य मे स्त्री
सम्बन्धी इन उत्तम भोगो को भोगता हुआ विचरण करूँ, तो यह
श्रेष्ठ होगा ।”

हे आयुष्मान् श्रमणो ! वह निर्ग्रन्थ निदान करके उसकी
आलोचना प्रतिक्रमण किये बिना—यावत्—उसे आगामी काल
मे सम्यक्त्व की प्राप्ति भी दुर्लभ होती है ।

हे आयुष्मान् श्रमणो ! उस निदान का यह पापकारी परि-
णाम है कि—वह केवल प्ररूपित धर्म को नहीं सुन सकता है ।

निर्ग्रन्थी का पुरुषत्व के लिए निदान करना—

३३३ हे आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने धर्म का प्रतिपादन किया है ।
यही निर्ग्रन्थ प्रवचन सत्य है—यावत्—सब दुखो का अन्त
करते हैं ।

उस केवल प्रज्ञप्त धर्म की आराधना के लिए कोई निर्ग्रन्थी
उपस्थित होकर विचरती हुई—यावत्—एक पुरुष को देखती
है जो कि विशुद्ध मातृ-पितृ पक्ष वाले उप्रवंशी या भोगवशी है
—यावत्—उसे देखकर निर्ग्रन्थी निदान करती है कि—

“स्त्री का जीवन दु खमय है”

क्योंकि किसी अन्य गाँव को—यावत्—अन्य सन्निवेश को
अकेली स्त्री नहीं जा सकती है ।

जिस प्रकार आम, बिजौरा या आन्नतक की फाँके, इक्षु
खण्ड और शाल्मली की फलियाँ अनेक मनुष्यों के आस्वादीय,
प्राप्तकरणीय, इच्छनीय और अभिलषनीय होती है ।

इसी प्रकार स्त्री का शरीर भी अनेक मनुष्यों के आस्वादी-
नीय—यावत्—अभिषलनीय होता है । इसलिए स्त्री का जीवन
दु खमय है और पुरुष का जीवन सुखमय है ।”

“यदि सम्यक् प्रकार से आचरित मेरे तप, नियम एवं
ब्रह्मचर्य पालन का कल्याणकारी विशिष्ट फल हो तो मैं भी
आगामी काल मे इस प्रकार के उत्तम पुरुष सम्बन्धी काम भोगो
को भोगते हुए विचरण करूँ तो यह श्रेष्ठ होगा ।”

इस प्रकार हे आयुष्मान् श्रमणो ! वह निर्ग्रन्थी निदान
करके उसकी आलोचना प्रतिक्रमण किये बिना—यावत्—उसे
सम्यक्त्व की प्राप्ति भी दुर्लभ होती है ।

२ प्रथम निदान मे देखें

४ आ. श्रु २, अ. १, उ. २, सु. ३३८

६ प्रथम निदान मे देखें ।

एव खलु समणाउसो ! तस्स णियाणस्स इमेयारूवे पावए फल-विवागे-ज नो संचाएइ केवलपण्णत्तं धम्म पडिसु-णित्तए ।
—दसा. द. १०, सु. ३३-३४

(५) णिगगंथ णिगगंथीए परदेवी परिचारणा निदान करणं—

३३४ एव खलु समणाउसो ! मए धम्मे पण्णत्ते इणमेव णिगगथे पावयणे सच्चे-जाव^१-सव्वदुक्खाणमत करेति ।

जस्स णं धम्मस्स निगगथो वा निगगथी वा सिक्खाए उवट्ठिए विहरमाणे-जाव^२-से य परक्कममाणे माणुस्सेहि कामभोगेहि निच्चये गच्छेज्जा —

“माणुस्सगा खलु कामभोगा अधुवा, अणित्तिपा, असासया, सडण-पडण-विद्धसणधम्मा ।

“उच्चार-पासवण-खेल-जल्ल-सिघाणग-वत्त-पित्त-सुक्क-सोणिय-समुवमवा ।

दुल्ल-उस्सास-निस्सासा, दुरत-मुत्त-पुरिस-पुण्णा, वतासवा पित्तासवा, खेलासवा, पच्छा—पुरं च णं अवस्सं विप्पजह-णिज्जा ।”

संति उड्ढं देवा देवलोयसि,

ते णं तत्थ अण्णेसि देवाण देवीओ अभिजुजिय अभिजुजिय परियारेंति अप्पणो च्चेव अप्पाण विउच्चिय-विउच्चिय परियारेंति, अप्पणिज्जियाओ देवीओ अभिजुजिय-अभिजुजिय परियारेंति ।

“जह इमस्स सुचरिय-त्तव-नियम-वभचेरवासस्स कल्लाणे फल-वित्ति वित्तेसे अत्थि तं अहमवि आगमेस्साए इमाहं एयारूवाइ दिव्वाइ भोगाइ भुजमाणे विहरामि—से त साहू ।”

एव खलु समणाउसो ! णिगगथो वा णिगगंथी वा णियाणं किच्चा जाव^१ देवे भवइ महिड्ढिए जाव^२ दिव्वाहं भोगाहं भुजमाणे विहरइ ।

से ण तत्थ अण्णेसि देवाणं देवीओ अभिजुजिय अभिजुजिय परियारेइ, अप्पणो च्चेव अप्पाण विउच्चिय-विउच्चिय परियारेइ, अप्पणिज्जियाओ देवीओ अभिजुजिय-अभिजुजिय परियारेइ ।

हे आयुष्मान् श्रमणो ! उस निदान का यह पापकारी परिणाम है कि वह केवल प्रज्ञप्त धर्म का श्रवण भी नहीं कर सकता है ।

(५) निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी के द्वारा परदेवी परिचारणा का निदान करना—

३३४ हे आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने धर्म का प्रतिपादन किया है । यही निर्ग्रन्थ प्रवचन सत्य है—यावत्—सब दुखों का अन्त करते हैं ।

कोई निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी केवल प्रज्ञप्त धर्म की आराधना के लिए उपस्थित हो विचरण करते हुए—यावत्—सयम मे पराक्रम करते हुए मानुषी कामभोगों से विरक्त हो जाये और वह यह सोचे कि—

“मानव सम्बन्धी कामभोग अध्रुव हैं अनित्य हैं, अशाश्वत हैं, सडने गलने वाले एव नश्वर हैं ।

मल मूत्र-श्लेष्म, मूल, वात-पित्त-कफ, शुक्र एव शोणित से उद्भूत हैं ।

दुर्गन्ध युक्त श्वासोच्छ्वास तथा मल-मूत्र से परिपूर्ण हैं । वात-पित्त और कफ के द्वार हैं । पहले या पीछे से अवश्य त्याज्य हैं ।

जो ऊपर देवलोक में देव रहते हैं—

वे वहाँ अन्य देवों की देवियों को अपने अधीन करके उनके साथ विषय सेवन करते हैं, स्वयं ही अपनी विकुर्वित देवियों के साथ विषय सेवन करते हैं और अपनी देवियों के साथ भी विषय सेवन करते हैं ।

“यदि सम्यक् प्रकार से आचरित मेरे इस तप-नियम एव ब्रह्मचर्य पालन का विशिष्ट फल हो तो मैं भी भविष्य मे इन उपरोक्त दिव्य भोगों को भोगते हुए विचरण करूँ तो यह श्रेष्ठ होगा ।”

हे आयुष्मान् श्रमणो ! इस प्रकार निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी (कोई भी) निदान करके—यावत्—देव रूप मे उत्पन्न होता है । वह वहाँ महाऋद्धि वाला देव होता है—यावत्—दिव्य भोगों को भोगता हुआ विचरता है ।

वह देव वहाँ अन्य देवों की देवियों के साथ विषय सेवन करता है । स्वयं ही अपनी विकुर्वित देवियों के साथ विषय सेवन करता है । और अपनी देवियों के साथ भी विषय सेवन करता है ।

से णं ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं जाव¹ पुमत्ताए पच्चा-
याति जाव² तस्स ण एगमवि आण वेमाणस्स जाव चत्तारि
पव अवुत्ता चेव अबुट्ठेति—“अण देवानुप्पिया । किं
करेमो जाव³ किं ते आसगस्स सयइ ।”

प०—तस्स णं तहप्पगारस्स पुरिसजायस्स तहाख्खे समणे
वा माहणे वा उभओ कालं केवलिपण्णत्तं धम्ममा-
इक्खेज्जा ?

उ०—हंता ! आइक्खेज्जा ।

प०—से णं पडिसुणिज्जा ?

उ०—हता पडिसुणिज्जा ।

प०—से ण सद्वहेज्जा, पत्तिएज्जा, रोएज्जा ?

उ०—णो तिणट्ठे समट्ठे । अभविए ण से तस्स धम्मस्स
सद्वहणयाए ।

से य भवति महिच्छे-जाव⁴-दाहिणगामिए णेरइए
कण्हपक्खिए आगमेस्साए दुल्लभबोहिए यावि भवति ।

एव खलु समणाउसो ! तस्स गियाणस्स इमेयारूवे
पावए फलविवागे—ज णो संचाएति केवलि—
पण्णत्तं धम्मं सद्वहिए वा, पत्तियत्तिए वा,
रोइत्तए वा । —दसा. द १०, सु. ३५-३७

(६) निगग्रन्थ-निगग्रन्थी द्वारा स्वदेवी परिचारणानिदान करणं—

३३५. एव खलु समणाउसो ! मए धम्मे पण्णत्ते-जाव⁵-से य
परक्कममाणे माणुस्सएसु काम भोगेसु निव्वेय गच्छेज्जा,

“माणुस्सगा खलु कामभोगा अधुवा-जाव⁶-विप्पजहणिज्जा ।
सत्ति उड्ढं देवा देवलोयसि ते णं तत्य णो अण्णेसि देवानं
देवीओ अभिजुजिय—अभिजुजिय परियारेंति, अप्पणो चेव
अप्पाणं विउध्वत्ता परियारेंति, अप्पणिज्जियाओ देवीओ
अभिजुजिय अभिजुजिय परियारेंति ।”

“जइ इमस्स सुचरिय-तव-नियम-अभचेरवासस्स कल्लाणे
फलवित्ति विसेसे अत्थि, अहमवि आगमेस्साए इमाइं एया-
रूवाइं विग्वाइं भोगाइं भुंजमाणे विहरामि, से त साहू ।”

वह देव उस देवलोक से आयु के क्षय होने पर—यावत्—
पुरुष रूप में उत्पन्न होता है—यावत्—उसके द्वारा एक को
बुलाने पर चार-पाँच बिना बुलाये ही उठकर खड़े हो जाते हैं
और पूछते हैं कि—हे देवानुप्रिय ! कहो हम क्या करें ?—यावत्—
आपके मुख को कौन से पदार्थ अच्छे लगते हैं ?

प्र०—इस प्रकार की ऋद्धि से युक्त उस पुरुष को तप-सयम
के मूर्त रूप भ्रमण-माहन उभय काल केवल प्रज्ञप्त धर्म
कहते हैं ?

उ०—हाँ कहते हैं ।

प्र०—क्या वह सुनता है ?

उ०—हाँ सुनता है ।

प्र०—क्या वह केवल प्ररूपित धर्म पर श्रद्धा, प्रतीति या
रुचि करता है ?

उ०—यह सम्भव नहीं है, क्योंकि वह सर्वज्ञ प्ररूपित धर्म
पर श्रद्धा करने के अयोग्य है ।

किन्तु वह उत्कट अभिलाषायें रखता हुआ—यावत्—
दक्षिण दिशावर्ती नरक में कृष्णपाक्षिक नैरयिक रूप में उत्पन्न
होता है तथा भविष्य में उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति भी दुर्लभ
होती है ।

हे आयुष्मान् भ्रमणो ! उस निदान शल्य का यह पापकारी
परिणाम है कि—वह केवल प्रज्ञप्त धर्म पर श्रद्धा, प्रतीति और
रुचि नहीं रखता है ।

निगग्रन्थ निर्ग्रन्थी द्वारा स्व-देवी परिचारणा का निदान
करना—

३३५ हे आयुष्मान् भ्रमणो ! मैंने धर्म का निरूपण किया है
—यावत्—संयम की साधना में पराक्रम करते हुए निर्ग्रन्थ,
मानव सम्बन्धी काम-भोगों से विरक्त हो जाए और वह यह
सोचे कि—

“मानव सम्बन्धी कामभोग अध्रुव हैं—यावत्—त्याज्य हैं ।

जो ऊपर देवलोक में देव हैं—वे वहाँ अन्य देवों की देवियों
के साथ विषय सेवन नहीं करते हैं, किन्तु स्वयं की विकुवित
देवियों के साथ विषय सेवन करते हैं । तथा अपनी देवियों के
साथ भी विषय-सेवन करते हैं ।”

“यदि सम्यक् प्रकार से आचरित मेरे इस तप-नियम एवं
ब्रह्मचर्य-पालन का कल्याणकारी विशिष्ट फल हो तो मैं भी
आगामी काल में इस प्रकार के दिव्य भोग भोगते हुए विचरण
करूँ तो यह श्रेष्ठ होगा ।”

एव खलु समणाउसो ! णिग्गंथो वा णिग्गथो वा णियाणं
किच्चा-जाव^१-देवे भवइ महिद्धिइए-जाव^२-दिब्बाइ, भोगाइ
भुंजमाणे विहरइ ।

से ण तत्थ णो अण्णेसि देवाणं देवीओ अभिभुजिय-अभिभुजिय
परियारेइ, अप्पणो चेव अप्पाण विउच्चिय विउच्चिय परिया-
रेइ, अप्पणिज्जयाओ देवीओ अभिभुजिय-अभिभुजिय परि-
यारेइ ।

से णं ताओ देवलोगाओ आउक्खएण-जाव^१-पुमत्ताए पच्चा-
याति-जाव^२-तस्स ण एगमवि आणवेमाणस्स-जाव-चत्तारि
पच अवुत्ता चेव अब्भट्ठेति "भण देवाणुप्पिया ! किं
करेमो ?-जाव^३-किं ते आसगस्स सयइ ।"

प०—तस्स ण तहप्पगारस्स पुरिसजायस्स तहाक्खे समणे
वा माहणे वा उभओ काल केधली पण्णत्त धम्म-
माहक्खेज्जा ?

उ०—हता ! माहक्खेज्जा ।

प०—से ण पडिसुणेज्जा ?

उ०—हता पडिसुणेज्जा ।

प०—से ण सहहेज्जा पत्तिएज्जा रोएज्जा ?

उ०—णो तिण्ठे समट्ठे, अण्णत्थ रुई याचि भवति ।

अण्णरुइमायाए से भवति—

जे इमे आरणिया, आवसहिंया, गामतिया, ऋण्हइ
रहस्सिया । णो बहु-सजया, णो बहु-पडिविरया
सव्व-पाण भूय-जीव-सत्तेसु, अप्पणो सच्चामोसाइं
एव विपडिवदति—

"अह ण हतब्धो, अण्णे हंतब्धा ।

अह ण अज्जावेयब्धो, अण्णे अज्जावेयब्धा,

अह ण परियावेयब्धो, अण्णे परियावेयब्धा,

अहं ण परिघेतब्धो, अण्णे परिघेतब्धा,

अह ण उवट्ठेयब्धो, अण्णे उवट्ठेयब्धा,"

एवामेव इत्थिकामेहिं मुच्छिया गट्ठिया गिट्ठा अज्जो-
ववण्णा-जाव^१-कालमासे कालं किच्चा अण्णयेरसु
आसुरिएसु किच्चिसिएसु ठाण्णेषु उववत्तारो भवति ।

हे आयुष्मान् श्रमणो ! इम प्रकार निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी
(कोई भी) निदान करके—यावत्—देव रूप मे उत्पन्न होता
है । वह वहाँ महाऋद्धि वाला देव होता है—यावत्—दिव्य
भोगो को भोगता हुआ विचरता है ।

वह देव वहाँ अन्य देवो की देवियों के साथ विषय सेवन
नहीं करता है, स्वयं ही अपनी विकुर्वित देवियों के साथ विषय
सेवन करता है और अपनी देवियों के साथ भी विषय सेवन
करता है ।

वह देव उस देवलोक से आयु के क्षय होने पर—यावत्—
पुरुष रूप मे उत्पन्न होता है—यावत्—उसके द्वारा एक को
बुलाने पर चार-पाँच बिना बुलाये ही उठकर खड़े हो जाते हैं
और पूछते हैं कि—“हे देवानुप्रिय ! कहो हम क्या करें ?
—यावत्—आपके मुख को कौन से पदार्थ अच्छे लगते हैं ?”

प्र०—इस प्रकार की ऋद्धि युक्त उस पुरुष को तप संयम के
मूर्त रूप श्रमण माहन उभयकाल केवल प्रज्ञप्त धर्म कहते हैं ?

उ०—हाँ कहते हैं ।

प्र०—क्या वह सुनता है ?

उ०—हाँ सुनता है ।

प्र०—क्या वह श्रद्धा, प्रतीति एव रुचि करता है ?

उ०—यह सम्भव नहीं है, किन्तु वह अन्य दर्शन में रुचि
रखता है ।

अन्य दर्शन को स्वीकार कर वह इस प्रकार के आचरण
वाला होता है—

जैसे कि ये पर्ण कुटियों मे रहने वाले अरण्यवासी तापस
और भ्राम के समीप की वाटिकाओ में रहने वाले तापस तथा
अदृष्ट होकर रहने वाले जो तात्रिक हैं, असंयत हैं । प्राण, भूत,
जीव और सत्व की हिंसा से विरत नहीं है । वे सत्य-मृषा (मिश्र
भाषा) का इस प्रकार प्रयोग करते हैं कि—

“मुझे मत मारो, दूसरो को मारो,

मुझे आदेश मत करो, दूसरो को आदेश करो,

मुझ को पीडित मत करो, दूसरो को पीडित करो,

मुझ को मत पकडो, दूसरो को पकडो,

मुझे भयभीत मत करो, दूसरो को भयभीत करो,

इसी प्रकार वह स्त्री सम्बन्धी कामभोगो मे भी मूर्च्छित-
ग्रथित, गृद्ध एव आसक्त होकर—यावत्—जीवन के अन्तिम
क्षणो मे देह त्याग कर किसी असुर लोक मे कित्त्वपिक देवस्थान
मे उत्पन्न होते है ।

ततो विमुच्चमाणो भुञ्जो एल-सूयत्ताए पञ्चायंति^१ ।

एवं खलु समणाउसो ! तस्स णिदाणस्स इमेयारूवे पावए फल-विवागे-जं णो संचाएति केवल्लि-पण्णत्त धम्म सह्हिनए वा, पत्तिइत्तए वा, रोइत्तए वा ।

—दसा द १०, सु. ३८

(७) णिगंथं णिगंथोए सहज दिव्यभोग-णिदाण करण —

३३६ एवं खलु समणाउसो ! मए धम्मए पण्णत्ते-जाव^२-से य परक्कममाणे माणुस्सएसु काम-भोगेसु निव्वेदं गच्छेज्जा ।

“माणुस्सगा खलु कामभोगा अधुवा-जाव^१-विप्पजहियव्वा । सत्ति उड्ढं देवा देवलोगसि । ते ण तत्थ णो अण्णेसि देवाण देवीओ अभिजुंजिय-अभिजुंजिय परियारेइ, णो अप्पणो च्चव अप्पाणं वेउन्विय-वेउन्विय परियारेइ, अप्पणिज्जियाओ देवीओ अभिजुंजिय-अभिजुंजिय परियारेइ ।”

“जइ इमस्स सुचरिय-त्तव-नियम-बभचेरवासस्स कल्लाणे फलवित्ति विमसे अत्थि, अहमवि आगमेस्साए इमाइं एया-रूवाइ दिव्वाइ भोगाइं भुंजमाणे विहरामि, से तं साहू ।”

एवं खलु समणाउसो ! णिगंथो वा णिगंथी वा णियाण किञ्चा-जाव^३-देवे मवइ महिइइए-जाव^४-दिव्वाइं भोगाइ भुजमाणे विहरइ ।

से ण तत्थ णो अण्णेसि देवाण देवीओ अभिजुंजिय-अभि-जुंजिय परियारेइ, णो अप्पणो च्चव अप्पाणं विउन्विय-विउन्विय परियारेइ, अप्पणिज्जियाओ देवीओ अभिजुंजिय-अभिजुंजिय परियारेइ ।

से णं ताओ देवलोगाओ आउक्खएण-जाव^६ पुसत्ताए पञ्चा-याति-जाव^७ तस्स ण एगमवि आणवेमाणस्स-जाव-चत्त रि-पच अवुत्ता च्चव अब्भुत्ते^५ “भण देवाणुप्पिया ! कि करेओ -जाव^८ कि ते आमगस्स सयइ ।”

वहाँ से वे देह छोड़कर पुन भेड-बकरे के समान मनुष्यों में मूक रूप में उत्पन्न होते हैं ।

हे आयुष्मान् श्रमणो !, उस निदान का यह पापकारी परिणाम है कि—वह केवल प्रज्ञप्त धर्म पर श्रद्धा, प्रतीति एवं रुचि नहीं रखता है ।

(७) निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के द्वारा सहज दिव्यभोग का निदान करना—

३३६. हे आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने धर्म का प्ररूपण किया है—यावत्—सयम की साधना में पराक्रम करते हुए निर्ग्रन्थ मानव सम्बन्धी काम-भोगों से विरक्त हो जाय और वह यह सोचे कि—

“मानव सम्बन्धी काम-भोग अध्रूव है—यावत्—त्याज्य है ।

जो ऊपर देवलोक में देव हैं—वहाँ वे अन्य देवों की देवियों के साथ विषय सेवन नहीं करते हैं तथा स्वयं की विकुर्वित देवियों के साथ भी विषय सेवन नहीं करते हैं, किन्तु अपनी देवियों के साथ कामक्रीडा करते हैं ।”

“यदि सम्यक् प्रकार से आचरित मेरे इस तप-नियम एवं ब्रह्मचर्य-पालन का कल्याणकारी विशिष्ट फल हो तो मैं भी आगामी काल में इस प्रकार के दिव्य भोग भोगता हुआ विचरण करूँ तो यह श्रेष्ठ होगा ।”

हे आयुष्मान् श्रमणो ! इस प्रकार निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी (कोई भी) निदान करके—यावत्—देव रूप में उत्पन्न होता है । वह वहाँ महाऋद्धि वाला देव होता है—यावत्—दिव्य भोगों को भोगता हुआ विचरता है ।

वह देव वहाँ अन्य देवों की देवियों के साथ विषय सेवन नहीं करता है, स्वयं ही अपनी विकुर्वित देवियों के साथ भी विषय सेवन नहीं करता है, किन्तु अपनी देवियों के साथ विषय सेवन करता है ।

वह देव उस देवलोक से आयु के क्षय होने पर—यावत्—पुरुष रूप में उत्पन्न होता है—यावत्—उसके द्वारा किसी एक को बुलाने पर चार-पाँच बिना बुलाये ही उठकर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि “हे देवानुप्रिय ! कहो हम क्या करें—यावत्—आपके मुख को कौन से पदार्थ अच्छे लगते हैं ?”

१ यहाँ निदान कृत एक पुरुष सम्बन्धी पृच्छा के बीच में बहुवचन का पाठ शुरू होकर अन्त तक बहुवचन में पूर्ण होता है । ऐसा ज्ञात होता है कि लिपि प्रमाद से कोई सम्बन्ध जोड़ने वाला पाठ छूट गया है ।

२-८ प्रथम निदान में देखें ।

प०—तस्स णं तहप्पगारस्स पुरिसवायस्स तहाख्वे समणे वा माहणे वा उभयो काल केवलीपणत्तं धम्ममा-
इवखेज्जा ?

उ०—हता आइख्वेज्जा ।

प०—से ण ! पडिसुणेज्जा ?

उ०—हता ! पडिसुणेज्जा ।

प०—से ण सहहेज्जा, पत्तिएज्जा, रोएज्जा ?

उ०—हता ! सहहेज्जा, पत्तिएज्जा, रोएज्जा ।

प०—से णं सीलव्वय-गुणव्वय-वेरमण-पच्चवक्खाण-पोसहोव-
वासाइ पडिवज्जेज्जा ?

उ०—णो त्तिणट्ठे समट्ठे । से ण दसणसावए भवति ।
अभिगय जीवाजीवे-जाव-^१अट्ठिमिज्जापेमाणुरागरत्ते—

“अयमाउसो ! निगगंथे पावयणे अट्ठे, एस परमट्ठे, सेसे अणट्ठे ।”

से ण एयाख्वेण विहारेण विहरमाणे बहूइं वासाइ समणो-
वासग-परियायं पाउणइ, पाउणित्ता कालमासे काल किञ्चवा
अणतरेसु देवलोगेसु देवत्ताए उववत्तारो भवति ।

एवं खलु समणाउसो ! तस्स णियाणस्स इमेयाख्वे पावए
फलविवागे—ज णो संचाएत्ति सीलव्वय-गुणव्वय-वेरमण-
पच्चवक्खाण-पोसहोववासाइ पडिवज्जित्तए ।

—दसा द १०, सु. ३६-४१

(८) समणोवासगभवण णिदान करणं—

३३७ एव खलु समणाउसो ! मए धम्मे पणत्ते-जाव-^१ से य
परक्कममाणे विट्ठमाणुस्सएहि कामभोगेहि णिव्वेद
गच्छेज्जा—

“माणुस्सया कामभोगा अधुवा-जाव-^१ विप्पजहणिज्जा,
दिक्खा वि खलु कामभोगा अधुवा, अणितिया, असासया,
चत्ताचलण-धम्मा, पुणरागमणिज्जा पच्छा पुव्व च ण अवस्सं
विप्पजहणिज्जा ।”

जइ इमस्स सुचरिय-तव-नियम-वमचेरवासस्स कल्लाणे
फल-वित्तिविसेसे अत्थि, अहमवि आगमेस्साए, जे इमे
भवति उगगपुत्ता महामाउया भोगपुत्ता महामाउया तेसि ण

प०—इस प्रकार की ऋद्धि युक्त उस पुरुष को तप समय
के मूर्त रूप श्रमण माहन उभयकाल केवल प्रज्ञप्त धर्म कहते हैं ?

उ०—हाँ कहते हैं ।

प०—क्या वह सुनता है ?

उ०—हाँ सुनता है ।

प०—क्या वह केवल प्रज्ञप्त धर्म पर श्रद्धा, प्रतीति एव
रुचि रखता है ?

उ०—हाँ वह केवल प्रज्ञप्त धर्म पर श्रद्धा, प्रतीति एव
रुचि रखना है ।

प०—क्या वह शीलव्रत, गुणव्रत, विरमणव्रत, प्रत्याख्यान,
पोषधोपवास करता है ?

उ०—यह सभव नहीं है । वह केवल दर्शन-श्रावक होता है ।
वह जीव अजीव के यथार्थ स्वरूप का ज्ञाता होता है
—यावत्—उसके अस्थि एव मज्जा में धर्म के प्रति अनुराग
होता है कि—

“हे आयुष्मान् ! यह निर्ग्रन्थ प्रवचन ही जीवन में इष्ट है ।
यही परमार्थ है । अन्य सब निरर्थक है ।”

वह इस प्रकार अनेक वर्षों तक आगार धर्म की आराधना
करता है और आराधना करके जीवन के अन्तिम क्षणों में किसी
एक देवलोक में देव रूप में उत्पन्न होता है ।

इस प्रकार हे आयुष्मान् श्रमणो ! उस निदान का यह पाप
रूप परिणाम है कि वह शीलव्रत, गुणव्रत, विरमणव्रत, प्रत्याख्यान
और पोषधोपवास नहीं कर सकता है ।

(८) श्रमणोपासक होने के लिए निदान करना—

३३७ हे आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने धर्म का प्रतिपादन किया है
—यावत्—सयम साधना में पराक्रम करते हुए निर्ग्रन्थ दिव्य
और मानुषिक कामभोगों से विरक्त हो जाने पर यों सोचे कि—

“मानुषिक कामभोग अध्रूव है—यावत्—त्याज्य है ।

देव सम्बन्धी कामभोग भी अध्रूव है, अनित्य हैं, अशाश्वत
हैं, चलाचल स्वभाव वाले हैं, जन्म-मरण बढ़ाने वाले हैं । आगे-
पीछे अवश्य त्याज्य हैं ।”

‘यदि सम्यक् प्रकार से आचरित मेरे इस तप-नियम एव
ब्रह्मचर्य-पालन का कल्याणकारी विशिष्ट फल हो तो मैं भी
भविष्य में जो ये विशुद्ध मातृ-पितृ पक्ष वाले उग्र वशी या भोग-

१ वि भा २, उ ५, सु. ११

२ सातवें निदान में देखें ।

२ सातवें निदान में देखें ।

अस्यरसि कुलसि पुमत्ताए पच्चायामि, तत्थ ण समणो-
वासए भविस्सामि—

अभिगय—“जीवाजीवे-जाव-¹ अहापरिग्गहिण्ण तवोकम्मेण
अप्पाण भावेमाणे विहरिस्सामि, से तं साह ।”

एवं खलु समणाउसो ! निग्गंथो वा निग्गंथी वा णिदानं
किच्चा-जाव-² देवे भवइ महिड्ढिण्ण-जाव-³ दिव्वाइ भोगाइ
भुंजमाणे विहरइ-जाव-⁴ से णं ताओ देवलोगाओ आउक्ख-
एण-जाव-⁵ पुमत्ताए पच्चायाति-जाव ⁶ तस्स ण एगमवि
आणवे-माणस्स-जाव-चत्तारि-पंच-अवुत्ता चेव अब्भुट्ठेति ‘भण
देवानुप्पिया ! किं क० भो-जाव-⁷ किं ते आसगस्स सयइ ।’

प०—तस्स णं तहप्पगारस्स पुरिसजायस्स तहारूवे समणे
वा माहणे वा उमओ कालं केवल्लि-पण्णत्त धम्ममा-
इक्खेज्जा ?

उ०—हंता ! आइक्खेज्जा ।

प०—से णं पडिसुणेज्जा ?

उ०—हता ! पडिसुणेज्जा ।

प०—से णं सहहेज्जा, पत्तिएज्जा, रोएज्जा ?

उ०—हंता ! सहहेज्जा, पत्तिएज्जा, रोएज्जा ।

प०—से णं सील-स्वय-जाव-⁸ पोसहोववासाइ षडिवज्जेज्जा ?

उ०—हंता ! षडिवज्जेज्जा ।

प०—से णं मुंढे भवित्ता आगाराओ अणगारियं पव्वएज्जा ?

उ०—णो तिणट्ठे समट्ठे ।

से णं समणोवासए भवति अभिगय-जीवाजीवे-जाव-⁹ पडि-
लाभेमाणे विहरइ ।

से ण एयारूवेणं विहारेण विहरमाणे बहूणि वासाणि
समणोवासण-परियाग पाउणइ पाउणित्ता आवाहंसि उप्प-
न्न सि वा अणुप्पन्न सि वा भत्त पच्चक्खाएइ, भत्त पच्चक्खा-
इत्ता बहूइ भत्ताइ अणसणाइं छेदेइ, बहूइं भत्ताइ अणसणाइ

वशी कुल है वहाँ पुरुष रूप में उत्पन्न होऊँ और श्रमणोपासक
बनूँ ।”

“जीवा-जीव के स्वरूप को जानूँ—यावत्—ग्रहण किये हुए
तप में आत्मा को भावित करते हुए विचरण करूँ तो यह श्रेष्ठ
होगा ।”

हे आयुष्मान् श्रमणो ! इस प्रकार निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी
(कोई भी) निदान करके—यावत्—देवरूप में उत्पन्न होता है ।
वह वहाँ महाऋद्धि वाला देव होता है—यावत्—दिव्य भोगों
को भोगता हुआ विचरता है—यावत्—वह देव उस देवलोक से
आयु क्षय होने पर—यावत्—पुरुष रूप में उत्पन्न होता है
—यावत्—उमके द्वारा किसी एक को बुलाने पर चार-पाँच
बिना बुलाये ही उठकर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि ‘हे
देवानुप्रिय ! कहो हम क्या करें—यावत्—आपके मुख को कौन
से पदार्थ अच्छे लगते हैं ?’

प०—इस प्रकार की ऋद्धि युक्त उस पुरुष को तप-सयम
के मूर्त रूप श्रमण माहन उभय-काल केवल्लि-प्रज्ञप्त धर्म कहते हैं ?

उ०—हाँ कहते हैं ।

प०—क्या वह सुनता है ?

उ०—हाँ सुनता है ।

प०—क्या वह श्रद्धा, प्रतीति एवं रुचि करता है ?

उ०—हाँ वह श्रद्धा, प्रतीति एवं रुचि करता है ।

प०—क्या वह शीलव्रत—यावत्—पौषधोपवास स्वीकार
करता है ?

उ०—हाँ वह स्वीकार करता है ।

प०—क्या वह गृहवास को छोड़कर मुण्डित होता है एवं
अनगर प्रव्रज्या स्वीकार करता है ?

उ०—यह सम्भव नहीं है ।

वह श्रमणोपासक होता है, जीवाजीव का ज्ञाता—यावत्—
प्रतिलाभित करता हुआ विचरता है ।

इस प्रकार के आचरण से वह अनेक वर्षों तक श्रमणोपासक
पर्याय का पालन करता है, पालन करके रोग उत्पन्न होने या न
होने पर भक्त-प्रत्याख्यान करता है, भक्त-प्रत्याख्यान करके अनेक
भक्तों का अनशन से छेदन करता है, बहुत से भक्तों का अनशन

१ विया श. २, उ. ५, सु ११

२-८ सातवें निदान में देखें ।

९ विव श. २, उ ५, सु ११

छेदित्ता आलोइय पडिवकते समाहिपत्ते कालमासे काल
किच्चा अण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवति ।

एव खलु समणाउसो ! तस्स नियाणस्स इमेयारूवे पाव-
फलविवागे-ज नो सचाएति सब्बाओ सव्वत्ताए मूडे भवित्ता
आगाराओ अण्णगारिय पव्वइत्तए ।

—दसा द १०, सु ४२-४६

(६) समणभवन णिदाण करण —

३३८ एव खलु समणाउसो ! मए धम्मे पण्णत्ते-जाव-^१ से य
परक्कममाणे दिव्वमाणुससएहि काम-भोगेहि निव्वेयं
गच्छेज्जा—

“माणुस्सगा खलु काम-भोगा अधुवा-जाव-^२ विप्पजहणिज्जा ।

दिव्वा वि खलु कामभोगा अधुवा-जाव-^३-पुणरागअण्णिज्जा,
पच्छा-पुव्व च ण अवस्स विप्पजहणिज्जा ।

“जइ इमस्स सुचरिय-त्तव-नियम वभचेरवासस्स कल्लाणे
फलवित्ति विसेसे अत्थि अहमवि आगमेस्साए जाइ इमाइ
भवति अंतकुलाणि वा, पत्तकुलाणि वा, तुच्छकुलाणि वा,
दरिद-कुलाणि वा, फिवण-कुलाणि वा, भिक्खाग-कुलाणि
वा एस ण अण्णतरसि कुलसि-पुमत्ताए पच्चायासि एस मे
आया परिआए सुणीह्छे भविस्सति, से त साहू ।”

एव खलु समणाउसो ! णिग्गया वा णिग्गथो वा णियाण
किच्चा जाव-^४ देवे भयइ, महिडिडए-जाव-^५ दिव्वाइ भोगाइ
भुंजमाणे विहरइ-जाव-^६ से ण ताओ देवलोगाओ आउक्ख-
एण-जाव-^७ पुमत्ताए पच्चायाति-जाव-^८ तस्स ण एगमवि
आणवेमाणस्स जाव-चत्तारि-पच्च अवुत्ता चव अब्भुट्ठेति
“भण देवाणुप्पिया ! कि करेमो-जाव-^९ कि ते आसगस्स
सयइ ?”

प०—तस्स णं तहप्पगारस्स पुरिसजायस्स तहास्से समणे
वा माहणे वा उन्नओ काल केवलि-पण्णत्त धम्ममा-
इक्खेज्जा ?

उ०—हता ! आइक्खेज्जा ।

प०—से ण पडिसुणेज्जा ?

उ०—हता ! पडिसुणेज्जा ।

से छेदन करके आलोचना एव प्रतिक्रमण द्वारा समाधि को प्राप्त
होता है । जीवन के अन्तिम क्षणों में देह छोड़कर किसी देवलोक
में देव होता है ।

हे आयुष्मान् श्रमणो ! उस निदान शल्य का यह पापरूप
परिणाम है कि—वह गृहवास को छोड़कर एव सर्वथा मुण्डित
होकर अनगार प्रव्रज्या स्वीकार नहीं कर सकता है ।

(६) श्रमण होने के लिए निदान करना—

३३८ हे आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने धर्म का निरूपण किया है
—यावत्—सयम की साधना में प्रयत्न करता हुआ निर्ग्रन्थ
दिव्य मानुषिक काम भोगों से विरक्त हो जाए और वह यह
सोचे कि—

“मानुषिक काम-भोग अध्रुव—यावत्—त्याज्य है ।

दिव्य कामभोग भी अध्रुव—यावत्—भव परम्परा बढ़ाने
वाले हैं तथा पहले या पीछे अवश्य त्याज्य हैं ।”

“यदि सम्यक् प्रकार से आचरित मेरे इस तप नियम एव
ब्रह्मचर्य-पालन का कल्याणकारी विशिष्ट फल हो तो मैं भी
भविष्य में जो ये अतकुल, प्रान्तकुल, तुच्छकुल, दरिद्रकुल, कृपण
कुल या भिक्षु कुल हैं इनमें से किसी एक कुल में पुरुष वरुं जिससे
मैं प्रव्रजित होने के लिए सुविधापूर्वक गृहस्थ छोड़ सकूँ तो यह
श्रेष्ठ होगा ।”

हे आयुष्मान् श्रमणो ! इस प्रकार निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी
(कोई भी) निदान करके—यावत्—देव रूप में उत्पन्न होता है ।
वह वहाँ महाश्रद्धि वाला देव होता है—यावत्—दिव्य भोग
भोगता हुआ विचरता है—यावत्—वह देव उस देवलोक से
आयु क्षय होने पर—यावत्—पुरुष रूप में उत्पन्न होता है
—यावत्—उसके द्वारा किसी एक को बुलाने पर चार-पाँच
बिना बुलाये ही उठकर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि “हे
देवानुप्रिय ! कहो हम क्या करें—यावत्—आपके मुख को कौन
से पदार्थ अच्छे लगते हैं ?”

प्र०—इस प्रकार की श्रद्धि युक्त उस पुरुष को तप-सयम के
मूर्तरूप श्रमण माहण उभय काल केवलि प्रज्ञप्त धर्म कहते हैं ?

उ०—हाँ कहते हैं ।

प्र०—क्या वह सुनता है ?

उ०—हाँ सुनता है ।

१-६ पहले या सातवें णियाणों में देखें ।

प०—से णं सद्वहेज्जा, पत्तिएज्जा, रोएज्जा ?

उ०—हंता ! सद्वहेज्जा, पत्तिएज्जा, रोएज्जा ।

प०—से ण सीलव्वय-गुणव्वय-वेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोव-
वासाइ पडिवज्जेज्जा ?

उ०—हता ! पडिवज्जेज्जा ।

प०—से ण मंडे भवित्ता आगाराओ अणगारियं पव्वइज्जा ?

उ०—हता ! पव्वइज्जा ।

प०—से ण तेणेव भवग्गहणेणं सिज्जेज्जा-जाव-¹ सव्व-
दुक्खाण अत करेज्जा ?

उ०—णो इणट्ठे समट्ठे ।

से ण भवइ-से जे अणगारा भगवंतो इरियासमिया-जाव-²
वंभयारी ।

से ण एयाख्वेण विहारेण विहरमाणे बहूइं वासाइं सामण्ण
परियाग पाउणइ, बहूइ वासाइं सामण्ण परियागं पाउणित्ता
आवाहसि उप्पन्न सि वा अणुप्पन्न सि वा भत्त पच्चक्खाएइ,
भत्त पच्चक्खाइत्ता, बहूइ भत्ताइं अणसणाइं छेदेइ, बहूइं
भत्ताइं अणसणाइ छेदेत्ता आलोइय पडिक्कते समाहिपत्ते
काल मासे कालं किच्चा अणयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उव-
वत्तारो भवति ।

एव खलु समणाउसो ! तस्स णिदाणस्स इमेयाख्वे पावए
फल-विवागे जं नो संचाएइ तेणेव भवग्गहणेण सिज्जित्तए
-जाव-³ सव्व दुक्खाण अंत करेत्तए ।

—दसा द १०, सु ४७-४९

णियाण रहियस्स विमुत्ति—

३३९ एवं खलु समणाउसो ! मए धम्मं पणत्ते-इणमेव निग्गथे
पावयणे सच्चे-जाव-⁴ सव्वदुक्खाणमतं करेत्ति ।

जस्स ण धम्मस्स सिक्खाए निग्गथे उवट्ठिए विहरमाणे से य
परक्कमेज्जा से य परक्कममाणे सव्वकाम-विरत्ते, सव्वराग-
विरत्ते, सव्वसंगातीते, सव्वहा सव्व-सिणेहातिक्कते सव्व-
चरित्त परिषुडे ।

तस्स ण भगवंतस्स अणुत्तरेणं णाणेणं, अणुत्तरेण दंसणेण
-जाव-⁵ अणुत्तरेण परिनिव्वाणमग्गेण अप्पाणं भावेमाणस्स

प्र०—क्या वह श्रद्धा, प्रतीति एव रचि रखता है ?

उ०—हाँ वह श्रद्धा, प्रतीति, रचि करता है ।

प्र०—क्या वह शीलव्रत, गुणव्रत, विरमणव्रत, प्रत्याख्यान,
पौषधोपवास स्वीकार करता है ?

उ०—हाँ स्वीकार करता है ।

प्र०—क्या वह गृहवास को छोड़कर मुण्डित होता है एवं
अणगार प्रव्रज्या स्वीकार करता है ?

उ०—हाँ वह अणगार प्रव्रज्या स्वीकार करता है ।

प्र०—क्या वह उसी भव मे सिद्ध हो सकता है—यावत्—
सब दु खो का अन्त कर सकता है ?

उ०—यह सम्भव नहीं है ।

वह अणगार भगवत् ईर्या-समिति का पालन करने वाला
—यावत्—ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होता है ।

इस प्रकार के आचरण से वह अनेक वर्षों तक सयम पर्याय
का पालन करता है, अनेक वर्षों तक सयम पर्याय का पालन
करके रोग उत्पन्न होने या न होने पर भी भक्त-प्रत्याख्यान करता
है, भक्त-प्रत्याख्यान करके अनेक भक्तों का अनशन से छेदन
करता है, अनेक भक्तों का अनशन से छेदन करके आलोचना एवं
प्रतिक्रमण द्वारा समाधि को प्राप्त होता है और जीवन के अंतिम
क्षणों मे देह छोड़ कर किसी देवलोक मे देव रूप मे उत्पन्न
होता है ।

हे आयुष्मान् श्रमणो ! उस निदान शल्य का यह पापरूप
परिणाम है कि—वह उस भव से सिद्ध नहीं होता है—यावत्—
सब दु खो का अन्त नहीं कर पाता है ।

निदान रहित की मुक्ति—

६३९. हे आयुष्मान् श्रमणो ! मैंने धर्म का प्रतिपादन किया है ।
यह निर्ग्रन्थ प्रवचन सत्य है—यावत्—सब दु खो का अन्त
करते हैं ।

इस धर्म की आराधना के लिए उपस्थित होकर विचरता
हुआ वह निर्ग्रन्थ तप सयम मे पराक्रम करता हुआ तप संयम
की उग्र साधना करते समय काम-राग से सर्वथा विरक्त हो जाता
है । सग, स्नेह से सर्वथा रहित हो जाता है और सम्पूर्ण चारित्र्य
की आराधना करता है ।

उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन और चारित्र्य—यावत्—मोक्ष मार्ग से
अपनी आत्मा को भावित करते हुए उस अणगार भगवन्त को

१-२ पहले या सातवें णियाणो मे देखें ।

४ प्रथम निदान मे देखें ।

३ दशा द. ५, सु ६

५ दसा. द. १०, सु. ३३, नवसुत्ताणि

अणते, अणुत्तरे, निव्वाघाए, निरावरणे, कसिणे, पडिपुण्णे,
केवल-वर-नाण-दसणे समुपज्जेज्जा ।

तए ण से भगव अरहा भवति, जिणे, केवली, सव्वण्णु,
सव्वभाव-दरिसी, सव्वेमणुयासुरस्स लोगस्स पज्जाए जाणइ
त जहा—

आगई, गई, ठिई, चवण, उववाय, भुत्त, पोय, फड,
पडिसेविय, आवीकम्म, रड्ढोकम्म, लवियं, कहिय, मणो-
माणसिय ।

सव्वलोए सव्वजीवाण सव्वभावाइ जाणमाणे पासमाणे
विहरइ ।

से ण एयारूवेण विहारेण विहरमाणे बहइ वासाइ केवलि-
परियाग पाउणइ पाउणित्ता अप्पणो आउसेस आभोएइ,
आभोएत्ता भत्त पच्चक्खाएइ, पच्चक्खाइत्ता बहइ भत्ताइ
अणसणाइ छेदेइ, तओ पच्छा चरमेहि ऊसास-नीसःसेहि
सिज्झइ-जाव-^१ सव्वदुक्खाणमत फरेइ ।

एव खलु समणाउतो । तस्स अणिदाणस्स इमेयारूवे
कल्लाणे फल-विवागे ज तेणेव भवग्गहणेण सिज्झति-जाव-
सव्वदुक्खाण अत फरेइ ।

तेए ण ते बहवे निग्गथा व निग्गथीओ य समणस्स भगवओ
महावीरस्स अतिए एयमहु सोच्चा णिसम्म समण भगव
महावीर वदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता तस्स ठाणस्स
आलोयति पडिवकमति-जाव-अहारिहं पायच्छित्त तवोकम्म
पडिवज्जति ।

—दसा द १०, सु ५०-५४

तवस्स फलकंखा णिसेहो—

३४० से भिक्षू अकिरिए, अलूसए, अकोहे, अमाणे, अमाए,
अलोभे, उवसते, परिनिव्वुडे, णो आसंस पुरओ करेज्जा—
“इमेण मे दिट्ठेण वा, सुएण वा, मएण वा, किण्णाएण
वा, इमेण वा सुचरिय-तर्वाणियम-वमचेर-वासेण, इमेण वा
जायामायावृत्तिएणं धम्मेण इत्तो चुते पेच्चा देवे सिया,
कामभोगा वसवत्तो, सिद्धे वा अदुपखमसुहे, एत्य वि सिया,
एत्य वि णो सिया । —सूय. सु. २, अ १, सु. ६८२

अनन्त, सर्व प्रधान, वाधा एव आचरण रहित, सम्पूर्ण, प्रतिपूण
केवलज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न होता है ।

उस समय वह अरहन्त भगवन्त, जिन, केवलि, सर्वज्ञ-सर्व-
दर्शी ही जाता है, वह देव मनुष्य असुर आदि लोक के पर्यायों
को जानता है यथा—

जीवो की आगति, गति, स्थिति, च्यवन, उत्पत्ति तथा उनके
द्वारा खाये-पीये गये पदार्थों एव उनके द्वारा सेवित प्रगट एव
गुप्त सभी क्रियाओं को तथा वार्तालाप, गुप्तवार्ता और मानसिक
चित्तन को प्रत्यक्ष रूप से जानते देखते हैं ।

वह सम्पूर्ण लोक में स्थित सर्व जीवो के सर्व भावो को
जानते देखते हुए विचरण करता है ।

वह इस प्रकार केवलि रूप में विचरण करता हुआ अनेक
वर्षों की केवलपर्याय को प्राप्त होता है और अपनी आयु का
अन्तिम भाग जानकर वह भक्त प्रत्याख्यान करता है, भक्त-
प्रत्याख्यान करके अनेक भक्तो को अनशन से छेदन करता है ।
उमके बाद वह अन्तिम श्वासोच्छ्वास के द्वारा सिद्ध होता है
—यावत्—सब दुखो का अन्त करता है ।

हे आयुष्मान् श्रमणो ! उस निदान रहित साधनामय जीवन
का यह कल्याण कारक परिणाम है कि वह उसी भव से सिद्ध
होता है—यावत्—मव दुखो का अन्त करता है ।

उस समय उस अनेक निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियो ने श्रमण भगवान
महावीर से इन निदानो का वर्णन सुनकर श्रमण भगवान महावीर
को वदना, नमस्कार किया और उस पूर्वकृत निदान शल्यो की
आलोचना प्रतिक्रमण करके—यावत्—यथायोग्य प्रायश्चित्त
स्वरूप तप स्वीकार किया ।

तप की फलाकांक्षा का निषेध—

३४० वह भिक्षु सावद्य क्रियाओ से रहित, अहिंसक क्रोध मान
माया और लोभ रहित, उपशान्त एव समाधियुक्त होकर रहे
और भविष्य के लिए आकांक्षा न करे कि “मेरे इस दर्शन, श्रुत,
मनन, विज्ञान, उत्तम आचरण, तप नियम, ब्रह्मचर्य समय यात्रा
और आहार की मात्रा के पालन रूप धर्म के फलस्वरूप यहाँ से
शरीर छोड़ने के पश्चात् मैं देव हो जाऊँ, समस्त काम-भोग मेरे
अधीन हो जाए अथवा मैं सब सुख-दुख से रहित सिद्ध हो
जाऊँ । क्योंकि (इस प्रकार आशा करने पर भी) फल की
प्राप्ति कभी होती है और कभी नहीं होती है । अतः ऐसी आकां-
क्षाएँ नहीं करना चाहिए ।



बाल पण्डित मरण से आराधना विराधना—५

अणेगविहा मरणा—

३४१. सत्तरसविहे मरणे पण्णत्ते, तं जहा—

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| १ आवीइमरणे, | २ ओहिमरणे, |
| ३. आर्यंतियमरणे, | ४ वलयमरणे, |
| ५ वसट्टमरणे | ६. अतोसल्लमरणे, |
| ७ तवभवमरणे, | ८. बालमरणे, |
| ९ पण्डितमरणे, | १०. बालपण्डितमरणे, |
| ११ छउमत्थमरणे, | १२. केवलिमरणे, |
| १३. वेहाणसमरणे, | १४ गिद्धपुट्टमरणे, |
| १५. भक्तपच्चक्खणमरणे, | १६. इगिणिमरणे, |
| १७ पाओवगमणमरणे । | —सम. सम. १७, सु. १ |

अनेक प्रकार के मरण—

३४१. मरण सत्तरह प्रकार का कहा गया है, यथा—

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| (१) आवीचि-मरण, | (२) अवधि मरण, |
| (३) आत्यन्तिक-मरण, | (४) वलय मरण, |
| (५) वशार्त-मरण, | (६) अन्त शल्य-मरण, |
| (७) तदभव-मरण, | (८) बाल-मरण, |
| (९) पण्डित-मरण, | (१०) बाल-पण्डित-मरण, |
| (११) छद्मस्थ-मरण, | (१२) केवलि-मरण, |
| (१३) वेहाणस-मरण, | (१४) गृद्धस्पृष्ट-मरण, |
| (१५) भक्तप्रत्यास्थान-मरण, | (१६) इगिनी-मरण, |
| (१७) पादोपगमन-मरण । | |

बालमरणप्पगारा—

३४२ प्र०—से किं तं बालमरणे ?

उ०—बालमरणे दुवालसविहे पण्णत्ते, तं जहा—

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| १ वलयमरणे, | |
| २. वसट्टमरणे, | |
| ३ अतोसल्लमरणे, | |
| ४. तवभवमरणे, | |
| ५ गिरिपडणे, | |
| ६ तरुपडणे, | |
| ७. जलप्पवेसे, | |
| ८ जलणप्पवेसे, | |
| ९ विसभक्खणे, | |
| १० मत्थोपाडणे, | |
| ११. वेहाणसे, | |
| १२ गिद्धपुट्टे ^१ , | —वि स १३, उ. ७, सु ४१ |

दो मरणाइ समणेणं भगवया महावीरेण समणाणं णिग्गंथाणं
णो णिच्चं वन्नियाइ, णो णिच्च कित्तियाइ, णो णिच्च
पूरयाइ, णो णिच्चं पसत्थाइ, णो णिच्च अवमण्णयायाइ
भवन्ति, तं जहा—

- | |
|-----------------------|
| १. वलयमरणे चैव, |
| २ वसट्टमरणे चैव, |
| एवं—१. णियाणमरणे चैव, |

बालमरण के प्रकार—

३४२. प्र०—वह बाल मरण क्या है—उसके कितने भेद है ?

उ०—बालमरण बारह प्रकार का कहा गया है, यथा—

- | |
|--|
| (१) गला दवाकर मरना । |
| (२) विरह व्यथा से पीडित होकर मरना । |
| (३) शरीर में तीर भाला आदि शस्त्र घुसा कर मरना । |
| (४) उसी भव में पुन उत्पन्न होने के सकल्प से मरना । |
| (५) पर्वत पर से गिरकर मरना । |
| (६) झाड़ पर से गिरकर मरना । |
| (७) पानी में डूबकर मरना । |
| (८) अग्नि में जलकर मरना । |
| (९) विष खाकर मरना । |
| (१०) तलवार आदि शस्त्र से कटकर मरना । |
| (११) गले में फाँसी लगाकर मरना । |
| (१२) गीध आदि पक्षियों के द्वारा शरीर का भक्षण करवा कर मरना । |

श्रमण भगवान महावीर द्वारा श्रमण निर्ग्रन्थो के लिए सदा
वो-दो मरण वर्णित, कीर्तित, कथित, प्रशंसित एवं अनुमत नहीं
हैं, यथा—

- | |
|---|
| (१) वलय मरण—गला दवा कर मरना । |
| (२) वशार्त मरण—विरह व्यथा से पीडित होकर मरना । |
| इसी प्रकार—(१) निदान मरण—तप-सयम के फल की
कामना करके मरना । |

२ तन्मवमरणे चैव,

१ गिरिपडणे चैव,

२ तरुपडणे चैव,

१ जलप्वेसे चैव,

२ जलणप्वेसे चैव,

१ विसमखणे चैव,

२ सत्थोपाडणे चैव,

दो मरणाद्-जाव-णो णिच्च अब्भणुद्धायाहं भवति, कारणेण पुण अप्पडिक्कुट्ठाहं, त जहा—

१ वेहाणसे चैव,

२. गिद्धपुट्टे चैव ।

ठाण अ २, उ. ४, सु. ११३

मरणस्सप्पगारा—

३४३. तिविहे मरणे पण्णत्ते, त जहा—

१. बालमरणे, २ पडियमरणे, ३. बालपडियमरणे ।

बालमरणे तिविहे पण्णत्ते, त जहा—

१ ठितलेस्से,

२. सफिलिट्टलेस्से,

३ पज्जवजातलेस्से ।

पडियमरणे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा—

१. ठितलेस्से,

२ असफिलिट्टलेस्से,

३. पज्जवजातलेस्से ।

बालपडियमरणे तिविहे पण्णत्ते, त जहा—

१. ठितलेस्से,

२ असफिलिट्टलेस्से,

३ अपज्जवजातलेस्से । —ठाण. अ ३, उ ४, सु २२२

अण्णवंसि महोहसि, एगे तिण्णे बुरुत्तरे ।

तत्थ एगे महापन्ने, इमं पण्हमुदाहरे ॥

सन्तिमे य दुवे ठाणा, अक्खाया मारणमित्था ।

अकाम-मरण चैव, सकाम-मरणं तथा ॥

बालाणं अकाम तु, मरणं असहं भवे ।

पपिडयाणं सकाम तु, उक्करोसेण सहं भवे ॥

—उत्त. अ, ५, गा. १-३

(२) तद्भव मरण—वर्तमान भव को पुन. प्राप्त करने के संकल्प से मरना ।

(१) गिरिपतन मरण—पहाड से गिरकर मरना ।

(२) तरुपतन मरण—वृक्ष से गिरकर मरना ।

(१) जल प्रवेश मरण—जल में प्रवेश करके मरना ।

(२) ज्वलन प्रवेश मरण—अग्नि में प्रवेश करके मरना ।

(१) विष भक्षण मरण—जहर खाकर मरना ।

(२) शस्त्रोत्पाटन मरण—शस्त्र से कट कर मरना ।

दो मरण—यावत्—सदा अनुमत नहीं हैं किन्तु कारण से वे निषिद्ध भी नहीं हैं यथा—

(१) वेहानस मरण—ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए फाँसी लगा कर मरना ।

(२) गृह स्पृष्ट मरण—हाथी आदि के बड़े कलेवर में प्रवेश करके गिद्धो से अपना मास नुचवाकर मरना ।

मरण के प्रकार—

३४३. मरण के तीन प्रकार हैं । यथा—

(१) बालमरण, (२) पण्डितमरण, (३) बालपण्डितमरण ।

बालमरण तीन प्रकार का कहा गया है, यथा—

(१) स्थिर सक्लिष्ट लेश्यावाला,

(२) सक्लेश वृद्धि से युक्त लेश्यावाला,

(३) प्रवर्धमान लेश्यावाला ।

पण्डितमरण तीन प्रकार का कहा गया है—

(१) विशुद्ध स्थिर लेश्यावाला,

(२) सक्लेश रहित लेश्यावाला,

(३) प्रवर्धमान विशुद्ध लेश्यावाला ।

बाल-पण्डित मरण के तीन प्रकार हैं, जैसे—

(१) स्थितलेश्य—स्थिर विशुद्ध लेश्यावाला,

(२) असक्लिष्टलेश्य—सक्लेश से रहित लेश्यावाला,

(३) अपर्यवजातलेश्य—अप्रवर्धमान विशुद्ध लेश्यावाला ।

इस महा-प्रवाह वाले दुस्तर संसार समुद्र से कई महापुष्प तिर गए हैं उनमें से एक महाप्रज्ञ श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने यह उपदेश दिया है कि—

मृत्यु के समय होने वाले दो स्थान कहे गये हैं, यथा—

(१) अकाम-मरण,

(२) सकाम-मरण ।

बाल जीवों के अकाम-मरण बार-बार होते हैं किन्तु पण्डितों का सकाम-मरण उत्कृष्ट एक बार ही होता है ।

अण्णाणीणं बालमरणाइं—

३४४. बालमरणाणि बहुसो अकाममरणाणि चेव य बहूणि ।
मरिंहिति ते वराया, जिणवयणं जे न जाणन्ति ॥
—उत्त. अ. ३६, गा. २६१

बालमरण सरूवं—

३४५. तत्थिमं पढम ठाण, महावीरेण देसियं ।
काम-गद्धे जहा बाले, भिसं कूराइं कुव्वइ ॥

जे गिद्धे काम-भोगेसु, एगे कूडाय गच्छई ।
न मे दिट्ठे परे लोए, चक्खु-दिट्ठा इमा रई ॥

हत्यागया इमे कामा, कालिया जे अणागया ।
को जाणइ परे लोए, अत्थि वा नत्थि वा पुणो ॥

“जणेण सद्धि होक्खामि”, इइ बाले पगवभई ।
काम-भोगाणुराएण, केस सपडिवज्जई ॥

तओ से दण्ड समारंभई, तसेसु थावरेसु य ।
अट्ठाए य अणट्ठाए, भूयगाम विहिसई ॥

हिसे बाले मुसावाई, माइल्ले पिसुणे सडे ।
भुजमाणे सुरं मसं, सेयमेयं ति मन्नई ॥

कायसा वयसा मत्ते, वित्ते गिद्धे य इत्थिसु ।
बुहओ मल सचिणई, सिसुणागोव्व मट्ठियं ॥

तओ पुट्ठो आयकेण, गिलाणो परितप्पई ।
पभीओ परलोगस्स, कम्माणुप्पेहि अप्पणो ॥

सूया मे नरए ठाणा, असीलाणं च जा गई ।
बालाणं कूर-कम्माणं, पगाढा जत्थ वेयणा ॥

तत्थोववाइय ठाणं, जहा मेयमणुस्सुयं ।
आहाकम्मेइ गच्छन्तो, सो पच्छा परितप्पई ॥

अज्ञानियों के बालमरण—

३४४ जो प्राणी जिन वचनो से परिचित नहीं है, वे बेचारे अनेक बार बालमरण तथा बहुत बार अकाम-मरण से मृत्यु को प्राप्त होंगे ।

बालमरण का स्वरूप—

३४५. भगवान महावीर स्वामी ने उन दो स्थानो मे पहला स्थान इस प्रकार का बताया है कि कामासक्त बाल-जीव अनेक प्रकार के क्रूर-कर्म करते हैं ।

जो काम-भोगो मे आसक्त होते है, उनमे से कई नरक मे जाते हैं । वे अज्ञानी इस प्रकार कथन करते हैं कि—“परलोक तो हमने देखा ही नहीं है किन्तु यह इहलौकिक आनन्द तो आँखो के सामने ही है ।”

ये काम-भोग हाथ मे आये हुए हैं किन्तु भविष्य मे होने वाले सुख तो संदिग्ध हैं, कौन जानता है—“परलोक है या नहीं ?”

कोई बाल जीव घृष्टतापूर्वक इस प्रकार कथन करता है कि ‘जो गति अन्य की होगी वही मेरी होगी’ ऐसा सोच कर वह काम-भोग मे अनुरक्त होकर क्लेश को प्राप्त होता है ।

फिर वह अस तथा स्थावर जीवो के प्रति दण्ड का प्रयोग करता है और प्रयोजनवश या बिना प्रयोजन ही प्राणी समूह की हिंसा करता है ।

हिंसा करने वाला, झूठ बोलने वाला, छल-कपट करने वाला, चुगली खाने वाला और धूर्त वह अज्ञानी मनुष्य मद्य और मास का भोग करता है और “यह कल्याणकारी है” ऐसा मानता है ।

वह शरीर और वाणी से मत्त होता है, धन और स्त्रियो मे गृद्ध होता है तथा राग और द्वेष दोनो से उसी प्रकार कर्म-मल का सचय करता है जैसे कँचुआ मुख और शरीर दोनो से मिट्टी का सचय करता है ।

फिर कभी रोग आतक से ग्लान बना हुआ वह परिताप करता है । और अपने कर्मों का विचार कर परलोक के दुःख से भयभीत होता है ।

वह सोचता है कि शील रहित पुरुषो की जो गति होती है उस नरक गति के विषय मे मैंने सुना है कि वहाँ क्रूरकर्मी अज्ञानी जीवो को अत्यन्त वेदना होती है ।

उन नरको मे उत्पन्न होने का जो स्थान है वह भी मैंने सुना है । आयुष्य क्षीण होने पर वह बाल जीव अपने कृत कर्मों के अनुसार वहाँ जाकर पीछे परिताप करता है ।

जहा सागडिओ जाण, सम हिच्चा महापह ।
विसम भगमोइण्णो, अक्खे भगमि सोयई ॥

एवं धम्म विउवकम्म अहम्म पडिवज्जिया ।
वाले मच्चु-मुह पत्ते, अक्खे भगे व सोयई ॥

तओ से मरणन्तमि वाले सन्तस्सई भया ।
अकाम-मरणं मरई, धुत्ते व कलिणा जिए ॥

—उत्त. अ. ५, गा. ४-१६

जे इह आरम्भणिस्सिया, आयदड एगतत्तुसगा ।
गता ते पावलोगय, चिररायं असुरिय दिस ॥

ण य सखयमाहू जीविय, तह वि य वालजणो पगन्मई ।
पच्चुप्पण्णेण फारिय, के व्विट्ठु, परलोगगामए ॥

—सूय. सु १, अ २, उ. ३, गा. ६-१०

पण्डित-मरण सरूवं—

३४६ एयं अकाम-मरणं, वालाण तु पवेइय ।
एत्तो सकाम-मरण, पण्डियाणं सुणेह मे ॥
मरण पि समुण्णाणं, जहा मे तमणुस्सुय ।
विप्पसणमणाघाय, संजयाण वुसीमओ ॥

न इम सव्वेसु भिक्खूसु, न इम सव्वेसु गारिसु ।
नाणा-सीला य गारत्था, विसम-सीला य भिक्खुणो ॥

सन्ति एगेहि भिक्खूहि, गारत्था सजमुत्तरा ।
गारत्थेहि य सव्वेहि, साहवो सजमुत्तरा ।

—उत्त अ ५, गा. १७-२०

तेसि सोच्च्रा सपुज्जाणं, सजयाण वुसीमओ ।
न सतसन्ति मरणन्ते, सीलवन्ता बह्वस्सुया ॥

तुलिया विसेसमादाय, दया-धम्मस्स खन्तिए ।
विप्पसीएज्ज मेहावी, तहा-भूएण अप्पणा ॥

—उत्त. अ. ५, गा. २६-३०

बालमरण-पण्डितमरण फलं—

३४७ फन्दप्पमामिओग किक्खिसियं मोहमासुरत्तं च ।
एयाओ दुग्गईओ, मरणम्मि विराहिया होन्ति ॥

जैसे कोई गाडीवान समतल राजमार्ग को जानता हुआ भी उसे छोड़कर विषम मार्ग से चल पड़ता है और गाडी को धुरी टूट जाने पर खेद करता है ।

उसी प्रकार धर्म का उल्लंघन कर अधर्म को स्वीकार कर, मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ अज्ञानी जीव धुरी टूटे हुए गाडीवान की तरह खेद करता है ।

फिर मरण के समय वह अज्ञानी परलोक के भय से सन्नत होता है और एक ही दाव में हारे हुए जूआरी की तरह शोक करता हुआ अकाम मरण से मरता है ।

जो साधक इस लोक में आरम्भ में आसक्त अपनी आत्मा को पण्डित करते हैं तथा एकान्त रूप से जीव-हिंसक हैं वे चिर-काल तक के लिए नरकादि पापलोको में जाते हैं तथा वे असुर योनि में जाते हैं ।

(टूटे हुए) जीवन को साधा नहीं जा सकता है । फिर भी अज्ञानी मनुष्य घृष्टता करता है, हिंसा आदि में प्रवृत्त होता है । मुझे वर्तमान से प्रयोजन है, परलोक को देखकर कौन लौटा है ।

पण्डितमरण का स्वरूप—

३४६ यह अज्ञानियों के अकाम-मरण का प्रतिपादन किया है । अब पण्डितों के सकाम-मरण को मुझ से सुनो ।

जैसा मैंने सुना है कि पुण्यशाली सयमी और जितेन्द्रिय पुरुषों का पण्डितमरण होता है जो प्रसन्नता युक्त आघात रहित होता है ।

यह सकाम-मरण न सब भिक्षुओं को और न सभी गृहस्थों को प्राप्त होता है । क्योंकि गृहस्थ विविध प्रकार के आचार वाले होते हैं और भिक्षु भी विषम आचार वाले होते हैं ।

कुछ भिक्षुओं से गृहस्थों का समय श्रेष्ठ होता है, और सब गृहस्थों से साधुओं का समय श्रेष्ठ होता है ।

उन परम पूजनीय, सयमी और जितेन्द्रिय भिक्षुओं के स्वरूप को सुनकर शीलवान और बहुश्रुत भिक्षु मरण काल में भी सन्नत नहीं होते ।

मेघावी पुरुष दोनों मरणों का तुलनात्मक चिन्तन करके दयाधर्म एव क्षमा से उपशान्त आत्मा द्वारा श्रेष्ठतम पण्डित मरण स्वीकार कर प्रसन्न रहे ।

बालमरण और पण्डितमरण का फल—

३४७ कांदर्पी, आभियोगी, कित्त्वपिक, मोही तथा आसुरी ये पाँच भावनाएँ दुर्गति की हेतुभूत हैं । मृत्यु के समय ये सम्यक्-दर्शन आदि की विराधना करती हैं ।

मिच्छादंसणरत्ता, सन्नियाणा ह्नु हिंसगा ।
इय जे मरन्ति जीवा, तेसि पुण दुल्लहा बोही ॥
सम्मद्वंसणरत्ता अनियाणा सुक्कलेसमोगाढा ।
इय जे मरन्ति जीवा, सुलहा तेसि भवे बोही ॥
मिच्छादसणरत्ता सन्नियाणा कण्हलेसमोगाढा ।
इय जे मरन्ति जीवा, तेसि पुण दुल्लहा बोही ॥

जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयण जे करेन्ति भावेण ।
अमला असकिलिद्धा, ते होन्ति परित्तसंसारी ॥
—उत्त अ. ३६, गा. २५६-२६०

जिणाणुमयं वेहानस बालमरणं—

३४८. जस्स णं भिक्खुस्स एव भवइ पुट्ठो खलु अहमंसि, नालह-
मसि सीतफासं अहियासेत्तए से वसुमं सब्वसमण्णागतपण्णा-
णेणं अप्पाणेणं केइ अकरणयाए आउट्टे तवस्सिणो ह्नु त
सेय जमेगे विहमादिए ।

तत्थावि तस्स कालपरियाए, से वि तत्थ वियंतिकारए ।

इच्चेत विमोहायतण हिय सुह खमं णिस्सेयस आणुगामियं ।
—आ. सु १, अ. ८, उ ४, सु. २१५

बालमरण-पससा-पायच्छित्त सुत्तं—

३४९ जे भिक्खू—

१. गिरि-पडणाणि वा,
२. मरु-पडणाणि वा
३. भिगु-पडणाणि वा,
४. तरु-पडणाणि वा,
५. गिरि-पक्खदणाणि वा,
६. मरु-पक्खदणाणि वा,
७. भिगु-पक्खदणाणि वा,
८. तरु-पक्खदणाणि वा,
९. जल-पवेसाणि वा,
१०. जलण-पवेसाणि वा,
११. जल-पक्खदणाणि वा,
१२. जलण-पक्खदणाणि वा

मिथ्या-दर्शन मे अनुरक्त, निदान सहित और हिंसक दशा मे जो मरते हैं उनके लिए फिर बोधि बहुत दुर्लभ होती है ।

सम्यग् दर्शन मे अनुरक्त निदान रहित और शुक्ल-लेश्या मे प्रवर्तमान होते हुए जो जीव मरते हैं, उनके लिए बोधि सुलभ है ।
मिथ्या दर्शन मे रक्त, सनिदान और कृष्ण-लेश्या मे प्रवर्तमान होते हुए जो जीव मरते हैं उनके लिए फिर बोधि बहुत दुर्लभ होती है ।

जो जिन-वचन मे अनुरक्त हैं तथा जिन वचनो का भाव पूर्वक आचरण करते हैं, वे निर्मल और असक्लिष्ट होकर अल्प जन्म मरण वाले हो जाते हैं ।

वीतराग सम्मत वेहानस बालमरण—

३४८. जिस भिक्षु को यह प्रतीत हो कि मैं अनुकूल परीषहो से आक्रान्त हो गया हूँ और मैं इसे सहन करने मे समर्थ नहीं हूँ । प्रज्ञावान् संयमी मुनि यदि अब्रह्मचर्य रूप अकृत्य के लिए तत्पर हो रहा हो तो उस तपस्वी भिक्षु को यही उचित है कि वह फाँसी लगाना स्वीकार कर ले (किन्तु कुशील सेवन न करे ।)

ऐसा करने मे उसका मरण हो सकता है और वह मृत्यु भी मोहकर्म का अन्त करने वाली होती है ।

इस प्रकार यह मोह से मुक्त कराने वाला मरण भिक्षु के लिए हितकर, सुखकर, कर्मक्षय मे समर्थ, कल्याणकर तथा परलोक मे माथ चलने वाला होता है ।

बालमरण की प्रशसा के प्रायश्चित्त सूत्र—

३४९. जो भिक्षु—

- (१) पर्वत से दृश्य स्थान पर गिरकर मरना,
- (२) पर्वत से अदृश्य स्थान पर गिरकर मरना ।
- (३) खाई कुए आदि मे गिरकर मरना ।
- (४) वृक्ष से गिरकर मरना ।
- (५) पर्वत से दृश्य स्थान पर कूद कर मरना,
- (६) पर्वत से अदृश्य स्थान पर कूद कर मरना ।
- (७) खाई कुए आदि मे कूद कर मरना ।
- (८) वृक्ष से कूद कर मरना ।
- (९) जल मे प्रवेश करके मरना ।
- (१०) अग्नि मे प्रवेश कर के मरना ।
- (११) जल मे कूद कर मरना,

१६ वसट्ट-मरणाणि वा,
१७ तव्मव-मरणाणि वा,
१८ अतोसल्ल-मरणाणि वा,
१९ वेहाणस मरणाणि वा,
२० गिद्ध पुट्टमरणाणि वा ।

(१६) विरह व्यथा से पीडित होकर मरना,
(१७) वर्तमान भव को प्राप्त करने के सकल्प से मरना,
(१८) तीर भाला आदि से वीधकर मरना,
(१९) फाँसी लगाकर मरना ।
(२०) गीघ आदि पक्षियो द्वारा शरीर का भक्षण करवाकर मरना ।

अण्यराणि वा तहपगाराणि बाल मरणाणि पससइ पससत वा साइज्जइ ।

इन आत्मघात रूप बालमरणो की तथा अन्य भी इस प्रकार के बालमरणो की प्रशंसा करता है, करवाता है या करने वाले को अनुमोदन करता है ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्टाण अणुग्घाइय ।

उसे अनुदघातिक चातुर्भासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)

—नि उ ११, सु. ६२ आता है ।



७.

अनाचार

अनाचार-निषेध—१

अणायार णिसेहो—

३५०. आदाय वमचेर च, आसुपण्णे इमं वह ।
अस्सि धम्मे अणायारं, नायरेज्ज कयाइ वि ॥

—सूय सु. २ अ. ५, गा. १

से जाणमजाण वा, कट्टु आहम्मिय पर्यं ।
सधरे खिप्पमप्पाण, बीय त न समायरे ॥

अणायार परक्कम, नेव गूहे न निण्हवे ।
सुई सया वियडभावे, असंसत्ते जिइदिए ॥

—दस. अ ८, गा. ३१ ३२

मुच्छा, अविरति य णिसेहो—

३५१ से भिक्खू सद्देहि अमुच्छिए, रुवेहि अमुच्छिए, गघेहि अमुच्छिए, रसेहि अमुच्छिए, फासेहि अमुच्छिए, विरए कोहाओ, माणाओ, मायाओ, लोभाओ, पेज्जाओ, दोसाओ, कलहाओ, अब्भक्खाणाओ, पेसुणाओ, परपरिवायातो, अरतिरतीओ, मायाभोसाओ, भिच्छादसणसल्लाओ इति से महता अदाणातो उवसत उवट्टिते पडिविरते ।

—सूय सु २, अ १, सु. ६८३

अनाचार का निषेध—

३५० मंयम धारण कर कुशाग्र बुद्धि साधक इस अध्ययन में कथित धर्मों में कभी भी अनाचार का आचरण न करे ।

जान या अनजान में कोई अधर्म कार्य कर बैठे तो अपनी आत्मा को उससे तुरन्त हटा ले, फिर दूसरी बार वह कार्य न करे ।

अनाचार का सेवन कर उसे न छिपाए और न अस्वीकार करे किन्तु सदा पवित्र, स्पष्ट, अनिष्ट और जितेन्द्रिय रहे ।

मुच्छा और अविरति का निषेध—

३५१ जो भिक्षु मनोश शब्दों, रूपों, गन्धों, रसों एवं कोमल स्पर्शों में अनासक्त रहता है तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, दोषारोपण, चुगली, परनिन्दा, सयम में अरति, असयम में रति, मायामृषा एवं मिथ्यादर्शन रूप शल्य से विरत रहता है, इस कारण से वह भिक्षु महान् कर्मों के बन्ध से रहित हो जाता है, वह सुखंयम में उद्यत हो जाता है तथा पापों से निवृत्त हो जाता है ।



अनाचार परिहार उपदेश—२

भिक्षुस्स विविह अणायरणीय ठाणाइं—

३५२ १ घोयणं २ रयणं चैव, ३ वत्थीकम्म ४ विरेयण ।
५ वमण ६ जण पल्लिमंथं, तं विज्जं परिजाणिया ॥

७ गध-मल्ल-सिणाण च, १० दत्तपक्खालणं तथा ।
११-१२ परिग्गहित्थिकम्म च, तं विज्जं परिजाणिया ॥

१३ उद्देसिय १४ कीयगड, १५ पामिच्च चैव १६ आहडं ।
१७ पूति १८ अणेसणिज्ज च, तं विज्जं परिजाणिया ॥

१९-२० आसूणिमक्खिराग च २१ गिद्धव २२ घायकम्मग ।
२३ उच्छोलणं च २४ कक्कं च, तं विज्जं परिजाणिया ॥

२५ सपसारो २६ कयकिरिए २७ पसिणायतणाणि य ।
२८ सागारिर्यापिडं च, तं विज्जं परिजाणिया ॥

२९ अट्टापदं ण सिक्खवेज्जा, ३० वेहाईय च णो वये ।
३१ हत्थकम्म ३२ विवाद च, तं विज्जं परिजाणिया ॥

३३ पाणहाओ य ३४ छत्तं च, ३५ णालियं ३६ वालवीयणं ।
३७ परकिरिय ३८ अन्नमन्न च, तं विज्जं परिजाणिया ॥

३९ उच्चार पासवणं हरितेषु ण करे मुणी ।

४० वियडेण वा वि साहट्ठ, णायमेज्ज कयाइ वि ॥

४१ परमत्ते अन्नपाण च, ण भुज्जेज्जा कयाइ वि ।

४२ परवत्थमत्तेलो वि, तं विज्जं परिजाणिया ॥

भिक्षु के विविध अनाचरणीय स्थान—

३५२. (१) हाथ पैर और वस्त्र आदि धोना, तथा (२) उन्हे रंगना, (३) वस्तिकर्म करना, (४) जुलाब लेना, (५) वमन करना, (६) आँखों में अजन लगाना इत्यादि समय को नष्ट करने वाले कार्यों को जानकर विद्वान साधक इनका त्याग करे ।

(७) शरीर में सुगन्धित पदार्थ लगाना, (८) पुष्पमाला धारण करना, (९) स्नान करना, (१०) दाँतों को धोना, (११) परिग्रह रखना, (१२) स्त्री के साथ मैथुन सेवन करना, इत्यादि को पाप का कारण जानकर विद्वान मुनि इनका परित्याग करे ।

(१३) औद्देशिक, (१४) क्रीत, (१५) प्रामित्य, (१६) आहृत (१७) पूतिकर्म तथा (१८) अनैषणीय आहार को संसार का कारण जानकर विद्वान् मुनि इनका त्याग करे ।

(१९) शक्तिवर्धक रमायन आदि का सेवन करना, (२०) आँखों में रंग लगाना, (२१) विषयो में आसक्त होना, (२२) प्राणियों का घात करना, (२३) हाथ-पैर आदि धोना, (२४) शरीर पर कल्क आदि से उवटन करना इस सबको कर्मबन्ध के कारण जानकर विद्वान् मुनि इनका परित्याग करे ।

(२५) गृहस्थ के सासारिक कार्य करना, (२६) असयम से किये जाने वाले कार्यों की प्रशंसा करना, (२७) ज्वोतिष सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर देना और (२८) सागारिक का आहार ग्रहण करना इन सबको संसार का कारण जानकर विद्वान मुनि इनका त्याग करे ।

(२९) जुआ आदि खेलना न सीखे, (३०) धर्म के विरुद्ध वचन न बोले (३१) हस्तकर्म न करे, (३२) व्यर्थ का विवाद न करे । इन सबको संसार भ्रमण का कारण जानकर विद्वान् मुनि इनका त्याग करे ।

(३३) जूता पहनना, (३४) छाता लगाना, (३५) जुआ खेलना, (३६) पखे से हवा करना, (३७) गृहस्थ आदि से पैर दबवाना, (३८) साद्युओं का परस्पर शरीर परिकर्म करना इन सबको विद्वान साधक कर्मबन्ध के कारण जानकर इनका परित्याग करे ।

(३९) मुनि हरी वनस्पति वाले स्थानों में मल-मूत्र-विसर्जन न करे और वहाँ

(४०) अचित्त जल से भी कदापि आचमन न करे ।

(४१) गृहस्थ के वर्तन में आहार-पानी न करे ।

(४२) वस्त्र न हो तो भी गृहस्थ का वस्त्र काम में न ले इन सबको कर्मबन्ध का कारण जानकर विद्वान् मुनि इनका परित्याग करे ।

४३ आसदी ४३ पलियंके य, ४५ णिसिज्जं च गिहंतरे ।
४६ संपुच्छणं च, ४७ सरणं च तं विज्जं परिजाणिया ॥

४८ जस ४९ किंत्ति, ५० सिलोगं च जाय ५१ वदण-
५२ पूयणा ।
सव्वल्लोयसि जे कामा, तं विज्जा परिजाणिया ॥

५३ जेणेह णिव्वहे भिक्खूं, अन्न पाणं तहाविह ।
५४ अणुप्पदानमन्नेसि, तं विज्जं परिजाणिया ॥
—सूय सु. १, अ. ६, गा. १२-२३

५५ णणत्थ अतराएण, परगेहे ण णिसीयए ।
५६ गामकुमारिय किड्ड, ५७ नातिवेल हसे मुणी ॥
—सूय सु १, अ ६, गा २६

छ उन्मादस्थानाद्—

५३ छहिं ठाणेहिं आया उम्मायं पाउणेज्जा, त जहा—
१ अरहंताण अवण्ण वदमाणे ।
२. अरहंतपण्णत्तस्स धम्मस्स अवण्ण वदमाणे ।
३ आयरिय-उव्वज्जायाण अवण्ण वदमाणे ।
४ चाउव्वण्णस्स सधस्स अवण्ण वदमाणे ।
५. जषखावेसेण चव ।
६ मोहणिज्जस्स चव कम्मस्स उदएण ।
—ठाण अ ६, सु ५०१

सामुदाणिय-गवेसणा अकारओ पावसमणे—

३५४ मन्नाइपिण्ड जेमेइ, नेच्छई सामुदाणियं ।
गिहिनिसेज्जं च वाहेइ, पावसमणे त्ति वुच्चई ।
—उत्त. अ. १७, गा. १६

सच्छद विहारी पावसमणे—

३५५. जे केइ उ पव्वइए णियट्ठे, धम्म सुणित्ता विणओव्वन्ने ।
सुदुल्लह लहिउ बोहिल्लाम, विहरेज्ज पच्छा य जहासुह तु ॥
—उत्त अ. १७, गा १

गुरुपरिभावे निच्च पावसमणे त्ति वुच्चइ ।

—उत्त. अ १७, गा १०

सुयणाणोवेक्खा—

३५६. सेज्जा वहा पाउरणम्मि अत्थि,
उप्पज्जई भोत्तुं तहेव पाउ ।

(४३) बैत आदि की कुर्सी पर बैठना, (४४) पलंग पर बैठना, (४५) गृहस्थ के घर में बैठना, (४६) गृहस्थ का कुशल क्षेत्र पूछना, (४७) कामक्रीडा का स्मरण करना, विद्वान् साधु इन्हें अनर्थकारक समझकर इनका परित्याग करे ।

(४८) समग्रलोक में यश, (४९) कीर्ति, (५०) प्रशंसा, (५१) वदना और (५२) पूजा-प्रतिष्ठा आदि की जो कामनाएँ होती हैं, विद्वान् मुनि उन्हें संयम के अपकारी समझकर इनका त्याग करे ।

(५३) इस जगत् में जिन पदार्थों से साधु के संयम का निर्वाह हो सके वैसे ही आहार पानी ग्रहण करे । (५४) वह आहार-पानी असंयमी को देना अनर्थकर जानकर तत्पश्चात् मुनि नहीं देवे । उसे संयम विधातक जानकर साधु उसका त्याग करे ।

(५५) किसी कारण के बिना साधु गृहस्थ के घर में न बैठे, (५६) ग्राम के लडके-लडकियों का खेल न खेले एवं (५७) मर्यादा का उल्लंघन करके न हँसे ।

छ उन्माद स्थान—

३५३ छह स्थानों से आत्मा उन्माद को प्राप्त होता है—
(१) अर्हन्तो क, अवर्णवाद करता हुआ ।
(२) अर्हंत-प्रज्ञप्त धर्म का अवर्णवाद करता हुआ ।
(३) आचार्य तथा उपाध्याय का अवर्णवाद करता हुआ ।
(४) चतुर्वर्ण संघ का अवर्णवाद करता हुआ ।
(५) यक्षावेश में ।
(६) मोहनीय कर्म के उदय से ।

सामुदानिक गवेषणा नहीं करने वाला पाप श्रमण—

३५४ जो ज्ञातिजनो के घरों में ही आहार ग्रहण करता है, सामुदानिकी (सभी कुलों से) गोचरी नहीं लेता है और गृहस्थ की शय्या पर बैठता है वह पाप श्रमण कहलाता है ।

स्वच्छन्द विहारी पाप श्रमण—

३५५. जो कोई निर्ग्रन्थ धर्म को सुनकर दुर्लभतम बोधि-लाभ को प्राप्त कर विनय से युक्त हो प्रव्रजित होता है किन्तु प्रव्रजित होने के पश्चात् स्वच्छन्द-विहारी हो जाता है, वह पाप श्रमण कहलाता है ।

गुरु का तिरस्कार करने वाला पाप श्रमण है ।

श्रुतज्ञान की उपेक्षा—

३५६. गुरु के द्वारा अध्ययन की प्रेरणा प्राप्त होने पर वह कहता है—“मुझे रहने को अच्छा उपाश्रय मिल रहा है, कपडा भी मेरे

जाणामि जं वट्टइ आउसु ! त्ति,
किं नाम काहामि सुएण भन्ते ॥

—उत्त. अ. १७, गा. २

असविभागी पावसमणो—

३५७. बहुमाई पमुहरे, थद्धे लुद्धे अणिग्गहे ।
असविभागी अचियत्ते, पावसमणि त्ति वुच्चई ॥

—उत्त. अ. १७, गा. ११

आरम्भजीविस्स पावासत्ति—

३५८. आवंती केयावती लोयंसि आरंभजीवी, एतेसु चेव आरंभ-
जीवी ।

एत्थ वि बाले परिपच्चमाणे रमति पावेहि कम्मोहि, असरणे
सरणं ति मण्णमाणे —आ. सु. १, अ. ५, उ. १, सु. १५०
अट्टा पया माणव ! कम्मकोविया,
जे अणुवरता अविज्जाए पलिमोक्खमाहु आवट्टमेव अणुपरि-
यट्टन्ति । —आ. सु. १, अ. ५, उ १, सु १५१(ख)

अभिक्षण आहारकार्गो पावसमणो—

३५९. अत्य तम्मि य सूरम्मि, आहारेइ अभिक्षणं ।
चोइओ पडिचोएइ, पावसमणे त्ति वुच्चई ॥

—उत्त अ १७, गा. १६

पास हैं, खाने-पीने को भी मिल जाता है । आयुष्मन् ! जो हो
रहा है, उसे भी मैं जानता हूँ । भन्ते ! फिर मैं श्रुत का अध्ययन
करके क्या करूँगा ?”

असविभागी पापश्रमण—

३५७. जो बहुत कपटी, वाचाल, अभिमानी, लालची, इन्द्रिय
और मन पर नियन्त्रण न रखने वाला, भक्त-पान आदि का
सविभाग न करने वाला और गुरु आदि से प्रेम न रखने वाला
होता है, वह पाप-श्रमण कहलाता है ।

आरम्भ-जीवी को पापासक्ति—

३५८ इस लोक में जितने भी मनुष्य आरम्भजीवी है वे विषयो
की अभिलाषा से हिंसा का आचरण करते हैं ।

अज्ञानी साधक इस असंयमी जीवन में भी विषय पिपासा से
छटपटाता हुआ अशरण को ही शरण मानकर पापकर्मों में रमण
करता है । हे मानव ! ससार में अनेक प्राणी विषय-कषायों से
पीड़ित हैं, कर्म-बन्धन करने में चतुर हैं, पापों से विरत नहीं हैं
तथा अविद्या से मोक्ष प्राप्त होना बतलाते हैं, वे ससार के चक्र
में बारम्बार परिभ्रमण करते हैं ।

बार-बार आहार करने वाला पापश्रमण—

३५९. जो सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक बार-बार खाता
रहता है, तथा “ऐसा नहीं करना चाहिए” इस प्रकार कहने
वाले का अनादर करते हुए प्रत्युत्तर देता है, वह पापश्रमण
कहलाता है ।



प्रमाद-निषेध—३

पमाय-णिसेहो—

३६०. दुमपत्तए पण्डुयए जहा, निवड्डइ राइगणाण अच्चए ।
एव मणुयाण जीविय, समय गोयम ! मा पमायए ॥

कुसग्गे जह ओसविन्दुए, थोव चिट्ठइ लम्बमाणए ।
एवं मणुयाणजीविय, समय गोयम ! मा पमायए ॥

इह इत्तरियम्मि आउए, जीवियए ' बहुपच्चवायए ।
विट्ठणाहि रमं पुरे कडं, समयं गोयम ! पा पमायए ॥

—उत्त अ. १०, गा. १-३

प्रमाद निषेध—

३६०. रात्रियाँ बीतने पर वृक्ष का पका हुआ पान जिस प्रकार
गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन एक दिन समाप्त
हो जाता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।

कुश की नोक पर लटकते हुए ओसविन्दु की अवधि जैसे
अल्प होती है वैसे ही मनुष्य-जीवन की गति है, इसलिए हे
गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।

यह आयुष्य क्षण-भंगुर है, यह जीवन विघ्नो से भरा हुआ
है, इसलिए हे गौतम ! तू पूर्व-संचित कर्म-रज को दूर कर और
क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।

परिजूरद्ध ते सरीरयं, केसा पण्डुरया ह्वन्ति ते ।
से सोयवले य हायई, समय गोयम ! मा पमायए ॥

परिजूरई ते सरीरय, केसा पण्डुरया ह्वन्ति ते ।
से चक्खुवले य हायई, समय गोयम ! मा पमायए ॥

परिजूरद्ध ते सरीरय, केसा पण्डुरया ह्वन्ति ते ।
से घाणवले य हायई, समय गोयम ! मा पमायए ॥

परिजूरई ते सरीरयं, केसा पण्डुरया ह्वन्ति ते ।
से जिट्ठमवले य हायई, समय गोयम ! मा पमायए ॥

परिजूरद्ध ते सरीरयं, केसा पण्डुरया ह्वन्ति ते ।
से फासवले य हायई, समय गोयम ! मा पमायए ॥

परिजूरद्ध ते सरीरय, केसा पण्डुरया ह्वन्ति ते ।
से सव्ववले य हायई, समय गोयम ! मा पमायए ॥

—उत्त. अ. १०, गा २१-२६

अक्खेवरसेणमुस्सिया, सिद्धि गोयम ! लोय गच्छसि ।
खेमं च सिवं अणुत्तरं, समय गोयम ! मा पमायए ॥

बुद्धे परिनिव्वुडे चरे, गामगए नगरे व संजए ।
सन्तिमग्ग च दूहए, समय गोयम ! मा पमायए ॥

बुद्धस्स निसम्म भासिय, सुकहियमट्ठपओवसोहिय ।
रागं दोसं च छिन्दिया, सिद्धिगइ गए गोयमे ॥

—उत्त. अ १०, गा. ३५-३७

सव्वओ पमत्तस्स भय, सव्वओ अप्पमत्तस्स णतिय भय ।

—आ सु १, अ ३, उ ४, सु १२६(ख)

इच्चेव समुद्धिते अहोविहाराए । अतर च चलु इम सपेहाए ।
धीरो मुहुत्तमवि णो पमायए । चओ अच्चेति जोव्वणं च ।

जीविते इह जे पमत्ता से हता छेत्ता भेत्ता लुपित्ता विलुपित्ता
उद्वेत्ता उत्तासयित्ता, अफढ करिस्सामि त्ति मण्णमाणे ।

—आ. सु. १, अ २, उ. १, सु ६५-६६

असखय जीवियं मा पमायए, जरोवणोयस्स हु नत्तिय ताणं ।
एच वियाणाहि जणे पमत्ते, किण्णूविहिंसा अजया गहिन्ति ॥

—उत्त. अ. ४, गा. १

तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं और
श्रोत्रेन्द्रिय का बल क्षीण हो रहा है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण
भर भी प्रमाद मत कर ।

तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं और
चक्षुओ का बल क्षीण हो रहा है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण
भर भी प्रमाद मत कर ।

तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं और
घ्राणेन्द्रिय का बल क्षीण हो रहा है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण
भर भी प्रमाद मत कर ।

तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं और
जिह्वा का बल क्षीण हो रहा है, इसलिए हे गौतम ! क्षण भर
भी प्रमाद मत कर ।

तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं और
स्पर्शेन्द्रिय का बल क्षीण हो रहा है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण
भर भी प्रमाद मत कर ।

तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं और सारे
शरीर का बल क्षीण हो रहा है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर
भी प्रमाद मत कर ।

हे गौतम ! तू शैलेपी अवस्था प्राप्त करके निरुपद्रव
कल्याणकारी सर्वोत्तम सिद्ध गति को प्राप्त करेगा अतः हे गौतम !
तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर ।

तू गाँव में या नगर में सयत, बुद्ध और उपशान्त होकर
विचरण कर, शान्ति मार्ग पर बढ़, हे गौतम ! तू क्षण भर भी
प्रमाद मत कर ।

अर्थ और पद से सुशोभित एवं सुकथित भगवाण् की वाणी
को सुन कर राग और द्वेष का छेदन कर गौतम स्वामी सिद्ध-
गति को प्राप्त हुए ।

प्रमत्त को सब ओर से भय होता है, अप्रमत्त को कहीं से
भी भय नहीं होता है ।

इस प्रकार चिन्तन करता हुआ मनुष्य सयम-साधना के
लिए उद्यत हो जाए । इस जीवन को स्वर्णिम अवसर समझकर
धीर पुरुष मुहूर्त मात्र भी प्रमाद न करे । क्योंकि उम्र वीत रही
है, यौवन चला जा रहा है ।

किन्तु जो इस जीवन के प्रति आसक्त है, वह हनन, छेदन,
भेदन, चोरी, लूटपाट, उपद्रव और पीडित करना आदि प्रवृत्तियों
में लगा रहता है । “जो आज तक किसी ने नहीं किया वह
काम मैं करूँगा” इस प्रकार का मनोरथ करता रहता है ।

जीवन साधा नहीं जा सकता, इसलिए प्रमाद मत करो ।
बुढ़ापा आने पर कोई रक्षा नहीं करता है । प्रमादी, हिंसक और
अविरत मनुष्य किसकी शरण लेंगे—यह विचार करो ।

डहरा बुड्ढा य पासहा, गढ्मत्था वि चयंति माणवा ।
तेणे जह वट्टयं हरे, एव आउखयम्मि तुट्टी ॥
—सूय. सु. १, अ. २, उ. १, गा. २

देवा गंधव्व-रक्खसा, असुरा भूमिचरा सिरीसिवा ।
राया नर-सेट्ठि-माहणा, ठाणा ते वि चयंति बुक्खिया ॥

कामेहि य संथवेहि य, गिद्धा कम्मसहा कालेण जंतवो ।
ताले जह बंधणच्चुते, एवं आउखयम्मि तुट्टी ॥
—सूय. सु. १, अ. २, उ. १, गा. ५-६

अरई गण्ड विसूइया, आयका विविहा फुसन्ति ते ।
विहडइ विद्धंसइ ते सरीरयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥
—उत्त. अ. १०, गा. २७

अप्रमत्तचरण उवएसो—

३६१ सुत्तेसु यावि पडिबुद्ध-जीवी,
न वीससे पण्डिए आसु-पन्ने ।
घोरा मुहुत्ता अबलं सरीर,
भारण्ड-पक्खी व चरेऽपमत्तो ॥
चरे पयाइ परिसंक्रमाणो,
जं किंचि पासं इह मण्णमाणो ।
लाभन्तरे जीविय ब्रह्मत्ता,
पच्छा परिस्साय मलावधंसी ॥

छन्दं निरोहेण उवेइ मोक्ख,
आसे जहा सिक्खिय-वम्मधारी ।
पुव्वाइ वासाइं चरेऽपमत्तो,
तम्हा मुणी खिप्पमुवेइ मोक्ख ॥
स पुव्वमेवं न लभेज्ज पच्छा,
एसोवमा सासय - वाइयाणं ।
विसीयई सिद्धिले आउयंमि,
कालोवणीए सरीरस्स भेए ॥

खिप्पं न सक्केइ विवेगमेऊ,
तम्हा समुट्ठाय पहाय कामे ।
समिच्च लोयं समया महेसी,
अप्पाण-रक्खी चरेऽपमत्तो ॥
—उत्त. अ. ४, गा. ६-१०

बालक, बूढ़े और गर्भस्थ मनुष्य भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार बाज बटेर का हरण करता है उसी प्रकार आयु के क्षीण होने पर मृत्यु जीवन का हरण करती है, जिससे जीवन सूत्र टूट जाता है।

देव, गन्धर्व, राक्षस, असुर, पातालवासी नागकुमार, राजा, जनसाधारण, श्रेष्ठी और ब्राह्मण—ये सभी दु खपूर्वक अपने-अपने स्थान से च्युत हो जाते हैं।

विषय-भोगों की तृष्णा में तथा माता-पिता, स्त्री, पुत्र, आदि परिचितजनों में आसक्त रहने वाले प्राणी कर्मफल के उदय के समय अपने कर्मों का फल भोगते हुए आयु के टूटने पर ऐसे गिरते हैं, जैसे बन्धन से टूटा हुआ तालफल नीचे गिर जाता है।

पित्त-रोग, फोडा-फुन्सी, हैजा और विविध प्रकार के शीघ्र-घाती रोग शरीर का स्पर्श करते हैं, जिससे यह शरीर शक्तिहीन होकर नष्ट होता है, इसलिए हे गौतम ! तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर।

अप्रमत्त होकर आचरण करने का उपदेश—

३६१. आशुप्रज्ञ पंडित सोए हुए व्यक्तियों के बीच भी जागृत रहे। प्रमाद में विश्वास न करे। मुहूर्त कूर है, शरीर निर्बल है; यह विचार करता हुआ भारण्ड पक्षी की भाँति अप्रमत्त होकर विचरण करे।

पग-पग पर समय के दोषों से भय खाता हुआ, थोड़े से दोष को भी बन्धन रूप मानता हुआ चले। जब तक ज्ञान आदि का लाभ हो तब तक आहार आदि के द्वारा इस शरीर का रक्षण करता रहे। इसके बाद शरीर का अन्त जानकर अनशन के द्वारा कर्म मूल को दूर करे।

कवच युक्त सुशिक्षित घोड़े की तरह स्वच्छन्दता का निरोध करने वाला मुनि पूर्वों या वर्षों तक अप्रमत्त होकर विचरण करता है, वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होता है।

जो पूर्व जीवन में अप्रमत्त नहीं होता, वह पिछले जीवन में भी अप्रमत्त नहीं हो सकता। “पिछले जीवन में अप्रमत्त हो जायेंगे” ऐसा निश्चय-वचन शाश्वतवादियों के लिए ही उचित हो सकता है। पूर्व जीवन में प्रमत्त रहने वाला आयु के क्षिण होने पर, मृत्यु के द्वारा शरीर-भेद के क्षण उपस्थित होने पर विषाद को प्राप्त होता है।

कोई भी मनुष्य विवेक को तत्काल प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए काम-भोगादि विषयों का परित्याग करके संयम में उद्यत होकर लोक के प्राणियों को आत्मा के समान समझकर उनकी तथा आत्मा की रक्षा करता हुआ मर्हिषि अप्रमत्त होकर विचरण करे।



प्रमाद के प्रकार—४

छ कल्पस्स विगघकरा ठाणा—

३६२. कल्पस्स छ पलिमथू पण्णत्ता, त जहा—

१. कोक्कुइए सजमस्स पलिमथू ।
२. मोहरिए सच्चवयणस्स पलिमथू ।
३. चक्खुलोलुए ईरियावहियाए पलिमथू ।
४. तित्तिणिए एसणागोयरस्स पलिमथू ।
५. इच्छालोलुए मुत्तिमग्गस्स पलिमथू ।
६. मिज्जानियाणकरणे मोक्खमग्गस्स पलिमथू ।

सव्वत्य भगवया अनियाणया पसत्था^१ ।

—कप्प. उ ६, सु १६

छव्विहे पमाए—

३६३. छव्विए पमाए पण्णत्ते, तं जहा—

- | | |
|--------------|-------------------|
| १. मज्जपमाए, | २. णिद्वपमाए, |
| ३. विसयपमाए, | ४. कसायपमाए, |
| ५. जूतपमाए, | ६. पडिलेहणापमाए । |

—ठाणं अ. ६, सु. ५०२

दस धम्मघायगा—

३६४ दसविधे उवघाते पण्णत्ते, तं जहा—

१. उग्गमोवघाते,
२. उप्पायणोवघाते,
३. एसणोवघाते^२,
४. परिकम्मोवघाते,
५. परिहारणोवघाते^३,

छ कल्प के विघ्न करने वाले स्थान—

३६२ कल्प=साधवाचार के घातक छ प्रकार के कहे गये हैं। यथा—

(१) देखे बिना या प्रमर्जन किये बिना कायिक प्रवृत्ति करना समय का घातक है ।

(२) वाचालता-सत्य वचन का घातक है ।

(३) डघर उघर देखते हुए गमन करना—ईर्यासमिति का घातक है ।

(४) आहारादि के अलाभ से खिन्न होकर चिढ़ना—एण्णा-समिति का घातक है ।

(५) उपकरण आदि का अति लोभ, अपरिग्रह का घातक है ।

(६) लोभवश निदान (तप के फल की कामना) करना, मोक्ष मार्ग का घातक है ।

क्योकि भगवान ने सर्वत्र अनिदानता=निस्पृहता प्रशस्त कही है ।

छ प्रकार के प्रमाद—

३६३. प्रमाद के छह प्रकार हैं, यथा—

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| (१) मद्यप्रमाद, | (२) निद्राप्रमाद, |
| (३) विषयप्रमाद, | (४) कषायप्रमाद, |
| (५) धूतप्रमाद, | (६) प्रतिलेखना प्रमाद । |

दस धर्म के घातक—

३६४ उपघात दस प्रकार का कहा गया है । जैसे—

(१) भिक्षा सम्बन्धी उद्गम दोषों से होने वाला चारित्र का उपघात ।

(२) भिक्षा सम्बन्धी उत्पादन से होने वाला चारित्र का उपघात ।

(३) भिक्षा सम्बन्धी एषणा के दोष से होने वाला चारित्र का उपघात ।

(४) वस्त्र-पात्र आदि के परिकर्म से होने वाला चारित्र का उपघात ।

(५) अकल्प्य उपकरणों के उपभोग से होने वाला चारित्र का उपघात ।

१ ठाणं अ ६, सु ५२६

२ ठाणं अ ३, उ. ४, सु. १७८

३ ठाणं अ ५, उ २, सु. ४२५

६. णाणोवघाते,
७. दसणोवघाते,
८. चरित्तोवघाते,

९. अचियत्तोवघाते,

१०. सारक्खणोवघाते । —ठाण अ. १०, सु. ७३८(१)

दस धम्मविसोहि—

३६५. दसविधा विसोही पणत्ता, तं जहा—

१. उग्गमविसोही, २. उप्पायणविसोही,
३. एसणाविसोही,^१ ४. परिकम्मविसोही,
५. परिहरणविसोही,^२ ६. णाणविसोही,
७. दंसणविसोही, ८. चरित्तविसोही,
९. अचियत्तविसोही,
१०. सारक्खणविसोही । —ठाण. अ. १०, सु. ७३८(२)

अट्टारस पावट्टाणा—

३६६. अट्टारस पावट्टाणा पणत्ता, तं जहा—

१. पाणाइवाए, २. मुसावाए, ३. अदिण्णादाणे,
४. मेट्टणे, ५. परिग्गहे, ६. कोहे,
७. माणे, ८. माया, ९. लोभे,
१०. पेज्जे, ११. दोसे, १२. कलहे,
१३. अन्मक्खाणे, १४. पेसुण्णे, १५. परपरिवाए,
१६. अरतिरति, १७. मायामोसे १८. मिच्छादसणसल्ले^३ ।
—वि स १, उ. ६, सु. ११

- (६) प्रमाद आदि से होने वाला ज्ञान का उपघात ।
(७) शका आदि से होने वाला दर्शन का उपघात ।
(८) समितियों के यथाविधि पालन न करने से होने वाला चारित्र्य का उपघात ।
(९) अप्रीति या अविनय से होने वाला विनय गुण का उपघात ।

(१०) शरीर, उपधि आदि में मूर्च्छा रखने से होने वाला परिग्रह महाव्रत का उपघात ।

दश धर्मविशोधि—

३६५. विशोधि दस प्रकार का कहा गया है, यथा—

- (१) उद्गम की विशोधि, (२) उत्पादन की विशोधि ।
(३) एषणा की विशोधि, (४) परिकर्म की विशोधि ।
(५) परिहरण की विशोधि, (६) ज्ञान की विशोधि,
(७) दर्शन की विशोधि, (८) चारित्र्य की विशोधि,
(९) अप्रीति की विशोधि,
(१०) संरक्षण-विशोधि—सयम के साधनभूत उपकरण रखने से होने वाली विशोधि ।

अठारह प्रकार के पाप स्थान—

३६६. अठारह पापस्थान कहे गये हैं । यथा—

- (१) प्राणातिपात, (२) मृषावाद, (३) अदत्तादान,
(४) मैथुन, (५) परिग्रह, (६) क्रोध,
(७) मान, (८) माया, (९) लोभ,
(१०) राग, (११) द्वेष, (१२) कलह,
(१३) अभ्याख्यान (कलंक), (१४) पैशुन्य (चुगली),
(१५) परपरिवाद (निन्दा), (१६) अरतिरति, (हर्ष शोक)
(१७) मायामृषा, (१८) मिथ्यादर्शनशल्य ।



औद्देशिकादि अनाचार—५

औद्देशियाइं अणायाराइं—

३६७. संजसे सुट्टिअप्पाणं, विप्पमुक्काण ताइणं ।
तेसिमेयमणाइण्ण, निग्गथाण महेसिण ॥

- १ ठाणं. अ. ३, उ. ४, सु. १७८
३ (क) वि. स. २, उ. १, सु. ५०
(ग) वि. स. १७, उ. २, सु. १७

औद्देशिकादि अनाचार—

३६७ सयम में सुस्थित बाह्याभ्यंतर परिग्रह से मुक्त, छ काय के रक्षक निर्ग्रन्थ महर्षियों के ये आचरण के अयोग्य स्थान है—

- २ ठाण. अ. ५, उ. २, सु. ४२५
(ख) वि. स. ७, उ. १०, सु. १६
(घ) वि. स. १८, उ. ४, सु. २

१ उद्देसियं २ कीयगडं,
३ नियाग ४ म मिहडाणि य ।
५ राइभत्ते ६ सिणाणे य,
७ गघ ८ मल्ले य ९ वीयणे ॥

१० सन्नही ११ गिहिमत्ते य,
१२ राय्यापिडे १३ किमिच्छए ।
१४ मवाहणा १५ दत्तपहोयणा य,
१६ सपुच्छणा १७ देहपलोयणा य ॥

१८ अट्टावए य १९ नालीए,
२० छत्तस्स य धारणट्टाए ।
२१ तेगिच्छ २२ पाणहा पाए,
२३ समारंभं च जोइणो ॥
२४ सेज्जायरपिडं च, २५ आसंदीपलियंकए ।
२६ गिहंतग्निसेज्जा य, २७ गायस्सुव्वट्टणाणि य ॥

२८ गिहिणो वेयावडिय, जा य २९ आजीववत्तिया ।
३० तत्तानिव्वुडभोइत्त, ३१ आउरस्सरणाणि य ॥

३२ मूलए ३३ सिंगवेरे य, ३४ उच्छुखडे अनिव्वुडे ।
३५ कदे ३६ मूले य ३७ सचित्ते, फले ३८ वीए य आमए ॥
३९ सोवच्चले ४० सिधवे लोणे ४१ रोमालोणे य आमए ।
४२ सामुद्दे ४३ पसुखारे य ४४ कालालोणे य आमए ॥

४५ धूवणेत्ति ४६ वमणे य ४७ वत्थीकम्म ४८ विरेयणे ।

४९ अजणे ५० दत्तवणे^१ य ५१ गायन्संगविभूसणे^२ ॥

(१) निर्ग्रन्थ के निमित्त बनाया गया, (२) निर्ग्रन्थ के निमित्त खरीदा गया, (३) निमित्त कर प्रतिदिन दिया जाने वाला और (४) निर्ग्रन्थ के निमित्त दूर से सम्मुख लाया गया आहारादि लेना, (५) रात्रि भोजन करना, (६) स्नान करना, (७) सुगन्धित पदार्थ सूचना, (८) पुष्पादि की माला पहनना, (९) पखा आदि से हवा करना ।

(१०) खाद्य वस्तुओं का संग्रह करना, (११) गृहस्थ के पात्र में भोजन करना, (१२) भूषाभिषिक्त राजा के घर से भिक्षा लेना, (१३) "तुम्हें क्या चाहिये", यो पूछकर दिया जाने वाला आहारादि लेना, (१४) हाथ पैर आदि दवाना, (१५) दाँतों का प्रक्षालन करना, (१६) गृहस्थ का कुशल क्षेम पूछना, (१७) दर्पण आदि में मुख देखना ।

(१८) शतरज खेलना, (१९) नलिका से पासा डाल कर जुआ खेलना, (२०) छत्र धारण करना, (२१) गृहस्थ की चिकित्सा करना, (२२) पैरों में जूते पहनना, (२३) धनि जलाना ।

(२४) शय्यातरपिण्ड ग्रहण करना, (२५) वेंत आदि की कुर्सी पर बैठना, पलंग पर बैठना, (२६) गृहस्थ के घर में बैठना, (२७) शरीर पर उवटन करना ।

(२८) गृहस्थ की सेवा करना, (२९) जाति कुल आदि बता कर भिक्षा प्राप्त करना, (३०) अर्द्ध-पक्व-मिश्र पदार्थों का उपभोग करना, (३१) क्षुधा आदि से पीड़ित होकर भुक्त भोगों का स्मरण करना ।

(३२) मचित्त मूला, (३३) अदरख, (३४) इक्षुखड, (३५) कद, (३६) मूल, (३७) फल, (३८) बीज आदि ग्रहण करना ।

(३९) सचित्त सौवर्चल नमक, (४०) सैन्धव नमक, (४१) रोम नमक, (४२) समुद्र-नमक, (४३) पृथ्वी खार, (४४) काला लवण आदि ग्रहण करना ।

(४५) वस्त्रादि को धूप आदि से सुगन्धित करना, (४६) अकारण औषध द्वारा वमन करना, (४७) वस्तिकर्म करना, (४८) औषध द्वारा विरेचन करना ।

(४९) आँखों में अजन आँजना, (५०) दाँतों को दतीन से घिसना व मस्सी लगाना, (५१) शरीर की तेल आदि से मालिश करना, (५२) शरीर को विभूषित करना ।

१ सूय सु २, अ. १, सु. ६८१

२ आगमों में श्रमण वर्ग के आचारों एवं अनाचारों का अनेक जगह प्ररूपण है । कहीं सख्या का निर्देश है और कहीं नहीं है । स्वानाग में दस यति धर्म, आचाराग श्रुतस्कन्ध २ अ. १५ में और प्रश्नव्याकरण के पाँचवें सवर द्वार में पाँच महाव्रतों की पच्चीस भावनाएँ, दशवैकालिक अ ६ में और समवायाग में अठारह स्थान इस प्रकार सख्या निर्देश पूर्वक आचारों का आगमों में अनेक जगह प्ररूपण है ।

(शेष अ ले पृष्ठ पर)

सन्वमेयमण्णाइणं निग्गंथाण महेसिण ।
सजमम्मि य जुत्ताणं लहुभूयविहारिण ॥

—दस. अ. ३, गा. १-१०

जो समय में लीन और वायु की तरह मुक्त विहारी महर्षि
निर्ग्रन्थ हैं उनके ये सब अनाचीर्ण हैं ।



शबल दोष—६

एगवीसं सबला—

३६८. एगवीसं सबला पण्णत्ता, तं जहा—

१. हृत्यकम्म करेमाणे सबले ।
२. भेट्ठण पडिसेवमाणे सबले ।
३. राह-भोयणं भुंजमाणे सबले ।
४. आहाकम्मं भुंजमाणे सबले ।
५. राय्यपिड भुंजमाणे सबले ।
६. उद्देश्यं वा कीयं वा, पामिच्चं वा, आच्छिज्ज वा,
अणिसिट्ठं वा, अभिहडं आहट्ठु दिज्जमाणं वा भुंजमाणे
सबले ।
७. अभिक्खणं-अभिक्खणं पडियाइक्खिताण भुंजमाणे सबले ।
८. अंतो छण्ह मासाणं गणाओ गणं सकममाणे सबले ।
९. अंतो मासस्स तओ दगलेवे करेमाणे सबले ।
१०. अंतो मासस्स तओ माइट्ठुणे करेमाणे सबले ।
११. सागारियपिडं भुंजमाणे सबले ।

इकवीस शबल दोष—

३६८. इक्कीस शबल दोष इस प्रकार कहे गये हैं । यथा—

- (१) हस्तकर्म करने वाला शबल दोष-युक्त है ।
- (२) मैथुन सेवन करने वाला शबल दोष-युक्त है ।
- (३) रात्रि भोजन करने वाला शबल दोष-युक्त है ।
- (४) आघाकमिक आहार खाने वाला शबल दोष-युक्त है ।
- (५) राजपिड को खाने वाला शबल दोष-युक्त है ।
- (६) साधु के उद्देश्य से निर्मित, साधु के लिए मूल्य से
खरीदा हुआ, उधार लाया हुआ, निर्बल से छीनकर लाया हुआ,
विना आज्ञा के लाया हुआ या साधु के स्थान पर लाकर दिये
हुए आहार को खाने वाला शबल दोषयुक्त है ।
- (७) पुनः पुनः प्रत्याख्यान करके आहारादि भोगने वाला
शबल दोष युक्त है ।
- (८) छह मास के भीतर ही एक गण से दूसरे गण में जाने
वाला शबल दोष युक्त है ।
- (९) एक मास में तीन बार उदक लेप (जल-संस्पर्श) करने
वाला शबल दोषयुक्त है ।
- (१०) एक मास के भीतर तीन बार माया करने वाला
शबल दोष युक्त है ।
- (११) शय्यातर का आहारादि खाने वाला शबल दोष
युक्त है ।

(शेष टिप्पण पिछले पृष्ठ का)

वीस असमाधिस्थानो का, तीस महा मोहनीय कर्म बन्ध का, इक्कीस सबल दोषो का दशाश्रुतस्कन्ध और समवायाग में कथन है । इस प्रकार सख्या निर्देश पूर्वक अनाचारो का आगमो में अनेक जगह प्ररूपण है ।

किन्तु दशवैकालिक अ. ३ में उक्त अनाचारो के साथ सख्या का निर्देश नहीं है फिर भी इनके साथ ५२ की संख्या जोड़ दी गई है, यह उचित नहीं है । क्यों कि जहाँ पाठ में सख्या का कथन न हो वहाँ अल्प या अधिक सख्या का प्ररूपण भ्रामक होता है । यदि अनाचारो की सख्या निश्चित होती तो दशवैकालिक के टीकाकार या चूर्णीकार आदि व्याख्याकार सख्या का उल्लेख अवश्य करते । अथवा अन्य समवायाग आदि आगमो में भी कही न कही ५२ की संख्या का उल्लेख मिलता ।

किन्तु अनाचारो की निश्चित सख्या का कथन किसी भी आगम या उसके व्याख्या-ग्रन्थो में नहीं मिलता है ।

अतः साधु के अनाचार ५२ ही नहीं समझ लेना चाहिये किन्तु आगमो में जहाँ भी जितने भी निपिद्ध कार्य हैं वे सभी साधु के लिए अनाचरणीय है जिनकी सख्या निर्धारित नहीं की जा सकती ।

१२. आउट्टियाए पाणाइवायं करेमाणे सबले ।

१३. आउट्टियाए मुसावाय वदमाणे सबले ।

१४. आउट्टियाए अदिण्णादाण गिण्हमाणे सबले ।

१५. आउट्टियाए अणतरहिवाए पुढवीए ठाण वा, सेज्ज वा, निसीहिय वा, चेएमाणे सबले ।

१६. आउट्टियाए ससिणिट्ठाए पुढवीए, ससरक्खाए पुढवीए ठाण वा, सेज्ज वा, निसीहियं वा, चेएमाणे सबले ।

१७. आउट्टियाए चित्तमताए सिलाए, चित्तमताए लेलुए, कोलावासंसि वा दाहए जीवपइट्टिए, सअडे-जाव-मक्कडा-सताणए, ठाणं वा, सेज्ज वा, निसीहिय वा चेएमाणे सबले ।

१८. आउट्टियाए मूलभोयण वा, कद-भोयणं वा, खंघ-भोयणं वा, तथा भोयणं वा, पवाल-भोयण वा, पत्तभोयण वा, पुप्फ-भोयण वा, फल-भोयण वा, वीय-भोयण वा, हरिय-भोयण वा भुजमाणे सबले ।

१९. अतो सबच्छरस्स दस दगलेवे करेमाणे सबले ।

२०. अतो सबच्छरस्स दस माइट्टाणाइं करेमाणे सबले ।

२१. आउट्टियाए सीतोदय-वग्घारिय-हत्थेण वा, मत्तेण वा, दक्वीए वा, भायणेण वा, असणं वा, पाण वा, खाइम वा, साइमं वा पडिगाहिता भुंजमाणे सबले ।।

—दसा द. २, सु. २

(१२) जान-वृक्ष कर जीवो की हिंसा करने वाला शबल दोष युक्त है ।

(१३) जान-वृक्ष कर अमृत्य वोलने वाला शबल दोषयुक्त है ।

(१४) जान-वृक्ष कर अदत्त वस्तु को ग्रहण करने वाला शबल दोष युक्त है ।

(१५) जान-वृक्ष कर सचित्त पृथ्वी के निकट की भूमि पर कायोत्सर्ग शयन एवं स्वाध्याय आदि करने वाला शबल दोष युक्त है ।

(१६) जान-वृक्ष कर सस्निग्ध पृथ्वी पर और सचित्त रज से युक्त पृथ्वी पर कायोत्सर्ग, शयन एवं स्वाध्याय आदि करने वाला शबल दोष युक्त है ।

(१७) जान-वृक्ष कर सचित्त शिला पर, सचित्त पत्थर के ढेले पर, धुन लगे हुए या दीमक लगे हुए जीव-युक्त काष्ठ तथा अन्दे-युक्त—घावत्—मकड़ी के जालो से युक्त स्थान पर कायोत्सर्ग शयन एवं स्वाध्याय आदि करने वाला शबल दोष युक्त है ।

(१८) जान-वृक्ष कर के मूल, कन्द, स्कन्ध, छाल, कोपल, पत्र, पुष्प, फल, बीज और हरी वनस्पति का भोजन करने वाला शबल दोष युक्त है ।

(१९) एक वर्ष के भीतर दश वार उदक-लेप लगाने वाला शबल दोष युक्त है ।

(२०) एक वर्ष के भीतर दश वार मायास्थान सेवन करने वाला शबल दोष युक्त है ।

(२१) जान-वृक्ष कर शीतल सचित्त जल से गीले हाथ, पात्र, चम्मच या भाजन से, अशन, पान, खादिम और स्वादिम को लेकर खाने वाला शबल दोष युक्त है ।



१ (क) सम सम २१, सु १

(ग) समवायाग मे राजपिंड पाँचवाँ है और मागारिय पिंड ११ वा है । दशाश्रुतस्कन्ध मे मागारिय पिंड पाँचवाँ है और राजपिंड ११ वा है । समवायाग मे १७वें सबल दोष मे "चित्तमताए पुढवीए" पाठ अधिक है ।

असमाधि-स्थान—७

वीस असमाहिठाना—

३६६. बीस असमाहिठाना पणत्ता, त जहा—

१. दवदवचारी यावि भवइ,
२. अप्पमज्जियचारी यावि भवइ ।
३. दुप्पमज्जियचारी यावि भवइ ।
४. अतिरिक्त-सेज्जासणिए यावि भवइ ।
५. रातिणिअ-परिभासी यावि भवइ ।
६. थेरोवघाइए यावि भवइ ।
७. भूओवघाइए यावि भवइ ।
८. संजलणे यावि भवइ ।
९. कोहणे यावि भवइ ।
१०. पिट्टिमसिए यावि भवइ ।
११. अभिक्खण-अभिक्खणं ओहारइत्ता भवइ ।
१२. णवाणं अहिगरणाणं अणुप्पण्णाण उप्पाइत्ता भवइ ।
१३. पोरणाणं अहिगरणाणं खामिअ-विउसवियाण पुणो-उदीरेत्ता भवइ ।
१४. अकाले सज्जायकारए यावि भवइ ।
१५. ससरक्ख-पाणि-पाए यावि भवइ ।
१६. सहकरे यावि भवइ ।
१७. झक्षकरे (भेदकरे) यावि भवइ ।
१८. कलहकरे यावि भवइ ।
१९. सूरप्पमाण-भोई यावि भवइ ।
२०. एसणाए असमाहिए यावि भवइ ।^१

—दसा. द १, सु. ३-४

बीस असमाधि स्थान—

३६६. बीस असमाधि स्थान इस प्रकार कहे हैं । जैसे—

- (१) अतिशीघ्र चलना ।
- (२) प्रमार्जन करे बिना (अन्धकार में) चलना ।
- (३) उपेक्षा भाव से प्रमार्जन करना ।
- (४) अतिरिक्त शय्या-आसन रखना ।
- (५) रत्नाधिक के सामने परिभाषण करना ।
- (६) स्थविरो का उपघात करना ।
- (७) पृथ्वी आदि का घात करना ।
- (८) क्रोध भाव में जलना ।
- (९) क्रोध करना ।
- (१०) पीठ पीछे निन्दा करना ।
- (११) बार-बार निश्चयात्मक भाषा बोलना ।
- (१२) नवीन अनुत्पन्न कलहो को उत्पन्न करना ।
- (१३) क्षमापना द्वारा उपशान्त पुराने क्लेश को फिर से उभारना ।
- (१४) अकाल में स्वाध्याय करना ।
- (१५) सचित्तरज से युक्त हाथ पाँव आदि का प्रमार्जन न करना ।
- (१६) अनावश्यक बोलना या वाक् युद्ध करना (जोर-शोर से बोलना) ।
- (१७) सध में भेद उत्पन्न करने वाला वचन बोलना ।
- (१८) कलह करना झगडा करना ।
- (१९) सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कुछ न कुछ खाते रहना ।
- (२०) एषणा समिति से असमित होना अर्थात् (अनेषणीय भक्त-पानादि ग्रहण करना ।)



मोहनीय स्थान—८

तीस महा-मोहणिज्ज-ठानाई—

३७०. “अज्जो !” त्ति समणे भगवं महावीरे बहवे निग्गंथा य निग्गथीओ य आमंतेत्ता एवं वयासी—

तीस महामोहनीय स्थान—

३७०. श्रमण भगवान् महावीर ने सभी निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियो को आमन्त्रित कर इस प्रकार कहा—

“एवं खलु अज्जो ! तीस मोहणिज्ज-ठाणाइ जाइं इमाइं इट्थी वा पुरिसो वा अभिक्खण-अभिक्खणं आयारेमाणे वा, समायारेमाणे वा मोहणिज्जत्ताए कम्मं पकरेइ” तं जहा—
१. जे केइ तसे पाणे, वारिमज्जे विगाहिआ ।
उदएणाऽक्कम्म मारेइ, महामोहं पकुव्वइ ॥

२. पाणिणा सपिहित्ताण, सोयमाधारिय पाणिणं ।
अतो नदत्तं मारेइ, महामोहं पकुव्वइ ॥

३. जायतेय समारब्भ, बहु ओरुम्मिया जण ।

अंतो धूमेण मारेइ, महामोहं पकुव्वइ ॥

४. सीसम्मि जो पहणइ, उत्तमगम्मि चयेसा ।

विमज्ज मत्थय फाले, महामोहं पकुव्वइ ॥

५. सीस धेठेण जे केइ, आवेडेइ अभिक्खण ।

तिव्वासुम - समायारे, महामोहं पकुव्वइ ॥

६. पुणो-पुणो पणिहिए, हणित्ता उवहसे जणं ।

फलेण अदुव्व दडेण, महामोहं पकुव्वइ ॥

७. गूढायारी निगुहिज्जा, माय मायाए छायाए ।

असच्चवाई णिणहाइ, महामोहं पकुव्वइ ॥

८. धसेइ जो अमूएण, अकम्म अत्तकम्मूणा ।

अदुवा तुमकासित्ति, महामोहं पकुव्वइ ॥

९ जाणमाणो परिसाए, सच्चामोसाणि मासए ।

अक्खीणं झंझे-पुरिसे, महामोहं पकुव्वइ ॥

१० अणायगस्स नयवं, दारे तस्सेव धसिया ।

विउल विक्खोभइत्ताण, किच्चा णं पडिबाहिर ॥

उवगसत्तंपि, झंपित्ता, पडिलोमाहिं वग्गुहिं ।

भोग-भोगे वियारेइ, महामोहं पकुव्वइ ॥

११. अकूमरमूए जे केई, “कुमार-मूए त्ति हं” वए ॥

इट्थी - विसय - सेवी य, महामोहं पकुव्वइ ॥

१२ अंबंमयारी जे केई, “अंबंमयारी त्ति हं” वए ।

गइहेव्व गवां मज्जे, विस्सरं नपइ नदं ॥

“हे आर्यो ! जो स्त्री या पुरुष इन तीस मोहनीय स्थानों का सामान्य या विशेष रूप से पुनः पुनः आचरण करते हैं वे मोहनीय कर्म का बन्ध करते हैं ।” वे इस प्रकार हैं—

(१) जो कोई त्रस प्राणियों को जल में डुबोकर या प्रचण्ड वेग वाली तीव्र जलधारा डालकर उन्हें मारता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(२) जो प्राणियों के मुँह, नाक आदि श्वास लेने के द्वारों को हाथ आदि से अवरुद्ध कर अव्यक्त शब्द करते हुए प्राणियों को मारता है वह महामोहनीय कर्म बाँधता है ।

(३) जो अनेक प्राणियों को एक घर में घेर कर अग्नि के धुएँ से उन्हें मारता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(४) जो किसी प्राणी के उत्तमाग-शिर पर शस्त्र से प्रहार कर उसका भेदन करता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(५) जो तीव्र अशुभ परिणामों से किसी प्राणी के सिर को गीले चर्म के अनेक वेस्टनों से वेष्टित करता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(६) जो किसी प्राणी को घोखा देकर के भाले से या डठे से मारकर हँसता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(७) जो गूढ आचरणों से अपने मायाचार को छिपाता है, असत्य बोलता है और सूत्रों के यथार्थ अर्थों को छिपाता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(८) जो निर्दोष व्यक्ति पर मिथ्या आक्षेप करता है, अपने दुष्कर्मों का उस पर आरोपण करता है अथवा तूने ही ऐसा कार्य किया है इस प्रकार दोषारोपण करता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(९) जो कलहशील है और भरी सभा में जान-बूझकर मिश्र भाषा बोलता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(१०) जो कूटनीतिज्ञ मंत्री राजा के हितचिन्तकों को भरमाकर या अन्य किसी वहाँ से राजा को राज्य से बाहर भेजकर राज्य लक्ष्मी का उपभोग करता है, रानियों का शील खण्डित करता है और विरोध करने वाले सामन्तों का तिरस्कार करके उनके भोग्य पदार्थों का विनाश करता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(११) जो बालब्रह्मचारी नहीं होते हुए भी अपने आपको बालब्रह्मचारी कहता है और स्त्री त्रिपयक भोगों में गूढ होता है, वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(१२) जो ब्रह्मचारी नहीं होते हुए भी “मैं ब्रह्मचारी हूँ” इस प्रकार कहता है वह मानों गायों के बीच गधे के समान

अप्पणो अहिए बाले, मायामोसं बहु भसे ।
इत्थी-विसय-गेही य, महामोह पकुव्वइ ॥

१३. जं निस्सिए उव्वहइ, जस्साहिगमेण वा ।
तस्स चुम्मइ वित्तस्मि, महामोहं पकुव्वइ ॥

१४. ईसरेण अट्टुवा गामेणं, अणीसरे ईसरीकए ।
तस्स सपय-हीणस्स, सिरी अतुलमागया ॥
ईसा-दोसेण आविट्ठे, कलुसाविल - चेयसे ।
जे अंतरायं चेएइ, महामोह पकुव्वइ ॥

१५. सप्पी जहा अंडउड, भत्तार, जो विहिंसइ ।
सेनावइ पसत्थार, महामोह पकुव्वइ ॥

१६. जे नायग च रट्टस्स नेयार निगमस्स वा ।
सेट्ठि बहुरव हंता, महामोहं पकुव्वइ ॥

१७. बहुजणस्स णेयारं, दीवत्ताणं च पाणिण ।
एयारिसं नर हंता, महामोहं पकुव्वइ ॥

१८. उवट्ठिय पडिविरय, सजय सुत्तवस्सिय ।
विउक्कम्म धम्माओ भसेइ, महामोहं पकुव्वइ ॥

१९. तहेवाणत - णाणीणं, जिणाणं वरदंसिण ।
तेसि अवण्णव बाले, महामोह पकुव्वइ ॥

२०. नेयाइअस्स मग्गस्स, वुट्ठे अवयरइ वहुं ।
तं तिप्पयन्तो भावेइ, महामोहं पकुव्वइ ॥

२१. आयरिय-उवज्जाएहिं, सुयं विणयं च गाहिए ।
ते चेव खिसइ बाले, महामोह पकुव्वइ ॥

२२. आयरिय-उवज्जायाणं, सम्भं नो पडितप्पइ ।
अप्पडिप्पयए थद्धे, महामोहं पकुव्वइ ॥

२३. अबहुस्सुए य जे केई, सुएणं पविकत्थइ ।
सज्जाय - वाय - वयइ, महामोहं पकुव्वइ ॥

बेसुरा बकता है और अपनी आत्मा का अहित करने वाला वह मूर्ख माया युक्त झूठ बोलकर स्त्रियों में आसक्त रहता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(१३) जो जिसका आश्रय पाकर आजीविका कर रहा है और जिसकी सेवा करके समृद्ध हुआ है उसी के धन का अपहरण करता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(१४) जो किसी स्वामी का या ग्रामवासियों का आश्रय पाकर उच्च स्थान को प्राप्त करता है और जिनकी सहायता से सर्व साधन सम्पन्न बना है यदि ईर्ष्या युक्त एव कलुषित चित्त होकर उन आश्रयदाताओं के लाभ में वह अन्तराय उत्पन्न करता है तो महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(१५) सर्पिणी जिस प्रकार अपने ही अण्डों को खा जाती है उसी प्रकार जो पालन कर्ता, सेनापति तथा कलाचार्य या धर्माचार्य को मार देता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(१६) जो राष्ट्रायक को, निगम के नेता को तथा लोकप्रिय श्रेष्ठी को मार देता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(१७) जो अनेक जनो के नेता को तथा समुद्र में द्वीप के समान अनाथ जनो के रक्षक को मार देता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(१८) जो पापो से विरत दीक्षार्थी को और तपस्वी साधु को धर्म से भ्रष्ट करता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(१९) जो अज्ञानी अनन्त ज्ञान-दर्शन सम्पन्न जिनेन्द्र देव का अवर्णवाद निन्दा करता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(२०) जो दुष्टात्मा अनेक भव्य जीवों को न्याय मार्ग से भ्रष्ट करता है और न्यायमार्ग की द्वेषपूर्वक निन्दा करता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(२१) जिन आचार्य या उपाध्यायों से श्रुत और आचार ग्रहण किया है उनकी ही जो अवहेलना करता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(२२) जो व्यक्ति आचार्य उपाध्याय की सम्यक् प्रकार से सेवा नहीं करता है तथा उनका आदर सत्कार नहीं करता है और अभिमान करता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(२३) जो बहुश्रुत नहीं होते हुए भी अपने आपको बहुश्रुत, स्वाध्यायी और शास्त्रों के रहस्य का ज्ञाता कहता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

२४. अतवस्तीए जे केइ तवेण पविकत्थइ ।
सच्चलोय - परे तेणे, महामोहं पकुव्वइ ॥

२५ साहारणट्टा जे केइ, गिलाणम्मि उवट्टिए ।
पम्म न कुणइ किच्च, मज्झपि से न कुव्वइ ॥
सडे नियडी - पण्णाणे, कलुसाउल - चेयसे ।
अप्पणो य अ बोहीए, महामोह पकुव्वइ ॥

२६ जे कहाहिगरणाइ, संपउंजे पुणो-पुणो ।
सच्च तित्थाण- भेयाए, महामोह पकुव्वइ ॥

२७ जे य आहम्मिए जोए, सपउंजे पुणो-पुणो ।
सहा-हेउ सही-हेउं, महामोह पकुव्वइ ॥

२८ जे य माणुस्सए भोए, अदुवा पारलोइए ।
तेऽतिप्पयतो आसयइ, महामोह पकुव्वइ ॥

२९. इइढी जुई जसो वण्णो, देवाणं बलवीरियं ।
तेसि अवण्णव वाले, महामोह पकुव्वइ ॥

३० अपस्समाणो पस्सामि, देवे जक्खे य गुज्झणे ।
अण्णाणो जिण-पूयट्ठी, महामोहं पकुव्वइ ॥

एते मोहगुणा घुत्ता, कम्मंता चित्त-वट्ठणा ।
जे उ भिक्षू विवज्जेज्जा, चरिज्जत्तगवेसए ॥

जं पि जाणे इतो पुव्वं, किच्चाकिच्चं बहु जड ।
तं वता ताणि सेविज्जा, जेहि आयारव सिया ॥

आयार-गुत्ती सुट्ठप्पा, धम्मे ठिच्चा अणुत्तरे ।
ततो वमे सए बोसे, विसमासीविसो जहा ॥

सुच्चत-दोसे सुट्ठप्पा, धम्मट्ठी विवित्तायरे ।
इरेव लभते किंत्ति, पेच्चा य सुगति वरे ॥

(२४) जो तपस्वी नहीं होते हुए भी अपने. आपको तपस्वी कहता है वह इस विश्व में सबसे बड़ा घोर है, अतः वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(२५) जो समर्थ होते हुए भी रोगी की सेवा का महान् कार्य नहीं करता है अपितु "भैरी इसने सेवा नहीं की है अतः मैं भी इसकी सेवा क्यों करूँ" इस प्रकार कहता है वह महामूर्ख मायावी एवं मिथ्यात्वी कलुषित चित्त होकर अपनी आत्मा का अहित करता है ऐसा व्यक्ति महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(२६) चतुर्विध संघ में मतभेद पैदा करने के लिए जो कलह के अनेक प्रसंग उपस्थित करता है वह महामोहनीय कर्म का बंध करता है ।

(२७) जो श्लाघा या मित्रगण के लिए अर्धामिक योग करके वशीकरणादि का बार-बार प्रयोग करता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(२८) जो मानुषिक और देवी भोगों की तृप्ति से उनकी बार-बार अभिलाषा करता है वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

(२९) जो व्यक्ति देवों की श्रद्धा, द्युति, यश, वर्ण और बल-वीर्य का अवर्णवाद बोलता है वह महामोहनीय कर्म का बंध करता है ।

(३०) जो अज्ञानी जिनदेव की पूजा के समान अपनी पूजा का इच्छुक होकर देव, यक्ष और असुरों को नहीं देखता हुआ भी कहता है कि "मैं इन सबको देखता हूँ" वह महामोहनीय कर्म का बन्ध करता है ।

ये मोह से उत्पन्न होने वाले, अशुभ कर्म का फल देने वाले, चित्त की मलीनता को बढ़ाने वाले दोष कहे गये हैं अतः भिक्षु इनका आचरण न करे किन्तु आत्म-नवेशी होकर विचरे ।

भिक्षु पूर्व में किये हुए अपने कृत्याकृत्यों को जानकर उनका पूर्ण रूप से परित्याग करे और उन समय स्थानों का सेवन करे जिनसे कि वह आचारवान् बने ।

जो भिक्षु पचाचार के पालन से सुरक्षित है, शुद्धात्मा है और अनुत्तर धर्म में स्थित है, वह अपने दोषों को त्याग दे जिस प्रकार आशीविष-सर्प विष का वमन कर देता है ।

इस प्रकार दोषों को त्याग कर शुद्धात्मा धर्माधी भिक्षु मोक्ष के स्वरूप को जानकर इस लोक में कीर्ति प्राप्त करता है और परलोक में वह सुगति को प्राप्त होता है ।

एव अभिसमागम् सूरा दढ परक्कमा ।
सव्व-मोह-विणिमुक्का, जाइ-मरणमतिच्छया^१ ॥

—दसा. द. ६, गा. १-३६

जो दृढ़ पराक्रमी, शूरवीर भिक्षु सभी स्थानों को जानकर
उन मोहवन्ध के कारणों का त्याग करता है वह जन्म-मरण का
अतिक्रमण कर देता है, अर्थात् ससार से मुक्त हो जाता है ।



क्रियास्थान—६

तेरस किरिया ठाणा—

३७१. तेरस किरिया ठाणा पण्णत्ता, तं जहा—

- १ अट्टादंडे,
- २ अणट्टादंडे,
- ३ हिंसादंडे,
- ४ अकम्हादंडे,
- ५ दिट्ठिविप्परिआसिआदंडे,
- ६ मुसावायवत्तिए,
- ७ अदिण्णादाणवत्तिए,
- ८ अज्जात्थिए,

९ माणवत्तिए,

१०. मित्तदोसवत्तिए,

११ मायावत्तिए,

१२ लोभवत्तिए,

१३ ईरियावहिए, नामं तेरसमे ।^२—सम सम. १३, सु. १

तेरह क्रियास्थान—

३७१. तेरह क्रियास्थान कहे गये हैं । जैसे—

- (१) सप्रयोजन हिंसा ।
- (२) निष्प्रयोजन हिंसा ।
- (३) सकल्प युक्त हिंसा ।
- (४) अचानक होने वाली हिंसा ।
- (५) मतिभ्रम से होने वाली हिंसा ।
- (६) मृषावाद के निमित्त से होने वाली क्रिया ।
- (७) अदत्तादान के निमित्त से होने वाली क्रिया ।
- (८) बाह्य निमित्त के बिना स्वतः मन से उत्पन्न होने वाली क्रिया ।
- (९) अभिमान के निमित्त से होने वाली क्रिया ।
- (१०) मित्र के प्रति अप्रिय भाव के निमित्त से होने वाली क्रिया ।
- (११) माया के निमित्त से होने वाली क्रिया ।
- (१२) लोभ के निमित्त से होने वाली क्रिया ।
- (१३) कषाय रहित योगों के निमित्त से होने वाली क्रिया ।



१ (क) सम. स. ३०, सु. १

(ख) दशाश्रुतस्कन्ध और समवायांग सूत्र में समान वर्णन है किन्तु दूसरे स्थान से पाँचवें स्थान तक चार स्थानों के क्रम में अन्तर है, जो लिपि दोषजन्य सम्भव है ।

यह अन्तर इस प्रकार है—

	समवायांग में		दशाश्रुतस्कन्ध में
(१) श्वास रोक कर मारना	— तीसरा है	—	दूसरा है ।
(२) धुँए आदि से मारना,	— चौथा है	—	तीसरा है ।
(३) मस्तक का भेदन करके मारना	— पाँचवाँ है	—	चौथा है ।
(४) मस्तक पर गीला चमड़ा बाँधकर मारना	— दूसरा है	—	पाँचवा है ।

शेष सभी का क्रम समान है ।

२ सूय. सु. २, अ. २, सु. १

निमित्त कथन—१०

अट्टविहा महानिमित्त—

३७२. अट्टविहे महानिमित्ते पण्णत्ते, तं जहा—

१. भोमे, २ उत्पाते, ३ सुविणे,
४. अंतलिक्खे, ५ अगे, ६ सरे
७ लक्खणे, ८ वंजणे ।¹ —ठाणं. अ ८, सु. ६०८

निमित्त वागरण णिसेहो—

३७३. जे लक्खण सुविण पउजमाणे, निमित्ते कोऊहल सपगाढे ।
कुहेड विज्जा-सवदारजीवी, न गच्छई सरणं तम्मि काले ।

—उत्त. अ. २१, गा. ४५

जे लक्खण च सुविणं च, अगविज्ज च जे पउजति ।
न हू ते समणा वुच्चति, एवं आयरिएहि अक्खायं ॥

—उत्त. अ ८, गा. १३

छिन्न सरं भोमं अतलिक्ख, सुविणं लक्खण-दड-वत्थुविज्जं ।
अगवियार सरस्स विजय, जे विज्जाहिं न जीवई स भिक्खू ॥

—उत्त. अ १५, गा. ७

नक्खत्ता सुमिणं जोगं, निमित्त मत भेसज ।
णिहिणो त न आइक्खे, भूयाहिगरणं पर्यं ॥

—दस. अ ८, गा. ५१

निमित्त प्पओगो पावसमणो—

३७४. सय गेहं परिचज्ज, परगेहसि वावडे ।
निमित्तेण य ववहरई, पावसमणे ति वुच्चई ॥

—उत्त. अ. १७, गा. १८

आठ प्रकार के महानिमित्त -

३७२ महानिमित्त आठ प्रकार के होते हैं । यथा—

- (१) भौम, (२) उत्पात (उपद्रव,) (३) स्वप्न,
(४) अन्तरिक्ष, (५) आग, (६) स्वर,
(७) लक्षण, (८) व्यजन (तिल, मसा आदि)

निमित्त कथन निषेध—

३७३. जो लक्षणशास्त्र और स्वप्नशास्त्र का प्रयोग करता है,
जो निमित्तशास्त्र और कौतुक-कार्य में लगा रहता है, मिथ्या
आश्चर्य उत्पन्न करने वाली आश्रव युक्त विद्याओं से आजीविका
करता है, वह मरण के समय किसी की शरण नहीं पा सकता ।

जो साधक लक्षणशास्त्र, स्वप्नशास्त्र एवं अगविद्या का
प्रयोग करते हैं उन्हें सच्चे अर्थों में श्रमण नहीं कहा जाता, ऐसा
आचार्यों ने कहा है ।

जो छेदन, स्वर (उच्चारण), भौम, अन्तरिक्ष, स्वप्न, लक्षण,
दंड, वास्तु विद्या, अंगस्फुरण और स्वर विज्ञान आदि विद्याओं के
द्वारा आजीविका नहीं करता है वह भिक्षु है ।

नक्षत्र, स्वप्न, वशीकरण योग, निमित्त, मन्त्र और भेषज—
ये जीवो की हिंसा के स्थान हैं, इसलिए मुनि गृहस्थों को इनके
फलाफल न बताए ।

निमित्त का प्रयोक्ता पाप-श्रमण—

३७४. जो अपना घर छोड़कर दूसरो के घर में जाकर उनका
कार्य करता है और निमित्त शास्त्र से शुभाशुभ बताकर जीवन
व्यवहार चलाता है वह पाप-श्रमण कहलाता है ।



कषाय-निषेध—११

कषाय-णिसेहो—

३७५. पत्तिअं चण च भयण च, थडिल्लुस्सयणाणि य ।
घुणाऽऽणाणहं लोमंनि, त विज्ज परिजाणिया ॥

—सूय सु १, अ ६, गा ११

कषाय निषेध—

३७५. माया और लोभ तथा क्रोध और मान को नष्ट कर डालो
क्योंकि ये सब (कषाय) लोक में कर्मबन्ध के कारण हैं, अतः
विद्वान् साधक जपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से इनका
त्याग करे ।

कोहं माणं च मायं च, लोभं च पाववड्ढणं ।
वमे चत्तारि दोसे उ, इच्छंतो हियमप्पणो ॥

कोहो पीइ पणासेइ, माणो विणयनासणो ।
माया भित्ताणि नासेइ, लोहो सव्वविणासणो ॥

उवसमेण हणे कोहं, माणं मद्दवया जिणे ।
मायं चड्ज्जवभावेण, लोभं सतोसओ जिणे ॥
कोहो य माणो य अणिग्गहीया, माया य लोभा य पवड्ढमाणा ।
चत्तारि एए कसिणा कसाया, सिचंति मूलाइं पुणब्भवस्स ॥
—दस. अ. ८, गा. ३६-३६

जे यावि बहुस्सुए सिया, घम्मिए माहणे भिक्खुए सिया ।
अभिणूमकडेहि मुच्छिए, तिठ्वं से कम्मेहि किच्चती ॥

अह पास विवेगमुट्टिए, अवित्तिण्णे इह भासई धुतं ।
णाहिसि आरं कओ पर ? वेहासे कम्मेहि किच्चई ॥

जइ वि य णिगिणे किसे चरे, जइ वि य भुंजिय मासमंतसो ।
जे इहमायाइ मिज्जती, आगंता गल्भायडणंतसो ॥
—सूय. सु. १, अ. २, उ. १, गा. ७-६

कसायाणं अग्गी उवमा—

३७६. प०—सपज्जलिया घोरा, अग्गी चिट्ठइ गोयमा ।
जे डहन्ति सरीरत्था, कह विज्झाविया तुम ? ॥

उ०—महामेहप्पसूयाओ, गिज्झ वारि जलुत्तमं ।
सिचामि सयय तेउ, सिता नो व डहन्ति मे ॥

प०—अग्गी य इइ के वुत्ता ? केसी गोयममब्बवी ।
केसिमेवं बुवत तु, गोयमो इणमब्बवी ॥

उ०—कसाया अग्गिणो वुत्ता, सुय-सील-तवो जलं ।
सुयधाराभिहया सन्ता, भित्ता हु न डहन्ति मे ॥

—उत्त. अ. २३, गा. ५०-५३

अट्टमयप्पगारा—

३७७ अट्ट मयट्ठाणा पणत्ता, तं जहा—

१. जातिमए, २. कुलमए, ३. बलमए,
४. रूपमए, ५. तपमए, ६. सुत्तमए,
७. लाभमए, ८. इस्सरियमए ।

—ठाणं. अ. ८, सु. ६०६

क्रोध, मान, माया और लोभ ये पाप को बढ़ाने वाले हैं ।
आत्मा का हित चाहने वाले को इन चारो दोषो, दोषो को छोड़
देना चाहिये ।

क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करने
वाला है, माया सैत्री का विनाश करता है और लोभ सभी सद्-
गुणो का नाश करने वाला है ।

उपशम से क्रोध का हनन करे, मृदुता से मान को जीते,
सरलता से माया को और सन्तोष से लोभ को जीते ।

वश मे नहीं किये हुए क्रोध और मान, बढ़े हुए माया और
लोभ ये सम्पूर्ण चारो कषाय पुनर्जन्म रूपी वृक्ष की जडो का
सिचन करती है ।

मायामय अनुष्ठानो मे आसक्त पुरुष चाहे बहुश्रुत हो चाहे वे
धर्माचरणशील हो, ब्राह्मण हो या माहण हो अथवा भिक्षु हो वे
कर्मों द्वारा अत्यन्त पीडित किये जाते हैं ।

हे शिष्य ! यह देखो कि—कई साधक संयम स्वीकार
करके कषाय विजय मे सफल नहीं होते हुए भी संयम का कथन
करते हैं उनका यह लोक भी नहीं सुधरता है तो परलोक कैसे
सुधरेगा ? अर्थात् नहीं सुधरता है और बीच मे ही वे कर्मों से
पीडित होते रहते हैं ।

यदि कोई भिक्षु नग्न रहता है, देह को कृश करता है और
मास-मास के अन्त मे एक बार खाता है, फिर भी माया आदि
से परिपूर्ण होने के कारण वह अनन्त बार जन्म-मरण करता है ।

कषायों को अग्नि की उपमा—

३७६ प्र०—(केशीकुमार पूछते हैं) हे गौतम ! प्राणिमात्र के
शरीर मे घोर अग्नियाँ प्रज्वलित हो रही हैं और आत्मा के गुणो
को भस्म कर रही हैं उन अग्नियो को आपने कैसे बुझाया ?

उ०—महामेघ से उत्पन्न स्रोत मे से पवित्र-जल को लेकर
मैं उन अग्नियो का निरन्तर सिचन करता हूँ । अतः सिचन की
गई वे अग्नियाँ मुझे नहीं जलाती हैं ।

प्र०—“वे कौन-सी अग्नियाँ हैं ?” केशी ने गौतम को
कहा । केशी के पूछने पर गौतम ने इस प्रकार कहा—

उ०—“कषायो को अग्नि कहा गया है । श्रुत, शील और
तप यह जल है । श्रुत-शील-तप-रूप-जल-धारा से बुझी हुई और
नष्ट हुई अग्नियाँ मुझे नहीं जलाती हैं ।”

आठ प्रकार के मद—

३७७. मद आठ प्रकार के कहे गये हैं । यथा—

(१) जातिमद, (२) कुलमद, (३) बलमद,
(४) रूपमद, (५) तपमद, (६) श्रुतमद,
(७) लाभमद, (८) ऐश्वर्यमद ।

मदणिसेहो—

३७८ पण्णामय चेष तवोमयं च, णिण्णामए गोयमय च भिक्खू ।
आजीवग चेष चउत्थमाहु, से पंडिते उत्तमपोग्गले से ॥

एताइं मदाइ विगिच धीरा, ण ताणि सेवंति सुधीरघम्ममा
ते सव्वगोत्तावगता महेसी, उच्चं अगोत्तं च गतिं वयति ॥

—सूय सु १, अ १३, गा १५-१६

न जाइमत्ते न य रुवमत्ते, न लाभमत्ते न सुएणमत्ते ।
मयाणि सव्वाणि विवज्जइत्ता, धम्मज्जाणरए जे स भिक्खू ॥

—दस अ १०, गा. १६

न वाहिर परिभवे, अत्ताणं न समुक्कसे ।
सुयत्तामे न मज्जेज्जा, जक्खा तवसिबुद्धिए ॥

—दस अ ८, गा. ३०

तयस व जहाइ से रय, इति संखाय मुणी य मज्जई ।
गोयण्णतरेण माहणे, अह सेयकरी अन्नेसि इखिणी ॥

जो परिभवई पर जण, संसारे परिवत्तई महं ।
अबु इखिणिया उ पाविया, इति सक्खाय मुणी ण मज्जई ॥

—सूय. सु. १, अ. २, उ. २, गा १-२

रुवमद-णिसेहो—

३७९. जे केई सरीरे सत्ता, वण्णे ख्वे य सव्वसो ।

“सणसा कायवक्केण” सव्वे ते बुक्खसंभवा ॥

आवप्ता दीहमद्दाण, ससारम्मि अणत्तए ।

तम्हा सव्वदिसं पस्स, अप्पमत्तो परिव्वए ॥

—उत्त अ. ६, गा ११-१२

लज्जा-णिसेहो—

३८०. जे यावि अणायगे निया, जे वि य पेसगपेसाए सिया ।

जे मोणपद उवट्टिए, णो लज्जे समयं सया चरे ॥

—सूय. सु १, अ. २, उ. २, गा ३

कत्ताय-गारव-णिसेहो—

३८१ अत्तिमाणं च भाय च, त परिण्णाय पंडिते ।

गारवाणि य सव्वाणि, निव्वाणं संघए मुणि ॥

—सूय. मु १, अ ६ गा ३६

मद निषेध—

३७८ भिक्षु प्रज्ञा का मद, तप का मद, गोत्र का मद और चौथा आजीविका का मद मन से सम्पूर्ण रूप से निकाल दे । जो ऐसा करता है, वही पण्डित और उत्तम आत्मा है ।

धीर पुरुष इन मदों को आत्मा से पृथक् कर दे । क्योंकि धैर्यवान् साधक उन जाति आदि मदों का सेवन नहीं करते । वे सब प्रकार के गोत्रादि मदों से रहित महर्षिगण नाम-गोत्रादि से रहित सर्वोच्च मोक्ष गति को प्राप्त होते हैं ।

जो जाति का मद नहीं करता, जो रूप का मद नहीं करता, जो लाभ का मद नहीं करता, जो श्रुत का मद नहीं करता, जो सब मदों का वर्जन करता हुआ धर्म-ध्यान में रत रहता है—वह भिक्षु है ।

भिक्षु दूसरे का तिरस्कार न करे । अपना बड़प्पन न दिखाए । श्रुत, लाभ, जाति सम्पन्नता, तप और बुद्धि का मद न करे ।

जैसे सर्प अपनी केंचुली को छोड़ देता है वैसे ही कल्याण का इच्छुक मुनि कर्म रज को दूर कर देता है ऐसा जानकर अहिंसक मुनि गोत्रादि का मद न करे तथा कल्याण का नाश करने वाली दूसरों की निन्दा भी न करे ।

जो साधक दूसरों का तिरस्कार करता है, वह चिर काल तक ससार में परिभ्रमण करता है तथा परनिन्दा पापों की जननी ही है, यह जानकर मुनि किसी प्रकार का अहंकार न करे ।

रूपमद निषेध—

३७९. जो कोई मन, वचन और काया से शरीर के वर्ण रूप आदि में सर्वश आसक्त होते हैं, वे सभी अपने लिए दुःख उत्पन्न करते हैं ।

वे इस अनन्त ससार में जन्म-मरण के लम्बे मार्ग को प्राप्त किए हुए हैं । इसलिए सब दिशाओं का भली भाँति विचार कर मुनि अप्रमत्त होकर विचरे ।

लज्जा निषेध—

३८० जो पूर्व में चक्रवर्ती राजा आदि हो अथवा जो दासों का भी दास हो किन्तु अब यदि वह समय मार्ग में उपस्थित हो गया तो उसे लज्जा या अभिमान न करते हुए सदैव मम्यक् प्रकार से समय का आचरण करना चाहिए ।

कपाय और गर्व का निषेध—

३८१. पण्डित मुनि अति मान और माया तथा मंत्री गवों को जानकर उनका परित्याग करे और स्वयं निर्वाण की राधना में लगे ।

णिविकचणे भिक्षू सुलूहजीवी,
आजी जे गारवं होइ सिलोयगामी ।
चमेयं तु अबुज्जमाणे,
पुणो - पुणो विप्परियासुवेइ ॥
जे भासवं भिक्षू सुसाधुवाही,
पढिहाणव होइ विसारए य ।
आगाढपण्णे सुविभावियप्पा,
अण्ण जणं पण्णया परिमवेज्जा ॥

एवं ण से होइ सिसमाहिपत्ते,
जे पण्णव भिक्षू विउक्कसेज्जा ।
अहवा वि जे लाभमयावलित्ते,
अण्णं जणं खिसति बालपण्णे ॥
—सूय. सु. १, अ. १३, गा. १२-१४

सांपराइय-कम्माणं-तिकरण-णिसेहो—

३८२ से भिक्षू जं पि य इमं सपराइयं कम्मं कज्जइ, णो तं सयं
करेति, नेवज्जनेण कारवेति, अन्न पि करेत्तं णाणुजाणति,
इति से महता आदाणातो उवसते उवद्धिते पडिविरते ।
—सूय. सु. २, अ. १ सु. ६८६

कोहविजय-फलं—

३८३. प०—कोहविजएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?
उ०—कोहविजएणं खन्ति जणयइ, कोहवेयणिज्ज कम्मं न
बन्धइ, पुव्ववद्धं च निज्जरेइ ।
—उत्त. अ. २६, सु ६६

माणविजय-फलं—

३८४. प०—माणविजएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?
उ०—माणविजएणं महवं जणयइ, माणवेयणिज्ज कम्मं न
बन्धइ, पुव्ववद्धं च निज्जरेइ ।—उत्त. अ. २६, सु ७१

मायाविजय-फलं—

३८५. प०—मायाविजएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?
उ०—मायाविजएणं उज्जुमावं जणयइ, मायावेयणिज्ज
कम्मं न बन्धइ, पुव्ववद्धं च निज्जरेइ ।
—उत्त. अ. २६, सु. ७०

लोभविजय-फलं—

३८६ प०—लोभविजएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

जो साधु अपरिग्रही है, रूखा-सूखा आहार करता है वह
यदि गर्व और प्रशंसा की आकांक्षा करता है तो उसकी भिक्षा-
वृत्ति आदि केवल आजीविका के साधन हैं । परमार्थ को न
जानने वाला वह अज्ञानी पुन. पुन ससार मे परिभ्रमण करता है ।

जो भिक्षु भाषाविज्ञ है, जो हितमित-प्रिय भाषण करता है
जो बुद्धि सम्पन्न है, जो शास्त्र मे निपुण है, जो सूक्ष्म तत्वों को
समझने वाला है, सयम मे अपनी आत्मा को भावित करता है ।
(परन्तु इन गुणों से युक्त होने पर भी जो) दूसरे लोगों को अपनी
बुद्धि से तिरस्कृत करता है वह समाधि को प्राप्त नहीं करता ।

जो भिक्षु प्रज्ञावान् होकर अपनी जाति, बुद्धि आदि का गर्व
करता है, अथवा जो लाभ के मद से मत्त होकर दूसरों की निंदा
करता है वह बालबुद्धि (मूर्ख) समाधि को प्राप्त नहीं होता है ।

साम्परायिक कर्मों का त्रिकरण निषेध—

३८२ जो यह साम्परायिक (कषाययुक्त) कर्मबन्ध किया जाता
है, उसे वह भिक्षु स्वयं नहीं करता है, न दूसरों से कराता है
और न ही करते हुए का अनुमोदन करता है । इस कारण वह
भिक्षु महान कर्मबन्धन से मुक्त हो जाता है तथा शुद्ध सयम मे
रत और पापों से विरत रहता है ।

क्रोध-विजय का फल—

३८३. प्र०—भन्ते ! क्रोध-विजय से जीव क्या प्राप्त करता है ?
उ०—क्रोध-विजय से वह क्षमा को प्राप्त करता है । वह
क्रोध-वेदनीय कर्म का बन्ध नहीं करता और पूर्व-वद्ध कर्म को
क्षीण करता है ।

मान-विजय का फल—

३८४. प्र०—भन्ते ! मान-विजय से जीव क्या प्राप्त करता है ?
उ०—मान-विजय से वह मृदुता को प्राप्त करता । वह
मान-वेदनीय कर्म का बन्ध नहीं करता और पूर्व-वद्ध कर्म को
क्षीण करता है ।

माया-विजय का फल—

३८५. प्र०—भन्ते ! माया-विजय से जीव क्या प्राप्त करता है ?
उ०—माया-विजय से वह सरलता को प्राप्त करता है ।
वह माया-वेदनीय कर्म का बन्ध नहीं करता और पूर्व-वद्ध कर्म
को क्षीण करता है ।

लोभ-विजय का फल—

३८६. प्र०—भन्ते ! लोभ-विजय से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—लोभविजयं मतोसीभाव जणयइ, लोभवेयणिज्ज
कम्म न वन्धइ, पुच्चवद्ध च निज्जरेइ ।

—उत्त अ. २६, सु ७२

उ०—लोभ-विजय से वह सन्तोष को प्राप्त करता है । वह
लोभ-वेदनीय कर्म का वन्ध नहीं करता और पूर्ववद्ध कर्म को
क्षीण करता है ।



अनाचार प्रायश्चित्त-१२

अइहास पायच्छित्त सुत्त—

३८७. जे भिक्खु मुहं विप्फालिय-विप्फालिय हसइ, हसत वा
साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासिय परिहारट्ठाण उग्घाइय ।

—नि उ ४, सु. २७

अधिक हंसने का प्रायश्चित्त सूत्र—

३८७ जो भिक्षु मुंह फाड़-फाड़ कर (जोर-जोर से) हसता है,
हसाता है या हंसने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

सिप्पाई सिक्खावण पायच्छित्त सुत्त—

३८८. जे भिक्खु अण्णउत्तियं वा गारत्तिय वा—

१. सिप्यं वा, २. सिलोग वा, ३. अट्ठावय वा,
४. फक्कडगं वा, ५. धुग्गह वा,
६. सलाह वा सिक्खावेइ, सिक्खावेत वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि उ १३, सु. १२

शिल्पकलादि सिखाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

३८८. जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ को—

- (१) शिल्प, (२) गुण कीर्तन, (३) जूआ खेलना,
(४) काकरी खेलना, (५) युद्ध करना,
(६) पद्य रचना करना, सिखाता है, सिखवाता है या

सिखाने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

आगाढ-फरुसवयण पायच्छित्त सुत्ताइ

३८९ जे भिक्खु अण्णउत्तियं वा गारत्तिय वा आगाढ वयइ, वयंत
वा साइज्जइ ।

जे भिक्खु अण्णउत्तियं वा गारत्तिय वा फरुसं वयइ, वयंत
वा साइज्जइ ।

जे भिक्खु अण्णउत्तियं वा गारत्तिय वा आगाढं फरुसं वयइ
वयत वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्ठाणं उग्घाइय ।

—नि उ. १३, सु. १३-१५

अपशब्द और कठोर वचन के प्रायश्चित्त सूत्र—

३८९ जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ को आवेश युक्त वचन
कहता है, कहलवाता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ को कठोर वचन कहता है,
कहलवाता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ को आवेश युक्त कठोर
शब्द कहता है, कहलवाता है या कहने वाले का अनुमोदन
करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

अच्चासायणा पायच्छित्त सुत्त—

३९०. जे भिक्खु अण्णउत्तियं वा गारत्तिय वा अण्णपरोए अच्चा-
सायणाए अच्चाएइ अच्चामाणं वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्ठाण उग्घाइय ।

—नि. उ १३, सु १६

आशातना का प्रायश्चित्त सूत्र—

३९० जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ की किसी भी प्रकार की
आशातना करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

सचित्त गंध जिघण पायच्छित्त सुत्तं—

३६१. जे भिक्खू सचित्त पइट्ठिय गंध जिघइ जिघंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. १, सु. १०

कोउगकम्मस्स पायच्छित्त सुत्तं—

३६२. जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा कोउगकम्म^१ करेइ करेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि उ. १३, सु. १७

भूइकम्मकरणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

३६३. जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा भूइकम्म^२ करेइ, करेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १३, सु. १८

पसिणाइ-कहणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

३६४. जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा पसिण^३ कहेइ, कहेतं वा साइज्जइ ।जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा पसिणापसिण^४ कहेइ, कहेतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाइयं ।

—नि उ १३, सु. १९-२०

लक्खण-वंजण-सुमिणफल-कहणमाणस्स पायच्छित्त सुत्ताइ—

३६५. जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा लक्खण कहेइ, कहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा वजणं कहेइ, कहेतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा सुमिणं कहेइ, कहेतं वा साइज्जइ ।

सचित्त गंध सूँघने का प्रायश्चित्त सूत्र—

३६१ जो भिक्षु सचित्त पदार्थ में स्थित सुगन्ध को सूँघता है या सूँघने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

कौतुक कर्म का प्रायश्चित्त सूत्र—

३६२ जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थो का कौतुक कर्म करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

भूतिकर्म करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

३६३ जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थो का भूतिकर्म करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

प्रश्नादि कहने के प्रायश्चित्त सूत्र—

३६४ जो भिक्षु अन्यतीर्थिको या गृहस्थो से कौतुक प्रश्न करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिको या गृहस्थो के कौतुक प्रश्नों के उत्तर देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

लक्षण-व्यंजन-स्वप्नफल कहने के प्रायश्चित्त सूत्र—

३६५ जो भिक्षु अन्यतीर्थिको या गृहस्थो को उनके (शरीर के रेखा आदि) लक्षणो का फल कहता है, कहलवाता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिको या गृहस्थो को (उनके) तिल-मस आदि व्यंजनो का फल कहता है, कहलवाता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिको या गृहस्थो को स्वप्न का फल कहता है, कहलवाता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

१ कौतुककर्म—मृतवत्सा की चिकित्सा के लिए कराया जाने वाला एक तात्रिक प्रयोग ।

२ भूतिकर्म—दृष्टि दोष आदि की निवृत्ति के लिए तंत्रोक्त पदार्थों के सम्मिश्रण से एक रक्षा पोटली तैयार करना, भूतिकर्म है ।

३ प्रश्न—प्रश्नव्याकरण में उक्त तीन सौ चौबीस प्रश्नों में से पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देना ।

४ प्रश्नाप्रश्न—स्वप्नशास्त्र से स्वप्नो का फल कहना ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाण उग्घाइय ।
—नि. उ १३, सु. २२-२४

विज्जाइ पउंजणस्स पायच्छित्त सुत्ताइ—

३६६. जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा विज्जं^१
पउंजइ, पउंजत वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा मतं^२ पउजइ,
पउंजत वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा जोगं^३ पउजइ
पउजत वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाण उग्घाइयं ।
—नि उ १३, सु २५-२७

मग्गाइ पवेयणस्स पायच्छित्त सुत्त

३६७ जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा नट्ठाणं, मूढाण
विप्परियासियाण मग्गं वा पवेदेइ, सधि वा पवेदेइ, मग्गाओ
वा सधि पवेदेइ, संधीओ वा मग्ग पवेदेइ पवेवंत वा
साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाण उग्घाइय ।
—नि उ १३, सु २८

घाउ-णिहि पवेयणस्स पायच्छित्त सुत्ताइ—

३६८. जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा घाउं पवेदेइ
पवेदत वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा णिहि पवेदेइ
पवेदत वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाण उग्घाइय ।
—नि उ. १३, सु. २९-३०

अप्पणो आयरिय-लक्खण-वागरणस्स पायच्छित्त सुत्त—

३६९. जे भिक्खू अप्पणो आयरियत्ताए लक्खणाइ धागरेइ वागरंतं
वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाण उग्घाइयं ।
—नि उ १७, सु १३३

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

विद्यादि का प्रयोग करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

३६६ जो भिक्षु अन्यतीर्थिको या गृहस्थो के लिए “विद्या” का
प्रयोग करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिको या गृहस्थो के लिए “मन्त्र” का
प्रयोग करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिको या गृहस्थो के लिए “योग” का
प्रयोग करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन
करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

मार्गादि बताने का प्रायश्चित्त सूत्र—

३६७ जो भिक्षु मार्ग भूले हुए, दिशामूढ हुए या विपरीत दिशा
में गये हुए अन्यतीर्थिको या गृहस्थो को मार्ग बतताता है, मार्ग
की सधि बतताता है, मार्ग से सधी बतताता है अथवा संधी से
मार्ग बतताता है या बताने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

घातु और निधि बताने के प्रायश्चित्त सूत्र—

३६८ जो भिक्षु अन्यतीर्थिको या गृहस्थो को घातु बतताता है या
बताने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिको को या गृहस्थो को निधि (खजाना)
बताना है या बताने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

अपने आपको आचार्य के लक्षण युक्त कहने का प्रायश्चित्त
सूत्र—

३६९. जो भिक्षु स्वयं अपने को आचार्य के लक्षणों से सम्पन्न
कहता है, वहलवाता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

१ विज्ज = विशेष प्रकार की साधना से जो सिद्ध की जाती है वह ‘विद्या’ कही जाती है ।

२ मंतं = जाप करने में सिद्ध होने वाला ‘मन्त्र’ कहा जाता है ।

३ जोगं = धनीकरणदि के प्रयोग ‘योग’ कहे जाते हैं ।

निमित्त वागरणस्स पायच्छित्त सुत्ताइं—

४००. जे भिक्खू तीयं णिमित्त वागरेइ वागरेंत वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १३, सु. २१

जे भिक्खू पटुप्पणं निमित्तं वागरेइ वागरेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अणागयं निमित्तं वागरेइ वागरेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. १०, सु. ७-८

बीभावणस्स पायच्छित्त-सुत्ताइं—

४०१. जे भिक्खू अप्पाणं बीभावेइ बीभावेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू परं बीभावेइ बीभावेंतं वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. ६४-६५

विम्हावणस्स पायच्छित्त-सुत्ताइं—

४०२. जे भिक्खू अप्पाणं विम्हावेइ विम्हावेंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू परं विम्हावेइ विम्हावेंतं वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. ६६-६७

विप्परियासणस्स पायच्छित्त-सुत्ताइं—

४०३. जे भिक्खू अप्पाणं विप्परियासेइ विप्परियासतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू परं विप्परियासेइ विप्परियासतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. ६८-६९

अण्णतित्थिय पससाकरणस्स पायच्छित्त सुत्तं—

४०४. जे भिक्खू मुहवणं करेइ करेंतं वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ११, सु. ७०

निमित्त कथन के प्रायश्चित्त सूत्र—

४००. जो भिक्षु अन्यतीर्थिको या गृहस्थो को भूत काल सम्बन्धी निमित्त बताता है या बताने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

जो भिक्षु वर्तमान काल सम्बन्धी निमित्त कहता है, कहल-वाता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु भविष्य काल सम्बन्धी निमित्त कहता है, कहल-वाता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

भयभीत करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

४०१. जो भिक्षु स्वयं को डराता है, डरवाता है या डराने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु दूसरे को डराता है, डरवाता है या डराने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

विस्मित करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

४०२. जो भिक्षु स्वयं को विस्मित करता है, विस्मित करवाता है या विस्मित करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु दूसरे को विस्मित करता है, विस्मित करवाता है या विस्मित करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

विपर्यासकरण प्रायश्चित्त—

४०३. जो भिक्षु स्वयं को विपरीत बनाता है, विपरीत बनवाता है या विपरीत बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु दूसरे को विपरीत बनाता है, विपरीत बनवाता है या विपरीत बनाने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

अन्यतीर्थिकों की प्रशंसा करने का प्रायश्चित्त सूत्र—

४०४. जो भिक्षु अन्य धर्म प्रवर्तकों की प्रशंसा करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

अहाछंदं पससण पायच्छित्त-सुत्ताइं—

४०५. जे भिक्खू अहाछंदं पसंसइ पसंसंत वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अहाछंदं षट्ठं षटंत वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चात्तम्मासिय परिहारद्वाण
अणुग्घाइय । —नि. उ. ११, सू. ५२-५३

स्वच्छन्दाचारी की प्रशंसा एवं वन्दना करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

४०५ जो भिक्षु “यथा छन्द” (स्वच्छन्दाचारी) की प्रशंसा करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु “यथा छन्द” को वन्दना करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।



८.

संघ व्यवस्था

संघ व्यवस्था—१

तित्थ स्वरूप—

४०६. प०—तित्थं भत्ते ! तित्थं, तित्थगरे तित्थ ?

उ०—गोयमा ! अरहा ताव णियम तित्थगरे,
तित्थ पुण चाउवण्णाइण्णे समणं सघे, तं जहा—
१ समणा, २. समणीओ,
३. सावया, ४. सावियाओ^१ ।

—वि स २०, उ. ८, सु १४

तित्थपवत्तण कालं—

४०७ प०—जम्बुद्वीपे ण भत्ते ! दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए देवानुप्पियाण केवत्तिय काल तित्थे अणुसज्जिस्सति ?

उ०—गोयमा ! जम्बुद्वीपे दीवे भारहे वासे इमीसे ओसप्पिणीए ममं एक्कवीस चात्तसहस्साइ तित्थे अणुसज्जिस्सति ।

प०—जहा णं भत्ते जम्बुद्वीपे दीवे भारहे वामे इमीसे ओसप्पिणीए देवानुप्पियाणं एक्कवीस चात्तसहस्साइ तित्थे अणुसज्जिस्सति, तथा ण भत्ते ! जम्बुद्वीपे दीवे भारहे वासे आगमेत्तानं चरिमत्तित्थगरस्स केवत्तियं कालं तित्थे अणुसज्जिस्सति ?

तीर्थ का स्वरूप—

४०६ प्र०—हे भगवन् ! “तीर्थं” को तीर्थं कहते हैं या तीर्थंकर को तीर्थं कहते हैं ।

उ०—गौतम ! अरिहन्त तो अवश्य तीर्थंकर हैं और चार वर्णों से व्याप्त श्रमण संघ तीर्थं है । यथा—

(१) श्रमण, (२) श्रमणी,
(३) श्रावक, (४) श्राविका ।

तीर्थं प्रवर्तन का काल—

४०७. प्र०—भगवन् ! जम्बुद्वीप नामक द्वीप के भरत क्षेत्र में इस अवसर्पिणी काल में आप देवानुप्रिय का तीर्थं कितने काल तक रहेगा ?

उ०—गौतम ! जम्बुद्वीप नामक द्वीप के भरत क्षेत्र में इस अवसर्पिणी काल में मेरा तीर्थं इक्कीस हजार वर्ष तक रहेगा ।

प्र०—भगवन् ! जिस प्रकार जम्बुद्वीप नामक द्वीप के भरत क्षेत्र में इन अवसर्पिणी काल में आप देवानुप्रिय का तीर्थं इक्कीस हजार वर्ष तक रहेगा । उसी प्रकार जम्बुद्वीप नामक द्वीप के भरत क्षेत्र में भावी तीर्थंकरों में से अन्तिम तीर्थंकर या तीर्थं कितने काल तक अविच्छिन्न रहेगा ?

१ (क) वि न १६, उ. ६, सु २१

(ख) चत्तवित्ते ममे पणत्ते, त जहा—

(१) समणा, (२) समणीओ, (३) सावया, (४) सावियाओ ।

—ठा. अ ४, उ. ४, सु. ३६३

४०—गोयमा ! जावतिए णं उसभस्स अरहो कोसलियस्स जिणपरियाए तावतियाइं सखेज्जाइं वासाइं आग-मेस्साण चरिमत्तियगरस्स तित्थे अणुसज्जिस्सति ।

—वि. स. २०, उ ८, सु. १२-१३

जिणप्पगारा—

४०८. तओ जिणा पणत्ता, त जहा—

१. ओहिणाणजिणे, २. मणपज्जवणाणजिणे,
३. केवलणाण जिणे । —ठा. अ. ३, उ ४, सु. २२०

केवली-पगारा—

४०९. तओ केवली पणत्ता, तं जहा—

१. ओहिणाण केवली, २. मणपज्जवणाण केवली,
३. केवलणाण केवली । —ठाणं अ. ३, उ. ४, सु. २२०

अरिहन्तपगारा—

४१०. तओ अरहा पणत्ता, तं जहा—

१. ओहिणाण अरहा, २. मणपज्जवणाण अरहा,
३. केवलणाण अरहा । —ठाणं अ. ३, उ. ४, सु. २२०

रायणिय पुरिसप्पगारा—

४११. तओ पुरिसज्जाया पणत्ता, तं जहा—

१. णाणपुरिसे, २. दसणपुरिसे,
३. चरित्तपुरिसे । —ठाणं अ. ३, उ. १, सु. १३७

रायणियिदप्पगारा—

४१२ तओ इदा पणत्ता, तं जहा—

१. णाणिदे,
२. दसाणिदे,
३. चरित्तिदे । —ठाण. अ. ३, उ. १, सु. १२७

थविरप्पगारा—

४१३. तओ थेरभूमिओ पणत्ताओ, त जहा—

१. जाइ-थेरे, २. सुय-थेरे,
३. परियाय-थेरे ।
१. सट्ठिवासजाए समणे निग्गथे जाइ-थेरे ।
२. ठाण समवायांगघरे समणे निग्गथे सुय-थेरे ।

३. वीसवासपरियाए समणे निग्गथे परियाय-थेरे ।

—वव. उ. १०, सु. १८

दस थेरा पणत्ता, तं जहा—

१. गामथेरा, २. नगरथेरा,

४०—गौतम ! कौशलदेशोत्पन्न ऋषभदेव अरहस्त का जितना जिनपर्याय है उतने (एक हजार वर्ष कम एक लाख पूर्व) वर्ष तक भावी तीर्थंकरों में से अन्तिम तीर्थंकर का तीर्थ रहेगा ।

जिन के प्रकार—

४०८. जिन तीन प्रकार के कहे गये हैं—यथा—

- (१) अवधिज्ञानी जिन, (२) मन पर्यवज्ञानी जिन,
(३) केवलज्ञानी जिन ।

केवली के प्रकार—

४०९. केवली तीन प्रकार के कहे गये हैं, यथा—

- (१) अवधिज्ञान केवली, (२) मन पर्यवज्ञान केवली,
(३) केवलज्ञान केवली ।

अरिहन्त के प्रकार—

४१०. अरिहन्त तीन प्रकार के कहे गये हैं, यथा—

- (१) अवधिज्ञानी अरिहन्त, (२) मन पर्यवज्ञानी अरिहन्त,
(३) केवलज्ञानी अरिहन्त ।

रात्निक पुरुषो के प्रकार—

४११. पुरुष तीन प्रकार के कहे गये हैं, यथा—

- (१) ज्ञान पुरुष, (२) दर्शन पुरुष,
(३) चारित्र पुरुष ।

रात्निक इन्द्रो के प्रकार—

४१२. इन्द्र तीन प्रकार के कहे गये हैं, यथा—

- (१) ज्ञानेन्द्र (विशिष्ट श्रुतज्ञानी या केवली),
(२) दर्शनेन्द्र (क्षायिक सम्यग्दृष्टि),
(३) चारित्रेन्द्र (यथाख्यात चारित्रवान् ।)

स्थविर के प्रकार—

४१३ स्थविर तीन प्रकार के कहे गये हैं, यथा—

- (१) वय-स्थविर, (२) श्रुत-स्थविर,
(३) पर्याय-स्थविर ।

(१) साठ वर्ष की आयु वाले श्रमण-निर्ग्रन्थ वय स्थविर हैं ।
(२) स्थानाग समवायाग के धारक श्रमण निर्ग्रन्थ श्रुत स्थविर हैं ।

(३) बीस वर्ष की दीक्षा पर्याय के धारक श्रमण निर्ग्रन्थ पर्याय स्थविर हैं ।

स्थविर दस प्रकार के होते हैं—

- (१) ग्रामस्थविर, (२) नगरस्थविर,

३. रट्टयेरा,	४. पसत्ययेरा,	(३) राष्ट्रस्यविर,	(४) प्रशासक स्यविर,
५. कुलयेरा,	६. गणयेरा,	(५) कुलस्यविर,	(६) गणस्यविर,
७. सघयेरा,	८. जातियेरा,	(७) सघस्यविर,	(८) जातिस्यविर,
९. सुभयेरा,	१०. परिषाययेरा ।	(९) श्रुतस्यविर,	(१०) पर्यायस्यविर ।

—ठाणं. अ. १०, सु. ७६१

महव्वय-धम्म-परूवगा—

४१४ प०—एएसु ण भत्ते । पंचसु महाविदेहेसु अरहता भगवतो पचमहव्वइय सपडिक्कमणं धम्म पणवयंति ?

उ०—णो इणट्ठे समट्ठे ।

एएसु णं पंचसु भरहेसु, पघसु एरवएसु, पुरिम-पच्छिमगा वुवे अरहंता भगवतो पचमहव्वइयं सप-डिक्कमण धम्म पणवयति ।

अवसेसा णं अरहंता भगवंतो चाउज्जामं धम्म पणव-यंति । एएसु ण पचसु महाविदेहेसु अरहता भगवतो चाउज्जाम धम्म पणवयति ।

—वि. स. २०, उ. ८, सु. ६

दुग्गम-सुगमठाणाइं—

४१५ पच ठाणाइ पुरिम—पच्छिमगाणं जिणाण दुग्गम भवति, त जहा—

१. दुआइक्ख,
२. बुद्धिमज्ज,
३. सुपस्स,
४. सुत्तित्थलं,
५. सुरण्चर ।

पंच ठाणाइ मज्झिमगाण जिणाण सुगम भवति, त जहा—

१. सुआइक्ख,
२. सुविमज्ज,
३. सुपस्स,
४. सुत्तित्थलं
५. सुरण्चर ।

—ठाणं. अ. ५, उ. १, सु. ३६६

पच्चयिहा वयहारो—

४१६ प०—पच्चयिहे णं भत्ते । वयहारो पणत्ते ?

उ०—पोयमा ! पच्चयिहे वयहारो पणत्ते, त जहा—

- | | | |
|-----------|----------|---------|
| १. आगम, | २. सुत, | ३. आणा, |
| ४. धारणा, | ५. जीए । | |

महाव्रत धर्म के प्ररूपक—

४१४ प्र०—हे भगवन् ! पांच महाविदेह क्षेत्र मे अरिहन्त भगवन्त पांच महाव्रत और सप्रतिक्रमण धर्म का उपदेश करते हैं ?

उ०—हे गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं हैं ।

पांच भरत और पांच ऐरवत क्षेत्रो मे प्रथम और अन्तिम ये दो अरिहन्त भगवन्त पांच महाव्रत और सप्रतिक्रमण धर्म का उपदेश करते हैं ।

शेष अरिहन्त भगवन्त चार याम रूप धर्म का उपदेश करते हैं और पांच महाविदेह क्षेत्र मे भी अरिहन्त भगवान् चार याम रूप धर्म का उपदेश करते हैं ।

दुर्गम-सुगम स्थान—

४१५. प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के शासन मे पांच स्थान दुर्गम होते हैं । यथा—

- (१) धर्मतत्व का कथन करना दुर्गम होता है ।
- (२) तत्व का नय—विभाग से समझाना दुर्गम होता है ।
- (३) तत्व का युक्तिपूर्वक निर्देश करना दुर्गम होता है ।
- (४) उपसर्ग-परीपहादि का महन करना दुर्गम होता है ।
- (५) धर्म का आचरण करना दुर्गम होता है ।

मध्यवर्ती (वाइस) तीर्थंकरो के शासन मे पांच स्थान सुगम होते हैं, यथा—

- (१) धर्मतत्व का व्याख्यान करना सुगम होता है ।
- (२) तत्व का नय—विभाग से समझाना सुगम होता है ।
- (३) तत्व का युक्ति पूर्वक निर्देश करना सुगम होता है ।
- (४) उपसर्ग-परीपहादि का महन करना सुगम होता है ।
- (५) धर्म का आचरण करना सुगम होता है ।

पांच प्रकार के व्यवहार—

४१६. प्र०—भन्ते ! व्यवहार (दोपानुमाग प्रायश्चित्त का निर्णय) कितने प्रकार का कहा गया है ?

उ०—गौतम ! व्यवहार पांच प्रकार का कहा गया है । यथा—

- | | | |
|------------|------------|----------|
| (१) आगम, | (२) श्रुत, | (३) आणा, |
| (४) धारणा, | (५) जीए । | |

१. जहा से तत्थ आगमे सिया, आगमेण ववहार पट्टवेज्जा ।

२. णो से तत्थ आगमे सिया, जहा से तत्थ सुते सिया, सुएणं ववहार पट्टवेज्जा ।

३. णो से तत्थ सुए सिया, जहा से तत्थ आणा सिया, आणाए ववहारं पट्टवेज्जा ।

४. णो से तत्थ आणा सिया, जहा से तत्थ धारणा सिया, धारणाए ववहारं पट्टवेज्जा ।

५. णो से तत्थ धारणा सिया, जहा से तत्थ जीए सिया, जीएण ववहारं पट्टवेज्जा ।

इच्चेएहि'पंचहि ववहारेहि ववहारं पट्टवेज्जा, त जहा—

१. आगमेणं, २. सुएणं, ३. आणाए,

४. धारणाए, ५. जीएणं ।

जहा जहा से आगमे, सुए, आणा, धारणा, जीए, तहा तहा ववहार पट्टवेज्जा ।^१

प०—से किमाहु भंते ?

उ०—आगमवलिया समणा निग्गंथा ।

इच्चेयं पंचविहं ववहारं जया-जया, जहि-जहि, तया-तया, तहि-तहि अणित्तिओवत्तियं सम्मं ववहरमाणे समणे निग्गथे आणाए आराहए भवइ ।

—वि. स. ८, उ. ८, सु. ८-९

अणुण्णापगारा—

४१७. त्तिविघा अणुण्णा पण्णत्ता, त जहा—

१. आयरियत्ताए, २. उवज्जायत्ताए,
३. गणित्ताए । —ठाणं अ. ३, उ. ३, सु. १८०

समणुण्णा पगारा—

४१८. त्तिविघा समणुण्णा पण्णत्ता, त जहा—

१. आयरियत्ताए, २. उवज्जायत्ताए,
३. गणित्ताए । —ठाण. अ. ३, उ. ३, सु. १८०

उवसंपया पगारा—

४१९. त्तिविघा उवसंपया पण्णत्ता, त जहा—

(१) जहाँ आगम (केवलज्ञान धारक—यावत्—नवपूर्व धारक) ज्ञानी हो वहाँ उनके निर्देशानुसार व्यवहार करें ।

(२) जहाँ आगम ज्ञानी न हो तो वहाँ श्रुत (जघन्य आचार प्रकल्प उत्कृष्ट नवपूर्व से कम के ज्ञाता) ज्ञानी के निर्देशानुसार व्यवहार करें ।

(३) जहाँ श्रुतज्ञानी न हो तो वहाँ गीतार्थों की आज्ञानुसार व्यवहार करें ।

(४) जहाँ गीतार्थों की आज्ञा न हो तो वहाँ स्थविरो की धारणानुसार व्यवहार करें ।

(५) जहाँ स्थविरो की धारणा ज्ञात न हो तो वहाँ सर्वानुमत परम्परानुसार व्यवहार करें ।

इन पाँच व्यवहारों के अनुसार व्यवहार करें ।

यथा—(१) आगम, (२) श्रुत, (३) आज्ञा,

(४) धारणा, (५) जीत ।

आगमज्ञानी, श्रुतज्ञानी, गीतार्थ आज्ञा, स्थविरो की धारणा और परम्परा इन में से जिस समय जो उपलब्ध हो उस समय उसी से क्रमशः व्यवहार करें ।

प्र०—भन्ते ! ऐसा क्यों कहा ?

उ०—श्रमण निर्ग्रन्थ आगमानुसार व्यवहार करने वाले होते हैं ।

इन पाँच प्रकार के व्यवहारों में से जब-जब जिस-जिस विषय में जो प्रमुख व्यवहार उपलब्ध हो तब-तब उस-उस विषय में मध्यस्थ भाव से व्यवहार करने वाला श्रमण निर्ग्रन्थ जिनाज्ञा का आराधक होता है ।

अनुज्ञा के प्रकार—

४१७. अनुज्ञा (आज्ञा) तीन प्रकार की कही गई है, यथा—

(१) आचार्य की, (२) उपाध्याय की,
(३) गणी की ।

समनुज्ञा के प्रकार—

४१८. समनुज्ञा (विशेष आज्ञा) तीन प्रकार की कही गई है, यथा—

(१) आचार्य की, (२) उपाध्याय की,
(३) गणी की ।

उपसम्पदा के प्रकार—

४१९. उपसम्पदा (समीप रहना) तीन प्रकार की कही गई है, यथा—

१ (क) ठाण अ. ५, उ २, सु ४२१

(ख) वव. उ. १०, सु. ५

१ आयरियत्ताए, २ उवज्झायत्ताए,
३ गणित्ताए । —ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु. १८०

विजहणा पगारा—

४२० तिविधा विजहणा पणत्ता, त जहा—

१. आयरियत्ताए, २ उवज्झायत्ताए,
३. गणित्ताए । —ठाण. अ ३, उ. ३, सु १८०

तिविहा आयरक्खा—

४२१ तओ आयरक्खा पणत्ता, त जहा—

१ धम्मियाए पडिचोयणाए पडिचोएत्ता भवति,

२ तुत्तिणीए वा सिया ।

३. उट्टित्ता वा आताए एगतमवक्कमेज्जा ।

—ठाण अ ३, उ ३, सु. १८०

हरदसमो आयरियो—

४२२. से वेमि, त जहा—

अवि हरए पडिपुण्णे चिट्ठति समसि भोमे उवसंतंए
सारक्खमाणे । से चिट्ठति सोतमज्जाए ।

से पास सव्वतो गुत्ते । पास लोए महेसिणो । जे य पण्णाण-
मता । पबुद्धा आरभोवरना सम्ममेत ति पासहा । कालस्स
फांढाए परिक्खयति ।

—आ. सु १, अ. ५, उ ५, सु १६६

आयरियप्पगारा—

४२३ चत्तारि आयरिया पणत्ता, त जहा—

१. पव्वावणायरिए नामेगे, नोउवट्ठावणायरिए,

२ उवट्ठावणायरिए नामेगे, नो पव्वावणायरिए,

३. एगे पव्वावणायरिए ति, उवट्ठावणायरिए वि,

४. एगे नो पव्वावणायरिए, नोउवट्ठावणायरिए-धम्मायरिए ।

चत्तारि आयरिया पणत्ता, त जहा—

(१) आचार्य की, (२) उपाध्याय की,
(३) गणी की ।

पदत्याग के प्रकार—

४२०. पद का परित्याग तीन प्रकार का कहा गया है, यथा—

(१) आचार्य का, (२) उपाध्याय का,
(३) गणी का ।

तीन प्रकार से आत्म-रक्षा—

४२१ तीन प्रकार से आत्म-रक्षा होती है, यथा—

(१) अकरणीय कार्य में प्रवृत्त व्यक्ति को धार्मिक बुद्धि से प्रेरित करने से ।

(२) प्रेरणा न देने की स्थिति में मौन धारण करने से ।

(३) मौन और उपेक्षा न करने की स्थिति में वहाँ से उठ-
कर स्वयं एकान्त स्थान में चला जाने से ।

जलाशय जैसे आचार्य—

४२२ भगवान् ने आचार्य के गुणों का जैसा वर्णन किया वैसा में
कहता हूँ । जैसे—

एक जलाशय जो जल से परिपूर्ण है, समभूभाग में स्थित
है, कीचड़ रहित है अनेक जलचर जीवों का संरक्षण करता हुआ
स्रोत के मध्य में स्थित है ।

हे शिष्य तू देख कि ऐसे ही आचार्य भी अनेक सद्गुणों से
परिपूर्ण होते हैं तथा सर्व प्रकार से गुप्त होते हैं । हे शिष्य तू
लोक में उन महर्षियों को देख । जो उत्कृष्ट ज्ञानवान् हैं, प्रबुद्ध
हैं और आरम्भ से विरत हैं । वे ही सम्यक् आराधना करने वाले
हैं और पण्डित मरण की आकांक्षा करते हुए सयम में विचरण
करते हैं ।

आचार्य के प्रकार—

४२३. चार प्रकार के आचार्य कहे गए हैं, यथा—

(१) कोई आचार्य (किसी एक शिष्य की अपेक्षा) प्रश्रज्या
देने वाले होते हैं किन्तु महाव्रतों का आरोपण करने वाले नहीं
होते हैं ।

(२) कोई आचार्य महाव्रतों का आरोपण करने वाले होते
हैं किन्तु प्रश्रज्या देने वाले नहीं होते हैं ।

(३) कोई आचार्य प्रश्रज्या देने वाले भी होते हैं और महा-
व्रतों का आरोपण करने वाले भी होते हैं ।

(४) कोई आचार्य न प्रश्रज्या देने वाले होते हैं और न महा-
व्रतों का आरोपण करने वाले होते हैं । किन्तु केवल धर्मोपदेण
देने वाले होते हैं ।

चार प्रकार के आचार्य कहे गए हैं, यथा—

१. उद्देशणायरिए नामेगे, नो वायणायरिए,
- २ वायणायरिए नामेगे, नो उद्देशणायरिए,
३. एगे उद्देशणायरिए वि, वायणायरिए वि,
४. एगे नो उद्देशणायरिए, नो वायणायरिए-धम्मायरिए ।^१
—वव उ १०, सु. १४-१५

अन्तेवासिस्सप्पगारा—

- ४२४ चत्तारि अन्तेवासी पण्णत्ता, त जहा—
- १ पच्चावणतेवासी नामेगे नो उवट्ठावणतेवासी,
 - २ उवट्ठावणतेवासी नामेगे, नो पच्चावणतेवासी,
 - ३ एगे पच्चावणतेवासी वि उवट्ठावणतेवासी वि,
 ४. एगे नो पच्चावणतेवासी, नो उवट्ठावणतेवासी, धम्मतेवासी ।
- चत्तारि अन्तेवासी पण्णत्ता, तं जहा—
- १ उद्देशणतेवासी नामेगे, नो वायणतेवासी,
 २. वायणतेवासी नामेगे, नो उद्देशणतेवासी,
 ३. एगे उद्देशणतेवासी वि, वायणतेवासी वि,
 ४. एगे नो उद्देशणतेवासी, नो वायणतेवासी, धम्मतेवासी ।^२
—वव अ १०, सु. १६-१७

विविहा गणवेयावच्च करा—

४२५. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा—
१. अट्ठकरे नामं एगे, नो माणकरे,
 २. माणकरे नामं एगे, नो अट्ठकरे,
 ३. एगे अट्ठकरे वि, माणकरे वि,
 - ४ एगे नो अट्ठकरे, नो माणकरे ।

- (१) कोई आचार्य (किसी एक शिष्य की अपेक्षा) वाचना देने की आज्ञा देने वाले होते हैं, किन्तु वाचना देने वाले नहीं होते हैं ।
- (२) कोई आचार्य वाचना देने वाले होते हैं किन्तु वाचना देने की आज्ञा देने वाले नहीं होते हैं ।
- (३) कोई आचार्य वाचना देने वाले भी होते हैं और वाचना देने की आज्ञा देने वाले भी होते हैं ।
- (४) कोई आचार्य वाचना देने वाले भी नहीं होते हैं और वाचना देने की आज्ञा देने वाले भी नहीं होते हैं वे केवल धर्माचार्य होते हैं ।

शिष्य के प्रकार —

४२४. अन्तेवासी (शिष्य) चार प्रकार के कहे गये हैं । जैसे—
- (१) कोई प्रव्रज्या शिष्य है, परन्तु उपस्थापना शिष्य नहीं है ।
 - (२) कोई उपस्थापना शिष्य है, परन्तु प्रव्रज्या शिष्य नहीं है ।
 - (३) कोई प्रव्रज्या शिष्य भी है और उपस्थापना शिष्य भी है ।
 - (४) कोई न प्रव्रज्या शिष्य है और न उपस्थापना शिष्य है । किन्तु धर्मोपदेश से प्रतिबोधित शिष्य है ।
- पुन अन्तेवासी चार प्रकार के कहे गये हैं, जैसे—
- (१) कोई उद्देशन अन्तेवासी है, परन्तु वाचना अन्तेवासी नहीं है ।
 - (२) कोई वाचना-अन्तेवासी है परन्तु उद्देशन-अन्तेवासी नहीं है ।
 - (३) कोई उद्देशन-अन्तेवासी भी है और वाचना-अन्तेवासी भी है ।
 - (४) कोई न उद्देशन-अन्तेवासी है और न वाचना-अन्तेवासी है ।

किन्तु धर्मोपदेश से प्रतिबोधित शिष्य है ।

विविध प्रकार के गण की वैयावृत्य करने वाले —

- ४२५ चार प्रकार के साधु पुरुष कहे गये हैं । जैसे—
- (१) कोई साधु कार्य करता है किन्तु मान नहीं करता है ।
 - (२) कोई मान करता है किन्तु कार्य नहीं करता है ।
 - (३) कोई कार्य भी करता है और मान भी करता है ।
 - (४) कोई कार्य भी नहीं करता है और मान भी नहीं करता है ।

चत्वारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा—

१ गणट्टफरे नामं एगे, नो माणकरे,

२. माणकरे नाम एगे, नो गणट्टफरे,

३. एगे गणट्टफरे वि, माणकरे वि,

४ एगे नो गणट्टफरे, नो माणकरे ।

चत्वारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा—

१. गणसगहकरे नामं एगे, नो माणकरे,

२ माणकरे नामं एगे, नो गणसगहकरे,

३ एगे गणसगहकरे वि, माणकरे वि,

४ एगे नो गणसगहकरे, नो माणकरे ।

चत्वारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा—

१ गणसोहकरे नामं एगे, नो माणकरे,

२. माणकरे नाम एगे, नो गणसोहकरे,

३ एगे गणसोहकरे वि, माणकरे वि,

४. एगे नो गणसोहकरे, नो माणकरे ।

चत्वारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा—

१ गणसोहिकरे नाम एगे, नो माणकरे,

२. माणकरे नामं एगे, नो गणसोहिकरे,

३ एगे गणसोहिकरे वि, माणकरे वि.

४. एगे नो गणसोहिकरे, नो माणकरे ।

(पुन) चार प्रकार के (साधु) पुरुष कहे गये हैं । जैसे—

(१) कोई गण का काम करता है, परन्तु मान नहीं करता है ।

(२) कोई मान करता है, परन्तु गण का काम नहीं करता है ।

(३) कोई गण का काम भी करता है और मान भी करता है ।

(४) कोई न गण का काम करता है और न मान ही करता है ।

(पुन) चार प्रकार के (साधु) पुरुष कहे गये हैं । जैसे—

(१) कोई गण के लिए सग्रह करता है, परन्तु मान नहीं करता है ।

(२) कोई मान करता है, परन्तु गण के लिए सग्रह नहीं करता है ।

(३) कोई गण के लिए सग्रह भी करता है और मान भी करता है ।

(४) कोई न गण के लिए सग्रह करता है और न मान ही करता है ।

(पुनः) चार प्रकार के (साधु) पुरुष कहे गये हैं । जैसे—

(१) कोई गण की शोभा करता है, किन्तु मान नहीं करता है ।

(२) कोई मान करता है, किन्तु गण की शोभा नहीं करता है ।

(३) कोई गण की शोभा भी करता है और मान भी करता है ।

(४) कोई न गण की शोभा करता है और न मान ही करता है ।

(पुन) चार प्रकार के (साधु) पुरुष कहे गये हैं । जैसे—

(१) कोई गण की शुद्धि करता है, परन्तु मान नहीं करता है ।

(२) कोई मान करता है, परन्तु गण की शुद्धि नहीं करता है ।

(३) कोई गण की शुद्धि भी करता है और मान भी करता है ।

(४) कोई न गण की शुद्धि करता है और न मान ही करता है ।

—वच ३ १०, नु. ६-१०



आचार्य के अतिशय—२

आयरियाइ अइसया—

४२६. आयरिय-उवज्जाए सत्त अइसेसा पणत्ता,
त जहा—

१. आयरिय-उवज्जाए अंतो उवस्सयस्स पाए निगिज्झिय-
निगिज्झिय पप्फोडेमाणे वा पमज्जेमाणे वा नाइक्कमइ ।

२. आयरिय-उवज्जाए अंतो उवस्सयस्स उच्चार-पासवणं
विगिचमाणे वा विसोहेमाणे वा नाइक्कमइ ।

३. आयरिय-उवज्जाए पभू इच्छा वेयावडिय करेज्जा, इच्छा
णो करेज्जा ।

४. आयरिय-उवज्जाए अतो उवस्सयस्स एगरायं वा दुरायं
वा एगओ वसमाणे नाइक्कमइ ।

५. आयरिय-उवज्जाए बाहिं उवस्सयस्स एगरायं वा दुरायं
वा एगओ वसमाणे नाइक्कमइ ।^१

६. उवकरणातिसेसे ।

७. भत्तपाणातिसेसे ।

—ठाण अ ७, सु ५७०

गणावच्छेइयस्स ण गणसि दो अइसेसा पणत्ता, त जहा—

१ गणावच्छेइए अतो उवस्सयस्स एगरायं वा दुरायं वा
एगओ वसमाणे नाइक्कमइ ।

२. गणावच्छेइए बाहिं उवस्सयस्स एगरायं वा दुरायं वा
एगओ वसमाणे नाइक्कमइ ।

—वव. उ. ६, सु. ११

इड्ढी पगारा—

४२७. गणिड्ढी तिक्किहा पणत्ता, तं जहा—

१. णाणिड्ढी,
२. दंसणिड्ढी,
३. चरित्तिड्ढी ।

आचार्य आदि के अतिशय—

४२६ गण में आचार्य और उपाध्याय के सात अतिशय कहे गये
हैं, यथा—

(१) आचार्य और उपाध्याय उपाश्रय के अन्दर धूल से भरे
अपने पैरो को पकड़-पकड़ कर कपड़े से पोछे या प्रमाज्जन करे
तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है ।

(२) आचार्य और उपाध्याय उपाश्रय के अन्दर भल-भूत्रादि
को त्यागे तथा क्षुद्धि करे तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है ।

(३) सशक्त आचार्य या उपाध्याय इच्छा हो तो किसी की
सेवा करे, इच्छा न हो तो न करे—फिर भी मर्यादा का उल्लंघन
नहीं होता है ।

(४) आचार्य और उपाध्याय उपाश्रय के अन्दर (किरी
विशेष कारण से) यदि एक दो रात अकेले रहें तो भी मर्यादा
का उल्लंघन नहीं होता है ।

(५) आचार्य और उपाध्याय उपाश्रय के बाहर (किसी
विशेष कारण से) यदि एक दो रात अकेले रहे तो भी मर्यादा
का उल्लंघन नहीं होता है ।

(६) आचार्य और उपाध्याय अन्य साधुओं की अपेक्षा
उज्ज्वल वस्त्र पात्रादि रखें तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं
होता है ।

(७) आचार्य और उपाध्याय सविभाग किये बिना विशिष्ट
आहार करे तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता है ।

गण मे गणावच्छेदक के दो अतिशय कहे गए हैं, यथा—

(१) गणावच्छेदक उपाश्रय के अन्दर (किसी विशेष कारण
मे) यदि एक दो रात अकेले रहे तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं
होता है ।

(२) गणावच्छेदक उपाश्रय के बाहर (किसी विशेष कारण
से) यदि एक दो रात अकेले रहे तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं
होता है ।

ऋद्धि के प्रकार—

४२७. गणि-ऋद्धि तीन प्रकार की कही गई है, यथा—

- (१) ज्ञान ऋद्धि—विशिष्ट श्रुत-सम्पदा ।
- (२) दर्शन ऋद्धि—प्रभानशाली प्रवचनशक्ति आदि ।
- (३) चारित्र ऋद्धि—निरतिचार चारित्र प्रतिपालना ।

१ (क) ठाणं. अ. ५, उ. २, सु. ४३८

(ख) वव. उ. ६, सु. १०

अह्वा—गणिट्ठी तिबिहा पण्णत्ता, त जहा—

- १ सच्चित्ता,
- २ अचित्ता,
- ३ मौमिता ।

—ठाण अ ३, उ. ५, सु. २१४

अथवा गणि-ऋद्धि तीन प्रकार की कही गई है, यथा—

- (१) सचित्त-ऋद्धि—शिष्य-परिवार आदि ।
- (२) अचित्त-ऋद्धि—वस्त्र, पात्र, शास्त्र-संग्रहादि ।
- (३) मिश्र-ऋद्धि—वस्त्र पायादि से युक्त शिष्य-परिवारादि ।

गि संपया—

अट्टविहा गणि-सपया पण्णत्ता, त जहा—

- १ आयार-सपया, २ सुय-संपया,
- ३ सरीर-संपया, ४ वयण-संपया,
- ५ वायणा-संपया, ६ मइ-सपया,
- ७ पओग-सपया, ८ संगह-परिण्णा णाम अट्टमा संपया ।

—ठाण. अ. ८, सु. ६०१

गणि सम्पदा—

४२८. आठ प्रकार की गणि सम्पदा कही गई है । जैसे—

- (१) आचारसम्पदा, (२) श्रुतसम्पदा
- (३) शरीरसम्पदा, (४) वचनसम्पदा,
- (५) वाचनसम्पदा, (६) मत्तिसम्पदा,
- (७) प्रयोगसम्पदा, (८) सगहपरिज्ञासम्पदा

आयार सपया—

६ प०—मे कि त आयार-सपया ?

उ०—आयार-सपया चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा—

- १ संजम-धुव-जोग-जुत्ते यावि भवइ,
 - २ असपगगहिघ-अप्पा,
 - ३ अणियत्त-वित्ती,
 - ४ वुद्ध-सीले यावि भवइ ।
- से त आयार सपया । —दमा द ४, सु ३

आचार-सम्पदा—

४२९ प्र० भगवन् ! वह आचारसम्पदा कितने प्रकार की है ?

उ०—आचारसम्पदा चार प्रकार की कही गई है । जैसे—

- (१) सयम क्रियाओ मे ध्रुव योग युक्त होना ।
 - (२) अहकार रहित होना ।
 - (३) अप्रतिबद्ध विहार करना ।
 - (४) वृद्धो के समान गम्भीर स्वभाव वाला होना ।
- यह आचार सम्पदा है ।

सुयसपया—

७ प०—मे कि त सुय-सपया ?

उ०—सुय-सपया चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा—

- १ वहुस्सुए यावि भवइ,
 - २ परिचिय-सुए यावि भवइ,
 - ३ विवित्त-सुए यावि भवइ,
 - ४ घोस-विसुद्धिकारए यावि भवइ ।
- से त सुय-सपया । —दमा द ४, सु ४

श्रुत-सम्पदा—

४३०. प्र०—भगवन् ! श्रुतसम्पदा कितने प्रकार की है ?

उ०—श्रुतसम्पदा चार प्रकार की कही गई है । जैसे—

- (१) अनेक शास्त्रो का ज्ञाता होना ।
 - (२) मूत्रार्थ मे भली-भांति परिचित होना ।
 - (३) स्व-ममय और पर-समय का ज्ञाता होना ।
 - (४) शुद्ध उच्चारण करने वाला होना ।
- यह श्रुत सम्पदा है ।

शरीर सपया—

८ प०—मे कि त शरीर संपया ?

उ०—शरीर-सपया चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा—

- १ आरोग-परिणाह-मपन्ने यावि भवइ,
 - २ अणोत्तप्प-शरीरे यावि भवइ,
 - ३ चिरमघयणे यावि भवइ,
 - ४ वहुपटिपुग्गिदिए यावि भवइ ।
- मे त शरीर-संपया । —दमा. ६. ४, सु ५

शरीर-सम्पदा—

४३१. प्र०—भगवन् ! शरीर सम्पदा कितने प्रकार की है ?

उ०—शरीर सम्पदा चार प्रकार की कही गई है । जैसे—

- (१) शरीर को लम्बाई-चौड़ाई का उचित प्रमाण होना ।
 - (२) लज्जास्पद शरीर वाला न होना ।
 - (३) शरीर का महान नुदुह होना ।
 - (४) सबं इन्द्रियो का परिपूर्ण होना ।
- यह शरीर सम्पदा है ।

वयण संपया—

४३२ प०—से किं तं वयण-संपया ?

उ०—वयण-संपया चउन्विहा पणत्ता, त जहा—

- १ आदेय-वयणे यावि भवइ,
२. मधुर-वयणे यावि भवइ,
३. अणित्थिय-वयणे यावि भवइ,
४. असंदिद्ध यावि भवइ ।

से त वयण-संपया । —दसा द. ४, सु. ६

वायणा संपया

४३३. प०—से किं त वायणा-संपया ?

उ०—वायणा-संपया चउन्विहा पणत्ता, त जहा—

१. विजय उट्टिसइ,
२. विजय वाएइ,
३. परिनिब्बाविय वाएइ,
४. अत्थनिज्जावए यावि भवइ,

से त वायणा संपया । —दसा. द. ४, सु. ७

मइ संपया—

४३४ प०—से किं त मइ-संपया ?

उ०—मइ-संपया चउन्विहा पणत्ता, त जहा—

- १ उगह-मइ-संपया,
२. ईहा-मइ-संपया,
३. अवाय-मइ-संपया,
- ४ धारणा-मइ-संपया ।

प०—से किं त उगह-मइ-संपया ?

उ०—उगह-मइ-संपया छव्विहा पणत्ता, त जहा—

१. खिप्प उगिण्हेइ,
२. बहं उगिण्हेइ,
- ३ बह्विह उगिण्हेइ,
४. धुवं उगिण्हेइ,
५. अणित्थिय उगिण्हेइ,

६. असंदिद्धं उगिण्हेइ ।

एवं ईहा-मई वि ।

एव अवाय-मई वि ।

प०—से किं तं धारणा-मइसंपया ?

वचन-सम्पदा—

४३२. प्र०—भगवन् ! वचन सम्पदा कितने प्रकार की है ?

उ०—वचन सम्पदा चार प्रकार की कही गई है । जैसे—

- (१) सर्वजन-आदरणीय वचन वाला होना ।
- (२) मधुर वचन वाला होना ।
- (३) राग-द्वेष रहित वचन वाला होना ।
- (४) सन्देह-रहित वचन वाला होना ।

यह वचन-सम्पदा है ।

वाचना सम्पदा—

४३३. प्र०—भगवन् ! वाचना-सम्पदा कितने प्रकार की है ?

उ०—वाचना सम्पदा चार प्रकार की कही गई है । जैसे—

- (१) शिष्य की योग्यता का निश्चय करने वाला होना ।
- (२) विचार पूर्वक अध्यापन कराने वाला होना ।
- (३) योग्यतानुसार उपयुक्त पढाने वाला होना ।
- (४) अर्थ संगति पूर्वक नय-प्रमाण से अध्यापन कराने वाला

होना ।

यह वाचना सम्पदा है ।

मति-सम्पदा—

४३४. प्र०—भगवन् ! मति-सम्पदा कितने प्रकार की है ?

उ०—मतिसम्पदा चार प्रकार की कही गई हैं । जैसे—

- (१) अवग्रह—सामान्य रूप से अर्थ को जानना ।
- (२) ईहा मतिसम्पदा-सामान्य रूप से जाने हुए अर्थ को विशेष रूप से जानने की इच्छा होना ।
- (३) ईहित वस्तु का विशेष रूप से निश्चय करना ।
- (४) ज्ञात वस्तु का कालान्तर में स्मरण रखना ।

प्र०—भगवन् ! अवग्रह-मतिसम्पदा कितने प्रकार की है ?

उ०—अवग्रह-मतिसम्पदा छह प्रकार की कही गई है ।

जैसे—

- (१) प्रश्न आदि को शीघ्र ग्रहण करना ।
- (२) बहुत प्रश्नों को ग्रहण करना ।
- (३) अनेक प्रकार के प्रश्नों को ग्रहण करना ।
- (४) निश्चित रूप से ग्रहण करना ।
- (५) किसी के आधीन न रहकर अपनी प्रतिभा से ग्रहण

करना ।

(६) सन्देह रहित होकर ग्रहण करना ।

इसी प्रकार ईहा मतिसम्पदा भी छह प्रकार की होती है ।

इसी प्रकार अवाय-मतिसम्पदा भी छह प्रकार की होती है ।

प्र०—भगवन् ! धारणा—मतिसम्पदा कितने प्रकार की है ?

उ०—धारणा-मद्दसपया छध्विहा पणत्ता, त जहा—

१. गृह धरेद्,
२. चतुर्विह धरेद्,
३. पोरानं धरेद्,
४. दुद्धर धरेद्,
५. अणिस्तिथ्य धरेद्,
६. असंदिद्ध धरेद् ।

से तं मद्द-सपया । —दसा द ४ सु. ८-१२

पओग संपया—

४३५ प्र०—से कि तं पओग-संपया ?

उ०—पओग-सपया चउच्चिहा पणत्ता, त जहा—

- १ आय विदाय वायं पउज्जित्ता भवद्,
- २ परिसं विदाय वायं पउज्जित्ता भवद्,
- ३ खेतं विदाय वायं पउज्जित्ता भवद्,
- ४ यत्थं विदाय वायं पउज्जित्ता भवद्,

से त पओग-सपया । —दसा. द ४, सु १३

संगह परिण्णा संपया—

४३६ प्र०—से कि त संगह-परिण्णा णाम सपया ?

उ०—संगह-परिण्णा णाम सपया चउच्चिहा पणत्ता, त जहा—

- १ बहुजण पाउग्गयाए वासावासेसु खेत पडिले-हित्ता भवद्,
- २ बहुजण—पाउग्गयाए पाडिहारिय-पोढ-फलग-सेज्जा संयारय उग्गिहित्ता भवद् ।
- ३ कालेण काल समायरित्ता भवद्,
- ४ अहागुरु संपूएत्ता भवद् ।

मे त संगह-परिण्णा णाम संपया ।

—दसा. द ४, सु. १४

सत्त संगह-असंगहट्ठाणा —

४३७. आयरिय-उवग्गयाए ण गणत्ति सत्त संगहट्ठाणा पणत्ता, त जहा—

१. आयरिय-उवग्गयाए ण गणत्ति आण वा धारणं वा सम्म भउज्जित्ता भवत्ति,
२. आयरिय-उवग्गयाए ण गणत्ति आधारातिणियाए किति सम्म सम्मं पउज्जित्ता भवत्ति,

उ०—धारणामतिसम्पदा छह प्रकार की कही गई है ।

जैसे—

- (१) बहुत अर्थों को धारण करना ।
- (२) अनेक प्रकार के अर्थों को धारण करना ।
- (३) पुरानी बात को धारण करना ।
- (४) कठिन से कठिन बात को धारण करना ।
- (५) अनुक्त अर्थ को अपनी प्रतिभा द्वारा धारण करना ।
- (६) ज्ञात अर्थ को सन्देह-रहित धारण करना ।

यह मतिसम्पदा है ।

प्रयोग-सम्पदा—

४३५ प्र०—भगवन् ! प्रयोग-सम्पदा कितने प्रकार की है ?

उ०—प्रयोग सम्पदा चार प्रकार की कही गई है । जैसे—

- (१) अपनी शक्ति को जानकर वाद-विवाद करना ।
- (२) परिपद् के भावों को जानकर वाद-विवाद करना ।
- (३) क्षेत्र को जानकर वाद-विवाद करना ।
- (४) वस्तु के (प्रतिपाद्य) विषय को जानकर वाद-विवाद करना ।

यह प्रयोग सम्पदा है ।

संग्रह-परिज्ञा-सम्पदा—

४३६ प्र०—भगवन् ! संग्रहपरिज्ञा नामक सम्पदा कितने प्रकार कहे हैं ?

उ०—संग्रहपरिज्ञा नामक सम्पदा चार प्रकार की कही गई है । जैसे—

- (१) वर्षाबास में अनेक मुनिजनों के रहने योग्य क्षेत्र का प्रतिलेखन करना ।
- (२) अनेक मुनिजनों के लिए प्रातिहारिक-पीठ-पलक-शय्या और संस्तारक ग्रहण करना ।
- (३) समयानुसार कार्य करना ।
- (४) गुरुजनों का यथायोग्य पूजा-सरकार करना ।

यह संग्रह परिज्ञा नामक सम्पदा है ।

सात संग्रह-असंग्रह म्यान—

४३७. आचार्य तथा उपाध्याय के लिए गण में सात संग्रह म्यान कहे हैं । यथा—

- (१) आचार्य तथा उपाध्याय गण में आज्ञा व धारण का मर्म्यत् प्रयोग करते हैं ।
- (२) आचार्य तथा उपाध्याय गण में बड़े छोटों के क्रम से वन्दना का मर्म्यत् प्रयोग करते हैं ।

३ आयरिय-उवज्झाए ण गणसि जे सुत्तपज्जवजाते धारेति ते काले काले सम्ममणुप्पवाइत्ता भवति ।

४ आयरिय-उवज्झाए णं गणंसि गिलाणसेह्वेयावच्चं सम्म-मब्भुट्ठित्ता भवति ।

५ आयरिय-उवज्झाए ण गणंसि आपुच्छियचारी यावि भवति, णो अणाणुपुच्छियचारी ।

६ आयरिय-उवज्झाए णं गणंसि अणुप्पणाइ उवगरणाइ सम्मं उप्पाइत्ता भवति ।

७. आयरिय-उवज्झाए ण गणंसि पुब्बुप्पणाइ उवकरणाइं सम्मं सारक्खेत्ता संगोवित्ता भवति, णो असम्म सारक्खेत्ता संगोवित्ता भवति ।

आयरिय-उवज्झायस्स ण गणसि सत्त असंगहठाणा पणत्ता, त जहा—

१ आयरिय-उवज्झाए णं गणंसि आणं वा धारणं वा णो सम्म पउज्जित्ता भवति ।

२. आयरिय-उवज्झाए णं गणंसि आधारात्तिणियाए कित्ति-कम्मं णो सम्मं पउज्जित्ता भवति ।

३ आयरिय-उवज्झाए ण गणंसि जे सुत्तपज्जवजाते धारेति ते काले काले णो सम्ममणुप्पवाइत्ता भवति ।

४ आयरिय-उवज्झाए णं गणंसि गिलाणसेह्वेयावच्चं णो सम्मगम्भुट्ठित्ता भवति ।

५ आयरिय-उवज्झाए णं गणंसि अणापुच्छियचारी यावि भवइ, णो अणाणुपुच्छियचारी ।

६. आयरिय-उवज्झाए ण गणंसि अणुप्पणाइं उवगरणाइ णो सम्म उप्पाइत्ता भवति ।

७ आयरिय-उवज्झाए णं गणंसि पच्चुप्पणाण उवगरणाणं णो सम्म सारक्खेत्ता संगोवेत्ता, भवति ।

—ठाण अ. ७, सु. ५४४

(३) आचार्य तथा उपाध्याय जिन-जिन सूत्र पर्यवजातों को धारण करते हैं, उनकी उचित समय पर गण को सम्यक् वाचना देते हैं ।

(४) आचार्य तथा उपाध्याय गण के ग्लान तथा नवदीक्षित साधुओं की यथोचित सेवा के लिए सतत जागरूक रहते हैं ।

(५) आचार्य तथा उपाध्याय गण को पूछकर अन्य प्रदेश में विहार करते हैं, उन्हें पूछे बिना विहार नहीं करते हैं ।

(६) आचार्य तथा उपाध्याय गण के लिए अनुपलब्ध उपकरणों को यथाविधि उपलब्ध करते हैं ।

(७) आचार्य तथा उपाध्याय गण में प्राप्त उपकरणों का सम्यक् प्रकार से संरक्षण तथा सगोपन करते हैं, अमम्यक् प्रकार से संरक्षण और सगोपन नहीं करते हैं ।

आचार्य तथा उपाध्याय के लिए गण में सात असंग्रह स्थान हैं, यथा—

(१) आचार्य तथा उपाध्याय गण में आज्ञा व धारणा का सम्यक् प्रयोग नहीं करते हैं ।

(२) आचार्य तथा उपाध्याय गण में यथारात्तिक कृतिकर्म का सम्यक् प्रयोग नहीं करते हैं ।

(३) आचार्य तथा उपाध्याय जिन-जिन सूत्र-पर्यवजातो को धारण करते हैं, उनकी उचित समय पर गण को सम्यक् वाचना नहीं देते हैं ।

(४) आचार्य तथा उपाध्याय ग्लान तथा नवदीक्षित साधुओं की यथोचित सेवा के लिए सतत जागरूक नहीं रहते हैं ।

(५) आचार्य तथा उपाध्याय गण को पूछे बिना अन्य प्रदेशों में विहार करते हैं, उसे पूछकर विहार नहीं करते हैं ।

(६) आचार्य तथा उपाध्याय गण के लिए अनुपलब्ध उपकरणों को यथाविधि उपलब्ध नहीं करते हैं ।

(७) आचार्य तथा उपाध्याय गण में प्राप्त उपकरणों का सम्यक् प्रकार से संरक्षण और सगोपन नहीं करते हैं ।



निर्ग्रन्थ पद-व्यवस्था—४

आयरिय उवज्झाय पदारिहा णिग्गंथा—

४३८ पंचवास परियाए समणे णिग्गंथे—

आयार-कुसले, सजम-कुसले, पवयण-कुसले, पणत्ति-कुसले, सगह-कुसले, उवग्गह-कुसले,

आचार्य उपाध्याय पद योग्य निर्ग्रन्थ -

४३८. पाँच वर्ष की दीक्षा पर्याय वाला श्रमण निर्ग्रन्थ—

यदि आचारकुशल, समयकुशल, प्रवचनकुशल, प्रज्ञप्तिकुशल, संग्रहकुशल और उपग्रहकुशल हो ।

अवसायायारे, अमिन्नायारे, असवलायारे, असकिलिठायारे, बहुस्तुए, वृत्तागमे ।

जहण्णेण दसा-कप्प-ववहारधरे, कप्पइ आयरिय-उवज्जाय-त्ताए उद्दिसित्तए ।

अट्टवास-परियाए समणे निग्गये—

आयारकुसले, सजमकुसले, पवयणकुसले, पणत्तिकुसले, सगहकुसले, उवग्गहकुसले, अक्खयायारे, अमिन्नायारे, असवलायारे, असकिलिठायारे, बहुस्तुए, वृत्तागमे,

जहण्णेणं ठाणं-समवाय-धरे, कप्पइ आयरियत्ताए उवज्जाय-त्ताए गणावच्छेइयत्ताए उद्दिसित्तए ।

निरुद्धपरियाए समणे निग्गये कप्पइ तद्विस आयरिय-उवज्जायत्ताए उद्दिसित्तए ।

प०—से किमाहु भंते । ?

उ०—अत्थि णं थेराण तहारूवाणि कुलाणि कडाणि, पत्ति-याणि, येज्जाणि वेसासियाणि, सम्मयाणि, सम्मुइ-कराणि, अणुमयाणि बहुमयाणि भवति ।

तेहि कडेहि, तेहि पत्तिएहि, तेहि येज्जेहि,
तेहि वेसासिएहि, तेहि सम्मएहि, तेहि सम्मुइकरेहि,
तेहि अणुमएहि, तेहि बहुमएहि ।

ज से निरुद्धपरियाए समणे निग्गये,
कप्पइ आयरिय-उवज्जायत्ताए उद्दिसित्तए तद्विस ।

—वव. उ ३, सु ५, ७, ९

आयरिय उवज्जायपदाऽणरिहा णिग्गया—

४३९. सच्चैव ण से पंचवासपरियाए समणे निग्गये—

नो आयार-कुसले, नो संजम-कुसले, नो पवयण-कुसले,
नो पणत्तिकुसले, नो संगह-कुसले, नो उवग्गह-कुसले,
सवायारे मिन्नायारे, सवलायारे,
सकिलिठायारे, अप्पसुए, अप्पागमे,
नो कप्पइ आयरिय-उवज्जायत्ताए उद्दिसित्तए ।

सच्चैव ण से अट्टवासपरियाए समणे निग्गये—

नो आयारकुसले, नो संजमकुसले, नो पवयणकुसले,
नो पणत्तिकुसले, नो संगहकुसले, नो उवग्गहकुसले,
सवायारे मिन्नायारे, सवलायारे,
सकिलिठायारचित्ते, अप्पसुए अप्पागमे,
नो कप्पइ आयरियत्ताए, उवज्जायत्ताए, गणावच्छेइयत्ताए,
उद्दिसित्तए ।

अक्षत चारित्र्य वाला, अभिन्न चारित्र्य वाला, अशवल चारित्र्य वाला और असकिलिष्ट आचार वाला हो, बहुश्रुत एव बहु आगमज्ञ हो,

एवं जघन्य दशा, कल्प एव व्यवहार का धारक हो तो उसे आचार्य या उपाध्याय पद देना कल्पता है ।

आठ वर्ष की दीक्षा पर्याय वाला श्रमण निग्रन्थ—

यदि आचारकुशल, समयकुशल, प्रवचनकुशल, प्रज्ञप्तिकुशल, सग्रहकुशल और उपग्रहकुशल हो । अक्षत चारित्र्य वाला, अभिन्न चारित्र्य वाला, अशवल चारित्र्य वाला और असकिलिष्ट आचार वाला हो, बहुश्रुत एव बहुआगमज्ञ हो,

एवं जघन्य स्थानाग-समवायाग का धारक हो तो उसे आचार्य उपाध्याय और गणावच्छेदक पद देना कल्पता है ।

निरुद्ध पर्याय वाला श्रमण निग्रन्थ जिस दिन दीक्षित हो उसी दिन उसे आचार्य या उपाध्याय पद देना कल्पता है ।

प्र०—हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

उ०—स्थविरो के द्वारा तथारूप से भावित प्रीति युक्त, स्थिर, विश्वस्त सम्मत, प्रमुदित, अनुमत और बहुमत अनेक कुल होते हैं ।

उन भावित प्रीतियुक्त स्थिर विश्वस्त सम्मत प्रमुदित, अनुमत और बहुमत कुल से दीक्षित जो निरुद्ध पर्याय वाला श्रमण निग्रन्थ है उसे उसी दिन आचार्य या उपाध्याय पद देना कल्पता है ।

आचार्य उपाध्याय पद के अयोग्य निग्रन्थ—

४३९ वह पाँच वर्ष की दीक्षा पर्याय वाला श्रमण निग्रन्थ—

यदि आचार, समय, प्रवचन, प्रज्ञप्ति, सग्रह और उपग्रह में कुशल न हो तथा क्षत, भिन्न, शवल और सकिलिष्ट आचार वाला हो, अल्पश्रुत और अल्प आगमज्ञ हो तो उसे आचार्य या उपाध्याय पद देना नहीं कल्पता है ।

वह आठ वर्ष की दीक्षा पर्याय वाला श्रमण निग्रन्थ—

यदि आचार, समय, प्रवचन, प्रज्ञप्ति, सग्रह और उपग्रह में कुशल न हो तथा क्षत, भिन्न, शवल और सकिलिष्ट आचार वाला हो, अल्पश्रुत और अल्प आगमज्ञ हो तो उसे आचार्य, उपाध्याय और गणावच्छेदक पद देना नहीं कल्पता है ।

निरुद्धवास परियाए समणे णिग्गथे—

कप्पइ आयरिय-उवज्झायत्ताए उद्दिसित्तए, समुच्छेयकप्पसि ।

तस्स ण आयार-पकप्पस्स देसे अवट्टिए,

से य “अहिज्जिस्सामि” त्ति अहिज्जेज्जा,

एव से कप्पइ आयरिय-उवज्झायत्ताए उद्दिसित्तए ।

से य “अहिज्जिस्सामि” त्ति नो अहिज्जेज्जा,

एवं से नो कप्पइ आयरिय-उवज्झायत्ताए उद्दिसित्तए ।

—वव उ ३, सु ६, ८, १०

एगपक्खियस्स भिक्खुस्स पदद-ाण विहाणं—

४४०. एगपक्खियस्स भिक्खुस्स कप्पइ आयरिय-उवज्झायमाण इत्तरियं दिसं वा, अणुदिसं वा, उद्दिसित्तए वा, धारेत्तए वा, जहा वा तस्स गणस्स पत्तियं सिया ।

—वव उ. २, सु. २६

गिलाण आयरियाइणा पद-दाण निद्वेसो—

४४१. आयरिय-उवज्झाए गिलायमाणे अक्षयरं वएज्जा—“अज्जो ! ममंसि ण कालगयसि समाणंसी अय समुक्कसियव्वे ।”

से य समुक्कसणारिहे समुक्कसियव्वे,

से य नो समुक्कसणारिहे नो समुक्कसियव्वे,

अत्थि य इत्थ अन्ने केइ समुक्कसणारिहे से समुक्कसियव्वे,

नत्थि य इत्थ अन्ने केइ समुक्कसणारिहे से चेव समुक्कसियव्वे,

तसि च ण समुक्कट्ठसि परो वएज्जा—

“दुस्समुक्कट्ठ ते अज्जो ! निक्खिवाहि ।”

तस्स ण निक्खिवमाणस्स नत्थि केइ छेए वा परिहारे वा ।

जे साहम्मिया अहाकप्पेण नो उट्ठाए विहरति सर्व्वेसि तेसि तप्पत्तिय छेए वा परिहारे वा , —वव उ ४, सु १३

आचार्य के दिवंगत होने पर निरुद्ध वर्ष पर्याय वाले श्रमण को आचार्य या उपाध्याय पद देना कल्पता है ।

उसके आचार प्रकल्प का कुछ अंश अध्ययन करना शेष हो और वह अध्ययन पूर्ण करने का संकल्प रखकर पूर्ण कर ले तो उसे आचार्य या उपाध्याय पद देना कल्पता है ।

किन्तु यदि वह शेष अध्ययन पूर्ण करने का संकल्प रखकर भी उसे पूर्ण न करे तो उसे आचार्य या उपाध्याय पद देना नहीं कल्पता है ।

एकपक्षीय भिक्षु को पद देने का विधान—

४४०. आचार्य या उपाध्याय के स्थान पर एक पक्षीय अर्थात् एक ही आचार्य के पास दीक्षा और श्रुत ग्रहण करने वाले भिक्षु को ही अल्पकाल के लिए अथवा यावज्जीवन के लिए आचार्य या उपाध्याय के पद पर स्थापित करना या उसे धारण करना कल्पना है । अथवा परिस्थितिवश गण का हित हो वैसे भी किया जा सकता है ।

ग्लान आचार्यादि के द्वारा पद देने का निर्देश—

४४१. रोगग्रस्त आचार्य या उपाध्याय किसी प्रमुख साधु से कहे कि “हे आर्य ! मेरे कालगत होने पर अमुक साधु को मेरे पद पर स्थापित करना ।”

यदि आचार्य निर्दिष्ट वह उस पद पर स्थापन करने योग्य हो तो उसे स्थापित करना चाहिए ।

यदि वह उस पद पर स्थापन करने योग्य न हो तो उसे स्थापित नहीं करना चाहिए ।

यदि सघ में अन्य कोई साधु पद के योग्य हो तो उसे स्थापित करना चाहिए ।

यदि सघ में अन्य कोई भी साधु उस पद के योग्य न हो तो आचार्य निर्दिष्ट साधु को ही उस पद पर स्थापित करना चाहिए ।

उस को उस पद पर स्थापित करने के बाद कोई गीतार्थ साधु कहे कि—

“हे आर्य ! तुम इस पद के अयोग्य हो । अतः इस पद को छोड़ दो”—(ऐसा कहने पर) यदि वह उस पद को छोड़ दे तो वह दीक्षा-छेद या परिहार प्रायश्चित्त का पात्र नहीं होता है ।

जो साधर्मिक साधु कल्प के अनुसार उसे आचार्यादि पद छोड़ने के लिए न कहे तो वे सभी साधर्मिक साधु उक्त कारण से दीक्षा-छेद या परिहार प्रायश्चित्त पात्र होते हैं ।

ओहायमाण-आयरियाइणा पद-दाण निद्देशो—

४४२ आयरिय-उवज्जाए ओहायमाणे अन्नपर वएज्जा "अज्जो ! ममसि ण ओहावियसि ममाणंसि अय समुक्कसियव्वे ।"

से य समुक्कसणारिहे समुक्कसियव्वे,

से य नो समुक्कसणारिहे नो समुक्कसियव्वे ।

अत्थि य इत्थ अन्ने केइ समुक्कसणारिहे से समुक्कसियव्वे ।

नत्थि य इत्थ अन्ने केइ समुक्कसणारिहे से च्चव समुक्कसियव्वे ।

तं सि च णं समुक्कित्ठसि परो वएज्जा—

"बुस्समुक्कित्ठं ते अज्जो निक्खिवाहि ।"

तत्स णं निक्खिवमाणस्स नत्थि केइ छेए वा परिहारे वा ।

जे साहम्मिया अहाकप्पेण नो उट्ठाए विहरति ।

सव्वेसि तेसि तप्पत्थिय छेए वा परिहारे वा ।

—वव उ ४, मु १४

पावजीवी बहुस्सुयाण पद-निसेहो—

४४३ भियप्पू य बहुस्सुए वन्नागमे बहुसो बहु-आगाढा-गाडेसु कारणेसु माई, मुसावाई, असुई, पावजीवी, जावज्जीवाए तत्स तप्पत्थिय नो कप्पइ आपरियत्तं वा-जाव-गणावच्छेइ-यत्त वा उट्ठिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

गणावच्छेइए वट्ठस्सुए वन्नागमे बहुसो बहु-आगाढा-गाडेसु कारणेसु माई, मुसावाई, असुई, पावजीवी, जावज्जीवाए तत्स तप्पत्थियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा-जाव-गणावच्छेइ-यत्त वा उट्ठिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

आयरिय-उवज्जाए बहुस्सुए वन्नागमे बहुसो-बहु आगाढा-गाडेसु कारणेसु माई, मुसावाई, असुई, पावजीवी, जावज्जीवाए तत्स तप्पत्थिय नो कप्पइ आयरियत्तं वा-जाव-गणावच्छेइयत्त वा उट्ठिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

अथे भियप्पुणो वट्ठस्सुया वन्नागमा बहुसो बहु-आगाढा-

संयम त्याग कर जाने वाले आचार्यादि के द्वारा पद देने का निर्देश—

४४२ समय का परित्याग कर जाने वाले आचार्य या उपाध्याय किसी प्रमुख साधु से कहे कि — "हे आर्य ! मेरे चले जाने पर अमुक साधु को मेरे पद पर स्थापित करना ।"

यदि आचार्य निर्दिष्ट वह साधु उस पद पर स्थापन करने योग्य हो तो उसे स्थापित करना चाहिए ।

यदि वह उस पद पर स्थापन करने योग्य न हो तो उसे स्थापित नहीं करना चाहिए ।

यदि सध में अन्य कोई साधु उस पद के योग्य हो तो उसे स्थापित करना चाहिए ।

यदि सध में अन्य कोई भी साधु उस पद के योग्य न हो तो आचार्य निर्दिष्ट साधु को ही उस पद पर स्थापित करना चाहिए ।

उस को उस पद पर स्थापित करने के बाद यदि भीतार्थ साधु कहे कि—

"हे आर्य ! तुम इस पद के अयोग्य हो, अतः इस पद को छोड़ दो" (ऐसा कहने पर) यदि वह उस पद को छोड़ दे तो वह दीक्षा-छेद या परिहार प्रायश्चित्त का पात्र नहीं होता है ।

जो साधर्मिक साधु कल्प के अनुसार उसे आचार्यादि पद छोड़ने के लिए न कहे तो वे सभी साधर्मिक साधु उक्त कारण से दीक्षा-छेद या परिहार प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं ।

पाप जीवी बहुश्रुतो को पद देने का निषेध—

४४३. बहुश्रुत, बहुआगमज भिक्षु अनेक प्रगाढ कारणों के होने पर यदि अनेक बार माया पूर्वक मृपा बोले या पाप भ्रूतों से अपवित्र आजीविका करे तो उसे उक्त कारणों से यावज्जीवन आचार्य—यावत् गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है ।

बहुश्रुत, बहुआगमज गणावच्छेदक अनेक प्रगाढ कारणों के होने पर यदि अनेक बार माया पूर्वक मृपा बोले या पाप श्रुतों से अपवित्र आजीविका करे तो उसे उक्त कारणों से यावज्जीवन आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पना है ।

बहुश्रुत, बहुआगमज आचार्य या उपाध्याय अनेक प्रगाढ कारणों के होने पर यदि अनेक बार मायापूर्वक मृपा बोले या पापश्रुतों में आजीविका करे तो उसे उक्त कारणों से यावज्जीवन आचार्य - यावत्—गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है ।

बहुश्रुत, बहुआगमज अनेक भिक्षु अनेक प्रगाढ कारणों के

गाढेसु कारणेसु माई, मुसावाई, असुई, पावजीवी, जाव-ज्जीवाए तेसि तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा-जाव-गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

वहवे गणावच्छेइया बहुस्सुया, व्भगमा, बहुसो बहु-आगाढा गाढेसु कारणेसु माई, मुसावाई, असुई, पापजीवी, जावज्जीवाए तेसि तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा-जाव-गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

बहवे आयरिय-उवज्जाया बहुस्सुया व्भगमा बहुसो बहु-आगाढा गाढेसु कारणेसु माई, मुसावाई, असुई, पापजीवी, जावज्जीवाए तेसि तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा-जाव-गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

बहवे भिक्खुणो, वहवे गणावच्छेइया वहवे आयरिय-उव-ज्जाया बहुस्सुया व्भगमा बहुसो बहु-आगाढा गाढेसु कारणेसु, माई, मुसावाई, असुई, पापजीवी, जावज्जीवाए तेसि-तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा-जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

—वव उ. ३, सु २३-२६

आयारकप्पपरिभट्टस्स पद दाण विहि-णिसेहो—

४४४ निगंथस्स णं नव-डहर-तरुणस्स आयारकप्पे नामं अज्झयणे परिभट्टे सिया, से य पुच्छियव्वे—

“केण ते कारणेण अज्जो ! आयारकप्पे नाम-अज्झयणे परिभट्टे ? किं आवाहेण उदाहु पमाएण ?”

से य वएज्जा नो आवाहेण, पमाएणं, जावज्जीव तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा-जाव-गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

से य वएज्जा—“आवाहेणं, नो पमाएणं, से य “संठवेस्सामित्ति” संठवेज्जा एवं से कप्पइ आयरियत्तं वा-जाव-गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

से य ‘संठवेस्सामि’ त्ति नो संठवेज्जा, एव से नो कप्पइ आयरियत्तं वा-जाव-गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

—वव उ. ५, सु. १५

थेराण थेरभूमिपत्ताण आयार-कप्पे नामं अज्झयणे परिभट्टे सिया, कप्पइ तेसि संठवेत्ताण वा, असंठवेत्ताणं वा आयरियत्तं वा-जाव-गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

होने पर यदि अनेक बार मायापूर्वक मृषा बोले या पापश्रुतो से आजीविका करे तो उन्हे उक्त कारणो से यावज्जीवन आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है ।

बहुश्रुत, बहुभागमज्ञ अनेक गणावच्छेदक अनेक प्रगाढ कारणो के होने पर यदि अनेक बार मायापूर्वक मृषा बोले या पापश्रुतो से आजीविका करे तो उन्हे उक्त कारणो से यावज्जीवन आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है ।

बहुश्रुत, बहुभागमज्ञ अनेक आचार्य या अनेक उपाध्याय अनेक प्रगाढ कारणों के होने पर यदि अनेक बार मायापूर्वक मृषा बोले या पापश्रुतो से आजीविका करे तो उन्हे उक्त कारणो से यावज्जीवन आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है ।

बहुश्रुत, बहुभागमज्ञ अनेक भिक्षु अनेक गणावच्छेदक या अनेक आचार्य उपाध्याय अनेक प्रगाढ कारणो के होने पर यदि अनेक बार मायापूर्वक मृषा बोले या पापश्रुतो से आजीविका करे तो उन्हे उक्त कारणो से यावज्जीवन आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है ।

आचार प्रकल्प विस्मृत को पद देने का विधि-निषेध—

४४४. नव दीक्षित बाल एव तरुण निर्ग्रन्थ यदि आचारप्रकल्प (निशीथ आदि) का अध्ययन विस्मृत हो जाए तो उसे पूछना चाहिए कि—

“हे आर्य ! तुम किस कारण से आचार प्रकल्प अध्ययन को भूल गए हो क्या व्याधि से भूले हो या प्रमाद से ?”

यदि वह कहे कि—“व्याधि से नहीं अपितु प्रमाद से विस्मृत हुआ” तो उसे उक्त कारण से जीवन पर्यन्त आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है ।

यदि वह कहे कि—“व्याधि से विस्मृत हुआ हूँ प्रमाद से नहीं । अब मैं आचार प्रकल्प पुनः कण्ठस्थ कर लूँगा”—ऐसा कहकर कण्ठस्थ कर ले तो उसे आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक पद देना या धारण करना कल्पता है ।

यदि वह आचार प्रकल्प को पुनः कण्ठस्थ कर लेने का कह कर भी कण्ठस्थ न करे तो उसे आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है ।

स्थविरत्व प्राप्त स्थविर यदि आचार प्रकल्प अध्ययन विस्मृत हो जाये और पुनः कण्ठस्थ करे या न करे तो भी उन्हे आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक पद देना या धारण करना कल्पता है ।

येराण येरमुमिपत्ताण आयार-पक्कपे नाम अज्झयणे परि-
न्मट्टे निया कप्पइ तेसि मन्निमण्णाणं वा, संतुपट्टाणं वा,
उत्ताणयाण वा, पासिल्लियाण वा आयारपक्कपे नाम
अज्झयण दोच्चपि तच्चपि पड्डिपुच्छित्तए वा, पडिमारै-
त्तए वा ।^१ —वव उ ५, सु १७-१८

अवभमेवीणं पय-दाण विहि-णिमेहो—

४४५ भिक्षु य गणाओ अवकम्म मेहुण धम्म पडिसेवेज्जा, तिण्णि
सवच्छराणि तस्स तप्पत्तिय नो कप्पइ आयरियत्त वा-जाव-
गणावच्छेइयत्त वा उट्टिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

विहि संवच्छरेहि वोइयकतेहि चउत्तयगसि सवच्छरंसि पट्टि-
यसि ठियस्स उवसत्तस्स, उवरयस्स, पडिविरयस्स, निव्वि-
वारस्स एव मे कप्पइ आयरियत्त वा-जाव-गणावच्छेइयत्त
वा उट्टिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

गणावच्छेइए गणावच्छेइयत्त अनिक्खवित्ता मेहुणधम्म पट्टि-
सेवेज्जा, जावज्जीवाए तस्स तप्पत्तिय नो कप्पइ आयरियत्त
वा-जाव-गणावच्छेइयत्तं वा, उट्टिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

गणावच्छेइए गणावच्छेइयत्तं निक्खवित्ता मेहुणधम्म पट्टि-
सेवेज्जा, तिण्णि सवच्छराणि तस्स तप्पत्तिय नो कप्पइ
आयरियत्त वा-जाव-गणावच्छेइयत्त वा उट्टिसित्तए वा धारे-
त्तए वा ।

तिहि सवच्छरेहि वोइयकतेहि चउत्तयगसि संवच्छरंसि पट्टि-
यसि ठियस्स उवसत्तस्स, उवरयस्स पडिविरयस्स, निव्वि-
वारस्स एव से कप्पइ आयरियत्तं वा-जाव-गणावच्छेइयत्त वा
उट्टिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

आयरिय-उवज्जाए आयरिय-उवज्जायत्तं अनिक्खवित्ता
मेहुणधम्म पडिसेवेज्जा, जावज्जीवाए तस्स तप्पत्तिय नो
कप्पइ आयरियत्त वा-जाव-गणावच्छेइयत्तं वा उट्टिसित्तए
वा धारेत्तए वा ।

आयरिय-उवज्जाए आयरिय-उवज्जायत्तं निक्खवित्ता मेहुण-
धम्म पडिसेवेज्जा, तिण्णि संवच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो
कप्पइ आयरियत्तं वा-जाव-गणावच्छेइयत्तं वा उट्टिसित्तए
वा धारेत्तए वा ।

तिहि सवच्छरेहि वोइयकतेहि चउत्तयगसि संवच्छरंसि पट्टि-
यसि ठियस्स, उवसत्तस्स, उवरयस्स, पडिविरयस्स, निव्वि-
वारस्स, एव से कप्पइ आयरियत्तं वा-जाव-गणावच्छेइयत्तं
वा उट्टिसित्तए वा धारेत्तए वा । — वव. उ. ३, सु १३-१७

स्वविरत्व प्राप्त स्वविर यदि आचार प्रकल्प अध्ययन
विस्मृत हो जाये ता उन्हें बैठे हुए, शयन किये हुए, अर्धशयन
किये हुए या पार्श्वभाग से शयन किये हुए को भी पुनः आचार
प्रकल्प अध्ययन का दो-तीन वार पूछकर श्रवण करना और याद
करना कल्पता है ।

अन्नह्रासेवी को पद देने के विधि-निषेध—

४४५ यदि कोई भिक्षु गण को छोड़कर मैथुन—धर्म का प्रति-
सेवन करे तो उसे उक्त कारण से तीन वर्ष पयन्त आचार्य
—यावत्—गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं
कल्पता है ।

तीन वर्ष व्यतीत होने पर और चौथे वर्ष में प्रवेश करने पर
यदि वह वेदोदय से उपशान्त, मैथुन से निवृत्त, मैथुन सेवन से
ग्लानि प्राप्त और विषय-वामना रहित हो जाए तो उसे आचार्य
—यावत्—गणावच्छेदक पद देना या धारण करना कल्पता है ।

यदि कोई गणावच्छेदक अपना पद छोड़े विना मैथुन धर्म का
प्रतिसेवन करे तो उसे उक्त कारण से यावज्जीवन आचार्य—यावत्—
गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है ।

यदि कोई गणावच्छेदक अपना पद छोड़कर मैथुन धर्म का
प्रतिसेवन करे तो उसे उक्त कारण से तीन वर्ष पर्यन्त आचार्य
—यावत्—गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं
कल्पता है ।

तीन वर्ष व्यतीत होने पर और चौथे वर्ष में प्रवेश करने
पर यदि वह उपशान्त, उपरत, प्रतिविरत और निर्विकार हो
जाए तो उसे आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक पद देना या
धारण करना कल्पता है ।

यदि कोई आचार्य या उपाध्याय अपने पद को छोड़े विना
मैथुन धर्म का प्रतिसेवन करे तो उसे उक्त कारण से यावज्जीवन
आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं
कल्पता है ।

यदि कोई आचार्य या उपाध्याय अपने पद को छोड़कर
मैथुन धर्म का प्रतिसेवन करे तो उसे उक्त कारण से तीन वर्ष
पर्यन्त आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक पद देना या धारण
करना नहीं कल्पता है ।

तीन वर्ष व्यतीत होने पर और चौथे वर्ष में प्रवेश करने
पर यदि वह उपशान्त, उपरत, प्रतिविरत और निर्विकार हो
जाए तो उसे आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक पद देना या
धारण करना कल्पता है ।

१ अल्पान का दीक्षित नाथु स्वविर को आचार प्रकल्प अध्ययन का स्मरण कराए—इसकी "परिस्मरण" मज्ञा है और स्वविर
भाग स्मरण करने की "प्रतिच्छन" मज्ञा है ।

ओहावियाणं पद-दाण विहि-णित्सेहो—

४४६. भिक्षू य गणाओ अवक्कम्म ओहाएज्जा, तिण्णि संवच्छ-
राणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा-जाव- गणा-
वच्छेइयत्त वा उद्दिसित्ताए वा धारेत्ताए वा ।

तिहि संवच्छरेहि वीइक्कतेहि चउत्थगसि संवच्छरंसि पट्टि-
यसि ठियस्स उवसतस्स, उवरयस्स, पडिविरयस्स, निव्वि-
गारस्स एव से कप्पइ आयरियत्तं वा जाव-गणावच्छेइयत्तं
वा उद्दिसित्ताए वा धारेत्ताए वा ।

गणावच्छेइए गणावच्छेइयत्त अनिक्खवित्ता ओहाएज्जा,
जावज्जीवाए तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा-जाव-
गणावच्छेइयत्त वा उद्दिसित्ताए वा धारेत्ताए वा ।

गणावच्छेइए गणावच्छेइयत्त निक्खवित्ता ओहाएज्जा,
तिण्णि संवच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं
वा-जाव-गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्ताए वा धारेत्ताए वा ।

तिहि संवच्छरेहि वीइक्कतेहि, चउत्थगसि संवच्छरंसि पट्टि-
यसि ठियस्स, उवसतस्स, उवरयस्स, पडिविरयस्स, निव्वि-
गारस्स एव से कप्पइ आयरियत्तं वा-जाव-गणावच्छेइयत्तं
वा उद्दिसित्ताए वा धारेत्ताए वा ।

आयरिय-उवज्जाए आयरिय-उवज्जायत्तं अनिक्खवित्ता
ओहाएज्जा, जावज्जीवाए तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आय-
रियत्तं वा-जाव-गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्ताए वा धारेत्ताए
वा ।

आयरिय-उवज्जाए आयरिय-उवज्जायत्तं निक्खवित्ता ओहा-
एज्जा, तिण्णि संवच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आय-
रियत्तं वा-जाव-गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्ताए वा धारेत्ताए
वा ।

तिहि संवच्छरेहि वीइक्कतेहि चउत्थगसि संवच्छरंसि पट्टि-
यसि ठियस्स, उवसतस्स, उवरयस्स, पडिविरयस्स, निव्वि-
गारस्स एवं से कप्पइ आयरियत्तं वा-जाव-गणावच्छेइयत्तं
वा उद्दिसित्ताए वा धारेत्ताए वा । —वव. उ ३, सु १८-२२

उवज्जाय पद-दाण विहि-णित्सेहो—

४४७. तिवासपरियाए समणे निग्गथे —

आयारकुसले, सजमकुसले, पवयणकुसले, पण्णत्तिकुसले,
संगहकुसले, उवग्गहकुसले, अक्खयायारे, अभिन्नायारे,
असवलायारे, असकिलिद्धायारे, बहुस्सुए वच्चागमे, जहण्णेणं
आयारपक्क-धरे, कप्पइ उवज्जायत्ताए उद्दिसित्ताए ।

संयम त्याग कर जाने वालो को पद देने का विधि-निषेध—

४४६ यदि कोई भिक्षु गण व संयम का परित्याग कर वेष को
छोडकर चला जावे और बाद में पुन दीक्षित हो जाए तो उसे
उक्त कारण से तीन वर्ष पर्यन्त आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक
पद दे । या धारण करना नहीं कल्पता है ।

तीन वर्ष व्यतीत होने पर और चौथे वर्ष में प्रवेश करने पर
यदि वह उपशान्त, उपरत, प्रतिविरत और निर्विकार हो जाए
तो उसे आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक पद देना या धारण
करना कल्पता है ।

यदि कोई गणावच्छेदक अपना पद छोडे बिना संयम का
परित्याग कर चला जावे और बाद में पुन दीक्षित हो जाये तो
उसे उक्त कारण से यावज्जीवन आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक
पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है ।

यदि कोई गणावच्छेदक अपना पद छोडकर तथा संयम का
परित्याग कर चला जावे और बाद में पुन दीक्षित हो जाए तो
उसे उक्त कारण से तीन वर्ष पर्यन्त आचार्य—यावत्—गणाव-
च्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है ।

तीन वर्ष व्यतीत होने पर और चौथे वर्ष में प्रवेश करने पर
यदि वह उपशान्त, उपरत, प्रतिविरत और निर्विकार हो जाए
तो उसे आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक पद देना या धारण
करना कल्पता है ।

यदि कोई आचार्य या उपाध्याय अपना पद छोडे बिना
संयम का परित्याग कर चला जावे और बाद में पुन दीक्षित हो
जाए तो उसे उक्त कारण से यावज्जीवन आचार्य—यावत्—
गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है ।

यदि कोई आचार्य या उपाध्याय अपना पद छोडकर तथा
संयम का परित्याग कर चला जावे और बाद में पुन दीक्षित हो
जाए तो उसे उक्त कारण से तीन वर्ष पर्यन्त आचार्य—यावत्—
गणावच्छेदक पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है ।

तीन वर्ष व्यतीत होने पर और चौथे वर्ष में प्रवेश करने पर
यदि वह उपशान्त, उपरत, प्रतिविरत और निर्विकार हो जाए
तो उसे आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक पद देना या धारण
करना कल्पता है ।

उपाध्याय पद देने के विधि-निषेध—

४४७ तीन वर्ष की दीक्षा पर्याय वाला श्रमण निर्ग्रन्थ—

यदि आचार, संयम प्रवचन, प्रज्ञप्ति, संग्रह और उपग्रह
करने में कुशल हो तथा अक्षत, अभिन्न, अगवल और असक्लिष्ट
आचार वाला हो, बहुश्रुत एवं बहु आगमज्ञ हो और जघन्य
आचार प्रकल्पधर हो तो उसे उपाध्याय पद देना कल्पता है ।

मच्छेव ष ते त्रिवास परियाए नमणे निगंयं—नो आपार-
गुमले, नो मजमकुमले, नो पवणकुसले, नो पणत्तिकुसले,
नो मंगहपुमने, नो उवग्गहकुसले, खयायारे, भिन्नायारे,
मबलायारे, सविल्लाट्टयारे, अप्पमुए, अप्पागने नो कप्पइ
उवग्गायत्ताए उट्ठित्ताए । —वव. उ ३, सु. ३-४

अणवट्टप्प-पारचिय-भियवुस्स उवट्टावणा—

४४८. अणवट्टप्प भियवु अगिहिभूयं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स
उवट्टावित्तए ।

अणवट्टप्प भियवु गिहिभूय कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स
उवट्टावित्तए ।

पारचियं भियवु अगिहिभूयं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स
उवट्टावित्तए ।

पारचिय भियवु गिहिभूय कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स
उवट्टावित्तए ।

अणवट्टप्प भियवु पारचिय वा । भियवु अगिहिभूयं वा गिहि-
भूय वा, कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स उवट्टावित्तए, जहा तस्स
गणस्स पत्तिय तिया । —वव उ २, सु १८-२२

आयरिय अणिम्साए विहरण णित्सेहो—

४४९ निग्गयस्स णं नव-उहर-तरणस्स आयरिय-उवज्जाए वीम-
भेज्जा । नो से कप्पइ अणायरिय-उवज्जाइए होत्तए ।

कप्पइ से पुच्च आयरियं उट्ठिसावेत्ता तओ पच्छा उयज्जाय ।

प०—मे किमाहु भते ?

उ०—दु-सगहिए समणे निग्गये, त जहा—

१ आयरिएण, २ उवज्जाएण य ।

—वव उ ३, सु ११

गणधारण अरिहा अणगारा—

४५० छहि ठाणेहि नपण्णे अणगारे अरिहति गणं धारित्तए,
त जहा—

१ मड्ढी पुरिसजाते, २ सच्चे पुरिसजाते,
३ मेहावी पुरिगजाते, ४ बट्टस्सुते पुरिसजाते,
५ सत्तिम ६ अप्पाधिकरणे,

—ठाण. अ ६, सु ४७५

गणधारण विहि-णिमेहो—

४५१ भियवु य इच्छेज्जा गण धारेत्तए, भग्गय च से अपत्तिहन्ने
एय से नो कप्पइ गणं धारित्तए ।

वह (तीन वर्ष की दीक्षा पर्याय वाला श्रमण निर्ग्रन्थ) यदि
आचार, मयम, प्रवचन, प्रज्ञप्ति, सग्रह और उपग्रह में कुशल न
हो तथा धत, भिन्न, शबल और सक्किण्ट आचार वाला हो,
अल्पश्रुत एव अल्प आगमज्ञ हो तो उसे उपाध्याय पद देना
नहीं कल्पता है ।

अनवस्थाप्य और पाराचिक भिक्षु की उपस्थापना—

४४८ अनवस्थाप्य नामक नौवें प्रायश्चित्त के पात्र भिक्षु को
गृहस्थ वेप धारण कराए बिना पुन समय में उपस्थापन करना
गणावच्छेदक को नहीं कल्पता है ।

अनवस्थाप्य भिक्षु को गृहस्थ वेप धारण कराके पुन समय
में उपस्थापन करना गणावच्छेदक को कल्पता है ।

पारचित नामक दशवें प्रायश्चित्त के पात्र भिक्षु को गृहस्थ
वेप धारण कराए बिना पुन समय में उपस्थापन करना गणा-
वच्छेदक को नहीं कल्पता है ।

पारचित भिक्षु को गृहस्थ वेप धारण कराके पुन समय में
उपस्थापन करना गणावच्छेदक को कल्पता है ।

अनवस्थाप्य भिक्षु को और पारचित भिक्षु को (परिस्थिति-
वज) गृहस्थ का वेप धारण कराके या गृहस्थ का वेप धारण
कराए बिना ही पुन समय में उपस्थापित करना गणावच्छेदक
को कल्पता है जिससे कि गण का हित मभव हो ।

आचार्य के नेतृत्व के बिना विचरने का निषेध—

४४९ नवदीक्षित, बालक या तरुण निर्ग्रन्थ के आचार्य और
उपाध्याय की मृत्यु हो जावे तो उगे आचार्य और उपाध्याय के
बिना रहना नहीं कल्पता है ।

उसे पहले आचार्य की और बाद में उपाध्याय की निश्रा
अधीनता म्वीनार करके ही रहना चाहिये ।

प्र०—हे भगवन् ! ऐसा कहने का क्या कारण है ?

उ०—श्रमण निर्ग्रन्थ दो के नेतृत्व में ही रहते हैं—

यथा—(१) आचार्य (२) उपाध्याय ।

गणधारण करने योग्य अणगार—

४५०. छह स्वानों से सम्पन्न अणगार गण को धारण करने में
ममथं होता है, यथा—

(१) श्रद्धाशील पुरुष, (२) मत्त्ववादी पुरुष,
(३) मेधावी पुरुष, (४) बहुश्रुत पुरुष,
(५) जक्तिसाली पुरुष, (६) कनहरहित पुरुष ।

गणधारण करने का विधि-निषेध—

४५१. यदि कोई भिक्षु गण को धारण करना (अग्रणी होना)
चाहे और वह तूत्र जान आदि योग्यता में रहित हो तो उसे
गणधारणा करना नहीं मयना है ।

भगव च से पलिच्छने,
 एवं से कप्पइ गण धारेत्तए,
 भिक्खू य इच्छेज्जा गण धारेत्तए, नो से कप्पइ थेरे अणापु-
 च्छित्ता गणं धारेत्तए ।
 कप्पइ से थेरे आपुच्छित्ता गणं धारेत्तए ।
 थेरा य से वियरेज्जा, एवं से कप्पइ गण धारेत्तए ।

थेरा य नो वियरेज्जा, एवं से नो कप्पइ गणं धारेत्तए ।

जं ण थेरेहं अविइण्ण गण धारेज्जा से सन्तरा छेए वा
 परिहारे वा ।
 जे साहम्मिया उट्ठाए विहरति, नत्थि णं तेसि केइ छेए वा
 परिहारे वा । —वव. उ. ३, सु १-२

गणं पमुहस्स कालगए समाणे भिक्खुस्स किच्चाइं—

४५२ गामानुगामं दूइज्जमाणे भिक्खू ज पुरओ कट्टु विहरइ, से
 य आहच्च वीसंभेज्जा, अत्थि य इत्थि अन्ने केइ उवसपज्ज-
 णारिहे से उवसपज्जियव्वे ।
 नत्थि य इत्थि अन्ने केइ उवसपज्जणारिहे तस्स अप्पणो
 कप्पाए असमत्ते कप्पइ से एगराइयाए पडिमाए जण्णं जण्णं
 दिसं अन्ने साहम्मिया विहरति त ण त णं दिस उवलित्तए ।

नो से कप्पइ तत्थि विहारवत्थियं वत्थए ।

कप्पइ से तत्थि कारणवत्थियं वत्थए ।

तसि च ण कारणसि निट्ठियसि परो वएज्जा—

“वसाहि अज्जो ! एगराय वा दुरायं वा” एवं से कप्पइ
 एगराय वा दुराय वा वत्थए । नो से कप्पइ परं एगरायाओ
 वा दुरायाओ वा वत्थए । जे तत्थि एगरायाओ वा दुरायाओ
 वा परं वसइ से सतरा छेए वा परिहारे वा ।

वासावासं पज्जोसविओ भिक्खू य जं पुरओ कट्टु विहरइ
 से य आहच्च वीसंभेज्जा अत्थि य इत्थि अन्ने केइ उवसप-
 ज्जणारिहे से उवसपज्जियव्वे ।

नत्थि य इत्थि अन्ने केइ उवसपज्जणारिहे तस्स अप्पणो
 कप्पाए असमत्ते कप्पइ से एगराइयाए पडिमाए जण्णं जण्णं
 दिसं अन्ने साहम्मिया विहरति तं णं तं ण दिस उवलित्तए ।

नो से कप्पइ तत्थि विहारवत्थियं वत्थए ।

कप्पइ से तत्थि कारणवत्थियं वत्थए ।

तसि च णं कारणसि निट्ठियसि परो वएज्जा—

यदि वह भिक्षु सूत्र ज्ञान आदि योग्यता से युक्त हो तो उसे
 गणधारण करना कल्पता है ।

यदि योग्य भिक्षु गणधारण करना चाहे तो उसे स्थविरो को
 पूछे बिना गणधारण करना करना नहीं कल्पता है ।

स्थविरो को पूछ करके ही गणधारण करना कल्पता है ।

यदि स्थविर अनुज्ञा प्रदान करें तो गणधारण करना
 कल्पता है ।

यदि स्थविर अनुज्ञा प्रदान न करें तो गणधारण करना
 नहीं कल्पता है ।

यदि स्थविरो की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना ही गणधारण
 करता है तो वह उक्त कारण से दीक्षा छेद या परिहार प्रायश्चित्त
 का पात्र होता है, किन्तु उसके साथ जो साधर्मिक साधु विचरते
 हैं वे दीक्षा छेद या परिहार प्रायश्चित्त के पात्र नहीं होते हैं ।

अग्रणी के काल करने पर भिक्षु का कर्तव्य —

४५२ ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ भिक्षु जिन को अग्रणी
 मानकर विहार कर रहा हो उनके कालधर्म प्राप्त होने पर शेष
 भिक्षुओं में जो भिक्षु योग्य हो उसे अग्रणी बनाना चाहिए ।

यदि अन्य कोई भिक्षु अग्रणी होने योग्य न हो और स्वयं ने
 भी आचार प्रकल्प का अध्ययन पूर्ण न किया हो तो उसे मार्ग में
 विश्राम के लिए एक एक रात्रि ठहरते हुए जिस दिशा में अन्य
 स्वधर्मी विचरते हो उस दिशा में जाना कल्पता है ।

मार्ग में उसे विचरने के लक्ष्य से ठहरना नहीं कल्पता है ।

यदि रोगादि का कारण हो तो अधिक ठहरना कल्पता है ।

रोगादि के समाप्त होने पर यदि कोई कहे कि—

“हे आर्य ! एक या दो रात और ठहरो” तो उसे एक या
 दो रात ठहरना कल्पता है किन्तु एक या दो रात से अधिक
 ठहरना नहीं कल्पता है । जो भिक्षु वहाँ (कारण समाप्त होने के
 बाद) एक या दो रात से अधिक ठहरता है वह मर्यादा उल्लंघन
 के कारण दीक्षा छेद या परिहार प्रायश्चित्त का पात्र होता है ।

वर्षावास में रहा हुआ भिक्षु जिन को अग्रणी मानकर रह
 रहा हो उनके कालधर्म प्राप्त होने पर शेष भिक्षुओं में जो
 भिक्षु योग्य हो उसे अग्रणी बनाना चाहिए ।

यदि अन्य कोई भिक्षु अग्रणी होने योग्य न हो और स्वयं ने
 भी निशीथ आदि का अध्ययन पूर्ण न किया हो तो उसे मार्ग में
 विश्राम के लिये एक एक रात्रि ठहरते हुए जिस दिशा में अन्य
 स्वधर्मी विचरते हो उस दिशा में जाना कल्पता है ।

मार्ग में उसे विचरने के लक्ष्य से ठहरना नहीं कल्पता है ।

यदि रोगादि का कारण हो तो अधिक ठहरना कल्पता है ।

रोगादि के समाप्त होने पर यदि कोई कहे कि—

“वमाहि अज्जो ! एगरामं वा दुराय वा” एष से कप्पइ एगराय वा दुरायं वा वत्तए । नो से कप्पइ पर एगरायामो वा दुरायामो वा वत्तए ।
जे तत्त एगरायामो वा दुरायामो वा परं वसइ, से सतरा छेए वा परिहारे वा ।

—वव उ ४, सु. ११-१२

“हे आर्य ! एक या दो रात और ठहरो” तो उसे एक या दो रात और ठहरना कल्पता है । किन्तु एक या दो रात से अधिक ठहरना नहीं कल्पता है । जो भिक्षु एक या दो रात से अधिक ठहरता है वह मर्यादा उल्लघन के कारण दीक्षा छेद या परिहार प्रायश्चित्त का पात्र होता है ।



निर्ग्रन्थी पद व्यवस्था—४

गिलाण पवत्तिणिणा पद-दाण णिहेसो—

४५३ पवत्तिणी य गिलायमाणी अन्नयर वएज्जा—“मए ण अज्जे ! कालगयाए समाणीए इयं समुक्कसियच्चा ।”

सा य समुक्कसिणारिहा समुक्कसियच्चा ।

सा य नो समुक्कसिणारिहा नो समुक्कसियच्चा ।

अत्तिय य इत्तय अन्ना काइ समुक्कसिणारिहा वा समुक्कसियच्चा ।

नत्तिय या इत्तय अन्ना काइ समुक्कसिणारिहा सा चेव समुक्कसियच्चा ।

ताए घ णं समुक्कट्ठाए परा वएज्जा—“दुस्समुक्कट्ठ ते अज्जे ! निखिलवाहि” ताए ण निखिलवमाणाए नत्तिय केइ छेए वा परिहारे वा ।

जाओ साहम्मिणीओ अहाक्प नो उट्ठाए विहरति सव्वासि तासि तप्पत्तियं छेए वा परिहारे वा ।

—वव उ. ५, सु १३

ओहायमाणी पवत्तिणिणा पद-दाण निहेसो—

४५४. पवत्तिणीय ओहायमाणी अन्नयर वएज्जा—“मए ण अज्जे ! ओहायियाए समाणीए इयं समुक्कसियच्चा ।”

ग्लान प्रवर्तिनी के द्वारा पद देने का निर्देश—

४५३ रुग्णा प्रवर्तिनी किसी प्रमुख माध्वी से कहे कि—“हे आर्य ! मेरे कालगत होने पर अमुक साध्वी को मेरे पद पर स्थापित करना ।”

यदि प्रवर्तिनी-निदिष्ट वह साध्वी उस पद पर स्थापन करने योग्य हो तो उसे उस पद पर स्थापित करना चाहिए ।

यदि वह उस पद पर स्थापन करने योग्य न हो तो उसे स्थापित नहीं करना चाहिए ।

यदि समुदाय में अन्य कोई साध्वी उस पद के योग्य हो तो उसे स्थापित करना चाहिए ।

यदि समुदाय में अन्य कोई भी माध्वी उस पद के योग्य न हो तो प्रवर्तिनी-निदिष्ट साध्वी को ही उम पद पर स्थापित करना चाहिए ।

उम को उम पद पर स्थापित करने के बाद कोई गीतार्थ साध्वी कहे कि—“हे आर्य ! तुम इम पद के अयोग्य हो अन इम पद को छोड दो ।” (ऐसा कहने पर) यदि वह उस पद को छोड दे तो वह दीक्षा छेद या परिहार प्रायश्चित्त की पात्र नहीं होती है ।

जो स्वर्धमिणी साध्वियाँ कल्प के अनुसार उसे प्रवर्तिनी आदि पद छोडने के लिए न कहें तो वे सभी स्वर्धमिणी साध्वियाँ उक्त कारण से दीक्षा छेद या परिहार प्रायश्चित्त की पात्र होती हैं ।

सयम परित्याग करने वाली प्रवर्तिनी द्वारा पद देने का निर्देश—

४५४ सयम परित्याग कर जाने वाली प्रवर्तिनी किसी प्रमुख माध्वी से कहे कि “हे आर्य ! मेरे चने जाने पर अमुक माध्वी को मेरे पद पर स्थापित करना ।”

सा य समुक्कसिणारिहा समुक्कसियव्वा,

सा य नो समुक्कसिणारिहा सो समुक्कसियव्वा ।

अत्थि य इत्थ अग्ना काइ समुक्कसिणारिहा सा समुक्क-
सियव्वा ।

नत्थि य इत्थ अग्ना काइ समुक्कसिणारिहा सा चेव
समुक्कसियव्वा ।

ताए य णं समुक्कट्ठाए परा वएज्जा—“दुस्समुक्कट्ठं ते
अज्जे ! निक्खिवाहि ।” ताए ण निक्खिवाणाए नत्थि केइ
छेए वा परिहारे वा ।

जाओ साहम्मिणीओ अहाकप्पं नो उट्ठाए विहरंति सव्वासि
तासि तप्पत्तियं छेए वा परिहारे वा ।

—वव. उ. ५, सु. १४

णिगंथीए आयरिय-उवज्जाय पदारिह निगंथ—

४५५ तिवासपरियाए समणे निगंथे तीस वासपरियाए समणीए
निगंथीए कप्पइ उवज्जायत्ताए उद्दिसित्तए ।

पचवासपरियाए समणे निगंथे सट्ठिवासपरियाए समणीए
निगंथीए कप्पइ आयरिय-उवज्जायत्ताए उद्दिसित्तए ।

—वव. उ. ७, सु. १६-२०

आयार-पकप्प-पवभट्ठाए णिगंथीए पद-दाणं विहि-णिसेहो—

४५६. निगंथीए-नव-डहर-तरुणाए आयार-पकप्पे नाम अज्जयणे
परिबभट्ठे सिया, सा य पुच्छियव्वा—

“केण भे कारणेण अज्जे ! आयार-पकप्पे नाम अज्जयणे
परिबभट्ठे ? किं आवाहेणं उदाहु पमाएणं ?”

सा य वएज्जा “नो आवाहेण, पमाएण” जावज्जीव तीसे
तप्पत्तियं नो कप्पइ पवत्तिणित्तं वा गणावच्छेइणित्तं वा
उद्दिसित्तए वा, धारेत्तए वा ।

सा य वएज्जा—“आवाहेणं, नो पमाएण” —सा य
“सठवेस्सामि” त्ति सठवेज्जा एवं से कप्पइ पवत्तिणित्तं वा
गणावच्छेइणित्तं वा उद्दिसित्तए वा, धारेत्तए वा ।

यदि वह साध्वी उस पद पर स्थापन करने योग्य हो तो उसे
उस पद पर स्थापित करना चाहिए ।

यदि वह उस पद पर स्थापित करने योग्य न हो तो उसे
स्थापित नहीं करना चाहिए ।

यदि समुदाय में अन्य कोई साध्वी उस पद के योग्य हो तो
उसे स्थापित करना चाहिए ।

यदि समुदाय में अन्य कोई भी साध्वी उस पद के योग्य न
हो तो प्रवर्तिनी-निर्दिष्ट साध्वी को ही उस पद पर स्थापित
करना चाहिए ।

उस को उस पद पर स्थापित करने के बाद कोई गीतार्थ
साध्वी कहे कि—“हे आर्ये ! तुम इस पद के अयोग्य हो अतः
इस पद को छोड़ दो” (ऐसा कहने पर) यदि वह उम पद को
छोड़ दे तो वह दीक्षा-छेद या परिहार प्रायश्चित्त की पात्र नहीं
होती है ।

जो स्वधर्मिणी साध्वियाँ कल्प के अनुसार उसे प्रवर्तिनी
आदि पद छोड़ने के लिए न कहे तो वे सभी स्वधर्मिणी साध्वियाँ
उक्त कारण से दीक्षा-छेद या परिहार प्रायश्चित्त की पात्र
होती हैं ।

निर्ग्रन्थी के लिए आचार्य उपाध्याय पद योग्य निर्ग्रन्थ—

४५५. तीस वर्ष की श्रमण पर्याय वाली निर्ग्रन्थियो को उपाध्याय
के रूप में तीन वर्ष के श्रमण पर्याय वाले निर्ग्रन्थ को स्वीकार
करना कल्पता है ।

साठ वर्ष की श्रमण पर्याय वाली निर्ग्रन्थिनी को आचार्य या
उपाध्याय के रूप में पाँच वर्ष के श्रमण पर्याय वाले निर्ग्रन्थ को
स्वीकार करना कल्पता है ।

आचार प्रकल्प विस्मृत निर्ग्रन्थी को पद देने का विधि-
निषेध—

४५६. नवदीक्षित, बाल एवं तरुण निर्ग्रन्थी यदि आचार प्रकल्प
अध्ययन विस्मृत हो जाये तो उसे पूछना चाहिए कि—

“हे आर्ये ! तुम किस कारण से आचारप्रकल्प अध्ययन भूल
गई हो ? क्या व्याधि से भूली हो या प्रमाद से ?”

यदि वह कहे कि मैं व्याधि से नहीं अपितु प्रमाद से विस्मृत
हुई हूँ — तो उसे उक्त कारण से जीवन पर्यन्त प्रवर्तिनी या गणा-
वच्छेदिनी पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है ।

यदि वह कहे कि—“व्याधि से विस्मृत हुई हूँ, प्रमाद से
नहीं अब मैं पुनः आचारप्रकल्प को कण्ठस्थ कर लूंगी”—ऐसा
कहकर कण्ठस्थ करले तो उसे प्रवर्तिनी या गणावच्छेदिनी पद
देना या धारण करना कल्पता है ।

मा य "सठवेम्मामि" त्ति नो संठवेज्जा, एव मे नो कप्पइ पवत्तिपित्त वा गणावच्छेदित्त वा—उद्वित्तिए वा धारेत्तए वा ।
—वव उ. ५, सु. १६

आयरियाइ अणिस्माए णिग्गंथीए विहार णिसेहो—

४५७. निग्गथीए ण नव-ठहर-त्तणीए आयरिय-उवज्जाए, पव-त्तिणी य वीसभेज्जा नो से कप्पइ अणायरिय-उवज्जाइयाए अपवत्तिणियाए होत्तए ।

कप्पइ से पुध्वं आयरिय उद्विसावेत्ता तओ उवज्जायं तओ पच्छा पवत्तिणि ।

प०—से किमाहु भते ?

उ०—त्ति—सगहिया समणी निग्गथी, त जहा—

१ आयरिएण, २ उवज्जाएण, ३. पवत्तिणीए य ।

—वव उ ३, सु १२

गण पमुहाए कालगयाए समाणीए णिग्गथीए किच्चाइ—

४५८. गामानुगाम द्दइज्जमाणी णिग्गथी य जं पुरओ काउं विहरइ, सा य आहृच्च वीसभेज्जा अतिय य इत्य काइ अन्ना उवसपज्जणारिहा सा उवसपज्जियव्वा ।

नत्तिय य इत्य काइ अन्ना उवसपज्जणारिहा तीसे य अप्पणो कप्पाए असमत्ते एव से कप्पइ एगराइयाए पडिमाए जण्ण जण्णं दिस अन्नाओ साहम्मिणीओ विहरत्ति तण्ण तण्णं दिस उवत्तित्तए ।

नो से कप्पइ तत्तय विहारवत्तिय वत्तए ।

कप्पइ से तत्तय कारणवत्तियं वत्तए ।

तसि च ण कारणत्ति निद्वियसि परो वएज्जा—

“यसाहि अज्जे ! एगराय वा वुराय वा” एव से कप्पइ एगराय वा वुरायं वा वत्तए । नो से कप्पइ पर एगरायाओ वा वुरायाओ वा वत्तए । जा तत्तय एगरायाओ वा वुरायाओ वा पर वसइ मा सन्तरा छेए वा परिहारे वा ।

वासायास पज्जोसचिया निग्गथी य ज पुरओ काउ विहरइ, सा आहृच्च वीसभेज्जा, अतिय य इत्य काइ अन्ना उपसंप-ज्जणारिहा सा उपसंपज्जियव्वा ।

नत्तिय य इत्य काइ अन्ना उपसंपज्जणारिहा तीसे य अप्पणो कप्पाए असमत्ते एव से कप्पइ एगराइयाए पडिमाए जण्ण जण्णं दिस अन्नाओ साहम्मिणीओ विहरत्ति तण्णं तण्णं दिस उवत्तित्तए ।

नो मे कप्पइ तत्तय विहारवत्तियं वत्तए ।

कप्पइ से तत्तय कारणवत्तियं वत्तए ।

यदि वह आचारप्रकल्प को पुन कण्ठम्य कर लेने का कह कर भी कण्ठम्य न करे तो उसे प्रवर्तिनी या गणावच्छेदिनी पद देना या धारण करना नहीं कल्पता है ।

आचार्यादि के नेतृत्व के बिना निर्ग्रन्थी के रहने का निषेध—

४५७. नवदीक्षिता, वालिका या तक्षणी निर्ग्रन्थी के आचार्य, उपाध्याय और प्रवर्तिनी की यदि मृत्यु हो जावे तो उसे आचार्य उपाध्याय और प्रवर्तिनी के बिना रहना नहीं कल्पता है ।

उसे पहले आचार्य की, बाद में उपाध्याय की और बाद में प्रवर्तिनी की निश्चा आधीनता स्वीकार करके ही रहना चाहिये ।

प्र०—हे भगवन् ! ऐसा रहने का क्या कारण है ?

उ०—श्रमणी निर्ग्रन्थी तीन के नेतृत्व में ही रहती है । यथा—(१) आचार्य, (२) उपाध्याय, (३) प्रवर्तिनी ।

अग्रणी साध्वी के काल करने पर साध्वी का कर्तव्य—

४५८. ग्रामानुग्राम विहार करती हुई साध्वियाँ जिस को अग्रणी मानकर विहार कर रही हो उनके कालधर्म प्राप्त होने पर शेष साध्वियों में जो साध्वी योग्य हो उसे अग्रणी बनाना चाहिए ।

यदि अन्य कोई साध्वी अग्रणी होने योग्य न हो और स्वयं ने भी निष्ठीय आदि का अध्ययन पूर्ण न किया हो तो उसे मार्ग में एक-एक रात्रि ठहरते हुए जिस दिशा में अन्य साध्विणी साध्वियाँ विचरती हो उस दिशा में जाना कल्पता है ।

मार्ग में उसे विचरने के लक्ष्य से ठहरना नहीं कल्पता है ।

यदि रोगादि का कारण हो तो ठहरना कल्पता है ।

रोगादि के समाप्त होने पर यदि कोई कहे कि—

“हे आर्ये ! एक या दो रात और ठहरो” तो उन्हें एक या दो रात और ठहरना कल्पता है । किन्तु एक या दो रात से अधिक ठहरना नहीं कल्पता है जो साध्वी एक या दो रात से अधिक ठहरती है वह मर्यादा उल्लंघन के कारण दीक्षा-छेद या परिहार प्रायश्चित्त की पात्र होती है ।

वर्षावास में रही हुई साध्वियाँ जिसको अग्रणी मानकर रह रही हो उनके कालधर्म प्राप्त होने पर शेष साध्वियों में जो साध्वी योग्य हो उसे अग्रणी बनाना चाहिए ।

यदि अन्य कोई साध्वी अग्रणी होने योग्य न हो और स्वयं ने भी आचारप्रकल्प या अध्ययन पूर्ण न किया हो तो उसे मार्ग में एक-एक रात्रि ठहरते हुए जिस दिशा में अन्य साध्विणी साध्वियाँ विचरती हो उस दिशा में जाना कल्पता है ।

मार्ग में उसे विचरने के लक्ष्य में ठहरना नहीं कल्पता है ।

यदि रोगादि का कारण हो तो ठहरना कल्पता है ।

तसि च ण कारणंसि निद्वियंसि परो बएज्जा—“बसाहि अज्जे ! एगराय वा दुरायं वा”, एवं से कप्पइ एगरायं वा दुराय वा वत्थए । नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए । जा तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वसइ सासतरा छेए वा परिहारे वा ।

—व. अ. ५, सु. ११-१२

रोगादि के समाप्त होने पर यदि कोई कहे कि—
‘हे आर्ये ! एक या दो रात और ठहरो तो उसे एक या दो रात और ठहरना कल्पता है । किन्तु एक या दो रात से अधिक ठहरना नहीं कल्पता है । जो साध्वी एक या दो रात से अधिक ठहरती है वह मर्यादा उल्लंघन के कारण दीक्षा-छेद या परिहार प्रायश्चित्त की पात्र होती है ।



विनय-व्यवहार—५

पव्वज्जा परियायाणुक्कमेण वदणा विहाणो—

४५६. कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा—अहारायणियाए किइकम्मं करेत्तए । —कप्प. उ. ३, मु. २०

सेहत्स राइणियस्स थ ववहारा—

४६०. दो साहम्मिया एगयओ विहरति, तं जहा—सेहे थ, राइणिए थ ।

तत्थ सेहतराए पलिच्छन्ने, राइणिए अपलिच्छन्ने ।

सेहतराएण राइणिए उवसपज्जियध्वे, भिक्खोववाय च दलयइ कप्पागं ।

दो साहम्मिया एगयओ विहरति, तं जहा—सेहे थ, राइणिए थ ।

तत्थ राइणिए पलिच्छन्ने, सेहतराए अपलिच्छन्ने ।

इच्छा राइणिए सेहतरागं उवसपज्जेज्जा, इच्छा नो उवसपज्जेज्जा, इच्छा भिक्खोववायं दलेज्जा कप्पागं, इच्छा नो दलेज्जा कप्पागं । —व. उ. ४, सु. २४-२५

राइणियं उवसंपज्जित्ता विहार विहाणं—

४६१. दो भिक्खुणो एगयओ विहरति, नो ण कप्पइ अन्नमन्न उवसंपज्जित्ताण विहरित्तए,
कप्पइ णं अहाराइणियाए अन्नमन्नं उवसपज्जित्ताण विहरित्तए ।

प्रब्रज्या पर्याय के अनुक्रम से वन्दना का विधान—

४५६. निर्ग्रन्थो और निर्ग्रन्थियो को चारित्र पर्याय के क्रम से वन्दन करना कल्पता है ।

शौक्ष और रत्नाधिक का व्यवहार—

४६०. दो साधर्मिक भिक्षु एक साथ विचरते हो यथा—अल्प दीक्षा पर्याय वाला और अधिक दीक्षा पर्याय वाला ।

उनमे यदि अल्प दीक्षा पर्याय वाला श्रुत सम्पन्न तथा शिष्य सम्पन्न हो और अधिक दीक्षा पर्याय वाला श्रुत सम्पन्न तथा शिष्य सम्पन्न न हो ।

फिर भी अल्प दीक्षा पर्याय वाले को अधिक दीक्षा पर्याय वाले की विनय वैयावृत्य करना, आहार लाकर देना, समीप में रहना और अलग विचरने के लिए शिष्य देना आदि कर्तव्य पालन करना चाहिये ।

दो साधर्मिक भिक्षु एक साथ विचरते हो, यथा—अल्प दीक्षा पर्याय वाला और अधिक दीक्षा पर्याय वाला ।

उनमे यदि अधिक दीक्षा पर्याय वाला श्रुत सम्पन्न तथा शिष्य सम्पन्न हो और अल्प दीक्षा पर्याय वाला श्रुत सम्पन्न तथा शिष्य सम्पन्न न हो ।

तो अधिक दीक्षा पर्याय वाला इच्छा हो तो अल्प दीक्षा पर्याय वाले की वैयावृत्य करे इच्छा न हो तो न करे । इच्छा हो तो आहार लाकर दे इच्छा न हो तो न दे । इच्छा हो तो समीप में रखे इच्छा न हो तो न रखे । इच्छा हो तो अलग विचरने के लिये शिष्य दे इच्छा न हो तो न दे ।

रत्नाधिक को अग्रणी मानकर विचरने का विधान—

४६१. दो भिक्षु एक साथ विचरते हो तो उन्हें परस्पर एक दूसरे को समान स्वीकार कर साथ में विचरना नहीं कल्पता है, किन्तु रत्नाधिक को अग्रणी स्वीकार कर साथ विचरना कल्पता है ।

दो गणावच्छेदया एग्यओ विहरति, नो णं कप्पइ अन्नमन्नं उवसंपज्जित्ताण विहरित्तए।

कप्पइ ण अहाराइणियाए अन्नमन्न उवसंपज्जित्ताण विहरित्तए।

दो आयरिय-उवज्झाया एग्यओ विहरति, नो णं कप्पइ अन्नमन्नं उवसंपज्जित्ताण विहरित्तए।

कप्पइ णं अहाराइणियाए अन्नमन्नं उवसंपज्जित्ताण विहरित्तए।

वह्वे भिक्षुणो एग्यओ विहरति, नो णं कप्पइ अन्नमन्नं उवसंपज्जित्ताण विहरित्तए।

कप्पइ णं अहाराइणियाए अन्नमन्नं उवसंपज्जित्ताण विहरित्तए।

वह्वे गणावच्छेदया एग्यओ विहरति, नो णं कप्पइ अन्नमन्नं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

कप्पइ णं अहाराइणियाए अन्नमन्नं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

वह्वे आयरिय-उवज्झाया एग्यओ विहरति, नो णं कप्पइ अन्नमन्नं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

कप्पइ णं अहाराइणियाए अन्नमन्नं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

वह्वे भिक्षुणो, वह्वे गणावच्छेदया, वह्वे आयरिय-उवज्झाया एग्यओ विहरन्ति, नो णं कप्पइ अन्नमन्नं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

कप्पइ णं अहाराइणियाए अन्नमन्नं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए।

—वव उ. ४, मु. २६-३२

दो गणावच्छेदक एक साथ विचरते हो तो उन्हें परस्पर एक दूसरे को समान स्वीकार कर साथ में विचरना नहीं कल्पता है,

किन्तु रत्नाधिक को अग्रणी स्वीकार कर साथ विचरना कल्पता है।

दो आचार्य या दो उपाध्याय एक साथ विचरते हो तो उन्हें परस्पर एक दूसरे को समान स्वीकार कर साथ विचरना नहीं कल्पता है।

किन्तु रत्नाधिक को अग्रणी स्वीकार कर साथ विचरना कल्पता है।

बहुत से भिक्षु एक साथ विचरते हो तो उन्हें परस्पर एक दूसरे को समान स्वीकार कर साथ विचरना नहीं कल्पता है,

किन्तु रत्नाधिक को अग्रणी स्वीकार कर साथ विचरना कल्पता है।

बहुत से गणावच्छेदक एक साथ विचरते हो तो उन्हें परस्पर एक दूसरे को समान स्वीकार कर साथ विचरना नहीं कल्पता है,

किन्तु रत्नाधिक को अग्रणी स्वीकार कर साथ विचरना कल्पता है।

बहुत से आचार्य या उपाध्याय एक साथ विचरते हो तो उन्हें परस्पर एक दूसरे को समान स्वीकार कर साथ विचरना नहीं कल्पता है,

किन्तु रत्नाधिक को अग्रणी स्वीकार कर विचरना कल्पता है।

बहुत से भिक्षु, बहुत से गणावच्छेदक और बहुत से आचार्य या उपाध्याय एक साथ विचरते हो तो उन्हें परस्पर एक दूसरे को समान स्वीकार कर साथ विचरना नहीं कल्पता है,

किन्तु रत्नाधिक को अग्रणी स्वीकार कर विचरना कल्पता है।



अध्यापन-व्यवस्था—६

श्रमणस्स अज्झयणकमो—

२. तिवास-परियायस्स^१ समणस्स निग्गथस्स कप्पइ आयार-पकप्पे नामं अज्झयणे उद्दिसित्तए ।

चउवास-परियायस्स समणस्स निग्गथस्स कप्पइ सूयगडे नामं अगे उद्दिसित्तए ।

पचवास-परियायस्स समणस्स निग्गथस्स कप्पइ-वसाकप्प-ववहारे उद्दिसित्तए ।

अट्टवास-परियायस्स समणस्स निग्गथस्स कप्पइ ठाण-समवाए उद्दिसित्तए ।

दसवास-परियायस्स समणस्स निग्गथस्स कप्पइ वियाहे नामं अगे उद्दिसित्तए ।

एककारसवास परियायस्स समणस्स निग्गथस्स कप्पइ खुड्डिया विमाण-पविभत्तो, महल्लिया-विमाण-पविभत्तो, अंगचूलिया, वगचूलिया, वियाहचूलिया नामं अज्झयणे उद्दिसित्तए ।

वारसवास परियायस्स समणस्स निग्गथस्स कप्पइ अरुणो-ववाए, गरुलोववाए, धरणोववाए, वरुणोववाए, वेसमणोव-वाए, वेल्धरोववाए नाम अज्झयणे उद्दिसित्तए ।

तेरसवास-परियायस्स समणस्स निग्गथस्स कप्पइ उट्टाणसुए, समुट्टाणसुए, देवदपरियावणिए, नागपरियावणिए नाम अज्झयणे उद्दिसित्तए ।

चोहसवास-परियायस्स समणस्स निग्गथस्स कप्पइ सुमिण-भावणा नामं अज्झयणे उद्दिसित्तए ।

पन्नरसवास-परियायस्स समणस्स निग्गथस्स कप्पइ चारण-भावणा नाम अज्झयणे उद्दिसित्तए ।

सोलसवास-परियायस्स समणस्स निग्गथस्स कप्पइ तेय-णिसग्गे नामं अज्झयणे उद्दिसित्तए ।

सत्तरसवास-परियायस्स समणस्स निग्गथस्स कप्पइ आसी-विसभावणा नामं अज्झयणे उद्दिसित्तए ।

अट्ठारसवास-परियायस्स समणस्स निग्गथस्स कप्पइ दिट्ठि-विसभावणा नामं अज्झयणे उद्दिसित्तए ।

एगूणवीसवास-परियायस्स समणस्स निग्गथस्स कप्पइ दिट्ठि-वाए नाम अगे उद्दिसित्तए ।

वीसवास परियाए समणे निग्गथे सव्वसुयाणुवाई भवइ ।

—वव. उ. १०, सु. २४-३८

श्रमण का अध्ययन क्रम—

४६२. तीन वर्ष की दीक्षापर्याय वाले (योग्य) श्रमण-निर्ग्रन्थ को आचार-प्रकल्प नामक अध्ययन पढाना कल्पता है ।

चार वर्ष की दीक्षापर्याय वाले श्रमण-निर्ग्रन्थ को सूत्रकृताग नामक दूसरा अंग पढाना कल्पता है ।

पाँच वर्ष की दीक्षापर्याय वाले श्रमण-निर्ग्रन्थ को (१) दशा, (२) कल्प, (३) व्यवहार सूत्र पढाना कल्पता है ।

आठ वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले श्रमण-निर्ग्रन्थ को स्थानाग और समवायाग सूत्र पढाना कल्पता है ।

दश वर्ष की दीक्षापर्याय वाले श्रमण-निर्ग्रन्थ को व्याख्या प्रज्ञप्ति नामक अंग पढाना कल्पता है ।

ग्यारह वर्ष की दीक्षापर्याय वाले श्रमण-निर्ग्रन्थ को क्षुल्लिका विमानप्रविभक्ति, महल्लिका विमानप्रविभक्ति, अगचूलिका, वर्ग-चूलिका और व्याख्याचूलिका नाम का अध्ययन पढाना कल्पता है ।

बारह वर्ष की दीक्षापर्याय वाले श्रमण निर्ग्रन्थ को अरुणो-पपात, गरुडोपपात, धरणोपपात, वरणोपपात, वैश्रमणोपपात, वेल्धरोपपात नामक अध्ययन पढाना कल्पता है ।

तेरह वर्ष की दीक्षापर्याय वाले श्रमण-निर्ग्रन्थ को उत्थान-श्रुत, समुत्थान श्रुत, देवेन्द्रपरियापनिका और नागपरियापनिका नामक अध्ययन पढाना कल्पता है ।

चौदह वर्ष की दीक्षापर्याय वाले श्रमण-निर्ग्रन्थ को स्वप्न-भावना नामक अध्ययन पढाना कल्पता है ।

पन्द्रह वर्ष की दीक्षापर्याय वाले श्रमण-निर्ग्रन्थ को चारण-भावना नामक अध्ययन पढाना कल्पता है ।

सोलह वर्ष की दीक्षापर्याय वाले श्रमण-निर्ग्रन्थ को तेजो-निसर्ग नामक अध्ययन पढाना कल्पता है ।

सत्तरह वर्ष की दीक्षापर्याय वाले श्रमण-निर्ग्रन्थ को आसी-विष भावना नामक अध्ययन पढाना कल्पता है ।

अठारह वर्ष की दीक्षापर्याय वाले श्रमण-निर्ग्रन्थ को दृष्टि-विष भावना नामक अध्ययन पढाना कल्पता है ।

उन्नीस वर्ष की दीक्षापर्याय वाले श्रमण-निर्ग्रन्थ को दृष्टि-वाद नामक बारहवा अंग पढाना कल्पता है ।

वीस वर्ष की दीक्षापर्याय वाला श्रमण-निर्ग्रन्थ सर्वश्रुतानु-वादी हो जाता है ।

१ व्यव उ. ३, में तीन वर्ष की समय पर्याय वाले उपाध्याय योग्य भिक्षु को बहुश्रुत बहु आगमज्ञ कहा तथा कम से कम आचार प्रकल्प धारण करने वाला कहा । अतः इस सूत्र का भावार्थ यह समझना योग्य है कि तीन वर्ष की दीक्षा पर्याय वाले योग्य शिष्य को कम से कम इसका वाचन करा देना चाहिए ।

आयारपकप्पस्स अज्झयण जोगो वओ—

४६३ नो कप्पइ निग्गथाण वा निग्गथीण वा खुहुगस्स वा खुहुट्ठियाए वा अच्चंजणजायस्स आयारपकप्पे णाम अज्झयणे उट्ठिसिस्सए ।

कप्पइ निग्गथाण वा निग्गथीण वा खुहुगस्स वा खुहुट्ठियाए वा वंजणजायस्स आयारपकप्पे णाम अज्झयणे उट्ठिसिस्सए ।

—वव. उ. १०, सु २२-२३

आचार प्रकल्प के अध्ययन योग्य वय का विधि निषेध—

४६३. अव्यजनजात (अप्राप्त यौवन) वाल भिक्षु या भिक्षुणी को आचारप्रकल्प नामक अध्ययन पढाना निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियो को नहीं कल्पता है ।

किन्तु यौवन प्राप्त भिक्षु-भिक्षुणी को आचार-प्रकल्प नामक अध्ययन पढाना निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियो को कल्पता है ।



विचरण-व्यवस्था—७

आयरियाइ सह णिग्गथाण संखा—

४६४ नो कप्पइ आयरिय-उवज्जायस्स एगाणियस्स हेमन्त-गिम्हासु चारए ।

कप्पइ आयरिय-उवज्जायस्स अप्पविइयस्स हेमन्त-गिम्हासु चारए ।

नो कप्पइ गणावच्छेइयस्स अप्पविइयस्स हेमन्त-गिम्हासु चारए ।

कप्पइ गणावच्छेइयस्स अप्पतइयरस हेमन्त-गिम्हासु चारए ।

नो कप्पइ आयरिय उवज्जायस्स अप्पविइयस्स वासावास वत्थए ।

कप्पइ आयरिय-उवज्जायस्स अप्पतइयस्स वासावास वत्थए ।

नो कप्पइ गणावच्छेइयस्स अप्पतइयस्स वासावास वत्थए ।

कप्पइ गणावच्छेइयस्स अप्पचउत्थस्स वासावास वत्थए ।

से गामसि वा-जाव-रायहणिसि वा-वहूण आयरिय-उवज्जायाण अप्पविइयाणं, वहूण गणावच्छेइयाणं अप्पतइयाणं कप्पइ हेमत-गिम्हासु चारए अन्नमन्न निस्साए ।

से गामसि वा-जाव-रायहणिसि वा, वहूणं आयरिय-उवज्जायाण अप्पतइयाणं वहूण गणावच्छेइयाण अप्पचउत्थाण कप्पइ वासावास वत्थए अन्नमन्न निस्साए ।

—वव. उ ३, सु १-१०

आचार्यादि के साथ रहने वाले निर्ग्रन्थो की सख्या—

४६४. हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु मे आचार्य या उपाध्याय को अकेला विहार करना नहीं कल्पता है ।

किन्तु हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु मे आचार्य या उपाध्याय को एक साधु साथ लेकर विहार करना कल्पता है ।

हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु मे गणावच्छेदक को एक ही साधु के साथ विहार करना नहीं कल्पता है ।

किन्तु हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु मे गणावच्छेदक को दो अन्य साधु को साथ लेकर विहार करना कल्पता है ।

वर्षाकाल मे आचार्य या उपाध्याय को एक साधु के साथ रहना नहीं कल्पता है ।

किन्तु वर्षा काल मे आचार्य या उपाध्याय को अन्य दो साधुओ के साथ रहना कल्पता है ।

वर्षाकाल में गणावच्छेदक को दो साधुओ के साथ रहना नहीं कल्पता है ।

किन्तु वर्षाकाल मे गणावच्छेदक को अन्य तीन साधुओ के साथ रहना कल्पता है ।

हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु मे अनेक आचार्य या उपाध्यायो को ग्राम—यावत्—राजधानी में अपनी-अपनी नेत्राय मे एक-एक साधु के साथ और अनेक गणावच्छेदको को दो-दो साधुओ के साथ रहकर विहार करना कल्पता है ।

वर्षा ऋतु मे अनेक आचार्य या उपाध्यायो को ग्राम—यावत्—राजधानी मे अपनी-अपनी नेत्राय मे तीन-तीन साधुओ के साथ और अनेक गणावच्छेदको को चार-चार साधुओ के साथ रहना कल्पता है ।

पवत्तिणि आईणं सहविहरमाणी णिग्गंथी संखा—

४६५. नो कप्पइ पवत्तिणीए अप्प-बिइयाए हेमंत-गिम्हासु चारए ।

कप्पइ पवत्तिणीए अप्प-तइयाए हेमंत-गिम्हासु चारए ।

नो कप्पइ गणावच्छेइणीए अप्प-तइयाए हेमत-गिम्हासु चारए ।

कप्पइ गणावच्छेइणीए अप्प-चउत्थाए हेमत-गिम्हासु चारए ।

नो कप्पइ पवत्तिणीए अप्प-तइयाए वासावास वत्थए ।

कप्पइ पवत्तिणीए अप्प-चउत्थाए वासावासं वत्थए ।

नो कप्पइ गणावच्छेइणीए अप्प-चउत्थाए वासावास वत्थए ।

कप्पइ गणावच्छेइणीए अप्प पंचमाए वासावास वत्थए ।

से गामंसि वा-जाव-रायहाणिसि वा, बहूणं पवत्तिणीणं अप्प-तइयाणं, बहूणं गणावच्छेइणीणं अप्प-चउत्थाणं कप्पइ हेमत-गिम्हासु चारए अन्नमन्नं नीसाए ।

से गामंसि वा-जाव-रायहाणिसि वा, बहूणं पवत्तिणीणं अप्प-चउत्थाणं, बहूणं गणावच्छेइणीणं अप्प-पंचमाणं कप्पइ वासावासं वत्थए अन्नमन्नं नीसाए ।

—वव. उ ५, सु १-१०

एगाणियाए णिग्गंथीए गमण णिसेहो —

४६६. नो कप्पइ निग्गथीए एगाणियाए गाहावडकुलं पिण्डवाय पडियाए निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ।

नो कप्पइ निग्गथीए एगाणियाए वहिया वियारभूमि वा विहारभूमि वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ।

नो कप्पइ निग्गथीए एगाणियाए-गामाणुगाम दूइज्जित्तए वा, वासावासं वा वत्थए । —कप्प उ. ६, सु. १६-१८

णिग्गथ णिग्गथीण विहार खेत्त मेरा —

४६७. कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा —

पुरत्थियेणं-जाव-अगमगहाओ एत्तए,
दक्खिणेणं-जाव-कोसम्बीओ एत्तए,
पच्चत्थियेण-जाव-यूणाविसयाओ एत्तए,

प्रवर्तिनी आदि के साथ विचरने वाली निर्ग्रन्थियों की संख्या—

४६५. हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु मे प्रवर्तिनी साध्वी को एक अन्य साध्वी को साथ लेकर विहार करना नहीं कल्पता है ।

किन्तु हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु मे प्रवर्तिनी को अन्य दो साध्वी साथ लेकर विहार करना कल्पता है ।

हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु मे गणावच्छेदिनी को अन्य दो साध्वी साथ लेकर विहार करना नहीं कल्पता है ।

किन्तु हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु मे गणावच्छेदिनी को अन्य तीन साध्वी साथ लेकर विहार करना कल्पता है ।

वर्षावास मे प्रवर्तिनी को अन्य दो साध्वियों के साथ रहना नहीं कल्पता है ।

किन्तु वर्षावास मे प्रवर्तिनी को अन्य तीन साध्वियों के साथ रहना कल्पता है ।

वर्षावास मे गणावच्छेदिनी को अन्य तीन साध्वियों के साथ रहना नहीं कल्पता है ।

किन्तु वर्षावास मे गणावच्छेदिनी को अन्य चार साध्वियों के साथ रहना कल्पता है ।

हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु मे अनेक प्रवर्तिनी को ग्राम-यावत्-राजधानी मे अपनी-अपनी निश्रा मे दो-दो अन्य साध्वियों के साथ और अनेक गणावच्छेदिनी को तीन-तीन अन्य साध्वियों के साथ रहकर विहार करना कल्पता है ।

वर्षावास मे अनेक प्रवर्तिनी साध्वियों को ग्राम-यावत्-राजधानी मे अपनी अपनी नेश्राय मे तीन-तीन अन्य साध्वियों के साथ और अनेक गणावच्छेदिनी साध्वियों को चार-चार अन्य साध्वियों के साथ रहना कल्पता है ।

अकेली निर्ग्रन्थी को जाने का निषेध—

४६६ अकेली निर्ग्रन्थी को आहार के लिए गृहस्थ के घर मे आना-जाना नहीं कल्पता है ।

अकेली निर्ग्रन्थी को शौच के लिए तथा स्वाध्याय के लिए उपाश्रय से बाहर जाना-आना नहीं कल्पता है ।

अकेली निर्ग्रन्थी - को एक गाँव से दूसरे गाँव जाना तथा वर्षावास करना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के विचरण क्षेत्र की मर्यादा—

४६७. निर्ग्रन्थो को और निर्ग्रन्थियो को,

पूर्व दिशा मे अंग-मगध तक,
दक्षिण दिशा मे कोशाम्बी तक,
पश्चिम दिशा मे स्थूण देश तक,

उत्तरेण-जाव-कुणालाविसयाभो एत्तए,
एतावताव कप्पइ,
एतावताव आरिए खेत्ते,
नो से कप्पइ एत्तो बाहिं,
तेण परं जत्थ नाण-वसण-चरित्ताइं उस्सप्पन्ति ।

—कप्प उ १, सु. ३१

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थीणं विहार करण विहि-णिसेहो—

४६८. नो कप्पइ निर्गयाण वा, निर्गन्थीण वा, वासावासासु
चारए ।

कप्पइ निर्गयाण वा, निर्गन्थीण वा हेमन्त-गिम्हासु चारए ।

—कप्प. उ. १, सु. ३७-३८

विइकिट्टिय खेत्ते गमण विहि-णिसेहो—

४६९. नो कप्पइ निर्गन्थीण विइकिट्टिय दिस वा अणुदिस वा उट्ठि-
सित्तए वा धारेत्तए वा ।

कप्पइ निर्गन्थीण विइकिट्टिय दिस वा अणुदिसं वा उट्ठिसित्तए
वा धारेत्तए वा ।

—वव उ. ७, सु. १०-११

राइए बाहिं गमणस्स विहि-णिसेहो—

४७०. नो कप्पइ निर्गन्थस्स एगाणियस्स राओ वा वियाले वा
वहिया वियारभूमि वा विहारभूमि वा निक्खमित्तए वा पवि-
सित्तए वा ।

कप्पइ से अप्पविइयस्स वा, अप्पतइयस्स वा, राओ वा
वियाले वा, वहिया वियारभूमि वा विहारभूमि वा निक्ख-
मित्तए वा पविसित्तए वा ।

नो कप्पइ निर्गन्थीए एगाणियाए राओ वा वियाले वा,
वहिया वियारभूमि वा विहारभूमि वा निक्खमित्तए वा
पविसित्तए वा ।

कप्पइ से अप्पविइयाए वा, अप्पतइयाए वा, अप्पचउत्थीए
वा राओ वा वियाले, वा वहिया वियारभूमि वा, विहार-
भूमि वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ।

—कप्प. उ. १, सु. ४८-५१

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थीणं सहविहार पायच्छित्त सुत्तं—

४७१. जे भिक्खु सगणिच्चियाए वा, परगणिच्चियाए वा, निर्ग-
थीए सट्ठि गामाणुगाम दूइज्जमाणे पुरओ गच्छमाणे, पिट्ठओ
रीयमाणे, ओह्यमणसंक्पे चित्ता-सोयसागरसपविट्ठे, कर-
यलपल्हत्थमुहे, अट्टज्जाणोवगए, विहार वा करेइ-जाव-
असमणपाउग्ग कहं कहेइ, कहेंतं वा साइज्जइ ।

उत्तर दिशा मे कुणाल देश तक विचरना कल्पता है ।

इतना ही विचरना कल्पता है ।

इतना ही धार्य क्षेत्र है ।

इससे बाहर विचरना नहीं कल्पता है ।

इसके उपरान्त भी जहाँ ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र अर्थात्
सयम की उन्नति हो वहाँ विचरना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों के विहार करने का विधि-निषेध—

४६८. निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को वर्षावास मे विहार करना
नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु मे
विहार करना कल्पता है ।

विकट क्षेत्र मे जाने का विधि-निषेध—

४६९. निर्ग्रन्थियों को दूरस्थ या अति दूरस्थ विकट क्षेत्र की
ओर स्वयं जाना या अन्य को अनुज्ञा देना नहीं कल्पता है ।

किन्तु निर्ग्रन्थ को दूरस्थ या अति दूरस्थ विकट क्षेत्र की
ओर स्वयं जाना या अन्य को जाने के लिए अनुज्ञा देना
कल्पता है ।

रात्रि मे उपाश्रय से बाहर जाने का विधि-निषेध—

४७०. अकेले निर्ग्रन्थ को रात्रि मे या विकाल मे शौच के लिए
या स्वाध्याय के लिए उपाश्रय से बाहर जाना-आना नहीं
कल्पता है ।

किन्तु उसे एक या दो निर्ग्रन्थों को साथ लेकर रात्रि में या
विकाल मे शौच के लिए या स्वाध्याय के लिए उपाश्रय से बाहर
जाना-आना कल्पता है ।

अकेली निर्ग्रन्थी को रात्रि मे या विकाल मे शौच के लिए
या स्वाध्याय के लिए उपाश्रय से बाहर जाना-आना नहीं
कल्पता है ।

एक दो या तीन निर्ग्रन्थियों को साथ लेकर रात्रि मे या
विकाल मे शौच के लिए या स्वाध्याय के लिए उपाश्रय से बाहर
जाना-आना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के साथ विहार करने का प्रायश्चित्त
सूत्र—

४७१. जो भिक्षु स्वर्गण की या अन्य गण की साध्वी के साथ
आगे या पीछे प्रामानुष्य विहार करते हुए सकल्प विकल्प करता
है, चित्तातुर रहता है, शोक सागर मे डूबा हुआ रहता है, हथेली
पर मुँह रखकर आर्त ध्यान करता रहता है—यावत्—साधु
के न कहने योग्य काम कया कहता है या कहने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

तं सेवमाण आवज्जइ चाउम्मासिय'परिहारट्टाण अणुग्घाइयं ।
—नि उ. ८, सु. ११

अतेउर पवेसे कारणाइं—

४७२. पचहिं ठाणेहिं समणे णिग्गंथे रायंतेउरमणुपविसमाणे णाइ-
क्कमत्ति, तं जहा—

१. णगरे सिया सव्वतो समता गुत्ते, गुत्तकुवारे, बहवे समण
माहणा णो संचाएंति भत्ताए वा पाणाए वा णिक्खमित्तए
वा पविसित्तए वा तेसि विण्णवणट्टयाए रायंतेउरमणुपवि-
सेज्जा ।

२. पाट्टिहारियं वा पीठ-फलग-सेज्जा-संथारग पच्चप्पिणमाण
रायंतेउरमणुपविसेज्जा ।

३. ह्यस्स वा गयस्स वा दुट्ठस्स आगच्छमाणस्स भीते
रायंतेउरमणुपविसेज्जा ।

४. परो वा णं सहसा वा, बलसा वा, वाहाए गहाय-रायंते-
उरमणुपविसेज्जा ।

५. बहिया वा ण आरामगयं वा, उज्जाणगयं वा रायंतेउर-
जणो सव्वतो समंता संपरिक्खत्ता णं सणिवेसिज्जा ।

इच्चेतेहिं पचहिं ठाणेहिं समणे णिग्गंथे रायंतेउरमणुपविसे-
माणे नाइक्कमत्ति । —ठाणं. अ. ५, उ. २, सु. ४१५

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

अन्त पुर में प्रवेश के कारण—

४७२. पांच कारणों से श्रमण निर्ग्रन्थ राजा के अन्तःपुर में प्रवेश
करता हुआ जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है । जैसे—

(१) यदि नगर सब ओर से घिरा हो, उसके द्वार बन्द हो,
बहुत से श्रमण माहण भक्त-पान के लिए नगर से बाहर न निकल
सकें या न प्रवेश कर सकें, तब उनका प्रयोजन बतलाने के लिए
राजा के अन्तःपुर में प्रवेश कर सकता है ।

(२) प्रातिहारिक पीठ, फलक, शय्या संस्तारक को वापिस
देने के लिए राजा के अन्त पुर में प्रवेश कर सकता है ।

(३) दुष्ट घोड़े या हाथी के सामने आने पर भयभीत साधु
रक्षा के लिए राजा के अन्त पुर में प्रवेश कर सकता है ।

(४) कोई अन्य व्यक्ति सहसा या बलपूर्वक पकड़कर ले जाए
तो राजा के अन्त पुर में प्रवेश कर सकता है ।

(५) कोई साधु बाहर पुष्पोद्यान या वृक्षोद्यान में ठहरा हो
और वहाँ राजा का अन्तःपुर (राजा की रानियाँ) आ जावे तथा
सर्व ओर से घेर कर बैठ जावे तो वहाँ बैठ सकता है ।

इन पाँच कारणों से श्रमण-निर्ग्रन्थ राजा के अन्तःपुर में
प्रवेश करता हुआ जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है ।



निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के सामूहिक व्यवहार—८

णिग्गंथ-णिग्गंथीणं आलाव-संलाव कारणाइं—

४७३. चउहिं ठाणेहिं णिग्गंथे णिग्गथि आलवमाणे वा सलवमाणे
वा णाइक्कमइ, तं जहा—

१. पथं पुच्छमाणे वा, २. पथं देसमाण वा,

३. असणं वा-जाव-साइम वा दलयमाणे वा,

४. असणं वा-जाव-साइमं वा दलावेमाणे वा ।

—ठाण अ ४, उ. २, सु. २६०

णिग्गंथ-णिग्गंथीणं एगत्य आवास कारणाइं—

४७४. पंचहिं ठाणेहिं णिग्गंथा णिग्गथीओ य एगयओ ठाणं वा,
सेज्जं वा, णिसीहियं वा चेतमाणे णातिक्कमंति, तं जहा—

साधु-साध्वी के वार्तालाप करने के कारण—

४७३ निर्ग्रन्थ चार कारणों से निर्ग्रन्थी के साथ अलाप-सलाप
करता हुआ जिनाज्ञा का उल्लघन नहीं करता है । जैसे—

(१) मार्गं पूछता हुआ, (२) मार्गं बताता हुआ,

(३) अशन—यावत्—स्वाद्य देता हुआ ।

(४) गृहस्थो के घर से अशन—यावत्—स्वाद्य दिलाता
हुआ ।

साधु-साध्वी के एक स्थान पर ठहरने के कारण—

४७४. पाँच कारणों से निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियाँ एक स्थान पर
अवस्थान (ठहरना), शयन और स्वाध्याय करते हुए जिनाज्ञा का
अतिक्रमण नहीं करते हैं । जैसे—

१ अत्येगइया णिग्गथा य णिग्गथीओ य एग मह अगामियं छिण्णावाय दीहमद्धमड्विमणुपविट्ठा तत्थ एगयओ ठाणं वा, सेज्ज वा, णिसीहिय वा च्चेतेमाणा णातिक्कमति ।

२ अत्येगइया णिग्गथा य णिग्गथीओ य गामसि वा-जाव-रायहाणिसि वा वास उवागता एगइया तत्थ उवस्सय लभति, एगइया णो लभति, तत्थ एगयओ ठाण वा, सेज्ज वा, णिसीहियं वा च्चेतेमाणा णातिक्कमति ।

३ अत्येगइया णिग्गथा य णिग्गथीओ य णागकुमारावाससि वा, सुवण्णकुमारावाससि वा वास उवागता तत्थ एगयओ ठाणं वा सेज्ज वा, णिसीहिय वा, च्चेतेमाणा णातिक्कमति ।

४ आमोसगा दीसति, ते इच्छति णिग्गथीओ चीवरपडियाए पडिगाहित्तए तत्थ एगयओ ठाण वा सेज्जं वा, णिसीहिय वा च्चेतेमाणा णातिक्कमति ।

५ जुवाणा दीसति, ते इच्छति णिग्गथीओ मेहुणपडियाए पडिगाहित्तए, तत्थ एगयओ ठाणं वा सेज्ज वा णिसीहियं वा च्चेतेमाणा णातिक्कमति ।

इच्छेतेहि पचहि ठाणेहि णिग्गथा णिग्गथीओ य एगयओ ठाणं वा सेज्ज वा णिसीहिय वा च्चेतेमाणा णातिक्कमति ।

—ठाण अ. ५, उ २, सु ४१७

सचेलिया सह अचेलस्स सवसणं कारणाहं—

४७५. पचहि ठाणेहि समणे-णिग्गथे अचेलए, सचेलियाहि णिग्गथीहि सद्धि सवसमाणे णातिक्कमति, त जहा—

१ वित्तचित्ते समणे-णिग्गथे णिग्गथेहि अविज्जमाणेहि “अचेलए सचेलियाहि” णिग्गथीहि सद्धि सवसमाणे णातिक्कमति ।

२ वित्तचित्ते समणे-णिग्गथे णिग्गथेहि अविज्जमाणेहि “अचेलए सचेलियाहि” णिग्गथीहि सद्धि सवसमाणे णातिक्कमति ।

३ जक्खाडट्टे समणे णिग्गथे, णिग्गथेहि अविज्जमाणे “अचेलए सचेलियाहि” णिग्गथीहि सद्धि सवसमाणे णातिक्कमति ।

४ उम्मायपत्ते समणे-णिग्गथे, णिग्गथेहि अविज्जमाणेहि “अचेलए सचेलियाहि” णिग्गथीहि सद्धि सवसमाणे णातिक्कमति ।

(१) यदि कदाचित् कुछ निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियाँ किसी बड़ी भारी, ग्रामशून्य, आवागमन रहित लम्बे मार्ग वाली अटवी में अनुप्रविष्ट हो जावें तो वहाँ एक स्थान पर अवस्थान, शयन और स्वाध्याय करते हुए जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते हैं ।

(२) यदि कुछ निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थियाँ किसी ग्राम-यावत्-राजधानी में पहुँचें, वहाँ दोनों में से किसी एक वर्ग को उपाश्रय मिला और एक को नहीं मिला तो वहाँ वे एक स्थान पर अवस्थान, शयन और स्वाध्याय करते हुए जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते हैं ।

(२) कदाचित् कुछ निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियाँ नागकुमार या सुवर्ण-कुमार आदि देवालय में निवास के लिए एक साथ पहुँचें तो वहाँ एक स्थान पर अवस्थान, शयन और स्वाध्याय करते हुए जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते हैं ।

(४) जहाँ चोरो का उपद्रव दिखाई देवे और वे निर्ग्रन्थियों के वस्त्रों को चुराना चाहते हों तो वहाँ साधु-साध्वी एक स्थान पर अवस्थान, शयन और स्वाध्याय करते हुए जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते हैं ।

(५) जहाँ गुडे युवक दिखाई दें और वे निर्ग्रन्थियों के साथ मैथुन सेवन की इच्छा से उन्हें पकड़ना चाहते हों तो वहाँ निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियाँ एक स्थान पर अवस्थान, शयन और स्वाध्याय क्रिया करें तो जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते हैं ।

इन पाँच कारणों से निर्ग्रन्थ एव निर्ग्रन्थियाँ एक स्थान पर अवस्थान, शयन एव स्वाध्याय करते हुए जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते हैं ।

अचेलक के सचेलिका के साथ रहने के कारण —

४७५ पाँच कारणों से वस्त्ररहित श्रमण निर्ग्रन्थ सचेलक निर्ग्रन्थियों के साथ रहता हुआ जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है । जैसे—

(१) शोक आदि से विक्षिप्त चित्त वाला अचेलक श्रमण-निर्ग्रन्थ अन्य निर्ग्रन्थों के अभाव में सचेलक निर्ग्रन्थियों के साथ रहता हुआ जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है ।

(२) हर्षातिरेक से उन्मत्तचित्त वाला अचेलक श्रमण-निर्ग्रन्थ अन्य निर्ग्रन्थों के अभाव में सचेलक निर्ग्रन्थियों के साथ रहता हुआ जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है ।

(३) यक्षाविष्ट कोई अचेलक श्रमण-निर्ग्रन्थ अन्य निर्ग्रन्थों के अभाव में सचेलक निर्ग्रन्थियों के साथ रहता हुआ जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है ।

(४) वायु के प्रकोपादि से उन्माद को प्राप्त कोई अचेलक श्रमण-निर्ग्रन्थ अन्य निर्ग्रन्थों के अभाव में सचेलक निर्ग्रन्थियों के साथ रहता हुआ जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है ।

५. निग्गंथीपव्वाइए समणे, निग्गथेहि अविज्जमाणेहि "अचे लए सचेत्तियाहि" निग्गंथीहि सर्द्धि संवसमाणे णातिक्कमति ।

—ठाण अ ५, उ २, सु ४१७

निग्गंथि अवलम्बणे कारणा —

४७६ पच्चहि ठाणेहि समणे-निग्गंथे निग्गंथि गिण्हमाणे वा अवलम्बमाणे वा णातिक्कमति, त जहा—

१. निग्गंथि च णं अण्णयरे पसुजातिए वा, पक्खिजातिए वा, ओहवेज्जा, तत्थ निग्गथे निग्गंथि गिण्हमाणे वा अवलम्बमाणे वा णातिक्कमति ।

२. निग्गंथे निग्गंथि दुग्गंसि वा, विसमसि वा, पक्खलमाणि वा, पवडमाणि वा, गिण्हमाणे वा, अवलम्बमाणे वा णातिक्कमति ।

३. निग्गंथे निग्गंथि सेयसि वा, पणगंसि वा, पकंसि वा, उदगंसि वा, उक्कसमाणि वा, उबुज्झमाणि वा, गिण्हमाणे वा, अवलम्बमाणे वा णातिक्कमति ।

४. निग्गंथे निग्गंथि णाव आरूहमाणि वा, ओरोहमाणि वा गिण्हमाणे वा अवलम्बमाणे वा णातिक्कमति ।

५. खित्तचित्तं, दित्तचित्तं, जक्खाइट्ट, उम्मायत्त, उवसग्ग-पत्त, साहिगरणं, सपायच्छित्तं, भत्तपाणपडियाइक्खियं, अट्टजायं वा निग्गंथि निग्गथे गेण्हमाणे वा अवलम्बमाणे वा णातिक्कमति^१ । —ठा अ ५, उ २, सु ४३७

निग्गंथ-निग्गंथीण साहम्मिय अत किच्चाइं—

४७७ छहि ठाणेहि निग्गथा निग्गथीओ य साहम्मियं कालगत समायरमाणा णाइक्कमति, तं जहा -

१. अंतोहितो वा बाहि णीणेमाणा ।

२. बाहीहितो वा निव्वाहि णीणेमाणा ।

३. उवेहेमाणा वा ।

४. उवासमाणा वा ।

५. अणुणवेमाणा वा ।

६. तुसिणीए वा संपव्वयमाणा । —ठाणं. अ. ६, सु ४७७

निग्गंथ-निग्गंथीणं अण्णमण्ण-वेयावच्च करण विहाणा—

४७८ निग्गंथस्स य अहे पार्यंसि-खाणू वा, कटए वा, हीरए वा, सक्करे वा परियावज्जेज्जा तं च निग्गंथे नो संवाएइ

१ (क) ठाण. अ. ६, सु. ४७६

(५) निर्ग्रन्थी के द्वारा दीक्षित (पुत्र आदि) अचेलक श्रमण अन्य निर्ग्रन्थी के अभाव में सचेलक निर्ग्रन्थियों के साथ रहता हुआ जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है ।

निर्ग्रन्थी को अवलम्बन देने के कारण —

४७६ पाँच कारणों से श्रमण-निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थी को अवलम्बन दे तो जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है, जैसे—

(१) कोई पशु या पक्षी निर्ग्रन्थी पर आक्रमण करे तो वहाँ निर्ग्रन्थ उसे बचाता हुआ या सहारा देता हुआ जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है ।

(२) दुर्गम या विषम स्थान में फिसलती या गिरती हुई निर्ग्रन्थी को ग्रहण करता हुआ या अवलम्बन देता हुआ निर्ग्रन्थ जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है ।

(३) दल-दल में, कीचड़ में, काई में फंसी हुई या जल में गिरती हुई या डूबती हुई निर्ग्रन्थी को पकड़ता हुआ या अवलम्बन देता हुआ निर्ग्रन्थ जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है ।

(४) नौका पर चढ़ती हुई या नौका से उतरती हुई निर्ग्रन्थी को निर्ग्रन्थ ग्रहण करता हुआ या अवलम्बन देता हुआ जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है ।

(५) विक्षिप्त चित्त वाली, उन्मत्त चित्त वाली, भूत-प्रेतादि से पीड़ित, उन्माद प्राप्त, उपसर्ग से भयभीत, कलह में संलग्न, कठोर प्रायश्चित्त से चलचित्त, सधारा युक्त तथा दुर्लभ द्रव्यों की प्राप्ति या अप्राप्ति से अशान्त चित्त निर्ग्रन्थी को निर्ग्रन्थ पकड़ता हुआ या सहारा देता हुआ जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है ।

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के सामूहिक सार्धमिक अन्त्यकर्म—

४७७ छह प्रकार से निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थी साथ-साथ अपने काल-प्राप्त सार्धमिक के अन्तिम कार्य करते हुए जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते हैं । जैसे—

(१) उसे अन्दर में बाहर लाते हुए ।

(२) उपाश्रय से बाहर लाते हुए ।

(३) देखभाल करते हुए ।

(४) शव के समीप रहकर रात्रि भर जागरण करते हुए ।

(५) उसके स्वजन या गृहस्थों को संभालते हुए ।

(६) मौन भाव से परठने के लिए ले जाते हुए ।

निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थी के परस्पर सेवा करने के विधान—

४७८. निर्ग्रन्थ के पैर में तीक्ष्ण, शुष्क, ठूँठ, कटक, तीक्ष्ण काष्ठ या तीक्ष्ण पापाण खण्ड लग जावे उसे निकालने में या शोधन

(ख) कप्प. उ. ६, सु. ७-१८

नीहरित्तए वा विसोहेत्तए वा । तं च निग्गथी नीहरमाणी वा विसोहेमाणी वा नाइक्कमइ ।

निग्गंयस्स य अर्च्छिसि पाणे वा, वीये वा, रए वा परियावज्जेज्जा, तं च निग्गंये नो संचाएइ नीहरित्तए वा, विसोहेत्तए वा । त च निग्गथी नीहरमाणी वा विसोहेमाणी वा नाइक्कमइ ।

निग्गथीए य अहे पायंसि खाणू वा, कटए वा, हीरए वा, सक्खरे वा, परियावज्जेज्जा, तं च निग्गथी नो संचाएइ, नीहरित्तए वा विसोहेत्तए वा, त च निग्गंये नीहरमाणे वा विसोहेमाणे वा नाइक्कमइ ।

निग्गथीए य अर्च्छिसि पाणे वा, वीये वा, रए वा परियावज्जेज्जा, तं च निग्गथी नो संचाएइ नीहरित्तए वा, विसोहेत्तए वा, त च निग्गंये नीहरमाणे वा विसोहेमाणे वा नाइक्कमइ । —कप्प उ ६, सु ३-६

अण्णमण्ण वेयावच्च करण विहि-णित्सेहो—

४७९ जे निग्गथा य निग्गथीओ य सभोइया सिया, नो ण कप्पइ अन्नमन्नेण वेयावच्च कारवेत्तए ।

अत्थि य इत्थ णं केइ वेयावच्चकरे, कप्पइ ण तेण वेयावच्चं कारवेत्तए,

नत्थि य इत्थ णं केइ वेयावच्चकरे, एव णं कप्पइ अन्नमन्नेण वेयावच्चं कारवेत्तए । —वव उ. ५, सु. २०

अण्णमण्ण आलोचना करण विहि-णित्सेहो—

४८०. जे निग्गथा य निग्गथीओ य सभोइया सिया, नो ण कप्पइ अन्नमन्नस्स अतिए आलोएत्तए ।

अत्थि य इत्थ ण केइ आलोचनारिहे कप्पइ णं तस्स अतिए आलोइत्तए,

नत्थि य इत्थ ण केइ आलोचनारिहे एव ण कप्पइ अन्नमन्नस्स अतिए आलोएत्तए । —वव. उ. ५, सु. १९

अण्णमण्णस्स मोय गहण विहि-णित्सेहो—

४८१. नो कप्पइ निग्गथाण वा निग्गथीण वा अन्नमन्नस्स मोयं आपिचित्तए वा आयमित्तए वा नन्नदथ गाढाज्जाडेसु रोगा-यंकेसु । —कप्प. उ ५, हु. ४६

करने में निर्ग्रन्थ समर्थ न हो उस समय यदि निर्ग्रन्थी निकाले या शोधन करे तो जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करती है ।

निर्ग्रन्थ की आँख में मच्छर आदि प्राणी, बीज या रज गिर जावे उसे निकालने में या शोधन करने में निर्ग्रन्थ समर्थ न हो उस समय यदि निर्ग्रन्थी निकाले या शोधन करे तो जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करती है ।

निर्ग्रन्थी के पैर में तीक्ष्ण-शुष्क, ठूँठ, कटक, तीक्ष्ण काष्ठ या पापाण खण्ड लग जावे उसे निकालने में या शोधन करने में निर्ग्रन्थी समर्थ न हो उस समय यदि निर्ग्रन्थ निकाले या शोधन करे तो जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है ।

निर्ग्रन्थी की आँख में मच्छर आदि प्राणी, बीज या रज गिर जावे उसे निकालने में या शोधन करने में निर्ग्रन्थी समर्थ न हो उस समय यदि निर्ग्रन्थ निकाले या शोधन करे तो जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है ।

परस्पर सेवा करने का विधि-निषेध—

४७९ साधु और साध्वियाँ साभोगिक हैं उन्हें परस्पर एक दूसरे की वैयावृत्य कराना नहीं कल्पता है ।

यदि स्वपक्ष में कोई वैयावृत्य करने वाला हो तो उससे वैयावृत्य करना कल्पता है ।

यदि स्वपक्ष में वैयावृत्य करने वाला कोई न हो तो साधु-साध्वी को परस्पर वैयावृत्य करना कल्पता है । परस्पर आलोचना करने के विधि-निषेध—

४८० जो साधु और साध्वियाँ साभोगिक हैं उन्हें परस्पर एक दूसरे के समीप आलोचना करना नहीं कल्पता है ।

यदि स्वपक्ष में कोई आलोचना सुनने योग्य हो तो उनके समीप आलोचना करना कल्पता है ।

यदि स्वपक्ष में आलोचना सुनने योग्य कोई न हो तो साधु-साध्वी को परस्पर आलोचना करना कल्पता है ।

परस्पर प्रस्त्रवण ग्रहण करने का विधि-निषेध—

४८१. निर्ग्रन्थों और निर्ग्रन्थियों को एक दूसरे का मूत्र पीना या शरीर के लगाना नहीं कल्पता है केवल उग्र रोग एवं आतकों में कल्पता है ।



सांभोगिक संबंध व्यवस्था—६

समणाणं अणमण्ण व्यवहारा—

४८२. बुधालसविहे सभोगे पणत्ते, त जहा—
उवहि सुय भत्तपाणे, अंजलीपग्गहे ति य ।
दायणे य निकाए य, अब्भुट्ठाणे ति आवरे ॥

कितिकम्मस्स य करणे, वेयावच्चकरणे ति य ।
समोसरण सन्निसेज्जा य, कहाए य पबधणे ॥

—सम. सम. १२, सु. १

विसंभोगकरणे कारणा—

४८३. तिहि ठाणेहि समणे णिग्गथे साहम्मियं समोगिय विसंभो-
गिय करेमाणे णातिक्कमत्ति,
तं जहा—

१. सयं वा दट्ठु,
२. सद्धिस्स वा निसम्म,
३. तच्चं मोसं आउट्ठति, चउत्थ नो आउट्ठति ।

—ठाण अ ३, उ. ३, सु १८०

पंचहि ठाणेहि समणे णिग्गथे साहम्मियं संभोइय विसंभोइयं
करेमाणे णातिक्कमत्ति,

तं जहा—

१. सकिरियट्ठाणं पडिसेवित्ता भवति ।
- २ पडिसेवित्ता णो आलोएइ ।

३. आलोइत्ता णो पट्टवेत्ति ।

४ पट्टवेत्ता णो णिव्विसंति ।

५ जाइ इमाइं येराणं ठित्तिपक्कपाइं भवति ताइ अतियच्चिय
अतियच्चिय पडिसेवेत्ति, 'से हंइहं पडिसेवामि, किं मे येरा
करिस्सति ?'

—ठाण अ. ५, उ १, सु ३६८

णवहि ठाणेहि समणे णिग्गथे साहम्मियं संभोइयं विसंभोइयं
करेमाणे णातिक्कमत्ति, त जहा—

१. आपरियपडिणीयं ।

श्रमणों के पारस्परिक व्यवहार—

४८२. व्यवहार वारह प्रकार के कहे गए हैं । यथा—

- (१) उपधि आदान प्रदान व्यवहार ।
- (२) श्रुत के अध्ययन अध्यापन का व्यवहार,
- (३) भक्त-पान आदान-प्रदान व्यवहार,
- (४) एक दूसरे को हाथ जोड़ने का व्यवहार,
- (५) शिष्य आदि के आदान-प्रदान का व्यवहार,
- (६) परस्पर निमन्त्रण देने का व्यवहार,
- (७) खड़े होकर आदर देने का व्यवहार,
- (८) परस्पर वन्दन व्यवहार,
- (९) परस्पर सेवा करने का व्यवहार,
- (१०) एक दूसरे से मिलने का व्यवहार,
- (११) आसन देने का व्यवहार,
- (१२) एक पाट पर बैठकर धर्म कथा करने का व्यवहार ।

सम्बन्ध विच्छेद करने के कारण—

४८३. तीन कारणों से श्रमण निर्ग्रन्थ अपने साधर्मिक, सांभोगिक
साधु को विसंभोगिक करता हुआ भगवान् की आज्ञा का अति-
क्रमण नहीं करता है । यथा—

- (१) स्वयं किसी को प्रतिकूल आचरण करता देखकर ।
- (२) विश्वस्त श्रावक या साधु से सुनकर ।
- (३) तीन बार असत्य भाषण क्षम्य होता है चौथी बार
असत्य भाषण क्षम्य नहीं होता है अतः विसंभोग करे ।

पांच स्थानों से श्रमण निर्ग्रन्थ अपने साम्भोगिक साधर्मिक
को विसंभोगिक करे तो जिनाज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है ।

यथा—

- (१) जो अकृत्य कार्य का प्रतिसेवन करता है ।
- (२) जो अकृत्य कार्य का प्रतिसेवन कर आलोचना नहीं
करता है ।
- (३) जो आलोचना कर प्रायश्चित्त स्वीकार नहीं करता है ।
- (४) जो प्रायश्चित्त का पूर्ण सेवन नहीं करता है ।
- (५) जो स्थविरो के आवश्यक आचार के विपरीत घृष्टता-
पूर्वक आचरण कर कहे कि "मैं इन दोषों का सेवन करता हूँ,
स्थविर मेरा क्या कर लेंगे ।"

नौ कारणों से श्रमण निर्ग्रन्थ अपने साधर्मिक को सांभोगिक
से विसंभोगिक करता हुआ अतिक्रमण नहीं करता है ।

- (१) आचार्य के प्रतिकूल आचरण करने वाले को ।

२. उवज्झायपडिणीयं,
३. थेरपडिणीय,
४. कुलपडिणीयं,
५. गणपडिणीय,
६. संघपडिणीयं,
७. णाणपडिणीय,
८. दंसणपडिणीयं,
९. चरित्तपडिणीयं ।

—ठाण अ ६, सु. ६६१

विसंभोग करण विहि-णिसेहो—

४८४ जे निग्गया य निग्गथीओ य संभोइया सिया, नो ण कप्पइ निग्गय पारोक्ख पाडिएक्कं संभोइय विसंभोग करेत्तए ।

कप्पइ णं पच्चक्ख पाडिएक्कं संभोइय विसंभोग करेत्तए ।

जत्थेव अन्नमन्नं पासेज्जा तत्थेव एव वएज्जा—

“अहं ण अज्जो ! तुमए सद्धि इममि कारणम्मि पच्चक्ख पाडिएक्कं संभोइयं विसंभोग करेमि ।”

से य पडित्तपेज्जा, एवं से नो कप्पइ पच्चक्ख पाडिएक्क संभोइय विसंभोगं करेत्तए ।

से य नो पडित्तपेज्जा, एव से कप्पइ पच्चक्ख पाडिएक्क संभोइय विसंभोग करेत्तए ।

जे निग्गया य निग्गथीओ य संभोइया [सिया, नो णं कप्पइ निग्गथीण पच्चक्ख पाडिएक्क संभोइय विसंभोग करेत्तए ।

कप्पइ णं पारोक्ख पाडिएक्कं संभोइय विसंभोग करेत्तए ।

जत्थेव ताओ अप्पणो आयरिय-उवज्झाए पासेज्जा तत्थेव एव वएज्जा—

“अहं ण भत्ते ! अमुगीए अज्जाए सद्धि इममि कारणम्मि पारोक्ख पाडिएक्क संभोइय विसंभोग करेमि ।”

सा य पडित्तपेज्जा, एवं से नो कप्पइ पारोक्ख पाडिएक्क संभोइय विसंभोग करेत्तए ।

सा य नो पडित्तपेज्जा, एवं से कप्पइ पारोक्ख पाडिएक्क संभोइय विसंभोग करेत्तए । —वव उ ७, सु ४-५

(२) उपाध्याय के प्रतिकूल आचरण करने वाले को ।

(३) स्थविर के प्रतिकूल आचरण करने वाले को ।

(४) कुल के प्रतिकूल आचरण करने वाले को ।

(५) गण के प्रतिकूल आचरण करने वाले को ।

(६) संघ के प्रतिकूल आचरण करने वाले को ।

(७) सम्यक्ज्ञान के प्रतिकूल आचरण करने वाले को ।

(८) सम्यक्दर्शन के प्रतिकूल आचरण करने वाले को ।

(९) सम्यक्चारित्र के प्रतिकूल आचरण करने वाले को ।

सम्बन्ध विच्छेद करने का विधि-निषेध—

४८४ जो निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थिनियाँ साभोगिक हैं, उनमें से किसी एक निर्ग्रन्थ को परोक्ष में साभोगिक व्यवहार वन्द करके विसंभोगी करना नहीं कल्पता है ।

किन्तु प्रत्यक्ष में साभोगिक व्यवहार वन्द करके उसे विसंभोगी करना कल्पता है ।

जब एक दूसरे से मिले तब ही इस प्रकार कहे कि—

“हे आर्य ! मैं अमुक कारण से तुम्हारे साथ साभोगिक व्यवहार वन्द करके तुम्हें विसंभोगी करता हूँ ।”

इस प्रकार कहने पर वह यदि पश्चात्ताप करे तो प्रत्यक्ष में भी उसके साथ साभोगिक व्यवहार वन्द करके उसे विसंभोगी करना नहीं कल्पता है ।

यदि वह पश्चात्ताप न करे तो प्रत्यक्ष में उसके साथ साभोगिक व्यवहार वन्द करके उसे विसंभोगी करना कल्पता है ।

जो निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थिनियाँ साभोगिक हैं उनमें निर्ग्रन्थिनी को प्रत्यक्ष में साभोगिक व्यवहार वन्द करके विसंभोगी करना नहीं कल्पता है ।

किन्तु परोक्ष में साभोगिक व्यवहार वन्द करके उसे विसंभोगी करना कल्पता है ।

जब वे अपने आचार्य या उपाध्याय की सेवा में पहुँचे तब उन्हें इस प्रकार कहे—

“हे भन्ते ! मैं अमुक आर्या के साथ अमुक कारण से परोक्ष रूप में साभोगिक व्यवहार वन्द करके उसे विसंभोगी करना चाहती हूँ ।”

तब वह निर्ग्रन्थी यदि (आचार्य-उपाध्याय के समीप अपने सेवित दोष का पश्चात्ताप करे तो उसके साथ परोक्ष रूप में भी साभोगिक व्यवहार वन्द करना व उसे विसंभोगी करना नहीं कल्पता है ।

यदि वह पश्चात्ताप न करे तो परोक्ष रूप में उसके साथ साभोगिक व्यवहार वन्द करके उसे विसंभोगी करना कल्पता है ।

समणुण्णं-असमणुण्णणं व्यवहारा—

४८५. से समणुण्णस्स वा असमणुण्णस्स वा असण वा-जाव-साइमं वा, वत्थ वा-जाव पायपुच्छण वा णो पाएज्जा, णो णिम-तेज्जा, णो कुज्जा वेयावडिय-परं आढायमाणे ।

ध्रुवं चेत जाणेज्जा—असण वा-जाव-साइम वा, वत्थं वा -जाव-पायपुच्छण वा लभिय, भुंजिय, पथ वियत्ता विओ-कम्म ।

विभस्त धम्म झोसेमाणे समेमाणे चलेमाणे पाएज्जा वा, णिमतेज्जा वा, कुज्जा वेयावडिय पर अणाढायमाणे ।

—आ सु. १, अ. ८, उ. १, सु १९९

से समणुण्णे असमणुण्णस्स असणं वा-जाव-साइमं वा, वत्थं वा-जाव-पायपुच्छण वा णो पाएज्जा, णो णिमतेज्जा, णो कुज्जा वेयावडियं परं आढायमाणे ।

धम्ममायाणह पवेदितं माहणेण महमया समणुण्णे समणुण्णस्स असणं वा-जाव-साइम वा, वत्थ वा-जाव-पायपुच्छण वा, पाएज्जा, णिमतेज्जा, कुज्जा वेयावडिय परं आढायमाणे ।

—आ. सु. १, अ ८, उ २, सु २०७-२०८

सरिसगस्स सवास अदाण पायच्छित सुत्ताइ —

४८६. जे णिग्गथे णिग्गथस्स सरिसगस्स “अते ओवासे सते” ओवास न देइ, न देंत वा साइज्जइ ।

जा णिग्गंथी णिग्गंथीए सरिसियाए “अंते ओवासे सते” ओवास न देइ, न देंतं वा साइज्जइ ।

—नि उ १७, सु. १२१-१२२

सभोगे पच्चक्खाण फलं ।

४८७ प०—संभोगपच्चक्खाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ० - संभोगपच्चक्खाणेण आलम्बणाइं खवेइ । निरालम्ब-णस्स य आययट्ठिया जोगा भवन्ति ।

सएणं लाभेणं सतुस्सइ, परलाभ नो आसाएइ, नो तक्केइ, नो पीहेइ, नो पत्थेइ, नो अभिलसइ । परलाभं अणास्ताए-

समनोज्ञ-असमनोज्ञो के व्यवहार—

४८५ भिक्षु समनोज्ञ (असाभोगिक) तथा असमनोज्ञ (शाक्यादि) को अशन—यावत्—स्वाद्य, वस्त्र—यावत्—पादप्रोछन आदर-पूर्वक न दे, न निमन्त्रित करे और न उनकी अन्य वैयावृत्य भी करे ।

यदि शाक्यादि भिक्षु मुनि से कहे कि—‘हे मुनिवर ! आपको अशन—यावत्—स्वाद्य, वस्त्र—यावत्—पादप्रोछन प्राप्त हो या न हो, उनका उपयोग कर लिया हो या न कर लिया हो, मार्ग सीधा हो या टेढा हो, तो भी हमारे यहाँ अवश्य आना ।

भिन्न धर्म का आचरण करने वाले वे कभी उपाश्रय मे आकर कहे, कभी मार्ग मे चलते हुए कहे, अथवा अशनादि दे या निमन्त्रित करे या वैयावृत्य करे तो मुनि उसके निमन्त्रण का आदर न करे ।

वह समनोज्ञ (सुशील) भिक्षु असमनोज्ञ (कुशील) साधु को अशन—यावत्—स्वाद्य, वस्त्र—यावत्—पादप्रोछन आदरपूर्वक न दे, न निमन्त्रित करे और न उनकी वैयावृत्य करे ।

दान धर्म के स्वरूप को जानकर केवलज्ञानी भगवान् ने प्रतिपादित किया है कि समनोज्ञ साधु समनोज्ञ (समान आचार वाले साभोगिक) साधु को आदरपूर्वक अशन—यावत्—स्वाद्य, वस्त्र—यावत्—पादप्रोछन आदि दे, उन्हें देने के लिये निमन्त्रित करे तथा उनकी वैयावृत्य भी करे-।

सदृश आचारवान को स्थान न देने के प्रायश्चित्त सूत्र— ४८६ जो निर्ग्रन्थ सदृश आचार वाले निर्ग्रन्थ को अपने उपाश्रय मे अवकाश होते हुए भी ठहरने के लिये स्थान नहीं देता है या नहीं देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो निर्ग्रन्थी सदृश आचार वाली निर्ग्रन्थी को अपने उपाश्रय मे अवकाश होते हुए भी ठहरने के लिए स्थान नहीं देती है या नहीं देने वाले का अनुमोदन करती है ।

(उसे लघु चौमासी प्रायश्चित्त आता है-।)

संभोग प्रत्याख्यान का फल—

४८७. प्र०—भन्ते ! संभोग-प्रत्याख्यान (एक मांडलिक आहार का त्याग) करने वाला जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—संभोग-प्रत्याख्यान से जीव का परालम्बीपन छूट जाता है । उम परालम्बन के छूट जाने से मुनि के सारे कार्य स्वावलम्बन युक्त हो जाते हैं ।

वह स्वयं जो कुछ मिलता है उसी मे मन्तुष्ट हो जाता है । दूसरे मुनियों के लाभ का आस्वादन उपयोग नहीं करता, कल्पना

माणे, अतक्केमाणे, अपीहेमाणे अपत्येमाणे, अणभिलसमाणे नही करता, चाहना नही करता प्रार्थना नही कर
द्रुच्च सुहसेज्जं उवसंपज्जित्तार्णं विहरइ । लापा नही करता है । इस प्रकार दूसरे के लाभ
—उत्त अ. २६, सु. ३५ कल्पना, स्पृहा, प्रार्थना और अभिलाषा न कर

सुख-शय्या (सयम और स्वावलम्बीपन) को प्राप्त करता है ।



गृहस्थ के साथ व्यवहार—१०

सम्पदंस तिगिच्छाए विहि-णिसेहो—

४८८. निग्गंयं च ण राओ वा वियाले वा दोहपट्टो लूसेज्जा, इत्यी वा पुरिसस्स ओमावेज्जा, पुरिसो वा इत्योए ओमावेज्जा, एवं से कप्पइ, एव से चिट्ठइ, परिहार च से नो पाउणइ, एस कप्पे थेरकणिययाणं ।

एव से नो कप्पइ, एव से नो चिट्ठइ, परिहार च से पाउणइ एस कप्पे जिण-कप्पियाणं । —वव. उ ५, सु. २१

गारत्थियाईहं सद्धिं भिक्खट्ठा गमण णिसेहो—

४८९ से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गाहावइकुल पिडवाय पडियाए पविसित्तु कामे णो अण्णत्थियएण वा गारत्थियएण वा, परिहारिओ अपरिहारिएण सद्धिं गाहावतिकुल पिडवाय पविसेज्ज वा णिक्खमेज्ज वा ।

—आ. सु २, अ १, उ १, सु ३२७

गारत्थियाईहं सद्धिं भिक्खट्ठा गमण पायच्छित्त सुत्तं —

४९०. जे भिक्खू अण्णत्थियएण वा गारत्थियएण वा परिहारिओ वा अपरिहारिएण सद्धिं गाहावइकुल पिडवाय पडियाए णिक्खमइ वा पविसइ वा णिक्खमत वा, पविसत्त वा साइज्जइ । त मेउमाणे आवज्जइ भासियं परिहारट्ठानं उग्घाइय ।

—नि उ २, सु ४०

गारत्थियाईणं असणाइ दाण णिसेहो—

४९१ से भिक्खू वा भिक्खूणी वा गाहावइकुल पिडवाय पडियाए अणुपविट्ठे समाणे णो अण्णत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा परिहारिओ अपरिहारियस्स वा असणं वा-जाव-साइमं वा देज्जा वा अणुपवेज्जा वा ।

—आ. सु २, अ. १, उ. १, सु ३३०

सर्पदंश चिकित्सा के विधि-निषेध—

४८८ यदि किसी निर्ग्रन्थ या निर्ग्रन्थी को रा (सन्ध्या) में सर्प डम ले तो स्त्री निर्ग्रन्थ की और की सर्प दशचिकित्सा करे तो इस प्रकार से उनको कल्पता है । इस प्रकार उपचार कराने साधुता रहती है तथा वे प्रायश्चित्त के पात्र नही स्थविरकल्पी साधुओं का आचार है ।

जिनकल्प वालों को इस प्रकार उपचार करा है । इस प्रकार उपचार कराने पर उनका जिनक है, और वे प्रायश्चित्त के पात्र होते हैं । जिनक यही आचार है ।

गृहस्थ आदि के साथ भिक्षार्थ जाने का निषे ४८९ गृहस्थ के घर में भिक्षा के निमित्त प्रवेश क भिक्षु या भिक्षुणी अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के सा हारिक (उत्तम) साधु अपारिहारिक (पार्श्वस्थ) भिक्षा के लिए जावे आवे नही ।

गृहस्थ आदि के साथ भिक्षार्थ जाने का प्राय ४९० जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के साथ त साधु अपारिहारिक साधु के साथ गृहस्थ के घ लिये जावे-आवे या जाने आने वाले का अनुमोदन उमें उद्घातिक मानिक परिहारस्थान (प्रायश्

गृहस्थ आदि को अशनादि देने का निषेध— ४९१. गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए प्रविष्ट भि अन्यतीर्थिक या गृहस्थ को तथा पारिहारिक भिक्षु भिक्षु को अणन—यावत्—स्वाद्य, न तो स्व किमी से दिलाए ।

ओभासिय जयणाए पायच्छित्त सुत्ताइ—

४६२ जे भिक्खू आगंतारेसु वा आरामागारेसु वा, गाहावइ-कुलेसु वा, परियावसहेसु वा अण्णउत्थियं वा गारत्थियं वा असण वा-जाव-साइम वा ओभासिय-ओभासिय जायइ जायतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू आगंतारेसु वा-जाव-परियावसहेसु वा अण्णउत्थिया वा गारत्थिया वा असणं वा-जाव-साइम वा ओभासिय-ओभासिय जायइ जायत वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू आगंतारेसु वा-जाव-परियावसहेसु व अण्णउत्थिणीं वा गारत्थिणीं वा असण वा-जावं साइम वा ओभासिय-ओभासिय जायइ जायतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू आगंतारेसु वा-जाव-परियावसहेसु वा अण्णउत्थिणीओ वा गारत्थिणीओ वा असणं वा-जाव-साइम वा ओभासिय-ओभासिय जायइ जायत वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू आगंतारेसु वा-जाव-परियावसहेसु वा “कोउहल्ल वडियाए पडियागय समाण” अण्णउत्थियं वा गारत्थियं वा असण वा-जाव-साइम वा ओभासिय-ओभासिय जायइ जायतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू आगंतारेसु वा-जाव-परियावसहेसु वा “कोउहल्ल वडियाए पडियागयं समाण” अण्णउत्थिया वा गारत्थिया वा असण वा-जाव-साइमं वा ओभासिय-ओभासिय जायइ जायत वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू आगंतारेसु वा-जाव-परियावसहेसु वा “कोउहल्ल वडियाए पडियागयं समाण” अण्णउत्थिणीं वा गारत्थिणीं वा असण वा-जाव-साइमं वा ओभासिय-ओभासिय जायइ जायत वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू आगंतारेसु वा-जाव-परियावसहेसु वा “कोउहल्ल वडियाए पडियागयं समाण” अण्णउत्थिणीओ वा गारत्थिणीओ वा असण वा-जाव-साइम वा ओभासिय-ओभासिय जायइ जायतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू आगंतारेसु वा-जाव-परियावसहेसु वा अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा असण वा-जाव-साइम वा अमिहडं आहट्टु दिज्जमाणं पडिसेहेत्ता तमेव अणुवत्थिय-अणुवत्थिय, परिवेडिय-परिवेडिय, परिजविय-परिजविय, ओभासिय-ओभासिय जायइ, जायतं वा साइज्जइ ।

माग-माग कर याचना करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

४६२ जो भिक्षु धर्मशालाओ मे, उद्यानगृहो मे, गृहस्थो के धरो मे अथवा आश्रमो मे अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से अशन—यावत्—स्वाद्य माग-माग कर याचना करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु धर्मशालाओ मे—यावत्—आश्रमो मे, अन्य-तीर्थिको या गृहस्थो से अशन—यावत्—स्वाद्य माग-माग कर याचना करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु धर्मशालाओ मे—यावत्—आश्रमो मे, अन्य-तीर्थिक या गृहस्थ स्त्री से अशन—यावत्—स्वाद्य माग-माग कर याचना करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु धर्मशालाओ मे—यावत्—आश्रमो मे, अन्य-तीर्थिक या गृहस्थ स्त्रियो से अशन—यावत्—स्वाद्य माग-माग कर याचना करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु धर्मशालाओ मे—यावत्—आश्रमो मे कौतूहलवश अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से अशन—यावत्—स्वाद्य माग-माग कर याचना करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु धर्मशालाओ मे—यावत्—आश्रमो मे कौतूहलवश अन्यतीर्थिको से या गृहस्थो से अशन—यावत्—स्वाद्य माग-माग कर याचना करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु धर्मशालाओ मे—यावत्—आश्रमो मे कौतूहलवश अन्यतीर्थिक या गृहस्थ स्त्री से अशन—यावत्—स्वाद्य माग-माग कर याचना करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु धर्मशालाओ मे—यावत्—आश्रमो मे, कौतूहलवश अन्यतीर्थिक या गृहस्थ स्त्रियो से अशन—यावत्—स्वाद्य माग-माग कर याचना करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु धर्मशालाओ मे—यावत्—आश्रमो मे, अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के द्वारा अशन—यावत्—स्वाद्य सामने लाकर देते हुए का निषेध करके पुन उसी के पीछे-पीछे जाकर या उसी के आसपास व सामने जाकर या मिष्ट वचन बोलकर माग-माग कर याचना करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जे भिक्षू आगतारेसु वा-जाव-परियावसहेसु वा अणउत्थि-
एहि वा गारत्थिएहि वा असण वा-जाव-साइम वा अभिहड
आहट्टु दिज्जमाण पडिसेहेत्ता तमेव अणुवत्थिय अणुवत्थिय
-जाव-ओभासिय ओभासिय जायइ, जायत वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू आगतारेसु वा-जाव-परियावसहेसु वा अणउत्थि-
णीए वा गारत्थिणीए वा असण वा-जाव-साइम वा अभिहड
आहट्टु दिज्जमाण पडिसेहेत्ता तमेव अणुवत्थिय अणुवत्थिय
-जाव-ओभासिय ओभासिय जायइ जायत वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू आगतारेसु वा-जाव-परियावसहेसु वा अणउत्थि-
णीहि वा गारत्थिणीहि वा असण वा-जाव-साइम वा अभि-
हड आहट्टु दिज्जमाण पडिसेहेत्ता तमेव अणुवत्थिय-अणु-
वत्थिय-जाव-ओभासिय-ओभासिय जायइ जायत वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्ठाण उग्घाइयं ।

—नि उ. ३, सु. १-१२

गारत्थिएहि उवहि वहावण पायच्छित्त सुत्ताइ—

४६३ जे भिक्षू अन्नउत्थिएण वा गारत्थिएण वा उवहि वहावेइ,
घहावेत वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू तण्णीसाए असण वा-जाव-साइम वा देइ देतं वा
साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्ठाण उग्घाइयं ।

—नि उ. १२, सु. ४०-४१

गारत्थिया आहार दाण पायच्छित्त सुत्तं—

४६४ जे भिक्षू अणउत्थियस्स वा, गारत्थियस्स वा असण वा
-जाव-साइम वा वेइ देतं वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाण उग्घाइयं ।

—नि. उ. १५, सु. ७५

गारत्थिय सद्धि आहार करण पायच्छित्त सुत्ताइ—

४६५ जे भिक्षू अणउत्थिएहि वा गारत्थिएहि वा सद्धि भुजइ
भुजतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अणउत्थिएहि वा गारत्थिएहि वा आवेडिय-परि-
वेडिय भुजइ भुजत वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्ठाणं उग्घाइय ।

—नि. उ. १६, सु. ३७-३८

जो भिक्षु धर्मशालाओ मे—यावत्—आश्रमो मे, अन्यतीर्थिक
या गृहस्थो के द्वारा अशन—यावत्—स्वाद्य सामने लाकर देते
हुए का निषेध करके पुन उसी के पीछे-पीछे जाकर—यावत्—
माग-माग कर याचना करना है, करवाता है या करने वाले का
अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु धर्मशालाओ मे—यावत्—आश्रमों मे अन्यतीर्थिक
या गृहस्थ स्त्री के द्वारा अशन—यावत्—स्वाद्य सामने लाकर
देते हुए का निषेध करके पुन उसी के पीछे-पीछे जाकर
—यावत्—माग-माग कर याचना करता है, करवाता है या
करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु धर्मशालाओ मे—यावत्—आश्रमों में अन्यतीर्थिक
या गृहस्थ स्त्री के द्वारा अशन—यावत्—स्वाद्य सामने लाकर
देते हुए का निषेध करके पुन उसी के पीछे-पीछे जाकर
—यावत्—माग-माग कर याचना करता है, करवाता है या
करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

गृहस्थ से उपधि वहन कराने के प्रायश्चित्त सूत्र—

४६३ जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ से उपधि वहन करवाता
है, या करवाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ को उपधि वहन कराने के
बदले मे अशन - यावत्—स्वाद्य देता है, दिलवाता है या देने
वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

गृहस्थ को आहार देने का प्रायश्चित्त सूत्र—

४६४ जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ को अशन - यावत्—
स्वाद्य देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

गृहस्थो के साथ आहार करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

४६५ जो भिक्षु अन्यतीर्थिको या गृहस्थो के साथ (समीप मे
बैठकर) आहार करता है, करवाता है या करने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

जो भिक्षु अन्यतीर्थिको या गृहस्थो से घिरकर (कुछ दूर
बैठे या खड़े हों तो) आहार करता है, करवाता है या करने वाले
का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।



गणापक्रमण—११

भिक्षुणा गणपरिच्छाओ—

४६६. सत्तविहे गणावक्कमणे पणत्ते, तं जहा—

१. सव्वधम्मा रोएमि ।

२. एगइया रोएमि, एगइया णो रोएमि ।

३. सव्वधम्मा वित्तिगिच्छामि ।

४. एगइया वित्तिगिच्छामि, एगइया नो वित्तिगिच्छामि ।

५. सव्वधम्मा जुहुणामि ।

६. एगइया जुहुणामि, एगइया णो जुहुणामि ।

७. इच्छामि णं भत्ते ! एगल्लविहारपडिमा उवसपज्जित्ता णं विहरित्तए ।

—ठाण. अ. ७, सु. ५४१

आयरिय उवज्जाएहि गणपरिच्छाओ—

४६७. पचहिं ठाणेहिं आयरिय-उवज्जायस्स गणावक्कमणे पणत्ते, तं जहा—

१. आयरिय-उवज्जाए गणंसि आण वा धारणं वा णो सम्म पउज्जित्ता भवति ।

२. आयरिय-उवज्जाए गणंसि अघारायणियाए कित्तिकम्म वेणइयं णो सम्म पउज्जित्ता भवति ।

३. आयरिय-उवज्जाए गणंसि जे सुयपज्जवजाते धारेति, ते काले णो सम्मणुप्पवादेता भवति ।

४. आयरिय-उवज्जाए गणंसि सगणियाए वा परगणियाए वा णिग्गथीए बहिल्लेसे भवति ।

५. भित्ते णातिगणे वा से गणाओ अवक्कमेज्जा, तेसि सगहो-वग्गहट्टयाए गणावक्कमणे पणत्ते ।

—ठाण. अ. ५, उ. २, सु. ४३६

भिक्षु द्वारा गण-परित्याग—

४६६. सात प्रकार का गणपरित्याग कहा गया है, यथा—

(१) सर्व श्रुत चारित्र धर्मों के पालन की रुचि रखता हूँ (इस गण में सम्भव नहीं है अतः इस का परित्याग करता हूँ ।)

(२) इस गण के कुछ श्रुत चारित्र धर्मों के पालन में रुचि रखता हूँ और कुछ के पालन में रुचि नहीं रखता हूँ (अतः इस गण का परित्याग करता हूँ)

(३) इस गण के सभी श्रुत-चारित्र धर्मों के पालन में सशय रखता हूँ (अतः इस गण का परित्याग करता हूँ)

(४) इस गण के कुछ श्रुत-चारित्र धर्मों के पालन में सशय रखता हूँ और कुछ के पालन में सशय नहीं रखता हूँ (अतः इस गण का परित्याग करता हूँ)

(५) सभी श्रुत-चारित्र धर्म (योग्य पात्र को देना चाहता हूँ) इस गण में ऐसा योग्य पात्र कोई नहीं है अतः इस गण का परित्याग करना चाहता हूँ ।)

(६) कुछ श्रुत-चारित्र धर्म योग्य पात्र को देना चाहता हूँ और कुछ नहीं देना चाहता हूँ (इस गण में ऐसा कोई योग्य पात्र नहीं है अतः इस गण का परित्याग करना चाहता हूँ)

(७) भन्ते ! मैं एकल विहार पडिमा स्वीकार करना चाहता हूँ (अतः इस गण का परित्याग करता हूँ ।)

आचार्य-उपाध्याय द्वारा गणपरित्याग—

४६७. पाँच कारणों से आचार्य-उपाध्याय का गण परित्याग कहा गया है—

(१) गण में आचार्य या उपाध्याय की आज्ञा या धारणा का पूर्ण पालन न होता हो तो वे गण का परित्याग करते हैं ।

(२) गण में दीक्षा पर्याय के क्रम से विनय तथा वन्दन व्यवहार न होता हो तो आचार्य या उपाध्याय गण का परित्याग कर देते हैं ।

(३) गण में जितने श्रुतधर हैं वे समय-समय पर (शिष्य समुदाय को) आगम वाचना न देते हो तो आचार्य या उपाध्याय गण का परित्याग कर देते हैं ।

(४) गण में स्वगण या परगण की निर्गन्धी में आसक्ति रखने वाला कोई हो तो आचार्य या उपाध्याय गण का परित्याग कर देते हैं ।

(५) आचार्य या उपाध्याय के मित्र या स्वजन गण का परित्याग कर दें तो वे उन्हें गण में लाने के लिए या उन पर उपकार करने के लिए गण का परित्याग करते हैं ।

सुय ग्रहणद्वारा अण्ण-गण गमण विहि-णिसेहो—

६८ मिक्खु य गणाओ अवक्कम्म इच्छेज्जा अन्न गण उवसप-
ज्जित्ता ण विहरित्तए, नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता—

१. आयरियं वा, २. उवज्झाय वा, ३ पवत्तय वा,
४ थेर वा, ५ गणिं वा, ६ गणहर वा,
७. गणावच्छेइय वा अन्न गण उवसपज्जित्ता ण विहरित्तए ।

कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा-जाव-गणावच्छेइय वा
अन्न गण उवसपज्जित्ता णं विहरित्तए ।

ते य से वियरेज्जा, एवं से कप्पइ अन्नं गण उवसपज्जित्ता
णं विहरित्तए ।

ते य से नो वियरेज्जा, एव से नो कप्पइ अन्न गण उवसप-
ज्जित्ता णं विहरित्तए ।

गणावच्छेयए य गणाओ अवक्कम्म इच्छेज्जा अन्न गण
उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए—

नो से कप्पइ गणावच्छेइयत्तं अनिक्खवित्ता अन्नं गणं उव-
सपज्जित्ता णं विहरित्तए ।

कप्पइ से गणावच्छेइयत्तं निक्खवित्ता अन्नं उवसपज्जित्ता
णं विहरित्तए ।

नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा-जाव-गणावच्छेइय
वा अन्नं गणं उवसपज्जित्ता णं विहरित्तए ।

कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा-जाव-गणावच्छेइयं वा
अन्नं गण उवसपज्जित्ता विहरित्तए ।

ते य से वियरेज्जा, एवं से कप्पइ अन्नं गणं उवसंपज्जित्ता
णं विहरित्तए ।

ते य से नो वियरेज्जा एवं से नो कप्पइ अन्न गण उवसंप-
ज्जित्ता णं विहरित्तए ।

आयरिय-उवज्झाए य गणाओ अवक्कम्म इच्छेज्जा अन्न गण
उवसपज्जित्ता णं विहरित्तए—

नो से कप्पइ आयरिय-उवज्झायत्तं अनिक्खवित्ता अन्न गण
उवसपज्जित्ता णं विहरित्तए ।

कप्पइ से आयरिय-उवज्झायत्तं निक्खवित्ता अन्नं गणं उव-
सपज्जित्ता णं विहरित्तए ।

नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा-जाव-गणावच्छेइय
वा अन्नं गण उवसपज्जित्ता णं विहरित्तए ।

कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा-जाव-गणावच्छेइय वा
अन्नं गण उवसपज्जित्ता णं विहरित्तए ।

ते य से वियरेज्जा, एवं से कप्पइ अन्नं गणं उवसपज्जित्ता
णं विहरित्तए ।

श्रुत ग्रहण के लिये अन्य गण में जाने का विधि-निषेध—

४६८ यदि कोई भिक्षु स्वगण को छोड़कर अन्यगण को श्रुत
ग्रहण के लिए स्वीकार करना चाहे तो उसे —

- (१) आचार्य, (२) उपाध्याय, (३) प्रवर्तक,
(४) स्थविर, (५) गणी, (६) गणधर या
(७) गणावच्छेदक को पूछे बिना अन्य गण को स्वीकार
करना नहीं कल्पता है ।

किन्तु आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक को पूछकर अन्य
गण स्वीकार करना कल्पता है ।

यदि वे आज्ञा दें तो अन्य गण को स्वीकार करना
कल्पता है ।

यदि वे आज्ञा न दें तो अन्य गण को स्वीकार करना नहीं
कल्पता है ।

यदि गणावच्छेदक स्वगण को छोड़कर श्रुत ग्रहण के लिये
अन्य गण को स्वीकार करना चाहे तो—

उसे अपने पद का त्याग किए बिना अन्य गण को स्वीकार
करना नहीं कल्पता है ।

उसे अपने पद का त्याग करके अन्य गण को स्वीकार करना
कल्पता है ।

आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक को पूछे बिना उसे अन्य
गण को स्वीकार करना नहीं कल्पता है ।

किन्तु आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक को पूछकर अन्य
गण को स्वीकार करना कल्पता है ।

यदि वे आज्ञा दें तो उसे अन्य गण को स्वीकार करना
कल्पता है ।

यदि वे आज्ञा न दें तो उसे अन्य गण को स्वीकार करना
नहीं कल्पता है ।

आचार्य या उपाध्याय यदि स्व गण को छोड़कर अन्य गण
को श्रुत ग्रहण के लिये स्वीकार करना चाहे तो—

उन्हे अपने पद का त्याग किये बिना अन्य गण को स्वीकार
करना नहीं कल्पता है ।

अपने पद का त्याग करके अन्य गण को स्वीकार करना
कल्पता है ।

आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक को पूछे बिना उन्हे अन्य
गण को स्वीकार करना नहीं कल्पता है ।

किन्तु आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक को पूछकर अन्य
गण को स्वीकार करना कल्पता है ।

यदि वे आज्ञा दे तो उन्हें अन्य गण को स्वीकार करना
कल्पता है ।

ते य से नो वियरेज्जा, एवं से नो कप्पइ अन्नं गण उवसप-
ज्जित्ता णं विहरित्तए^१ । —कप्प उ ४, सु. २०-२२
भिक्षू य गणाओ अवक्कम्म अन्न गण उवसपज्जित्ताणं
विहरेज्जा,

तं च केइ साहम्मिए पासित्ता वएज्जा—

प०—“क अज्जो ! उवसंपज्जित्ता विहरसि ?”

उ०—जे तत्थ सव्वराइणिए त वएज्जा ।

प०—“अह भन्ते ! कस्स कप्पाए ?”

उ०—जे तत्थ सव्व-बहुस्सुए त वएज्जा, ज वा से भगव
वक्खइ तस्स आणा-उववाय-वयण निद्वेसे
चिट्ठिस्सामि । —वव. उ. ४, सु. १८

सभोग वडियाए अण्ण-गण-गमण विहि-णसेहो—

४६९ भिक्षू य गणाओ अवक्कम्म इच्छेज्जा अन्न गण सभोग-
वडियाए उवसंपज्जित्ता ण विहरित्तए—
नो मे कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा-जाव-गणावच्छेइयं
वा, अन्नं गणं संभोगवडियाए उवसपज्जित्ता णं विहरित्तए ।

कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा-जाव-गणावच्छेइय वा
जाव-गणावच्छेइय वा अन्नं गणं संभोगवडियाए उवसंप-
ज्जित्ता ण विहरित्तए ।

ते य से वियरेज्जा, एव से कप्पइ अन्नं गण संभोगवडियाए
उवसंपज्जित्ता ण विहरित्तए ।

ते य से नो वियरेज्जा, एव से नो कप्पइ अन्नं गण संभोग-
वडियाए उवसपज्जित्ता ण विहरित्तए ।

जत्थुत्तरिय धम्मविणय लभेज्जा एव से कप्पइ अन्न गणं
सभोगवडियाए उवसपज्जित्ता ण विहरित्तए ।

जत्थुत्तरिय धम्मविणय नो लभेज्जा, एवं से नो कप्पइ अन्नं
गण संभोगवडियाए उवसपज्जित्ता णं विहरित्तए ।

गणावच्छेइए य गणाओ अवक्कम्म इच्छेज्जा अन्न गणं
सभोगवडियाए उवसपज्जित्ता ण विहरित्तए—

यदि वे आज्ञा न दें तो उन्हें अन्य गण को स्वीकार करना
नहीं कल्पता है ।

विशिष्ट ज्ञान प्राप्ति के लिए यदि कोई भिक्षु अपना गण
छोड़कर अन्य गण को स्वीकार कर विचर रहा हो उस समय—

उसे उस गण में देखकर कोई स्वधर्मी भिक्षु पूछे कि—

प्र०—‘हे आर्य ! तुम किस की निश्रामे विचर रहे हो ?’

उ०—तब वह उस गण में जो दीक्षा में सबसे बड़ा हो
उसका नाम कहे ।

प्र०—पुनः पूछे कि—‘हे भदन्त ! किस बहुश्रुत की मुखता
में हो ?’

उ०—तब उस गण में जो सबसे अधिक बहुश्रुत हो उसका
नाम कहे तथा वे जिनकी आज्ञा में रहने के लिए कहे उनकी ही
आज्ञा एवं उनके समीप में रहकर उनके ही वचनों के निर्देशा-
नुसार में रहूँगा—ऐसा कहे ।

सांभोगिक व्यवहार के लिए अन्य गण में जाने का विधि-
निषेध—

४६९. भिक्षु यदि स्व-गण से निकलकर अन्य गण को सांभोगिक
व्यवहार के लिए स्वीकार करना चाहे तो—

उसे आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक को पूछे विना अन्य
गण को सांभोगिक व्यवहार के लिए स्वीकार करना नहीं
कल्पता है ।

किन्तु आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक को पूछकर अन्य
गण को सांभोगिक व्यवहार के लिए स्वीकार करना कल्पता है ।

यदि वे आज्ञा दें तो अन्य गण को सांभोगिक व्यवहार के
लिए स्वीकार करना कल्पता है ।

यदि वे आज्ञा न दें तो अन्य गण को सांभोगिक व्यवहार के
लिए स्वीकार करना नहीं कल्पता है ।

यदि संयम धर्म की उन्नति होती हो तो अन्य गण को
सांभोगिक व्यवहार के लिए स्वीकार करना कल्पता है ।

किन्तु यदि संयम धर्म की उन्नति न होती हो तो अन्य गण
को सांभोगिक व्यवहार के लिए स्वीकार करना नहीं कल्पता है ।

गणावच्छेदक यदि स्वगण से निकलकर अन्यगण को
सांभोगिक व्यवहार के लिए स्वीकार करना चाहे तो—

१ एक गण में अनेक आचार्य हो तो गण छोड़ने में वह अन्य बड़े आचार्य को पूछता है या अन्य प्रमुख गणावच्छेदक आदि कोई
पदवीधर हो तो उन्हें पूछता है ।

अथवा अन्य कोई पदवीधर गण में न हो तो अन्य को आचार्य बनाकर फिर उसे पूछकर उसकी आज्ञा लेकर अन्य
गण में जा सकता है ।

संभोग वडियाए गण संक्रमण पायच्छित्त सुत्त—

५००. जे भिक्षू वुसिराइयाओ गणाओ अवुसिराइय गणं संक्रमइ, संक्रमतं वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्ठणं उग्घाइय ।
—नि. उ. १६, सु. १६

आयरियाईणं वायणट्ठाए अण्ण-गण-गमण विहि-णिसेहो—

५०१. भिक्षू य इच्छेज्जा, अन्न आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए,

नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरिय वा-जाव-गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए ।

कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरिय वा-जाव-गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए ।

ते य से विघरेज्जा एव से कप्पइ अन्न आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए ।

ते य से नो विघरेज्जा, एव से नो कप्पइ अन्नं आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए ।

नो से कप्पइ तेसि कारणं अदीवित्ता अन्न आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए ।

कप्पइ से तेसि कारणं दीवित्ता अन्नं आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए ।

गणावच्छेइए य इच्छेज्जा अन्नं आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए,

नो से कप्पइ गणावच्छेइयत्त अनिक्खवित्ता अन्नं आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए ।

कप्पइ से गणावच्छेइयत्तं निक्खवित्ता अन्नं आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए ।

नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा-जाव-गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए ।

कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा-जाव-गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए ।

सांभोगिक व्यवहार के लिये गणसंक्रमण का प्रायश्चित्त सूत्र—

५००. जो भिक्षु विशेष चारित्र गुण सम्पन्न गण से अल्प चारित्र गुण वाले गण में संक्रमण करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

आचार्य आदि को वाचना देने के लिये अन्य गण में जाने का विधि-निषेध—

५०१. भिक्षु यदि अन्य गण के आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिए (या उनका नेतृत्व करने के लिये) जाना चाहे तो—

अपने आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक को पूछे बिना अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिए जाना नहीं कल्पता है ।

किन्तु अपने आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक को पूछ कर अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिए जाना कल्पता है ।

वे यदि आज्ञा दें तो अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिये जाना कल्पता है ।

वे यदि आज्ञा न दें तो अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिए जाना नहीं कल्पता है ।

उन्हे कारण बताये बिना अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिए जाना नहीं कल्पता है ।

किन्तु उन्हे कारण बताकर ही अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिये जाना कल्पता है ।

गणावच्छेदक यदि अन्य गण के आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिये (या उनका नेतृत्व करने के लिये) जाना चाहे तो—

उसे अपना पद छोड़े बिना अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिये जाना नहीं कल्पता है ।

किन्तु अपना पद छोड़कर अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिए जाना कल्पता है ।

अपने आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक को पूछे बिना अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिये जाना नहीं कल्पता है ।

किन्तु अपने आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक को पूछ कर अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिये जाना कल्पता है ।

ते य से वियरेज्जा, एवं से कप्पइ अन्न आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए ।

ते य से नो वियरेज्जा, एव से नो कप्पइ अन्न आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए ।

नो से कप्पइ तेसि कारण अदीवेत्ता अन्न आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए ।

कप्पइ से तेसि कारण दीवेत्ता अन्न आयरिय वा उवज्जाय वा उद्दिसावेत्तए ।

आयरिय-उवज्जाए य इच्छेज्जा अन्न आयरिय-उवज्जाय-उद्दिसावेत्तए,

नो से कप्पइ आयरिय-उवज्जायत्तं अनिक्खवित्ता अन्न आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए ।

कप्पइ से आयरिय-उवज्जायत्तं निक्खवित्ता अन्न आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए ।

नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरिय वा-जाव-गणावच्छेइय वा अन्न आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए ।

कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरिय वा-जाव-गणावच्छेइय वा अन्न आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए ।

ते य से वियरेज्जा, एवं से कप्पइ अन्न आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए ।

ते य से नो वियरेज्जा, एव से नो कप्पइ अन्न आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए ।

नो से कप्पइ तेसि कारण अदीवेत्ता अन्न आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए ।

कप्पइ से तेसि कारण दीवेत्ता अन्न आयरिय-उवज्जाय उद्दिसावेत्तए ।

—कप्प. उ. ४, सु २६-२८

अण्णगणाओ आगयाणं गणपवेसस्स विहि-णिसेहो—

५०२. नो कप्पइ निग्गयाण वा निग्गथीण वा निग्गथि अण्णगणाओ आगय खुयायारं, सबलायारं, भिन्नायारं, सक्खिद्धायाणं तस्स ठाणस्स अणालोयावेत्ता अपट्ठिकमावेत्ता, अनिदावेत्ता, अणरहावेत्ता, अविउट्ठावेत्ता, अविस्सोहावेत्ता, अकरणाए, अणन्नुट्ठावेत्ता, अहारिह पायच्छित्त अपट्ठिज्जावेत्ता उवट्ठावेत्तए वा, संभुज्जित्तए वा, संबसित्तए वा, तीसे इत्तरियं दिस वा, अणुदिस वा, उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

वे यदि आज्ञा दें तो अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिए जाना कल्पता है ।

वे यदि आज्ञा न दें तो अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिये जाना नहीं कल्पता है ।

उन्हे कारण बताए बिना अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिए जाना नहीं कल्पता ।

किन्तु उन्हे कारण बताकर ही अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिये जाना कल्पता है ।

आचार्य या उपाध्याय अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिये (या उनका नेतृत्व करने के लिये) जाना चाहे तो—

उन्हे अपना पद छोड़े बिना अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिये जाना नहीं कल्पता है ।

किन्तु अपना पद छोड़कर अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिये जाना कल्पता है ।

उन्हे अपने आचार्य—यावत्—गणावच्छेदक को पूछे बिना अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिये जाना नहीं कल्पता है ।

किन्तु उन्हे पूछकर अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिये जाना कल्पता है ।

वे यदि आज्ञा दें तो अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिये जाना कल्पता है ।

वे यदि आज्ञा न दें तो अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिये जाना नहीं कल्पता है ।

अपने आचार्य या उपाध्याय को कारण बताए बिना अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिये जाना नहीं कल्पता है ।

किन्तु उन्हे कारण बताकर अन्य आचार्य या उपाध्याय को वाचना देने के लिए जाना कल्पता है ।

अन्य गण से आये हुओं को गण में सम्मिलित करने के विधि-निषेध—

५०२. खण्डित शवल, भिन्न और सक्खिण्ड आहार वाली अन्य गण से आई हुई निर्ग्रन्थी को सेवित दोष की आलोचना, प्रति-क्रमण, निन्दा, गर्हा, व्युत्सर्ग एव आत्म-शुद्धि न करा लें और भविष्य में पुन पापस्थान सेवन न करने की प्रतिज्ञा कराके दोषानुरूप प्रायश्चित्त स्वीकार न कराले तब तक निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियों को उसे पुन चारित्र्य में उपस्थापित करना, उमके साथ सामो-गिक व्यवहार करना और साथ में रखना नहीं कल्पता है, तथा उसे अल्पकाल के लिए दिशा या अनुदिशा का निर्देश करना या धारण करना नहीं कल्पता है ।]

कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा निग्गंथि अन्नगणाओ आगयं खुयायारं सवलायारं वा, भिन्नायारं. संकिलिद्धायार तस्स ठाणस्स आलोयावेत्ता, पडिक्कमावेत्ता, निदावेत्ता, गरहावेत्ता, विउट्टावेत्ता, विसोहावेत्ता, अकरणए अन्भुट्टावेत्ता, अहारिह पायच्छित्तं पडिवज्जावेत्ता उवट्टावेत्तए वा, सभुजित्तए वा, सवसित्तए वा, तीसे इत्तरियं वा, दिसं वा अणुदिसं वा उट्टिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा निग्गंथ अन्नगणाओ आगयं खुयायारं-जाव-संकिलिद्धायार तस्स ठाणस्स अणालो-यावेत्ता-जाव-अहारिहं पायच्छित्त अपडिवज्जावेत्ता उवट्टा-वेत्तए वा, सभुजित्तए वा, संवसित्तए वा, तस्स इत्तरियं विसं वा अणुदिसं वा उट्टिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा निग्गंथं अन्नगणाओ आगयं खुयायार वा-जाव-संकिलिद्धायारं तस्स ठाणस्स आलोयावेत्ता-जाव-अहारिहं पायच्छित्त पडिवज्जावेत्ता उवट्टावेत्तए वा, सभुजित्तए वा, सवसित्तए वा, तस्स इत्तरियं विसं वा, अणुदिसं वा उट्टिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

—वव. उ. ६, सु. १८-२१

जे निग्गथा वा निग्गथीओ य संभोइया सिया, नो कप्पइ निग्गंथीणं निग्गंथे अणापुच्छित्ता निग्गंथि अन्नगणाओ आगयं खुयायारं-जाव-संकिलिद्धायारं तस्स ठाणस्स अणालो-यावेत्ता-जाव-अहारिहं पायच्छित्तं अपडिवज्जावेत्ता पुच्छित्तए वा, वाएत्तए वा, उवट्टावेत्तए वा, सभुजित्तए वा, संवसित्तए वा, तीसे इत्तरियं विसं वा अणुदिसं वा उट्टिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

जे निग्गथा य निग्गथीओ य संभोइया सिया कप्पइ निग्गंथीणं निग्गंथे आपुच्छित्ता निग्गंथि अन्नगणाओ आगयं खुयायारं-जाव-संकिलिद्धायारं तस्स ठाणस्स आलोयावेत्ता-जाव-पायच्छित्त पडिवज्जावेत्ता पुच्छित्तए वा, वाएत्तए वा, उवट्टावेत्तए वा, सभुजित्तए वा, सवसित्तए वा, तीसे इत्तरियं विसं वा अणुदिसं वा उट्टिसित्तए वा धारेत्तए वा ।

जे निग्गथा य निग्गंथीओ य संभोइया सिया, कप्पइ निग्गं-थाणं निग्गंथीओ आपुच्छित्ता वा, अणापुच्छित्ता वा, निग्गंथि

खण्डित, शबल, भिन्न और संक्लिष्ट आचार वाली अन्य गण से आई हुई निर्ग्रन्थी को सेवित दोष की आलोचना, प्रति-क्रमण, निन्दा, गर्हा, व्युत्सर्ग एव आत्मशुद्धि कराले तथा भविष्य में पुन पापस्थान सेवन न करने की प्रतिज्ञा के साथ दोषानुरूप प्रायश्चित्त स्वीकार करा लें तो निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को उसे पुनः चारित्र्य में उपस्थापित करना, उसके साथ साम्भोगिक व्यवहार करना और साथ में रखना कल्पता है, तथा उसे अल्पकाल के लिए दिशा या अनुदिशा का निर्देश करना या धारण करना कल्पता है ।

खण्डित—यावत्—संक्लिष्ट आचार वाले अन्य गण से आये हुए निर्ग्रन्थ को सेवित दोष की आलोचना—यावत्—दोषानुरूप प्रायश्चित्त स्वीकार न कराले तब तक निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को उसे पुन चारित्र्य में उपस्थापित करना, उसके साथ साम्भोगिक व्यवहार करना और साथ में रखना नहीं कल्पता है तथा उसे अल्पकाल के लिए दिशा या अनुदिशा का निर्देश करना या धारण करना नहीं कल्पता है ।

खण्डित—यावत्—संक्लिष्ट आचार वाले अन्य गण से आये हुए निर्ग्रन्थ को—यावत्—दोषानुरूप प्रायश्चित्त स्वीकार करा लें तो निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियों को उसे पुन चारित्र्य में उपस्था-पित करना, उसके साथ साम्भोगिक व्यवहार करना और साथ में रखना कल्पता है, तथा उसे अल्पकाल के लिए दिशा या अणु-दिशा का निर्देश करना या धारण करना कल्पता है ।

जो निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियाँ साम्भोगिक हैं और निर्ग्रन्थी के समीप यदि कोई अन्य गण से खण्डित—यावत्—संक्लिष्ट आचार वाली निर्ग्रन्थिनी आए तो निर्ग्रन्थ को पूछे बिना और उसके पूर्व सेवित दोष की आलोचना—यावत्—दोषानुरूप प्रायश्चित्त स्वीकार कराये बिना उसकी सुख-शाता पूछना, उसे वाचना देना, चारित्र्य में पुन उपस्थापित करना, उसके साथ बैठकर भोजन करना और साथ रखना नहीं कल्पता है । तथा उसे अल्पकाल के लिए दिशा या अनुदिशा का निर्देश करना या धारण करना नहीं कल्पता है ।

जो निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियाँ साम्भोगिक है और निर्ग्रन्थी के समीप यदि कोई अन्य गण से खण्डित—यावत्—संक्लिष्ट आचार वाली निर्ग्रन्थिनी आए तो निर्ग्रन्थ को पूछकर तथा सेवित दोष की आलोचना—यावत्—दोषानुरूप प्रायश्चित्त स्वीकार कराके उसे सुख-शाता पूछना, वाचना देना, चारित्र्य में पुन उपस्थापित करना, उसके साथ बैठकर भोजन करना और साथ रखना कल्पता है । उसे अल्पकाल के लिए दिशा या अनुदिशा का निर्देश करना या धारण करना कल्पता है ।

जो निर्ग्रन्थ-निर्ग्रन्थियाँ साम्भोगिक है और निर्ग्रन्थ के समीप यदि कोई अन्य गण से खण्डित—यावत्—संक्लिष्ट आचार वाली

अन्नगणाओ आणय खुयायार-जाव-संक्लिट्टायारं तस्स ठाणस्स आलोयावेत्ता-जाव-पायच्छित्त पडिवज्जावेत्ता पुच्छित्तए वा, वाएत्तए वा, उवट्टावेत्तए वा, संभुजित्तए वा, संवत्तित्तए वा, तीसे इत्तरिय विसं वा, अणुदिसं वा, उट्टिसित्तए वा, धारेत्तए वा, तं च निग्गथीओ नो इच्छेज्जा, सयमेव नियं ठाण ।

—वव. उ. ७, सु. १-३

निर्ग्रन्थिनी आए तो निर्ग्रन्थिनियो को पूछकर या बिना पूछे भी सेवित दोष की आलोचना—यावत्—दोषानुरूप प्रायश्चित्त स्वीकार कराके उसकी सुख-शांता पूछना, उसे वाचना देना, चारित्र्य मे पुन. उपस्थापित करना, उसके साथ बैठकर भोजन करने की और साथ रखने की आज्ञा देना कल्पता है। उसे अल्पकाल के लिए दिशा या अनुदिशा का निर्देश करना या धारण करना कल्पता है। किन्तु यदि निर्ग्रन्थिनियाँ उसे न रखना चाहे तो उसे चाहिए कि वह पुनः अपने गण मे चली जाए।



एकल विहार चर्या—१२

एगल्ल विहारिस्स अट्ट गुणा—

५०३. अट्ट हि ठाणेहि संपण्णे अणगारे एगल्ल विहारपडिम उवसपज्जित्ताणं विहरित्तए, तं जहा—

१. सद्धी पुरिसजाते, २. सच्चे पुरिसजाते,
३. मेहावी पुरिसजाते, ४. बहुस्सुत्ते पुरिसजाते,
५. सत्तिमं,
६. अप्पघिगरणे,
७. धित्तिमं, ८. वीरिय संपण्णे ।

—ठाणं. अ ८, सु ५६४

एगागी समणस्स आवास विहि-णिसेहो—

५०४. से गामंसि वा-जाव-सन्निवेससि वा अभिनिव्वगडाए, अभिनिद्वुवाराए अभिनिक्खमण-पवेसणाए,

नो कप्पइ बहुस्सुयस्स बन्नागमस्स एगणियस्स भिक्खुस्स यत्थए किमगुण अप्पसुयस्स अप्पागमस्स ?

से गामंसि वा-जाव-सन्निवेससि वा एगवगडाए, एगवुवाराए, एगनिक्खमण पवेसाए,

कप्पइ बहुस्सुयस्स बन्नागमस्स एगणियस्स भिक्खुस्स बत्थए बुहओ कालं भिक्खुभाव पडिजागरमाणस्स ।

—वव अ ६, सु. १४-१५

अवियत्त एगागी भिक्खुस्स दोसाइं—

५०५. गामाणुगाम द्दइज्जमाणस्स दुज्जात दुप्परक्कत भवति अवि-यत्तस्स भिक्खुणो ।

एकलविहारी के आठ गुण—

५०३. आठ गुणो से सम्पन्न अणगार एकल विहार प्रतिज्ञा को स्वीकार कर विहार करने के योग्य होता है, यथा—

१. श्रद्धावान् पुरुष, २. सत्यशील पुरुष,
३. मेधावी पुरुष, ४. बहुश्रुत पुरुष,
५. शक्तिमान् पुरुष,
६. अल्प कषाय या अल्प उपधि वाला पुरुष,
७. धृतिमान् पुरुष, ८. वीर्य (उत्साह) सम्पन्न पुरुष,

अकेले भिक्षु के रहने का विधि-निषेध—

५०४. भिन्न-भिन्न वाड, भिन्न-भिन्न प्राकार वाले, भिन्न-भिन्न द्वार वाले और भिन्न-भिन्न निष्क्रमण-प्रवेश वाले ग्राम—यावत्—सन्निवेश मे,

अकेले बहुश्रुत और बहुआगमज्ञ भिक्षु को भी वसना नहीं कल्पता है तो अल्पश्रुत और अल्पआगमज्ञ भिक्षु को वसना कैसे कल्प सकता है ? अर्थात् नहीं कल्पता है ।

एक वाड या एक प्राकार वाले, एक द्वार वाले और एक निष्क्रमण-प्रवेश वाले ग्राम—यावत्—सन्निवेश मे,

अकेले बहुश्रुत और बहुआगमज्ञ भिक्षु को दोनों समय मयम भाव की जागृति रखते हुए रहना कल्पता है ।

अपरिपक्व एकाकी भिक्षु के दोष—

५०५ जो भिक्षु अपरिपक्व अवस्था मे है उसका अकेले ग्रामानु-ग्राम विहार करना दुःखप्रद और पतन का कारण होता है ।

वयसा वि एगे बुइया कुप्पंति माणवा ।
उण्णतमाणे य णरे महता मोहेण मुज्झति ।

सवाहा बहवे भुज्जो भुज्जो दुरतिककमा अजाणतो अपासतो ।

एष ते मा होउ ।

एयं कुसलस्स दंसण ।—आ. सु. १, अ. ५, उ. ४, सु. १६२

अववाए एगागी विहार विहाणं—

५०६. न वा लभेज्जा निउण सहायं,

गुणाहियं वा गुणओ समं वा ।

एषको वि पावाइ विवज्जयन्तो,

विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥^१

—उत्त. अ. ३२, गा. ५

एगागी भिक्खुस्स पसत्था विहार चरिया—

५०७. इहमेगोसि एगचरिया होति ।

तत्थितराइत्तरेहि कुलेहि सुद्धेसणाए सव्वेसणाए से मेघावी
परिव्वए, सुन्नि अदुवा दुन्नि अदुवा तत्थ भेरवा पाणा पाणे
किलेसंति । ते फासे पुट्ठो धीरो अहियासेज्जासि ।

—आ. सु. १, अ. ६, उ. २, सु. १८६

एगे चरे ठाणमासणे, सयणे एगे समाहिए सिया ।

भिक्खू उवहाणवीरिए, वइगुत्ते अज्जाप्पसबुडे ॥

णो पीहे णावड्वंगुणे, दार सुन्नघरस्स संजते ।

पुट्ठो ण उदाहरे वयं, न समुच्छे नो य संथरे तण ॥

जत्थसत्थमिए अणाउले, सम-विसमाणि मुणोऽहियासए ।

चरगा अदुवा वि भेरवा, अदुवा तत्थ सिरीसिवा सिया ॥

तिरिया मणुया य दिव्वगा, उवसगा तिविहाऽहियासिया ।

लोमादीयं पि ण हरिसे, सुन्नागारगते महामुणी ॥

णो अभिकंखेज्जा जीवियं, णो वि य पूयणपत्थए सिया ।

अब्भत्थमुवेति भेरवा, सुन्नागारगयस्स भिक्खुणो ॥

क्योकि कुछ साधक प्रतिकूल वचन सुनकर भी कुपित हो जाते हैं । स्वयं को उन्नत मानते हुए कोई अभिमानी साधक प्रवल मोह से मूढ हो जाता है ।

उस अज्ञानी अतत्त्वदर्शी के लिए बार बार आने वाली अनेक परीषद् रूप वाघाओ को पार करना अत्यन्त कठिन होता है ।

तीर्थंकर भगवान् का यह उपदेश है कि ऐसी अवस्था तुम्हारी न हो अतः अव्यक्त साधक को गुरु के सांनिध्य मे ही रहना चाहिए ।

अपवाद में एकाकी विहार का विधान—

५०६. यदि अपने से अधिक गुणवान् या अपने समान गुणी कोई निपुण सहायक न मिले तो भिक्षु पापो का वर्जन करता हुआ, विषयो मे अनासक्त रहकर अकेला ही विहार करे ।

एकाकी भिक्षु की प्रशस्त विहार चर्या—

५०७ इस जिनशासन मे कुछ साधुओ द्वारा एकाकी चर्या स्वीकृत की जाती है ।

उनमे मेधावी साधु विभिन्न कुलो से शुद्ध एषणा और सर्वेषणा से संयम का पालन करता हुआ विचरे । अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति मे समभाव रखे । अथवा यदि इस चर्या मे हिंसक प्राणी प्राणो को क्लेश पहुँचाए, तो उन दुखो का स्पर्श होने पर भी धीर मुनि उन्हे सम्यक् प्रकार से सहन करे ।

भिक्षु वचन से गुप्त, मन से गुप्त तथा तपोवली होकर विचरण करे तथा कायोत्सर्ग, आसन और शयन भी अकेला ही करता हुआ समाधियुक्त होकर रहे ।

वह भिक्षु यदि शून्य गृह मे ठहरा हो तो वहाँ द्वार न खोले और न ही वन्द करे, किसी से पूछने पर भी न बोले, उस मकान का कचरा न निकाले, और घास भी न विछाए । (किन्तु अपने आवश्यक स्थान को पूज कर बैठे या सोवे) ।

जहाँ सूर्य अस्त हो जाए वही क्षोभ रहित होकर रह जाए । सम-विषम स्थान हो तो उसे सहन करे । वहाँ यदि डाँस-मच्छर आदि हो, अथवा भयंकर प्राणी या साँप आदि हो तो भी मुनि इन परीपहो को सम्यक् रूप से सहन करे ।

शून्य गृह मे स्थित महामुनि तिर्यंच मनुष्य एव देवजनित त्रिविध उपसर्गो को सहन करे । किन्तु भय से रोमाचित न होवे ।

साधु न तो असयम जीवन की आकाक्षा करे और न ही सत्कार-प्रशंसा का अभिलाषी बने । शून्य गृह स्थित भिक्षु को धीरे-धीरे भयानक प्राणी भी सह्य हो जाते हैं ।

उद्यणीततरस्त तादृणो, भयमाणस्त विवित्तमासणं ।
सामाह्वयमाह तस्त ज, जो अप्पाण भए ण दसए ॥

उत्तिणोदगतत्तभोइणो, धम्मद्वियस्स मुणिसस्स होमतो ।
संसग्गि असाह्व रायिहि, असमाही उ तहागयस्स वि ॥

—सूय सु १, अ २, उ २, गा १२२-१२८

एगागी भिक्षुस्स अपसत्था विहार चरिया—

५०८. इहमेगेत्ति एगचरिया भवति । से बहुकोहे, बहुमाणे, बहुमाए, बहुलोभे, बहुरते, बहुणडे, बहुसडे, बहुसकम्पे, आसवसक्की, पत्तिओछण्णे, उट्टितवाद पवदमाणे, मा मे केह् अदक्खु, अण्णाण-पमायवोसेणं । सतत भूढे धम्म णाभिजाणति ।

—आ. सु १, अ ५, उ. १, सु १५१

एकल विहारिस्स गणे पुनरागमण—

५०९. भिक्षू य गणाओ अवक्कम्म एगल्लविहारपडिमं उवसपज्जित्ताणं विहरेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्च पि तमेव गणं उवसंपज्जित्ताण विहरित्तए ।

पुणो आलोएज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा ।

पुणो छेयपरिहारस्स उवट्टाएज्जा ।

गणावच्छेइए य गणाओ अवक्कम्म एगल्लविहारपडिम उवसंपज्जित्ताणं विहरेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्च पि तमेव गण उवसपज्जित्ताणं विहरित्तए,

पुणो आलोएज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा,

पुणो छेयपरिहारस्स उवट्टाएज्जा ।

आयरिय-उवज्जाए य गणाओ अवक्कम्म एगल्लविहारपडिमं उवसपज्जित्ताणं विहरित्तए ।

पुणो आलोएज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा,

पुणो छेय-परिहारस्स उवट्टाएज्जा ।

—वव. उ १, सु. २३-२५

एगागिस्स समाहि—

५१०. एगत्तमेव अभिपत्त्यएज्जा, एव पमोक्खो ण मुस ति पास ।

एसप्पमोक्खो अमुसे धरे वी, अक्कोहणे सच्चवरए तवस्सी ॥

—सूय सु. १, अ. १०, गा. १२

जो सयम सम्पन्न छह काय रक्षक भिक्षु विविक्त-एकान्त स्थान का सेवन करता है तथा जो भयभीत नहीं होता है उस साधु को तीर्थंकरो ने सामायिक चारित्रवान् कहा है ।

गर्म जल पीने वाले तथा अग्निपक्व अचित्त आहार करने वाले धर्म में स्थित संयमवान् मुनि को राजा आदि से ससंग करना अच्छा नहीं है । क्योंकि उससे शास्त्रोक्त आचार-पालक मुनि की समाधि भी भंग हो सकती है ।

एकाकी भिक्षु की अप्रशस्त विहार चर्या—

५०८ इस संसार मे कुछ साधक विषय कषाय के कारण अनेके विचरण करते हैं वे अत्यन्त क्रोध, अतीव मान, अत्यन्त माया, अति लोभ करने वाले अति आसक्त नट के समान रूप बदलने वाले, अत्यन्त घूर्त और बहुत सकल्प करने वाले होते हैं । वे हिंसादि आसक्तो मे आसक्त, कर्मो मे लिप्त होते हैं, वे अपने को धर्म के लिए उद्यत बताते हुए भी “मुझे कोई न देख ले” इस आशका से छिप-छिपकर अनाचार सेवन करते हैं अज्ञान और प्रमाद के दोष से सतत भूढे बने वे धर्म को नहीं जानते हैं ।

एकाकी विहारी का गण में पुनरागमन—

५०९. यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर एकल विहार चर्या धारण करके विचरण करे और बाद मे वह पुन उसी गण मे सम्मिलित होकर रहना चाहे तो—

उस विचरण काल सम्बन्धी पूर्ण आलोचना प्रतिक्रमण करे ।

तथा आचार्य उसकी आलोचना सुनकर जो छेद या तप रूप प्रायश्चित्त दे उसे स्वीकार करे ।

यदि कोई गणावच्छेदक गण से निकलकर एकल विहार चर्या को धारण करके विचरण करे और बाद मे वह पुन उसी गण मे सम्मिलित होकर रहना चाहे तो—

उस विचरण काल सम्बन्धी पूर्ण आलोचना प्रतिक्रमण करे ।

तथा आचार्य उसकी आलोचना सुनकर जो छेद या तप रूप प्रायश्चित्त दे उसे स्वीकार करे ।

यदि कोई आचार्य या उपाध्याय गण से निकलकर एकल विहार प्रतिज्ञा को धारण करके विचरण करे और बाद मे वे पुन उसी गण मे सम्मिलित होकर रहना चाहे तो—

उस विचरण काल सम्बन्धी पूर्ण आलोचना प्रतिक्रमण करे ।

तथा आचार्य उसकी आलोचना सुनकर जो छेद या तप रूप प्रायश्चित्त दे उसे स्वीकार करे ।

एकाकी विहारी को समाधि—

५१०. साधु एकत्व (अकेलेपन) की इच्छा करे । ऐसा करने से भी मोक्ष होता है इसे मिथ्या नहीं समझना चाहिये । यह एकत्व से मुक्ति मिथ्या नहीं, सत्य और श्रेष्ठ भी है । जो साधु सयम मे रत एव तपस्वी है । (वही समाधि भाव को प्राप्त करता है ।)

पार्श्वस्थ आदि के साथ व्यवहार व्यवस्था—१३

पारिहारिएण सह भिक्खुट्ठा गमण पायच्छित्त सुत्तं—

५११. जे भिक्खू अपरिहारिएण परिहारिय ब्रूया—

एहि अज्जो ! तुभं च अहं च एगओ असण वा-जाव-साइमं वा पडिग्गाहेत्ता तओ पच्छा पत्तेय-पत्तेय भोक्खामो वा पाहामो वा जे तं एव वदइ वदतं वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ भासिय परिहारट्ठाण उग्घाइयं ।

—नि उ ४, सु. ११२

पासत्यस्स आयाण-पयाण करण पायच्छित्त सुत्ताइं—

५१२. जे भिक्खू पासत्यस्स सघाडयं देइ देत वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पासत्यस्स संघाडयं पडिच्छइ पडिच्छतं वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ भासियं परिहारट्ठाण उग्घाइय ।

—नि. उ. ४, सु. २८-२९

जे भिक्खू पासत्यस्स असण वा-जाव-साइम वा देइ देत वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पासत्यस्स असणं वा-जाव-साइम वा पडिच्छइ पडिच्छतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्भासियं परिहारट्ठाण उग्घाइय ।

—नि. उ. १५, सु. ७७-७८

जे भिक्खू पासत्यस्स वत्थ वा, पडिग्गहं वा, कवल वा पाय-पुंछणं वा, देइ देत वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पासत्यस्स वत्थं वा, पडिग्गह वा, कंवलं वा, पायपुंछण वा पडिच्छइ पडिच्छतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्भासिय परिहारट्ठाणं उग्घाइय ।

—नि. उ. १५, सु. ८९-९०

ओसणस्स आयाण-पयाण करण पायच्छित्त सुत्ताइं—

५१३. जे भिक्खू ओसणस्स संघाडयं देइ, देत वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू ओसणस्स संघाडय पडिच्छइ, पडिच्छत वा साइज्जइ ।

पारिहारिक के साथ भिक्षार्थ जाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

५११. जो अपारिहारिक भिक्षु पारिहारिक भिक्षु को कहे कि—

‘हे आर्यं चलो ! तुम और मैं एक साथ अशन—यावत्—स्वाद्य लेकर आर्यो, उसके बाद अलग-अलग खायेंगे पीयेंगे’, जो ऐसा कहता है, कहलवाता है या कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

पार्श्वस्थ के साथ देन-लेन करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५१२ जो भिक्षु पार्श्वस्थ को सघाडा (साधु) देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु पार्श्वस्थ से संघाडा लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

जो भिक्षु पार्श्वस्थ को अशन—यावत्—स्वाद्य देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु पार्श्वस्थ से अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

जो भिक्षु पार्श्वस्थ को वस्त्र, पात्र, कवल या पादप्रोछन देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु पार्श्वस्थ का वस्त्र, पात्र, कंवल या पादप्रोछन लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

अवसन्न के साथ देन-लेन करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५१३ जो भिक्षु अवसन्न को संघाडा देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अवसन्न से संघाडा लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

१ पारिहारिक—महाव्रतो के या समिति-गुप्ति आदि के अतिचारो का पूर्ण परिहार करने वाला पारिहारिक कहलाता है । अथवा परिहार तप रूप प्रायश्चित्त वहन करने वाला भी पारिहारिक कहलाता है ।

अपारिहारिक—महाव्रतो के या समिति गुप्ति आदि के अतिचारो का पूर्ण परिहार नहीं करने वाला अपारिहारिक कहलाता है अथवा परिहार तप रूप प्रायश्चित्त को वहन न करने वाला अपारिहारिक कहलाता है ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारद्वारं उग्घाइयं । उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
—नि उ. १५, सु ६५-६६ आता है ।

(शेष टिप्पण पिछले पृष्ठ का)

पार्श्वस्यादि को वदनादि करने, सघाडा देने, आहार, वस्त्र, पात्रादि देने के प्रायश्चित्त सूत्रों की तालिका—

वदन प्रशंसा का व्यवहार

नि. उ.

१०. अहाछदा	गुरु चौ
१३. पार्श्वस्य	लघु. चौ.
१३. अवसन्न	” ”
१३. कुशील	” ”
१३. संसक्त	” ”
१३. नित्यक	” ”
१३. कायिक	” ”
१३. प्राग्भिनक	” ”
१३. मामक	” ”
१३. साप्रसारिक	” ”

सिघाडा देने का व्यवहार

नि. उ

४. पार्श्वस्य लघु मासिक
४. अवसन्न ” ”
४. कुशील ” ”
४. संसक्त ” ”
४. नित्यक ” ”

आहार वस्त्रादि देने का व्यवहार

१५. पार्श्वस्य लघु चौमासी
१५. अवसन्न ” ”
१५. कुशील ” ”
१५. संसक्त ” ”
१५. नित्यक ” ”

गच्छ से अलग विचरकर पुन गच्छ में आने वाले को

१. एकल विहार चर्या	व्यव. उ. १
२. पार्श्वस्य विहार चर्या	
३. यथाछंद विहार चर्या	
४. कुशील विहार चर्या	
५. अवसन्न विहार चर्या	
६. संसक्त विहार चर्या	
७. परपासड लिंग धारण ।	

यथाछद को वंदन व्यवहार के प्रायश्चित्त सूत्र नि उ १० में हैं किन्तु आहारादि लेन-देन सम्बन्धी प्रायश्चित्त सूत्र कही उपलब्ध नहीं है सम्भव है किसी युग में ये सूत्र विच्छिन्न हो गये होंगे । उन्हें दसवें उद्देशक में समझ लेना चाहिए ।

अतः वदन व्यवहार के अनुसार उनके साथ आहारादि लेन-देन का भी गुरु चौमासी प्रायश्चित्त समझ लेना चाहिए ।

पार्श्वस्य अवसन्न, कुशील, संसक्त और यथाछंद ये अपनी आगम विपरीत प्रवृत्तियों के कारण गच्छ से अलग कर दिये जाते हैं या वे स्वयं अलग हो जाते हैं । यदि वे गण में आना चाहें और यत्किञ्चित् संयमी जीवन व्यतीत कर रहे हों तो उन्हें प्रायश्चित्त से शुद्ध होने के बाद गण में वापिस लिए जा सकते हैं ।

पार्श्वस्यादि की परिभाषा—

१. पार्श्वस्य—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की आराधना में जो पुरुषार्थ नहीं करता है तथा अनेक अतिचारों या अनाचारों में प्रवृत्ति करता है वह “पार्श्वस्य” कहा जाता है ।

२. अवसन्न—जो संयम समाचारी से विपरीत या अल्पाधिक आचरण करता है वह “अवसन्न” कहा जाता है ।

३. कुशील—संयम जीवन में जो मन्त्र, विद्या, निमित्त कथन या चिकित्सा आदि निपिद्ध कार्य हैं उन्हें करता है वह “कुशील” कहा जाता है ।

४. संसक्त—जैसों के साथ रहता है वैसा ही हो जाता है—अर्थात् उन्नत आचार वालों के साथ रहता है तो उन्नत आचार का पालन करने लगता है और जो शिथिलाचारी वालों के साथ रहता है तो शिथिलाचारी हो जाता है । वह “संसक्त” कहा जाता है ।

५. नित्यक—जो अकारण, कल्प मर्यादा का भंग करके सदा एक म्यान पर रहता है वह “नित्यक” कहा जाता है ।

(शेष टिप्पण अगले पृष्ठ पर)

पासत्य विहारिस्स गणे पुणरागमण—

५१७. भिक्खू य गणाओ अवक्कम्म पासत्यविहारपडिम उवसप-
ज्जित्ताण विहरेज्जा से य इच्छेज्जा दोच्च पि तमेव गणं
उवसंपज्जित्ताण विहरित्तए अत्थि य इत्थ सेसे । पुणो अ लो-
एज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स उवट्ठाएज्जा ।

—वव. उ. १, सु. २६

अहाछंद विहारिस्स गणे पुणरागमण—

५१८. भिक्खू य गणाओ अवक्कम्म अहाछंद विहार-पडिमं उव-
संपज्जित्ताण विहरेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्च पि तमेव गणं
उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, अत्थि य इत्थ सेसे पुणो आलो-
एज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स उवट्ठाएज्जा ।

—वव उ. १, सु. २७

कुशील विहारिस्स गणे पुणरागमण—

५१९. भिक्खू य गणाओ अवक्कम्म कुशीलविहारपडिम उवसंपज्जि-
त्ताणं विहरेज्जा से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गणं उव-
संपज्जित्ताणं विहरित्तए अत्थि य इत्थ सेसे, पुणो आलो-
एज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स उवट्ठाएज्जा ।

—वव उ. १, सु. २८

ओसन्न विहारिस्स गणे पुणरागमण—

५२०. भिक्खू य गणाओ अवक्कम्म ओसन्नविहारपडिमं उवसंपज्जि-
त्ताण विहरेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गण उव-
संपज्जित्ताण विहरित्तए, अत्थि य इत्थ सेसे, पुणो आलो-
एज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेय परिहारस्स उवट्ठाएज्जा ।

—वव. उ. १, सु. २९

संसत्त विहारिस्स गणे पुणरागमण—

५२१. भिक्खू य गणाओ अवक्कम्म संसत्तविहारपडिम उवसंपज्जि-
त्ताण विहरेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गण उव-
(शेष टिप्पण पिछले पृष्ठ का)

६. काथिक—जो स्वाध्याय आदि आवश्यक कार्यों की उपेक्षा करके देश कथा आदि विक्रियाओ मे समय लगाता है वह “काथिक” कहा जाता है ।

७. प्राशिनक प्रेक्षणिक—जो नाटक, नृत्य आदि दृश्य देखने की अभिलाषा रखता है व प्रवृत्ति करता है वह “प्रेक्षणिक” कहा जाता है । अथवा जो लौकिक प्रश्नों का समाधान करता रहता है वह “प्राशिनक” कहा जाता है ।

८. मामक—जो शिष्य, क्षेत्र, उपधि आदि मे “ममत्व” रखता है वह “मामक” कहा जाता है ।

९. साम्प्रसारिक—जो लेन-देन, गमनागमन आदि लौकिक कार्यों के मुहूर्तों का कथन करता है या उनमे विशेष रुचि रखता है वह “साम्प्रसारिक” कहा जाता है ।

१०. यथाछंद—जो आगम विपरीत मनमाना प्ररूपण या आचरण करता है वह “यथाछंद” कहा जाता है ।

पार्श्वस्थ विहारी का गण में पुनरागमन—

५१७. यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर पार्श्वस्थ चर्या को अंगीकार करके विचरे और बाद मे वह पार्श्वस्थ विहार छोड़कर उसी गण मे सम्मिलित होकर रहना चाहे तो—यदि उसका चारित्र्य कुछ शेष हो तो पूर्व अवस्था की पूर्ण आलोचना एवं प्रतिक्रमण करे । तथा आचार्य उसकी आलोचना सुनकर दीक्षा छेद या तप रूप प्रायश्चित्त दे उसे स्वीकार करे ।

यथाछन्दविहारी का गण में पुनरागमन—

५१८. यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर यथाछन्द चर्या को अंगीकार करके विचरे और बाद मे वह यथाछन्द विहार छोड़कर उसी गण मे सम्मिलित होकर रहना चाहे तो—यदि उसका चारित्र्य कुछ शेष हो तो वह उस पूर्व अवस्था की पूर्ण आलोचना एवं प्रतिक्रमण करे । तथा आचार्य उसकी आलोचना सुनकर दीक्षा छेद या तप रूप जो प्रायश्चित्त दे उसे स्वीकार करे ।

कुशील विहारी का गण में पुनरागमन—

५१९. यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर कुशील चर्या को अंगी-
कार करके विचरे और बाद मे वह कुशील विहार छोड़कर उसी
गण मे सम्मिलित होकर रहना चाहे तो—यदि उसका चारित्र्य
कुछ शेष हो तो वह उस पूर्व अवस्था की पूर्ण आलोचना एवं
प्रतिक्रमण करे । तथा आचार्य उसकी आलोचना सुनकर दीक्षा
छेद या तप रूप जो प्रायश्चित्त दे उसे स्वीकार करे ।

अवसन्नविहारी का गण में पुनरागमन—

५२०. यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर अवसन्न चर्या को
अंगीकार करके विचरे और बाद मे वह अवसन्न विहार छोड़कर
उसी गण मे सम्मिलित होकर रहना चाहे तो—यदि उसका
चारित्र्य कुछ शेष हो तो वह उस पूर्व अवस्था की पूर्ण आलोचना
एव प्रतिक्रमण करे तथा आचार्य उसकी आलोचना सुनकर जो
दीक्षा छेद या तप रूप जो प्रायश्चित्त दे उसे स्वीकार करे ।

संसत्तविहारी का गण में पुनरागमन—

५२१. यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर संसत्त चर्या को अंगी-
कार करके विचरे और बाद मे वह संसत्त विहार को छोड़कर

सपञ्जित्ताण विहरित्तए, अत्थि य इत्थ सेसे, पुणो आलो-
एज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणो छेयपरिहारस्स उचट्ठाएज्जा ।

—वव उ १, सु ३०

अण्णालिंग गहणाणंतरे गणे पुणरागमण—

५२२ भिक्षू य गणाओ अवक्कम्म परपासडपडिमं उवसपञ्जित्ताण
विहरेज्जा से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गण उवसपञ्जि-
त्ताण विहरित्तए, नत्थि णं तस्स तप्पत्तिर्यं केह छेए वा परि-
हारे वा, नसत्थ एगाए आलोयणाए ।

—वव. उ. १, सु. ३१

उसी गण मे सम्मिलित होकर रहना चाहे तो—यदि उसका
चारित्र कुछ शेष हो तो वह उस पूर्व अवस्था की पूर्ण आलोचना
एव प्रतिक्रमण करे तथा आचार्य उसकी आलोचना सुनकर दीक्षा
छेद या तप रूप जो प्रायश्चित्त दें उसे स्वीकार करे ।

अन्यालिंग ग्रहण के बाद गण मे पुनरागमन—

५२२ यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर किसी परिस्थिति से
अन्यालिंग को धारण कर विहार करे और कारण समाप्त होने
पर पुन स्वलिंग को धारण कर गण मे सम्मिलित होकर रहना
चाहे तो उसे आलोचना के अतिरिक्त लिंग परिवर्तन का दीक्षा
छेद या तप रूप कोई प्रायश्चित्त नहीं आता है ।



कलह और उसकी उपशान्ति—१४

संकिलेसप्पगारा—

५२३ दसविधे संकिलेसे पण्णत्ते, तं जहा—

- १ उवहि-संकिलेसे,
- २ उवस्सय-संकिलेसे,
- ३ कसाय-संकिलेसे,
- ४ भत्तपाण-संकिलेसे,
- ५ मण-संकिलेसे,
- ६ वद्व-संकिलेसे,
- ७ काय-संकिलेसे,
- ८ णाण-संकिलेसे,
- ९ वंसण-संकिलेसे,
- १० चरित्त-संकिलेसे^१ ।

—ठाण अ १०, सु ७३६

असंकिलेसप्पगारा—

५२४. दसविधे असंकिलेसे पण्णत्ते, तं जहा—

१. उवहिअसंकिलेसे,
२. उवस्सयअसंकिलेसे,
३. कसायअसंकिलेसे,
४. भत्तपाणअसंकिलेसे,
५. मणअसंकिलेसे,
६. वद्वअसंकिलेसे,

क्लेश के प्रकार—

५२३. दस प्रकार का कलह कहा गया है । यथा—

- (१) उपधि के निमित्त से होने वाला क्लेश ।
- (२) उपाश्रय के निमित्त से होने वाला क्लेश ।
- (३) क्रोधादि के निमित्त से होने वाला क्लेश ।
- (४) आहारादि के निमित्त से होने वाला क्लेश ।
- (५) मन के निमित्त से होने वाला क्लेश ।
- (६) वचन के निमित्त से होने वाला क्लेश ।
- (७) शरीर के निमित्त से होने वाला क्लेश ।
- (८) ज्ञान के निमित्त से होने वाला क्लेश ।
- (९) दर्शन के निमित्त से होने वाला क्लेश ।
- (१०) चारित्र के निमित्त से होने वाला क्लेश ।

असक्लेश के प्रकार—

५२४ असक्लेश (कलह का अभाव) दस प्रकार का कहा गया
है । जैसे—

- (१) उपधि के निमित्त से क्लेश न होना ।
- (२) निवासस्थान के निमित्त से क्लेश न होना ।
- (३) कपाय के निमित्त से क्लेश न होना ।
- (४) आहारादि के निमित्त से क्लेश न होना ।
- (५) मन के निमित्त से क्लेश न होना ।
- (६) वचन के निमित्त से क्लेश न होना ।

७. कायअसंकिलेसे,

८. णाणअसंकिलेसे,

९. दसणअसंकिलेसे,

१०. चरित्तअसंकिलेसे ।^१ —ठाणं. अ १०, सु ७३६

अहितकारगा ठाणा—

५२५. तओ ठाणा णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा अहियाए, असुमाए, अक्खमाए, अणिससेयसाए, अणाणुगामियत्ताए भवन्ति, त जहा—

१. कूअणता,

२. कक्ककरणता,

३. अवज्जाणता । —ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु १८८

हितकारगा ठाणा—

५२६. तओ ठाणा णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा हिताए, सुहाए, खमाए, णिससेयसाए, आणुगामियत्ताए भवन्ति, तं जहा—

१. अकूअणता,

२. अक्ककरणता,

३. अणवज्जाणता । —ठाणं. अ. ३, उ. ३, सु १८८

गण वुग्गह कारणा—

५२७. आयरिय-उवज्जायस्स ण गणंसि पच्च वुग्गहट्टाणा पणत्ता, तं जहा—

१. आयरिय-उवज्जाए णं गणंसि आणंवा धारण वा णो सम्म पउज्जित्ता भवन्ति ।

२. आयरिय-उवज्जाए णं गणंसि अहाराइ णियाए कित्ति-कम्मं वेणतितं णो सम्मं पउज्जित्ता भवन्ति ।

३. आयरिय-उवज्जाए णं गणंसि जे सुत्तपज्जवजाते धारेति ते काले-काले णो सम्ममणुप्पवाइत्ता भवन्ति ।

४. आयरिय-उवज्जाए णं गणंसि गिलाणसेहवेयावच्च णो सम्ममम्भुट्टित्ता भवन्ति ।

५. आयरिय-उवज्जायाए ण गणंसि अणापुच्छियचारी यावि हवइ, णो आपुच्छियचारी ।

—ठाणं. अ. ५, उ. १, सु. ३६६

गण अवुग्गह कारणा—

५२८. आयरिय-उवज्जाय स ण गणंसि पच्च अवुग्गहट्टाणा पणत्ता, त जहा—

१. ठाणं. अ. ३, उ. ४, सु. १६८ ।

(७) शरीर के निमित्त से क्लेश न होना ।

(८) ज्ञान के निमित्त से क्लेश न होना ।

(९) दर्शन के निमित्त से क्लेश न होना ।

(१०) चारित्र के निमित्त से क्लेश न होना ।

अहित करने वाले स्थान—

५२५. तीन स्थान निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियो के लिए अहितकर, अशुभ, अक्षम (अयुक्त) अकल्याणकर, अमुक्तिकारी होते हैं, यथा—

(१) आर्तस्वर से करुण क्रन्दन करना ।

(२) शय्या उपधि आदि के दोष प्रकट करने के लिए बड़-बड़ाट करना ।

(३) आर्त और रौद्रध्यान करना ।

हित करने वाले स्थान—

५२६. तीन स्थान निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियो के लिए हितकर, शुभ, क्षम, कल्याण एव मुक्ति-प्राप्ति के लिए होते हैं—

(१) आर्तस्वर से करुण क्रन्दन नहीं करना ।

(२) शय्या आदि के दोषों को प्रकट करने के लिए बड़-बड़ाट नहीं करना ।

(३) आर्त-रौद्ररूप दुर्ध्यान नहीं करना ।

गण विग्रह के कारण—

५२७. आचार्य या उपाध्याय के गण में पाँच विग्रह (कलह) स्थान कहे गए हैं । यथा—

(१) आचार्य या उपाध्याय गण में आज्ञा तथा धारणा का सम्यक् प्रयोग नहीं करे ।

(२) आचार्य या उपाध्याय गण में दीक्षा पर्याय के क्रम से वन्दन तथा विनय का सम्यक् प्रयोग नहीं करे ।

(३) आचार्य या उपाध्याय जितने सूत्रार्थ के धारक हैं उतने का गण में समय-समय पर सम्यक् प्रकार से अध्यापन नहीं करावे ।

(४) आचार्य या उपाध्याय गण में ग्लान और शैक्ष की समुचित सेवा नहीं करे (नहीं करावे) ।

(५) आचार्य या उपाध्याय गण को विना पूछे ही प्रवृत्ति करे, पूछकर नहीं करे ।

गण में विग्रह न होने के कारण—

५२८. आचार्य और उपाध्याय के लिए गण में कलह न होने के पाँच कारण कहे गये हैं । जैसे—

१ आयरिय-उवज्झाए णं गणसि आणं वा धारण वा सम्मं पउजित्ता भवति ।

२ आयरिय-उवज्झाए ण गणसि अहाराइणियाए सम्म किइक्कम्म वेणइय पउजित्ता भवति ।

३ आयरिय-उवज्झाए ण गणसि जे सुत्तपज्जवजाते धारेति ते काले-काले सम्म अणुप्पवाइत्ता भवति ।

४ आयरिय-उवज्झाए णं गणसि गिलाण सेह वेयावच्च सम्मं अब्भुट्टित्ता भवति ।

५ आयरिय-उवज्झाए णं गणसि आपुच्छियचारी यावि भवति, णो अणापुच्छियचारी ।

—ठाण अ. ५, उ. १, सु. ३६६

कलह उवसमणस्स विहि-णिसेहो—

५२६ नो कप्पइ निग्गंथाणं विइकिट्ठाइ पाहुट्ठाइ विओसवेत्तए ।

कप्पइ निग्गथीण विइकिट्ठाइ पाहुट्ठाइ विओसवेत्तए ।

—वव उ. ७, सु १२-१३

अण्णस्स अणुवसते वि अप्पणो उवसमण णिद्देसो—

५३०. भिक्षू य अहिगरणं कट्ठु, त अहिगरणं विओसवित्ता विओसविथपाहुट्ठे ।

१ इच्छाए परो आढाएज्जा, इच्छाए परो णो आढाएज्जा ।

२ इच्छाए परो अब्भुट्ठेज्जा, इच्छाए परो णो अब्भुट्ठेज्जा ।

३. इच्छाए परो वन्देज्जा, इच्छाए परो नो वन्देज्जा ।

४ इच्छाए परो संभुजेज्जा, इच्छाए परो नो संभुजेज्जा ।

५. इच्छाए परो सवसेज्जा, इच्छाए परो नो संवसेज्जा ।

६ इच्छाए परो उवसमेज्जा, इच्छाए परो नो उवसमेज्जा ।

७. जो उवसमइ तस्स अत्थि आराहणा ।

जो न उवसमइ तस्स नत्थि आराहणा,

तम्हा अप्पणा चेव उवसमियच्च ।

प०—से किमाहु भन्ते !

उ०—“उवसमसारं एु सामण्णं ।”—कप्प. उ. १, सु ३६

(१) आचार्य और उपाध्याय गण में आज्ञा तथा धारणा का सम्यक् प्रयोग करते हैं ।

(२) आचार्य और उपाध्याय गण में यथारात्मिक वन्दन व विनय व्यवहार का सम्यक् प्रयोग करते हैं ।

(३) आचार्य और उपाध्याय जिन सूत्र के अर्थ प्रकारों को धारण करते हैं, उनकी यथासमय गण को सम्यक् वाचना देते हैं ।

(४) आचार्य और उपाध्याय गण में रोगी तथा नवदीक्षित साधुओं की वैयावृत्य कराने के लिए समुचित व्यवस्था करते हैं ।

(५) आचार्य और उपाध्याय गण में अन्य को पूछकर कार्य करते हैं, बिना पूछे नहीं करते हैं ।

कलह उपशमन के विधि-निषेध—

५२६. निर्ग्रन्थो मे यदि कलह हो जावे तो उन्हें दूरवर्ती क्षेत्र में रहे हुए उपशमन करना और खमाना नहीं कल्पता है ।

किन्तु निर्ग्रन्थियो मे यदि कलह हो जावे तो उन्हें दूरवर्ती क्षेत्र में रहे हुए उपशमन करना और खमाना कल्पता है ।

अन्य के अनुपशात रहने पर भी स्वयं को उपशात होने का निर्देश—

५३०. भिक्षु किसी से कलह होने पर उस कलह को उपशान्त करके स्वयं सर्वथा कलह रहित हो जावे, उसके बाद जिसके साथ क्लेश हुआ हो—

(१) वह इच्छा हो तो आदर करे, इच्छा न हो तो आदर न करे ।

(२) वह इच्छा हो तो उसके सन्मान में उठे, इच्छा न हो तो न उठे ।

(३) वह इच्छा हो तो वन्दना करे, इच्छा न हो तो वन्दना न करे ।

(४) वह इच्छा हो तो उसके साथ भोजन करे, इच्छा न हो तो भोजन न करे ।

(५) वह इच्छा हो तो उसके साथ रहे, इच्छा न हो तो न रहे ।

(६) वह इच्छा हो तो उपशान्त होवे, इच्छा न हो तो उपशात न होवे ।

जो उपशान्त होता है उसके समय की आराधना होती है । किन्तु जो उपशान्त नहीं होता है उसके समय की आराधना नहीं होती है ।

इसलिए अपने आपको ही उपशान्त कर लेना चाहिए ।

प्र०—हे भन्ते ! ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है ?

उ०—उपशान्त रहना ही श्रमण जीवन का सार है ।

अणुवसमस्स भिक्खुस्स पुणरवि सगणे पट्टवण—

५३१. भिक्खू य अहिगरण कट्टु त अहिगरणं अविओसवेत्ता
अन्न गण उवसंपज्जित्ताणं विहरत्तिए,
कप्पइ तस्स पंचराइंदिय छेयं कट्टु परिणिव्वाविय परि-
णिव्वाविय दोच्च पि तमेव गणं एडिनिज्जाएयन्वे सिया,
जहा वा तस्स गणस्स पत्तिय सिया ।—कप्प. उ. ५, सु, ५

खमावणाफलं—

५३२. प०—खमावणयाए ण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—खमावणयाए ण पल्हायणभावं जणयइ । पल्हायण-
भावमुवगए य सव्व-पाण-भूय-जीव सत्तेसु, मित्तीभावमुप्पा-
एइ । मित्तीभावमुवगए यावि जीवे भावविसोहिं काउण
निव्वभए भवइ । —उत्त. अ २६, सु १६

अहिगरण करण पायच्छित्त सुत्ताइं—

५३३ जे भिक्खू णवाइं अणुप्पण्णाइ अहिगरणाइ उप्पाएइ, उप्पा-
एंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पोराणाइ अहिगरणाइ खामिय-विओसवियाइं पुणे
उदीरेइ, उदीरेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ ४, सु २५-२६

एगागी आगय समणस्स सवसावण पायच्छित्त सुत्तं—

५३४ जे भिक्खू वहियावासिय आएस पर तिरायाओ अविफालेत्ता
संवसावेइ, संवसावेंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. १०, सु १३

कलह कारगेहिं सद्धिं आहार करण पायच्छित्त सुत्तं—

५३५. जे भिक्खू साहिगरण अविओसविय पाहुइं अकडपायच्छित्त
पर तिगयाओ विष्फालिय अविष्फालिय सभुंजइ सभुंजंतं
वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. १०, सु. १४

अनुपशान्त भिक्षु को पुनः स्वर्गण मे भोजना—

५३१ भिक्षु कलह करके उसे उपशान्त किये विना अन्य गण मे
सम्मिलित होकर रहना चाहे तो उस गण के स्थविर को चाहिए
कि वह उसे पाँच दिन-रात की दीक्षा का छेद देकर और उसे
सर्वथा शान्त प्रशान्त करके पुनः उसी गण मे लौटा दे । अथवा
जिस गण से वह आया है उस गण को जिस प्रकार की प्रतीति
हो उसे उसी तरह करना चाहिए ।

क्षमापना का फल—

५३२. प्र०—भन्ते ! क्षमा करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—क्षमा करने से वह मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त होता
है । चित्त प्रसन्नता को प्राप्त हुआ व्यक्ति सब प्राण, भूत, जीव
और सत्वो के प्रति मैत्री-भाव उत्पन्न करता है । मैत्री-भाव को
प्राप्त हुआ जीव भावो को विशुद्ध बनाकर निर्भय हो जाता है ।

कलह करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५३३. जो भिक्षु नवीन अनुत्पन्न कलह को उत्पन्न करता है, उत्पन्न
करवाता है या उत्पन्न करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु क्षमापना द्वारा उपशान्त पुराने झगडो को पुनः
उत्तेजित करता है, उत्तेजित करवाता है या उत्तेजित करने वाले
का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

एकाकी आगन्तुक भिक्षु को विना निर्णय रखने का प्राय-
श्चित्त सूत्र—

५३४. जो भिक्षु बाहर से आये हुए आगन्तुक अकेले भिक्षु को
पूछताछ कर निर्णय किये विना तीन दिन से अधिक रखता है,
रखवाता है या रखने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

कलह करने वालो के साथ आहार करने का प्रायश्चित्त
सूत्र—

५३५. कोई भिक्षु कलह करके उसका स्वयं उपशमन न करे और
न प्रायश्चित्त ले तो उसे उस सम्बन्ध मे पूछताछ कर या विना
पूछताछ किये तीन दिन से अधिक उसके साथ एक मण्डल मे
बैठकर जो भिक्षु आहार करता है, करवाता है या करने वाले
का अनुमोदन करता है ।

उसे अनुद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

बुग्गह वक्कताणं आयाण-पयाण करण पायच्छित्त सुत्ताइं— कदाग्रही के साथ लेन-देन करने के प्रायश्चित्त सूत्र—

५३६. जे भिक्खू बुग्गह वक्कताणं असणं वा-जाव-साइम वा देइ, देतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू बुग्गह वक्कताणं असणं वा-जाव-साइम वा पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू बुग्गह वक्कताणं वत्थं वा-जाव-पायपुच्छणं वा देइ, देतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू बुग्गह वक्कताणं वत्थं वा-जाव-पायपुच्छणं वा पडिच्छइ पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू बुग्गह वक्कताणं वसहिं देइ, देतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू बुग्गह वक्कताणं वसहिं पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू बुग्गह वक्कताणं वसहिं अणुपविसइ, अणुपविसतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू बुग्गह वक्कताणं सज्झायं देइ, देतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू बुग्गह वक्कताणं सज्झायं पडिच्छइ, पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाडयं ।

—नि. उ. १६, सु. १७-२५

आगमाणुसारी पायच्छित्तं दाणं गहणं विहाणो—

५३७. भिक्खू यं अहिगरणं कट्ठं, तं अहिगरणं अविओसवेत्ता, नो से कप्पइ गहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्ख-मित्तए वा पविसित्तए वा,

नो से कप्पइ व्हिया विहारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्ख-मित्तए वा पविसित्तए वा,

नो से कप्पइ गामाणुगामं वा दुइजित्तए,

गणाओ वा गणं सकमित्तए, वासावासं वा वत्थए ।

जत्थेव अप्पणो आयरिय-उवज्जाय पासेज्जा बहस्सुयं, वग्गा-गमं, कप्पइ से तस्सतिए आलोएत्तए, पडिक्कमित्तए, निन्दित्तए, गरिहित्तए, विउट्टित्तए, विसोहित्तए, अकरणाए, अम्भुट्टित्तए, अहारिहं तथोक्कमं पायच्छित्तं पडिक्कित्तए ।

से यं सुएणं पट्ठविए आइयत्थे सिया, से यं सुएणं नो पट्ठ-विए नो आइयत्थे सिया ।

से यं सुएणं पट्ठविज्जमाणे नो आइयत्थे से निज्जहियत्थे सिया ।

—कण. उ. ४, सु. ३०

जो भिक्षु कदाग्रही भिक्षुओं को अशन—यावत्—स्वाद्य देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कदाग्रही भिक्षुओं का अशन—यावत्—स्वाद्य लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कदाग्रह से अलग विचरने वाले (निन्द्व आदि) को वस्त्र—यावत्—पादप्रोचन देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कदाग्रही से वस्त्र—यावत्—पादप्रोचन लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कदाग्रह से अलग विचरने वाले (निन्द्व आदि) को उपाश्रय देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कदाग्रही से उपाश्रय लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कदाग्रही के उपाश्रय में प्रवेश करता है, करवाता है या करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कदाग्रही को वाचना देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु कदाग्रही से वाचना लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे उद्घातिक चातुर्मासिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

आगम के अनुसार प्रायश्चित्त देने व ग्रहण करने का विधान— ५३७. यदि कोई भिक्षु कलह करके उसे उपशान्त न करे तो—

उसे गृहस्थों के घरों में भक्त-पान के लिए निष्क्रमण-प्रवेश करना नहीं कल्पता है ।

उसे उपाश्रय से बाहर स्वाध्याय भूमि में या उच्चार-प्रस्रवण भूमि में जाना आना नहीं कल्पता है ।

उमें ग्रामानुग्राम विहार करना नहीं कल्पता है । उसे एक गण से गणन्तर में सक्रमण करना और वर्षावास रहना नहीं कल्पता है ।

किन्तु जहाँ अपने बहृश्रुत और बहृभागमज्ञ आचार्य और उपाध्याय हो उनके समीप आलोचना करे, प्रतिक्रमण करे, निन्दा करे, गहाँ करे, पाप से निवृत्त होवे, पाप फल से शुद्ध होवे, पुनः पाप कर्म न करने के लिए प्रतिज्ञावद्ध होवे और यथा योग्य तप रूप प्रायश्चित्त स्वीकार करे ।

वह प्रायश्चित्त यदि श्रुतानुसार दिया जावे तो ग्रहण करना चाहिए । श्रुतानुसार न दिया जावे तो ग्रहण नहीं करना चाहिए ।

यदि श्रुतानुसार प्रायश्चित्त दिये जाने पर भी जो स्वीकार न करे तो उसे गण में निकाल देना चाहिए ।



॥ तवायारी ॥

बारसविहर्मि ति तवे,
सत्सिंहर बाहिरे कुसलदिदेव ।
अगिलाए अणानीवी,
पायठवी सो तवायारी ॥

—निशोपभाष्य; भाग १, गा० ४२

च र णा नु यो ग

[त पा च र]

१.

तपाचार (बाह्य)

तप का स्वरूप एवं प्रकार—१

[बाह्य]

तवसरूवं—

५३८ जहा उ पावगं कम्मं, रागदोस समज्जिजं ।
खवेइ तवसा भिक्खू, तमेगगमणो सुण ॥

पाणवह मुसावाया, अदत्त-मेहुण-परिग्गहा विरओ ।
राईभोयण - विरओ, जीवो भवइ अणासवो ॥
पंचसमिओ तिगुत्तो, अकसाओ जिइन्दिओ ।
अगारवो य निस्सल्लो, जीवो होइ अणासवो ॥
एएसि तु विवच्चासे, रागदोस-समज्जियं ।
जहा खवयइ भिक्खू, त मे एगमणो सुण ॥

जहा महातलास्स सन्निरुद्धे जलागमे ।
उत्सिचणाए तवणाए, कमेण सोसणा भवे ॥

एवं तु सजयस्सावि पावकम्म निरासवे ।
भवकोडी संचियं कम्म, तवसा णिज्जरिज्जई ॥

—उत्त अ ३०, गा १-६

तेसि पि तवो सुद्धो, णिक्खंता जे महाकुला ।
अवमाणिते परेण तु, ण सिलोगं वर्यंति ते ॥^१

—सूय सु. १, अ. ८, गा. २४

धुणे उराल अणुवेहमाणे, चेच्चाण सोय अणपेक्खमाणे ॥

—सूय. सु १, अ १०, गा. ११ (ख)

धुणिया कुलियं व लेववं, किसए देहमणसणादिहि ।
अविहिंसामेव पच्चए, अणुधम्मो मुणिया पवेदितो ॥

सउणी जह पंसु गुंडिया, विधुणिय धंसयती सिय रयं ।
एव दविओवहाणवं, कम्म खवति तवस्सी माहणे ॥

—सूय सु १, अ. २, उ १, गा १४-१५

पाठान्तर—

१ तेसि पि तवो ण सुद्धो णिक्खता जे महाकुला । ज नेवन्ने वियाणन्ति, णं सिलोगं पवेयए ॥

तप का स्वरूप—

५३८ जिस तपानुष्ठान द्वारा भिक्षु राग-द्वेष से अर्जित पाप कर्मों का क्षय करता है, उस तप के स्वरूप को एकाग्र मन होकर सुनो ।

प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह एव रात्रि भोजन से विरत जीव अनास्रवी होता है ।

पाँच समिति एव तीन गुप्ति से युक्त, कषाय रहित, जितेन्द्रिय, गर्व एव शल्य से रहित जीव अनास्रवी होता है ।

उपरोक्त गुणों से विपरीत आचरण करने पर राग-द्वेष से जो कर्मोपार्जन होता है, उन कर्मों को मुनि किस प्रकार क्षय करता है, उसको मुझ से एकाग्र मन होकर सुनो ।

किसी बड़े तालाव में जल आने के मार्गों को रोक देने पर उसमें रहे हुए पानी को बाहर निकाल देने पर तथा सूर्य के ताप द्वारा सूखने पर जिस प्रकार उसका जल क्रमशः क्षीण हो जाता है ।

इसी प्रकार नवीन पाप कर्मों को रोक देने पर सयमी साधुओं के भी करोड़ों भवों के संचित कर्म तप के द्वारा क्षय हो जाते हैं ।

जो बड़े कुलो से अभिनिष्क्रमण कर मुनि बनते हैं और दूसरों के द्वारा अपमानित होने पर भी अपनी श्लाघा नहीं करते अर्थात् अपने बडप्पन का परिचय नहीं देते उनका तप शुद्ध होता है ।

आस्रवों को छोड़कर किसी प्रकार की अपेक्षा न रखता हुआ साधु विवेकपूर्वक औदारिक शरीर को कृश करे ।

जैसे गोबर आदि से लीपी हुई दीवार के लेप को उतार कर पतली कर दी जाती है, वैसे ही मुनि अनशन आदि के द्वारा देह को कृश करे तथा अहिंसा आदि धर्मों का पालन करे । यह मोक्षानुकूल धर्म है, जिसका प्ररूपण सर्वज्ञ प्रभु ने किया है ।

जैसे धूल से भरी हुई पक्षिणी अपने पखों को फड़फड़ाकर लगी हुई रज को झाड़ देती है, इसी प्रकार सयमवान् तपस्वी मुनि तपस्या के द्वारा कर्मों को क्षय कर देता है ।

तवप्पगारा—

५३६ दुविहे तवे पणत्ते, तं जहा—

१ वाहिरए य,

२. आग्मितरे य ।^१

—वि. स. २५, उ ७, सु १६६

प०—से किं तं वाहिरए ?

उ०—छव्विहे वाहिरए तवे पणत्ते, तं जहा—

१. अणसण, २. ओमोयरिया, ३ भिक्खायरिया ।

४. रसपरित्याग, ५ फायकिलेसो, ६ पडिसलीणता ।^२

—वि स २५, उ ७, सु १६७

आजीवियतवप्पगारा—

५४० आजीवियाण चउव्विहे तवे पणत्ते, तं जहा—

१ उग्गतवे,

२. घोरतवे,

३ रसणिञ्जुहणता, ४ जिह्मिदियपडिसलीणता ।

—ठाण. अ ४, उ २, सु ३०६

तप के प्रकार—

५३६ तप दो प्रकार का कहा गया है, यथा—

(१) वाह्य,

(२) आभ्यन्तर ।

प्र०—वाह्य तप क्या है ? कितने प्रकार का है ?

उ०—वाह्य तप छ प्रकार का कहा गया है,

यथा—(१) अनशन, (२) अवमोदरिका, (३) भिक्षाचर्या,

(४) रसपरित्याग, (५) कायवलेण, (६) प्रतिसलीणता ।

आजीविक तप के प्रकार—

५४० आजीविको के तप चार प्रकार के हैं, यथा—

(१) उग्रतप,

(२) घोरतप,

(३) रस परित्याग,

(४) जिह्मेन्द्रिय प्रतिसलीणता ।



अनशन-तप—२

अणसणप्पगारा—

५४१ प०—से किं तं अणसणे ?

उ०—अणसणे दुविहे पणत्ते, तं जहा—

१ इत्तरिए,

२. आवकहिए य ।^३

—वि स २५, उ ७, सु. १६८

इत्तरिया मरणकाला य, दुविहा अणसणा भवे ।

इत्तरिया सावकंखा, निरवकंखा य विइज्जिया ॥

—उत्त. अ ३०, गा. ६

इत्तरिय तवभेया—

५४२ प०—से किं तं इत्तरिए ?

१ (क) सो तवो दुविहो वुत्तो, वाहिरअमंतरो तथा । वाहिरो छव्विहो वुत्तो, एवममंतरो तवो ॥

—उत्त अ. ३०, गा ७

(ख) उत्त अ २८, गा ३४

(ग) तेसि णं भगवन्ताणं एएण विहारेण विहरमाणं इमे एयारूवे अब्भतरवाहिरए तवोवहाणे होत्या । तंजहा—अग्मितरए छव्विहे, वाहिरए वि छव्विहे ।

—उव सु ३०

२ (क) ठाण अ. ६, सु ५११

(ख) सम सम ६, सु १७

भिक्षायरिया के स्थान पर 'वित्ति संखेयो'

(घ) उव. सु ३०

(ग) उत्त अ. ३०, गा ८

३ उव सु ३०

उ०—इत्तरिए अणेगविहे पणत्ते, त जहा—

१. चउत्थमत्ते,
२. छट्ठमत्ते,
३. अट्ठमत्ते,
४. दसममत्ते,
५. दुवालसमत्ते,
६. चउद्दसमत्ते,
७. सोलसमत्ते,
८. अट्ठमासिएमत्ते,
९. मासिएमत्ते,
१०. दोमासिएमत्ते,
११. तेमासिएमत्ते,
१२. चउमासिएमत्ते,
१३. पचमासिएमत्ते,
१४. छम्ममासिएमत्ते,

से तं इत्तरिए ।^१

—उव सु. ३०

जो सो इत्तरिय तवो, सो समासेण छव्विहो ।
सेद्वित्तवो पयरतवो, घणो य तह होइ वग्गो य ॥
तत्तो य वग्गवग्गो उ, पंचमो छट्ठो पइण्णतवो ।
मणइच्छिय चित्तत्थो, नायव्वो होइ इत्तरिओ ॥^२

—उत्त. अ. ३०, गा १०-११

तवस्सी भिक्खुस्स कप्पणिज्ज पाणगाइं—

५४३. चउत्थमत्तियस्स णं भिक्खुस्स कप्पति तओ पाणगाइं पडि-
गाहित्तए, तं जहा—

१. उस्सेइमे,
२. संसेइमे,

३. चाउलघोवणे ।

छट्ठमत्तियस्स णं भिक्खुस्स कप्पति तओ पाणगाइ पडिगा-
हित्तए, तं जहा—

१. तिलोदए,
२. तुसोदए,
३. जवोदए ।

उ०—इत्वरिक तप अनेक प्रकार का कहा गया है, यथा—

- (१) चतुर्थ भक्त—उपवास,
- (२) षष्ठभक्त—दो उपवास-वेला,
- (३) अष्टभक्त—तीन उपवास-तेला,
- (४) दशमभक्त—चार दिन के उपवास,
- (५) द्वादशभक्त—पाँच दिन के उपवास,
- (६) चतुर्दशभक्त—छह दिन के उपवास,
- (७) षोडशभक्त—सात दिन के उपवास,
- (८) अर्द्ध मासिकभक्त—पन्द्रह दिन के उपवास,
- (९) मासिक भक्त—एक महीने के उपवास,
- (१०) द्वै मासिक भक्त—दो महीने के उपवास,
- (११) त्रै मासिक भक्त—तीन महीने के उपवास,
- (१२) चातुर्मासिक भक्त—चार महीने के उपवास,
- (१३) पंचमासिक भक्त—पाँच महीने के उपवास,
- (१४) षण्मासिक भक्त—छह महीने के उपवास ।

यह इत्वरिक तप है ।

जो इत्वरिक तप है वह सक्षेप मे छह प्रकार का है—

- (१) श्रेणि-तप, (२) प्रतर-तप,
- (३) घन-तप, (४) वर्ग-तप
- (५) वर्ग-वर्ग-तप, (६) प्रकीर्ण-तप ।

इस प्रकार अपनी इच्छानुसार किया जाने वाला अनेक प्रकार का यह इत्वरिक तप जानना चाहिये ।

तपस्वी भिक्षु के कल्पनीय पानी—

५४३ चतुर्थभक्त (एक उपवास) करने वाले भिक्षु को तीन प्रकार के पानी ग्रहण करना कल्पता है, यथा—

- (१) उत्स्वेदिम—आटे का धोवन ।
- (२) संस्वेदिम—सिंहाये हुए कैंर आदि का धोया हुआ पानी ।

(३) तन्दुलोदक—चावलों का धोवन ।

षष्ठ भक्त (दो उपवास) करने वाले भिक्षु को तीन प्रकार के पानी ग्रहण करना कल्पता है—

- (१) तिलोदक—तिलो का धोया हुआ जल ।
- (२) तुषोदक—तुष-भूसे का धोया हुआ जल ।
- (३) यवोदक—जौ का धोया हुआ जल ।

१ वि. स. २५, उ ७, सु. १६६

२ भगवती सूत्र तथा उववाई सूत्र मे “इत्तरिय” तप के अनेक भेद है ऐमा कहा गया है पर किसी विशेष सख्या का उल्लेख नहीं है । यहाँ उत्तराध्ययन सूत्र मे “इत्तरिय” तप के भेदो की संख्या ६ बताकर आगे डम संकलन मे अनेक प्रकार के होते हैं यह भी कहा गया है । अत रत्नावली आदि तपो का उल्लेख इत्वरिक तप मे ही समझना चाहिए । इन रत्नावली, कनकावली आदि महातपो के लिए धर्मकथानुयोग—स्कन्ध ३, सूत्र २६८ से २७६ तक पृ. ११७-१२० देखें ।

अट्टममत्तियस्त णं भिक्खुस्स कप्पति तओ पाणगाइ पडिगा-
हित्तए, तं जहा—

१ आयामए,

२ सोवीरए,

३. शुद्धविपडे ।

—टाणं. अ. ३, सु. १८८

आवकहिय अणसण—

५४४ जा सा अणसणा मरणे, दुविहा सा वियाहिया ।
सवियारा अवियारा, कायचेट्टं पई भवे ॥

अहवा सपरिकम्मा, अपरिकम्मा य आहिया ।

निहारीमनीहारी, आहारच्छेओ य दोसु वि ॥

—उत्त अ ३०, गा. १२-१३

सलेहणा करणकालं—

५४५ तओ वह्णि वासाणि, सामणमणुपालिया ।
इमेण कमजोगेण, अप्पाणं संलिहे मुणी ॥
वारसेव उ वासाइं, संलेह्वकोसिया भवे ।
सवच्छर मज्झिमिया, छम्मासा य जहम्मिया ॥
पढमे वासचउक्कम्मि, विगईनिज्जूहण करे ।
विइए वासचउक्कम्मि, विचित्तं तु तवं चरे ॥

एगन्तरमायाम, कट्टु संवच्छरे दुवे ।

तओ संवच्छरउद्ध तु, नाइविगिट्टं तवं चरे ॥

तओ सवच्छरउद्ध तु, विगिट्टं तु तव चरे ।

परिमिय चेव आयामं, तमि संवच्छरे करे ॥

फोढी सहियमायाम, कट्टु संवच्छरे मुणी ।

मासदमासिएण तु, आहारेण तव चरे ॥

—उत्त अ ३६, गा २५०-२५५

पंडिय मरण सरूवं—

५४६. अणुपुध्वेण विमोहाइं, जाइ धीरा समासज्ज ।
धमुमतो मतिमतो, सव्व णच्चा अणेत्तिस ॥

—आ. सु १, अ. ८, उ. ८, गा १(१६)

तओ फाले अनियेए सट्टी तात्तिसमन्तिए ।

विणएज्ज-त्तोम हरिस, भेय वेहस्स कखए ॥

अष्टम भक्त (तीन उपवास) करने वाले भिक्षु को तीन प्रकार के पानी लेना कल्पता है—

(१) आयामक—उवाले हुए चावलो का माड आदि ।

(२) सोवीरक—काजी छाछ के ऊपर का पानी ।

(३) शुद्ध विकट—शुद्ध अचित्त शीतल जल ।

आजीवन अनशन—

५४४. जो मरणकालिक अनशन है वह शारीरिक चेष्टा की अपेक्षा से दो प्रकार का कहा गया है । यथा—(१) सविचार—शरीर की हलन-चलन आदि क्रिया युक्त, (२) अविचार—शरीर की हलन-चलन आदि क्रिया रहित ।

अथवा अन्य प्रकार से भी दो-दो भेद कहे गये हैं, यथा—

(१) सपरिकम—शरीर की परिचर्या युक्त,

(२) अपरिकम—शरीर की परिचर्या रहित ।

अथवा—(१) निर्हीरिम, (२) अनिर्हीरिम ।

इन सभी दो-दो भेदों में आहार का त्याग निश्चित है ।

संलेखना का काल क्रम—

५४५ मुनि अनेक वर्षों तक संयम का पालन कर इस क्रमिक तप से अपनी आत्मा की संलेखना करे ।

संलेखना उत्कृष्ट वारह वर्ष, मध्यम एक वर्ष तथा जघन्य छह मास की होती है ।

वारह वर्ष की संलेखना करने वाला मुनि पहले चार वर्ष में विगयो का परित्याग करे । दूसरे चार वर्षों में फुटकर विचिथ तप का आचरण करे ।

फिर दो वर्षों तक एकान्तर तप करे व पारणे के दिन आयविल करे । ग्यारहवें वर्ष के पहले छ. महीनों में कठिन तप न करे ।

ग्यारहवें वर्ष के पिछले छ महीनों में कठिन तप करे । इस पूरे वर्ष में पारणे के दिन आयविल करे ।

वारहवें वर्ष में मुनि कोटि सहित आयविल करे फिर पक्ष या मास का अनशन तप करे ।

पंडित मरण का स्वरूप—

५४६ मैं अनुक्रम से पण्डित मरण का स्वरूप कहूंगा । धैर्यवान्, बुद्धिमान मयमी भिक्षु उसे पूर्ण रूप से जानकर तथा स्वीकार कर अनुपम ममाधि को प्राप्त करे ।

जब मरण समय प्राप्त हो, उस समय जिस श्रद्धा से मुनि-धर्म को स्वीकार किया है, वही ही श्रद्धा से भिक्षु रोमाचकारी मृत्यु भय को दूर करके गुरु के समीप अनशन के द्वारा शरीर के त्याग की इच्छा करे ।

अह कालमि संपत्ते, आघायाय समुस्सयं ।
सकाम-मरणं मरइ, तिण्हमन्नयरं मुणी ॥

—उत्त. अ. ५, गा. ३१-३२

पंडिय मरणप्पगारा—

५४७ प०—से किं तं पंडियमरणे ?

उ०—पंडियमरणे दुविहे पणत्ते, त जहा—

१. पाओवगमणे य,

२. भत्तपच्चक्खाणे य ।^१

प०—से किं त पाओवगमणे ?

उ०—पाओवगमणे दुविहे पणत्ते, तं जहा—

१. नीहारिमे य,

२. अनीहारिमे य,

नियमा अप्पडिकम्मे से त्त पाओवगमणे ।

प०—से किं त भत्तपच्चक्खाणे ?

उ०—भत्तपच्चक्खाणे दुविहे पणत्ते, त जहा—

१. नीहारिमे य, २. अनीहारिमे य,

नियमा सपडिकम्मे । से त्तं भत्तपच्चक्खाणे ।^२

—विया. स. २, उ. १, सु. २७-२६

प०—से किं तं पाओवगमणे ?

उ०—पाओवगमणे दुविहे पणत्ते, त जहा—

१. वाघाइमे य,

२. निव्वाघाइमे य ।

नियमा अप्पडिकम्मे । से त्तं पाओवगमणे ।

प०—से किं त भत्तपच्चक्खाणे ?

उ०—भत्तपच्चक्खाणे दुविहे पणत्ते, त जहा—

मुनि मरण-काल प्राप्त होने पर संलेखना के द्वारा शरीर का त्याग करता है, भक्त प्रत्याख्यान, इगित मरण या पादोपगमन— इन तीनों में से किसी एक को स्वीकार कर सकाम-मरण से मरता है ।

पण्डित मरण के प्रकार—

५४७ प्र०—पण्डित मरण क्या है ?

उ०—पण्डित मरण दो प्रकार का कहा गया है, यथा—

(१) पादोपगमन—वृक्ष की कटी हुई शाखा की तरह निश्चल रहना ।

(२) भक्त-प्रत्याख्यान—यावज्जीवन तीन या चारो आहारो का त्याग करना ।

प्र०—पादोपगमन (मरण) क्या है ?

उ०—पादोपगमन दो प्रकार का कहा गया है, यथा—

(१) निर्हारिम—ग्रामादि मे किया जाने वाला,

(२) अनिर्हारिम—जंगल गुफा आदि मे किया जाने वाला ।

ये दोनो नियम से अप्रतिकर्म होते हैं । यह पादोपगमन का स्वरूप है ।

प्र०—भक्तप्रत्याख्यान (मरण) क्या है ?

उ०—भक्तप्रत्याख्यान मरण दो प्रकार का कहा गया है, यथा—

(१) निर्हारिम, (२) अनिर्हारिम ।

ये दोनो नियम से सप्रतिकर्म होते हैं । यह भक्तप्रत्याख्यान का स्वरूप है ।

प्र०—पादोपगमन क्या है—उसके कितने भेद हैं ?

उ०—पादोपगमन दो प्रकार का कहा गया है, यथा—

(१) व्याघातिम—(उपद्रव के कारण किया जाने वाला)

(२) निर्व्याघातिम—(विना उपद्रव के किया जाने वाला)

ये दोनो नियम से अप्रतिकर्म होते हैं । यह पादोपगमन है ।

प्र०—भक्त प्रत्याख्यान क्या है ? उसके कितने भेद हैं ?

उ०—भक्त प्रत्याख्यान दो प्रकार का कहा गया है, यथा—

१ पण्डित मरण के ये दो प्रकार यावत्कथिक तप के ही दो भेद हैं । जिनका कथन भगवती सूत्र स. २५, उ ७ तथा उववाई सूत्र मे इस प्रकार है—

(क) प०—से किं तं आवकहिए ?

उ०—आवकहिए दुविहे पणत्ते, तं जहा—

(१) पाओवगमणे य, (२) भत्तपच्चक्खाणे य ।

(ख) उव सु. ३०

२ (क) विया. स. १३, उ. ७, सु. ४२-४४

(ग) ठाण. अ. २, उ. ४, सु. ११३

—विया. स. २५, उ. ७, सु. २००

(ख) विया. स. २५, उ ७, सु. २०१-२०२

१ वाघाइमे य, २ निव्वाघाइमे य ।
नियमा सपडिकम्मे । से त्त भत्तपच्चक्खणाणे ।

—उव सु ३०

भक्त-पच्चक्खणाण-अणसणे—

५४८ इविह पि विदित्ता ण, बुद्धा धम्मस्स पारगा ।
अणुपुच्चोए संखाए, कम्मणा य तिउट्टति ॥

कसाए पयणुए किञ्चा, अप्पाहारो तित्तिक्खए ।
अह भिक्खू गित्ताएज्जा, अहारस्सेव अतिथं ॥

जीविय णामिक्खेज्जा, मरणं णो वि पत्थए ।
बुहतो वि ण सज्जेज्जा, जीवित्ते मरणे तथा ॥

मज्झस्यो णिज्जरापेही, समाहिमणुपालए ।
अतो वहि वियासेज्ज, अज्झत्य सुद्धमेसए ॥

जं किञ्चुक्खकम जाणे, आउखेमस्स अप्पणो ।
तस्सेव अतरद्वाए खिप्प, सिक्खेज्ज पडित्ते ॥

गामे अदुवा रण्णे, थंडिलं पडिलेहिया ।
अप्पपाण तु विण्णाय, तणाइं सथरे मुणी ॥
अणाहारो तुवट्टेज्जा, पुट्ठो तत्थसहियासए ।
णातिवेल उवचरे, माणुस्सेहिं वि पुट्ठवं ॥

ससप्पगा य जे पाणा, जे य उद्धमहेचरा ।
भुजते मसत्तोणिय, ण छणे ण पमज्जए ॥

पाणा देहं विहिंसंति, ठाणातो ण वि उद्धममे ।
आसवेहिं विचित्तेहिं, तिप्पमाणोसहियासए ॥

गधेहिं विचित्तेहिं, आयुकालस्स पारए ।
पग्गहियतरपं चेतं, दवियस्स वियाणतो ॥
—आ सु. १, अ. ८, उ ८, गा २-११ (१७-२७)

भक्त पच्चक्खणायगस्स अणगारस्स परभवे आहारो—

५४९ प०—भक्तपच्चक्खणायए णं भते । अणगारे मुच्छिए गिद्धे
गडिए अज्झोचवण्णे आहारमाहारेइ अहे ण चीससाए
पात करेइ, ततो पच्छा अपुच्छिए-जाव-अणज्झोच-
वण्णे आहारमाहारेइ ?

(१) व्याघातिम (२) निर्व्याघातिम ।

ये दोनो नियम से सप्रतिकर्म होते हैं । यह भक्त प्रत्या-
ख्यान है ।

भक्त-प्रत्याख्यान अनशन—

५४८. वे धर्म के पारगामी तत्त्वज्ञ मुनि आभ्यतर और बाह्य
दोनो प्रकार की सलेखना जानकर अनुक्रम से विचार कर
आराधन करके कर्मों से मुक्त हो जाते हैं ।

सलेखना का इच्छुक भिक्षु कपायो को कृश करके, अल्पा-
हारी बनकर समय व्यतीत करे । ऐसा करते हुए यदि ग्लानि
को प्राप्त हो तो आहार का त्याग कर तप स्वीकार करे ।

भिक्षु न तो जीने की अकाक्षा करे और न मरने की अभि-
लाषा करे । जीवन और मरण दोनो में से किसी में भी आसक्त
न हो ।

निर्जरा का इच्छुक मुनि—जीवन और मरण में माध्यस्थ
भाव रखकर समाधि भाव में रहे । कषाय और आहारादि का
त्याग करता हुआ शुद्ध आत्मचित्तन में लीन रहे ।

यदि अपनी आयु के क्षेम में जरा सा भी उपक्रम जान पड़े
तो पण्डित मुनि उस सलेखना काल के मध्य में ही शीघ्र पण्डित
मरण को स्वीकार कर ले ।

ग्राम में अथवा वन में अनशन योग्य भूमि का प्रतिलेखन
करे, जीव जन्तु रहित स्थान जानकर मुनि वहाँ धास विछा ले ।

फिर आहार का त्याग कर सस्तारक पर शयन करे ।
परीपहो और उपमर्गों से आक्रान्त होने पर सहन करे । मनुष्य
आदि के उपसर्गों से भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन न करे ।

जो रेंगने वाले प्राणी हैं, जो ऊपर आकाश में उड़ने वाले हैं
या जो नीचे विलो में रहते हैं, वे कदाचित्त अनशनधारी मुनि के
शरीर का मांस नोचे और रक्त पीएँ तो मुनि न तो उन्हें मारे
और न ही रजोहरणादि से प्रमार्जन करे ।

‘ये प्राणी मेरे शरीर का ही नाश कर रहे हैं, ज्ञानादि
आत्मगुणों का नहीं’, ऐसा विचार कर उन्हें न हटाए और न ही
स्थान से उठकर अन्यत्र जाए । आस्रवी से रहित अध्यवसायों के
द्वारा वेदना को अमृत के समान समझकर सहन करे ।

विद्वान् मुनि विभिन्न कष्टों को मृत्यु पर्यन्त सहन करे और
इस पण्डित मरण को मोक्ष का उत्तम साधन समझकर आराधन
करे ।

भक्त प्रत्याख्यात अणगार का परभवे में आहार—

५४९ प्र०—भन्ते । भक्तप्रत्याख्यान अनशन करने वाला अणगार
यदि उम अवस्था में कान कर जाये तो वह पहले भूच्छित्त, गृद्ध,
प्रथित और अत्यन्त आसक्त होकर आहार करता है और इनके
वाद भूच्छित्त—यावत्—अनासक्त होकर आहार करता है ?

उ०—हंता गोयमा ! भक्तपचक्खायए णं अणगारे-जाव-
अणज्झोववण्णे आहारमाहारेइ ।

प०—से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चइ “भक्तपचक्खायए ण
अणगारे-जाव-अणज्झोववण्णे आहारमाहारेइ ?”

उ०—गोयमा ! भक्तपचक्खायए ण अणगारस्स मुच्छिए
-जाव-अज्झोववण्णे आहारे भवइ, अहे ण वीससाए
कालं करेइ, तओ पच्छा अमुच्छिए-जाव-अज्झोववण्णे
आहारे भवइ ।

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एव वुच्चइ-भक्तपचक्खायए णं
अणगारे-जाव-अणज्झोववण्णे आहारमाहारेइ ।

—वि. स १४, उ. ७, सु. ११

इ गिनीमरण अणसणस्स ग्रहण विधि—

५५० अयं से अवरे घम्मे, णायपुत्तेण साहिते ।
आयवज्ज पडियार, विजहेज्जा तिघा तिघा ॥

हरिएसु ण णिवज्जेज्जा, थंडिल मुणिआ सए ।
विउसेज्ज अणाहारो, पुट्ठो तत्थ अहियासए ॥

इन्दिएहि गिलायतो, समियं साहरे सुणी ।
तहावि से अगरिहे, अचले जे समाहिए ॥

अभिवकमे पडिवकमे, संकुचए पसारए ।
कायासाहारणट्ठाए, एत्थ वा वि अवेयणे ॥

परिवकमे परिकिल्लते, अट्टुवा चिट्ठे अहायते ।
ठाणेण परिकिल्लते, णिसीएज्ज य अंतसो ॥
सासीणेण्णेलिसं मरणं, इन्दियाणि समीरते ।
कोलावासं समासज्ज, वित्तह पादुरेसए ॥

जतो वज्जं समुप्पज्जे, ण तत्थ अवलवए ।
ततो उक्कसे अप्पाणं, सव्वे फासे अहियासए ॥

—आ. सु १, अ ८, उ ८, गा २७-३३

जस्त ण भिवखुस्स एव भवति—

“से गिलामि च खलु अह इममि समए इमं सरीरगं अणु-
पुध्वेण परिवहितए” से अणुपुध्वेण आहारं संवट्ठेज्जा,

उ०—हां गौतम ! भक्त प्रत्याख्यान अनशन करने वाला
अणगार—यावत्—अनासक्त होकर आहार करता है ।

प्र०—भन्ते ! ऐसा क्यों कहा गया है कि—‘भक्तप्रत्याख्यान
अनशन करने वाला अणगार—यावत्—अनासक्त होकर आहार
करता है ?’

उ०—गौतम ! भक्तप्रत्याख्यान अनशन करने वाला अणगार
यदि उस अवस्था में काल करे तो उसके स्वाभाविक ही प्रथम
मूर्च्छित—यावत्—अत्यन्त आसक्त भाव से आहार होता है और
वाद में अमूर्च्छित—यावत्—अनासक्त भाव से आहार होता है ।

इसलिए हे गौतम ! ऐसा कहा गया है कि—भक्तप्रत्याख्यान
अनशन करने वाला अणगार—यावत्—अनासक्त होकर आहार
करता है ।

इ गिनीमरण अनशन ग्रहण विधि—

५५० ज्ञानपुत्र भगवान महावीर ने यह दूसरा इगितमरण
अनशन रूप धर्म का प्रतिपादन किया है । इस अनशन में भिक्षु
मन, वचन और काया से दूसरे का सहारा न ले, न लिवावे, न
लेने वाले का अनुमोदन करे ।

मुनि हरियाली पर शयन न करे, निर्दोष स्थण्डिल को देख
कर वहाँ सोए । आहार और शरीर आदि के ममत्व का त्याग
कर परीषहो तथा उपसर्गों से स्पृष्ट होने पर उन्हें सहन करे ।

मुनि इन्द्रियो से ग्लान होने पर समित होकर हाथ-पैर
आदि सिकोडे । यदि समाधि अचल रहती हो तो शरीर से चेष्टा
करता हुआ वह धर्म का अतिक्रमण नहीं करता है ।

भिक्षु शारीरिक समाधि के लिए तथा शरीर सधारणार्थ
गमन और आगमन करे, हाथ-पैर आदि को सिकोडे और
पसारें । यदि शरीर में शक्ति हो तो अचेतन की तरह निश्चेष्ट
रहे ।

यदि घूमते हुए थक जाय तो कभी सीधा खड़ा रहे । यदि
खड़ा रहने में कष्ट होता हो तो अत में बैठ जाए ।

इस अद्वितीय मरण की साधना में लीन मुनि अपनी इन्द्रियो
को सम्यक् रूप से प्रवृत्त करे । दीमक वाले काष्ठ पट्टे के प्राप्त
होने पर उससे भिन्न जीव रहित पाट का अन्वेषण करे ।

किन्तु जिससे पाप कर्म उत्पन्न हो, ऐसे दीमक आदि से युक्त
पाट आदि का सहारा न ले । उससे अपने आपको दूर हटा ले
और उपस्थित सभी दुःखदायी स्पर्शों को सहन करे ।

जिस भिक्षु के मन में ऐसा मंकल्प होता है कि—

“मैं इस समय इस शरीर को बहन करने में क्रमशः असमर्थ
होता जा रहा हूँ”, तो वह क्रमशः आहार का संक्षेप करे ।

अणुपुद्बेण आहार संवट्टिता कसाए पयणुए किच्चा, समाहि-
यच्चे, फलगाययट्ठी, उट्ठाय भिक्खू अभिनिव्वुडच्चे ।

अणुपविसित्ता गाम वा-जाव-रायहाणि वा तणाइ जाएज्जा,
तणाइ जाइत्ता सेत्तमायाए एगतमवक्कमिज्जा, एगंतमवक्क-
मित्ता अप्पटे-जाव-मक्कडा-सताणए पडिलेहिय-पडिलेहिय
पमज्जिय-पमज्जिय तणाइ संथरेज्जा, तणाइ संथरेत्ता एत्य
वि समए 'इत्तरियं' कुज्जा ।

त सच्चं, सच्चवादी ओए तिण्णे छिण्णकहकहे आतीतट्ठे
अणातीते,

चेच्चाण भित्तं फाय सविहूणिय विरुवरुवे परीसहोवसगे
अस्सिविसमणयाए भेरवमणुचिन्ने,

तत्याधि तस्स कालपरियाए से वि तत्य विर्यतिकारए,

इच्चेत विमोहायतण-हियं, सुह, एमं, णिस्सेयस, आणुगामिय ।
—आ सु १, अ ८, उ ६, सु २२४

पाओवगमण अणसण गहण विही—

५५१ जस्स ण भिक्खुस्स एव भवति,

“से गिलामि च एलु अह इमम्मि समए इम सरीरगं अणु-
पुद्बेण परिवहित्तए” से अणुपुद्बेण आहार सवट्टेज्जा,

अणुपुद्बेण आहारं सवट्टेत्ता कसाए पयणुए किच्चा समाहि
यच्चे, फलगाययट्ठी, उट्ठाय भिक्खू अभिनिव्वुडच्चे,

अणुपविसित्ता गाम वा-जाव-रायहाणि वा तणाइ जाएज्जा
-जाव तणाइ संथरेत्ता एत्य वि समए फाय च जोगं च इरिय
च पच्चक्काएज्जा ।

त सच्च-जाव-इच्चेत विमोहायतण हियं, सुह, एमं, णिस्से-
यसं, आणुगामिय ।

—आ. सु १, अ ८, उ. ७, सु २२८

क्रमशः आहार को संक्षेप करते हुए कपायो को कृश कर
आत्मा को समाधि में स्थापित करें। फलकवत् सहनशील बनकर
पण्डित मरण के लिये उद्यत होकर शरीर के संताप से रहित बने।

अनशन का इच्छुक भिक्षु ग्राम—यावत्—राजधानी में
प्रवेश करके घास की याचना करे, घास की याचना करके उसे
लेकर एकान्त में चला जाए, एकान्त स्थान में जाकर अण्डे
—यावत्—मकड़ी के जाले रहित स्थान का भली भाँति प्रति-
लेखन तथा प्रमार्जन करके घास को विछावे, घास विछाकर वहाँ
उचित अवसर देखकर इत्वरिक अनशन स्वीकार करे।

वह अनशन सत्य है। वह अनशन स्वीकार करने वाला
सत्यवादी है। राग द्वेष रहित है, संसार-सागर को पार करने
वाला है। सशयो से मुक्त है। सर्वथा कृतार्थ है, परिस्थितियों से
अप्रभावित रहता है।

वह शरीर को क्षणभंगुर जानकर विविध परीपहो और
उपसर्गों को सहन कर जिनवचन में श्रद्धा रखता हुआ अति
कठिन इंगितमरण अनशन का अनुपालन करता है।

इस अनशन की आराधना से वह मृत्यु को प्राप्त करता है
और उस मृत्यु से वह अन्तर्क्रिया करने वाला होता है।

यह मोह से मुक्त कराने वाला अनशन भिक्षु को हितकर,
सुखकर, कर्मक्षय करने में समर्थ, कल्याणकारी और भवान्तर में
(फलदायी) साथ चलने वाला होता है।

पादोपगमन अनशन ग्रहण विधि—

५५१ जिस भिक्षु के मन में यह सकल्प होता है कि—

‘मैं इस समय इस शरीर को क्रमशः बहन करने में असमर्थ
हो रहा हूँ’, तो वह भिक्षु क्रमशः आहार का संक्षेप करे।

आहार को क्रमशः घटाता हुआ कपायो को स्वल्प कर
आत्मा को समाधि में स्थापित करे, फलकवत् सहनशील बनकर
पण्डित मरण के लिये उद्यत होकर शरीर के संताप से रहित बने।

अनशन का इच्छुक भिक्षु ग्राम—यावत्—राजधानी में
प्रवेश करके घास की याचना करे—यावत्—घास का विछीना
विछाकर उसी समय शरीर, शरीर की प्रवृत्ति और गमनागमन
आदि का प्रत्याख्यान करे।

यह अनशन सत्य है—यावत्—यह मोह से मुक्त कराने
वाला है। यह भिक्षु को हितकर, सुखकर, कर्मक्षय करने में समर्थ,
कल्याणकारी और भवान्तर में (फलदायी) साथ चलने वाला
होता है।

पाओवगमण अणसणे—

५५२. अय चाततरे सिया, जे एव अणुपालए ।
सव्व-नाय-णिरोधे वि, ठाणातो ण वि उव्वममे ॥

अय से उत्तमे धम्ममे, पुव्वट्ठाणस्स पग्गहे ।
अचिरं पडिलेहित्ता, विहरे चिट्ठ माहणे ॥

अचित्तं तु समासज्ज, ठावए तत्थ अप्पगं ।
वोसिरे सव्वसो कायं, ण मे देहे परीसहा ॥

जावज्जीवं परीसहा, उव्वस्सगा य संखाय ।
संवुडे देह भेदाए, इति पण्णेऽहियासए ॥

भेउरेसु णं रज्जेज्जा, कामेसु बहुतरेसु वि ।
इच्छालोभं ण सेवेज्जा, धुववण्णं सपेहिया ॥

सासएहि णिमंतेज्जा, दिव्वमाय ण सदहे ।
तं पडिबुज्ज माहणे, सव्वं नूमं विधूणिया ॥

सव्वट्ठेहि अमुच्छिए, आयुकालस्स पारए ।
तित्तिक्ख परमं णच्चा, विमोहण्णतरं हित ॥

—आ. सु. १, अ. ८, उ. ८, गा ३४-४०

अणसण गहणस्स दिसाओ—

५५३ दो दिसाओ अभिगिज्ज कप्पति णिग्गथाण वा णिग्गयीण वा
अपच्छिममारणंतियसलेहणा झूसणा झूसियाणं, भत्तपाणपडि-
याइक्खित्ताण पाओवगताणं कालं अणवकंखमाणणं विह-
रित्तए, त जहा—

१. पाईणं चेव, २. उदीणं चेव ।

—ठाणं. अ २, उ १, सु ६६(ख)

अणसण फलं—

५५४. निज्जूहिक्खण आहार, कालधम्ममे उवट्ठिए ।
जहिक्खण माणुसं वोदि, प्हू दुक्खे विमुच्चई ॥

—उत्त. अ. ३५, गा. २०

पादोपगमन अनशन—

५५२. यह पादोपगमन अनशन भक्त प्रत्याख्यान से और इगित-
मरण से भी विशिष्टतर है। जिसका इस प्रकार पालन किया
जाता है, वह सारा शरीर कुचल दिये जाने पर भी अपने स्थान
से चलित नहीं होता है।

यह पादोपगमन अनशन उत्तम धर्म है। यह पूर्व अनशनो से
प्रकृष्टतर है। भिक्षु जीव जंतु रहित स्थण्डिल (स्थान) का
सम्यक् निरीक्षण करके वहाँ अचेतनवत् स्थिर होकर रहे।

अचित्त स्थान को प्राप्त करके वहाँ अपने आपको स्थापित
कर दे। शरीर का सब प्रकार से व्युत्सर्ग कर दे। परीषह उप-
स्थित होने पर ऐसी भावना करे 'यह शरीर ही मेरा नहीं है,
तब परीषह जनित दुःख मुझे कैसे होंगे ?'

जब तक जीवन है तब तक ये परीषह और उपसर्ग होते हैं,
यह विचार कर शरीर को विसर्जित करने वाला तथा शरीरभेद
के लिए समुद्यत प्राज्ञ भिक्षु उन्हे समभाव से सहन करे।

भिक्षु क्षणभंगुर विविध प्रकार के काम-भोगो मे आशक्त न
होवे तथा संयम के स्वरूप का सम्यक् विचार करके इच्छा रूप
लोभ का भी सेवन न करे।

कोई दिव्यभोगो के लिए निमन्त्रित करे तब भिक्षु उस देव
माया पर श्रद्धा न करे, उस माया को सर्व प्रकार से कर्म बन्ध
का कारण जानकर उससे दूर रहे।

सभी प्रकार के विषयो मे अनासक्त और मृत्युकाल के पार
तक पहुँचाने वाला मुनि तित्तिका को सर्वश्रेष्ठ जानकर हितकर
अनशनो मे से किसी एक का आराधन करे।

अनशन ग्रहण करने की दिशाएँ—

५५३. जो निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियाँ अपश्चिम मारणान्तिक-
संलेखना की आराधना से युक्त हैं, जो भक्त-पान का प्रत्याख्यान
कर चुके हैं जो पादोपगमन अनशन से युक्त है, जो मरणकाल
की आकाक्षा नहीं करते हुए विचर रहे हैं, उन्हे दो दिशाओ की
ओर मुँह कर रहना चाहिये। यथा—(१) पूर्व और (२) उत्तर।

अनशन का फल—

५५४. समर्थ मुनि कालधर्म के उपस्थित होने पर आहार का
परित्याग करके मनुष्य शरीर को छोड़कर दुःखो से विमुक्त हो
जाता है।



अवमोदरिका—३

ओमोयरियाए भैया—

५५५ प०—से कि त ओमोयरिया ?

उ०—ओमोयरिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—

१ दव्वोमोयरिया य,

२. भावोमोयरिया य—वि. स. २५, उ. ७, सु. २०३

ओमोयरिय पंचहा, समासेण वियाहिय ।

दव्वओ खेत्त-कालेणं भावेण पज्जवेहिं य ॥

—उत्त. अ. ३०, गा. १४

दव्वोमोयरिया सरुव—

५५६ जो जस्त उ आहारो, तत्तो ओम तु जो करे ।

जहन्नेणेग - सित्थाई, एव दव्वेण उ भवे ॥

—उत्त. अ. ३०, गा. १५

दव्वोमोयरियाए भैयाप्पभैया—

५५७. प०—से कि तं दव्वोमोयरिया ?

उ०—दव्वोमोयरिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा—

१ उवगरण-दव्वोमोयरिया य,

२. भत्तपाण-दव्वोमोयरिया य,^२

प०—से कि तं उवगरण-दव्वोमोयरिया ?

उ०—उवगरण-दव्वोमोयरिया तिविहा पण्णत्ता, त जहा—

१ एगे वट्ठे, २. एगे पाए,

३. चियत्तोयकरण-साइज्जणया,^३

से त्त उवगरण-दव्वोमोयरिया ।

प०—से कि त भत्तपाण-दव्वोमोयरिया ?

उ०—भत्तपाण-दव्वोमोयरिया अणेगविहा पण्णत्ता, त जहा—

१ उव सु ३०

२ भगवती सूत्र और औपपातिक सूत्र में ये भेद समान हैं किन्तु ठाणाग सूत्र के तीसरे ठाणे में ऊणोदरी तप के तीन भेद इस प्रकार किये हैं—

तिविघा ओमोयरिया पण्णत्ता, त जहा—

(१) उवगरणोमोयरिय (२) भत्तपाणोमोयरिया, (३) भावोमोयरिया ।

३ ठाण. अ. ३, उ. ३, सु. १८८ (ग)

—ठाण. अ. ३, उ. ३, सु १८८ (ग)

अवमोदरिका के भेद—

५५५. प्र०—अवमोदरिका क्या है—उसके कितने भेद हैं ?

उ०—अवमोदरिका के दो भेद बतलाये गये हैं, यथा—

(१) द्रव्य-अवमोदरिका—भूख से कम खाना ।

(२) भाव अवमोदरिका—कपाय कलह आदि कम करना ।

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्याय के भेद से उनोदरी तप सक्षेप में पाँच प्रकार का है ।

द्रव्य अवमोदरिका का स्वरूप—

५५६ जिसका जितना आहार है, उससे कम खाता है अर्थात् जघन्य एक कवल भी कम खाता है, वह द्रव्य से अवमोदर्य तप होता है ।

द्रव्य अवमोदरिका के भेद-प्रभेद—

५५७ प्र०—द्रव्य-अवमोदरिका क्या है—उसके कितने भेद हैं ?

उ०—द्रव्य-अवमोदरिका के दो भेद बतलाये गये हैं, यथा—

(१) उपकरण-द्रव्य अवमोदरिका—वस्त्र आदि उपयोग सामग्री का कम उपयोग करना ।

(२) भक्त-पान अवमोदरिका—खाद्य, पेय पदार्थों का कम मात्रा में उपयोग करना ।

प्र०—उपकरण-द्रव्य अवमोदरिका क्या है—उसके कितने भेद हैं ?

उ०—उपकरण-द्रव्य अवमोदरिका के तीन भेद बतलाये गये हैं, यथा—

(१) एक वस्त्र रखना, (२) एक पात्र रखना,

(३) त्यक्त (परिमुक्त) उपकरण ग्रहण करना ।

यह उपकरण द्रव्य अवमोदरिका है ।

प्र०—भक्तपान-द्रव्य अवमोदरिका क्या है—उसके कितने भेद हैं ?

उ०—भक्तपान-द्रव्य अवमोदरिका के अनेक भेद बतलाये गये हैं, जो इस प्रकार है—

१ अट्टुकुकुडिअडगप्पमाणमेत्ते कवले आहार आहारे-
माणे अप्पाहारे ।

२ दुवालस कुक्कुडिअडगप्पमाणमेत्ते कवले आहार
आहारेमाणे अवडड मोयरिया ।

३. सोलस कुक्कुडिअडगप्पमाणमेत्ते कवले आहारं
आहारेमाणे दुभागपत्तोमोयरिया ।

४. चउवीसं कुक्कुडिअडगप्पमाणमेत्ते कवले आहारं
आहारेमाणे तिभागपत्ते, असिया ओमोयरिया ।

५. एकतीसं कुक्कुडिअडगप्पमाणमेत्ते कवले आहार
आहारेमाणे किचूणोमोयरिया ।

६. वत्तीस कुक्कुडिअडगप्पमाणमेत्ते कवले आहार
आहारेमाणे पमाणपत्ते ।

७. एत्तो एगेण वि घासेणं ऊणयं आहारमाहारेमाणे
समणे णिग्गंथे णो पकामभोइत्ति वत्तव्व सिया ।
से त्तं भत्तपाण-दव्वोमोयरिया, से त्तं दव्वोमोयरिया ।।

वि. स. २५, उ ७, सु. २०४-२०६

खेत ओमोयरिया—

५५८. गामे नगरे तह रायहाणि, निगमे य आगरे पल्ली ।
खेडे कव्वड - दोणमुह, पट्टण - मडम्ब संवाहे ॥

आसमपए विहारे, सन्निवेसे समाय-घोसे य ।
थलि सेणा खधारे, सत्थे संवट्ट-कोट्टे य ॥

वाडेसु व रच्छासु व, घरेसु वा एवमित्तियं खेत ।
फप्पइ उ एवमाई, एवं खेत्तेण ऊ भवे ॥

पेडा य अट्टपेडा, गोमुत्ति-पयंगवीहिया चेव ।
सम्बुक्कावट्टाययगतुं, पच्चागया छट्टा ॥^३

—उत्त. अ. ३०, गा. १६-१८

काल ओमोयरिया—

५५९. दिवसस्स पोरिसीणं चउण्हं पि उ जत्तिओ भवे कालो ।
एव चरमाणो खलु, कालोमाणं मुणेयव्वो ॥

(१) अपने मुख प्रमाण आठ कवल आहार करने से अल्पा-
हार कहा जाता है ।

(२) अपने मुख प्रमाण बारह कवल आहार करने से कुछ
कम अर्ध ऊनोदरिका कही जाती है ।

(३) अपने मुख प्रमाण सोलह कवल आहार करने से द्विभाग
प्राप्त अर्ध ऊणोदरी कही जाती है ।

(४) अपने मुख प्रमाण चौबीस कवल आहार करने से
त्रिभाग प्राप्त आहार और एक भाग ऊनोदरिका कही जाती है ।

(५) अपने मुख प्रमाण एकतीस कवल आहार करने से
किंचित् ऊणोदरिका कही जाती है ।

(६) अपने मुख प्रमाण वत्तीस कवल आहार करने से प्रमाण
प्राप्त आहार कहा जाता है ।

(७) इससे एक ग्रास भी कम आहार करने वाला श्रमण-
निर्ग्रन्थ प्रकामभोजी नहीं कहा जा सकता है ।

यह भक्तपान द्रव्य अवमोदरिका है । यह द्रव्य अवमो-
दरिका है ।

क्षेत्र अवमोदरिका—

५५८. ग्राम, नगर, राजधानी, निगम, आकर, पल्ली, खेडा,
कंबट, द्रोणमुख, पत्तन, मण्डप, संवाध,

आश्रम-पद, विहार, सन्निवेश, समाज, घोष, स्थली, सेना
का शिविर, सार्थ, सवर्त, कोट,

पाडा, गलियां अथवा घर आदि में “मुझे अमुक निर्धारित
क्षेत्र में भिक्षा के लिए जाना कल्पता है ।” ऐसी प्रतिज्ञा करने
पर क्षेत्र से अवमोदर्य तप होता है ।

(प्रकारान्तर से)—(१) पेटा, (२) अट्ट पेटा,
(३) गोमूत्रिका, (४) पतग-वीथिका, (५) शम्बूकावर्ता
और (६) जाते या पुन आते ।

इन छह प्रकार की प्रतिज्ञा से आहार ग्रहण करना भी क्षेत्र
से अवमोदर्य तप है ।

काल-अवमोदरिका—

५५९ दिवस के चार प्रहरो में जितना अभिग्रह-काल किया है,
उसमें ही भिक्षा के लिए विचरण करने वाले मुनि के काल से
अवमोदर्य तप होता है ।

१ (क) वि. स ७, उ. १, सु. १९

२ (क) ठाणं. अ. ६, सु ५१४

(ख) उव सु. ३०

(ग) वव उ. ८, सु. १७

(ख) दसा. द. ७, सु. ६

अहया तइयाए पोरिसीए, ऊणाइ घासमेसतो ।
चटभाणुणाए वा, एव कालेण ऊ भवे ॥
—उत्त. अ. ३०, गा. २०-२१

भाव ओमोयरिया—

५६०. इत्यो वा पुरित्तो वा, अलकिओवाऽणलकिओ वा वि ।
अन्नयरवयत्थो वा, अन्नयरेण व वत्थेणं ॥
अन्नेण विसेसेणं, वण्णेण भावमणुमुयन्ते उ ।
एव चरमाणो एल्लु, भावोमाण मुणेयव्वो ॥^१
—उत्त अ. ३०, गा २२-२३

प०—से किं तं भावोमोयरिया ?

उ०—भावोमोयरिया अणेगविहा पण्णत्ता, त जहा—

अप्पकोहे, अप्पमाणे, अप्पमाए, अप्पलोहे, अप्पसद्धे,
अप्पक्षंझे, अप्पतुमत्तुमे । से त्त भावोमोयरिया ।
से त्त ओमोयरिया ।—वि. स. २५, उ. ७, सु. २०७

पज्जव ओमोयरिया—

५६१. दव्वे खेत्ते काले भावम्मि य, आहिया उ जे भावा ।
एएण्ह ओमचरओ, पज्जवचरओ भवे भिक्खू ॥
—उत्त अ. ३०, गा. २४

अथवा तीसरे प्रहर में ही चतुर्थ भाग आदि न्यून करने
शेष काल में जो भिक्षा की एषणा करता है, ऐसा करने पर भी
काल से अवमोदर्यं तप होता है ।

भाव-अवमोदरिका—

५६० स्त्री या पुरुष, अलकृत या अनलंकृत, अमुक वय वाले या
अमुक वस्त्र वाले, अमुक वर्ण वाले या अमुक भाव वाले, इत्यादि
किसी भी विशेषता से युक्त हो ऐसे दाता से भिक्षा ग्रहण करूँगा
अन्यथा नहीं—इस प्रकार की प्रतिज्ञा से चर्या करने वाले मुनि
के भाव से अवमोदर्यं तप होता है ।

प्र०—भाव-अवमोदरिका क्या है ?

उ०—भाव-अवमोदरिका अनेक प्रकार की वतलाई गई है,
यथा—

श्रोत्र, मान, माया और लोभ की प्रवृत्ति कम करना, श्रोत्र
आदि के आवेश से होने वाली शब्द प्रवृत्ति को, कलहोत्पादक
वचन को तथा तुमन्तुम की प्रवृत्ति को कम करना । यह भाव
अवमोदरिका का स्वरूप है, यह अवमोदरिका है ।

पर्यव अवमोदरिका—

५६१. द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ऊणोदरी में जो भाव कहे
गए हैं, जो भिक्षु एक साथ इन चारों प्रकार की ऊणोदरी में
चर्या करता है उसके पर्यव अवमोदर्यं तप होता है ।



भिक्षाचर्या—४

भिक्षाचर्यासत्त्व—

५६२. अट्टविहगोयरमं तु, तथा सत्तेव एसणा ।
अभिग्गहा य जे अन्ने, भिक्षाचर्यामाहिया ॥
—उत्त अ. ३०, गा. २५

भिक्षाचर्या का स्वरूप—

५६२. आठ प्रकार की भिक्षाचरी, सात प्रकार की पिडेपणा तथा
और भी जो अन्य अभिग्रह हैं, उन्हें भिक्षाचर्या तप कहा
जाता है ।

१ (क) उव सू. ३०

(ख) विवाहपण्णत्ती एव उववाई सूत्र में “ऊणोदरी” तप के दो भेद हैं और उत्तराध्ययन में “ऊणोदरी” तप के मक्षेप में ५ भेद
हैं, यद्यपि ५ की अपेक्षा दो सख्या अल्प है फिर भी विवाहपण्णत्ती एव उववाई सूत्र के दो भेदों में आहार, उपकरण और
नपाय आदि से सभी प्रकार की ऊणोदरी का कथन है और उत्तराध्ययन में केवल आहार की अपेक्षा ही पाँचों भेदों का
विवेचन किया गया है । उपकरण और नपाय ऊणोदरी का कथन नहीं किया है ।

२ उत्त अ. ३० गा. १६ में क्षेत्र अवमोदरिका में गोचरी के ६ प्रकार कहे हैं । दशा द. ७, सु. ६ में प्रतिमाधारी भिक्षु के ६
प्रकार की गोचरी कही है । उसे ही यहाँ एक अपेक्षा में आठ प्रकार की भिक्षाचरी कहा है । सग्यावर्त के आभ्यन्तर व बाह्य दो
भेद करने से तथा गतुप्रत्यागता के ‘जाते नमय’ और ‘आते समय’ यों दो भेद करने से ये गोचरी के आठ प्रकार होते हैं ।

भिक्षाचर्या पगारा—

५६३. प०— से किं त् भिक्षाचर्या^१ ?

उ०—भिक्षाचर्या अणुगच्छिहा पणत्ता, त जहा—

१. दब्बाभिग्गहचरए ।

२. खेत्ताभिग्गहचरए ।

३. कालाभिग्गहचरए ।

४. भावाभिग्गहचरए ।

५. उक्खित्तचरए ।

६. निक्खित्तचरए ।

७. उक्खित्त-निक्खित्तचरए ।

८. निक्खित्त-उक्खित्तचरए ।

९. वट्टिज्जमाणचरए ।

१०. साहरिज्जमाणचरए ।

११. उवणीयचरए ।

१२. अवणीयचरए ।

१३. उवणीय-अवणीयचरए ।

१४. अवणीय-उवणीयचरए ।

१५. ससट्टचरए ।

१६. असंसट्टचरए ।^२

भिक्षाचर्या के प्रकार—

५६३. प्र०—भिक्षाचर्या कितने प्रकार की है ?

उ०—भिक्षाचर्या अनेक प्रकार की कही गई है, यथा—

(१) द्रव्यो की मर्यादा का अभिग्रह करके आहार लेना ।

(२) ग्रामादि क्षेत्रो मे से किसी एक क्षेत्र का अभिग्रह करके आहार लेना ।

(३) दिन के अमुक भाग मे आहार लेने का अभिग्रह करना ।

(४) अमुक वय या वर्ण वाले से आहार लेने का अभिग्रह करना ।

(५) किसी वर्तन मे भोजन निकालने वाले से आहार लेने का अभिग्रह करना ।

(६) किसी वर्तन मे भोजन डालने वाले से आहार लेने का अभिग्रह करना ।

(७) किसी एक वर्तन मे भोजन लेकर दूसरे वर्तन मे डालने वाले से आहार लेने का अभिग्रह करना ।

(८) किसी एक वर्तन मे निकाले हुए भोजन को दूसरे वर्तन मे लेने वाले से आहार लेने का अभिग्रह करना ।

(९) किसी के लिए थाली मे परोसा हुआ आहार लेने का अभिग्रह करना ।

(१०) थाली में ठारे हुए भोजन को अन्य वर्तन मे लेने वाले से आहार लेने का अभिग्रह करना ।

(११) आहार की प्रशंसा करके देने वाले से आहार लेने का अभिग्रह करना ।

(१२) आहार की निन्दा करके देने वाले से आहार लेने का अभिग्रह करना ।

(१३) जो आहार की पहले प्रशंसा करके बाद मे निन्दा करे उससे आहार लेने का अभिग्रह करना ।

(१४) जो आहार की पहले निन्दा करके बाद मे प्रशंसा करे उससे आहार लेने का अभिग्रह करना ।

(१५) लिप्त हाथ, पात्र या चम्मच से आहार लेने का अभिग्रह करना ।

(१६) अलिप्त हाथ, पात्र या चम्मच से आहार लेने का अभिग्रह करना ।

१ “भिक्षाचर्या” यद्यपि छ प्रकार के बाह्यतपो मे से एक प्रकार का तप है और वह निर्जरा का हेतु है तथापि अभिग्रह युक्त भिक्षाचर्या ही तप रूप है अतः उसका वर्णन तपाचार मे लिया गया है और सामान्य भिक्षाचर्या एषणा समिति का विषय है इसलिए उसका सम्पूर्ण वर्णन “एषणा समिति” मे दिया है ।

२ असंसृष्ट चरक—अलिप्त हाथ, पात्र या चम्मच से आहार लेने का निषेध आ. श्रु. २, अं. १, उ. ६, सु. ३६० मे तथा दशर्वकालिक अ. ५, उ. १, गा. ३२ मे है क्योंकि लिप्त हाथ आदि को घाने से पश्चात् कर्म दोष लगता है ।

(शेष टिप्पण अगले पृष्ठ पर)

१७. तज्जायसंसद्वृचरए ।

(१७) देय पदार्थ से लिप्त हाथ, पात्र या चम्मच द्वारा दिये जाने वाले आहार को लेने का अभिग्रह करना ।

१८. वण्णायचरए ।

(१८) अज्ञात स्नान (जहाँ भिक्षु की प्रतीक्षा न करते हो) से आहार लेने का अभिग्रह करना ।

१९. मोणचरए ।

(१९) मौन रखकर आहार लेने का अभिग्रह करना ।

२०. दिट्ठत्तामिए ।^१

(२०) दियता हुआ आहार लेने का अभिग्रह करना ।

२१. अदिट्ठत्तामिए ।^२

(२१) नहीं दिखता हुआ आहार लेने का अभिग्रह करना ।

२२. पुट्ठत्तामिए,

(२२) "तुम्हें क्या चाहिए" इस प्रकार पूछकर देने वाले से आहार लेने का अभिग्रह करना ।

२३. अपुट्ठत्तामिए,

(२३) विना पूछे देने वाले से आहार लेने का अभिग्रह करना ।

२४. भिक्खत्तामिए,^३

(२४) "मुझे भिक्षा दो" ऐसा कहने पर देने वाले से आहार लेने का अभिग्रह करना ।

२५. अभिक्खत्तामिए,^४

(२५) "भिक्षा दो" आदि कुछ भी कहे विना ही स्वतः देने वाले से आहार लेने का अभिग्रह करना ।

२६. अण्णमित्तामए,^५

(२६) आज का बना हुआ नहीं लेने का अभिग्रह करना ।

२७. ओयण्हिए,

(२७) दाता के समीप में पढा हुआ आहार लेने का अभिग्रह करना ।

२८. परिमित्त-पिट्ठवाहए,

(२८) परिमित्त द्रव्यों के लेने का अभिग्रह करना ।

(शेष टिप्पण पिछले पृष्ठ का)

यदि कहीं पश्चात् कर्म दीप न लगने जैसा ज्ञात हो तो ही इस अभिग्रह वाले आहार ले सकते हैं । सभी व्याख्याकारों ने यही स्पष्टीकरण किया है ।

आचा. श्रु २, अ १, उ. ११ में पिठ्ठपणा में भी पहली पडिमा (प्रतिज्ञा) है—“अससुट्ट हाथ, पात्र या चम्मच से ही आहार लेना ।” भुने हुए घने, चावल, जौ, ज्वार, मक्की आदि साद्य पदार्थ अल्प आहार है । ऐसे अल्प आहार लेने पर पश्चात् कर्म दीप लगने की सम्भावना नहीं रहती है । भिक्षादाता यदि विवेक से लेप वाले पदार्थ दे तो लेप वाले पदार्थ लेने में भी पश्चात् कर्म दीप नहीं लगता ।

इस 'अससुट्टचरक' अभिग्रह में ऐसे ही विवेकपूर्वक आहार लिया जाता है ।

१ दिट्ठत्तामिए—गृहस्थ के घर में जितने साद्य पदार्थ सामने दीप रहे हों उनमें से ही अपनी आवश्यकतानुसार आहार लेना "दिट्ठत्तामिए" अभिग्रह है ।

२ अदिट्ठत्तामिए—गृहस्थ के घर में जो साद्य पदार्थ सामने न दीखें ऐसे पड़े हों उनमें से ही आहार लेना "अदिट्ठत्तामिए" अभिग्रह है ।

३ भिक्खत्तामिए—दाता अपनी ओर से भिक्षा न दे ऐसी स्थिति में श्रमण स्वयं गृहस्थ से कहे—प्रासुक एषणीय शुद्ध आहार हो तो मुझे दो—ऐसा बरने पर जो आहार दाता से मिले—वही ले, यह "भिक्खत्तामिए" अभिग्रह है ।

४ अभिक्खत्तामिए—भिक्षु के कुछ भी कहे विना दाता स्वयं जो कुछ प्रासुक एव एषणीय आहार दे वही लेना "अभिक्खत्तामिए" अभिग्रह है ।

यद्यपि सभी श्रमण भिक्षानुक्ति ने ही आहारादि लेते हैं फिर भी भिक्खत्तामिए और अभिक्खत्तामिए ये दोनों अभिग्रह हैं । अतः यहाँ इनकी मह विरोध व्याख्या की गई है ।

५ अण्णमित्तामए—जो साद्य पदार्थ उचित न हों उन्हें साद्य पदार्थों को या अनेक दिन पहले बने हुए साद्य पदार्थों को लेना "अण्णमित्तामए" अभिग्रह है ।

२६. सुद्धेसणिए^१

३०. संखादत्तिए^२,

से तं भिक्षायायरिया । —वि स. २५, उ ७, सु. २०८
पञ्च ठाणाइं समणेणं भगवया महावीरेणं समणानं निग्गयाण
-जाव-अब्भणुध्यायाइं भवति, तं जहा—

१ उक्खित्तचरए,

२. णिक्खित्तचरए,

३. अन्तचरए,

४. पंतचरए,

५. लूहचरए ।

पञ्च ठाणाइं समणेणं भगवया महावीरेणं समणानं निग्गयाणं
-जाव-अब्भणुध्यायाइं भवति, तं जहा —

१ अण्णायचरए,

२. अण्णगिलायचरए,

३. मोणचरए,

४. संसट्ठकप्पिए,

५. तज्जातससट्ठकप्पिए ।

पञ्च ठाणाइं समणेणं भगवया महावीरेणं समणानं निग्गयाणं
-जाव-अब्भणुध्यायाइं भवति, तं जहा—

१. उवण्हिए,

२. सुद्धेसणिए,

३. संखादत्तिए,

४. दिट्ठलाभिए,

(२६) एषणा मे कोई भी अपवाद सेवन न करने का अभि-
ग्रह करना ।

(३०) दत्ति का परिमाण निश्चित करके आहार लेने का
अभिग्रह करना ।

यह भिक्षाचर्या तप है ।

श्रमण भगवान् महावीर ने श्रमण निर्ग्रन्थो के लिए पाँच
अभिग्रह स्थान की—यावत्—आज्ञा दी है, यथा—

(१) उत्क्षिप्तचरक—राघने के पात्र से निकाला हुआ
आहार ग्रहण करना ।

(२) निक्षिप्तचरक—राघने के पात्र में से आहार ग्रहण
करना ।

(३) अन्तचरक—परिवार वालो के भोजन कर लेने के बाद
बचा हुआ आहार ग्रहण करना ।

(४) प्रान्तचरक—तुच्छ आहार लेने का अभिग्रह करना ।

(५) रूक्षचरक—सर्व प्रकार के रसो से रहित रूखा आहार
ग्रहण करना ।

श्रमण भगवान् महावीर ने श्रमण निर्ग्रन्थो के लिए पाँच
अभिग्रह स्थान की—यावत्—आज्ञा दी है, यथा—

(१) अज्ञातचरक—अपनी जाति-कुलादि वताये बिना
अथवा अज्ञात गृहस्थ से भिक्षा लेना ।

(२) अन्नगलाय चरक—आज का बना हुआ न हो ऐसा
आहार लेना ।

(३) मौनचरक—मौन रहकर भिक्षा लेना ।

(४) संसृष्टकल्पिक—लिप्त हाथ या कड़छी आदि से ही
भिक्षा लेना ।

(५) तज्जात-ससृष्टकल्पिक—देय द्रव्य से लिप्त हाथ आदि
से ही भिक्षा लेना ।

श्रमण भगवान् महावीर ने श्रमण निर्ग्रन्थो के लिए पाँच
अभिग्रह स्थान की—यावत्—आज्ञा दी है, यथा—

(१) औपनिधिक—समीप में रखे हुए आहार को ही लेना ।

(२) शुद्धषणिक—निर्दोष आहार की ही गवेषणा करना ।

(३) संख्यादत्तिक—सीमित संख्या में दत्तियो का नियम
करके आहार लेना ।

(४) दृष्टलाभिक—सामने रखा हुआ आहार-पानी ही
लेना ।

१ सुद्धेसणिए—आहार, उपश्रय, वस्त्र, पात्र, पीठ, फलक आदि आवश्यक सामग्री की सर्वदा अपवाद रहित शुद्ध एषणा ही करना
“सुद्धेसणिए” अभिग्रह है ।

२ (क) सूय सु. २, अ. २, सु ७१४

(ख) उव. सु ३०

५. पुट्टनामि ।

पक्ष ठापाइं समणेणं भगवया महावीरेणं ममणाण निग्गयाण
-जाव-अत्तणुप्रापाइं भवति, तं जहा—

१. आयविलिए,

२. णिच्चिइए,

३. पुग्ग्मिच्चिइए,

४. परिमिच्चिपिण्डवाइए,

५. मिष्ण पिण्डवाइए ।

—ठाण अ ५, उ १, सु. ३६६

(५) पुष्टलाभिक—क्या लगे ? यह पूछे जाने पर ही
भिक्षा लेना ।

श्रमण भगवान् महावीर ने श्रमण निर्ग्रन्थो के लिए पाँच
अभिग्रह स्थान की—यावत्—आज्ञा दी है, यथा—

(१) आचाम्स्तिक—आयविल करने वाला ।

(२) निर्विकृतिक—घी आदि विकृतियों का त्याग करने
वाला ।

(३) पूर्वाधिक—दिन के पूर्वार्ध में आहार नहीं करने के
नियम वाला ।

(४) परिमितपिण्डपातिक—परिमित द्रव्यों की भिक्षा लेने
वाला ।

(५) मिष्णपिण्डपातिक—खट-खट किये हुए पदार्थों की
भिक्षा लेने वाला ।



रस-परित्याग—५

रस-परिच्छाय सहव—

५६४ तोर-दहि-सप्पिमाई, पणीय पाणभोयणं ।
परिवज्जणं रसाण तु, भणियं रसविद्यज्जण ॥

—उत्त. अ ३०, गा २६

रस-परिच्छाय-पगारा—

५६५. प०—से कि त रसपरिच्छाए ?

उ०—रसपरिच्छाए अणेगविहे पणत्ते, त सहा—

१. निच्यीइए,

२. पणीय-रस-परिच्छाए,

३. आयविलिए,

४. आयामसित्तयमोई,

५. अरसाहारे,

६. विरसाहारे,

७. अन्ताहारे,

रस परित्याग का स्वरूप—

५६४. दूध, दही, घृत आदि स्निग्ध पान-भोजन और रसों के
वजन को रसविवर्जन तप कहा जाता है ।

रस-परित्याग के प्रकार—

५६५ प्र०—रस-परित्याग क्या है ? वह कितने प्रकार का है ?

उ०—रस-परित्याग अनेक प्रकार का कहा गया है, यथा—

(१) निर्विकृतिक—विषय रहित आहार करना ।

(२) प्रणीत रसपरित्याग—अतिस्निग्ध और मरम आहार
का त्याग करना ।

(३) आयविल—नमक आदि पट्टरम तथा विषय रहित एक
द्रव्य को अचित्त पानी में भिगोकर दिन में एक ही बार पाना ।

(४) आयाम सिद्यमोजी—ओसामन आदि के पानी में रहे
हुए अन्न गणों को पाना । अथवा अत्यल्प पदार्थ लेकर आयविल
करना ।

(५) अरसाहार—बिना मिर्च ममाने का आहार करना ।

(६) विरसाहार—बहुत पुगने अन्न में बना हुआ आहार
करना ।

(७) अन्ताहार—भोजन के बाद बचा हुआ आहार करना ।

८. पंताहारे,

९. लूहाहारे,^१

१०. से तं रसपरिच्चाए^२

—वि. स. २५, उ. ७, सु. २०६

पंच ठाणाइ समणेणं भगवया महावीरेण समणाणं निग्गथाणं
-जाव-अक्खणुत्तायाइं भवन्ति, तं जहा—

१. अरसजीवी,

२. विरसजीवी,

३. अंतजीवी,

४. पतजीवी,

५. लूहजीवी,

—ठाणं. अ. ५, उ. १, सु. ३६६ सूखे आहार लेना ।

(८) प्रान्ताहार—मलिचा आदि तुच्छ धान्यो से बना हुआ आहार करना ।

(९) रूक्षाहार—रूखा-सूखा आहार करना ।

ये रस परित्याग है ।

श्रमण भगवान महावीर ने श्रमण निर्ग्रन्थो के लिए पांच अभिग्रह स्थान की—यावत्—आज्ञा दी है, यथा—

(१) अरसजीवी—जीवन पर्यन्त (या लम्बे समय तक) रस रहित आहार लेना ।

(२) विरसजीवी—जीवन पर्यन्त (या लम्बे समय तक) विरस आहार लेना ।

(३) अंत्यजीवी—जीवन पर्यन्त (या लम्बे समय तक) वचा हुआ आहार लेना ।

(४) प्रान्तजीवी—जीवन पर्यन्त (या लम्बे समय तक) तुच्छ आहार लेना ।

(५) रूक्षजीवी—जीवन पर्यन्त (या लम्बे समय तक) रूखे-सूखे आहार लेना ।



काय-क्लेश—६

कायकिलेस सरूवं—

५६६. ठाणा वीरासणाईया, जीवस्स उ सुहावहा ।
उग्गा जहा धरिज्जन्ति, कायकिलेस तमाहियं ॥

—उत्त. अ. ३०, गा. २७

अणेगविहे कायकिलेसे—

५६७. प०—से किं त कायकिलेसे ?

उ०—कायकिलेसे अणेगविहे पणत्ते, तं जहा—

१. ठाणट्टिइए,

२. उक्कुहुयासणिए,

३. पडिमट्टाई,

४. वीरासणिए,

काय-क्लेश का स्वरूप—

५६६ आत्मा के लिए सुखकर वीरासन आदि कठिन आसनो का जो सेवन किया जाता है, उसे कायक्लेश तप कहा जाता है ।

काय-क्लेश के प्रकार—

५६७ प्र०—कायक्लेश क्या है—वह कितने प्रकार का है ?

उ०—काय-क्लेश अनेक प्रकार का कहा गया है, जैसे—

(१) स्थानस्थितिक—एक आसन से स्थिर रहना ।

(२) उत्कुटुकासनिक—पुट्टो को भूमि पर न टिकाते हुए केवल पाँवों के बल पर बैठकर मस्तक पर अजली करना ।

(३) प्रतिमास्थायी—एक रात्रि आदि का समय निश्चित कर कायोत्सर्ग करना ।

(४) वीरासनिक—कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के नीचे से कुर्सी निकालने पर जो स्थिति होती है उस आसन से स्थिर रहना ।

१ ठाणं. अ. ५, उ. १, सु. ३६६ में अरसाहारे आदि पाँच प्रकार हैं ।

२ उव. सु. ३०

- ५ नेमज्जिए,
६ आयावए,
७ अयाउडए,
८ अकण्डूयए,

९ अणिट्टूहए

१०. सत्त्वगाय-परिकम्म-विभूसा य विप्पमुक्के,

से त कायक्लित्से,^१ —वि म २५, उ ७, सु २१०
पच ठाणाइं समणेणं भगवया महावीरेणं समणाणं निग्गंथाणं
-जाव-अन्नपुत्रायाइ भवति त जहा—

१. दढायतिए,

२. लगंडसाई,

३. आतावए,

४. अयाउडए,

५. अकण्डूयए,

—ठाण अ ५, उ १, सु ३६६

पच णिसिज्जाओ पणत्ताओ, त जहा—

१. उक्कुडया

२. गोदोहिया,

३. समपायपुत्ता.

४. पत्तियका,

५. अद्धपत्तियका ।

—ठाण अ ५, उ १, सु. ४००

णिग्गंथीणं णिसिद्धा विहियाय आयावणा—

५६८. नो कप्पइ निग्गंथीए बहियागामस्स वा-जाव-रायहाणिस्स वा
उड्ढ वाहाओ पणिज्जिय-पणिज्जिय सूरामिमुहीए एगपाड-
याए ठिच्चा आयावणाए आयावत्तए ।

१ (क) उक्. सु ३०

(ग) पच ठाणाइं समणेणं भगवया महावीरेणं समणाणं निग्गंथाण-जाव-अन्नपुत्रायाइं भवति त जहा—

(१) ठाणातिए (२) उक्कुडु आनाणाए, (३) पट्टिमट्टाई, (४) वीरामणिए, (५) नेमज्जिए ।

—ठाण. अ ५, उ १, सु. ३६६

(ग) नत्तयिधे कायक्लित्से पणत्ते, त जहा—

(१) ठाणातिए, (२) उक्कुडुयामणिए, (३) पट्टिमट्टाई, (४) वीरामणिए, (५) नेमज्जिए, (६) दढायतिए,

(७) लगंडसाई ।

—ठा. अ. १, सु ५५४

(५) नैपविक — पुट्टे टिकाकर पालथी लगाकर बैठना ।

(६) आतापक—घूप आदि की आतापना लेना ।

(७) अप्रावृतक—देह को कपडे आदि से नहीं ढकना ।

(८) अकण्डूयक—खुजली चलने पर भी देह को नहीं खुजलाना ।

(९) अनिष्ठीवक—थूंक कफ आदि आने पर भी नहीं थूकना ।

(१०) मर्व-गात्र परिकर्म एव विभूपा विप्रमुक्त—देह के सभी सस्कार तथा विभूपा आदि करने से मुक्त रहना ।

यह काय-क्लेश का विस्तार है ।

श्रमण भगवन्त महावीर ने श्रमण निर्ग्रन्थियों के लिए पाँच स्थान सदा आचरण योग्य कहे हैं— यावत्—स्वीकृत किये हैं । यथा—

(१) दण्डायतिक—दण्डे के समान सीधे लम्बे पैर करके सोना ।

(२) लगण्डशायी—शिर और एडी की जमीन पर टिकाकर शेष शरीर को ऊपर उठाकर सोना ।

(३) आतापक—सरदी तथा गर्मी सहना ।

(४) अप्रावृतक—वस्त्र न रखना ।

(५) अकण्डूयक—खाज न खुजलाना ।

पाँच बैठने के प्रकार कहे हैं, यथा—

(१) उत्कटुका—नितम्ब टिकाये बिना पैरों को टिकाकर बैठना ।

(२) गोदोहिका—गाय दुहने की तरह बैठना ।

(३) ममपादपुत्ता—दोनों पैरों को और नितम्बों को भूमि पर टिकाकर बैठना ।

(४) पर्यंका—पालथी लगाकर बैठना ।

(५) अर्ध पर्यंका—आधी पालथी लगाकर बैठना अर्थात् एक पैर से पालथी लगाकर और एक पैर लम्बा करके बैठना ।

निर्ग्रन्थियों के लिए आतापना का विधि-निषेध—

५६८. निर्ग्रन्थी को गाँव के बाहर—यावत्—राजधानी के बाहर भुजाओं को ऊपर की ओर करके, मूर्च की ओर मुँह करके तथा एक पैर में खड़े होकर आतापना लेना नहीं कल्पता है ।

कप्पइ से उवस्सयस्स अंतोवंगडाए सघाडिया पडिवद्धाए
पलवियवाहुयाए समतलपाइयाए ठिच्चा आयावणाए आया-
वेत्तए । —कप्प. उ. ५, सु. २२

णिग्गंथीणं णिसिद्ध कायकिलेसे—

५६९. नो कप्पइ निग्गंथीए ठाणाइयाए होत्तए ।

नो कप्पइ निग्गंथीए पडिमट्टाइयाए होत्तए ।

नो कप्पइ निग्गंथीए उक्कुडुयासणियाए होत्तए ।

नो कप्पइ निग्गंथीए निसज्जियाए होत्तए ।

नो कप्पइ निग्गंथीए वीरासणियाए होत्तए ।

नो कप्पइ निग्गंथीए दण्डासणियाए होत्तए ।

नो कप्पइ निग्गंथीए लगण्डसाइयाए होत्तए ।

नो कप्पइ निग्गंथीए ओमथियाए होत्तए ।

नो कप्पइ निग्गंथीए उत्तासणियाए होत्तए ।

नो कप्पइ निग्गंथीए अम्बखुज्जियाए होत्तए ।

नो कप्पइ निग्गंथीए एगवासियाए होत्तए ।

—कप्प. उ. ५, सु. २३-२३

नो कप्पइ निग्गंथीए अचेत्तियाए होत्तए ।

नो कप्पइ निग्गंथीए अपाइयाए होत्तए ।

नो कप्पइ निग्गंथीए चोसट्टुकाइयाए होत्तए ।

—कप्प. उ. ५, सु. १९-२१

किन्तु उपाश्रय के अन्दर पर्दा लगाकर के भुजाएँ नीची
लटकाकर दोनो पैरो को समतल कर तथा खड़े होकर आतापना
लेना कल्पता है ।

निर्ग्रन्थियो के लिए निषिद्ध कायकलेश—

५६९. निर्ग्रन्थी साध्वी को खड़े रहकर कायोत्सर्ग करने का
अभिग्रह करना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थी साध्वी को एक रात्रि आदि का समय निश्चित
करके कायोत्सर्ग करने का अभिग्रह करना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थी साध्वी को उत्कुटुकासन से स्थित रहने का अभि-
ग्रह करना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थी साध्वी को निषद्याओ से स्थित रखने का अभिग्रह
करना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थी साध्वी को वीरासन से रहने का अभिग्रह करना
नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थी साध्वी को दण्डासन से स्थित रहने का अभिग्रह
करना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थी साध्वी को लकुटासन से स्थित रहने का अभिग्रह
करना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थी साध्वी को अधोमुखी सोकर स्थित रहने का अभि-
ग्रह करना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थी साध्वी को उत्तानासन से स्थित रहने का अभिग्रह
करना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थी साध्वी को आम्र-कृच्चिकासन से स्थित रहने का
अभिग्रह करना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थी साध्वी को एक पार्श्व से शयन का अभिग्रह करना
नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थी साध्वी को वस्त्र रहित होना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थी साध्वी को पात्र रहित होना नहीं कल्पता है ।

निर्ग्रन्थी साध्वी को निश्चित समय के लिए शरीर को
वोसिरा कर रहना नहीं कल्पता है ।



प्रतिसंलीनता—७

पडिसंलीणयाए भेया—

५७०. प०—से किं तं पडिसंलीणया ?

उ०—पडिसंलीणया चरच्चिहा पणत्ता, तं जहा—

१. इंवियपडिसंलीणया, २ कसायपडिसंलीणया,

प्रतिसलीनता के भेद—

५७०. प्र०—प्रतिसंलीनता क्या है—वह कितने प्रकार की है ?

उ०—प्रतिसलीनता चार प्रकार की कही गई है, यथा—

(१) इन्द्रिय प्रतिसलीनता, (२) कपाय प्रतिसलीनता,

३. योगपटिसंलीणया,
४. विविक्तशयनासनसेवनया ।

—वि. स. २५, उ ७, सु २११

इन्द्रिय पटिसंलीणयाए भेदा—

५७१ प०—से किं त इन्द्रियपटिसंलीणया ?

उ०—इन्द्रियपटिसंलीणया पञ्चविधा पण्यता, त जहा—

१. सोइन्द्रियविसयप्यारनिरोहो वा, सोइन्द्रियविसय-
पत्तेसु अत्येसु रागदोसनिग्गहो वा ।

२. चक्षुइन्द्रियविसयप्यारनिरोहो वा, चक्षुइन्द्रिय-
विसयपत्तेसु अत्येसु रागदोसनिग्गहो वा ।

३. घ्राणइन्द्रियविसयप्यारनिरोहो वा, घ्राणइन्द्रियविसय-
पत्तेसु अत्येसु रागदोसनिग्गहो वा ।

४. जिह्वइन्द्रियविसयप्यारनिरोहो वा, जिह्वइन्द्रिय-
पत्तेसु अत्येसु रागदोसनिग्गहो वा ।

५. फासिइन्द्रियविसयप्यारनिरोहो वा, फासिइन्द्रिय-
विसयपत्तेसु अत्येसु रागदोसनिग्गहो वा ।

से त इन्द्रियपटिसंलीणया ।^१

—वि. स. २५, उ ७, सु २१२

कषाय पटिसंलीणयाए भेदा—

५७२ प०—से किं त कषायपटिसंलीणया ?

उ०—कषायपटिसंलीणया चत्तविधा पण्यता, त जहा—

१. कोहस्सुदयनिरोहो वा उदयपत्तस्स वा कोहस्स
विफलीकरणं ।

२. माणस्सुदयनिरोहो वा उदयपत्तस्स वा माणस्स
विफलीकरण ।

३. मायाउदयनिरोहो वा, उदयपत्तस्स वा मायाए
विफलीकरण ।

१ (क) पंच पटिसंलीणा पण्यता, त जहा—

(१) मोतिदयपटिसंलीणे, (२) चक्षुइन्द्रियपटिसंलीणे,
(५) फासिइन्द्रियपटिसंलीणे ।

(क) उच सु ३०

(३) योग प्रतिसंलीनता,

(४) विविक्त शयनासन-सेवन प्रतिसंलीनता ।

इन्द्रिय प्रतिसंलीनता के भेद—

५७१. प्र०—इन्द्रिय प्रतिसंलीनता क्या है—वह कितने प्रकार
की है ?

उ०—इन्द्रिय प्रतिसंलीनता पांच प्रकार की कही गई है,
यथा—

(१) श्रोत्रेन्द्रिय के विषय में प्रवृत्त रहने का निरोध करना
अथवा श्रोत्रेन्द्रिय के विषय प्राप्त होने पर उनमें राग-द्वेष का
निग्रह करना ।

(२) चक्षुरिन्द्रिय के विषय में प्रवृत्त रहने का निरोध करना
अथवा चक्षुरिन्द्रिय के विषय प्राप्त होने पर उनमें राग-द्वेष का
निग्रह करना ।

(३) घ्राणेन्द्रिय के विषय में प्रवृत्त रहने का निरोध करना
अथवा घ्राणेन्द्रिय के विषय प्राप्त होने पर उनमें राग-द्वेष का
निग्रह करना ।

(४) जिह्वेन्द्रिय के विषय में प्रवृत्त रहने का निरोध करना
अथवा जिह्वेन्द्रिय के विषय प्राप्त होने पर उनमें राग-द्वेष का
निग्रह करना ।

(५) स्पर्शेन्द्रिय के विषय में प्रवृत्त रहने का निरोध करना
अथवा स्पर्शेन्द्रिय के विषय प्राप्त होने पर उनमें राग-द्वेष का
निग्रह करना ।

यह इन्द्रिय प्रतिसंलीनता तप है ।

कषाय प्रतिसंलीनता के भेद—

५७२ प्र०—कषाय प्रतिसंलीनता क्या है—वह कितने प्रकार
की है ?

उ०—कषाय प्रतिसंलीनता चार प्रकार की है, यथा—

(१) क्रोध के उदय का निरोध करना अथवा उदय प्राप्त
क्रोध को निष्फल करना ।

(२) मान के उदय का निरोध करना अथवा उदय प्राप्त
मान को निष्फल करना ।

(३) माया के उदय का निरोध करना अथवा उदय प्राप्त
माया को निष्फल करना ।

—ठाणं अ. ५, उ २, सु. ५२७

४. लोहस्सुदयणिरोहो वा, उदयपत्तस्स वा लोहस्स
विफलीकरण ।

से तं कसायपडिसंलीणया ।^१

—वि स २५, उ. ७, सु. २१३

जोगपडिसंलीणयाए भेया—

५७३. प०—से किं तं जोगपडिसंलीणया ?

उ०—जोगपडिसंलीणया तिचिहा पणत्ता, तं जहा—

- १ मणजोगपडिसंलीणया,
२. वयजोगपडिसंलीणया,
३. कायजोगपडिसंलीणया^२ ।

प०—से किं तं मणजोगपडिसंलीणया ?

उ०—मणजोगपडिसंलीणया तिचिहा पणत्ता, तं जहा—

- १ अकुसलमणणिरोहो वा,
 २. कुसलमणउदीरण वा,
 - ३ मणस्स वा एगत्तीभाव करणं ।
- से तं मणजोगपडिसंलीणया ।

प०—से किं तं वयजोगपडिसंलीणया ?

उ०—वयजोगपडिसंलीणया तिचिहा पणत्ता, तं जहा—

१. अकुसलवयणिरोहो वा,
 - २ कुसलवयउदीरणं वा,
 ३. वइए वा एगत्ती भावकरणं ।
- से तं वयजोगपडिसंलीणया ।

प०—से किं तं कायजोगपडिसंलीणया ?

उ०—कायजोगपडिसंलीणया जं णं सुसमाहिय पसत साह-
रिय माणियाए कुम्मो इव गुत्तिदिए अल्लीणे पल्लीणे
चिट्ठइ ।

से तं कायजोगपडिसंलीणया ।

से तं जोग पडिसंलीणया ।

—वि. स. २५, उ. ७, सु. २१४-२१५

(४) लोभ के उदय का निरोध करना अथवा उदय प्राप्त
लोभ को निष्फल करना ।

यह कषायप्रतिसंलीनता तप है ।

योग प्रतिसंलीनता के भेद—

५७३. प्र०—योग-प्रतिसंलीनता क्या है—वह कितने प्रकार
की है ?

उ०—योग-प्रतिसंलीनता तीन प्रकार की बतलाई गई है,
यथा—

- (१) मनोयोग-प्रतिसंलीनता,
- (२) वचन योग-प्रतिसंलीनता ।
- (३) काययोग-प्रतिसंलीनता ।

प्र०—मनोयोग-प्रतिसंलीनता क्या है—वह कितने प्रकार
की है ?

उ०—मनोयोग-प्रतिसंलीनता तीन प्रकार की है, यथा—

- (१) अशुभ मन का निरोध करना ।
- (२) शुभ मन का उदीरण करना ।
- (३) मन को एकाग्र करना ।

यह मनोयोग प्रतिसंलीनता है ।

प्र०—वचन योग-प्रतिसंलीनता क्या है—वह कितने प्रकार
की है ?

उ०—वचन योग-प्रतिसंलीनता तीन प्रकार की है, यथा—

- (१) अशुभ वचन का निरोध अर्थात् दुर्वचन नहीं बोलना ।
- (२) सद्बचन बोलने का अभ्यास करना ।
- (३) मौन रहना ।

यह वचनयोग प्रतिसंलीनता है ।

प्र०—काययोग-प्रतिसंलीनता क्या है ?

उ०—हाथ, पैर आदि सुसमाहित शात और सकुचित कर,
कछुए के सदृश अपनी इन्द्रियो को गुप्त कर, सारे शरीर को
सवृत कर सुस्थिर होना काययोग प्रतिसंलीनता है ।

य काययोग प्रतिसंलीनता है ।

यह योग-प्रतिसंलीनता है ।

१ (क) उव. सु ३०

(ख) चत्तारि पडिसंलीणा पणत्ता, तं जहा—

- (१) कोहपडिसंलीणे, (२) माणपडिसंलीणे, (३) मायापडिसंलीणे, (४) लोहपडिसंलीणे ।

२ चत्तारि पडिसंलीणा पणत्ता, तं जहा—

- (१) मणपडिसंलीणे, (२) वइपडिसंलीणे, (३) कायपडिसंलीणे, (४) इंदियपडिसंलीणे ।

—ठाणं अ. ४, उ. २, सु. २७८

—ठा. अ. ४, उ. २, सु. २७८

विविक्त-सयणासन-सेवणया सख्व—

५७४ एगन्तमणायाए, इत्यो-पसुविवज्जिए ।

मयणासनसेवणया, विवित्तसयणासन ॥

—उत्त. अ ३०, गा २८

५७—से किं त विवित्तसयणासन सेवणया ?

उ०—विवित्त-सयणासन-सेवणया जं णं आरामेसु वा, उज्जा-
णेसु वा, देवकुलेसु वा, सहासु वा, पवामु वा, पणिय-
निहेसु वा, पणियसालासु वा, इत्यो-पसु पडगससत्त-
विरहियासु वसहीसु फासुएसणिज्ज पीढ-फलण-सेज्जा-
संधारण उवसपज्जित्तणं विहरइ ।

से त पडिसलीणया ।

से त वाहिए तवे । —वि स. २५ उ. ७, सु २१६

विवित्तसयणासन सेवणया फलं—

५७५ ५०—विवित्त सयणासनयाए ण भते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—विवित्त सयणासनयाए णं चरित्तगुत्ति जणयइ, चरित्त
गुत्ते य णं जीवे विवित्ताहारे, दढचरित्ते एगत्तरए
मोक्षमाव पडिवन्ते अट्टविह कम्मगठि निज्जरेइ ।

—उत्त. अ २६, मु. ३३

अणोगविहा अपडिसलीणा—

५७६ चत्तारि अपडिसलीणा पणत्ता, त जहा—

- | | |
|------------------|-------------------|
| १ कोहअपडिसलीणे, | २. माणअपडिसलीणे, |
| ३ मायाअपडिसलीणे, | ४. लोभअपडिसलीणे । |

चत्तारि अपडिसलीणा पणत्ता, त जहा—

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| १. मणअपडिसलीणे, | २ वइअपडिसलीणे, |
| ३ कायअपडिसलीणे, | ४ इन्द्रियअपडिसलीणे । |

—ठाण अ ४, उ २, मु २७८

पघ अपडिसलीणा पणत्ता, त जहा—

१. सोत्तदिय अपडिसलीणे,

२. चरित्तदिय अपडिसलीणे,

३. धाणिदिय अपडिसलीणे,

एकान्त शयनासन के सेवन का स्वरूप—

५७४ जहाँ कोई आता-जाता न हो ऐसे एकान्त स्थान का तथा
स्त्री पशु आदि से रहित शयन और आसन का सेवन करना
विविक्त शयनासन तप है ।

प्र०—विविक्त शयनासन सेवनता क्या है ?

उ०—आराम-पुष्पप्रधान वगीचा, उद्यान, पुष्प फल युक्त
वगीचा, देवकुल, सभा स्थान, प्याऊ, क्रयविक्रयोचित्त वस्तुएँ
रखने के घर, क्रय-विक्रय योग्य वस्तुएँ रखने की शालाएँ । इन
स्थानों में जो स्त्री पशु तथा नपुंसक से रहित हो, प्रासुक एषणीय
पीठ, फलक, शय्या सस्तारक प्राप्त कर विचरण करना विविक्त
शय्यासन सेवनता है ।

यह प्रतिसंलीनता है ।

यह बाह्यतप का वर्णन सम्पन्न हुआ ।

विविक्त शयनासन के सेवन का फल—

५७५. प्र०—भन्ते ! विविक्त शयनासन के सेवन से जीव क्या
प्राप्त करता है ?

उ०—विविक्त शयनासन के सेवन से वह चारित्र्य की रक्षा
को प्राप्त होता है, चारित्र्य की सुरक्षा करने वाला जीव पीष्टिक
आहार का वर्जन करने वाला, दृढ चारित्र्य वाला, एकान्त में रत,
अन्तःकरण से मोक्ष साधना में लगा हुआ आठ प्रकार के कर्मों
की गाठ को तोड़ देता है ।

अनेक प्रकार के अप्रतिसलीन—

५७६. अप्रतिसलीन चार प्रकार के कहे गये हैं, यथा—

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| (१) क्रोध अप्रतिसलीन, | (२) मान अप्रतिसलीन, |
| (३) माया-अप्रतिसलीन, | (४) लोभ-अप्रतिसलीन । |

अप्रतिसलीन चार प्रकार के कहे गये हैं, जैसे—

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| (१) मन-अप्रतिसलीन, | (२) वचन-अप्रतिसलीन, |
| (३) काय-अप्रतिसलीन, | (४) इन्द्रिय-अप्रतिसलीन । |

अप्रतिसलीन पाँच प्रकार का कहा गया है—

(१) श्रोत्रेन्द्रिय-अप्रतिसलीन—शुभ-अशुभ शब्दों में राग-
द्वेष करने वाला ।

(२) चक्षुरिन्द्रिय-अप्रतिसलीन—शुभ-अशुभ रूपों में राग-द्वेष
करने वाला ।

(३) घ्राणेन्द्रिय अप्रतिसलीन—शुभ-अशुभ गन्ध में राग-द्वेष
करने वाला ।

४. जिह्मदिय अपडिसलीणे,

(४) जिह्मेन्द्रिय अप्रतिसलीन—शुभ-अशुभ रसो मे राग द्वेष करने वाला ।

५. फासिदिय अपडिसलीणे ।

(५) स्पर्शेन्द्रिय अप्रतिसलीन—शुभ-अशुभ स्पर्शो मे राग-द्वेष —ठाण. अ. ५, उ. २, सु. ४२७ करने वाला ।



प्रतिमायें—८-(१)

अणेगविहाओ पडिमाओ—

५७७ पच पडिमाओ पणत्ताओ, त जहा—

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| १. भद्रा, | २ सुभद्रा, |
| ३ महाभद्रा, | ४. सर्वतोभद्रा, ^१ |
| ५ भद्रोत्तरपडिमा । | —ठा अ ५, उ १, सु. ३६२ |

चत्तारि पडिमाओ पणत्ताओ, तं जहा—

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| १. समाधिपडिमा, | २ उवहाणपडिमा, |
| ३. विवेकपडिमा, | ४ विउस्सगपडिमा ^२ । |

चत्तारि पडिमाओ पणत्ताओ, तं जहा—

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| १. खुड्डिया मोयपडिमा, | २. महल्लिया मोयपडिमा, |
| ३. जवमज्झा, | ४. वडरमज्झा ^१ । |

—ठाणं अ. ४, उ १, सु २५१



भिक्षु प्रतिमाएँ—८-(२)

भिक्षु पडिमाओ—^४

५७८ वारस भिक्षु-पडिमाओ पणत्ताओ, त जहा—

१. मासिया भिक्षु पडिमा,
२. दो-मासिया भिक्षु-पडिमा,
३. ति-मासिया भिक्षु-पडिमा,
४. चउ-मासिया भिक्षु-पडिमा,
५. पच-मासिया भिक्षु पडिमा,
६. छ-मासिया भिक्षु-पडिमा,

भिक्षु प्रतिमायें—

५७८ वारह भिक्षु-प्रतिमाएँ कही गई हैं, यथा—

- (१) मासिकी भिक्षु-प्रतिमा ।
- (२) द्विमासिकी भिक्षु-प्रतिमा ।
- (३) त्रिमासिकी भिक्षु-प्रतिमा ।
- (४) चातुर्मासिकी भिक्षु-प्रतिमा ।
- (५) पंचमासिकी भिक्षु प्रतिमा ।
- (६) षण्मासिकी भिक्षु प्रतिमा ।

१ (क) ठाण अ. ४, उ. १, सु. २५१

२ ठाणं. अ. २, उ. ३, सु ७७

४ उपासक पडिमाओ के वर्णन के लिये चारित्राचार गृहस्य धर्म प्रकरण देखें ।

(ख) ठाणं. अ. २, उ ३, सु. ७७

(३) ठाण. अ २, उ. ३, सु. ७७

- ७ सप्त-मासिया भिक्षु-पडिमा,
 ८ पडमा-मासिया राइदिया भिक्षु-पडिमा,
 ९ दोरुवा सप्त-राइदिया भिक्षु-पडिमा,
 १० सत्त्वा सप्त-राइदिया भिक्षु-पडिमा,
 ११ अहो राइया भिक्षु-पडिमा,
 १२ एग-राइया भिक्षु-पडिमा। —सम सम. १२, सु. १

- (७) सप्तमासिकी भिक्षु प्रतिमा ।
 (८) प्रथमा सप्त रात्रिदिवा भिक्षु प्रतिमा ।
 (९) द्वितीया सप्त रात्रिदिवा भिक्षु प्रतिमा ।
 (१०) तृतीया सप्त-रात्रिदिवा भिक्षु प्रतिमा ।
 (११) अहोरात्रिकी भिक्षु प्रतिमा ।
 (१२) एकरात्रिकी भिक्षु प्रतिमा ।

पडिमा आराहणकाले उवसग्गा—

५७९. मासिय ण भिक्षु-पडिमं पडिवल्लस्स अणगारस्स निच्च
 बोसट्टकाए चियत्त वेहे^३ जे केइ उवसग्गा उववज्जेज्जा,
 त जहा—

प्रतिमा आराधन काल मे उपसर्ग—

५७९ नित्य शरीर की परिचर्या एवं ममत्व भाव से रहित एक
 मासिकी भिक्षु-प्रतिमाधारी अनगर को जो कोई उपसर्ग आवे,
 जैसे कि—

१ (क) दसा द ७, सु १-२

(ख) दशाश्रुतस्कन्ध की छठी दशा मे श्रमणोपासक की इग्यारह प्रतिमाओ का कथन है, इनमे से पहली दूसरी तीसरी और
 चौथी प्रतिमा के आराधना काल का स्पष्ट कथन नहीं है, किन्तु पाँचवी प्रतिमा से इग्यारहवी प्रतिमा तक का जघन्य
 और उत्कृष्ट आराधना काल स्पष्ट कहा है। वह उत्कृष्ट काल इस प्रकार है—

पाँचवी प्रतिमा का उत्कृष्ट आराधना काल पाँच मास और छठी प्रतिमा से इग्यारहवी प्रतिमा तक एक-एक मास क्रमशः
 बढ़ाने पर इग्यारहवी प्रतिमा का उत्कृष्ट आराधना काल इग्यारह मास होता है।

उपासक दशा के टीकाकार ने आनन्द श्रमणोपासक का संपूर्ण प्रतिमा आराधना काल साडे पाँच वर्ष का कहा है, वहाँ
 पहली प्रतिमा का आराधना काल एक मास और इसी क्रम से इग्यारहवी प्रतिमा का आराधना काल इग्यारह मास
 कहा है।

दशाश्रुतस्कन्ध की सातवी दशा मे भिक्षु की वारह प्रतिमाओ का वर्णन है, वहाँ उनका जघन्य उत्कृष्ट आराधना काल
 स्पष्ट नहीं कहा है। किन्तु पहली भिक्षु प्रतिमा का नाम मासिक भिक्षु प्रतिमा, दूसरी का दो मासिक भिक्षु प्रतिमा और
 क्रमशः सातवी भिक्षु प्रतिमा का नाम सप्तमासिकी भिक्षु प्रतिमा कहा गया है।

तथा आठवी-नौवी और दसवी का नाम प्रथम सप्तअहोरात्रिकी, द्वितीय सप्तअहोरात्रिकी, तृतीय सप्त अहोरात्रिकी प्रतिमा,
 इग्यारहवी का एक अहोरात्रि की और वारहवी का एक रात्रि की भिक्षु प्रतिमा कहा है। किन्तु पहली प्रतिमा की
 आराधना के विधानो मे प्रतिमा आराधक को परिचित क्षेत्र मे एक रात से अधिक और अपरिचित क्षेत्र मे एक या दो
 रात से अधिक रहने पर दीक्षा छेद का या परिहार तप का प्रायश्चित्त विधान है। अतः चातुर्मास में इन प्रतिमाओ का
 आराधन नहीं किया जा सकता है।

टीकाकार आदि ने इन प्रतिमाओ का सम्पूर्ण आराधन काल नहीं बताया है अतः उसका तीन प्रकार से अनुमान किया जा
 सकता है।

१. पहली प्रतिमा से सातवी प्रतिमा तक प्रत्येक प्रतिमा का नाम प्रथम मासिकी भिक्षु प्रतिमा—यावत्—सप्तम मासिकी
 भिक्षु प्रतिमा मान कर उनका एक-एक मास आराधन काल मानें तो आठ महिने मे ही वारह प्रतिमाओ का आराधन
 हो सकता है।

२. उपलब्ध नाम के अनुसार काल मानकर तथा चातुर्मास मे प्रतिमा आराधन न करने पर सम्पूर्ण आराधन काल ५
 वर्ष होता है।

३. चातुर्मास मे भी प्रतिमा आराधन करना माना जाये तो सम्पूर्ण आराधन काल २ वर्ष ५ मास होता है।

इनमे प्रथम अनुमान-युक्त विधान से निर्विरोध है। दूसरा अनुमान कम दीक्षा पर्याय वालो के आराधन वर्णन से विरोध
 प्राप्त है। तीसरा अनुमान भी चातुर्मास मे विहार करने रूप होने से निर्विरोध नहीं रहता है।

२ पिमा. ग. १०, उ २, नु. ६

दिव्वा वा, माणुसा वा, तिरिक्खजोणिया वा, ते उप्पण्णे
सम्म सहेज्जा, खमेज्जा, तित्तिक्खेज्जा, अहियासेज्जा ।

—दसा. द. ७, सु. ३

मासिया भिक्षु पडिमा—

५८०. मासिय णं भिक्षु-पडिम पडिवन्नस्स अणगारस्स कप्पति
एगा दत्ती भोयणस्स पडिगाहित्तए, एगा पाणगस्स ।
अण्णाय उच्छं, सुद्धोवहड,

निज्जूहिता वहवे दुप्पय-चउप्पय-समण-माहण-अतिहि-
क्खिविण-वणीमगे,

कप्पइ से एगस्स भुजमाणस्स पडिगाहित्तए ।

णो दुण्हं, णो तिण्ह, णो चउण्ह, णो पंचण्हं, णो गुट्ठिणीए,
णो बालवच्छाए, णो दारगं पेज्जमाणीए ।

णो से कप्पई अंतो एलुयस्स दो वि पाए साहट्टु दलमाणीए
णो बाहि एलुयस्स दो वि पाए साहट्टु दलमाणीए ।

अह पुण एवं जाणेज्जा, एग पाय अतो किच्चा, एगं पाय
बाहि किच्चा, एलुय विक्खभइत्ता, एवं से दलयति, कप्पति
से पडिगाहित्तए,

एवं से नो दलयति, नो से कप्पति पडिगाहित्तए ।

—दसा द ७, सु. ४

पडिमापडिवण्णस्स गोयरकाला—

५८१. मासियं णं भिक्षु-पडिम पडिवन्नस्स अणगारस्स तओ गोयर-
काला पणत्ता, तं जहा—

१. आइमे, २ मज्जे,
३. चरिमे ।

१. आइमे चरेज्जा, नो मज्जे चरेज्जा, णो चरिमे चरेज्जा ।

२. मज्जे चरिज्जा, नो आइमे चरिज्जा, नो चरिमे चरेज्जा ।

३. चरिमे चरेज्जा, नो आइमे चरेज्जा, नो मज्जिमे
चरेज्जा ।

—दसा. द. ७, सु. ५

पडिमापडिवण्णस्स गोयर चरिया—

५८२. मासिय णं भिक्षु-पडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स छव्विहा
गोयरचरिया पणत्ता, तं जहा—

१. पेडा,
२. अहपेडा,

देव सम्बन्धी, मनुष्य सम्बन्धी या तिर्यँच सम्बन्धी उन्हे वह
सम्यक् प्रकार से सहन करे, क्षमा करे, दैन्य भाव नहीं रखे,
वीरता पूर्वक सहन करे ।

मासिकी भिक्षु प्रतिमा—

५८०. मासिकी भिक्षु-प्रतिमा धारी अनगार को एक दत्ति भोजन
की और एक दत्ति पानी की लेना कल्पता है—

वह भी अज्ञात स्थान से, अल्पमात्रा में और दूसरो के लिए
वना हुआ हो तथा—

अनेक द्विपद, चतुष्पद, श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, कृपण
और भिखारी आदि भोजन लेकर चले गये हो उसके बाद
ग्रहण करना कल्पता है ।

जहाँ एक व्यक्ति भोजन कर रहा हो वहाँ से आहार-पानी
की दत्ति लेना कल्पता है ।

किन्तु दो, तीन, चार या पाँच एक साथ बैठकर भोजन
करते हो वहाँ से लेना नहीं कल्पता है । गर्भिणी, बालवत्सा
और बच्चे को दूध पिलाती हुई स्त्री से लेना नहीं कल्पता है ।

जिसके दोनो पैर देहली के अन्दर या दोनो पैर देहली के
बाहर हो ऐसी स्त्री से लेना नहीं कल्पता है ।

किन्तु यह ज्ञात हो जाये कि एक पैर देहली के अन्दर है
और एक पैर बाहर है इस प्रकार देहली को पाँवों के मध्य में
किये हुए हो और वह देना चाहे तो उससे लेना कल्पता है ।

इस प्रकार न दे तो लेना नहीं कल्पता है ।

प्रतिपाधारी के भिक्षा काल—

५८१ एक मास की भिक्षु-प्रतिमाधारी अनगार के भिक्षाचर्या
करने के तीन काल कहे गये हैं, यथा—

(१) दिन का प्रथम भाग, (२) दिन का मध्य भाग,
(३) दिन का अन्तिम भाग ।

(१) यदि दिन के प्रथम भाग में भिक्षाचर्या के लिए जावे
तो मध्य और अन्तिम भाग में न जावे ।

(२) यदि दिन के मध्य भाग में भिक्षाचर्या के लिए जावे
तो प्रथम और अन्तिम भाग में न जावे ।

(३) यदि दिन के अन्तिम भाग में भिक्षाचर्या के लिए जावे
तो प्रथम और मध्य भाग में न जावे ।

प्रतिमाधारी की गोचर चर्या—

५८२. एक मास की भिक्षु प्रतिमाधारी अनगार के छ प्रकार
की गोचरी कही गई है । यथा—

(१) चौकोर पेटी के आकार में भिक्षाचर्या करना ।
(२) अर्ध पेटी के आकार से भिक्षाचर्या करना ।

- ३ गोमुक्तिया,
४ पतगवीहिया,
५. मवृक्कावट्टा,
६ गनुपच्चागया ।^१

—दसा द ७, सु ६

पडिमापडिवणस्स वसइ वसण कालो—

५८३ मासिय ण भिवसु-पडिम पडिवन्नस्स अणगारस्स जत्य ण केइ जाणइ कप्पइ से तत्य एगराइय वसित्तए ।

जत्य ण केइ न जाणइ, कप्पइ से तत्य एग-रायं वा, दु-राय वा वसित्तए ।

नो से कप्पइ एग-रायाओ वा, दु-रायाओ वा पर वत्यए ।

जे तत्य एग-रायाओ वा दु-रायाओ वा परं वसति, से सतरा छेए वा परिहारे वा ।

—दसा द. ७, सु ७

पडिमापडिवणस्स कप्पणिज्जाओ भासाओ—

५८४ मामिय ण भिवसु-पडिम पडिवन्नस्स अणगारस्स कप्पति चत्तारि भासाओ भासित्तए, त जहा —

- १ जायणी,
२ पुच्छणी,
३ अणुणवणी,
४ पुट्टस्स वागरणी ।^२

—दसा. द ७, सु ८

पडिमापडिवणस्स कप्पणीया उवस्सया—

५८५ मामिय ण भिवसु-पडिम पडिवन्नस्स अणगारस्स कप्पइ तओ उवस्सया पडिलेहित्तए, त जहा—

- १ अहे आराम-गिहसि वा,
२ अहे वियट्ट-गिहसि वा,
३ अहे रूपसमूल-गिहसि वा,

एव तओ उवस्सया अणुणवेत्तए, उवाइणित्तए य ।^३

—दसा. द ७, सु. ९-११

पडिमापडिवणस्स कप्पणीया सयारगा—

५८६ मासिय ण भिवसु-पडिम पडिवन्नस्स अणगारस्स कप्पति तओ सयारगा पडिलेहित्तए, त जहा —

१. पुडवि सिल वा,
२. पट्ट-सिल वा,
३ अहा संपटमेव या संयान्गं ।^४

एव तओ सयारगा अणुणवेत्तए, उवाइणित्तए य ।

—दसा द ७, सु. १२-१४ करना कल्पता है ।

१ टाण अ ६, सु ११४

२ टाण अ ३, उ ४, सु. १६६

(३) वैल के मूत्रोत्सर्ग के आकार से भिक्षाचर्या करना ।

(४) पतगिये के गमन के आकार से भिक्षाचर्या करना ।

(५) शंखावर्त के आकार से भिक्षाचर्या करना ।

(६) जाते या पुन आते भिक्षाचर्या करना ।

प्रतिमाधारी का वसतिवास काल—

५८३ एक मास की भिक्षु-प्रतिमाधारी अनगार को जहाँ कोई जानता हो तो वहाँ उसे एक रात रहना कल्पता है ।

जहाँ कोई नहीं जानता हो तो वहाँ उसे एक या दो रात रहना कल्पता है ।

किन्तु एक या दो रात से अधिक रहना नहीं कल्पता है ।

यदि एक या दो रात से अधिक रहता है तो वह इस कारण से दीक्षा छेद या परिहार तप का पात्र होता है ।

प्रतिमाधारी की कल्पनीय भाषायें—

५८४ एक मास की भिक्षु-प्रतिमाधारी अनगार को चार भाषाएँ बोलना कल्पता है । यथा—

(१) याचनी—आहारादि की याचना करने के लिए ।

(२) पृच्छनी—मार्ग आदि पूछने के लिए ।

(३) अनुज्ञापनी—आज्ञा लेने के लिए ।

(४) पृष्ठ व्याकरणी—प्रश्न का उत्तर देने के लिए ।

प्रतिमाधारी के कल्पनीय उपाश्रय—

५८५ एक मास की भिक्षु प्रतिमाधारी अनगार को तीन प्रकार के उपाश्रयों का प्रतिलेखन करना कल्पता है, यथा—

(१) उद्यान में बने हुए गृह में,

(२) चारों ओर से खुले हुए गृह में,

(३) वृक्ष के नीचे या वहाँ बने हुए गृह में,

इसी प्रकार तीन उपाश्रय की आज्ञा लेना और ठहरना कल्पता है ।

प्रतिमाधारी के कल्पनीय सस्तारक—

५८६ एक मास की भिक्षु-प्रतिमाधारी अनगार को तीन प्रकार के सस्तारकों का प्रतिलेखन करना कल्पता है, यथा—

(१) पत्थर की शिला,

(२) लकड़ी का पाट,

(३) पहले से विछा हुआ सस्तारक ।

इसी प्रकार तीन सस्तारक की आज्ञा लेना और ग्रहण करना कल्पता है ।

२ टाण अ ४, उ. १, सु. २३७

४ टाण अ. ३, उ. ४, सु १६६

पडिमा पडिवण्णस्म इत्थी पुरिस उवसग्गो—

५८७. मासियं णं भिक्खुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स इत्थी वा, पुरिसे वा उवस्सय उवागच्छेज्जा, णो से कप्पति तं पडुच्च निक्खमित्तए वा, पविसित्तए वा । — दसा द. ७, सु. १५

पडिमा पडिवण्णस्स अगणी उवसग्गो—

५८८. मासियं णं भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स केइ उवस्सयं अगणिकाएण झामेज्जा, णो से कप्पति तं पडुच्च निक्खमित्तए वा, पविसित्तए वा ।

तत्थ णं केइ वाहाए गहाय आगसेज्जा, नो से कप्पति तं अवलवित्तए वा पलवित्तए वा, कप्पति अहारिय रिहत्तए ।

— दसा द. ७, सु. १६

पडिमा पडिवण्णस्स खाणूआइ-णिहरण-णिसेहो—

५८९. मासियं णं भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स पायंसि खाणू वा, कटए वा, हीरए वा, सक्करए वा अणुपवेसेज्जा, नो से कप्पइ नोहरित्तए वा, विमोहित्तए वा, कप्पति से अहारिय रियत्तए ।

— दसा. द. ७, सु. १७

पडिमापडिवण्णस्स पाणीआइ-णिहरण-णिसेहो—

५९०. मासियं णं भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स अचिच्छसि पाणाणि वा, वीयाणि वा, रए वा परियाधज्जेज्जा, नो से कप्पति नोहरित्तए वा विसोहित्तए वा कप्पति से अहारिय रियत्तए ।

— दसा. द. ७, सु. १८

सूरिए अत्थमिए विहार णिसेहो—

५९१. मासियं णं भिक्खु-पडिवन्नस्स अणगारस्स जत्थेव सूरिए अत्थमेज्जा,

जलसि वा, थलसि वा,

दुग्गंसि वा, निण्णसि वा,

पव्वयसि वा, विसमसि वा,

गड्ढाए वा, दरिए वा,

कप्पति से तं रयणी तत्थेव उवाइणावित्तए नो से कप्पति पयमवि गमित्तए ।

कप्पति से कत्तल पाउप्पभाए रयणीए-जाव-जलते पाइणाभि-मुहस्स वा, दाहिणाभिमुहस्स वा, पडोणाभिमुहस्स वा, उत्तराभिमुहस्स वा अहारियं रियत्तए ।

— दसा द. ७, सु. १९

सचित्त पुढवी समीवे णिहाइ णिसेहो—

५९२. मासियं णं भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स णो से कप्पइ अणंतरहियाए पुढवीए निहाइत्तए वा पयत्ताइत्तए वा ।

प्रतिमाधारी को स्त्री-पुरुष का उपसर्ग—

५८७ एक मास की भिक्षु प्रतिमाधारी अनगर के उपाश्रय में यदि कोई स्त्री या पुरुष आ जावे तो उन्हें देखकर उपाश्रय से बाहर जाना या बाहर हो तो अन्दर आना नहीं कल्पता है ।

प्रतिमाधारी को अग्नि का उपसर्ग—

५८८ एक मास की भिक्षु-प्रतिमाधारी अनगर के उपाश्रय में कोई अग्नि लगा दे तो उसे उपाश्रय से बाहर जाना या बाहर हो तो अन्दर आना नहीं कल्पता है ।

यदि कोई उसे भुजा पकड़कर बलपूर्वक बाहर निकालना चाहे तो उसका अवलम्बन प्रलम्बन करना नहीं कल्पता है किन्तु ईर्या समिति पूर्वक बाहर निकलना कल्पता है ।

प्रतिमाधारी को ठूँठा आदि निकालने का निषेध—

५८९ एक मास की भिक्षु-प्रतिमाधारी अनगर के पैर में यदि तीक्ष्ण ठूँठ लकड़ी तिनका आदि काटा, काच, ककर लग जावे तो उसे निकालना या उसकी विशुद्धि करना नहीं कल्पता है, किन्तु उसे सावधानी से ईर्यासमिति पूर्वक चलते रहना कल्पता है ।

प्रतिमाधारी को प्राणी आदि निकालने का निषेध—

५९० एक मास की भिक्षु-प्रतिमाधारी अनगर के आँख में सूक्ष्म प्राणी, बीज, रज आदि गिर जावे तो उसे निकालना या विशुद्ध करना नहीं कल्पता है, किन्तु उसे सावधानी से ईर्यासमिति पूर्वक चलते रहना कल्पता है ।

सूर्यास्त होने पर विहार का निषेध—

५९१ एक मास की भिक्षु-प्रतिमाधारी अनगर को विहार करते हुए जहाँ सूर्यास्त हो जाये—

वहाँ चाहे जल हो या स्थल हो,

दुर्गम स्थान हो या निम्नस्थान हो,

पर्वत हो या विपम स्थान हो,

गर्त हो या गुफा हो,

तो भी उसे पूरी रात वही रहना कल्पता है किन्तु एक कदम भी आगे बढ़ना नहीं कल्पता है ।

रात्रि समाप्त होने पर प्रातः काल में—यावत्—जाज्वल्यमान सूर्योदय होने पर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर उसे ईर्यासमिति पूर्वक गमन करना कल्पता है ।

सचित्त पृथ्वी के निकट निद्रा लेने का निषेध—

५९२ एक मास की भिक्षु-प्रतिमाधारी अनगर सूर्यास्त हो जाने के कारण यदि सचित्त पृथ्वी के निकट ठहरा हो तो उसे वहाँ निद्रा लेना या ऊँघना नहीं कल्पता है ।

केचनो वृथा—“आयाणमेयं ।”

मे तत्प निद्रायमाणे वा, पयलायमाणे वा हत्येहि भूमि परामुमेज्जा ।

अहाविहिमेव ठाण ठाइत्तए ।

—दमा द. ७, सु. २०

मलावरोहण णिसेहो—

५६३ उच्चार - पासवणेण उव्वाहिज्जा, नो से कप्पति उगिण्हत्तए वा णिगिण्हत्तए वा ।

कप्पत्ति से पुव्वपडिल्लेहिए थडिल्ले उच्चार पासवण वरिट्ठा-वित्तए तमेव उवस्सय आगम्म अहाविहमेव ठाण ठवित्तए ।

—दसा द. ७, सु. २०

ससरक्खेण कायेण भिक्खायरियागमण णिसेहो—

५६४ मासिय ण भिक्खुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स नो कप्पति ससरक्खेण काएणं गाहावइ-कुल भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ।

अह पुण एव जाणेज्जा—ससरक्खे सेयत्ताए वा, जल्लत्ताए वा, मल्लत्ताए वा, पंकत्ताए वा परिणते, एव से कप्पति गाहावइ-कुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पवि-सित्तए वा ।

—दसा. द. ७, सु. २१

हत्थाइ पघोवण णिसेहो—

५६५ मासिय ण भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स नो कप्पति नोओदग-वियडेण वा, उसिणोदग-वियडेण वा, हत्थाणि वा, पायाणि वा, दत्ताणि वा, अच्छीणि वा, मुहं वा, उच्छो-लित्तए वा, पघोइत्तए वा ।

नम्रय लेवालेवेण वा भत्तामासेण वा ।

—दमा द. ७, सु. २२

दुट्ठ आसाइ ओवयमाणे भय णिसेहो—

५६६. मासिय ण भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स नो कप्पति आमस्स वा, हत्थिस्स वा, गोनस्स वा, महिसस्स वा, सीहस्स वा, वग्घस्स वा, चिगस्स वा, दीवियस्स वा, अच्छस्स वा, तरच्छस्स वा, परासरस्स वा, सीयान्स्स वा, विरालस्स वा, फोकनियस्स वा, ममगस्स वा, चित्ताच्चिल्लडयस्स वा, मुणगस्स वा, फोलमुणगस्स वा, दुट्ठस्स आवयमाणस्स पयमवि पच्चोत्तपित्तए ।

अदुट्ठस्स आवयमाणस्स कप्पर जुगमित्त पच्चोत्तपित्तए ।

—दसा. द. ७, सु. २३

केवली भगवान् ने कहा है—‘यह कर्मबन्ध का कारण है।’ क्योंकि वहाँ पर नीद लेता हुआ या ऊँघता हुआ वह अपने हाथ आदि से सचित्त पृथ्वी का स्पर्श करेगा, जिससे पृथ्वीवाय के जीवों की हिंसा होगी ।

अतः उसे सावधानी पूर्वक वहाँ स्थिर रहना या कायोत्सर्ग करना कल्पता है ।

मलावरोध का निषेध—

५६३ यदि वहाँ उसे मल-मूत्र की वाधा हो जाए तो धारण करना या रोकना नहीं कल्पता है । किन्तु पूर्वं प्रतिलेखित भूमि पर मल-मूत्र का त्याग करना कल्पता है और पुन उसी स्थान पर आकर सावधानी पूर्वक स्थिर रहना या कायोत्सर्ग करना कल्पता है ।

सचित्त रज्युक्त शरीर से गोचरी जाने का निषेध—

५६४ एक मास की भिक्षु-प्रतिमाधारी अनगार को सचित्त रज-युक्त काया से गृहस्थों के घरों में आहार पानी के लिए जाना और आना नहीं कल्पता है ।

यदि यह ज्ञात हो जाये कि शरीर पर लगा हुआ सचित्त रज—पसीना, सूखा पसीना, मूँल या पक के रूप में परिणत हो गया हो तो उसे गृहस्थों के घरों में आहार पानी के लिए जाना-आना कल्पता है ।

हस्तादि धोने का निषेध—

५६५ एक मास की भिक्षु-प्रतिमाधारी अनगार को अचित्त शीतल या उष्ण जल से हाथ, पैर, दात, नेत्र या मुख एक बार धोना अथवा बार-बार धोना नहीं कल्पता है ।

किन्तु किसी प्रकार के लेप युक्त अवयव को और आहार से लिप्त हाथ आदि को धोकर शुद्ध कर मक्ता है ।

दुष्ट अस्वादि का उपद्रव होने पर भयभीत होने का निषेध—

५६६ एक मास की भिक्षु-प्रतिमाधारी अनगार के सामने अन्न, हन्ती, वृषभ, महिष, मिह, व्याघ्र, भेडिया, चीता, रीछ, तेंदुआ, अष्टापद, शृगाल, विल्ला, लोमडा, खरगोण, चिल्लडक, श्वान, जंगली शूकर आदि दुष्ट प्राणी आ जाये तो उनसे भयभीत होकर एक पैर भी पीछे हटना नहीं कल्पता है ।

यदि कोई दुष्टता रहित पशु म्याभाविक ही मार्ग में सामने आ जाय तो उसे मार्ग देने के लिए युगमात्र अर्थात् कुछ अलग हटना कल्पता है ।

सीतातप सहण विधानो—

५६७ मासिय ण भिक्खु-पडिम पडिवन्नस्स अणगारस्स कप्पति छायाओ "सीयं ति" नो उण्हं एत्ताए, उण्हाओ "उण्ह ति" नो छायं एत्तए ।

जं जत्थ जया सिया तं तत्थ अहियासए ।

—दसा द. ७, सु. २४

पडिमाण सम्मआराहणं—

५६८. एव खलु एसा मासिया भिक्खु-पडिमा अहासुत्तं, अहाक्कप्पं, अहामगं, अहातच्च, सम्मं काएणं, फासित्ता, पालित्ता, सोहित्ता, तीरित्ता, किट्टइत्ता, आराहित्ता, आणाए अणुपालित्ता भवइ ।

—दसा द. ७, सु. २५

दो मासिया भिक्खुपडिमा—

५६९. दो-मासियं भिक्खु-पडिम पडिवन्नस्स अणगारस्स-जाव-आणाए अणुपालित्ता भवइ ।

नवरं दो दत्तिओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए दो पाणगस्स ।

—दसा द. ७, सु. २६

तिमासिया भिक्खु पडिमा—

६००. ति-मासियं भिक्खु-पडिम पडिवन्नस्स अणगारस्स-जाव-आणाए अणुपालित्ता भवइ ।

नवरं तओ दत्तिओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए तओ पाणगस्स ।^१

—दसा. द. ७, सु. २७

चउमासिया भिक्खु पडिमा—

६०१. चउ मासियं भिक्खुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स-जाव-आणाए अणुपालित्ता भवइ ।

णवरं चत्तारि दत्तिओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए चत्तारि पाणगस्स ।

—दसा. द. ७, सु. २८

पंचमासिया भिक्खुपडिमा—

६०२. पंच मासियं भिक्खु-पडिम पडिवन्नस्स अणगारस्स जाव-आणाए अणुपालित्ता भवइ ।

णवरं पंच दत्तिओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए पंच पाणगस्स ।^२

—दसा. द. ७, सु. २९

छः मासिया भिक्खुपडिमा—

६०३. छ मासियं भिक्खु-पडिम पडिवन्नस्स अणगारस्स-जाव-आणाए अणुपालित्ता भवइ ।

सरदी और गरमी सहन करने का विधान—

५६७ एक मास की भिक्षु-प्रतिमाघारी अनगार को—“यहाँ शीत अधिक है” ऐसा सोचकर छाया से धूप में तथा “यहाँ गर्मी अधिक है” ऐसा सोचकर धूप से छाया में जाना नहीं कल्पता है ।

किन्तु जब जहाँ जैसा हो वहाँ वैसे ही सहन करना चाहिए ।

भिक्षु प्रतिमाओ का सम्यग् आराधन—

५६८. इस प्रकार यह एक मास की भिक्षु प्रतिमा-सूत्र कल्प और मार्ग के अनुसार यथातथ्य सम्यक् प्रकार काया से स्पर्श कर, पालन कर, शोधन कर, पूर्ण कर, कीर्तन कर और आराधन कर जिनाज्ञा के अनुसार पालन की जाती है ।

द्वि मासिकी भिक्षु-प्रतिमा—

५६९. दो मासिकी भिक्षु प्रतिमा प्रतिपन्न अणगार के—यावत्— वह प्रतिमा जिनाज्ञानुसार पालन की जाती है ।

विशेष यह है कि उसे प्रतिदिन दो दत्तियाँ आहार की और दो दत्तियाँ पानी की ग्रहण करना कल्पता है ।

त्रैमासिकी भिक्षु-प्रतिमा—

६००. तीन मास की भिक्षु प्रतिमा प्रतिपन्न अणगार के—यावत्— वह प्रतिमा जिनाज्ञानुसार पालन की जाती है ।

विशेष यह है कि उसे प्रतिदिन तीन दत्तियाँ भोजन की और तीन दत्तियाँ पानी की ग्रहण करना कल्पता है ।

चातुर्मासिकी भिक्षु-प्रतिमा—

६०१. चार मास की भिक्षु-प्रतिमा प्रतिपन्न अणगार के—यावत्— वह प्रतिमा जिनाज्ञानुसार पालन की जाती है ।

विशेष यह है कि उसे प्रतिदिन चार दत्तियाँ आहार की और चार दत्तियाँ पानी की ग्रहण करना कल्पता है ।

पंचमासिकी भिक्षु-प्रतिमा—

६०२. पाँच मास की भिक्षु प्रतिमा प्रतिपन्न अणगार के—यावत्— वह प्रतिमा जिनाज्ञानुसार पालन की जाती है ।

विशेष यह है कि उसे प्रतिदिन भोजन की पाँच दत्तियाँ और पानी की पाँच दत्तियाँ ग्रहण करना कल्पता है ।

षण्मासिकी भिक्षु प्रतिमा—

६०३. छ मास की भिक्षु प्रतिमा प्रतिपन्न अणगार के—यावत्— वह प्रतिमा जिनाज्ञानुसार पालन की जाती है ।

१ ठाण. अ. ३, उ. ३, सु. १८८

२ ठाण. अ. ५, उ. २, सु. ४२४

णवरं च दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए छ पाणगस्स ।

—दसा द ७, सु. ३०

सत्तमासिया भिक्खुपडिमा --

६०४. मत्त मासिय भियपु पडिम पडिवन्नस्स अणगारस्स-जाव-
आणाए अणुपालित्ता भवइ ।

णवरं सत्त दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए सत्त पाणगस्स ।

—दमा द ७, सु. ३१

पढमा सत्तराइदिया भिक्खु पडिमा—

६०५ पढमं सत्त-राइदिय भिक्खु-पडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स
-जाव-अहियासेज्जा ।

कप्पइ से चउत्थेण नत्तेण अपाणएण वहिया गामस्स वां
-जाव-रायहाणिए वा उत्ताणस्स वा, पासिल्लगस्स वा,
नेसिज्जयस्स वा, ठाण ठाइत्तए ।

तत्थ मे दिव्व-भाणुस्स-तिरिक्खज्जोणिया उवसग्गा समुप्प-
ज्जेज्जा, ते ण उवसग्गा पयलेज्ज वा, पवडेज्ज वा, णो से
कप्पइ पायलित्तए वा पवडित्तए वा ।

तत्थ ण उच्चार-पासवणेण उव्वाहिज्जा, णो से कप्पइ
उच्चार-पासवण उगिण्हित्तए वा, णिगिण्हित्तए वा, कप्पइ से
पुट्ठ-पडिल्लेहियसि थडिल्लसि उच्चार-पासवण परिट्ठचित्तए,
अहाविहिमेव ठाण ठाइत्तए ।

एव एतु एसा पढमा सत्त-राइदिया भिक्खु-पडिमा अहासुय
-जाव-अणुपालित्ता भवइ । —दमा द. ७, सु ३२

दोच्चा सत्तराइदिया भिक्खुपडिमा—

६०६ एवं दोच्चा मत्त-राइदिया वि ।

नवरं दट्ठइयस्स वा, त्गडसाइस्स वा, उक्कुट्टयस्स वा,
ठाणं ठाइत्तए, मेमं त चेव-जाव-अणुपालित्ता भवइ ।

—दसा. द ७, सु ३३

तच्चा सत्तराइदिया भिक्खुपडिमा —

६०७. एउ तच्चा मत्त-राइदिया वि ।

नवरं-गोदोहियाए वा, घोरासणीयस्स वा, अवलुज्जस्स वा,
ठाणं ठाइत्तए । तेण न चेव-जाव-अणुपालित्ता भवइ ।

—दमा. द. ७, सु ३४

विशेष यह है कि उसे प्रतिदिन भोजन की छ' दत्तिया और
पानी की छ दत्तिया ग्रहण करना कल्पता है ।

सप्तमासिकी भिक्षु प्रतिमा --

६०४. सात मास की भिक्षु प्रतिमा प्रतिपन्न अणगार के-यावत्-
वह प्रतिमा जिनाज्ञानुसार पालन की जाती है ।

विशेष यह है कि उसे प्रतिदिन भोजन की सात दत्तिया
और पानी की सात दत्तिया ग्रहण करना कल्पता है ।

प्रथम सप्त अहोरात्रिकी भिक्षु प्रतिमा —

६०५ प्रथम सात दिन रात की भिक्षु प्रतिमाधारी अनगार
— यावत् — शारीरिक सामर्थ्य से रहन करे ।

उसे निर्जल उपवास करके ग्राम—यावत्—राजधानी के
बाहर उत्तानासन, पाश्वासन या निपद्यासन से कायोत्सर्ग करके
स्थित रहना चाहिए ।

वहाँ यदि देव, मनुष्य या तिर्यच सम्बन्धी उपसर्ग हो और
वे उपसर्ग उस अनगार को ध्यान से विचलित करें या पतित
करें तो उसे विचलित होना या पतित होना नहीं कल्पता है ।

यदि मल-मूत्र की बाधा हो जाय तो उसे धारण करना या
रोकना नहीं कल्पता है, किन्तु पूर्व प्रतिलेखित भूमि पर मल-
मूत्र त्यागना कल्पता है । पुन यथाविधि अपने स्थान पर आकर
उसे कायोत्सर्ग करना कल्पता है ।

इस प्रकार यह प्रथम सात दिन-रात की भिक्षु-प्रतिमा यथा
सूत्र—यावत्—जिनाज्ञा के अनुसार पालन की जाती है ।

द्वितीय सप्त अहोरात्रिकी भिक्षु प्रतिमा—

६०६ इसी प्रकार दूसरी सात दिन-रात की भिक्षु प्रतिमा का
भी वर्णन है ।

विशेष यह है कि इस प्रतिमा के आराधन-काल में दण्डा-
सन, लकुटासन और उत्कुट्टकासन से स्थित रहना चाहिए ।
येप वर्णन पूर्ववत्—यावत्—जिनाज्ञा के अनुसार यह प्रतिमा
की जाती है ।

तृतीय सप्त अहोरात्रिकी भिक्षु प्रतिमा—

६०७ इसी प्रकार तीसरी सात दिन-रात की भिक्षु-प्रतिमा का
भी वर्णन है ।

विशेष यह है कि इस प्रतिमा के आराधन-काल में गोदोह-
निकामन, वीरासन और आग्रकुट्टासन से स्थित रहना चाहिए ।
शेष पूर्ववत्—यावत्—यह प्रतिमा जिनाज्ञा के अनुसार पालन
की जाती है ।

अहोरात्रिकी भिक्षु पडिमा —

६०८ एवं आहोरात्रिकी ।

नवरं-छट्टेणंभत्तेणं अपाणएणं वहिया गामस्स वा-जाव-राय-
हाणिस्स वा ईसि पवमार गएण काएणं दो वि पाए साहट्टु
वगघारिय-पाणिस्स ठाण ठाइत्तए । सेस तं चेव-जाव-अणु-
पालित्ता भवइ । —दसा. द. ७, सु ३५

एगरात्रिकी भिक्षु पडिमा -

६०९ एग-राइयं भिक्षु-पडिम पडिवन्नस्स अणगारस्स-जाव-अहि-
यासेज्जा ।

कप्पइ से अट्टमेण भत्तेण अपाणएणं वहिया गामस्स वा-जाव-
रायहाणिस्स वा ईसि पवमारगएण काएण एग पोग्गलट्टियाए
दिट्ठोए अणिमिसनयणेहि अहापणिहि रोहि गुत्तेहि सविदिएहि
गुत्तेहि दो वि पाए साहट्टु वगघारियपाणिस्स ठाणं ठाइत्तए ।

तत्थ से दिव्व-माणुस्स-तिरिक्खजोणिया उवसग्गा समुप्प-
ज्जेज्जा ते ण उवसग्गा पयलेज्ज वा पवडेज्ज वा नो से
कप्पइ पयलित्तए वा पवडित्तए वा ।

तत्थ ग उच्चार-पासवणेणं उव्वाहिज्जा, नो से कप्पइ
उच्चार-पासवण उगिण्हत्तए वा णिगिण्हत्तए वा । कप्पइ
से पुव्वपडिलेहियसि थडिलंसि-उच्चारपासवण परिट्टवित्तए ।
अहाविहिमेव ठाण ठाइत्तए ।

एगराइयं भिक्षु-पडिम सम्मं अणुपालेमाणस्स अणगारस्स
इमे तओ ठाणा अहियाए, असुमाए, अक्खमाए, अणिसेस्ताए,
अणुगामियत्ताए भवति तं जहा—

१. उम्माय वा लभेज्जा,
२. दीहकालिग वा रोगायक पाउणिज्जा,
३. केवल्लि-पणत्ताओ वा धम्माओ भसिज्जा ।

एग-राइय भिक्षु-पडिमं सम्मं अणुपालेमाणस्स अणगारस्स
इमे तओ ठाणा हियाए, सुहाए, खमाए, निस्सेसाए, अणुग-
मियत्ताए भवति, त जहा—

१. ओहिनाणे वा से समुपज्जेज्जा,
२. मण-पज्जवनाणे वा से समुपज्जेज्जा,
३. केवल्ल नाणे वा से असमुप्पन्नपुव्वे समुपज्जेज्जा ।

एव खलु एगराइयं भिक्षु-पडिमं, अहामुत्त, अहाकप्पं,
अहामग्ग, अहातच्च, सम्मं काएणं फासित्ता, पालित्ता,

अहोरात्रिकी भिक्षु प्रतिमा—

६०८. इसी प्रकार अहोरात्रिकी प्रतिमा का भी वर्णन है ।

विशेष यह है कि निर्जल षष्ठ भक्त करके ग्राम—यावत्—
राजधानी के बाहर शरीर को थोड़ा सा झुकाकर दोनो पैरो को
सकुचित कर और दोनो भुजाओ को जानु पर्यन्त लम्बी करके
कायोत्सर्ग करना चाहिए । शेष पूर्ववत्—यावत्—यह प्रतिमा
जिनाज्ञा के अनुसार पालन की जाती है ।

एक रात्रिकी भिक्षु प्रतिमा—

६०९. एक रात्रिकी भिक्षु प्रतिमाधारी अनगार—यावत्—
शारीरिक क्षमता से उन्हे सहन करे ।

उसे निर्जल अष्टम भक्त करके ग्राम—यावत्—राजधानी
के बाहर शरीर को थोड़ा सा आगे की ओर झुकाकर, एक
पदार्थ पर दृष्टि स्थिर रखते हुए अनिमेष नेत्रों से और निश्चल
अंगों से सर्व इन्द्रियों को गुप्त रखते हुए दोनो पैरो को सकुचित
कर एव दोनो भुजाओ को जानुपर्यन्त लम्बी करके कायोत्सर्ग से
स्थित रहना चाहिये ।

वहाँ यदि देव, मनुष्य या तिर्यच सम्बन्धी उपसर्ग हो और
वे उपसर्ग उस अनगार को ध्यान में विचलित करें या पतित
करे तो उसे विचलित होना या पतित होना नहीं कल्पना है ।

यदि मल मूत्र की बाधा हो जाय तो उसे रोकना नहीं
कल्पता है, किन्तु पूर्व प्रतिलेखित भूमि पर मल मूत्र त्यागना
कल्पता है । पुन यथाविधि अपने स्थान पर आकर उसे कायो-
त्सर्ग करना कल्पता है ।

एक रात्रिकी भिक्षु प्रतिमा का सम्यक् प्रकार से पालन न
करने पर अनगार के लिए ये तीन स्थान अहितकर, अशुभ,
असामर्थ्यकर, अकल्याणकर एव दुःखद भविष्य वाले होते हैं ।

- यथा—(१) उन्माद की प्राप्ति,
(२) चिरकालिक रोग एवं आतंक की प्राप्ति,
(३) केवली प्रज्ञप्त धर्म से भ्रष्ट होना ।

एक रात्रिकी भिक्षु-प्रतिमा का सम्यक् प्रकार से पालन
करने वाले अनगार के लिए ये तीन स्थान हितकर, शुभ, सामर्थ्य-
कर, कल्याणकर एव सुखद भविष्य वाले होते हैं ।

- यथा—(१) अवधिज्ञान की उत्पत्ति,
(२) मनःपर्यवज्ञान की उत्पत्ति,
(३) अनुत्पन्न केवलज्ञान की उत्पत्ति ।

इस प्रकार यह एक रात्रिकी भिक्षु-प्रतिमा यथामूत्र, यथा-
कल्प, यथामार्ग और यथातथ्य रूप से सम्यक् प्रकार काया से

सोहिता, तीरिता, किट्टिता, आराहिता, आणाए अणुपा-
निता या वि भवति^१ । — दमा द ७, सु ३६-३६

पटिमागहणेण विमुक्ति—

६१० पिण्डोग्गहपडिमासु, भयट्टाणेषु सत्तसु ।
जे भिक्खु जयई निच्चं, से न अच्छइ मण्डले ॥

—उत्त अ ३१, गा ६

उवासगाण पडिमासु, भिक्खूणं पडिमासु य ।
जे भिक्खु जयई निच्चं, से न अच्छइ मण्डले ॥

—उत्त अ ३१, गा. ११

स्पर्श कर, पालन कर, शोधन कर, पूर्ण कर, कीर्तन कर और
आराधन कर जिनाज्ञा के अनुसार पालन की जाती है ।

प्रतिमा ग्रहण करने से मुक्ति—

६१० जो भिक्षु आहार-ग्रहण की सात प्रतिमाओं में और मात
भयस्थानों में सदा यत्न करता है वह ससार में नहीं रहता है ।

जो भिक्षु उपासकों की ग्यारह प्रतिमाओं तथा भिक्षुओं
की बारह प्रतिमाओं में सदा यत्न करता है, वह ससार में नहीं
रहता ।



एषणा प्रतिमाएँ—८ (३)

सत्त आहारेसण पडिमाओ—

६११ इच्चेयाई आयतणाइं उवातिकम्म अह भिक्खु जाणेज्जा-
मत्त पिडेसणाओ^२

१. तत्थ एतु इमा पढमा पिडेसणा—अससट्टे हत्थे अससट्टे
मत्ते ।

तहप्पगारेण अससट्टेण हत्थेण वा, मत्तएण वा, असण वा,
एाइम वा, साइम वा, सयं वा णं जाएज्जा, परो वा मे
देज्जा, फामुयं-जाव-पडिगाहेज्जा । पढमा पिडेसणा ।

२. अहावरा दोच्चा पिडेसणा - ससट्टे हत्थे, ससट्टे मत्ते ।

तहप्पगारेण संसट्टेण हत्थेण वा, मत्तएण वा, असण वा,
एाइम वा, साइम वा सय वा ण जाएज्जा, परो वा मे
देज्जा, फामुयं-जाव-पडिगाहेज्जा । दोच्चा पिडेसणा ।

३ अहावरा तच्चा पिडेसणा-इह एतु पाईणं वा-जाव-उदीणं
वा, सत्तेगतिया सट्टा भवति-गाहावती वा-जाव-कम्मकरो
वा ।

तेमि च णं अणतरेसु विक्खरुधेसु मायणजायेसु उवणिरिपत्त-
पुत्थे सिया । त जहा—

आहार लेने की सात प्रतिमाएँ—

६११ पूर्वोक्त (पिडेपणा वर्णित) दोषों को छोड़ता हुआ भिक्षु,
ये सात पिडेपणाएँ (आहार की प्रतिमाएँ) जानें ।

(१) उन में से पहली पिडेपणा यह है कि 'अससृष्ट हाथ
और अससृष्ट पात्र,

यदि दाता का हाथ और वर्तन किसी भी वस्तु से अलिप्त
हो तो अशन, खाद्य, स्वाद्य, आहार की स्वयं याचना करे अथवा
गृहस्थ दे तो उसे प्रासुक जानकर—यावत् - ग्रहण कर ले । यह
पहली पिडेपणा है ।

(२) इसके बाद दूसरी पिडेपणा यह है कि 'ससृष्ट हाथ
और ससृष्ट पात्र ।'

यदि दाता का हाथ और वर्तन किसी वस्तु से लिप्त है तो
उसमें वह अशन, खाद्य, स्वाद्य आहार की स्वयं याचना करे
अथवा गृहस्थ दे तो उसे प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण कर
ले । यह दूसरी पिडेपणा है ।

(३) इसके बाद तीसरी पिडेपणा यह है कि एम क्षेत्र में
पूर्व—यावत्—उत्तर दिशा में कई श्रद्धालु व्यक्ति रहते हैं, जैसे
कि गृहपति—यावत्—नीकरानियाँ ।

उनके यहाँ अनेक प्रकार के वर्तनों में पहने से भोजन रमा
हुआ है । जैसे कि—

१ टाणं. अ ३, उ. ३, सु १८८ ।

२ टाण अ. ७, सु ५४५ ।

थालंसि वा, पिढरगंसि वा, सरगंसि वा, परगंसि वा, वरगंसि वा ।

अह पुणेवं जाणेज्जा—अससट्टे हत्थे संसट्टे मत्ते, ससट्टे वा हत्थे, असंसट्टे मत्ते । से य पडिग्गहधारी सिया, पाणि-पडिग्गहए वा, से पुव्वामेव आलोएज्जा—

“आउसो ! ति वा भग्गिणि ! ति वा, एतेण तुमं असंसट्टेण हत्थेण, ससट्टेण मत्तेण, ससट्टेण वा हत्थेण, अससट्टेण मत्तेण अस्सि खलु पडिग्गहसि वा, पाणिसि वा णिहट्टु ओवित्तु दलयाहि ।

तहप्पगारं भोयणजातं सय वा ण जाएज्जा, परो वा से देज्जा । फासुय-जाव-पडिगाहेज्जा । तच्चा पिडेसणा ।

४ अहावरा चउत्था पिडेसणा—से भिक्खू वा-जाव-समाणे सेज्ज पुणं जाणेज्जा-पिह्वयं वा, बहुरय वा, भुज्जिय वा, मयुं वा, चाउलं वा, चाउलपलत्रं वा,

अस्सि खलु पडिग्गहियसि अप्पे पच्छकम्मे अप्पे पज्जवजाते ।

तहप्पगारं पिह्वय वा-जाव चाउलपलत्रं वा सय वा ण जाएज्जा परो वा से देज्जा फासुय-जाव-पडिगाहेज्जा ।

चउत्था पिडेसणा ।

५. अहावरा पंचमा पिडेसणा—से भिक्खू वा-जाव-समाणे उग्गहियमेव भोयणजातं जाणेज्जा । तं जहा—

सरावंसि वा, डिडिमंसि वा, कोसगसि वा ।

अह पुणेव जाणेज्जा—बहुपरियावण्णे पाणीसु दगलेवे ।

तहप्पगारं असण वा, खाइमं वा, साइम वा, सयं वा णं जाएज्जा परो वा से देज्जा, फासुय-जाव-पडिगाहेज्जा । पचमा पिडेसणा ।

६ अहावरा छट्ठा पिडेसणा—से भिक्खू वा-जाव-समाणे पग्गहियमेव भोयणजात जाणेज्जा ज च सयट्ठाए पग्गहितं, च परट्ठाए पग्गहितं,

त पायपरियावणं त पाणिपरियावणं असण वा, खाइमं वा, साइमं वा सयं वा ण जाएज्जा परो वा से देज्जा फासुय-जाव-पडिगाहेज्जा । छट्ठा पिडेसणा ।

थाली मे, तपेली मे, सूप मे, छवडी मे तथा बहुमूल्य पात्र मे,

उस समय साधु यह जाने कि—गृहस्थ का हाथ अलिप्त है किन्तु वर्तन लिप्त है अथवा हाथ लिप्त है, वर्तन अलिप्त है, तब वह पात्रधारी या कर-पात्री साधु पहले ही उसे कहे—

“हे आयुष्मन् गृहस्थ ! या आयुष्मती बहन ! तुम इस अससृष्ट हाथ और ससृष्ट वर्तन से अथवा संसृष्ट हाथ और असंसृष्ट वर्तन से लेकर इस पात्र मे या हाथ मे झुकाकर दो ।”

उस प्रकार के भोजन की स्वयं याचना करे अथवा गृहस्थ दे तो उसे प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण कर ले । यह तीसरी पिडेसणा है ।

(४) इसके बाद चौथी पिडेसणा इस प्रकार है—वह भिक्षु—यावत्—प्रवेश करने पर यह जाने कि—गृहस्थ के यहाँ अग्नि से सिके हुए या चूर्ण किये हुए अचित्त गेहूँ आदि के सिट्टे, ज्वार, जौ आदि के सिट्टे तथा चावल या उसके टुकड़े हैं ।

जिनके ग्रहण करने पर पात्र के लेप नहीं लगता है और न ही तुप आदि परठने पडते हैं ।

इस प्रकार के धान्य के सिट्टे—यावत्—भग्न शालि आदि अचित्त पदार्थ की साधु स्वयं याचना कर ले अथवा गृहस्थ दे तो प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण कर ले ।

यह चौथी पिडेसणा है ।

(५) इसके बाद पाँचवी पिडेसणा इस प्रकार है—वह भिक्षु—यावत्—प्रवेश करने पर यह जाने कि गृहस्थ के यहाँ अपने खाने के लिए किसी वर्तन मे भोजन ले रखा है । जैसे कि—सकोरे मे, कासे के वर्तन मे या मिट्टी के किसी वर्तन मे ।

फिर यह भी जान जाये कि उसके हाथ कच्चे पानी से लिप्त नहीं है पूर्ण सूख गये हैं ।

उस प्रकार के अशन, खाद्य, स्वाद्य आहार की साधु स्वयं याचना कर ले या गृहस्थ दे तो उसे प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण कर ले । यह पाँचवी पिडेसणा है ।

(६) इसके बाद छठी पिडेसणा इस प्रकार है—वह भिक्षु—यावत्—प्रवेश करने पर यह जाने कि गृहस्थ ने अपने लिए या दूसरे के लिए वर्तन आदि मे या हाथ मे भोजन ग्रहण किया है ।

ऐसा वह गृहस्थ के पात्र मे या हाथ मे रहा हुआ अशन, स्वाद्य, स्वाद्य साधु स्वयं याचना कर ले या गृहस्थ दे तो उसे प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण कर ले । यह छठी पिडेसणा है ।

७. अहावरा सत्तमा पिडेसणा—से भिक्खू वा-जाव-समाणे उज्झित-धम्मिय भोयणजाय जाणेज्जा,

ज चण्णे व्हवे दुपय-चउप्पय-समण-माहण-अतिहि-फिवण-वणोमगा पायकउत्ति ।

तहप्पगार उज्झित-धम्मिय भोयणजाय सय वा णं जाएज्जा, परो वा से देज्जा फामुय-जाव-पडिगाहेज्जा । सत्तमा पिडेसणा । —आ नु २, अ १, उ. ११, सु ४०६

सत्त-पाणेसण पडिमाओ—

६१२. इच्चेयाइ आयतणाइ उवात्तिकम्म अह भिक्ख जाणेज्जा-सत्त पाणेसणाओ^१—

१. तत्य खलु इमा पढमा पाणेसणा—अससट्ठे हत्ये, अससट्ठे मत्ते ।

तहप्पगारेण अससट्ठेण हत्येण वा, अससट्ठेण मत्तएणं वा पाणगजाय सय वा ण जाएज्जा, परो वा से देज्जा, फामुय-जाव-पडिगाहेज्जा पढमा पाणेसणा ।

२ अहावरा दोच्चा पाणेसणा—ससट्ठे हत्ये, ससट्ठे मत्ते ।

तहप्पगारेण अससट्ठेण हत्येण वा अससट्ठेण मत्तएण वा, पाणगजार्यं सय वा ण जाएज्जा, परो वा से देज्जा, फामुय-जाव-पडिगाहेज्जा । दोच्चा पाणेसणा ।

३ अहावरा तच्चा पाणेसणा—इह खलु पाईण वा-जाव-उदीण वा सतेगतिपा सट्ठा भवति गाहावती वा-जाव-फम्मकरो वा ।

तेसि च ण अणगतरेसु विट्ठव रुवेसु भायणजायेसु उवणिकित्त-पुट्ठे सिया, तं जहा—

पालमि वा, पिट्ठरगसि वा, सरगसि वा, परगसि वा, वरगसि वा ।

अह पुणेव जाणेज्जा—अससट्ठे हत्ये-ससट्ठे मत्ते, ससट्ठे वा हत्ये अससट्ठे मत्ते । से य पडिग्गहघारी सिया पाणिपडिग्ग-हण वा, मे पुच्चामेव आलोएज्जा ।

“आउत्तो ! ति वा, भगिणी ! ति वा एतेण तुम अससट्ठेण हत्येण, समट्ठेण मत्तेण, मंसट्ठेण वा हत्येण, अससट्ठेण मत्तेण, अस्मि पत्तु पडिग्गहसि वा पाणिमि वा णिहट्ठ ओयित्त वत्तयाहि । तहप्पगार पाणगजाय सय वा ण जाएज्जा, परो वा से देज्जा, फामुय-जाव-पडिगाहेज्जा । तच्चा पाणेसणा ।

(७) इसके बाद सातवी पिडेपणा इस प्रकार है—वह भिक्षु—यावत्—प्रवेश करने पर यह जाने कि गृहस्थ के फेंकने योग्य आहार है ।

जिसे अन्य बहुत से द्विपद-चतुष्पद-श्रमण-ब्राह्मण, अतिथि, दरिद्री, और भिखारी लोग नहीं चाहते,

ऐसे फेंकने योग्य भोजन की स्वयं याचना करे अथवा वह गृहस्थ दे तो उसे प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण कर ले । यह सातवी पिडेपणा है ।

पानी लेने की सात प्रतिमायें—

६१२ पूर्वोक्त (पाणैषणा वर्णित) दोनों को छोड़ता हुआ भिक्षु, ये सात पाणैषणाएँ (पानी की प्रतिमा) जानें—

(१) इनमें से प्रथम पाणैषणा यह है कि—अससृष्ट हाथ और अससृष्ट पात्र ।

यदि दाता का हाथ और वर्तन किसी वस्तु से अलिप्त हो तो उससे पानी की स्वयं याचना करे अथवा गृहस्थ दे तो उसे प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण कर ले । यह प्रथम पाणैषणा है ।

(२) इसके बाद दूसरी पाणैषणा यह है—ससृष्ट हाथ और संसृष्ट पात्र ।

यदि दाता का हाथ और वर्तन अचित्त वस्तु से लिप्त है तो उससे पानी की स्वयं याचना करे अथवा गृहस्थ दे तो उसे प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण कर ले । यह द्वितीय पाणैषणा है ।

(३) इसके बाद तीसरी पाणैषणा यह है—इम क्षेत्र में पूर्व—यावत्—उत्तर दिशा में कई श्रद्धालु व्यक्ति रहते हैं, जैसे कि वे गृहपति—यावत्—नीकरानियाँ ।

उतके यहाँ अनेक प्रकार के वर्तनों में पहले से पानी रखा हुआ है, जैसे—

थाली में, तपेली में, सूप में, छवडी में, बहुमूल्य पात्र में ।

उप समय माद्यु यह जाने कि—गृहस्थ का हाथ अलिप्त है किन्तु वर्तन लिप्त है अथवा हाथ लिप्त है और वर्तन अलिप्त है, तब वह पात्रघारी या कर-पात्री साधु पहले ही उसे कहे—

“हे आयुष्मन् गृहस्थ ! या गृहस्थामिनी ! तुम इस अससृष्ट हाथ और अससृष्ट वर्तन से अथवा ससृष्ट हाथ और अससृष्ट वर्तन में लेकर इम पात्र में या हाथ में पानी दो, इम प्रकार के पानी की स्वयं याचना करे अथवा गृहस्थ दे तो उसे प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण कर ले ।

यह तीसरी पाणैषणा है ।

४ अहावरा चउत्था पाणेसणा—से भिक्खू वा-जाव-समाणे से ज्जं पुण पाणगजायं जाणेज्जा । तं जहा— तिलोदगं वा, तुसोदगं वा, जवोदग वा, आयाभं वा, सोवीर वा, सुद्धवियडं वा ।

अस्सि खलु पडिगगहियंसि अप्पे पच्छाकम्मे, अप्पे पज्जव-जाए ।

तहप्पगार तिलोदग वा-जाव-सुद्धवियडं वा सयं वा णं जाएज्जा, परो वा से देज्जा, फासुर्यं-जाव-पडिगाहेज्जा । चउत्था पाणेसणा ।

५. अहावरा पचमा पाणेसणा—से भिक्खू वा-जाव-समाणे उग्गहियमेव पाणगजायं जाणेज्जा । त जहा—

सरावसि वा, डिडिमंसि वा, कोसगसि वा ।

अह पुणेवं जाणेज्जा-वहुपरियावण्णे पाणीसु दगलेवे ।

तहप्पगारं पाणगजाय सयं वा णं जाएज्जा, परो वा से देज्जा, फासुर्यं-जाव-पडिगाहेज्जा । पंचमा पाणेसणा ।

६. अहावरा छट्ठा पाणेसणा—से भिक्खू वा-जाव-समाणे पग्गहियमेव पाणगजायं जाणेज्जा-ज च सयट्ठाए पग्गहितं ज च परट्ठाए पग्गहितं ।

त पायपरियावण्ण त पाणिपरियावण्णं पाणगजायं सय वा णं जाएज्जा परो वा से देज्जा, फासुर्यं-जाव-पडिगाहेज्जा । छट्ठा पाणेसणा ।

७. अहावरा सत्तमा पाणेसणा—से भिक्खू वा-जाव-समाणे उज्झित धम्मियं पाणगजायं जाणेज्जा ।

ज चण्णे वहवे दुपय-चउप्पय-समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमगा णावकंखति ।

तहप्पगारं उज्झितधम्मिय पाणगजायं सय वा णं जाएज्जा, परो वा से देज्जा, फासुर्यं-जाव-पडिगाहेज्जा । सत्तमा पाणेसणा । —आ. सु २, अ १, उ. ११, सु. ४०६

पडिमा धारगस्स वयणं विवेगो—

६१३. इच्चैयासि सत्तहं पिडेसणाण, सत्तहं पाणेमणाणं अण्णतरं पडिम पडिवज्जमाणे णो एव वदेज्जा—“मिच्छा पडिवण्णा खलु एते भयतारो, अहमेगे सम्मं पडिवण्णे”

(४) इसके बाद चौथी पाणैपणा यह है । वह भिक्षु-यावत्-प्रवेश करने पर यह जाने कि—

यहाँ तिल का धोवन, तुप का धोवन, जौ का धोवन, चावल आदि का ओसामण, काजी का पानी या शुद्ध अचित्त शीतल जल है ।

इनमे से किसी प्रकार का पानी ग्रहण करने पर पात्र के भक्ष आदि का लेप नहीं लगता है तथा कुछ भी फेंकना नहीं पडता है ।

ऐसे तिल का धोवन—यावत्—शुद्ध अचित्त शीतल जल की स्वयं याचना करे या गृहस्थ दे उसे प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण कर ले । यह चौथी पाणैपणा है ।

(५) इसके बाद पाँचवी पाणैपणा यह है—वह भिक्षु—यावत्—प्रवेश करने पर यह जाने कि—यहाँ किसी वर्तन मे पानी रखा हुआ है, यथा—

सकोरे मे, कासे के वर्तन मे या मिट्टी के वर्तन मे ।

फिर यह भी जान जाए कि पानी देने वाले के हाथ सचित्त पानी से अलिप्त हो गये हैं, पूर्ण सूख गये हैं ।

उस प्रकार के पानी की स्वयं याचना करे या वह गृहस्थ दे तो उसे प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण कर ले । यह पाँचवी पाणैपणा है ।

(६) इसके बाद छठी पाणैपणा यह है—वह भिक्षु-यावत्-प्रवेश करने पर यह जाने कि गृहस्थ ने अपने लिए या दूसरे के लिए पानी निकाला है ।

ऐसा वह गृहस्थ के पात्र मे व हाथ मे रहा हुआ पानी साधु स्वयं याचना करे अथवा वह गृहस्थ दे तो उसे प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण कर ले । यह छठी पाणैपणा है ।

(७) इसके बाद सातवी पाणैपणा यह है—वह भिक्षु—यावत्—प्रवेश करने पर यह जाने कि—

गृहस्थ के फेंकने योग्य पानी है जिसे अन्य बहुत से द्विपद-चतुष्पद-श्रमण-ब्राह्मण, अतियि, दरिद्री और भिखारी लोग नहीं चाहते,

ऐसे फेंकने योग्य पानी की स्वयं याचना करे अथवा गृहस्थ दे तो उसे प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण कर ले । यह सातवी पाणैपणा है ।

प्रतिमा धारण करने वाले का वचन विवेक—

६१३. इन मात पिडेपणाओ और मात पाणैपणाओ मे से किसी एक प्रतिमा को स्वीकार करने वाला भिक्षु डम प्रकार अवहेलना करता हुआ न कहे कि—“इन माधु भगवन्तो ने अमम्यक् प्रतिमाएँ स्वीकार की हैं, एक मात्र मैंने ही सम्यक् प्रतिमा स्वीकार की है ।”

“जे एते नयतारो एताओ पडिमाओ पडिवज्जित्ताण विहरति,
जे य अहमनि एय पन्नि पडिवज्जित्ताण विहरामि, सव्वेवि
ते उ जिणाणाए उवट्ठित्ता अण्णोण्णसमाहीए, एव च ण
विहरति । —आ सु २, अ १, उ. ११, सु. ४१०

चत्तारि संयारेसण पडिमाओ—

६१४ इच्छेयाइ आयतणाइ उवातिकम्म अह भिक्खू जाणेज्जा-
इमाहि चउहि पडिमाहि संयारग एसित्तए^१ ।

१ तस्य एतु इमा पडिमा पडिमा—से भिक्खू वा भिक्खूणी
वा उहिसिय उहिसिय संयारग जाएज्जा, त जहा—

- | | |
|---------------|------------|
| १. इक्कडं वा, | २ कडिण वा, |
| ३ जंतुय वा, | ४ परगं वा, |
| ५. मोरग वा, | ६ तणं वा, |
| ७ फुसं वा, | |
| ८. फुच्चग वा, | |

९. पिप्पलगं वा, १०. पलालगं वा ।

से पुट्टामेव आलोएज्जा—“आउसो ! ति वा, भगिणी ! ति
वा, दाहिसि मे एत्तो अण्णतर संयारग ?”

तहूप्यगार संयारगं सय वा णं जाएज्जा, परो वा से देज्जा,
फासुय-जाव-पडिगाहेज्जा । पडिमा पडिमा ।

२ अहावरा दोच्चा पडिमा—से भिक्खू वा भिक्खूणी वा
पेहाए संयारग जाएज्जा । त जहा—

गाहावति वा-जाव-कम्मफरि वा ।

से पुट्टामेव आलोएज्जा—“आउसो ! ति वा भगिणी ! ति
वा दाहिसि मे एत्तो अण्णतर संयारगं ।”

तहूप्यगार संयारगं सय वा णं जाएज्जा, परो वा से देज्जा,
फासुय-जाव-पडिगाहेज्जा । दोच्चा पडिमा ।

३. अहावरा तच्चा पडिमा—से भिक्खू वा भिक्खूणी वा
जस्तुपसए सयमेज्जा जे तस्य अहाममण्णागते, तं जहा—

इक्कडं वा-जाव-पत्ताले वा,

तस्य लाभे सयमेज्जा, तस्म अत्ताभे उक्कुट्टए वा णेसज्जिए
वा विहरेज्जा । तच्चा पडिमा ।

अपितु वह इस प्रकार कहे—“जो ये नाधु भगवन्त इन
प्रतिमाओ को स्वीकार करके विचरण करते हैं और जो मैं इस
प्रतिमा को स्वीकार करके विचरण करता हूँ, ये हम सभी अपनी
अपनी शक्ति समाधि के अनुसार जिनाजा मे उद्यत होकर इस
प्रकार विचरण करते हैं ।

संस्तारक लेने की चार प्रतिमाएँ -

६१४ पूर्वोक्त (णव्यपणा मे वर्णित) दोषो को छोड़कर भिक्षु इन
चार प्रतिमाओ से संस्तारक की एपणा करे ।

१ इनमे से पहली प्रतिमा यह है—भिक्षु या भिक्षुणी
नामोल्लेख कर-करके संस्तारक की याचना करे, जैसे—

- | | |
|--|----------------------|
| १. इक्कड नामक तृण से निष्पन्न, | २ बांस की चटाई, |
| ३. जन्तुक नामक तृण से निष्पन्न, | ४ फूल गुंधने का तृण, |
| ५. मोर की पाँखो से निष्पन्न, | ६ सामान्य तृण, |
| ७. कुश (दोव) से निष्पन्न, | |
| ८ कूर्चक तृण से निष्पन्न (जिससे पुताई करने की कुची
बनती है) । | |

९ पीपल के काष्ठ मे निष्पन्न, १० पराल शालि का तृण ।
साधु पहले से ही इस प्रकार कहे—“हे आयुष्मन् गृहस्थ या
वहन ! क्या तुम मुझे इन संस्तारको मे से अमुक संस्तारक दोगे ?”
इस प्रकार संस्तारक की स्वयं याचना करे अथवा गृहस्थ दे
तो प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण करले । यह प्रथम
प्रतिमा है ।

२ इसके बाद दूसरी प्रतिमा यह है—भिक्षु या भिक्षुणी
गृहस्थ के मकान मे सामने रखे दिखते हुए संस्तारक को देखकर
उसकी याचना करे । यथा—

गृहपति—यावत्—नौकरानियाँ,

उन्से पहले ही इस प्रकार कहे कि—“हे आयुष्मन् गृहस्थ !
या वहिन ! तुम मुझे इन संस्तारको मे से अमुक संस्तारक दोगे ?”

इस प्रकार के संस्तारक की स्वयं याचना करे या गृहस्थ दे
तो उसे प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण करले । यह द्वितीय
प्रतिमा है ।

३ इसके बाद तीसरी प्रतिमा यह है—भिक्षु या भिक्षुणी
जिन उपाश्रय मे निवास करे उसी उपाश्रय मे जो संस्तारक
विद्यमान हो । यथा—

इक्कड—यावत्—पराल ।

इनके प्राप्त होने पर आज्ञा लेकर शयन करे । न प्राप्त होने
पर उलट्टुकामन या निपद्यामन आदि आसनों से बैठकर रात्रि
व्यतीत करे । यह तीसरी प्रतिमा है ।

४ अहावरा चउत्या पडिमा—से भिक्खू वा भिक्खूणी वा अहासथडमेव संथारग जाएज्जा । त जहा—

पुढविसिल वा, कट्टसिलं वा ८ हासथडमेव वा सथारगं,

तस्स लाभे संवसेज्जा, तस्स अलाभे उक्कुडुए वा णेसज्जिए वा विहरेज्जा । चउत्या पडिमा ।

इच्चेयाण चउण्हं पडिमाणं अण्णतरं पडिमं पडिवज्जमाणे जाव अण्णोण्णसमाहीए एव च ण विहरति ।

—आ. सु. २, अ. २, उ. ३, सु. ४५६-४५७

चत्तारि वत्थेसण पडिमाओ—

६१५ इच्चेयाइं आयतणाइ उवातिकम्म अह भिक्खू जोणेज्जा—इमाहिं चउहिं पडिमाहं वत्थं एसित्तए।

१ तत्थ खलु इमा पढमा पडिमा - से भिक्खू वा भिक्खूणी वा उट्टिसिय उट्टिसिय वत्थ जाएज्जा, तं जहा—

१. जंगियं वा, २. भंगियं वा, ३. साणयं वा,
४. पोत्तगं वा, ५. खोमिय वा, ६. तुलकड वा ।

तहप्पगारं वत्थ सय वा णं जाएज्जा, परो वा से देज्जा, फासुय-जाव-पडिगाहेज्जा । पढमा पडिमा ।

२ अहावरा दोच्चा पडिमा—से भिक्खू वा भिक्खूणी वा पेहाए वत्थ जाएज्जा तं जहा—गाहावति वा-जाव-कम्मकरि वा, से पुव्वामेव आलोएज्जा—‘आउसो ति वा भगिणि ! ति वा दाहिसि मे एत्तो अण्णतर वत्थ,

तहप्पगार वत्थ-सय वा ण जाएज्जा, परो वा से देज्जा, फासुय-जाव-पडिगाहेज्जा । दोच्चा पडिमा ।

३. अहावरा तच्चा पडिमा—से भिक्खू वा-जाव-समाणे से उज पुण वत्थं जाणेज्जा, तं जहा—

अंतरिज्जगं वा उत्तरिज्जगं वा,

तहप्पगार वत्थं सयं वा ण जाएज्जा, परो वा से देज्जा फासुय-जाव-पडिगाहेज्जा । तच्चा पडिमा ।

४ अहावरा चउत्या पडिमा—से भिक्खू वा-जाव-समाणे उज्जिय धम्मिय वत्थ जाणेज्जा,

ज चउण्णे वहवे समण-जाव-वणीमगा णावकखति,

४. इसके बाद चौथी प्रतिमा यह है—भिक्षु या भिक्षुणी उपाश्रय मे पहले से ही विछे हुए संस्तारक की याचना करे । यथा—

पत्थर की शिला, लकड़ी का पाट या बिछा हुआ तृण मय संस्तारक ।

इनके प्राप्त होने पर आज्ञा लेकर उस पर शयन करे । न मिले तो उत्कटुकासन या निषद्यासन आदि आसनो से बैठकर रात्रि व्यतीत करे । यह चौथी प्रतिमा है ।

इन चारो प्रतिमाओ मे से किसी एक प्रतिमा को धारण करने वाला साधु—यावत्—सभी अपनी-अपनी समाधि के अनुसार विचरण करते हैं ।

वस्त्र लेने की चार प्रतिमाएँ—

६१५. पूर्वोक्त (वस्त्रपणा मे वर्णित) दोषो को छोडकर भिक्षु इन चार प्रतिमाओ से वस्त्र की एषणा करे—

१. इनमे से पहली यह है—भिक्षु या भिक्षुणी नामोल्लेख कर-करके वस्त्र की याचना करे, जैसे—

१. जागमिक, २. भागिक, ३. सानज,
४. पोत्रक, ५. क्षोमिक, ६. तुलनिर्मित वस्त्र

ऐसे वस्त्र की स्वयं याचना करे अथवा गृहस्थ स्वयं दे तो प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण करे । यह प्रथम प्रतिमा है ।

२. उसके बाद दूसरी प्रतिमा यह है—भिक्षु या भिक्षुणी वस्त्र को पहले ही देखकर गृहस्वामी—यावत्—नीकरानी आदि से इस प्रकार कहे—‘हे धायुष्मन् गृहस्थ ! या वहन ! क्या तुम इन वस्त्रो मे से कोई वस्त्र मुझे दोगे ?’

इस प्रकार स्वयं वस्त्र की या ना करे अथवा वह गृहस्थ दे तो प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण करे । यह दूसरी प्रतिमा है ।

३. इनके बाद तीसरी प्रतिमा यह है—वह भिक्षु—यावत्—प्रवेश करने पर वस्त्र के सम्बन्ध मे यह जाने—जैसे कि—

नीचे के भाग मे पहना हुआ वस्त्र या ऊपर के भाग में पहना हुआ वस्त्र ।

ऐसे वस्त्र की स्वयं याचना करे या गृहस्थ स्वयं दे तो उसे प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण करे । यह तीसरी प्रतिमा है ।

४. इसके बाद चौथी प्रतिमा यह है—वह भिक्षु—यावत्—प्रवेश करने पर यह जाने कि गृहस्थ ने वस्त्र को पहन कर छोड दिया है ।

जिसे कि बहुत से अन्य श्रमण—यावत्—भिखारी लोग भी लेना न चाहते हों,

तहृप्पगारं उज्जित्यधम्मियं वत्य सयं वा ण जाएज्जा, परो या मे देज्जा, फामुय-जाव-पडिगाहेज्जा । चउत्त्या पडिमा ।

इच्चेवासि चउण्ह पडिमाण अण्णतर पडिमं पडिवज्जमाणे -जाव-अण्णोणममाहीए एव च ण विहरति ।

—आ सु २, अ ५, उ. १, सु. ५५६-५६०

चत्तारि पत्तेसण पडिमाओ—

६१६ इच्चेवाहं आयतणाइ उवातिकम्म अहं भिक्खू जाणेज्जा— इमाहिं चउहिं पडिमाहिं पाय एसित्तए!

१. तत्य उलु इमा पडिमा पडिमा—से भिक्खू वा भिक्खूणी वा उट्टिसिय-उट्टिसिय पाय जाएज्जा, तं जहा—

१ लाउयपायं वा, २ दासपायं वा,
३ मट्टियापायं वा,

तहृप्पगार पाय सयं वा ण जाएज्जा, परो वा से देज्जा, फामुय-जाव-पडिगाहेज्जा । पडिमा पडिमा ।

२. अहायरा दोच्चा पडिमा—से भिक्खू वा भिक्खूणी वा पेहाए पाय जाएज्जा त जहा—

गाहावर्तं वा-जाव-कम्मकरिं वा,

से पुट्टामेव आलोएज्जा—“आउसो ! ति वा, नगिणी ! ति वा, दाहिसि मे एत्तो अण्णतर पाय, त जहा—

लाउयपायं वा-जाव-मट्टियापायं वा,

तहृप्पगार पाय सयं वा ण जाएज्जा परो वा से देज्जा, फामुय-जाव-पडिगाहेज्जा । दोच्चा पडिमा ।

३. अहायरा तच्चा पडिमा—से भिक्खू-जाव-समाणे मे ज्ज पुण पायं जाणेज्जा-संगतियं वा, वेजयतियं वा,

तहृप्पगार पाय सयं वा ण जाएज्जा परो वा से देज्जा, फामुय-जाव-पडिगाहेज्जा । तच्चा पडिमा ।

४. अहायरा चउत्त्या पडिमा—से भिक्खू वा-जाव-समाणे उज्जित्यधम्मियं पाय जाएज्जा—ज चउण्णे बहूये समण-जाव-घणोमणा पायकपति,

तहृप्पगार पाय सयं वा ण जाएज्जा, परो वा से देज्जा, फामुय जाव पडिगाहेज्जा चउत्त्या पडिमा ।

इच्चेवासि चउण्ह पडिमाण अण्णतर पडिमं पडिवज्जमाणे -जाव-अण्णोण ममाहीए एव च ण विहरति ।

—आ सु २, अ. ६, उ. १, सु. ५६४-५६५

ऐमे छोडे हुए वस्त्र की स्वयं याचना करे अथवा गृहस्थ दे तो उसे प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण करे । यह चौथी प्रतिमा है ।

इन चारों प्रतिमाओं में से किसी एक प्रतिमा को धारण करने वाला साधु—यावत्—सभी अपनी-अपनी समाधि के अनुसार विचरण करते हैं ।

पात्र लेने की चार प्रतिमाएँ—

६१६. पूर्वोक्त (वस्त्रपणा में वर्णित) दोषों का परित्याग करके भिक्षु इन चार प्रतिमाओं में पात्र की एवणा करे—

१. इनमें से पहली प्रतिमा यह है कि—भिक्षु या भिक्षुणी नामोल्लेख पूर्वक प्रतिज्ञा करके पात्र की याचना करे, जैसे—

१ तुम्हें का पात्र, २. लकड़ी का पात्र,
३. मिट्टी का पात्र ।

ऐसे पात्र की स्वयं याचना करे अथवा गृहस्थ दे तो प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण करे । यह पहली प्रतिमा है ।

२ इसके बाद दूसरी प्रतिमा यह है—भिक्षु या भिक्षुणी (सामने दिखते हुए पात्र को लेने की प्रतिज्ञा करके) पात्रों को पहले ही देखकर गृहपति—यावत्—कर्मकारिणी आदि से इस प्रकार कहे,

“हे आयुष्मन् गृहस्थ ! या वहन ! क्या मुझे इनमें से अमुक पात्र दोगे ?” जैसे कि—

तुम्हारा, काष्ठ या मिट्टी का पात्र,

इस प्रकार के पात्र की स्वयं याचना करे या गृहस्थ स्वयं दे तो उसे प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण करे । यह दूसरी प्रतिमा है ।

३ इसके बाद तीसरी प्रतिमा यह है—वह भिक्षु—यावत्—प्रवेश करने पर ऐसा पात्र जाने कि वह गृहस्थ के द्वारा उपयोग में लिया जा चूका है या उपयोग में लिया जा रहा है ।

ऐसे पात्र की स्वयं याचना करे अथवा वह गृहस्थ दे तो प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण करे । यह तीसरी प्रतिमा है ।

४ इसके बाद चौथी प्रतिमा यह है—वह भिक्षु—यावत्—प्रवेश करने पर यह जाने कि—गृहस्थ ने पात्र को उपयोग में लेकर छोड़ दिया है । जिसे कि अन्य ब्रह्म से श्रमण—यावत्—भिक्षु भी लेना नहीं चाहते,

ऐसे पात्र की स्वयं याचना करे अथवा गृहस्थ दे तो प्रासुक जानकर—यावत्—ग्रहण करे । यह चौथी प्रतिमा है ।

इन चारों प्रतिमाओं में से किसी एक प्रतिमा को धारण करने वाला साधु—यावत्—सभी अपनी-अपनी समाधि के अनुसार विचरण करते हैं ।

चत्वारि ठाणं-काउस्सग पडिमा—

६१७ इच्चेयाइं आयतणाइ उवातिकम्म अह भिक्खू इच्छेज्जा—
चउर्हि पडिमाहिं ठाणं ठाइत्तए^१

१. तत्थिमा पढमा पडिमा—“अचित्तं खलु उवसज्जिस्सामि,
अवलंविस्सामि, काएण विप्परिकम्मिस्सामि, सवियारं ठाणं
ठाइस्सामि ति ।” पढमा पडिमा ।

२. अहावरा दोच्चा पडिमा - “अचित्तं खलु उवसज्जिस्सामि,
अवलंविस्सामि काएण विप्परिकम्मिस्सामि, णो सवियारं
ठाणं ठाइस्सामि ति ।” दोच्चा पडिमा ।

३. अहावरा तच्चा पडिमा—“अचित्तं खलु उवसज्जिस्सामि,
अवलंविस्सामि णो काएण विप्परिकम्मिस्सामि, णो सवियारं
ठाइस्सामि ति ।” तच्चा पडिमा ।

४. अहावरा चउत्था पडिमा—“अचित्तं खलु उवसज्जि-
स्सामि, णो अवलंविस्सामि, णो काएण विप्परिकम्मिस्सामि,
णो सवियारं ठाणं ठाइस्सामि, वोसट्ठकाए वोसट्ठकेस-समु-
रोम णहे संनिरुद्धं वा ठाणं ठाइस्सामि ति ।” चउत्था
पडिमा ।

इच्चेयासिं चउण्हं पडिमाण अण्णतरं पडिम पडिवज्जमाणे
-जाव-अण्णोण-समाहीए एव च ण विहरति ।

—आ सु २, अ. ८, उ १, सु ६३८-६३९

सत्त अवग्रह पडिमाओ—

६१८. इच्चेयाइं आयतणाइ उवातिकम्म अह भिक्खू जाणेज्जा
इमाहिं सत्तिहिं पडिमाहिं उगगह ओगिण्हित्तए^२

१. जत्थं खलु इमा पढमा पडिमा—से आगतारेसु वा-जाव-
परियावसहेसु वा अण्णवीइ उगगह जाएज्जा-जाव तेण परं
विहरिस्सामो । पढमा पडिमा ।

२. अहावरा दोच्चा पडिमा—जस्स ण भिक्खुस्स एव
भवति “अहं च खलु अण्णेसिं भिक्खूणं अट्ठाए उगगह
ओगिण्हिस्सामि, अण्णेसिं भिक्खूणं उगगहिते उगगहे उव-
त्तिस्सामि ।” दोच्चा पडिमा ।

१ ठाणं. अ ४, उ ३, सु ३३१

२ ठाणं. अ. ७, सु. ५४५ ।

खड़े रहकर कायोत्सर्ग करने की चार प्रतिमाएँ—

६१७ पूर्वोक्त स्थान सम्बन्धी दोषो को छोड़कर भिक्षु इन चार
प्रतिमाओ मे मे किसी एक प्रतिमा से कायोत्सर्ग करने की
इच्छा करे—

१. उनमे से प्रथम प्रतिमा यह है—“मैं अचित्त मर्यादित
स्थान मे रहूँगा, दीवार आदि का सहारा लूँगा, हाथ-पैर आदि
का संकोचन-प्रसारण करूँगा तथा वही पर थोडा-सा विचरण
करूँगा,” यह प्रथम प्रतिमा है ।

२. इसके बाद दूसरी प्रतिमा यह है—“मैं अचित्त मर्यादित
स्थान मे रहूँगा, दीवार आदि का सहारा लूँगा, हाथ-पैर आदि
का संकोचन प्रसारण करूँगा, किन्तु थोडा-सा भी विचरण नहीं
करूँगा,” यह दूसरी प्रतिमा है ।

३. इसके बाद तृतीय प्रतिमा यह है—“मैं अचित्त मर्यादित
स्थान मे रहूँगा, दीवार आदि का सहारा लूँगा, किन्तु हाथ-पैर
आदि का संकोचन-प्रसारण नहीं करूँगा तथा भ्रमण भी नहीं
करूँगा ” यह तीसरी प्रतिमा है ।

४. इसके बाद चतुर्थ प्रतिमा यह है—“मैं अचित्त स्थान मे
स्थित रहूँगा । उस समय न तो दीवार आदि का सहारा लूँगा,
न हाथ-पैर आदि का संकोचन-प्रसारण करूँगा और न ही भ्रमण
करूँगा, अपितु शरीर का ममत्व तथा केश, दाढी, मूँछ, रोम
और नख आदि के परिकर्म का त्याग कर सम्यक् प्रकार से काया
का निरोध कर इम स्थान मे कायोत्सर्ग करके स्थित रहूँगा,”
यह चौथी प्रतिमा है ।

इन चारो प्रतिमाओ मे से किसी एक प्रतिमा को धारण
करने वाला साधु—यावत्—सभी अपनी-अपनी समाधि के
अनुसार विचरण करते हैं ।

अवग्रह लेने की सात प्रतिमाएँ—

६१८. पूर्वोक्त अवग्रह सम्बन्धी दोषो का परित्याग करके भिक्षु
इन सात प्रतिमाओ के अनुसार अवग्रह ग्रहण करे—

१. इनमे से पहली प्रतिमा यह है कि—वह साधु पथिक-
शाला—यावत्—परिव्राजको के आश्रम मे सम्यक् विचार करके
अवग्रह की याचना करे—यावत्—उसके बाद हम विहार कर
देंगे, यह प्रथम प्रतिमा है ।

२. इसके बाद दूसरी प्रतिमा यह है कि—जिस भिक्षु का
इस प्रकार का अभिग्रह होता है कि “मैं अन्य भिक्षुओ के लिए
अवग्रह की याचना करूँगा और अन्य भिक्षुओ के द्वारा याचित
अवग्रह मे निवाम करूँगा ।” यह द्वितीय प्रतिमा है ।

३. अहावरा तच्चा पडिमा—जस्म ण भिक्षुस्स एवं भवति 'अहं च एतु अण्णेसि भिक्षूपण अट्टाए उग्गहं ओगिण्हिस्सामि, अण्णेसि च उग्गहिते उग्गहे णो उवल्लिस्सामि।' तच्चा पडिमा ।

४. अहावरा चउत्था पडिमा—जस्स ण भिक्षुस्स एव भवति "अहं च एतु अण्णेमि भिक्षूपणं अट्टाए उग्गहं णो ओगिण्हिस्सामि, अण्णेमि च उग्गहिते उग्गहे उवल्लिस्सामि" चउत्था पडिमा ।

५. अहावरा पचमा पडिमा—जस्स ण भिक्षुस्स एवं भवति "अहं च एतु अप्पणो अट्टाए उग्गहं णो ओगिण्हिस्सामि, णो दोण्हं, णो तिण्हं, णो चउण्हं, णो पचण्हं" पचमा पडिमा ।

६. अहावरा छट्ठा पडिमा । से भियपू वा भिक्षूपणी वा जस्सेव उग्गहे उवल्लिएज्जा, जे तत्थ अहाममण्णागते । त जहा—

इयकट्ठे वा-जाव-परात्ते वा, तस्स लाभे सवसेज्जा, तस्स अलाभे उक्कुडुए वा णेसज्जिए वा विहरेज्जा । छट्ठा पडिमा ।

७. अहावरा सत्तमा पडिमा—से भियपू वा भिक्षूपणी वा अहामंधटमेव उग्गहं जाएज्जा, त जहा—

पुढविमित्त वा, फट्ठु सिल्लं वा अहामंधटमेव वा सयारग तस्स लाभे सवसेज्जा, तस्स अलाभे उक्कुडुए वा णेसज्जिए वा विहरेज्जा । सत्तमा पडिमा ।

इच्चैयासि सत्तण्हं पडिमाणं अण्णतरं पडिमं पडिवज्जमाणे -जाव-अण्णेण-समाहोए एव च ण विहरति ।

—आ. सु. २, अ. ७, उ २, सु. ६३३-६३४

३. इसके बाद तीसरी प्रतिमा यह है कि—जिस भिक्षु का इस प्रकार का अभिग्रह होता है कि "मैं दूसरे भिक्षुओं के लिए अवग्रह की याचना करूँगा परन्तु अन्य भिक्षुओं के द्वारा याचित स्थान में नहीं ठहरूँगा," यह तृतीय प्रतिमा है ।

४. इनके बाद चतुर्थ प्रतिमा यह है—जिस भिक्षु का इस प्रकार का अभिग्रह होता है कि "मैं दूसरे भिक्षुओं के लिए अवग्रह की याचना नहीं करूँगा परन्तु अन्य साधु द्वारा याचित स्थान में ठहरूँगा ।" यह चतुर्थ प्रतिमा है ।

५. इसके बाद पाँचवी प्रतिमा यह है—जिस भिक्षु का इस प्रकार का अभिग्रह होता है कि—"मैं अपने लिए ही अवग्रह की याचना करूँगा अन्य दो, तीन, चार, पाँच के लिए नहीं ।" यह पाँचवी प्रतिमा है ।

६. इसके बाद छठी प्रतिमा यह है—भिक्षु या भिक्षुणी जिस अवग्रह की याचना करके ठहरता है उस स्थान में पहले से ही जो शय्यासस्तारक विद्यमान है । जैसे—

इककठ नामकं तृणं विशेषं—यावत्—पराल आदि इनमें भिचने पर उनका अवग्रह ग्रहण करके रहे और नहीं मिलने पर उत्कटुकासन या निपाद्यासन आदि आसनो से बैठकर रात्रि व्यतीत करे । यह छठी प्रतिमा है ।

७. इसके बाद सातवी प्रतिमा यह है—भिक्षु या भिक्षुणी जिस स्थान की अनुज्ञा ले वहाँ यदि पृथ्वी शिला, काष्ठशिला तथा पराल आदि विद्या हुआ प्राप्त हो तो उसका अवग्रह ग्रहण कर वहाँ रहे यदि प्राप्त न हो तो उत्कटुका आसन या निपाद्यासन द्वारा रात्रि व्यतीत करे । यह सातवी प्रतिमा है ।

इन सात प्रतिमाओं में से किसी एक प्रतिमा को धारण करने वाला साधु—यावत्—सभी अपनी-अपनी समाधि के अनुसार विचरण करते हैं ।



दत्ति-पडिमाएँ—८(४)

सत्त-सत्तमिया भिक्षुपडिमा—

६१९. सत्त-सत्तमिया ण भिक्षुपडिमा एणुणपत्राए राडदिएहि एणेज्ज छत्तवएण भिक्षुपामएण अहानुत्त-जाव-आणाए अणु-पात्तिता भवत् ।^१

—आ. अ. ७, सु. ५४५

सप्तसप्ततिका भिक्षु प्रतिमा—

६१९. सप्त-सप्तदिवसीय भिक्षु-प्रतिमा (४९) उन्चाम अहोरात्र मे भिक्षा मे प्राप्त हूए आहार की (१९६) एक मी छियानवे दत्तियो मे गूथानुत्तार—यावत्—जिन आज्ञा के अनुसार पालन की जाती है ।

१ (१) सत्त सत्त ४९, सु. १

(१) वर उ ९, सु. ३७

अट्ट-अट्टमिया भिक्षुपडिमा—

६२०. अट्ट-अट्टमिया णं भिक्षु-पडिमा चउसट्ठीए-राड्दिएहि दोहि य अट्टासिएहि भिक्षासएहि अहासुत्तं-जाव-आणाए अणुपालित्ता भवइ ।^१ —ठाण. अ. ८, सु. ६४५

नव-नवमिया भिक्षु पडिमा—

६२१. नव-नवमिया णं भिक्षुपडिमा एगासीए राड्दिएहि चउहिं य पंचुत्तरेहि भिक्षासएहि अहासुत्तं-जाव-आणाए अणुपालित्ता भवइ ।^२ —ठाण. अ. ९, सु. ६८७

दस-दसमिया भिक्षु पडिमा—

६२२ दस-दसमिया णं भिक्षुपडिमा एणेणं राड्दियसएण अट्ट छट्ठेहि य भिक्षासएहि अहासुत्तं-जाव-आणाए अणुपालित्ता भवइ ।^३ —ठाणं अ. १०, सु. ७७७

दुविहा चंदपडिमाओ—

६२३. दो पडिमाओ पण्णत्ताओ । तं जहा—

१ जवमज्झा य चंदपडिमा,

२. वइरमज्झा य चंदपडिमा ।^४ —वव उ. १०, सु. १

जवमज्झा चंदपडिमा—

६२४. जवमज्झ णं चंदपडिम पडिवन्नस्स अणगारस्स तिच्च मासं वोसट्ठकाए चियत्तदेहे जे केइ परीसहोवसग्गा समुप्यज्जेज्जा दिव्वा वा, माणुस्सगा वा, तिरिक्खजोणिया वा, अणुलोमा वा, पडिलोमा वा, तत्थ अणुलोमा ताव वदेज्जा वा, नमसिज्जा वा, सक्का-रेज्जा वा, सम्माणेज्जा वा, कल्लाण, मंगलं, देवयं, चेइय, पज्जुवासेज्जा, पडिलोमा ताव अन्नपरेणं दडेण वा, अट्ठिणा वा, जोत्तेण वा, वेत्तेण वा, फसेण वा काए आउट्टेज्जा, ते सव्वे उप्पन्ने सम्मं सहेज्जा, खमेज्जा, तितिक्खेज्जा अहिथासेज्जा ।

अष्ट-अष्टमिका भिक्षु प्रतिमा—

६२० अष्ट-अष्टदिवसीय भिक्षु-प्रतिमा (६४) चौंसठ अहोरात्र मे भिक्षा मे प्राप्त हुए आहार की (२८८) दो सौ अठ्यासी दत्तियो से सूत्रानुसार—यावत्—जिनाज्ञा के अनुसार पालन की जाती है ।

नव-नवमिका भिक्षु प्रतिमा—

६२१ नौ-नौ दिवसीय भिक्षु प्रतिमा (८१) इक्कासी अहोरात्र मे भिक्षा मे प्राप्त आहार की (४०५) चार सौ पाँच दत्तियो से सूत्रानुसार—यावत्—जिनाज्ञा के अनुसार पालन की जाती है ।

दश-दशमिका भिक्षु प्रतिमा—

६२२ दश-दश दिवसीय भिक्षु-प्रतिमा (१००) सौ अहोरात्र मे भिक्षा मे प्राप्त आहार की (५५०) पाँच सौ पचास दत्तियो मे सूत्रानुसार—यावत्—जिनाज्ञा के अनुसार पालन की जाती है ।

दो प्रकार की चन्द्र प्रतिमाएँ—

६२३. दो प्रतिमायें कही गई हैं, यथा—

(१) यवमध्य चन्द्र प्रतिमा,

(२) वज्रमध्य चन्द्र प्रतिमा ।

यवमध्य चन्द्र प्रतिमा—

६२४ यवमध्य चन्द्रप्रतिमा स्वीकार करने वाला अणगार एक मास तक शरीर के परिकर्म से तथा शरीर के ममत्व से रहित होकर रहे और देव, मनुष्य एवं तिर्यचकृत अनुकूल या प्रतिकूल जितने परीषह एवं उपसर्ग होवें,

उनमे अनुकूल परीषह एवं उपसर्ग ये हैं—

कोई वन्दना नमस्कार करे, सत्कार सम्मान करे, कल्याण-रूप, मगलरूप, देवरूप और ज्ञानरूप मानकर पयुपासना करे ।

उनमे प्रतिकूल परीषह एवं उपसर्ग ये हैं—

किसी दण्ड, हड्डी, जोत, बेंत और चाबुक से शरीर पर प्रहार करे तो वह इन सब अनुकूल प्रतिकूल परीषह एवं उपसर्गों को (प्रसन्न या खिन्न न होकर) समभाव से, क्षमा भाव युक्त, वीरता पूर्वक और शांति से सम्यक् सहन करे ।

१ (क) सम. सम. ६४, सु. १

२ (क) सम. मम. ८१, सु. १

३ (क) सम. सम. १००, सु. १

(ग) सप्तसप्तमिका भिक्षु प्रतिमा मे प्रथम सात दिन मे आहार की एक-एक दत्ति ग्रहण की जाती है, दूसरे सात दिन मे आहार की दो-दो दत्ति ग्रहण की जाती है, — यावत्—सातवें सात दिनों मे आहार की सात-सात दत्तियाँ ग्रहण की जाती हैं ।

अष्ट अष्टमिका भिक्षु प्रतिमा मे आठ-आठ दिन से एक-एक दत्ति की वृद्धि की जाती है ।

नवनवमिया भिक्षु प्रतिमा मे नव नव दिन से एक-एक दत्ति की वृद्धि की जाती है ।

दशदशमिया भिक्षु प्रतिमा मे दस दस दिन से एक-एक दत्ति की वृद्धि की जाती है ।

४ ठाणं. अ. २, उ. ३, सु. ७७

(ख) वव. उ. ९, सु. ३८

(ख) वव उ. ९, सु. ३९

(ख) वव. उ. ९, सु. ४०

जवमज्जं ष च्चदपडिम पडिवग्रस्स अणगारस्स
सुक्कपक्कस्स पाडिवए से कप्पइ एगा दत्तो भोयणस्स पडिगा-
हेत्तए, एगा पाणस्स ।

सद्येहिं दुप्पय चउप्पयाइएहिं आहारक्खीहिं सत्तोहिं पडिणि-
यत्तोहिं, अप्पायउए सुद्धोवहदं

निज्जहिंत्ता च्चहवे समण-जाव-धणोमगा ।

कप्पइ से एगस्स भुंजमाणस्स पडिगाहेत्तए नो दोण्ह, नो
तिण्ह, नो चउण्ह, नो पचण्ह ।

नो गुट्टिणोए, नो बालवच्छाए, नो दारग पेज्जमाणीए ।

नो अतो एलुयस्स दो वि पाए साहट्टु दलमाणीए, नो ब्राहिं
एलुयस्स दो वि पाए साहट्टु दलमाणीए ।

अह पुण एवं जाणेज्जा — एगं पायं अतो किच्चा, एगं पायं
ब्राहिं किच्चा एलुय विक्खम्मइत्ता —

एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्जा आहारेज्जा, एयाए एस-
णाए एसमाणे णो लभेज्जा, णो आहारेज्जा ।

चिद्वयाए से कप्पइ दोणिण दत्तोओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए,
दोणिण पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्जा
आहारेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लभेज्जा, नो
आहारेज्जा ।

तइयाए मे कप्पइ तिणिण दत्तोओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए,
तिणिण पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्जा
आहारेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लभेज्जा, नो
आहारेज्जा ।

चउट्थोए मे कप्पइ चउदत्तोओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए,
चउपाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्जा आहा-
रेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लभेज्जा नो आहा-
रेज्जा ।

पचमोए से कप्पइ पंचदत्तोओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, पंच
पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्जा आहारेज्जा,
एयाए एसणाए एसमाणे णो लभेज्जा नो आहारेज्जा ।

यवमध्य चन्द्र प्रतिमा के आराधक अणगार को,
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के दिन आहार और पानी की एक-
एक दत्ति ग्रहण करना कल्पता है ।

आहार की आकांक्षा करने वाले सभी द्विपद चतुष्पद पाणी
आहार लेकर लौट गये हों तब उसे अज्ञात स्थान से शुद्ध (अल्प-
लेप वाला) अल्प आहार लेना कल्पता है ।

अनेक श्रमण—यावत्—भिखारी आहार लेकर लौट गये
हो अर्थात् वहाँ खड़े न हो तो आहार लेना कल्पता है ।

एक व्यक्ति के भोजन में से आहार लेना कल्पता है, किन्तु
दो, तीन, चार या पाँच व्यक्ति के भोजन में से लेना नहीं
कल्पता है ।

गर्भवती, छोटे बच्चों वाली और बच्चे को दूध पिलाने वाली
के हाथ से आहार लेना नहीं कल्पता है ।

दाता के दोनों पैर देहली के अन्दर हों या बाहर हों, उसमें
आहार लेना नहीं कल्पता है ।

यदि ऐसा जाने कि—दाता एक पैर देहली के अन्दर और
एक पैर देहली के बाहर रखकर देहली को पैरों के बीच में फरके
दे तो उसके हाथ से आहार लेना कल्पता है ।

इस प्रकार के अभिग्रह से एपणा करते हुए आहार प्राप्त हो
तो ग्रहण करे, यदि इस प्रकार के अभिग्रह में एपणा करते हुए
आहार प्राप्त न हो तो ग्रहण न करे ।

शुक्ल पक्ष के द्वितीया के दिन प्रतिमाधारी अणगार को
भोजन और पानी की दो-दो दत्तियाँ लेना कल्पता है—यावत्—
इस प्रकार के अभिग्रह से एपणा करते हुए आहार प्राप्त हो तो
ले यदि इस प्रकार के नियमों में एपणा करते हुए आहार प्राप्त
न हो तो न ले ।

तीज के दिन भोजन और पानी की तीन-तीन दत्तियाँ ग्रहण
करना कल्पता है—यावत्—इस प्रकार के अभिग्रह से एपणा
करते हुए आहार प्राप्त हो तो ले यदि इस प्रकार के नियमों में
एपणा करते हुए आहार प्राप्त न हो तो न ले ।

चौथ के दिन भोजन और पानी की चार-चार दत्तियाँ ग्रहण
करना कल्पता है—यावत्—इस प्रकार के अभिग्रह से एपणा
करते हुए आहार प्राप्त हो तो ले, यदि इस प्रकार के नियमों में
एपणा करते हुए आहार प्राप्त न हो तो न ले ।

पाचम के दिन भोजन और पानी की पाँच-पाँच दत्तियाँ
ग्रहण करना कल्पता है—यावत्—इस प्रकार के अभिग्रह से
एपणा करते हुए आहार प्राप्त हो तो ले, यदि इस प्रकार के
नियमों में एपणा करते हुए आहार प्राप्त न हो तो न ले ।

एककारसमीए से कप्पइ चउ दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए,
चउ पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्जा आहा-
रेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लभेज्जा नो आहारेज्जा ।

वारसमीए से कप्पइ तिण्णि दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए,
तिण्णि पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्जा
आहारेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लभेज्जा नो
आहारेज्जा ।

तेरसमीए से कप्पइ दो दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए दो
पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्जा आहारेज्जा,
एयाए एसणाए एसमाणे णो लभेज्जा नो आहारेज्जा ।

चउदसमीए से कप्पइ एगा दत्ती भोयणस्स पडिगाहेत्तए,
एगा पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्जा आहा-
रेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लभेज्जा नो आहारेज्जा ।

आमावासाए से य अब्भत्तट्ठे भवइ ।

एव खलु एसा जवमज्झ चंदपडिमा अहामुत्त-जाव-आणाए
अणुपालिया भवइ । —वव. उ. १०, सु. १-२

वइरमज्झा चंदपडिमा—

६२५. वइरमज्झं णं चंदपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स निच्चं मास
वोसट्ठकाए चियत्तदेहे जे केइ परीसहोवसग्गा समुप्पज्जेज्जा
-जाव-अहियासेज्जा ।

वइरमज्झं ण चंदपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स,
वहुलपवखस्स पाडिवए से कप्पइ पन्नरस दत्तीओ भोयणस्स
पडिगाहेत्तए पन्नरस पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे
लभेज्जा आहारेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लभेज्जा
णो आहारेज्जा ।

विइयाए से कप्पइ चउदस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए,
चउदस पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्जा
आहारेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लभेज्जा णो
आहारेज्जा ।

तइयाए से कप्पइ तेरस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए,
तेरस पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्जा आहा-
रेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लभेज्जा णो आहा-
रेज्जा ।

ग्यारस के दिन भोजन और पानी की चार-चार दत्तियाँ
ग्रहण करना कल्पता है—यावत्—इस प्रकार के अभिग्रह से
एपणा करते हुए आहार प्राप्त हो तो ले, यदि इस प्रकार के
नियमों से एषणा करते हुए आहार प्राप्त न हो तो न ले ।

वारस के दिन भोजन और पानी की तीन-तीन दत्तियाँ ग्रहण
करना कल्पता है—यावत्—इस प्रकार के अभिग्रह से एपणा
करते हुए आहार प्राप्त हो तो ले, यदि इस प्रकार के नियमों से
एषणा करते हुए आहार प्राप्त न हो तो न ले ।

तेरस के दिन भोजन और पानी की दो-दो दत्तियाँ ग्रहण
करना कल्पता है—यावत्—इस प्रकार के अभिग्रह से एपणा
करते हुए आहार प्राप्त हो तो ले, यदि इस प्रकार के नियमों से
एषणा करते हुए आहार प्राप्त न हो तो न ले ।

चौदस के दिन भोजन और पानी की एक-एक दत्ती ग्रहण
करना कल्पता है—यावत्—इस प्रकार के अभिग्रह से एपणा
करते हुए आहार प्राप्त हो तो ले, यदि इस प्रकार के नियमों से
एषणा करते हुए आहार प्राप्त न हो तो न ले ।

अमावस के दिन वह उपवास करता है ।

इस प्रकार यह जवमध्य चन्द्र प्रतिमा सूत्रानुसार—यावत्—
जिनाज्ञा के अनुसार पालन की जाती है ।

वज्रमध्य चन्द्र प्रतिमा—

६२५. वज्रमध्य चन्द्र प्रतिमा स्वीकार करने वाला अणगार एक
मास तक शरीर के परिकर्म से तथा शरीर के ममत्व से रहित
होकर रहे और जो कोई परीपह एव उपसर्ग होवे—यावत्—
उन्हें शान्ति से सहन करे ।

वज्रमध्य-चन्द्र-प्रतिमा स्वीकार करने वाले अणगार को,
कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन पन्द्रह-पन्द्रह दत्तियाँ भोजन
और पानी की लेना कल्पता है—यावत्—इस प्रकार के अभिग्रह
से एपणा करते हुए आहार प्राप्त हो तो ग्रहण करे यदि इस
प्रकार के अभिग्रह से एपणा करते हुए आहार प्राप्त न हो ग्रहण
न करे ।

द्वितीया के दिन भोजन और पानी की चौदह-चौदह दत्तियाँ
ग्रहण करना कल्पता है—यावत्—इस प्रकार के अभिग्रह से
एपणा करते हुए आहार प्राप्त हो तो ग्रहण करे, यदि इस प्रकार
के अभिग्रह से एपणा करते हुए आहार प्राप्त न हो तो ग्रहण न
करे ।

तीज के दिन भोजन और पानी की तेरह-तेरह दत्तियाँ ग्रहण
करना कल्पता है—यावत्—इस प्रकार के अभिग्रह से एपणा
करते हुए आहार प्राप्त हो तो ग्रहण करे, यदि इस प्रकार के
अभिग्रह से एपणा करते हुए आहार प्राप्त न हो ग्रहण न करे ।

तेरसमीए से कप्पइ चउहस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए,
चउहस पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्जा
आहारेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लभेज्जा णो आहा-
रेज्जा ।

चउहसमीए से कप्पइ पन्नरस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए,
पन्नरस पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्जा आहा-
रेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लभेज्जा णो आहा-
रेज्जा ।

पुण्णिमाए से य अन्मत्तद्धे भवइ ।

एवं खलु एसा वडरमज्जा चदपडिमा अहासुत्त-जाव-आणाए
अणुपालिया भवइ । —वव. उ. १०, सु ३-४

दत्तिपरिमाण निरूपणं—

६२६ सखादत्तियस्स भिक्खुस्स पडिग्गहधारिस्स गाहावइकुलं
पिण्डवाय पडियाए अणुपविट्ठस्स,
जावइयं जावइयं केइ अन्तो पडिग्गहसि उवइत्ता दलएज्जा
तावइयाओ ताओ दत्तीओ वत्तव्व सिया ।

तत्थ से केइ छव्वएण वा, दूसएण वा, बालएणं वा, अन्तो
पडिग्गहसि उवइत्ता दलएज्जा सव्वा वि णं सा एगा दत्ती
वत्तव्व सिया ।

तत्थ से वहवे भुंजमाणा सव्वे ते सयं सयं पिण्डं साहणिय
अन्तो पडिग्गहसि उवइत्ता दलएज्जा, सव्वा वि णं सा एगा
दत्ति वत्तव्व सिया ।

संखादत्तियस्स ण भिक्खुस्स पाणिपडिग्गहियस्स गाहावइकुल
पिण्डवाय-पडियाए अणुपविट्ठस्स,
जावइयं जावइयं केइ अन्तो पाणिसि उवइत्ता दलएज्जा,
तावइयाओ ताओ दत्तीओ वत्तव्व सिया ।

तत्थ से केइ छव्वएण वा, दूसएण वा, बालएण वा अन्तो
पाणिसि उवइत्ता दलएज्जा, सव्वा वि णं सा एगा दत्ती
वत्तव्व सिया ।

तत्थ से वहवे भुंजमाणा सव्वे ते सयं सयं पिण्डं साहणिय
अन्तो पाणिसि उवइत्ता दलएज्जा सव्वा वि णं एगा दत्ती
वत्तव्व सिया । —वव. उ. ६, सु ४३-४४

भोयपडिमा विहाणं—

६२७. दो पडिमाओ पणत्ताओ, तं जहा—

१. खुड्डिया वा भोयपडिमा, २. महल्लिया वा भोयपडिमा ।
खुड्डियं णं भोयपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स कप्पइ पढम-
अरय-काल समयसि वा चरम-निदाह-काल समयसि वा,
बहिया गामस्स वा-जाव-सन्नियेस्स वा वर्णसि वा, वर्णदुग्गंसि
वा, पध्वयंसि वा, पध्वयदुग्गंसि वा ।

तेरस के दिन भोजन और पानी की चौदह-चौदह
ग्रहण करना कल्पता है—यावत्—इस प्रकार के अभिग्रह से
करते हुए आहार प्राप्त हो तो ग्रहण करे, यदि इस प्रकार के
ग्रह से एषणा करते हुए आहार प्राप्त न हो तो ग्रहण न करे
शुक्ल पक्ष की चौदस के दिन भोजन और पानी की
पन्द्रह दत्तियाँ ग्रहण करना कल्पता है—यावत्—इस प्रकार के
अभिग्रह से एषणा करते हुए आहार प्राप्त हो तो ग्रहण करे,
इस प्रकार के अभिग्रह से एषणा करते हुए आहार प्राप्त
तो ग्रहण न करे ।

पूर्णिमा के दिन वह उपवास करता है ।

इस प्रकार यह वज्र-मध्य चन्द्र प्रतिमा सूत्रानुसार
जिनाज्ञानुसार पालन की जाती है ।

दत्ति प्रमाण निरूपण—

६२६ दत्तियों की संख्या का अभिग्रह करने वाला भिक्षु
निर्ग्रन्थ गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रवेश करे उस समय

(१) आहार देने वाला गृहस्थ पात्र में जितनी बार (१) (नमाकर)
आहार दे उतनी ही “दत्तियाँ” कहनी चाहिये ।

(२) आहार देने वाला गृहस्थ यदि छवड़ी से, वस्त्र से
चलनी से बिना रुके पात्र में झुकाकर दे वह सब एक दत्ती
चाहिए ।

(३) आहार देने वाले गृहस्थ जहाँ अनेक हों और वे
अपना-अपना आहार सम्मिलित कर बिना रुके पात्र में झुका
दें वह सब “एक दत्ती” कहनी चाहिए ।

दत्तियों की संख्या का अभिग्रह करने वाला भिक्षु
निर्ग्रन्थ गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रवेश करे उस समय

(१) आहार देने वाला गृहस्थ जितनी बार झुकाकर
हाथ में आहार दे उतनी ही “दत्तियाँ” कहनी चाहिए ।

(२) आहार देने वाला गृहस्थ यदि छवड़ी से, वस्त्र से
चलनी से बिना रुके भिक्षु के हाथ में जितना आहार दे वह
“एक दत्ती” कहनी चाहिए ।

(३) आहार देने वाले गृहस्थ जहाँ अनेक हों और वे
अपना-अपना आहार सम्मिलित कर बिना रुके भिक्षु के हाथ में
झुकाकर दे वह सब “एक दत्ती” कहनी चाहिए ।

मोक-प्रतिमा-विधान—

६२७ दो प्रतिमाएँ कही गई हैं, यथा—

(१) छोटी प्रस्रवण प्रतिमा, (२) बड़ी प्रस्रवण प्रतिमा
छोटी प्रस्रवण प्रतिमा शरदकाल के प्रारम्भ में अथवा शरद
काल के अन्त में ग्राम के बाहर—यावत्—सन्निवेश के
वर्णन में या वर्णदुर्ग में, पर्वत पर या पर्वत दुर्ग में अणगार
धारण करना कल्पता है ।

भोच्चा आरुमइ, चोहसमेण पारेइ,

अभोच्चा आरुमइ, सोलसमेण पारेइ ।

जाए जाए मोए आगच्छइ, ताए ताए आईयव्वे ।

दिया आगच्छइ आईयव्वे, रत्ति आगच्छइ नो आईयव्वे ।

सपाणे मत्ते आगच्छइ नो आईयव्वे, अपाणे मत्ते आगच्छइ आईयव्वे ।

सवीए मत्ते आगच्छइ नो आईयव्वे, अवीए मत्ते आगच्छइ आईयव्वे ।

ससिणिद्धे मत्ते आगच्छइ नो आईयव्वे, अससिणिद्धे मत्ते आगच्छइ आईयव्वे ।

ससरखे मत्ते आगच्छइ आईयव्वे, अससरखे मत्ते आगच्छइ आईयव्वे ।

जावइए जावइए मोए आगच्छइ, तावइए तावइए सव्वे आईयव्वे, तं जहा—

अप्पे वा, वहुए वा ।

एव खलु एसा खुड्डिया मोयपडिमा अहासुत्तं-जाव-आण।ए अणुपालित्ता भवइ ।

महल्लिये ण मोयपडिम पडिवन्नस्स अणगारस्स कप्पइ से पढम-सरय-फाल-समयसि वा, चरम-निदाह-फाल-समयसि वा, वहिया गामस्स वा-जाव-सन्निवेशस्स वा वणसि वा, वणदुग्गसि वा, पव्वयसि वा, पव्वयदुग्गसि वा,

भोच्चा आरुमइ, सोलसमेण पारेइ,

अभोच्चा आरुमइ, अट्टारममेणं पारेइ ।

जाए जाए मोए आगच्छइ, ताए ताए आईयव्वे ।

दिया आगच्छइ आईयव्वे, रत्ति आगच्छइ नो आईयव्वे -जाव-एव खलु एसा महल्लिया मोयपडिमा अहासुत्तं-जाव-अणुपालित्ता भवइ ।

—वव. उ. ६, सु. ४१-४२

यदि भोजन करके उस दिन इस प्रतिमा को धारण करता है तो छह उपवास से इसे पूर्ण करता है ।

यदि भोजन किये बिना अर्थात् उपवास के दिन इस प्रतिमा को धारण करता है तो सात उपवास से इसे पूर्ण करता है ।

इस प्रतिमा में भिक्षु को जितनी बार मूत्र आवे उतनी बार पी लेना चाहिए ।

दिन में आवे तो पीना चाहिए किन्तु रात में आवे तो नहीं पीना चाहिए ।

कृमि युक्त आवे तो नहीं पीना चाहिए, किन्तु कृमि रहित आवे तो पीना चाहिए ।

वीर्य सहित आवे तो नहीं पीना चाहिए किन्तु वीर्य रहित आवे तो पीना चाहिए ।

चिकनाई सहित आवे तो नहीं पीना चाहिए किन्तु चिकनाई रहित आवे तो पीना चाहिए ।

रज (रक्त कण) सहित आवे तो नहीं पीना चाहिए किन्तु रज रहित आवे तो पीना चाहिए ।

जितना-जितना मूत्र आवे उतना-उतना सब पी लेना चाहिए, यथा—

अल्प हो या अधिक ।

इस प्रकार यह छोटी प्रस्रवण प्रतिमा सूत्रानुसार—यावत्—जिनाज्ञानुसार पालन की जाती है ।

बड़ी प्रस्रवण प्रतिमा शरदकाल के प्रारम्भ में या ग्रीष्मकाल के अन्त में ग्राम के बाहर—यावत्—सन्निवेश के बाहर वन में या वन दुर्ग में, पर्वत पर या पर्वत दुर्ग में अणगार को धारण करना कल्पता है ।

यदि भोजन करके उसी दिन इस प्रतिमा को धारण करता है तो सात उपवास से इसे पूर्ण करता है ।

यदि भोजन किये बिना अर्थात् उपवास के दिन इस प्रतिमा को धारण करता है तो आठ उपवास से इसे पूर्ण करता है ।

इस प्रतिमा में भिक्षु को जब-जब मूत्र आवे तब-तब पी लेना चाहिए ।

यदि दिन में आवे तो पीना चाहिए किन्तु रात में आवे तो नहीं पीना चाहिए—यावत्—इस प्रकार यह बड़ी प्रस्रवण प्रतिमा सूत्रानुसार—यावत्—जिनाज्ञानुसार पालन की जाती है ।



प्रतिमा-संग्रह—८(५)

पडिमा संग्रहो—

प्रतिमाओ का संग्रह—

६२८. वाणउई पडिमाओ पण्णत्ताओ ।¹ —सम. स. ६२, सु. १ ६२८ प्रतिमाएँ ६२ (वानवें) कही गई है ।

१ समवायाग की टीका के अनुसार ६२ पडिमाओ का विवरण,

मूल पडिमाएँ पाँच—

- (१) समाधि पडिमा, (२) उपधान पडिमा, (३) विवेक पडिमा (४) प्रतिसलीनता पडिमा,
(५) एकल विहार पडिमा ।

समाधि पडिमा दो प्रकार की है—

- (१) श्रुत समाधि पडिमा (२) चारित्र समाधि पडिमा ।

श्रुत समाधि पडिमा के ६२ भेद हैं—

आचाराग प्रथम श्रुतस्कंध मे ५ पडिमा,

द्वितीय श्रुत स्कंध मे ३७ पडिमायें,

स्थानाग मे २६ पडिमायें,

व्यवहार सूत्र मे ४ पडिमायें,

इस प्रकार ५ + ३७ + १६ + ४ ये सब मिलकर ६२ पडिमायें हुई हैं ।

उपधान पडिमा के २३ भेद हैं—

भिक्षु पडिमा के १२ भेद,

श्रमणोपासक पडिमा के ११ भेद ये २३ हुए । एक विवेक पडिमा और एक-प्रतिसलीनता पडिमा ये २५ हुए । ५ चारित्र पडिमायें । सब मिलाकर ६२ पडिमायें हैं ।

ये ६२ भेद टीकाकार ने दशा. नियुक्ति मे उद्धृत किये हैं ।

टीकाकार कृत इस विवरण मे पाँच मूल पडिमायें किस आगम मे कही गई है ऐसा स्पष्ट कथन नहीं है ।

पाँच मूल पडिमाओ मे से पाँचवी एकल विहार पडिमा को ६२ भेदो मे लेने का निषेध करके शेष चार पडिमायें ही लेने का कथन है ।

यदि ऐसा ही अभीष्ट था तो स्थानाग अ ४, उ १ मे उक्त चार पडिमाओ को मूल पडिमा क्यों नहीं कहा गया ?

समवायाग टीकाकार कृत विवरण मे केवल पडिमाओ की सख्या का निर्देश है । किन्तु किस आगम मे से कौन-सी पडिमायें यहाँ ली गई हैं—ऐसा स्पष्ट कथन नहीं है ।

विवरण मे निर्दिष्ट पडिमाओं की सख्या और आगमो मे उपलब्ध पडिमाओ की संख्या इस प्रकार है—

निर्दिष्ट सख्या

उपलब्ध सख्या

आचाराग श्रुत. १ मे—५

अभिग्रह—१८

आचाराग श्रुत २ मे—३७

एषणा पडिमायें—३७

ठाण सूत्र मे—१६

पडिमायें और अभिग्रह—१८

वव. सूत्र में—४

पडिमायें—१५

दशाश्रुत सूत्र मे—२३

पडिमायें—२३

उववाई-सूत्र—x

भिक्षाचरी अभिग्रह अन्य अनेक अभिग्रह—३०

पाँच चारित्र, विवेक पडिमा और प्रतिसलीनता पडिमा—ये अभिग्रह नहीं हैं फिर भी इन्हें पडिमाओ मे गिना है ।

दशाश्रुतस्कन्ध दशा. ७ की नियुक्ति के अनुसार ये ६२ पडिमायें अभिग्रह रूप हैं अत यहाँ अन्य प्रकार से ६२ पडिमाओ का संकलन किया गया है । वह इस प्रकार है—

(शेष टिप्पण अगले पृष्ठ पर)

विणय वैयावृत्त पडिमाओ—

२६. एषकाणउई परवैयावृत्तकम्मपडिमाओ पण्णात्ताओ ।^१

—सम. सम ६१, सु. १

(शेष टिप्पण पिछले पृष्ठ का)

आचा श्रु २ मे—३७ एपणा पडिमायें

दशा. द. ७ मे—१२ भिक्षु पडिमायें

वव. उ. ६, १० में—८ पडिमा (चार दत्ति पडिमा, दो चन्द्र पडिमा दो मोक पडिमा)

स्यानाग—अ ५ भद्रा आदि ५ पडिमायें । औपपातिक सूत्र (भिक्षाचरी तप वर्णन) मे ३० अभिग्रह पडिमा । ये सब मिलकर ६२ पडिमायें हैं । ये सब अभिग्रह रूप हैं । तथा ये सभी श्रमण की तप रूप ही पडिमायें हैं ।

१ पर-वैयावृत्य प्रतिमायें इक्यानवें कही गई है—वे इस प्रकार हैं—

(१) दर्शन ज्ञान चारित्र्यदि से गुणाधिक पुरुषो का सत्कार करना ।

(२) उनके आने पर खड़ा होना,

(३) वस्त्रादि देकर सम्मान करना,

(४) उनके बैठने के लिए आसन विछाना,

(५) आमनानुप्रदान करना—उनके आसन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना,

(६) कृतिकर्म करना—वन्दना करना,

(७) अंजली करना—हाथ जोड़ना,

(८) गुरुजनो के आने पर उनके सामने जाकर स्वागत करना,

(९) गुरुजनो के गमन करने पर उनके पीछे चलना,

(१०) उनके बैठने पर बैठना । यह दस प्रकार का शुश्रूषा—विनय है ।

तथा—(१) तीर्थंकर, (२) केवलि प्रज्ञप्त धर्म, (३) आचार्य, (४) वाचक (उपाध्याय), (५) स्थविर,

(६) कुल, (७) गण, (८) संघ, (९) साम्भोगिक, (१०) क्रिया (आचार) विशिष्ट,

(११) विशिष्ट मतिज्ञानी, (१२) श्रुतज्ञानी, (१३) अवधिज्ञानी, (१४) मन पर्यवज्ञानी और

(१५) केवलज्ञानी इन पन्द्रह विशिष्ट पुरुषो की,

(१) आशातना नही करना, (२) भक्ति करना, (३) बहुमान करना, (४) और वर्णवाद (गुण-मान करना)

ये चार कर्तव्य उक्त पन्द्रह पद वालो के करने पर (१५ × ४ = ६०) साठ भेद हो जाते हैं ।

सात प्रकार का औपचारिक विनय कहा गया है—

(१) अम्यामन—वैयावृत्य के योग्य व्यक्ति के पास बैठना,

(२) छन्दोऽनुवर्तन—उसके अभिप्राय के अनुकूल कार्य करना ।

(३) कृतप्रतिकृति—“पसध्र हुए आचार्य हमे सूत्रादि देंगे” इस भाव से उनको आहारादि देना ।

(४) कारितनिमित्तकरण—पढे हुए ग्रन्थ पदों का विशेष रूप से विनय करना और उनके अर्थ का अनुष्ठान करना ।

(५) दु ख से पीडित की गवेपणा करना ।

(६) देश-काल को जानकर तदनुकूल वैयावृत्य करना ।

(७) रोगी के स्वास्थ्य के अनुकूल अनुमति देना ।

पाँच प्रकार के आचारो के आचरण कराने वाले आचार्य पाँच प्रकार के होते हैं उनके सिवाय उपाध्याय, तपस्वी, शीक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, माधु और मनोज इनकी वैयावृत्य करने से वैयावृत्य के १४ भेद होते हैं ।

इस प्रकार शुश्रूषा विनय के १० भेद, तीर्थंकरादि के अनाशातनादि के ६० भेद, औपचारिक विनय के ७ भेद और आचार्य आदि के वैयावृत्य के १४ भेद । इन्हें मिलाते पर (१० + ६० + ७ + १४ = ९१) इक्यानवें भेद हो जाते हैं ।

१०. प्रायश्चित्त (क) (आभ्यन्तर तप) (१)

अभिन्तर-तव-परूवणं—

६३०. एतो बाहिरग तवो, समासेण वियाहिओ ।

अभिन्तर तव एतो, वुच्छामि अणुपुव्वसो ॥

—उत्त. अ ३०, गा. २६

अभिन्तर-तव-भेया—

६३१. प०—से किं तं अभिन्तरए तवे ?

उ०—अभिन्तरए तवे छन्विहे पणत्ते, तं जहा—

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| १. पायच्छित्तं, | २. विणओ, |
| ३. वेयावच्च, | ४. सज्जाओ, |
| ५. क्षाणं, | ६. विउसग्गो ^१ । |

—वि स. २५, उ. ७, सु. २१७

पायच्छित्त जोग्गा चरित्ता—

६३२. चत्तारि कुम्भा पणत्ता, तं जहा—

- | | |
|----------------|-------------|
| १. भिण्णे, | २. जज्जरिए, |
| ३. परिस्साई, | |
| ४. अपरिस्साई । | |

एवामेव चउव्विहे चरित्ते पणत्ते, तं जहा—

- | | |
|----------------|---------------------------|
| १. भिण्णे, | |
| २. जज्जरिए, | |
| ३. परिस्साई, | |
| ४. अपरिस्साई । | —ठाण. अ. ४, उ. ४, सु. ३६० |

पायच्छित्त-जोग्गा-पडिसेवणापगारा—

६३३. प०—कइविहा ण भन्ते ! पडिसेवणा पणत्ता ?

उ०—गोयमा ! दसविहा पडिसेवणा पणत्ता, तं जहा—

- दप्प
प्यमाद
ण्णामोणे,
आउरे

आवतीति य
संकिण्णे

- १ (क) ठाणं. अ ६, सु. ५११
(ग) उव. सु ३०

आभ्यन्तर तप का प्ररूपण—

६३०. यह बाह्य तप सक्षेप मे कहा गया है । अब मैं अनुक्रम से आभ्यन्तर तप को कहूंगा ।

आभ्यन्तर तप के येद—

६३१. प्र०—आभ्यन्तर तप क्या है—वह कितने प्रकार है ?

उ०—आभ्यन्तर तप छह प्रकार का कहा गया है, यथा—

- | | |
|-------------------|------------------|
| (१) प्रायश्चित्त, | (२) विनय, |
| (३) वैयावृत्य, | (४) स्वाध्याय, |
| (५) ध्यान, | (६) व्युत्सर्ग । |

प्रायश्चित्त योग्य चारित्र—

६३२. कुम्भ चार प्रकार के कहे गये हैं । जैसे—

- | | |
|---|-----------------------------|
| (१) भिन्न (फूटा) कुम्भ, | (२) जर्जरित (पुराना) कुम्भ, |
| (३) परिस्लावी (झरने वाला) कुम्भ, | |
| (४) अपरिस्लावी (नहीं झरने वाला) कुम्भ । | |

इसी प्रकार चारित्र भी चार प्रकार का कहा गया है ।

जैसे—

- | |
|---|
| (१) भिन्न-चारित्र—मूल प्रायश्चित्त के योग्य । |
| (२) जर्जरित-चारित्र—छेद प्रायश्चित्त के योग्य । |
| (३) परिस्लावी-चारित्र—सूक्ष्म अतिचार वाला । |
| (४) अपरिस्लावी-चारित्र—सर्वथा निर्दोष चारित्र । |

प्रायश्चित्त योग्य प्रतिसेवना के प्रकार—

६३३. प्र०—भन्ते ! प्रतिसेवना (दोष सेवन) कितने प्रकार की कही गई है ?

उ०—गौतम प्रतिसेवना दस प्रकार की कही गई है, यथा—

- | |
|---|
| (१) दर्प प्रतिसेवना—अहंकार से दोष सेवन, |
| (२) प्रमाद प्रतिसेवना—आलस्य से दोष सेवन, |
| (३) अनाभोग प्रतिसेवना—असावधानी से दोष सेवन, |
| (४) आतुर प्रतिसेवना—भूख, प्यास आदि से शीघ्र होने पर दोष सेवन, |
| (५) आपत् प्रतिसेवना—आपत्ति आने पर दोष सेवन, |
| (६) संकीर्ण प्रतिसेवना—क्षेत्र की संकीर्णता से दोष सेवन, |

- (ख) सम. स ६, सु. १
(घ) उत्त. अ. ३०, गा. ३०

सहस्रकारे,

भय

प्यदोसा य

वीमसा^१ ।

—वि. स. २५, उ. ७, सु. १६०

चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता त जहा—

१ सपागडपडिसेवी णामेगे, णो पच्छणपडिसेवी,

२ पच्छणपडिसेवी णामेगे, णो संपागडपडिसेवी,

३ एगे सपागडपडिसेवी वि, पच्छणपडिसेवी वि,

४ एगे णो सपागडपडिसेवी, णो पच्छणपडिसेवी ।

—ठाण अ ४, उ २, सु २७२

चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, त जहा—

१ सपागडपडिसेवी णाममेगे,

२. पच्छणपडिसेवी णाममेगे,

३. पडुप्पण्णंदी णाममेगे,

४. णिस्सरणदी णाममेगे ।

—ठाण. अ. ४, उ. २, सु २६२ (१)

पायच्छित्तं सरूवं—

६३४ आलोयणारिहाईयं, पायच्छित्तं तु दसविहं ।

जे निवखू व्हईं सम्म, पायच्छित्तं तमाहियं ॥

—उत्त अ. ३०, गा ३१

पायच्छित्तप्पगारा—

६३५ प०—से कि तं पायच्छित्ते ?

उ०—दसविहे पायच्छित्ते पणत्ते, त जहा—

१. आलोयणारिहे, २ पडिक्कमणारिहे,

३ तदुभयारिहे^३, ४. विवेगारिहे,

५ विउसग्गारिहे, ६ तवारिहे^३,

७. छेदारिहे, ८. मूलारिहे^४

६. अणवट्टप्पारिहे^५ १० पारंत्थियारिहे^६ ।

—वि स २५, उ. ७, सु. १६५

(७) सहसाकार प्रतिसेवना—अकस्मात् अनजान से अनिच्छा से दोष सेवन,

(८) भय-प्रतिसेवना—भय से दोष सेवन,

(९) प्रद्वेष प्रतिसेवना—रोष या द्वेष से दोष सेवन,

(१०) विमर्श प्रतिसेवना—शिष्यो की परीक्षा के लिए

दोष सेवन ।

पुरुष चार प्रकार के होते हैं—

यथा—(१) कुछ पुरुष प्रकट में दोष सेवन करते हैं, किन्तु छिपकर नहीं करते,

(२) कुछ पुरुष छिपकर दोष सेवन करते हैं, किन्तु प्रकट में नहीं करते,

(३) कुछ पुरुष प्रकट में भी दोष सेवन करते हैं और छिपकर भी,

(४) कुछ पुरुष न प्रकट में दोष सेवन करते हैं और न छिपकर ही ।

पुरुष चार प्रकार के होते हैं, यथा—

(१) प्रकट में दोष सेवन करने वाला,

(२) छिपकर दोष सेवन करने वाला,

(३) इष्ट वस्तु की उपलब्धि होने पर आनन्द मनाने वाला,

(४) दुमरो के चले जाने पर आनन्द मनाने वाला ।

प्रायश्चित्त का स्वरूप—

६३४. आलोचना के योग्य आदि जो दस प्रकार का प्रायश्चित्त है, जिनका भिक्षु सम्यक् प्रकार से पालन करता है, वही प्रायश्चित्त कहा जाता है ।

प्रायश्चित्त के प्रकार—

६३५ प्र०—प्रायश्चित्त क्या है, वह कितने प्रकार का है ?

उ०—प्रायश्चित्त दस प्रकार कहा गया है, यथा—

(१) आलोचना के योग्य, (२) प्रतिक्रमण के योग्य,

(३) तदुभय दोनों के योग्य, (४) विवेक के योग्य,

(५) व्युत्सर्ग के योग्य, (६) तप के योग्य,

(७) छेद के योग्य, (८) मूल के योग्य,

(९) अनवम्याप्य के योग्य, (१०) पाराचिक के योग्य ।

१ ठाणं. अ १०, सु. ७३२

२ ठाणं अ. ३, उ ४, सु १६८

४ ठाण अ. ८, सु ६०५

६ (क) वि म. २५, उ ७, सु २१८

३ ठाण अ. ६, सु. ४८६

५ ठाणं अ ६, सु. ६८८

(स) ठाण. अ १०, सु ७३३

(ग) उव सु. ३०

चउच्चिहे पायच्छित्ते पणत्ते, तं जहा—

१. णाण-पायच्छित्ते,
२. दसण पायच्छित्ते,
३. चरित्त पायच्छित्ते,^१
४. वियत्तकिच्चे पायच्छित्ते ।

चउच्चिहे पायच्छित्ते पणत्ते, तं जहा—

१. पाडसेवणा पायच्छित्ते,
२. सज्जोयणा पायच्छित्ते,
३. आरोवणा पायच्छित्ते,

४. पल्लिउचणा पायच्छित्ते ।

—ठाण. अ ४, उ १, सु २६३

पच्चविहे आयारकप्पे पणत्ते, तं जहा—

१. मासिए उग्घातिए,
२. मासिए अणुग्घातिए,
३. चाउम्मासिए उग्घातिए,
४. चाउम्मासिए अणुग्घातिए,

५. आरोवणा ।

—ठाण अ ५, उ. २, सु. ४३३

प्रायश्चित्त चार प्रकार का कहा गया है, यथा—

- (१) ज्ञान रूप प्रायश्चित्त,
- (२) दर्शन रूप प्रायश्चित्त,
- (३) चारित्र्य रूप प्रायश्चित्त,
- (४) गीतार्थ रूप प्रायश्चित्त ।

प्रायश्चित्त चार प्रकार का कहा गया है,

यथा—(१) प्रतिसेवना (दोष सेवन का) प्रायश्चित्त,

(२) सयोजना (अनेक संयुक्त दोषों का) प्रायश्चित्त,

(३) आरोपणा (वहन कराया जाने वाला अथवा, चल रहे प्रायश्चित्त के बीच में दिया जाने वाला) प्रायश्चित्त ।

(४) परिकुचना (दोष छिपाने पर दिया जाने वाला विशेष)

प्रायश्चित्त ।

आचार प्रकल्प (निर्णीत सूत्रोक्त प्रायश्चित्त) पाँच प्रकार का कहा गया है । यथा—

(१) मासिक-उद्घातिक-लघुमास रूप प्रायश्चित्त ।

(२) मासिक-अनुद्घातिक-गुरुमास रूप प्रायश्चित्त ।

(३) चातुर्मासिक-उद्घातिक-लघु चार मास रूप प्रायश्चित्त ।

(४) चातुर्मासिक-अनुद्घातिक-गुरु चार मास रूप प्रायश्चित्त ।

(५) आरोपणा वहन कराया जाने वाला आरोपणा रूप प्रायश्चित्त ।



आरोपणा-१(ख)

पंच-विहा आरोवणा—

६३६. आरोवणा पंचविहा पणत्ता, तं जहा—

१. पट्टविया,
२. ठविया,
३. कसिणा,
४. अकसिणा,

आरोपणा के पाँच प्रकार—

६३६. आरोपणा पाँच प्रकार की कही गई है, जैसे—

(१) प्रस्थापिता आरोपणा—वहन कराई जाने वाली आरोपणा ।

(२) स्थापिता आरोपणा—कुछ समय स्थापित कर रखी जाने वाली आरोपणा ।

(३) कृत्स्ना आरोपणा—निरनुग्रह परिपूर्ण (एक मास की एक मास) दी जाने वाली आरोपणा ।

(४) अकृत्स्ना आरोपणा—अनुग्रह युक्त अपूर्ण (एक मास की १५ दिन, दो मास की २० दिन आदि) दी जाने वाली आरोपणा ।

१ ठाण. अ. ३, उ. ४, सु २०३

आलोचना—१(ग)

आलोचना कारण—

६४३ तिहि ठाणेहि मायी माय कट्टु आलोएज्जा, पडिवकमेज्जा, णिदेज्जा, गरिहेज्जा, विउट्टेज्जा, विसोहेज्जा, अकरणयाए अट्टुट्टेज्जा, अहारिह पायच्छित्तं तवोकम्म पडिवज्जेज्जा, तं जहा—

१. मायिस्स ण अस्सि लोगे गरहिते भवति ।

२. उववाते गरहिते भवति,

३. आयाती गरहिता भवति,^१

तिहि ठाणेहि मायी माय कट्टु आलोएज्जा-जाव-तवोकम्म पडिवज्जेज्जा, तं जहा—

१. अमायिस्स ण अस्सि लोगे पसत्ये भवति,

२. उववाते पसत्ये भवति,

३. आयाती पसत्या भवति,

तिहि ठाणेहि मायी माय कट्टु आलोएज्जा-जाव-तवोकम्म पडिवज्जेज्जा तं जहा—

१. णाणट्ठयाए,

२. वंसणट्ठयाए,

३. चरित्तट्ठयाए । —ठाण. अ. ३, उ. ३, सु १७६

आलोचना दोसा—

६४४ दस आलोचनादोसा पण्णत्ता, तं जहा—

१. आकपइत्ता,

२. अणुमाणइत्ता,

३. ज विट्ठं,

४. वायरं च,

५. सुहुम वा,

६. छण्ण,

७. सद्दाउल्लगं,

८. वहुज्जण,

९. अट्ठत्त,

१०. तस्सेवी^२ ।

—ठाण. अ. १०, सु. ७३२

आलोचना के कारण—

६४३ तीन कारणों से मायावी माया करके आलोचना करता है, प्रतिश्रमण करता है, निन्दा करता है, गर्हा करता है, व्यावृत्ति करता है, विशुद्धि करता है, पुन वैया नहीं करेगा ऐसा कहने को उद्यत होता है, यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तप कर्म स्वीकार करता है, यथा—

(१) मायावी का यह लोक गर्हित होता है ।

(२) परलोक गर्हित होता है ।

(३) आगामी जीवन गर्हित होता है ।

तीन कारणों से मायावी माया करके आलोचना करता है — यावत्—तप कर्म स्वीकार करता है । यथा—

(१) सरल मनुष्य का वर्तमान जीवन प्रशस्त होता है ।

(२) परलोक प्रशस्त होता है ।

(३) आगामी जीवन प्रशस्त होता है ।

तीन कारणों से मायावी माया करके आलोचना करता है — यावत्—तप कर्म स्वीकार करता है । यथा—

(१) ज्ञान के लिए,

(२) दर्शन के लिए,

(३) चारित्र के लिए ।

आलोचना के दोष—

६४४ आलोचना के दश दोष कहे गये हैं । जैसे—

(१) सेवा आदि के द्वारा प्रसन्न करके आलोचना करना ।

(२) “मैं दुर्बल हूँ, मुझे अल्प प्रायश्चित्त देवें” इस भाव से अनुनय करके आलोचना करना ।

(३) दृष्ट दोष की आलोचना करना ।

(४) केवल बड़े दोषों की आलोचना करना ।

(५) केवल छोटे दोषों की आलोचना करना ।

(६) इस प्रकार से आलोचना करना कि गुरु सुनने न पावें ।

(७) जोर-जोर से बोलकर आलोचना करना ।

(८) एक के पास आलोचना कर फिर उसी दोष की दूसरे के पास आलोचना करना ।

(९) अगीतार्थ के पास आलोचना करना ।

(१०) अपने समान दोष वाले के पास आलोचना करना ।

१ ठाण अ ८, सु ५६७(ख)

२ वि. स. २५, उ ७, सु. १६१

आलोचना करण-कर्म—

६४५. भिक्षु य अन्नयर अकिच्चट्ठाणं पडिसेवित्ता इच्छेज्जा आलोएत्तए, जत्थेव अप्पणो आयरिय-उवज्जाए पासेज्जा, तस्सतिथं आलोएज्जा-जाव अहारिह तवोकम्म पायच्छित्तं पडिवज्जेज्जा ।

नो चेव अप्पणो आयरिय-उवज्जाए पासेज्जा, जत्थेव समोइय साहम्मिय पासेज्जा-बहुस्सुयं ववभागम, तस्सतिथं आलो-एज्जा-जाव-अहारिहं तवोकम्म पायच्छित्तं पडिवज्जेज्जा ।

नो चेव समोइयं साहम्मिय पासेज्जा बहुस्सुयं ववभागम जत्थेव अन्नसमोइयं साहम्मियं पासेज्जा बहुस्सुयं ववभागम, तस्सतिथं आलोएज्जा-जाव-अहारिहं तवोकम्म पायच्छित्तं पडिवज्जेज्जा ।

नो चेव ण अन्नसमोइयं साहम्मियं पासेज्जा बहुस्सुयं ववभागम, जत्थेव सारूविय पासेज्जा बहुस्सुयं ववभागम तस्सतिथं आलोएज्जा-जाव-अहारिहं तवोकम्म पायच्छित्तं पडिवज्जेज्जा ।

नो चेव ण सारूविय पासेज्जा बहुस्सुयं ववभागम, जत्थेव समणोवासगं पच्छाकडं पासेज्जा-बहुस्सुयं ववभागम, कप्पइ से तस्सतिथं आलोएत्तए वा-जाव-अहारिहं तवोकम्म पायच्छित्तं पडिवज्जेत्तए वा ।

नो चेव ण समणोवासगं पच्छाकडं पासेज्जा बहुस्सुयं ववभागम, जत्थेव सम्म भावियाइ चेइयाइ पासेज्जा, कप्पइ से तस्सतिथं आलोएज्जा वा पडिवकमेत्तए वा-जाव-अहारिहं तवोकम्म पायच्छित्तं पडिवज्जेत्तए वा ।

नो चेव सम्म भावियाइ चेइयाइ पासेज्जा-बहिया गामस्स वा-जाव-सन्निवेशस्स वा पाईणाभिमुहे वा, उदीणाभिमुहे वा, करयलपरिग्गहिय सिरसावत्तं मत्थए अज्जलि कट्ठु एव वएज्जा —

‘एवइया मे अवरहा, एवइ-क्खुत्तो अहं अवरद्धो’ अरिहं-ताणं सिद्धाणं अन्तिए आलोएज्जा-जाव-अहारिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जेज्जा ।

वव. उ १, सु ३३

आलोचना करने का क्रम—

६४५ भिक्षु किसी अकृत्यस्थान का प्रतिसेवन कर उस की आलोचना करना चाहे तो जहाँ पर अपने आचार्य या उपाध्याय को देखे वहाँ उनके समीप आलोचना करे—यावत्—यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तप कर्म स्वीकार करे ।

यदि अपने आचार्य या उपाध्याय न दिखे (न मिले) तो जहाँ पर साम्भोगिक (समान समाचारी वाले) साधमिक साधु को देखे (मिले) “जो कि बहुश्रुत एव बहु आगमज्ञ हो” उसके समीप आलोचना करे—यावत्—यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तप कर्म स्वीकार करे ।

यदि साम्भोगिक साधमी बहुश्रुत बहुआगमज्ञ साधु न दिखे (न मिले) तो जहाँ पर अन्य साम्भोगिक साधमिक साधु को देखे—“जो बहुश्रुत हो और बहुआगमज्ञ हो” वहाँ उसके समीप आलोचना करे—यावत्—यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तप कर्म स्वीकार करे ।

यदि अन्य साम्भोगिक साधमिक बहुश्रुत और बहुआगमज्ञ साधु न दिखे (न मिले) तो जहाँ पर अपने सारूप्य साधु को देखे (मिले) “जो बहुश्रुत हो और बहुआगमज्ञ हो” वहाँ उसके समीप आलोचना करे—यावत्—यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तप कर्म स्वीकार करे ।

यदि सारूप्य साधु बहुश्रुत और बहुआगमज्ञ न दिखे (न मिले) तो—जहाँ पर पश्चात्कृत (सयम त्यागी) श्रमणोपासक को देखे (मिले) जो बहुश्रुत और बहुआगमज्ञ हो वहाँ उसके समीप आलोचना करे—यावत्—यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तप कर्म स्वीकार करे ।

यदि पश्चात्कृत श्रमणोपासक बहुश्रुत और बहुआगमज्ञ न दिखे (न मिले) तो जहाँ पर सम्यक् भावित ज्ञानी पुरुष (सम-भावी-स्व-पर-विवेकी सम्यक् दृष्टि व्यक्ति) को देखे (मिले) तो वहाँ उसके समीप आलोचना करे—यावत्—यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तप कर्म स्वीकार करे ।

यदि सम्यक् भावित ज्ञानी पुरुष न दिखे (न मिले) तो प्रायः—यावत्—सन्निवेश के वाहर पूर्व ग्रा उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हो करतल जोडकर मस्तक के आवर्तन करे और मस्तक पर अजली करके इस प्रकार बोले—

“इतने मेरे दोष हैं और इतनी बार मैंने इन दोषों का सेवन किया है” इस प्रकार बोलकर अरहन्तो और सिद्धों के समीप आलोचना करे—यावत्—यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तप कर्म स्वीकार करे ।

आलोचना सवण जोगा—

६४६. वसहिं ठाणेहिं सपण्णे अणगारे अरिहति आलोयणं पडि-

च्छित्तए, तं जहा—

१ आयारवं,

२. आहारवं,

३. ववहारवं,

४. ओवीलए,

५ पकुव्वए,

६ अपरिस्ताई,

७ निज्जावए,

८ अवायवसी,

९. पियधम्मै,

१० वढधम्मै^१।

—ठाणं अ. १०, सु ७३२

बहुआगम विज्ञाणा, समाहिउप्पायगा य गुणगाही ।

एएण कारणेण, अरिहा आलोयण सोउं ॥

—उत्त. अ ३६, गा २६७

आलोचना करण जोगा—

६४७. वसहिं ठाणेहिं सपण्णे अणगारे अरिहइ अत्तदोस आलो-

इत्तए, तं जहा—

१ जाइसपण्णे,

२ कुलसपण्णे,

३ विणयसंपण्णे,

४ णाणसंपण्णे,

५ वंसणसपण्णे,

६. चरित्तसपण्णे,

७ खते,

८ वंते,

९ अमायी,

१० अपच्छागुतावी^२

—ठाण अ १०, सु ७३२

साहम्मियाणं आलोचना तह पट्टवणा विही—

६४८ दो साहम्मिया एगयओ विहरति, एगे तत्थ अन्नयर अकिच्च-

ट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, ठवणिज्ज ठवइत्ता करणिज्जं

वेयावडिअ ।

१ (क) ठाण अ. ८, सु ६०४

२ (क) ठाण अ ८, सु ६०४

आलोचना श्रवण के योग्य—

६४६ दस स्थानो से सम्पन्न अणगर आलोचना सुनने के योग्य होता है, यथा —

(१) आचारवान्—जो ज्ञान आदि पचाचार से युक्त हो ।

(२) आधारवान्—आलोचना लेने वाले के द्वारा आलोचना किये जाने वाले समस्त दोषो का जानने वाला हो ।

(३) व्यवहारवान्—आगम आदि पाँच व्यवहारो का जानने वाला हो ।

(४) अपद्वीडक—लज्जा या संकोच छुटाने में कुशल हो ।

(५) प्रकुर्वक—आलोचना कराने में समर्थ हो ।

(६) अपरिश्रावी—आलोचना करने वाले के दोष दूसरो के सामने प्रकट करने वाला न हो ।

(७) निर्यापक—प्रायश्चित्त के अनुसार तपाचरण कर सके ऐसा प्रायश्चित्त देने वाला हो ।

(८) अपायदर्शी—आलोचना न करने के दुष्फलो को बताने में समर्थ हो ।

(९) प्रियधर्मा—धर्म से प्रेम रखने वाला हो, धर्म में अत्यन्त अनुराग हो ।

(१०) वृद्धधर्मा—आपत्तिकाल में भी धर्म में दृढ़ रहने वाला हो ।

जो अनेक शास्त्रो के विज्ञाता, आलोचना करने वाले के मन में समाधि उत्पन्न करने वाले और गुणग्राही होते हैं, वे अपने इन्ही गुणो के कारण आलोचना सुनने के अधिकारी होते हैं ।

आलोचना करने के योग्य—

६४७ दस गुणो से युक्त आलोचना करने योग्य होते हैं, यथा—

(१) जाति सम्पन्न,

(२) कुल सम्पन्न,

(३) विनय सम्पन्न,

(४) ज्ञान सम्पन्न,

(५) दर्शन सम्पन्न,

(६) चारित्र सम्पन्न,

(७) क्षान्त,

(८) दान्त,

(९)-अमायी,

(१०) अपश्चात्तापी ।

साधर्मिको की आलोचना तथा प्रस्थापना विधि—

६४८ दो साधर्मिक साधु एक साथ विचरते हो और उनमें से यदि एक साधु किसी अकृत्य स्थान की प्रतिसेवना करके आलोचना करे तो उसे प्रायश्चित्त तप में स्थापित करके अन्य साधर्मिक भिक्षु को उसकी वैयावृत्य करनी चाहिए ।

(ख) वि स. २५, उ ७, सु १६३

(ख) वि स २५, उ. ७, सु. १६२

दो साहम्मिया एगयओ विहरति, दो वि ते अन्नयर अकिच्च-
द्वान पडिसेवित्ता आलोएज्जा, एगं तत्थ कप्पाणं ठवइत्ता
एगे निव्विसेज्जा, अह पच्छा से वि निव्विसेज्जा ।

वहवे साहम्मिया एगयओ विहरति, एगे तत्थ अन्नयरं
अकिच्चद्वानं पडिसेवित्ता आलोएज्जा ठवणिज्ज ठवइत्ता
करणिज्ज वेयावडिंयं ।

वहवे साहम्मिया एगयओ विहरति, सव्वे वि अन्नयरं
अकिच्चद्वानं पडिसेवित्ता आलोएज्जा, एग तत्थ कप्पाणं
ठवइत्ता अघसेसा निव्विसेज्जा, अह पच्छा से वि निव्वि-
सेज्जा । —वव उ. २, सु १-४

अणालोयणस्स अत्तज्ञाण—

६४९. मायो णं माय कट्टु,

से जहाणामए—अयागरेति वा, तवागरेति वा, तरुआगरेति
वा, सीसागरेति वा, रुप्पागरेति वा, सुवण्णागरेति वा,
तिलागणीति वा, तुसागणीति वा, भुसागणीति वा, णलाग-
णीति वा, दलागणीति वा, सोडियार्लिछाणि वा, भडिया-
लिछाणि वा, गोलियार्लिछाणि वा, कूमारावाएति वा,
कवेत्तुआवाएति वा, इट्टावाएति वा, जतवाडचुल्लीति वा,
लोहारवरिसाणि वा ।

तत्ताणि, समजोतिभूताणि, किसुकफुल्लसमाणाणि उक्का-
सहस्साइ विणिम्मुयमाणाइं-विणिम्मुयमाणाइ, जालासहस्साइ
पमुंचमाणाइ-पमुंचमाणाइं इगालसहस्साइ पविक्खरमाणाइ-
पविक्खरमाणाइ, अतो अतो क्षियायति, एवामेव मायी माय
कट्टु अतो अतो क्षियाइ ।

जवि य ण अण्णे केइ वदति तंपि य ण मायी जाणाति,
“अहमेसे अभिसकिज्जामि-अभिसकिज्जामि ।”

—ठाण. अ. ८, सु ५९७(ग)

आलोयणा करणकारणाइ—

६५०. अट्ठहिं ठाणेहिं मायी माय कट्टु आलोएज्जा-जाव-अहारिहं
पायच्छित्त तवोकम्म पडिवज्जेज्जा, त जहा—

१ मायिस्स ण अस्सि लोए गरहिते भवति,

२ उववाए गरहिते भवति,

दो साधर्मिक साधु एक साथ विचरते हो और वे दोनो ही
साधु किसी अकृत्य स्थान की प्रतिसेवना करके आलोचना करे तो
उनमे से एक को कल्पाक अग्रणी स्थापित करे और एक परिहार-
तप रूप प्रायश्चित्त को वहन करे । उसका प्रायश्चित्त पूर्ण होने
के बाद वह (अग्रणी) भी प्रायश्चित्त को वहन करे ।

बहुत से साधर्मिक साधु एक साथ विचरते हो और उनमे से
एक साधु किसी अकृत्य स्थान की प्रतिसेवना करके आलोचना
करे तो (उनमे जो प्रमुख स्थविर हो वह) उसे प्रायश्चित्त वहन
करावे और दूसरे भिक्षु को उसकी वैयावृत्य के लिए नियुक्त करे ।

बहुत से साधर्मिक साधु एक साथ विचरते हो और वे सब
किसी अकृत्य स्थान की प्रतिसेवना करके आलोचना करें तो
उनमे से किसी एक को कल्पाक स्थापित करके शेष सब प्राय-
श्चित्त वहन करें । बाद मे वह कल्पाक साधु भी प्रायश्चित्त
वहन करे ।

आलोचना न करने वाले का आर्तध्यान—

६४९ अकरणीय कार्य करने के बाद मायावी उसी प्रकार भीतर
ही भीतर जलता है,

जैसे—लोहे को गलाने की भट्टी, तावे को गलाने की भट्टी,
जस्ता को गलाने की भट्टी, शीशे को गलाने की भट्टी, चादी को
गलाने की भट्टी, सोने को गलाने की भट्टी, तिल की अग्नि, तुप
की अग्नि, भूसा की अग्नि, नल की अग्नि, पत्ते की अग्नि,
मदिरा का चूल्हा, भण्डिका का चूल्हा, गोलिका का चूल्हा, घडो
का पजावा, खप्परो का पजावा, ईंटो का पजावा. गुड बनाने
की भट्टी, लोहकार की भट्टी,

तपती हुई, अग्निमय होती हुई, किशुक के फूल के समान
लाल होती हुई सहस्रो उत्काओ और सहस्रो ज्वालाओ को छोडती
हुई, सहस्रो अग्निकणो को फेंकती हुई, भीतर ही भीतर जलती
है उसी प्रकार मायावी माया करके भीतर ही भीतर जलता है ।

यदि कोई अन्य पुरुष आपस मे बात करते हैं तो मायावी
समझता है कि “ये मेरे विषय मे ही शका कर रहे हैं ।”

आलोचना करने के कारण—

६५० आठ कारणो से मायावी माया करके उसकी आलोचना
करता है—यावत्—यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तप कर्म स्वीकार
करता है । जैसे—

(१) मायावी का यह लोक गहित होता है ।

(२) परलोक गहित होता है ।

३ आयाती गरहिता भवति ।^१

४ एगमवि मायी माय कट्टु णो आलोएज्जा-जाव-अहारिह पायच्छित्त तवोकम्म णो पडिवज्जेज्जा णत्थि तस्स आराहणा ।

५. एगमवि मायी माय कट्टु आलोएज्जा-जाव-तवोकम्म पडिवज्जेज्जा, अत्थि तस्स आराहणा ।

६ बहुओवि मायी माय कट्टु णो आलोएज्जा-जाव-तवोकम्म णो पडिवज्जेज्जा, णत्थि तस्स आराहणा ।

७ बहुओवि मायी माय कट्टु आलोएज्जा-जाव-तवोकम्म पडिवज्जेज्जा, अत्थि तस्स आराहणा ।

८ आयरिय उवज्जायस्स वा मे अतिसेसे णाणवसणे समुप्प-ज्जेज्जा से य मममालोएज्जा मायी णं एसे ।

—ठाण. अ. ८, सु. ५६७(ख)

आलोचना अकरण कारणाई—

६५१ तिहि ठाणेहि मायी माय कट्टु णो आलोएज्जा, णो पडिवज्जेज्जा, णो णिदेज्जा, णो गरहेज्जा, णो विउट्टेज्जा, णो विसोहेज्जा, णो अकरणयाए अब्भुट्टेज्जा, णो अहारिह पायच्छित्त तवोकम्मं पडिवज्जेज्जा, त जहा—

१ अकरिसु चाह,

२ करेमि चाहं,

३ करिस्सामि चाहं,

तिहि ठाणेहि मायी माय कट्टु णो आलोएज्जा-जाव-तवो-कम्मं णो पडिवज्जेज्जा, त जहा—

१ अकित्ति वा मे सिया,

२ अवणणे वा मे सिया,

३. अविणए वा मे सिया ।

तिहि ठाणेहि मायी माय कट्टु णो आलोएज्जा-जाव-तवो-कम्म णो पडिवज्जेज्जा, तं जहा—

१. कित्ति वा मे परिहाइस्सइ,

२. जसे वा मे परिहाइस्सइ,^२

३. पूयासक्कारे वा मे परिहाइस्सइ ।

—ठाण अ ३, उ. ३, सु. १७६

(३) भविष्य गर्हित होता है ।

(४) जो मायावी एक भी मायाचार करके आलोचना नहीं करता है—यावत्—तप कर्म स्वीकार नहीं करता है, उसके आराधना नहीं होती है ।

(५) जो मायावी एक बार भी मायाचार करके उसकी आलोचना करता है—यावत्—यथायोग्य प्रायश्चित्त और तप कर्म स्वीकार करता है, उसके आराधना होती है ।

(६) जो मायावी अनेक बार मायाचार करके उसकी आलोचना नहीं करता है—यावत्—तप कर्म स्वीकार नहीं करता है, उसके आराधना नहीं होती है ।

(७) जो मायावी अनेक बार मायाचार करके उसकी आलोचना करता है—यावत्—तप कर्म स्वीकार करता है, उसके आराधना होती है ।

(८) मेरे आचार्य या उपाध्याय को अतिशय ज्ञान और दर्शन उत्पन्न हो जाय तो वे जान लेंगे कि यह मायावी है ।

आलोचना न करने के कारण—

६५१. तीन कारणों से मायावी माया करके न उसकी आलोचना करता है, न प्रतिक्रमण करता है, न निन्दा करता है, न गर्हा करता है, न व्यावृत्ति करता है, न विशुद्धि करता है, न पुन वैसा नहीं करूँगा ऐसा कहने को उद्यत होता है, न यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तपःकर्म को स्वीकार करता है । यथा—

(१) मैंने अकरणीय कार्य किया है ।

(२) मैं अकरणीय कार्य कर रहा हूँ ।

(३) मैं अकरणीय कार्य करूँगा ।

तीन कारणों से मायावी माया करके न उसकी आलोचना करता है—यावत्—न तप कर्म को स्वीकार करता है । यथा—

(१) मेरी अकीर्ति होगी,

(२) मेरा अवर्णवाद होगा ।

(३) मेरा अविनय होगा ।

तीन कारणों से मायावी माया करके न उसकी आलोचना करता है—यावत्—न तप कर्म को स्वीकार करता है, यथा—

(१) मेरी कीर्ति कम हो जाएगी ।

(२) मेरा यश कम हो जायगा ।

(३) मेरा पूजा-सत्कार कम हो जायगा ।

१ ठाण अ. ३, उ. ३, सु १७६

२ ठाणं अ. ८, सु ५६७(क)

मालोयणा अकरण फलं—

६५२. मायी णं मायं कट्टु अगालोइय-अपडिक्कते कालमासे काल किञ्चा अण्णतरेसु देवलोगेसु देवत्ताए उववत्तारो भवति, त जहा—णो महिड्ढिएसु-जाव-णो चिरट्ठितिएसु से ण तत्थ देवे भवइ, णो महिड्ढिए-जाव-णो चिरट्ठिए ।

जावि य से तत्थ बाहिरम्भतरिया परिसा भवति, सावि य णं णो आढाति, णो परिज्जाणाति, णो महिरिहेण आसणेण उवणिमतेति, भास पि य से भासमाणस्स-जाव-वत्तारि पंच देवा अणुत्ता चेव अब्भुट्ठेति “मा बहु देवे ! भासउ-भासउ ।”

से ण ततो देवलोगाओ आउक्खएणं, भवक्खएणं, ठित्ठिक्खएण, अणतरं घय चइत्ता इहेव माणुस्सए भवे जाइ इमाइ कुलाइ भवन्ति, तं जहा—अतकुलाणि वा, पतकुलाणि वा, तुच्छ-कुलाणि वा, दरिद्रकुलाणि वा, भिक्खागकुलाणि वा, किवण-कुलाणि वा, तहप्पगारेसु कुलेसु पुमत्ताए पच्चायाति ।

से णं तत्थ पुमे भवति डुरुवे डुवण्णे डुग्गधे डुरसे डुफासे अणिट्ठे अकते अणिए अमणुण्णे, हीणस्सरे, दीणस्सरे, अणिट्ठस्सरे, अकतस्सरे, अणियस्सरे, अमणुण्णस्सरे, अम-णामस्सरे अणाएज्जवयणे पच्चायाते ।

जावि य से तत्थ बाहिरम्भतरिया परिसा भवति, सावि य णं णो आढाति-जाव-वत्तारि पंच जणा अणुत्ता चेव अब्भु-ट्ठेति “मा बहु अज्जउत्तो । भासउ-भासउ ।”

—ठाण. अ ८, सु. ५६७(घ)

आलोयणा करण फलं—

६५३. मायी णं मायं कट्टु आलोइय पडिक्कते-जाव- चिरट्ठितिएसु । से ण तत्थ देवे भवति, महिड्ढिए-जाव-चिरट्ठितिए ।

हार-विगइय वच्छे कडक-सुडित थमित्त-भूए अगद-कुडल-मट्ट-गडतल-कण्णपीढधारी विचित्तहत्थाभरणे, विचित्तवत्था-भरणे, विचित्तमालामउली कल्लाणग-पवर-वत्थ-परिहिते, कल्लाणग-पवर-गध मल्लाणुलेवणंघरे-भासुरबोदी पलव-वण-मालघरे, दिव्वेण

आलोचना न करने का फल—

६५२ कोई मायावी माया करके उसकी आलोचना या प्रतिक्रमण किये बिना ही काल-मास मे काल करके किसी देवलोक मे देव रूप से उत्पन्न होता है, किन्तु वह महाऋद्धि वाले—यावत्—दीर्घस्थिति वाले देव लोक मे उत्पन्न नहीं होता । वह देव होता है, किन्तु महाऋद्धि वाला—यावत्—दीर्घ स्थिति वाला देव नहीं होता ।

वहाँ देवलोक मे उसकी जो बाह्य और आभ्यन्तर परिपद होती है, वह भी न उसको आदर देती है, न उसे स्वामी के रूप मे मानती है और न महान् व्यक्ति के योग्य आसन पर बैठने के लिए निमन्त्रित करती है । जब वह भाषण देना प्रारम्भ करता है, तब चार पाँच देव बिना कहे ही खडे हो जाते हैं और कहते हैं—“देव ! बहुत मत बोलो, बहुत मत बोलो !”

पुन वह देव आयुक्षय, भवक्षय और स्थितिक्षय के अनन्तर देवलोक से च्युत होकर यही मनुष्य भव मे जो ये अन्तकुल है, प्रान्तकुल हैं, तुच्छकुल हैं, दरिद्रकुल हैं, भिक्षुकुल है, कृपणकुल हैं, या इसी प्रकार के अन्य हीन कुल हैं, उनमे मनुष्य के रूप मे उत्पन्न होता है ।

वहाँ वह कुरूप, कवर्ण, दुर्गन्ध देह वाला, अनिष्ट रस और कठोर स्पर्श वाला पुरुष होता है । वह अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, अमनोज्ञ और अमनोहर होता है । वह हीनस्वर, दीनस्वर, अनिष्टस्वर, अकान्तस्वर, अप्रियस्वर, अमनोज्ञ स्वर, अरुचिकर स्वर और अनादेय वचन वाला होता है ।

वहाँ उसकी जो बाह्य आभ्यन्तर परिपद होती है वह भी उसका न आदर करती है—यावत्—चार-पाँच मनुष्य बिना कहे ही खडे हो जाते हैं और कहते हैं—“आर्यपुत्र ! बहुत मत बोलो, बहुत मत बोलो ।”

आलोचना करने का फल—

६५३. कोई मायावी माया करके उसकी आलोचना प्रतिक्रमण कर—यावत्—दीर्घ स्थिति वाले देव लोक मे उत्पन्न होता है । वहाँ वह महाऋद्धि वाला—यावत्—दीर्घ स्थिति वाला देव होता है ।

उसका वक्ष स्थल हार मे सुशोभित होता है, वह भुजाओ मे कडे ऋटित और बाजूबन्द पहने रहता है । उसके कानो मे चंचल तथा कपोल तक कानो का स्पर्श करने वाले कुण्डल होते हैं । वह विचित्र हस्ताभरणो, विचित्र वस्त्राभरणो, विचित्र मालाओ और सेहरो वाले मांगलिक एव उत्तम वस्त्रो को पहने हुए होता है, वह मांगलिक श्रेष्ठ सुगन्धित पुष्प और विलेपन को धारण किये हुए होता है । उसका शरीर तेजस्वी होता है, वह लम्बी लटकती हुई मालाओ को धारण किये रहता है । वह दिव्य वर्ण, दिव्य गन्ध, दिव्य

जे भिक्खु बहुसो वि पचमासिय परिहारट्टाण पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अपलिउच्चिय आलोएमाणस्स पचमासियं, पलिउच्चिय आलोएमाणस्स छम्मासिय ।

तेण पर पलिउच्चिय वा अपलिउच्चिए वा ते चेव छम्मासा ।

जे भिक्खु मासिय वा-जाव-पंचमासिय वा एएसि परिहारट्टाणं अण्णयर परिहारट्टाण पडिसेवित्ता आलोएज्जा

अपलिउच्चिय आलोएमाणस्स मासिय वा-जाव-पचमासिय वा, पलिउच्चिय आलोएमाणस्स दो मासिय वा-जाव-छम्मासिय वा ।

तेण पर पलिउच्चिय वा अपलिउच्चिए वा ते चेव छम्मासा ।

जे भिक्खु बहुसो वि मासियं वा-जाव-बहुसो वि पंचमासियं वा, एएसि परिहारट्टाणाणं अण्णयर परिहारट्टाण पडिसेवित्ता आलोएज्जा—

अपलिउच्चिय आलोएमाणस्स मासियं वा-जाव-पचमासिय वा, पलिउच्चिय आलोएमाणस्स दो मासिय वा-जाव-छम्मासिय वा ।

तेण पर पलिउच्चिए वा अपलिउच्चिए वा ते चेव छम्मासा ।

जे भिक्खु चाउम्मासिय वा, साइरेग-चाउम्मासियं वा, पचमासिय वा साइरेग-पंचमासिय वा, एएसि परिहारट्टाणाणं अण्णयर परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा—

अपलिउच्चिय आलोएमाणस्स चाउम्मासियं वा, साइरेग-चाउम्मासिय वा, पंचमासियं वा साइरेग पचमासिय वा,

पलिउच्चिय आलोएमाणस्स पचमासियं वा, साइरेग पंचमासिय वा, छम्मासिय वा,

तेण परं पलिउच्चिए वा अपलिउच्चिए वा ते चेव छम्मासा ।

जे भिक्खु बहुसो वि चाउम्मासियं वा, बहुसो वि साइरेग-चाउम्मासिय वा, बहुसो वि पचमासिय वा, बहुसो वि साइरेग-पचमासियं वा, एएसि परिहारट्टाणाण अण्णयरं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा—

जो भिक्षु अनेक बार पचमासिक परिहारस्थान की प्रतिसेवना करके आलोचना करे तो उसे माया रहित आलोचना करने पर पंचमासिक प्रायश्चित्त आता है और माया-सहित आलोचना करने पर षाण्मासिक प्रायश्चित्त आता है ।

इसके उपरान्त माया-सहित या माया-रहित आलोचना करने पर भी वही षाण्मासिक प्रायश्चित्त आता है ।

जो भिक्षु मासिक—यावत्—पचमासिक—इन परिहारस्थानो मे से किसी परिहारस्थान की एक बार प्रतिसेवना करके आलोचना करे तो उसे—

माया-रहित आलोचना करने पर आसेवित परिहारस्थान के अनुसार मासिक—यावत्—पंचमासिक प्रायश्चित्त आता है और माया-सहित आलोचना करने पर आसेवित परिहारस्थान के अनुसार द्वै मासिक—यावत्—षाण्मासिक प्रायश्चित्त आता है ।

इसके उपरान्त माया-सहित या माया-रहित आलोचना करने पर वही षाण्मासिक प्रायश्चित्त आता है ।

जो भिक्षु मासिक—यावत्—पंचमासिक इन परिहारस्थानो मे से किसी एक परिहारस्थान की अनेक बार प्रतिसेवना करके आलोचना करे तो उसे

माया-रहित आलोचना करने पर आसेवित परिहारस्थान के अनुसार मासिक—यावत्—पचमासिक प्रायश्चित्त आता है और माया-सहित आलोचना करने पर आसेवित परिहारस्थान के अनुसार द्वै मासिक—यावत्—षाण्मासिक प्रायश्चित्त आता है ।

इसके उपरान्त माया-सहित या माया-रहित आलोचना करने पर वही षाण्मासिक प्रायश्चित्त आता है ।

जो भिक्षु चातुर्मासिक या कुछ अधिक चातुर्मासिक, पंचमासिक या कुछ अधिक पंचमासिक—इन परिहारस्थानो मे से किसी एक परिहारस्थान की एक बार प्रतिसेवना करके आलोचना करे तो उसे—

माया-रहित आलोचना करने पर आसेवित परिहारस्थान के अनुसार चातुर्मासिक या कुछ अधिक चातुर्मासिक, पचमासिक या कुछ अधिक पंचमासिक प्रायश्चित्त आता है और

माया-सहित आलोचना करने पर आसेवित परिहारस्थान के अनुसार पंचमासिक या कुछ अधिक पचमासिक या षाण्मासिक प्रायश्चित्त आता है ।

इसके उपरान्त माया-सहित या माया-रहित आलोचना करने पर वही षाण्मासिक प्रायश्चित्त आता है ।

जो भिक्षु अनेक बार चातुर्मासिक या अनेक बार कुछ अधिक चातुर्मासिक, अनेक बार पचमासिक या अनेक बार कुछ अधिक पंचमासिक परिहारस्थानो मे से किसी एक परिहारस्थान की प्रतिसेवना करके आलोचना करे तो उसे

अपलिउंचिय आलोएमाणस्स चाउम्मासियं वा, साइरेग-
चाउम्मासिय वा, पचमासियं वा, साइरेग-पचमासिय वा,

पलिउंचिय आलोएमाणस्स पचमासिय वा, साइरेग-पच-
मासिय वा, छम्मासिय वा ।

तेण पर पलिउंचिए वा, अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा ।^१

—वव उ १, सु. १-१४

पट्टवणाए पडिसेवणाकरणे आरोपणा—

६५६ जे भिक्षू चाउम्मासियं वा, साइरेग-चाउम्मासिय वा,
पंचमासिय वा, साइरेग-पंचमासियं वा, एएसिं परिहारट्टा-
णाणं अण्णयरं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा—

अपलिउंचिय आलोएमाणे ठवणिज्ज ठवइत्ता करणिज्जं
वेयावडिय ।

ठविए वि पडिसेवित्ता, से वि कसिणे तत्थेव आरूहेयव्वे
सिया ।

१. पुंवि पडिसेवियं पुंवि आलोइय,
२. पुंवि पडिसेवियं पच्छा आलोइय,
३. पच्छा पडिसेवियं पुंवि आलोइय,
४. पच्छा पडिसेवियं पच्छा आलोइयं,
१. अपलिउंचिए अपलिउंचियं,

२. अपलिउंचिए पलिउंचियं,

३. पलिउंचिए अपलिउंचियं,

४. पलिउंचिए पलिउंचियं,

आलोएमाणस्स सच्चमेयं सकय साहणिय आरूहेयव्वे,

जे एयाए पट्टवणाए पट्टविए निव्विसमाणे पडिसेवेइ, ते वि
कसिणे तत्थेव आरूहेयव्वे सिया ।

माया-रहित आलोचना करने पर आसेवित परिहारस्थान के
अनुसार चातुर्मासिक या कुछ अधिक चातुर्मासिक, पचमासिक
या कुछ अधिक पंचमासिक प्रायश्चित्त आता है और

माया-सहित आलोचना करने पर पंचमासिक या कुछ अधिक
पंचमासिक या छमासिक प्रायश्चित्त आता है ।

इसके उपरान्त माया-सहित या माया-रहित आलोचना
करने पर वही छह मासिक प्रायश्चित्त आता है ।

प्रस्थापना मे प्रतिसेवना करने पर आरोपणा—

६५६ जो भिक्षु चातुर्मासिक या कुछ अधिक चातुर्मासिक, पच-
मासिक या कुछ अधिक पचमासिक—इन परिहारस्थानो मे से
किसी एक परिहारस्थान की एक बार प्रतिसेवना करके आलो-
चना करे तो उसे—

माया-रहित आलोचना करने पर आसेवित प्रतिसेवना के
अनुसार प्रायश्चित्त रूप परिहार तप मे स्थापित करके उसकी
योग्य वैयावृत्य करनी चाहिये ।

यदि वह परिहार तप रूप मे स्थापित होने पर भी किसी
प्रकार की प्रतिसेवना करे तो उसका सम्पूर्ण प्रायश्चित्त भी पूर्व
प्रदत्त प्रायश्चित्त मे सम्मिलित कर देना चाहिये ।

- (१) पूर्व मे प्रतिसेवित दोष की पहले आलोचना की हो,
- (२) पूर्व मे प्रतिसेवित दोष की पीछे आलोचना की हो,
- (३) पीछे से प्रतिसेवित दोष की पहले आलोचना की हो,
- (४) पीछे से प्रतिसेवित दोष की पीछे से आलोचना की हो ।

(१) माया-रहित आलोचना करने का सकल्प करके माया-
रहित आलोचना की हो,

(२) माया-रहित आलोचना करने का सकल्प करके माया-
सहित आलोचना की हो,

(३) माया-सहित आलोचना करने का सकल्प करके माया-
रहित आलोचना की हो,

(४) माया-सहित आलोचना करने का सकल्प करके माया-
सहित आलोचना की हो ।

इनमे से किसी भी प्रकार के भग से आलोचना करने पर
उसके सर्व स्वकृत अपराध के प्रायश्चित्त को संयुक्त करके पूर्व-
प्रदत्त प्रायश्चित्त मे सम्मिलित कर देना चाहिए ।

जो इस प्रायश्चित्त रूप परिहार तप मे स्थापित होकर वहन
करते हुए भी पुन किसी प्रकार की प्रतिसेवना करे तो उसका
सम्पूर्ण प्रायश्चित्त भी पूर्वप्रदत्त प्रायश्चित्त मे आरोपित कर देना
चाहिए ।

आलोएमाणस्स सव्वमेयं सकय साहणियं आरुहेयव्वे,

जे एयाए पट्टवणाए पट्टविए निव्विसमाणे पडिसेवेइ, से वि
कसिणे तत्तेष आरुहेयव्वे सिया^१ ।

—वव. उ. १, सु. १५-१८

इनमें से किसी भी प्रकार के भग से आलोचना करने पर
उसके सर्व स्वकृत अपराध प्रायश्चित्त को समुक्त करके पूर्व प्रदत्त
प्रायश्चित्त में सम्मिलित कर देना चाहिए ।

जो इस प्रायश्चित्त रूप परिहार तप में स्थापित होकर बहन
करते हुए भी पुनः किसी प्रकार की प्रतिसेवना करे तो उसका
सम्पूर्ण प्रायश्चित्त भी पूर्व प्रदत्त प्रायश्चित्त में आरोपित कर
देना चाहिए ।



आलोचना और प्रायश्चित्त—१(घ)

अक्खेव-कराण पायच्छित्तं—

६५७ कप्पस्स छ पत्थारा पण्णत्ता, त जहा—

- १ पाणाइवायस्स वाय वयमाणे,
- २ मुसावायस्स वाय वयमाणे,
३. अविन्नादानस्स वायं वयमाणे,
- ४ अविरइयावाय वयमाणे,
५. अपुरिसवाय वयमाणे,
- ६ दासवायं वयमाणे ।

इच्छेए छ कप्पस्स पत्थारे पत्थरेत्ता सम्म अप्पडिपूरेमाणे
तट्ठाण पत्ते सिया ।^२

—कप्प उ. ६, सु २

अणुग्घाइय पायच्छित्तरिहा—

६५८ पच्च अणुग्घाइया पण्णत्ता, तं जहा—

- १ हत्थ कम्म करेमाणे,
२. मेह्वण पडिसेवेमाणे,
- ३ राई भोयणं भुजमाणे^३,
४. सागारियपिड भुजेमाणे,
- ५ रायपिड भुजेमाणे । —ठाण अ ५, उ. २, सु ४१४

अणदठप्प पायच्छित्तरिहा—

६५९. तओ अणवट्टप्पा पण्णत्ता, त जहा—

- १ नि उ २०, सु १७-२०
- २ ठाणं अ. ६, सु. ५२८
- ३ (क) ठाणं. अ ३, उ. ४, सु २०३

आक्षेप लगाने वालों को प्रायश्चित्त—

६५७ कल्प साध्वाचार के छह विशेष प्रकार के प्रायश्चित्त स्थान
कहे गये हैं । यथा—

- (१) प्राणातिपात का आरोप लगाये जाने पर ।
- (२) मृषावाद का आरोप लगाये जाने पर,
- (३) अदत्तादान का आरोप लगाये जाने पर,
- (४) ब्रह्मचर्य भंग करने का आरोप लगाये जाने पर
- (५) नपुंसक होने का आरोप लगाये जाने पर,
- (६) दास होने का आरोप लगाये जाने पर,

सयम के इन विशेष प्रायश्चित्त स्थानों का आरोप लगाकर
उसे सम्यक् प्रमाणित नहीं करने वाला साधु उसी प्रायश्चित्त
स्थान का भागी होता है ।

अनुद्घातिक प्रायश्चित्त के योग्य—

६५८ पाँच अनुद्घातिक (गुरु) प्रायश्चित्त के योग्य कहे हैं,
यथा—

- (१) हस्तकर्म करने वाला,
- (२) मैथुन-सेवन करने वाला,
- (३) रात्रि भोजन करने वाला,
- (४) शय्यातर पिण्ड को खाने वाला,
- (५) राजपिण्ड को खाने वाला ।

अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त के योग्य—

६५९. तीन अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त के योग्य कहे गये हैं, यथा—

- (ख) कप्प, उ. ४, सु १

१. साहम्मियाण तेणं करेमाणे,
२. अण्णधम्मियाण तेणं करेमाणे,
३. हत्थाताल दलयमाणे ।^१ — ठाण अ ३, उ. ४, सु २०३

अणवठप्प-गिलाणस्स-लहुपायच्छित्त-दाण-विहाण—

६६० अणवठप्पं भिक्षु गिलायमाण नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइ-यस्स निज्जुह्तिए । अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडिय, -जाव-तओ रोगायकाआ विप्पमुक्को, तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नाम ववहारे पट्टवियव्वे सिया ।

— वव उ २, सु ७

छेओवट्टावणा पायच्छित्तारिहा—

६६१ भिक्षू य गणाओ अवक्कम्म ओहावेज्जा, से य इच्छेज्जा दोच्चं पि तमेव गण उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए. नत्थि ण तस्स तप्पत्तिय केइ छेए वा परिहारे वा, नत्थ एगए छेओवट्टावणियाए ।

— वव उ. १, सु. ३२

पारंचिय पायच्छित्तारिहा—

६६२ पंचहिं ठाणेहिं समणे णिग्गंथे साहम्मियं पारंचित्त करेमाणे णातिक्कमत्ति, तं जहा—

१. कुले वसति कुलस्स भेदाए अब्भुट्ठेत्ता भवति ।
 २. गणे वसति गणस्स भेदाए अब्भुट्ठेत्ता भवति ।
 ३. हिंसप्येहि,
 ४. छिट्ठप्येही,
 ५. अभिक्खण अभिक्खण पत्तिणायतणाहं पउ जित्ता भवति ।
— ठाण. अ ५, उ १, सु. ३६८
- तओ पारंचिया पणत्ता, त जहा—
१. बुट्ठे पारंचिए,
 २. पमत्ते पारंचिए,
 ३. अन्नमन्न करेमाणे पारंचिए ।^२

— ठाण. अ. ३, उ ४, सु २०३

१ (क) कप्प उ ४, सु ३

२ कप्प. उ ४, सु २

- (१) साधमिको की चोरी करने वाला,
- (२) अन्यधमिको की चोरी करने वाला,
- (३) हस्तताल देने वाला अर्थात् मारक प्रहार करने वाला ।

अनवस्थाप्य ग्लान भिक्षु को लघु प्रायश्चित्त देने का विधान—

६६० अनवस्थाप्य भिक्षु (नवमा प्रायश्चित्त को वहन करने वाला साधु) यदि रोगादि से पीड़ित हो जाये (उस प्रायश्चित्त को वहन न कर सके) तो उसे गण से बाहर करना नहीं कल्पता है किन्तु जब तक वह रोग-आतक से मुक्त न हो तब तक उसकी अग्लान भाव से वैयावृत्य करानी चाहिए । बाद में (गणावच्छेदक) उस अनवस्थाप्य साधु को अत्यल्प प्रायश्चित्त दें ।

छेदोपस्थापनीय प्रायश्चित्त के योग्य—

६६१. यदि कोई भिक्षु गण से निकलकर समय का त्याग कर दे और बाद में वह उसी गण को स्वीकार कर रहना चाहे तो उसके लिए केवल 'छेदोपस्थापना' प्रायश्चित्त है इसके अतिरिक्त उसे दीक्षा-छेद या परिहार तप आदि कोई प्रायश्चित्त नहीं है ।

पाराञ्चिक प्रायश्चित्त के योग्य —

६६२. पाँच कारणों से श्रमण-निर्ग्रन्थ अपने साधमिक को पाराञ्चित्त (दसवा) प्रायश्चित्त देता हुआ भगवान् की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता है । जैसे—

- (१) जो साधु जिस कुल में रहता है, उसी में भेद डालने का प्रयत्न करता है ।
- (२) जो साधु जिस गण में रहता है, उसी में भेद डालने का प्रयत्न करता है ।
- (३) जो साधु कुल या गण के सदस्यों का घात करना चाहता है ।
- (४) जो कुल या गण के सदस्यों का एव अन्य जनो का छिद्रान्वेषण करता है ।
- (५) जो बार-बार अगुष्ठ आदि प्रश्न विद्याओ का प्रयोग करता है ।

पाराञ्चिक प्रायश्चित्त के पात्र ये तीन कहे गये हैं, यथा—

- (१) दुष्ट पाराञ्चिक,
- (२) प्रमत्त पाराञ्चिक,
- (३) परस्पर मैथुनसेवी पाराञ्चिक ।

(ख) ठाण. अ. ३, उ. ४, सु. २०३

पारंचिय गिलाणस्स लहुपायच्छित्त-दाण-विहाण —

६६३ पारंचिय भिक्षुं गिलायमाण नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइ-
यस्स निज्जूहित्तए । अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं,
-जाव-तओ रोगायकाओ विप्पमुक्को, तओ पच्छा तस्स अहा-
लहुसए नाम ववहारे पट्ठवियव्वे सिया ।

—वव उ २, सु ८

लहुपायच्छित्त जोग्गा —

६६४ खित्तचित्तं भिक्षुं गिलायमाण नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइ-
यस्स निज्जूहित्तए अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं,
-जाव-तओ रोगायकाओ विप्पमुक्को तओ पच्छा तस्स अहा-
लहुसए नाम ववहारे पट्ठवियव्वे सिया ।

दित्तचित्तं भिक्षुं गिलायमाण नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइ-
यस्स निज्जूहित्तए अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं,
-जाव-तओ रोगायकाओ विप्पमुक्को तओ पच्छा तस्स अहा-
लहुसए नाम ववहारे पट्ठवियव्वे सिया ।

जक्खाइट्ठं भिक्षुं गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइ-
यस्स निज्जूहित्तए । अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं,
-जाव-तओ रोगायकाओ विप्पमुक्को तओ पच्छा तस्स अहा-
लहुसए नाम ववहारे पट्ठवियव्वे सिया ।

उम्माय-पत्त भिक्षुं गिलायमाण नो कप्पइ तस्स गणावच्छे-
इयस्स निज्जूहित्तए । अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं,
-जाव-तओ रोगायकाओ विप्पमुक्को तओ पच्छा तस्स अहा-
लहुसए नाम ववहारे पट्ठवियव्वे सिया ।

उवसग्ग-पत्त भिक्षुं गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छे-
इयस्स निज्जूहित्तए । अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं,
-जाव-तओ रोगायकाओ विप्पमुक्को तओ पच्छा तस्स अहा-
लहुसए नाम ववहारे पट्ठवियव्वे सिया ।

साहिगरण भिक्षुं गिलायमाण नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइ-
यस्स निज्जूहित्तए अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडियं,
-जाव-तओ रोगायकाओ विप्पमुक्को तओ पच्छा तस्स अहा-
लहुसए नाम ववहारे पट्ठवियव्वे सिया ।

पारंचित ग्लान भिक्षु को लघु प्रायश्चित्त देने का विधान —

६६३ पारंचित भिक्षु (दशवें प्रायश्चित्त तप को वहन करने
वाला साधु) यदि रोगादि से पीडित हो जाय (उस प्रायश्चित्त
को वहन न कर सके) तो गणावच्छेदक को उसे गण से बाहर
करना नहीं कल्पता है । किन्तु जब तक वह रोग आतक से मुक्त
न हो जाय तब तक उसकी अग्लान भाव से वैयावृत्य करानी
चाहिए । बाद में (गणावच्छेदक) उस पारंचित भिक्षु को अत्यल्प
प्रायश्चित्त दें ।

लघु प्रायश्चित्त के योग्य—

६६४. विक्षिप्त चित्त ग्लान भिक्षु को गण से बाहर निकालना
उसके गणावच्छेदक को नहीं कल्पता है । जब तक वह उस रोग
आतक से मुक्त न हो तब तक उसकी अग्लान भाव से सेवा करानी
चाहिए । उसके बाद उसे (गणावच्छेदक) अत्यल्प प्रायश्चित्त में
प्रस्थापित करे ।

दिप्त चित्त ग्लान भिक्षु को गण से बाहर निकालना उसके
गणावच्छेदक को नहीं कल्पता है । जब तक वह उस रोग आतक
से मुक्त न हो तब तक उसकी अग्लान भाव से सेवा करानी
चाहिए । उसके बाद उसे (गणावच्छेदक) अत्यल्प प्रायश्चित्त में
प्रस्थापित करे ।

यक्षाविष्ट ग्लान भिक्षु को गण से बाहर निकालना उसके
गणावच्छेदक को नहीं कल्पता है । जब तक वह उस रोग आतक
से मुक्त न हो तब तक उसकी अग्लान भाव से सेवा करानी
चाहिए । उसके बाद उसे (गणावच्छेदक) अत्यल्प प्रायश्चित्त में
प्रस्थापित करे ।

उन्माद प्राप्त ग्लान भिक्षु को गण से बाहर निकालना उसके
गणावच्छेदक को नहीं कल्पता है । जब तक वह उस रोग आतक
से मुक्त न हो तब तक उसकी अग्लान भाव से सेवा करानी
चाहिए । उसके बाद उसे (गणावच्छेदक) अत्यल्प प्रायश्चित्त में
प्रस्थापित करे ।

रपमर्ग प्राप्त ग्लान भिक्षु को गण से बाहर निकालना
उसके गणावच्छेदक को नहीं कल्पता है । जब तक वह उस रोग
आतक से मुक्त न हो तब तक उसकी अग्लान भाव से सेवा
करानी चाहिए । उसके बाद उसे (गणावच्छेदक) अत्यल्प प्राय-
श्चित्त में प्रस्थापित करे ।

कलह युक्त ग्लान भिक्षु को गण से बाहर निकालना उसके
गणावच्छेदक को नहीं कल्पता है । जब तक वह उस रोग आतक
से मुक्त न हो तब तक उसकी अग्लान भाव से सेवा करानी
चाहिए । उसके बाद उसे (गणावच्छेदक) अत्यल्प प्रायश्चित्त में
प्रस्थापित करे ।

सपायच्छित्त भिक्षुं गिलायमाण नो कप्पइ तस्स गणावच्छे-
इयस्स निज्जुह्तिए । अगिलाए तस्स करणिज्जं वेयावडिय,
-जाव-तओ रोगायकाओ विप्पमुक्को तओ पच्छा अहालहु-
सए नामं ववहारे पट्ठवियन्वे सिया ।

भक्तपाणपडियाइक्खियं भिक्षुं गिलायमाण नो कप्पइ तस्स
गणावच्छेइयस्स निज्जुह्तिए । अगिलाए तस्स करणिज्ज
वेयावडिय, -जाव तओ रोगायकाओ विप्पमुक्को तओ पच्छा
तस्स अहालहुसए नाम ववहारे पट्ठवियन्वे सिया ।

अट्ठ जाय भिक्षुं गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छे-
इयस्स निज्जुह्तिए । अगिलाए तस्स करणिज्ज वेयावडिय,
-जाव-तओ रोगायकाओ विप्पमुक्को तओ पच्छा तस्स अहा-
लहुसए नामं ववहारे पट्ठवियन्वे सिया ।

—वव. उ. २, सु ६-१७

पायच्छित्त फलं—

६६५. प०—पायच्छित्त-करणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—पायच्छित्तकरणेणं पावकम्म विसोहिं जणयइ, निरइ-
यारे यावि भवइ । सम्मं च ण पायच्छित्त पडिवज्ज-
माणे मग्ग च मग्गफल च विसोहेइ, आयारं च आयार
फल च आराहेइ । —उत्त अ २६, सु १८

अत्त-निंदा-फलं—

६६६ प०—निन्दणयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ० - निन्दणयाए ण पच्छाणुताव जणयइ । पच्छाणुतावेणं
विरज्जमाणे करणगुणसेढिं पडिवज्जइ । करणगुणसेढी
पडिवन्ने य ण अणगारे मोहणिज्जं कम्मं उग्घाएइ ।

—उत्त. अ २६, सु. ८

विविहा गरहा—

६६७ तिविहा गरहा पण्णत्ता, त जहा—

- १ मणसा वेगे गरहति,
२. वयसा वेगे गरहति,
३. कायसा वेगे गरहति—पावाण कम्ममाण अकरणयाए ।
अहवा-गरहा तिविहा पण्णत्ता तं जहा—

१. दीहपेगे अद्ध गरहति,

प्रायश्चित्त प्राप्त ग्लान भिक्षु को गण से बाहर निकालना
उसके गणावच्छेदक को नहीं कल्पता है । जब तक वह उस रोग
आतक से मुक्त न हो तब तक उसकी अग्लान भाव से सेवा करानी
चाहिए । उसके बाद उसे (गणावच्छेदक) अत्यल्प प्रायश्चित्त मे
प्रस्थापित करे ।

भक्त प्रत्याख्यानी ग्लान भिक्षु को गण से बाहर निकालना
उसके गणावच्छेदक को नहीं कल्पता है । जब तक वह उस रोग
आतक से मुक्त न हो तब तक उसकी अग्लान भाव मे सेवा करानी
चाहिए । उसके बाद उसे (गणावच्छेदक) अत्यल्प प्रायश्चित्त मे
प्रस्थापित करे ।

प्रयोजनाविष्ट (आकाक्षा युक्त) ग्लान भिक्षु को गण से
बाहर निकालना उसके गणावच्छेदक को नहीं कल्पता है । जब तक
वह उस रोग आतक से मुक्त न हो तब तक उसकी अग्लान भाव
से सेवा करानी चाहिए । उसके बाद उसे (गणावच्छेदक) अत्यल्प
प्रायश्चित्त मे प्रस्थापित करे ।

प्रायश्चित्त का फल—

६६५ प्र०—भन्ते ! प्रायश्चित्त करने से जीव क्या प्राप्त
करता है ?

उ०—प्रायश्चित्त करने से वह पापकर्म की विशुद्धि करता
है और निरतिचार हो जाता है । सम्यक् प्रकार से प्रायश्चित्त
स्वीकार करने वाला वीतराग मार्ग (सम्यक्त्व) और मार्ग-फल
(ज्ञान) को निर्मल करता है तथा आचार (चारित्र्य) और आचार
फल (मुक्ति) की आराधना करता है ।

आत्मनिंदा का फल—

६६६ प्र०—भन्ते ! आत्म-निंदा । से जीव क्या प्राप्त
करता है ?

उ०—आत्म-निंदा से वह पश्वात्ताप को प्राप्त होता है ।
पश्वात्ताप से वैराग्य को प्राप्त होता हुआ वह जीव क्षपक श्रेणी
को प्राप्त होता है । क्षपक श्रेणी को प्राप्त हुआ अनगार मोह-
नीय कर्म को क्षीण कर देता है ।

अनेक प्रकार की गर्हा—

६६७ गर्हा तीन प्रकार की कही गई है, यथा—

पाप कर्मों को नहीं करने के लिए—

- (१) कोई मन से गर्हा करते हैं,
- (२) कोई वचन से गर्हा करते हैं,
- (३) कोई काया से गर्हा करते हैं ।

अथवा गर्हा तीन प्रकार की कही गई है—

पाप कर्मों को नहीं करने के लिए—

- (१) कोई दीर्घकाल तक पाप-कर्मों की गर्हा करते हैं,

- २ रहस्सपेगे अद्धं गरहति,
३ कायपेगे पडिसाहरति—पावाण कम्माण अकरणाए ।
—ठाण अ ३, उ १, सु १३५

चउड्विहा गरहा पणत्ता, त जहा—

१ उवसंपज्जाभित्तेगा गरहा,

२. वित्तिगिच्छामित्तेगा गरहा,

३ ज किच्चिमिच्छामित्तेगा गरहा,

४ एव पि पणत्तेगा गरहा ।

—ठाण. अ ४, उ. २, सु २८८

अत्त गरहणा फलं—

६६८. प०—गरहणयाए ण भन्ते ! जीवे कि जणयइ ?

उ०—गरहणयाए णं अपुरक्कारं जणयइ । अपुरक्कारगए ण जीवे अप्पसत्थेहितो, जोगेहितो नियत्तेइ पसत्थे य पवत्तइ । पसत्थजोगपडिवन्ने य णं अणगारे अणन्त धाइपज्जवे खवेइ । —उत्त अ २९ सु ९

- (२) कोई अल्प काल तक पाप-कर्मों की गर्हा करते हैं,
(३) कोई काया को पापकर्म से निवृत्त कर लेते हैं ।

गर्हा चार प्रकार की कही गई हैं । जैसे—

(१) अपने दोष को निवेदन करने के लिए गुरु के समीप जाऊँ इस प्रकार का विचार करना, यह एक गर्हा है ।

(२) अपने निन्दनीय दोषों का निराकरण करूँ इस प्रकार का विचार करना, यह दूसरी गर्हा है ।

(३) जो कुछ मैंने असद् आचरण किया है, वह मेरा मिथ्या हो, इस प्रकार के विचार से प्रेरित हो ऐसा कहना यह तीसरी गर्हा है ।

(४) ऐसा भी भगवान् ने कहा है कि अपने दोष की गर्हा करने से दोषों की बुद्धि होती है, ऐसा विचार करना यह चौथी गर्हा है ।

आत्म गर्हा का फल—

६६८ प्र०—भन्ते ! आत्म-गर्हा से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—आत्म गर्हा से वह जीव अवज्ञा को प्राप्त होता है । अवज्ञा को प्राप्त हुआ जीव अप्रशस्त प्रवृत्तियों से निवृत्त होता है और प्रशस्त प्रवृत्तियों को अगीकार करता है । प्रशस्त योगों से युक्त हुआ अनगार आत्मा के अनन्त ज्ञान दर्शनादि की धात करने वाली कर्म पर्यायों को क्षीण कर देता है ।



पारिहारिक तप—१ (ड)

पारिहारिक-अपारिहारिणाण णिसेज्जाइ व्यवहारो—

६६९ बहुवे पारिहारिया बहुवे अपारिहारिया इच्छेज्जा एगयओ अभिनिसेज्जं वा, अभिनिसीहिय वा चेइत्तए, नो से कप्पइ थेरे अणापुच्छत्ता एगयओ अभिनिसेज्जं वा अभिनिसीहियं वा चेइत्तए ।

कप्पइ णं थेरे आपुच्छत्ता एगयओ अभिनिसेज्जं वा अभिनिसीहियं वा चेइत्तए ।

थेरा य ण वियरेज्जा, एव कप्पइ एगयओ अभिनिसेज्जं वा अभिनिसीहियं वा चेइत्तए ।

थेरा य ण वियरेज्जा, एवं ण नो कप्पइ एगयओ अभिनिसेज्जं वा अभिनिसीहियं वा चेइत्तए ।

पारिहारिक और अपारिहारिकों का निषद्यादि व्यवहार—

६६९ अनेक पारिहारिक भिक्षु और अनेक अपारिहारिक भिक्षु यदि एक साथ रहना या बैठना चाहे तो स्थविर भिक्षु को पूछे बिना एक साथ रहना या एक साथ बैठना नहीं कल्पता है ।

स्थविर भिक्षु को पूछ करके ही वे एक साथ रह सकते हैं या बैठ सकते हैं ।

यदि स्थविर भिक्षु आज्ञा दें तो उन्हें एक साथ रहना या एक साथ बैठना कल्पता है ।

स्थविर भिक्षु आज्ञा न दें तो उन्हें एक साथ रहना या बैठना नहीं कल्पता है ।

जो ण थेरेहिं अविइण्णे, अभिनिसेज्ज वा अभिनिसीहिय वा चेएइ, से सतरा छेए वा परिहारे वा ।

—वव. उ १, सु १६

पारिहारिय-अपारिहारियाणं अणमण्णं आहार ववहार—

६७० बहवे पारिहारिया बहवे अपारिहारिया इच्छेज्जा एगयओ एगमास वा, बुमासं वा, तिमास वा, चाउमासं वा, पच्चमास वा वत्थए । ते अन्नमन्नं समुज्जति, अन्नमन्नं नो समुज्जति । मासते, तओ-पच्छा सव्वे वि एगयओ समुज्जति ।

परिहार-कप्पट्टियस्स भिक्खुस्स नो कप्पइ असण वा-जाव-साइम वा दाउ वा अणुप्पदाउ वा ।

थेरा य ण वएज्जा—“इम ता अज्जो ! तुम एएसिं देहि वा अणुप्पदेहि वा,”

एव से कप्पइ दाउ वा, अणुप्पदाउं वा ।

कप्पइ से लेव अणुजाणावेत्तए,

“अणुजाणह भते ! लेवाए”

एव से कप्पइ लेव समासेवित्तए ।

परिहार-कप्पट्टिए भिक्खू सएणं पडिग्गहेणं वहिया अप्पणो वेयावाडयाए गच्छेज्जा, थेरा य ण वएज्जा ।

“पडिग्गहेहि अज्जो ! अहं पि भोक्खामि वा पाहामि वा,”

एव से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ।

तत्थ नो कप्पइ अपरिहारिएण परिहारियस्स पडिग्गहंसि असणं वा-जाव साइम वा भोत्तए वा पायए वा ।

कप्पइ से सयसि वा, पडिग्गहंसि, सयसि वा पलासगसि, सयसि वा कमण्डलगसि, सयसि वा खुब्भगसि वा, सयसि वा पाणिसि उद्धट्टु-उद्धट्टु भोत्तए वा पायए वा ।

एस कप्पो अपरिहारियस्स परिहारियाओ ।

यदि स्थविर की आज्ञा के बिना वे एक साथ रहें या बैठें तो उन्हें उस मर्यादा उल्लंघन का दीक्षा छेद या परिहार तप प्रायश्चित्त आता है ।

पारिहारिक और अपारिहारिको के परस्पर आहार सम्बन्धी व्यवहार—

६७० अनेक पारिहारिक और अनेक अपारिहारिक भिक्षु यदि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ मास पर्यन्त एक साथ रहना चाहें तो पारिहारिक भिक्षु पारिहारिक भिक्षु के साथ और अपारिहारिक भिक्षु अपारिहारिक भिक्षु के साथ बैठकर आहार कर सकते हैं और पारिहारिक भिक्षु अपारिहारिक भिक्षु के साथ बैठकर आहार नहीं कर सकते हैं, किन्तु छ मास तप के और एक मास पारणे का वीतने पर वे सभी (पारिहागी और अपारिहागी) भिक्षु एक साथ बैठकर आहार कर सकते हैं ।

अपारिहारिक भिक्षु को पारिहारिक भिक्षु के लिए अशन—यावत्—स्वादिम आहार देना या निमन्त्रण करके देना नहीं कल्पता है ।

यदि स्थविर कहे कि—“हे आर्य ! तुम इन पारिहारिक भिक्षुओ को यह आहार दो या निमन्त्रण कर के दो ।”

ऐसा कहने पर उसे आहार देना या निमन्त्रण करके देना कल्पता है ।

परिहार कल्पस्थित भिक्षु यदि लेप (घृतादि विकृति) लेना चाहे तो स्थविर की आज्ञा से उसे लेना कल्पता है ।

“हे भगवन् ! मुझे घृतादि विकृति लेने की आज्ञा प्रदान करें ।”

इस प्रकार स्थविर से आज्ञा लेने के बाद उसे घृतादि विकृति का सेवन करना कल्पता है ।

परिहारकल्प मे स्थित भिक्षु अपने पात्रों को ग्रहण कर अपने लिए आहार लेने जावे, उसे जाते हुए देखकर स्थविर कहे कि—

‘हे आर्य ! मेरे योग्य आहार पानी भी लेते आना, मैं भी खाऊँगा पिऊँगा ।’

ऐसा कहने पर उसे स्थविर के लिए आहार लाना कल्पता है ।

अपारिहारिक स्थविर को पारिहारिक भिक्षु के पात्र मे अशन—यावत्—स्वाद्य खाना पीना नहीं कल्पता है ।

किन्तु उसे अपने ही पात्र मे, पलासक मे, जलपात्र मे, दोनो हाथ मे या एक हाथ मे ले-ले कर खाना-पीना कल्पता है ।

यह अपारिहारिक भिक्षु का पारिहारिक भिक्षु की अपेक्षा से आचार कहा गया है ।

परिहारकल्पद्विष्टे भिक्षुं धेराणं पडिग्गहेणं वहिया धेराणं
वेयावडियाए गच्छेज्जा धेरा य णं वएज्जा—

“पडिग्गाहेहि अज्जो ! तुमं पि पच्छा भोक्खसि वा पाहिसि
वा”

एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ।

तत्थ नो कप्पइ परिहारिएणं अपरिहारियस्स पडिग्गहसि
असण वा-जाव-साइमं वा भोत्तए वा पायए वा ।

कप्पइ से सयसि वा पडि गहंसि, सयसि वा पलासगसि,
सयसि वा कमण्डलगसि, सयसि वा खुम्भगसि, सयसि वा
पाणिंसि उद्धट्टु-उद्धट्टु भोत्तए वा पायए वा ।

एस कप्पो परिहारियस्स अपरिहारियाओ ।

—वव. उ २, सु २७-३०

परिहारकल्पद्विष्टस्स गिलाणस्स लहु पायच्छित्त दाण
विहाण—

६७१ परिहार-कल्पद्विष्टे भिक्षुं गिलाएमाणे अन्नयरं अकिच्च-
ट्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा,

१ से य सयरेज्जा ठवणिज्जं ठवइत्ता करणिज्ज वेयावडियं ।

२ से य नो संयरेज्जा अणुपरिहारिएणं तस्स करणिज्ज
वेयावडियं ।

३ से य संते वले अणुपरिहारिएण कीरमाणं वेयावडिय
साइज्जेज्जा, से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया ।

परिहार-कल्पद्विष्टे भिक्षुं गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स
गणावच्छेइयस्स निज्जुहित्तए । अगिलाए तस्स करणिज्जं
वेयावडियं, -जाव-तओ रोगायकाओ विप्पमुक्को । तओ
पच्छा तस्स अहालहुसए नाम वधहारे पट्ठवियव्वे सिया ।

—वव. उ २, सु ५-६

परिहारकल्पद्विष्टे भिक्षुं वहिया धेराण वेयावडियाए
गच्छेज्जा, से य आहुच्च अइक्कमेज्जा, त च धेरा जाणिज्जा
—अप्पणो आगमेणं, अन्नेसि वा अंतिए सोच्चा, तओ पच्छा
तस्स अहालहुसए नाम वधहारे पट्ठवियव्वे सिया ।

—कप्प. उ ५, सु. ५१

परिहार कल्प मे स्थित भिक्षु स्थविर के पात्रो को लेकर
उसके लिए आहार-पानी लाने को जावे तव स्थविर उसे कहे
कि—

“हे आर्य ! तुम अपने लिए भी साथ मे ले आना और वाद
मे खा लेना पी लेना ।”

ऐसा कहने पर उसे स्थविर के पात्रो मे अपने लिए भी
आहार लाना कल्पता है ।

अपारिहारिक स्थविर के पात्र मे पारिहारिक भिक्षु को अशन
—यावत्—स्वाद्य खाना-पीना नहीं कल्पता है ।

किन्तु उसे अपने ही पात्र में, पलाशक मे, कमण्डल मे,
दोनो हाथ मे या एक हाथ मे ले लेकर खाना-पीना कल्पता है ।

यह पारिहारिक भिक्षु का अपारिहारिक भिक्षु की अपेक्षा
से आचार कहा गया है ।

परिहारकल्पस्थित रुग्ण भिक्षु को अल्प प्रायश्चित्त देने
का विधान—

६७१ परिहार तप रूप प्रायश्चित्त करने वाला भिक्षु यदि रुग्ण
होने पर किसी अकृत्य स्थान की प्रतिसेवना कर आलोचना करे
तो --उसके प्रायश्चित्त के सम्बन्ध मे तीन विकल्प हैं—

(१) यदि वह परिहार तप करने मे समर्थ हो तो आचार्यादि
उसे परिहार तप रूप प्रायश्चित्त १ और उसकी आवश्यक सेवा
करावे ।

(२) यदि वह समर्थ न हो तो आचार्यादि उसकी वैयावृत्य
के लिए अनुपारिहारिक भिक्षु को नियुक्त करे ।

(३) यदि वह पारिहारिक भिक्षु सबल होते हुए भी अनु-
पारिहारिक भिक्षु से वैयावृत्य करावे तो उस का प्रायश्चित्त भी
पूर्व प्रायश्चित्त के साथ आरोपित करे ।

परिहार तप रूप प्रायश्चित्त करने वाला भिक्षु यदि रोमादि
से पीडित हो जाय तो गणावच्छेदक को उसे गण से बाहर करना
नहीं कल्पता है । किन्तु जब तक वह रोग के आतक से मुक्त न
हो तब तक उसकी अग्लान भाव से वैयावृत्य करानी चाहिए
वाद मे गणावच्छेदक उस पारिहारिक भिक्षु को अत्यल्प
प्रायश्चित्त दे ।

परिहारकल्पस्थित भिक्षु यदि स्थविरो की वैयावृत्य के लिए
कही वाहर जावे और कदाचित् कोई दोष सेवन कर ले—यह
वृत्तत स्थविर अपने ज्ञान से या अन्य से सुनकर जान ले तो
वैयावृत्य से निवृत्त होने के बाद उसे अल्प प्रायश्चित्त दे ।

परिहारकल्पद्विग्यस्स वेयावडिय--

६७२. परिहारकल्पद्विग्यस्स ण भिक्खुस्स कप्पइ आयरिय-उवज्झा-
याण तद्दिवसं एगगिहसि पिडवायं दवावेत्तए ।

तेणं पर नो से कप्पइ असण वा-जाव साइमं वा दाउं वा
अणुप्पदाउं वा कप्पइ से अन्नयर वेयावडिय करेत्तए,
त जहा—

उट्ठावणं वा, निसीयावण वा, तुयट्ठावण वा, उच्चार-
पासवण-खेल-जल्लसिघाणाण विगिचणं वा विसोहेण वा
करेत्तए ।

अह पुण एव जाणेज्जा—छिन्नावाएसु पथेसु आउरे क्षिप्पिए
पिवासिए तवस्सी दुव्वसे, किलते मुच्छेज्ज वा पवढेज्ज वा,
एवं से कप्पइ असणं वा-जाव-साइमं वा दाउं वा, अणुप्प-
दाउ वा ।

—कप्प. उ. ३, सु. ३१-३३

परिहार कल्पस्थित भिक्षु की वैयावृत्य—

६७२ जिस दिन परिहार तप स्वीकार करे उस दिन परिहार
कल्पस्थित भिक्षु को एक घर से आहार दिलाना आचार्य या
उपाध्याय को कल्पता है ।

उसके बाद उमे अशन—यावत्—स्वादिम देना या बार-बार
देना नहीं कल्पता है—किन्तु आवश्यक होने पर कोई वैयावृत्य
करना कल्पता है यथा—

परिहार कल्पस्थित भिक्षु को उठावे, बिठावे, करवट बद-
लावे, उसके मल मूत्र श्लेष्मादि परठे, मल-मूत्रादि से लिप्त
उपकरणों को शुद्ध करे ।

यदि आचार्य या उपाध्याय यह जाने कि—रत्नान बुभुक्षित
तृपित तपस्वी दुर्बल एव क्लान्त होकर गमनागमन-रहित मार्ग
में कहीं मूर्च्छित होकर गिर जायेगा तो अशन—यावत्—स्वा-
दिम देना या बार-बार देना कल्पता है ।



नोट —विनय के लिए देखिए ज्ञानाचार —चरणानुयोग प्रथम भाग पृष्ठ ७० से ९९ तक

वैयावृत्य-२

वेयावच्च सरूवं—

६७३. आयरियमाईए, वेयावच्चम्मिदसविहे ।
आसेवणं जहायामं, वेयावच्चं तमाहिय ॥

—उत्त अ. ३०, गा ३३

वेयावच्च करण चउभंगो—

६७४ चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

१ आतवेयावच्चकरे णाममेगे, णो परवेयावच्चकरे,

२ परवेयावच्चकरे णाममेगे, णो आतवेयावच्चकरे,

३ एगे आतवेयावच्चकरे वि, परवेयावच्चकरे वि,

४. एगे णो आतवेयावच्चकरे, णो परवेयावच्चकरे ।

—ठाणं. अ ४, उ. ३, सु ३१९

वेयावच्च पगारा—

६७५ तिविहे वेयावच्चे पणत्ते, तं जहा

१. आयवेयावच्चे,

वैयावृत्य स्वरूप—

६७३ आचार्य आदि सम्बन्धी दस प्रकार की वैयावृत्य का यथा-
शक्ति आसेवन करने को वैयावृत्य कहा जाता है ।

वैयावृत्य करने वालों की चौभगी—

६७४

(१) कई अपनी सेवा करते हैं किन्तु दूसरों की सेवा नहीं
करते ।

(२) कई दूसरों की सेवा करते हैं किन्तु अपनी सेवा नहीं
करते हैं ।

(३) कई अपनी सेवा करते हैं और दूसरों की सेवा भी
करते हैं ।

(४) कई अपनी सेवा भी नहीं करते और दूसरों की सेवा
भी नहीं करते हैं ।

वैयावृत्य के प्रकार—

६७५. वैयावृत्य तीन प्रकार का है, यथा—

(१) आत्मवैयावृत्य—अपनी सेवा

परिहारकल्पस्थित वैयावृत्य—

६७२. परिहारकल्पस्थितस्य भिक्षुस्य कल्पइ आयरिय-उवञ्जा-याण तद्विसं एगिहसि पिडवायं दवावेत्तए ।

तेषां पर नो से कल्पइ असण वा-जाव साइभं वा दाउ वा अणुप्पदाउं वा कल्पइ से अन्नयर वैयावृत्य करेत्तए, त जहा—

उट्ठावणं वा, निसीयावणं वा, तुयट्ठावण वा, उच्चार-पासवण-खेल-जल्लसिघाणाण विगिचणं वा विसोहेण वा करेत्तए ।

अह पुण एव जाणेज्जा—छिन्नावाएसु पथेसु आउरे म्मिसिए पिवासिए तवस्सी दुब्बले, फिलते मुच्छेज्ज वा पवडेज्ज वा, एवं से कल्पइ असण वा-जाव-साइम वा दाउं वा, अणुप्प-दाउ वा ।

—कल्प. उ. ३, सु ३१-३३

परिहार कल्पस्थित भिक्षु की वैयावृत्य—

६७२. जिस दिन परिहार तप स्वीकार करे उस दिन परिहार कल्पस्थित भिक्षु को एक घर से आहार दिलाना आचार्य या उपाध्याय को कल्पता है ।

उसके बाद उसे अशन—यावत्—स्वादिम देना या बार-बार देना नहीं कल्पता है—किन्तु आवश्यक होने पर कोई वैयावृत्य करना कल्पता है यथा—

परिहार कल्पस्थित भिक्षु को उठावे, बिठावे, करवट बद-लावे, उसके मल मूत्र श्लेष्मादि परठे, मल-मूत्रादि से लिप्त उपकरणों को शुद्ध करे ।

यदि आचार्य या उपाध्याय यह जाने कि—ग्लान बुभुक्षित तृपित तपस्वी दुर्बल एव क्लान्त होकर गमनागमन-रहित मार्ग में कहीं मूर्च्छित होकर गिर जायेगा तो अशन—यावत्—स्वा-दिम देना या बार-बार देना कल्पता है ।



नोट —विनय के लिए देखिए ज्ञानाचार —चरणानुयोग प्रथम भाग पृष्ठ ७० से ९९ तक

वैयावृत्य-२

वैयावृत्त सख—

६७३. आयरियमाईए, वैयावृत्तमिमदसविहे ।
आसेवणं जहायामं, वैयावृत्तं तमाहिय ॥

—उत्त अ. ३०, गा. ३३

वैयावृत्त करण चउभगो—

६७४. चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता, तं जहा—

१ आतवेयावृत्तकरे णाममेगे, णो परवेयावृत्तकरे,

२ परवेयावृत्तकरे णाममेगे, णो आतवेयावृत्तकरे,

३ एगे आतवेयावृत्तकरे वि, परवेयावृत्तकरे वि,

४. एगे णो आतवेयावृत्तकरे, णो परवेयावृत्तकरे ।

—ठाणं अ ४, उ. ३, सु. ३१९

वैयावृत्त पगारा—

६७५ तिविहे वैयावृत्ते पणत्ते, त जहा

१. आयवेयावृत्ते,

वैयावृत्य स्वरूप—

६७३ आचार्य आदि सम्बन्धी दस प्रकार की वैयावृत्य का यथा-शक्ति आसेवन करने को वैयावृत्य कहा जाता है ।

वैयावृत्य करने वालों की चौभगी—

६७४.

(१) कई अपनी सेवा करते हैं किन्तु दूसरी की सेवा नहीं करते ।

(२) कई दूसरे की सेवा करते हैं किन्तु अपनी सेवा नहीं करते हैं ।

(३) कई अपनी सेवा करते हैं और दूसरे की सेवा भी करते हैं ।

(४) कई अपनी सेवा भी नहीं करते और दूसरे की सेवा भी नहीं करते हैं ।

वैयावृत्य के प्रकार—

६७५ वैयावृत्य तीन प्रकार का है, यथा—

(१) आत्मवैयावृत्य—अपनी सेवा

२ परवेयावच्चे,

३. तदुभयवेयावच्चे । —ठाण अ ३, उ. ३, सु. १९४

प० — से किं त वेयावच्चे ?

उ० - वेयावच्चे दसविहे पणत्ते, तं जहा —

१ आयरिय-वेयावच्चे, २ उवज्जाय-वेयावच्चे,

३ थेर-वेयावच्चे, ४. तवस्सी-वेयावच्चे,

५. गिलाण-वेयावच्चे, ६. सेह-वेयावच्चे,

७. कुल वेयावच्चे, ८. गण-वेयावच्चे,

९ सघ-वेयावच्चे, १०. साहम्मिय-वेयावच्चे ।^१

—वि स २५ उ ७, सु २३५

वेयावच्च विहाण—

६७६ इम च धम्ममावाय कासवेण पवेदित ।

कुज्जा भिक्खु गिलाणस्स, अगिलाए समाहिए ॥^२

—सूय सु. १, अ ३, उ ३, सु २०

वित्ते अचोइए निच्च, खिप्प हवइ सुचोइए ।

जहोवइइ सुकयं, किच्चाइ कुव्वई सया ॥

—उत्त अ १, गा ४४

गिलाणट्टापेसियं आहारस्स विहि-णिसेहो—

६७७ भिक्खागा णामेगे एवमाहसु सभाणे वा वसमाणे वा गामानु-
गाम इइज्जमाणे वा मणुण्ण भोयणजात लभित्ता -

“से य भिक्खु गिलाइ, से हवह ण तस्साहरह से य भिक्खु
णो भुंजेज्जा तुम च्चव ण भुंजेज्जासि ।”

“से एगतितो ‘ भोक्खामि” त्ति कट्टु पत्तिउचिय पत्तिउ चिय
आलोएज्जा, त जहा—‘ इमे पिडे, इमे लोए, इमे तित्तए,
इमे कडुयए, इमे कसाए, इमे अंविसे, इमे महुरे, णो खलु
एत्तो किंचि वि गिलाणस्स सवति” त्ति माइट्टाणं संफासे ।
णो एव करेज्जा । त्हाठितं आलोएज्जा जहाठितं गिलाणस्स
सवति, हां जहा— तित्तय तित्तए ति वा-जाव-महुरं महुरे ति ।

(२) पर-वैयावृत्य—दूसरे की सेवा,

(३) तदुभय वैयावृत्य—दोनों की सेवा ।

प्र० —वैयावृत्य क्या है, उसके कितने भेद हैं ?

उ० —वैयावृत्य दश प्रकार का कहा गया है, यथा—

(१) आचार्य-वैयावृत्य, (२) उपाध्याय-वैयावृत्य,

(३) स्थविर-वैयावृत्य (४) तपस्वी वैयावृत्य,

(५) ग्लान वैयावृत्य, (६) शैक्ष-वैयावृत्य,

(७) कुल-वैयावृत्य, (८) गण-वैयावृत्य,

(९) सघ-वैयावृत्य, (१०) साधमिक-वैयावृत्य ।

वैयावृत्य-विधान—

६७८ भगवान् महावीर के द्वारा बछाये गये इस घर्म को स्वी-
कार कर भिक्षु अग्लान भाव से समाधियुक्त होकर रुग्ण भिक्षु
की वैयावृत्य करे ।

विनयवान् शिष्य सदा गुरु के द्वारा प्रेरणा किये बिना ही
उनका कार्य करता है और गुरु के प्रेरणा करने पर शीघ्र ही
उस कार्य को कर देता है तथा सदैव गुरु के आदेशानुसार ही
सभी कार्य भलीभाति सम्पन्न कर लेता है ।

ग्लान के निमित्त भेजे गये आहार का विधि निषेध—

६७७ एक क्षेत्र में स्थिरवासी अथवा मास कल्प आदि रहने
वाले या ग्रामानुग्राम विचरण करके पहुँचने वाले साधु भिक्षा में
मनोज्ञ भोजन प्राप्त होने पर किसी भिक्षु से कहे कि—

“वह भिक्षु रुग्ण है अतः आप उसके लिए यह आहार ले
जाकर दे दो, अगर वह रोगी भिक्षु न खाए तो तुम खा लेना ।”

मनोज्ञ आहार में लोलुपी कोई भिक्षु “इस आहार को मैं
ही खाऊँ” ऐसा सोचकर रोगी के पास कपट युक्त कहे, यथा—
“यह आहार तो मात्र पिंड रूप है, यह तो रूक्ष है, यह तो तीखा
है, यह तो कडवा है, यह तो कसैला है, यह तो खट्टा है, यह
तो मीठा है इसमें कुछ भी ग्लान के अनुकूल नहीं लगता है ।”
इस प्रकार कपटाचरण करने वाला भिक्षु माया का स्पर्श करता
है । भिक्षु को ऐसा नहीं करना चाहिए । किन्तु जिस तरह
ग्लान को अनुकूल हो तथा जैसा आहार हो, वैसा ही दिखलाए,
यथा—तित्त को तित्त—यावत्—मीठे को मीठा बताए ।

१ (क) वव उ. १०, सु. ३९

(ख) उव, सु ३०

(ग) ठाण. अ. १०, सु ५१२

(घ) पर वैयावृत्य कर्म प्रतिमा के ९१ प्रकार भी हैं । —मम सम ९१ सु १

(ङ) ठाण अ १०, सु. ७१२ तथा ठाणं. अ ५, उ १, सु ३९७ तथा वि श. २५, उ. ७, सु. २३५ में उपरोक्त क्रम है
किन्तु उववाइ और व्यवहार सूत्र में कुछ व्युत्क्रम से १० प्रकार के वैयावृत्य कहे गये हैं ।

२ सूय सु १, अ. ३, उ. ४, गा. २१

भिक्षागा नामे एवमाहंसु समाणे वा वसमाणे वा गामाणु-
गाम दूइज्जमाणे वा मणुण भोयणजात लभित्ता—

“से य भिक्खू गिलाइ, से हदह ण तस्साहरह,
से य भिक्खू णो भुज्जेज्जा, आहरेज्जासि ।”

से य—“णो खलु मे अंतराए आहरिस्सामि ।”

—आ. सु २, अ. १, उ ११, सु ४०७-४०८

विसिद्ध चरियाए सेवाकरण सकप्पा—

६७८ जस्स ण भिक्खुस्स अयं पगप्पे,

अहं च खलु पडिण्णत्तो अपडिण्णत्तेहिं गिलाणो अगिलाणेहिं
अभिकख साहम्मिणएहिं कीरमाणं वेयावडिय साइज्जिस्सामि,

अहं चावि खलु अपडिण्णत्तो पडिण्णत्तस्स अगिलाणो गिलाण-
स अभिकख साहम्मियस्स कुज्जा वेयावडिय करणाए ।

१. आहट्टु परिणं आणक्खेस्सामि आहड च सातिज्जि-
स्सामि,

२. आहट्टु परिणं आणक्खेस्सामि आहडं च नो साति-
ज्जिस्सामि,

३. आहट्टु परिणं नो आणक्खेस्सामि आहड च साति-
ज्जिस्सामि ।

४. आहट्टु परिणं णो आणक्खेस्सामि आहडं च णो साति-
ज्जिस्सामि ।

लाघविय आगमाणे तवे से अभिसमण्णागते भवति ।

जहेतं भगवता पवेदितं तमेव अभिसमेच्चा सव्वतो सव्वताए
सम्मत्तमेव समभिजाणिया ।

एव से अहाकिट्टियमेव धम्म समभिजाणमाणे सते विरते
सुसमाहितलेस्से । तत्यावि तस्स कालपरियाए से वि तत्थ
वियन्तिकारए ।

स्थिरवासी साधु अथवा मासकल्प आदि रहने वाले या
ग्रामानुग्राम विचरण करके पहुँचने वाले साधुओं को मनोज्ञ भोजन
प्राप्त होने पर किसी भिक्षु से कहे कि—

वह भिक्षु रोगी है उसके लिए यह मनोज्ञ आहार ले जाओ,
अगर वह रोगी भिक्षु इसे न खाए तो यह आहार वापस हमारे
पास ले आना क्योंकि हमारे यहाँ भी रोगी साधु है ।

इस पर आहार लेने वाला साधु ऐसा कहे कि—“यदि मुझे
आने में कोई विघ्न उपस्थित न हुआ तो यह आहार वापस ले
आऊँगा ।”

विशिष्ट चर्या में सेवा करने के संकल्प—

६७८ जिस भिक्षु की यह आचार मर्यादा (प्रतिज्ञा) होती है कि—

यदि मैं रोगादि से पीडित हो जाऊँ तो अन्य साधु को यह
नहीं कहूँगा कि तुम मेरी वैयावृत्य करो । किन्तु कोई निरोग
साधर्मिक साधु बिना कहे ही वैयावृत्य करना चाहेगा तो मैं उसे
स्वीकार करूँगा ।

यदि मैं निरोग अवस्था में होऊँ तब कोई साधर्मिक साधु
रोगादि से पीडित हो और वह सेवा कराना चाहे तो मैं भी
उसके बिना कहे उसकी वैयावृत्य करूँगा ।

इस प्रकार के विकल्प रखते हुए कोई भिक्षु ऐसी प्रतिज्ञा
लेता है कि—

(१) मैं अपने साधर्मिक भिक्षु के लिए आहारादि लाऊँगा
और उनके द्वारा लाया हुआ स्वीकार भी करूँगा ।

(२) मैं अपने साधर्मिक भिक्षु के लिए आहारादि लाऊँगा
लेकिन उनके द्वारा लाया हुआ स्वीकार नहीं करूँगा ।

(३) मैं साधर्मिकों के लिये आहारादि नहीं लाऊँगा किन्तु,
उनके द्वारा लाया हुआ स्वीकार करूँगा ।

(४) मैं साधर्मिकों के लिए आहारादि नहीं लाऊँगा और
उनके द्वारा लाये हुए को स्वीकार भी नहीं करूँगा ।

उक्त प्रतिज्ञाओं में से किसी प्रतिज्ञा को ग्रहण करने पर
भिक्षु लाघवता को प्राप्त कर तप को प्राप्त करता है ।

भगवान ने जिस रूप में इसका प्रतिपादन किया है उसे
उसी रूप में जानकर सब प्रकार से सर्वथा समत्व का आचरण
करे ।

इस प्रकार वह भिक्षु तीर्थंकरों द्वारा उपदिष्ट (भक्त प्रत्या-
ख्यान) धर्म को सम्यक् रूप से जानता हुआ और आचरण करता
हुआ शान्त विरत और प्रशस्त लेश्या में अपनी आत्मा को सुस-
माहित करने वाला होता है । इस प्रकार आराधना काल में
मरण को प्राप्त करता है और वह मरण भी उसे अन्तक्रिया
कराने वाला होता है ।

इच्छंय विमोहायतण हित सुहं खम निस्सेयस आणुगामियं ।

—आ सु १, अ ८, उ ५, सु २१९

१. जस्स ण भिक्खुस्स एवं भवति 'अहं च खलु अण्णेसि भिक्खुण असण वा-जाव-साइमं वा आहट्टुं दलयिस्सामि आहं च सातिज्जिस्सामि ।'

२. जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवति—'अहं च खलु अण्णेसि भिक्खुण असण वा-जाव-साइमं वा आहट्टुं दलयिस्सामि आहं च णो सातिज्जिस्सामि' ।

३. जस्स ण भिक्खुस्स एवं भवति—'अहं च खलु अण्णेसि भिक्खुणं असण वा-जाव-साइमं वा आहट्टुं णो दलयिस्सामि आहं च सातिज्जिस्सामि' ।

४. जस्स ण भिक्खुस्स एव भवति—'अहं च खलु अण्णेसि भिक्खुणं असण वा-जाव-साइमं वा आहट्टुं णो दलयिस्सामि आहं च णो सातिज्जिस्सामि' ।

अहं च खलु तेण अहातिरित्तेण—अहेसणिज्जेण अहापरिग्गहिण्ण असणेण वा-जाव-साइमेण वा अभिकंख साहम्मियस्स कुज्जा वेयावडियं करणाए ।

अहं चावि तेण अहातिरित्तेण अहेसणिज्जेण अहापरिग्गहिण्ण असणेण वा-जाव-साइमेण वा अभिकंख साहम्मिएहिं कौरमाण वेयावडियं सातिज्जिस्सामि ।

लाघवियं आगसमाणे-जाव-सम्मत्तमेव समभिजाणिया

—आ. सु १, अ ८, उ. ७, सु २२७

वेयावच्च फलं -

६७९ पचाहे ठाणेहिं समणे णिग्गंथे महाणिज्जरे महापज्जवसाणे भवति, त जहा—

१. अगिलाए आयरिय वेयावच्च करेमाणे,

२. अगिलाए उवज्जाय वेयावच्चं करेमाणे,

३. अगिलाए थेरे वेयावच्चं करेमाणे,

४. अगिलाए तवस्सि वेयावच्च करेमाणे

५. अगिलाए गिलाण वेयावच्च करेमाणे ।

इस प्रकार यह मरण भिक्षुओं को कर्मों से विमुक्त कराने में आश्रय रूप है, हितकर है, सुखकर है, सक्षम है, कल्याणकर है और परलोक में भी साथ चलने वाला है ।

(१) जिस भिक्षु की ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि "मैं दूसरे भिक्षुओं को अशन—यावत्—स्वाद्य लाकर दूंगा और उनके द्वारा लाये हुए का सेवन करूँगा ।

(२) जिस भिक्षु की ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि "मैं दूसरे भिक्षुओं को अशन—यावत्—स्वाद्य लाकर दूंगा, लेकिन उनके द्वारा लाये हुए का सेवन नहीं करूँगा ।"

(३) जिस भिक्षु की ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि "मैं दूसरे भिक्षुओं को अशन—यावत्—स्वाद्य लाकर नहीं दूँगा, लेकिन उनके द्वारा लाये हुए का सेवन करूँगा ।"

(४) जिस भिक्षु की ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि "मैं दूसरे भिक्षुओं को अशन—यावत्—स्वाद्य लाकर नहीं दूँगा और उनके द्वारा लाया हुआ सेवन भी नहीं करूँगा ।"

मैं अपनी आवश्यकता से अधिक एषणीय एवं लाए हुए अशन—यावत्—स्वाद्य में से यदि कोई साधर्मिक साधु लेना चाहेगा तो उसे वैयावृत्य की भावना से दूँगा ।

अथवा कोई साधर्मिक मुनि अपनी आवश्यकता से अधिक एषणीय ग्रहण कर लाए हुए अशन—यावत्—स्वाद्य में से वैयावृत्य की भावना से देना चाहेगा तो उसे स्वीकार करूँगा ।

इनमें से कोई भी प्रतिज्ञा धारण करने वाला भिक्षु लाघवता को प्राप्त कर यावत्—समत्त्व का आचरण करता है ।

वैयावृत्य का फल—

६७९. पाँच स्थानों से श्रमण निर्ग्रन्थ महान निर्जरा करने वाला और महापर्यवसान (संसार का सर्वथा उच्छेद करने वाला) होता है । जैसे—

(१) ग्लानि—रहित होकर आचार्य की वैयावृत्य करता हुआ ।

(२) ग्लानि—रहित होकर उपाध्याय की वैयावृत्य करता हुआ ।

(३) ग्लानि—रहित होकर स्थविर की वैयावृत्य करता हुआ ।

(४) ग्लानि—रहित होकर तपस्वी की वैयावृत्य करता हुआ ।

(५) ग्लानि—रहित होकर रोगी-मुनि की वैयावृत्य करता हुआ ।

पंचाहं ठाणोहं समणे निग्गथे महाणिज्जरे महापज्जवसाणे
भवति, त जहा—

१ अगिलाए सेहवेयावच्च करेमाणे,

२. अगिलाए कुलवेयावच्चं करेमाणे,

३. अगिलाए गणवेयावच्च करेमाणे,

४. अगिलाए संघवेयावच्च करेमाणे,

५. अगिलाए साहम्मियवेयावच्चं करेमाणे ।^१

—ठाण. अ. ५, उ. १, सु ३६७

प०—वेयावच्चेण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—वेयावच्चेण तित्थयरनामगोत्तं कम्म निबन्धइ ।

—उत्त अ. २६, सु ४५

वेयावच्चअकरणाइ पायच्छित्त सुत्ताइं—

६८० जे भिक्खू गिलाणं सोच्चा णच्चा ण गवेसइ ण गवेसत वा
साइज्जइ ।

जे भिक्खू गिलाण सोच्चा णच्चा उम्मग वा पडिपहं वा
गच्छइ गच्छंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू गिलाण-वेयावच्चे अब्भुट्टिए सएण लाभेणं असथ-
रमाणे जो तस्स न तद्धितप्पइ न पडितप्पंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू गिलाण-वेयावच्चे अब्भुट्टिए गिलाणपाउगो दच्च-
जाए अलब्भमाणे जो त न पडियाइक्खइ न पडियाइक्खंतं
वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. १०, सु ३६-३६

असमत्थेण वेयावच्चकारावण पायच्छित्त सुत्तं—

६८१ जे भिक्खू नायगेण वा अनायगेण वा, उवासएण वा, अणु-
वासएण वा अणलेण वेयावच्च कारेइ कारेत वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ।

—नि. उ. ११, सु ८६

पांच स्थानो से श्रमण-निर्ग्रन्थ महान् कर्म निर्जरा करने वाला
और महापर्यवसान वाला होता है । जैसे—

(१) ग्लानि रहित होकर नवदीक्षित की वैयावृत्य करता
हुआ ।

(२) ग्लानि रहित होकर कुल (एक आचार्य के शिष्य
समूह) की वैयावृत्य करता हुआ ।

(३) ग्लानि रहित होकर गण की वैयावृत्य करता हुआ ।

(४) ग्लानि रहित होकर सघ की वैयावृत्य करता हुआ ।

(५) ग्लानि रहित होकर साधर्मिक की वैयावृत्य करता
हुआ ।

प्र०—भन्ते ! वैयावृत्य से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—वैयावृत्य करने से बृह तीर्थंकर नाम-गोत्र का उपा-
जन करता है ।

वैयावृत्य न करने आदि का प्रायश्चित्त सूत्र—

६८०. जो भिक्षु रोगी के सम्बन्ध में सुनकर या जानकर उसकी
गवेषणा नहीं करता या नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु रोगी के सम्बन्ध में सुनकर या जानकर उन्मार्ग से
या अन्य मार्ग से जाता है या जाने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु रोगी की सेवा के लिए उद्यत हुआ है और अपने
लाये हुए आहार से रोगी सन्तुष्ट नहीं हो तो उसका खेद प्रकट
नहीं करता है या नहीं करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु रोगी की सेवा के लिए उद्यत हुआ है उसे रोगी
योग्य द्रव्य न मिलने पर उसको पुन आकर नहीं कहता है या
नहीं कहने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

असमर्थ से सेवा करवाने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६८१. जो भिक्षु असमर्थ स्वजन से, अन्य से, उपासक से या
अनुपासक से वैयावृत्य करवाता है या करवाने वाले का अनु-
मोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक अनुद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।



स्वाध्याय—३

सज्जायभेदा—

६८२. प०—से किं त सज्जाए ?

उ०—पचविहे सज्जाए पन्नत्ते, त जहा—

१. वायणा,
२. पडिपुच्छणा,
३. परियट्टणा,
४. अणुप्पेहा—
५. धम्मकहा^१ ।

से त सज्जाए । —वि स. २५, उ. ७, सु २३६

सुत्त-सिक्खण-हेउणो—

६८३. पचाहिं ठाणेहिं सुत्त सिक्खेज्जा, त जहा—

१. णाणट्टयाए,
२. दंसणट्टयाए,
३. चरित्तट्टयाए,
४. बुग्गहविमोयणट्टयाए,

५. जहत्ये वा भावे जाणिस्सामीति कट्टु ।

—ठाण अ. ५, उ. ३, सु ४६७

सज्जाय फलं—

६८४ प०—सज्जाएण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—सज्जाए नाणावरणिज्ज कम्मं खवेइ ।

—उत्त अ. २६, सु २०

तव चिमं संजमजोगय च,
सज्जायजोगं च सया अहिट्टए ।
सूरे व सेणाए समत्तमाउहे,
अलमप्पणो होइ अल परेसि ॥
सज्जाय सज्जाणरयस्स ताइणो,
अपावभावस्स तवे रयस्स ।
विमुज्जाई जसि मल पुरेकड,
समीरिय रुपमल व जोइणा ॥

१ (क) उव. सु ३०

(ग) उत्त अ. ३०, गा ३४

स्वाध्याय के भेद —

६८२. प्र०—स्वाध्याय क्या है—उसके कितने प्रकार हैं ?

उ०—स्वाध्याय पाँच प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार है—

(१) वाचना—यथाविधि यथासमय श्रुत-वाङ्मय का अध्ययन और अध्यापन ।

(२) प्रतिपृच्छना—अध्ययन किये हुए विषय में विशेष स्पष्टीकरण हेतु पूछना, शका-समाधान करना ।

(३) परिवर्तना—सीखे हुए ज्ञान को बार बार दुहराना ।

(४) अनुप्रेक्षा—आगम तत्वों का चिन्तन मनन करना ।

(५) धर्मकथा—श्रुत-धर्म की व्याख्या-विवेचना करना ।

यह स्वाध्याय का स्वरूप है ।

सूत्र सीखने के हेतु—

६८३. पाँच कारणों से सूत्र को सीखना चाहिए । जैसे—

(१) ज्ञानार्थं—नये-नये तत्वों के परिज्ञान के लिए ।

(२) दर्शनार्थं—श्रद्धान के उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए ।

(३) चारित्र्यार्थं—चारित्र्य की निर्मलता के लिए ।

(४) व्युद्ग्रहविमोचनार्थं—दूसरों के दुराग्रह को छुड़ाने के लिये ।

(५) यथाय भाव ज्ञानार्थं—सूत्र शिक्षण से मैं यथार्थ भावों को जानूँगा, इसलिए ।

स्वाध्याय का फल—

६८४ प्र०—भन्ते ! स्वाध्याय से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—स्वाध्याय से वह ज्ञानावरणीय कर्म को क्षीण करता है ।

जो मुनि इस तप, समय योग और स्वाध्याय योग में सदा प्रवृत्त रहता है, वह सेना से घिर जाने पर आयुधों से सुसज्जित वीर की तरह अपनी और दूसरों की रक्षा करने में समर्थ होता है ।

स्वाध्याय और सद्ग्यान में लीन, छ काय रक्षक, निष्पाप मन वाले और तप में रत मुनि का पूर्वसंचित मल उसी प्रकार विशुद्ध होता है जिस प्रकार अग्नि द्वारा तपाए हुए सोने का मैल ।

(ख) ठाणं. अ. ५, उ ३, सु ४६५

(घ) विशेष विस्तार ज्ञानाचार में देखें ।

से तारिसे बुखसहे जिइदिए.

सुयेण जुत्ते अममे अकिचण ।

विरायई फम्मघणम्मि अवगए

कसिणऽब्भपुडावगमे व चंदिमे ॥

—दस. अ. ८, गा. ६१-६३

सज्झायभूमिसु अण्णउत्थियाइ सद्धिगमण पायच्छित्त सुत्त—

६८५. जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा परिहारिओ वा अपरिहारिएण सद्धि वहिया विचारभूमि वा विहारभूमि वा निक्खमइ वा, पविसइ वा, निक्खमत वा, पविसत वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ मासिय परिहारट्टाण उग्घाइय ।

—नि उ. २, सु ४१

दुगुन्ठिय कुलेसु सज्झाय उद्देशण पायच्छित्त सुत्त—

६८६ जे भिक्खू दुगुच्छियकुलेसु सज्झाय उद्दिसइ उद्दिसत वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ।

—नि. उ. १६, सु ३०

सुत्त वायणाहेउणो—

६८७. पचहिं ठाणेहिं सुत्त वाएज्जा, त जहा—

१ संगहट्टयाए.

२. उवग्गहट्टयाए,

३. णिज्जरट्टयाए,

४ सुत्ते वा मे पज्जवयाते भविस्सइ ।

५ सुत्तस्स वा अवोच्छित्ति-णयट्टयाए ।

—ठाण. अ. ५, उ. ३, सु ४६७

सुयवायणिज्जा—

६८८ चत्तारि वायणिज्जा पण्णत्ता, त जहा—

१ विणीए,

२. अविगतिपडिबद्धे,

३ विओसवियपाहुडे,

४ अमाई ।^१

—ठाणं अ ४, उ. ३, सु ४६७

१ (क) तओ कप्पत्ति वाएत्ताए, तं जहा—

(१) विणीए,

(२) नो विगड पडिबद्धे,

(ख) ठाण. अ ३, उ. ४, सु. २०४

जो पूर्वोक्त गुणो से युक्त है, दु खो को सहन करने वाला है, जितेन्द्रिय है, श्रुतवान है, ममत्व-रहित और अकिचन है, वह कर्म समूह के दूर होने पर उभी प्रकार शोभित होता है जिस प्रकार सम्पूर्ण अभ्रपटल से रहित चन्द्रमा ।

अन्यतीर्थिकादि के साथ स्वाध्याय भूमि गमन प्रायश्चित्त सूत्र—

६८५ जो भिक्षु अन्यतीर्थिक या गृहस्थ के साथ तथा पारिहारिक साधु अपारिहारिक के साथ (उपाश्रय से) बाहर की स्वाध्याय-भूमि में या मल विसर्जन भूमि में प्रवेश करता है या निष्क्रमण करता है, प्रवेश कराता है या निष्क्रमण कराता है, प्रवेश करने वाले का या निष्क्रमण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

निन्दित कुल में स्वाध्याय देने का प्रायश्चित्त सूत्र—

६८६ जो भिक्षु घृणित कुलो में स्वाध्याय का उद्देश (मूल पाठ वाचन करना) करता है, करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

सूत्र-वाचना के हेतु—

६८७ पांच कारणो से सूत्र की वाचना देनी चाहिए । जैसे—

(१) शिष्यो को श्रुत-सम्पन्न बनाने के लिए ।

(२) शिष्य वर्ग पर अनुग्रह पूर्वक उपकार करने के लिए ।

(३) कर्मों की निर्जरा के लिए ।

(४) वाचना देने से मेरा श्रुत परिपुष्ट होगा, इस कारण से ।

(५) श्रुत के पठन-पाठन की परम्परा अविच्छिन्न रखने के लिए ।

लिए ।

सूत्र वाचना के योग्य—

६८८. चार वाचना देने के योग्य होते हैं, यथा—

(१) विनीत—सूत्रार्थदाता के प्रति बन्धनादि विनयभाव करने वाला ।

(२) विकृति अप्रतिबद्ध—घृतादि विकृतियों में आसक्त न रहने वाला ।

(३) व्यवशमित प्राभृत—उपशान्त कलह वाला ।

(४) अमायावी ।

(३) विओसवियपाहुडे । —कप्प. उ ४, सु. ११

स्वाध्याय—३

सज्ज्ञायभेदा—

६८२ प०—से किं त सज्ज्ञाए ?

उ०—पचविहे सज्ज्ञाए पन्नत्ते, त जहा—

१. वायणा,

२. पडिपुच्छणा,

३. परियट्टणा,

४. अणुप्येहा—

५. धम्मकहा^१ ।

से त सज्ज्ञाए । —वि स. २५, उ ७, सु २३६

सुत्त-सिक्खण-हेउणो—

६८३. पचविहे ठाणेहि सुत्त सिक्खेज्जा, त जहा—

१. णाणट्टयाए,

२. दसणट्टयाए,

३. चरित्तट्टयाए,

४. बुग्गहविमोयणट्टयाए,

५. जहत्थे वा भावे जाणिस्सामीति कट्टु ।

—ठाण अ. ५, उ. ३, सु ४६७

सज्ज्ञाय फलं—

६८४ प०—सज्ज्ञाएण भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—सज्ज्ञाए नाणावरणिज्ज कम्मं खवेइ ।

—उत्त अ. २६, सु. २०

तव चिम संजमजोगघ च,

सज्ज्ञायजोगं च सया अहिट्टए ।

सूरे व सेणाए समत्तमाउहे,

अलमप्पणो होइ अल परेसि ॥

सज्ज्ञाय सज्ज्ञाणरयस्स ताइणो,

अपावभावस्स- तवे रयस्स ।

विमुज्जई जसि मलं पुरेकडं,

समीरिमं रूपमल व जोइणा ॥

१ (क) उव सु. ३०

(ग) उत्त अ. ३०, गा. ३४

स्वाध्याय के भेद —

६८२. प्र०—स्वाध्याय क्या है—उसके कितने प्रकार हैं ?

उ०—स्वाध्याय पाँच प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार है—

(१) वाचना—यथाविधि यथासमय श्रुत-वाङ्मय का अध्ययन और अध्यापन ।

(२) प्रतिपृच्छना—अध्ययन किये हुए विषय में विशेष स्पष्टीकरण हेतु पूछना, शंका-समाधान करना ।

(३) परिवर्तना—सीखे हुए ज्ञान को बार-बार दुहराना ।

(४) अनुप्रेक्षा—आगम तत्वों का चिन्तन मनन करना ।

(५) धर्मकथा—श्रुत-धर्म की व्याख्या-विवेचना करना ।

यह स्वाध्याय का स्वरूप है ।

सूत्र सीखने के हेतु—

६८३. पाँच कारणों से सूत्र को सीखना चाहिए । जैसे—

(१) ज्ञानार्थ—नये-नये तत्वों के परिज्ञान के लिए ।

(२) दर्शनार्थ—श्रद्धान के उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए ।

(३) चारित्र्यार्थ—चारित्र्य की निर्मलता के लिए ।

(४) व्युद्ग्रहविमोचनार्थ—दूसरों के दुराग्रह को छुड़ाने के लिये ।

(५) यथायं भाव ज्ञानार्थ—सूत्र शिक्षण से मैं यथार्थ भावों को जानूँगा, इसलिये ।

स्वाध्याय का फल—

६८४. प्र०—भन्ते ! स्वाध्याय से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—स्वाध्याय से वह ज्ञानावरणीय कर्म को क्षीण करता है ।

जो मुनि इस तप, सयम योग और स्वाध्याय योग में सदा प्रवृत्त रहता है, वह सेना से घिर जाने पर आयुधों से सुसज्जित वीर की तरह अपनी और दूसरों की रक्षा करने में समर्थ होता है ।

स्वाध्याय और सद्ध्यान में लीने, छ काय रक्षक, निष्पाप मन वाले और तप में रत मुनि का पूर्वसंचित मल उसी प्रकार मिथुद्ध होता है जिस प्रकार अग्नि द्वारा तपाए हुए सोने का मल ।

(ख) ठाणं. अ ५, उ ३, सु ४६५

(घ) विशेष विस्तार ज्ञानाचार में देखें ।

जे भिक्षू अव्वत्तं वाएइ वाएत वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू वत्तं न वाएइ न वाएत वा साइज्जइ ।^१

जे भिक्षू दोण्हं सरिसगाण एक्कं सच्चिक्खावेइ, एक्क न सच्चिक्खावेइ, एक्क वाएइ, एक्क न वाएइ, त करत वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू आयरिय-उवज्जाएहिं अचिदिण्णं गिर आइयइ आइयंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अण्णउत्थिय वा गारत्थिय वा वाएइ वाएत वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अण्णउत्थिय वा गारत्थियं वा पडिच्छइ पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्ठाण उग्घाइय ।

— नि. उ. १६, सु. १७, ३०

पासत्थाईणं वायणा दाणे पायच्छित्त सुत्ताईं—

६६३. जे भिक्षू पासत्थ वाएइ वाएतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू पासत्थं पडिच्छइ पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू ओसण्ण वाएइ वाएत वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू ओसण्णं पडिच्छइ पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू कुशीलं वाएइ वाएत वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू कुशील पडिच्छइ पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू ससत्तं वाएइ वाएत वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू ससत्तं पडिच्छइ पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू णित्थियं वाएइ वायत वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू णित्थियं पडिच्छइ पडिच्छंतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षू अव्यक्त (अप्राप्त यौवन वय वाले) को वाचना देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू व्यक्त (प्राप्त यौवन वय वाले) को वाचना नहीं देता है, नहीं दिलवाता है, या नहीं देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू दो समान योग्यता वाले शिष्यो मे से एक को शिक्षित करता है और एक को नहीं करता है, एक को वाचना देता है एक को नहीं देता है अथवा ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू आचार्य और उपाध्याय के दिये विना वाचना लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू अन्यतीर्थिको या गृहस्थो को वाचना देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से वाचना लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

पार्श्वस्थादि को वाचना देने के प्रायश्चित्त सूत्र—

६६३. जो भिक्षू पार्श्वस्थ को वाचना देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू पार्श्वस्थ से वाचना लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू अवसन्न को वाचना देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू अवसन्न से वाचना लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू कुशील को वाचना देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू कुशील से वाचना लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू ससक्त को वाचना देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू ससक्त से वाचना लेता है लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू नित्यक को वाचना देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू नित्यक से वाचना लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

१ भाष्य मे २१-२२ एव २५-२६ सु १६-२० के समान हैं, पुनरावृत्ति हुई है ।

सुय अवायणिज्जा—

६८६ चत्तारि अवायणिज्जा पण्णत्ता, त जहा—

१. अविणीए,

२ विगइ-पडिवद्धे,

३ अविओसविय पाहुडे,

४ मायी^१ । — ठाण अ. ४, उ. ३, सु. ३२६

सुयवायणाए फलं—

६९०. प०— वायणाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०— वायणाए निज्जरं जणयइ । सुयस्स य अणासायणाए वट्टइ । सुयस्स अणासायणाए वट्टमाणे तित्थधम्म अवलम्बइ । तित्थधम्मं अवलम्बमाणे महानिज्जेरे महापज्जवसाणे भवइ । —उत्त अ २६, सु. २१

दुगुच्छिय कुले-वायणादाणादाण पायच्छित्त सुत्ताइ—

६९१ जे भिक्खू दुगुच्छिय कुलेसु सज्जाय वाएइ, वाएतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू दुगुच्छिय कुलेसु सज्जाय पडिच्छइ, पडिच्छत वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठणं उग्घाइयं ।

—नि. उ १६, सु. ३१-३२

अविहीए वायणा-दाणे पायच्छित्त-सुत्ताइं—

६९२ जे भिक्खू हेट्ठिल्लाइ समोसरणाइ अवाएत्ता उवरिल्लाइं समोसरणाइ वाएइ वायत वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू णववंमचेराइ अवाएत्ता उत्तम सुय वाएइ वायत वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू अपत्तं वाएइ वाएतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्खू पत्तं ण वाएइ ण वाएतं वा साइज्जइ ।

सूत्र वाचना के अयोग्य—

६८६. चार वाचना देने के योग्य नहीं होते हैं, यथा—

(१) अविनीत—सूत्रार्थदाता के प्रति वन्दनादि विनय भाव न करने वाला ।

(२) विकृति प्रतिवद्ध—घृतादि विकृतियों में आसक्त रहने वाला ।

(३) अव्यवशमित प्राभृत—अनुपशान्त कलह वाला ।

(४) मायावी ।

सूत्र वाचना का फल—

६९० प्र०—भन्ते ! वाचना (अध्यापन) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०— वाचना से वह कर्मों को क्षीण करता है । श्रुत की आशातना के दोष से बच जाता है । श्रुत की आशातना से बचने वाला तीर्थ-धर्म का अवलम्बन करता है, तीर्थ-धर्म का अवलम्बन करने वाला जीव कर्मों की महा निर्जरा और संसार का अन्त करने वाला होता है ।

घृणित कुल में वाचना देने-लेने के प्रायश्चित्त सूत्र—

६९१ जो भिक्षु घृणित कुलों में स्वाध्याय की वाचना (सूत्रार्थ) देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु घृणित कुलों में स्वाध्याय की वाचना लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

अविधि से वाचना देने के प्रायश्चित्त सूत्र—

६९२. जो भिक्षु प्रारम्भ के समोसरण (अंग सूत्र, श्रुतस्वन्ध, अध्ययन, उद्देशक) की वाचना न देकर बाद के समोसरण (अध्ययन उद्देशो) की वाचना देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु नव ब्रह्मचर्य (आचाराग सूत्र प्रथम श्रुतस्वन्ध) की वाचना न देकर छेद सूत्र आदि की वाचना देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु अपात्र (अयोग्य) को वाचना देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षु पात्र (योग्य) को वाचना नहीं देता है, नहीं दिलवाता है या नहीं देने वाले का अनुमोदन करता है ।

१ (क) तयो नो कप्पति वाएत्तए, त जहा—

(१) अविणीए, (२) विगइ-पडिवद्धे,

(३) अविओमविय पाहुडे ।

(ख) ठाण. अ ३, उ. ४, सु. २०४

—कप्प उ ४, सु. १०

जे भिक्षू अन्वत्त वाएइ वाएतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू वत्तं न वाएइ न वाएत वा साइज्जइ ।^१

जे भिक्षू दोण्हं सरिसगाण एक सच्चिखावेइ, एक न सच्चिखावेइ, एक वाएइ, एक न वाएइ, त करत वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू आयरिय-उवज्जाएहिं अविदिण्णं गिर आइयइ आइयंत वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अण्णउत्थिय वा गारत्थिय वा वाएइ वाएत वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू अण्णउत्थिय वा गारत्थियं वा पडिच्छइ पडिच्छत वा साइज्जइ ।

त सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासिय परिहारट्टाण उग्घाइय ।

— नि. उ. १६, सु. १७, ३०

पासत्थाईणं वायणा दाणे पायच्छित्त सुत्ताईं—

६६३. जे भिक्षू पासत्थ वाएइ वाएतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू पासत्थं पडिच्छइ पडिच्छतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू ओसण्ण वाएइ वाएत वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू ओसण्णं पडिच्छइ पडिच्छतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू कुसीलं वाएइ वाएत वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू कुसील पडिच्छइ पडिच्छतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू ससत्तं वाएइ वाएतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू ससत्तं पडिच्छइ पडिच्छतं वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू णितियं वाएइ वायत वा साइज्जइ ।

जे भिक्षू णितियं पडिच्छइ पडिच्छतं वा साइज्जइ ।

जो भिक्षू अव्यक्त (अप्राप्त यौवन वय वाले) को वाचना देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू व्यक्त (प्राप्त यौवन वय वाले) को वाचना नहीं देता है, नहीं दिलवाता है, या नहीं देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू दो समान योग्यता वाले शिष्यो मे से एक को शिक्षित करता है और एक को नहीं करता है, एक को वाचना देता है एक को नहीं देता है अथवा ऐसा करने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू आचार्य और उपाध्याय के दिये विना वाचना लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू अन्यतीर्थिको या गृहस्थो को वाचना देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू अन्यतीर्थिक से या गृहस्थ से वाचना लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त) आता है ।

पाश्वंस्थादि को वाचना देने के प्रायश्चित्त सूत्र—

६६३. जो भिक्षू पाश्वंस्थ को वाचना देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू पाश्वंस्थ से वाचना लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू अवसन्न को वाचना देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू अवसन्न से वाचना लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू कुशील को वाचना देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू कुशील से वाचना लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू ससक्त को वाचना देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू ससक्त से वाचना लेता है लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू नित्यक को वाचना देता है, दिलवाता है या देने वाले का अनुमोदन करता है ।

जो भिक्षू नित्यक से वाचना लेता है, लिवाता है या लेने वाले का अनुमोदन करता है ।

१ भाष्य मे २१-२२ एव २५-२६ सु १६-२० के समान हैं, पुनरावृत्ति हुई है ।

तं सेवमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्ठाणं उग्घाडयं ।

—नि. उ १९, सु ३१-४०

पडिपुच्छणा फलं—

६९४ प्र०—पडिपुच्छणयाए ण भत्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—पडिपुच्छणयाए णं सुत्तथ-तदुभयाइ विसोहेइ । कखा-
मोहणिज्ज कम्म वोच्छिवइ ।

—उत्त. अ २९, सु. २२

परियट्ठणा फलं—

६९५ प्र०—परियट्ठणाए ण भत्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—परियट्ठणाए ण वज्जणइ जणयइ, वंजणलद्धि च उप्पा-
एइ ।

—उत्त. अ. २९, सु २३

अणुप्पेहा फलं—

६९६ प्र०—अणुप्पेहाए ण भत्ते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—अणुप्पेहाए णं आउयवज्जाओ सत्तकम्मपगड्डीओ
धणियवन्धनवट्ठाओ सिद्धिलवन्धनवट्ठाओ पकरेइ ।

दीहकालट्ठिइयाओ हस्सकालट्ठिइयाओ पकरेइ ।

तिव्वाणुभावाओ मन्दाणुभावाओ पकरेइ ।

बहुपएसग्गाओ अप्पएसग्गाओ पकरेइ ।

आउय च ण कम्म सिय वन्धइ सिय नो वन्धइ ।

असायावेयणिज्जं च णं कम्म नो भुज्जो भुज्जो उव-
चिणाइ,

अणाइय च णं अणवदगं वीहमट्ठ चाउरन्त संसार
कन्तारं खिप्पामेव वीइवयइ ।

—उत्त. अ. २९, सु. २४

कहाए भेया —

६९७ तिविहा कहा पणत्ता, त जहा—

१. अत्यकहा,

२. धम्मकहा,

३. कामकहा ।

—ठाण. अ ३, उ. ३, सु १९४

तिविहे धम्मे पणत्ते, तं जहा—

१. सुयधम्मे,

२ चरित्तधम्मे,

३ अस्तिकायधम्मे । —ठाणं. अ. ३, उ ३, सु. १९४(९)

उसे चातुर्मासिक उद्घातिक परिहारस्थान (प्रायश्चित्त)
आता है ।

प्रतिप्रश्न का फल—

६९४ प्र०—भन्ते ! प्रतिप्रश्न करने से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—प्रतिप्रश्न करने से वह सूत्र, अर्थ और उन दोनों से
सम्बन्धित सन्देहो को दूर करता है और काक्षा-मोहनीय कर्म का
विनाश करता है ।

पुनरावृत्ति का फल—

६९५ प्र०—भन्ते ! परावर्तना (पठित पाठ के पुनरावर्तन) से
जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—परावर्तना से वह अक्षरो को उत्पन्न करता है अर्थात्
स्मृत को परिपक्व और विस्मृत को याद करता है तथा व्यजन-
लब्धि (पदानुसारिणि लब्धि) को प्राप्त करता है ।

अनुप्रेक्षा का फल—

६९६ प्र०—भन्ते ! अनुप्रेक्षा (अर्थ चिन्तन) से जीव क्या प्राप्त
करता है ?

उ०—अनुप्रेक्षा से वह आयुष-कर्म को छोड़कर शेष सात
कर्मों की गाढ-बन्धन से बन्धी हुई प्रकृतियों को शिथिल-बन्धन
वाली कर देता है ।

उनकी दीर्घ-कालीन स्थिति को अल्प कालीन कर देता है,

उनके तीव्र अनुभाग को मन्द कर देता है ।

उनके बहु-प्रदेशो को अल्प कर देता है ।

आयुष-कर्म का बन्धन कदाचित् करना है, कदाचित् नहीं
भी करता है ।

असाता-वेदनीय कर्म का बार-बार उपचय नहीं करता है ।

अनादि-अनन्त लम्बे-मार्ग वाली तथा चतुर्गति-रूप संसार
अटवी को तुरन्त ही पार कर जाता है ।

कथा के भेद—

६९७. कथा तीन प्रकार की कही गई है । यथा—

(१) अर्थ कथा—घन के उत्पादन उपाजन विषयक कथा ।

(२) धर्म कथा—जिसके कहने सुनने से धर्म की भावना
बढ़े वह कथा ।

(३) काम कथा—जिसके श्रवण करने से विषय वासना
उत्पन्न हो वैसे कथा ।

धर्म तीन प्रकार का होता है—

(१) श्रुत-धर्म,

(२) चरिय-धर्म,

(३) अस्तिकाय-धर्म ।

चउच्चिवा कहा पणत्ता, त जहा —

१. अक्खेवणी,
२. विक्खेवणी,
३. संवेगणी,
४. निव्वेज्जणी ।

अक्खेवणी कहा चउच्चिवा पणत्ता, तं जहा—

१. आघार अक्खेवणी,
२. ववहार अक्खेवणी,
३. पणत्ति अक्खेवणी,
४. दिट्ठिवाय अक्खेवणी ।

विक्खेवणी कहा चउच्चिवा पणत्ता, तं जहा—

१. ससमयं कहेत्ति, ससमयं कहेत्ता, परसमयं कहेत्ति,
२. परसमयं कहेत्ता, ससमयं ठावत्तिता भवत्ति,
३. सम्मावात कहेत्ति, सम्मावात कहेत्ता, मिच्छावातं कहेत्ति,
४. मिच्छावात कहेत्ता, सम्मावात ठावत्तिता भवत्ति ।

सवेगणी कहा चउच्चिवा पणत्ता, तं जहा—

१. इहलोगसंवेगणी,
२. परलोगसंवेगणी,
३. आतसरीरसवेगणी,
४. परसरीरसवेगणी ।

निव्वेज्जणी कहा चउच्चिवा पणत्ता, तं जहा—

१. इहलोगे दुच्चिन्ना कम्मा इहलोगे दुहफलविवागसजुत्ता भवत्ति,
२. इहलोगे दुच्चिन्ना कम्मा परलोगे दुहफलविवागसजुत्ता भवत्ति,

कथा चार प्रकार की कही गई है, यथा—

- (१) आक्षेपणी—ज्ञान और चारित्र्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने वाली कथा ।
- (२) विक्षेपणी—सन्मार्ग की स्थापना करने वाली कथा ।
- (३) सवेगनी - जीवन की नश्वरता और दुःख बहुलता दिखाकर वैराग्य उत्पन्न करने वाली कथा ।
- (४) निर्वेदनी—कृत कर्मों के शुभाशुभ फल दिखलाकर संसार के प्रति उदासीन बनाने वाली कथा ।

आक्षेपणी कथा चार प्रकार की कही गई है । यथा—

- (१) आचार आक्षेपणी - साधु और श्रावक के आचार का वर्णन वाली ।
- (२) व्यवहार आक्षेपणी - व्रतों के दोष लगने पर प्रायश्चित्त का वर्णन करने वाली ।
- (३) प्रज्ञप्ति आक्षेपणी—सशयग्रस्त श्रोता को मधुर वचनों से उपदेश देकर सशय दूर करने वाली ।

(४) दृष्टिपात आक्षेपणी—श्रोता की योग्यता के अनुसार विविध नयो (दृष्टियो) से तत्त्व का निरूपण करने वाली ।

विक्षेपणी कथा चार प्रकार की कही गई है, यथा—

- (१) वक्ता अपने सिद्धांत का कथन कर फिर दूसरो के सिद्धांत का कथन करता है ।
- (२) दूसरो के सिद्धांत का कथन कर फिर अपने सिद्धांत की स्थापना करता है ।
- (३) वक्ता सम्यग्वाद का कथन कर फिर मिथ्यावाद का कथन करता है ।
- (४) वक्ता मिथ्यावाद का कथन कर फिर सम्यग्वाद की स्थापना करता है ।

सवेगनी कथा चार प्रकार की कही गई है, यथा—

- (१) इहलोक सवेगनी—मनुष्य जीवन की असारता तथा अनित्यता दिखाने वाली कथा ।
- (२) परलोक सवेगनी—देवादि भवों में जो नाना प्रकार के दुःखों का अनुभव करते हैं उनकी कथा ।
- (३) आत्म शरीर सवेगनी—अपने शरीर की अशुचिता का प्रतिपादन करने वाली कथा ।
- (४) परशरीर सवेगनी—दूसरे के शरीर की अशुचिता का प्रतिपादन करने वाली कथा ।

निर्वेदनी कथा चार प्रकार की कही गई है, यथा —

- (१) इस लोक में किये हुए दुष्कर्म इसी लोक में दुःखरूप फल देने वाले होते हैं ।
- (२) इस लोक में किये हुए दुष्कर्म परलोक में दुःखरूप फल देने वाले होते हैं ।

३ परलोगे दुच्चिन्ना कम्मा इहलोगे दुहफलविवागसंजुत्ता भवन्ति,

४. परलोगे दुच्चिन्ना कम्मा परलोगे दुहफलविवागसंजुत्ता भवन्ति,

१ इहलोगे सुच्चिन्ना कम्मा इहलोगे सुहफलविवागसंजुत्ता भवन्ति,

२. इहलोगे सुच्चिन्ना कम्मा परलोगे सुहफलविवागसंजुत्ता भवन्ति,

३. परलोगे सुच्चिन्ना कम्मा इहलोगे सुहफलविवागसंजुत्ता भवन्ति,

४. परलोगे सुच्चिन्ना कम्मा परलोगे सुहफलविवागसंजुत्ता भवन्ति ।

—ठाण अ. ४, उ. २, सु. २८२

पवयण सरूवं—

६९८ इमं च ण सव्वजगजीव-रक्खणदयद्वयाए पावयण भगवया सुकहियं, अत्तहियं, पेच्चा भावियं, आगमेसिभद्दं, सुद्ध, गेयाउय, अक्कुडिलं, अणुत्तर सव्वदुखपावाण, विउसमणं ।

—प सु. २, अ. १, सु. ६

प०—पवयण भन्ते ! पवयणं, पावयणी पवयणं ?

उ०—गोयमा ! अरहा ताव नियम पावयणी, पवयण पुण दुवालसगे गणिपिटगे, त जहा—आयारो-जाव-विट्ठिवाओ ।

—विद्या. स. २०, उ. ८, सु. १५

धम्मकहाए विही णिसेहो—

६९९ से भिक्खू धम्म किट्टमाणे णो अन्नस्स हेउ धम्म आइक्खेज्जा, णो पाणस्स हेउ धम्मं आइक्खेज्जा, णो वत्थस्स हेउ धम्म आइक्खेज्जा, णो लेणस्स हेउ धम्म आइक्खेज्जा, णो सयणस्स हेउ धम्मं आइक्खेज्जा, णो अन्नेसिं विरूय-रूवाणं काम-भोगाण हेउ धम्ममाइक्खेज्जा,

अगिलाए धम्ममाइक्खिज्जा,

णणत्थ कम्मणिज्जरद्वयाए धम्म आइक्खेज्जा ।

—सूय. सु. २, अ. १, सु. ६९०

धम्मकहाविवेगो—

७०० जहा पुणस्स कत्यति तथा तुच्छस्स कत्यति ।

जहा तुच्छस्स कत्यति तथा पुणस्स कत्यति ।

(३) परलोक में किये हुए दुष्कर्म इस लोक में दुःखरूप फल देने वाले होते हैं ।

(४) परलोक में किये हुए दुष्कर्म परलोक में ही दुःखरूप फल देने वाले होते हैं ।

(१) इस लोक में किये हुए शुभ कर्म इसी लोक में सुखमय फल देने वाले होते हैं ।

(२) इस लोक में किये हुए शुभ कर्म परलोक में सुखमय फल देने वाले होते हैं ।

(३) परलोक में किये हुए शुभ कर्म इस लोक में सुखमय फल देने वाले होते हैं ।

(४) परलोक में किये हुए शुभ कर्म परलोक में सुखमय फल देने वाले होते हैं ।

प्रवचन का स्वरूप—

६९८. यह प्रवचन श्रमण भगवान् महावीर ने जगत के समस्त जीवों की रक्षा दया के लिए समीचीन रूप में कहा है। यह प्रवचन आत्मा के लिए हितकर है, परलोकगामी है, भविष्यत् काल में भी कल्याणकर है, शुद्ध है, न्याययुक्त है, मुक्ति प्राप्ति का सरल सीधा मार्ग है, सर्वोत्तम है, तथा समस्त दुःखों और पापों को उपशान्त करने वाला है ।

प्र०—भगवन् ! प्रवचन को ही प्रवचन कहते हैं, अथवा प्रवचनी को प्रवचन कहते हैं ?

उ०—गौतम ! अरिहन्त तो निश्चित रूप से प्रवचनी है और द्वादशांग गणिपिटक प्रवचन हैं । यथा आचाराग—यावत्—दृष्टिवाद ।

धर्मकथा के विधि-निषेध—

६९९ धर्मोपदेश करता हुआ भिक्षु आहार के लिए, पानी के लिए, वस्त्र-प्राप्ति के लिए, आवास स्थान के लिए, शयनीय पदार्थों की प्राप्ति के लिए तथा दूसरे विविध प्रकार के काम-भोगों (भोग्य पदार्थों) के लिए धर्म कथा न करे ।

अग्लान भाव से (प्रसन्नता पूर्वक) धर्मोपदेश करे ।

कर्मों की निर्जरा (आत्मशुद्धि) के उद्देश्य के सिवाय अन्य किसी भी फलाकांक्षा से धर्मोपदेश न करे ।

धर्म-कथा विवेक—

७०० साधक जैसे सम्पन्न व्यक्ति को धर्म-उपदेश करता है, वैसे ही दरिद्र को भी धर्म उपदेश करता है ।

जैसे दरिद्र को धर्मोपदेश करता है, वैसे ही सम्पन्न को भी धर्मोपदेश करता है ।

अवि य हणे अणादीयमाणे । एत्थं पि जाण सेयं ति णत्थि ।

केऽत्रं पुरिसे कं च णए ।

—आ सु. १, अ. २, उ. ६, सु. १०२

दयं लोगस्स जाणित्ता पाईण पडोणं दाहिण उदीण आइक्खे
विभए किट्टए वेदवी ।

से उट्टिएसु वा अणुट्टिएसु वा सुस्ससमाणेसु पवेदए-सति,
विरति, उवसम, णिव्वाण, सोयविय, अज्जवियं, मट्टवियं,
लाघवियं, अणत्तिवत्तिय ।

सव्वेसि पाणाणं सव्वेसि भूताणं, सव्वेसि जीवाणं, सव्वेसि
सत्ताण अणुवीइ भिक्खू धम्ममाइक्खमाणे ।

अणुवीइ भिक्खू धम्ममाइक्खमाणे णो अत्ताणं आसाएज्जा,
णो पर आसाएज्जा, णो अणाइं पाणाइं भूयाइं जीवाइं
सत्ताइ आसाएज्जा ।

से अणासायए अणासायमाणे वज्जमाणणं भूताणं जावाणं
सत्ताण जहा से दीवे असदीणे एवं से भवति सरण महामुणो ।

—आ सु. १, अ. ६, उ ५, सु. १६६-१६७

आघात्ति णाणो इह माणवाणं संसारपडिवण्णाण संवुज्झ-
माणणं विण्णाणं पत्ताणं ।

अट्टा वि सता अट्टा पमत्ता ।

अहासच्चमिण ति वेमि ।

णाऽणागमो मच्चमुहस्स अत्थि, इच्छापणीता वंकाणिकेया,
कालगहीता णिचये णिविट्ठा पुढो पुढो जाइ पक्कप्पति ।

इहमेगेसि तत्थ तत्थ सथसो भवति । अहोषवातिए फासे
पडिसवेदयंति ।

—आ सु. १, अ. ४, उ २, सु. १३४-१३५^१

केसिचि तक्काइ अबुज्झ भाव,

खुड्ड पि गच्छेज्जा असद्दहाणे ।

आयुस्स कालात्तियार वघातं,

लद्धाणुमाणे य परेसु अट्टे ॥

कदाचित् तत्व को सम्यक् ग्रहण न करते हुए श्रोता भिक्षु
को भारने भी लग सकता है। अतः भिक्षु को यह पाने बिना
धर्मकथा करना श्रेयस्कर नहीं होता है कि—

‘श्रोता कौन है और किस सिद्धान्त को मानने वाला है?’

आगमज्ञ मुनि प्राणी जगत पर दया अनुकम्पा भावपूर्वक
पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण आदि दिशाओ में विचरता
हुआ धर्म का आख्यान करे, उसका विभेद करके समझावे तथा
धर्माचरण से सुफल का प्रतिपादन करे ।

वह मुनि धर्माचरण युक्त या धर्माचरण रहित जो भी पुरुष
धर्म श्रवण के लिए उपस्थित हो उन्हें शान्ति, विरति, उपशम,
निर्वाण, पवित्रता, सरलता, कोमलता, अपरिग्रह एव अहिंसा
आदि धर्मों का प्रतिपादन करे ।

वह भिक्षु समस्त प्राणियों, सभी भूतो, सभी जीवो और
समस्त सत्वो का हित चिन्तन करके धर्म का व्याख्यान करे ।

भिक्षु विवेक पूर्वक धर्म का व्याख्यान करता हुआ अपने
आपको बाधा न पहुँचाए, न दूसरो को बाधा पहुँचाए और न ही
अन्य प्राणो, भूतो, जीवो और सत्वो को बाधा पहुँचाए ।

किसी भी प्राणी को बाधा न पहुँचाते हुए धर्म कहने वाला
वह महामुनि ससार-प्रवाह में डूबते हुए प्राणो, भूतो, जीवो
और सत्वो के लिए असंदीन (नहीं डूबने वाले) द्वीप की तरह
शरणभूत होता है ।

ज्ञानी पुरुष इस ससार में स्थित, सम्यक् बोध पाने के लिए
उत्सुक एवं विज्ञान प्राप्त मनुष्यों को उपदेश करते हैं ।

जो आर्त अथवा प्रमत्त होते हैं, वे भी धर्म का आचरण कर
सकते हैं ।

यह यथातथ्य सत्य है, ऐसा मैं कहता हूँ ।

‘जीव मृत्यु के मुख में नहीं जायेंगे, ऐसा सम्भव नहीं है ।
फिर भी कुछ लोग इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होकर असयम में
संलग्न रहते हैं । वे मृत्यु की पकड़ में आ जाने पर भी कर्म-
सचय करने या धन सग्रह में लगे रहते हैं । ऐसे लोग विभिन्न
योनियो में बारम्बार जन्म ग्रहण करते रहते हैं ।

ऐसे मनुष्यों का इस लोक में उन-उन जन्म-मरण के स्थानो
का अति सम्पर्क होता है । वे वहाँ जन्म-मरण के अनेक दुःखो
का अनुभव करते हैं ।

तत्व चर्चा करने पर कोई अश्रद्धालु मनुष्य भावो को न
समझकर क्रोध को प्राप्त हो सकता है और वक्ता को मार
सकता है या कष्ट दे सकता है इसलिए मुनि अनुमान के द्वारा
दूसरो के भावो को जानकर धर्म कहे ।

१ इस सूत्र का शेष अंश चारित्राचार पृ. २०७ पर देखें ।

२ मणुष्यसंपयोगसंपउत्ते, तस्स अविष्पयोग सतिसमन्नागते यावि भवति,
 ३. आयकसपयोगसंपउत्ते, तस्स विष्पयोग सतिसमन्नागते यावि भवति,
 ४. परिष्कुसियकामभोगसंपउत्ते तस्स अविष्पयोग सतिसमन्ना-
 गते यावि भवति^१ । —वि. स. २५ उ. ७, सु २३८

अट्ट ज्ञाण लक्खणा—

७०७ अट्टस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि लक्खणा पन्नत्ता, तं जहा—

- १ कदणया,
- २ सोषणया,
- ३ तिष्पणया,
- ४ परिदेवणया^२ । —वि. स. २५, उ ७, सु २३६

रुद्ध ज्ञाण भेया—

७०८. रोद्धे ज्ञाणे चउन्विहे पन्नत्ते, तं जहा—

- १ हिंसाणुवंधी,
- २ मोसाणुवंधी,
- ३ तेयाणुवंधी,
- ४ सारक्खणाणुवंधी^३ । —वि स २५, उ ७, सु २४०

रुद्ध ज्ञाण लक्खणा—

७०९ रोद्धस्स ज्ञाणस्स चत्तारि लक्खणा पन्नत्ता, तं जहा—

- १ उस्सन्न दोसे,
२. बहुदोसे,
३. अण्णाणदोसे,
४. आमरणतदोसे^४ ।

—वि स २५, उ. ७, सु २४१

धम्मज्ञाण भेया—

७१० धम्मज्ञाणे चउन्विहे चउप्पडोयारे पन्नत्ते, तं जहा—

- १ आणाविजये,

१ ठाणं अ ४, उ. १, सु २४७

२ (क) उव. सु ३० मे चौथा लक्षण "विलवणया" है ।

३ ठाणं. अ. ४, उ १, सु २४७

४ ठाणं अ ४, उ. १, सु २४७

(२) मनोज्ञ वस्तु की प्राप्ति होने पर उसके अविद्योग की चिन्ता करना ।

(३) आतंक (रोग) होने पर उसके विद्योग की चिन्ता करना ।

(४) प्रीति उत्पन्न करने वाले काम भोग आदि की प्राप्ति होने पर उनके अविद्योग की चिन्ता करना ।

आर्तध्यान के लक्षण—

७०७ आर्तध्यान के चार लक्षण कहे गये हैं, यथा--

- (१) क्रन्दनता—आक्रन्द करना,
- (२) शोचनता—शोक करना ।
- (३) तेपनता—आसू गिराना ।
- (४) परिदेवनता—वार-वार विलाप करना ।

रौद्रध्यान के भेद—

७०८. रौद्रध्यान चार प्रकार का कहा गया है, यथा—

- (१) हिंसानुवन्धी—हिंसा को उद्दिष्ट कर एकाग्र चिन्तन करना ।
- (२) मृपानुवन्धी—असत्य को उद्दिष्ट कर निरन्तर चिन्तन करना ।
- (३) स्तेयानुवन्धी—चोरी से सम्बद्ध एकाग्र चिन्तन करना ।
- (४) सरक्षणानुवन्धी—धन आदि के सरक्षण हेतु अनिष्ट चिन्तन करना ।

रौद्रध्यान के लक्षण—

७०९ रौद्रध्यान के चार लक्षण कहे गये हैं । यथा—

- (१) ओमन्न दोष—हिंसादि किसी एक दोष में लीन रहना ।
- (२) बहुल दोष—हिंसादि बहुत दोषों में प्रवृत्त रहना ।
- (३) अज्ञान दोष—अज्ञान के कारण हिंसादि में धर्म-बुद्धि से प्रवृत्ति करना ।
- (४) आमरणान्त दोष—हिंसादि कार्यों का मरण पर्यन्त पश्चात्ताप न करना एवं उसमें प्रवृत्त रहना ।

धर्मध्यान के भेद—

७१० धर्मध्यान चार प्रकार के चार पदों में अवतरित होता है, यथा—

- (१) आज्ञाविचय—वीतराग की आज्ञा का या उनके द्वारा प्ररूपित तत्त्वों का चिन्तन करना ।

(ख) ठाणं. अ ४, उ. १, सु. २४७

२. अवायविजये,

३. विवागविजये,

४ संठाणविजये ।

—वि. स. २५, उ. ७, सु २४२

धम्मज्ञाण लक्खणा—

७११. धम्मस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि लक्खणा पन्नत्ता, तं जहा—

१ आणारुई,

२. निसग्गरुई,

३. सुत्तरुई,

४ ओगाढरुई ।

—वि. स. २५, उ. ७, सु २४३

धम्मज्ञाणस्स आलंबणा—

७१२. धम्मस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि आलंबणा पन्नत्ता, तं जहा—

१ वायणा,

२ पडिपुच्छणा^२,

३. परिपट्टणा,

४ धम्मकहा ।

—वि स २५, उ. ७, सु. २४४

धम्मज्ञाणस्स अणुप्पेहाओ—

७१३ धम्मस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ पन्नत्ताओ, तं जहा—

१ एगत्ताणुप्पेहा,

२. अणिच्चानुप्पेहा,

३. असरणानुप्पेहा,

४. संसारानुप्पेहा । —वि. स २५, उ. ७, सु. २४५

सुक्कज्ज्ञाण भेया—

७१४. सुक्के ज्ञाणे चउच्चिहे चउप्पडोयारे पन्नत्ते, तं जहा—

१ पुहत्तवियक्के सवियारी,

(२) अपायविचय - राग-द्वेष, कषाय, मिथ्यात्व, अविरति आदि आस्रवो का चिन्तन करना ।

(३) विपाकविचय—ज्ञानावरणीय आदि कर्मों से उत्पन्न आत्मा की विभिन्न अवस्थाओं का चिन्तन करना ।

(४) संस्थानविचय—ऊर्ध्व-अधोलोक, द्वीप समुद्र आदि के विषय में चिन्तन करना ।

धर्मध्यान के लक्षण—

७११. धर्मध्यान के चार लक्षण कहे गये हैं । यथा—

(१) आज्ञारुचि—वीतराग की आज्ञा में रुचि होना,

(२) निसर्ग रुचि—किसी के उपदेश के बिना स्वभाव से ही जिनभाषित तत्वों पर श्रद्धा होना ।

(३) सूत्र रुचि—आगमों के अध्ययन व श्रवण में रुचि होना ।

(४) अवगाढ रुचि—(उपदेश रुचि) धर्मोपदेश श्रवण में उत्पन्न रुचि होना ।

धर्मध्यान के आलम्बन—

७१२. धर्मध्यान के चार अवलम्बन कहे गये हैं, यथा—

(१) वाचना,

(२) पृच्छना,

(३) परिवर्तना,

(४) धर्म कथा ।

धर्मध्यान की अनुप्रेक्षाएँ—

७१३. धर्मध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ कही गयी हैं । यथा—

(१) एकत्वानुप्रेक्षा—आत्मा के एकत्व भाव का चिन्तन करना ।

(२) अनित्यानुप्रेक्षा—शरीर, जीवन आदि की अनित्यता का चिन्तन करना ।

(३) अशरणानुप्रेक्षा—आत्मा की अशरणदशा का चिन्तन करना ।

(४) संसारानुप्रेक्षा—संसार परिभ्रमण का चिन्तन करना ।

शुक्लध्यान के भेद—

७१४ शुक्लध्यान के चार प्रकार और चतुष्प्रत्यावतार बहे है, यथा—

(१) पृथक्त्व-वितर्क-सविचारी—एक द्रव्य विषयक अनेक पर्यायों का पृथक् पृथक् चिन्तन करना ।

१ उव सु ३० में चौथा लक्षण "उवएसुरुई है"

२ उव सु. ३०, दूसरा आलम्बन (पृच्छणा) है ।

२ मणुष्यसंपयोगसंपउत्ते, तस्स अविप्पयोग सतिसमन्नागते यावि भवति,
 ३. आर्यकसपयोगसंपउत्ते, तस्स विप्पयोग सतिसमन्नागते यावि भवति,
 ४ परिष्णुसियकामभोगसंपउत्ते तस्स अविप्पयोग सतिसमन्नागते यावि भवति^१ । —वि. स. २५ उ. ७, सु २३८

अट्ट ज्ञाण लक्षण—

७०७ अट्टस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि लक्षणानि पन्नन्ता, तं जहा—

- १ फदणया,
- २ सोयणया,
- ३ तिप्पणया,
- ४ परिदेवणया^२ । —वि. स. २५, उ. ७, सु २३६

रुद्ध ज्ञाण भेदा—

७०८. रोद्धे ज्ञाणे चउत्तव्विहे पन्नन्ते, तं जहा—

- १ हिंसाणुवन्धी,
- २ मोसाणुवन्धी,
- ३ तेयाणुवन्धी,
- ४ सारक्खणाणुवन्धी^३ । —वि स २५, उ ७, सु २४०

रुद्ध ज्ञाण लक्षण—

७०९ रोद्धेस्स ज्ञाणस्स चत्तारि लक्षणानि पन्नन्ता, तं जहा—

- १ उस्सन्न दोसे,
२. बहुदोसे,
- ३ अण्णाणदोसे,
- ४ आमरणतदोसे^४ ।

—वि स २५, उ. ७, सु २४१

धम्मज्ञाण भेदा—

७१० धम्मं ज्ञाणे चउत्तव्विहे चउत्तपडोयारे पन्नन्ते, तं जहा—

- १ आणाविजये,

१ ठाणं अ. ४, उ. १, सु २४७

२ (क) उव. सु ३० मे चौथा लक्षण "विलवणया" हे ।

३ ठाणं. अ ४, उ १, सु २४७

४ ठाणं अ ४, उ. १, सु २४७

(२) मनोज्ञ वस्तु की प्राप्ति होने पर उसके अवियोग की चिन्ता करना ।

(३) आतंक (रोग) होने पर उसके वियोग की चिन्ता करना ।

(४) प्रीति उत्पन्न करने वाले काम भोग आदि की प्राप्ति होने पर उनके अवियोग की चिन्ता करना ।

आर्तध्यान के लक्षण—

७०७ आर्तध्यान के चार लक्षण कहे गये हैं, यथा—

- (१) क्रन्दनता—आक्रन्द करना,
- (२) शोचनता—शोक करना ।
- (३) तेपनता—आसू गिराना ।
- (४) परिदेवनता—वार-वार विलाप करना ।

रौद्रध्यान के भेद—

७०८. रौद्रध्यान चार प्रकार का कहा गया है, यथा—

- (१) हिंसानुवन्धी - हिंसा को उद्दिष्ट कर एकाग्र चिन्तन करना ।
- (२) मृषानुवन्धी—असत्य को उद्दिष्ट कर निरन्तर चिन्तन करना ।
- (३) स्तेयानुवन्धी—चोरी से सम्बद्ध एकाग्र चिन्तन करना ।
- (४) सरक्षणानुवन्धी—घन आदि के सरक्षण हेतु अनिष्ट चिन्तन करना ।

रौद्रध्यान के लक्षण—

७०९ रौद्रध्यान के चार लक्षण कहे गये हैं । यथा—

- (१) ओसन्न दोष—हिंसादि किसी एक दोष में लीन रहना ।
- (२) बहुल दोष—हिंसादि बहुत दोषों में प्रवृत्त रहना ।
- (३) अज्ञान दोष—अज्ञान के कारण हिंसादि में धर्म-बुद्धि से प्रवृत्ति करना ।
- (४) आमरणान्त दोष—हिंसादि कार्यों का मरण पर्यन्त पश्चात्ताप न करना एवं उसमें प्रवृत्त रहना ।

धर्मध्यान के भेद—

७१० धर्मध्यान चार प्रकार के चार पदों में अवतरित होता है, यथा—

- (१) आज्ञाविचय—वीतराग की आज्ञा का या उनके द्वारा प्ररूपित तत्वों का चिन्तन करना ।

(ख) ठाणं अ ४, उ. १, सु. २४७

२. अपायविजये,

३ विवागविजये,

४ संठाणविजये ।

—वि. स. २५, उ. ७, सु. २४२

धम्मज्ञाण लक्खणा—

७११. धम्मस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि लक्खणा पन्नत्ता, तं जहा—

१ आणारुई,

२. निसग्गरुई,

३. सुत्तरुई,

४ ओगाढरुई ।

—वि. स. २५, उ. ७, सु. २४३

धम्मज्ञाणस्स आलंबणा—

७१२. धम्मस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि आलंबणा पन्नत्ता, तं जहा—

१ वायणा,

२ पडिपुच्छणा^१,

३. परियट्टणा,

४. धम्मकहा ।

—वि स २५, उ. ७, सु. २४४

धम्मज्ञाणस्स अणुप्पेहाओ—

७१३ धम्मस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ पन्नत्ताओ, तं जहा—

१ एगत्ताणुप्पेहा,

२. अणिच्चाणुप्पेहा,

३. असरणणुप्पेहा,

४. संसारणुप्पेहा ।

—वि. स २५, उ. ७, सु. २४५

सुक्कज्ज्ञाण भेया—

७१४. सुक्के ज्ञाणे चउत्विहे चउप्पडोयारे पन्नत्ते, तं जहा—

१. पुहत्तवियक्के सवियारी,

(२) अपायविचय - राग-द्वेष, कषाय, मिथ्यात्व, अविरति आदि आस्रवो का चिन्तन करना ।

(३) विपाकविचय—ज्ञानावरणीय आदि कर्मों से उत्पन्न आत्मा की विभिन्न अवस्थाओं का चिन्तन करना ।

(४) सस्थानविचय—ऊर्ध्व-अधोलोक, द्वीप समुद्र आदि के विषय में चिन्तन करना ।

धर्मध्यान के लक्षण—

७११. धर्मध्यान के चार लक्षण कहे गये हैं । यथा—

(१) आज्ञारुचि—वीतराग की आज्ञा में रुचि होना,

(२) निसर्ग रुचि—किसी के उपदेश के बिना स्वभाव से ही जिनभाषित तत्वों पर श्रद्धा होना ।

(३) सूत्र रुचि—आगमों के अध्ययन व श्रवण में रुचि होना ।

(४) अवगाढ रुचि—(उपदेश रुचि) धर्मोपदेश श्रवण में उत्पन्न रुचि होना ।

धर्मध्यान के आलम्बन—

७१२. धर्मध्यान के चार अवलम्बन कहे गये हैं, यथा—

(१) वाचना,

(२) पृच्छना,

(३) परिवर्तना,

(४) धर्म कथा ।

धर्मध्यान की अनुप्रेक्षाएँ—

७१३. धर्मध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ कही गयी हैं । यथा—

(१) एकत्वानुप्रेक्षा—आत्मा के एकत्व भाव का चिन्तन करना ।

(२) अनित्यानुप्रेक्षा—शरीर, जीवन आदि की अनित्यता का चिन्तन करना ।

(३) अशरणानुप्रेक्षा—आत्मा की अशरणदशा का चिन्तन करना ।

(४) संसारानुप्रेक्षा—संसार परिभ्रमण का चिन्तन करना ।

शुक्लध्यान के भेद—

७१४ शुक्लध्यान के चार प्रकार और चतुष्प्रत्यावतार वहे हैं, यथा—

(१) पृथक्त्व-वितर्क-सविचारी—एक द्रव्य विषयक अनेक पर्यायों का पृथक् पृथक् चिन्तन करना ।

१ उव सु ३० में चौथा लक्षण "उवएसुई है"

२ उव सु. ३०, दूसरा आलम्बन (पृच्छणा) है ।

२ मणुष्यसंपयोगसंपउत्ते, तस्स अविप्पयोग सतिसमन्नागते यावि भवति,
 ३ आयकसपयोगसंपउत्ते, तस्स विप्पयोग सतिसमन्नागते यावि भवति,
 ४ परिदुसियकामभोगसंपउत्ते तस्स अविप्पयोग सतिसमन्नागते यावि भवति^१ । —वि. स. २५ उ. ७, सु २३८

अट्ट ज्ञाण लक्खणा—

७०७ अट्टस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि लक्खणा पन्नत्ता, तं जहा—

१ फदणया,
 २ सोयणया,
 ३ तिप्पणया,
 ४ परिदेवणया^२ । —वि. स. २५, उ ७, सु २३६

रुद्ध ज्ञाण भेया—

७०८ रोद्धे ज्ञाणे चउत्विहे पन्नत्ते, तं जहा—

१ हिंसाणुवंधी,
 २ मोसाणुवंधी,
 ३ तेयाणुवंधी,
 ४ सारक्खणाणुवंधी^३ । —वि स २५, उ ७, सु २४०

रुद्ध ज्ञाण लक्खणा—

७०९ रोद्धस्स ज्ञाणस्स चत्तारि लक्खणा पन्नत्ता, तं जहा—

१ उस्सन्न दोसे,
 २. बहुदोसे,
 ३. अण्णाणदोसे,
 ४ आमरणतदोसे^४ ।

—वि स २५, उ. ७, सु २४१

धम्मज्ञाण भेया—

७१० धम्मे ज्ञाणे चउत्विहे चउप्पडोयारे पन्नत्ते, तं जहा—

१. आणाविजये,

१ ठाणं अ. ४, उ. १, सु २४७

२ (क) उव. सु ३० मे चौथा लक्षण "विलवणया" है ।

३ ठाणं. अ ४, उ १, सु २४७

४ ठाणं. अ ४, उ. १, सु २४७

(२) मनोज्ञ वस्तु की प्राप्ति होने पर उसके अवियोग की चिन्ता करना ।

(३) आतंक (रोग) होने पर उसके वियोग की चिन्ता करना ।

(४) प्रीति उत्पन्न करने वाले काम भोग आदि की प्राप्ति होने पर उनके अवियोग की चिन्ता करना ।

आर्तध्यान के लक्षण—

७०७ आर्तध्यान के चार लक्षण कहे गये हैं, यथा—

(१) क्रन्दनता—आक्रन्द करना,
 (२) शोचनता—शोक करना ।
 (३) तेपनता—आसू गिराना ।
 (४) परिदेवनता—बार-बार विलाप करना ।

रौद्रध्यान के भेद—

७०८ रौद्रध्यान चार प्रकार का कहा गया है, यथा—

(१) हिंसानुबन्धी—हिंसा को उद्दिष्ट कर एकाग्र चिन्तन करना ।
 (२) मृपानुबन्धी—असत्य को उद्दिष्ट कर निरन्तर चिन्तन करना ।
 (३) स्तेयानुबन्धी—चोरी से सम्बद्ध एकाग्र चिन्तन करना ।
 (४) मरक्षणानुबन्धी—धन आदि के सरक्षण हेतु अनिष्ट चिन्तन करना ।

रौद्रध्यान के लक्षण—

७०९ रौद्रध्यान के चार लक्षण कहे गये हैं । यथा—

(१) ओमन्न दोष—हिंसादि किसी एक दोष में लीन रहना ।
 (२) बहुल दोष—हिंसादि बहुत दोषों में प्रवृत्त रहना ।
 (३) अज्ञान दोष—अज्ञान के कारण हिंसादि में धर्म-बुद्धि से प्रवृत्ति करना ।
 (४) आमरणान्त दोष—हिंसादि कार्यों का मरण पर्यन्त पश्चात्ताप न करना एवं उसमें प्रवृत्त रहना ।

धर्मध्यान के भेद—

७१०. धर्मध्यान चार प्रकार के चार पदों में अवतरित होता है, यथा—

(१) आज्ञाविचय—वीतराग की आज्ञा का या उनके द्वारा प्ररूपित तत्वों का चिन्तन करना ।

(ख) ठाणं अ ४, उ १, सु. २४७

२. अपायविजये,

३. विवागविजये,

४. संठाणविजये ।

—वि. स. २५, उ. ७, सु. २४२

धम्मज्ञाण लक्खणा—

७११. धम्मस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि लक्खणा पन्नत्ता, तं जहा—

१ आणारुई,

२. निसगारुई,

३. सुत्तरुई,

४. ओगाढरुई ।

—वि. स. २५, उ. ७, सु. २४३

धम्मज्ञाणस्स आलंबणा—

७१२. धम्मस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि आलंबणा पन्नत्ता, तं जहा—

१ वायणा,

२ पडिपुच्छणा^२,

३. परियट्टणा,

४. धम्मकहा ।

—वि. स. २५, उ. ७, सु. २४४

धम्मज्ञाणस्स अणुप्पेहाओ—

७१३. धम्मस्स णं ज्ञाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ पन्नत्ताओ, तं जहा—

१. एगत्ताणुप्पेहा,

२. अणिच्चानुप्पेहा,

३. असरणानुप्पेहा,

४. संसारानुप्पेहा ।

—वि. स. २५, उ. ७, सु. २४५

सुक्कज्ज्ञाण भेया—

७१४. सुक्के ज्ञाणे चउन्विहे चउप्पडोयारे पन्नत्ते, तं जहा—

१. पुहत्तवियक्के सवियारी,

(२) अपायविचय - राग-द्वेष, कपाय, मिथ्यात्व, अविरति आदि आस्रवो का चिन्तन करना ।

(३) विपाकविचय—ज्ञानावरणीय आदि कर्मों से उत्पन्न आत्मा की विभिन्न अवस्थाओं का चिन्तन करना ।

(४) सस्थानविचय—ऊर्ध्व-अधोलोक, द्वीप समुद्र आदि के विषय में चिन्तन करना ।

धर्मध्यान के लक्षण—

७११. धर्मध्यान के चार लक्षण कहे गये हैं । यथा—

(१) आज्ञारुचि—वीतराग की आज्ञा में रुचि होना,

(२) निसर्ग रुचि—किसी के उपदेश के विना स्वभाव से ही जिनभाषित तत्वों पर श्रद्धा होना ।

(३) सूत्र रुचि—आगमों के अध्ययन व श्रवण में रुचि होना ।

(४) अवगाढ रुचि—(उपदेश रुचि) धर्मोपदेश श्रवण में उत्पन्न रुचि होना ।

धर्मध्यान के आलम्बन—

७१२. धर्मध्यान के चार अवलम्बन कहे गये हैं, यथा—

(१) वाचना,

(२) पृच्छना,

(३) परिवर्तना,

(४) धर्म कथा ।

धर्मध्यान की अनुप्रेक्षाएँ—

७१३. धर्मध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ कही गयी हैं । यथा—

(१) एकत्वानुप्रेक्षा—आत्मा के एकत्व भाव का चिन्तन करना ।

(२) अनित्यानुप्रेक्षा—शरीर, जीवन आदि की अनित्यता का चिन्तन करना ।

(३) अशरणानुप्रेक्षा—आत्मा की अशरणदशा का चिन्तन करना ।

(४) संसारानुप्रेक्षा—संसार परिभ्रमण का चिन्तन करना ।

शुक्लध्यान के भेद—

७१४. शुक्लध्यान के चार प्रकार और चतुष्प्रत्यावतार कहे हैं, यथा—

(१) पृथक्त्व-वितर्क-सविचारी—एक द्रव्य विषयक अनेक पर्यायों का पृथक् पृथक् चिन्तन करना ।

१ उव सु. ३० में चौथा लक्षण "उवएसुरुई है"

२ उव सु. ३०, दूसरा आलम्बन (पृच्छणा) है ।

१. षेरद्वय ससारविओसग्गे,
 २. तिरिय ससारविओसग्गे,
 ३. मणुय ससारविओसग्गे,
 ४. देव संसारविओसग्गे,
 से स संसारविओसग्गे ।
 प०—से कि स कम्मविओसग्गे ?
 उ०—कम्मविओसग्गे अट्टविहे पणत्ते, सं जहा—
१. णाणावरणिज्जकम्मविओसग्गे,
 २. दरिसणावरणिज्जकम्मविओसग्गे,
 ३. वेयणिज्जकम्मविओसग्गे,
 ४. मोहणिज्जकम्मविओसग्गे,
 ५. आउयकम्मविओसग्गे,
 ६. णामकम्मविओसग्गे,
 ७. गोयकम्मविओसग्गे,
 ८. अतरायकम्मविओसग्गे ।
- से स कम्मविओसग्गे,
 से तं भावविओसग्गे ।
 —वि. स २५, उ. ७, सु २५०-२५५
- (१) नैरयिक-संसारव्युत्सर्ग—नरक गति बंधने के कारणों का त्याग ।
 (२) तिर्यक्-संसारव्युत्सर्ग—तिर्यंच गति बंधने के कारणों का त्याग ।
 (३) मनुज-संसारव्युत्सर्ग—मनुष्य गति बंधने के कारणों का त्याग ।
 (४) देवसंसार-व्युत्सर्ग—देव गति बंधने कारणों का त्याग । यह संसार व्युत्सर्ग का वर्णन है ।
 प्र०—कर्म व्युत्सर्ग क्या है—वह कितने प्रकार का है ?
 उ०—कर्म व्युत्सर्ग आठ प्रकार का कहा गया है । वह इस प्रकार है—
 (१) ज्ञानावरणीयकर्म व्युत्सर्ग—(आत्मा के ज्ञान गुण के आवरक कर्म पुद्गलो के बंधने के कारणों का त्याग)
 (२) दर्शनावरणीय कर्म व्युत्सर्ग—(आत्मा के दर्शन (सामान्य ज्ञान गुण) के आवरक कर्म पुद्गलो के बंधने के कारणों का त्याग ।)
 (३) वेदनीय कर्म व्युत्सर्ग—(साता असाता दुःखरूप वेदाना के हेतुभूत पुद्गलो के बंधने के कारणों का त्याग । सुख दुःखात्मक अनुकूल-प्रतिकूल वेदाना में आत्म को तद्-अभिन्न मानने का उत्सर्जन ।)
 (४) मोहनीय कर्म व्युत्सर्ग—(आत्मा के स्वप्रतीति-स्वानुभूति स्वभाव रमणरूप गुण के आवरक कर्म पुद्गलो के बंधने के कारणों का त्याग ।)
 (५) आयुष्य कर्म व्युत्सर्ग—(किसी भव में—पर्याय में रोक रखने वाले आयुष्यकर्म के पुद्गलो के बंधने के कारणों का त्याग ।)
 (६) नाम-कर्म-व्युत्सर्ग—(आत्मा के अमूर्तत्व गुण के आवरक कर्म पुद्गलो के बंधने के कारणों का त्याग ।)
 (७) गोत्र-कर्म-व्युत्सर्ग—(आत्मा के अगुरुलघुत्व (न भारी-पन न हलकापन) रूप गुण के आवरक कर्म-पुद्गलो के बंधने के कारणों का त्याग ।)
 (८) अन्तराय-कर्म-व्युत्सर्ग—(आत्मा के शक्ति रूप गुण के आवरक (अवरोध) कर्म पुद्गलो के बंधने के कारणों का त्याग ।)
 यह कर्म व्युत्सर्ग है ।
 इस प्रकार भाव व्युत्सर्ग का विवेचन है ।

काउसग्ग फलं—

७२०. प०—काउत्सग्गेण भन्ते ! जीवे कि जणयइ ?

कायोत्सर्ग का फल—

७२०. प्र०—भन्ते ! कायोत्सर्ग (ध्यान की मुद्रा) से जीव क्या प्राप्त करता है ?

उ०—काउसग्गेणं तीयपटुप्पन्न पायच्छित्त विसोहेइ ।
विसुद्धपायच्छित्ते य जीवे निव्वुयहियए ओहरियभारो
“च” भारवहे पसत्थज्झाणोवगए सुहंसुहेण विहरइ ॥
—उत्त अ. २६, सु १४

उ०—कायोत्सर्गं से वह अनीत और वर्तमान के प्रायश्चित्त
योग्य कार्यो का विषोधन करता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति
भार को नीचे रख देने वाले भार-वाहक की भाँति स्वस्थ हृदय
वाला हो जाता है और प्रशस्त ध्यान में लीन होकर सुखपूर्वक
विचरण करता है।



तप समाधि एवं फल-६

तवाचरण उद्देशो—

७२१ चउत्थिहा खलु तवसमाही भवइ, त जहा—

१. नो इहलोगट्टयाए तवमहिट्ठेज्जा,
२. नो परलोगट्टयाए तवमहिट्ठेज्जा,
३. नो कित्ति-वण्ण-सद्द-सिलोगट्टयाए तवमहिट्ठेज्जा,

४. नन्नत्थ निज्जरट्टयाए तवमहिट्ठेज्जा ।

चउत्थं पय भवइ । भवय य इत्थ सिलोगो—

विविहगुणतवोरए य निच्चं, भवइ निरासए निज्जरट्टिए ।

तवसा धुणइ पुराणपावगं, जुत्तो सया तवसमाहिए ॥

—दस. अ. ६, उ ४, सु. ६-१०

तव-चरण फलं—

७२२. अभिगम चउरो समाहिओ, सुविसुद्धो सुसमाहियप्पओ ।

विउलहियसुहावहं पुणो, कुव्वइ सो पयखेममप्पणो ॥

जाइभरणाओ मुच्चई, इत्थय च चयइ सव्वसो ।

सिद्धे वा भवइ सासए, देवे वा अप्परए महिड्ढिए ॥

—दस अ ६, उ. ४, सु १३-१४, गा. ६-७

पच्छा वि ते पयाया, खिप्पं गच्छति अमरभवणाइ ।

जेसि पिओ तवो संजमो य, खन्ती य वम्मचेरं च ॥

—दस. अ ४, गा. २७

अह जे संवुडे भिक्खू, दोण्ह अन्नयरे सिया ।

सव्ववुक्ख-प्पहीणे वा, देवे वावि महिड्ढिए ॥

उत्तराहं विमोहाहं, जुइमन्ताणुप्पव्वसो ।

समाइण्णाहं जक्खोहिं, आधासाइ जसंसिणो ॥

तपाचरण का उद्देश्य—

७२१ तप समाधि के चार प्रकार हैं, जैसे—

- (१) इहलौकिक सुख के निमित्त तप नहीं करना चाहिए ।
- (२) पारलौकिक सुख के निमित्त तप नहीं करना चाहिए ।
- (३) कीर्ति यश प्रसिद्धि और प्रशंसा के लिए तप नहीं करना चाहिए ।

(४) निर्जरा के अतिरिक्त अन्य किसी भी उद्देश्य से तप नहीं करना चाहिए ।

यह चतुर्थ पद है और यहाँ एक श्लोक है ।

सदा विविध गुण वाले तप में रत रहने वाला मुनि पौद्गलिक प्रतिफल की इच्छा से रहित होता है। वह केवल निर्जरा का इच्छुक होता है, तप के द्वारा पुराने कर्मों का विनाश करता है और तप-समाधि में सदा युक्त हो जाता है ।

तप आचरण का फल—

७२२. जो चारों समाधियों को जानकर सुविशुद्ध और सुसमाहित चित्त वाला होता है वह अपने लिए हितकर और सुखकर मोक्ष स्थान को प्राप्त करता है ।

वह जन्म-मरण से मुक्त होता है, नरक आदि अवस्थाओं को पूर्णतः त्याग देता है। इस प्रकार वह या तो शाश्वत सिद्ध हो जाता है अथवा अल्प कर्म वाला महर्घिक देव होता है ।

जो पिछली अवस्था में प्रव्रजित हुए हो किन्तु उन्हें तप, सयम, क्षमा और ब्रह्मचर्य प्रिय है तो वे शौघ्र ही स्वर्ग को प्राप्त होते हैं ।

जो सवृत भिक्षु होता है, वह दोनों में से एक अवस्था को प्राप्त होता है, यथा—(१) सब दुःखों से मुक्त (२) महान् ऋद्धि वाला देव ।

देवताओं के आवास क्रमशः उत्तरोत्तर मोह रहित द्युतिमान् और यशस्वी देवों से आकीर्ण होते हैं ।

दीहाउया इद्दिमत्ता, समिद्धा काम-रुविणो ।
अहुणोववन्नो - संकासा, भुज्जो अच्चिमालि-प्पमा ॥

ताणि ठाणाणि गच्छन्ति, सिद्धिखत्ता संजमं तव ।
मिक्खाए वा गिहत्थे वा, जे सन्ति परिनिव्वुडा ॥

—उत्त अ ५, गा २५-२८

खवेत्ता पुव्वकम्माइं, संजमेण तवेण य ।
सव्वदुक्खप्पहीणट्ठा, पवकमन्ति महेत्तिणो ॥

—उत्त अ २८, गा ३६

एय तथं तु बुद्धिहं, जे सम्मं आयरे मुणी ।
सो खिप्प सव्वससारा, विप्पमुच्चइ पण्डिए ॥

—उत्त अ ३०, गा ३७

तवाइ-तेणाणं दुग्गइ—

७२३ तवतेणे वयतेणे, रुवतेणे य जे नरे ।
आयारमावतेणे य, फुच्चई देवकिव्विस ॥

लद्धूण वि देवत्त, उववन्नो देवकिव्विसे ।
तत्था वि से न याणाइ, कि से किच्चा इमं फल ॥
तत्तो वि से चइत्ताणं, लन्निमही एलमूयणं ।
नरयं त्तिरिक्खजोणं वा, बोही जत्थ सुदुल्लहा ॥

एय च दोस दट्ठूण, नायपुत्तेण भासिय ।
अणुमाय पि मेहावी, मायामोसं विवज्जाए ॥

—दस अ ५, उ २, गा ४६-४९

तवस्मियाणं णेरइयाणं कम्मणिज्जरणायाए तुलणा—

७२४ प०—जावइयं णं भन्ते ! अन्नगिलायाए समणे निग्गथे कम्मं
निज्जरेइ, एवइयं कम्म नरएसु नेरइया वासेण वा,
वासेहिं वा, वाससएहिं खवयति ?

उ०—नो तिणट्ठे समट्ठे ।

प०—जावइयं णं भन्ते ! चउत्थमत्तिए समणे निग्गथे कम्म
निज्जरेइ, एवइयं कम्म नरएसु नेरइया वास-सएण
वा, वास-सएहिं वा, वास-सहस्सेण वा खवयति ?

उ०—नो तिणट्ठे समट्ठे ।

प०—जावइयं णं भन्ते ! छट्ठमत्तिए समणे निग्गथे कम्मं
निज्जरेइ, एवइयं कम्मं नरएसु नेरइया वासहस्सेण
वा, वास-सहस्सेहिं वा, वास-मय-सहस्सेण वा,
खवयति ?

वे देव दीर्घायु, ऋद्धिमान, दीप्तिमान, 'इच्छानुसार रूप
धारण करने वाले, अभी उत्पन्न हुए हो, ऐसी कान्ति वाले सूये
के समान अति-तेजस्वी होते हैं ।

जो भिक्षु या गृहस्थ उपशान्त होते हैं वे संयम और तप का
आराधन कर इन उपरोक्त देव-आवास स्थानों में जाते हैं ।

सर्वं दुःखों से मुक्ति पाने के लिए महर्षि संयम और तप के
द्वारा पूर्व कर्मों को क्षय कर सिद्धि को प्राप्त होते हैं ।

इस प्रकार जो पण्डित मुनि दोनों प्रकार के तपो का सम्यक्
रूप से आचरण करता है, वह शीघ्र ही समस्त संसार से मुक्त
हो जाता है ।

तपादि के चोरों की दुर्गति—

७२३ जो मनुष्य तप का चोर, वाणी का चोर, रूप का चोर,
आचार का चोर और भाव का चोर होता है, वह कित्त्विक
देव योग्य कर्म बन्ध करता है ।

कित्त्विक देव के रूप में उत्पन्न जीव देवत्व को पाकर भी
वहाँ वह नहीं जानता कि यह मेरे किस कार्य का फल है ।

वहाँ से च्युत होकर वह ऐसे मूक वक्रे आदि योनि को
प्राप्त करता है अथवा नरक या तिर्यंचयोनि को प्राप्त करता है
जहाँ जिन धर्मों की प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ होती है ।

ज्ञातपुत्र भगवान महावीर ने कहा कि इन पूर्वोक्त दोषों को
जानकर मेधावी मुनि संयम पालन में अणु-मात्र भी माया-मृपा
न करे ।

तपस्त्रियो और नैरयिको के कर्म निर्जरा की तुलना—

७२४ प्र०—भन्ते ! पर्युपित (शीतल अमनोज्ञ) आहार करने
वाला श्रमण निर्ग्रन्थ जितने कर्मों का क्षय करता है क्या उतने
ही कर्मों का नैरयिक जीव नरक में एक वर्ष, अनेक वर्ष या सौ
वर्ष में क्षय करता है ?

उ०—हे गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है ।

प्र०—भन्ते ! चतुर्थ भक्त (एक उपवास) करने वाला श्रमण
निर्ग्रन्थ जितने कर्मों का क्षय करता है क्या उतने ही कर्मों का
नैरयिक जीव नरक में सौ वर्ष, अनेक सौ वर्ष या हजार वर्ष में
क्षय करता है ?

उ०—हे गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है ।

प्र०—भन्ते ! छट्ठ भक्त (दो उपवास) करने वाला श्रमण
निर्ग्रन्थ जितने कर्मों का क्षय करता है क्या उतने ही कर्मों का
नैरयिक जीव नरक में हजार वर्ष, अनेक हजार वर्ष या एक लाख
वर्ष में क्षय करता है ?

उ०—नो तिणट्टे समट्टे ।

प०—जावइयं णं भते ! अट्टमभत्तिए समणे निग्गथे कम्म निज्जरेइ, एवइयं कम्मं नरएसु नेरइया वास सय-सहस्सेण वा, वास-सय-सहस्सेहि वा, वासकोडीए वा खवयन्ति ?

उ०—नो तिणट्टे समट्टे ।

प०—जावइयं ण भते ! दसमभत्तिए समणे निग्गथे कम्म निज्जरेइ, एवइयं कम्मं नरएसु नेरइया वास-कोडीए वा वास कोडीहि वा, वास-कोडाकोडीए वा खवयति ?

उ०—नो तिणट्टे समट्टे ।

प०—से केणट्टेण भते ! एव वुच्चइ—जावइयं असगिला-यए समणे निग्गथे कम्मं निज्जरेइ एवइयं कम्मं नरएसु नेरइया वासेणं वा, वासेहि वा, वास सएण वा, नो खवयन्ति-जाव वास कोडाकोडीए वा नो खवयन्ति ?

उ०—गोयमा ! से जहानामए केइ-पुरिसे जुन्ने, जराजज्ज-रियदेहे, सिढिलतयावलि तरग-संपणिद्धगत्ते, पविरल-परिसडिय-वत सेढी, उण्हाभिहए, तण्हाभिहए, आउरे, झुक्षिए, पिवासिए, दुब्बले, किलते, एग मह कोसव-गडिय सुक्क जडिलं गठिल्ल चिक्कण वाइद्ध अपत्तिय मुडेण परसुणा अवक्कमेज्जा, तए ण से महताइ महंताइ सदाइ करेइ, नो महंताइ महताइ दलाइ अवहालेइ ।

एवामेव गोयमा ! नेरइयाणं पावाइं कम्माइ गाढी-कयाइ चिक्कणी-कयाइं सिलिढ्ठी कयाइं खिलीभूताइ भवति, सपगाढ पि य ण ते वेदण वेदेमाणा नो महा-निज्जरा णो महापज्जवसाणा भवंति ।

२ से जहानामए केइ-पुरिसे अहिकरणि आउडेमाणे महया महया सद्देण, महया-महया घोसेणं, महया महया परपराघाएणं, नो सच्चाएइ तीसे अहिगरणिए केइ अहावायरे पोग्गले परिसाडित्तए,

एवामेव गोयमा ! नेरइयाण पावाइ कम्माइ गाढी-कियाइ-जाव-नो महापज्जवसाणाइं भवति ।

३ से जहानामए केइ-पुरिसे तरुणे बलवं-जाव-मेहावी निउणसिप्पोवगए एग महं सामलिगडिय उल्ल, अज-डिल, अगठिल्लं, अचिक्कण, अवाइद्ध, सपत्तिय तिक्खेण परसुणा अक्कमेज्जा, तए णं से पुरिसे नो महंताइ महताइ सदाइ करेइ महताइ महंताइं दलाइ अवहालेइ ।

उ०—हे गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है ।

प्र०—भन्ते ! अष्टम भक्त (तीन उपवास) करने वाला श्रमण निर्ग्रन्थ जितने कर्मों का क्षय करता है क्या उतने ही कर्मों का नैरयिक जीव नरक में एक लाख वर्ष, अनेक लाख वर्ष या एक करोड़ वर्ष में क्षय करता है ?

उ०—हे गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है ।

प०—भन्ते ! दशम भक्त (चार उपवास) करने वाला श्रमण निर्ग्रन्थ जितने कर्मों का क्षय करता है क्या उतने ही कर्मों का क्षय नैरयिक जीव नरक में एक करोड़ वर्ष, अनेक करोड़ वर्ष या कोटा-कोटी वर्ष में क्षय करता है ?

उ०—हे गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है ।

प्र०—भन्ते ! यह किस कारण से कहते हैं कि अन्नग्लायक श्रमण निर्ग्रन्थ जितने कर्मों का क्षय करता है उतने ही कर्मों को नैरयिक जीव नरक में एक वर्ष, अनेक वर्ष, या सौ वर्ष में भी क्षय नहीं कर सकता—यावत्—कोटा कोटी वर्ष पर्यन्त क्षय नहीं कर सकता ?

उ०—हे गौतम ! जिस प्रकार कोई वृद्ध, जरा जर्जरित शरीर वाला, शिथिल त्वचा से सलवटें युक्त शरीर वाला, कति-पय गिरे हुए दातो वाला, गरमी से व्याकुल, तृषा से पीडित, दुखी, बुभुक्षित-नृषित, दुर्बल और मानसिक क्लेश वाला पुरुष हो और वह एक बड़ी कौशव नाम के वृक्ष की सूखी हुई, वक्र ग्रन्थियों वाली चिकनी और निराधार रही हुई लकड़ी पर एक मोटे कुल्हाड़े द्वारा प्रहार करे तो वह पुरुष बहुत जोर-जोर से शब्द करता है किन्तु अनेक टुकड़े नहीं कर सकता ।

इसी प्रकार हे गौतम ! नैरयिकों के अपने कर्म गाढ़ बंधे हुए चिकने किये हुए निघत्त हुए एव निकालित किए हुए होते हैं इसलिए वे सम्प्रगाढ वेदना को भोगते हुए भी महानिर्जरा वाले तथा महापर्यवसान वाले नहीं होते हैं ।

(२) जिस प्रकार कोई एक पुरुष जोरदार शब्दों के साथ, महाघोष के साथ एरण पर घन की चोट मारता है, बहुत जोर-जोर से आघात करता है किन्तु एरण के स्थूल पुद्गलों को तोड़ने में समर्थ नहीं होता है ।

इसी प्रकार हे गौतम ! नैरयिकों के अपने पापकर्म गाढ़ बंधे हुए होते हैं—यावत्—वे महापर्यवसान वाले नहीं होते ।

(३) जिस प्रकार कोई तरुण पुरुष बलवान—यावत्—भेघावी और निपुण शिल्पकार एक बहुत बड़े शालमली वृक्ष की गिली, अजटिल, अगठिल, (गाठ रहित) चिकनाई से रहित सीधी और आधार सहित लकड़ी पर तीक्ष्ण परशु से प्रहार करता हुआ वह पुरुष बहुत जोर-जोर से शब्द नहीं करता है किन्तु अनेक टुकड़े कर देता है ।

एवामेव गोयमा ! समणाणं निग्गंथाणं अहावायराइ कम्माइं सिडिलीकयाइ निड्डियाइकयाइ विप्परिणामि-याइ खिप्पामेव परिबिद्धत्थाइं भवन्ति । जावइयं ताइय पि ते वेदन वेदेमाणा महानिज्जरा महापज्जवसाणा भवति ।

४. प०—से जहा वा केइ पुरिसे सुषकतणहत्थयं जायतेयसि पखिखवेज्जा से नून गोयमा ! से सुषके तणहत्थए जायतेयसि पखिखत्ते समाणे खिप्पामेव मसमसाविज्जइ ?

उ०—हता मसमसाविज्जइ ।

एवामेव गोयमा ! समणाण निग्गंथाणं अहावायराइ कम्माइ सिडिलीकयाइ-जाव-महापज्जवसाणा भवति ।

५ प०—से जहानामए केइ पुरिसे तत्तसि अयकल्लसि उदग-विन्दु पखिखवेज्जा से नून गोयमा ! से उदगविन्दु तत्तसि अयकवल्लसि पखिखत्ते समाणे खिप्पामेव विद्धसं आगच्छइ ?

उ०—हता विद्धंस आगच्छइ ।

एवामेव गोयमा ! समणाण निग्गंथाणं अहावायराइ कम्माइ सिडिलीकयाइ-जाव-महापज्जवसाणा भवति । से तेणट्टेण गोयमा ! एव वुच्चइ-जावइय अन्नगिला-यए समणे निग्गथे कम्म निज्जरेइ एवइय कम्म नरएमु नेरइया-जाव-वास-कोडाकोडीए वा नो खवयन्ति ।

—वि. स. १६, उ ४, सु २-७

तवेणपत्त चारण लब्धिस्स वण्णओ—

७२५. प०—कतिविहा णं भते ! चारणा पणत्ता ?

उ०—गोयमा ! दुविहा चारणा पणत्ता, तं जहा—

१ विज्जाचारणा य, २. जंघाचारणा य ।

प०—से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्चइ-विज्जाचारणे-विज्जा-चारणे ?

उ०—गोयमा ! तस्स ण छट्ठछट्ठेण अणिक्खित्तेण तवो-कम्मणे विज्जाए लब्धि खममाणस्स विज्जाचारणलब्धी नाम लब्धी समुप्पज्जइ ।

से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ विज्जाचारणे-विज्जाचारणे ।

प०—विज्जाचारणस्स ण भते ! फहं सोहा गती, फहं सोहे गतिविसए पणत्ते ?

उ०—गोयमा ! अयण्ण जवुद्धीवे दोवे-जाव-किचिविसेसाहिए परिवखेवेण । देवे णं महिड्डीए-जाव-महेसखे-जाव-इणामेव-इणामेव त्ति कट्टुं केवलकप्पं जंघुद्धीवं दोव

इसी प्रकार हे गौतम ! श्रमण निर्ग्रन्थो के स्थूल कर्म शिथिल, प्रभावहीन और विपरिणाम को प्राप्त शीघ्र ही ध्वस्त होते हैं । इसलिए सामान्य वेदना का वेदन करते हुए भी श्रमण निर्ग्रन्थ महानिर्जरा एव महापर्यवसान को प्राप्त होते हैं ।

(४) प्र०—हे गौतम ! जिस प्रकार कोई पुरुष शुष्क तृण हाथ में लेकर अग्नि में डाले, डालते ही वे शुष्क तृण शीघ्र ही जल जाते हैं ?

उ०—हाँ भन्ते ! जल जाते हैं ।

इसी प्रकार हे गौतम ! श्रमण निर्ग्रन्थो के स्थूलकर्म शिथिल होते हैं—यावत्—वे महापर्यवसान को प्राप्त होते हैं ।

(५) प्र०—जिस प्रकार कोई पुरुष तप्त तवे पर पानी का विन्दु डाले, डालते ही वह उदक विन्दु तप्त तवे पर शीघ्र ही ध्वस्त हो जाता है ?

उ०—हाँ भन्ते ! वह विन्दु शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ।

इसी प्रकार हे गौतम ! श्रमण निर्ग्रन्थो के स्थूलकर्म शिथिल होते हैं—यावत्—महापर्यवसान को प्राप्त होते हैं ।

हे गौतम ! इसी कारण ऐसा कहा जाता है कि अन्नगलायक श्रमण निर्ग्रन्थ जितने कर्मों का क्षय करता है उतने कर्मों का क्षय नैरयिक जीव नरक में—यावत्—कोटा कोटी वर्ष में भी नहीं करते ।

तप से प्राप्त चारण लब्धि का वर्णन—

७२५ प्र०—भगवन् ! चारण कितने प्रकार के कहे गये हैं ?

उ०—गौतम ! चारण दो प्रकार के कहे गये हैं, यथा—

(१) विद्याचारण और (२) जघाचारण ।

प्र०—भगवन् ! विद्याचारण मुनि को “विद्याचारण” क्यों कहते हैं ?

उ०—गौतम ! निरन्तर वेले-वेले के तपश्चरणपूर्वक पूर्व-श्रुतरूप विद्या द्वारा उत्तरगुणलब्धि अर्थात् तपोलब्धि को प्राप्त मुनि को विद्याचारणलब्धि नाम की लब्धि उत्पन्न होती है ।

इस कारण में गौतम ! वे विद्याचारण कहलाते हैं ।

प्र०—भगवन् ! विद्याचारण की शीघ्र गति कैसी होती है ? और उसका गति विषय कितना शीघ्र होता है ?

उ०—गौतम ! यह जम्बूद्वीप नामक द्वीप, जो सर्वद्वीपों में (आभ्यन्तर है)—यावत्—जिसकी परिधि (तीन लाख सोलह हजार दो सौ सत्ताईस योजन से) कुछ विशेषाधिक है, उस

तिर्हि अच्छरानिवाएहि तिष्वुत्तो अणुपरियट्टित्ता णं हव्वमागच्छेज्जा, विज्जाचारणस्स णं गोयमा ! तहा सीहा गती, तहा सीहे गतिविसए पणत्ते ।

प०—विज्जाचारणस्स ण भते ! तिरिय केवतियं गतिविसए पणत्ते ?

उ०—गोयमा ! से णं इओ एगेण उप्पाएणं माणुसुत्तरे पव्वए समोसरण करेति, करेत्ता, तर्हि चेइयाइ वंदति वंदित्ता वित्तिएणं उप्पाउण नंदीश्वरवरे दीवे समोसरण करेति, करेत्ता तर्हि चेइयाइ वदति, वदित्ता तओ पडिनियत्तति, पडिनियत्तित्ता इहमागच्छइ, आगच्छित्ता इह चेइयाइ वंदति । विज्जाचारणस्स ण गोयमा ! तिरिय एवतिए गतिविसए पणत्ते ।

प०—विज्जाचारणस्स णं भते ! उड्ढ केवतिए गतिविसए पणत्ते ?

उ०—गोयमा ! से ण इओ एगेण उप्पाएण नंदणवणे समोसरण करेति, करेत्ता तर्हि चेइयाइ वदति, वदित्ता वित्तिएणं उप्पाएण पडणवणे समोसरण करेति, करेत्ता तर्हि चेइयाइ वदति, वदित्ता तओ पडिनियत्तति, पडिनियत्तित्ता इहमागच्छइ, आगच्छित्ता इह चेइयाइ वंदति । विज्जाचारणस्स णं गोयमा ! उड्ढ एवतिए गतिविसए पणत्ते ।

से णं तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कते काल करेति नत्थि तस्स आराहणा । से ण तस्स ठाणस्स आलोइयपडिक्कते कालं करेति अत्थि तस्स आराहणा ।

प०—से केणट्ठेणं भते ! एव वुच्चइ-जघाचरणे-जघाचरणे ?

उ०—गोयमा ! तस्स णं अट्ठमंअट्ठमेण अणिक्खत्तेणं तवो-कम्मेण अप्पाणं भावेमाणस्स जघाचारणलद्धी नामं लद्धी समुप्पज्जति । से तेणट्ठेण गोयमा ! एव वुच्चइ जघाचारणे-जघाचरणे ।

प०—जघाचारणस्स ण भंते ! कहां सीहा गति, कहां सीहे गतिविसए पणत्ते ?

सम्पूर्ण जम्बूद्वीप के चारो ओर कोई महर्द्धिक—यावत्—महा-सौख्य-सम्पन्न देव—यावत्—“यह चक्कर लगा कर आता हूँ ।” यो कहकर तीन चुटकी बजाए उतने समय में, तीन बार चक्कर लगाकर आ जाये, ऐसी शीघ्र गति विद्याचारण की है और उसका इस प्रकार का शीघ्रगति का विषय कहा है ।

प्र०—भगवन ! विद्याचारण की तिरछी गति का विषय कितना कहा है ?

उ०—गौतम ! वह (विद्याचारण मुनि) यहाँ से एक उत्पात (उडान) से मानुषोत्तर पर्वत पर समवसरण करता है (अर्थात् वहाँ जाकर ठहरता है) फिर वहाँ चैत्यो (ज्ञानियो) की स्तुति करता है । तत्पश्चात् वहाँ से दूसरे उत्पात में नन्दीश्वरद्वीप में समवसरण करता है, फिर वहाँ पर भी चैत्यो (ज्ञानियो) की वन्दना (स्तुति) करता है, तत्पश्चात् वहाँ से (एक ही उत्पात में) वापस लौटता है और यहाँ आ जाता है । यहाँ आकर चैत्य (ज्ञानियो) की वन्दना करता है । गौतम ! विद्याचारण मुनि की तिरछी गति का विषय ऐसा कहा गया है ।

प्र०—भगवन ! विद्याचारण की ऊर्ध्वगति का विषय कितना कहा है ?

उ०—गौतम ! वह (विद्याचारण मुनि) यहाँ से एक उत्पात से नन्दनवन में समवसरण करता है । वहाँ ठहर कर वह चैत्यो (ज्ञानियो) की वन्दना करता है । फिर वहाँ से दूसरे उत्पात से पण्डकवन में समवसरण करता है वहाँ भी वह चैत्य (ज्ञानियो) की स्तुति (वन्दना) करता है । फिर वहाँ से वह लौटता है और वापस यहाँ आ जाता है । यहाँ आकर वह चैत्यो (ज्ञानियो) की स्तुति वन्दना करता है । हे गौतम ! विद्याचारण मुनि की ऊर्ध्वगति का विषय ऐसा कहा गया है ।

यदि वह विद्याचारण मुनि उस स्थान की आलोचना और प्रतिक्रमण किये बिना ही काल कर जाये तो उसकी चारित्र्य आराधना नहीं होती और यदि वह विद्याचारण मुनि उस (प्रमाद) स्थान की आलोचना और प्रतिक्रमण करके काल करता है तो उसकी (चारित्र्य) आराधना होती है ।

प्र०—भगवन ! जंघाचारण को जघाचारण क्यों कहते हैं ?

उ०—गौतम ! निरन्तर तेले-तेले तपश्चरण-पूर्वक आत्मा को भावित करते हुए मुनि को जघाचारण नामक लब्धि उत्पन्न होती है, इस कारण से गौतम ! उसे “जंघाचारण” कहते हैं ।

प्र०—भगवन ! जघाचारण की शीघ्र गति कैसी होती है ? और उसकी शीघ्रगति का विषय कितना होता है ?

उ०—गोयमा ! अयणं जंबुद्वीवे दीवे एव जहेव विज्जा-
चारणस्स नवर तिसत्तखुत्तो अणुपरियट्ठित्ता णं हव्व-
मागच्छेज्जा, जंघाचारणस्स ण गोयमा ! तहा सीहा
गति तहा सीहे गतिविसए पणत्ते ।

प०—जंघाचारणस्स ण भते ! तिरियं केवतिए गतिविसए
पणत्ते ?

उ०—गोयमा ! से ण इओ एगेण उप्पाएण रूयगवरे दीवे
समोसरण करेति, करेत्ता तर्हि चेइयाइं वंदति वदित्ता
तओ पडिनियत्तमाणे वितिएणं उप्पाएण नदीसरवर-
दीवे समोसरण करेति, करेत्ता तर्हि चेइयाइ वदति,
वदित्ता इहमागच्छइ, आगच्छित्ता इह चेइयाइं वदति ।
जंघाचारणस्स ण गोयमा ! तिरिय एवतिए गतिविसए
पणत्ते ।

प०—जंघाचारणस्स णं भते ! उड्ढं केवतिए गतिविसए
पणत्ते ?

उ०—गोयमा ! से ण इओ एगेण उप्पाएणं पडगवणे समो-
सरणं करेति, करेत्ता तर्हि चेइयाइ ददति वदित्ता
तओ पडिनियत्तमाणे वितिएण उप्पाएण नदणवणे
समोसरण करेति, करेत्ता तर्हि चेइयाइ वदति, वदित्ता
इहमागच्छइ, आगच्छित्ता इह चेइयाइ वदति, जघा-
चारणस्स ण गोयमा ! उड्ढं एवतिए गतिविसए
पणत्ते ।

से ण तस्स ठाणस्स अणालोइय-पडिक्कखते काल
करेति नत्थि तस्स आराहणा । से ण तस्स ठाणस्स
आलोइय-पडिक्कखते काल करेति अत्थि तस्स
आराहणा ।

—विया स. २०, उ ६

उ०—गौतम ! यह जम्बूद्वीप नामक द्वीप-यावत्—(जिसकी
परिधि तीन लाख सोलह हजार दो सौ सत्ताईस योजन से कुछ)
विशेषाधिक है, इत्यादि ममग्र वर्णन विद्याचारण के समान
जानना चाहिए। विशेष यह है कि कोई महद्दिक—यावत्—
चुटकी बजाए, उतने समय में इस समग्र जम्बूद्वीप की (इक्कीस
बार परिक्रमा करके शीघ्र वापस लौटकर आ जाता है, हे गौतम !
जघाचारण की इतनी शीघ्रगति और इतना शीघ्रगति विषय
कहा है। शेष कथन सब पूर्ववत है।

प्र०—भगवन ! जघाचारण की तिरछी गति का विषय
कितना कहा है ?

उ०—गौतम ! वह (जंघाचारण मुनि) यहाँ से एक उत्पात
से रुचकवरद्वीप में समवसरण करता है फिर वहाँ ठहरकर वह
चैत्य (ज्ञानियो) की स्तुति वन्दना करता है। चैत्य (ज्ञानियों) की
स्तुति करके लौटते समय दूसरे उत्पात से नन्दीश्वर द्वीप में
समवसरण करता है तथा वहाँ स्थित होकर चैत्य (ज्ञानियो) की
स्तुति करता है। तत्पश्चात् वहाँ से लौटकर यहाँ आता है।
यहाँ आकर वह चैत्य (ज्ञानियो) की स्तुति करता है। हे गौतम !
जंघाचारण की तिरछी गति का ऐसा (शीघ्र) गतिविषय कहा है।

प्र०—भगवन ! जघाचारण की ऊर्ध्व-गति का विषय कितना
कहा गया है ?

उ०—गौतम ! वह (जघाचारण मुनि) यहाँ से एक उत्पात
में पण्डकवन में समवसरण करता है। फिर वहाँ ठहर कर चैत्य
(ज्ञानियो) की स्तुति करता है। फिर वहाँ से लौटते हुए दूसरे
उत्पात से नन्दनवन में समवसरण करता है। फिर वहाँ चैत्य
(ज्ञानियो) की स्तुति करता है। तत्पश्चात् वहाँ से वापस यहाँ
आ जाता है। इतना ऊर्ध्व-गति का विषय कहा गया है।

वह जघाचारण उस (लब्धि-प्रयोग-सम्बन्धी प्रमाद) स्थान
की आलोचना तथा प्रतिक्रमण किये बिना यदि काल कर जावे
तो उसकी (चारित्र्य) आराधना नहीं होती। (इसके विपरीत)
यदि वह जंघाचारण उस प्रमाद स्थान की आलोचना और प्रति-
क्रमण करके काल करता है तो उसकी आराधना होती है।



॥ वीरियायारो ॥

अणिगूहियबलवीरिओ
परककमती जो जहुत्तमाउत्तो ।
जुठजइ य जहत्थामं,
पायत्तो वीरियायारो ॥

—जिणीयसाधु, भाग १, गा० ५३

च र ण णु यो ग

[वी र्घा चार]

10/10/10

वीर्याचार

वीर्य का स्वरूप—१

वीरिय सरूवं—

७२६. दुहा चैय सुयक्खाय, वीरिय ति पवुच्चति ।
किं नु वीरस्स वीरत्तं, केण वीरो ति वुच्चति ॥

कम्ममेगे पवेदंति, अकम्मं वा वि सुव्वता ।
एतेहि दोहि ठाणेहि, जेहि दिस्सति मच्चिया ॥

पमायं कम्ममाहसु, अप्पमायं तहाऽवर ।
तन्मावादेसतो वा वि, वाल पंडितमेव वा ॥
—सूय सु १, अ. ८, गा १ ३

बालवीरियाईण विवक्खा—

७२७. प०—अण्णउत्थिया ण भते ! एवआइक्खति, एव भासति,
एवं पण्णवेत्ति, एव परूवेत्ति “समणा पंडिया, समणो-
वासया बालपडिया” ? जस्स णं एगपाणाए वि दडे
अण्णिक्खत्ते से ण “एगतवाले” ति वत्तव्व सिया ।
से कहमेय भते ! एवं ?

उ०—गोयमा ! जं णं ते अण्णउत्थिया एव आइक्खंति-जाव-
एगंतवाले ति वत्तव्व सिया, जे ते एवमाहसु मिच्छं ते
एवमाहसु ।

अहं पुण गोयमा ! एवं आइक्खामि जाव-परूवेमि
“एव खलु समणा ‘पडिया’, समणोवासया ‘बालपडिया’
जस्स ण एगपाणाए वि दडे णिक्खत्ते से णं णो एगत-
वाले ति वत्तव्व सिया” ।

—वि स १७, उ. २, सु १०

बालवीरियसरूव—

७२८. जे याऽबुद्धा महाभाग, वीरा असम्मत्तदंसिणो ।
असुद्ध तेसि परक्कत, सफल होइ सव्वसो ॥

—सूय सु १, अ. ८, गा २२

चुते ह्व बाले गन्मात्तिसु रज्जति ! अस्सि चेत पवुच्चति
रूवंसि वा छणसि वा ।

—आ. सु १, अ. ५, उ. ३, सु १५६

वीर्य का स्वरूप—

७२६ तीर्थंकर भगवान् के द्वारा प्ररूपित जिन मार्ग मे वीर्य दो प्रकार का कहा गया है । वीर पुरुष की वीरता क्या है और उसका वर्णन किस प्रकार है ?

तीर्थंकर भगवान् दो प्रकार के वीर्य का प्रतिपादन करते है—कर्मवीर्य और अकर्मवीर्य । सभी मनुष्य इन दो स्थानो मे विद्यमान है ।

तीर्थंकरो ने प्रमाद को कर्मवीर्य (कर्मों की वृद्धि कराने वाला) और अप्रमाद को अकर्मवीर्य (कर्म रहित बनाने वाला) कहा है । कर्मवीर्य के सद्भाव की अपेक्षा से मनुष्य ‘वाल’ और अकर्मवीर्य के सद्भाव की अपेक्षा से वह ‘पंडित’ कहलाता है ।

बालवीर्य आदि की विवक्षा—

७२७. प्र०—भन्ते ! अन्यतीर्थिक इस प्रकार कहते हैं, इस प्रकार विशेष रूप से कहते हैं, इस प्रकार बताते हैं और इस प्रकार प्ररूपित करते हैं कि—“श्रमण पण्डित कहलाते हैं और श्रमणो-पासक बाल-पण्डित कहलाते हैं तथा जिस के एक जीव के वध की भी अविरति है वह “एकान्त बाल” कहलाता है, भन्ते ! क्या अन्यतीर्थियो का यह कथन सत्य है ?

उ०—हे गौतम ! अन्यतीर्थिको ने जो इस प्रकार कहा है कि—“श्रमण पण्डित” है—यावत्—“एकान्त बाल” कहलाता है, उनका यह कथन मिथ्या है ।

हे गौतम ! मैं इस प्रकार कहता हूँ—यावत् प्ररूपित करता हूँ कि “श्रमण पण्डित है और श्रमणोपासक बाल-पण्डित है और जिस जीव ने एक भी प्राणी के वध की विरति की है, वह जीव एकान्त बाल नहीं कहलाता है” (किन्तु वह बाल पण्डित कहलाता है ।)

बालवीर्य का स्वरूप—

७२८ जो महाभाग वीर पुरुष अबुद्ध और असम्यक्त्वदर्शी है, उनका पराक्रम अशुद्ध और सर्वथा कर्मबन्धयुक्त होता है ।

मोक्ष-साधना से भ्रष्ट होने वाला अज्ञानी साधक गर्भ आदि मे फँस कर दुःख पाता है । इस आर्हत शासन मे यह कहा गया है कि—‘रूप मे एवं हिंसा मे आसक्त होने वाला गर्भादि मे जाता है ।’

उम्मुं च पास इह मच्चिह्नि,
आरभजीवी उभयाणुपस्ती ।
कामेसु गिद्धा णिचयं करेति,
ससिच्चमाणा पुणरेति गत्तं ॥

अवि से हासमासज्ज, हता णदीति णण्णति ।
अलं बालस्स संगेणं, वेर वड्ढेति अप्पणो ॥
—आ सु १, अ. ३, उ २, सु ११३-११४

बालो ही उवएस जोग्गो—
७२६ उद्देशो पासगस्स णत्थि ।

बाले पुण णिहे कामसमणुणे असमित्तदुक्खे दुक्खी दुक्खाणमेव
आवट्ट । अणुपरियट्टति ।
—आ. सु १, अ. २, उ. ३, सु ८०

सकम्मवीरिय सरूव—
७३० सत्यमेगे सुसिक्खति, अतिवायाय पाणिणं ।
एगे मते अहिज्जंति, पाणभूयविहेडिणो ॥

माइणो फट्टु मायाओ, कामभोगे समारभे ।
हता छेत्ता पकत्तित्ता, आयसायाणुगामिणो ॥

मणसा वयसा च्चव, कायसा च्चव अतसो ।
आरतो परतो यावि, दुहा वि य असज्जता ॥

वेराइं फुध्वती वेरी, ततो वेरेहि रज्जती ।
पावोवगा य आरभा, दुक्खफासा य अंतसो ॥

संपराग णियच्छति, अत्तदुक्कडकारिणो ।
राग-दोसस्सिया बाला, पाव कुण्वति ते वट्ठं ॥

एव सकम्मवीरियं, बालाण तु पवेदित ।
एत्तो अकम्मवीरियं, पटियाण सुणेह मे ॥

—सूय सु १, अ ८, गा ४-६

अकम्मवीरिय सरूवं—
७३१. दविए वधणुम्भुक्के, सच्चतो छिण्णवंधणे ।
पणोत्त पायगं फम्मं, सल्ल फतति, अतसो ॥

इस ससार मे मनुष्यो के साथ रागादि बन्धनो को तोड़
डाल, क्योंकि वे आरम्भजीवी हैं, शारीरिक मानसिक उभय
सुखो के या काम-भोगो के अभिलाषी हैं, वे काम-भोगो मे आसक्त
होकर कर्मों का सचय करते रहते हैं और कर्मों का फचय कर वे
पुन पुन जन्म धारण करते हैं ।

वह अज्ञानी मनुष्य अज्ञान के कारण हास्य विनोद द्वारा
प्राणियो का वध करके खुशी मनाता है ऐसे अज्ञानी बुरूपो का
ससर्ग भी नहीं करना चाहिए । जिससे अपनी आत्मा के साथ
वैर भाव की वृद्धि होती है ।

अज्ञ ही उपदेश योग्य है—

७२६ जो ब्रह्मा (सत्यदर्शी) है उसके लिए उपदेश की आवश्यकता
नहीं होती ।

अज्ञानी पुरुष जो स्नेह के बन्धन मे बँधा है, काम-सेवन मे
अनुरक्त है, वह कभी दुःख का शमन नहीं कर पाता । वह दुःखी
होकर दुःखो के आवर्त मे बार-बार भटकता रहता है ।

सकर्मवीर्य का स्वरूप—

७३० कुछ लोग प्राणियो को मारने के लिए शस्त्र चलाने की
अथवा धनुर्वेद आदि की शिक्षा प्राप्त करते हैं और कुछ लोग
प्राणियो और भूतो के विघातक मन्त्रो का अध्ययन करते हैं ।

मायावी मनुष्य छल कपट करके काम भोगो को प्राप्त करते
हैं । वे अपने सुख के अनुगामी होकर प्राणियो को मारते काटते
और चीरते हैं ।

असंयमी मनुष्य मन से, वचन से और काया से अशक्त होने
पर भी इस लोक के लिए या परलोक के लिए जीवों की हिंसा
करते हैं, करवाते हैं ।

हिंसा करने वाला पुरुष अनेक जीवो के साथ वैर का अनु-
बन्ध करना है । जिससे वह नये वैर में सलग्न हो जाता है ।
(वास्तव मे) हिंसा की प्रवृत्तियाँ मनुष्य को पाप की ओर ले
जाती हैं अन्त मे उनका परिणाम दुःखदायी होता है ।

स्वयं हिंसा आदि दुष्कृत करने वाले मनुष्य ससार (जन्म-
मरण) को प्राप्त होते हैं । फिर राग-द्वेष के बन्धीभूत होकर बहुत
पाप करते हैं ।

यह बाल मनुष्यो का सकर्मवीर्य बतलाया गया है । अब
पण्डित मनुष्यो के अकर्मवीर्य को मुझसे सुनो ।

अकर्मवीर्य का स्वरूप—

७३१ संयमी पुरुष बन्धन से मुक्त होकर प्रमाद या हिंसा मे
सर्वत प्रवृत्त नहीं होता है वह पाप-कर्म को दूर कर सम्पूर्ण
शल्य रूप कर्मों को काट देता है ।

णेयाउय सुयक्खात, उवादाय समीहते ।
भुज्जो भुज्जो दुहावास, असुमत्त तहा तहा ॥

ठाणी विविह्ठाणाणि, चइस्सति न ससओ ।
अणितिए अय वासे, णायएहि य सुहीहि य ॥

एवमायाय मेहावी, अप्पणो गिद्धिमुद्धरे ।
आरियं उवसपज्जे सव्वधम्ममकोवियं ॥

सहसम्मुइए णच्चा, धम्मसार सुणेत्तु वा ।
समुवट्ठिते अणगारे, पच्चक्खाय पावए ॥

जं किंचुववकमं जाणे, आउक्खेमस्स अप्पणो ।
तस्सेव अतरा खिप्पं, सिक्ख सिक्खेज्ज पडित्ते ॥

जहा कुम्मे सअंगाइ, सए देहे समाहरे ।
एव पावाइ मेघावी, अल्लप्पेण समाहरे ॥

साहरे हत्य-पावे य, मणं सन्विदियाणि य ।
पावग च परीणाम, भासादोस च तारिसं ॥
अणु माणं च माय च, तं परिणाय पंडिए ।
सातागार व णिह्ठते, उवसंते णिहे चरे ॥^१

पाणे य णाइवातेज्जा, अविण्ण पि य णादिए ।
सादिय ण मुस वूया, एस धम्मे वुसीमतो ॥
अतिक्कम ति वायाए, मणसा वि ण पथए ।
सभवतो सवुडे दते, आयाणं सुसमाहरे ॥

फडं च कज्जमाण च, आगमेस्स च पावणं ।
सच्च तं णाणुजाणति, आयगुत्ता जिह्दिया ॥

—सूय. सु. १, अ. ८, गा. १०-२१

पण्डियवीरिय सरुवं—

७३२. जे य बुद्धा महाभागा, वीरा सम्मत्तदंसिणो ।
सुद्ध तेसि परक्कत, अफलं होइ सव्वसो ॥

—सूय. सु. १, अ. ८, गा. २३

१ पाठान्तर—अणुमाणं च मायं च, त परिणाय पंडिए ।

सुयं मे इहमेगेसि, एय वीरस्स वीरिय ॥

वह मोक्ष की ओर ले जाने वाले सु-आख्यात धर्म को पाकर चिन्तन करता है कि—“प्राणी वार-वार दुःखमय आवासों को प्राप्त होता है और उसके जैसा जैसा अशुभ कर्म होता है वैसा-वैसा अशुभ फल प्राप्त होता है ।”

विविध स्थानों में रहे हुए जीव अपने स्थानों को अवश्य छोड़ेंगे इसमें कोई संशय नहीं है । ज्ञानिजनों और मित्रों के साथ यह सवास (सयोग) नित्य नहीं है ।

अनित्यता का विचार कर मेघावी मनुष्य अपनी आसक्ति को छोड़ दे और सब दूषणों से रहित निर्मल आर्य धर्म को स्वीकार करे ।

धर्म के सार को अपनी मति से जानकर अथवा दूसरों से सुनकर उसके आचरण के लिए उपस्थित अणगार सम्पूर्ण पापों का त्याग कर दे ।

पण्डित अणगार अपनी आयु के क्षीण होने का कारण जान कर उस के अन्तराल (शेष वचने काल) में भी शीघ्र ही संलेखना ग्रहण करे ।

जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने शरीर में समेट लेता है, इसी प्रकार पण्डित पुरुष अपनी आत्मा को पापों से वचाकर अध्यात्म में ले जाए ।

वह हाथ, पैर, मन और पाँचों इन्द्रियों का, बुरे परिणामों का और भाषा के दोषों का समय करे ।

पण्डित पुरुष कषाय के परिणामों को जानकर अणुमात्र भी मान और माया का आचरण न करे । विवेकी साधक सुख सुविधा तथा प्रतिष्ठा आदि में उद्यत न हो तथा उपशात व निस्पृह होकर विचरण करे ।

कभी भी प्राणियों का अतिपात न करे, अदत्त भी न ले, कपट-सहित झूठ न बोले यह मुनि का धर्म है ।

प्राणियों के प्राणों का अतिपात (पीडन) वाणी से भी न करे, तथा मन से भी प्राणों का अतिपात न चाहे । सब ओर से सवृत होकर रहे और इन्द्रियों का दमन करता हुआ मोक्ष मार्ग का सम्यक् आराधन करे ।

आत्म गुप्त और जितेन्द्रिय मुनि किये हुए, किये जाते हुए और भविष्य में किए जाने वाले इन समग्र पापों का अनुमोदन भी नहीं करते हैं ।

पण्डित वीर्य का स्वरूप—

७३२ जो महाभाग वीर पुरुष बुद्ध और सम्यक्त्वदर्शी हैं उनका पराक्रम शुद्ध और सर्वथा कर्म बन्ध से मुक्त होता है ।

उम्मु च पास इह मच्चिर्एहि,
आरम्भजीवी उभयाणुपस्सी ।
कामेसु गिद्धा णिचयं करेति,
ससिच्चमाणा पुणरेति गढं ॥

अवि से हासमासज्ज, हुता णदीति णण्णति ।
अलं वालस्स संगेणं, वेर वड्ढेति अप्पणो ॥
—आ सु. १, अ. ३, उ २, सु ११३-११४

वालो ही उवएस जोगो—
७२६. उद्देसो पासगस्स णत्थि ।

वाले पुण णिहे कामसमणुण्णे असमितदुक्खे दुद्धखी दुक्खणामेव
आवट्ट । अणुपरियट्टति ।
—आ. सु. १, अ. २, उ. ३, सु ८०

सकम्मवीरिय सरूव—
७३० सत्यमेगे सुसिक्खति, अतिवायाय पाणिणं ।
एगे मते अहिज्जंति, पाणभूयविहेडिणो ॥

माइणो कट्टु मायाओ, कामभोगे समारभे ।
हंता छेत्ता पकत्तिता, आयसायाणुगामिणो ॥

मणसा वयसा चेव, कायसा चेव अतसो ।
आरतो परतो यावि, दुहा वि य असजता ॥

वेराहं कुध्वतो वेरो, ततो वेरेहि रज्जती ।
पावोवगा य आरभा, दुक्खफासा य अंतसो ॥

संपराग णियच्छति, अत्तवुक्कडकारिणो ।
राग-दोसस्सिया वाला, पाव कुच्चंति ते बहं ॥

एव सकम्मवीरियं, वालाण तु पवेदित ।
एत्तो अकम्मवीरिय, पडियाण सुणेह मे ॥

—सूय सु १, अ. ८, गा ४-६

अकम्मवीरिय सरूवं—
७३१. दविए यधणुम्मयके, सच्चतो छिण्णवंधणे ।
पणोत्त पायगं कम्मं, सत्त कतति, अतसो ॥

इस ससार मे मनुष्यों के साथ रागादि बन्धनो को तोड़ डाल, क्योंकि वे आरम्भजीवी हैं, शारीरिक मानसिक उभय सुखो के या काम-भोगो के अभिलाषी हैं, वे काम-भोगो मे आसक्त होकर कर्मों का सचय करते रहते हैं और कर्मों का फचय कर वे पुन पुन जन्म धारण करते हैं ।

वह अज्ञानी मनुष्य अज्ञान के कारण हास्य विनोद द्वारा प्राणियो का वध करके खुशी मनाता है ऐसे अज्ञानी वुरुषो का ससर्ग भी नही करना चाहिए । जिमसे अपनी आत्मा के साथ वैर भाव की वृद्धि होती है ।

अज्ञ ही उपदेश योग्य है—

७२६ जो द्रष्टा (सत्यदर्शी) है उसके लिए उपदेश की आवश्यकता नही होती ।

अज्ञानी पुरुष जो स्नेह के बन्धन मे बंधा है; काम-सेवन मे अनुरक्त है, वह कभी दु ख का शमन नही कर पाता । वह दु खी होकर दु खो के आवर्त मे बार-बार भटकता रहता है ।

सकर्मवीर्य का स्वरूप—

७३० कुछ लोग प्राणियो को मारने के लिए शस्त्र चलाने की अथवा धनुर्वेद आदि की शिक्षा प्राप्त करते हैं और कुछ लोग प्राणियो और भूतो के विघातक मन्त्रों का अध्ययन करते हैं ।

मायावी मनुष्य छल कपट करके काम भोगो को प्राप्त करते हैं । वे अपने सुख के अनुगामी होकर प्राणियो को मारते काटते और चीरते हैं ।

असंयमी मनुष्य मन से, वचन से और काया से अशक्त होने पर भी इस लोक के लिए या परलोक के लिए जीवो की हिंसा करते हैं, करवाते हैं ।

हिंसा करने वाला पुरुष अनेक जीवो के साथ वैर का अनु-बन्ध करना है । जिसे वह नये वैर मे सलग्न हो जाता है । (वास्तव मे) हिंसा की प्रवृत्तियाँ मनुष्य को पाप की ओर ले जाती हैं अन्त मे उनका परिणाम दु खदायी होता है ।

स्वयं हिंसा आदि दुष्कृत करने वाले मनुष्य संसार (जन्म-मरण) को प्राप्त होते हैं । फिर राग-द्वेष के वशीभूत होकर बहुत पाप करते हैं ।

यह वाल मनुष्यो का सकर्मवीर्य वतलाया गया है । अब पण्डित मनुष्यो के अकर्मवीर्य को मुझसे सुनो ।

अकर्मवीर्य का स्वरूप—

७३१ संयमी पुरुष बन्धन से मुक्त होकर प्रमाद या हिंसा मे सर्वत प्रवृत्त नही होता है वह पाप-कर्म को दूर कर सम्पूर्ण शल्य रूप कर्मों को काट देता है ।

णेयाउय सुयषत्नात, उवादाय समीहते ।
भुज्जो भुज्जो दुहावास, असुभक्त तहा तहा ॥

ठाणी विविहठाणाणि, चइस्सति न संसओ ।
अणित्ति ए अय वासे, पायएहिं य सुहीहिं य ॥

एवमायाय मेहावी, अप्पणो गिद्धिमुद्धरे ।
आरियं उवसंपज्जे सव्वधम्ममकोवियं ॥

सहसम्मुद्दए णच्चा, धम्मसार सुणेत्तु वा ।
समुवट्ठित्ते अणगारे, पच्चक्खाय पावए ॥

जं किच्चुवक्कमं जाणे, आउक्खेमस्स अप्पणो ।
तस्सेव अतरा खिप्पं, सिक्ख सिक्खेज्ज पडित्ते ॥

जहा कुम्मे सअंगाइ, सए वेहे समाहरे ।
एव पावाइ मेधावी, अक्षप्पेण समाहरे ॥

साहरे हत्य-पादे य, मणं सन्विदियाणि य ।
पावग च परीणाम, भासादोस च तारिसं ॥
अणु माणं च माय च, तं परिणाय पंडिए ।
सातागार च णिहुते, उवसंते णिहे चरे ॥^१

पाणे य णाइवातेज्जा, अदिण्ण पि य णादिए ।
सादिय ण मुस वूया, एस धम्मे वुसीमतो ॥
अतिक्कम ति वायाए, मणसा वि ण पत्यए ।
सव्वतो सवुडे दत्ते, आयाणं सुसमाहरे ॥

कडं च कज्जमाण च, आगमेस्स च पावग ।
सव्व त णाणुजाणत्ति, आयुत्ता जिइविया ॥

—सूय. सु. १, अ ८, गा १०-२१

पण्डियवीरिय सरूव—

७३२ जे य बुद्धा महाभाग, वीरा सम्मत्तवसिणो ।
सुद्ध तेसि परक्कतं, अफल होइ सव्वसो ॥

—सूय सु. १, अ ८, गा २३

वह मोक्ष की ओर ले जाने वाले सु-आख्यात धर्म को पाकर चिन्तन करता है कि—“प्राणी वार-वार दुःखमय आवासो को प्राप्त होता है और उसके जैसा जैसा अशुभ कर्म होता है वैसा-वैसा अशुभ फल प्राप्त होता है ।”

विविध स्थानों में रहे हुए जीव अपने स्थानों को अवश्य छोड़ेंगे इसमें कोई संशय नहीं है । ज्ञानिजनों और मित्रों के साथ यह सवास (सयोग) नित्य नहीं है ।

अनित्यता का विचार कर मेधावी मनुष्य अपनी आसक्ति को छोड़ दे और सब दूषणों से रहित निर्मल आर्य धर्म को स्वीकार करे ।

धर्म के सार को अपनी मति से जानकर अथवा दूसरों से सुनकर उसके आचरण के लिए उपस्थित अणगार सम्पूर्ण पापों का त्याग कर दे ।

पण्डित अणगार अपनी आयु के क्षीण होने का कारण जान कर उस के अन्तराल (शेष बचे काल) में भी शीघ्र ही संलेखना ग्रहण करे ।

जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने शरीर में समेट लेता है, इसी प्रकार पण्डित पुरुष अपनी आत्मा को पापों से बचाकर अध्यात्म में ले जाए ।

वह हाथ, पैर, मन और पाँचों इन्द्रियों का, बुरे परिणामों का और भाषा के दोषों का समय करे ।

पण्डित पुरुष कषाय के परिणामों को जानकर अणुमात्र भी मान और माया का आचरण न करे । विवेकी साधक सुख सुविधा तथा प्रतिष्ठा आदि में उद्यत न हो तथा उपशात व निस्पृह होकर विचरण करे ।

कभी भी प्राणियों का अतिपात न करे, अदत्त भी न ले, कपट-सहित झूठ न बोले यह मुनि का धर्म है ।

प्राणियों के प्राणों का अतिपात (पीडन) वाणी से भी न करे, तथा मन से भी प्राणों का अतिपात न चाहे । सब ओर से सवृत होकर रहे और इन्द्रियों का दमन करता हुआ मोक्ष मार्ग का सम्यक् आराधन करे ।

आत्म गुप्त और जितेन्द्रिय मुनि किये हुए, किये जाते हुए और भविष्य में किए जाने वाले इन समग्र पापों का अनुमोदन भी नहीं करते हैं ।

पण्डित वीर्य का स्वरूप—

७३२ जो महाभाग वीर पुरुष बुद्ध और सम्यक्त्वदर्शी हैं उनका पराक्रम शुद्ध और सर्वथा कर्म बन्ध से मुक्त होता है ।

१ पाठान्तर—अणुमाणं च मायं च, त परिणाय पंडिए ।

सुयं मे इहमेगेसि, एय वीरस्स वीरिय ॥

तितिक्षया मोक्षं—

७३३ अर्पापडासि पाणासि, अर्प्यं भासेज्ज सुव्वते ।
खंतेऽभिनिव्वुडे दंते, वीतगेही सदा जये ॥

ज्ञानजोगुं समाहृद्दु, कार्यं विउसेज्ज सव्वसो ।
तितिक्ष परम णच्चा, आमोक्खाए परिव्वएज्जासि ॥

—सूय. सु १, अ ८, गा. २५-२६

समाहिजुत्तस्स सिद्धगई—

७३४. ओय चित्तं समादाय, ज्ञाणं समणुपज्जइ ।
धम्मो ठिळो अविमणो, निव्व्वाणमभिगच्छइ ॥

ण इम चित्तं समादाय, भुज्जो लोयंसि जायइ ।
अप्पणो उत्तमं ठाणं, सण्णि-गाणेण जाणइ ॥

अहातच्चं तु सुमिणं, विप्प पासेइ सव्वुडे ।
सव्वं वा ओहं तरति, दुक्खाओय विमुच्चइ ॥

पंताइं भयमाणस्स, विवित्त सयणासण ।
अप्पाहारस्स दतस्स, देवा दसेति ताइणो ॥

सव्वकाम - विरत्तस्स, खमतो भय - भेरवं ।
तओ से ओही भवइ, संजयस्स तवस्सिणो ॥
तवसा अवहड लेस्सस्स, दंसणं परिसुज्जइ ।
उड्डं अहे तिरिय च, सव्वं समणुपस्सति ॥

सुसमाहियलेस्सस्स, अवितक्कस्स भिक्खुणो ।
सव्वतो विप्पमुक्कस्स, आया जाणइ पज्जवे ॥

जया से णाणावरण, सव्वं होइ खय गयं ।
तया लोमल्लोम च, जिणो जाणति केवली ॥

जया से दंसणावरणं, सव्वं होइ खयं गय ।
तया लोमल्लोमं च, जिणो पासति केवली ॥

तितिक्षा से मोक्ष—

७३३. सुव्रत पुरुष थोडा भोजन करे, थोडा जल पीए, थोडा बोले, मदा क्षमाशील, शात, दात और अनासक्त होकर सदा सयम मे पुरुषार्थ करे ।

ध्यानयोग को सम्यग् स्वीकार कर सभी प्रकार से काया का व्युत्सर्ग करे, परीपहोपसर्ग सहन रूप तितिक्षा मोक्ष का परम साधन है—यह जानकर जीवन पर्यन्त सयम की साधना मे पराक्रम करे ।

समाधि युक्त की सिद्धगति—

७३४ राग-द्वेष से रहित निर्मल चित्त को धारण करने पर एकाग्रतारूप ध्यान उत्पन्न होता है और शका-रहित धर्म मे स्थित आत्मा निर्वाण को प्राप्त करता है ।

इस प्रकार चित्त-समाधि को धारण कर आत्मा पुन पुन लोक मे उत्पन्न नहीं होता और अपने उत्तम स्थान को जाति-स्मरण ज्ञान से जान लेता है ।

संवृत-आत्मा यथातथ्य स्वप्न को देखकर शीघ्र ही सर्व ससार रूपी समुद्र से पार हो जाता है, तथा शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के दुखो से छूट जाता है ।

अल्प आहार करने वाले, अन्त-प्रान्तभोजी, विविक्त शयन-आसनसेवी, इन्द्रियो का निग्रह करने वाले और पट्कायिक जीवो के रक्षक संयत साधु को देव-दर्शन होते हैं ।

सर्वकाम-भोगो से विरक्त, भीम-भैरव परीपह-उपसर्गो के सहन करने वाले तपस्वी संयत को अवधिज्ञान उत्पन्न होता है ।

जिसने तप के द्वारा अशुभ लेश्याओ को दूर कर दिया है उसका अवधिदर्शन अतिविशुद्ध हो जाता है और उसके द्वारा वह ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यक्लोक मे रहे हुए जीवादि सभी पदार्थो को देखने लगता है ।

सुसमाधियुक्त प्रशस्त लेश्या वाले, विकल्प से रहित भिक्षा-वृत्ति से निर्वाह करने वाले और सर्वप्रकार के वन्धनो से विप्र-मुक्त आत्मा मन के पर्यवो को जानता है अर्थात् मन-पर्यवज्ञानी हो जाता है ।

जब समस्त ज्ञानावरण कर्म क्षय को प्राप्त हो जाता है, तब वह मुनि केवली जिन होकर समस्त लोक और अलोक को जानता है ।

जब समस्त दर्शनावरण कर्म क्षय को प्राप्त हो जाता है, तब वह मुनि केवली जिन होकर समस्त लोक और अलोक को देखता है ।

पडिमाए विमुद्धाए, मोहणिज्जे खय गए ।
असेस लोगमलोग च, पासेति सुसमाहिए ॥

जहा मत्थय सूइए, हताए हम्मइ तले ।
एव कम्माणि हम्मति, मोहणिज्जे खयं गए ॥

सेणावइम्मि निहए, जहा सेणा पणस्सति ।
एव कम्माणि णस्संति, मोहणिज्जे खयं गए ॥

धूमहीणो जहा अग्गी, खीयति से निरिघणे ।
एवं कम्माणि णस्सति, मोहणिज्जे खयं गए ॥

सुक्क-मूले जहा रुक्खे, सिच्चमाणे ण रोहति ।
एव कम्मा ण रोहंति, मोहणिज्जे खयं गए ॥

जहा दड्ढाणं वीयाण, न जायंति पुणकुुरा ।
कम्म वीएसु दड्ढेसु न जायति भवकुुरा ॥

चिच्चा ओरालिय वींदि, नाम-गोयं च केवली ।
आउय वेयणिज्ज च, छित्ता भवति नीरए ॥

एव अभिसमागम्म, चित्तमादाय आउसो ! ।
सेणि - सुद्धिमुवागम्म, आया सोधिमुवेहइ ॥

—दसा. द. ५, सु ६, गा १-१७

विबभत चित्ताणं वीरियहाणी—

७३५. किमणेण णो जणेण करिस्सामि ? त्ति मण्णमाणा एव पेगे
वदित्ता, मातर पितर हेच्चा णातओ य परिग्गहं, वीराय-
माणा समुद्धाए अविहिंसा सुच्चता वता ।

पस्स दीणे उप्पइय पडिबयमाणे । वसट्ठा कायरा जणा लूसगा
भवन्ति ।

अहमेगेसि सिलोए पावए भवति—“से समणविबभंते, से समण-
विबभंते ।”

भिक्षु प्रतिमाओ के विशुद्ध रूप से आराधन करने पर और
मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने पर सुसमाहित आत्मा सम्पूर्ण
लोक और अलोक को देखता है ।

जिस प्रकार ताल वृक्ष के अग्र भाग को तीक्ष्ण शस्त्र से
छेदन किये जाने पर वह सम्पूर्ण वृक्ष नीचे गिर जाता है, इसी
प्रकार मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने पर शेष सर्व कर्म शीघ्र ही
विनष्ट हो जाते हैं ।

जैसे सेनापति के मारे जाने पर सारी सेना अस्त-व्यस्त हो
जाती है इसी प्रकार मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने पर शेष
सर्व कर्म विनष्ट हो जाते हैं ।

जैसे धूम-रहित अग्नि ईन्धन के अभाव से स्वतः शान्त हो
जाती है, इसी प्रकार मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने पर शेष
सभी कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं ।

जैसे शुष्क जड़ वाला वृक्ष जल-सिंचन किये जाने पर भी
पुनः अंकुरित नहीं होता है इसी प्रकार मोहनीयकर्म के क्षय हो
जाने पर शेष कर्म भी उत्पन्न नहीं होते हैं ।

जैसे जले हुए बीजों में पुनः अकुर उत्पन्न नहीं होते हैं, इसी
प्रकार कर्म बीजों के जल जाने पर भवरूप अकुर उत्पन्न नहीं
होते हैं ।

औदारिक शरीर का त्याग कर तथा नाम, गोत्र, आयु और
वेदनीय कर्म का छेदन कर केवली भगवान कर्म रज से सर्वथा
रहित हो जाते हैं ।

हे आयुष्मान् शिष्य इस प्रकार समाधि के भेदों को जान-
कर राग और द्वेष से रहित चित्त को धारण कर क्षपक-श्रेणी
को प्राप्त कर आत्मा शुद्धि को प्राप्त करता है, अर्थात् मोक्ष पद
को प्राप्त कर लेता है ।

भ्रान्त चित्त वालों की वीर्यहानि—

७३५ “ओ आत्मन् ! इन स्वार्थी स्वजनो से मैं क्या लाभ प्राप्त
करूँगा ?” यह मानते और कहते हुए कुछ लोग माता-पिता,
ज्ञातिजन और परिग्रह को छोड़कर वीर वृत्ति से मुनि धर्म में
सम्यक् प्रकार से प्रव्रजित होते हैं और पूर्णरूप से अहिंसक,
सुव्रती और दात बन जाते हैं ।

संयम में उत्थित होकर दीन बनकर गिरते हुए कुछ मुनियों
को तू देख, वे विषयों से पीडित कायरजन संयम को नष्ट करने
वाले हो जाते हैं ।

इस कारण से कुछ साधकों की अपकीर्ति हो जाती है कि
“यह श्रमण धर्म में च्युत हो गया है, यह श्रमणधर्म से च्युत हो
गया है ।”

तितिक्षाव्या मोक्षं—

७३३ अप्पापिडासि पाणासि, अप्प ५नासेज्ज सुव्वते ।
खतेऽभिनिव्वुडे दते, वीत्तगेही सदा जये ॥

क्षाणजोग] समाहृद्दु, कायं विउसेज्ज सव्वसो ।
तितियल परम णच्चा, आमोक्खाए परिव्वएज्जासि ॥
—सूय. सु १, अ ८, गा. २५-२६

समाहिजुत्तस्स सिद्धगई—

७३४ ओय चित्त समादाय, क्षाण समणुपज्जइ ।
धम्मे ठिओ अविमणो, निव्वानमभिगच्छइ ॥

ण इम चित्तं समादाय, भुज्जो लोयंसि जायइ ।
अप्पणो उत्तमं ठाणं, सण्णि-णाणेण जाणइ ॥

अहातच्चं तु सुमिण, क्षिप्प पासेइ सव्वुडे ।
सव्वं वा ओहं तरति, दुक्खाओय विमुच्चइ ॥

पंताई भयमाणस्स, विवित्त सयणासण ।
अप्पाहारस्स दतस्स, देवा दसेति ताइणो ॥

सव्वकाम - विरत्तस्स, खमतो भय - भेरव ।
तओ से ओही भवइ, संजयस्स तवस्सिणो ॥

तवसा अवहड लेस्सस्स, दंसणं परिसुज्जइ ।
उह्ढं अहे तिरिय च, सव्वं समणुपस्सति ॥

सुसमाहियलेस्सस्स, अवितक्कस्स भिक्खुणो ।
सव्वतो विप्पमुक्कस्स, आया जाणइ पज्जवे ॥

जया से णाणावरण, सव्व होइ खयं गय ।
तया लोगमलोग च, जिणो जाणति केवली ॥

जया से दंसणावरणं, सव्वं होइ तय गय ।
तया लोगमलोगं च, जिणो पासति केवली ॥

तितिक्षा से मोक्ष—

७३३. सुन्नत पुरुष थोडा भोजन करे, थोडा जल पीए, थोडा बोले, सदा क्षमाशील, शात, दात और अनासक्त होकर सदा सयम मे पुरुषार्थ करे ।

ध्यानयोग को सम्यग् स्वीकार कर सभी प्रकार से काया का व्युत्सर्ग करे, परीपहोपसर्ग सहन रूप तितिक्षा मोक्ष का परम साधन है—यह जानकर जीवन पर्यन्त सयम की साधना मे पराक्रम करे ।

समाधि युक्त की सिद्धगति—

७३४ राग-द्वेष से रहित निर्मल चित्त को धारण करने पर एकाग्रतारूप ध्यान उत्पन्न होता है और शका-रहित धर्म मे स्थित आत्मा निर्वाण को प्राप्त करता है ।

इस प्रकार चित्त-समाधि को धारण कर आत्मा पुन. पुन. लोक मे उत्पन्न नहीं होता और अपने उत्तम स्थान को जाति-स्मरण ज्ञान से जान लेता है ।

संवृत-आत्मा यथातथ्य स्वप्न को देखकर शीघ्र ही सर्व संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है, तथा शारीरिक और मानसिक दोनो प्रकार के दुःखो से छूट जाता है ।

अल्प आहार करने वाले, अन्त-प्रान्तभोजी, विविक्त शयन-आसनसेवी, इन्द्रियो का निग्रह करने वाले और पट्कायिक जीवो के रक्षक संयत साधु को देव-दर्शन होते है ।

मर्वकाम-भोगो से विरक्त, भीम-भैरव परीपह-उपसर्गो के सहन करने वाले तपस्वी सयत को अवधिज्ञान उत्पन्न होता है ।

जिसने तप के द्वारा अशुभ लेश्याओ को दूर कर दिया है उसका अवधिदर्शन अतिविशुद्ध हो जाता है और उसके द्वारा वह ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यक्लोक मे रहे हुए जीवादि सभी पदार्थो को देखने लगता है ।

सुसमाधियुक्त प्रशस्त लेश्या वाले, विकल्प से रहित भिक्षा-वृत्ति से निर्वाह करने वाले और सर्वप्रकार के वन्दनो से विप्र-मुक्त आत्मा मन के पर्यवो को जानता है अर्थात् [मन पर्यवज्ञानी हो जाता है ।

जब समस्त ज्ञानावरण कर्म क्षय को प्राप्त हो जाता है, तब वह मुनि केवली जिन हीकर समस्त लोक और अलोक को जानता है ।

जब समस्त दर्शनावरण कर्म क्षय को प्राप्त हो जाता है, तब वह मुनि केवली जिन होकर समस्त लोक और अलोक को देखता है ।

पडिमाए विमुद्धाए, मोहणिज्जे खय गए ।
असेस लोगमलोग च, पासेति सुसमाहिए ॥

जहा मत्थय सूइए, हताए हम्मइ तले ।
एव कम्माणि हम्मति, मोहणिज्जे खयं गए ॥

सेणावइम्मि निहए, जहा सेणा पणस्सति ।
एव कम्माणि णस्सति, मोहणिज्जे खयं गए ॥

धूमहीणो जहा अग्गी, खीयति से निरिघणे ।
एव कम्माणि णस्सति, मोहणिज्जे खयं गए ॥

सुक्क-मूले जहा रुक्खे, सिचमाणे ण रोहति ।
एव कम्मा ण रोहति, मोहणिज्जे खयं गए ॥

जहा दड्ढाणं वीयाण, न जायति पुणंकुरा ।
कम्म वीएसु दड्ढेसु न जायति भवकुग ॥

चिच्चा ओरालिय वोदिं, नाम गोयं च केवली ।
आउयं वेयणिज्जं च, छित्ता भवति नीरए ॥

एव अभिसमागम्म, चित्तमादाय भाउसो ! ।
सेणि - सुद्धिमुवागम्म, आया सोधिमुवेहइ ॥

—दसा. द. ५, सु ६, गा १-१७

विभ्रत चित्ताणं वीर्यहानी—

७३५. किमणेण णो जणेण करिस्सामि ? त्ति मण्णमाणा एव पेगे
वदित्ता, मातर पितर हेच्चा णातओ य परिग्गहं, वीराय-
माणा ससुट्ठाए अविहिंसा सुव्वता वता ।

पस्स दीणे उप्पइय पडिबयमाणे । वसट्ठा कायररा जणा लूसगा
भवन्ति ।

अहमेगेसि सिलोए पावए भवति—“त्ते समणविभ्रन्ते, से समण-
विभ्रन्ते ।”

भिक्षु प्रतिमाओं के विशुद्ध रूप से आराधन करने पर और मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने पर सुसमाहित आत्मा सम्पूर्ण लोक और अलोक को देखता है ।

जिस प्रकार ताल वृक्ष के अग्र भाग को तीक्ष्ण शस्त्र से छेदन किये जाने पर वह सम्पूर्ण वृक्ष नीचे गिर जाता है, इसी प्रकार मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने पर शेष सर्व कर्म शीघ्र ही विनष्ट हो जाते हैं ।

जैसे सेनापति के मारे जाने पर सारी सेना अस्त-व्यस्त हो जाती है इसी प्रकार मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने पर शेष सर्व कर्म विनष्ट हो जाते हैं ।

जैसे धूम-रहित अग्नि ईन्धन के अभाव से स्वतः शान्त हो जाती है, इसी प्रकार मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने पर शेष सभी कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं ।

जैसे शुष्क जड़ वाला वृक्ष जल-सिंचन किये जाने पर भी पुनः अंकुरित नहीं होता है इसी प्रकार मोहनीयकर्म के क्षय हो जाने पर शेष कर्म भी उत्पन्न नहीं होते हैं ।

जैसे जले हुए बीजों में पुनः अकुर उत्पन्न नहीं होते हैं, इसी प्रकार कर्म बीजों के जल जाने पर भवरूप अकुर उत्पन्न नहीं होते हैं ।

औदारिक शरीर का त्याग कर तथा नाम, गोत्र, आयु और वेदनीय कर्म का छेदन कर केवली भगवान कर्म रज से सर्वथा रहित हो जाते हैं ।

हे आयुष्मान् शिष्य इस प्रकार समाधि के भेदों को जान-कर राग और द्वेष से रहित चित्त को धारण कर क्षपक-श्रेणी को प्राप्त कर आत्मा शुद्धि को प्राप्त करता है, अर्थात् मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है ।

भ्रान्त चित्त वालों की वीर्यहानि—

७३५ “ओ आत्मन् ! इन स्वार्थी स्वजनो से मैं क्या लाभ प्राप्त करूँगा ?” यह मानते और कहते हुए कुछ लोग माता-पिता, ज्ञातिजन और परिग्रह को छोड़कर वीर वृत्ति से मुनि धर्म में सम्यक् प्रकार से प्रव्रजित होते हैं और पूर्णरूप से अहिंसक, सुव्रती और दात बन जाते हैं ।

सयम में उत्थित होकर दीन बनकर गिरते हुए कुछ मुनियों को तू देख, वे विषयों से पीडित कायरजन संयम को नष्ट करने वाले हो जाते हैं ।

इस कारण से कुछ साधकों की अपकीर्ति हो जाती है कि “यह श्रमण धर्म में च्युत हो गया है, यह श्रमणधर्म से च्युत हो गया है ।”

पासहेगे समण्णागतोहिं सह असमण्णागए, णममाणोहिं अणम-
माणे, विरतेहिं अविरते, दवितोहिं अदविते ।

अमिसमेच्चा पंडिते मेधावी णिद्धियट्ठी वीरे आगमेण सदा
परिक्कमेज्जासि ।

—आ सु. १, अ. ६, उ ४, सु. १६३-१६५

यह भी देख । सयम से च्युत होने वाले कई मुनि उत्कृष्ट
आचार वालों के बीच शिथिलाचारी समर्पित मुनियों के बीच
असमर्पित, विरत मुनियों के बीच अविरत तथा साधुओं के बीच
चारित्रहीन होते हैं ।

इस प्रकार सयम-भ्रष्ट साधुओं को तथा सयम-भ्रष्टता के
परिणामों को भली भाँति जानकर पण्डित बुद्धिमान और मोक्षार्थी
वीर मुनि सदा सयम में पराक्रम करें ।



परीषह-जय—२

परीसहेहिं कम्मखओ—

७३६. ण वि ता अहमेव लुप्पए, लुप्पंतो लोगसि पाणिणो ।
एव स हिएऽधिपासते, अणिहे से पुट्ठोऽधिसाए ॥

—सूय. सु. १, अ २, उ १, गा १३

न य सखयमाहु जीवियं, तह वि य वालजणे पगवमती ।
वाले पावेहिं मिज्जती, इति संखाय मुणो ण मज्जती ॥

छवेण पलेत्तिमा पया, बहुमाया मोहेण पाउडा ।
धियडेण पलेत्ति माहणे, सीउण्ह वयसा हियासए ॥

—सूय सु १, अ. २, उ २, गा २१-२२

परीसहप्पगारा—

७३७. वायोस परीसहा पण्णत्ता, त जहा—

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| १ दिग्निच्छा-परीसहे, | २ पिवासा परीसहे, |
| ३. सीय-परीसहे, | ४ उसिण-परीसहे, |
| ५ दस-मसय-परीसहे, | ६. अचेल-परीसहे, |
| ७ अरइ-परीसहे, | ८ इत्यो-परीसहे, |
| ९. चरिया-परीसहे, | १० निसीहिया-परीसहे, |
| ११ सेज्जा-परीसहे, | १२. अबकोस-परीसहे, |
| १२. वह-परीसहे, | १४. जायणा-परीसहे, |
| १५ अत्ताभ-परीसहे, | १६. रोग-परीसहे, |
| १७ तणफास-परीसहे, | १८. जल-परीसहे, |
| १९ सक्कारपुरक्कार-परीसहे, | २०. पत्ता-परीसहे, |

परीषह सहने से कर्मों का क्षय—

७३६. “इस ससार में मैं ही केवल दुखों से पीड़ित नहीं हूँ,
परन्तु लोक में दूसरे प्राणी भी पीड़ित हैं”—इस प्रकार ज्ञान
सम्पन्न पुरुष अन्तर्दृष्टि से देखे और वह परीषहों से स्पृष्ट होने
पर राग द्वेष रहित होकर उन्हें सहन करे ।

टूटे हुए जीवन-सूत्र को जोड़ा नहीं जा सकता । फिर भी
अज्ञानी मनुष्य (हिंसा आदि करने में) धृष्ट होता है । वह अज्ञ
जीव अपने पाप-कर्मों से मरता जाता है—यह जानकर मुनि मद
नहीं करता ।

अत्यन्त माया और मोह से घिरे हुए ये प्राणी अपनी इच्छा-
नुसार आचरण कर विभिन्न गतियों में पर्यटन करते हैं किन्तु
मुनि सरल भाव से सयम में लीन रहकर मन वचन और काया
से शीत और उष्ण आदि परीषहों को सहन करता है ।

परीषह के प्रकार—

७३७. वावीस परीषह कहे गये हैं, यथा—

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| (१) क्षुधा-परीषह, | (२) पिपासा-परीषह, |
| (३) शीत-परीषह, | (४) उष्ण-परीषह |
| (५) दश-मशक-परीषह, | (६) अचेल-परीषह, |
| (७) अरति-परीषह, | (८) स्त्री-परीषह, |
| (९) चर्या-परीषह, | (१०) निपद्या-परीषह, |
| (११) शय्या-परीषह, | (१२) आक्रोश-परीषह, |
| (१३) वध-परीषह, | (१४) याचना-परीषह, |
| (१५) अलाभ-परीषह, | (१६) रोग-परीषह, |
| (१७) तृण-स्पर्श-परीषह, | (१८) जल-परीषह, |
| (१९) सत्कार-पुरस्कार परीषह, | (२०) प्रज्ञा-परीषह, |

२१. अघ्णाण-परीसहे,

२२ वसण-परीसहे^१

(२१) अज्ञान-परीषह,

(२२) दर्शन-परीषह,

—सम. सम. २२, सु. १

परीसह पररूपणा—

७३८. परीसहाणं पविभत्ती, कासवेण पवेइया ।

त मे उदाहरिस्सामि, आणुपुंघ्व सुणेह मे ॥

—उत्त अ. २, गा ३

१. खूहा परीसहे—

७३९ दिग्गिछा परिगए वेहे, तवस्सी भिक्खु थामव ।

न छिन्दे न छिन्दावए, न पए न पयावए ॥

काली पव्वगसकासे, किसे धमणि संतए ।

मायन्ने असण-पाणस्स, अदीण-मणसो चरे ॥

—उत्त अ २, गा ४-५

२ पिवासा परीसहे—

७४० तओ पुट्ठो पिवासाए, वोगुछी लज्ज-सजए ।

सीओदगं न सेविज्जा, विपडस्सेसणं चरे ॥

छिन्नावाएसु पथेसु, अउरे सुपिवासिए ।

परिसुक्कमुहे वीणे, तं तितिवखे परीसह ॥

—उत्त अ. २, गा. ६-७

३. सीय परीसहे—

७४१. चरन्त विरयं लूह, सीय फुसइ एगया ।

नाइवेलं मुणी गच्छे, सोच्चा ण जिणसासणं ॥

न मे निवारणं अत्थि, छवित्ताण न विज्जई ।

अहं तु अग्गि सेवामि, इइ भिक्खू न चिन्तए ॥

—उत्त अ २, गा ८ ९

जया हेमतमामम्मि, सीत फुसति सवातगं ।

तत्थ मदा विसीयन्ति, रज्जहीणा व खत्तिया ॥

—सूय सु. १, अ. ३, उ. १, गा ४

परीषह प्ररूपणा—

७३८. परीषहो का जो विभाग काश्यप गोत्रीय भगवान के द्वारा प्रवेदित या प्ररूपित है उसे मैं क्रमश कहता हूँ। तुम मुझसे सुनो ।

(१) क्षुधा-परीषह—

७३९ देह मे क्षुधा व्याप्त होने पर भी तपस्वी और धैर्यवान भिक्षु फल आदि का सेवन न करे, न कराए तथा अन्न आदि न पकाए और न पकवाए ।

शरीर के अग भूख से सूखकर काकजंघा के समान दुर्बल हो जायें, शरीर कृश होकर नसों दीख जायें तो भी आहार-पानी की मर्यादा को जानने वाला साधु अदीनभाव से विचरण करे ।

(२) पिपासा-परीषह—

७४० असंयम से घृणा करने वाला लज्जावान सयमी साधु प्यास से पीडित होने पर भी सचित्त पानी का सेवन न करे, किन्तु प्रासुक जल की एषणा करे ।

निर्जन मार्ग में जाते समय प्यास से अत्यन्त आकुल हो जाने पर मुंह सूख जाने पर भी साधु अदीनभाव से उस प्यास के परीषह को सहन करे ।

(३) शीत-परीषह—

७४१ विरत होकर रुक्ष वृत्ति से सयम में विचरते हुए कभी शीत का स्पर्श हो तो जिनागम को सुनने वाला मुनि संयम की किसी भी मर्यादा का उल्लघन न करे ।

शीत से प्रताडित होने पर मुनि ऐसा न सोचे कि—मेरे पास शीत निवारक घर आदि नहीं है और शरीर की सुरक्षा के लिए वस्त्रादि भी नहीं है, इसलिए मैं अग्नि का सेवन करूँ ।

जब जाड़े के महीनो में बर्फीली हवा और सर्दी लगती है तब मन्द पराक्रमी साधक वैसे ही विषाद को प्राप्न होते हैं जैसे कि राज्य से च्युत राजा ।

१ (क) उत्त. अ २, सु २

(ख) समवायाग और उत्तराध्ययन मे १९ परीषहो के नामो का क्रम समान है केवल २०वें, २१वें और २२वें परीषहो के नामो मे व्युत्क्रम है ।

समवायाग

(२०) अघ्णाण परीसह

(२१) वसण परीसह,

(२२) पण्णापरीसह,

विभिन्न प्रकाशनो मे इन नामो का विभिन्न क्रम भी मिलता है ।

उत्तराध्ययन

(२०) पण्णापरीसह,

(२१) अघ्णाण परीसह,

(२२) वसण परीसह ।

४. उत्तिणपरीसहे—

७४२. उत्तिण - परियावेण, परिदाहेण तज्जिए ।
घिसु वा परियावेण, सायं नो परिदेवए ॥

उष्णाहितत्ते मेहावी, तिणाणं नो वि पत्यए ।
गाय नो परिस्सिच्चेज्जा, न वीएज्जा य अप्पयं ॥

—उत्त. अ २, गा. १०-११

पुट्टे गिम्हामितावेणं, विमणे सुप्पिवासिए ।
तत्य मदा विसीयति, मच्छा अप्पोदए जहा ॥

—सूय सु १, अ ३, उ. १, गा ५

५. दसमसयपरीसहे—

४३ पुट्टो य दसमसएहि, समरे व महामुणी ।
नागो संगाम सीसे वा, सूरु अम्भिहणे पर ॥

न सतसे न वारेज्जा, मण पि न पओसए ।
उवेहे न हणे पाणे, भुजंत्ते मस-सोणियं ॥

—उत्त अ २, गा १२-१३

पुट्टो य दंस-मसएहि, तणफासमचाइया ।
न मे दिट्ठे परे लोए, जइ पर मरणं सिया ॥

—सूय. सु १, अ ३, उ १, गा. १२

६. अचेलपरीसहे—

७४४ परिजुण्णेहि वत्थेहि, होक्खामि त्ति अचेलए ।
अदुवा सचेलए होक्ख, इइ भिक्खू न चित्तए ॥

एगया अचेलइ होइ, सचले यावि एगया ।
एय घम्म हिय नच्चा, नाणी नो परिदेवए ॥

—उत्त. अ २, गा १४-१५

जे भिक्खू अचले परिदुसिते तस्स ण एव भवति—

“घाएमि अहं तण फास अहियासित्तए, सीतफासं अहिया-
सित्तए, तेउफासं अहियासित्तए, दत्त मसगफास अहिया-
सित्तए एगतरे अणतरे विरुवहये फासे अहियासित्तए,
हिरियपट्टिच्छादण च ह णो सचाएमि अहियासित्तए” एव
से रूपति पट्टिवघण धारित्तए ।

(४) उष्ण परीषह—

७४२. गरमी के परिताप से तथा दाह से पीडित होकर अथवा
श्रीष्म कालीन सूर्य के परिताप से परितप्त होने पर भी मुनि सुख
के लिए विलाप न करे ।

गर्मी से अभितप्त होने पर भी मेघावी मुनि स्नान की
इच्छा न करे । शरीर को गीला न करे । पखे से शरीर पर हवा
भी न करे ।

गर्मी में घूप से स्पृष्ट होकर तथा प्यास से व्याकुल बने
साधक वैसे ही विपाद को प्राप्त होते हैं जैसे कि थोड़े पानी में
मछली ।

(५) दश मशक परीषह—

७४३ डास और मच्छरो का उपद्रव होने पर भी महामुनि सम-
भाव में रहे । जैसे युद्ध के अग्रभाग में रहा हुआ शूरवीर हाथी
वाणो को नहीं गिनता हुआ शत्रुओं का हनन करता है, उसी
प्रकार मुनि परीषहो पर विजय प्राप्त करे ।

भिक्षु उन डास और मच्छरो को न घ्रास देवे और न हटाए
तथा मन में भो उनके प्रति द्वेष न लाए । मास और रक्त खाने
पीने पर भी उनकी उपेक्षा करे, किन्तु हनन न करे ।

मुनि डास और मच्छरो के काटने पर तथा तृण स्पर्श का न
सह सकने के कारण ऐसा सोचने लगता है कि—“परलोक तो
मैंने देखा ही नहीं है परन्तु इस कष्टमय जीवन से मरण तो
साक्षात् ही दीखता है ।”

(६) अचेल-परीषह—

७४४ “वस्त्रो के जीर्ण हो जाने पर मैं अचेल हो जाऊँगा अथवा
वस्त्र मिलने पर मैं सचेल हो जाऊँगा” मुनि ऐसा न सोचे ।

वस्त्र न मिलने पर मुनि कभी अचेलक भी होता है और
वस्त्र मिलने पर कभी सचेलक भी होता है । सचेलत्व और
अचेलत्व धर्म को हितकर जानकर ज्ञानी मुनि किसी प्रकार का
खेद न करे ।

जो भिक्षु वस्त्र रहित रहता है उसे इस प्रकार का सकल्प
हो कि—

मैं घास के तीखे स्पर्श को सहन कर सकता हूँ, सर्दों का
स्पर्श सहन कर सकता हूँ, गर्मों का स्पर्श सहन कर सकता हूँ,
ढाम और मच्छरो के काटने को सहन कर सकता हूँ और भी
अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करने में समर्थ हूँ, किन्तु मैं
नज्जा निवारणार्थ वस्त्र को छोड़ने में समर्थ नहीं हूँ ।” ऐसी
स्थिति में वह भिक्षु कटिवन्धन (चोलपट्टा) धारण कर सकता है ।

अहवा तत्थ परक्कमत भुज्जो अचेल तणफासा फुसति, सीत-
फासा फुसति, तेउफासा फुसति, दंस मसगफासा फुसति,
एगतरे अण्णतरे विरूवरूवे फासे अहियासेति ।

अचले लाघवियं आगममाणे । तवे से अभिसमण्णागते
भवति ।

जहेयं भगवया पवेदितं तमेव अभिसमेच्चा सव्वतो सव्वयाए
सम्मत्तमेव समभिजाणिया ।

—आ. सु. १, अ. ८, उ. ७, सु. २२५-२२६

एवं खु मुणी आदाणं सुयक्खातधम्मे विधूतकप्पे णिज्झो-
सइत्ता ।

जे अचले परिवुसिते तस्स णं भिक्खुस्स णो एव भवति—

“परिजुण्णे मे वत्थे, वत्थं जाइस्सामि, सुत्त जाइस्सामि, सुइ
जाइस्सामि, सधिस्सामि, सीविस्सामि, उक्कसिस्सामि,
वोक्कसिस्सामि, परिहि सामि, पाउणिस्सामि ।”

अवुवा तत्थ परक्कमतं भुज्जो अचेल तणफासा फुसति, सीत-
फासा फुसति, तेउफासा फुसति, दस-मसगफासा फुसति एग-
तरे अण्णयरे विरूवरूवे फासे अहियासेति ।

अचले लाघव आगममाणे तवे से अभिसमण्णाए भवति ।

जहेय भगवया पवेदितं । तमेव अभिसमेच्चा सव्वतो सव्व-
ताए सम्मत्तमेव समभिजाणिया ।

—आ. सु. १, अ. ६, उ. ३, सु. १८७

अचेलस्स पसत्थ परिणामो—

७४५ पंचहिं ठाणेहिं अचेलए पसत्थे भवति, तं जहा—

- १ अप्पा पडिलेहा,
२. लाघविए पसत्थे,
३. रूवे वेसासिए,
- ४ तवे अणुण्णाते,
५. विउले इदियणिग्गहे ।

—ठाणं अ. ५, उ. ३, सु. ४५५

अरइ परीसहे—

७४६ गामाणुगामं रीयंत, अणगरं अकिचण ।

अरई अणुप्पविसे, त तितिवखे परीसह ॥

इस चर्या में पराक्रम करते हुए कभी अचेल भिक्षु को अनेक
वार घास के तीखे स्पर्श चुभते हैं, शीत का स्पर्श होता है, गर्मी
का स्पर्श होता है, ढास और मच्छर काटते हैं फिर भी वह उन
अनेक प्रकार के स्पर्शों को सहन करता है ।

इस प्रकार वह अचेल भिक्षु कर्म लाघव को प्राप्त होता
हुआ कायक्लेश आदि तप लाभ को प्राप्त करता है ।

अतः साधक जैसा भगवान् ने प्रतिपादन किया है, उसे उसी
रूप में जानकर सब प्रकार से सर्वात्मना समत्व को ही भली
भाँति आचरण में लाये ।

मुनि तीर्थंकर भगवान् द्वारा समय में सदा स्थिर रहकर
कर्मक्षय करने में आत्म शक्ति लगा देता है ।

इसलिए जो अचेलक रहता है, उस साधु को वस्त्र सम्बन्धी
इस प्रकार के सकल्प उत्पन्न ही नहीं होते कि—

“मेरा वस्त्र जीर्ण हो गया है, वस्त्र की याचना करूँगा,
ढोरे की याचना करूँगा, सूई की याचना करूँगा, उससे वस्त्र
को सार्धूँगा, सीकूँगा, छोटे वस्त्र को जोड़कर बड़ा बनाऊँगा,
बड़े वस्त्र को फाड़कर छोटा बनाऊँगा फिर उसे पहनूँगा और
शरीर को ढकूँगा ।”

किन्तु अचेलत्व-साधना में पराक्रम करते हुए निर्वस्त्र मुनि
को अनेक वार घास के तृणों का स्पर्श, सर्दों और गर्मी का स्पर्श
तथा ढास और मच्छरों का स्पर्श पीडित करता है । अन्य भी
अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं । उन्हें वह सहन करता है ।

इस प्रकार यह अचेलक भिक्षु कर्मलाघव को प्राप्त होता
हुआ कायक्लेश आदि तप के लाभ को प्राप्त करता है ।

अतः साधक जैसा भगवान् ने प्रतिपादन किया है, उसे उसी
रूप में जानकर सब प्रकार से सर्वात्मना समत्व को भलीभाँति
जानकर आचरण में लाये ।

अचेलत्व का प्रशस्त परिणाम—

७४५ पाँच स्थानों से अचेलक प्रशस्त होता है, यथा—

- (१) उसके प्रतिलेखना अल्प होती है,
- (२) उसका लाघव प्रशस्त होता है,
- (३) उसका रूप विश्वास-योग्य होता है,
- (४) उसका तप जिनानुमत होता है,
- (५) उसके विपुल इन्द्रिय-निग्रह होता है ।

अरति-परीषह—

७४६. एक गाँव से दूसरे गाँव में विहार करते हुए अकिचन
मुनि के चित्त में समय के प्रति अशुचि उत्पन्न हो जाय तो उस
परीषह को सहन करे ।

अरुं पिदुओ किञ्चा, विरए आयरक्खिए ।
धम्मारामे निरारम्भे, उवसन्ते मुणो चरे ॥

—उत्त अ २, गा. १६-१७

इत्थी परीसहे—

७४७ संगो एस मण्स्साणं, जाओ लोगसि इत्थिओ ।
जस्स एया परिभ्राया, सुकडं तस्स सामण्ण ॥

एवमादाय मेहावी, पक्कभूया उ इत्थिओ ।
नो ताहि विणिहन्नेज्जा, चरेज्जत्तगवेसए ॥

—उत्त. अ. २, गा १८-१९

जहा नई वेयरणी, दुत्तरा इह सम्मता ।
एवं लोगसि नारीओ, दुत्तरा अमईमया ॥

जेहि नारीण सजोगा, पूयणा पिदुतो कता ।
सव्वमेय निराकिञ्चा, ते ठिक्ता सुसमाहिए ॥

—सूय. सु. १, अ ३, उ. ४, गा १६-१७

जे मातर च पितर च, विप्पजहाय पुव्वसयोग ।
एगे सहिते चरिस्सामि, आरतमेहणे विवित्तेसी ॥

सुहुमेण त परक्कम्म, छन्नपवेण इत्थिओ मदा ।
उवाय पि ताओ जाणिमु, जह लिस्सति भिक्खुणो एगे ॥

पासे मिस निसीयति, अभिक्खणं पोसवत्थ परिहंति ।
फाय अहे वि दंसेति, चाहुमुद्धट्टु कक्खमणुव्वज्जे ॥

सयणास्सणेहि जोगेहि, इत्थिओ एगया निमंतेति ।
एताणि चेव से जाणे, पासाणि विरुव्वरूवाणि ॥

नो तासु चक्खु संघेज्जा, नो वि य साहस समभिजाणे ।
नो सद्धियं पि विहरेज्जा, एवमप्पा सुरभिल्लओ होइ ॥

आमत्तिय ओसविमं वा, भिक्खुं आयसा निमंतेति ।
एताणि चेव से जाणे, सहाणि विरुव्वरूवाणि ॥

मणबंघणेहि नेगेहि, कत्तुणविणीयमुव्वगसित्ताण ।
अवु मजुत्ताइं भासति, आणवयंति भिन्नकहाहि ॥

हिंसा आदि से विरत रहने वाला, आत्मा की रक्षा करने वाला, धर्म में रमण करने वाला, असत् प्रवृत्ति से दूर रहने वाला उपशान्त मुनि अरति को दूर कर समय में विचरण करे ।

स्त्री-परीषद्—

७४७. लोक में जो स्त्रियाँ हैं, वे मनुष्यों के लिए आसक्ति का कारण हैं । जिसने इनका सग ज्ञानपूर्वक त्याग दिया है उसका आमण्य सफल है !

“स्त्रियाँ ब्रह्मचारी के लिए दल-दल के समान हैं” यह जानकर मेधावी मुनि उनमें न फँसे किन्तु आत्म गवेषणा करता हुआ विचरण करे ।

जैसे वैतरणी नदी को पार करना अत्यन्त दुष्कर माना गया है वैसे ही मन्द बुद्धि वाले पुरुष के लिए इस लोक में स्त्रियाँ दुस्तर होती हैं ।

जिन्होंने विकृति पैदा करने वाले स्त्रियों के संयोगों से पीठ फेर ली है । वे इन समय परीपहो को निरस्त करके समाधि में स्थित रहते हैं ।

जो भिक्षु माता-पिता और पूर्व-संयोगो को छोड़कर सकल्प करता है कि—“मैं अकेला आत्मस्थ और मैथुन से विरत होकर एकान्त स्थान में विचरण करूँगा ।”

कई मन्द स्त्रियाँ निपुण और गूढार्थ वाले पदों का प्रयोग करती हुई उस मुनि के पास आती हैं । वे उस उपाय को भी जानती हैं जिससे कोई भिक्षु उनका सग कर लेता है ।

वे उस भिक्षु के समीप वारम्बार बैठती हैं, अधोवस्त्र को वार-वार ढीला कर उसे वाधती हैं, शरीर के अधोभाग को दिखलाती हैं और भुजाओं को ऊपर उठाकर काख को दिखाती हुई साधु के सामने से जाती हैं ।

वे स्त्रियाँ कालोचित शयन और आसन के लिए कभी उसे निमन्त्रित करती हैं । मुनि इन नाना प्रकार के उपक्रमों को काम-जाल में फँसाने वाले बन्धन समझे ।

मुनि उन स्त्रियों से आँख न मिलाए, उनकी मैथुन भावना के साहस को स्वीकार न करे, उनके साथ विचरण भी न करे, इस प्रकार से आत्मा सुरक्षित रहती है ।

स्त्रियाँ भिक्षु को आमन्त्रित कर तथा विश्वास पैदा कर स्वयं सहवास का निमन्त्रण देती हैं । अतः भिक्षु नाना प्रकार के निमन्त्रण रूप शब्दों को बन्धन समझे ।

वे मन को बाधने वाले अनेक उपायों के द्वारा दीन भाव प्रदर्शित करती हुई विनयपूर्वक भिक्षु के समीप जाकर मोठी बोली बोलती हैं और समय से विमुक्त करने वाली कथाओं के द्वारा उसे वश में करती हैं ।

सीहं जहा व कुणिमेण, णिब्भयमेगचरं पासेणं ।
एवित्थिया उ वधति, संवुड एगतिमणगारं ॥

अह तत्थ पुणो नमयंति, रहकारुच्च गेमि आणुपुव्वीए ।
वद्धे मिए व पासेण, फदत्ते वि ण मुच्चती ताहे ॥

—सूय. सु. १, अ. ४, उ १, गा. १-६

सुतमेयमेवमेगेसि, इत्थीवेदे त्ति ह्व सुअक्खाय ।
एव पि ता वदित्ताण, अदुवा कम्मुणा अवकरंति ॥

अन्न मणेण चित्तेति, अन्नं वायाइ कम्मुणा अन्न ।
तम्हा ण सद्दहे भिक्षु, बहुमायाओ इत्थिओ णच्चा ॥

जुवती समण वृया, चित्तलकारवत्थगाणि परिहेत्ता ।
विरता चरिस्सह लूहं धम्ममाइक्खणे भयतारो ।

अदु साविद्या पवादेण, अहगं साधम्मिणी य समणाण ।
जतुकुम्भे जहा उवज्जोती, सवासे विद्व विसीएज्जा ॥

जतुकुम्भे जोतिमूवगूडे, आसुऽभितत्ते णासमुपयाति ।
एवित्थियाहि अणगारा, सवासेण णासमुवयन्ति ॥

कुच्चति पावगं कम्म, पुट्टा वेगे एवमाहसु ।
नाह करेमि पावं ति, अंकेसाइणी ममेस त्ति ॥

वालस्स मदयं वित्थिय, जं च कडं अवजाणई भुज्जो ।
डुगुण करेइ से पावं, पूयणकामए विसण्णेसी ॥

संलोकणिज्जमणगारं, आयगतं णिसंतणेणाऽऽहसु ।
वत्थ व ताइ ! पाय वा, अन्न पाणग पडिग्गाहे ॥

णीवारमेय बुज्जेज्जा, णो इच्छे अगारमागतु ।
वद्धे ये विसयपासेहि, मोहमागच्छती पुणो मदे ॥

—सूय. सु. १, अ. ४, उ. १, गा. २३-३१

जैसे निर्भय और अकेले रहने वाले सिंह को मास का प्रलोभन देकर पिजडे में बाध दिया जाता है वैसे ही स्त्रियाँ सबृत और अकेले भिक्षु को शब्द आदि विषयो का प्रलोभन देकर बाध लेती हैं ।

वे स्त्रियाँ उस भिक्षु को वैसे ही झुका देती हैं जैसे बढई श्रमश चक्के की पुट्टी को झुका देता है । उस समय वह पाश से बँधे हुए मृग की भाँति स्पर्दिच होता हुआ भी बन्धन से छूट नहीं पाता ।

लोकश्रुति में सुना गया है और स्त्री वेद (कामशास्त्र) में भी कहा गया है कि “स्त्री किसी बात को वाणी से स्वीकार करती है किन्तु कर्म से उसका पालन नहीं करती है यह उसका स्वभाव है ।”

वह मन से कुछ और ही सोचती है, वचन से कुछ और ही कहती है तथा कर्म से कुछ और ही करती है । इसलिए भिक्षु स्त्रियों को बहुमायाविनी जानकर उन पर विश्वास न करे ।

कोई युवती विचित्र वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर श्रमण से कहे कि—“हे भदन्त ! मुझे धर्म का उपदेश दें । मैं विरत होकर सयम का पालन करूँगी ।”

अथवा श्राविका होने के वहाने वह कहती है—“मैं तुम्हारी साधर्मिणी हूँ, (किन्तु मुनि इन बातों में न फँसे) जैसे आग के पास रखा हुआ लाख का घडा पिघल जाता है वैसे ही स्त्री के सवास से विद्वान् पुरुष भी संयम से शिथिल हो जाते हैं ।

जैसे अग्नि से छूटा हुआ लाख का घडा शीघ्र ही तप्त होकर नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार अनगार पुरुष भी स्त्रियों के ससंगं से सयम भ्रष्ट हो जाते हैं ।

कुछ भिक्षु अब्रह्मचर्य-सेवन करके भी किसी के पूछने पर कहते हैं कि—“मैंने अब्रह्मचर्य-सेवन नहीं किया है । यह स्त्री तो वचन से ही मेरी गोद में सोती रही है ।”

उस मूर्ख साधक की यह दूसरी मूढता है कि वह किए हुए पाप को पुन छिपाता है । वह पूजा का इच्छुक और असंयम का आकाक्षी होकर दुना पाप करता है ।

दिखने में सुन्दर और आत्म ज्ञानी अनगार को स्त्रियाँ निमन्त्रण देती हुई कहती हैं—“हे भवसागरत्राता ! आप वस्त्र, पात्र, अन्न या पान को मेरे घर से स्वीकार करें ।”

भिक्षु उपरोक्त प्रलोभनों को सूअर फँसाने वाले चावल के दाने के समान समझे और उनके घर जाने की इच्छा भी न करे । किन्तु कोई मन्द साधक इन विषय-बन्धनों में फँसकर पुन मोह को प्राप्त हो जाते हैं ।

एयं तु तासु विष्णव्य, सयव संवास च चएज्जा ।
तज्जातिया इमे कामा, वज्जफरा य एवमयखाता ॥

एवं भय ण सेयाए, इति से अप्पग निरुम्मित्ता ।
णो इत्थि णो पसु भिवखू, णो सयं पाणिणा णिलिज्जेज्जा ॥

सुविसुद्धदलेस्ते मेघावी, परकिरियं वज्जए णाणी ।
मणसा वयसा कायेण, सव्वफाससहे अणगारे ॥

इच्चवेयमाहु से वीरे,
घूतरए धूममोहे से भिवखू ।
तम्हा अज्जत्थविसुद्धे,
सुविमुक्के आमोक्खाए परिव्वएज्जासि ॥
—सूय. सु. १, अ ४, उ. २, गा. १६-२२

६. चरिया परीसहे—

७४८. एग एव चरे नाढे, अभिभूय परीसहे ।
गामे वा नगरे वावि, निगमे वा रायहाणि ॥

असमाणो चरे भिक्खू, नेव कुज्जा परिगहं ।
अससत्तो गिहत्थेहि, अणिओ परिव्वए ॥
—उत्त अ. २, गा. २०-२१

१०. णिसीहिया परीसहे—

७४९. सुसाणे सुन्नगारे वा, स्खल्ल-भूते व एगओ ।
अकुक्कुओ निसीएज्जा, न य वित्तासए परं ॥

तत्थ से चिट्ठमाणस्त, उवसग्गम्मि धारए ।
संकाभीओ न गच्छेज्जा, उट्ठेत्ता अन्नमात्तण ॥
—उत्त. अ २, गा २२-२३

११. सेज्जा परीसहे—

७५०. उच्चायमाहि सेज्जाहि, तवस्ती भिक्खु थामवं ।
नाइवेस विहन्नेज्जा, पावदिट्ठी विहन्नई ॥

परिवक्खुयस्सयं तद्धं, पत्ताणं अट्ठुष पायण ।
किमेगरायं करिस्सइ, एव तत्थ हियासए ॥
—उत्त. अ २, गा. २४-२५

इन उपरोक्त दोषो को जानकर स्थियो के साथ परिचय और सहवास का परित्याग करे, क्योंकि ये काम-भोग सेवन करने से बढ़ते हैं और तीर्थंकरो ने उन्हें कर्म-बन्धन का कारण बतलाया है ।

ये कामभोग भय उत्पन्न करने वाले हैं किन्तु कल्याणकारी नहीं है । इसलिये भिक्षु अपने आप को स्त्री संसर्ग से रोक कर स्त्री और पशु का अपने हाथ से स्पर्श भी न करे ।

विशुद्ध अन्त करण वाला मेघावी ज्ञानी भिक्षु मन, वचन और काया से स्त्री सम्पर्क सम्बन्धी क्रियाएँ न करे वास्तव में जो स्त्री सम्बन्धी परीपहों को सहन करता है वही अनगार है ।

भगवान् महावीर ने ऐसा कहा है—जो राग और मोह को धुन डालता है, वह भिक्षु होता है । इसलिए शुद्ध अन्त करण वाला भिक्षु काम वाछा से मुक्त होकर मोक्ष पर्यन्त संयमानुष्ठान में प्रवृत्ति करे ।

(६) चर्या-परीषह—

७४८. सयम के लिए जीवन-निर्वाह करने वाला मुनि परीपहो को जीतकर गाँव में या नगर में, निगम में या राजधानी में अकेला आसक्ति रहित होकर विचरण करे ।

भिक्षु अप्रतिबद्ध होकर विहार करे । कहीं भी भ्रमत्वभाव न करे । गृहस्थो से निलिप्त रहे । स्थायी निवास न करता हुआ संयम में विचरण करे ।

(१०) निषीघिका परीषह—

७४९. राग-द्वेष रहित मुनि चपलताओ का चर्जन करता हुआ कभी श्मशान, शून्यगृह अथवा वृक्ष के नीचे बैठे, दूसरों को प्राप्त न दे ।

वहाँ बैठे हुए साधु को कोई उपसर्ग आ जावे तो उसे सहन करे, किन्तु किसी प्रकार की शका से भयभीत होकर वहाँ से उठ कर दूसरे स्थान पर न जाए ।

(११) शय्या परीषह—

७५०. तपस्वी और धैर्यवान् भिक्षु अनुकूल या प्रतिकूल शय्या को पाकर मर्यादा का अतिक्रमण न करे अर्थात् हर्ष या शोक न लाए । 'यह अच्छा है यह बुरा है' इस प्रकार की पाप दृष्टि रखने वाला साधु सयम की मर्यादा का हनन कर देता है ।

स्त्री पशु आदि से रहित अच्छी या बुरी शय्या के प्राप्त होने पर "एक रात में क्या होना जाना है" ऐसा सोचकर शय्या सम्बन्धी जो भी सुग दुःख हो, उसे सहन करे ।

१२. अक्कोस परीसहे—

७५१. अक्कोसेज्ज परो भिक्खुं, न तेसि पडिसंजले ।
सरिसो होइ चालाण, तम्हा भिक्खू न संजले ॥

सोचवाण करुसा भासा, दारुणा गाम-कण्डगा ।
तुसिणीओ उवेहेज्जा, न ताओ मणसीकरे ॥

—उत्त अ २, गा. २६-२७

अप्पेगे पडिभासन्ति, पाडिपथियमागता ।
पडियारगया एते, जे एते एवजीविणो ॥

अप्पेगे षड् जुंजंति, नगिणा पिडोलगाहमा ।
मुंडा कडूविणट्टगा, उज्जल्ला असमाहिया ॥

एवं विप्पडिवण्णेगे, अप्पणा तु अजाणगा ।
तमाओ ते तम जत्ति, मदा मोहेण पाउडा ॥

—सूय सु. १, अ. ३, उ १, गा ६-११

तमेगे परिभासति, भिक्खुय साहुजीविण ।
जे ते उ परिभासति, अन्तए ते समाहिण ॥

संबद्ध-समकप्पा हु, अन्नमन्नेसु मुच्छित्ता ।
पिडवाय गिलाणस्स, जं सारेह दलाह य ॥

एवं तुम्हे सरागत्था, अन्नमन्नमणुव्वसा ।
नट्ट - सप्पह - सन्भावा, ससारस्स अपारगा ॥

—सूय सु. १, अ. ३, उ. ३, गा ८-१०

एते सद्दे अचायन्ता, गामेसु नगरेसु चा ।
तत्थ मदा विसीयन्ति, सगामसि व भीरुणो ॥

—सूय सु. १, अ ३, उ. १, गा. ७

सक्का सहेउं आसाए कटया,
अओमया उच्छहया नरेणं ।

अणासए जो उ सहेज्ज कटए,
वईमए कण्णसरे स पुज्जो ॥

मुहुत्तदुक्खा हु हवंति कटया,
अओमया ते वि तओ सुउद्धरा ।

वायादुरुत्ताणि दुरुद्धराणि,
वेराणुदंधीणि महम्मयाणि ॥

(१२) आक्रोश परीषद्—

७५१ कोई मनुष्य भिक्षु को गाली आदि आक्रोश वचन कहे तो भिक्षु उसके प्रति क्रोध न करे, क्योंकि क्रोध करने से भिक्षु अज्ञानियों के सदृश हो जाता है, इसलिए भिक्षु क्रोध न करे ।

मुनि कटक के समान चुभने वाली, दारुण कठोर भाषा को सुनकर मौन रहता हुआ उसकी उपेक्षा करे, उसे मन में न लाए ।

साधु-चर्या से द्वेष रखने वाले कुछ लोग सामने आकर कहते हैं कि—“इस प्रकार का जीवन जीने वाले ये अपने किये हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं ।”

कुछ लोग कहते हैं—“ये नग्न हैं, पिंड मांग कर खाने वाले हैं, अधम हैं, मुंडित हैं, खुजली के कारण विकृत शरीर वाले हैं, मैले हैं और असमाधि उत्पन्न करने वाले हैं ।”

इस प्रकार धर्म मार्ग से द्वेष रखने वाले स्वयं ही अज्ञानी हैं । वे विवेकशून्य मनुष्य मिथ्यात्व से आवृत होकर स्वयं ही अन्धकार से अन्धकार की ओर अर्थात् दुर्गति में जाते हैं यह विचार कर भिक्षु उन पर द्वेष न करे, समभाव रखे ।

साधु का आचार पालन करने वाले के विषय में कई लोग इस प्रकार के आक्षेपात्मक वचन कहते हैं किन्तु वे आक्षेप करने वाले स्वयं ही समाधि से कोसों दूर हैं ।

वे कहते हैं कि “आप लोग एक दूसरे में मूर्च्छित होकर परस्पर गृहस्थों के समान आचरण करते हैं क्योंकि आप रोगी के लिए स्वयं आहार लाकर उन्हें देते हैं ।”

इस प्रकार आप लोग सरागी हैं, परस्पर एक दूसरे के वश-वर्ती रहते हैं, अतः सत्पथ की उपलब्धि से रहित हैं तथा ससार को पार नहीं कर सकते हैं ।

जन साधारण द्वारा कहे गये इन शब्दों को सहन न करते हुए कई मन्द साधक ग्राम नगर आदि में विचरते हुए वैसे ही विषाद को प्राप्त होते हैं जैसे संग्राम में गया हुआ डरपोक सैनिक ।

धन आदि की आशा से मनुष्य लोहमय काटो को सहन कर सकता है परन्तु जो किसी प्रकार की आशा रखे बिना कानो में तीर के समान चुभते हुए वचन रूपी काटो को सहन करता है, वह पूज्य है ।

लोहमय काटे अल्पकाल तक दुःखदायी होते हैं और वे भी शरीर से सहजतया निकाले जा सकते हैं किन्तु दुर्वचनरूपी काटे सहजतया नहीं निकाले जा सकते, वे वैर की परम्परा को बढ़ाने वाले और महाभयानक होते हैं ।

समावयता वयणाभिधाया,
 कण्णगया दुम्मणियं जणंति ।
 धम्मो त्ति किच्चा परमग्गधुरे,
 जिइदिए जो सहई स पुज्जो ॥
 —दस. अ. ६, उ ३, गा ६-८

१३. वधपरोसहे -

७५२. हओ न सज्जे मिक्खू, मण पि न पओसए ।
 तित्तिक्खं परमं नच्चा, भिक्खू धम्म विचित्तए ॥

समण सजय दन्त, हणेज्जा कोइ कत्यई ।
 नत्तिय जीवस्स नासु त्ति, एव पेहेज्ज संजए ॥
 —उत्त अ २, गा २८-२९

अप्पेगे झुम्भुय मिक्खुं, सुणी दसति लूसए ।
 तत्तय मदा विसीयन्ति, तेउपुट्ठा व पाणिणो ॥
 सूय सु १, अ ३, उ. १, गा ८

आयदण्डसमायारा, मिच्छात्तठिय भावणा ।
 हरिसप्पदोससमावण्णा, केइय लूसंत्तिणारिया ॥

अप्पेगे पलियत्तसि, चारो चोरोत्ति सुव्वय ।
 वंघति भिक्खुय वाला, कसायववणेहि य ॥

तत्तय दडेण संवीते, मुट्ठिणा अदु फलेण वा ।
 णातीणं सरती वाले, इत्थी वा कुट्ठगामिणी ॥
 सूय सु १, अ ३, उ. १, गा १४-१६

हम्ममाणो न कुप्पेज्जा, वुच्चमाणो न सज्जे ।
 सुमणो अहियासेज्जा, ण य कोलाहल करे ॥
 —सूय. सु. १, अ. ६, गा. ३१

१४. जायणा परीसहे—

७५३. बुक्ककरं एतु भो निच्चं, अणगारस्स भिक्खुणो ।
 सत्थ से जाइय होइ, नत्तिय किच्चि अजाइयं ॥

गोयरगपविट्ठुम्स, पाणी नो सुप्पसारए ।
 सेओ अगार-वासुत्ति, इह भिवए न चिन्तए ॥
 —उत्त अ २, गा. ३०-३१

सया दत्तेमणा बुक्कय, जायणा दुप्पणोत्तिया ।
 कम्मत्ता दुग्गमा च्चेय, इच्चाहंस, पुटो जणा ॥
 —सूय. सु १, अ ३, उ १, गा ६

सन्मुख आते हुए वचन के प्रहार कानो तक पहुँचकर मन के परिणामो को दूषित कर देते हैं। जो शूरवीरो मे अग्रणी जितेन्द्रिय मुनि उन वचन प्रहारो को "सम्यक् सहन करना मेरा धर्म है"—ऐसा मानकर उन्हें सहन करता है, वह पूज्य है।

(१३) वध परीषह—

७५२ मारे जाने पर भी मुनि क्रोध न करे। मन को भी दूषित न करे। क्षमा को परम साधन जानकर मुनि धर्म का चिन्तन करे।

सयत और दान्त श्रमण को कोई कही पीटे तो वह 'आत्मा का नाश नहीं होता' ऐसा चिन्तन करे। (परन्तु प्रतिशोध की भावना न लाये)

भिक्षा के लिए पर्यटन क ते हुए किसी क्षुधित भिक्षु को क्रूर कुत्ता काटने लगता है तो उस समय मन्द साधक वैसे ही विषाद को प्राप्त होता है जैसे कि अग्नि के स्पर्श से प्राणी।

आत्मा को दण्डित करने के आचरण वाले, मिथ्यात्व से ग्रस्त भावना वाले तथा हर्ष शोक या राग द्वेष से युक्त कुछ अनाथ मनुष्य मुनियों को कष्ट देते हैं।

सीमान्त प्रदेश मे रहने वाले कुछ अज्ञानी मनुष्य सुश्रुती भिक्षु को 'यह गुप्तचर है, यह चोर है' ऐसा समझकर बंध देते हैं और कटु वचन कहकर हैरान करते हैं।

वहाँ डडे, मुक्के या थप्पड से पीटे जाने पर असमर्थ साधक वैसे ही अपने ज्ञातिजनो को याद करता है जैसे क्रोधित होकर घर से भाग जाने वाली स्त्री कष्ट आने पर अपने ज्ञातीजनो को याद करती है।

साधु किसी के द्वारा पीटे जाने पर क्रोध न करे, दुर्वचन कहने पर मन मे जले नहीं किन्तु प्रसन्नचित्त से उन्हें सहन करे और किसी प्रकार का कोलाहल न करे।

(१४) याचना परीषह--

७५३ अहो ! अनगार भिक्षु की यह चर्या वास्तव मे दुष्कार है कि—'उमे नव कुछ याचना से ही प्राप्त होता है, बिना याचना के उमे कुछ भी ग्रहण करना नहीं होता है।'

"गोचराग्र मे प्रविष्ट मुनि के लिए गृहस्थो के नामने हाथ पमारना आमामन नहीं है। अत गृहवास ही श्रेष्ठ है" मुनि ऐसा चिन्तन न करे।

"तदा दत्त भोजन की एषण। करना कष्टकर है, प्रत्येक वस्तु की याचना करना भी दुष्कार है। याधारण अज्ञानी जन भी भिक्षा के त्रये धूमने हुए भिक्षु को यह कहते हैं कि—'य अभागे हैं और पूर्ववृत्त कर्मों के फल से दुःखी हो रहे हैं।'

१५ अलाभपरीसहे—

७५४. परेसु घासमेसेज्जा, भोयणे परिणिट्ठिय ।
सद्धे पिण्डे अलद्धे वा, नाणुत्तप्येज्ज सजए ॥

अज्जेवाहं न लब्भामि, अवि लाभो सुए सिया ।
जो एवं पडिसंचिक्खे, अलाभो ए न तज्जए ॥

—उत्त. अ. २, गा ३२-३३

१६. रोग परीसहे—

७५५ नच्चा उप्पद्दय दुवख वेयणाए दुहट्ठिय ।
अदीणो ठावए पन्न, पुट्ठो तत्थहियासए ॥

तेगिच्छं नाभिनन्देज्जा, सच्चिक्खत्तगवेसए ।
एव खु तस्स सामण्ण, ज न कुज्जा न कारवे ॥

—उत्त. अ. २, गा ३४-३५

१७ तृणफास परीसहे—

७५६. अचेलगस्स लूहस्स, संजयस्स तवस्सिणो ।
तणेसु सयमाणस्स, होज्जा-गाय-चिराहणा ॥
आयवस्स निवाएण, अउला हवइ वेयणा ।
एवं नच्चा न सेवन्ति, तन्नुजं तण-तज्जिया ॥

—उत्त. अ. २, गा. ३६-३७

१८. जलल परीसहे—

७५७. किलिन्नगाए मेहावी, पकेण व रएण वा ।
घिसु वा परितावेण, साय नो परिवेवए ॥

वेएज्ज निज्जरा-पेही, आरियं धम्मणुत्तर ।
-जाव-सरीरभेवो त्ति, जलल काएण धारए ॥

—उत्त. अ. २, गा ३८-३९

१९. सक्कार पुरक्कार परीसहे—

७५८. अभिवायणमन्हुट्ठाणं, सामी कुज्जा निमन्तण ।
जे ताइ पडिसेवन्ति, न तेसिं पीहए मुणी ॥

अणुक्कसाई अण्णिच्छे, अन्नाएसी अलोलुए ।
रसेसु नाणुगिज्जेज्जा, नाणुत्तप्येज्ज पन्नवं ॥

—उत्त. अ. २, गा. ४०-४१

२०. पण्णा परीसहे—

७५९. से नूणं पुट्ठिं कम्माणाणफला कडा ।
जेणाहं नाभिजाणाभि, पुट्ठो केणइ कण्ठुई ॥

(१५) अलाभ परीषह—

७५४. गृहस्थो के घर भोजन तैयार हो जाने पर मुनि उसकी एषणा करे । आहार थोडा मिलने या न मिलने पर संयमी मुनि पश्चात्ताप न करे ।

“आज मुझे भिक्षा नहीं मिली है परन्तु संभव है कल मिल जायेगी” जो इस प्रकार से सोचता है उसे अलाभ का दुःख नहीं होता है ।

(१६) रोग-परीषह—

७५५. रोग को उत्पन्न हुआ जानकर तथा वेदना से पीड़ित होने पर दीन न बने । व्याधि से विचलित होती हुई प्रज्ञा को स्थिर बनाये रखे और प्राप्त दुःख को समभाव से सहन करे ।

आत्म गवेषक मुनि चिकित्सा का अनुमोदन न करे । रोग हो जाने पर समाधि पूर्वक रहे । उसका श्रामण्य यही है कि वह रोग उत्पन्न होने पर भी चिकित्सा न करे, न कराए ।

(१७) तृण-स्पर्श परीषह—

७५६. अचेलक और रूक्ष शरीर वाले सयत तपस्वी के घास पर सोने से शरीर में चुभन होती है ।

गर्मी पडने से अतुल वेदना होती है—यह जानकर भी तृण से पीड़ित मुनि वस्त्र का सेवन नहीं करते ।

(१८) जल-परीषह—

७५७. मैल, कीचड़, रज या ग्रीष्म के परिताप से शरीर के क्लिन्न (गीला) हो जाने पर भेद्यवी मुनि सुख के लिए विलाप न करे ।

निर्जरार्थी मुनि अनुत्तर आर्य धर्म को पाकर देह-विनाश पर्यन्त काया पर खेद जनित मैल को धारण करे और तज्जनित परीषह को सहन करे ।

(१९) सक्कार पुरस्कार परीषह—

७५८. जो राजा आदि के द्वारा किए गए अभिवादन, सत्कार अथवा निमन्त्रण का सेवन करते हैं, उनकी मुनि इच्छा भी न करे ।

अल्प कषाय वाला, अल्प इच्छा वाला, अज्ञात स्थल से भिक्षा लेने वाला अलोलुप भिक्षु रसो में गृह्य न हो । प्रज्ञावान् मुनि दूसरो को सम्मानित देख मन में खेद न करे ।

(२०) प्रज्ञा-परीषह—

७५९. निश्चय ही मैंने पूर्वकाल में अज्ञानरूप फल देने वाले कर्म किये हैं । उन्ही के कारण मैं किसी के कुछ पूछे जाने पर भी उत्तर देना नहीं जानता ।

अह पच्छा उइज्जन्ति, कम्मा णाणफला कडा ।
एवमस्सानि अप्पाण, नच्चा कम्म-विवागयं ॥

—उत्त अ २, गा ४२-४३

२१ अज्ञान परीसहे—

७६० निरट्टगम्मि विरओ, मेहणाओ सुसंवुडो ।
जो सक्ख नाभिजाणामि, धम्मं कल्लाण पावग ॥

तवोवहाणमादाय, पडिभं पडिवज्जओ ।
एव पि विहरओ मे, छउमं न नियट्टई ॥

—उत्त अ. २, गा ४४-४५

२२ दसण परीसहे—

७६१. नत्थि नूण परे लोए, इड्ढी धावि तवस्सिणो ।
अदुवा वच्चिओ मि त्ति, इड्ढि भिक्खू न चिन्तए ॥

अभू जिणा अत्थि जिणा, अदुवा वि भविस्सई ।
मुसं ते एवमाहसु, इड्ढि भिक्खू न चिन्तए ॥

—उत्त. अ २, गा ४६-४७

सच्च परीसहजय निद्वेसो—

७६२ एए परीसहा सच्चे, कासवेण पवेइया ।
जे भिक्खू न विहन्नेज्जा, पुट्ठो केणइ पणुइ ॥

—उत्त. अ २, गा. ४८

परीसह अपराजिओ मुणी—

७६३ उट्ठियमणगारमेसण समणं ठाणठियं तवस्सिण ।
इहरा सुइठा य पत्थए, अवि सुस्से ण य त लभे जणा ॥

जइ कालुणियाणि कासिया,
जइ रोवति व पुत्तकारणा ।
दवियं भिक्खु समुट्ठित,
णो सन्मति ण सठवित्तए ॥

जइ पि य कामेहिं लायिया,
जइ णेज्जाहि ण बंधिइ घर ।

जइ जीविय पायकलए,
णो सन्मति ण सठवित्तए ॥

—सूय. सु. १, अ. २, उ. १, गा. १६-१८

“अज्ञान रूप फल देने वाले ये कर्म उदय मे आकर इसके वाद क्षीण हो जायेंगे ।” कर्म के विपाक को जानकर मुनि इस प्रकार आत्मा को आश्वासन दे (किन्तु प्रज्ञा (बुद्धि) की कमी का खेद न करे ।)

(२१) अज्ञान-परीपह—

७६० मैंने व्यर्थ ही मैथुनादि से निवृत्ति और इन्द्रियो के दमन का प्रयत्न किया जब कि मैं अभी तक “धर्म कल्याणकारी है या दुखकर है” यह प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं जान पाया (अर्थात् अभी तक मुझे कोई अवधिज्ञानादि प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ ।)

“तपस्या और उपघान को स्वीकार करता हूँ, प्रतिमा का पालन करता हूँ । इस प्रकार विशेष चर्या से विचरण करने पर भी मेरा छद्मस्य भाव दूर नहीं हो रहा है ।” ऐसा खेद युक्त चिन्तन न करे ।

(२२) दर्शन-परीपह—

७६१ “निश्चय ही परलोक नहीं है, तपस्वी की श्रद्धा भी नहीं है इसलिए समय लेकर मैं ठगा गया हूँ” भिक्षु ऐसा चिन्तन न करे ।

“जिन हुए थे, जिन हैं और जिन होंगे - ऐसा जो भी कहते हैं वे अमत्य बोलते हैं” इस प्रकार भी भिक्षु चिन्तन न करे ।

सभी परीपह जीतने का निर्देश—

७६२. इन सभी परीपहों का काश्यप गोत्रीय भगवान महावीर ने प्ररूपण किया है, इन्हें जानकर, इनमें से किसी परीपह के द्वारा कहीं भी स्पृष्ट होने पर मुनि इनसे पराजित न हो ।

परीपहों से अपराजित मुनि—

७६३ मोक्ष की एपणा के लिए उत्थित, चारित्र्य आराधना आदि मे स्थित तपस्वी अणगार को यदि उसके पुत्र अथवा वृद्ध माता पिता पुन घर मे अ.ने की प्रार्थना करें और वे प्रार्थना करते-करते थक जायें तो भी भिक्षु को अधीन नहीं कर सकते ।

यदि कौटुम्बिक उस श्रमण के पास आकर करुणाजनक शब्द बोले, पुत्र प्राप्ति के लिए रुदन करे फिर भी वे राग-द्वेष रहित मयम मे तत्पर उस श्रमण को पुन गृहवास में स्थापित नहीं कर सकते ।

यदि वे कौटुम्बिक उस श्रमण को काम-भोग के लिए निर्मन्थित करे अथवा उसे बाध कर घर ले आवे, परन्तु यदि वह अनयम जीवन की आकांक्षा नहीं करे तो उसे वे पुन. गृहवास में स्थापित नहीं कर सकते ।

परीसहपराजिओ मुणी—

७६४ सेहंति य णं ममाइणो,

माया पिया य सुता य भारिया ।

पोसाहि णे पासओ तुम,

लोगं परं पि जहाहि पोसणे ॥

अन्ने अन्नेहि मुच्छित्ता,

मोह जंति नरा असंचुडा ।

विसम विसमेहं गाहिया,

ते पावेहि पुणो पगन्भिता ॥

—सूय. सु १, अ. २, उ. १, गा १६-२०

सतत्ता केशलोएणं, बंसचेरपराजिया ।

तत्य मंदा विसीयन्ति, मच्छा पविट्ठा व केयणे ॥

—सूय. सु. १, अ. ३, उ १, गा. १३

परीसहसहगो भिक्खु—

७६५ से गिहेसु वा, गिहतरेसु वा, गामेसु वा, गामतरेसु वा,
णगरेसु वा, णगरंतरेसु वा, जणवएसु वा, जणवयतरेसु वा,
संतेगतिया जणा लूसगा भवति अदुवा फासा फुसति । ते
फासे पुट्ठो धीरो अहियासए ओए समितवसणे ।

—आ सु १, अ. ६, उ ५, सु. १६६

जो सहइ ह्नु गामकटए,

अक्कोस पहार-तज्जणाओ य ।

भय - भेरवसहसप्पहासे,

समसुह दुक्खसहे य जे स भिक्खू ॥

पडिम पडिवज्जिया मसाणे,

नो भीयए भयभेरवाइ दिस्स ।

विविहगुणतवोरए य निच्चं,

न सरीरं चाभिकखए जे स भिक्खू ॥

असई वोसट्ठत्तदेहे,

अक्कुट्ठे व हए व लूसिए वा ।

पुडवि समे मुणी हवेज्जा,

अनियाणे अकोउहल्ले य जे स भिक्खू ॥

अभिसूय काएण परीसहाइ,

समुद्धरे जाइपहाओ अप्पय ।

विइत्तु जाइमरण महम्मयं,

तवे रए सामणिए जे स भिक्खू ॥

—दस. अ. १०, गा. ११-१४

परीषद्दो से पराजित मुनि—

७६४. ममत्व रखने वाले माता, पिता, पुत्री और पत्नी आदि उस श्रमण को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि —“तू समझदार है हमारी सेवा कर । क्योंकि हमारी सेवा से वंचित रहकर तू परलोक को सफल नहीं कर पायेगा । इसलिए तू हमारा पोषण कर ।”

संयम भाव रहित कुछ मुनि (माता, पिता, पत्नी या पुत्री आदि) में मूर्च्छित होकर मोह को प्राप्त होते हैं तथा अमयमी पारिवारिक जनो के द्वारा संयम रहित किये जाते हैं और वे पुन. पाप करने में प्रवृत्त हो जाते हैं ।

केशलोच से संतप्त और ब्रह्मचर्य पालन में पराजित असमर्थ साधक संयम में वैसे ही विषाद को प्राप्त होते हैं, जैसे जाल में फँसी हुई मछलियाँ तडफती हैं ।

परीषद्द सहन करने वाला भिक्षु—

७६५. घरों में, ग्रहान्तरो में, ग्रामों में, ग्रामान्तरो में, नगरों में, नगरान्तरो में, जनपदों में या जनपदांतरो में कुछ विद्वेषीजन हिंसक (उपद्रवी) होते हैं, वे उपसर्ग देते हैं अथवा सर्दी, गर्मी, डायस मच्छर आदि के कष्ट प्राप्त होते हैं, उनसे स्पृष्ट होने पर धीर समदर्शी मुनि उन सबको राग द्वेष रहित होकर सहन करे ।

जो इन्द्रियों को काटे के समान चुभने वाले—(१) आक्रोश वचनों को, (२) प्रहारों को, (३) तर्जनाओं को और (४) बैताल आदि के अत्यन्त भयानक शब्दयुक्त अट्टहासों को सहन करता है तथा सुख और दुःख को समभावपूर्वक सहन करता है—वह भिक्षु है ।

जो श्मशान में प्रतिमा को ग्रहण करके अत्यन्त भयजनक दृश्यों को देखकर भी नहीं डरता, जो विविध गुणों और तपों में रत रहता है और जो शरीर पर भी ममत्व नहीं रखता, वह भिक्षु है ।

जो मुनि बार-बार देह का व्युत्सर्ग और त्याग करता है, किसी के द्वारा आक्रोश वचन कहने पर, पीटने पर अथवा कष्ट देने पर पृथ्वी के समान सहनशील होता है, निदान नहीं करता है, कुतूहलवृत्ति नहीं करता है, वह भिक्षु है ।

जो शरीर से परीषद्दो को जीतकर संसार समुद्र से अपना उद्धार कर लेता है, जो जन्म-मरण को महाभयकारी अर्थात् दुःखों का कारण जानकर संयम और तप में रत रहता है—वह भिक्षु है ।

अणुस्तुभो उरालेसु, जयमाणो परिव्वए ।
चरियाए अप्पमत्तो, पुट्ठो तत्थऽहियासए ॥

—सूय सु. १, अ. ६, गा. ३०

ऐते भो फसिणा फासा, फरुसा दुरहियासया ।
हृत्यो वा सरसधीता, कीवाऽवसगता गिहं ॥

—सूय सु. १, अ. ३, उ. १, गा. १७

परीषहजयफल—

७६६. एतुहं पिवासं बुस्मेज्ज, सीउण्ह अरई भय ।
अहियासे अक्वहिओ, देहे बुक्ख महाफलं ॥

—दस. अ. ८, गा. २७

भिक्षु सुन्दर पदार्थों के प्रति उत्सुक न होता हुआ समय में यतनापूर्वक प्रवृत्ति करे। संयम चर्या में अग्रमत्त होकर रहे तथा परीषहों और उपसर्गों के होने पर उन्हें महन करे।

हे वत्स ! ये पूर्वोक्त सारे परीषह कठोर और दुःसह हैं इनसे विवश होकर पौरुषहीन भिक्षु वैसे ही घर लौट आता है, जैसे संग्राम में बाणों से वीघा हुआ हाथी।

परीषहजय का फल—

७६६. क्षुधा, प्यास, दुःशय्या, शीत, उष्ण, अरति और भय को मुनि अदीन भाव से सहन करे। क्योंकि शारीरिक कष्टों को सहन करना मोक्ष महाफल का हेतु है।



उपसर्ग-जय-२

अणेगविहा उवसग्गा—

७६७ चउच्चिहा उवसग्गा पण्णत्ता, तं जहा—

१. दिव्वा,
२. माणुसा,
३. तिरिक्खजोणिया,

४. आयसच्चेयणज्जा ।

—ठाणं. अ. ४, उ. ४, सु. ३६१(१)

दिव्वा उवसग्गा—

७६८ दिव्वा उवसग्गा चउच्चिहा पण्णत्ता, तं जहा—

१. हासा,
२. पओसा,
३. बीमसा,
४. पुढोवेमाया ।

—ठाणं. अ. ४, उ. ४, सु. ३६१(२)

माणुसा उवसग्गा—

७६९ माणुसा उवसग्गा चउच्चिहा पण्णत्ता, तं जहा—

१. हासा,
२. पओसा,
३. बीमसा,
४. कुशील पटिसेवणया ।

—ठाणं. अ. ४, उ. ४, सु. ३६१(३)

अनेक प्रकार के उपसर्ग—

७६७ उपसर्ग चार प्रकार के कहे गये हैं, जैसे—

- (१) देव के द्वारा किया जाने वाला उपसर्ग ।
- (२) मनुष्यों के द्वारा किया जाने वाला उपसर्ग ।
- (३) तिर्यंचयोनि के जीवा के द्वारा किया जाने वाला उपसर्ग ।

(४) स्वयं अपने द्वारा होने वाला उपसर्ग ।

देवकृत उपसर्ग—

७६८. दिव्य उपसर्ग चार प्रकार के कहे गये हैं, जैसे—

- (१) कुतूहल-वश किया गया उपसर्ग ।
- (२) पूर्वभव के वर से किया गया उपसर्ग ।
- (३) परीक्षा लेने के लिए किया गया उपसर्ग ।
- (४) हास्य प्रद्वेषादि अनेक मिले-जुले कारणों से किया गया उपसर्ग ।

मानवकृत उपसर्ग—

७६९ मानुष उपसर्ग चार प्रकार के कहे गये हैं । जैसे—

- (१) हास्य में किया गया उपसर्ग ।
- (२) द्वेष से किया गया उपसर्ग ।
- (३) परीक्षार्थं किया गया उपसर्ग ।
- (४) कुशील सेवन के लिए किया गया उपसर्ग ।

तिरिक्खजोणिया उवसग्गा--

७७०. तिरिक्खजोणिया उवसग्गा चउव्विहा पणत्ता, त जहा —

- १ भया,
- २ पदोसा,
- ३ आहारहेउं,
४. अवच्च-लेण सारक्खणया ।

—ठाणं अ ४, उ. ४, सु ३६१(४)

अविवेगुद्धभूया उवसग्गा—

७७१. आयसचेयणिज्जा उवसग्गा चउव्विहा पणत्ता, त जहा—

- १ घट्टणता,
२. पघडणता,
- ३ थमणता,
४. लेसणता ।

—ठाण अ ४, उ. ४, सु. ३६१(५)

पडिकूलोवसग्गा—

७७२. सूरं मन्नति अप्पाणं, जाव जेतं न पस्सति ।
जुञ्जतं दद्धममाण, सिसुपाले व महारहं ॥पयाता सूरारणसीसे, सगामम्मि उवट्ठिते ।
माता पुत्त ण याणाह, जेतणे परिविच्छए ॥एव सेहे वि अप्पुट्टे, भिक्खाचरिया अकोविए ।
सूर मन्नति अप्पाण, जाव लूह न सेवई ॥

—सूय. सु १, अ. ३, उ. १, सु. १-३

मोहजासगा उवसग्गा—

७७३. अहिमे सुहमा संग्गा, भिक्खूणं जे दुरुत्तरा ।
जत्थ एगे विसीयति, ण चयति जावित्तए ॥

—सूय सु १, अ ३, उ २, सु १

अप्पेणे णायओ विस्स, रोयति परिवारिया ।
पोसणे तात पुट्टोऽसि, कस्स तात चयासि णे ॥पिता ते थेरओ तात, ससा ते खुट्ठिया इमा ।
भायरा ते सगा तात, सोयरा कि चयासि णे ॥

तिर्यंचकृत उपसर्ग—

७७०. तिर्यंचथेनिक उपसर्ग चार प्रकार के कहे गये हैं । जैसे—

- (१) भय से किया गया उपसर्ग ।
- (२) द्वेष से किया गया उपसर्ग ।
- (३) आहार के लिए किया गया उपसर्ग ।
- (४) अपने वच्चो के एव आवास-स्थान की सुरक्षा के लिए किया गया उपसर्ग ।

अविवेकोद्भूत उपसर्ग—

७७१. अपने द्वारा होने वाले उपसर्ग चार प्रकार के कहे गये हैं । जैसे—

- (१) आँख में रज-कण चले जाने पर उसे मलने से होने वाला कष्ट ।
- (२) मार्ग में चलते हुए असावधानी से गिर पडने का कष्ट ।
- (३) हस्त-पाद आदि के शून्य हो जाने से उत्पन्न हुआ कष्ट ।
- (४) सन्धि स्थलो के जुड जाने से होने वाला कष्ट ।

प्रतिकूल उपसर्ग—

७७२. जब तक जूझते हुए दृढ सामर्थ्य वाले विजेता को नहीं देखता तब तक कायर मनुष्य भी अपने आपको शूर मानता है, जैसे कि कृष्ण को देखने से पूर्व शिशुपाल ।

अपने आपको शूर मानने वाले वे युद्ध के उपस्थित होने पर उसके अग्र भाग में जाते हैं । किन्तु भयंकर दुःख से घबराकर माताएँ भी अपने पुत्र को भूल जाती हैं और उन्हें छोड़कर भाग जाती हैं वैसे ही भयंकर युद्ध में विजेता पुरुष के द्वारा घायल कर दिये जाने पर वे भान भूल कर दीन बन जाते हैं ।

इसी प्रकार भिक्षु की चर्या में अनिपुण तथा परीषहो और उपसर्गों को अप्राप्त नव दीक्षित भी तब तक अपने आपको शूर-वीर मानता है जब तक वह संयम की कठिनाइयों का सेवन नहीं करता ।

मोह सग सम्बन्धी उपसर्ग—

७७३. ये सूक्ष्म ज्ञातिजन सम्बन्धी सग भिक्षुओं के लिये दुस्तर होते हैं । वहाँ कुछ साधक विषाद को प्राप्त होते हैं, वे संयम-जीवनयापन करने में समर्थ नहीं होते ।

साधु के ज्ञातिजन उसे देखकर रोते हुए कहते हैं "हे तात ! हमने तुम्हारा पालन पोषण किया है, अब तुम हमारा पोषण करो । फिर तुम हमें क्यों छोड़ रहे हो ?

हे तात ! ये तुम्हारे पिता वृद्ध हो रहे हैं, तुम्हारी यह बहिन छोटी है । ये तुम्हारे सहोदर सगे भाई हैं, फिर तुम हमें क्यों छोड़ रहे हो ?

मातरं पितरं पोस, एवं लोगो भविस्सइ ।
एयं तु लोइय ताय, जे पोसे पिउ-मातरं ॥

उत्तरा मह्वल्लावा, पुत्ता ते तात खुड्डुगा ।
भारिया ते णवा तात, मा सा अण्णं जणं गमे ॥

एहिं ताय घरं जामो, मा त कम्म-सहा वय ।
वीय पि तात पासाभो, जामु ताव सयं गिहं ॥

गंतु तात पुणाऽऽगच्छे, ण तेणऽसमणो सिया ।
अकामगं परक्कम्मं, को ते वारेउमरहति ॥

जं किञ्चि अणय तात, त पि सव्वं समीकत ।
हिरण्ण ववहारादी, तं पि दासाभु ते वयं ॥

इच्छेव णं सुसेहति, कालुणिय समुट्टिया ।
विवद्धो नातिसंगेहि, ततोऽगारं पधावति ॥

जहा रक्खं वणे जायं, मात्तुया पड्विधति ।
एवं ण पड्विधति णायओ असमाहिणा ॥
विवद्धो नातिसंगेहि, हस्यो वा वि नवग्गहे ।
पिट्ठतो परिसम्पंति, सुत्तीगो च्च अदूरगा ॥

एते संगो मणुस्साण, पाताला च अत्तारिमा ।
कीवा जत्य य कीसति, नातिसंगेहि मुच्छिता ॥
तं च भिक्खू परिणयाय, सव्वे संगो महासवा ।
जीवितं नामिकंखेज्जा, सोच्चा धम्ममणुत्तरं ॥
अहिमे संति आवट्टा, कासवेण पवेदिता ।
बुद्धा जत्थावसम्पति, सोऽति अबुहा जहि ॥

—सूय सु १, अ. ३, उ. २, सु २-१४

रायाणो रायमच्चा य, माहणा अदुव सत्तिया ।
निमतयति भोगेहि, भिक्खुय साहुजीविणं ॥
हस्यस्स रह जाणेहि, विहारगमणेहि य ।
भुंज भोगे इमे सग्घे, महरिसी पूजयाभु तं ॥

वत्यगंधमत्तंकारं, इत्थोओ सयणाणि य ।
भुजाहिमाइ भोगाइ, आउमो पूजयाभु त ॥

हे तात ! तुम माता-पिता का पोषण करो, इस प्रकार तुम्हारा यह लोक और परलोक सफल हो जायेगा । लौकिक आचार भी यही है कि पुत्र माता-पिता का पालन करे ।

हे तात ! तुम्हारे उत्तम और मधुरभाषी ये छोटे छोटे पुत्र हैं । तुम्हारी पत्नी भी यवयौवना है । वह कहीं दूसरे मनुष्य के पास न चली जाये ।

आओ तात ! घर चलें । तुम काम मत करना । हम काम करने में समर्थ हैं, हम पुन तुम्हें घर में देखना चाहते हैं । आओ अपने घर चलें ।

हे तात ! घर जाकर तुम पुन आना । इतने मात्र से तुम अश्रमण नहीं हो जाओगे । घर के काम में इच्छा रहित रह कर अपनी रुचि अनुसार करने में तुमको कौन रोक सकेगा ।

हे तात ! तुम्हारा जो कुछ ऋण था उस सबको हमने चुका दिया है । आवश्यक कार्य के लिए तुम्हें जो धन की आवश्यकता होगी, वह भी हम तुम्हें देंगे ।

इस प्रकार वे करुण क्रन्दन करते हुए उपरोक्त प्रकार से शिक्षा देते हैं । तब ज्ञातिजनो के सम्बन्धों से बंधा हुआ वह घर लौट आता है ।

जिस प्रकार वन में उत्पन्न वृक्ष को लता वेष्टित कर लेती है, उसी प्रकार ज्ञातिजन उसको असमाधि में जकड़ देते हैं ।

जैसे नया पकड़ा हुआ हाथी बाधा जाता है वैसे ही वह ज्ञातियों के संग से बंध जाता है तथा ज्ञातिजन उसके पीछे वैसे ही चलते हैं जैसे नई व्याई हुई गाय अपने बछड़े के पीछे ।

मनुष्यों के लिए ये ज्ञाति-सम्बन्ध समुद्र की भाँति दुस्तर हैं । उनमें मूर्च्छित होकर असमर्थ साधक नलेश पाते हैं ।

सभी सग महान कर्म बंध के हेतु हैं इसे जानकर तथा अनुत्तर धर्म को सुनकर भिक्षु गृहवासी-जीवन की आकांक्षा न करे । काश्यप गोत्रिय भगवान् महावीर ने और भी ये आवर्त कहे हैं । जिनसे ज्ञानी दूर रहते हैं और अज्ञानी उनमें फँस जाते हैं ।

राजा, राजमन्त्री, ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय संयमजीवी भिक्षु को भोगों के लिए निमन्त्रित करते हैं ।

“हे महर्षि ! तुम हाथी, घोड़े, रथ और पानकी आदि में बंधकर उद्यान शीटा के द्वारा इन श्लाघनीय भोगों को भोगो । महर्षि ! हम आपका आदर मत्कार करते हैं ।

हे आमुष्मन् ! वस्त्र, सुगन्धित पदार्थ, आभूषण, स्त्रियाँ, पलग और शयन सामग्री आदि इन भोगों को भोगो, हम आपका आदर सत्कार करते हैं ।

जो तुमे नियमो चिण्णो, भिक्खुभावम्मि सुव्वता ।
अगारमावसतस्स, सब्बो सवज्जिए तहा ॥

घिर दूइज्जमाणस्स, दोसो दाणि कुतो तव ।
इच्चेव ण निमंतेति, नीवारेण व सुयर ॥

चोइया भिक्खुचरियाए, अचयंता जवित्तए ।
तत्थ मदा विसीयन्ति, उज्जाणसि व दुव्वला ॥

अचयता व लूहेण, उवहाणेण तज्जिता ।
तत्थ मंदा विसीयति, उज्जाणसि जरगवा ॥

एव निमतण लद्धं, मुच्छिया गिद्ध इत्थीसु ।
अज्झोवेवण्णा कामेहिं, चोइज्जता गिह गया ॥

—सूय. सु. १, अ ३, उ २, गा १५-२२

उवसग्ग अणाहो मुणी—

७७४ जहा सगामकालम्मि, पिट्ठतो भीरु पेहति ।
वल्लय गहण नूमं, को जाणेइ पराजयं ॥

मुट्ठत्ताणं मुट्ठत्तस्स, मुट्ठत्तो होति तारिसो ।
पराजियाऽवसप्पामो, इति भीरु उवेहति ॥

एव तु समणा एगे, अबल नच्चान अप्पगं ।
अणागतं भयं विस्स, अवकप्पतिमं सुयं ॥

को जाणति विओवातं, इत्थीओ उदगाओ वा ।
चोइज्जता पववखामो, न णे अत्थि पकप्पितं ॥

इच्चेव पडिलेहति, वलाइ पडिलेहिणो ।
वित्तिगिच्छ समावण्णा, पथाणं व अकोविया ॥

जे उ सगामकालम्मि, नाता सुरपुरगमा ।
ण ते पिट्ठमुवेहति, किं परं मरणं सिया ॥

एवं समुट्ठिए भिक्खुं, वोसिज्जा गारबंधणं ।
भारभ तिरिय कट्ठु, अत्तत्ताए परिव्वए ॥

—सूय. सु. १, अ. ३, उ ३, गा १-७

हे सुव्रत ! तुमने भिक्षु जीवन मे जिस नियम का आचरण किया है, वह सब घर मे बस जाने पर भी वैसे ही विद्यमान रहेगा ।

तुम चिरकाल से मुनिचर्या मे विहार कर रहे हो, अब तुम्हे भोगो के सेवन से दोष कैसे आयेगा ? वे भिक्षु को इस प्रकार निमन्त्रित करते हैं जैसे चावल डालकर सुअर को ।

भिक्षु चर्या मे चलने वाले किन्तु उसका निर्वाह करने मे असमर्थ मन्द पुरुष वैसे ही विषाद को प्राप्त होते हैं जैसे ऊँची चढाई मे दुर्बल बैल ।

संयम-पालन मे असमर्थ तथा तपस्या से कष्ट पाने वाले मन्द पुरुष वैसे ही विषाद को प्राप्त होते हैं जैसे कीचड मे बूढा बैल ।

विषयो मे मूर्च्छित, स्त्रियो मे गृद्ध और कामो मे आसक्त भिक्षु इस प्रकार का निमन्त्रण पाकर समझाने बुझाने पर घर चले जाते हैं ।

उपसर्गों से अपीडित मुनि—

७७४ जैसे युद्ध के समय डरपोक सैनिक पीछे की ओर गड्ढे, खाई और गुफा को देखता है, इस विचार से कि—'कौन जाने पराजय हो जाये ?'

घडी और घडियो मे कोई एक घडी जय या पराजय की होती है, पराजित होने पर हम भागकर छिप सकें ऐसे स्थान को डरपोक सैनिक देखकर रखता है ।

इसी प्रकार कुछ श्रमण अपने को जीवन पर्यन्त संयम पालन करने मे असमर्थ जानकर भविष्य के भय को देखकर ज्योतिष आदि शास्त्रो का अध्ययन जीवन निर्वाह के लिए करते हैं ।

कौन जाने स्त्री या जल के परीषह न सह सकने के कारण संयम से पतन हो जाये ऐसी स्थिति मे हमारे पास पूर्वोपाजित धन भी नहीं है इसलिए किसी के कुछ पूछने पर निमित्त आदि बताकर जीवन निर्वाह कर सकेंगे ।

छिपने के स्थान देखने वाले उपरोक्त प्रकार से सोचा करते हैं । इस प्रकार सदेह से युक्त बने हुए वे वास्तव मे मोक्ष मार्ग को नहीं समझते हैं ।

जो पुरुष जगत् प्रसिद्ध व शूरवीरो मे अग्रणी हैं वे संग्राम काल मे पीछे मुडकर नहीं देखते । वे यह सोचते हैं कि -- 'मरने से अधिक क्या होगा ?'

इसी प्रकार घर के बन्धन को छोडकर व आरम्भ का त्याग कर उपस्थित भिक्षु आत्म-हित के लिए संयम मे पराक्रम करे ।

पुत्र पुरिसदिदृष्टेण मंदोमुणी—

७७५ आहसु महापुरिसा, पुत्रिव तत्ततवोधणा ।
उदण सिद्धिभावणा, तत्य मदे विसीयती ॥

अमुजिया नमी वेदेही, रामउत्ते य मुजिया ।
बाहूए उदग भोच्चा, तहा तारागणे रिसी ॥

आसिले देविले च्च, दीवायण महारिसी ।
पारासरे दग भोच्चा, वीयाणि हरियाणि य ॥

एते पुत्र महापुरिसा, आहिना इह संमता ।
भोच्चा वीभोदग सिद्धा, इति मेयमणुस्सुतं ॥

तत्य मदा विसीयति, वाहृच्छिन्ना व गहभा ।
पिटुत्तो पस्सिप्पति, पीढसप्पी व संभमे ॥

—सूय सु. १, अ ३, उ ४, गा १-५

इहमेगे उ भासति, सात सातेण विज्जती ।
जे तत्य आरिय मग, परम च समाहियं ॥

मा एय अवमन्नता, अप्पेणं लुम्पहा वहु ।
एतस्स अमोक्खाए, अयहारिव्व जूरहा ॥

पाणाइवाए वट्टन्ता, मुसावाए असंजता ।
अदिन्नादाने वट्टन्ता, भेहणे य परिग्गहे ॥

—सूय. सु १, अ ३, उ. २, गा ६-८

एयमेगे तु पासत्या, पण्णवेति अणारिया ।
इत्योवसं गता वात्ता, जिणमासणपरम्महा ।
जहा गह विलाग या, परिपीलेज्ज मुह्वत्तगं ।
एय विण्णवणित्थीमु, दोसो तत्य कुतो सिया ॥

जहा भंघादए नाम, धिमित भुजती दगं ।
एय विण्णवणित्थीमु, दोसो तत्य कुतो सिया ॥

जहा पिग्गमा पिगा, धिमित भुजती दग ।
एय विण्णवणित्थीमु, दोसो तत्य कुतो सिया ॥

पूर्व पुरुषों के दृष्टान्त से संयम शिथिल मुनि—

७७५ कई अज्ञानी पुरुष कहते हैं कि—‘अतीत काल में तात तपोधनी महापुरुष सचित्त जल का सेवन आदि करते हुए सिद्धि को प्राप्त हुए हैं ।’ यह सोचकर मन्द भिक्षु अस्नान आदि व्रतों में शिथिल हो जाता है ।

विदेह जनपद के राजा नमि ने भोजन छोड़कर, रामपुत्र ने भोजन करते हुए तथा बाहुक और तारागण ऋषि ने केवल जल पीते हुए सिद्धि प्राप्त की ।

आसिल, देविल, द्वेपायन और पाराशर आदि महर्षियों ने सचित्त जल, वीज और हरित का सेवन करते हुए सिद्धि प्राप्त की ।

कई अन्यतीर्थिक कहते हैं कि—‘अतीत में हुए ये महापुरुष जगत् प्रसिद्ध थे जो अभी भी लोक सम्मत हैं, इन्होंने सचित्त वीज और जल का सेवन कर सिद्धि प्राप्त की ऐसा हमने परम्परा से सुना है ।’

इस प्रकार के भ्रातिजनक वचनों को सुनकर मन्द भिक्षु विपाद को प्राप्त होते हैं । वे भार में दुखी होने वाले गधे की भाँति संयम में दुख का अनुभव करते हैं तथा लकड़ी के सहारे चलने वाले पगु की भाँति संयम में पीछे रह जाते हैं ।

कुछ दार्शनिक कहते हैं—‘सुख से ही सुख प्राप्त होता है’ किन्तु वास्तव में जो तीर्थंकरों का प्रतिपादित मार्ग है उससे ही परम समाधि प्राप्त होती है ।

तुम वीतराग मार्ग को छोड़कर अल्प सुखों के लिए मोक्ष के सुखों को विगाडने वाले न बनो, क्योंकि अल्प सुखों को नहीं छोड़ने से लोह वणिक् की तरह पश्चात्ताप करना पड़ेगा ।

शाश्वत सुखों के लिए विषय सुख न त्यागने वाले ही प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह से निवृत्त न होकर उनमें ही प्रवृत्त रहते हैं ।

स्त्रियों के वषावर्ती, अज्ञानी और जिनशासन से पराङ्मुख मन्मार्ग से भ्रष्ट कुछ अनार्य लोग इस प्रकार कहते हैं—

“जिम प्रकार गाठ या फोडे को दबाकर मवाद को निगाल देने से पीडा शांत हो जाती है उसी प्रकार महवास के बाद काम पीडा शांत हो जाती है अतः इसमें क्या दोष है ?

“जैसे भेट जल को हिनाये विना धीमे में उबे पी लेती है, वैसे ही प्रायंता करने वाली स्त्री के गाय महवास कर लिया जाय तो उसमें दोष क्या है ?

“जैसे पिग नामक पक्षिणी आराधन में रही हुई ही जन को क्षुब्ध किये विना उम पी लेती है, वैसे ही प्रायंता करने वाली स्त्री के गाय महवास कर लिया जाये तो उसमें दोष क्या है ?”

एवमेवे उ पासत्या, मिच्छादिद्वी अगारिषा ।
अज्ज्ञोववन्ना कामेहिं, पूतणा इव तरुणए ।

—सूय सु १, अ. ३, उ ४, गा ६-१३

उवसगसहण निद्वेसो—

७७६. सखाय पेसल घम्मं, दिट्ठिम परिनिव्वुडे ।

उवसगो नियमित्ता, आमोक्खाए परिव्वएज्जासि ॥^१

—सूय. सु १, अ. ३, उ. ४, गा. २२

उवसगसहण फलं—

७७७. दिव्वे य जे उवसगो, तहा तेरिच्छमाणसे ।

जे मिक्खू सहई निच्च, से न अच्छइ मण्डले ॥

—उत्त. अ. ३१, गा ५

इस प्रकार कुछ मिथ्यादृष्टि अनार्य पार्श्वस्थ काम-भोगी मे वैसे ही आसक्त होते हैं 'जैसे भेड अपने बच्चे मे' ।

परीषह सहने का निर्देश—

७७६ सम्यग्दृष्टि सम्पन्न और प्रशात भिक्षु पवित्र धर्म को जान-कर मोक्षप्राप्ति तक उपसर्गों को सहता हुआ समय में पराक्रम करे ।

परीषह सहने का फल—

७७७. जो भिक्षु देव, तिर्यंच और मनुष्य सम्बन्धी उपसर्गों को सदा सहता है, वह संसार मे भ्रमण नहीं करता ।



पंचेन्द्रिय विरतिकरण—४

सद्वामत्तिणिसेहो—

७७८ सोयस्स सद्दं गहणं वयन्ति,

तं रागहेउ तु मणुसमाहु ।

तं दोसहेउ अमणुसमाहु,

समो य जो तेसु स वीयरगो ॥

सद्दस्स सोय गहणं वयन्ति,

सोयस्स सद्दं गहणं वयन्ति ।

रागस्स हेउ समणुसमाहु,

दोसस्स हेउ अमणुसमाहु ॥

सद्देषु जो गिद्धिमुवेह तिव्व,

अकालियं पावइ से विणास ।

रागाउरे हरिणमिगे व मुद्धे,

सद्दे अतित्ते समुवेह मच्चु ॥

जे यावि दोसं समुवेह तिव्व,

तस्सिक्खणे से उ उवेइ दुक्ख ।

दुद्धन्तदोसेण सएण जन्तु,

न किंत्वि सद्द अवरज्झई से ॥

एगन्तरत्ते रुद्धरसि सद्दे,

अतालसे से कुणई पओस ।

दुक्खस्स संपीलमुवेह बाले,

न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥

शब्द की आसक्ति का निषेध—

७७८. श्रोत्रेन्द्रिय के विषय को शब्द कहते हैं, जो शब्द राग का हेतु है उसे 'मनोज्ञ' कहा है । जो शब्द द्वेष का हेतु है उसे अमनोज्ञ कहा है । इन दोनों मे जो समभाव रखता है वह वीतराग है ।

शब्द के ग्रहण करने वाले को श्रोत्र कहते हैं, श्रोत्र से ग्रहण होने वाले को शब्द कहते हैं । राग के हेतु को समनोज्ञ शब्द कहा है । द्वेष के हेतु को अमनोज्ञ शब्द कहा है ।

जिस प्रकार शब्दो मे अतृप्त रागातुर भुग्घ हरिण मृत्यु को प्राप्त होता है उसी प्रकार मनोज्ञ शब्दो मे जो तीव्र आसक्ति रखता है वह अकाल मे ही विनाश को प्राप्त होता है ।

जो अमनोज्ञ शब्दो से तीव्र द्वेष करता है, वह उसी क्षण दुःख को प्राप्त होता है । इस प्रकार स्वयं के ही तीव्र द्वेष से प्राणी दुःखी होता है किन्तु उसके दुःखी होने मे शब्द का कोई अपराध नहीं है ।

जो मनोहर शब्द मे सर्वथा अनुरक्त रहता है और अमनोहर शब्द से द्वेष करता है, वह अज्ञानी दुःखो की पीडा को प्राप्त होता है । किन्तु विरक्त मुनि उनमे लिप्त नहीं होता ।

सद्गुणगुणानुगए य जीवे,
 चराचरे हिसइ णेरुवे ।
 चित्तोहि ते परियावेइ वाले,
 पीलेइ अत्तट्टगुरु फिलिट्टे ॥
 सद्गुणवाएण परिग्गहेण,
 उप्पायणे रक्खणससिभोगे ।
 वए विभोगे य काहं सुहं से ?
 सभोगकाले य अतित्तिलाभे ॥
 सद्दे अतित्ते य परिग्गहे य,
 सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्टि ।
 अत्तुट्टिदोसेण दुही परस्स,
 लोभाविले माययई अदत्त ॥
 तण्हामिभूयस्स अदत्तहारिणो,
 सद्दे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
 मायानूस वड्ढइ लोभदोसा,
 तत्यावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥
 मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य,
 पभोगकाले य दुही दुरन्ते ।
 एव अदत्ताणि म्माययन्तो,
 सद्दे अतित्तो दुहियो अणस्सो ॥
 सद्गुणुरत्तस्स नरस्स एव,
 फत्तो सुहं होज्ज कयाइ किचि ? ।
 तत्थोवभोगे यि फिलेसदुक्ख,
 निव्वत्तई जस्म कएण दुक्ख ॥
 एमेव सद्दम्मि गओ पओसं,
 उवइ दुक्खोहपरंपराओ ।
 पदुट्टचित्तो य चिणाड कम्म,
 ज से पुणो होइ दुहं विवागे ॥
 सद्दे विरत्तो मणुओ विसोगो,
 एएण बुक्खोहपरम्परेण ।
 न लिप्पई भयमज्जे यि सन्तो,
 जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥
 —उत्त. अ ३२, गा ३५-४७

स्वासक्ति निषेधो—

७७९. चक्षुस्स न्य गहणं ययन्ति, त रागहेउ तु मणुप्पमाह ।
 तं दोसहेउं अमणुप्पमाह, समो उ जो तेसु स धीयरगो ॥

मनोहर शब्दों में आसक्त जीव अनेक प्रकार के प्रम स्थावर जीवों की हिंसा करता है, वह अपने ही स्वार्थ को प्रमुख मानने वाला क्लेशयुक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार से उन चराचर जीवों को परिताप पहुँचाता है ।

शब्द में अनुराग और ममत्व बुद्धि होने से उसके उत्पादन में, रक्षण करने में, व्यवस्थित रखने में और उसके विनाश या वियोग होने पर कैसे सुखी हो सकता है ? उसके उपयोग करने के समय भी तृप्ति न होने के कारण दुःख ही होता है ।

जो शब्द में अतृप्त और उसके परिग्रहण में अत्यन्त आसक्त होता है, उसे कभी सतुष्टि नहीं हो सकती । वह असतुष्टि के दोष से दुःखी बना हुआ मनुष्य लोभ के बन्धीभूत होकर दूसरे की शब्द वाली वस्तुएँ चुरा लेता है ।

वह तृष्णा से पराजित होकर चोरी करता है और शब्द परिग्रहण में अतृप्त होता है । अतृप्ति-दोष के कारण उसके माया-मृपा की वृद्धि होती है तथा माया-मृपा का प्रयोग करने पर भी वह दुःख से मुक्त नहीं होता ।

असत्य बोलने के पहले और पीछे तथा बोलते समय भी जीव दुःखी होता है इसी प्रकार शब्द में अतृप्त होकर चोरी करता हुआ भी वह आश्रय हीन होकर दुःखी ही होता है ।

इस प्रकार शब्द में अनुरक्त पुरुष को अल्प सुग भी कय और कैसे हो सकता है ? क्योंकि मनोज्ञ शब्दों को पाने के लिए भी वह दुःख उठाता है और उनके उपभोग में भी अतृप्ति का क्लेश और दुःख बना ही रहता है ।

इसी प्रकार जो शब्द से द्वेष रगता है, वह भी उत्तरोत्तर अनेक दुःखों की परम्परा को प्राप्त होता है । द्वेषयुक्त चित्त से वह जिन कर्मों का बन्ध करता है वे कर्म भी उदयकाल में उसके लिए दुःख रूप होते हैं ।

किन्तु जो पुरुष शब्द से विरक्त होता है वह शोक रहित रहता है । जिस प्रकार जल में रहते हुए भी कमल जल से अलिप्त रहता है उसी प्रकार वह भी संसार में रहते हुए इन दुःख की परम्पराओं से अलिप्त रहता है ।

रूप की आसक्ति का निषेध—

७७९ चक्षुन्द्रिय के विषय को रूप कहते हैं । जो रूप राग का हेतु है उसे मनोज्ञ कहा है, जो रूप द्वेष मा हेतु है उसे अमनोज्ञ कहा है । इन दोनों में जो ममभाव रगता है वह पीतगग होता है ।

रूवस्स चक्खुं गहणं वयन्ति, चक्खुस्स रूवं गहणं वयन्ति ।
रागस्स हेउ समणुभमाहु, दोसस्स हेउ अमणुभमाहु ॥

रूवेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्बं, अकालिय पावइ से विणास ।
रागाउरे से जह वा पयगे, आलोयलोले समुवेइ मच्चु ॥

जे यावि दोस समुवेइ तिब्बं, तस्सिक्खणे से उउवेइ दुक्खं ।
दुहन्तदोसेण सएण जन्तु, न किंचि रूवं अवरज्झई से ॥

एगन्तरत्ते रुद्धरसि रूवे, अतालसे से कुणई पओस ।
दुक्खस्स संपीलमुवेइ बाले, न लिप्पई तेण सुणी विरागो ॥

रूवाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइ णेगरूवे ।
चित्तोहि ते परितावेइ बाले, पीलेइ अत्तट्टपुण किलिद्धे ॥

रूवाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे ।
वए विओगे य कहं सुह से ? सभोगकाले य अतित्तिलाभे ॥

रूवे अतित्ते य परिग्गहंमि, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठि ।
अतुट्ठिदोसेण दुहो परस्स, लोभाविले आययई अदत्त ॥

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, रूवे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
मायामुस वद्धइ लोभदोसा, तत्था वि दुक्खा न विमुच्चई से ॥

मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य दुहो दुरन्ते ।
एवं अदत्ताणि समाययन्तो, रूवे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥

रूवाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सुह होज्ज कयाइ किंचि ।
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्ख, निच्चत्तई जस्स कएण दुक्ख ॥

एमेव रूवम्मि गओ पओसं, उवेइ दुक्खलोहपरम्पराओ ।
पवुट्ठचित्तो य चिणाइ कम्म, ज से पुणो होइ दुह विवागे ॥

रूप के ग्रहण करने वाले को चक्षु कहते हैं, चक्षु से ग्रहण होने वाले को रूप कहते हैं। राग के हेतु को समनोज रूप कहा है, द्वेष के हेतु को अमनोज रूप कहा है।

जिस प्रकार प्रकाश लोलुप पतंगा रूप में आसक्त होकर मृत्यु को प्राप्त होता है उसी प्रकार जो पुरुष रूप में तीव्र आसक्ति रखता है वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है।

जो अमनोज रूपों से तीव्र द्वेष करता है वह उसी क्षण दुःख को प्राप्त होता है। इस प्रकार स्वयं के ही तीव्र द्वेष से प्राणी दुःखी होता है किन्तु उसके दुःखी होने में रूप का कोई अपराध नहीं है।

जो मनोहर रूप में सर्वथा अनुरक्त रहता है और अमनोहर रूप में द्वेष करता है, वह अज्ञानी दुःखों की पीड़ा को प्राप्त होता है। किन्तु विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता।

मनोज रूप में आसक्त जीव अनेक प्रकार के भ्रम-स्थावर जीवों की हिंसा करता है, वह अपने ही स्वार्थ को प्रमुख मानने वाला क्लेशयुक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार से उन चराचर जीवों को परिताप पहुँचाता है।

रूप में अनुराग और ममत्व वृद्धि होने से उसके उत्पादन में, रक्षण करने में, व्यवस्थित रखने में और उसके विनाश या वियोग होने पर कैसे सुखी हो सकता है? उसके उपयोग करने के समय भी तृप्ति न होने के कारण दुःख ही होता है।

जो रूप में अतृप्त है और उसके परिग्रहण में अत्यन्त आसक्त होता है, उसे कभी सन्तुष्टि नहीं हो सकती, वह असंतुष्टि के दोष से अत्यन्त दुःखी बना हुआ मनुष्य लोभ के वशी-भूत होकर दूसरों की रूपवान वस्तुएँ चुरा लेता है।

वह तृष्णा से पराजित होकर चोरी करता है और रूप-परिग्रहण में अतृप्त होता है। अतृप्ति दोष के कारण उसके माया-मृषा की वृद्धि होती है तथा माया-मृषा का प्रयोग करने पर भी वह दुःख से मुक्त नहीं होता।

असत्य बोलने के पहल और पीछे तथा बोलते समय भी जीव दुःखी होता है इसी प्रकार रूप में अतृप्त होकर चोरी करता हुआ भी वह आश्रयहीन होकर दुःखी ही होता है।

इस प्रकार रूप में अनुरक्त पुरुष को किंचित् सुख भी कब और कैसे हो सकता है? क्योंकि मनोज रूपों को पाने के लिए भी वह दुःख उठाता है और उनके उपभोग में भी अतृप्ति का क्लेश और दुःख बना ही रहता है।

इसी प्रकार जो रूप से द्वेष रखता है, वह भी उत्तरोत्तर अनेक दुःखों की परम्परा को प्राप्त होता है। द्वेष-युक्त चित्त से वह जिन कर्मों का बन्ध करता है, वे कर्म भी उदय काल में उसके लिए दुःख रूप होते हैं।

हृद्ये विरक्तो मणओ विसोगो, एएण दुक्खोहपरम्परेण ।
न लिप्पई नयमज्जे वि सन्तो, जलेण वा पोक्खरिणीपलास ॥
—उत्त अ. ३२, गा २२-३४

गंधासक्ति णिसेहो—

७८० घाणस्स गन्ध गहणं वयन्ति,
तं रागहेउ तु मणुन्नमाहु ।
तं दोमहेउ अमणुन्नमाहु,
समो य जो तेषु स वीयरगो ॥
गन्धस्स घाणं गहण वयन्ति,
घाणस्स गन्धं गहण वयन्ति ।
रागस्स हेउ समणुन्नमाहु,
दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥
गन्धेषु जो गिद्धिमुवेह तिव्व,
अवालियं पावइ से विणास ।
रागाउरे ओसहि-गन्ध-गिद्धे,
सप्ये विलाओ विव निक्खमते ॥
जे यावि दोसं समुवेह तिव्व,
तंसिक्खणे से उ उवेह दुक्ख ।
दुद्धन्तदोसेण सएण जन्तु,
न किच्चि गन्ध अवरज्जई से ॥
एगन्तरत्ते हइरसि गन्धे,
अतालित्से से फुणई पओस ।
दुक्खस्स सपीलमुवेह बाले,
न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥
गन्धाणुगासाणुगए य जीवे,
चराचरे हिंसइ णेरुवे ।
चित्तेहिं ते परितावेइ चाले,
पीलेइ अत्तट्ठगुरु किलिट्ठे ॥
गन्धाणुवाएण परिग्गहेण,
उप्पायणे रक्खणसन्निओगे ।
यए विओगे य फहं सुह से ?
संभोगकाले य अतित्तिलाभे ॥
गन्धे अतित्ते य परिग्गहे य,
सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठि ।
अतुट्ठिदोसेण दुहो परस्स,
लोभायित्ते आययई अदत्तं ॥
तण्हामिभूयस्स अदत्तहारिणी,
गन्धे अतित्तस्स परिग्गहे य ।

किन्तु जो पुरुष रूप से विरक्त होता है वह शोक-मुक्त बन जाता है । जिस प्रकार जल में रहते हुए भी कमल जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार वह भी ससार में रहते हुए इन दुखों की पराम्परा से लिप्त नहीं होता ।

गन्ध की आसक्ति का निषेध—

७८० घ्राणेन्द्रिय के विषय को गन्ध कहते हैं । जो गन्ध राग का हेतु है उसे मनोज्ञ कहा है जो गन्ध द्वेष का हेतु है उसे अमनोज्ञ कहा है । इन दोनों में जो समभाव रखता है वह वीतराग होता है ।

गन्ध के ग्रहण करने वाले को घ्राण कहते हैं, घ्राण से ग्रहण होने वाले को गंध कहते हैं । राग के हेतु को समनोज्ञ गंध कहा है, द्वेष के हेतु को अपनोज्ञ गंध कहा है ।

जिस प्रकार नाग-दमनी आदि औषधियों के गंध में गृद्ध होकर विल से निकलता हुआ रागातुर मर्ष दुखी होता है उसी प्रकार जो मनोज्ञ गंध में तीव्र आसक्ति करता है, वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है ।

जो अमनोज्ञ गंध से तीव्र द्वेष करता है, वह उसी क्षण दुःख को प्राप्त होता है । इस प्रकार स्वयं के ही तीव्र द्वेष से प्राणी दुखी होता है किन्तु उसके दुखी होने में गन्ध का कोई अपराध नहीं है ।

जो मनोहर गन्ध में सर्वथा अनुरक्त रहता है और अमनोहर गन्ध से द्वेष करता है, वह अज्ञानी दुखी की पीड़ा को प्राप्त होता है । किंतु विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता ।

मनोज्ञ गन्ध में आसक्त जीव अनेक प्रकार के त्रस स्थावर जीवों की हिंसा करता है वह अपने ही स्वार्थ को प्रमुख मानने वाला क्लेशयुक्त अज्ञानी नाना प्रकार के उन चराचर जीवों को परिताप पहुँचाता है ।

गन्ध में अनुराग और ममत्व वृद्धि होने में उसके उत्पादन में, रक्षण करने में, व्यवस्थित रखने में और उसके विनाश या वियोग होने पर कैसे सुखी हो सकता है ? उसके उपयोग के समय भी तृप्ति न होने के कारण दुःख ही होता है ।

जो गन्ध में अतृप्ति है, उसके परिग्रहण में अत्यन्त आसक्त होता है, उसे कभी सन्तुष्टि नहीं हो सकती है । वह असंतुष्टि के दोष से दुःखी बना हुआ मनुष्य लोभ के बन्धुभूत होकर दूसरों की गन्धवान वस्तुएँ चुरा लेता है ।

वह वृष्णा में पराजित होकर चोरी करता है और गन्ध-परिग्रहण में अतृप्ति होता है । अतृप्ति दोष के कारण उसके

मायामुस वद्धइ लोभदोसा,
 तत्थावि दुषखा न विमुच्चई से ॥
 मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य,
 पोगकाले य दुही डुरन्ते ।
 एव अदत्ताणि समाययन्तो,
 गन्धे अत्तित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥
 गन्धाणुरत्तस्स नरस्स एव,
 फत्तो सुह होज्ज कयाइ किञ्चि ?।
 तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्ख,
 निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥
 एमेव गन्धम्मि गओ पओस,
 उवेइ दुक्खोहपरम्पराओ ।
 पदुट्टचित्तो य चिणाइ कम्म,
 जं से पुणो होइ दुह विवागे ॥
 गन्धे विरत्तो मणुओ विसोगो,
 एएण दुक्खोहपरम्परेण ।
 न लिप्पई भवमज्जे वि सन्तो,
 जलेण वा पोषखरिणीपलास ॥

—उत्त अ ३२, गा ४८-६०

रसासक्तिनिषेधो—

७८१. जिब्भाए रस गहणं वयन्ति, त रागहेउं तु मणुन्नमाहु ।
 त दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स वीयरगो ॥
 रसस्स जिब्भं गहण वयन्ति, जिब्भाए रस गहण वयन्ति ।
 रागस्स हेउ समणुन्नमाहु, दोसस्स हेउ अमणुन्नमाहु ॥
 रसेसु जो गिद्धिमवेइ तिब्ब, अकालियं पावइ से विणास ।
 रागाउरे वडिस विभिन्नकाए, मच्छे जहा आभिस-भोगिद्धे ॥
 जे याधि दोस समुवेइ तिब्ब, तंसिक्खणं स उ उवेइ वुक्ख ।
 बुद्धन्तदोसेण सएण जन्तू, रसं न किञ्चि अवरज्जई से ॥
 एगन्तरत्ते रुदरे रसम्मि, अताल्लिसे से कुणई पओसं ।
 दुक्खस्स सपीलमुवेइ बाले, न लिप्पई तेण मूणो विरागो ॥
 रसाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइ णेरूवे ।
 चित्तेहि ते परितावेइ बाले, पीलेइ अत्तट्टगुरु किलिट्ठे ॥

माया-मृपा की वृद्धि होती है तथा माया-मृपा का प्रयोग करने पर भी पर भी वह दुःख से मुक्त नहीं होता ।

असत्य बोलने के पहले और पीछे तथा बोलते समय भी जीव दुःखी होता है । इसी प्रकार वह गन्ध से अतृप्त होकर चोरी करता हुआ भी आश्रयहीन होकर दुःखी ही होता है ।

इस प्रकार गन्ध में अनुरक्त पुरुष को किञ्चित् सुख भी कब और कैसे हो सकता है ? क्योंकि मनोज्ञ गन्धों को पाने के लिए वह दुःख उठाता है तथा उनके उपभोग में भी अतृप्ति का क्लेश और दुःख बना ही रहता है ।

इसी प्रकार जो गन्ध से द्वेष रखता है, वह भी उत्तरोत्तर अनेक दुःखों की परम्परा को प्राप्त होता है । द्वेष युक्त चित्त से वह जिन कर्मों का बन्ध करता है वे कर्म भी उदय काल में उसके लिए दुःख रूप होते हैं ।

किन्तु जो पुरुष गन्ध से विरक्त होता है वह शोक-मुक्त बन जाता है । जिस प्रकार जल में रहते हुए भी कमल जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार वह भी ससार में रहते हुए इन दुःखों की परम्परा से लिप्त नहीं होता ।

रस की आसक्ति का निषेध—

७८१. रसनेन्द्रिय के विषय को रस कहते हैं । जो रस राग का हेतु है उसे मनोज्ञ कहा है, जो द्वेष का हेतु है उसे अमनोज्ञ कहा है । इन दोनों में जो समभाव रखता है वह वीतराग होता है ।

रस के ग्रहण करने वाली को जिह्वा कहते हैं, जिह्वा से ग्रहण होने वाले को रस कहते हैं । राग के हेतु को समनोज्ञ रस वहा है, द्वेष के हेतु को अमनोज्ञ रस कहा है ।

जिस प्रकार मास खाने में शृद्ध बना हुआ रागातुर मत्स्य काटे से वीधा जाता है उसी प्रकार मनोज्ञ रसों में तीव्र आसक्ति करने वाला अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है ।

जो अमनोज्ञ रस से तीव्र द्वेष करता है वह उसी क्षण दुःख को प्राप्त होता है, इस प्रकार स्वयं के ही तीव्र द्वेष से प्राणी दुःखी होता है किन्तु उसके दुःखी होने में रस का कोई अपराध नहीं है ।

जो मनोहर रस में सर्वथा अनुरक्त रहता है और अमनोहर रस में द्वेष करता है, वह अज्ञानी दुःखों की पीडा को प्राप्त होता है । किन्तु विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता ।

मनोहर रस में आसक्त जीव अनेक प्रकार के त्रस स्थावर जीवों की हिंसा करता है, वह अपने ही स्वार्थ को प्रमुख मानने वाला क्लेशयुक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार के उन चराचर जीवों को परिताप पहुँचाता है !

रसाण्वाएण परिग्रहेण,
उपायणे रयखणसन्निओगे ।
एव विओगे य एहं सुहं से,
सभोगफाले य अतित्तिलाभे ॥
रसे अतित्ते य परिग्रहे य,
सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठि ।
अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स,
त्तोभाविने आययई अदत्त ॥
तण्हामिभूयस्स अदत्तहारिणो,
रमे अतित्तस्स परिग्रहे य ।
आयामुत्तं वड्ढइ लोभदोसा,
तरयावि दुयखा न विमुच्चइ से ॥
मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य,
पओगफाले य दुही डुरन्ते ।
एव अदत्ताणि समाययन्तो,
रसे अतित्तो दुह्मिओ अणिस्सो ॥
रमाणुरत्तस्स नरस्स एवं,
फत्तो सुहं होज्ज कयाइ किञ्चि ? ।
तत्थोवभोगे वि कित्तेसदुक्ख,
निग्घत्तई जस्स कएण दुक्ख ॥
एमेव रसम्मि गओ पओसं,
उवेइ दुक्खोहपरम्पराओ ।
पडुट्ठित्तो य त्तिणाइ कम्म,
ज से पुणो होइ दुहं विवागे ॥
रसे विरत्तो मण्णो विसोगो,
एएण दुक्खोहपरम्परेण ।
न लिप्पई भवमज्जे वि सन्तो,
जत्तेण वा पोक्खरिणीपत्तास ॥

—उत्त. अ. ३२, गा. ६१-७३

फरिसासत्ति णिसेहो—

७८२. कायस्स फास गहणं वयन्ति,
तं रागहेउ तु मणुन्नमाह ।
तं दोसहेउं अमणुन्नमाट्ट,
समो य जो तेसु ण वीयरगो ॥
फासस्स वाय गहणं वयन्ति,
कायस्स फास गहणं वयन्ति ।
रागम्म हेउं समणुन्नमाह,
दोसस्स हेउं अमणुन्नमाह ॥

रस में अनुराग और ममत्व बुद्धि होने से उसके उत्पादन में, रक्षण करने में व्यवस्थित रखने में और उसके विनाश या वियोग होने पर कैसे सुखी हो सकता है? उसके उपयोग के समय भी तृप्ति न होने के कारण दुःख ही होता है ।

जो रस में अतृप्त है और उसके परिग्रहण में अत्यन्त आमक्त होता है । उसे कभी सन्तुष्टि नहीं हो सकती । वह असन्तुष्टि के दोष से दुःखी बना हुआ मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर हमरो की रसवान् वस्तुएँ चुरा लेता है ।

वह तृष्णा से पराजित होकर चोरी करता है और रस-परिग्रहण में अतृप्त होता है । अतृप्ति दोष के कारण उसके माया-मृषा की वृद्धि होती है तथा माया-मृषा का प्रयोग करने पर भी वह दुःख से मुक्त नहीं होता ।

असत्य बोलने के पहले और पीछे तथा बोलते समय भी जीव दुःखी होता है । इसी प्रकार वह रस में अतृप्त होकर चोरी करता हुआ भी आश्रयहीन होकर दुःखी ही होता है ।

इस प्रकार रस में अनुरक्त पुरुष को किञ्चित् सुख भी फव और कैसे हो सकता ? क्योंकि मनोज्ञ रसा को पाने के लिए वह दुःख उठाता है और उनके उपभोग में भी अतृप्ति का संशय और दुःख बना ही रहता है ।

इसी प्रकार जो रस से द्वेष रखता है, वह भी उत्तरोत्तर अनेक दुःखों की परम्परा को प्राप्त होता है, द्वेष युक्त चित्त से वह जिन कर्मों का वन्ध करता है वे कर्म भी उदय काल में उसके लिए दुःख रूप होते हैं ।

किन्तु जो पुरुष रस से विरक्त होता है वह शोक-मुक्त बन जाता है । जिस प्रकार जल में रहते हुए भी कमल जल से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार वह ससार में रहते हुए भी इन दुःखों की परम्परा से लिप्त नहीं होता ।

स्पर्श की आसक्ति का निषेध—

७८२. स्पर्शेन्द्रिय के विषय को काया कहते हैं, जो स्पर्श राग वा हेतु है उसे मनोज्ञ कहा है, जो द्वेष वा हेतु है उसे अमनोज्ञ कहा है । इन दोनों में जो समभाव रखता है वह वीतराग होता है ।

स्पर्श के ग्रहण करने वाले को काया कहते हैं, काया से ग्रहण होने वाले को स्पर्श कहते हैं । राग के हेतु को मनोज्ञ स्पर्श कहा है, द्वेष के हेतु को अमनोज्ञ स्पर्श कहा है ।

फासेसु जो गिद्धिमुवेइ तिच्चं,
 अकालियं पावइ से विनास ।
 रागाउरे सीय-जलावसन्ने,
 गाह्गहीए महिसे व रन्ने ॥
 जे याचि दोस समुवेइ तिच्चं,
 तस्सिक्खणे से उ उवेइ दुक्खं ।
 दुहन्तदोसेण सएण जन्तु,
 न किच्चि फास अवरज्झई से ॥
 एगन्तरत्ते रुहरंसि फासे,
 अतालिसे से कुणई पओस ।
 बुक्खस्स संपीलमुवेइ वाले,
 न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥
 फासाणुगासाणुगए य जीवे,
 चराचरे हिंसइ णेगख्वे ।
 चित्तेहि ते परितावेइ वाले,
 पीलेइ अत्तडुगुह किलिट्ठे ॥
 फासाणुवाएण परिग्गहेण,
 उप्पायणे रक्खणसन्निओगे ।
 वए विओगे य कह सुहं से,
 सभोगकाले य अतित्थिलाभे ॥
 फासे अतित्ते य परिग्गहे य,
 सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठि ।
 अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स,
 लोभाविले आययई अदत्ते ॥
 तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो,
 फासे अतित्थस्स परिग्गहे य ।
 मायामुस बड्ढइ लोभदोसा,
 तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥
 मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य,
 पओगकाले य दुही दुरन्ते ।
 एवं अदत्ताणि समाययन्तो,
 फासे अतित्थो दुहिओ अणिस्सो ॥
 फासाणुरत्तस्स नरस्स एव,
 कत्तो सुहं होज्ज कयाइ फिच्चि ।
 तत्थोवभोगे चि किलेसदुक्ख,
 निच्चत्तई जस्स कएण दुक्ख ॥
 एमेव फासम्मि गओ पओस,
 उवेइ दुक्खोहपरम्पराओ ।
 पबुद्धचित्थो य चिणाइ कम्म,
 ज से पुणो होइ वुह विवागो ॥

जिस प्रकार घडियाल के द्वारा पकड़ा हुआ अरण्य-जलाशय के शीतल जल के स्पर्श में मग्न बना रागातुर भँसा विनाश को प्राप्त होता है उसी प्रकार मनोज्ञ स्पर्शों में तीव्र आसक्ति करने वाला वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है ।

जो अमनोज्ञ स्पर्श से तीव्र द्वेष करता है, वह उसी क्षण दुःख को प्राप्त होता है इस प्रकार स्वयं के ही तीव्र द्वेष से प्राणी दुःखी होता है किन्तु उसके दुःखी होने में स्पर्श का कोई अपराध नहीं है ।

जो मनोहर स्पर्श में सर्वथा अनुरक्त होता है और अमनोहर स्पर्श से द्वेष करता है, वह अज्ञानी दुःख की पीड़ा को प्राप्त होता है । किन्तु विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता ।

मनोहर स्पर्श में आसक्त जीव अनेक प्रकार के त्रस स्थावर जीवों की हिंसा करता है वह अपने ही स्वार्थों को प्रमुख मानने वाला क्लेश युक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार के उन चराचर जीवों को परिताप पहुँचाता है ।

स्पर्श में अनुराग और ममत्व बुद्धि होने से उसके उत्पादन में, रक्षण करने में, व्यवस्थित रखने में और उसके विनाश या विधोष होने पर कैसे सुखी हो सकता है ? उसके उपयोग के समय भी तृप्ति न होने के कारण दुःख ही होता है ।

जो स्पर्श में अतृप्त है और उसके परिग्रहण में अत्यन्त आसक्त होता है, उसे कभी सन्तुष्टि नहीं हो सकती । वह असन्तुष्टि के दोष से दुःखी बना हुआ मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर दूसरों की स्पर्शवान वस्तुएँ चुरा लेता है ।

वह तृष्णा से पराजित होकर चोरी करता है और स्पर्श परिग्रहण में अतृप्त होता है, अतृप्ति दोष के कारण उसके माया-मृषा की वृद्धि होती है तथा माया-मृषा का प्रयोग करने पर भी वह दुःख से मुक्त नहीं होता ।

असत्य बोलने के पहले और पीछे तथा बोलते समय भी जीव दुःखी होता है । इसी प्रकार वह स्पर्श में अतृप्त होकर चोरी करता हुआ भी आश्रयहीन होता हुआ दुःखी ही होता है ।

इस प्रकार स्पर्श में अनुरक्त पुरुष को किंचित् भी सुख कब और कैसे हो सकता है ? अल्प सुख भी कहाँ से होगा क्योंकि मनोज्ञ रसों को पाने के लिए वह दुःख उठाता है और उनके उपभोग में भी अतृप्ति का क्लेश और दुःख बना ही रहता है ।

इसी प्रकार जो स्पर्श से द्वेष रखता है वह भी उत्तरोत्तर अनेक दुःखों की परम्परा को प्राप्त होता है । द्वेषयुक्त चित्त से वह जिन कर्मों का बन्ध करता है । वे कर्म भी उदय काल में उसके लिए दुःख रूप होते हैं ।

एतं कुसलत्सवं संसण तद्द्विष्टीए तम्ममुत्तीए, तत्पुषकारे, तस्सण्णी,
तण्णिवेसणं ।

अभिभूय अदक्खू अणभिभूते पसू णिराल्लवणताए ।

—आ सु १, अ. ५, उ ६, सु. १७२

पमाय परिच्छाग उवएसो—

७८६ समय तत्पुवेहाए अप्पाणं विप्पसादए ।

अणणपरम णाणी, णो पमाए कयाइ वि ॥

आयगुत्ते सदा वीरे, जायामायाए जावए ।

धिराग रुवेहि गच्छेज्जा, महता खुड्डएहि वा ॥

—आ सु १, अ ३, उ. ३, सु १२३

तिविहा धम्म जागरणा—

७९० 'मन्ते ! त्ति' भगव गोयमे समणं भगव महावीर वदति
नमंसति, वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी—

प०—कइविधा ण भंते ! जागरिया पन्नता ?

उ०—गोयमा तिविहा जागरिया पन्नता, तं जहा—

१. बुद्धजागरिया, २ अबुद्धजागरिया,

३. सुदक्खुजागरिया ।

प०—से केणट्टेण भन्ते ! एवं वुच्चति 'तिविहा जागरिया
पन्नता', त जहा—

१ बुद्धजागरिया, २ अबुद्धजागरिया,

३. सुदक्खुजागरिया ?

उ०—गोयमा ! जे इमे अरहता भगवंतो उप्पन्ननाण-दसण-
घरा जहा एदए-जाव-सन्वण्णं सच्चदरिसी एए ण
बुद्धा बुद्धजागरिय जागरति ।

जे इमे अणगारा भगवतो इरियासमिया-जाव-गुत्तवधयारी,
एए णं अबुद्धा अबुद्धजागरिय जागरति ।

जे इमे समणोवासगा अभिगय जीवाजीवा-जाव-विहरति एते
ण सुदक्खुजागरियं जागरति ।

से तेणट्टेणं गोयमा ! एव वुच्चति तिविहा जागरिया-जाव-
सुदक्खुजागरिया ।

—वि. त १२, उ १, सु २५

एगत्त अण्णत्त भावणा—

७९१. जस्स णं भिराग्गम एव भयति—“एगो अहमसि, ण मे
अरिण षोइ, ण याहमयि कस्सइ एवं से एगागिणमेव अण्णत्तं

मुनि उसी मे अपनी दृष्टि नियोजित करे, उसी मे तन्मय
हो, उसे ही प्रमुख बनाए, उसी के स्मरण में सलग्न रहे, उसी
मे दत्तचित्त होकर उसका अनुसरण करे ।

जिम्मे परीपह-उपमर्गों पर विजय प्राप्त कर तत्त्वों का
साक्षात्कार किया है वह परीपहों से अभिमूत नहीं होता और
वही निरालम्बी होकर संयम पालन में समर्थ होता है ।

प्रमाद परित्याग का उपदेश—

७८६ साधना काल में मुनि समत्व का विचार करके आत्मा को
सदा प्रसन्न रखे, ज्ञानी मुनि संयम में कदापि प्रमाद न करे ।

सदा आत्मगुप्त और पराक्रमी साधक परिमिन भोजन से
संयम यात्रा चलावे, अल्प या अधिक रूप आदि विषयो से पूर्ण
विरक्त रहे ।

तीन प्रकार की धर्म जागरणा—

७९०. 'हे भगवन !' इस प्रकार सम्बोधित करते हुए भगवान
गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वन्दन नम-
स्कार किया और वंदना नमस्कार करके इस प्रकार पूछा—

प्र०—भगवन ! जागरिका कितने प्रकार की कही गई है ?

उ०—गौतम ! जागरिका तीन प्रकार की कही गई है ।

यथा—

(१) बुद्धजागरिका, (२) अबुद्धजागरिका,

(३) सुदर्शनजागरिका ।

प्र०—भगवन ! किस हेतु से कहा जाता है कि जागरिका
तीन प्रकार की है, जैसे—

(१) बुद्ध-जागरिका, (२) अबुद्ध-जागरिका

(३) सुदर्शन-जागरिका ?

उ०—हे गौतम ! जो उत्पन्न हुए केवलज्ञान-केवलदर्शन के
धारक अरिहन्त भगवान हैं—यावत्—स्कन्दक प्रकरण के अनु-
सार जो सर्वज्ञ, सर्वदर्शी हैं, वे बुद्ध हैं. वे बुद्ध जागरिका करते हैं ।

जो वे अनगर भगवन्त ईर्यामिति युक्त—यावत्—गुप्त
ग्रहचारी हैं, वे अबुद्ध छद्मम्य हैं । वे अबुद्धजागरिका करते हैं ।

जो वे श्रमणोपासक जीव अजीव आदि तत्वों के ज्ञाता हैं
—यावत्—पौषादि करते हैं वे सुदर्शन जागरिका करते हैं ।

इसी कारण से हे गौतम ! तीन प्रकार की जागरिका
—यावत्—सुदर्शन जागरिका कही गई है ।

एकत्व अन्यत्व भावना—

७९१ जिस भिक्षु के मन में ऐसा अध्येयमाय हो जाय कि "मैं
अकेला हूँ मेरा कोई नहीं है और न मैं किसी का हूँ" यह अपनी

समभिजाणेज्जा । लाघविय आगममाणे तवे से अभिसमण्णा-
गते भवति ।

जहेय भगवता पवेदित तमेव अभिसलेच्चा सव्वतो सव्वताए
सम्मत्तमेव समभिजाणिया ।

—आ सु १, अ ८, उ. ६, सु. २२२

समाए पेहाए परिव्वयन्तो सिया मणो निस्सरई बहिद्धा ।
न सा मह नोवि अह पि तीसे, इच्चेव ताओ विणएज्ज राग ॥

—दस. अ. २, गा. ४

अहेणे घम्ममादाय आदाणप्पभित्ति सुप्पणिहिए चरे अम्पलीय-
वढे ।

सव्वं गेहि परिणाय एस पणए महामुणो ।

अतियच्च सव्वओ सग, “ण महं अत्थि त्ति एगो अहमंसि”
जयमाणे ।

एत्थ विरते अणगारे सव्वतो मुंडे रीयते जे अचेले परिवुसिते
सच्चिक्खति ओमायरियाए ।

से अकुट्टे षा, हते षा, लूसिते वा, पलियं पगंथ, अदुवा
पगथ, अतहेहि सद्दफासेहि ।

इति सखाए एगतरे अण्णतरे अभिण्णाय तित्तिक्खमाणे
परिव्वए ।

जे य हिरी जे य अहिरीमणा स्रेच्चा सव्व विसोत्तिय सफासे
फासे समितवंसणे ।

एत्ते भो ! णगिणा वुत्ता जे लोगसि अणागमण घम्मिणो ।

—आ. सु. १, अ ६, उ. २, सु १८४-१८५

अणिच्चा भावणा—

७६२. आहारोवया वेहा परीसह पभगुरा । पासह एगे सविदिएहि
परिगिलायमाणेहि । ओए दयं दयति ।

—आ. सु १, अ. ८, उ. ३, सु. २१०(क)

असरण भावणा—

७६३. धित्तं पसवो य नाइओ, त बाले सरणं ति मसई ।

एत्ते मम तेसुधी अह, नो ताण सरण न विज्जई ॥

आत्मा को एकाकी भाव में ही रखे इस प्रकार वह लाघवता को
प्राप्त करता हुआ तप के लाभ को प्राप्त करता है ।

भगवान ने जिस रूप में प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप
में जानकर सब प्रकार से सर्वात्मना सम्यक् प्रकार से क्रियान्वित
करे ।

सम्यक्तया सावधानीपूर्वक सयम पालन करते हुए यदि
कदाचित् मन संयम से बाहर निकल जाए तो साधु यह विचार
करके राग भाव को दूर करे कि “वह मेरा नहीं है और न मैं
ही उसका हूँ ।”

कई साधक मुनि धर्म को ग्रहण करके धर्माचरण में इन्द्रिय
और मन को समाहित करके चञ्चलतारहित हो स्थिरतापूर्वक
विचरण करते हैं ।

वे महामुनि समग्र आसक्ति को छोड़कर सयम में पुरुषार्थ
करते हैं ।

फिर सर्वथा सब का त्याग करके “मेरा कोई नहीं है इस-
लिए मैं अकेला हूँ” ऐसा चिन्तन कर सयम में यत्न करते हैं ।

वह संयम में स्थित विरत अनगार सब प्रकार से मुण्डित
होकर विचरण करता हुआ अवमोदरिका के हेतु अल्प वस्त्र या
निर्वस्त्र रहता है ।

उसे कोई आक्रोश वचन कहे, मारे, पीटे, केश आदि खीचे,
पहले किए हुए किसी घृणित दुष्कर्म की याद दिलाकर अथवा
तथ्यहीन शब्दों द्वारा दोषारोपण करे ।

ऐसी स्थिति में मुनि उन अनेक उपसर्गों को अपने कर्मोदय
का फल जानकर सम्यक् चिन्तन द्वारा समभाव से सहन करता
हुआ सयम में विचरण करे ।

वे उपसर्ग लज्जाकारी हो या अलज्जाकारी हो सम्यग्दधी
मुनि सभी बाधाओं को दूर करता हुआ उन कष्टों को सम्यक्
प्रकार से सहन करे ।

हे मानवो ! धर्म क्षेत्र में उन्हें ही भावनग्न निर्भन्थ कहा
गया है जो मुनिधर्म में दीक्षित होकर पुनः गृहवास में नहीं आते ।
अनित्य-भावना—

७६२ यह शरीर आहार से परिपुष्ट होता है और भूख प्यास
आदि परीषदों के आने से यह क्षीण हो जाता है । ऐसी स्थिति
में कायर साधक सभी इन्द्रियो से दुःख का अनुभव करते हुए
देखे जाते हैं, किन्तु राग द्वेष रहित समभावी मुनि इस अवस्था
में भी संयम का पूर्णरूपेण पालन करते हैं ।

अशरण भावना—

७६३. अज्ञानी जीव धन, पशु और ज्ञातिजनो को अपना शरण-
भूत समझता है । ये मेरे हैं मैं इनका स्वामी हूँ, किन्तु वास्तव में
मेरे उसके लिए न त्राणरूप हैं और न शरणरूप हैं ।

अन्मागमितमि वा दुहे, अहवा उक्कमिते भवति ।

एगस्स गई य आगई, विदुमता सरण ण मसई ॥

—सूय सु. १, अ २, उ. ३, सु १६-१७

मैत्री भावना—

७६४ पुरिसा ! तुममेव तुम मित्त, कि वहिया मित्तमिच्छसि ?

—आ. सु. १, अ ३, उ. ३, सु. १२५

जावन्तजिवज्जपुरिसा, सव्वे ते दुक्खसभवा ।

लुप्पन्ति बह्वसो मूढा, ससारमि अणन्तए ॥

समिक्ख पडिए तम्हा, पासजाईपहे बहू ।

अप्पणा सच्चमेसेज्जा, भेत्ति भूएसु कप्पए ॥

—उत्त. अ ६, गा. १-२

संवर भावना—

७६५ तम्हाऽतिविज्जो परम ति णच्चा,

आयकदसी ण करेइ पावं ।

अग च मूलं च विंगिच घीरे,

पलिंछिदियाण णिकम्मवसी ॥

एस मरणा पमुच्चति, से ह्दु दिट्ठमये मुणी ।

लोगसि परमदसी विचित्तजीवी उधसन्ते, समिते सदा-जते
कालकफलो परिब्धए ।

—आ. सु १, अ. ३, उ. २, सु ११५-११६

जब प्राणी के ऊपर किसी प्रकार का दुःख या परता है तब वह उसे अकेला ही भोगता है तथा उपक्रम के कारणों से आयु नष्ट होने पर या मृत्यु उपस्थित होने पर वह अकेला ही परलोक में जाता है तथा वहाँ से मरकर पुनः अकेला ही जाता है। इस-लिए विद्वान् पुरुष किसी को अपना धरण नहीं मानते।

मैत्री भावना—

७६४ हे पुरुष ! तुम ही तुम्हारे मित्र हो फिर बाहर अपने से भिन्न मित्र क्यों ढूँढ रहे हो ?

जितने भी अविद्यावान् अज्ञानी पुरुष हैं, वे सब अपने लिए दुःख उत्पन्न करने वाले हैं। वे मूढ बने हुए इस अनन्त ससार में बार-बार दुःखों से पीड़ित होते हैं।

इसलिए पण्डित पुरुष अनेक बन्धनों और जन्म मरण के स्थानों की समीक्षा कर स्वयं सत्य धर्म की गवेषणा करे और सब जीवों के प्रति मैत्री का आचरण करे।

संवर भावना—

७६५. हिंसादि पाप के फल का ज्ञाता विद्वान् मुनि परम-मोक्ष पद को जानकर कभी भी पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होता।

हे धीर ! तू अग्र अघाति कर्म (और मूल) घाति कर्म को दूर कर, उन कर्मों को उन्मूलन करने से निष्कर्मदर्शी हो जाता है।

वह आत्मदर्शी मुनि मरण से मुक्त हो जाता है, वही वास्तव में कर्म और ससार भय का द्रष्टा है। अथवा मोक्ष मार्ग का ज्ञाता है।

लोक में जो परमदर्शी है, राग-द्वेष रहित शुद्ध जीवन जीता है, उपशान्त है, पाँच समितियों से समित है, ज्ञानादि से सहित है और सदा सयमशील होकर पण्डित मरण की आकांक्षा करता हुआ विचरण करता है।



संयम में पराक्रम—६

पण्णावताण परवकमं—

७६६. एयं तेसि महावीराणं चिरराय पुव्वाह वासाहं रीयमाणानं
विय्याण पास अट्टियासियं ।

आगतपण्णापाण किमा बाहा भवति, पयणुए य मंससोणिए ।

प्रज्ञावानो का पराक्रम—

७६६ चिरवान तक पूर्वों या वर्षों पर्यन्त संयम में विचरण करने वाले, चारित्र्य संपन्न तथा संयम में प्रगति करने वाले महान् वीर साधुओं ने जो परीपहादि सहन किये हैं। उसे तू देखे।

उन प्रज्ञावान् मुनियों की भुजाएँ कृश होती हैं, उनके शरीर में रक्त मार्ग बहुत कम हो जाते हैं।

विस्तेणि कट्टु परिणाय एस तिण्णे मुत्ते विरते वियाहिते ।

—आ. सु १, अ ६, उ ३, सु १८७-१८८(घ)

पडियस्स परक्कम —

७६७ एवं जाणित्तु दुक्ख पत्तेयं सातं । अणमिक्कत च खलु वयं सपेहाए खणं जाणाहि पंडिते ।

-जाव-सोयपण्णाणा अपरिहीणा, -जाव-णेत्तपण्णाणा अपरिहीणा, -जाव-घाणपण्णाणा अपरिहीणा, -जाव-जोहपण्णाणा अपरिहीणा, -जाव-फासपण्णाणा अपरिहीणा इच्छेतेहि विरूव-रूवेहि पण्णाणेहि अपरिहीणेहि आयट्ट सम्म समणुवा-सेज्जासि । —आ. सु १, अ. २, उ. २, सु. ६८

समत्तदंसिस्स परक्कम—

७६८ मुणी मोणं समादाय, धुणे कम्म-सरीरग ।
पंतं लूहं सेवति, वीरा समत्तवसिणो ॥

एस ओघतरे मुणी तिण्णे मुत्ते विरते वियाहिते त्ति वेमि ।

—आ सु १, अ. २, उ. ६, सु. ६९ (ख-ग)

जातिं च वुड्ढिं च इहज्ज ! पासे,
भूतेहि जाण पडिलेह सात ।

तम्हा तिविज्जो परम त्ति णच्चा,
समत्तदंसे ण करेति पावं ॥

—आ. सु १, अ. ३, उ. २, सु ११२

का अरइ के आणवे ? एत्थपि अग्गहे चरे ।

सव्व हास परिच्चज्ज अल्लीणगुत्तो परिव्वए ॥

—आ सु १, अ. ३, उ ३, सु. १२४

मुत्तत्त सरूवं—

७६९. ज जाणेज्जा उच्चालइयं त जाणेज्जा दूरालइय, जं जाणेज्जा दूरालइय तं जाणेज्जा उच्चालइयं ।

—आ सु. १, अ. १, उ ३, सु. १२५

वीरस्स परक्कम—

८००. एस वीरे पत्तसिए जे बद्धे पडिमोयए ।

उद्धं अहं तिरिय विसामु से सव्वतो सव्वपरिण्णाचारी ण लिप्पति छणपवेण वीरे ।

—आ. सु. १, अ. २, उ. ६, सु. १०३

ससार-वृद्धि कराने वाली राग-द्वेष कषायरूप श्रेणी संतति को प्रज्ञा से जानकर उसे छिन्न-भिन्न करता है । वही मुनि तीर्ण, मुक्त एवं विरत कहलाता है ।

पण्डित का पराक्रम—

७६७ 'प्रत्येक प्राणी का सुख और दुःख अपना-अपना अलग है', यह जानकर तथा 'यौवन एव शक्ति अभी समाप्त नहीं हुई है' पण्डित पुरुष ऐसा विचार कर अवसर को जानकर धर्म का आचरण करे ।

जब तक श्रोत्र-प्रज्ञान, नेत्र-प्रज्ञान, घ्राण-प्रज्ञान, रसना-प्रज्ञान और स्पर्श-प्रज्ञान परिपूर्ण है, इन अनेक प्रकार की शारीरिक शक्तियों के परिपूर्ण रहते हुए आत्महित के लिए सम्यक् प्रकार से प्रयत्नशील बने ।

समत्वदर्शी का पराक्रम—

७६८ मुनि संयम स्वीकार कर कर्म-शरीर को प्रकम्पित करे अर्थात् कर्म क्षय करने में पुरुषार्थं करे । यह जानकर समत्वदर्शी वीर नीरस और रूख आहार आदि का सेवन करते हैं ।

ससार समुद्र को पार करने वाला मुनि तीर्ण, मुक्त और विरत कहलाता है ।

हे आर्य ! तू इस ससार में जन्म और जरा के दुःखों को देख । तथा सभी जीवों के विषय में जान कि वे सभी सुख ही चाहते हैं । अतः मोक्ष मार्ग को जानकर समत्वदर्शी विद्वान् मुनि किसी भी पाप कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है ।

योगी के लिए भला क्या अरति (शोक) है और क्या आनन्द है ? इन दोनों अवस्थाओं से रहित होकर विचरण करे । वह सभी प्रकार के हास्य आदि का त्याग करके इन्द्रियनिग्रह तथा मन-वचन-काया को गुप्त करते हुए विचरण करे ।-

मुक्तात्मा का स्वरूप—

७६९ जिसे तुम परम तत्व में स्थित जानते हो, उसे मोक्ष मार्ग में स्थित जानो । जिसे तुम मोक्ष मार्ग में स्थित जानते हो उसे ही परम तत्व में स्थित जानो ।

वीर पुरुष का पराक्रम—

८०० वह वीर प्रशंसा के योग्य है, जो कर्मों से बँधे हुए मनुष्यों को मुक्त करता है ।

वह कुशल साधक ऊँची दिशा, नीची दिशा और तिरछी दिशाओं में सब प्रकार के समग्र विवेक के साथ चलता है । वह वीर हिंसा आदि पाप स्थान से लिप्त नहीं होता ।

जे धनु भो । वीरा समिया सदा जया संघटदंसिणो आतो-
वरता अहा तथा लोगं उवेहमाणा पाईण पडोणं दाहिण
उदीणं इय सच्चसि परिचिचिद्विसु । साहिस्तामो णाण वीराण
ममियाण सहियाण सदा जयाणं सघटदसीण आतोवरताण
अहा तथा लोगमुवेहमाणाण ।

प०—किमतिय उवाही पासगस्स ण विज्जति ?

उ० णत्थिय । —आ सु. १, अ. ४, उ. ४, सु. १४६
आधोलए पधीलए णिष्पीलए जहिस्ता पुण्वसंजोग हिचचा
उवसमं ।

तम्हा अविमणे वीरे सारए समिए सहिए सदा जए ।

दुरणुचरो मग्गो वीराण अणियट्टगामीणं, विगिच मंस
सोणितं ।

एस पुरिसे दविए वीरे आयाणिज्जे वियाहिते जे घुणाति
समुस्सय वसित्ता वमचेरसि ।

—आ सु १, अ. ४, उ ४, सु. १४३

कोहाइमाणं हणिया य वीरे,
लोमस्स पासे णिरयं महंत ।

तम्हा य वीरे विरते वहाओ,
उदिज्ज सोयं लहुप्पुपगामी ॥

गंय परिणाय इहज्ज वीरे,
सोय परिणाय चरेज्ज दन्ते ।

उम्मुग्ग लद्धं इह माणवेहि,
णो पाणिण पाणे समारंभेज्जाति ॥

—आ. सु. १, अ. ३, उ. २, गा. १२०-१२१

तम्हा दवि इवर पट्टिए,
पावाओ विरसेअनिच्युडे ।

पणया वीरा मत्तावीहि,
सिद्धिमह पेयाउयं पुव ॥

वेतातियमग्गमागओ, मण ययत्ता काएण सबुडो ।
चेह्वा यित्त घ पापओ, धारंमं घ मुमयुडे चरेज्जाति ॥

—सूच. सु. १, अ. २, उ १, गा. २१-२२

“हे आर्यों ! जो साधक वीर है पाँच समितियों से सम्पन्न
है, ज्ञानादि से सहित है, सदा संयत है, सतत जागरूक है, पापों
से उपरत है, यथावस्थित लोक के स्वरूप को देखते हैं, पूर्व,
पश्चिम, दक्षिण और उत्तर सभी दिशाओं में सर्वत्र सत्य (सयम)
में स्थित है, उन वीर समित, सहित, सदा यतनाशील, सतत
जागरूक, पापों से उपरत, लोक के यथार्थ द्रष्टा ज्ञानियों के
सम्यक् ज्ञान की हम भी आराधना करेंगे” ऐसा साधक विचार
करे ।

प्र०—सत्यद्रष्टा वीर के कोई उपाधि होती है या नहीं ?

उ०—उसके कोई उपाधि नहीं होती है ।

मुनि पूर्व संयोग का त्याग कर संयम स्वीकार करके पहले
कर्म व शरीर का आपीडन करे, फिर प्रपीडन करे और तदनन्तर
निष्पीडन करे अर्थात् उत्तरोत्तर तप वृद्धि करे ।

इसलिए वीर मुनि सदा विषयो के प्रति रति और शोक से
मुक्त आत्मरत समितियों से युक्त और ज्ञानादि से सहित होकर
सदा संयम में यत्न करे ।

भोक्षगामी वीर पुरुषो के मार्गं पर चलना कठिन होता है ।
अत हे शिष्य ! तू तपश्चर्या के द्वारा मांस और खून को
सुखा दे ।

जो साधक सयम स्वीकार कर कर्म धय करने में पुरुषार्थ
करता है वही पुरुष भोक्षार्थी वीर और संयमवान् कहा जाता है ।

वीर पुरुष कपाय के आदिभूत अंग क्रोध और मान को नष्ट
करे । लोभ को महान नरक के रूप में देखे । अत लघुभूत मोक्ष-
गामी वीर हिंसा से विरत होकर विषय-वासना रूप आश्रव
स्थानों को छिन्न-भिन्न करे डाले ।

वीर पुरुष इस लोक में राग-द्वेष आदि कर्म बन्ध के कारणों
को अपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से तत्काल ही छोड़
दे, इसी प्रकार इन्द्रिय विषयो को भी जानकर दमितेन्द्रिय बन
कर सयम में विचरण करे । इस मनुष्य जन्म में ही जीव को
कर्मों से उन्मुक्त होने का अवसर मिलता है । अत प्राणियों के
प्राणों का संहार आदि सावध कार्य न करे ।

इसलिए राग-द्वेष रहित पण्डित मुनि गुण दोषों का विचार
कर पाप से विरत और कपायों से उपशान्त हो जाए । वीर
पुरुष लक्ष्य तक ले जाने वाले उस शाश्वत महापथ के प्रति
उद्यमशील होते हैं जो कि निद्रि का मार्ग है ।

कर्मों का नाश करने वाले संयम मार्ग को प्राप्त कर मुनि
मन, बचन और काया से संयुत होकर धन रयजन और आरम्भ
का सम्पूर्ण त्याग कर संयम में ही विचरण करे ।

सुस्वसमाणो उवासेज्जा, सुप्पण सुतवस्सियं ।
वीरा जे अत्तपण्णेसी, धित्तिमंता जित्तिदिया ॥
गिहे वीवमपस्संता, पुरिसावाणिया नरा ।
ते वीरा बंधणुम्मुक्का, नावकंखति जीवित ॥

—सूय सु १, अ ६, गा ३३-३४

दुक्ख लोगस्स जाणित्ता, वंता लोगस्स सजोर्ग, जंति वीरा
महाजाण । परेग परं जंति, णावकखंनि जीवित ।

—आ सु. १, अ. ३, उ ४, सु १२६

भिक्षुस्स परक्कमं—

८०१. भारस्स जाता मुणि भुंजएज्जा,

कखेज्ज पावस्स विवेग भिक्षू ।

दुक्खेण पुट्टे धुयमातिएज्जा,

संगामसीसे व पर दमेज्जा ॥

अधि हम्ममाणे फलगावतट्ठी,

समागम कखति अंतगस्स ।

णिद्वय कम्मं ण पवचुवेति,

अक्खक्खए वा सगडं ति वेमि ॥

—सूय. सु. १, अ. ७, गा. २६-३०

आयगुत्त भिक्षुस्स परक्कमं—

८०२ भिक्षु च खलु पुट्टा वा अपुट्टा वा जे इमे आहच्च गंधा
फुसति से हता हणह, खणह, छिदह, वहह, पचह, आलुपह,
विल्लुपह, सहसक्कारेह, विप्परामुसह । ते फासे पुट्टो धीरो
अहियासए ।

अदुवा आयारगोयरमाइक्खे तविकयाणमणेत्तिस । अदुवा वड-
गुत्तीए गोयरस्स अणुपुव्वेण सम्म पडित्तेहाए आयगुत्ते बुद्धेहिं
एय पवेदित ।

—आ. सु १, अ ८, उ २, सु. २०६

अप्पमत्तो कामेहिं उवरतो पावकम्मैहिं, वीरे आयगुत्ते खेयण्णे,

जे पज्जवजायसत्थस्स खेयण्णे से असत्थस्स खेयण्णे । जे
असत्थस्स खेयण्णे से पज्जवजायसत्थस्स खेयण्णे ।

—आ सु १, अ ३, उ. १, सु १०६

जो आत्मप्रज्ञा के अन्वेषी, धृतिमान और जितेन्द्रिय वीरमुनि
हैं वे प्रज्ञावान तपस्वी गुह की सेवा भक्ति युक्त उपासना करें ।

गृहवास में प्रकाश न देखने वाले मनुष्य प्रव्रजित होकर पुरुषा-
दानीय (आदरणीय पुरुष) हो जाते हैं । वे वीर मनुष्य बन्धन से
मुक्त हो जाते हैं और कभी असंयमी जीवन की इच्छा नहीं करते ।

लोक के दुखों को जानकर वीर साधक लोक सयोगो का
परित्याग कर मोक्षपथ को प्राप्त करते हैं । वे आगे से आगे
बढ़ते जाते हैं, किन्तु असयम जीवन की आकाक्षा नहीं करते ।

भिक्षु का पराक्रम—

८०१ मुनि सयम-भार को वहन करने के लिए भोजन करे ।
पाप से सदा दूर रहने की इच्छा करे । दुख से स्पृष्ट होने पर
शांति रखते हुए सयम का आचरण करे, युद्ध भूमि में जैसे सुभट
पुरुष शत्रु के योद्धा का दमन करता है, उसी तरह साधु कर्म
रूपी शत्रु का दमन करे ।

किसी के द्वारा मारे जाने पर भी काष्ठ पलक की भाँति
रहकर मुनि पण्डित मरण की आकाक्षा करता है । वह कर्म को
क्षीण कर जन्म-मरण के प्रपंच से छूट जाता है । जैसे कि धुरा
के टूट जाने पर गाड़ी का गमनागमन रुक जाता है ।

आत्मगुप्त भिक्षु का पराक्रम—

८०२ भिक्षु से पूछकर या बिना पूछे ही बनाए हुए आघातकीर्मी
आहार के न लेने पर कोई गृहस्थ भिक्षु को कदाचित् रस्सी
आदि से बाध दे और आक्रोश में आकर नौकर आदि से कहे
कि—‘इस को पीटो, घायल कर दो, हाथ पैर आदि अंग काट
डालो, इसे जला दो, इसका मास पकाओ, इसके वस्त्रादि छीन
लो, इसका सब कुछ लूट लो, जल्दी ही इसे मारो, इसे अनेक
प्रकार से पीड़ित करो’, उन दुख रूप कण्टों के आ पढ़ने पर
धैर्यवान मुनि उन्हें समभाव से सहन करे ।

आत्मगुप्त मुनि उस पुरुष की योग्यता का विचार कर उसे
साधवाचार समझावे अथवा अनुपम धर्म का स्वरूप समझावे ।
योग्य न हो तो मौन पूर्वक रहे । इस प्रकार अनुक्रम से पर्या-
लोचना करते हुए एषणा समिति का सम्यक् रूप से पालन करे ।
ऐसा तीर्थंकरों ने प्रतिपदन किया है ।

जो काम भोगों के प्रति अप्रमत्त है और पापकर्मों से उपरत
है वह पुरुष वीर आत्मगुप्त और खेदज्ञ होता है ।

जो शब्दादि विषयों की विभिन्न पर्यायों से होने वाले
असयम को जानता है वह संयम स्वरूप को जानता है जो सयम
के स्वरूप को जानता है वह विषयों की विभिन्न पर्यायों से होने
वाले असयम को जानता है ।

पुरिता ! अज्ञानमेव अमिणिगिज्ज, एवं दुक्खा पमोक्खसि ।

—आ. मु. १, अ. ३, उ. ३, सु. १२६

इमेव चेव जुज्जाहि, कि ते जुज्जेण वज्जातो ?

जुद्धारिहं एत्तु दुल्लभ । जहेत्य कुसलोहं परिण्णाविवेगे भासिते ।

—आ. सु. १, अ. ५, उ. ३, सु. १५६

सद्यत्य समत पावं ! तमेव उवातिकम्म एस मह विवेगे विग्राहिते । —आ. सु. १, अ. ८, उ. १, सु. २०२ (क-ख) से हू एगे सविद्धपहे मुणी अण्णहा लोगमुवेहमाणे ।

इति कम्म परिषणाय सव्वसो ! से ण हिंसति, सजमति, णो पगद्धमति, उवेहमाणे पत्तेय सात, वण्णाएसी णाग्गे कचण सव्वलोए ।

एगप्पमुहे विदिसप्पत्तिण्णे णिविण्णचारी अरत्ते पयासु ।

से धसुम सव्वसमण्णागत पण्णाणेण अप्पाणेण अकरणिज्जं पाव कम्म त णो अण्णेसी ।

—आ. सु. १, अ. ५, उ. ३, सु. १५६-१६०

अप्पा चेव दमेयच्चो, अप्पा हू खलु दुद्दयो ।
अप्पा दन्तो सुहो होइ, अस्सि लोए परत्य य ॥

धरं मे अप्पा बन्तो, सजमेण तवेण य ।

माहं परेहि वम्मतो वन्धणेहि वहेहि य ॥

—उत्त. अ. १, सु. १५-१६

मेघावी मुनिस्त परककमं—

८०३. सड्डी आणाए मेघावी ।

लोग स आणाए अभिसमेच्चा अकुतोभय ।

अत्यि सत्थं परेण पर, पत्थि असत्य परेण परं ।

अे ऋद्वसी से भागदसी,
अे भागदमी से मायादसी ।
अे मायादमी से लोभदमी ।

हे पुरुष ! तू अपनी आत्मा का ही निग्रह कर ऐसा करने से तू दुःख से मुक्ति प्राप्त कर सकेगा ।

इस कर्म-शरीर के साथ ही युद्ध कर, दूसरो के साथ युद्ध करने में तुझे क्या मिलेगा ?

भाव युद्ध के योग्य मनुष्य शरीर प्राप्त होना अवश्य ही दुर्लभ है । इस जिन शासन में तीर्थंकरों ने जिस प्रकार से परिज्ञा और विवेक बताया है ।

पाप सर्वत्र सम्मत है मैं उसी पाप का निकट से अतिक्रमण करके स्थित हूँ यह मेरा विवेक कहा गया है ।

वास्तव में वही मुनि मोक्षपथ पर प्रगतिशील होता है जो वीतराग मार्ग से विपरीत आचरण करने वाले लोगों की उपेक्षा करता रहता है ।

इसी प्रकार कर्म और कारणों को सम्यक् प्रकार से जान कर भिक्षु किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता और समय का आचरण करता है पाप कार्य में घृष्टता नहीं करता, प्रत्येक प्राणी के सुख का विचार करते हुए संयम का इच्छुक मुनि समस्त लोक में कुछ भी आरम्भ न करे ।

वह एक मात्र मोक्ष को चाहने वाला ससार मार्ग से प्रतीर्ण और विरक्त होकर विचरने वाला मुनि स्थियों के प्रति अनासक्त रहे ।

विशिष्ट प्रज्ञावान समयधारी मुनि के लिए अन्तःकरण से पाप कर्म अकरणीय है, अतः साधक उनका अन्वेषण न करे ।

आत्मा का ही दमन करना चाहिए क्योंकि आत्मा का दमन करना बड़ा कठिन है आत्म दमन करने वाला ही इहलोक और परलोक में सुखी होता है ।

अच्छा यही है कि मैं संयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा का दमन करूँ दूसरे लोग बन्धन और वध के द्वारा मेरा दमन करें—यह अच्छा नहीं है ।

मेघावी मुनि का पराक्रम—

८०३ वीतराग की आज्ञा में श्रद्धा रखने वाला मेघावी होता है ।

वह जिनवाणी के अनुसार पट्टजीवनिकाय रूप लोक को जानकर पूर्ण अभयदाता हो जाता है ।

गस्त्र (असंयम) एक से एक बढ़कर तीक्ष्ण से तीक्ष्णतर होता है किन्तु अमस्त्र (संयम) एक से एक बढ़कर नहीं होता अर्थात् वह एक रूप होता है ।

जो क्रोधदर्शी होता है, वह मानदर्शी होता है,
जो मानदर्शी होता है, वह मायादर्शी होता है,
जो मायादर्शी होता है, वह लोभदर्शी होता है ।

जे लोभदसी से पेज्जदसी,
 जे पेज्जदसी से दोसदसी,
 जे दोसदसी से मोहदसी,
 जे मोहदसी से गन्मदसी,
 जे गन्मदसी से जम्मदसी,
 से जम्मदसी से मारदसी,
 जे मारदसी से णिरयदसी,
 जे णिरयदसी से तिरियदसी,
 जे तिरियदसी से दुक्खदसी ।
 से मेहावी अभिणिवट्टेज्जा कोह च, माण च, माय च, लोभ
 च, पेज्ज च, दोसं च, मोहं च, गन्म च, जम्म च, मार च,
 णरग च, तिरियं च, दुक्ख च ।

एयं पासगस्स दसण उवरयसत्यस्स पलियतकरस्स,

आयाणं निसिद्धा सगहब्भि,

प०—किमतिय उवाही पासगस्स, ण विज्जति,
 उ०—णत्थि ।—आ. सु १, अ ३, उ ४, सु १२६-१३१
 वह च खलु पाव कम्म पगड ।

सच्चमि धिति कुब्बह । एत्थोवरह मेहावी सच्च पाव कम्म
 क्षोसेति । —आ. सु १, अ ३, उ २, सु ११६-११७

पुरिसा ! सच्चमेव समभिजाणाहि । सच्चस्स आणाए उव-
 ट्ठिए से मेहावी मार तरति ।

—आ. सु. १, अ. ३, उ ४, सु १२७

जे मह अवहिमणे ।
 पवाएण पवायं जाणेज्जा सहसम्मुइयाए परवागरणेणं ण्णोसि
 वा अतिए सोच्चा ।

णिद्वेस णातिवत्तेज्ज मेहावी,
 सुपडिलेहिय सच्चो सच्चताए सम्ममेव समभिजाणिया ।

इह आराम परिणाय अल्लीणगुत्तो परिव्वए निट्ठियट्ठी वीरे
 आगमेणं सदा परक्कमेज्जासि ।

—आ सु. १, अ ५, उ ६, सु १७२-१७३
 अकम्मस्स ववहारो ण विज्जति ।

कम्मुणा उवाही जायति ।

जो लोभदर्शी होता है वह रागदर्शी होता है,
 जो रागदर्शी होता है, वह द्वेषदर्शी होता है,
 जो द्वेषदर्शी होता है, वह मोहदर्शी होता है
 जो मोहदर्शी होता है, वह गर्भदर्शी होता है,
 जो गर्भदर्शी होता है, वह जन्मदर्शी होता है,
 जो जन्मदर्शी होता है, वह मृत्युदर्शी होता है,
 जो मृत्युदर्शी होता है वह नरकदर्शी होता है,
 जो नरकदर्शी होता है, वह तिर्यचदर्शी होता है,
 जो तिर्यचदर्शी होता है, वह दु खदर्शी होता है ।
 वह मेघावी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग-द्वेष, मोह, गर्भ,
 जन्म, मृत्यु, नरक, तिर्यच और दु ख को छोड़ दे ।

यह समस्त कर्मों का अन्त करने वाले, हिंसा आदि असयम
 से उपरत एव निरावरण द्रष्टा तीर्थंकर भगवान का उपदेश है ।
 जो पुरुष कर्म बन्ध के कारणों को रोक देता है, वही स्व-
 कृत कर्मों का भेदन कर पाता है ।

प्र.—क्या सर्व-द्रष्टा को कोई उपाधि होती है या नहीं ?
 उ०—नहीं होती है ।

इस जीव ने भूतकाल में अनेक प्रकार के पापकर्मों का बन्ध
 किया है ।

अत धैर्य रखते हुए सयम पालन करते रहना चाहिए ।
 सयम में लीन रहने वाला मेघावी समस्त पापकर्मों का क्षय कर
 डालता है ।

हे पुरुष ! तू सत्य को ही भलीभांति समझ । सत्य की आज्ञा
 में उपस्थित रहने वाला मेघावी ससार को पार कर लेता है ।

जो महान होता है, उसका मन बाहर नहीं होता ।

पूर्वजन्म की स्मृति से, तीर्थंकर से प्रश्न का उत्तर पाकर
 या किसी अतिशय ज्ञानी से सुनकर तीर्थंकरों के वचन से विभिन्न
 दार्शनिकों के वाद को जानना चाहिए ।

मेघावी भगवदाज्ञा का अतिक्रमण न करे ।

किन्तु सब प्रकार से भली भांति विचार करके सम्पूर्ण रूप
 से सम्यक् पालन करे ।

इस जिनशासन में सयम को स्वीकार कर सर्व प्रकार से
 आत्मगुप्त होकर विचरण करे, तथा मोक्षाभिलाषी वीर मुनि
 सदा आगम निर्दिष्ट आदेश के अनुसार ही पराक्रम करे ।

कर्मों से मुक्त आत्मा के लिए कोई व्यवहार अर्थात् ससार
 भ्रमण नहीं होता ।

संसार भ्रमण रूप उपाधि (दु ख) कर्म से ही होती है ।

यस्मिं च पटिलेहाए कम्ममूल च जं छण, पडिलेहिय सच्च
समायाय दोहि अंतेहि अदिस्समाणे ।

त पण्णिणाय मेहावी विदित्ता लोग वता लोगसण्ण से मतिम
परवक्खमेज्जासि ।

—आ सु १, अ ३, उ १, सु. ११०-१११

महेसिस्स परवक्कमं—

८०४. अचरेण पुग्घ ण सरति एगे,

किम्मस्स तीत कि वाऽऽगमिस्स ?

भासति एगे इह माणवा तु,

जम्मस्स तीत त आगमिस्स ॥

णातीतमट्ट ण य आगमिस्स,

अट्ट णियच्छति तथागता उ ।

विधूतकप्पे एताणुपस्सो,

णिज्झोसइत्ता खवणे महेसो ।

—आ. सु. १, अ. ३, उ ३, सु. १२४

परिग्रह परिच्चाए अपमत्तस्स परवक्कमं—

८०५ से सुपडिबुद्ध मुवणीय ति णच्चा पुरिसा ! परमचक्खु !
विपरिक्कम । एतेसु चोव वंमचेरं ।

से सुत च मे अज्जत्थ च मे—“वंधपमोक्खो अज्जत्थेव ।”

एत्थ विरते अणगारे दीहराय तित्तिवत्तए ।

पमत्ते बहिया पास, अप्पमत्तो परिच्चए ।

एय भोण सम्म अणुवाभेज्जासि ।

—आ. सु १, अ. ५, उ. २, सु. १५५-१५६

कम्म भेयणे परवक्कमं—

८०६ मे यत्त कीरं च, माण च, माय च, लोमं च, एय पासगत्त
दमणं उयरत्तत्तस्स पतियत्तकरस्स, आयाणं मगट्ठिम ।

—आ. सु १, अ. ३, उ. ४, सु १२८

अत कर्म का भली भांति पर्यालोचन करे तथा कर्म का मूल
हिमा आदि है, उनका भी भली भांति निरीक्षण करके संयम
ग्रहण करे तथा राग और द्वेष दोनों से दूर होकर रहे ।

इस प्रकार मम्यक् परिज्ञान कर मतिमान साधक लोक को
जानकर लोकसंज्ञा का त्याग करके मयम तप में सम्यक् पराक्रम
करे ।

महर्षि का पराक्रम—

८०४ कुछ अज्ञानी पूर्व या पश्चात् काल का स्मरण नहीं करते ।
वे इसकी चिन्ता नहीं करते कि—“इसका अतीत क्या था,
भविष्य क्या होगा ?” अर्थात् भूत भविष्य में आत्मा के अस्तित्व
को स्वीकार नहीं करते ।

कुछ अज्ञानी ऐसा कहते हैं कि—“जो अतीत में जैसा होता
है भविष्य में भी वैसा ही बनता है” किन्तु सर्वज्ञों का सिद्धांत यह
है कि “अतीत की अवस्था वर्तमान में होने का और वर्तमान की
अवस्था ही भविष्य में होने का नियम नहीं है अर्थात् बर्मानुसार
अवस्था परिवर्तित होती है ।” इस सिद्धांत का विचार कर विधूत
कल्प (सयम) में उपस्थित महर्षि सम्पूर्ण कर्म क्षय कर मोक्ष प्राप्त
करता है ।

परिग्रह के परित्याग में अप्रमत्त का पराक्रम—

८०५ वह परिग्रह से विमुक्त मुनि सम्यक् प्रकार से प्रतियुद्ध है
उसी का संयम परिपुष्ट है यह जानकर, हे परम चक्षुष्मान
पुरुष ! तू परिग्रह त्याग में सम्यक् पराक्रम कर, ऐसा पराक्रम
करने वाले में ही ब्रह्म यं (सयम) स्थित रहता है ।

मैंने सुना है और अनुभूत किया है कि “बन्धन से मुक्ति
सयमी आत्मा द्वारा ही सम्भव है ।”

इस परिग्रह से विरत अनगार परोपहो को जीवन पर्यन्त
महन करे ।

जो प्रमत्त है, उन्हें निर्ग्रन्थ धर्म से बाहर समझ । अतएव
मुनि अप्रमत्त होकर सयम में विचरण करे ।

इस प्रकार पराक्रम द्वारा मुनि धर्म का सम्यक् पालन करे ।

कर्म भेदन में पराक्रम—

८०६ संयमनिष्ठ मुनि श्रेष्ठ, मान, माया और लोभ का वमन
करे, हिना में उपरन तथा ममत्त कर्मों का अन्त करने वाले
मयंश-मयंशो तीर्थं तर प्रभु का यह वधन है कि—“जो कर्म
बन्ध के कारणों का निर्गोष करता है, वही स्वयं कर्मों का नाश
करने वाला है ।”

कषाय पयणकरणे परक्कमो—

८०७ इह आणाकखी पडिते अणिहे, एगमप्पाण सपेहाए घुणे सरीरं, कसेहि अप्पाण जरेहि अप्पाण । जहा जुझाइ कट्टाइ हव्ववाहो पमत्थति एव अत्तसमाहिते, अणिहे ।

विगिच कोह अविकपमाणे, इम निरुद्धाउय सपेहाए । दुक्ख च जाण अदुवा गमेस्स, पुढो फासाइं च फासे । लोयं च पास विप्पवमाणं ।

जे णिव्वडा पावेहि कम्मैहि, अणिदाणा ते विद्याहिता । तम्हाऽतिविज्जो णो पडिसजलेज्जासि ।

—आ सु १, अ. ४, उ ३, सु १४१-१४२

बधण विमुत्तिए परक्कम—

८०८ बुद्धिज्ज त्तिउट्टेज्जा, बधण परिजाणिया । किमाह बधण वीरे ? कि वा जाण त्तिउट्टेई ॥

चित्तमतमचित्तं वा, परिगिज्ज किमामवी । अन्नं वा अणुजाणाति, एवं दुक्खा ण मुच्चई ॥

सयं त्तिवायए पाणे, अदुवा अणोहि घायए । हणतं वाऽणुजाणाइ, वेरं बड्ढेति अप्पाणो ॥

जस्सि कुले समुप्पन्ने, जेहि वा संवसे णरे । ममात्ति लुप्पती बाले, अन्नमन्नेहि मुच्छिए ॥

वित्तं सोयरिया च्चेव, सव्वमेत न ताणए । सखाए जीविय-च्चेव, कम्मणा उ त्तिउट्टति ॥

एए गथे विउक्कम्म, एणे समण-माहणा । अयाणता विउस्सिता, 'सत्ता कामेहि माणवा ॥

—सूय सु १, अ. १, उ १, गा १-६

कषायो को कृश करने का पराक्रम—

८०७ इस वीतराग आज्ञा का आकाशी पण्डित मुनि अनासक्त होकर एकमात्र आत्मा को देखता हुआ कर्मण शरीर को प्रकम्पित कर डाले । अपने कषाय-आत्मा को कृश करे, जीर्ण कर डाले । जैसे अग्नि जीर्ण काष्ठ को शीघ्र जला डालती है, वैसे ही समाहित आत्मा स्नेह रहित होकर तप रूप अग्नि से कर्म-शरीर को जला कर नष्ट कर डाले ।

मनुष्य-जीवन अल्पायु है यह विचार करता हुआ साधक स्थिर चित्त होकर क्रोध का त्याग करे । वर्तमान में अथवा भविष्य में क्रोध से उत्पन्न होने वाले दुखों को जाने । क्रोधी पुरुष भिन्न-भिन्न नरकादि में विभिन्न दुखों का अनुभव करता है । संसार के प्राणी दुखों से संतुष्ट होकर इधर-उधर भटक रहे हैं उन्हें तू देख !

जो पुरुष पापकर्मों से निवृत्त हैं, वे अनिदान (दुःख रहित) कहे गये हैं । इसलिए विद्वान् पुरुष ! विषय-कषाय की अग्नि से प्रज्वलित न होवे ।

बन्धन से मुक्त होने का पराक्रम—

८०८ बोधि को प्राप्त करो और बन्धन को जानकर उसे तोड़ डालो । शिष्य पूछता है कि—'महावीर स्वामी ने बन्धन किसे कहा है ? किस तत्त्व को जान लेने पर उसे तोड़ा जा सकता है ?'

जो मनुष्य चेतन या अचेतन पदार्थों में तनिक भी परिग्रह-बुद्धि रखता है और दूसरों के परिग्रह का अनुमोदन करता है वह दुःख से मुक्त नहीं हो सकता ।

जो परिग्रही मनुष्य प्राणियों का स्वयं हनन करता है, दूसरों से हनन करवाता है अथवा हनन करने वाले का अनुमोदन करता है वह अपने वैर को बढ़ाता है ।

जो मनुष्य जिस कुल में उत्पन्न होता है और जिनके साथ निवास करता है वह उनमें ममत्त्व रखता है । इस प्रकार परस्पर होने वाली मूर्च्छा से मूर्च्छित होकर वह अज्ञानी नष्ट होता रहता है ।

धन और भाई-बहन ये सब रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं तथा जीवन भी क्षणभंगुर है यह जानकर मनुष्य कर्म के बन्धन को तोड़ डालता है ।

कुछ श्रमण ब्राह्मण इन उक्त धन-परिवार का परित्याग कर देते हैं किन्तु विरति और अविरति के स्वरूप को नहीं जानते हुए भी गर्व करते हैं । वे अज्ञानी पुरुष कामभोगों में आसक्त हो जाते हैं ।

लोगविष्णु एव अत्तत्रिष्णु—

८६ लोगं च प्राणाए अभिममेच्छा अकुतोमय ।

से वेमि-पेव सय लोग अन्माइयखेज्जा, पेञ अत्ताण अन्मा-
इयखेज्जा ।

जे लोग अन्माइयपति से अत्ताण अन्माइयखति, जे अत्ताण
अन्माइयपति से लोग अन्माइयखति ।^१

—आ. सु. १, अ. १, उ. ३, सु. २२

आयावाइस्स सम्मं परवकमं—

८१० जे आया से विष्णाता, जे विष्णाता से आया ।

जेण विजाणंति से आया ।

तं पट्ठुच्च पडिसंछाए ।

एस आयावादी समियाए परियाए विद्याहिते ।

—आ. सु. १, अ. ५, उ. ५, सु. १७१

णाणाइ सहियस्स परवकमं—

८११ सहिते धम्ममादाय सेय समणुपस्सति ।

बुहतो जीवियस्स परिवंदण-माणण-पूयणाए जसि एगे
पमायति ।

सहिओ दुक्खमत्ताए पुट्ठो णो झझाए ।

पात्तिमं दधिए लोगालोगपवचातो मुच्चति ।

—आ. सु. १, अ. ३, उ. ३, सु. १२७

समाही कामी समणस्स परवकमं—

८१२. जहा य अण्हप्पभव्वा वलाया, अण्ह वलागप्पभव जहा य ।
एमेव मोहायतणं एतु तण्ह, मोह च तण्हाययणं वयन्ति ॥

रागो य दोसो वि य कम्मवीर्यं, कम्म च मोहप्पभव वयन्ति ।
कम्मं च जाईमरणस्स मूल, बुक्ख च जाईमरण वयन्ति ।

दुक्खं हयं जस्स न होइ मोहो,

मोहो हओ जस्स न होइ तण्ह ।

तण्ह हया जस्स न होइ लोहो,

लोहो हओ जस्स न किच्चणइं ॥

लोकज्ञ ही आत्मज्ञ—

८०६ मुनि अप्काय रूप लोक को भगवान की आज्ञा से जानकर
उन्हे किमी भी प्रकार का भय उत्पन्न न करे ।

मैं कहता हूँ—'मुनि स्वयं अप्कायिक जीवों के अस्तित्व का
निर्पेक्ष न करे । न अपनी आत्मा का अपलाप करे ।'

जो अप्काय रूप लोक का अपलाप करता है, वह वास्तव
में अपना ही अपलाप करता है । जो अपना अपलाप करता है,
वह अप्काय रूप लोक के अस्तित्व को अस्वीकार करता है ।

आत्मवादी का सम्यक् पराक्रम—

८१०. जो आत्मा है वह विज्ञाता है, जो विज्ञाता है वही आत्मा
है, क्योंकि स्व-पर को जानता है इसलिए वह आत्मा है ।

उम ज्ञान की विभिन्न परिणतियों की अपेक्षा से आत्मा की
पहचान होती है ।

इस प्रकार जो आत्म स्वरूप का ज्ञाता है उमी का संयम
पर्याय सम्यक् कहा गया है ।

ज्ञानादि से युक्त मुनि का पराक्रम—

८११ ज्ञानादि से युक्त साधक धर्म को ग्रहण करके आत्म हित
का सम्यक् प्रकार से अवलोकन करता है ।

राग और द्वेष से कलुषित कई एक प्राणी जीवन निर्वाह के
लिये वन्दना सम्मान और पूजा के लिए हिंसादि प्रमाद कार्यों में
प्रवृत्ति करते हैं ।

ज्ञानादि से युक्त साधक दुःख के अनेक प्रसंग उपस्थित होने
पर व्याकुल नहीं होता ।

अत हे शिष्य ! तू देख कि—'ऐसा सयमी साधक इस भव
और परभव के समस्त प्रपञ्चों से मुक्त हो जाता है ।'

ममाधि के इच्छुक श्रमण का पराक्रम—

८१२ जैसे बगुली अण्डे से उत्पन्न होती है और अण्डा बगुली से
उत्पन्न होता है उमी प्रकार तृष्णा मोह से उत्पन्न होती है और
मोह तृष्णा से उत्पन्न होता है । ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते हैं ।

राग और द्वेष ये दोनों ही कर्म के बीज हैं । कर्म मोह से
उत्पन्न होता है और कर्म ही जन्म मरण का मूल है । जन्म-
मरण ही दुःख का मूल है ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते हैं ।

जिसके मोह नहीं है उसने दुःख का नाश कर दिया । जिसके
तृष्णा नहीं है उसने मोह का नाश कर दिया । जिसके लोभ नहीं
है उसने तृष्णा का नाश कर दिया । जिसके पास कुछ भी परिग्रह
नहीं है उसने लोभ का नाश कर दिया ।

राग च दोस च तहेव मोह, उद्धत्तुकामेण समूलजाल ।
जे जे उशया पडिवज्जियव्वा, ते कित्तइस्सामि अहाणुपुण्वि ॥

—उत्त अ ३२, गा ६-६

जे इन्दियाणं विसया मणुञ्जा,
न तेसु भाव निसिरे कयाइ ।

न या मणुन्नेसु मण पि कुञ्जा,
समाहिकामे समणे तवस्सी ॥

—उत्त. अ. ३२, गा. २१

संजमे परक्कंतस्स विमुत्ति—

८१३. एव ससकप्प-विकप्पणासुं,
संजायई समयमुवट्ठियस्स ।
अत्ये य संकप्पयओ तओ से,
पहीयए कामगुणेषु तणहा ॥
स वीयरारो कयसव्वकिच्चो, खवेइ नाणावरण खणेणं ।
तहेव जं वंसणमावरेइ ज चन्तरायं पकरेइ कम्मं ॥

सव्व तओ जाणइ पासए य,
अमोहणे होइ निरन्तराए ।
अणासवे क्षाणसमाहिजुत्ते,
आउक्खए मोक्खमुवेइ सुद्धे ॥
सो तस्स सव्वस्स बुहस्स मुक्को,
ज वाहइ सयय जन्तुमेयं ।
दीहामयविप्पमुक्को पसस्थो,
तो होइ अच्चतसुही कयत्थो ॥
अणाइकालप्पभवस्स एसो,
सव्वस्स दुक्खस्स पमोक्खमग्गो ।
वियाहिओ ज समुविच्च सत्ता,
कमेण अच्चन्तसुही भवन्ति ॥

—उत्त. अ. ३२, गा. १०७-१११

णिम्ममो निरहकारो, वीतरारो अणासवो ।
सपत्तो केवल णाण, सासयं परिणिब्बुद्धे ॥

—उत्त अ ३५, गा. २१

तवोगुणपहाणस्स, उज्जमइ खंतिसजमरयस्स ।
परीसहे जिणतस्स, सुलहा सुग्गइ तारिसगस्स ॥

—दस. अ. ४, गा. २७

अणुत्तरे य ठाणे से,
कासवेण पवेदिते ।

ज किच्चा णिब्बुद्धाएणे,
णिट्ठं पावेति पडिया ॥

राग-द्वेष और मोह का समूल उन्मूलन चाहने वाले मुनि को जिन-जिन उपायो को स्वीकार करना चाहिए उन्हे मैं क्रमशः कहूंगा ।

समाधि चाहने वाला तपस्वी श्रमण इन्द्रियो के जो मनोज्ञ विषय हैं उनमें कभी भी राग न करे और अमनोज्ञ विषयो में मन से भी द्वेष न करे ।

संयम मे पराक्रम करने वाले की मुक्ति—

८१३. इस प्रकार राग-द्वेषात्मक संकल्प-विकल्पो से निवृत्त होने पर मन में समता उत्पन्न होती है तथा इन्द्रिय विषयो के प्रति संकल्प-विकल्प के न रहने से काम गुणो में होने वाली तृष्णा भी नष्ट हो जाती है ।

फिर वह वीतराग बना हुआ जीव पूर्ण कृतकृत्य होकर क्षण भर में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय-कर्म का क्षय कर देता है ।

तत्पश्चात् वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो जाता है तथा मोह और अन्तराय से रहित हो जाता है । अन्त में वह सम्पूर्ण आश्रव रहित होकर ध्यान के द्वारा समाधि में लीन बन कर कर्म मल से शुद्ध होकर आगुण्य का क्षय होते ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ।

वह मुक्त जीव संसार में प्राणियो को सतत पीडित करने वाले सम्पूर्ण दुखो से रहित हो जाता है तथा दीर्घकालीन कर्म-रोग से वह मुक्त हो जाता है । वह प्रशस्त और कृतार्थ बना हुआ जीव अत्यन्त सुखी हो जाता है ।

अनादिकालीन समस्त दुखो से मुक्त होने का यह मार्ग बताया गया है उसे स्वीकार कर जीव क्रमशः पुरुषार्थ कर शाश्वत सुखी हो जाते हैं ।

मुनि ममत्व और अहंकार से रहित बन कर आश्रव रहित हो जाता है, फिर वीतराग बनकर केवलज्ञान को प्राप्त कर शाश्वत मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है ।

जो श्रमण तपो-गुण से प्रधान, ऋजुमति, शांति तथा संयम में रत और परीषहो को जीतने वाला होता है उसके लिए सुगति सुलभ है ।

काश्यपगोत्रीय श्रमण भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित संयम स्थान सबसे प्रधान है । जिस संयम की आराधना करके अनेक महापुरुष अपनी कषायान्ति बुझाकर शीतल बने हैं और वे पापभीरु मुनि संसार के अन्त को प्राप्त करते हैं ।

पंक्तिं चीन्मि लट्टु निग्घायाय पवत्तर्ग ।
धुणे पुट्टकट यम्म, णवं चावि ण कुच्चद ॥

ण कुच्चई महापीरे,
अणुपुट्टकट रय ।

रयमा मभूहीसूते,
कम्म हेच्चाण जं मत ॥

ज मत सच्चसाहूण,
त मतं सल्लयत्तण ।

साहृत्ताण तं निण्णा,
देवा वा अभविमु ते ॥

अभविमु पुग्ग वीरा, आगमिस्ता वि सुच्चया ।
दुण्णिवोहम्म मग्गस्त, अतं पाउकरा तिण्णे ॥

—सूय. सु. १, अ. १५, गा २१-२५

धम्मस्स परवकमट्टा एलग विट्ठन्तो—

८१४ जहाणसं समुद्दिस्स, कोइ पोसेज्ज एलयं ।
ओयणं जवस देज्जा, पोसेज्ज वि सयगणे ॥

तओ मे पुट्टे परिवूडे, जायमेए महोदरे ।
पोणिए विज्जे वेहे, आएस परिकसए ॥
जाय न एइ आएसे, ताव जीवइ से डुही ।
अह पत्तमि आएसे, सीस छेत्तूण धुज्जई ॥
जहा से खलु उरट्ठे, आएसाए समीहिए ।
एवं चाले अहम्मिट्ठे, ईहई नरयाउय ॥

हिसे बाले मूसावाई, अट्ठाणमि विलोवए ।
अत्तश्चहरे तेणे, माई कण्हुहरे सडे ॥

इत्थोविसयगिडे य, महारम्मपरिग्गहे ।
भुजमाणे सुर मस, परिवूडे परदमे ॥

अयकयकरभोई य, त्तिस्से चियत्तोहिए ।
आउयं नरए कणे, जहाणम य एलए ॥

आसण मयणं जाण, वित्ते यामे य भुजिया ।
दुत्साहृत्त घण हिच्चा, बट्टु सच्चियया रय ॥

धर्म को विदारण करने में समर्थ वीर्य को प्राप्त करके पण्डितसाधक पूर्वकृत कर्मों को नष्ट करे और नवीन कर्मवन्धन करे ।

कर्म विदारण करने में समर्थ धर्मवीर अनादि काल में किये जाने वाले पापकर्म को नहीं करता है, वह पापकर्म पूर्वकृत पाप के प्रभाव से ही किया जाता है । परन्तु वह पुरुष अपने पूर्वकृत पापकर्मों को रोक कर मोक्ष के सम्मुख हो जाता है ।

समस्त साधुओं को मान्य जो सयम है, वह कर्मरूप शत्रु को काटने वाला है । इसलिए अनेक साधक उस सयम की आराधना करके ससार सागर से पार हुए हैं अथवा वे देव हुए हैं ।

प्राचीनकाल में बहुत से वीर पुरुष हुए हैं और भविष्य में भी होंगे वे दुर्लभ सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय रूप मोक्षमार्ग के अन्त को पाकर तथा दूसरों के सामने उस मार्ग को प्रकाशित करके संसार से पार हुए हैं ।

धर्म में पराक्रम के लिए एलक का हृष्टांत—

८१४. जैसे मेहमान के उद्देश्य से कोई बकरे का पोषण करता है । उसे चावल, मूंग, उड़द आदि खिलाता है और अपने घर के आगम में ही उसका पालन करता है ।

इस प्रकार वह पुष्ट, बलवान, मोटा, बड़े पेट वाला, तृप्त और विपुल देह वाला होकर पाहुने की आकांक्षा करता है ।

जब तक पाहुना नहीं आता है तब तक ही वह बेचारा जीता है । पाहुने के आने पर वह मन्तक छेदन करके खाया जाता है ।

जैसे पाहुने के लिए निश्चित किया हुआ वह बकरा यथार्थ में उसकी आकांक्षा करता है, वैसे ही अधर्मिष्ठ अज्ञानी जीव वास्तव में नरक के आयुष्य की इच्छा करता है ।

हिमक, अज्ञानी, मृपावादी, मार्ग में लूटने वाला, दूसरों को वस्तु को हरण करने वाला चोर, मायावी, किमका धन हरण करे—ऐसे विचार करने वाला धूर्त—

स्त्री और विषयो में शृद्ध महाआरम्भ और महापरिग्रह वाला, सुरा और मास का उपभोग करने वाला, बलवान, दूसरों का दमन करने वाला ।

बकरे की भाँति कर्कर शब्द करते हुए माम को गाने बाना, बड़े पेट वाला और उपचिन्त नही बाना व्यक्ति उन्ही प्रकार नरक के आयुष्य की आकांक्षा करता है जिस प्रकार भेमना पाहुने की ।

आमन, शयन, यान, धन और विषयो को भोगकर दुःख से एकत्रित किये हुए धन का परित्याग कर बट्टु कर्मों को संचित करता है ।

ततो कम्मगुरु जन्तु, पच्चुप्पन्नपरायणे ।
अथ व्व भागयाएसे, मरणतम्मि सोयई ॥

ततो आउपरिक्खीणे, च्चुया देहा विहिंसगा ।
आसुरिय दिसं बाला, गच्छन्ति अवसा तम ॥

—उत्त अ. ७, गा १-१०

धम्मस्स परक्कमट्टा अब्बागिणी दिट्ठन्तो—

८१५ जहा कागिणिए हेउं, सहस्स हारए नरो ।
अपत्थ अम्मवग भोच्चा, राया रज्ज तु हारए ॥

एव माणुस्सगा कामा, देवकामाण अन्तिए ।
सहस्सगुणिया भुज्जो, आउं कामा य दिव्विया ॥

अणेगवासानउया जा सा पन्नवओ ठिई ।
जाइ जीयन्ति दुम्मेहा, ऊणे वाससयाउए ॥

—उत्त अ ७, गा ११-१३

धम्मस्स परक्कमट्टा वणिग-दिट्ठन्तो—

८१६ जहा य तिमि वणिगा, मूलं घेत्तूण निग्गया ।
एगोऽत्थ लहई लाह, एगो मूलेण आगओ ॥
एगो मूल पि हारित्ता, आगओ तत्थ वाणिओ ।
ववहारे उवमा एसा, एव धम्मे वियाणह ॥
माणुसुत्त भवे मूल, लामो देवगई भवे ।
मूलच्छेएण जीवाणं, नरगतिरिक्खत्तण धुवं ॥

दुहओ गई बालस्स, आवई वहमूलिया ।
देवत्त माणुसुत्त च, ज जिए लोलयासडे ॥

ततो जिए सइ होइ, बुविहं दोगइं गए ।
दुल्लहा तस्स उम्मगा, अट्टाए सुचिराववि ॥
एवं जिय सपेहाए, तुलिया बालं च पडियं ।
मूलिय ते पवेसन्ति, माणुसं जोणिमेन्ति जे ॥

वेमायाहिं सिक्खाहिं, जे नरा गिहिसुव्वया ।
उवेन्ति माणुसं जोणिं, कम्मसच्चा ह्वाणिणो ॥

जेसिं तु विउला सिक्खा, मूलिय ते अइच्छिया ।
सीलवन्ता सविसेसा, अदीणा जन्ति देवय ॥

कर्मों से भारी बना हुआ एव वर्तमान सुखो में तल्लीन वह जीव मरणान्त काल में उसी प्रकार शोक करता है जिस प्रकार पाहुने के आने पर मेमना ।

फिर आयु क्षीण होने पर वे नाना प्रकार की हिंसा करने वाले अज्ञानी जीव देह छूटने पर परवश होकर अन्धकारपूर्ण नरक में जाते हैं ।

धर्म में पराक्रम के लिए काकिणी और आम्र का दृष्टांत—
८१५. जैसे कोई मनुष्य काकिणी के लिए हजार मोहरों को गंवा देता है और जैसे कोई राजा अपथ्य आम को खाकर राज्य से हाथ धो बैठता है ।

इसी प्रकार देव सम्बन्धी कामभोगों के सामने मनुष्य सम्बन्धी काम-भोग भी काकिणी और आम के समान तुच्छ हैं । दिव्य आयु और दिव्य-काम-भोग मनुष्य की आयु और काम-भोगों से हजार गुणा अधिक हैं ।

प्रज्ञावान पुरुष को देवलोक में अनेक वर्षों की स्थिति होती है—यह ज्ञात होने पर भी मूर्ख मनुष्य सौ वर्षों से कम जीवन के लिए उन दीर्घकालीन सुखों को हार जाता है ।

धर्म में पराक्रम के लिये वणिक का दृष्टांत—
८१६. जैसे तीन वणिक पूजा को लेकर निकले । उनमें से एक लाभ प्राप्त करता है, एक मूल धन लेकर लौटता है ।

और एक मूल को भी गवाकर वापस आता है, यह व्यापार की उपमा है । इसी प्रकार धर्म के विषय में भी जानना चाहिए । मनुष्यत्व यह मूलधन है और देवगति लाभ रूप है अतः मूल के नाश से जीव निश्चित ही नरक और तिर्यंच गति में जाते हैं ।

अज्ञानी जीव की ये दो प्रकार की गति होती हैं, वहाँ उसे वध बन्धन आदि कष्ट प्राप्त होते हैं । वह लोलुप और बंक्क पुरुष देवत्व और मनुष्यत्व को पहले ही हार जाता है ।

द्विविध दुर्गति में गया हुआ जीव सदा हारा हुआ होता है । उसका उनसे बाहर निकलना दीर्घकाल के बाद भी दुर्लभ है ।

इस प्रकार हारे हुए को देखकर तथा बाल पण्डित की तुलनाकर जो मानुषी योनि में आते हैं वे मूलधन के साथ प्रवेश करते हैं ।

जो मनुष्य विविध परिणाम वाली शिक्षाओं द्वारा घर में रहते हुए भी सुन्नती हैं, वे मानुषी योनि में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि प्राणी अपने किये हुए कर्म का फल अवश्य पाते हैं ।

जिनके पास विपुल शिक्षा है, वे शील-सम्पन्न और उत्तरोत्तर गुणों को प्राप्त करने वाले पराक्रमी अदीन पुरुष मनुष्यत्व का अतिक्रमण करके देवत्व को प्राप्त होते हैं ।

एवमदीनव मिक्पुं अगाणि च विद्याणिषा ।
कहणु जिच्चमेत्तिकलं, जिच्चमाणे न सविदे ॥

—उत्त. अ. ७, गा. १४-२२

धम्मस्स परक्कमट्ठा दिव्व मणस्स भोग तुलणा —

८१७ जहा कुसग्गे उदगं, समुद्वेण सम मिणे ।
एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण अन्तिए ॥

कुत्तग्गमेत्ता इमे कामा, नन्निरुद्धम्मि आउए ।
कस्स हेउ पुराकारं, जोगक्खेमं न संविदे ॥

इह कामाऽणिघट्टस्स, अत्तट्ठे अवरज्जई ।
सोच्चा नेयाउय मग्ग, ज मूज्जो परिमस्सई ॥

इह कामाणिघट्टस्स, अत्तट्ठे नावरज्जई ।
पूइदेहनिरोहेण भवे देवे त्ति मे सुयं ॥

इडढी जुई जसो वण्णो, आउ सुहमणुत्तर ।
मूज्जो जत्थ मणुस्सेसु, तत्थ मे उववज्जई ॥

—उत्त. अ. ७, गा. २३-२७

धम्मस्स परक्कमट्ठा उवएसो—

८१८ बालस्स पस्स बालत्त, अहम्म पडिवज्जिषा ।
विच्चा धम्म अहम्मिट्ठे, नरए उववज्जइ ॥

धीरस्स पस्स धीरत्त, सच्चधम्माणुवत्तिणो ।
विच्चा अहम्मं धम्मिट्ठे, देवेसु उववज्जई ॥

तुत्तिघाण बालभाव, अवाल सेव पण्डिए ।
चइउण बालभाव, अवाल सेवए मुणि ॥

—उत्त. अ. ७, गा. २८-३०

धम्मस्स परक्कम कालो—

८१९ जरा जाय न पीतेइ चाही जाय न वट्ठइ ।
जाविन्दिषा न हावन्ति, ताव धम्मं समायरे ॥

—उत्त. अ. ८, गा. ३५

इस प्रकार भिक्षु और गृहस्थ के पराक्रम-फल की जानकर विवेकी पुरुष ऐसे लाभ को कैसे खोएगा? वह कषायों के द्वारा पराजित होता हुआ क्या यह नहीं जानता कि मैं पराजित हो रहा हूँ। यह जानते हुए उसे पराजित नहीं होना चाहिए।

धर्म में पराक्रम के लिये दिव्य मानुषिक भोग की तुलना—
८१७. मनुष्य सम्बन्धी काम-भोग देव सम्बन्धी काम-भोगों की तुलना में वैसे ही हैं, जैसे कोई व्यक्ति कुश की नोक पर टिके हुए जल-विन्दु की समुद्र से तुलना करता है।

इस अति-संक्षिप्त आयु में वे काम-भोग कुशाग्र पर स्थित जल-विन्दु जितने हैं फिर भी किस हेतु को सामने रखकर मनुष्य योग-क्षेम को नहीं समझता?

इस मनुष्य भव में काम-भोगों से निवृत्त न होने वाले पुरुष का आत्म-प्रयोजन नष्ट हो जाता है। वह पार ले जाने वाले वीतराग मार्ग को सुनकर भी बार बार भ्रष्ट होता है अर्थात् जन्म मरण करता है।

इस मनुष्य भव में काम-भोगों से निवृत्त होने वाले पुरुष का आत्म प्रयोजन नष्ट नहीं होता है। वह औदारिक शरीर का निरोध कर देव होता है—ऐसा मैंने सुना है।

(देवलोक से च्युत होकर) वह जीव विपुल श्रद्धि, यश, वर्ण, आयु और अनुत्तर सुगम वाले मनुष्य—कुलो में उत्पन्न होता है।

धर्म में पराक्रम के लिए उपदेश —

८१८ तू अज्ञानी जीव की मूर्खता को देख कि वह अधर्म को ग्रहण करता है। और धर्म को छोड़कर अधमिष्ठ बन कर नरक में उत्पन्न होता है।

सब धर्मों का पालन करने वाले धीर पुरुष की धीरता को देख कि वह अधर्म को छोड़कर धमिष्ठ बन कर देवों में उत्पन्न होता है।

पण्डित मुनि बाल-भाव और अवाल-भाव की तुलना करके बाल-भाव को छोड़कर अवाल-भाव का सेवन करता है।

धर्म में पराक्रम का समय—

८१९ जब तक बुढ़ापा पीडित न करे, व्याधि न बढ़े और इन्द्रियाँ धीम न हों तब तब धर्म का आचरण करना चाहिए।



वीतराग-भाव—७

वीतरागभाव परूवण—

८२०. मणस्स भाव गहण वयन्ति,
 तं रागहेउ तु मणुसमाहु ।
 तं बोसहेउ अमणुसमाहु,
 समो य जो तेसु स वीयरगो ॥
 भावस्स मण गहण वयन्ति,
 मणस्स भावं गहण वयन्ति ।
 रागस्स हेउ समणुसमाहु,
 दोसस्स हेउ अमणुसमाहु ॥
 भाविसु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं,
 अकालियं पावइ से विणास ।
 रागाउरे कामगुणेषु गिद्धे,
 करेणमुग्गाऽवहिए व नागे ॥
 जे यावि दोसं समुवेइ तिव्वं,
 तसिक्खणे से उ उवेइ दुक्ख ।
 बुहन्तदोसेण सएण जन्तु,
 न किच्चि भावं अवरज्झई से ॥
 एगन्तरत्ते रुइरसि भावे,
 अतालसे से कुणई पओसं ।
 दुक्खस्स सपीलमुवेइ वाले,
 न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥
 भावाणुगासाणुगए य जीवे,
 चराचरे हिंसइ णेरूवे ।
 चित्तेहिं ते परितावेइ वाले,
 पीलेइ अत्तट्टुगुरु किलिट्ठे ॥
 भावाणुवाएण परिग्गहेण,
 उप्पायणे रक्खणसन्निओगे ।
 वए विओगे य कहं सुह से ?
 सभोगकाले य अतित्तिलाभे ॥
 भावे अतित्ते य परिग्गहे य,
 सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठि ।
 अतुट्ठिदोसेण बुही परस्स,
 लोभाविले आइयई अदत्त ॥
 तण्हामिभूयस्स अदत्तहारिणो,
 भावे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
 मायामुस वड्ढइ लोभदोसा,
 तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥

वीतराग भाव की प्ररूपणा—

८२०. मन के विषय को भाव (अभिप्राय) कहते हैं। जो भाव राग का हेतु है उसे मनोज्ञ कहा है जो द्वेष का हेतु है उसे अमनोज्ञ कहा है। इन दोनों में जो समभाव रखता है वह वीतराग होता है।

भाव के ग्रहण करने वाले को मन कहते हैं, मन से ग्रहण होने वाले को भाव कहते हैं। राग के हेतु को समनोज्ञ कहा है, द्वेष के हेतु को अमनोज्ञ भाव कहा है।

जिस प्रकार हथिनी के पथ में आकृष्ट काम-गुणों में गृह्य बना हुआ हाथी दुःखी होता है। उसी प्रकार जो मनोज्ञ भावों में तीव्र आसक्ति रखता है, वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त होता है।

जो अमनोज्ञ भाव से तीव्र द्वेष करता है, वह उसी क्षण दुःख को प्राप्त होता है इस प्रकार स्वयं के ही तीव्र द्वेष से प्राणी दुःखी होता है किन्तु उसके दुःखी होने में भाव का कोई अपराध नहीं है।

जो मनोहर भाव में सर्वथा अनुरक्त रहता है और अमनोहर भाव में द्वेष करता है वह अज्ञानी दुःखों की पीडा को प्राप्त होता है। किन्तु विरक्त मुनि उनमें लिप्त नहीं होता।

मनोहर भाव में आसक्त जीव अनेक प्रकार के त्रस स्थावर जीवों की हिंसा करता है, वह अपने ही स्वार्थ को प्रमुख मानने वाला क्लेश युक्त अज्ञानी पुरुष नाना प्रकार के उन चराचर जीवों को परिताप पहुँचाता है।

भाव में अनुराग और ममत्व बुद्धि होने से उसके उत्पादन में, रक्षण करने में, व्यवस्थित रखने में और उसके विनाश या वियोग होने पर वह कैसे सुखी हो सकता है? उसके उपयोग के समय भी तृप्ति न होने के कारण उसे दुःख ही होता है।

जो भाव में अतृप्त है और उसके परिग्रहण में अत्यन्त आसक्त है, उसे कभी सन्तुष्टि नहीं हो सकती। वह असन्तुष्टि के दोष से दुःखी बना हुआ मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर दूसरों की वस्तुएँ चुरा लेता है।

वह तृष्णा से पराजित होकर चोरी करता है और भाव-परिग्रहण में अतृप्त होता है। अतृप्ति दोष के कारण उसके माया-मृषा की वृद्धि होती है तथा माया-मृषा का प्रयोग करने पर भी वह दुःख से मुक्त नहीं होता।

मोसस्त पच्छा य पुरत्यओ य,
पभोगकाले य दुही दुरन्ते ।
एवं अदस्ताणि समाययन्तो,
भावे अतित्तो दुहोओ अणित्तो ॥

नायाणुरत्तस्त नरस्त एव,
कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किच्चि ।
ततयोयमोगे वि किलेसवुक्क,
निव्यत्तइं जस्त कएण दुक्खं ॥

एमेव भायम्मि गओ पओस,
उवेह वुक्खोहपरम्पराओ ।
पडुट्टचित्तो य चिणाइ कम्मं,
ज से पुणो होइ दुह विवागे ॥

भावे विरत्तो मणुओ विसोगो,
एएण दुक्खोहपरम्परेण ।
न लिप्पइं भवमज्जे वि सन्तो,
जत्तेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥

—उत्त. अ ३२, गा ८७-९६

एयिन्वियत्या य मणस्स अत्या,
दुक्खस्स हेउ मणुयस्स रागिणो ।
ते चेव थोचं पि कयाइ दुक्ख,
न धीयरगस्स करेन्ति किच्चि ॥

न कामनोगा समय उवेत्ति,
न यावि भोगा विगइं उवेत्ति ।
जे तप्पओसो य परिग्गही य,
सो तेषु भोहा विगइ उवेइ ॥

पोहं च माण च तहेव भाय,
तोह दुग्ग अरइ रइ च ।
हास भयं सोग पुमिन्वियवेयं,
नपुंसवेय विधिहे य भावे ॥
थायज्जइं एवमणेगरथे,
एयिहे कामगुणेसु सत्तो ।
अन्ने य म्पप्पमवे विनेत्ते,
कारणवोणे हिरिमे यइस्से ॥

कण्ण न इक्खेज्ज सहायलित्ठ,
पच्छानुतायेय तत्तपन्नाय ।
एवं विपारे अमित्तययारे
आक्खइं इन्वियनोरयस्से ॥

असत्य बोलने के पहले और पीछे तथा बोलते समय भी जीव दुःखी होता है। इसी प्रकार वह भाव में अतृप्त होकर चोरी करता हुआ भी आश्रयहीन होकर दुःखी होता है।

इस प्रकार भाव में अनुरक्त पुरुष को किंचित् भी सुख कब और कैसे हो सकता है? मनोज्ञ भावों को पाने के लिए वह दुःख उठाता है, उनके उपभोग में भी उसे अतृप्ति का क्लेश और दुःख बना ही रहता है।

इसी प्रकार जो भाव से द्वेष रखता है वह भी उत्तरोत्तर अनेक दुःखों की परम्परा को प्राप्त होता है। द्वेष युक्त चित्त से वह जिन कर्मों का बन्ध करता है, वे कर्म भी उदय काल में उसके लिए दुःख रूप होते हैं।

किन्तु जो पुरुष भाव से विरक्त होता है वह शोक-मुक्त हो जाता है जिस प्रकार जल में रहते हुए भी कमल जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार वह संसार में रहते हुए भी इन दुःखों की परम्परा से लिप्त नहीं होता।

इस प्रकार इन्द्रिय और मन के विषय, रागी मनुष्य के लिए दुःख के हेतु होते हैं। वे धीतराग के लिए कभी किंचित् भी दुःखदायी नहीं होते।

काम-भोग समता के हेतु भी नहीं होते और वे विकार के हेतु भी नहीं होते। जो पुरुष उनके प्रति द्वेष या राग करता है, वह तद्विषयक मोह के कारण विकार को प्राप्त होता है।

जो काम-गुणों में आमक्त होता है, वह क्रोध, मान, माया, लोभ तथा जूगुप्सा, अगति, रति, हास्य, भय, शोक, पुत्र्य-वेद, स्त्री-वेद, नपुंसक-वेद तथा हर्ष विषाद आदि विविध भावों और रोगी प्रकार के अनेक रूपों को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त और भी उनसे उत्पन्न अन्य परिणामों को प्राप्ता होता है जिन्में वह कल्याण्यपद, शान्ति, लज्जित्त और अश्रिय बन जाता है।

वह भेरी घांटीरिख मेवा करेगा—उन लिप्पा में कल्याणयोग्य लिप्प ही भी दृच्छा न करे। मयम तप का तीई प्रभाव न देग कर परानापा न करे। नवीति एग प्रार के यकल्प करी याना इन्द्रिय रूपी नांगे का यकर्मों बना हुआ अनेक प्रकार के विचारों को प्राप्त होना दे।

ततो से जायन्ति पक्षोयणाह,
 तिमज्जिजं मोहमहणवम्मि ।
 सुहेसिणो दुक्खविमोयणट्ठा,
 तप्पच्चय उज्जमए य रागी ॥
 विरज्जमाणस्स य इन्द्रियत्था,
 सहाइया तावइयप्पगारा ।
 न तत्स भव्वे वि मणुस्य वा,
 निव्वत्सयती अमणुस्यं वा ॥

—उत्त. अ. ३२, गा. १००-१०६

कम्मणिज्जरा फल —

८२१. प०—बोदाणेणं भते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—बोदाणेण अकिरिय जणयइ । अकिरियाए भवित्ता
 ततो पच्छा सिज्झइ, बुच्चइ, मुच्चइ, परिनिव्वाएइ,
 सन्ववुक्खाणमंतं करेइ ।

—उत्त. अ. २६, सु. ३०

वीयरागया-फल—

८२२. प०—वीयरागयाए णं भते ! जीवे किं जणयइ ?

उ०—वीयरागयाए णं नेहाणुबंधणाणि, तण्हाणुबंधणाणि य
 वोच्छिन्दइ, मणुण्णा मणुन्नेसु सहपरिसरसरूवगघेसु
 वेध विरज्जइ ।

—उत्त. अ. २६, सु. ४७

उवसंहारो—

८२३. एवं उदाहृ निग्गथे, महावीरे महामुणी ।
 अणतणाणवसी से, धम्मं वेसितव सुतं ॥

—सूय. सु. १, अ. ६, उ. ४, गा. २४

विकारों की प्राप्ति के पश्चात् उसके समक्ष उसे मोह रूपी
 सागर में डुबोने वाले विषय-सेवन के प्रयोजन उपस्थित होते हैं ।
 फिर वह सुख की प्राप्ति और दुःख के विनाश के लिए अनुरक्त
 बनकर उन विषयों सयोगों की पूर्ति के लिए उद्यम करता है ।

जितने शब्द आदि इन्द्रिय-विषय हैं, वे सब मनोज्ञ हो या
 अमनोज्ञ हो, विरक्त मनुष्य के मन में कुछ भी विकार उत्पन्न
 नहीं करते ।

कर्म निर्जरा का फल—

८२१. प्र०—भन्ते ! व्यवदान (पूर्व सचित्त कर्म विनाश) से जीव
 को क्या लाभ होता है ?

उ०—पूर्वकृत कर्म के क्षय से जीव अक्रिय हो जाता है,
 अक्रिय होने के पश्चात् जीव सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होता है,
 परिनिर्वाण को प्राप्त होता है और समस्त दुःखों का अन्त
 करता है ।

वीतरागता का फल—

८२२. भन्ते ! वीतरागता से जीव क्या प्राप्त करता है ?


वीतरागता से वह स्नेह के अनुबन्धनो और तृष्णा के अनु-
 बन्धनो का विच्छेद करता है तथा मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द,
 स्पर्श, रस, रूप और गन्ध से विरक्त हो जाता है ।

उपसंहार—

८२३ अनन्तज्ञानी और अनन्तदर्शी निर्ग्रन्थ महामुनि महावीर ने
 श्रुतधर्म का उपदेश दिया ।



॥ चरणानुयोग समाप्त ॥



परिशिष्ट

- ▣ संकलन में प्रयुक्त आगमों के सन्दर्भ स्थल
- ▣ शब्द सूची
- ▣ सहायक ग्रन्थ सूची

च र णा नु यो ग



संकलन में प्रयुक्त आगमों के सन्दर्भ स्थल

<p>चरणानुयोग : भाग १</p> <p style="text-align: center;"><u>मंगलाचरण</u></p> <p style="text-align: center;">सूत्रकृतांग सूत्र</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">पृष्ठ</td> <td style="width: 10%;">सु</td> <td style="width: 10%;">अ</td> <td style="width: 10%;">गा</td> </tr> <tr> <td>४-७</td> <td>१</td> <td>६</td> <td>१-२९</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">भगवती सूत्र</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">पृष्ठ</td> <td style="width: 10%;">स</td> <td style="width: 10%;">उ</td> <td style="width: 10%;">सु</td> </tr> <tr> <td>१</td> <td>१</td> <td>१</td> <td>१</td> </tr> <tr> <td>१</td> <td>१</td> <td>१</td> <td>१</td> </tr> <tr> <td>१</td> <td>१</td> <td>१</td> <td>३</td> </tr> <tr> <td>१</td> <td>१७</td> <td>१</td> <td>१</td> </tr> <tr> <td>१</td> <td>२६</td> <td>१</td> <td>१</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>४१</td> <td>१९६</td> <td>२</td> </tr> </table> <p>अंतिम सूत्र- १ अंतिम सूत्र- १-२ अंतिम सूत्र- अंतिम सूत्र-</p> <p style="text-align: center;">जंबूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">१</td> <td style="width: 10%;">टि</td> <td style="width: 10%;">व १</td> <td style="width: 10%;">१</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">सूर्यप्रज्ञप्ति सूत्र</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">पृष्ठ</td> <td style="width: 10%;">पा</td> <td style="width: 10%;">सु</td> </tr> <tr> <td>१</td> <td>१</td> <td>१</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>२०</td> <td>१०७</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">चन्द्रप्रज्ञप्ति सूत्र</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">पृष्ठ</td> <td style="width: 10%;">पा</td> <td style="width: 10%;">गा</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>१</td> <td>१</td> </tr> <tr> <td>१</td> <td>१</td> <td>१</td> </tr> <tr> <td>१</td> <td>१</td> <td>२</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">प्रज्ञापना सूत्र</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">पृष्ठ</td> <td style="width: 10%;">पद</td> <td style="width: 10%;">गा</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>१</td> <td>१</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">उत्तराध्ययन सूत्र</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">पृष्ठ</td> <td style="width: 10%;">अ</td> <td style="width: 10%;">सु</td> </tr> <tr> <td>१०</td> <td>२९</td> <td>११</td> </tr> <tr> <td>१०</td> <td>२९</td> <td>१२</td> </tr> <tr> <td>१०</td> <td>२९</td> <td>१६</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">नदी सूत्र</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">पृष्ठ</td> <td style="width: 10%;">गा</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>१-३</td> </tr> <tr> <td>७-८</td> <td>४-१७</td> </tr> </table>	पृष्ठ	सु	अ	गा	४-७	१	६	१-२९	पृष्ठ	स	उ	सु	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	१	३	१	१७	१	१	१	२६	१	१	७	४१	१९६	२	१	टि	व १	१	पृष्ठ	पा	सु	१	१	१	४	२०	१०७	पृष्ठ	पा	गा	४	१	१	१	१	१	१	१	२	पृष्ठ	पद	गा	४	१	१	पृष्ठ	अ	सु	१०	२९	११	१०	२९	१२	१०	२९	१६	पृष्ठ	गा	४	१-३	७-८	४-१७	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">३</td> <td style="width: 10%;">१८-१९</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>२०-२१</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>२२</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">आवश्यक-सूत्र</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">पृष्ठ</td> <td style="width: 10%;">अ</td> <td style="width: 10%;">सु</td> </tr> <tr> <td>१</td> <td>१</td> <td>१</td> </tr> <tr> <td>१</td> <td>१</td> <td>१</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>२</td> <td>३-९</td> </tr> <tr> <td>१-२</td> <td>४</td> <td>१२-१४</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><u>धर्म प्रज्ञापना</u></p> <p style="text-align: center;">आचारांग सूत्र</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">पृष्ठ</td> <td style="width: 10%;">सु</td> <td style="width: 10%;">अ</td> <td style="width: 10%;">उ</td> <td style="width: 10%;">सु</td> </tr> <tr> <td>३६</td> <td>१</td> <td>२</td> <td>३</td> <td>७७</td> </tr> <tr> <td>३६</td> <td>१</td> <td>३</td> <td>१</td> <td>१०८</td> </tr> <tr> <td>३३</td> <td>१</td> <td>४</td> <td>१</td> <td>१३२-१३३</td> </tr> <tr> <td>३४</td> <td>१</td> <td>४</td> <td>१</td> <td>ख १३३</td> </tr> </table> <p>परि (७३९)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">३०</td> <td style="width: 10%;">१</td> <td style="width: 10%;">५</td> <td style="width: 10%;">३१५७</td> </tr> </table> <p>(ख-ग)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">३५</td> <td style="width: 10%;">१</td> <td style="width: 10%;">६</td> <td style="width: 10%;">२</td> <td style="width: 10%;">१८४ (क)</td> </tr> <tr> <td>३१</td> <td>१</td> <td>६</td> <td></td> <td>१८५</td> </tr> </table> <p>(ख)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">३७</td> <td style="width: 10%;">१</td> <td style="width: 10%;">६</td> <td style="width: 10%;">३</td> <td style="width: 10%;">१८९ (क)</td> </tr> <tr> <td>३५</td> <td>१</td> <td>६</td> <td>४</td> <td>१९१</td> </tr> </table> <p>(ग-घ)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">४०</td> <td style="width: 10%;">१</td> <td style="width: 10%;">८</td> <td style="width: 10%;">१२०२</td> </tr> </table> <p>परि (७३९) ३० टि. १८ ३ २०९ (ख)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">३५</td> <td style="width: 10%;">१</td> <td style="width: 10%;">८</td> <td style="width: 10%;">८</td> <td style="width: 10%;">२३०</td> </tr> </table> <p>परि ७३९ १५ २ १५ - ७७५</p> <p style="text-align: center;">सूत्रकृतांग-सूत्र</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">पृष्ठ</td> <td style="width: 10%;">सु</td> <td style="width: 10%;">अ</td> <td style="width: 10%;">उ</td> <td style="width: 10%;">गा</td> </tr> <tr> <td>४१</td> <td>१</td> <td>२</td> <td>२</td> <td>२३-२४</td> </tr> <tr> <td>३६</td> <td>१</td> <td>२</td> <td>२</td> <td>२५-२८</td> </tr> <tr> <td>३५</td> <td>१</td> <td>२</td> <td>२</td> <td>२६</td> </tr> <tr> <td>३५</td> <td>१</td> <td>२</td> <td>२</td> <td>२८</td> </tr> <tr> <td>३५</td> <td>१</td> <td>२</td> <td>२</td> <td>२९-३०</td> </tr> <tr> <td>३६</td> <td>१</td> <td>२</td> <td>२</td> <td>३१-३२</td> </tr> <tr> <td>३७</td> <td>१</td> <td>३</td> <td>३</td> <td>२१ (क)</td> </tr> <tr> <td>३५</td> <td>१</td> <td>३</td> <td>४</td> <td>१५</td> </tr> <tr> <td>३५</td> <td>१</td> <td>८</td> <td>-</td> <td>१३-१४</td> </tr> <tr> <td>१५</td> <td>१</td> <td>९</td> <td>-</td> <td>१</td> </tr> <tr> <td>३०</td> <td>१</td> <td>१५</td> <td>-</td> <td>४-५</td> </tr> <tr> <td>४२</td> <td>१</td> <td>१५</td> <td>-</td> <td>१५-१७</td> </tr> <tr> <td>४२</td> <td>१</td> <td>१५</td> <td>-</td> <td>१९-२०</td> </tr> <tr> <td>४५</td> <td>२</td> <td>५</td> <td>-</td> <td>१४</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">ठाणांग-सूत्र</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">पृष्ठ</td> <td style="width: 10%;">अ</td> <td style="width: 10%;">उ</td> <td style="width: 10%;">सु</td> </tr> <tr> <td>३७</td> <td>२</td> <td>१</td> <td>५४</td> </tr> <tr> <td>३७</td> <td>२</td> <td>१</td> <td>५५</td> </tr> <tr> <td>३०</td> <td>२</td> <td>१</td> <td>६१</td> </tr> </table>	३	१८-१९	७	२०-२१	७	२२	पृष्ठ	अ	सु	१	१	१	१	१	१	३	२	३-९	१-२	४	१२-१४	पृष्ठ	सु	अ	उ	सु	३६	१	२	३	७७	३६	१	३	१	१०८	३३	१	४	१	१३२-१३३	३४	१	४	१	ख १३३	३०	१	५	३१५७	३५	१	६	२	१८४ (क)	३१	१	६		१८५	३७	१	६	३	१८९ (क)	३५	१	६	४	१९१	४०	१	८	१२०२	३५	१	८	८	२३०	पृष्ठ	सु	अ	उ	गा	४१	१	२	२	२३-२४	३६	१	२	२	२५-२८	३५	१	२	२	२६	३५	१	२	२	२८	३५	१	२	२	२९-३०	३६	१	२	२	३१-३२	३७	१	३	३	२१ (क)	३५	१	३	४	१५	३५	१	८	-	१३-१४	१५	१	९	-	१	३०	१	१५	-	४-५	४२	१	१५	-	१५-१७	४२	१	१५	-	१९-२०	४५	२	५	-	१४	पृष्ठ	अ	उ	सु	३७	२	१	५४	३७	२	१	५५	३०	२	१	६१	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">परि (७३९) ३०</td> <td style="width: 10%;">२</td> <td style="width: 10%;">१</td> <td style="width: 10%;">७८</td> </tr> <tr> <td>४८-४९</td> <td>३</td> <td>१</td> <td>१४३</td> </tr> <tr> <td>१५</td> <td>३</td> <td>२</td> <td>१६१</td> </tr> <tr> <td>४०</td> <td>३</td> <td>२</td> <td>१६३ (१)</td> </tr> <tr> <td>४०</td> <td>३</td> <td>२</td> <td>१६३ (२)</td> </tr> <tr> <td>४६</td> <td>३</td> <td>३</td> <td>१९१ (१-७)</td> </tr> <tr> <td>४५</td> <td>३</td> <td>३</td> <td>१९४ (२)</td> </tr> <tr> <td>३१</td> <td>३</td> <td>३</td> <td>१९४ (१)</td> </tr> <tr> <td>परि (७३९) ३१</td> <td>३</td> <td>४</td> <td>१९८ (२-३)</td> </tr> <tr> <td>४५</td> <td>३</td> <td>४</td> <td>२१६</td> </tr> <tr> <td>३१</td> <td>३</td> <td>४</td> <td>२१७</td> </tr> <tr> <td>४९-५०</td> <td>४</td> <td>३</td> <td>३१९ (५१-५३)</td> </tr> <tr> <td>टि ३१</td> <td>४</td> <td>४</td> <td>३७२</td> </tr> <tr> <td>टि ३१</td> <td>५</td> <td>१</td> <td>३९६ (३-४)</td> </tr> <tr> <td>टि ३१</td> <td>५</td> <td>१</td> <td>४००</td> </tr> <tr> <td>४५</td> <td>५</td> <td>३</td> <td>४४७</td> </tr> <tr> <td>४२</td> <td>६</td> <td></td> <td>४८५</td> </tr> <tr> <td>१६</td> <td>६</td> <td></td> <td>५३७</td> </tr> <tr> <td>३१</td> <td>१०</td> <td></td> <td>७१२ (२)</td> </tr> <tr> <td>३१</td> <td>१०</td> <td></td> <td>७६०</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">समवायांग सूत्र</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">टि पृ ३१</td> <td style="width: 10%;">सम १०</td> <td style="width: 10%;">सु १</td> </tr> </table> <p>२ भगवती सूत्र (विवाह प्रज्ञप्ति)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">पृष्ठ</td> <td style="width: 10%;">स</td> <td style="width: 10%;">उ</td> <td style="width: 10%;">सु</td> </tr> <tr> <td>१५-१६</td> <td>१</td> <td>१</td> <td>१०</td> </tr> <tr> <td>टि ३९</td> <td>१</td> <td>४</td> <td>१२-१५</td> </tr> <tr> <td>४०</td> <td>१</td> <td>४</td> <td>१६-१८</td> </tr> <tr> <td>टि ३९</td> <td>५</td> <td>५</td> <td>१</td> </tr> <tr> <td>टि ४०</td> <td>७</td> <td>८</td> <td>१</td> </tr> <tr> <td>३७</td> <td>९</td> <td>३१</td> <td>२</td> </tr> <tr> <td>टि ३८</td> <td>९</td> <td>३१</td> <td>१३</td> </tr> <tr> <td>३८-३९</td> <td>९</td> <td>३१</td> <td>३२</td> </tr> <tr> <td>४६-४८</td> <td>१७</td> <td>३</td> <td>१-९</td> </tr> <tr> <td>३५</td> <td>२०</td> <td>८</td> <td>१६</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">उपासकदसा-सूत्र</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">पृष्ठ</td> <td style="width: 10%;">१५ टि</td> <td style="width: 10%;">सु ९</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">प्रश्नव्याकरण-सूत्र</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">पृष्ठ</td> <td style="width: 10%;">सु</td> <td style="width: 10%;">अ</td> <td style="width: 10%;">सु</td> </tr> <tr> <td>३१</td> <td>२</td> <td>५</td> <td>९</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">उववाइय-सूत्र</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">पृष्ठ</td> <td style="width: 10%;">उ</td> <td style="width: 10%;">सु</td> </tr> <tr> <td>११-१५</td> <td></td> <td>१६</td> </tr> <tr> <td>१५</td> <td></td> <td>५६</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">रायप्रश्नीय-सूत्र</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">पृष्ठ</td> <td style="width: 10%;">४३</td> <td style="width: 10%;">सु २३४</td> </tr> </table>	परि (७३९) ३०	२	१	७८	४८-४९	३	१	१४३	१५	३	२	१६१	४०	३	२	१६३ (१)	४०	३	२	१६३ (२)	४६	३	३	१९१ (१-७)	४५	३	३	१९४ (२)	३१	३	३	१९४ (१)	परि (७३९) ३१	३	४	१९८ (२-३)	४५	३	४	२१६	३१	३	४	२१७	४९-५०	४	३	३१९ (५१-५३)	टि ३१	४	४	३७२	टि ३१	५	१	३९६ (३-४)	टि ३१	५	१	४००	४५	५	३	४४७	४२	६		४८५	१६	६		५३७	३१	१०		७१२ (२)	३१	१०		७६०	टि पृ ३१	सम १०	सु १	पृष्ठ	स	उ	सु	१५-१६	१	१	१०	टि ३९	१	४	१२-१५	४०	१	४	१६-१८	टि ३९	५	५	१	टि ४०	७	८	१	३७	९	३१	२	टि ३८	९	३१	१३	३८-३९	९	३१	३२	४६-४८	१७	३	१-९	३५	२०	८	१६	पृष्ठ	१५ टि	सु ९	पृष्ठ	सु	अ	सु	३१	२	५	९	पृष्ठ	उ	सु	११-१५		१६	१५		५६	पृष्ठ	४३	सु २३४
पृष्ठ	सु	अ	गा																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
४-७	१	६	१-२९																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
पृष्ठ	स	उ	सु																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
१	१	१	१																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
१	१	१	१																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
१	१	१	३																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
१	१७	१	१																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
१	२६	१	१																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
७	४१	१९६	२																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
१	टि	व १	१																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
पृष्ठ	पा	सु																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
१	१	१																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
४	२०	१०७																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
पृष्ठ	पा	गा																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
४	१	१																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
१	१	१																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
१	१	२																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
पृष्ठ	पद	गा																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
४	१	१																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
पृष्ठ	अ	सु																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
१०	२९	११																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
१०	२९	१२																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
१०	२९	१६																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
पृष्ठ	गा																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
४	१-३																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
७-८	४-१७																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
३	१८-१९																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
७	२०-२१																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
७	२२																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
पृष्ठ	अ	सु																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
१	१	१																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
१	१	१																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
३	२	३-९																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
१-२	४	१२-१४																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
पृष्ठ	सु	अ	उ	सु																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
३६	१	२	३	७७																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
३६	१	३	१	१०८																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
३३	१	४	१	१३२-१३३																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
३४	१	४	१	ख १३३																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
३०	१	५	३१५७																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
३५	१	६	२	१८४ (क)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
३१	१	६		१८५																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
३७	१	६	३	१८९ (क)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
३५	१	६	४	१९१																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
४०	१	८	१२०२																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
३५	१	८	८	२३०																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
पृष्ठ	सु	अ	उ	गा																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
४१	१	२	२	२३-२४																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
३६	१	२	२	२५-२८																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
३५	१	२	२	२६																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
३५	१	२	२	२८																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
३५	१	२	२	२९-३०																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
३६	१	२	२	३१-३२																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
३७	१	३	३	२१ (क)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
३५	१	३	४	१५																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
३५	१	८	-	१३-१४																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
१५	१	९	-	१																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
३०	१	१५	-	४-५																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
४२	१	१५	-	१५-१७																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
४२	१	१५	-	१९-२०																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
४५	२	५	-	१४																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
पृष्ठ	अ	उ	सु																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
३७	२	१	५४																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
३७	२	१	५५																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
३०	२	१	६१																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
परि (७३९) ३०	२	१	७८																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
४८-४९	३	१	१४३																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
१५	३	२	१६१																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
४०	३	२	१६३ (१)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
४०	३	२	१६३ (२)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
४६	३	३	१९१ (१-७)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
४५	३	३	१९४ (२)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
३१	३	३	१९४ (१)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
परि (७३९) ३१	३	४	१९८ (२-३)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
४५	३	४	२१६																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
३१	३	४	२१७																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
४९-५०	४	३	३१९ (५१-५३)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
टि ३१	४	४	३७२																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
टि ३१	५	१	३९६ (३-४)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
टि ३१	५	१	४००																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
४५	५	३	४४७																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
४२	६		४८५																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
१६	६		५३७																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
३१	१०		७१२ (२)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
३१	१०		७६०																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
टि पृ ३१	सम १०	सु १																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
पृष्ठ	स	उ	सु																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
१५-१६	१	१	१०																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
टि ३९	१	४	१२-१५																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
४०	१	४	१६-१८																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
टि ३९	५	५	१																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
टि ४०	७	८	१																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
३७	९	३१	२																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
टि ३८	९	३१	१३																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
३८-३९	९	३१	३२																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
४६-४८	१७	३	१-९																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
३५	२०	८	१६																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
पृष्ठ	१५ टि	सु ९																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
पृष्ठ	सु	अ	सु																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
३१	२	५	९																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
पृष्ठ	उ	सु																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
११-१५		१६																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
१५		५६																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
पृष्ठ	४३	सु २३४																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

दशवैकालिक-सूत्र			११५ (१)				ठाणांग-सूत्र				
पृष्ठ	अ	गा	टि	५३	२	४	११५ (२)	पृष्ठ	अ	उ	सु
३४			टि	५३	२	४	११५ (३)	६१	२	१	५३
उत्तराध्ययन-सूत्र			टि	५३	२	४	११५ (४)	परि (७४०)			
पृष्ठ	अ	गा	५३	३	२	१६४ (१)	५६	२	१	५४-५५ (७)	
४९	१	४२	५३	३	२	१६४ (२)	टि १११	२	३	८४	
टि ४२	३	१	५३	३	२	१६४ (३)	५५-५६	३	२	१६३ (१-८)	
४२-४३	३	२-७	५३	३	२	१६४ (४)	५५	३	२	१६३	
४३	३	८	५३	३	२		(१३-१४)				
४४	३	९-१०	५३	३	२		१२२	३	३	१७७	
३३-३४	३	१२-२०	५१	३	४		१०९	३	३	१७७	
४१	५	१४-१५	५१	३	४		८७	३	३	१९३ (६)	
४४	१०	४-२०	५१	५	१	४१० (१)	टि १०२	३	३	१९५	
४१	१४	२४	५१	५	२	४२२	टि ८९	३	४	२०८	
४१	१४	२५	भगवती सूत्र				१२३	३	४	२१८ (१)	
३४	१६	१७	५२-५३	स.८	उ १०	सु १०-१८	१२३	३	४	२१८ (२)	
३४	१६	१९	दशवैकालिक-सूत्र				१२३	३	४	२१८ (३)	
४१-४२	१९	१९-२४	पृष्ठ	अ	उ	गा	१२३	३	४	२१९	
टि ३७	२३	६५-६८	परि (७४०)	५१	६	१-६	टि ६०	३	४	२२०	
३०	२९	५	५१	८	-	१	टि १११	४	१	२३५	
३३	२९	२८-२९	५३	९	४	११-१२	११८	४	१	२३६ (६)	
३२	२९	४४	उत्तराध्ययन-सूत्र				११८	४	१	२३६ (१६)	
३२	२९	४८-५१	पृष्ठ	अ	गा	१२२	४	१	२३६ (२)		
३२	२९	५२-५४	५१	२८	१-३	११९	४	१	२३९		
टि ३१	३१	१०	५१	२८	३५	११९	४	१	२४१ (६)		
अनुयोगद्वार-सूत्र			बृहत्कल्प-सूत्र				टि १११	४	१	२४१	
पृष्ठ		सु	पृष्ठ	अ	उ	सु	८०-८१	४	१	२४६ (५,९)	
१६		२०७	५४				परि (७४१) ८०	४	१	२४६ (६-८)	
१७		४२७	ज्ञानाचार				१२०	४	१	२४६ (१०)	
१८		४३५	आचारांग सूत्र				१२०	४	१	२४६ (११)	
१८		४३६-४३९	पृष्ठ	सु	अ	उ	१२०	४	१	२४६ (१२)	
१८		४२०-४५७	५४			सु	१२०	४	१	२४६ (१३)	
२१		४५८-४६६	आचारांग सूत्र				१२२	४	१	२४६ (१४)	
२२		४६७-४६८	पृष्ठ	सु	अ	उ	सु	१२२	४	१	२४६ (१५)
२३		४७१	८७	१	६	३	१९०-१९१	१२२	४	१	२४६ (१६)
२३-२४		४७२	८८	१	६	३	१८९	१२२	४	१	२४६ (१७)
२४		४७३	टि १११	निर्मुक्ति		गा २८३	१०१	४	३	३१९ (३३)	
२४-२५		४७४	१११	टि १	९		११७	४	३	३१९ (८)	
२५-२६		४७५	५५	१	१	१	११७	४	३	३१९ (४)	
२७-२९		४७६	६४	२	९	२	११८	४	३	३१९ (५)	
व्यवहार-सूत्र			सूत्रकृतांग-सूत्र				११८	४	३	३१९ (९)	
पृष्ठ	उ	सु	पृष्ठ	सु	अ	उ	गा	१२२	४	३	३१९ (२५)
टि ५०	१०	११-१३	१११	१	२	१	१५	१२२	४	३	३१९ (३०)
निशीथ-सूत्र			१११	१	११		३५	१२२	४	३	३१९ (३७)
पृष्ठ	उ	सु	१११	१	१३		२-४	१२२	४	३	३१९ (३४)
५०	११	९	१२-१३	१	१३		६-७	१२२	४	३	३१९ (३५)
५०	११	१०	१०३-१०५	१	१४		१-१३	१२२	४	३	३१९ (३६)
आचार प्रज्ञप्ति			७०	१	१४		७	१२२	४	३	३२०
ठाणांग-सूत्र			१०६	१	१४		१५-१७	१२२	४	३	३२० (२)
पृष्ठ	अ	उ	१०६-१०८	१	१४		१८-२४	१२२	४	३	३२० (७)
टि ५१	२	३	१०८	१	१४		२५-२७	१२२	४	३	३२० (१४)
			११२	१	१४		२६	१२२	४	३	३२० (८-९)
			११२	१	१४		२७	१२२	४	३	३४४ (३-६)
								१०१	४	४	३४८
								१०१	४	४	३४९
								११६	४	४	३५२ (४-५)
								१२१	४	४	३६० (१)

१२१	५	५	३६० (२)
१२१	५	५	३६० (३)
१२१	५	५	३६० (४)
१२१	५	५	३६० (५)
११६	५	१	३९५ (१)
११६	५	१	३९५ (२)
११८	५	२	५२०
१२३	६		५९९ (१-३)
दि ८०	७		५८५
दि १११	७		५८७
६५	१०		७१५ (२)
६७-६८	१०		७१५ (१)
६६	१०		७१८
दि ६०	१०		७५६
१२३	१०		७८१

समवायाग-सूत्र

पृष्ठ	सम	सु
दि ९६	३३	१
१२३	१०	१२

भगवती-सूत्र

पृष्ठ	स	उ	सु
१०२	२	५	२६
१०२	५	६	१९
८९	८	८	१-७
५६	९	३१	८
५६	९	३१	१३
५८	९	३१	३५
५६	९	३१	३२
६६	९	३३	-
दि ६१	१७	३	१
दि ८०	२५	७	२१९-२३५

ज्ञाताधर्म कथा-सूत्र

पृष्ठ	सु	अ
६१	१	६

उववाइय-सूत्र

पृष्ठ	सु
७५-८०	३०(२३-३५)

दशवैकालिक-सूत्र

पृष्ठ	अ	उ	गा
५८	५		३३-३५
५९	५		३५-३६
५९-६१	५		३७-५८
८१	८		३३
७०	८		५०
८३	८		५३
८५	८		५६
७१	९	१	१
९८	९	१	२-१०
१०२	९	१	११
१०२	९	१	१२-१३
१००	९	१	१५-१६

१००	९	१	१७
७२	९	२	१-२
८९	९	२	३-५
१११	९	२	३
९१	९	२	५-१२
९२	९	२	१३-१८
९०	२	२	१९
९२	९	२	१९
८१	९	२	२०
९२	९	२	(२०)
९२	९	२	२१
९१	९	२	२२-२३
८२	९	३	१-२
८५	९	३	१३
८५	९	३	१५-१५
८५-८६	९	५	सु १६
५५	९	५	७-८

उत्तराध्ययन-सूत्र

पृष्ठ	अ	गा
७०	१	१
८१	१	२
८६	१	३
८९	१	५-६
८६	१	७
८२	१	८-१०
८३	१	११
८९	१	१२
८२	१	२१
९२	१	१३
८५	१	१५
८३	१	१७
८३	१	१८-१९
८३	१	२०
८२	१	२१
८३	१	२२
८५	१	२३
८५	१	२५
८५	१	२७-२९
८३	१	३०
८५	१	३७
९३	१	३८-३९
८३	१	४०
८५	१	४१
८१	१	४३
८६	१	४५-४८
११०	११	२
९३	११	३
८२	११	५-५
८७	११	६-९
८२	११	१०-१३
१११	११	१५
१०९-११०	११	१५-१२
८६	१७	५-५
६२	२६	११
६२	२६	१२
६२	२६	१९-२०
६२	२६	५५
९०-९१	२७	३-१६
५८	२८	३०

१०३	२९
६२	२९
५९	२९
५९	२९
दि ६१	२९
७५	३०

दशाश्रुतस्कंध-सूत्र

पृष्ठ	द
९३-९५	३
७२-७३	५
७३-७५	५

व्यवहार-सूत्र

पृष्ठ	उ
६२	७
६३	७
६३	७
६६	७

बृहत्कल्प-सूत्र

पृष्ठ	उ
९३	५

निशीथ-सूत्र

पृष्ठ	उ
९९	१०
९९	१५
९९	१६
६८-६९	१९
दि ६५	१९
दि ६५	१९

आवश्यक-सूत्र

पृष्ठ	अ
दि ६२	५
दि ६९	५
दि ६८	५
दि ६९	५
९६-९८	५

दर्शनाचार

आचाराग-सूत्र

पृष्ठ	सु	अ	उ	सु
१२५	१	२	३	७८
१३५	१	३	२	११२
१३७	१	५	१	१५९

१३५	१	५	३	१६१ (१)
१३५	१	५	३	१६१ (२)
१३८	१	५	५	१६७
टि १२५	१	५	५	१६८
१३१	१	५	५	१६९
१९९	१	५	६	१७६
१३५-१३६	१	६	१	१७८ (क)
१६५	१	६	१	१७८-१८०
परि (७४१)				
१६५	१	८	१	२००-क
परि (७४१)				
१६५	१	८	१	२००-ग
परि (७४१)				
१६५	१	८	१	२०१-क

सूत्रकृतांग-सूत्र

पृष्ठ	सु	अ	उ	गा
१९८	१	१५		१-५
टि १५४	१	१	१	७-८
१६०	१	१	१	९-१०
टि १५०	१	१	१	११-१२
१६०	१	१	१	१३-१४
१६१	१	१	१	१५-१६
१६२	१	१	१	१७-१८
१६३	१	१	१	१९-२०
टि १५९	१	१	२	१-५
१७८-१८०	१	१	२	६-२३
१६८	१	१	२	२४-२९
१६३	१	१	२	३०-३२
१६०	१	१	३	५-१०
टि १५७	१	१	३	६
१६१	१	१	३	११-१२
१६२	१	१	३	१३-१६
१६१	१	१	४	५-८
टि १६५	१	२	३	११-१२
१३०	१	२	३	१९
१९२-१९४	१	३	३	११-२०
१९१-१९२	१	७		१२-२०
१३८	१	९		२८
परि (७४१)				
१७८	१	१०		१६-१७
१९६-१९७	१	११		१-६
१९७	१	११		११-१२
१९४	१	११		२२
१२५	१	११		२३
१९२	१	११		२५-२८
१९५	१	११		२९-३१
१९५-१९६	१	११		३२-३८
१६७	१	१२		१
१८०	१	१२		२
१८१	१	१२		३-४/१
१७०	१	१२		४-१०
१६७	१	१२		११-१७
१७०	१	१२		१८-२२
१९७	१	१५		१-२
१९७	१	१५		३-५
१३०	१	१५		१८
१८२	२	१		६३८
१८२-१८४	२	१		६३९-६४२
१८५	२	१		६४३
१८६-१८७	२	१		६४४-६४५
१४८	२	१		६४६-६४७

१४९-१५३	२	१	६४७-६५३
१५३	२	१	६५४-६५८
१५५-१५७	२	१	६५९-६६२
१५७-१५९	२	१	६६३-६६६
१३८	२	१	६६७-६७१
१४०	२	१	६७२-६७६
१८६	२	१	६९२-६९३
१८७-१९०	२	५	२-२८
१७८	२	५	२९-३२

ठाणांग-सूत्र

पृ	अ	उ	सु
१३१	२	१	५४-५५
१२७	२	१	५९-(२-४)
टि १२७	२	१	५९ (१)
१६४	२	१	५९ (५-क)
१२९	३	२	१६३ (३)
१२९	३	२	१६३ (१५)
टि १२७	३	३	१९० (३)
१२७	३	३	१९०/१
१६३	३	३	१९३
१३०	३	४	२०४ (९)
१३०	३	४	२०४ (१०)
१३२	३	४	२२३ (२)
१३२	३	४	२२३ (१)
२०१	४	१	२३६(७)
२०१	४	१	२३६ (१७)
२००	४	१	२३९
२००	४	१	२४१ (७)
२००	४	१	२४१ (१७)
२०१	४	१	२७१
२०१	४	२	२८०
१२९	५	२	४२६ (१)
१२९	५	२	४२६ (२)
१२९	६	-	४९९ (१-२)
१६७	६		५१२
टि १२७	७		५६५
टि १२७	८		६१९
१६५	१०	-	७३४
टि १२६	१०	-	७५१

भगवती-सूत्र

पृ	स	अ	सु
१२५	१	३	६
टि १२५	१	३	१५ (३)
१३७	१	३	१५
१२९	९	३१	३२
१२८	९	३१	३
१२९	९	३१	१३
१३४	१७	३	२२

दशवैकालिक-सूत्र

पृ	अ	क	गा
१४२	२		१
१४२	१०	१०	१-४
१४६	१०	१	१

१४३	१०	१	१-९
१४५	१०	१	१०-११
१४२	१०	१	१२-१४
१४५	१०	१	१५-१८
१४२	१०	२	१-४

उत्तराध्ययन-सूत्र

पृ	अ	गा
१७८	६	९-१०
१३०	८	१४-१५
१९४	१०	३१-३४
टि १४१	१३	२३
१३८	१७	१७
१९८-१९९	१८	३२-५४
१४३-१४५	२०	३९-५२
१४२	२२	४४-४५
१९६	२३	६०-६३
१२५	२८	१४-१५
१२६	२८	१६-२७
१३६	२८	२८
१९४	२८	२९-३०
१२६	२८	३१
१३२-१३४	२९	१-२
१३४	२९	३
१३५	२९	४
१२७	२९	६२
१४७	२९	७३-७५
१९५	३२	१-३
१३०	३६	२५७-२५९

दशाश्रुतस्कध-सूत्र

पृ	द	सु
१७०	६	३-५
१७३	६	६
१७५	६	७-८
१७६	६	-९-११
१७८	६	१२-१४
१६७-१६८	६	१५-१६

वृहत्कल्प-सूत्र

१३० टि.	कम्प	उ४	सु	१२
१३० टि	-	४		१३

निशीथ-सूत्र

पृ	उ	सु
१६७	११	६८-६९
१९०-१९१	१३	४६-६३

आवश्यक-सूत्र

१३७	६	६५
-----	---	----

चारित्राचार

आचारांग-सूत्र

पृ	सु	अ	उ	सु
२०७	१	४	२	१३४-१३५

सूत्रकृतांग-सूत्र

पृ	सु	अ	उ	गा
टि २१०	१	१		३१
२०६	१	१	३	१०
२०७	१	१२	-	२१
टि २११	१	१६	-	४
२०५	२	५	-	१७
२०५	२	६	-	६

ठाणांग-सूत्र

पृ	अ	उ	सु
२०५	२	१	५१
पटि (७४२) २०५	२	१	५४-५५
२०५ टि	२	१	६१
२०५ (१७)	३	२	१६३
पटि (७४१) २०५ (२१)	३	२	१६३
२१० टि	५	१	३८९
२११ टि	५	२	४१८
२१२ टि	५	२	४२७
२१२ टि	६	-	४८७
२१३ टि	५	२	४२७
२१३ टि	६	-	४८७
२१२	१०	-	७०९
२१३	१०	-	७०९
२१३	१०	-	७११
२१३	१०	-	७११

समवायांग-सूत्र

पृ	सम	सु
२१३	५	१
२११ टि	५	१

विवाह-प्रज्ञप्ति

पृ	सु	अ	उ	सु
२१४	१	१		११
२१५	१	१		११
२१० टि	१	६		२६
२१२	१	९		१
२१२	१	९		२-३
२०७ टि	१	९		२१-२४
२१०	३	३		१२-१४
२०६	९	३१		७
२०६	९	३१		१३
२०६	९	३१		३२
२१२ टि	१२	२		१४

प्रश्नव्याकरण-सूत्र

पृ	सु	अ	उ	सु
२११	२	१		१ टि
२११	२	१		१ टि
२११	२	५		१८-टि

दशवैकालिक-सूत्र

पृ	अ	गा
२११ टि	६	८-२१
२११ टि	१३	११

उत्तराध्ययन-सूत्र

पृ	अ	गा
२१५	६	८
२१०	२३ टि	७०-७३
टि २१३	१२	४२
२११	२३ टि	८७
२१५	२९	६३
२०५	३१	१
टि २१०	३५	३

आवश्यक-सूत्र

पृ	अ	सु
२११	४	२४ (३)

अहिंसा महाप्रत का स्वरूप एवं प्रतिज्ञा

आचारांग-सूत्र

पृष्ठ	सु	अ	उ	सु
२३०	१	१	२	१०-१८
२३३	१	१	३	२३-३१
२३५	१	१	४	३२-३९
२३९	१	१	५	४२-४४
२४०	१	१	५	४५
२४०	१	१	५	४६-४८
२४१	१	१	६	४९
२४३	१	१	६	५०-५५
२४४	१	१	७	५६
२३७	१	१	७	५७-६१
२२७	१	१	७	६२
२२४	१	२	३	७८ (सि)
२२७	१	२	६	१०४
२५२	१	२	५	९४
२५२	१	२	६	९५-९७
टि २१६	१	४	१	१३२
२४५	१	४	२	१३६-१३९
२२६	१	४	३	१४०
२४६	१	५	१	१४७-१४८
२२४	१	५	५	१७०
२३६	१	८	३	२११-२१२
२५३	२	१३		७०८-७१३
२५४	२	१३		७००
२५४	२	१३		६९९
२५४	२	१३		७२४
२५३	२	१३		७१५-७१९
२५४	२	१३		७२०
२५४	२	१३		७२८
पटि (७४२) २२५	२	१५		७७६
२१८	२	१५		७७७-७७९

सूत्रकृतांग-सूत्र

पृष्ठ	सु	अ	उ	गा
२१६	१	१	४	९-१०
२४६	१	७	-	१-४
२३६	१	७	-	५-७

२४०	१	७	-	८
२४८	१	७	-	८
२२६	१	९	-	८
२२६	१	११	-	८
२१६ टि	१	११	-	८
२२७	१	१४	-	८
२४४	२	१	-	८
२१६	२	१	-	८
२१६	२	१	-	८

ठाणांग-सूत्र

पृ	अ
२८२	७
२८३	७
२८६	७ टि
२८७	७ टि
२३९	८ टि
२८६	८ टि
२८७	८ टि
२८६	८ टि
२८७	१० ७०९
२८६	१० ७०९
२८६	१० ७१५
२८७	१० ७१५
२३९	१० ७७३

समवायांग-सूत्र

पृ	सम
२७९	२५
२१८	२५ टि

विवाह-प्रज्ञप्ति-सूत्र

पृ	स	उ	उ	स
२८८	स	८	उ	७ स

प्रश्नव्याकरण-सूत्र

पृ	सु	अ	उ	सु
२२१	२	१		२
२२२	२	१		३
२३४	२	१		४
२१८	२	१		७
२८२	२	१		७
२८२	२	१		१

दशवैकालिक-सूत्र

पृष्ठ	अ	सु
२२५	४	१-३
२२७	४	४
२३१	४	५
२३३	४	६
२३६	४	७
२३८	४	८
२४२	४	९
२२५	४	१०

२१६	४	११
२२८	४	१८
२३१	४	१९
२३४	४	२०
२३६	४	२१
२३८	४	२२
२४२	४	२३
२४७	४	गा २४-३२
२२६	४	गा ५१
२१७	६	गा ९-१०
२२६	८ टि	गा २-३
२२८	८	गा ४
२२८	८	गा ५
२३१	८ टि	गा ७
२३३	८ टि	गा ८
२३७	८	गा ९
२३९	८	गा १०-११
२४३	८	गा १२
२८३	८	गा १३-१६

उत्तराध्ययन-सूत्र

पृ	अ	गा
२४४	६	६
२८७	१७	६
२१७ टि	१९	२६
२३४	३५	१२

दशाश्रुतस्कन्ध

पृ	द	सु
२८३टि	८	५०
२८३	८	५१
२८४	८	५२
२८४	८	५३
२८४	८	५४
२८४	८	५५
२८५	८	५६
२८५	८	५७
२८५	८	५८

निशीथ-सूत्र

पृष्ठ	उ	सु
२७४	१	११-१४
२७६	१	१५-१८
२७७	१	१९-२२
२७७	१	२३-२६
२७७	१	२७-३०
२७८	१	३१-३४
२७८	१	५७
२७४	२	१०
२७४	२	११
२७४	२	१२
२७६	२	१४-१७
२७५	२	२६
२५५	३	२८-३३
२५६	३	३४-३९
२६०	३	४०
२५५	४	६१-६६
२५८	४	६७-७२
२६०	४	७३

२४८	५	१-११
२७५	५	२५-३३
२७१	११	२३-२८
२७२	११	२९-३४
२७४	११	३५
२४९	१२	१-२
२५०	१२	८
२४९	१२	९
२६०	१२	१३
२५०	१३	१-७
२५०	१३	८
२५१	१३	९-११
२६०	१३	४२-४५
२६८	१५	२५-३०
२७०	१५	३१-३६
२७०	१५	३७
२६१	१७	१५-६७
२६१	१७	६८-१२०
		(१८०-२३४)
२६२	१७	२७-३२
२६४	१७	३३-३८
२६४	१७	३९
२६५	१७	८०-८५
२६७	१७	८६-९१
२६७	१७	९२
२५१	१८	६४-७०

द्वितीय महाव्रत

आचारांग-सूत्र

पृष्ठ २८९ सु २ अ १५ सु ७८०-७८२

ठाणांग-सूत्र

पृ	अ	सु
२९९ टि	६	५२७
२९१ टि	१०	७४१
२९३ टि	१०	७४१

समवायांग-सूत्र

पृष्ठ	सम	सु
२९६	२५	१
२९१ टि	२५	१

प्रश्नव्याकरण-सूत्र

पृ	सु	अ	सु
२९१	२	२	१-३
२९१ टि	२	२	१-३
२९१	२	२	४
२९२	२	२	५-६
२९३	२	२	७-८
२९३	२	२	९
२९३	२	२	१०
२९१ टि	२	२	११-१५
२९६	२	२	११-१५
२९८	२	२	१६-१८

प्रज्ञापना-सूत्र

पृष्ठ	पद	सु
२९३ टि	११	८६२
२९३ टि	११	८६६
२९३ टि	११	८९६

दशवैकालिक-सूत्र

पृ	अ	सु
२८९	४	१२
२८९ टि	६	गा १२

उत्तराध्ययन-सूत्र

पृ	अ	गा
२९९	२४	९-१०
२८९ टि	१९	२७

कप्प-सूत्र (बृहत्कल्प-सूत्र)

पृ	उ	सु
२९८	६	१

निशीथ-सूत्र

पृ	उ	सु
२९४	२	१९
२९४	१६	१३-१४
२९४	५	६३
२९४	१०	१५-३०

तृतीय-महाव्रत

आचारांग-सूत्र

पृ	सु	अ	उ	सु
३००	२	७	१	६०७ (क-ख)
३०६	२	७	१	६०७ (ग)
३०१	२	१५	-	७८३-७८५

समवायांग-सूत्र

पृ	सम	सु
३०७	२५	१
३०२ टि	२५	१

विवाह-प्रज्ञप्ति

३१०	स	८	उ	७	सु	१-१५
-----	---	---	---	---	----	------

प्रश्नव्याकरण-सूत्र

पृ	सु	अ	सु
३०३	२	३	१
३०३	२	३	२-७
३०४	२	३	८
३०५	२	३	९
३०२ टि	२	३	१०-१५
३०९	२	३	१०-१५
३०९	२	३	१६

दशवैकालिक-सूत्र

पू	अ	सु.
३००	४	१३
३०० टि	६	गा १३

उत्तराध्ययन-सूत्र

पू	अ	गा
३०३	६	७
३०० टि	१९	२८

व्यवहार-सूत्र

३०६	उ ७ सु	२६-२७
-----	--------	-------

निशीथ-सूत्र

पू	उ	सु
३०६	२	२०
३०६	१०	९-१०
३०६	१०	११-१२

चतुर्थ महाव्रत

आचाराग-सूत्र

पृष्ठ	सु	अ	उ	सु
३३४	१	५	१	१४९
३३२	१	५	४	१६४-१६५
३३७	२	१३		६९०
३३८	२	१३		६९१-६९८
३३८	२	१३	-	७०१-७०७
३४०	२	१३	-	७२१-७२२
३४०	२	१३	-	७२३
३३९	२	१३	-	७२५-७२६
३३९	२	१३		७२७
३४०	२	१४		७३०
३४०	२	१४		७३१
३१४	२	१५		७८६-७८८

सूत्रकृताग-सूत्र

पू	सु	अ	उ	गा
३३४	१	४	१	१०-२२
३२६	१	४	१	१६
३२७	१	४	१	३७
३३५	१	४	२	१-२२
३३४	१	१५	-	८-९

ठाणाग-सूत्र

पू	अ	उ	सु
पटि (७४२)			
३२२	२	१	५४-५५
३२२	३	२	१६३
३२२	३	२	१६३
३२८	९	-	६६३
४२८	९	-	६६३

समवायाग-सूत्र

पू	सम	सु
४२८ टि	९	१
३१६ टि	२५	१
३३३	१८	१
४२४	५	१

भगवती-सूत्र

पू	स.	उ	सु
सु३२२	९	३१	५
३२२ टि	९	३१	१३
३२३	९	३१	३२

प्रश्नव्याकरण-सूत्र

पू	सु	अ	सु
३१६	२	४ १	
३१९	२	४ २	
३१९	२	४ २-३	
३१९	२	४ ३-४	
३२१	२	४ ५	
३२१	२	४ ६	
३२१	२	४ ७	
३१६ टि	२	४ ८-१२	
४२४	२	४ ८-१२ (क)	
४२७	२	४ १२ (ख)	

दशवैकालिक-सूत्र

पू	अ	उ	सु
३१४	४	-	१४
३३२	५	१	गा ९-११
३३३	६	-	सु १५-१६
३२५	८	-	गा ५१
३३१	८	-	गा ५२
३२६	८	-	गा ५३
३२५ टि	८	-	गा ५४
३२७	८	-	गा ५५
३३१	८	-	गा ५६
३२७	८ टि	-	गा ५७

उत्तराध्ययन-सूत्र

पू	अ	गा
३२७	१	२६
३३४	८	१८-१९
३२३	१६	सु १
३२४	१६	२
३२६	१६	३
३२६	१६	सु ३
३२६	१६	सु ४
३२७	१६	सु ५
३२८	१६	सु ६
३२८	१६	सु ७
३२९	१६	सु ८
३२९	१६	सु ९
३३०	१६	सु १०
३३०	१६	सु ११
३२६	१६	गा ४-५
३२७	१६	६

३२८	१६	७
३२९	१६	८
३२९	१६	९
३३०	१६	१०
३३०	१६	११
३३१	१६	१२
३२४	१६	१३-१५
३३१	१६	१६
३२३	१६	१७
३१७	१६	१८
टि ३१४	१९	२९
३२५	२९	३३
टि ३३३	३१	१४
३२५	३२	१०-११
३२५	३२	१२-१३
३२७	३२	१४-१५
३२५	३२	१६-१७
३३१	३२	१९-२०
३२५	३५	४-५

व्यवहार-सूत्र

पू	उ	सु
४२३	२	२४-२५
४१९	६	१६-१७

कल्प-सूत्र

पू	उ	सु
४१३	४	१४-१५
४१४	५	१-४
४१९	५	१३-१४

निशीथ-सूत्र

उद्देशक-१

पू	उ	सु
४१८	१	१
४१६	१	२-९

उद्देशक-३

३५२	३	१६-२१
३५१	३	२२-२७
३५३	३	४१
३५३	३	४२-४६
३५५	३	४७-४९
३५४	३	५०-५५
३५५	३	५६
३५६	३	५७
३५५	३	५८-६३
३५६	३	६४-६५
३५६	३	६६
३५२	३	६७-६८
३५७	३	६९
४२३	३	७०

उद्देशक-४

३५८	४	४१-५४
३५७	४	५५-६०
३५९	४	७४
३५९	४	७५-७९
३६१	४	८०-८२

सूयगाडाग-सूत्र

पु	सु	अ	उ	गा
४५४	१	१	४	१-३
४३९	१	२	२	१-१०
४३६	१	२	२	११
४४६-४७	१	२	३	२-८
४३७	१	७	-	२१-२६
४३५	१	७	-	२७-२८
४४८	१	९	-	३२
४४८	१	९	-	३५
परि (७४९)				
४७४	१	९	-	१०
४७३	१	१०	-	५-६
४३४	१	१०	-	८-१०
४३९	१	१०	-	१०-१९
४७३	१	१०	-	२०-२४
४४४	१	१३	-	१८-१९
४७४	२	१	-	६७७-६७८
४४६	२	१	-	६८५
टि ४२९	२	१	-	६८५

समवायाग

पु	सम	सु
४३७	५	१
टि ४३१	२५	१
४६७	२५	१

प्रश्नव्याकरण

पु	सु	अ	सु
४३२	२	५	२
४३२	२	५	३-४
४४१	२	५	७
४५५	२	५	१२
४६७	२	५	१२-१६
४३१टि	२	५	१३-१६
४७३	२	५	१७

दशवैकालिक-सूत्र

पृष्ठ	अ	गा
४४५	२	४
४४०	२	५
४२९	४	१५
४४६	८	३४
४४३	८	५८-५९
४४१	१०	८

उत्तराध्ययन

पु	अ	गा
४५५	४	२-५
४५३	६	३-४
४३६	६	५
४३९	६	(५)
४४१	६	१५
४४१	८	१६-१७
४३४	१०	२८
४३६	१०	२९-३०
४४७	१३	१६-१७
४२९टि	१९	३०

४४०	२३	४५-४८
४४५	२३	४०-४३
४४६	२५	४०-४१
४५५	२९	३१
४५६	२९	३४

निशीथ-सूत्र

पु	उ	सु
४६३	२	९
४६३	२	२१
४६५	४	१, ७, १३
४६५	४	२, ८, १४
४६५	४	३, ९, १५
४६५	४	४, १०, १६
४६६	४	५, ११, १७
४६६	४	६, १२, १८
परि (७४९)		
४६६	४	४०-४२
४६६	४	४३, ४४, ४५
परि (७४९)		
४६६	४	४६-४८
४५९	५	३६, ४७
४६०	५	४८-५९
४६४	७	१०-१३
परि (७४८)		
४६२	९	८-९
४६१	१२	१६-२८
४६२	१२	२९
४६२	१३	३१-४१
४६३	१७	१-१४
४५९	१७	१३४
४५६	१७	१३५-१३८
४५७	१७	१३९-१५०
४५८	१७	१५१

रात्रि-भोजन

प्रश्नव्याकरण

पु	सु	अ	सु
४७६ टि	२	५	७

दशवैकालिक

पु	अ	सु
४७५	४	१६-१७
४७६	६	२३-२५
४७६	८	२८

उत्तराध्ययन-सूत्र

पु	अ	गा
४७५टि	१९	३१

वृहत्कल्प-सूत्र

पु	उ	सु
४७५	१	४४
टि ४८३	४	१

४७७	५	६-९
४८३टि	५	१०
४७६	५	४७
४७६	५	४८
४७७	५	४९
४७७	५	५०

निशीथ-सूत्र

पु	उ	सु
४७९	१०	३१-३४
४८३	१०	३५
४८१	११	७२-७३
४८०	११	७४-७७
४८१	११	७८-७९
४८१	११	९१
४८१	१२	३२-३५
४८२	१२	३६-३९

अष्टप्रवचन माता

ठाणाग-सूत्र

पु	अ	उ	सु
४८५टि	५	३	४५७
४८५	८		६०३
४८५	८		६०३

समवायाग-सूत्र

पु	सम	सु
४८५ टि	५	१
४८५	८	१

उत्तराध्ययन-सूत्र

पु	अ	गा
४८५	२४	१-२
४८५	२४	३
४८५	२४	२६-२७
४८५ टि	३१	२

आवश्यक-सूत्र

पु	अ	सु
४८५ टि	४	२४

(१) ईर्या समिति

आचाराग-सूत्र

पृष्ठ	सु	अ	उ	सु
४८६	१	५	४	१६२-१६३
४९३	२	१	१	३२८
४९३	२	१	१	३२९
४९५	२	१	५	३५३
४९५	२	१	५	३५५
४९५	२	३	१	४६९
५०१	२	३	१	४७०
४८९	२	३	१	४७१
४९९	२	३	१	४७२
४९९	२	३	१	४७३

५०२	२	३	१	४७४-४८०
५०४	२	३	२	४८१-४८२
५०४	२	३	२	४८३-४९१
४९१	२	३	२	४९२
५०५	२	३	२	४९३-४९७
४९६	२	३	२	४९८-४९९
५००	२	३	२	५००-५०१
४९१	२	३	२	५०२
४९२	२	३	३	५०४
४९२	२	३	३	५०५
४९६	२	३	३	५०६
४९६	२	३	३	५०७
४९७	२	३	३	५०८
४९७	२	३	३	५०९
४८९	२	३	३	५१५
४९०	२	३	३	५१६
४९०	२	३	३	५१७
४९१	२	३	३	५१८

सूत्रकृतांग-सूत्र

पृ	सु	अ	उ	सु
पटि (७४९)				
४८७	१	२	१	११

ठाणांग-सूत्र

पृ	अ	उ	सु
टि ४८६	५	३	४६५
५०१	५	२	४१२(१-२)

भगवती-सूत्र

पृ	अ	उ	सु
४८८	७	७	१
४८७	१८	८	२
४८७	१८	१०	२३

ज्ञाताधर्मक्रेयांग-सूत्र

पृ	सु	अ	सु
४८७टि	१	५	४६

दशवैकालिक-सूत्र

पृ	अ	उ	गा
४९४	५	१	४-६
४८९	५	१	७
४९४	५	१	१३-१४
४८९	५	१	१६-१७
४९२ टि	७	-	२६

उत्तराध्ययन-सूत्र

पृ	अ	गा
४९४टि	१७	८
४८६	२४	४-८

व्यवहार-सूत्र

पृ	उ	सु
४९७	१	२०-२२

बृहत्कल्प-सूत्र

पृ	उ	सु
५००	१	३९
४८९	१	४६
५०१	३	३३
५०१ टि	४	३४
५०२	४	३५

निशीथ-सूत्र

पृ	उ	सु
४९३	२	४०-४१
४९३	२	४२
४९९	१	१८-१९
५००	११	७१
४९१	१२	४०
५०२	१२	४२
४९४	१६	१-३
४९०	१६	२५-२६
५०६	१८	१-२३

(२) भाषा समिति

आचारांग-सूत्र

पृ	सु	अ	उ	सु
५२५	२	३	३	५१०-५१४
५२२	२	४	१	५२०
५१८	२	४	१	५२१
५१०	२	४	१	५२२
५२४	२	४	१	५२४
५१८	२	४	१	५२५
५२६	२	४	१	५२६
५१९	२	४	१	५२७
५२७	२	४	१	५२८
५१९	२	४	१	५२९
५२३	२	४	१	५३०
५१९	२	४	१	५३१
५२७	२	४	२	५३३
५१९	२	४	२	५३४
५२८	२	४	२	५३५
५२०	२	४	२	५३६
५२८	२	४	२	५३७
५२०	२	४	२	५३८
५२८	२	४	२	५२९
५२०	२	४	२	५४०
५२९	२	४	२	५४१
५२१	२	४	२	५४२
५२९	२	४	२	५४३
५२१	२	४	२	५४४
५२९	२	४	२	५४५
५२१	२	४	२	५४६
५३०	२	४	२	५४७
५२१	२	४	२	५४८
५३०	२	४	२	५४९
५२२	२	४	२	५५०
५१९	२	४	२	५५१

सूत्रकृतांग-सूत्र

पृ	सु	अ	गा
५२४	१	९	२५-२६
५२६ टि	१	९	२७

५३०	१	११	१७-२१
-----	---	----	-------

ठाणांग-सूत्र

पृ	अ	उ	सु
५१०टि	४	२	२३८
५११टि	१०	-	७४१(१)
५११टि	१०	-	७४१(२)
५११टि	१०	-	७४१(३)

पत्रवणा-सूत्र

पृ	पत्र	सु
५१४	११	८३०-८३१
५१५	११	५३२-८३८
५१७	११	८३९-८४८
५१२	११	८४९
५१३	११	८५०
५१३	११	८५१
५१३	११	८५२
५१३	११	८५३
५१३	११	८५४-८५७
५११	११	८६०-८६६
५१०टि	११	८७०
५१८	११	८९६-८९७
५१०टि	११	८९८
५११	११	८९९

दशवैकालिक-सूत्र

पृ	अ	गा
५३०	७	१-२
५१८टि	७	३
५२५	७	४-५
५२३	७	६-१०
५२४	७	११
५२८	७	१२-१३
५२७	७	१४
५२७टि	७	१५
५२७	७	१६
५१९	७	१७
५२७	७	१८
५२७टि	७	१९
५१९टि	७	२०
५१८ टि	७	२१-२२
५२९टि	७	२२
५२०	७	२३
५२९टि	७	२४
५२१	७	२५
५२९टि	७	२६-२९
५२१	७	३०-३१
५२९टि	७	३२
५२१	७	३३
५३०टि	७	३४
५२१	७	३५
५३१	७	३६-३७
५३२	७	३८-३९
५२५	७	४०
५२८टि	७	४१
५२०	७	४२
५३२	७	४३-४६
५२५	७	४७
५३१	७	४८-४९
५२३	७	५०

५२३	७	५१-५२
५१९	७	५३
५२३	७	५४
५१०	७	५५-५७
५१९	७	५५
५१८टि	८	४६-४८
५३१	८	४७-४९
५२५	९	उ ३ गा ९

उत्तराध्ययन-सूत्र

पृ	अ	गा
५२४	१	२४-२५
५२४	२४	९-१०

बृहत्कल्प-सूत्र

पृ	उ	सु
५२४	६	१

निशीथ-सूत्र

पृ	उ	सु
५३२	२	१८
५३२	१५	१-३

(३) एषणा-समिति

आचारांग-सूत्र

पृष्ठ	सु	अ	उ	सु
५६४	१	२	४	८६
५४१	१	२	५	८७-८८
टि ५४४	१	२	५	८७
टि ५३९	१	२	५	८८(४)
टि ५४१	१	२	५	८८(५)
५४१	१	२	५	८९-क
६०२	१	२	५	८९-ख
५९७	१	८	२	२०४-२०५
टि ५५६	१	८	-	२०४-२०५
५४१	१	८	३	२१०
५६०	१	८	५	२१८
६०२	१	८	६	२२३
५७४	१	१	१	३२४
५७९	२	१	१	३२५
५७९	२	१	१	३२६
५९६	२	१	१	३२६
टि ५५८	२	१	१	३३१
५९६	२	१	१	३३२
५८९	२	१	१	३३३
६१६	२	१	१	३३५
५४८	२	१	२	३३६
६१६	२	१	२	३३७
६१४	२	१	२	३३८-क
६१४	२	१	२	३३८-ख
६१५	२	१	३	३४०
६१८	२	१	३	३४१
६१५	२	१	३	३४२
५६८	२	१	३	३४३
५४९	२	१	३	३४६
६१७	२	१	४	३४८
५४७	२	१	४	३४९
५५०	२	१	४	३५०

५८८	२	१	५	३५२
५४८	२	१	५	३५४
५४८	२	१	५	३५५
५५०	२	१	५	३५६
६०४	२	१	५	३५७-क
५४५	२	१	५	३५७-ख
५४७	२	१	६	३५९
५४६	२	१	६	३६०-क
५७२	२	१	६	३६०-ख
५८५	२	१	५	३६०-ग
५७२	२	१	६	३६१
५७१	२	१	६	३६२
५६९	२	१	६	३६३
५६१	२	१	७	३६५
५६२	२	१	७	३६६
५६१	२	१	७	३६७
५६८	२	१	७	३६८-क
५६८	२	१	७	३६८-ख
५६९	२	१	७	३६८-ग
५७३	२	१	७	३६८-घ
५७०	२	१	७	३६८-च
५७१	२	१	७	३६८-झ
५३४	२	१	८	३७४
५७५	२	१	८	३७५
५७५	२	१	८	३७६
५७६	२	१	८	३७७
५७६	२	१	८	३७८
५७६	२	१	८	३७९
५७८	२	१	८	३८०
५७८	२	१	८	३८१
५७६	२	१	८	३८२
५७७	२	१	८	३८३
५७७	२	१	८	३८४
५७७	२	१	८	३८५
५७७	२	१	८	३८६
५७८	२	१	८	३८७
५७८	२	१	८	३८८
५५५	२	१	९	३९०
५४३	२	१	९	३९१
५५५	२	१	९	३९२
६०७	२	१	९	३९४
६०६	२	१	९	३९६
५६३	२	१	९	३९७(१)
५५८	२	१	१०	३९७(२)
६०४	२	१	१०	३९९
६०६	२	१	१०	४००
टि ६०७	२	१	१०	४०१
५८८	२	१	१०	४०२
६०७	२	१	१०	४०५
६१९	२	३	३	४०६
५४६	२	६	२	६०२
६०२	२	७	१	६०८-६०९
५८०	२	७	२	६२३-६२८
५८२	२	७	२	६२९-६३१
५८३	२	७	२	६३२

सूत्रकृतांग-सूत्र

पृ	सु	अ	उ	गा
५५९	१	१	३	१-४
५४०	१	१	४	४
५६५	१	७	-	२४-२६
टि ५९६	१	९	-	१४

५५४	१	१०	-	११
५४०	१	११	-	१३
५५८	१	११	-	१४
५५९	१	११	-	१५
५६५	१	१३	-	१०
५६५	१	१३	-	१२
५४०	१	१३	-	१७
५९९	१	१	-	६८७
५३४	२	१	सु	६८८
टि ५५८	२	१	सु	६८७-६८८
टि ५४४	२	१	सु	६८८
५५५	२	५	गा	८-९
टि ५५६	२	५	गा	८-९
५५६टि	२	५	गा	८-९

ठाणांग-सूत्र

पृ	अ	उ	सु
५३७	३	३	१८८
टि ५३७	३	३	१८८
टि ५३३	३	४	१९८
५३५	४	१	२४३
५३८	४	१	२७४
५३७	४	२	२९५
टि ५३७	४	४	३४०
५३६	४	४	३५०
५३६	४	४	३५२
६१२	६	-	५००(१)
६१२	६	-	५००(२)
५३९	६	-	५१४ (२०)
५३९	९	-	६८१
टि ५३३	९	-	६८१
५३८	९	-	६७४
टि ५९६	९	-	६९३

भगवतीसूत्र (विवाह प्रज्ञप्ति)

पृ	स	उ	सु
५५७	१	९	२६
५९९	१	९	२७
६१०	७	१	१७
६१०	७	१	१८
टि ५३३	७	१	१८
६११	७	१	१९
५३३	७	१	२०
६०५	८	६	४
टि ५५७	७	८	९
टि ५९६	९	३३	४३
६१२	२५	७	२०६

प्रश्नव्याकरण-सूत्र

पृ	सु	अ	सु
५६६	१	१	५ (ग)
टि ५३३	२	१	५ (ख)
टि ५४९	२	१	५ (क)
टि ५६५	२	५	५
५९८	२	५	५
५३३	२	५	६
५६५	२	५	२९

औपपातिक-सूत्र

पृ ६१२	उव सु ३०
--------	----------

दशवैकालिक-सूत्र				बृहत्कल्प-सूत्र			
पृ	अ	उ	गा	पृ	उ	सु	
५३४	१		२-५	५७६	१	१	
टि ५९६	३		२	टि ५७८	१	१-५	
टि ५७३	४		२२	५४१	१	४७	
५४४	५	१	१-३	५३५	१	१३	
५४८	५	१	४,६	५६४	१	१७-२८	
५४८	५	१	९-११	५६५	१	३१-३२	
५४८	५	१	१२	६०७	१	३३-३५	
५४६	५	१	१५	५४०	१	५०	
५४६	५	१	१६	६०७	१	१७	
५४९	५	१	१७	५३७	१	४७	
५४९	५	१	१८	५९८	१	४८	
५४९	५	१	१९	५९६	१	४८-४९	
५८७	५	१	२०	५७३	८	९	
५८८	५	१	२१	५४४	८	१९-२१	
५८८	५	१	२२	६१३	८	२२	
५४५	५	१	२३-२७	टि ५९६	८	२३	
टि ५४६	५	१	२५	५९८	८	२३	
५८७	५	१	२८	५९९	८	२४	
५७४	५	१	२९-३१	५६४	८	२५	
टि ५७३	५	१	३२	५४४	८	२६	
टि ५८५	५	१	३३-५१	५४४	८	२९	
टि ५९८	५	१	५२-५३	५४१	९	४	
५६३	५	१	५४	५६५	९	५	
५८७	५	१	५५-५६	टि ६००	१०	१६	
५७१	५	१	५७-५८	टि ५९६	१०	१६	
५७१	५	१	५७-५८	५९९	१०	६	
टि ५६८	५	१	५९	उत्तराध्ययन-सूत्र			
५६१	५	१	६०-६१	पृ	अ	गा	
५५८	५	१	६२-६३	५४०	१	३२	
५५८	५	१	६४-६५	टि ५४५	१	३३	
५५८	५	१	६६-६७	५६२	१	३४	
टि ५९६	५	१	६६-६७	६००	१	३५	
५५८	५	१	६८-६९	६००	६	३४	
टि ५९६	५	१	६८-६९	५४०	६	३६	
टि ५९६	५	१	७०	५४०	८	११-१२	
५४२	५	१	७१	५९८	८	२३	
टि ५७४	५	१	७२-७३	टि ५६४	१५	११	
टि ५६८	५	१	७४-७५	६०३	१७	१५	
५७०	५	१	७६-९५	५३५	१९	३४	
टि ५६२	५	१	९८-१००	५३५	१९	८४	
टि ५७५	५	१	१०१	५३८	२४	११-१२	
५८७	५	१	१०२-१०३	टि ५४४	२६	३२	
५८८	५	१	१०४-१०५	टि ६१२	२६	३३-३४	
६००	५	१	११३	५४७	२६	३५	
	११७			टि ५४०	३०	२५	
६०२	५	१	११८-१२०	५३९	३५	१०-११	
६००	५	१	१३१	५६०	३५	१४-१५	
६०२	५	२	१	५४१	३५	१६	
६०३	५	२	२-३	६०२	३५	१७	
५४४	५	२	४-६	दशाश्रुतस्कन्ध,			
टि ५४८	५	२	७	पृ	दसा	सु	
टि ५४६	५	२	९	५५४ टि	२	२	
टि ५४५	५	२	१०-१०	५६० टि	२	२	
टि ५४६	५	२	१३	५६३ टि	२	२	
५७४	५	२	१४-१७	५०६ टि	२	२	
५७५	५	२	१८	५९८ टि	२	२	
टि ५७१	५	२	१९	५४०	७	५	
टि ५७०	५	२	२०	५४३	६	२८	
टि ५७८	५	२	२१ (२)	६१३	८	१०-११	
टि ५७८	५	२	२१ (१)	५४३ टि	८	४१-४३	
टि ५७८	५	२	२२				

बृहत्कल्प-सूत्र

पृ	उ	सु
५७६ टि	१	१
५८०	१	१-५
६१८	१	४७
६१९	२	१३
६२०	२	१४-१६
६२०	२	१७-१८
६२०	२	१९-२०
६२०	२	२१-२२
६२१	२	२३-२४
६२१	२	२५-२८
६२२	४	१६
६२३	४	१७
६०८	४	१८
५५६	४	१९
६०८	५	११
६०८	५	१२
६०८	५	५२

यवहार-सूत्र

पृ	उ	सु
५५१	४	१९
५५१	४	२०-२१
५५१	४	२२-२३
५४२	६	१-३
५४२	६	४-९
६१९	७	२२-२३
टि ६१२	८	१७
६२२	९	१-४
६२२	९	५-८
६२२	९	९-१६
६२३	९	१७-३०
६२५	९	३३-३४

व्यवहार

पृ	अ	सु
५७९	९	३३-३४
६२५	९	३५-३६
टि ५३८	९	४५
५३८	९	४६

निशीथ-सूत्र

पृ	उ	सु
५५९	१	५८
५८९	२	३२-३६
५६५	२	३८
५४३	२	३९
६०७	२	४४
६०६	२	४५
६२५	२	४६
६२५	२	४७
६२५	२	४८
६२५	२	४९
५४३	३	१३
६१८	३	१४
५६०	३	१५
५७९	४	१९

६०९	४	२०
६०३	४	२१
५५९	४	२२
५८६	४	३८-३९
६०९	५	१४
५५२	५	३४
५५२	५	३५
५९५	८	१४-१७
५९१	८	१८
५९०	९	१-२
५९०	९	३-५
५९१	९	६
५९१	९	७
पटि (७५०)	५९२	९ १०
५९२	९	१२-१७
५९२	९	२०-२८
५७५	१०	५
५५८	१०	६
६१८	११	८०
५९०	११	८१
५७५	१२	४
६०९	१२	१०

निशीथ-सूत्र

पृ	उ	सु
५७३	१२	१४
५८६	१२	१५
६१३	१२	३०
६१३	१२	३१
५६६	१३	६४-७८
५८१	१५	५-१२
५८३	१६	४-११
५९०	१६	१२-१३
५४९	१६	२७
६०९	१६	३४-३६
५६२	१७	१२३
५६२	१७	१२४
५६१	१७	१२५
५७१	१७	१२६-१२९
५७३	१७	१३०
५९०	१७	१३१
पटि (७५०)		
५६०	१९	१-७

आवश्यक-सूत्र

पृ	अ	सु
टि ५९६	४	१८

(३) एषणा समिति पाण्डिषणा

आचारांग-सूत्र

पृ	श्रु	अ	उ
टि ६३१	२	१	७
	३६९		
६२७	२	१	७
	३७०		
६२९	२	१	७
	३७१		

६२९	२	१	८
३७३			
६३०	२	१	९
३९५			
६२९	२	६	२
६०३-६०४			

ठाणांग-सूत्र

पृ	अ	उ	सु
६२८	३	३	१८०
टि ६३१	३	३	१८२
टि ६३१	३	३	१८२
टि ६२८	३	३	१८८
टि ६२८	३	३	१८८
टि ६३१	३	३	१८८

दशवैकालिकसूत्र

पृ	अ	उ	गा
६३०	८		६
६३०	५	१	१०६-११२
टि ६३१	५	१	१०६

दशाश्रुतस्कन्ध-सूत्र

पृ	द	सु
टि ६३१	८	३०
टि ६३१	८	३०
टि ६३१	८	३०
टि ६२८	८	३१
टि ६२८	८	३२

निशीथ-सूत्र

पृ	उ	सु
६३२	२	४३
६३१	१७	१३२
टि ६३२	१७	१३२

शाय्येषणा

आचारांग-सूत्र

पृ	श्रु	अ	उ	सु
६४८	२	२	१	४१२
६३७	२	२	१	४१३
६३८	२	२	१	४१४
६४८	२	२	१	४१४
६४८	२	२	१	४१५
६४८	२	२	१	४१६
६४९	२	२	१	४१७
टि ६५२	२	२	१	४१२-४१७
६४९	२	२	१	४१८
६४७	२	२	१	४१९
६३८	२	२	१	४२०
६३८	२	२	१	४२१
६३९	२	२	१	४२२
६४०	२	२	१	४२३
६४०	२	२	१	४२४
६४०	२	२	१	४२५
६४१	२	२	२	४२७
६४१	२	२	२	४२८

६३९	२	२	२	४२९
६४३	२	२	२	४३०
६४९	२	२	२	४३१
६४४	२	२	२	४३२
६४४	२	२	२	४३३
६४४	२	२	२	४३४
६४५	२	२	२	४३५
६४४	२	२	२	४३६
६४५	२	२	२	४३७
६४५	२	२	२	४३८
६४५	२	२	२	४३९
६४५	२	२	२	४४०
६४५	२	२	२	४४१
६४३	२	२	२	४४३
६४३	२	२	२	४४४
६३२	२	२	२	४४५
६४२	२	२	२	४४७
६४२	२	२	२	४४८
६३९	२	२	२	४४९
६४१	२	२	२	४५०
६४२	२	२	२	४५१
६४२	२	२	२	४५२
पृ	श्रु	अ	उ	सु
६४२	२	२	२	४५३
६४२	२	२	२	४५४
६६०	२	२	२	४५५ (५)
६६०	२	२	२	४५८
६५७	२	२	२	४६० (१)
६५८	२	२	२	४६०-४६१
६५९	२	२	२	४६२
६५१	२	२	१	४६५-४६६
टि ६५४	२	७	१	६०८
६५८	२	७	१	६१०
६५५	२	७	१	६१२
६५५	२	७	१	६१३-६१५
६५५	२	७	१	६१६
६५६	२	७	१	६१७
६५६	२	७	१	६१७
६५६	२	७	१	६१८
६५६	२	७	१	६१९
६५४	२	७	२	६२१-६२२
६५३	२	७	२	६३५
६५२	२	८	१	६३७
६५२	२	९	-	६४१-६४२
६४७	२	९	-	६४३

सूत्रकृतांग-सूत्र

पृ	सु	अ	गा
६३६	१	११	१६

भगवती-सूत्र

पृ	सु	उ	सु
टि ६५३	१६	२	१०

दशवैकालिक सूत्र

पृ	श्रु	गा
६४४	२	११

उत्तराध्ययन सूत्र

पृ	अ	गा
६५९	१७	१४

६९६	२	६	१	५९८
६९०	२	६	१	५९९
६९८	२	६	१	६०० (क)
७०३	२	६	१	६०० (ख)
७००	२	६	१	६०० (ग)
७००	२	६	१	६०० (घ)
७०१	२	६	१	६०५ (ग)
७०२	२	६	२	६०५ (घ)
७०३	२	६	२	६०५ (ङ)
७०३	२	६	२	६०५ (च)

ठाणाग सूत्र

पृ	अ	उ	सु
टि ६९०	३	३	१७८

भगवती सूत्र

पृ	स	उ	सु
६९०	८	६	५-६

व्यवहार सूत्र

पृ	उ	सु
६९९	८	१६

बृहत्कल्प सूत्र

पृ	उ	सु
६९९	१	१७
६९९	१	१८
६९९	५	३०
६९९	५	४०-४२
६९९	५	४१-४३

निशीथ सूत्र

पृ	उ	सु
७०५	१	३९
७०६	१	४१-४६
७०५	२	२५
७०७	२	२७-३१
६०८	५	६४
६९३	११	१-२, ४-५
६९२	११	७-८
६९७	१४	१-४
६९१	१४	५-७
६९८	१४	८-९
७०२	१४	१०-११
७०४	१४	१२-२३
७००	१४	२४-३४
७०६	१४	३५-४०
७०५	१४	४१
७०७	१४	४२-४३
७०७	१४	४४-४५

पायपुच्छण एषणा

बृहत्कल्प-सूत्र

पृ	उ	सु
७०८	५	४४-४५

निशीथ सूत्र

पृ	उ	सु
७०९	२	१-८
७०९	५	१५-१८
टि ७०८	५	१५-१८

रजोहरण एषणा

ठाणाग सूत्र

पृ	अ	उ	सु
७१०	५	४	४४६

भगवती सूत्र

पृ	स	उ	सु
७११	८	६	५
७११	८	६	६

दशवैकालिक सूत्र

पृ	अ	सु
७१०	४	५४

बृहत्कल्प

पृ	उ	सु
७१०	२	३०

निशीथ सूत्र

पृ	उ	सु
७१०	५	६७-७७

आदान-निक्षेपणा-समिति

आचारांग सूत्र

पृ	सु	अ	उ	सु
७१२	२	१	३	३४४-३४५
टि ७१३	२	५	२	५८२
टि ७१३	२	६	२	६०५ (क-ख)
७१३	२	७	१	६०७ (ग)
७१७	२	७	१	६११

ठाणाग सूत्र

पृ	उ	सु
७१५	६	५०३

प्रश्नव्याकरण सूत्र

पृ	सु	अ	सु
७१२	२	५	८

दशवैकालिक सूत्र

पृ	अ	उ	गा
टि ७१३	५	१	८
७१२	६	-	१९
७१५	८	-	१७

उत्तराध्ययन सूत्र

पृ	अ	गा
७१६	१७	७
७१६	१७	९-१०
७१५	२४	१३-१४
७१६टि	२६	२५-२६
७१८	२९	३६

व्यवहार सूत्र

पृ	उ	सु
७१४	८	५
७१८	८	१३-१५

निशीथ-सूत्र

पृ	उ	सु
७१७	१	३५-३८
७१४	१	४०
७१६	२	५९
७१७	५	१९-२२
७१४	५	६६
७१४	१६	६९

परिष्ठापनिका समिति

आचारांग सूत्र

पृ	सु	अ	उ	सु
७२१	२	२	३	४५९
७२१	२	१०	-	६४५
७२५	२	१०	-	६४६-६४७
७२२	२	१०	-	६४८
७२५	२	१०	-	६४९
७२२	२	१०	-	६५०-(क)
७२३	२	१०	-	६५१-६६६
७२१	२	१०	-	६६७

दशवैकालिक सूत्र

पृ	अ	गा
७२०	८	१८

उत्तराध्ययन सूत्र

पृ	अ	गा
७२०	२४	१५
७२०	२४	१६
७२०	२४	१७-१८

बृहत्कल्प सूत्र

पृ	उ	सु
७२१	४	२९

<p>व्यवहार सूत्र</p> <p>पू उ सु ७२२ ७ २१</p>			<p>७३४ १ ८ १ २०१ ७३८ १ ८ १ २०३</p>			<p>उत्तराध्ययन सूत्र</p> <p>पू अ गा ७३८ १७ १३ ७३१ २३ ५५-५८ ७३० २४ १९ ७३१ २४ २० ७३० २४ २१ ७३४ २४ २२ ७३४ २४ २३ ७३४टि २४ २३ ७३५ २४ २४ ७३५ २४ २५ ७३० २४ २६(२) ७३४ २९ २७ ७३३ २९ ५५ ७३३ २९ ५६ ७३४ २९ ५७ ७३५ २९ ५८ ७३६ २९ ५९ ७३७ २९ ६० ६४-६८</p>		
<p>निशीथ सूत्र</p> <p>पू उ सु ७२८ २ ४१ ७२६ ३ ७१-७९ ७२८ ३ ८० ७२७ ४ १०४ ७२९ ४ १०२-१०३ ७२९ ४ १०५ ७२९ ४ १०६-१११ ७२७ १५ ६६-७४ ७२७ १६ ४०-५०</p>			<p>सूत्रकृतांग सूत्र</p> <p>पू सु अ गा ७३४ १ १० १५</p>			<p>दशाश्रुतस्कन्ध</p> <p>पू द सु ७३१ ५ १-२ ७३१ ५ ६</p>		
<p>गुप्ति</p>			<p>ठाणांग सूत्र</p> <p>पू अ उ सु ७३० ३ १ १३४ टि ७३१ १० - ७५५ ७३३ १० - ७११ (क) ७३३ १० - ७११ (ख)</p>			<p>आवश्यक सूत्र</p> <p>पू अ सु ७३०टि ४ २२</p>		
<p>आचारांग सूत्र</p> <p>पू सु अ उ सु ७३२ १ ३ २ ११८ ७३५ १ ४ ४ १४४-१४५ ७३७ १ ५ २ १५२-१५३</p>			<p>समवायांग सूत्र</p> <p>पू सम सु ७३२ टि १० १</p>			<p>दशवैकालिक सूत्र</p> <p>पू अ गा ७३० १० १५</p>		

चरणानुयोग : भाग २

<p>दीक्षा</p>			<p>भगवती सूत्र</p> <p>पूळ श उ सु २/१ ९ ३१ ४ २/१ ९ ३१ १३ २/१ ९ ३१ ३२</p>			<p>निशीथ सूत्र</p> <p>पूळ उ सु २/५ ११ ८४ २/१० ११ ८५</p>		
<p>आचारांग सूत्र</p> <p>पूळ सु अ उ सु २/३ १ ५ ३ १५८ २/३ १ ८ १ टि २०२(क) २/३ १ ८ ३ टि २०९(क)</p>			<p>दशवैकालिक सूत्र</p> <p>पूळ अ गा २/१० ४ १-६ २/९ ४ ७-१२</p>			<p>संयमी जीवन</p>		
<p>ठाणांगसूत्र</p> <p>पूळ अ उ सु २/३ २ १ ५४-५५ २/४ २ १ ६६(क) २/३ ३ २ १६३(२) २/६ ३ २ टि १६५(१-४) २/८ ३ २ टि १६७ (१) २/५ ३ ४ २०४ २/७ ४ ३ ३२९ २/६ ४ ४ ३५५(१-५) २/७ ४ ४ ३५५(६-७) २/७ ४ ४ ३५५(८) २/७ ५ ३ ४४३(२,३) २/७ १० ७१२</p>			<p>उत्तराध्ययन सूत्र</p> <p>पूळ उ सु २/८ ३५ १-२</p>			<p>आचारांग सूत्र</p> <p>पूळ सु अ उ सु २/२६ १ १ १ ४-९ २/२० २ १ ३ १९-२१ २/१९ १ १ ५ ४० २/१९ १ २ २ ७०-७१ २/२८ १ २ ६ १००-१०१ २/२७ १ ३ १ १०६ २/२७ १ ३ १ १०७ २/५४ १ ३ १ १०७(ख) २/२७ १ ३ ३ १२२ २/२६ १ ४ ३ १८४-१८९ २/३८ १ ६ २ १८५(ग) २/२६ १ ६ ५ १९७(ख) १९८ २/१९ १ ८ ३ २०९(ग)</p>		
<p>व्यवहार सूत्र</p> <p>पूळ उ सु २/८ ४ १५-१७ २/४ ७ ६-९ २/८ १० १९ २/४ १० २०-२१</p>			<p>वृहत्कल्प सूत्र</p> <p>पूळ उ सु २/५ ३ १४-१५ २/५ ४ टि ४-९</p>			<p>सूत्रकृतांग सूत्र</p> <p>पूळ सु अ उ गा २/४१ १ १ ४ ११-१३ २/२६ १ २ १ १२</p>		

२/४१	१	२	२	४-८
२/२६	१	२	२	२०
२/२६टि	१	२	२	२०
२/५४	१	२	३	१
२/३७	१	२	१	१
२/४०	१	२	३	१४-१५
२/४०	१	२	३	२०-२२
२/५३	१	३	४	१४-१५
२/५२	१	३	४	१८-२०
२/३७	१	२	१	१
२/३७	१	२	१	३
२/३७	१	२	१	१०
२/३७	१	१		२-७
२/३९	१	१०		१
२/४६	१	१०		२
२/४०	१	१०		३
२/३९	१	१०		४
२/४२	१	१०		७
२/३९	१	१०		१३
२/४२	१	१०		१४
२/४०	१	१०		१५
२/५५	१	१३		२-११
२/३९	१	१३		२३
२/३८	१	१५		६-७
२/३९	१	१५		१०-१५
२/२१	१	१६		सु६३२-६३७
२/३२टि	२			सु ७१४
२/४५	२	५		गा ३३

ठाणांग सूत्र

पृष्ठ	अ	उ	सू
२/१७	२	१	५४-५५
२/१३	२	१	६२
२/५३	३	१	१४४
२/१७	३	२	१६३
२/१७	३	२	१६३
२/११टि	३	४	२०६
२/४४	३	४	२१०
२/१३	४	२	३१० (१-३)
२/३५	४	३	३२५
२/३६	४	३	३२५
२/१५	४	४	३६८
२/२८	५	२	४२२
२/१४	५	२	४२८
२/१४	५	२	४२९
३/१६	५	२	४३०
२/२८	६		४९६
२/१५	६		५२१
२/११ टि	६		५३०
२/१५	८		६१५
२/१३	८		६४७

समवायांग सूत्र

पृष्ठ	सम	सू
२/१४	१७	१(१)
२/१४	१७	१(२)
२/४५	१८	१
२/२९	२७	१
२/४५	३२	१

भगवती सूत्र

पृष्ठ	श	उ	सू
२/३०	१	९	१७-१९
२/३०	२	१	८-९
२/१७	९	३१	६
२/१८ टि ९		३१	१३
२/१८	९	३१	३२
२/५३	१४	९	१७

प्रश्नव्याकरण -सूत्र

पृष्ठ	श्रु	अ	सु
२/२२	२	५	१
२/२१	२	५	९
२/३२	२	५	१०
२/२२	२	५	११

औपपातिक सूत्र

पृष्ठ	सु
२/३२	टि २७
२/३२	टि १२६

दशवैकालिक सूत्र

पृष्ठ	न	अ	उ	गा
२/२१	२			२-३
२/१८	३			११
२/२०	३			१२
२/२६	३			१३
२/५२	३			१४-१५
२/५६	४			२६
२/५०	५	२		८
२/४२	५	२		२९-३०
२/५७	५	२		३६-४५
२/४५	६			७
२/४५टि	६			७
२/४५	६			८-१०
२/४६	६			११-१२
२/४६	६			१३-१४
२/४६	६			१५-१६
२/४७	६			१७-२१
२/४७	६			२२-२५
२/४७	६			२६-२८
२/४७	६			२९-३१
२/४७	६			३२-३५
२/४८	६			३६-३९
२/४८	६			४०-४२
२/४८	६			४३-४५
२/४९	६			४६-४९
२/४९	६			५०-५२
२/४९	६			५३-५५
२/५०	६			५६-५८
२/५८ टि ६				५९
२/५१	६			६०-६३
२/५१	६			६४-६६
२/५२	६			६७-६८
२/३८	८			४१-४२
२/३८	८			४४-४५
२/४०	८			६०
२/३८	९	३		१
२/२८	९	३		१०-१२

२/२२	१०	१-७
२/२३	१०	१६-१८
२/२३	१०	१०
२/२४	१०	२०-२१
२/४१चु	२	५
२/५७ चु	२	७
२/४२ चु	२	७-८
२/४२ चु	२	९
२/४३ चु	२	१२-१६

उत्तराध्ययन सूत्र

पृष्ठ	अ	गा
२/५६	५	२१-२२
२/३९	६	१३
२/३८	८	१-४
२/५५	८	५
२/५५	८	६
२/५५	८	७
२/५५	८	८
२/५५	८	९
२/४६	८	१०
२/११	९	४४
२/३४	११	४४
२/२५	१५	१-१६
२/४२	१७	१२
२/५६	१७	२०
२/५६	१७	२१
२/३४	२०	६०
२/४१	२१	११-१४
२/४३	२१	१५-१६
२/४३	२१	२०--२२
२/३४	२१	१७
२/४३	२१	१८
२/३४	२१	१९
२/३४	२१	२३
२/३४	२७	२
२/११	२८	३२-३३
२/५२	२९	सु १०
२/५१	२९	सु ४६
२/११	३१	२
२/३९	३२	४
२/२५	३५	१३
२/४२	३५	१८
२/४१	३५	१९

बृहत्कल्प सूत्र

उ	सू
२/५०	३ २१-२३
२/११	६ २०

निशीथ सूत्र

२/४९	१२	१०
२/५०	१२	१२

समाचारी

आचारांग सूत्र

पृष्ठ	श्रु	अ	उ	सू
२/६३	२	३	१	४६४

२/६३	२	३	१	४६५	२/७२	८		३३	२/८३	५	३	४६६(२)
२/६४	२	३	१	४६६	२/७२	८		३४	२/८९	६		४८०
२/६४	२	३	१	४६७	२/७२	८		३५	२/९०	६		५०४(१)
२/६४	२	३	१	४६८	२/६९	८		४०	२/८३	६		५३८
ठाणाग सूत्र					२/६९	८		४४	२/९०	७		५४९
पृष्ठ	अ	उ	सू.		२/७०	८		४५-४७	२/९०	८		६०६
२/६८	४	१	२७४		२/६८	८		४८	२/९०	९		६६३(१)
२/६५	५	२	४१३(१-२)		२/७१	८		४९	२/९०	१०		७१२(२)
२/६५	५	२	४१३		२/७७	८		५०	२/१००	१०		७४८
२/५९	६		५२४(क)		२/६६	८		५९-६१	२/९०	१०		७५५(६-१)
२/५९	६		५२४(ख)		२/६८	८		६२	२/९१	१०		७५५(६-२)
२/६८	९		६७४		२/७६	८		६३	२/९०	१०		७५५(६-३)
२/५७	१०		७४९		२/७१	८		६४	२/९०	१०		७५५(६-६)
भगवती सूत्र					२/७३	८		६५	२/९०	१०		७५५(६-७)
पृष्ठ	श	उ	सू.		२/७५	८		६६	२/९१	१०		७५५(६-९)
२/५७	२५	७	१९४		२/७४	८		६७	समवायाग सूत्र			
उत्तराध्ययन सूत्र					२/७५	८		६८	पृष्ठ	सम	सू.	
पृष्ठ	अ	गा			२/७६	८		७०	२/८८	२		१ (१)
२/६२	१७	३			२/७६	८		७१	२/८८	३		१ (१)
२/६८	१७	१५			२/७७	८		७२	२/८८	३		१ (१)
२/५७	२६	१			२/७३	८		७३	२/८८	३		१ (३)
२/५७	२६	२-४			२/६६	८		७४	२/८८	३		१ (४)
२/५८	२६	५-७			२/६५	८		७५	२/८८	३		१ (५)
२/५९	२६	८-१२			२/७८	८		७६	२/८८	३		१ (६)
२/५९	२६	१३-१४			बृहत्कल्प सूत्र				२/८८	४		१ (१)
२/५९	२६	१५			पृष्ठ	अ	सू.		२/८९	४		१ (२)
२/५९	२६	१६			२/६५	१	३५		२/८९	४		१ (३)
२/६२	२६	१७-१८			२/६३	१	३७		२/८९	४		१ (४)
२/६२	२६	१९-२०			निशीथ सूत्र				२/८९	५		१ (१)
२/६०	२६	२१-२२			उ	सू.			२/८९	५		१ (२)
२/६०	२६	२३-२५			२/६८	४	२१		२/९०	६		१ (१)
२/६०	२६	२६-२७			२/६५	१०	४०-४१		२/९०	६		१ (२)
२/६१	२६	२८			२/७७	१०	४२,४३,४६		२/९०	७		१ (१)
२/६१	२६	२९-३०			२/७६	१०	४४		२/९०	८		१ (२)
२/६१	२६	(३०)			२/७२	१०	४५		२/९०	८		१ (३)
२/६१	२६	३१			२/७५	१०	४७		२/९०	९		१ (१)
२/६१	२६	३६-३८			प्रतिक्रमण				२/९०	१०		१ (१)
२/६१	२६	३९-४२			ठाणाग सूत्र				२/९०	११		१ (१)
२/६२	२६	४३			पृष्ठ	अ	उ	सू.	२/९०	१२		१ (गा७)
२/६२	२६	४४-४६			२/९९	२	१	५२(१-२)	२/९०	१३		१ (१)
२/६२	२६	४७-५१			२/८८	३	१	१३४(१)	२/९०	१४		१ (१)
२/६३	२६	५२			२/८८	३	१	१३४(५)	२/९०	१५		१ (१)
दशाश्रुतस्कन्ध					२/९९	३	१	१३६	२/९१	१६		१ (१)
२/६४	८	८			२/८८	३	३	१८८(१०)	२/९१	१७		१ (१)
२/६६	८	९			२/८४	३	४	१९८(१४-१७)	२/९१	१८		१ (१)
२/६८	८	१२-१५			२/८४	३	४	१९८(१८-२१)	२/९१	१९		१ (१)
२/६८	८	१६			२/८८	३	४	२१५	२/९१	२०		१ (१)
२/६९	८	१७			२/८९	४	१	२४७ (१)	२/९१	२१		१ (१)
२/६७	८	१८			२/८९	४	१	२४९(१)	२/९१	२२		१ (१)
२/६७	८	१९-२४			२/८९	४	२	२८२ (१)	२/९१	२३		१ (१)
२/६७	८	२९			२/१०२	४	३	३२७ (१०-१२)	२/९१	२४		१ (१)
२/७१	८	३०			२/८९	५	१	३८९ (१)	२/९१	२५		१ (१)
२/७१	८	३१			२/८९	५	१	३९० (३)	२/९१	२६		१ (१)
२/७२	८	३२			२/८९	५	३	४५७	२/९१	२७		१ (१)
					२/९९	५	३	४६६(१)	२/९१	२८		१ (१)
									२/९१	२९		१ (१)
									२/९१	३०		१ (१)
									२/९१	३१		१ (१)
									२/९१	३२		१ (१)
									२/९१	३३		१ (१)

भगवती सूत्र			
पृष्ठ	श	उ	सू
२/१०१	७	२	१
२/१०१	७	२	२-८

उपासकदशा सूत्र			
पृष्ठ	अ	सू	
२/९३	१	५७	

उत्तराध्ययन सूत्र			
पृष्ठ नं	अ	सू	
२/९१	टि २	गा १-४४	
२/१०२	२९	१३	
२/१०३	२९	१५	
२/१०३	२९	३५	
२/१०३	२९	३६	
२/१०३	२९	३७	
२/१०३	२९	३८	
२/१०४	२९	३९	
२/१०४	२९	४०	
२/१०४	२९	४१	
२/१०४	२९	४२	
२/१०४	२९	४३	

अनुयोगद्वार सूत्र			
पृष्ठन	सू		
२/८२	१-२९		
२/८२	७३		
२/८२	७४		

निशीथ सूत्र			
पृष्ठ नं	उ	सू	
२/१०५	१२	३	

दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र			
पृष्ठन	दशा	सू	
२/९० टि	द ६	१-३०	
२/९० टि	द ७	१-३९	
२/८९ टि	द ३	३ (१)	

आवश्यक सूत्र			
पृष्ठ	अ	सू	
२/८४	सुता १	१	
२/८५	१	२	
२/८५	३	१०	
२/८५	४	१	
२/८५ टि	४	११	
२/८६	४	१५	
२/८६	४	१६	
२/८६	४	१७	
२/८६	४	१८	
२/८८	४	१९	
२/९१	४	२०-२६(१)	
२/९३	सुता ४	३२	
२/९३	४	३३	

२/९४	५	३६-३७
२/९४	६	९६
२/९४	६	९७
२/९४	६	९८
२/९५	६	९९
२/९५	६	१००
२/९५	६	१०१
२/९६	६	१०२
२/९६	६	१०३(१)
२/९६	६	१०३(२)
२/९७	६	१०४
२/९७	६	१०५
२/९८	सुता ६	०००

गृहस्थ धर्म

सूत्रकृतांग सूत्र

पृष्ठ नं	श्रु	अ	उ	सू
२/१२६	१	२	३	गा १३

ठाणांग सूत्र

पृष्ठ नं	अ	उ	सू
२/१०६	३	१	१३३(१)
२/१०६	३	१	१३३ (२)
२/१०७	३	१	१३३ (३)
२/१०७	३	१	१३३ (४)
२/१२१	३	४	१९४
२/१०५	४	३	३२२
२/१०६	४	३	३१४
२/१०८ टि	५	१	३८९

समवायांग सूत्र

पृष्ठ नं	सम	सू
२/११७	११	१

भगवती सूत्र

पृष्ठ नं	श	उ	सू
२/१२६	१	१	१२
२/१०७	५	६	१-४
२/११२	७	१	६
२/१२१	७	१	७-८
२/११५	७	१	९-१०
२/११३	८	५	२-३
२/११३	८	५	४-५
२/१२५	८	५	६-८
२/१२७	८	५	९-१४
२/११५	८	६	१-२
२/११६	८	६	३

उपासकदशा सूत्र

पृष्ठ नं	अ	सू
२/१०८	१	११
२/१०७	टि १	४४
२/१०८	टि १	४५

२/१०९	टि १	४६
२/१०९	टि १	४७
२/११०	टि १	४८
२/११०	टि १	४९
२/११०	टि १	५०
२/१११	टि १	५१
२/१११	टि १	५२
२/११२	टि १	५३
२/११४	टि १	५४
२/११४	टि १	५५
२/११४	टि १	५६
२/११५	टि १	५६

औपपातिक सूत्र

पृष्ठ नं	सूत्र
२/१०८	टि ५७

उत्तराध्ययन

पृष्ठ नं	अ	सू
२/१२५	५	गा २३-२४

दशाश्रुतस्कन्ध

पृष्ठ नं	दशा	सू
२/११६	टि व ६	१-२
२/१२०	टि व ६	१७-३०

आवश्यक सूत्र

पृष्ठ नं	अ	सू
२/१०६	४	०००
२/१०७	६	६४-६५
२/१०८	६	६६-६७
२/१०९	६	६८-६९
२/१०८	६	९३
२/१०७	६	९४
२/१०९	६	७०-७१
२/११०	६	७२-७३
२/११०	६	७४-७५
२/११०	६	७६-७७
२/१११	६	७८-७९(१)
२/१११	६	७९ (२)
२/१११	६	८०-८१
२/११२	६	८२-८३
२/११४	६	८७-८८
२/११४	६	८९-९०
२/११५	६	९१-९२

आराधना-विराधना

आचारांग सूत्र

पृ नं	श्रु	अ	उ	सू
२/१२७टि	१	५	५	१६८
२/१२८	१	६	४	१९२
२/१७३	१	८	४	२१५
२/१५९	२	१	२	३३८

सुयगडांग सूत्र				
पृ न	श्रु	अ	उ	सू
२/१२७	१	२		१२९ गा
२/१७२टि	१	३	३	९-१०
२/१६८	२	१		६८२
२/१५७टि	२	२		५८-६१
				(अंगसुतांगि)
२/१६२टि	२	२		४०
				(अंगसुतांगि)

स्थानांग सूत्र			
पृ न	अ	उ	सू
२/१७०	२	४	११३
२/१३५	२	४	११८
२/१७४	३	४	२२२ (१)
२/१३४	४	३	३२१ (१-४)
२/१५४	४	४	३७४
२/१२७ टि	८		५९७
२/१५६ टि	८		५९७
२/१५६ टि	८		५९७

समवायांग		
पृ न	सम	सू
२/१३६	३	१(४)
२/१६९	१७	१(९)

भगवती सूत्र			
पृ न	श	उ	सू
२/१२८	१	३	६
२/१६९ टि	२	१	२६
२/१६४ टि	२	५	११
२/१६५ टि	२	५	११
२/१६५ टि	२	५	११
२/१६५ टि	२	१	२६
२/१३०	३	४	१९ (३)
२/१३४	५	६	१५-१८
२/१३०	८	६	७-११
२/१३३	८	१०	१-२
२/१३५	८	१०	३-६
२/१३६	८	१०	७-९
२/१३०	१०	२	७-९
२/१६९	१३	७	४१

ज्ञाताधर्मकथा		
पृ न	अ	सू
२/१५५ टि	१	४७
२/१३२	११	३-१३

उपासकदशा सूत्र		
पृ न	अ	सू
२/१३९	१	११

उववाई सूत्र		
पृ न	अ	सू
२/१३०		६७

२/१४१	६८-६९
२/१४३	७०
२/१४४	७१
२/१४५	७२
२/१४५	७३
२/१४७	७४
२/१४७	७५
	७६-८१
२/१५१	११७
२/१४०	११८-११९
२/१५१	१२०
२/१५२	१२१
२/१५२	१२२
२/१४०	१२३-१२४
२/१३८	१२४-१२९

प्रज्ञापना			
पृ न	ति	पद	सू
२/१२७	ति	पद	११ सू ८९९

उत्तराध्ययन सूत्र			
पृ न	अ	सू	
२/१७०	५	१-३	
२/१७२	५	४-१६	
२/१७२	५	१७-२०	
२/१७२	५	२१-३०	
	ति	१७	१२-२१
२/१७२	३६	२५६-२६०	
२/१७१	३६	२६१	
२/१५४	३६	२६३-२६७	

दशाश्रुत स्कंध			
पृ न	दशा	सू	
२/१६७	५	६	
२/१२७ टि	७	१-२५	
२/१२८ टि	१०	५	
२/१५७	१०	२२-२५	
२/१५८	१०	२६-२९	
२/१५९	१०	३०-३२	
२/१६७	१०	३३	
२/१६०	१०	३३-३४	
२/१६१	१०	३४-३७	
२/१६३	१०	३८	
२/१६४	१०	३९-४१	
२/१६६	१०	४२-४६	
२/१६७	१०	४७-४९	
२/१६८	१०	५०-५३	

बृहत्कल्प सूत्र			
पृ न	उ	सू	
२/१२७ टि	१	३६	

निशीथ सूत्र			
पृ न	उ	सू	
२/१७४	११	९२	

आवश्यक सूत्र			
पृ न	अ	सू	
२/१३६ टि	४	२४(४)	

अनाचार				
आचारांग सूत्र				
पृ न	श्रु	अ	उ	सू
२/१७८	१	२	१	६५-६६
२/१७८	१	३	४	१२९(ख)
२/१७७	१	५	१	१५०
२/१७७	१	५	१	१५१(ख)

सूत्रकृतांग सूत्र				
पृ न	श्रु	अ	उ	सू
२/१७९	१	२	१	२
२/१७९	१	२	१	५-६
२/१९१	१	२	२	७-९
२/१९२	१	२	२	१-२
२/१९२	१	२	२	३
२/१९०	१	९		११
२/१७६	१	९		१२ २३
२/१७६	१	९		२९
२/१९२	१	९		३६
२/१९३	१	१३		१२-१४
२/१९२	१	१३		१५-१६
२/१८२ टि	२	१		६८१
२/१७४	२	१		६८३
२/१९३	२	१		१८६
२/१८९ टि	२	२		६९४
२/१७४	२	५		१

ठाणांग सूत्र				
पृ न	अ	उ	सू	
२/१८० टि	३	४		१९८
२/१८१ टि	३	४		१९८
२/१८१ टि	५	२		४२५
२/१७६	६			५०१
२/१८०	६			५०२
२/१८० टि	६			५२९
२/१९१	८			६०६
२/१९०	८			६०८
२/१८१	१०			७३८ (१)
२/१८१	१०			७३८ (२)

समवायांग सूत्र			
पृ न	सम	सू	
२/१८९	१३	१	
२/१८५ टि	२०	१	
२/१८४ टि	२१	१	
२/१९० टि	२९	११	
२/१८९ टि	३०	१	

भगवती सूत्र			
पृ न	श	उ	सू
२/१८१	१	६	११
२/१८१ टि	२	१	५०
२/१८१ टि	७	१०	१६
२/१८१ टि	१७	२	१७
२/१८१ टि	१८	४	२

दशवैकालिक सूत्र

पृ नं	अ	गा
२/१८३	३	१-१०
२/१९२	८	३०
२/१७४	८	३१-३२
२/१९१	८	५०
२/१९२	१०	१९

उत्तराध्ययन सूत्र

पृ नं	अ	गा
२/१७७	४	१
२/१७९	४	६-१०
२/१९२	६	११-१२
२/१९०	८	१३
२/१७७	१०	१-३
२/१७८	१०	२१-२६
२/१७९	१०	२७
२/१७८	१०	३५-३७
२/१९०	१५	७
२/१७६	१७	१
२/१७७	१७	२
२/१७६	१७	१०
२/१७७	१७	११
२/१७७	१७	१६
२/१९०	१७	१८
२/१७६	१७	१९
२/१९०	२०	४५
२/१९१	२३	५०-५३
२/१९३	२९	सू. ६९
२/१९३	२९	सू. ७०
२/१९३	२९	सू. ७१
२/१९४	२९	सू. ७२

दशाश्रुतस्कन्ध

पृ नं	दशा	सू.
२/१८५	१	३-४
२/१८४	२	२
२/१८९	९	१-३९

बृहत्कल्प सूत्र

पृ नं	उ	सू.
२/१८०	६	१९

निशीथ सूत्र

पृ नं	उ	सू.
२/१९५	१	१०
२/१९४	४	२७
२/१९७	१०	७-८
२/१९७	११	६४-६५
२/१९७	११	६६-६७
२/१९७	११	६८-६९
२/१९८	११	७०
२/१९८	११	८२-८३
२/१९४	१३	१२
२/१९४	१३	१३-१५
२/१९४	१३	१६

२/१९५	१३	१७
२/१९५	१३	१८
२/१९७	१३	१९-२०
२/१९७	१३	२१
२/१९६	१३	२२-२४
२/१९६	१३	२४-२७
२/१९६	१३	२८
२/१९६	१३	२९-३०
२/१९६	१७	१३३

संघ व्यवस्था

आचारांग सूत्र

पृ नं	श्रु	अ	उ	सू.
२/२४६	१	५	१	१५१
२/२४५	१	५	५	१६२ (क)
२/२०२	१	५	४	१६६
२/२४५	१	६	२	१८६
२/२३३	१	८	१	१९९
२/२३३	१	८	२	२०७-२०८
२/२३४	२	१	१	३२७
२/२३४	२	१	१	३३०

सूयगाढांग सूत्र

पृ नं	श्रु	अ	उ	सू.
२/२४६	१	२	२	१२२-१२८ (१२-१८)
२/२४६	१	१०		१२
२/२७१	२	२		७१४
२/२००टि	२	७		८७२*

समवायांग सूत्र

पृ नं	सम	सू.
२/२३१	१२	१ (२)

स्थानांग सूत्र

पृ नं	अ	उ	सू.
२/१९९	३	१	१२७ (२)
२/१९९	३	१	१३७ (४)
२/२०१	३	३	१८० (१)
२/२३१	३	३	१८० (३)
२/२०१	३	३	१८० (४)
२/२०२	३	३	१८० (५)
२/२०२	३	३	१८० (६)
२/२०२	३	३	१८० (७)
२/२५३	३	३	१८८ (८)
२/२५३	३	३	१८८ (९)
२/२५२ टि	३	४	१९८ (१९)
२/२५३ टि	३	४	१९८ (१०)
२/२०६	३	४	२१४ (६-७)
२/१९९	३	४	२२० (१)
२/१९९	३	४	२२० (२)
२/१९९	३	४	२२० (३)
२/२२७	४	२	२१०
२/२०३ टि	४	३	३२० (१-२)
२/२०३ टि	४	३	३२०(३-४)
२/१९८ टि	४	४	३६३

२/२००	५	१	३९६ १-२
२/२३१	५	१	३९८ (१)
२/२५३	५	१	३९९ (१)
२/२५४	५	१	३९९ (२)
२/२२७	५	२	४१-
२/२२८	५	२	४१७ (१)
२/२२९	५	२	४१७ (२)
२/२०१ टि	५	२	४२१
२/२२९	५	२	४३-
२/२०५ टि	५	२	४३'
२/२३७	५	२	४३९
२/२१६	६		४७५
२/२२९ टि	६		४७६
२/२२९	६		
२/२३७	७		५४१
२/२०९	७		५४४
२/२०५	७		५७०
२/२४४	८		५५
२/२०६	८		६०१
२/२३२	९		६६१
२/२५२	१०		७३९ (१)
२/२५३	१०		७३९ (२)
२/२००	१०		७६१

भगवती सूत्र

पृ नं	अ	उ	सू.
२/२०१	८	८	८-
२/१९८टि	१६	६	२१ (५)
२/२००	२०	८	
२/१९९	२०	८	१२-१
२/१९८	२०	८	१

उत्तराध्ययन सूत्र

पृ नं	उ	सू.
२/२५५	२९	१
२/२३४	२९	३
२/२४५	३२	गा

दशवैकालिक सूत्र

पृ नं	अ	उ	सू.
२/२४४टि	१०	२	१०

दशाश्रुतस्कन्ध

पृ नं	दशा	सू.
२/२०६ टि	४	१-
२/२०६	४	
२/२०६	४	
२/२०७	४	
२/२०७	४	
२/२०८	४	८-१
२/२०८	४	१
२/२०८	४	

बृहत्कल्प सूत्र

पृ नं	उ	सू.
२/२५४	१	३

२/२२६	१	३७-३८
२/२२६	१	४८-५१
२/२२६	१	५२
२/२२१	३	२०
२/२३०	४	२०-२२
२/२४०	४	२३-२५
२/२४०	४	२६-२८
२/२५६	४	३०
२/२५५	५	५
२/२२५	५	१६-१८
२/२३०	५	४६
२/२३०	६	२-६
२/२२०टि	६	७-१८

व्यवहार सूत्र

पू न	उ	सू
२/२२६	१	२३-२५
२/२२१	१	२६
२/२५१	१	२७
२/२५१	१	२८
२/२२१	१	२९
२/२२२	१	३०
२/२२२	१	३१
२/२१६	२	१८-२२
२/२११	२	२६
२/२१७	३	१-२
२/२१६	३	३-४
२/२१०	३	५,७,९,
२/२११	३	६,८,१०
२/२१६	३	११
२/२२०	३	१२
२/२१४	३	१३-१७
२/२११	३	१८-२२
२/२१२	३	२३-२९
२/२२२	४	१-१०
२/२१८	४	११-१२
२/२११	४	१३
२/२१२	४	१४
२/२३९	४	१८
२/२२१	४	२४-२५
२/२२२	४	२६-३२
२/२२५	५	१-१०
२/२२१	५	११-१२
२/२१८	५	१३
२/२१९	५	१४
२/२१३	५	१५
२/२२०	५	१६
२/२१४	५	१७-१८
२/२३०	५	१९
२/२३०	५	२०
२/२३४	५	२१
२/२३५टि	६	२०
२/२०५	६	११
२/२४३	६	१४-१५
२/२४३	६	१८-२१
२/२४४	७	१-३
२/२३२	७	४-५
२/२२६	७	१०-११
२/२१४	७	१२-१३
२/२१९	७	१९-२०
२/२०१टि	१०	५
२०४	१०	६-१०

२/२०३	१०	१४-१५
२/२०३	१०	१६-१७
२/१९९	१०	१८
२/२२४	१०	२२-२३
२/२२३	१०	२४-३८

निशीय सूत्र

पू न	उ	सू
२/२३४	२	४०
२/२३६	३	१-१२
२/२५५	४	२५-२६
२/२४७	४	२८-२९
२/२४८	४	३०-३१
२/२४८	४	३२-३३
२/२४९	४	३४-३५
२/२४९	४	३६-३७
२/२४७	४	११२
२/२२७	८	११
२/२५५	१०	१३
२/२५५	१०	१४
२/२३६	१२	४०-४१
२/२३६	१५	७५
२/२४७	१५	७७-७८
२/२४८	१५	७९-८०
२/२४८	१५	८१-८२
२/२४९	१५	८३-८४
२/२४९	१५	८५-८६
२/२४७	१५	८९-९०
२/२४८	१५	९१-९२
२/२४८	१५	९३-९४
२/२५०	१५	९५-९६
२/२४९	१५	९७-९८
२/२४१	१६	१६
२/२५६	१६	१७-२५
२/२३६	१६	३६-३७
२/२३३	१७	१२१-१२२

तपाचार (बाह्यतप)

आचाराग

पू न	श्रु	अ	उ	सू
२/२६४	१	८	६	२२४
२/२६४	१	८	७	२२८
२/२६०	१	८	८	१ (१६)
२/२६१	१	८	८	२-११
२/२६३	१	८	८	१२-१८
२/२६५	१	८	८	१९-२५
२/२६५टि	२	१	६	३६०
२/२६५टि	२	१	११	४०९
२/२९०	२	१	११	४०९
२/२९०	२	१	११	४०९
२/२९०	२	१	११	४१०
२/२९०	२	१	३	४५६-४५७
२/२९४	२	५	१	५५९-५६०
२/२९४	२	६	१	५९४-५९५
२/२९४	२	७	२	६३३-६३४
२/२९५	२	८	१	६३८-६३९

सूयगडांग सूत्र

पू न	श्रु	अ	उ	गा.
२/२५७	१	२	१	१४-१५
२/२५७	१	८		२४
२/२५७	१	१०		११(स)
२/२७१ टि	२	२		७१४

स्थानांग सूत्र

पू न	अ	उ	सू
२/२६५	२	१	६६ (स)
२/२७९ टि	२	३	७७ (१-२)
२/२७९ टि	२	३	७७ (३-४)
२/२७९ टि	२	३	७७ (५-६)
२/२७७ टि	२	३	७७ (६)
२/२६१	२	४	११३
२/३१८	३	३	१७६
२/२६०	३	३	११८ (१-३)
२/२६६ टि	३	३	१८८ (स) (७)
२/२६६ टि	२	३	१८८ (६)
२/२८५ टि	३	३	१८८ (१२)
२/२८८ टि	३	३	१८८ (१३-१४)
२/२८२ टि	३	४	१९६ (१)
२/२८२ टि	३	४	१९६ (२)
२/२८२ टि	४	१	२३७
२/२७९ टि	४	१	२५१ (१)
२/२७९	४	१	२५१ (२-३)
२/२७७ टि	४	२	२७८ (१-२)
२/२७७	४	२	२७८ (३-४)
२/२५८	४	२	३०९
२/२९२ टि	४	३	३३१ (६)
२/२९३ टि	४	३	३३१ (७)
२/२९४ टि	४	३	३३१ (८)
२/२९४ टि	४	३	३३१ (९)
२/२७५	५	१	३९२
२/२७२	५	१	३९६ (५-८)
२/२७३	५	१	३९६ (९-१०)
२/२७४ टि	५	१	३९६ (११)
२/२७४	५	१	३९६ (१२)
२/२७४	५	१	४००
२/२८५ टि	५	२	४२४
२/२७६ टि	५	२	४२७ (१)
२/२७९	५	२	४२७ (२)
२/२५८ टि	६		५११ (१)
२/२६७ टि	६		५१४
२/२८२ टि	६		५१४
२/२८८ टि	७		५४५ (१)
२/२९० टि	७		५४५ (२)
२/२९५ टि	७		५४५ (३)
२/२९६ टि	७		५४५ (४)
२/२७४ टि	७		५५४
२/२९७	८		६४५
२/२९७	९		६८७
२/२९७	१०		७३०
२/३१८	१०		७३२

समवायांग

पू न	मम	सू
२/२५८ टि	६	१७
२/८०	१२	१

२/२९४ टि	४९	१
२/२९७ टि	६४	१
२/२९७ टि	८१	१
२/३०८	९१	१
२/३०७ टि	९२	१
२/२९७ टि	१००	१

भगवती सूत्र

पृ नं	श	उ	सू.
२/२६१	२	१	२७-२९
२/२६७	७	१	१९
२/२८०	१०	२	६
२/२६१ टि	१३	७	४२-४४
२/२६३	१४	७	११
२/२५८	२५	७	१९६
२/२५८	२५	७	१९७
२/२५८	२५	७	१९८
२/२५९ टि	२५	७	१९९
२/२६१ टि	२५	७	२००
२/२०२ टि	२५	७	२०१-२०२
२/२६६	२५	७	२०३
२/२६७	२५	७	२०४-२०६
२/२६८	२५	७	२०७
२/२७१	२५	७	२०८
२/२७२	२५	७	२०९
२/२७४	२५	७	२१०
२/२७६	२५	७	२११
२/२१२	२५	७	२१२
२/२७७	२५	७	२१३
२/२७७	२५	७	२१४-२१५
२/२७८	२५	७	२१६

उववाई सूत्र

पृ नं	सू.
२/२५८ टि	३० (१)
२/२५८ टि	३० (२)
२/२५८ टि	३० (३)
२/२५९	३० (४)
२/२६१ टि	३० (५)
२/२६२	३० (६)
२/६६ टि	३० (८-९)
२/२६७ टि	३० (१०-११)
२/२६८ टि	३० (१२)
२/२७१ टि	३० (१३)
२/२७३ टि	३० (१४)
२/२७४ टि	३० (१५)
२/२७६ टि	३० (१६)
२/२७७ टि	३० (१७-१९ ख)
२/२७८ टि	३० (१९क)
२/२७८ टि	३० (२०)

दशवैकालिक सूत्र

पृ नं	अ	उ	सू.
२/२०९ टि	५	१	३२

उत्तराध्ययन सूत्र

पृ नं	अ	सू.
२/२६१	५	३१-३२
२/२५८ टि	२८	३४

२/२५७	३०	३३
२/२५८ टि	३०	१-६
२/२५८ टि	३०	७
२/२५८ टि	३०	८
२/२५८	३०	९
२/२५९	३०	१०-११
२/२६०	३०	१२-१३
२/२६६	३०	१४
२/२६६	३०	१५
२/२६७	३०	१६-१९
२/२६८ टि	३०	१९
२/२६८	३०	२०-२१
२/२६८	३०	२२-२३
२/२६८	३०	२४
२/२७२	३०	२५
२/२७३	३०	२६
२/२७८	३०	२७
२/२८८	३१	२८
२/२८८	३१	२९
२/२६५	३५	२०
२/२६०	३६	२५०-२५५

दशाश्रुतस्कंध

पृ नं	व.	सू.
२/२८० टि	७	१-२
२/२५१	७	३
२/२५१	७	४
२/२८१	७	५
२/२८२	७	६
२/२६६ टि	७	६
२/२६८ टि	७	६
२/२८२	७	७
२/२८२	७	८
२/२८२	७	९-११
२/२८२	७	१२-१४
२/२८३	७	१५
२/२८३	७	१६
२/२८३	७	१७
२/२८२	७	१८
२/२८३	७	१०
२/२८४	७	२०
२/२८४	७	२०
२/२८४	७	२१
२/२८४	७	२२
२/२८४	७	२३
२/२८५	७	२४
२/२८५	७	२५
२/२८५	७	२६
२/२८५	७	२७
२/२८५	७	२८
२/२८५	७	२९
२/२८६	७	३०
२/२८६	७	३१
२/२८६	७	३२
२/२८६	७	३४
२/२८७	७	३५
२/२८८	७	३६-३९

कल्पसूत्र

पृ नं	उ	सू.
२/२७५	५	१९-२१
२/२७५	५	२२

पृ नं	उ	सू.
२/३१९	१	३
२/३६७ टि	८	१
२/२९४ टि	९	३
२/२९७ टि	९	३
२/२९७ टि	९	३
२/२९७ टि	९	४८
२/३०६	९	४१-४४
२/३०५	९	४३-४४
२/२९७	१०	१
२/३०१	१०	१-
२/३०५	१०	३-

व्यवहार सूत्र

तपाचार (आभ्यंतरतप)

आचारांग सूत्र

पृ नं	सु	अ	उ	सू.
२/३४९	१	२	६	१०२
२/३४९	१	४	२	१३४-१३५
२/३५०	१	६	१	१७७ (क)-१७८
२/३४९	१	६	५१९६	(ख)-१९७
(क)				
२/३४०	१	८	५	२१२
२/३४०	१	८	७	२.१
२/३३९	२	१	११	४०७-४०८

सूयगडांग सूत्र

पृ नं	सु	अ	उ	सू.
२/३३८	१	३	३	२०
२/३३८	१	३	४	टि २१
२/३५०	१	११		२४
२/३५०	१	१३		२०-२२
२/३५०	२	१		६८९
२/३४८	२	१		६९८
२/३५०	२	१		६९९

ठाणांग सूत्र

पृ. नं	अ	उ	सू.
२/३३४	३	३	१३५ (१-२)
	३	३	१७६ (१-३)
२/३३२	३	३	१७६ (४)
२/३१८	३	३	१७६ (४-६)
२/३४६	३	३	१९४ (१)
२/३३८	३	३	१९४ (४)
२/३४६	३	३	१९४ (९)
	३	४	टि १९८ (२२)
२/३३०	३	४	टि २०३ (२)
२/३११	३	४	टि २०७
२/३३१	३	४	२०३ (३)
२/३३१	३	४	२०३ (८)
२/३४३	३	४ टि	२०४ (८)
२/३४४	३	४ टि	२०४ (१०)
२/३५१	४	१ टि	२४७ (१-१३)
२/३११	४	१	२६

वीर्याचार

आचाराग सूत्र

पृष्ठ	सु	अ	उ	सू.
२/४०४	१	१	३	२२
२/४०४	१	१	४	टि ३२(क)
२/३९७	१	२	१	६-८
२/३६४	१	२	३	८०
२/३९७	१	२	६	९९(ख)(ग)
२/३९७	१	२	६	१०३
२/३९९	१	३	१	१०९
२/४०२	१	३	१	११०-१११
२/३९७	१	३	२	११२
२/३६४	१	३	२	११३-११४
२/३९६	१	३	२	११४-११६(क,ख)
२/४०१	१	३	२	११६ (ग)-११७
२/३९५	१	३	२	१२०-१२१
२/३९४	१	३	३	१२३ (क)
२/४०२	१	३	३	१२४ (क)
२/३९७	१	३	३	१२४ (ख)
२/३९६	१	३	३	१२५(क)
२/३९७	१	३	३	१२५(ख)
२/४००	१	३	३	१२६
२/४०४	१	३	३	१२७ (क)
२/४०१	१	३	४	१२७ (ख)
२/४०२	१	३	४	१२८
२/३९९	१	३	४	१२९ (घ)
२/४०१	१	३	४	१२९-१३१
२/४०३	१	४	३	१४१-१४२
२/३९८	१	४	४	१४३
२/३९८	१	४	४	१४६
२/४०२	१	५	२	१५५-१५६
२/३९२	१	५	३	१५७ (घ)
२/४००	१	५	३	१४९ (घ)
२/३६३	१	५	३	१५९ (क, ग)
२/४००	१	५	३	१५९ (ख)-१६०
२/३९३	१	५	३	१६१
२/४०४	१	५	५	१७१
२/३९४	१	५	६	१७२ (क)
२/४०१	१	५	६	१७२-१७३
२/३९५	१	६	२	१८४ (क)-१८५
२/३७१	१	६	३	१८७ (क, ख, ग)
२/३९७	१	६	३	१८७ (घ)-१८८
२/३६८	१	६	४	१९३-१९५
२/३७९	१	६	५	१९६ (क)
२/४००	१	८	१	२०२ (क-ख)
२/४०३	१	८	१	२०२ (ख)
२/३९९	१	८	२	२०६
२/३९५	१	८	३	२१० (क) (ख)
२/३९५	१	८	६	२२२
२/३७१	१	८	७	२२५-२२६

सूयगडांग सूत्र

पृष्ठ	सु	अ	उ	गा.
२/४०३	१	१	१	१-६
२/३६८	१	२	१	१३
२/३७८	१	२	१	१६-१८
२/३७९	१	२	१	१९-२०
२/३९८	१	२	१	२१-२२
२/३६८	१	२	२	२१-२२

२/३९६	१	२	३	१६-१७
२/३८१	१	३	१	१-३
२/३६९	१	३	१	४
२/३७०	१	३	१	५
२/३७६	१	३	१	६
२/३७५	१	३	१	७
२/३७६	१	३	१	८
२/३७५	१	३	१	९-११
२/३७०	१	३	१	१२
२/३७९	१	३	१	१३
२/३७६	१	३	१	१४-१६
२/३८०	१	३	१	१७
२/३८१	१	३	२	१
२/३८२	१	३	२	२-१४
२/३८३	१	३	२	१५-२२
२/३८३	१	३	३	१-७
२/३७५	१	३	३	८-१०
२/३८५	१	३	३	
टि	२१			
२/३८४	१	३	४	१-५
२/३८४	१	३	४	६-८
२/३८५	१	३	४	९-१३
२/३७२	१	३	४	१६-१७
२/३८५	१	३	४	२२
२/३७३	१	४	१	१-९
२/३७३	१	४	१	२३-३१
२/३७४	१	४	२	१९-२२
२/३९९	१	७		२९-३०
२/३६३	१	८		१-३
२/३६४	१	८		४-९
२/३६५	१	८		१०-२१
२/३६३	१	८		२२
२/३६५	१	८		२३
२/३६६	१	८		२५-२६
२/४११	१	९		२४
२/३८०	१	९		३०
२/३७६	१	९		३१
२/३९९	१	९		३३-३४
२/४०६	१	१४		२१-२५

ठाणाग सूत्र

पृष्ठ	अ	उ	सु
२/३८०	४	४	३६१ (१)
२/३८०	४	४	३६१ (२)
२/३८०	४	४	३६१ (३)
२/३८१	४	४	३६१ (४)
२/३८१	४	४	३६१ (५)
२/३७२	५	३	४४४
२/३९३	८		६४९

समवायाग सूत्र

पृष्ठ	सम	सु
२/३६९	२२	१ (१)

भगवती सूत्र

पृष्ठ	अ	उ	सु
२/३९४	१२	१	२४
२/३६३	१७	२	१०

दशवैकालिक सूत्र

पृष्ठ	अ	उ	गाया
२/३९५	२		४
२/४०५	४		२७
२/३८०	८		२७
२/४०८	८		३४
२/३७६	९	३	६-८
२/३७९	१०		११-१४

दशाश्रुतस्कंध

पृष्ठ २/३६७ दसा ४, सु ६, गा १-१७
उत्तराध्ययन सूत्र

पृष्ठ	अ	गा
२/४००	१	१५-१६
२/३६९	२	टि २
२/३६९	२	३
२/३६९	२	४-५
२/३६९	२	६-७
२/३६९	२	८-९
२/३७०	२	१०-११
२/३७०	२	१२-१३
२/३७०	२	१४-१५
२/३७१	२	१६-१७
२/३७२	२	१८-१९
२/३७४	२	२०-२१
२/३७४	२	२२-२३
२/३७४	२	२४-२५
२/३७५	२	२६-२७
२/३७६	२	२८-२९
२/३७६	२	३०-३१
२/३७७	२	३२-३३
२/३७७	२	३४-३५
२/३७७	२	३६-३७
२/३७७	२	३८-३९
२/३७७	२	४०-४१
२/३७८	२	४२-४३
२/३७८	२	४४-४५
२/३७८	२	४६-४७
२/३७८	२	४८
२/३९२	३	१
२/३९२	३	११
२/३९३	४	११-१३
२/३९६	६	१-२
न४०७	७	१-१०
२/४०७	७	११-१३
२/४०८	७	१४-२२
२/४०८	७	२३-२७
२/४०८	७	२८-३०
२/४११	२९	३०
२/४११	२९	४७
२/३८५	३१	५
२/४०५	३२	६-९
२/४०५	३२	२१
२/८८	३२	२२-३४
२/३८६	३२	३५-४७
२/३८९	३२	४८-६०
२/३९०	३२	६१-७३
२/३९२	३२	७४-८६
२/४१०	३२	८७-९९
२/४११	३२	१००-१०६
२/४०५	३२	१०७-१११
२/४०५	३५	२१

परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शब्द सूची

अइहन्त २/१००
 अइहम् २/८३,८४
 अइहमण विसोही २/८४
 अइभार २/१०८
 अइभूमि १/५४५
 अइमाय पाण-भोयण १/३२४
 अइयार १/१३७,१३८, २/८३,८४,९३,
 १०७,१०९,११०,१११,११२,११४
 अइरेग-गहिय १/६८९
 अइलोलुप १/८२
 अइहास १/१९४
 अकम्प २/४५
 अकम्पद्वियाण १/५५६
 अकम्पणिज्ज १/४३२
 अकम्पिय आहाराइ २/४८,४९
 अकम्म १/१४७,२१०, २/३६३,४०१
 अकम्मवीरिय २/३६४
 अकम्मस १/१७९
 अकरणिज्ज किच्चाइ १/३०३
 अकसाइ १/१०७
 अकसिण चरम १/६८६
 अकसिण वत्थ १/६७९
 अकसिणा २/३११
 अकाममरण २/१७०,१७२
 अकाल १/५४४
 अकिच्चट्टाण २/३१९,३२०,३२१
 अकिच्चाणसेवण १/४२३
 अकिरिय १/१६७,१९८, २/४११
 अकिरियआया १/७४१
 अकिरिया १/१०३,१३४,१५२,१६४,
 १७०,१८९
 अकिरियाफल १/१०३
 अकिरियावाई १/१७०,१७२,१७३,१७८
 अकिचण १/३००, २/४१
 अकिचणता २/१३
 अकुऊहल १/८
 अकुसल १/१८३
 अकोउहल २/२७
 अकोविया १/१८०, २/३८१
 अकोहण १/८२
 अकड्डयए २/२७४
 अकपिय (गणधर) १/७
 अक्कोस परीसह २/३६८,३७५-३७६
 अक्खाइयाणिसिया १/५११
 अक्खात पवज्जा २/६
 अक्खीणमहाणसिय १/२२३
 अक्खेवकरणं पायच्छित्त २/३३०
 अक्खेवणी २/३४७
 अक्खण्ड चम्म १/६८६
 अक्खेय(त्त)ण १/१८३,१८४,१८५

अगइसुयाण वसण १/६६४
 अगणि १/२२६,२४६
 अगणिकम्मसमारंभ १/२३४,२३५,२३६
 अगणिकाय १/२३६
 अगणिसत्थ १/२३४,२३५
 अगार १/१३२, २/१,२,३,७०,१२१,
 १२५
 अगारधम्म २/१०८
 अगारव २/२५७
 अगारवास २/३७६
 अगारसामाइय धम्म २/१०८
 अगारि २/४०८
 अगारिकम्म २/५५
 अगारिण १/१०५
 अगुणप्पेही २/५६
 अगुत्ती १/७३०
 अग्ग २/३९६
 अग्गपिंड १/५८८,५८९
 अग्गवीयाइ १/५७७
 अग्गहे २/३९७
 अग्गिभूइ (गणधर) १/७
 अग्गी उवमा २/१९१
 अग्गी उवसग्ग २/२८३
 अगचूलिया २/२२३
 आगति १/१९९
 आगाढाइवयण १/५३२
 अचक्खुदंसणगुणप्पमाण १/२३
 अचवल १/८२
 अचित्त १/५१०
 अचित्तकम्म १/६३५
 अचित्त परिग्गह २/११०
 अचित्ता २/२०६
 अचित्तादत्तादाण २/१०९
 अचियत्तकुल १/५४९
 अचियत्तविसोही २/१८१
 अचियत्तोवघात २/१८१
 अचिरकालकयं १/७२०
 अचेत्त १/६७६,६७७,६८८, २/३७०,
 ३७१,३९५
 अचेत्तग २/३७७
 अचेत्त परीसह २/३६८,३७०,३७१
 अचेत्तस पसत्थ परिणाम २/३७१
 अचेत्तिया २/२७५
 अच्चक्खर १/९७
 अच्चासायणया १/९९, २/१९४
 अच्ची १/७४९
 अच्चुयकम्प २/१४०
 अच्चत्तसुही २/४०५
 अच्चविल १/६३०
 अच्च १/५४८

अच्छिपत्त परिकम्म १/३५६,३९०,
 ३९७,४०४
 अच्छिपत्त परिकम्मकारावण १/३६८,
 ३७६,३८३
 अच्छीपरिकम्म १/३९६,४११
 अच्छीपरिकम्मकारावण १/३६८,
 ३७५,३८२
 अच्छीमल १/३४०,३५२,३५८,३६४,
 ३७१,३७८,३८५,३९२,३९९,४०६
 अच्छेज्ज १/५०७,६१४
 अजय १/२४७
 अजयणा १/२४७
 अजहण्णउक्कोसिया २/१३५
 अजाणू १/१२३
 अजाय(ती) २/११३
 अजिय १/३
 अजीव १/५९,१२५,१२६,१४१,
 १६०,१८९
 अजीवकाइय आरंभ १/२८२
 अजीवभिसिया १/५१२
 अजुत्त परिणय १/११९
 अजुत्तरूव १/११८
 अजुत्तसोभ १/११८
 अजुत्त १/११७,११८
 अजुत्ता १/११८
 अजोगत्त २/१०४
 अज्ज १/२०१
 अज्जदिट्ठी १/२०१
 अज्जपण्णा १/११९
 अज्जव १/१३३
 अज्जव (धम्म) १/३१,३२
 अज्जा १/११९
 अज्जणाणावरणिज्जा १/२०५,२०६
 अज्जत्थ जागरणा २/४३
 अज्जत्थवयण १/५१८
 अज्जत्थिय १/३३७
 अज्जप्पजोगसाहणजुत्त १/७३४
 अज्जप्पजोगसुद्धादाण २/२१
 अज्जयण छक्खवग्ग २/८२
 अज्जसिर १/७२०
 अज्जोववज्जणा १/१२३
 अज्जोववण्णा १/४७३
 अज्जसपत्त २/५४
 अट्टज्ञाण २/३५१
 अट्टज्ञाण लक्खण २/३५२
 अट्ट १/७४७
 अट्टालय १/७४७
 अट्ट अट्टमिया भिक्खु पडिमा २/२९७
 अट्टकर २/२०३
 अट्टजाय २/३३३

नोट प्रथम अंक चरणानुयोग भाग का सूचक है, तथा द्वितीय अंक पृष्ठ का जैसे प्रथम शब्द अइहन्त- २/१००- अर्थात् भाग २ के पृष्ठ १०० में यह शब्द आया है ।

अट्टणाणायार १/११२
 अट्टदसी १/१०८
 अट्टभक्तिय २/७२
 अट्टमी पोसह १/६१६
 अट्टलोलुप १/४४०
 अट्टविहकम्मगठि १/३२५
 अट्टारसठाणा २/४५
 अट्टारस पावट्टाण २/१८१
 अट्टालोभी १/४५३
 अट्टि १/६५
 अट्टोवमा १/२२१-२२२
 अट्टरत्त १/६३,६८
 अट्टोमोयरिया ६११
 अणग २/३८२
 अणगार १/६०,६१,१५३,२०५,२१०,
 २१५,२२८,२२९,२३१,३२७,३३४,
 ३३७,४८७,४८८, २/१,२,३,१९,
 २०,१२१,१३६,१३७,१६५,१६७,
 २१६,२६२,२६३,२८०,२८१,२८२,
 २८३,२८४,२८५,२८६,२८७,२९७,
 २९८,३०१,३०५,३०६,३२०,३७३,
 ३७६,३९४,४०२
 अणगारगुणा २/२९
 अणगारघम्म १/३०
 अणगार सामाइय १/७३९
 अणगारिय १/१३२
 अणच्चसायणसील १/१०३
 अणच्चावित १/७१५
 अणच्चासायणाविणय १/७५,७६
 अणज्ज १/२०१
 अणज्जदिट्ठी १/२०१
 अणज्जघम्म १/२४०
 अणज्जपण्णा १/११९
 अणज्जा १/११९
 अणज्जोववण्ण २/२६२,२६३
 अणट्टा १/५०६
 अणण्णदसी २/२८
 अणण्णाराम २/२८
 अणत्तपण्ण १/१३५
 अणत्तवओ २/२८
 अणत्तवओ अत्तवओयणा २/२८
 अणत्तयदहवेरमण २/१००,१०८,१११
 अणन्तघाइ पज्जव २/३३४
 अणपन्नियदेवत्तण २/१३०
 अणभिक्कन्त किरिया १/६६४
 अणभिरगहिय(१) १/५१२, २/७४
 अणभिरगहिय कुट्ठी १/१२६
 अणभिरगहिय मिच्छादंसण १/१६४
 अणवज्ज (अनवद्य) १/१४६,१६८
 अणवट्टप्प २/२१६,३३०,३३१
 अणवट्टप्प पायच्छित्तिरिह २/३३०
 अणवट्टप्पारिह २/३१०
 अणवदग्ग २/५३

अणसण २/२५८-२६५
 अणण्हय १/१०३
 अणण्हयफल १/१०३
 अणण्हव १/४३२
 अणाइल १/१०७
 अणागत १/१७२, २/१००
 अणागमण घम्मिणो २/३९५
 अणागयवयण १/५१८
 अणागार २/१००
 अणाढिता २/८
 अणाढिय (देव) १/११०
 अणाणुबधि १/७१५
 अणाणुवादी १/१७२
 अणात्ताविय २/७४
 अणादीय २/५३
 अणाभोग २/३०९
 अणायार १/१८७,१८८,५५६, २/८४,
 १७४-१९८
 अणायार-भट्ट-सेवी २/१५४
 अणारिय १/१५९,१७९,१६३,१९५,
 ४८९, २/६५
 अणारियवयण १/२४५
 अणारंभ १/२८२,४५४
 अणारंभजीवी १/७३७
 अणालोयण २/३२१
 अणाविल २/४१
 अणासत्त १/४३४,४३५
 अणासव १/१०४,२०७,२२०,
 २/२५७,४०५
 अणासायमाण १/५०५,५०६
 अणाहपिण्ड १/५९१
 अणियाठाण १/५००
 अणिएय २/३७४
 अणिएयवास २/४१
 अणिच्च भावणा २/३९५
 अणिट्टहए २/२७४
 अणिदाण १/४०३
 अणिदाणया १/५३
 अणियट्टगामी १/३९८
 अणियाण १/१६८
 अणियाणभूत १/३९
 अणिरय १/१५९
 अणिसिट्ट १/५०७,५६३,६१४
 अणिस्सर १/१४२
 अणिस्सा १/२१६
 अणिणहवायार १/१११
 अणुकंप १/८९
 अणुकस १/४५४
 अणुग्घाय पायच्छित्तिरिहा २/३३०
 अणुच्चकुइय २/७४
 अणुट्टाणबंधिय २/७४
 अणुणवण्णी २/२८२
 अणुणविय पाणभोयण भोई १/३०१

अणुण्णापगारा २/२०१
 अणुत्तर १/५,६,५१,६०,१००,१२७,
 १३४,१४५,१४७
 अणुत्तरणाण-दंसण १/१९७
 अणुत्तरणाणदंसणघर २/४०
 अणुत्तरदसी २/४०
 अणुत्तर घम्म १/३६
 अणुत्तरनाणी २/४०
 अणुत्तरोववातिय (देव) २/५३
 अणुदिसा २/४७
 अणुपालणासुद्ध २/९९
 अणुप्पेह (१) १/१३३,६१७,६१८,
 २/३४२
 अणुप्पेहा फूल २/३४६
 अणुभासणासुद्ध २/९९
 अणुमाण १/१८
 अणुमाणइत्ता २/३१८
 अणुवसु १/४५२
 अणुवीति १/१०८
 अणुवीति भासणया १/२९६
 अणुवीय मित्तोगहजाई १/३०१,३०२
 अणुवीय वाय १/११२
 अणुवीयि भासी १/२९०
 अणुव्वय २/१०७,१०८
 अणुसासण १/८४,८५,८६
 अणुसोय १/१४२
 अणुसोयचारी १/५३६
 अणुस्सयुत्त १/४५५
 अणुणाइरित्त पडिलेहणा २/६१
 अणोगच्चित्त १/७३२
 अणोगच्छन्दा २/४३
 अणोमदसी १/४३५
 अणोवसंख १/१८१
 अणोहंतर १/४३८
 अणंकीडा २/११०
 अणंत १/३
 अणंतकायसंजुत्त आहार १/५७५
 अणंतघात १/११२
 अणंतचक्खू १/६
 अणंतनाणदसी २/४११
 अणंतनाणोवगय १/१०२
 अणंतमिस्सिया १/५१२
 अणंतमोह १/४५५
 अणंतरसमुदाणकिरिया १/१६४
 अणंतरहिया पुढवी १/७४२
 अणंतरागम १/२३
 अणंतानुबन्धिकोह-माण-माया-लोभ
 १/१३४
 अणविल १/६३१,६३२
 अण्णजत्थियणी २/२३५
 अण्णजत्थिय १/१६७,३१०,३११,३१२,
 ३६३,३६४,३६५,३६६,३६७,३६८,
 ३६९,३७०,३७१,३७२,३७३,३७४,

४४० परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शब्द सूची

३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०,
३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६,
३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ४९३,
५८६, ६७७, ६८७, ७१४, ७२८,
२/१११, १३२, १९४, १९५, १९६,
२३४, २३५, २३६, ३४३, ३४५, ३६३
अण्णउत्थियाणं दंसणपण्णवणा १/७४१
अण्णगणाओ आगयाणगणपवेसस्सविहि
णित्सेह २/२४२
अण्णगिलायचरण २/२७१
अण्णगिलायए २/२७०
अण्णतित्थिय १/१९२
अण्णतित्थिय पससाकरण २/१९७
अण्णपरिग्गहाए १/७३३
अण्णपरियावए १/७३३
अण्ण-पाण १/५३०
अण्णमण्ण ववहार २/२३१
अण्णमण्णवित्तिगिच्छा २/२७
अण्णमण्ण वेयावच्चकरण विहाण
२/२२९-२३०
अण्णमण्ण अच्छी परिकम्म १/३११
अण्णमण्ण अच्छीपत्त परिकम्म
१/३६२, ४१२
अण्णमण्णस्स उत्तरोट्ट परिकम्म
१/३६१, ४१०
अण्णमण्णस्स ओट्ट परिकम्म
१/३६०, ४०९
अण्णमण्णस्स कायपरिकम्म
१/३५७, ४०५
अण्णमण्णकिरिया १/३४०
अण्णमण्णस्स केसपरिकम्म
१/३६३, ४१३
अण्णमण्णस्स चक्खुपरिकम्म १/३६१
अण्णमण्णस्स जंघाइरोमाणं परिकम्म
१/३५९, ४०८
अण्णमण्णस्स णहसिहापरिकम्म
१/३५९, ४०८
अण्णमण्णस्स दत्तपरिकम्म
१/३६१, ४१०
अण्णमण्णस्स पायपरिकम्म
१/३५८, ४०७
अण्णमण्णस्स भुमगरोम परिकम्म
१/३६२, ४१२
अण्णमण्णस्स मलणीहरण १/३५८
अण्णमण्ण सीसदुवारिय करण १/४१३
अण्णवहाए १/७३३
अण्णाण १/१६७, १८०
अण्णाणमोहदंसिण २/५२
अण्णाणवाय १/१७८
अण्णाणिया १/१८०
अण्णाणियाण १/१७९, १८०
अण्णाणी समणस्स गई २/५५
अण्णायजंछं २/४१

अण्णायचरण २/२७०, २७१
अण्णाण पमायदोस २/२४६
अतारिमा २/३८२
अतिसिलाभ २/३८६, ३८७, ३८८,
३९०, ३९१
अतिरत्ता २/५९
अतिराउल १/५१७
अतिहिसंविमाग २/१०१, १०८, ११४
अतीरंगम १/४३९
अतुट्ठिदोस २/३८६, ३८७, ३८८,
३९०, ३९१, ४०९
अतुरियभासी १/५१९
अतेण २/४०
अतेणगं ठाणं २/४६
अत्त २/४०४
अत्तगरहा फल २/३३४
अत्तमाण २/३२१
अत्तणिन्दाफल २/३३३
अत्तदसण १/४६२
अत्तवतो २/२८
अत्तविण्णु २/४०४
अत्ता १/१७०
अत्तागम १/२३
अत्तुक्कोस २/१५४
अत्थ १/८४
अत्थकहा २/३४६
अत्थ (ज्ञानाचार) १/५५, ११२
अत्थघर १/१०९, १२२
अत्थपडिणीय १/८९
अत्थसुयधम्म १/३०
अत्थागम १/२३
अत्थिकाय १/१५४
अत्थिकाय धम्म १/३१, १२७, २/३४६
अत्थिय १/५७८
अत्थी १/७४९
अथिरप्पा १/१४२
अथिरासण १/७३८
अदत्त २/२५७
अदत्तहारी २/३८६, ३८७, ३८८, ३९०,
३९१, ४०९
अदत्तादाणाक्खेव १/३१०
अदिट्ठजायणा २/६७
अदिट्ठठाण १/५८७
अदिट्ठधम्म १/९१
अदिट्ठलामिए २/२७०
अदिण्णा(त्रा)दाण १/१७३, २१२, २३२,
२/५२, ३८४
अदिण्णा(त्रा)दाणाओवेरमण १/३००, ३०१,
३०२, ७३३, २/२९
अदिन्ना(ण्णा)दाण महव्वय १/३०७
अदिन्नादाण-वय-नियम-वेरमण १/३०८
अदीण १/२०१
अदीणदिट्ठी १/२०१

अदीणवित्ती १/५३५
अदीणपण्णा १/११९
अदीणा(ना) १/११९
अदुगुच्छियकुल १/५४८
अदुट्ठ १/१३०
अद्दागसमाणे २/१०५
अद्दजीयणमेरा १/६११, ६१३,
६१४, ६९२
अद्दहामिस्सिया १/५१२
अद्दपलियका २/२७४
अद्दपेडा १/५३९, २/२६७, २८१
अद्दमागहा भासा १/१५
अद्दहार १/४२०, ६४०
अद्दा पच्चक्खाण २/१००
अद्दामिस्सिया १/५१२
अधम्म १/१८९
अधम्मठिय १/४६, ४७, ४८
अधम्मपएस १/२७, २८, २९
अधम्मपसंसा पायच्छित्त १/५०
अधम्मिय उवक्कम १/४६
अधम्मियकरण १/४५
अधम्मिय ववसाय १/४६
अधा १/१२३, १२९
अधिगम २/१०७
अन्नत्थऽअणाभोगेणं २/९४, ९५, ९६, ९७
अन्नमन्नकरेमाणे पारिचिय २/३३१
अन्नार्ण १/५९, १२६, १६४, १९५
अन्नाणकिरिया १/१६४
अन्नाण परीसह २/३६९, ३७८
अन्नायभासी २/५४
अनिन्हवण (ज्ञानाचार) १/५५,
१११-११२
अनियट्ठि २/१०४
अनियाण २/३७९
अनियाणया २/१८०
अनिरय १/१५२, १५४, १५५, १५७
अनीहारिम २/२६०, २६१
अपकारकारगा १/१२१
अपच्छाणुतावी २/३२०
अपच्छिम-मारणतिय-सलेहणा-झूसणा
२/७३
अपच्छिम मारणतिय-सलेहणा-झूसणा
झूसित २/१२१
अपच्छिममारणतिय-सलेहणा-झूसणा
आराहणया २/१०१, १०७, १०८
अपज्जत्तिया (भासा) १/५११, ५१२
अपज्जवसित १/१६४
अपडिच्छया १/१२०
अपडिलेहण १/७२९
अपडिलेहणासील २/७४
अपडिवाई १/२४, १२७
अपडिसेवी १/४२३, ४२४
अपडिसलीण २/२७८

अपत्त २/३४४
 अपमज्जणासील २/७४
 अपमत्तभावेण करणिज्ज किञ्चाई
 २/३९३
 अपरिकम्म ३/२६०
 अपरिग्गह १/४३९,४५४, २/४०
 अपरिग्गह आराहणा फल १/४५५
 अपरिग्गह ठाण २/४६
 अपरिग्गहत्त १/२१०
 अपरिग्गह महावय १/४२९-४७४
 अपरिग्गहियागमण २/११०
 अपरिग्गही १/४३४
 अपरिणय १/५७५,५७९,५८०,५८२,
 ५८३,६३१,६३२
 अपरिपुय २/७२
 अपरिमिय २/७२
 अपरिस्सवा १/२०७
 अपरिस्साई २/३०९,३२०
 अपरिहारिय २/२४७
 अपलिच्छिन्न २/२१६,२२१
 अपलिउचिय २/३२४,३२५,३२६,३२७,
 ३२८,३२९
 अपलिमन्य २/१०३
 अपसत्थ कायविणय १/७८,७९
 अपसत्थ मणविणय १/७७
 अपसत्थ वद्दविणय १/७८
 अपसू १/३००
 अपाद्दयाए २/२७५
 अपाद्दिहारय १/६२१,६२२,६८६
 अपाराय १/१०४
 अपारिहारिय २/३३४,३३५,३३६
 अपारेगम १/४३९
 अपावय १/१६१
 अपुट्टलाभिए २/२७०
 अपुणरावत्ति २/५१
 अपुण्णरूवा १/१२१
 अपुण्णा १/१२१
 अपुण्णावभासा १/१२१
 अपुत्त १/३००
 अपुरक्कार २/३३४
 अपुरिसंतरकड १/६४८,६४९,६६९,
 ६९१,६९२,६९७,७२५
 अपडित्त १/१८३
 अप्पअदिण्णादाण १/३०६
 अप्पउलिओसहिभक्खणया २/११०
 अप्पडिबद्धया १/१३३,१३४
 अप्पडिबद्धा २/६
 अप्पडिलेहियदुप्पडिलेहियउच्चार-
 पासवण भूमि २/११४
 अप्पडिलेहिय दुप्पडिलेहिय सिज्जा
 संथारे २/११४
 अप्पडिविरय १/१७३
 अप्पडिहारिय १/६६०

अप्पणो आयरियलक्खण वागरण
 २/१९६
 अप्पत्तिय १/१७९
 अप्पधिगरणे २/२४४
 अप्पमज्जिय-दुप्पमज्जियउच्चार-
 पासवणभूमि २/११४
 अप्पमज्जिय-दुप्पमज्जिय सिज्जा-सथारे
 २/११४
 अप्पफरुसवयण १/५३२
 अप्पमत्त१/२८३,५४०,२/१७८,१७९,
 ३९९,४०२
 अप्पमत्त अज्जवसाण १/७३७
 अप्पमाणभोई १/३०४
 अप्पमाय पडिलेहणा १/७१५
 अप्पमाओ १/२२१
 अप्पमुसावाय १/२९४
 अप्पयरा १/१३८
 अप्पलीण १/४५४
 अप्पसमदिट्ठी १/२२४
 अप्पसागारिय १/६३५
 अप्पसावज्ज किरिया १/६३६
 अप्पा १/१६०, २/४३,४००
 अप्पाउबंघ कारण २/१०६
 अप्पाणरक्खी २/१७९
 अप्पाधिकरण २/२१६
 अप्पाहार १/६११
 अप्पियकारिणी १/५२५
 अम्मापिज(यर) १/४८
 अफलराहयो १/४१
 अफासुय १/५४९,५६०,५६१,५६३,
 ५६८,५६९,५७०,५७१,५७२,५७३,
 ५७५,५७६,५७७,५७८,५७९,५८०,
 ५८१,५८२,५८३,५८४,५८५,५८८,
 ५९६,५९७,५९८,६०७,६१६,६२९,
 ६३१,६५२,६६०,६७८,६९४,६९५,
 ६९६,६९८,७२५, २/११५
 अबहिमणे २/४०१
 अबहुसंपन्न २/७२
 अबहुस्सुय १/११०
 अब्बाल १/१८२,१८३,१८४,१८५,
 २/४०८
 अबुद्ध जागरिया २/३९४
 अबुहे १/११६
 अब्बभचरिय १/३३३
 अब्बभचेरविरमण १/३२१
 अब्बभसेवी २/२१४
 अब्बभक्खाण १/१७३,२१२
 अब्बभुट्ठाण २/५७,५८
 अब्बभत्तदु पच्चक्खाण सुत्त २/९६
 अभओ १/२२१
 अभयदाण १/३१८
 अभिओग भावणा २/१५३
 अभिक्कन्त किरिया १/६३५

अभिक्कन्त कूर कम्मा १/५०४
 अभिक्खलाभिए २/२७०
 अभिगमकुसल १/८४
 अभिगमदंसण १/१२७
 अभिगम(रुई) १/१२६
 अभिगहियमिच्छादंसण १/१६४
 अभिग्गह २/२६८
 अभिग्गह पच्चक्खाण सुत्त २/९६
 अभिग्गहम्मि १/५१२
 अभिचारिय १/५००
 अभिनन्दण (तीर्थकर) १/३
 अभिनिचारिका १/५५०,५५१
 अभिन्नवत्थ १/६७९
 अभिसेयट्ठाण १/४६१
 अभिसेय रायहाणी १/५००
 अभिहड १/५६०,६१४
 अभूतोवघातिय १/५१९,५२०,५२१,
 ५२२,५२४
 अमणुत्त पोग्गल १/७४४
 अमर भवण २/३५७
 अमाई १/८२, २/३२०
 अमितपाणभोयण णिसेह १/३२९
 अमित्त २/२५
 अमियासणिय २/७४
 अमिल १/७४६
 अमिलकपास १/४२३,६८९
 अमिलक्खु १/१७९
 अमिलाणि १/६७०
 अमुच्छिय २/१७४
 अमुणी २/२७
 अमुणी-मुणी सरूव २/२८
 अमुसा २/२४६
 अमूड १/१०५,१३०
 अमूडदिट्ठी १/१२६
 अमेहावी १/१८३
 अमोसलि १/७१५
 अम्मापिइसमाणे २/१०५
 अयपाय १/६९३
 अयलभाया (गणधरे) १/७
 अयलोह १/४२२
 अयसित्थिय १/७४४
 अयहारी १/३८४
 अयक १/१४६
 अर (तीर्थकर) १/३,४,१९८
 अरइ २/३७२,३९७
 अरइ णिसेह १/४४३
 अरइय १/२५६,२६५
 अरइ-रइ १/१७३, २/४१०
 अरति १/४४४
 अरत्तजीवी २/२७३
 अरसाहार २/२७२
 अरहा १/७,१२,३९,४०, २/१९८,१९९,
 ३४८

४४२ परिशिष्ट . २ चरणानुयोग-शब्द सूची

अराय १/४९९
 अरि(र)हंत १/१,२,३,२३,१२९,१६७,
 १७१,२१५,५१०, २/२००,३९४
 अरिहन्त आसायणा १/९६
 अरिहंतपण्णत्तघम्म १/१२९
 अरिहंताणं २/३१९
 अरुणोववाय २/२२३
 अलाभ परीसह २/३६८,३७७
 अलित्त १/५०३,५०७
 अलियवयण १/२९९,५२४
 अलूसय १/१०८
 अलोग(य) १/६०,६१,१८८
 अल्लीणगुत्त २/३९७,४०१
 अल्लीणत्ता १/५८
 अवकक्करभोई २/४०६
 अवग्गह पडिमा २/२९५,२९६
 अवज्झाणचरिय २/१११
 अवज्झाणत्ता २/२५३
 अवड्ढमोयरिया १/६११
 अवणीत्त-उवणीत्तवयण १/५१८
 अवणीय चरण २/२६९
 अवणीय-उवणीयचरण २/२६९
 अवणीयवयण १/५१८
 अवण्ण १/५०,१२९,६१३, २/१५४,
 १७६
 अवण्णवाय १/५२५
 अवण्णवाई २/१५३
 अवतारवाय १/१६१
 अवत्तव्वा (भासा) १/५३०
 अवत्तव्वं सच्चं १/२९३
 अवदले १/१२१
 अवद्धंस २/१५४
 अवनयदंसणा १/२०१
 अवनया १/२०१
 अवमारिय १/१६५
 अवमोरिय १/५२७
 अवयणाइण १/२९८
 अवरण्ह १/६३,६८
 अवलित्तं १/७१५
 अवलेहणिय १/७१४
 अवल्लय १/५०३
 अवरविदेह १/२६
 अववाए एगागी विहार विहाण
 २/२४५
 अवस्सकरणिज्ज २/८२
 अवह्ठेलस २/३६६
 अवज्जण २/६७
 अवाउडए २/२७४
 अवागरा १/१२०
 अवायदमी २/३२०
 अवायविजय २/३५३
 अविज्जपुरिसा २/३९६
 अविणय १/१६४,१८७

अविणयकरण १/९९
 अविणयफल १/७१
 अवणीय (त्त) १/८६,८७,८९,९१,९२,
 ९३,११०
 अविणीयप्पा १/९१
 अविद्धत्य १/५०१,६३१,६३२
 अविभूसा ठाणं २/५१
 अवियत्त १/१८३
 अवियार २/२६०
 अविरइ(त्ति) १/४३७, २/१७४
 अविरोह घम्म १/३०
 अविवेगुब्भुया उवसग्गा २/३८१
 अचुग्गाहित १/१३०
 अवंगुयदुवारिय १/६५०
 अव्वत्त २/३१८,३४५
 अव्वावारपोसह २/११४
 अव्वुकत्त १/६३१,६३२
 अव्वोयडा १/५१२
 अव्वज्जणजाय २/२२४
 असइय १/२६५
 असईजणपोसणया २/१११
 असच्च १/८४,१८१
 असच्चदिट्ठी १/२००
 असच्चपण्णा १/११९
 असच्चमोसा १/७३१,७३४
 असच्चा १/११९,२००
 असच्चामोसा १/५१०,५११,५१२,
 ५१५,५१८,५२४
 असज्जमाण २/२४५
 असज्जाइय १/६९
 असज्जाय १/६६,६७
 असज्जायकाल १/६३
 असज्जायकाल विहाण १/६३
 असङ्गालु १/१३१
 असण १/९४,९५,१५२,४४१,४७७,
 ४७८,४७९,४८०,४८१,५०८,५०९,
 ५२०,५२२,५२८,५३७,५४३,५४७,
 ५४९,५५१,५५५,५५८,५६०,५६१,
 ५६३,५६८,५६९,५७०,५७१,५७३,
 ५७४,५८५,५८६,५९०,५९५,५९६,
 ५९७,५९९,६०२,६०३,६०४,६०५,
 ६०६,६०९,६१०,६११,६१३,६१६,
 ६१७,६१९,६४१, २/७३,११५
 असणाइ णिक्खवण १/६०९
 असणाइण संगह निसेह १/४४१
 असत्य १/२३४, २/४००
 असत्यपरिणत्त(य) १/५७५,५७६,
 ५७७,५७८
 असवलचरित्त २/१०२
 असब्भमाह २/४१
 असम्मणपाउग्ग १/७४७,७४८, २/२२६
 असमा(हि)ही(धी) १/२१३,७३३,२/५४
 असमाहिठाण २/१८५

असमाहिणा २/३८२
 असमिय २/७४
 असरण भावणा २/३९५-३९६
 असायणा १/९३,९४,९५,९६,९८,९९
 असातायावेद(य)णिज्ज १/२१४,५५७,
 ५९९
 असारंभ १/२८३
 असावज्ज १/५१८,५१९,५२०,५२१,
 ५२२,५२४
 असासत्त(य) १/१६०,१७०
 असाहुणो २/५४
 असाहुया २/५६
 असाह १/१५२,१५४,१७१,१८१,१८९,५
 ३१, २/२८
 असिक्खाठाण १/९३
 असिणाण ठाण २/५१
 असिणाती, विअडभोइ, मोलिकडे दिआ
 वि रामो बंभयारी २/११६,११८
 असित्थ २/७२
 असिद्धि १/१५२,१५४,१८९
 असिपत्त १/५०७
 असिप्पजीवी २/२५
 असिय १/२५६
 असिकिलेस २/२५२
 असील १/१४४
 असीलपण्णा १/११९
 असुइ १/२००
 असुइदिट्ठी १/२००
 असुइसामत्त १/६५
 असुद्धदंसणा १/२००
 असुद्धपत्रा १/११९
 असुद्धा १/११९,२००
 असुर १/१,४८
 असुरिन्द २/५२
 असुरियं भावणं २/१५४
 असुहदीहाउव्वधकारण २/१०६,१०७
 असुहम् जीव १/२८३
 असंजम १/१४३,२८६, २/११,१६,४९
 असंजमप्पगारा २/१४
 असंजय १/४६,४७,१४४
 असंजयस्स आहारदाण फल २/११५
 असंजयस्स गई २/१२६
 असंघडिय १/४७८,४७९,४८०
 असंवर १/२१२
 असविभागी १/८७,९१, २/१७७
 असवुड(ी) १/१६२, २/३७,५६
 असवुड अणगार १/२१४
 असंसट्टचरण २/२६९
 अस्साओ १/२२१
 अहक्खाय २/११
 अहक्खायचरित्त १/७३६
 अहक्खायचरित्तगुणप्पमाण १/२४
 अहक्खायचरित्त संजय २/१४

अहस्सिर १/८२
 अहाकड १/५५४
 अहाछन्द १/१४४, २/१९८
 अहाछन्दविहारपडिमा २/२५१
 अहालहुसग १/६५७
 अहालद १/५५१, ६०२, ६३३, ६५१, ६५४
 अहिगरण २/४२, ७६, २४४, २५५, २५६
 अहिगरिणी २/११२
 अहितकारगा ठाणा २/२५३
 अहियगारिणी १/५३१
 अहियग्गी १/१०२
 अहियप्पा १/१७९
 अहिंस २/४०
 अहिंसा १/२१०, २१६, २१९, २२१, २२२
 अहिंसा ठाण २/४५
 अहिंसा महाव्रत १/२१५-२८८
 (पढम महव्वय १/२१५-२८८)
 अहिंसा सरूवरूवगा पालगा १/२२२
 अहिंसाए सट्ठी नामाई १/२१९
 अहुणाघोय १/६३१, ६३२
 अहोदिसिपमाणाइक्कम २/११०
 अहोदिसिवय २/११०
 अहोराइयाभिक्षुपडिया २/२८०, २८७
 अहोलोय १/२५
 अकिसाइणी २/३७३
 अग-मगह २/२२५
 अड २/४०४
 अडसुहुम २/७७
 अंतकुल २/१६६
 अंतचरण २/२७१
 अंतजीवी २/२७३
 अंतरगिहे णिसेज्जाओ अपवाओ २/५०
 अंतराय २/४०५
 अंताहार २/२७२
 अंतेउरपवेसकारण २/२२७
 अंतेवासिस्सप्पगारा २/२०३
 अंतोसल्लमरण २/१६९, १७३
 अंब २/४०७
 अंबुखुज्ज २/२८६
 अंबुखुज्जियाए २/२७५
 आइक्खग १/४२६
 आइक्खितए २/५०
 आइण १/७४५
 आइणसंखट्टी १/६१५
 आईणगाणि १/६७०
 आउकम्मसमारंभ १/२३१, २३२, २३३
 आउकाइयआरंभ १/२८२
 आउकाइय जीव २/९, १०
 आउकाइय संजम २/१४
 आउकाइया १/२२५
 आउकाय अणारंभ ठाणा २/४७
 आउक्काय १/४४, २३१
 आउजीवा १/२२६

आउट्टि १/४८७
 आउडठाण १/७२८
 आउत्त १/४८८
 आउय १/१४७, २/१०४, ३४६, ३६७
 आउयकम्म १/२१४, ५५७, ५९९
 आउर २/३०९
 आउटण पसारेण २/२५
 आऊ १/१६२, २२६, २४६
 आऊ महाभूत १/१५४
 आएसण १/६४४, ६४५, ६४६
 आकारकरण १/७४५
 आकंपइत्ता २/३१८
 आकुंचण पट्टग १/६७८
 आगइ १/१७०
 आगम १/१८, २२, २३, २/२००, २०१
 आगमणगिह १/६३४
 आगमतो(ओ)दव्वावस्सय २/७८, ७९
 आगमतो(ओ) भावावस्सय २/८१
 आगाढ फरुसवयण २/१९४
 आगारघम्म १/३०
 आगारसामाइय १/७३९
 आगासगामिणो १/१६६
 आगासपएस १/२७, २८, २९
 आगास महाभूत १/१५४
 आगंतार १/६३२, ७४३, ७४७
 आजीविओवासग २/१२६, १२७
 आजीविय २/११२, १२६
 आजीवियतवप्पगारा २/२५८
 आजीदियपिण्ड १/५६६
 आणमणी १/५१४, ५१६
 आणय-पाणय-आरण-अच्चुय(दिव)
 २/५३
 आणवणप्पओग २/११४
 आणा २/२००, २०१, ३९३, ४००, ४०१
 आणाघम्म १/३०
 आणापाणुनिरोह १/१४७
 आणारुइ १/१२६
 आणावायमसंलोय १/७२०
 आणाविजय २/३५२
 आणाणुसरण उवएसो २/३९३-३९४
 आणंद २/३९७
 आतव २/२७
 आत(य)वेयावच्च २/३३७, ३३८
 आतसरीरसंविगणी २/३४७
 आता(या) १/१५०, १५१
 आतावए २/२७४
 आता(या)वण १/७००
 आतंक १/६१२, ७३७
 आत(य)कदंसी १/२२४, २/३९६
 आदानगुत्त १/१७०
 आदीणभोई १/४७३
 आघाकम्मिय १/६४५
 आपुच्छणा २/५७, ५८

आभिंतर तप २/२५८, ३०९-३५१
 आभरणचित्ताणि १/७४६
 आभरणविचित्ताणि १/६७०, ७४६
 आभरणाणि १/६७०
 आभिओग २/१५४
 आभिओगत्ता २/१५४
 आभिणिबोहियणाण १/५५, ५६, ५७, ५८
 आभिणिबोहियणाणविणय १/७५
 आभिणिबोहियणाणावरणिज्ज कम्म
 १/५६
 आमगंध १/५४२
 आमलग १/१०१
 आमलगपाणाग १/६२९
 आमिस भोगगिद्ध २/३८९
 आमोद(य)रिय(ी) १/३३१, २/२५८, २
 ६६-२६८
 आमोसग १/४९०, ४९१, ६८५, ७०३
 आमोसहिपत्त १/२२२
 आमतणि १/५१२
 आयगवेसय २/२४
 आयगुत्त १/१९२
 आयगुत्त भिक्खुस्स परक्कम २/३९९
 आयछट्टवाय १/१६१
 आयजोईण १/७३२
 आयट्टीण १/७३२
 आयदण्ड २/३७६
 आयणा १/१६८
 आयतचक्खू १/४४७
 आयतण १/२२१, ४४२
 आयपरिक्कमाण १/७३२
 आयमइ १/७२९
 आयरक्खा २/२०२
 आयरिय १/१, ८५, ८६, ९२, ९९, १००,
 १०१, १०२, १२९, १३८, १५३, ४९६,
 ४९७, ६०३, ६०४, ६०९, ६६८, २/८,
 ९, ६६, ६७, ६८, ७१, ७३, ७६, २०५,
 २०८, २०९, २१०, २११, २१२, २१३,
 २१४, २१५, २१६, २१८, २१९, २२०,
 २२२, २२४, २३२, २३६, २३७, २३८,
 २४०, २४१, २४२, २४६, २५३, २५४,
 ३१९, ३३६, ३३७
 आयरिय आसायणा १/९६
 आयरियत्ताए २/२०१, २०२
 आयरियपडिणीय १/८८, २/२३१
 आयरियप्पगार २/२०२-२०३
 आयरियवयण १/२४५, २४६
 आयरिय-वेयावच्च २/३३८
 आयरियाइ अइसया २/२०५
 नायवए २/२७४
 आयस(चे)धेयणिज्जा २/३८०, ३८१
 आयहियाण १/७३२
 आया १/१६१, २/४०४
 आयाणनिक्खेव १/१४३

४४४ परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शब्द सूची

आया(दा)णभंडनिकखेवणासमिति
 १/२१८,२७९,२८१,२८२,४८५,
 ७१२-७१९,७३२,७३३
 आयाणमट्टी १/१०६
 आयाणसोतगदित १/७३५
 आयाणि १/६७०,७४५
 आयाम १/६२८,६३२
 आयामय २/२६०
 आयामसित्यभोई २/२७२
 आयार १/२३,८५,१५७,३०४
 आयारअक्खेवणी २/३४७
 आयारकप्प २/३११
 आयारकप्पपरिभट्ट २/२१३
 आयारगोयर १/७४०,७४१
 आयारघम्मपणिही १/५१
 आयारपकप्प २/२१३,२१४,२१७,
 २२३,२२४
 आयार-पकप्पघर १/६६४
 आयार-पण्णत्ति १/५१-५४
 आयारपण्णत्तिघर १/५३१
 आयारभावादेसत्तू १/५२८
 आयार-विणय १/७२
 आयारवं २/३२०
 आयारसमाही १/५३,५४,८५
 आयारसंपया २/२०६
 आयावणा २/२७५
 आयंतियमरण २/१६९
 आयंबिल २/२७२
 आयंबिल पच्चक्खाण सुत्त २/९५
 आयंबिलिए २/२७२
 आरभडा १/७१६
 आरामगार १/६३२,७४३,७४७
 आरामगिह २/२८२
 आराहग(य) १/३०४,५१०,५११,२/६१,
 १२७,१२८,१२९,१३०,१३१,१३२,
 १३३,१३६,१४१
 आराहगा अणारंभा अणगार
 २/१३६-१३८
 आराहगा अप्पारम्भा समणोवसगा
 २/१३८-१४०
 आराहगा सण्णपंचिदिय
 तिरिक्खजोणिया २/१४०
 आराहणविराहणी १/५१५
 आराहणा १/५९,२/७७,८२,१३४,१३५,
 २५४,३६१,३६२
 आराहणापगारा २/१३५
 आराहणाफल १/५२
 आराहणी १/५१५
 आराहणी भासा १/५१३,५१४
 आरियखेत्त २/२२६
 आरिय मग्ग २/३८४
 आरोवणा २/३११,३१२,३२७
 आरोवणा पायच्छित्त २/३११

आरंभ १/३७,१३१,१७४,१७९,२०८,
 २०९,२८२,४३९,४४८, २/३,१७,
 १०८,११९
 आरंभजीवी २/१७७,३६४
 आरंभपरिच्चाय १/१३५
 आरम्भ परिण्णाय २/११६
 आरंभसत्ता १/७४१
 आलओ धीणजणाइण्ण १/३२४
 आलस्स १/९३
 आलाव संलाव कारण २/२२७
 आलिसदग्ग १/१७५
 आलोइय २/३२७,३२८,३२९
 आलोइयपाणभोयणभोई १/२१८
 आलोयग २/३२४
 आलोयण पाणभोयण १/२७९
 आलोयणया १/१३३,१३४
 आलोयणा २/३१८,३१९,३२०,३२१,
 ३२२,३२३,३२४
 आलोयणा अकरण कारण २/३२२
 आलोयणा अकरण फल २/३२३
 आलोयणा करण २/२३०
 आलोयणा करण जोग्गा २/३२०
 आलोयणाकरण कारण २/३२१-३२२
 आलोयणा कारणा २/३१८
 आलोयणा करण फल २/३२३-३२४
 आलोयणा दोसा २/३१८
 आलोयणारिह २/३१०
 आलोयणा सवण जोग्गा २/३२०
 आलवण १/४८६, २/१०३
 आलुप १/४५३
 आवज्जि १/४१६
 आवकहिय १/२४
 आवकहिय अणसण २/२५८,२६०
 आवकहिय पडिक्कमण २/८३
 आवट्टसोय २/२७
 आवतीति २/३०९
 आवायमसंलोय १/७२०
 आवस्सय २/७८-८२
 आवस्सिया २/५७,५८
 आवीइमरण २/१६९
 आस १/५४८
 आस-करणाणि १/४६१
 आसगसि १/५३८
 आसजुद्धाणि १/४६१
 आसण १/६५७,६६१
 आसत्त १/४३४
 आसत्ति १/४३९
 आसत्थपत्त १/५०८
 आसव १/१२५,१२६,१४२,१७०,१८९,
 २०५,२०६,२०७,४४३
 आसवदार १/४३७, २/१०३
 आसवदार पडिक्कमण २/८३
 आसादी पाडिवा १/६३,६९

आसायणा फल १/९८
 आसासा २/१०५
 आसिल २/३८४
 आसीविस १/९८,९९
 आसीविसभावणा २/२२३
 आसुर १/१६२, २/१५४
 आसुरकाय १/१३०
 आसुपण्ण १/१०४
 आसुरत्ता २/१५४
 आसुरयं दिसं २/४०७
 आसोत्थ पवाल १/५७६
 आसोय पडिवा १/६९
 आसदिय १/३३६, २/४९
 आहाकड १/४३४
 आहा(घो) कम्म १/५५१,५५४,५५७,
 ५५८, २/१३४,१७१
 आहाकम्मिय १/६१४
 आहार १/१८८,५३४,५३५,५३७,५६८,
 ५६९,६१०,६११,६१२,७२०,
 २/२६३,२६४
 आहारएसणा १/२८०
 आहारकरण २/७२
 आहारजुत्तजवस्सय १/६५१
 आहारपच्चक्खाण १/१३३, २/१०३
 आहारपाण णिसेह १/५३९
 आहारपोसह २/११४
 आहारवं २/३२०
 आहारहेज २/३८१
 आहारसमिति १/२८१
 आहारसरूव १/५३३
 आहारिसण पडिमा २/२८८
 आहियदिट्ठी १/१६७
 आहियपण्ण १/१६७
 आहियवाई १/१६७
 आहेण १/६१७,६१८,६१९
 आहोहिय १/३९
 इक्कड २/२९२
 इक्खागकुल १/५४९
 इच्छाकारो २/५७,५८
 इच्छाणुलोमा १/५१२
 इच्छापारिमाण २/१०८,११०
 इच्छालोभ २/२६५
 इट्ठी २/२०५,३७८,४०८
 इट्ठीगारव १/९०
 इट्ठीसंस्कारसम्माण २/४२
 इत्तरिय १/२४, २/२५८-२५९
 इत्तरिय पडिक्कमण २/८३
 इत्तरियपरिगहियागमण २/१०९
 इत्तरिए अणेगविहे २/२५९
 इत्थिकह १/११४,११५
 इत्थिकामभोग १/१५३,१७६
 इत्थितट्ठा निदाणकरण २/१५८
 इत्थिभोग २/१५९

इत्थियभवलोयण १/७४८
 इत्थियलिंगसद्दा १/५१३
 इत्थियवयण १/५१८
 इत्थियवयू १/५१३, ५१४, ५१५, ५१६
 इत्थियविग्गह १/६१५
 इत्थियवेदखेतण १/३३५
 इत्थियसागारिय १/६३५, ६३७
 इत्थी इदियाण आलोयण णिसेह
 १/३२७
 इत्थीकहविवज्जणया १/४२४, ४२५
 इत्थीनिलय १/३२५
 इत्थी परीसह २/३६८, ३७२-३७४
 इत्थी-पसु-पडगसंसत्त
 सयणासणवज्जणया १/४२४
 इत्थीपुरिस उवसग्ग २/२८३
 इत्थीरागणिसेह १/३३४
 इत्थीवसं २/३८४
 इत्थीविसयगिद्ध २/४०६
 इत्थीवेय २/३२४, ३७३
 इत्थीण इन्दियाणमालोयणवज्जणया
 १/४२४, ४२५
 इत्थीण कंहं १/३१५
 इत्थीण कूडयाइ सदसवणणिसेह
 १/३२८
 इत्थीहिं सद्धिं निसेज्जा णिसेह
 १/३२६
 इरियट्टाय १/६१२
 इरिया १/१४३
 इरियावहिया १/१४७, ४८७, ४८८
 इरियावहिया किरिया २/११२
 इरियावहिया पडिक्कमण सुत्त २/८६
 (इ)ईरियासमिई १/२७९, ४८५-
 ५०९, ७३३
 इरियासमिय १/२१०, २१७, ७३२,
 २/३९४
 इसि २/४१
 इसिज्झय १/१४४
 इससरियमय २/१९१
 इहलोइय ववसाय १/४६
 इहलोइयसद्द १/४५८
 इहलोइयाइरूवेसु आसत्ति १/४६२
 इहलोग आसायणा १/९७
 इहलोगपडिणीय १/८८
 इहलोग पडिबद्धा २/६
 इहलोग संवेगणी २/३४७
 इहलोगासंसप्पभोग २/९३
 इंगाल १/४८९, ६१०
 इंगालकम्म २/१११
 इंगिणीमरण २/१६९, २६३
 ईद १/१४३, २/१९९
 ईदभूइ १/७
 ईदमह १/६८
 ईदमहापाडिवा १/६३

इंदिय अपडिसलीण २/२७८
 इंदियग्गी १/३२९
 इंदियचोर वस्से २/४१०
 इंदियणिग्गह फल १/७३६
 इंदियत्थ १/४८६
 इंदियदरसिण १/३२४
 इंदिय पच्चक्ख १/१८
 इंदिय पडिसलीणया २/२७५, २७६
 ईसर १/१६०
 ईसरकारणिय १/१५५, १५७
 ईसरकारणियवाई १/१५५
 ईहापोहमग्गण गवेसण १/५८
 उक्कलियंड १/२८५
 उक्कस २/४१
 उक्कसावेइ १/५०७
 उक्कावात १/६७
 उक्कित्तण २/८२
 उक्कडय २/२८६, २९२, २९३
 उक्कडयासणिए २/२७३, २७४, २७५
 उक्कोसिया २/१३५, १३६
 उक्खित्तचरण २/२६ ९, २७१
 उक्खित्त-निक्खित्तचरण २/२६९
 उक्खित्तविवेगेण २/९५, ९७
 उग्गकुल १/५४८
 उग्गतव २/२५८
 उग्गमविसोही २/१८१
 उग्गमोवघात २/१८०
 उग्गयवित्ती १/४७८, ४७९
 उग्गह १/६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६६०,
 ६६१, ६६७, ६६८, ७४९
 उग्गहमण्णुवणया १/३०७
 उग्गह समिति १/३०८
 उग्गहसीमजाणणया १/३०७
 उग्गहणसीलय १/३०२
 उग्गहाणंतग १/६७९
 उग्गालगिलण १/४८३
 उग्घोसजायणा १/६८८
 उच्चागोय १/१०, ४४५
 उच्चार १/५४९, ६४६, ७२०, ७२१, ७२३,
 ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९,
 ७४७, २/७३
 उच्चार पडिक्कमण २/८३
 उच्चार-पासवण २/२८६, २८७
 उच्चार-पासवण-खेल-सिंघाण-जल्ल
 परिट्ठा-वणासमिई(ति) १/४८५,
 ७३२, ७३३
 उच्चार पासवण भूमि पडिलेहण
 १/७२१, २/७५
 उच्चारमत्तय २/७४
 उच्छु १/५८२, ५८३
 उच्छुखंडिय १/५८२, ५८३, ५८८
 उच्छुचोयग १/५८२, ५८३, ५८८
 उच्छुडगल १/५८२, ५८३, ५८८

उच्छुमेरग १/५७६, ५८२, ५८३, ५८८
 उच्छुसालग १/५८२, ५८३, ५८८
 उच्छोलण २/५६
 उज्जाण १/५२१, ५२९, ७४७
 उज्जाणगिह १/७४७
 उज्जाणसाल १/७४७
 उज्जालिय १/५७०
 उज्जुए १/२८५
 उज्जुदिट्ठी १/२०१
 उज्जुदंसणा १/२०१
 उज्जुपन्ना १/११८
 उज्जुमग्ग २/१९३, ३२४
 उज्जुमई १/२२२
 उज्जुसुय (नय) १/२५, २६, २७
 उज्जुसुय २/७९
 उज्जुहियाठाण १/४६१
 उज्जू १/११८
 उट्ट १/१९१
 उट्टिय १/७१०
 उट्टच्छिण १/५२८
 उट्टवीणिय १/४५९, ४६०
 उट्टाण सुय २/२२३
 उट्टदिसिवय २/११०
 उट्टदिसिपमाणाइक्कम २/११०
 उट्टुल्लोय १/२५
 उट्टा १/१२३, १२९
 उण्णकपास १/४२३, ६८९
 उंड १/६३३
 उत्तरकुरु १/२६
 उत्तरगुण पच्चक्खान २/९९, १००
 उत्तरण १/५०२
 उत्तरत्तिय १/५०२
 उत्तरविही १/१०६
 उत्तरा १/१८४
 उत्तरोट्टरोम १/३७४
 उत्तरोट्टरोम परिकम्म १/३५४, ३८८,
 ३९५, ४०२
 उत्तरोट्ट रोम परिकम्मकारावण
 १/३६७, ३७४, ३८१
 उत्तार १/१४२
 उत्तासणियाए २/२७५
 उत्तिंग १/२८३
 उत्तिंगलेण १/२८५
 उदउल्ल १/५०५, ५०६
 उदउल्ल काय २/७०
 उदगपसूय १/६५३
 उदगपोक्खल १/१५६
 उदगबुब्बुय १/१५६
 उदरि १/१६६, ५२७
 उदय(ग) १/१६६, ४९९, ५०१
 उदयंचर १/१६६
 उदयसत्थ १/२३१, २३२, २३३
 उदिट्ठ भत्त २/११९, १२०

उद्दिष्टभक्तपरिणाय २/११६
उदीर्ण १/१३८, १४८, ५५५, २/४, २६५
उदीर्णा १/१२३, १२९
उद्दसड १/२८५
उद्दाणि १/६७०, ७४६
उद्दायण १/१९९
उद्देसिय १/१४४, ५५८, ६६९, ७२२
उद्देसियाद् आहार १/५९६
उद्दय १/२०१
उद्दयदिट्टी १/२०१
उद्दयदंसणा १/२०१
उपकारकारगा १/१२१
उपपणमिस्सिया १/५१२
उपपणविगायमिस्सिया १/५१२
उपपलाइ १/५७७
उपपाइय १/१७२
उपपायणा दोस १/५६६
उपपायणविसीही २/१८१
उपपायणोवघात २/१८०
उपपहिय १/५०७
उपभिय १/२२६
उपभिण्ण आहार १/५६१
उपभिण्ण(दोस) १/५६०, ५६१
उपभियलोण १/४८१
उपभिया १/२४१, २४२
उम्मग १/१९५, १९६, ६८५
उम्मग गमण १/४८९, ४९०
उम्मगदेसण २/१५४
उम्माय १/३२४, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, २/२८७
उम्माय ठाणाइ २/१७६
उम्मायपत्त २/३३२
उम्मिस्स दोस १/५७४
उम्मुग २/३९८
उरठ्ठ २/४०६
उराल १/१८८
उरालग १/१४१
उवइ वहावण १/४९१
उवएस (रुइ) १/१२६
उवकरण असंवर १/२१२
उवक्कम १/४५
उवक्कडसंपन्न १/५३७
उवक्कडिय १/५२०
उवक्कवर १/४३९
उवक्कवर संपन्न १/५३७
उवगरण १/४२०, ७१२, ७२१, ७२२
उवगरण-उपपायणया १/७३, ७४
उवगरण चियाए २/१३
उवगरण दब्बोमोयरिया २/२६६
उवगरणपरुवणा २/५
उवगरणसंजम २/१३
उवगगहट्टयाए २/३४३
उवघात २/१८०

उवघायणिस्सिया १/५११
उवचित्ताकाय १/५२०
उवज्झाय १/१, ८६, ९९, १०२, १२९, ४९६,
४९७, ६०३, ६०४, ६६८, २/८, ९, ६६,
२०५, २०८, २०९, २१०, २११, २१२,
२१३, २१४, २१५, २१६, २१८, २१९,
२२०, २२२, २२४, २३२, २३६, २३७,
२३८, २४०, २४१, २४२, २४६, २५३,
२५४, ३१९, ३३७
उवज्झाय आसायणा १/९६
उवज्झायत्ताए २/२०१, २०२
उवज्झायपडिणीय १/८८, २/२३२
उवज्झाय पददाण २/२१५
उवज्झाय वेयावच्च २/३३८
उवट्टाण किरिया १/६४४
उवट्टावण २/४
उवट्टावण अजोगगा २/१०
उवट्टावण कालमाण २/८
उवट्टावण जोग २/९
उवट्टावण विहाण २/८
उवणिहिए २/२७१
उवणीय-अवणीयचरण २/२६९
उवणीयचरण २/२६९
उवणीत-अवणीत वयण १/५१८
उवणीयवयण १/५१८
उवभोगपरिभोगपरिमाण २/१००,
१०८, ११०
उवभोग-परिभोगादरित्त २/१११
उववज्जा १/९१
उववाइय १/१४९
उववातिया १/३४१, ३४२
उववूह १/१२६
उवसग १/६१२, २/२४५, २६५, २८०,
२८६, २८७, ३७४, ३८०, ३८५
उवसग अणाहओ मुणी २/३८३
उवसम १/१३१
उवसमिय (भाण) १/१६
उवसत १/८७, १८६, २/२५
उवसंपज्जित २/२२१, २२२
उवसंपदा(या) २/५७, ५८, २०१
उवस्सय १/६३२, ६३३, ६३४, ६३५,
६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२,
६४३, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९,
६५०, ६५१, ६५५, ६५६, ६६३, ६६५,
२/७३, २७५
उवस्सय असकिलेस २/२५२
उवस्सयपरिणया २/११८
उवस्सिया १/२०५
उवहू १/५३७
उवहाण १/७, ५५, १११
उवहाण पडिमा २/२७९
उवहाणव १/१०९
उवहाणवीरिय १/३५, १९५, २/४०, २४५

उवहाणायार १/१११
उवहि १/७१४, ७१५, ७१६, ७१८, ७२०,
२/३९८
उवह्विपच्चक्खाण १/१३३, १३४,
२/१०३
उवहि वहावण २/२३६
उवहि विओसग २/३५५
उवहिसकिलेस २/२५२
उवाणह १/४३३
उवादीतसेस १/४५४
उवादीयमाणा १/२२६
उवासगपडिमा २/११६, ११७, ११८,
११९, १२०, २८८
उवासिया १/५६, ५७, ५८, १२७, १२८,
१२९, २०६, ३२२, २/१, २, १७, १८
उवाही २/४०१
उसभ १/३, २/१९९
उसिण परीसह २/३६८, ३७०
उसिणवियड २/७२
उसिणोदग गहण २/७२
उस्सओ १/२२१
उस्सकिय १/५६९
उस्सट्टपिंड १/५९१
उस्सव १/६१६
उस्सा १/२८५
उस्सिचिय १/५७०
उस्सेइम १/६३१, ६३२, २/२५९
उच्छ १/५४१, २/२३, ४०
एकल विहारिस्स गणे पुणरागमण
२/२४६
एकादसमा उवासग पडिमा २/१२०
एगट्टाण पच्चक्खाण सुत्त २/९५
एगत अणत्त भावणा १/३९४-३९५
एगत भावणया णिव्वेय १/१४०
एगतवियक्क अवियारी २/३५४
एगत्य आवासकारण २/२७७
एगपासियाए २/२७५
एगप्पवाई १/१६०
एगराइया भिक्खुपडिमा २/२८०, २८७
एगल्लविहार पडिमा २/२४४, २४६
एगवयण १/५१८
एगवयणविवक्खा १/५१२
एगवयू १/५१२
एगगमणसनिवेशणया १/१३३, ७३३
एगल्ल विहार सामायारी १/७२
एगत अण्णावाय १/१८०
एगत किरियावाय १/१६८
एगत किरियावाई १/१६८
एगतकूड २/५५
एगतण्णावाई १/१७८
एगतदिट्टी १/१८७, २/५४
एगतपडिय १/४३४

एगंतबाल १/३१०,३११,३१२,३१३,
२/२६३
एगंत विणयवाई १/१८१
एगागिस्स समाही २/२४६
एगावली १/४२१,६४०
एगासण प्रच्चक्खाण सुत्त २/९५
एगित्थिसद्धि १/७४७
एगागी भिक्खुस्स अपसत्था विहार
चरिया २/२४६
एगागी भिक्खुस्स पसत्था विहार
चरिया २/२४५
एगीभाव २/१०४
एगे पाये २/२६६
एगे वत्थे २/२६६
एरण्ड १/१००,१०१
एरण्डपरियाय १/१००
एरण्डपरिवार १/१००,१०१
एरणवय १/२६
एरवय १/२६, २/२००
एरावण १/६,३१८
एरावती(ई) १/५०१,५०२
एवंभूत (नय) १/२९
एलमूयग २/३५८
एलय २/४०६
एसणा १/१४३,५३८,५३९,५४०,
२/२६८
एसणाखेत्तपमाण १/५४७
एसणाविसोही २/१८१
एसणासमिई(ति) १/४८५,५३३,७३३
एसणासमिय १/५४०,७३२
एणिज्ज २/११५
एसणोवघात २/१८०
एसिय १/५३३,५३४
एसियकुल १/५४९
ओगाहियाहार १/५३८
ओगिण्हइ १/५३८
ओघाइयार पडिक्कमण सुत्त २/८६
ओघाइयार विसोहीकरण २/१०६
ओट्टकम्मकारावण १/३६६
ओट्टपरिकम्म १/३५४,३८८,३९४,४०१
ओट्टपरिकम्म कारावण १/३७३,३८०
ओण्णिय १/७१०
ओदइय (भाव) १/१६
ओदिसिय अणायार १/१८१-१८३
ओभासिय १/७०७
ओम २/२६६
ओमचरओ २/२६८
ओमचेल १/६७६,६७७
ओमजण पुरक्कार १/१४६
ओमरत्ता २/५९
ओमरातिणिय २/१३३,१३४
ओमथियाए २/२७५
ओमाणभीरु १/९०

ओयण १/५५०
ओयारिय १/५७०
ओरालिय २/३६७
ओरालियकम्माई १/१४७
ओरालिय कामभोग १/३३२
ओरालिय परदारगमण २/१०९
ओरालियसरीरग १/६६
ओरालिय असज्जाय १/६५
ओवत्तिय १/५७०
ओवम्म १/१८,२१,२२
ओवम्मसच्चा १/५११
ओवायकारी २/५४
ओवाय पच्चजा २/६
ओवणिहिए २/२७०
ओवीलय २/३२०
ओसकिय १/५६९
ओसण १/१९०, २/२४७,२४८,३४५
ओसन्नविहार पडिमा २/२५१
ओसपिणी २/१९८
ओसह(हि) १/४४१,५२१,५३०,
५७९,६२५,७५०
ओसहिजुत्त उवस्सय १/६५०
ओहायमाण आयरियाइणा
पद-दाण-निहेस २/२१२
ओहारिणी भासा १/५१४,५१५,
५२२,५२३, ५२४,५२५
ओहाविय २/२१५
ओहिजिण १/२२२
ओहिणाण १/७३२, २/२८७
ओहिणाण अरहा २/१९९
ओहिणाण केवली २/१९९
ओहिणा(ना)णस्स खोभगा १/११६
ओहिणाणजिण २/१९९
ओहिणाण पच्चक्क १/१८
ओहिणाणविणय १/७५
ओहिंसण १/११६,७३२
ओहिंसणगुणप्पमाण १/२३
ओहिमरण २/१६९
ओहोवहोवग्गहिय १/७१५
अंककरेलुय १/५७६
अंक पलियंक १/७४३
अंग १/१२६
अंग संचालण १/७४५
अंगादाण १/४१६,४१७,४१८
अंगादाण परिकम्म १/४१६,४१७
अंड १/२८३
अंडकड १/१६०
अंडय(ि) १/२२६,२४१,२४२,२४६
अंडसुहम १/२८५
अंत १/१२३
अंतकड १/१६९
अंतकिरिय १/१०
अंतकिरिया १/२०७,२१०

अंतचारी १/५३६
अंतघाणपिण्ड १/५६७
अंतराय १/१४७
अंतरूच्छय १/५८२,५८३,५८८
अतलिक्व १/६७,५१९,६४७
अतलिक्वजाय १/६५५,७००,७०१
अंतहुण्डी (देवी) १/९
अंतोगिहठाण १/६५३
अंदुय बंधण १/१७५
अंधत्त १/४४५
अंधा १/१६६
अब्ब १/५८०,५८१,५८२
अब्बकंजिय १/६३२
अब्बडगल १/५८१
अब्बचोयग १/५८१,५८२
अब्बपाणग १/६२९
अब्बपेसिय १/५८१
अब्बभित्तग १/५८१
अब्बसरइय १/५७६
अब्बसालग १/५८१
अब्बाडगपलंब १/५७६
अब्बाडगपाणग १/६२९
अंसिया ओमोयरिया १/६११
अंसुय १/७४६
अंसुयाणि १/६७०
करणता २/२५३
कक्काईण उवट्टण १/४७७
कक्कडफास १/१७७
कक्करोम १/३५३,३६५,३७२,३८०,
३८७,३९४,४०१,४०८
कक्कवीणिय १/४५९,४६०
कच्छ १/४६०
कच्छाइ अवलोयण १/४९२
कज्जलमाण १/५०८
कज्जलावेमाण १/५०७
कट्टकम्म १/४६१
कट्टक्खाय १/५३५,५३६
कट्टमालिय १/४२१
कट्टसिल २/२८२
कड १/४१
कडग १/४२१,६४०
कडिबंघण २/३७०
कडिण २/२९२
कण १/५७८
कणकुण्डग १/५७८
कणग १/१३९
कणगकताणि १/६७०
कणगखइयाणि १/६७०
कणगखचियाणि १/७४६
कणगपट्टाणि १/६७०,७४६
कणपूयलि १/५७८
कणगफुसियाणि १/६७०,७४६
कणगताणि १/७४६

४५० परिशिष्ट २ चरणानुयोग-शब्द सूची

कोउहल १/१४४
कोकतिय १/५४८
कोकृडय २/१५३
कोट्टागकुल १/५४९
कोट्टागार १/७४७
कोट्टियाउन १/५६२
कोडीसहियं २/१००
कोटी १/१६५
कोयपिंड(दोष) १/५६४
कोयव(वाणि) १/६७०,७४६
कोलपाणग १/६२९
कोलवास १/७४३
कोलसुणय १/५४८
कोलुण १/२४९
कोवसीलता २/१५४
कोविय १/१०५
कोसवी १/५००
कोह १/७,७१,९३,१७३,१८९,१९५,
२१२,२९९, २/२९१,४१०
कोहअपडिसलीण २/२७८
कोहणिसिसया १/५११
कोहदमी २/४००
कोहपिण्ड १/५६७
कोहमुण्डे २/७
कोहविओमग २/३५५
कोहविजय १/१३४, २/१९३
कोहविवेग १/१३४,२९६, २/२९
कोहवेयणिज्ज कम्म २/१९३
कक १/१९२
कखा १/१३७, २/१०७
कखा-पदोस २/३०,३१
कखामोहणिज्ज १/१३७
कखामोहणिज्ज कम्म २/३४६
कटक १/१४९
कती १/२१९
कथय १/१०९
कद १/२३९
कपिल्ल १/५००
कवल १/४५२,६९१,७११,७१२,७४६,
२/४६
कबलगाणि १/६७०
कंस १/१३९
कमपाय १/६९३, २/४९
कुडमोय २/४९
कुडल १/४२१,६४०
कुडिया १/४३३
कुयु १/३,४,१९८
कुयुरासिभूत १/११६
खइय(भाव) १/१६
खओवसम १/३८,३९,५६,५७,५८,१२८,
१२९,२०६,३२२,३२३
खओवसमिय(भाव) १/१६
खज्जरपाणग १/६२९

खत्तिय १/७४८,७४९
खत्तिय कुल १/५४९
खमा १/१३४, २/२९
खमावणया १/१३३,१३४, २/५५
खय १/१३१
खरकटयसमाणे २/१०५
खलियनिन्दणा २/८२
खलुक १/९०,९१
खाइम १/९४,९५,१५२,४४१,५३७,
५५८,५६४,५६९,५७०,२/११५
खाणुयाइणिहरण १/२५४
खाणुयाइ गिसरण णिसेह १/२८३
खाणुसमाणे १/१०५
खामणा सुत्त १/९३
खारवत्तिय १/१७५
खिसियवयण १/२९९,५२४
खीर १/१०१,४२३,४२७,५५०,५९५,
२/२७२
खीरासविय १/२२३
खुज्जत्त १/४४५
खुज्जित(य) १/१६५,५२७
खुड्ढग(य) २/४,६७
खुड्ढिय २/७०
खुड्ढिय मोय पडिमं पडिवन्न २/३०५
खुड्ढिया २/४
खुड्ढिया मोय पडिमा २/२७९,३०५,
३०६
खुड्ढिया विमाण पविभत्ती २/२२३
खुरप्पसठाण १/१७७
खुरमुंडय २/११९,१२०
खुहा परीसह २/३६९,३८०
खेत्त १/४३२
खेत्त ओमोयरिया २/२६७
खेत्त(य)ण्ण १/५,१८२,१८३,१८४,१८५,
१९९,७४८, २/३९,३९९
खेत्तपमाण २/६४
खेत्तमत्तय २/७४
खेत्तवत्थु-पमाणाइक्कम २/११०
खेत्तवुड्ढी २/११०
खेत्ताइकन्तदोस १/६११,६१२
खेत्ताभिग्गहचरण २/२६९
खेल १/६४६,७२०
खेलगोल १/३३६
खेलोसहिपत्त १/२२२
खोमिय १/६७०,६७५, २/२९३
खड १/१०१,४२३,४२७
खंत १/१८६
खति (धम्म) १/३१,३२
खती १/१३३,२१९, २/१९३
खतिक्वम २/४१
खते २/३२०
खंदए २/३९४
खंदमह १/६८

खंघ १/२३९
खंघपएस १/२७,२८,२९
गइ १/५९
गइमुत्तमा १/११०
गज्जदेव १/५२३
गज्जल १/६७०,७४६
गज्जित १/६७
गण १/४५, २/२४६,२५१,२५२,२५५,
२५६
गण अवग्गह कारणा २/२५३-२५४
गणट्टकर २/२०४
गणथेर २/२००
गणधम्म १/३१
गणधारण २/२१६
गणधारण अरिहा २/२१६
गणपडिणीय १/८८, २/२३२
गणपमुह २/२१७
गणपमुहा २/२२०
गणपरिच्चाय २/२३७
गणविओसग २/३५५
गणवुग्गह कारणा २/२५३
गणवेयावच्च २/३३८
गणवेयावच्चकरा २/२०३
गणसमायारी १/७२
गणसोहकर २/२०४
गणसोहिकर २/२०४
गणसंकमण २/२४१
गणसंगहकर २/२०४
गणसठिइ १/४९
गणह(घ)र १/७,२३,६०४, २/६६,२३८
गणहरसीस १/२३
गणावच्छेइणी २/२२५
गणावच्छेइय १/९,६६,६७,६८,७१,७३,
७६,२०५,२१०,२१२,२१३,२१४,
२१५,२१६,२२२,२२४,२३८,२३९,
२४०,२४१,२४२,२४६,३३१,३३२,
३३३,३३४,३३५,६०४,६०६,६६८
गणिका आवागमणणिसेह १/३३३
गणिड्ढी २/२०५,२०६
गणित्ताए २/२०१,२०२
गणपिडग १/९,२३,१५६
गणिसंपया १/७५, २/२०६
गणिमागमसंपत्र १/७३९
गणी १/६०४,६६८,६९१, २/६६,२३८
गतभूसणमिट्ट १/३२४
गति १/१९९
गति-परिक्कमण्णू १/१८२,१८३,१८४,
१८५
गन्धदसी २/४०१
गय १/४३३
गरहणया १/१३३,१३४
गरहा २/३३३-३३४
गरुयत्त १/२१२

गरुलोववाय २/२२३
 गलिगद्दा १/९१
 गलियस्स १/८९
 गवेलग १/४३३
 गवेसणा १/५३८
 गवेसणाकाले गमणविही १/५४४
 गवेसणाविही १/५४१
 गह १/१७७
 गहजूहियाठाण १/४६१
 गहासवा २/३८२
 गहणे(सणा) १/५३८
 गाढमालव १/५२०
 गाम १/४०, १९५, ४६०
 गामकटय २/३७९
 गामथेर २/१९९
 गामदहाणि १/४६१
 गामधम्म १/३१, ३६, १९५, २३६, ३३१
 गामधम्मनियतिय १/६१५
 गाम-पहाणि १/४६१
 गामपिंदोलग- १/५४५, ६०४
 गाम महाणि १/४६१
 गामरक्खकुल १/५४९
 गामरक्खगवसीकरण १/७४९
 गामवहाणि १/४६१
 गायणाइकरण १/४५९
 गारत्य १/४७४, २/१७२
 गारत्थिणी २/२३५
 गारत्थिय १/३६३, ३६४, ३६५, ३६६,
 ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२,
 ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८,
 ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४,
 ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०,
 ३९१, ४९३, ६७७, ६८७, ७१४, ७२८,
 २/१९४, १९५, १९६, २३४, २३५,
 २३६, ३४५
 गारत्थियवयण १/२९९, ५२४
 गारबंघण २/३८३
 गारमावस १/४४८
 गारव २/१९२, १९३
 गाह १/१७५
 गाहावइ(ति, ती) १/४९१, ५०४, ५५०,
 ५५५, ५७२, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२,
 ६४५
 गाहावइ(इ)ति उग्गह १/६५३
 गाहावइ करंडग १/१०१
 गाहावइ (ई, ति, ती) कुल १/४९३, ४९४,
 ५४६, ५४७, ५४८, ५५०, ५६०, ५६१,
 ५६२, ५६३, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१,
 ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७,
 ५७८, ५७९, ५८२, ५९६, ५९७, ६०३,
 ६०४, ६०५, ६०७, ६०८, ६१६, ६१७,
 ६१८, ६२९, ६३०, ६३२, ६३५, ६३७,
 ६३८, ६४२, ६४४, ६५६, ६६७, ६६८,

७११, ७१२, ७१३, ७१४, ७१८, ७४३,
 ७४७, २/६६, ६७, ६९, ७०, ७५, १२०,
 १२८, २२५, २३४, २३५, २५६, २८४,
 ३०५
 गिद्धपुट्टमरण २/१६९, १७०, १७३
 गिम्ह १/६३४, ६४९, ६५०, २/७५,
 २२४, २२५, २२६
 गिरिपक्खंदण २/१७३
 गिरि पडण २/१६९, १७०, १७३
 गिलाण १/१९४, २/६८, ६९, ३३८,
 ३३९, ३७५
 गिलाण आयरियाइणा पद-दाणनिद्देस
 २/२११
 गिलाणट्ट खेतगमण पमाण २/६५
 गिलाणणियठ १/६२८
 गिलाणनीसाए २/६९
 गिलाण पडिणीय १/८९
 गिलाणपेसिय २/३३८
 गिलाणवेयावच्च २/३३८
 गिलाणस्स अट्टा १/७५०
 गिलासिण १/१६६
 गिलासिणी १/५२८
 गिल्लि १/१७४
 गिहकम्म १/६३६
 गिहत्य २/४२, ५६, ५७, १३१, ३५८
 गिहत्यसक्कार १/५२५
 गिहत्यसंसट्टेण २/९५, ९७
 गिहत्थाण १/५८६
 गिहवई १/४५
 गिहारम्म १/६३६
 गिहि-णिसेज्जा-वज्जण ठाण २/५०
 गिहित्तिगिच्छ १/२६०
 गिहिधूम १/२७८
 गिहि-भायण-अभुंजण ठाण २/४९
 गिहिमत १/६०९
 गिहिवत्थ १/६८८
 गिहिवत्थोवओगकरण १/६८८
 गिहिसुव्वया २/४०७
 गीय १/४४७
 गुज्जग १/९१
 गुज्जाणुचरित १/५१९
 गुण १/४५३, ६४०
 गुणधारणा २/८२
 गुणप्पमाण १/१८, २४
 गुणपेही २/५७
 गुणवय पडिवत्ती २/८२
 गुणव्वय १/३०३, २/१०७, १०८, १०९,
 ११३
 गुणसमित १/४८७
 गुणसीलय चेइय १/३१०
 गुणासाय १/४४८
 गुत्त १/१८६, २/४०
 गुत्तबंभयारि १/२१०, ७३२

गुत्ति(त्ती) १/१०४, १२६, २२१, ४८५,
 ७३०-७३८
 गुत्तिदियाण १/७३२
 गुरु १/८४, ९८, १०३
 गुरु अम्भुट्टाणेण २/९५
 गुरुकुलवास १/१०३
 गुरुवंदणसुत्त २/८४
 गुरुसाहम्मिय सुस्सुसणया १/१३३, १३४
 गुल १/४२३, ४२७, ५५०
 गुव्विणी १/५८७
 गेवेज्जग (देव) २/५३
 गो १/५२१, ५२९
 गोच्छग(य) १/६९१, ७११, ७१२, २/५,
 ६०
 गोण १/४८९, ५४८
 गोणगिह १/७४८
 गोणसाल १/७४८
 गोतावादी १/४४५
 गोत्त १/१०७, १४७
 गोदोहिया २/२७४, २८६
 गोपुर १/७४७
 गोमय १/४८१, ४८२
 गोमयरासि १/६८२
 गोमुत्तिया १/५३९, २/२६७, २८२
 गोय २/१०४, ३६७
 गोयम १/७, १५, १६, ३६, ३८, ३९, ४०,
 ४५, ४६, ४७, ४८, ५२, ५३, ५६, ८८, ८९,
 १०२, १२५, १२७, १२८, १२९, १३५,
 १९४, १९६, २०५, २०६, २१२, २१४,
 २१५, ३२२, ३२३, ४३४, ४३६, ४४०,
 ४४५, ४८८, ५११, ५१२, ५१३, ५१४,
 ५१५, ५१६, ५१७, ५३३, ५५७, ५९९,
 ६००, ६१०, ६११, ७३१, ७४२, २/१,
 २, १७, १८, २९, ३०, ३१, ९९, १००,
 १०१, ११२, ११३, ११५, १२२, १२६,
 १२७, १२८, १२९, १३०, १३२, १३५,
 १३६, १३८, १४०, १४१, १७७, १७८,
 १७९, १९१, १९८, १९९, २००, २६३,
 ३०९, ३४८, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१,
 ३६२, ३६३, ३९४
 गोयर २/३९९
 गोयरकाल २/२८१
 गोयरग २/५०, २६८
 गोयरगपविट्ट २/३७६
 गोयर चरिया २/२८१
 गोयरचरिया अहयार विसोही सुत्त
 २/८७
 गोयरिया १/५३९
 गोरमिगाइगाणि १/६७०, ७४६
 गोरसविगती(ई) १/५३८
 गोलारूवग १/४४६
 गोलियसाला १/६२४
 गोलोमप्पमाणमित २/७६

४५२ परिशिष्ट २ चरणानुयोग-शब्द सूची

गोवालीय २/१०९
 गोह १/१७५
 गंगा (नदी) १/६,५०१,५०२
 गठीगा १/१८८
 गड १/१५६,२५३,२५४,२५६,२५७,
 २५८,२५९,२६०,२६१,२६२,२६३,
 २६४,२६५,२६६,२६७,२६९,२७०,
 २७२,२७३,३४२,३४३,३४५,३४६,
 ३४८,३४९,३५०, २/३८४
 गंडाइ तिगिच्छा १/२५८,२७२,३४२
 गंडाइतिगिच्छाकारावण १/२६५
 गंडाइपरिकम्म १/२५३,२५६
 गंडागकुल १/५४९
 गंडी १/१६५,५२७
 गंतु पच्चागता(या) १/५४०, २/२८२
 गथ १/१०३, २/३८,३९८
 गथिम १/४६१
 गघ १/१३९, २/२८,३८८
 गघ जिघण १/४६३
 गघमत १/५१०
 गघव्व १/८६,१६९
 गघार १/१९८
 गघासत्तिणिसेह १/५३४, २/३८८
 गंधियसाला १/६२४,६२५
 घट्टणता २/३८१
 घडवासिय १/१०५
 घडिग १/३३६
 घडिमत्त १/६९९
 घण (तप) २/२५९
 घाण २/३८८
 घाणपण्णाण १/४५३
 घाणवल २/१७८
 घाणिदिय १/४७०
 घाणिन्दिय अपडिसलीण २/२७८
 घाणिन्दिय असंवर १/२१२
 घाणिन्दियनिग्गह १/१३३,७३६, २/२९
 घाणिन्दिय मुण्डे २/७
 घाणिदियरागोवरई १/४६७
 घाणिदियसंजम १/४३०
 घासिय १/१७५
 घुणोवमा १/५३५
 घोरतव २/२५८
 घोलिय १/१७५
 घोसहीण १/९८
 चउत्थभत्तिय २/७१
 चउदसरयण १/११०
 चउप्पडोयार २/३५२,३५३
 चउ-मासिया भिक्खु पडिमा २/२७९,
 २८५
 चउरिन्दियकाय १/४४
 चउरिन्दिया १/४८
 चउवीसत्यव १/१३३, २/८२

चउवीसत्यवफल १/१०
 चउसरण १/२
 चक्रवट्टी १/११०,१६७,१७१
 चक्रियासाला १/६२३,६२४
 चक्खिन्दिय १/४६८,४७०
 चक्खिन्दिय अपडिसलीण २/२७८
 चक्खिन्दिय असंवर १/२१२
 चक्खिन्दियनिग्गह १/१३३,७३६, २/२९
 चक्खिन्दिय मुण्डे २/७
 चक्खिन्दियरागोवरई १/४६७
 चक्खिन्दियसंजम १/४३०
 चक्खु २/३८६
 चक्खुदसणगुणप्पमाण १/२३
 चक्खुपण्णाण १/४५३
 चक्खुपरिकम्म १/३५५,३८९,४०३
 चक्खुवल २/१७८
 चक्खुरोम १/३६६,३७३,३८०,३८७,३९४,
 ४०१,४०९
 चम्म(य) १/६३३,६८५,७१३,७१४
 चम्मकोस(य) १/६३३,७१३,७१४
 चम्मछेदणग(य) १/५०४,६३३,७१३,७१४
 चम्मपलिच्छेयणय १/७१४
 चम्मपाय १/६९३
 चयोवच(इ)य १/५१०,७३७
 चरण १/६१,२०५,४८५
 चरणकरणपारविट्ठ १/१८६
 चरणगुण १/१९४
 चरणविहिमहत्त १/२०५
 चरमसरीरघर १/२१२
 चरित १/१६,५१,१२६,१४७,१९४,
 २/११,३०९
 चरित अद्दकम २/८३,८४
 चरित-अद्दयार २/८३,८४
 चरित अणायार २/८४
 चरित असंकिलेस २/२५३
 चरितगुणप्पमाण १/१८,२३,२४
 चरितगुत्ति १/३२५, २/२७८
 चरितट्टया २/६५,३१८
 चरितधम्म १/३०,३१,१२७, २/३४६
 चरितधम्माराहणा २/१३५,१३६
 चरितपज्जव १/७३६
 चरितपडिणीय १/८९, २/२३२
 चरित पण्णवणा १/७३९
 चरित पायच्छित्त २/३११
 चरितपुरिस २/१९९
 चरितपगारा २/१४
 चरितवलिय १/२२३
 चरितदुद्धा १/५३
 चरितवोधी १/५३
 चरितमूढा १/५३
 चरितमोह १/५३
 चरितमोहणिज्ज कम्म १/४५५

चरित्तलोग(अं) १/१५
 चरित्त वद्दकम २/८३,८४
 चरित्तविणय १/७५,७७
 चरित्तविराहणा २/१३६
 चरित्तविमोही २/१८१
 चरित्तसम्म १/७३९
 चरित्तसंकिलेस २/२५२
 चरित्तसंण्णा(त्र)या १/१३३,१३४,२१५,
 २/२९,३२०
 चरित्तायार १/५१
 चरित्ताराहणा १/५१,५२,५३, २/१३५,
 १३८
 चरित्तावरणिज्जाणं कम्मणं १/३२२,
 ३२३
 चरित्तिट्ठी २/२०५
 चरित्तिदि २/१९९
 चरित्तोवघात २/१८१
 चरिमत्तियगर २/१९८,१९९
 चरिय १/७४७
 चरियानियट्ट १/५५१
 चरिया परीसह २/३६८,३७४
 चरियापविट्ट १/५५१
 चलाचल १/४८९
 चवेडा १/९३
 चाई-अचाई लक्खण १/२१
 चाउज्जाम धम्म १/२००
 चाउम्मासिय अणुघातिय २/३११
 चाउम्मासिय उग्घातिय २/३११
 चाउल १/५७२,५७८
 चाउलघोवण १/२५९
 चाउल पलंब १/५७२,५८०,
 २/२८९
 चाउलपिट्ट १/५७८
 चाउलोदग १/६३०,६३१,६३२
 चाउलोदण १/५४२
 चाउवण्ण संघ १/१२९
 चार २/३७६
 चारगबंधण १/१७५
 चारण १/२२३, २/३६०
 चारण भावणा २/२२३
 चारणलद्धि २/३६०
 चित्तकम्म १/४६१
 चित्त(ि)वेल्लडय १/४८९,५४८
 चित्तनिरोह १/७३४
 चित्तमंसोणित १/५२०
 चित्तसमाहि १/७३२
 चित्तसमाहिट्टाण १/७३१,७३२
 चित्ता १/१७८
 चित्तालंकारवत्थग २/३७३
 चियत्तोवरण साइज्जणया २/२६६
 चिया (धम्म) १/३१
 चिराघोय १/६३१

चिलिमिलि(ली) १/२७४,६३३,६८६,
६८७,७१३,७१४
चिंचापाणग १/६२९
चीर्णसुय १/६७०,७४६
चीवरघारी १/५०४
चुण्णयपिण्ड १/५६७
चेल १/५०७,६३३,७१३,७१४
चेलचिलिमिलिय १/६८६
चेलपाय १/६९३
चोक्ख १/२२१
चोयण १/८५
चोलपट्टग १/६९१,७११,७१२
चंड १/८९,९१
चंद १/११०,१७७
चंदपडिमा २/२९७
चंदपडिमं पडिवण्ण २/२९७
चंदप्पह (ससि) १/३
चंदालग १/३३६
चंदिम १/१९४
चंदिमसूरियणं २/५३
चंदोवराय १/६५
चपा १/५००
छउमं २/३७८
छउमत्थ १/२४,३९,४०, २/११
छउमत्थमरण २/१६९
छक्काए १/४५
छज्जीवणि(नि)काय(ी) १/२२५,२२६,
२२७,७४२
छज्जीवणिकायवह १/२४८
छज्जीवणिया १/२२५,२२६
छट्टभत्तिय २/७१
छट्टियदोस १/५८७
छण १/४३५
छणपद २/३९७
छण्णं २/३१८
छत्त १/६३३
छत्तक(ग)य १/४३३,५०४,७१३,७१४
छत्र १/५२५
छप्पुरिमा-नवखोढा १/७१५
छमासिया भिक्खुपडिमा २/२७९,२८५
छल्लिक्खाय १/५३५,५३६
छविखायाण १/७४९
छविच्छेय २/१०८
छिण्णकहंकेहे २/२६४
छिण्णसिणेह १/५०५,५०६, २/७१
छिन्नमालव १/५२०
छिन्नल १/९०
छेओवट्टावण(ी) २/११,३३१
छेओवट्टावणा पायच्छत्तरिहा २/३३१
छेदारिह २/३१०
छेदोवट्टावण-संजय-कप्पट्टिई १/५४
छेदोवट्टावणियचरित्तगुणप्पमाण १/२४
छेदोवट्टावणियसंजम २/१४

छेय १/४९८, २/८,९,३११,३३६
छेयपरिहार १/५५१
छंद १/४३६,७३७, २/१७९
छंदणा २/५७,५८
छंदो २/७
छंदोवणीया १/२२६
जउणा १/५०१,५०२
जउव्वेय १/४६
जक्ख १/९१, २/३५७
जक्खमह १/६८
जक्खाइट्ट २/३३२
जक्खालित्त १/६८
जक्खावेस २/१७६
जगनिस्सिय २/४६
जज्जरिय २/३०९
जणवद(य) १/१४८,४९९
जणवयपरिगगहाए १/७३३
जणवय परियावाए १/७३३
जणवयपहाए १/७३३
जणवयसच्चा १/५११
जत १/१८६
जत्तुकुम्म १/३२७, २/३७३
जत्तो १/२२१
जमलोइय १/१६९
जम्मदंसी २/४०१
जय १/१९८,२४८
जयण १/२२१
जयणा १/४८६
जयणावरिणज्ज कम्म खओवसम
२/१७,१८
जयय १/७४९
जरा २/४०८
जराज(ऊ) १/२२६,२४६
जराजया १/२४१,२४२
जराजुण्ण २/५०
जलगय १/५०८
जलण २/४१
जलणप्पवेस २/१६९,१७०,१७३
जलणक्खंदण २/१७३
जलणप्पवेस २/१६९,१७०,१७३
जल्ल १/३४०,३५२,३७१,३७८,३८५,
३९२,३९९,४०७,४२६,७२०,२/३७७
जल्ल परीसह २/३६८,३७७
जल्लोसहिपत्त १/२२२
जल्लजवा १/१७५
जवमज्ज चंदपडिमा २/२९७,३०१
जवमज्ज चन्द पडिमं पडिवन्न २/२९८
जवमज्जा २/२७९,२९७
जवोदग(य) १/६२८,६३२, २/२५९
जहण्णा २/१३५,१३६
जहण्णुक्कोसिया २/१३५,१३६
जहासुय १/८४
जाइ थेर २/१९९,२००

जाइपह २/४३
जाइसरण २/१४०,४०४
जाइसंप(ण्ण)त्ता १/१२२, २/३२०
जाइहीणा १/१२२
जागरा २/२८
जागरिया २/३९४
जाण १/१७४,४३३
जाणगसरीर दव्वावस्सय २/७९,८०
जाणगसरीर भवियसरीर वहरित्त
दव्वावस्सय २/८०
जाणगिह १/७४७
जाणसालू १/७४७
जाणू १/१२३
जातिअंध १/१६३
जातिमय २/१९१,१९२
जाम १/४०,५५,५६,१२९,२०५,२७९,
३२२, २/३,१७
जाय(ी) २/११३
जायणा २/३७६
जायणा परीसह २/३६८,३७६
जायणि(णी) १/५१२, २/२८२
जायपक्खा १/९१
जायरूव २/२५
जिइदिय १/८४,८५, २/४३
जिण(जिणवर)१/३,४,१२,३९,४०,१३०,
१९४,२२२, २/११,३७८
जिणकप्पट्टिई १/५४
जिणकप्पिय २/२३४
जिणप्पगारा २/१९९
जिणवयण १/१४५
जिणवयनिउण १/८४
जिणसाण १/१९९
जिणसंधव २/६२
जिब्भबल २/१७८
जिब्भा २/३८९
जिब्भंदिय १/४७०,४७१
जिब्भन्दिय अपडिसंलीण २/२७९
जिब्भन्दिय असंवर १/२१२
जिब्भन्दिय निग्गह १/१३३,७३६,
७३७, २/२९
जिब्भन्दियपडिसंलीणता २/२५८
जिब्भन्दिय मुण्डे २/७
जिब्भन्दियरागोवरई १/४६७
जिब्भन्दिय संजम १/४३१
जीय(त्त) २/२००,२०१
जीव १/५९,१२५,१२६,१२९,१४२,
१४७,१५०,१५२,१६०,१६७,१८९,
२०७,२०८,२१२, २/२९,३०
जीवकाय १/१५४,२२६
जीवगुणप्पमाण १/१८,२४
जीवणिकाय १/१३२,२४४
जीवपइट्टिय १/२५०
जीवपएस १/२७,२८,२९

४५४ परिशिष्ट : २ चरणानुयोग-शब्द सूची

जीवमिस्त्रिया १/५१२
जीवाजीवमिस्त्रिया १/५१२
जीवितभावणा १/१९७
जीवियाससम्पञ्जोग २/१३,१०३
जुग १/१७४
जुगमाय १/४८७,४९५,५४४
जुग १/४३३
जुत्तपरिणय १/११७,११९
जुत्तरूच १/११८
जुत्तसोभ १/११८
जुत्ते १/११७,११८
जुवराय १/४९९
जूतपमाय २/१८०
जूय १/२५४
जूवय १/६८
जोइवले १/११७
जोइसिय १/४८
जोई ६/११४
जोईवलपत्तज्जण १/११७
जोग १/४३७
जोगनिरोह १/१४७
जोगपच्चक्खाण १/१३३,१३४,२/१०४
जोगपडिक्कमण २/८३
जोगपडिसंलीणया २/२७६,२७७
जोगपरिण्णा १/११८
जोगपिण्ड १/५६७
जोगव १/१११
जोगवाहिया २/५३
जोगसच्च १/३२,१३३,१३४,५११,
२/२९
जोगसंगह २/४४-४५
जोगहीण १/९७
जोणी १/४३३,४४५, २/२६
जोत्तिसियाण(दिव) २/५३
जोयणमेरा १/५०२
जोयणवेलागामी १/५०७
जकिचिमिच्छा पडिक्कमण २/८३
जंगम १/४३९
जंगिय १/६७४, २/२९३
जंघाचारण २/३६०,३६१,३६२
जंघाचारण लद्धी २/३६१
जंघारोम १/३७२,३८०
जंघारोम परिकम्म १/३५३,३८७,३९३,
४००
जंघारोम परिकम्म कारावण १/३६५,
३७२,३८०
जंघासंतरिम १/५०६
जंघासंतरिम उदगपार १/५०५
जंतपीलणकम्म २/१११
जत्तुयं २/२९२
जंहुदीव १/२५,२६, २/१९८,
३६०,३६२
जंबू १/३१६, २/१२

जंबू (हुम) १/११०
जंबूसुवसण(वृक्ष) १/३१९
जं वाइद्धं १/९७
ज्ञाण १/६२,१९२,४३२, २/३०९,
३५१-३५४
ज्ञाणजोग २/३६६
ज्ञाणसमाहिजुत्त २/४०५
ज्ञामथडिल्ल १/४९५,६८२,७२१
झिञ्झिरपलंब १/५७६
झिमिय १/१६५,५२७
झुसिर १/४८९
झंझा २/४०४
ठवणा (दोस) १/५५९
ठवणाकुल १/५५९
णवणासच्चा १/५११
ठविया २/३११
ठविया आरोवणा २/३१२,३१३,३१४
ठाणाट्टिइए २/२७३
ठाण-समवाय २/२२३
ठाण-समवायधर २/२१०
ठाण-समवायांगघर २/१९९
ठाणाइयाए २/२७५
ठाणाइणं निसेह १/२९९
ठिती १/२२०
ठहर १/९८,१०४,१०५
ठंडग (दण्डय) १/७१३,७१४
ठिंवर १/४६१
ठंक १/१९२
ण(नि)क्वत्त १/६२,१००,११०,१२३,
१७७,१९४
णगरथेर २/१९९
णगिणा २/३९५
णरगोहपवाल १/५७६
णडखइया २/६
णपुंसगलिगसहा १/५१३
णपुंसगवयण १/५१८
णपुंसगवयू १/५१३,५१४,५१५,५१६
णभदेव १/५२३
णमी वैदेही २/३८४
ण(नि)यम्पमाण १/१८,२४,२९
ण(नि)रग १/१७७,४४२
णव अगुत्ति १/४२८
णवगुत्ति १/४२८
णवणीय १/४२३,४२७,५५०
णववंभचेर २/३४४
णहखेदणय १/२७६,२७७,२७८
णह परिकम्म १/३८७,४०८
ण(नि)हमल १/३५२,३५८,३६४,३७१,
३७८,३८५,३९२,३९९,४०६
ण(नि)हवीणिय १/४५९,४६०
ण(नि)हसिहा १/३७२,३८७,३९३,४००,
४०८
णहसिहापरिकम्म १/३५३,४००

णहसीहाए परिकम्म कारावण १/३६५,
३७२,३७९
णागइ १/१७०
णा(नि)ण १/१५,४६,५१,५८,५९,६०,
१०३,१२६,१२७,१४७,१७९,१९४
१९५,४३२
णाण-अइक्कम २/८३,८४
णाण-अइयार २/८३,८४
णाणअणायार २/८४
णाण असंकिसेस २/२५३
णाण आसायणा १/९७
णाणगुणप्पमाण १/१८,२३
णाणजुत्त १/११७,११८
णाणट्टया २/६५,३१८
णाणपडिणीय २/२३२
णाणपणवणा १/७३९
णाण पायच्छित्त २/३११
णाण परिणिता १/११७
णाणपुरिस २/१९९
णाणपुव्वगपच्चक्खाणकारी २/१०२
णाणफल १/१०२
णाणवलय १/२२३
णाणवुद्धा १/५३
णाणवंधी १/५३
णाणमट्टा १/११२
णाणमूढा १/५३
णाणमोह १/५३
णाणलोग(अ) १/१५
णाणव २/२७
णाणवइक्कम २/८३,८४
णाणविणय १/७५
णाणविराहणा २/१३६
णाणविसोही २/१८१
णाणसम्म १/७३९
णामसच्चा १/५११
णाणसंका १/११२
णाणसंकिसेस २/२५२
णाणसंपण्ण(या) २/२९,३२०
णाणसंपन्नया १/१३४
णाणायार १/५५-१२४
णाणाराहणा १/५१,५९,५३, २/१३५,
१३६
णाणावरण २/३६६
णाणिट्ठी २/२०५
णाणिंद २/१९९
णाणी १/२०७
णाणुप्पण्णाणाणुकूल वय १/५५
णाणोवघात २/१८१
णातिमत्तपाण भोयणभोई
१/३१५,३१६
णातिवेल १/१०८
ण(नि)तिसंयोग १/१४१
णायगार्इण १/६६५

पालिया १/६३३,७१३
 पालिएरपाणग १/६२९
 पावपरिणाम १/५०२
 पावा १/५०२,५०३
 पावागय १/५०८,५०९
 पावापुराण १/७२९
 पावाविहार १/५०२,५०६
 पावासंतरिम १/५०४
 पासारोम १/३५५,३७४,३८१,३९५,
 ४०२,४१०
 णिक्कम्मदंसी १/७३५, २/३९६
 णिक्खारग १/५७६
 णिक्खित्त चरण २/२७१
 णिक्खित्त दोस १/५६८,५७१
 ठवणावस्सय २/७८
 णि(नि)ग्गंध १/११४,११५,१५६,१८६,
 २६१,२६२,२६३,२६४,२६५,२६६,
 २६७,२८३,२८४,२८५,२९०,३०१,
 ३१५,३२४,३२५,३२६,३२७,३२८,
 ३२९,३३०,३३३,३३४,३७०,३७१,
 ३७२,३७३,३७४,३७५,३७६,३७७,
 ३७८,३७९,३८०,३८१,३८२,३८३,
 ३८४,४१३,४१४,४१५,४३०,४३१,
 ४७५, ४७६,४८९,५०१,५२४,५३३,
 २/२०,२१,५२,५३,१२८,१३३,१५८,
 २१९,२२१,२२४,२२५,२२६,२२७,
 २२८,२२९,२३०,२३२,२३३,२४२,
 २४३,२५३,२५४,२६५,२७१,२७२,
 २७३,२७४,३३१,३४०
 णिग्गन्ध घम्माइयार विसोहि सुत्त
 २/९१
 णिग्गन्धमुत्ति २/५४
 णिग्गन्धस्स माणुसग्ग भोगट्टा निदाण
 करण २/१५५
 णिग्गन्धि अवलम्बणे कारणा २/२२९
 णि(नि)ग्गन्धी १/११४,११५,१८६,२६१,
 २६२,२६३,२६४,२६५,२६६,२६७,
 २८३,२८४,२८५,३७०,३७१,३७२,
 ३७३,३७४,३७५,३७६,३७७,३७८,
 ३७९,३८०,३८१,३८२,३८३,३८४,
 ४१३,४१४,४७५,४७६,४८९,५०१,
 ५२४,५३३,२/१२८,१३३,१३४,
 १५९,२१८,२१९,२२०,२२४,२२५,
 २२६,२२७,२२८,२२९,२३०,२३२,
 २४२,२४३,२४४,२५३,२५४,२६५,
 २७४,२७५
 णिग्गन्धीए माणुसग्ग भोगट्टा
 णिदाणकरण २/१५७
 णिग्घात १/६८
 णिच्चदाणपिंड १/५८९
 णिच्चयकड काल १/७१७
 णिज्जरट्टयाए २/३४३
 णिज्जरापेही २/२६२

णिज्जाण १/७४७
 णिज्जाणसाल १/७४७
 णिट्ठभासी १/५१९
 णितिय २/३४५
 णितियवाई १/१७०
 णिहासील २/६२
 णिपूरपवाल १/५७६
 णिमित्तपिण्ड १/५६६
 णिमित्ताजीविया २/१५४
 णियग १/४५३,४५४
 णियग-गवेसिय १/७०७
 णियति(इ)वाति(इ)य १/१५७
 णियम १/४५२
 णिययवाई १/१५७
 णियंठ १/४३५
 णियाणमरण २/१६९
 णियाणरहियस्स मुत्ति २/१६७
 णियंठियं २/१००
 णिरय १/१५९
 णिरयगई १/१७१
 णिरयदंसी २/४०१
 णिरया १/१७१
 णिरामगंध १/५४२
 णिवत्तिता १/५३६,५३७
 णिवुट्टदेव १/४२३
 णिवेयणापिंड १/५९०
 णिव्वाण १/१९४,१९५,४७३
 णिव्विइए २/२७२
 णिव्विट्टकायिय १/२४
 णिव्विण्णघारी २/४००
 णिव्वितिग्गिच्छासमावणणे १/४७९
 णिव्विन्द १/४३५
 णिव्वुड २/४०३,४०५
 णिसग्गसम्मदंसन १/१२७
 णिसिद्धठाण १/५२४
 णिसिद्धवयण १/५२४
 णिसील २/१२५
 णिसीहिया १/६४७,६४८,६४९,६५२,
 ६५३
 णिस्सरणणन्दी २/३१०
 णिदिता २/७
 णीयागोय १/४४५
 णूम १/१७९, २/४१
 णोगम २/७९
 णेरइय १/१७१
 णेरइय संसार विओसग्ग २/३५६
 णेसिज्ज २/२९२,२९३
 तजपाय १/६९३
 तजयलोह १/४२२
 तक्क १/१८०
 तक्करप्पओग २/१०९
 तच्चा सत्त राइन्दिया भिक्खु पडिमा
 २/२८०,२८६

तज्जण १/१७४
 तज्जाय संसट्टचरण २/२७०
 तज्जीवतच्छरीरवाई १/१४९
 तज्जीवतस्सरीरिए १/१५३
 तण १/२२६,२४६, २/२९२
 तणगिह १/७४७
 तणपुंज २/६४९,६५०
 तणफास २/३७०,३७१
 तणफास परीसह २/३६८,३७७
 तणमालिय १/४२१
 तणसाल १/७४७
 तणहा १/४४०, २/४०४
 तणहाणुबंधण २/४११
 तणहाभिभूय २/३८६,३८७,३८८,३९०,
 ३९१,४०९
 ततियमहव्वय १/३००-३१३
 तदुभय १/८४
 तदुभयणाणायार १/५५,११२
 तदुभयघर १/१०९,१२२
 तदुभय पडिणीय १/८९
 तदुभयवेयावच्च २/३३८
 तदुभयसमुदाणकिरिया १/१६४
 तदुभयागम १/२३
 तदुभयारिह २/३१०
 तप्पडिरूवगववहार २/१०९
 तम्भमरण २/१६९,१७०,१७३
 तम १/११४,११७
 तमबलपलज्जण १/११७
 तमबले १/११७
 तयक्खाय १/५३५,५३६
 तयप्पमाण १/४७६,४८१
 तया(त्वक्) १/२३९
 तरच्छ १/५४८
 तरु पक्खंदण २/१७३
 तरुपडण २/१६९,१७०,१७३
 तव १/१५,३१,३३,५१,७१,८५,
 १०३,१२६,१२९,१३३,१४३,४५२,
 २/२८,२५८-३६२,४००
 तव-चरणफल २/३५७
 तवतेण १/३०४
 तवफल १/१०३
 तवमय २/१९१,१९२
 तव-समायारी १/७२,८६
 तवसमाही १/८५, २/३५७
 तव सरूव २/२५७
 तवस्स फल केखा णिसेह २/१६८
 तवस्सिणं णेरइयार्ण कम्मणिज्जरणाए
 तुलणा २/३५८,३५९
 तवस्सिपडिणीय १/८९
 तवस्सी २/५०,२४६,३९२
 तवस्सी वेयवच्च २/३३८
 तवाइ तेणाणं दुग्गइ २/३५८
 तवाचरण उद्देस २/३५७

तवायार १/५१
तवारिह २/३१०
तवोकम्म २/७१,८४,१२८,३१८,३१९
तवोगुणपहाण २/४०५
तवोवहाणादाय २/३७८
तस १/१४२,१५८,१६१,१९७,२१७,
२२७,२४६,४१७
तसकाइय(ग) १/२२५,२४४
तसकाइय आरंभ १/२८२
तसकाइय जीव २/९,१०
तसकाय अणारम्भ ठाण २/४८
तसकाय १/२४२,२४३
तसकायसत्य १/२४३,२४४
तसकायसमारंभ १/२४३
तसकायसरूव १/२४१
तस-थावर १/२१६,२१९,२४६,५३०
तस-धावरा पाणा १/४७४
तसपाणसमारंभ २/१२१
तसा पाणा १/२२६,२४१,२४२,२४३,
७२०
तस्सेवी २/३१८
तहक्कारो २/५७,५८
ताई १/११२
ताण १/४५४,४५५
तालउह १/३३१
तालण १/१७४
तालपलव १/५७६,५८०
तालमूलय १/२८५
तालायर १/४२६
तालयटक १/४३३
तारागण १/१००
तिक्खसिंग १/१०९
तिगिच्छ-मत-मूल १/५६६
तिगिच्छा १/२५४,३४४
तिगिच्छापिण्ड १/५६७
तिगिच्छा विहाण २/७६
तित्तर १/१७५
तित्तिक्ख २/२६५,३६६
तित्तिक्खण १/६१२
तित्ती १/२१९
तित्थ २/१९८
तित्थधम्म २/३४४
तित्थपवत्तणकाल २/१९८
तित्थय(क,ग)र १/३,४,११,२३,२२२,
२७९,२९१,३१९, २/१९८
ति-मासिया भिक्खु पडिमा २/२७९,
२८५
तिरट्टी १/१८६
तिरिक्खजोगिया १/१०३,३१४, २/३५८
३८०
तिरिक्खजोगिया उवसग्गा २/३८१
तिरिक्खमपाति(इ)म १/५०३,७१३
तिरिक्खा २/४३

तिरिच्छि १/३२०
तिरियगई १/१७१
तिरियदिसिवय २/११०
तिरियदिसिपमाणाइक्कम २/११०
तिरियदसी २/४०१
तिरियलोय १/२५
तिरियसंसार विओसग्ग २/३५६
तिरीडपट्ट १/७४६
तिल १/१७५,५७८
तिलपप्पडग १/५७८
तिलपिट्ट १/५७८
तिलोदसी १/१०६
तिलोदग(य) १/६२८,६३२, २/२५९
तिसरग १/६४०
तीय १/४१
तीयवयण १/५१८
तुच्छ १/१२१
तुच्छकुल २/१६६
तुच्छरूवा १/१२१
तुच्छोभासी १/१२१
तुच्छोसहिभक्खणया २/१११
तुडिय १/४२१,६४०
तुयावइत्ता २/६
तुलकड २/२९३
तुसगिह १/७४७
तुससाल १/७४७
तुसिणीय १/४९०,४९१
तुसोदग(य) १/६२८,६३२, २/२५९
तूणइल्ल १/४२६
तूलकड १/६७५
तेइन्दियकाय १/४४
तेउकाइय(ग) १/२२५,२३३
तेउकाइय आरंभ १/२८२
तेउकाइय जीव २/९,१०
तेउकाइय संजम २/१४,१५
तेउकाय अणारंभ ठाण २/४७,४८
तेउकाय अमोहसत्य १/२३४
तेउक्काय १/४४
तेउच्छ १/७४५
तेउफास २/३७०,३७१
तेउ महाभूत १/१५४
तेऊ १/१६२
तेण १/५२८
तेणाहड २/१०९
तेत्तीसविह ठाणाई पडिक्कमण
सुत्त २/८८
तेयणिसग्ग २/२२३
तेयलेस २/५२,५३
तेयाणुवन्धी २/३५२
तेल्ल १/५५०
तेल्लविन्दु १/१२६
तेल्लाइणं अब्भंग १/४७७
तेन्दुग १/५७८

तोत्तगवेसय १/८३
तोयविन्दुप्पमाण १/४७६,
तंबपाय १/६९३
तंबलोह १/४२२
तंबोल १/३३६
तुंबवीणिय १/४२६
थणियकुमार १/४८
थलगय १/५०८,५०९
थवथुइमंगल १/१३३
थवथुइमंगल फल १/१०
थविरप्पगारा २/१९९
थावर १/१४२,१५८,१६१,१९७,
२१७,२२७,४३९,४७६
थिरसघयण १/५२०,६७५
थिरीकरण १/१२६
थिल्लि १/१७४
थीकह १/३२६
थीकहा णिसेह १/३२६
थीकहा मणोरमा १/३२४
थुइ मंगल २/६१
थूणाविसय २ २२५
थूलमेहुणविरमण २/१०९
थूलाइ पाणाइवाय २/१२१
थूलाओ अदिण्णादाणाओ वेरमण
२/१०८,१०९
थूलाओ परिग्गहाओ वेरमण २/१००
थूलाओ पाणाइवायाओ वेरमण
२/१००,१०८
थूलाओ मुसावायाओ वेरमण
२/१०८,१०९
थेर(भरावन्त) १/९३,३१०,३११,३१२,
३२३,३२४,४२४,४९७,४९८,५४२,
५५०,५५१,६०४,६०५,६०६,६६८,
६७४,६९०,६९१,७११,७१४, २/६६,
१२८,२१०,२१३,२१४,२१७,२३८,
३३४,३३६
थेर कप्प २/७७
थेरकप्पट्टिई १/५४
थेरट्ट १/६९०
थेरपडिणीय १/८८, २/२३२
थेरवेयावच्च २/३३८
थडिल १/७१८,७१९,७२०,७२२,७२३,
७२४,७२५,७२६,७२७,२/२६२,२६३
थडिल समायारी १/७२९
थंभ १/७१,९३
थंभणता २/३८१
दओघसि २/६५
दक्खिण १/१८२
दग १/२२६
दगठाण १/७४७
दगणालिय १/२७४
दगतीर १/६४६,७४७
दगपग्ग १/७४७

दगपह १/७४७
दगरक्वस १/१९१
दगवीणिय १/२७४,२७५
दगसत्तघाती १/१९१
दढधम्म १/५०, २/३२०
दत्तमणुणाय १/२१०,३०३
दत्ति परिमाण २/३०५
दत्ति संखा विहाण २/७२
दत्ती २/२८१,२८५,२८६,२९६,२९८,
२९९,३००,३०१,३०२,३०३,३०४,
३०५
दत्ती पडिमा २/२९६
दप्प २/३०९
दम्भवत्तिय १/१७५
दम १/४५२
दया १/५८,१०२,२१९
दयाणुकम्पी २/४१
दरिदुकुल २/१६६
दरिसणावरणिज्ज १/१२७,१२८,१२९
दरसणिज्ज १/५२०
दवगिगदद्धय १/१७५
दवगिगदावणया २/१११
दवग्गी १/३२९
दव्व १/१२६
दव्व विओ(उ)सग्ग २/३५५
दव्वाभिग्गहचरण २/२६९
दव्वावस्सय २/७८
दव्वोमोयरिया २/२६६
दसण्णभद्द १/१९८
दसदसमिया भिक्खुपडिमा २/२९७
दसविहा समायारी २/५७
दसा-कप्प-ववहार २/२२३
दसा-कप्प-ववहारघर २/२१०
दस्सु १/४८९
दस्सुगा(या)यतण १/४८९,४९०
दहि १/४२३,४२७,४५०, २/२७२
दाण १/५३१
दाणट्टया १/५३०
दाणविसप्प १/५३०
दायगदोस १/५७१,५७२
दार १/७४७
दारग १/५०४
दारिग १/५०४
दारुद्धग्ग(दण्ठय)पायपुच्छण १/७०८
दारुण २/४२
दारुद्ध १/२७५,२७६
दारुपाय १/६९०,६९८, २/२९४
दालिमपाणग १/६२९
दालिमसरहुय १/५७६
दावद्व २/१३१,१३२
दावर १/४१
दास १/३३६,३३७,४३३
दासी १/४३३

दाहिण १/१४८,४७४
दाहिणगामी २/१५७,१५८,१६१
दाहिणा १/१२३,१२९
दिगिंछा परीसह २/३६८,३६९,३८०
दिट्टलाभिए २/२७०,२७१
दिट्टसाहम्मव (अनुमान) १/१८,२०,२१
दिट्टिवाय १/२३,६८,१५७, २/२२३
दिट्टिवाय अक्खेवणी २/३४७
दिट्टिवायमहिज्जग १/५३१
दिट्टिविसभावणा १/२२३
दिट्टिसपत्र १/१९८, २/५३
दिट्टं २/३१८
दित्तचित्त २/३३२
दिवस चरिम पच्चक्खाण सुत्त २/९६
दिवा(या)वभयारी, रत्ति परिमाणकढ
२/११६
दिवाभोयणस्स अवण्ण १/४८१
दिव्व १/५९,६०,३१४
दिव्व कामभोग १/३३३
दिव्वमाया २/२६५
दिव्व २/३८०
दिव्वा उवसग्गा २/३८०
दिसा १/१२३,१२९, २/४
दिसामोहेण २/९४,९५
दिसिदाघ १/६७
दिसिव्वय २/१००,१०२,११०,११३
दिसकहत्ता भिक्खागमण २/६६
दीण १/२०१
दीणदिट्ठी १/२०१
दीनपण्णा १/११९
दीना १/११९
दीव १/१२५
दीवायण २/३८४
दीविय १/५४८
दीवोवमा १/३७
दीहकालिय रोगायक २/२८७
दीहमद्ध २/५३
दीहराय २/४०२
दीहलोगसत्थ १/२३४
दीहाजबधकारण २/१०६
दीहसुत्त १/६८८,६८९
दीहसुत्तकरण १/६८८
दुआइक्ख २/२००
दुक्कढ १/१५२,१५४
दुक्ख १/१३९,१४०,१४१
दुक्खदसी २/४०१
दुगुल्ल १/६७०,७४६
दुगुंछा २/४१०
दुगुंछावत्तिय १/६७४
दुगुंछियकुल १/६६५,६८७, २/३४०
दुग १/४६०
दुग्गइनिरोह २/३७
दुग्गई २/१७२

दुग्गम-सुग्ग ठाणाई २/२००
दुग्गय १/११४
दुज्जिण्णा कम्मा १/१६७,१७१
दुट्ठ १/१२९
दुट्ठ पारचिय २/३३१
दुट्ठपडिच्छिय १/९८
दुत्तित्तक्ख २/२००
दुपच्चक्खाणी २/१०१
दुपच्चक्खाय २/१०१
दुपय-चउप्पय-पमाणाइक्कम २/११०
दुपयण १/५१८
दुपस्स २/२००
दुप्पजलिओसहिभक्खणया २/१११
दुप्पडियार १/४८,४८
दुबद्धयुणाइ ठाणाइ करण पायच्छित्त
१/२५१
दुब्बल २/५०
दुब्बिक्ख २/६५
दुम्मूह १/१९८
दुरणुचर २/२००
दुल्लभवोहिय १/१७८
दुल्लहवोही १/१२९,१३०
दुल्लहोघम्म १/४२
दुवालसावत्तण २/८५
दुवालसंग १/१५६,४८५
दुवालसंग गणिपिडग २/३४८
दुव्वाई १/८९
दुव्विभज्ज २/२००
दुस्समा १/१४६
दुस्सील १/८९,११९,१७१,२००, २/५६
दुस्सीसा १/९०
दुहओ पडिबद्धा २/६
दुहओलोगपडिणीय १/८८
दुहओलोग पडिबद्धा २/६
दुहसेज्जा २/३५
दुहपिण्ड १/५६६
दूस १/१३९
देव १/४४,८६,९१,१०३,१२९,
१४३,१६७,१८९,३२०
देवआसायणा १/९७
देवउत्त १/१५९
देवकामा २/४०७,४०८
देवकिब्बिस २/१५४,३५८
देवकुरु १/२६
देवगई १/१७१, २/४०७
देवदसण १/७३२
देवसण्णती २/८
देवसिय पडिक्कमण समायारी २/६१
देवसिय समायारी २/५८
देवसी पडिक्कमण २/८४
देवससार विओसग्ग २/३५६
देविल २/३८४
देविन्दपरियावणिया २/२२३

देविदोगह १/६५३
 देवी १/१८९
 देवी आसायणा १/९७
 देसकह १/११४,११५
 देसच्चाई १/८७
 देसऽण्णाण १/१६४
 देसपएस १/२७
 देसमूलगुण पञ्चकलाण २/९९,१००
 देसराग १/६७०,७४६
 देसविराहय २/१३१
 देसाराहय २/१३२
 देसावगासिय २/१००,१०८,११३,११४,
 ११७,११८
 देसुत्तरगुणपञ्चकलाण २/१००
 देह १/१७२
 दोगइ १/१०३
 दोच्चा सत्तराइन्दिया भिक्खु पडिमा
 २/२८०,२८६
 दो-मासिया भिक्खुपडिमा
 २/२७९,२८५
 दोरज्ज १/४९९
 दोस १/१२६,१४७,१७३,१८९,२१२,
 २/४०४,४०५
 दोसणिस्सिया १/५११
 दोसदंसी २/४०१
 दोसनिग्घायणाविणय १/७२,७३
 दोससकिणो १/३३५
 दोसियसाला १/६२४
 दंड १/७४८
 दंडपह २/५४
 दंडसमादाण १/४४०
 दंडाइ(णि) १/२७५,२७६
 दंडाइय २/२८६
 दंडायतिए २/२७४
 दंडासणियाए २/२७५
 दंत १/८२,१८६, २/३२
 दंतकम्म १/४६१
 दंतपरिकम्म १/३५५,३८९,३९५,४०३
 दंतपरिकम्म कारावण १/३६७,३७४,
 ३८२
 दंतपाय १/६९३
 दंतमल १/३५२,३५८,३६४,३७१,
 ३७८,३८५,३९२,३९९,४०६
 दंतमालिय १/४२१
 दंतवाणिज्ज २/१११
 दंतवीणिय १/४५९,४६०
 दंसण १/१५,४६,५१,६०,१२६,१२७
 १९४
 दंसण अइक्कम २/८३,८४
 दंसण अइयार २/८३,८४
 दंसण अणायार २/८४
 दंसणअसच्चा १/२००
 दंसणगुणप्पमाण १/१८,२३

दंसणट्टया २/६५,३१८
 दंसणपडिणीय १/८९, २/२३२
 दंसणपण्णवणा १/७३९
 दंसण परीसह २/३६९,३७८
 दंसण पायच्छित्त २/३११
 दंसणपुरिस २/१९९
 दंसणबलिय १/२२३
 दंसणबुद्धा १/५३
 दंसणबोधी १/५३
 दंसणमावरण २/४०५
 दंसणमूढा १/५३
 दंसणमोह १/५३
 दंसण-लक्खण १/१२५
 दंसणलोग(अ) १/१५
 दंसणवइक्कम २/८३,८४
 दंसणविणय १/७५
 दंसणविराहणा २/१३६
 दंसणविसोहि १/१०, २/१८१
 दंसणसच्चा १/२००
 दंसणसम्म १/७३९
 दंसणसरूव १/१२५
 दंसणसावय २/११६,१६४
 दंसणसकिलेस २/२५२,२५३
 दंसणसंपन्नया(ए) १/१२७,१३३,१३४,
 २/२९,३२०
 दंसणायार १/५१,१२५-२०४
 दंसणाराहणा १/५१,५२,५३, २/१३५,
 १३६
 दंसणावरण २/३६६
 दंसणावरणिज्ज १/१४७
 दंसणिद्धी २/२०५
 दंसणिंद २/१९९
 दंसणोवघात २/१८१
 दंसमसगफास २/३७०,३७१
 दंसमसय परीसह २/३६८,३७०
 घण १/१३९,४३९
 घण-घन्न-पमाणाइक्कम २/११०
 घण १/१३९,४३९
 घणपुजितसमाणा २/७
 घणविकित्तसमाणा २/७
 घणविरल्लित्त समाणा २/७
 घण संकटित्त समाणा २/७
 घणोवमा २/७
 घम्म १/१,२,३,३०-५०,६०,७२,८८,
 १०५,१०६,१०९,१११,१४३,१४९,
 १५२,१५३,१५४,१५५,१५६,१५८,
 १८७,१८९,१९७,१९८,२१६,४३४,
 ४३५,४३६,४३७,४३९,४४२,४४४,
 ४५२,४७३, २/३९२,४०८
 घम्मकहा १/४२,१३३,१८७,
 २/३४२,३४६,३५०
 घम्मकहाफल २/३५१
 घम्मघायग २/१८०

घम्मचिन्ता १/६१२,७३२
 घम्मजागरणा २/३९४
 घम्मजागरिय १/११४,११५, २/७३
 घम्मजाण १/९०
 घम्मज्जिय ववहार १/४९
 घम्मज्ञाण २/३५१,३५२,३५३
 घम्मज्ञाण अणुप्पेहा २/३५३
 घम्मज्ञाण आलंबण २/३५३
 घम्मज्ञाण लक्खण २/३५३
 घम्मट्टी १/१८५
 घम्मठिय १/४६,४७,४८
 घम्मतित्थ १/१८७
 घम्मनिदापायच्छित्त १/५०
 घम्मपएस १/२७,२८,२९
 घम्मपण्णवणा १/११
 घम्मपण्णा १/१७९
 घम्मपन्नत्ती १/२२५
 घम्मपय १/१०२
 घम्म परक्कम काल २/४०८
 घम्म परक्कमट्टा उवएस २/४०८
 घम्मपरिणाम १/३०
 घम्म पाहेय १/४१
 घम्ममणुत्तर २/३८२
 घम्मइ १/१२६,१२७
 घम्मव २/२७
 घम्मविणय २/२३९,२४०
 घम्मविज्ज(दू) १/१६२,१६३,१८५,
 २/२७
 घम्मविसोहि २/१८१
 घम्मसद्धा १/३०,१३३,१३४
 घम्मसासण १/१४५
 घम्मसाहण १/४५
 घम्मसिक्खा १/७३१
 घम्माणुयोगचिन्ता १/६१७,६१८
 घम्माधम्मठिय १/४६,४७,४८
 घम्माधम्मिय उवक्कम १/४६
 घम्माधम्मियकरण १/४५
 घम्माधम्मिय ववसाय १/४६
 घम्माराम १/३२३
 घम्मायरिय १/४८,४९
 घम्मारहणा परिणाम २/५३
 घम्मियउवक्कम १/४६
 घम्मियकरण १/४५
 घम्मियववसाय १/४६
 घम्मिया अघम्मिया पुरिसा १/४९
 घम्मियाराहणा २/१३५
 घम्मतराइय कम्म २/१,२
 घम्मंतराय कम्मखओवसम २/१
 घरण (इन्द्र) १/६,३१८
 घरणोववाय २/२२३
 घाइपिण्ड १/५६६
 घाउकम्मकरण १/४२२
 घाउणिहिपवेयण २/१९६

धारणा २/२००,२०१
घिई १/२२०
घितिमं २/२४४
ध्रुव १/१४५
ध्रुवणिग्गह २/८२
ध्रुवमोह १/३३७
धृतमोह २/३७३
धृतरय २/३७३
धृतवाद १/४३६
धूमदोस १/६१०
धूमिया १/६८
नई १/५३१
नक्कछिण्ण १/५२८
नगिण २/५१
भग्गई १/१९८
नट्ट १/४४७
नट्टक १/४२६
नड १/४२६
नपुंसगवेय २/३२४,४१०
नमि(मी,राया) १/३,४,१९८
नमोक्कार सहियं पच्चक्खाण सुत्त
२/९४,९८
नयरघम्म १/३१
नरगतिरिक्ख १/४४२
नरग-तिरिक्खजोणि १/१४४
नरगतिरिक्खत्तण २/४०७
नरय १/३२०,४४५, २/३५८,४०६,
४०८
नरय वेयणा १/१७७
नरिद १/३२०
नवकोडीपरिसुद्ध १/५३३
नव नवमिया भिक्खु पडिमा २/२९७
नवविहा सुद्धभिक्खा १/५३९
नाअ २/८२
नागपरियावणिया २/२२३
नाण-दंसण १/११४,११५
नाणदंसणुप्पत्ति १/११४
नाण-दंसणसंपन्न १/७३९
नाणपज्जव १/७३४
नाण पडिणीय १/८९
नाण संपन्नया १/५९,१३३
नाणावरण २/४०५
नाणावरणिज्ज १/१४७
नाणावरणिज्ज कम्म १/३८,३९,६२,
२/३४२
नाणासीला २/१७२
नाम १/१४७, २/१०४,३६७
नामावस्सय २/७८
नायपुत्तवयण २/२३
नालिय १/८४
नासावहार २/१०९
नासावीणिय १/४५९,४६०
नाहियदिट्ठी १/१७०

नाहियपण्ण १/१७०
नाहियवाई १/१७०
निक्कलिय १/१२६
निक्खित्तचरण २/२६९
निक्खित्त-उक्खित्तचरण २/२६९
निगामसाई २/५६
निग्गथ पावयण १/१३२, २/१५५,
१५७,१६०,१६४
निच्चभत्तिय २/६७
निच्चरोसी १/३०४
निज्जर १/१७०,२०७
निज्जरणया १/४५६
निज्जरा १/१२५,१८९, २/११५,११६
निज्जरापेही २/३७७
निज्जावय २/३२०
निज्जूहियव्व २/७६
निणय १/१२३
निण्हव २/१७४
नितिय १/१९०, २/२४९
नितियपिंड १/५८९
नितियवास १/६६४
निदा(या)ण २/१५६,१५७,१५८,१५९,
१६०,१६१,१६२,१६३,१६४,१६६,
१६७
निह १/१०४
निहपमाय २/१८०
निन्दणया १/१३३,१३४
निप्फाव १/१७५
निब्बलासय १/३३१
निमित्त १/१४४,१७२
निमित्त चागरण २/१९७
निमित्तमि २/१५४
निम्मलयर १/२२१
नियगपडिवण्ण १/१८५
नियडी १/८९
नियतीभाव १/१६१
नियम १/१४३
नियल-बंधण १/१७५
नियाग १/१४४
नियाणछिन्न १/४७३
नियावट्ठी १/१८०
नियावाई १/१६७
निरवज्जजोगपडिसेवण २/१११
निरतियार १/२४
निरय १/१५२,१५४
निरवसेस २/१००
निरालंबणता १/८७
निरासव १/१४५, २/२५७
निरुद्धपण्णा १/१७२
निरुद्ध परियाय २/२१०
निरुद्धासवे २/१०२
निल्लंछणकम्म २/१११
निविट्टकाइय कप्पट्टिई १/५४

निव्वाघाइम २/२६१,२६२
निव्वाण १/८७,१८७,१९४,२१९
निव्वाण मग्ग १/१९७
निव्वाविय १/५७०
निव्विगह २/४२
निव्विगइया पच्चक्खाण सुत्त २/९७
निव्वितिगिच्छा १/१२६
निव्वियार १/७३४
निव्विसमाण-कप्पट्टिई १/५४
निव्विसमाणय १/२४
निव्वीइय २/२७२
निव्वुई १/२१९
निव्वेगणी २/३४७
निव्वेय १/१३३,१३४,१३५
निव्वेयदसा १/१३८
निसग्ग २/१०७
निसग्ग (रुई) १/१२६
निसज्ज-कहा १/५६६
निसम्मभासी १/५१९
निसल्ल २/६१,६२,२५७
निसह (निषघ पर्वत) १/६
निसिज्जा २/४५
निसिज्जाकरण १/७४२,७४३
निसिज्जियाए २/२७५
निसिद्धसय्या १/४९३
निसीहिया २/५७,५८
निसीहिया परीसह २/३६८,३७४
निस्सकिय १/१२६
निस्सिचिय १/५७०
नीयागोया १/१०
नीलमिगाइगाणि १/६७०,७४६
नीलवन्तपवहा १/११०
नीहारिम २/२६०,२६१
नेगम(नय) १/२४,२५,२६,२७
नेमि १/३,४
नेरइय १/४४,४८,१०३,१७७,१७८,
२/३५८,३५९,३६०
नेसज्जिए २/२७४
नेहपास १/४४५
नेहाणुबंधण २/४११
नोआगतो(ओ) दव्वावस्सय २/७८,७९,
८०
नोआगततो(ओ) भावावस्सय २/८१
नोइन्दिय पच्चक्ख १/१८
नंदण (नन्दन वन) १/६
नंदणवण २/३६१
नंदा १/२२०
नंदीचुण्णग १/३३६
नंदीसर दीव २/३६१
पइण्ण तव २/२५९
पउमप्पह(सुप्पम) १/३
पउमवरपोडरीय १/१८१,१८२,१८३,
१८४,१८५,१८७

पलमोवमा १/४३४
 पएसदिद्वन्त १/२४,२६,२९
 पभोगकाल २/३८६,३८७,३८९,३९०,
 ३९१,४१०
 पभोगकिरिया १/१६४
 पभोम (काल) १/६२,६३
 पभो(दो)सा २/३८०,३८१
 पभोगसंपया २/२०६,२०८
 पकामभोई १/६१२
 पकुव्वय २/३२०
 पक्कमालव १/५२०
 पक्कपिंड १/८३
 पगइउवसंतया १/५८
 पगतिभट्टया १/५८
 पगतियणुकोह-माण-माया-लोभ १/५८
 पच्चक्ख १/१८
 पच्चक्खवयण १/५१८
 पच्चक्खण १/१०३,१३३, २/८२,९४,
 ९९,१००,१०१,१०२,१०३,१०४,
 १०५
 पच्चक्खण-पालण-रहस्स २/१२१
 पच्चक्खणप्पगारा २/९९
 पच्चक्खणफल १/१०२, २/१०२,
 १०३
 पच्चक्खणी १/५१२
 पच्चत्थियम १/१८३
 पच्चवाय २/७१,७३
 पच्चूस १/६३
 पच्छण्णपडिसेवी २/३१०
 पच्छण्णभासी १/१०८,११२
 पच्छन्नकालेण २/९४,९५
 पच्छाद १/७१२
 पच्छाकम्म २/४९
 पच्छाणुताव २/३३३
 पच्छा संभा १/६८
 पच्छिमा १/६३
 पज्जत्तिया (भासा) १/५११
 पज्जव ओमोयरिया २/२६८
 पज्जवचरओ २/२६८
 पज्जवजायसत्थ २/३९९
 पज्जालिय १/५७०
 पज्जुयासणा १/१०२
 पज्जोसवणा २/७७
 पट्ट १/४२१,६७०
 पट्टविय २/३११,३३१,३३२,३३३,३३६
 पट्टविया आरोवणा २/३१३,३१४,
 ३१५,३१६
 पठण १/६६
 पठप्पण्णदी २/३१०
 पठलाइ १/७१२
 पठागसमाणे २/१०५
 पठिकुट्टुकुल १/५४९
 पठिकूलोवसंगा २/३८१

पडिक्कम २/१२२,१२३,१२४
 पडिक्कमण १/१३३, २/८२,८३
 पडिक्कमणारिह २/३१०
 पडिग्गह १/७१२
 पडिच्छगा १/१२०
 पडिग्गहमाया २/५
 पडिणीय १/८८,८९
 पडिपुच्छण(या) १/१३३, २/५७,
 ५८,३४२
 पडिपुच्छणाफल २/३४६
 पडिबद्धसेज्जा १/६३७
 पडिबुद्धजीवी २/४३,१७९
 पडिमट्टाइयाए २/२७५
 पडिमट्टाई २/२७३
 पडिमा २/१०७,२७९-३०८,
 ३६७,३७९
 पडिमाधारगस्स वयण विवेगो २/२९१
 पडिमापडिवण्ण २/१२०,२८०,२८१,
 २८२,२८३,२८४,२८५,२८६,२८७
 पडिमा संगह २/३०७
 पडिमोयय २/३९७
 पडियाणिय १/६८९
 पडिरूवय(ी) १/३२,१३३
 पडिलेहणा १/७१५,७१६
 पडिलेहणा दोस २/६०
 पडिलेहणापमाय २/१८०
 पडिलेहणा विही २/६०
 पडिवाई १/२४,१२७
 पडिसुत्ता २/७
 पडिसेवण २/३०९
 पडिसेवणा पायच्छित्त २/३११
 पडिसेविय २/३२७,३२८,३२९
 पडिसेवी १/४२३,४२४
 पडिसोय १/१४२
 पडिसोयचारी १/५३६
 पडिसलीणता २/२५८,२७५-२७९
 पडिहारिय १/६५७,६५८,७०९
 पढीण(ी) १/१२३,१२९,१४८
 पडुच्चसच्चा १/५११
 पडुप्पणवयण १/५१८
 पडुप्पवाइयट्टाण १/४६१
 पढील पलासय १/६०९
 पढमपोरिसी समायारी २/६०
 पढम समोसरण २/७५
 पढमा १/६३
 पढमा-मासिया राइदिया भिक्खु
 पडिमा २/२८०,२८६
 पणएदिट्टी १/२०१
 पणग(य) १/२०१,२८३,४९९
 पणगसुहम १/२८४, २/७७
 पणगिह १/७४७
 पणियट्ट १/५३१
 पणियसाल १/७४८

पणीताहारविवज्जणया १/४२४,४२७
 पणीय आहार १/४२३,४२७
 पणीय आहारणिसेह १/३२९
 पणीय पाण भोयण १/३२९, २/२७२
 पणीय भत्त पाण १/३२४
 पणीय रस परिच्चाय २/२७२
 पणीय रस भोयण १/३३१
 पण्ण १/६१७,६१८
 पण्णत्ति अक्खेवणी २/३४७
 पण्णवणा १/७३९
 पण्णवणी १/५१२,५१४,५१५,५१६
 पण्णवताणं परक्कमं २/३९६
 पण्णा संपन्ना १/११८
 पण्ह कत्ता १/१२०
 पण्हकरणविही १/१०६
 पण्हाय १/४१९
 पत्त १/२३९, २/३४४
 पत्त चीवर २/७५
 पत्तछेज्ज १/४६१
 पत्तपडिलेहणाकाल २/५९
 पत्तपदाण १/४२२
 पत्तमालिय १/४२१
 पत्तवीणिय १/४५९,४६०
 पत्तुण्ण १/६७०,७४६
 पत्तेसण पडिमा २/२९४
 पंतगविहिया १/५३९, २/२८२
 पत्थगदिद्वन्त १/२४,२५
 पत्थारा २/३३०
 पदोस २/३१०
 पन्ना परीसह २/३६८,३७७-३७८
 पफिडय १/५०७
 पफ्फोडणा १/७१६
 पभावणा १/१२६
 पभासा १/२२१
 पमत्त १/२३४, २/१७८,४०२
 पमत्त पारंचिय २/३३१
 पमाणपत्त १/६१२
 पमाणातिकत्त १/६११,६१२
 पमा(दो)य १/७१,९३,१०४,१४३,
 १९४,४३७,२/१७७,१७८,१७९,
 १८०,२१३,३०९,३६३,३९४
 पमायचरिय २/१११
 पमायणिसेह २/१७७
 पमाय पडिलेहणा १/७१६
 पमाय परिच्चाण उवएसो २/३९४
 पमायबहुल १/४५
 पमायसग १/१०६
 पमायी १/४३५
 पमोओ १/२२०
 पमोक्ख १/१६८, २/४६
 पमोक्खमग्ग २/४०५
 पयणुय २/२६४
 पयत्तमिन्न १/५२०

पयत्तपक्क १/५२०
 पयमग्ग १/२७४
 पयरत्तव २/२५९
 पयहीण १/९७
 पयाणुसारी १/२२२
 पयगवीहिया २/२६७
 परकिरिय १/३३७
 पर-गवेसिय १/७०७
 परगं २/२९२
 परचक्क १/५००
 परदत्तभोई १/३००, २/५५
 परदव्वहरणवेरमण १/३०५, ३०७
 परदारगमण २/१०९
 परदेवी परिचारणा निदान करण
 २/१६०
 परपरिवाया(ओ) १/१७३, २१२, ३०४,
 २/१५४
 परपासंडपडिमा २/२५२
 णरपासंडपसंसा १/१३७, २/१०७
 परपासंडसेवी १/१३८
 परपासंडसथव १/१३७, २/१०७
 परप्पवाइ २/३९२
 परमकेवल १/३१९
 परमचक्खू १/४३९, २/४०२
 परमत्थसंधव १/१३६
 परमदंसी २/३९६
 परमसुक्कन्नाण १/३१९
 परमाराम १/३३१
 परमाहोहि १/३९
 परलोग आसायणा १/९७
 परलोग पडिणीय १/८८
 परलोग पडिबद्धा २/६
 परलोगवादी(ई) १/१६७, १७०
 परलोगसंवेगणी २/३४७
 परलोगसंसम्पओग २/९३
 परलोय १/१५२
 परववणस १/३०५, २/११५
 परविवाहकरण २/११०
 परवेयावच्च २/३३७, ३३८
 परसमय १/५९
 परसरिर संवेगणी २/३४७
 परिकम्म १/३३९, ७२२
 परिकम्मकय १/६९४
 परिकम्म कारावण १/२६१
 परिकम्मविसोही २/१८१
 परिकम्माणुमोयणा १/३३९
 परिकम्मोवघात २/१८०
 परिक्खभासी १/५१०
 परिग्गह १/३७, १३१, १७३, २१२,
 ४२९, ४३९, २/३, १७, २५७, ३८४
 परिग्गहपरिमाण २/११०
 परिग्गहपासवद्ध १/४४५
 परिग्गहविरय १/४४५, ४४६

परिग्गह-वेरमण १/४५५, ७३३, २/२९
 परिग्गहसरूव १/४३८
 परिजुण्णा २/७
 परिजुसित संपन्न १/५३७
 परिट्टवण १/६२९, ६३२, ७२०, ७२१,
 ७२२, ७२३, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८,
 ७२९
 परिट्टावणविही १/६०८
 परिट्टावणियागारेणं २/९५, ९६, ९७
 परिट्टावणिया समिइ १/७२०, ७२९
 परिणय १/५७९, ५८०, ५८२, ५८३
 परिणातकम्म १/१८६, ४७४
 परिणातगिह्वासा १/१८६
 परिणात संख १/१८६
 परिणिव्वाण १/२४१
 परिण्णा १/११८
 परिण्णाय कम्मे २/१०२
 परिण्णाय गिहावासे २/१०२
 परिण्णाय सण्णे २/१०२
 परिणिदिता २/७
 परिताप १/७३५
 परित्तकायसंजुत्त आहार १/५७५
 परित्तमिस्सिया १/५१२
 परित्त संसारी २/१७३
 परिदाह पडियाय १/५०६
 परिनिव्वुड २/५२
 परिपुए २/७२
 परिभोगेसणा १/५३८
 परिभोयण-परिट्टावणविही १/६०८
 परिमाणकड २/१००
 परिभिय २/७२
 परिभिय पिण्डवाइए २/२७०, २७२
 परियट्ट १/५०७
 परियट्टण १/६१७, ६१८
 परियट्टणा १/१३३, २/३४२
 परियाय १/१४६, २/२८, २२३
 परियायघेर २/१९९, २००
 परियाय घम्म २/४०
 परियाल २/२८
 परियावज्जणा १/१२३
 परियावसह १/६३२, ७४३, ७४७
 परिया(वा)वित्ता २/७
 परिया(वा)सिय १/४७६, ४७७
 परिवइत्ता १/५३७
 परिवाय १/३०५
 परिवुइत्तकाय १/५२०, ५२८
 परिसर १/५४८
 परिसा १/१४९
 परिस्सव १/२०७
 परिस्सह १/१३२
 परिस्साई २/३०९
 परिहार १/४९८, २/३३१, ३३६

परिहार कम्पट्टिय १/४९८, २/१३६,
 ३३७
 परिहारट्टाण १/६९, ९९, २/५, ३१२,
 ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३२४,
 ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३४०
 परिहारणारिह १/७२२
 परिहारणविसोही २/१८१
 परिहारणोवघात २/१८०
 परिहारपत्त १/४२३, ४२४
 परिहारविसुद्धि २/११
 परिहारविसुद्धिय चरित्तगुणप्पमाण
 १/२४
 परिहारविसुद्धिय संजम २/१४
 परिहारिय २/८, ९, २४७
 परीसह १/४५२, २/४०, ३६५, ३६८,
 ३८०, ३९५
 परीसह अपराजिओ मुणी २/३७८
 परीसहजय २/४२
 परीसहजयफल २/३८०
 परीसह पराजिओ मुणी २/३७९
 परीसहवत्तिय १/६७४
 परीसह विजय १/१३१
 परीसहसहगो भिक्खू २/३७९
 परीसहोवसग्ग २/२१, २६४
 परोक्खवयण १/५१८
 परंपरगय २/३०
 परंपरागम १/२३
 परंपरसमुदाणकिरिया १/१६४
 पल १/५०७
 पलालगं २/२९२
 पलालपुंज १/६४९, ६५०
 पलिउचणा पायच्छित्त २/३११
 पलिउचिय २/३२४, ३२५, ३२६, ३२७,
 ३२८, ३२९
 पलिओवम १/१४५, २/१४७
 पलिच्छिन्न २/२१७, २२१
 पलिमथू २/१८०
 पलियक्क २/४५, ४९, २७४
 पलियक अनिसेज्ज ठाणं २/४९
 पलंब १/५७६
 पलंबसुत्त १/४२१
 पल्हत्थिय १/८३
 पल्हायणभाव २/२५५
 पवग १/४२६
 पवढणता २/३८१
 पवढेज्ज २/५०
 पवत्तय २/६६, २३८
 पवत्तिणी १/६६८, २/२२०, २२५
 पवयण २/३४८
 पवयणदेवी १/९
 पवयणमाया १/४८५-७३८, २/१०२
 पवयणसरूप २/३४८
 पवरपोडरीय १/१८५

४६२ परिशिष्ट · २ चरणानुयोग-शब्द सूची

पवहेज्ज २/६५
 पवाल १/१३९, २३९
 पवित्ता १/२२१
 पवित्तरविहि १/१७४
 पवुट्टदेव १/५२३
 पवज्जा २/१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८
 पव्वज्जा अजोग्गा २/५
 पव्वज्जापरियाय १/६६७
 पव्वय १/४६०
 पव्वयमाण २/५
 पव्वावण २/४
 पसत्थकायविणय १/७८, ७९
 पसत्थयेर २/२००
 पसत्थ मणविणय १/७७
 पसत्थ वइविणय १/७८
 पसत्थसम्मत्तमोहणीय २/१०७
 पसायपेही १/८३
 पसिणाइ कहण २/१९५
 पसिणायतण २/३३१
 पसुपक्कीण अंगसंचालणाई १/७४४
 पहास (गणधर) १/७
 पहीणसंथव २/४३
 पहेण १/६१७
 पा(इ)ईण(ी) १/१२३, १२९, १३८, १४८, १५७, १५८, ४७८, ५५५, २/४, २६५
 पाउसंमि विहार करण २/६५
 पाओवगमण २/२६१
 पओवगमण अणसण २/२६४, २६५
 पाओवगमणकरण विहाण २/७३
 पाओवगमण मरण २/१६९
 पागार १/७४७
 पाडलिपुत्त १/२६
 पाडिपाहिय १/४९१, ५२५, ५२६
 पाडिहारिय १/६२२, ६६०, ६६१, ६६२, ६८४, ७०१, ७०२, ७१७
 पाण १/९४, ९५, १५२, २८३, ४४१, ४९९, ५०१, २/११५
 पाण(ग) १/५३७, ५४५, ५५८, ५६९, ५७०
 पाणग १/६२७, ६२९, ६३०, ६३२, २/६७, २४९, २६०, २८१, २८५, २८६, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५
 पाणगजाय १/६२८, ६२९, ६३०, ६३१
 पाणगहण २/७१, ७२
 पाणभूय २/२४७, ४९४
 पाणवत्तिय १/६१२
 पाणवह २/४५, २५७
 पाणसुहम १/२८३, २/७७
 पाणा १/१७८, १७९, १८८, १९१, २१५, २४२, २४६, ५३०

पाणाइ(ति)(या)वा(त)या(ओ) १/१७३, २१२, २१६, २१७, ४७३, २/१२५, ३८४
 पाणाइवाय(ताओ)वेरमण १/२१२, २१६, २१७, २१८, ७३३, २/२९
 पाणिदया १/६१२
 पाणीआइ णिसरण णिसेह २/२८३
 पाणीपाणविसोहणी १/७१६
 पाणेसण पडिमा २/२९०
 पाणेसणा २/२९०, २९१
 पाताल २/३८२
 पादकेसरिया १/७१२
 पादच्छिण्ण १/५२८
 पादठवण १/७१२
 पाद(य)पुच्छण १/४२०, ४५२, ६६६, ६६७, ७०८, ७०९, ७१२, ७२१, ७४४, २/४६
 पादपोवमा १/४३२
 पादबंधण १/७१२
 पामिच्च १/५०६, ६१४
 पाय १/५३३, ६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५, ६९६, ६९७, ६९८, ६९९, ७००, ७०१, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७, २/४६
 पायकम्बल १/७१६
 पायकेसरिय १/६९९
 पायकोरण १/७०५
 पायच्छित्त २/३०९-३३७
 पायच्छित्तकरण १/१३३
 पायच्छित्त जोग्ग चरित्त २/३०९
 पायच्छित्त फल २/३३३
 पायच्छित्त सुत्त २/३४०
 पायपडिलेहण १/५४६
 पायपरिकम्म १/३३८, ३४०, ३५२, ३८६, ३९२, ३९९, ७०३, ७०४, ७०५
 पायपरिकम्मकारावण १/३६४, ३७१, ३७८
 पायस १/३३४
 पायसंजय १/७३०
 पारगय २/३०
 पारासर २/३८४
 पारिणामिय(भाव) १/१६
 पारिहारिय १/६१९, ६२१, २/३३४, ३३५, ३३६
 पारिचिय(त्त) २/२१६, ३३१, ३३२
 पारिचिय पायच्छित्तारिहा २/३३१
 पारिचियारिह २/३१०
 पालु-किमिय १/२६०, २६४, २६७, २७०, २७४, ३४३, ३४७, ३५०
 पालव १/६४०
 पाव १/५९, १२५, १२६, १४६, १५३, १६०, १६९, १८९, १९०, २/४००
 पाव(ए) १/१७१, १७८

पावकम्म १/१७८, ४५५, २/३८, ११६, २५७, ३९९
 पावकम्मविरय १/४४६
 पावकम्मोवएस २/१११
 पावकारी १/४५५
 पावग(य) १/५९, ८९, १५२, १५३, १५४, १६८
 पावजीवी २/२१३
 पावठाण १/२१२
 पावधम्म १/१०४
 पावपरिक्खेव १/८२
 पावपरिक्खेवी १/८७
 पावयणी २/३४८
 पावसमण १/८६, १३८, २८७, ६०३, ६५९, ७१६, ७३८, २/४२, ६२, १७६, १७७, १९०
 पावाज(हुय) १/१६२, १६७
 पावारणि १/६७०, ७४६
 पावासवनिरोह १/७३६
 पावसि १/११३
 पास १/३, ४, ४४५, २/३७२
 पासण २/४०१, ४०२
 पासणिय १/१९०
 पासत्थ १/१९०, २/२४७, ३४५, ३८४, ३८५
 पासत्थय १/४३७
 पासत्थविहारपडिमा २/२५१
 पासवद्ध १/४४५
 पासरोम १/३७६, ३८४, ३९०, ३९७, ४०४, ४१२
 पासवण १/५४९, ६४६, ७२०, ७२१, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७४७, २/७३
 पासवण मत्तय २/७४
 पासबंधम्म १/३१
 पासंडी १/१९६
 पाहुडसीलता २/१५४
 पिउमंद पलासय १/६०९
 पिच्छमालिय १/४२१
 पिज्जदोसाणुगया २/३९२
 पिट्ट १/५०३
 पिट्टण १/१७४
 पिट्टिमस १/८४, ५३१
 पिट्टत्त १/४१४, ४१५
 पिण्णा १/१५१
 पिपीलिभंड १/२८५
 पिप्पलग(य) १/२७७, २७८, ७१७, २/२९२
 पिप्पलि १/४८१, ५७५
 पिप्पलिचुण्ण १/४८१, ५७५
 पियट्टे १/१२१
 पियधम्म १/५०, २/३२०
 पिलग(य) १/२६५

पिलाग २/३८४
 पिलखुपवाल १/५७६
 पिवासा परीसह २/३६८,३६९
 पिसुण १/९१,१७३,२१२
 पिहियासव २/२४८
 पिह्य १/५७२,५७९,५८०
 पीढ १/६५८,७१६
 पीढसपि १/१६६,५२८
 पु(पो)क्वरिणी १/१८१,१८२,१८३,
 १८४,१८५,१८६
 पुच्छण १/६१७,६१८
 पुच्छणि(णी) १/५१२, २/२८२
 पुट्टलाभिए २/२७०,२७२
 पुट्टवागरणी २/२८२
 पुट्टी १/२२०
 पुढविकम्मसमारंभ १/२२८,२२९
 पुढवीकाइय जीवा २/९,१०
 पुढवीकाइया १/४८,२२५
 पुढविकाइयाइ निहरण २/२५१
 पुढविकाइयाण वेयणा २/२२८
 पुढविकाय १/४४,२२७,२५०
 पुढविकाय आरंभ १/२८२
 पुढविकाइय १/२४४
 पुढविकाइयसंजम २/१४
 पुढविसत्य १/२२८,२२९,२३०
 पुढविसमारम्भ २/१२१
 पुढविसिल २/२८२
 पुढवी १/१६२,२२६,२४६
 पुढवीजीवा १/२२६
 पुढवीधूम १/१६०
 पुढवी महाभूत १/१५४
 पुढवीहिंसा विवाद २/८७-२८८
 पुढोवेमाया २/३८०
 पुणभव २/१९१
 पुण १/५९,१२१,१२५,१२६,
 १४६,१८९,५३०
 पुणरूवा १/१२१
 पुण्णावभासा १/१२१
 पुत्तदोहलट्टाय १/३३६
 पुप्फ १/२३९,५८८,६३०,६३२
 पुप्फमालिय १/४२१
 पुप्फवीणिय १/४५९,४६०
 पुप्फसुद्धम १/२८३,२८४, २/७७
 पुमत्तटा नियाण करण २/१५९
 पुमवयू १/५१३,५१४,५१५,५१६
 पुमित्थिवेय २/४१०
 पुयावइत्ता २/६
 पुरओपडिबद्धा २/६
 पुरन्दर १/११०
 पुराकम्म १/५७१,५७२,५७३
 पुरित्य १/१८२
 पुरिम १/४६२
 पुरिमड्ड पच्चक्खाण सुत्त २/९४

पुरिमहिदए २/२७२
 पुरिम-पच्छिमगा २/२००
 पुरिस १/१८२,१८३,१८४,१८५
 पुरिसजा(ता)या १/११३,११४,११६,
 ११७,११८,११९,१२०,१२१,१२२,
 १८२,१८३,१८४,१८७,२००,२०१,
 ७४०, २/२,१०२,१३२,१३३,१५६,
 २०३,२०४,३१०
 पुरिसवयण १/५१८
 पुरिसादाणिया २/३९९
 पुरिसंतरकड १/६४८,६४९,६६९,
 ६९१,६९२,६९७,७२५
 पुरेकम्म २/४९
 पुलागभत्त १/६०३
 पुल्लिंगसद्दा १/५१३
 पुव्वकम्म २/५२
 पुव्वणह १/६३
 पुव्वघर १/२२२
 पुव्व-पच्छा-संथव दोस १/५६५
 पुव्वपुरिसदिट्ठेण मंदो मुणी
 २/३८४-३८५
 पुव्वरयपुव्वकीलियाण अणणुसरणया
 १/४२४,४२६
 पुव्वविदेह १/२६
 पुव्वोवदिट्ठ १/७२१
 पुव्ववं (अनुमान) १/१८,१९
 पुहत्तवियक्क सवियारी २/३५३
 पूइ(ति)कड १/५५९
 पूइ(ति)कम्म १/५५९
 पूजा १/२२१
 पूतिआलुग १/५७६
 पूय १/२५४,२५५,२५६,२५७,
 २५८,२५९,२६३,२६६,२६७,
 २६९,२७०,२७२,२७३,३४२,
 ३४३,३४५,३४६,३४९,३५०,५५०
 पूयण १/१६५
 पूयणपत्थय २/२४५
 पूयफल १/३३६
 पूयाभत्त १/६२१
 पूयासक्कार २/२८
 पूव्वा संज्ञा १/६८
 पेज्ज १/१४७,१७३,१८९,२१२
 पेज्जणित्तिया १/५११
 पेज्जदोस १/८७
 पेज्जदोसमिच्छादसणविजय १/१३४
 पेज्जदंसी २/४०१
 पेज्जबंधण २/११३,१२०
 पेडा १/५३९, २/२६७,२८१
 पेस १/३३६,३३७,४३३
 पेस परिणाय २/११६
 पेसल १/३३४
 पेसलेसाणि १/६७०,७४६
 पेसाणि १/६७०,७४६

पेसवणप्पओग २/११४
 पेसारंभ २/११९
 पेहुण १/४३३
 पोक्खरिणीपलास २/३८६,३८७,३८९,
 ३९०,३९२,४१०
 पोग्गलठिताए दिट्ठी २/२८७
 पोग्गलाणपरिणाम १/४४३
 पोतया १/२४१,२४२
 पोत्तग १/६७५; २/२९३
 पोत्तगं २/२९३
 पोत्थकम्म १/४६१
 पोय १/२२६
 पोरान आहार १/५७८
 पोरिसी १/६२,६९,६११,६१२,६१३,
 २/६१,२६७,२६८
 पोरिसी पच्चक्खाण सुत्त २/९४
 पोरिसी विण्णाणं २/५९,६२
 पोसवत्थ २/३७२
 पोसहोववास १/१७१, २/१००, १०८,
 ११२,११३,११४,११७,११८,१२५,
 १६४,१६५,१६७
 पोसहोववासणिरत २/११६
 पोसहोपवासस्स सम्मं अणणुपालणया
 २/११४
 पोसंत १/४१४,४१५
 पक १/३५२,३७१,३७८,३८५,
 ३९२,३९९,४०७
 पंकगय १/५०८,५०९
 पंचखंघवाय १/१६१
 पंचनिग्गहणा २/१९
 पंचमहव्वय १/४७३
 पंचमहाभूयवाई १/१५३
 पंचमहव्वइयं सपडिक्कमणं धम्म
 २/२००
 पंच-मासिया भिक्खुपडिया २/२७९,
 २८५
 पंचवय १/८६
 पंचाणुव्वय २/१४०
 पंचासव २/१९
 पंचिन्दिय अघायका १/२८६
 पंचिन्दियकाय १/४४
 पंचिन्दियघायका १/२८६
 पंचिन्दियतिरिक्खजोणिया १/४८
 पंडग(य) १/९३,५२८
 पंडगवण २/३६२
 पंडय २/५
 पडि(त)य १/१८२,१८३,१८४,१८५,
 २/३६३,३९६,३९७,३९८,४०७,४०८
 पडिय परक्कमं २/३९७
 पडिय(त)मरण २/१६९,१७०,१७२,२६१
 पडियमरण सरूव २/२६०
 पडियमाणिण १/१७८
 पडियवीरिय २/३६५

पंतकुल २/१६६
 पतचरण २/२७१
 पतजीवी २/२७३
 पताहार २/२७३
 पाचाल १/१९८
 पिंग २/३८४
 पिंड १/५३३
 पिंड्य १/२५६
 पिंड्याय(त) १/५४३, ५४६, ५४७,
 ५४८, ५४९, ५५०, ५६०, ५६१,
 ५६२, ५६३, ५६८, ५६९, ५७०,
 ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५,
 ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५९२,
 ५९६, ५९७, ६०३, ६०४, ६०५,
 ६०७, ६०८, ६१६, ६१७, ६१८,
 ६२९, ६३०, ६६७, ६६८, ७११,
 ७१२, ७१३, ७१४, ७१८, २/३७५
 पिंडेसणा २/२८८, २८९, २९०
 पिंडोग्गह पडिमा २/२८७
 पिंडोलग २/३७५
 पौडकम्पास १/६८९
 पौडरीय १/१८१, १८२
 पौडरीय रूवग १/१८१-१८७
 फरिसासत्ति णिसेहो २/३९०
 फरुस १/१०५, २/४७
 फरुसवयण १/२९९
 फलग १/७१६
 फलमालिय १/४२१
 फलवीणिय १/४५९, ४६०
 फलिओवहड १/५३८
 फलियाणि १/६७०
 फलिह १/७४६
 फाणित १/५५०
 फालिय-गठिय १/६८९
 फास १/१३९, ४४४, ४४५, ४४८,
 २/२८, ३९०, ३९१, ३९२
 फासपण्णाण १/४५३
 फासवल २/१७८
 फासमंत १/५१०
 फासिन्दिय १/४७१, ४७२
 फासिन्दिय अपडिसलीण २/२७९
 फासिन्दिय असंवर १/२१२
 फासिन्दिय निग्गह १/१३३, ७३७,
 २/२९
 फासिन्दिय पञ्चक्ख १/१८
 फासिन्दियमुण्डे २/७
 फासिन्दियरागोवरई १/४६७
 फासिन्दिय सजम १/४३१
 फासिन्दिय संवर १/१३४
 फासुएसणिज्ज १/६१०, ६११
 फासुय १/५६२, ५६३, ५८१, ५८२,
 ५८३, ५८४, ५८५, ५९७, ६१७,
 ६२८, ६३१, ६५२, ६७८, ६९८,

७२०, ७२५, २/११५, २८८, २८९,
 २९०, २९३, २९४
 फासुयविहार १/४८७
 फोढीकम्म २/१११
 वलगवेसिय १/७०७
 वलदेव १/१६७, १७१
 वलमय २/१९१, १९२
 वलसंपण्णा १/१२२
 वलहीणा १/१२२
 वलाबल २/४१
 वलाया २/४०४
 वहिद्ध १/७४९, २/२०
 वहियागाम २/२७४
 वहियापोगगलपक्खेव २/११४
 बहिरत्त १/४४५
 वहिरंग २/३०९
 बहुजज्जिय धम्म १/५८८
 बहुजण २/३१८
 बहुदेवसिय १/६८०, ६८१
 बहुपडिपुण्णाहदिय १/५२०
 बहुपडिविरया २/१६२
 बहुफासुय १/७१८, ७१९, ७२२
 बहुमाण (ज्ञानाचार) १/५५, १००-१११
 बहुरय १/५७२
 बहुवयण १/५१८
 बहुवयणविवक्खा १/५१३
 बहुव्यू १/५१३
 बहुसाहारणा १/१४६
 बहुस्सुते पुरिसजात २/२१६, २४४
 बहुस्सुय १/८३, १०९, ११०
 बहुसंजया २/१६२
 बहुसंपन्न २/७२
 वादरसंपरायसरागसंजम २/१२
 वायर १/२१६, २१७, २/३१८
 बाल १/८५, ८६, १५८, १६१, १६९,
 १७८, १८३, ३३५, ४३४, ४३८,
 ४४२, ४५१, ४५४, ४७३, ४९०,
 ४९९, ५००, ५०४, २/३६४, ३७५,
 ३९५, ४०३, ४०७, ४०९
 बालजण १/१९५
 बालजीव १/२४६
 बालपडित्तमरण २/१६९, १७०
 बालपडिय १/१७८, २/३६३
 बालभाव १/१३१, २/४०८
 बालमरण २/१७०, १७१, १७२, १७३
 बालमरण पसंता २/१७३
 बालवीरिय २/३६३
 बालभिराम १/४४७
 बाहिय २/५०
 बाहिरय २/२५८, २७८
 विन्दुप्पमाण १/४८१
 विम्बभूत २/५४
 विल १/४८१

विल्ल पलासय १/६०९
 विल्लसरहुय १/५७६
 वीअसुहम २/७७
 वीओदग २/३८४
 वीजमालिय १/४२१
 वीभावण २/१९७
 वीय १/२३९, २४०, २४६, २८३,
 ५०१, ५०८, २/३८४
 वीयण १/४३३
 वीयबुद्धी १/२२२
 वीयरुद्ध १/१२६
 वीयवीणिय १/४५९, ४६०
 वीयसुहम १/२८४
 बुभावइत्ता २/६
 बुद्ध १/१६६
 बुद्धजागरिया २/३९४
 बुद्धी १/२२०
 बुद्धोवघाय १/८३
 बुहहियये १/११६
 बुहे १/११६
 वेइन्दियकाय १/४४
 बेलंबग १/४२६
 बोधियसाला १/६२४
 बोही १/२२०
 बंध १/५९, १२५, १७४, १८९, ७३५,
 २/१०८
 बंधण २/४०३
 बंधणविमुत्तिए परक्कम २/४०३
 बंधणमुक्खा २/५३
 बंधमोक्ख १/१७८
 बंध २/४०
 बंधजत्त १/१५९
 बंधचरिय ठाण २/४६
 बंधचेर(ब्रह्मचर्य) १/६, १०२, १०३,
 १२९, १६२, २१०, ३१६, ३१९, ३२०,
 ४२८, ४३९, ४५२, ४७४, २/५०, १४४,
 ३९८, ४०२
 बम्भचेर अट्टारस पगारा १/३३२
 बम्भचेर अणुकूला वय १/३२२
 बम्भचेर अनुकूला यामा १/३२२
 बम्भचेर आराहणा फल १/३२१
 बम्भचेर आराहिय १/३१९
 बम्भचेर उप्पत्ति अणुप्पत्ति १/३२२
 बम्भचेर गुत्ती १/६१२
 बम्भचेरपराजिया २/३७९
 बम्भचेरपोसह २/१६४
 बम्भचेरभग्ग १/३१९
 बम्भचेर महव्वय १/३१४-४२८
 बम्भचेर महिमा १/३१६-३१७
 बम्भचेर रक्खणोववाय १/३३१
 बम्भचेरवास (धम्म) १/३१, ३९, ३२२,
 ३२३, ७४२
 बम्भचेर दिघातका १/३२०

बंभचेर सत्ततीस उवमाओ १/३१७-
३१९
बंभचेर समाहिठाणा १/३२३-३२४
बंभचेरसमाहिय १/३२३
बंभचेर सहायगा १/३२१
बंभचेराणुकुलाजणा १/७४२
बंभयारी १/३२३,३२७,३३२, २/११९
बंभलोग-लंतगाण (देव) २/५३
बंभलोय १/३१८, २/१५१
बंभव २/२७
बंभवय १/३२७,५३५
बंभसंति (देवी) १/९
बंभी (लिपि) १/९
बोडियसाला १/६२४
भगवय(ि) (भगवंत) १/२१०,२१५,४४५
भगवता २/३९४
भगदल १/२५३,२५४,२५६,२५७,
२५८,२५९,२६०,२६१,२६२,२६३,
२६४,२६५,२६६,२६७,२६९,२७०,
२७२,२७३,३४२,३४३,३४५,३४६,
३४८,३४९,३५०
भट्टि (भर्ता-स्वामी) १/४८,४९
भट्टिदारय १/५१७,५१८
भडखइया २/६
भत्तकह १/११४,११५
भत्तपच्चक्खाण १/१३३,१३४, २/१०४,
२६१,२६२,२६३
भत्तपच्चक्खाणमरण २/१६९
भत्तपडियाइक्खिय २/७२
भत्तपाण १/९१,५३९, २/४२
भत्तपाण असंकिलेस २/२५२
भत्तपाण दब्बोमोयरिया २/२६६-२६७
भत्तपाण परिण्णा १/११८
भत्तपाणवोच्छेय २/१०८
भत्तपाणसंकिलेस २/२५२
भद्दा १/२२०, २/२७९
भट्टत्तर पडिमा २/२७९
भय १/२९९, २/३१०,३८१,४१०
भयक १/४३३
भयट्टाण २/२८८
भयणिस्सिया १/५११
भयणिसेह २/२८४
भयविवेग १/२९६
भयसि २/६५
भरह १/२६,१९८
भरहवास १/१९८
भल्लायय १/४१४,४१५
भवकोडीसंचियकम्म २/२५७
भवचरिम पच्चक्खाण सुत्त २/९६
भवणगिह १/६४४,६४५,६४६
भवणवासी(देव) २/५२
भवत्तण्हा १/४४०
भवमिच्छत्त १/१२७

भवियसरीर दब्बावस्सय २/७९,८०
भाइसमाणे २/१०५
भाडी कम्म २/१११
भायण-भंडोवगहि उवगरण १/७१२
भारण्ड-पक्खी २/१७९
भारपच्चोरुहणया १/७३,७४,७५
भारवहा १/३३७
भारहवास २/१९८
भाव १/१६,८९, २/४०९
भावज्जाण १/१६४
भावणा १/२१७,२१८,२७९,२८०,
२८१,२८९,२९०,२९६,३०१,
३०२,३०७,३१५,३१६,४२४,
४२५,४२९,४३०,४३१,४३२,
४६७,४६८,४७०,४७२,७४८, २/४४
भावतेण १/३०४
भावपडिक्कमण २/८३
भावप्पमाण १/१७
भावलोभ १/१५
भाववि(ओ)(उ)सग्ग २/३५५,३५६
भावविसोहि २/२५५
भावसच्च १/३२,१३३,१३४,५११,
२/२९
भावसुद्ध २/९९
भावसंघय १/५४
भावावस्सय २/७८,८१
भावाविग्गहचरण २/२६९
भावोमोयरिया २/२६६,२६८
भासा १/१४३,५१०,५११,५१२,५१३,
५१४,५१५,५१६,५१७,५१८,५१९,
५२०,५२१,५२२,५२३,५२४,५२५,
५२६,५२७,५२८,५२९,५३०,५३१,
२/११९
भासाज्जाता(यो) १/५१०,५११
भासादुग १/१०८
भासाबोह १/५१७
भासाविही १/५१९,५२०,५२१,५२२
भासासमिई(ति) १/४८५,५१०,७३३
भासासमिया १/७३२
भिज्जिमुह १/९०
भिकखट्टा १/४९४
भिकखवित्ती १/५३६
भिकखलाभिण २/२७०
भिकखागकुल २/१६६
भिकखाय(चोरिय)(ि) १/६२,१३८,१३९,
१४२,२८०,५०१, २/२५८,२६८-
२७२,३८१
भिकखायरिया गमण जोग्ग खेत
२/६६
भिकखालसिय १/९०
भिकखुअणायरणीय ठाणाई २/१७५-
१७६
भिकखुचरिया २/३८३

भिकखु पडिमा २/२७९-२८८
भिकखु परक्कम २/३९९
भिकखु लक्खण २/२२-२६
भिकखु १/९९,१००,१०४,१०६,१०७,
१०८,१०९,१३८,१४२,१६७,१७८,
१८५,१८६,१८७,१९०,१९१,१९२,
१९४,१९५,१९६,२१६,२२७,२३१,
२३३,२३५,२३६,२३८,२४२,२४८,
२४९,२५०,२५१,२५२,२५५,२५६,
२५७,२५८,२५९,२६०,२६८,२६९,
२७०,२७१,२७२,२७३,२७४,२७५,
२७६,२७७,२७८,२९४,२९५,२९६,
३२०,३२३,३२६,३३४,३३५,३३६,
३४०,३४१,३४२,३४३,३४४,३४५,
३४६,३४७,३४८,३४९,३५०,३५१,
३५२,३५३,३५४,३५५,३५६,३५७,
३५८,३५९,३६०,३६१,३६२,३६३,
३६४,३६५,३६६,३६७,३६८,३६९,
३८४,३८५,३८६,३८७,३८८,३८९,
३९०,३९१,३९२,३९३,३९४,३९५,
३९६,३९७,३९८,३९९,४००,४०१,
४०२,४०३,४०४,४०५,४०६,४०७,
४०८,४०९,४१०,४११,४१२,४१३,
४१४,४१५,४१६,४१७,४१८,४१९,
४२०,४२१,४२२,४२३,४२४,४२५,
४२६,४२७,४२८,४२९,४३०,४३१,
४३५,४३६,४३७,४३८,४३९,४४०,
४४१,४४२,४४३,४४४,४४५,४४६,
४४७,४४८,४४९,४५०,४५१,४५२,४५३,
४५४,४५५,४५६,४५७,४५८,४५९,
४६०,४६१,४६२,४६३,४६४,४६५,
४६६,४६७,४६८,४६९,४७०,४७१,
४७२,४७३,४७४,४७५,४७६,४७७,
४७८,४७९,४८०,४८१,४८२,४८३,४८४,
४८५,४८६,४८७,४८८,४८९,४९०,
४९१,४९२,४९३,४९४,४९५,४९६,
४९७,४९८,४९९,५००,५०१,
५०२,५०३,५०४,५०५,५०६,५०७,
५०८,५०९,५१०,५११,५१२,५२०,
५२१,५२२,५२३,५२४,५२५,५२६,
५२७,५२८,५२९,५३०,५३२,५३४,
५३५,५३६,५३७,५४०,५४१,५४२,
५४३,५४४,५४५,५४६,५४७,७३०,
२/२०,२१,१३०,१७२,२३६,२३७,२३८,
२४१,२४४,२४५,२४६,२४९,
२५४,२५५,२५६,२५७,२५९,२६३,
२६४,२६८,२८७,२८८,२८९,२९२,
२९३,२९४,२९५,२९६,२९७,३१९,
३२४,३२५,३३१,३३२,३३३,३३५,
३३८,३३९,३४०,३४४,३४५,३४८,
३५०,३५१,३५७,३६९,३७०,३७१,
३७२,३७३,३७४,३७५,३७६,३७८,
३७९,३८१,३८२,३८५,३९२,३९४,
३९९,४०८
भिकखु(खु)णी १/२२७,२३१,२३३,२३६,
२३८,२४२,३४०,४४८,४४९,४५०,
४५१,४८९,४९०,४९१,४९२,४९३,
४९४,४९५,४९६,४९७,४९८,४९९,

५००,५०१,५०२,५०३,५०४,५०५,
५०६,५१८,५१९,५२०,५२१,५२२,
५२३,५२४,५२५,५२६,५२७,५२८,
५२९,५३०,५३४,५४३,५४६,५४७,
२/२९२,२९३,२९४,२९६

भ्रिगुपक्वन्वण २/१७३
भ्रिगुपट्टण २/१७३
भ्रिच्छ्रोपजीवी १/१७८
भ्रिण्ण २/३०९
भ्रिण्णगिह १/७४७
भ्रिण्णपिंडवाइए २/२७२
भ्रिण्णसाल १/७४७
भ्रिन्नवत्प्य १/६७९
भ्रिन्नभिन्न वत्प्य १/६७९
भ्रिलिंग सूत्र १/५४२
भ्रिंगुलेण १/२८५
भ्रिडमालिय १/४२१
भ्रिसिया(गि) १/६३३,७१३,७१४
भ्रुज्जयरा १/१३८
भ्रुत्तभोगसुमरण णिसेह १/३२८
भ्रुत्तासियाणि १/३२४
भ्रुमगारोम परिकम्म १/३५६,३९०,
३९७,४०४
भ्रुमगारोमपरिकम्म कारावण १/३६९,
३७६,३८३

भ्रुयंग १/१
भ्रुसगिह १/७४७
भ्रुससाल १/७४७
भ्रुद्धकम्म २/१५३,१५४
भ्रुद्धकम्मकरण २/१९५
भ्रुद्धप्पमाण १/४७६,४८१
भ्रुत्त १/१९२,१९७
भ्रुत्तमह १/६८
भ्रुत्तसमवात्त १/१५४
भ्रुत्तोवघा(इ)तिय १/५२५,५२६,५२७,
५२९,५३०

भ्रुय २/२९,३०
भ्रुत्तरघम्म १/४४२,७३७
भ्रुत्तमावन्न १/३३६
भ्रुत्तवापाणा २/२४५
भ्रुत्तसज्ज १/४४१
भ्रुत्तगकुल १/५४८
भ्रुत्तगनियट्टी १/४४६
भ्रुत्तगसत्ति २/५५
भ्रुत्तमालीय २/१०९
भ्रुत्तयण २/११०,२८१,२८५,२८६,
२९८,२९९,३००,३०१,३०२,
३०३,३०४,३०५

भ्रुत्तग २/१२४
भ्रुत्तगिय १/६७४, २/२९३
भ्रुत्त २/११२
भ्रुत्तग १/५०३,५४७,७१५
भ्रुत्तगमाया १/७१२,७१३

भ्रुत्तमारिय १/५०४
भ्रुत्तय १/७१४
भ्रुत्तवोवगरण १/७१४
भ्रुत्तसंपया २/२०६,२०७,२०८
भ्रुत्तज्ज १/४२१
भ्रुत्तग १/१०५,१४५,१९३,१९४,
१९५,१९६,४८६, २/८२,३३३
भ्रुत्तगत्य १/१८२,१८३,१८४,१८५
भ्रुत्तगफल २/३३३
भ्रुत्तगविद् १/१८२,१८३,१८४,१८५
भ्रुत्तगओ पडिबद्धा २/६
भ्रुत्तगगह पवेयण २/१९६
भ्रुत्तगगतिकंत १/६११,६१२,६१३
भ्रुत्तगगुक् १/१९२
भ्रुत्तगगू १/१९१
भ्रुत्तगंतराय २/१५४
भ्रुत्तगवा १/१९८
भ्रुत्तच्छ १/१९१, २/३८९
भ्रुत्तच्छखायाण १/७४९
भ्रुत्तच्छचम्माई वत्प्य १/६७०
भ्रुत्तच्छरिया २/११५
भ्रुत्तच्छडिय १/४२३,४२७,५९५
भ्रुत्तज्ज १/१९१
भ्रुत्तज्जई १/८२
भ्रुत्तज्जपमाय २/१८० -
भ्रुत्तज्जप्पमायविरय २/५६
भ्रुत्तज्जसेवण विवज्जण २/५६
भ्रुत्तज्जाइसेवणनिसेह २/५७
भ्रुत्तज्जचारी १/५३६
भ्रुत्तज्जणह १/६३
भ्रुत्तज्जत्प्य २/४१
भ्रुत्तज्जिमा २/१३५,१३६
भ्रुत्तट्टियापाय २/२९४
भ्रुत्तडाइ णियंठ २/२९,३०
भ्रुत्तग १/७३१, २/४०९
भ्रुत्तगअगुत्ती १/७३०
भ्रुत्तग अपडिसलीण २/२७८
भ्रुत्तग असंकिलेस २/२५२
भ्रुत्तग असंवर १/२१२
भ्रुत्तगगुत्तया १/१३३,७३३
भ्रुत्तगगुत्तयाए फल १/७३३
भ्रुत्तगगुत्ती १/२७९,२८०,४८५,७३०,
७३२
भ्रुत्तगचियाए २/१३
भ्रुत्तगजोग १/१४७
भ्रुत्तगजोग पडिसलीणया २/२७७
भ्रुत्तगदुप्पणिहाण २/११२
भ्रुत्तगपओगकिरिया १/१६४
भ्रुत्तगपज्जवणा(ना)ण १/७३२, २/२८७
भ्रुत्तगपज्जवणाण अरहा २/१९९
भ्रुत्तगपज्जवणाण केवली २/१९९
भ्रुत्तगपज्जवणाणजिण २/१९९
भ्रुत्तगपज्जवणाण पच्चक्ख १/१८

भ्रुत्तगपज्जवणाणविणय १/७५
भ्रुत्तगबलिय १/२२३
भ्रुत्तगविणय १/७५,७७
भ्रुत्तगसमाधा(हा)रणया १/१३३,१३४,
७३३,७३४, २/२९
भ्रुत्तगसमिया १/७३२
भ्रुत्तगसमिद्ध(ति) १/२८०,४८५
भ्रुत्तगसंकिलेस २/२५२
भ्रुत्तगसंजम २/१३
भ्रुत्तगणि १/१३९,६४०
भ्रुत्तगणिकम्म १/४६१
भ्रुत्तगणिपाय १/६९३
भ्रुत्तगणुण पोगगल १/७४४
भ्रुत्तगणुय २/४१०
भ्रुत्तगणुयसंसार विओसग्ग २/३५६
भ्रुत्तगणुयाणजीविय २/१७७
भ्रुत्तगणुस्स १/४८,८६
भ्रुत्तगणुस्सगई १/१७१
भ्रुत्तगणोविब्भमो १/४२५
भ्रुत्तगट्टिय १/५०१
भ्रुत्तगट्टियापाय १/६९०,६९८
भ्रुत्तगत्त १/६३३
भ्रुत्तगत्तग गहण विहाण २/७४
भ्रुत्तगत्तय १/७१३,७१४
भ्रुत्तगत्तित्तान्नाणकिरिया १/१६४
भ्रुत्तगदणिसेह २/१९२
भ्रुत्तगद्व १/१३३, २/१९३
भ्रुत्तगद्व घम्म १/३१,३२
भ्रुत्तगद्वुमेह १/१६६
भ्रुत्तगद्वत्तभाव २/४२,११३
भ्रुत्तगद्वत्तमाय १/१९०
भ्रुत्तगद्वत्तम्मय १/८४
भ्रुत्तगद्वत्तम्मुदाहर १/८२
भ्रुत्तगद्वत्तमय (माया) १/७१
भ्रुत्तगद्वत्तमयणमालिय १/४२१
भ्रुत्तगद्वत्तमयप्पगारा २/१९१
भ्रुत्तगद्वत्तमयविही १/१२६
भ्रुत्तगद्वत्तमरण २/१६९-१७४
भ्रुत्तगद्वत्तमरणासंस्पयोग २/९३
भ्रुत्तगद्वत्तमरु पक्खदण २/१७३
भ्रुत्तगद्वत्तमरुपट्टण २/१७३
भ्रुत्तगद्वत्तमल १/३५२,३७१,३७८,३८५
भ्रुत्तगद्वत्तमलणीहरण १/३५२,३८५,३९२,३९९,
४०६
भ्रुत्तगद्वत्तमलणीहरणस्स अणुमोयणा णिसेह
१/३४०
भ्रुत्तगद्वत्तमलणीहरावण १/३६४,३७१,३७८
भ्रुत्तगद्वत्तमलयाणि १/६७०,७४६
भ्रुत्तगद्वत्तमलावरोहण णिसेह २/२८४
भ्रुत्तगद्वत्तमल्ल १/३९२,३९९,४०७,४२६
भ्रुत्तगद्वत्तमल्लि १/३,४
भ्रुत्तगद्वत्तमसूर १/१७५
भ्रुत्तगद्वत्तमहज्जुई १/१८

महतलाय २/२५७
 महत्तरागारेण २/९५,९६,९७
 महद्वणमोल्ल १/६७०,६९२,६९३
 महब्भय १/४३९,४४३
 महब्भूता १/१५४,१६१
 महल्लिया(१) मोय पडिमा २/२७९,
 ३०५,३०६
 महल्लिय मोयपडिमं पडिवन्न २/३०६
 महल्लिया-विमाण-पविभत्ती २/२२३
 महव्वय १/१३२,१४३,२११,२१६,
 २१७,२७९,२८९,३००,३०२,
 ३१६,३१७,४२९,४३१,४३२,
 ४४६,४७५,७४८, २/४०,५१
 महव्वयधम्म परूवगा २/१००
 महाकुल १/७४८
 महागिह १/७४८
 महाजण १/२१३
 महाजाण २/३९९
 महाणई(दी) १/५०१,५०२
 महाणई पारगमण १/५०१
 महाणिज्जर(१) २/१२१,३४०,३४१,
 ३५९
 महानिमित्त २/१९०
 महापउम १/१९८
 महापज्जवसाण २/१२१,३४०,३४१,
 ३५९
 महापाडिवा १/६३,६९
 महाबल(राजा) १/१९९
 महाभद्रा २/२७९
 महाभूतिय १/१५४,१५५
 महामह १/६८,६१६
 महामुणी १/४४०, २/४११
 महामोहणिज्ज ठाण २/१८५-१८९
 महारम्भपरिग्गह २/४०६
 महावज्जकिरिया १/६४५
 महाविगती १/५३८
 महाविदेह १/३१९, २/२००
 महावीर (वद्धमाण, कासव, नायपुत्त,
 नायसुय, नायमुणि, समण भगव
 महावीरे, वीर, वीरवर) १/३,४,५,६,७,
 ११,३६,१०५,१३२,१६३,१८६,१९४,
 १९५,१९७,२२५,२९८,३१०,४३२,
 ४७३,४७६,७३१,७३७,७३९,७४२,
 २/४०,४१,४५,४६,१६९,१७१,२६३,
 २७१,२७२,२७३,२७४,३५०,३५८,
 ३६९,३७८,३८२,३९४,४०५,४११
 महासङ्घी १/४५२
 महासावज्जकिरिया १/६४५
 महासुक्क-सहस्साराण (देव) २/५३
 महिन्द(महेन्द्र) १/५
 महिया १/६८,२८५,७१३
 महिस १/१७५,५४८
 मही १/५०१,५०२

महुआसविय १/२२३
 महुमेहणी १/५२८
 महुरा १/५००
 महेसिण लक्खण २/२६
 महोरगसररी १/११६
 महती १/२२०
 माइ(ति)ट्टाण १/४९६,५२४,५५०,
 ५५५,६०५,६०६,६०७,६१८,
 ६८४,७०२,
 माइबहुला १/१४६
 माउग्गाम १/३४४,३४५,३४६,३४७,
 ३४८,३४९,३५०,३९८,३९९,४००,
 ४०१,४०२,४०३,४०४,४०५,४०६,
 ४०७,४०८,४०९,४१०,४११,४१२,
 ४१३,४१४,४१५,४१६,४१७,४१८,
 ४१९,४२०,४२१,४२२,४२३,७४२,
 ७४३,७४४,७४५,७४६
 माउलिंगपाणग १/६२९
 माण १/७,१०६,१०७,१०३,१८९,१९५,
 २१२,२९९, २/१९१,३९२,४१०
 माण अपडिसलीण २/२७८
 माणकर २/२०३,२०४
 माणणट्ट २/५५
 माणणिसिया १/५११
 माणदसी २/४००
 माणपिण्ड १/५६७
 माणमुण्डे २/७
 माणविओसग्ग २/३५५
 माणविजय १/१३४, २/१९३
 माणविवेग २/२९
 माणवेयणिज्ज कम्म २/१९३
 माणावादी १/४४५
 माणुस १/५९,६०,३१४
 माणुस्सग कामभोग २/१५६,१५७,
 १६०,१६४,१६६
 माणुसग्गा कामा २/४०८
 माणुसत्त २/३९२,४०७
 माणुसा २/३८०
 माणुसा उवसग्गा २/३८०
 मानपिंड (दोस) १/५६५
 माय (माया) १/७,१८९,१९५,२१२,
 २/४७,१९१
 मायण १/६०२
 मायाअपडिसलीण २/२७८
 मायाणिसिया १/५११
 मायादसी २/४००
 मायानियाण २/३२४
 मायापिण्ड १/५६७
 मायामुण्डे २/७
 मायामुस २/३८६,३८७,३८९,३९०,
 ३९१,४०९
 मायामोस(ओ) १/१७३,२१२,५३१,
 २/५६,३५८

मायाविओसग्ग २/३५५
 मायाविजय १/१३४, २/१९३
 मायाविवेग २/२९०
 मायावेयणिज्ज कम्म २/१९३
 मायासल्ल १/६०७
 मायी १/४३५, २/३१८,३२१
 माय २/३९२
 मार १/१६०,४४२
 मारणतिय अहियासणया १/१३४,१३५,
 २/२९
 मारणतिय संलेहणा सुत्त २/९३
 मारदसी २/४०१
 मालाकरण १/४२१
 मालोहह आहार १/५६२
 मालोहह (दोस) १/५६१,५६२
 मास १/१७५
 मासिय अणुग्घातिय २/३११
 मासिय उग्घातिय २/३११
 मासिया भिक्खुं पडिमा २/२७९,२८०,
 २८१,२८२,२८३,२८४
 माहण १/४,१०२,१४९,१५२,१५३,
 १५५,१५८,१६०,१६८,१७९,१८६,
 १९६,२४५,४३५,४७४,५४५,६३३,
 ६४४,६४५,६६९,६९२,६९७,७२२,
 ७२५, २/२०,११५
 माहणाइ लक्खण २/२०
 माहकरी वित्ति १/५३४
 मिउमह्वसंपन्नया १/५८
 मिगचरियावित्ति १/५३५
 मिच्छत्त १/४३७
 मिच्छत्त (दसविघ) १/१६५
 मिच्छत्त (भेयप्पभेया) १/१६४
 मिच्छत्तनिसेवय १/४५
 मिच्छत्तपज्जव १/५८
 मिच्छत्तपडिक्कमण २/८३
 मिच्छत्तविसोहि १/१३४
 मिच्छाकार २/५७,५८
 मिच्छ(१)दिट्ठी १/१६३,१७९,
 १९२,१९५, २/३८५
 मिच्छादंड १/१७५
 मिच्छादंडप्पओग १/१७३
 मिच्छ(१)दंसण १/१२७,१४७,१६३,१६४
 मिच्छादंसणरत्त १/१३०
 मिच्छादंसणसल्ल १/१७३,२१२,२/३२४
 मिच्छादंसणसल्लविवेग १/१३४
 मिच्छादंसणसल्लवेरमण १/२१२
 मिच्छा संठिय भावणा २/३७६
 मिज्जाणियाणकरण २/१५४
 मित्त २/३९६
 मित्तसमाणे २/१०५
 मित्तीभाव २/२५५
 मिय १/१७५
 मिरिय १/५७५

४६८ परिशिष्ट . २ चरणानुयोग-शब्द सूची

मिरियचुण्ण १/५७५
मिलक्तु १/१७९,४८९
मिहिला १/५००
मीसजाय १/६१४
मीसवणस्मर १/५७८
मीसिया २/२०६
मुइ १/१६६
मुए १/५२७
मुक्कपास १/४४५
मुच्छा २/४६,१७४
मुच्छेज्ज २/५०
मुट्टिक १/४२६
मुणिसुव्वय १/३,४
मुणी १/१३५,१६१,१६६,१८६,१९४,
१९९,२२७,४३४,४३७,४३९,४५४,
४८५,५१०,५३१,५३४, २/२७,३८५,
३८६,३८७,३८८,३८९,३९१,३९३,
३९७,३९९,४०८,४०९
मुणीण लक्खण २/२६-२७
मुंड १/६०,१३२, २/५१
मुडा २/७
मुडे २/३९५
मुत्त १/१८६
मुत्तत्तरुव २/३९७
मुत्तावली १/४२१,६४०
मुत्ति (धम्म) १/३१,३२,४३९, २/४३
मुत्तिमग्ग १/४३२
मुत्ती १/१३३
मुट्ठिय १/१०१,५००,७४८
मुट्ठियाण १/७४९
मुट्ठियापाणग्ग १/६२९
मुट्ठाभिसित्त (राया) १/५००,५९१,
५९२,५९३,५९४,५९५,७४८,७४९
मु(मी)सा १/४७३,५३०,२/२४६
मुसावाती (ई) २/१०१
मुसावाय १/२१२,७४९, २/४६,१२५,
२५७,३८४
मुसावाय विरमण महव्वय १/२९६
मुसावाया(ओ) वेरमण १/२८९,२९१,
७३३,२/२९
मुसावायाओ १/१७३
मुट्ठणत्तक १/७१२
मुहपोत्तिय २/६०
मुहमगल १/४३७
मुहवण्ण २/१९७
मुहवीणिय १/४५९,४६०
मुहाइणावीणिककरण १/४५९
मुहाजीवी १/५६९,६००,६०१
मुहादाई १/६००
मुत्त १/४२६
मुजचिप्पय १/७१०
मुजमालिय १/४२१
मुक्कत्त १/४४५

मूढ १/१०५,१२९
मूढभाव १/४५३
मूल १/२३९, २/३९६
मूलगुण पच्चक्खाण २/९९
मूलट्ठाण १/४५३
मूलारिह २/३१०
मूंग १/१७५
मेत्ति २/३९६
मेत्तिज्जमाण १/८२
मेत्ति भावणा १/१९७, २/३९६
मेयज्ज (गणधरो) १/७
मेहा(घो)ती १/१७८,१८२,१८३,१८४,
१८५,२३०, २/४०१,४०२
मेहावी पुरिसजात २/२१६
मेहावी मुणिस परक्कम २/४००-४०२
मेहुण १/१७३,२१२,३१४,३३३,
२/२५७,३८४
मेहुणधम्म १/६४०,६४१,६४२,६४५,
२/२१४
मेहुणधम्मपरियारण १/६१५
मेहुणपडिसेवी १/४२३
मेहुण पत्थणाय १/४१६
मेहुणवडिया १/३४४,३४५,३४६,३४७,
३४८,३४९,३५०,३९८,३९९,४००,
४०१,४०२,४०३,४०४,४०५,४०६,
४०७,४०८,४०९,४१०,४११,४१२,
४१३,४१४,४१५,४१६,४१७,४१८,
४१९,४२०,४२१,४२२,४२३,७४२,
७४३,७४४,७४५,७४६
मेहुणवडिया तिगिच्छाकरण १/४१४
मेहुणत्रिरमणस्स पच्च भावणाओ
१/३१५-३१६
मेहुणवेरमण १/३१४,३१६,७३३,
२/२९
मेहुण सेवण संकप्प १/४१३,४१४
मेहुणसंसग्ग २/४६
मोक्ख २/५९,७२,९८,९९,१०६,१२५,
१३६,१४६,१६५,१८९,१९१,१९२,
१९४,१९५,२१५, २/२४६
मोक्खभाव २/२७८
मोक्खमग्ग १/१९४,१९६,३१७
मोक्खाभिकखी १/३२५
मोण १/१३५,१४४,३३२, २/२४,
३९२,३९३,३९७,४०२
मोणचरण २/२७०,२७१
मोणपद २/४१,५५
मोणेण कम्मघुणण २/३९२
मोत्तिय १/१३९,६४०
मोय २/३०६
मोयगहण २/२३०
मोय पडिमा २/३०५,३०६
मोयसमायार १/६४१
मोरग्ग २/२९२

मोरियपुत्त (गणधरो) १/७
मोस २/४६,३८६,३८७,३८९,३९०,
३९१,४१०
मोसली १/७१६
मोसा १/५१०,५११,५१४,५१५,५१६,
५२४,५२५,७३१,७३४
मोसानुवंधी २/३५२
मोसोवएस २/१०९
मोह १/१२६,४४२, २/४०४,४१०
मोहगुण २/३९२
मोहजासंगा उवसग्ग २/३८१-३८३
मोहणिज्ज १/१४७,१६५, २/३६७
मोहणिज्ज कम्म २/३३३
मोहणिज्जकम्मउदय २/१७६
मोहदंसी २/४०१
मोहपाउड १/४३६
मोहमहण्व २/४११
मोहमूढ १/१६५
मोहरिय १/२९९, २/१११
मंगल १/१,२२०
मंचमासालय २/४९
मंडलिक पव्वय १/३१८
मडिय (गणधरो) १/७
मडियपुत्त १/२०७,२०८,२०९,२१०
मंताजोग २/१५३
मंत पिण्ड १/५६७
मंथु १/५७२
मथुजात १/५७८
मंदकुमार १/५१७
मंदकुमारि १/५१७
मन्दर १/११०
मंदरगिरिसिहरचूलिका १/४३२
मंदरवर (पर्वत) १/३१९
मंदा २/३७५,३८४
मंस १/६५,१९१
मंसखायाण १/७४९
मंसुरोम १/३६६,३७२,३८०,३८७,
३९४,४०१,४०८
याऽऽणमणि १/५१२
रइअरइ १/२१२,४४४
रइणिसेह १/४४३
रक्खस १/१६९
रक्खसी १/३३४
रक्खा १/२२०
रज्जपरियट्ठिए ओग्गह विहि १/३०६
रट्ट २/४१
रट्टयेर २/२००
रट्टधम्म १/३१
रण्ण १/४०,५००,७४८,७४९
रण्णा रक्खिय १/७४९
रती १/२१९
रत्तरयण १/१३९
रम्मगवस्स १/२६

रयण १/१३९
रयणावली १/४२१, ६४०
रयणाहिय १/४९७
रयणी १/४१, ६६४
रयताण १/७१२
रयमल १/८४
रयहरण १/६९१, ७१०, ७११, ७१२,
• २/५
रयुघात १/६८
रस १/१३१, २२६, २/२८, ३८९, ३९०
रसग १/१६६
रसणिज्जुहणता २/२५८
रसपण्णाण १/४५३
रसपरिच्चाय १/२५८, २७२-२७३
रसमत १/५१०
रसय १/२४६
रसया १/२४१, २४२
रसवाणिज्ज २/१११
रसविक्कज्ज २/२७२
रसासत्ति णिसेहो २/३८९
रह १/१७४
रहस्साब्भक्खाण २/१०९
राइ १/४१
राइगमण १/४८९
राइणिय २/२२१, २२२
राइण्णकुल १/५४९
राइभोयण १/४७५, ४७६
राइभोयणपडिसेवणपत्त १/४७८, ४७९
राइभोयण वण्ण १/४८१
राइभोयणविरमणं ठाणं २/४७
राइभोयणविरय २/२५७
राइभोयणाओवेरमणं १/४७५
राईयपडिक्कमण समायारी २/६२
राईय समायारी २/६२
राओग्गह १/६५३
राग १/१२६, २/४०४, ४०५
रागजत्त २/३८४
रागणिग्गहोवाय १/४४५
रातिणिय १/१०४, २/१३३
रातिणिया २/१३३
राय करंडग १/१०१
रायकह १/११४, ११५
रायखत्तिय १/६६६
रायगिह १/८८, ३१०, ५००, २/१३२
रायणिय १/७०, ९३, ९४, ९५, ९६
रायणियपुरिसपगारा २/१९९
रायणियिन्द पगारा २/१९९
रायपिण्ड १/५९०, ५९५
रायपेसिय १/५४९
रायवसीकरण १/४६५
रायवसट्टिय १/५४९
रायवुग्गह १/६६
रायहाणी १/५०१

राया १/४५, १४३, १४९, १५३
रायतेपुर १/५९०, ५९१
रायसी १/१६५, ५२७
रिज्ज्वेद १/४६
रिद्धी १/२२०
रीरियपाय १/६९३
रुक्ख १/२२६, २४६
रुक्खमूल १/६३४, २/३७४
रुक्खमूलगिह २/२८२
रु(रो)इ ज्ञाण २/३५१, ३५२
रुइज्ञाण लक्खण २/३५२
रुप्पलीह १/४२२
रुयगवर (दीव) १/३१८; २/३६२
रुयय (रुचक पर्वत) १/६
रुव १/१३९, ४४८, ५१९, ५२०, २/२०,
३८७
रुवतेण १/३०४
रुवपडिमा १/४४९, ४५१
रुवमय २/१९१, १९२
रुवसप्पन्ना १/५११
रुवसपन्न १/१२२
रुवाणुरत्त २/३८७
रुवाणुवाय २/११४
रुवावलीयणासत्ति १/४५१
रुवासत्ति णिसेह २/३८६
रुवधर २/५६
रोग १/९३
रोग परीसह २/३६८, ३७७
रोगाण्ण(दीव) १/१३९, १४०, ३२५, ३२६,
३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ४४१, ४७६,
४७७, ६३८
रोगिणिया २/८
रोमपरिकम्म १/३४०
रोसा २/७
लक्खण १/१४४, १७२
लक्खण-वंजण-सुमिणफल २/१९५
लक्खणणिज्ज २/१११
लक्खणुप्पाय १/५६६
लगडसाइ २/२८६
लगडसाई २/२७४, २७५
लज्जा १/१०२
लद्धी १/२२०
लट्टिय १/६३३
लट्टी १/६९१, ७११, ७१३, ७१४
लयणसुहम १/२८५
लया १/४४०
लयोवमा १/४४०
ललिईदिया १/९२
लव गवेसिय १/७०८
लवसत्तम १/६, ३१८
लवावसंकी १/१७२
लवेज्जोवघाइय १/५४४
लसुण १/१९१, ५७७, ५८३, ५८४

लहयत्त १/२१२
लाउय १/६९९
लाउयपाय १/६९०, ६९८, २/२९४
लाघव धम्म १/३१
लाभ २/२८
लाभमय २/१९१, १९२
लावग १/१७५
लासग १/४२६
लिक्व १/२५४
लिक्खाइ णिहरण १/२५४
लित्तदोस १/५८५-५८६
लुचसिरय २/१२०
लूह १/१८५, १८६, २/३७७
लूहचरण २/२७१
लूहजीवी २/२७३
लूहवित्ती १/५६४
लूहाहार २/२७३
लेणसुहम १/२८५, २/७७
लेसु १/७००, ७०१
लेव कम्म १/४६१
लेवणप्पओग १/४७६, ४८२
लैवालैव २/९५, ९७, २८४
लेसणता २/३८१
लोइय आगम १/२२
लोइयदव्वावस्सय २/८०, ८१
लोइय भावावस्सय २/८१
लोइयववसाय १/४६
लोग १/६०, ६१, १४२, १५९ १६०,
१६१, १६६, १६९, १७०, १७२, २०७,
२४६, ४४७, ४४८, ४५२, २/४०४,
४०५
लोगन्त १/१२३
लोमरयण १/१५९
लोग(ग)वाय १/१६१
लोगविण्णु २/४०४
लोगसण्ण १/२२७, ४४४
लोगसण्णा २/४०२
लोगुत्तरिय आगम १/२२, २३
लोगुत्तरिय दव्वावस्सय २/८०, ८१
लोगुत्तरिय भावावस्सय २/८१, ८२
लोगोवयारविणय १/७५, ७९, ८०
लोण १/४८१, ५७१, ५७२, ६०७
लोढ १/३३६
लोढकुसुम १/३३६
लोभ १/७, १७३, १८९, २१२, २९९,
४४१, ४५२, २/१९१
लोभअपडिसलीण २/२७८
लोभणिस्सिया १/५११
लोभदोस २/३८६, ३८९, ३९०, ३९१,
४०९
लोभदसी २/४००, ४०१
लोभपिण्ड (दोस) १/५६५, ५६७
लोभमुण्डे २/७

४७० परिशिष्ट . २ चरणानुयोग-शब्द सूची

लोभविजय २/१९३, १९४
लोभविवेग १/२९६, २/२९
लोभवेयणिज्ज कम्म २/१९४
लोय १/८६, १६६, १७१, १७६, १८६,
१८८, १९६, ४४५, ४५३, ४५५,
२/४००
लोयय १/६५१
लोह २/४०४, ४१०
लोहणिज्ज २/३९२
लोहविओसग्ग २/३५५
लोहविजय १/१३४
लोहिययाणी १/१७१
लंख १/४२६
वइ अगुत्ती १/७३०
वइअपडिसलीण २/२७८
वइ असकिलेस २/२५२
वइक्कम २/८३, ८४
वइकिट्टिय खेत्त २/२२६
वइगुत्तयाए फल १/७३४
वइ(त्ति)त्ती १/४८५, ७३०, ७३४,
२/३९९
वइ चियाए २/१३
वइजोग १/१४७
वइदेही १/१९८
वइपओगकिरिया १/१६४
वइरमज्झ चंद पडिमा २/३०१, ३०५
वइरमज्झ चंदपडिमं पडिवन्न २/३०१
वइरमज्झा २/२७९, २९७
वइरोयणिदं (वैरोचन इन्द्र) १/५
वइविणय १/७५, ७८
वइसमाहारणता २/२९
वइसमिति १/२८०, ४८५
वइसकिलेस २/२५२
वइसंजम २/१३
वइसुद्धि १/५१०
वगगचूलिया २/२२३
वगग (तव) २/२५९
वगगुफल १/३३६
वगघ (णि) १/५४८, ६७०, ७४६
वच्चमुत्त १/५४९
वच्चाचिप्पय १/७१०
वच्चाभेलिय १/९७
वच्चल्ल १/१२६
वच्चानुवंधिया २/८
वज्जकिरिया १/६४५
वज्जपाणी १/११०
वज्जरिसभ १/३१८
वज्ज १/१७८
वट्ट १/१७७
वट्टम १/१७५
वट्टमग्ग १/१९९
वट्टिज्जमाणचरण २/२६९
वडभत्त १/४४५

वण १/२५५, २६२, २६५, २६८, २७१,
३४१, ३४४, ३४५, ३४७, ४८१, ४८२
वणकम्म २/१११
वणतिगिच्छा १/२५५, ३४१, २/८२
वणतिगिच्छाकारावण १/२६१, २६४,
२६८
वणपरिक्कम १/२५३, २५५
वणफल १/५२१, ५२९
वणस्सइ (ति) कम्म समारभ १/२३९,
२४०
वणस्सइकाइय आरम्भ १/२८२
वणस्सइकाइय जीव २/९, १०
वणस्सइकाइय संजम २/१४, १५
वणस्सइकाय समारंभ ठाणं २/४८
वणस्सइकाइया १/२२५
वणस्सइकाय १/४४, २३८, २५०
वणस्सतिसभारम्भ २/१२१
वणस्सइ य मणुयजीवणस्स य तुलत्तं
१/२४०-२४१
वणस्सइ(ति)सत्य १/२३९, २४०
वणिग २/४०७
वणीमग (य) १/५५८, ६१७, ६१८,
६३८, ६४४, ६४८, ६५१, ६५२, ६६९,
६९२, ६९७, ७२२, ७२५, २/५०
वणीमगपिण्ड १/५६७
वण्ण (प्रशांसा) १/५०, १२९, ६१३
वण्णमत्त १/५१०
वण्णसंजलणया १/७३, ७४
वत्त २/३४५
वत्तच्चा (भासा) १/५३०
वत्तच्चं सच्चं १/२९३
वत्थ १/४५२, ५३३, ६७८, ६७९, ६८०,
६८१, ६८२, ६८३, ६८४, ६८५, ६८७,
६८८, ६८९, ७१२, ७४४, २/५, ४६
वत्थ आ(त्ति)यावण १/६८२, २/७५
वत्थकरण १/७४५
वत्थ गंधिकरण घोषण १/६८०
वत्थघारण १/४१९, ४२०
वत्थघारण कारण १/६७४
वत्थघारी भिक्खु १/६७६, ६७७
वत्थ परिकम्म १/६८९
वत्थिरोम १/३५३, ३६६, ३७३, ३८०,
४०१, ४०९
वत्थु १/१३९, ४३२
वत्थेसण पडिमा २/२९३
वत्थेसणा १/६६६, ६६७, ६६८, ६६९
वप्प १/५२०, ५२८
वप्पाइ अवलोयण १/४६०, ४९२
वमणाइपरिकम्म १/२६०
वम्मिय १/१५६
वय १/१२९, ३२२, ७४१, २/३, १७
वय असंवर १/२१२
वयगुत्तया १/१३३

वयगुत्ती १/२७९
वयगुत्तीणं १/७३२
वयच्छक्क २/४५
वयच्छिद्द २/१०२
वयजोगपडिसलीणया २/२७७
वयणविवेग १/५१८
वयण संपया २/२०६, २०७
वयतेण-१/३०४
वयदुप्पणिहाणे २/११२
वयवलिय १/२२३
वयसमाहा(घो)रणया १/१३३, ७२५
वय(इ)समाहरणा १/१३३, १३४
वयसमिया १/७३२
वयाण पीला १/३३२
वर-गवेसिय १/७०७
वरुणोववाय २/२२३
वलय १/५०३
वलयमरण २/१६९, १७२, १७३
वलयाविमुक्क २/३९
ववसाय १/४६, २२१
ववहारा(री) २/७९, २००, ३३२, ३३३,
३३६, ४०१
ववहार अक्खेवणी २/३४७
ववहार (नय) १/२५, २६, २७
ववहारवं २/३२०
ववहारसच्चा १/५११
वसइ वसणकाल २/२८२
वसट्टमरण २/१६९, १७३
वसहि १/६३५, ६३६, ६४४, ६५२,
२/२५६
वसहिदिट्ठन्त १/२४, २५, २६
वसीकरण १/४६५, ४६६
वसीकरण सुत्तकरण १/४२३
वसु १/४५२
वसुराइयं अवसुराइयं १/२९४
वह १/१७४, ७३५, २/१०८
वह परीसह २/३६८, ३७६
वाइत्तवज्जा १/४५१
वाइय १/९३
वाउकम्मसमारंभ १/२३७, २३८
वाउकाइय(ती) १/२२५, २३७
वाउकाइय आरंभ १/२८२
वाउकाइय जीव २/९, १०
वाउकाइय संजम २/१४, १५
वाउकाय अणारंभ ठाणं २/४८
वाउक्काय १/४४
वाउजीवा १/२२६
वाउभूइ १/७
वाउ महाभूत १/१५४
वाउसत्य १/२३७, २३८
वाऊ १/१६२, २२६, २४६
वागरा १/१२०
वाघाइम २/२६१, २६२

वाणमतर १/४८, २/५२, १२६, १४५
 व(ी)णिया २/४०७
 वातय २/५
 वादी १/१६८, १७१
 वाय (वाद) १/१६७, २/२५
 वायण(ी) १/६६, १२०, ६१७, ६१८, ६४५
 वायणया १/१३३
 वायणा २/३४२, ३४५
 वायणारिय आसायणा १/९७ -
 वायणा संपया २/२०६, २०७
 वायसजय १/७३०
 वायावि(वी)रिय १/१७८, ३३५
 वारघोयण १/६३०
 चाराणसी १/५००
 चाराह १/१७५
 चारोदग १/६६२
 चावती १/१२३
 चावत्रकुदसणवज्जणा १/१३६
 चाविता २/७
 चाविया २/७
 चासग १/१६६
 चासमेरा १/६३४
 चासा २/७५
 चासावास १/६५१, ६५२, ६७२, ७०७,
 २/६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०,
 ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८,
 २२०, २२४, २२५, २२६
 चासावास अजोग खेत २/६३
 चासावास जोग खेत २/६४
 चासावास समायारी २/६३-७८
 चासावासिय १/६६२
 चासुदेव १/१०९, १६७, १७१
 चासुपुज्ज १/३
 चाहण १/१७४
 चाहणगिह १/७४७
 चाहणसाल १/७४७
 चाही २/४०८
 चाइकिट्ट २/२५४
 चाइगट्टिकाल १/६२, ६३
 चाइ(ति)गिच्छा १/१२३, १३८, ४७७,
 २/१०७
 चाइ(ति)गिच्छासमावण १/४७९, ४८०
 चाइय महव्वय १/२८९-२९९
 चाउक्कस्स १/१७९
 चाउलमई १/२२२
 चाउलुत्तम १/१४५
 चाउसग्ग २/३०९, ३५५-३५७
 चाउसग्ग पडिमा २/२७९
 चाउसग्गारिह २/३१०
 चाओसविय १/५२४
 चाओसविय पुणो उदीरित्तए १/२९९,
 विकहा २/१५३
 विक्खित्ता १/७१६

विक्खेवणा विणय १/७२, ७३
 विक्खेवणी २/३४७
 विग १/५४८
 विगइ १/५३८, २/६८, ६९
 विगइभोई १/६०३
 विगतोदय १/५०५, ५०६
 विगयमिस्सिया १/५१२
 विगलिन्दिया १/४५
 विगलित्तेन्दिया १/९१
 विगहगइ पव्वज्जा २/७
 विगही १/२९९
 विगिट्टभत्तिय २/७२
 विगर्ब निज्जूहण २/२६०
 विग्घकरा ठाणा २/१८०
 विजहणा २/२०२
 विज्जा १/६१, २०५, २/२४
 विज्जाइ पज्जण २/१९६
 विज्जाचरण १/१६८, २/५५, ३६०,
 ३६१
 विज्जाचारणलद्धी २/३६०
 विज्जापिण्ड १/५६७
 विज्जाहर १/२२३
 विज्जुत्त १/६७
 विज्जुदेव १/५२३
 विजय (राजा) १/१९९
 विड १/५७२
 विणओवएस २/३८
 विणय २/३०९
 विणय (ज्ञानाचार) १/५५, ७०-९९,
 १०३, १२६, १६७, ३०९, ४३२
 विणय पडिबण्ण पुरिस १/८०-८१
 विणयपडिवत्ती १/७२, ७३, १०३
 विणय वेयावच्च पडिमा २/३०८
 विणयसमाही १/८५, ८६
 विणयसुद्ध २/९९
 विणयसंपण्ण २/३२०
 विणयहीण १/९७
 विणवणित्थी २/३८४
 विण्णाण १/१०३
 विण्णाणफल १/१०२
 विण्णाता २/४०४
 विण्णू २/२९, ३०
 विणियट्टणाफल ४५६
 विणियट्टणया १/१३३, १३४, ४५६
 विणिविट्टचित्त १/४५३
 विणीत्त(य) १/५८, ९१, ९२
 विणीय लक्खण १/८१-८२
 वित्तिगिच्छा १/१३७
 वित्थार (रुइ) १/१२६
 विट्ठ १/१८६
 विदेह १/१९८
 विद्धी १/२२०
 विद्धसणघम्म १/७३७

विपरिणामघम्म १/५१०
 विप्पमाद १/१०३
 विप्परियासण २/१९७
 विप्पोसहिपत्त १/२२२
 विभज्जवाद १/१०७
 विभवित्तए २/५०
 विभूसावत्तिय २/५१
 विभूती १/२२०
 विभूसाणिसेह १/३३०
 विभूसाणुवाई १/३३०
 विभूसावडिया १/३४१, ३४३, ३९१, ३९२,
 ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ४२०
 विभंग अत्राणकिरिया १/१६४
 विभंगणा(ना)ण १/५८
 विभंगणाणोप्पत्ति १/५८
 विमल १/३, २२१
 विमुत्ती १/२१९
 विम्हावण २/१९७
 वियड १/७५०
 वियडगिह १/६३४, २/२८२
 वियडवत्ती १/६२८
 वियडभाव २/१७४
 वियतकिच्च पायच्छित्त २/३११
 वियत्त (व्यक्त गणधर) १/७
 वियत्त १/१८२, १८३, १८४, १८५
 वियंतकारय १/४७४
 वियागरत्त १/१०४
 वियारभूमि १/६५१, ६५२, ६६७, ६६८,
 ७१२, ७१३, ७१८, ७२८, २/६३, ६४,
 ६६, ७५, १२९, २२५, २२६, २५६
 वियाल १/४७५
 वियाह (भगवती) २/२२३
 वियाहचूलिया २/२२३
 विरइठाण १/२१२
 विरयगामघम्म १/४२५, ४२६, ४२७
 विरती १/२१९
 विरसजीवी २/२७३
 विरसाहार २/२७२
 विराग(ता)या १/१३४, २/२९
 विराल १/५४८
 विरालिय १/५७५
 विराहग(य) १/५१०, ५११, २/१२८,
 १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १४०,
 १४१, १४३, १४५
 विराहगा अकाम परिकिलेसगा
 २/१४१-१४३
 विराहगा अत्तुक्कोसिया समणा
 २/१५१-१५२
 विराहगा आजीविया २/१५१
 विराहगा कन्दप्पिया समणा २/१४७
 विराहगा णिणहगा २/१५२
 विराहगा पडिणीय समणा २/१५१
 विराहगा परिव्वायगा २/१४७-१५१

विराहगा बाल तवस्ती २/१४५
 विराहगा भद्र पगइ जणा
 २/१४३-१४५
 विराहगा वाणपत्या २/१४५-१४७
 विराहगाण संजमस्स अपद्धसो २/१५४
 विराहणी १/५१५
 विराहय(ग) २/६१
 विराहिय २/१७२
 विरुद्धरज्ज १/४९९
 विरुद्ध-रज्जाइकमण २/१०९
 विरेयण १/२६०
 विवग्घाणि १/६७०,७४६
 विवण्ण १/७०२
 विवण्णकरण १/६८४,६८५
 विवरीय पायच्छित्त १/२९४
 विवाग विजय २/३५३
 विवाद १/१६६, २/४२
 विवित्तलयण २/४३
 विवित्तवास-वसहिसमिति १/३०७
 विवित्तसयणासणसेवणया १/१३३,
 १३४,३२४,३२५,४२४, २/२७६,
 २७८
 विवित्तहार १/३२५
 विविहविहा पव्वज्जा २/६
 विवेगपडिमा २/२७९
 विवेगभासी १/५१९
 विवेगारिह २/३१०
 विवेयकम्म १/४७४
 विसण्णमेसी १/४३४
 विसभक्खण २/१६९,१७०,१७३
 विसममग्ग १/४९४
 विसमसीला २/१७२
 विसय २/४०५
 विषयपमाय २/१८०
 विसवाणिज्ज २/१११
 विसासो १/२२१
 विसाही २/८२
 विसिट्ठदिट्ठी १/२२०
 विसील १/८२
 विसुज्झमाणय १/२४
 विसुद्धी १/२२०
 विसोहिठाण १/१०२
 विसंभोइय २/२३१,२३२
 विसंभोगकरण २/२३२
 विसंभोगकरण कारण २/२३१
 विहवधूया १/६५३
 विहार अजोग्ग काल २/६४
 विहारकरण विहिं निसेह २/६४
 विहारचरिया २/४१
 विहारजोग्ग काल २/६४
 विहारभूमि १/६५१,६५२,६६७,६६८,
 ७१२,७१३,७१८,७२८, २/६३,
 ६४,६६,७५,१२५,२२६,२५६

वीमसा २/३१०,३८०
 वीयडा १/५१२
 वीयरग २/३८५,३८६,३८८,३८९,
 ३९०,४०५,४०९,४१०
 वीयरगभाव २/१०३,४०९-४११
 वीयरगया १/१३३, २/४११
 वीयरगया फल २/४११
 वीयरग संजम २/१२
 वीरत्तुइ १/४
 वीर्याचार २/३६३-४११
 वीरस्स पराकमं २/३९७-३९८
 वीरासण २/२७३,२८६
 वीरासणियाए २/२७४
 वीरिय २/३६३,३९२
 वीरियायार १/५१
 वीरियसंपण्ण २/२४४
 वीसुभेज्जा २/६५
 वुग्गह वद्धत २/२५६
 वुग्गाहित १/१३०
 वुट्टिकाय २/६९
 वेआवच्च करणया २/६५
 वेइयववसाय १/४६
 वेइया १/७१६
 वेजच्चिइ १/२२२
 वेजच्चिय परदारगमण २/१०९
 वेडिम १/४६१
 वेणइया १/१८१
 वेणुदेव (गरुड) १/६,३१८
 वेणुदंड १/२७५,२७६
 वेणुफल १/३३६
 वेणुसुइ १/७१४,७१८
 वेतालिय मग्ग २/३९८
 वेत्तदंड १/२७५,२७६
 वेद २/२९,३०
 वेदण अहियासणया १/१३४
 वेदवी १/४४३
 वेमाणिय १/४८
 वेयकाल १/४५५
 वेयण १/६१२
 वेयणअहियासयणया २/२९
 वेयणा १/१८९
 वेयणिज्ज १/१४७, २/१०४,३६७
 वेयन्त १/१२३
 वेयमाराहय १/८५
 वेयरणी २/३७२
 वेयव २/२७
 वेयावच्च १/१३३,२५४,३०५,६१२,
 २/६७,३०९,३३७-३४०
 वेयावच्च फल २/३४०
 वेयावडिय २/४२
 वेरज्ज १/४९९
 वेरोट्टा (दिवी) १/९
 वेलधरोववाय २/२२३

वेवइ १/१६६,५२८
 वेसमणोववाय २/२२३
 वेससामंत १/३३२
 वेसानी २/४०
 वेसिय १/५३३,५३४
 वेसियकुल १/५४९
 वेसिया करंडग १/१०१
 वेसियायण १/४२५
 वेहाणस बालमरण २/१७३
 वेहाणसमरण २/१६९,१७०,१७३
 वेहिम १/४६१
 वोइसालियकुल १/५४९
 वोदाण १/३३,१०३,१०६,१३३,
 २/४११
 वोदाणफल १/१०३
 वोसट्टकाइयाए २/२७५
 वोसट्टकाय २/४१
 वक १/२०१
 वक दिट्ठी १/२०१
 वकदसणा १/२०१
 वकपण्णा १/११८
 वकसमायार १/४४८
 वका १/११८
 वज्जणजाय २/२२४
 वज्जण (ज्ञानाचार) १/५५,११२
 वज्जणणाणायार १/११२
 वंद २/८२
 वंदणया १/१३३
 वंदणा फल १/१०
 वंदणाविहाण २/२२१
 वंस १/५०३,५०७
 वंसीमूल १/६३४
 सइअंतरद्धा २/११०
 सउण १/५०२
 सउणी २/२५७
 सकम्मवीरिय २/३६४
 सकाम मरण २/१७०,१७२,२६१
 सकुलि १/५५०
 सक्क १/१९८
 सक्कर १/४२३,४२७
 सक्कार-पुरक्कार परीसह २/३६८,३७७
 सगड १/१७४
 सगदेवी परिचारणनिदान करण
 २/१६१
 सगर १/१९८
 सच्च १/५००
 सचित्तकम्म १/६३७
 सचित्तगन्धजिंघण २/१९५
 सचित्तनिकखेवणया २/११४
 सचित्तपडिबद्धाहार २/११०
 सचित्तपरिगह २/११०
 सचित्तपरिणाय २/११६
 सचित्तपहणया २/११५

सचित्त पुढवी समीवे निहाइ णिसेह
२/२८३
सचित्तरुक्ख दुरूहण १/२४९
सचित्तरुक्खमूल १/२४८, २४९
सचित्ता २/२०६
सचित्तादत्तादाण २/१०९
सचित्ताहार २/११०, ११८, ११९
सचेल १/६८८, २/३७०, ३७१
सचेलिया सह अचेलस्स संवसण
कारण २/२२८
सच्च १/१२६, १८१, २/४०
सच्च(धम्म) १/३१
सच्चदिट्ठी १/२००
सच्चपइन्ना ववहारा १/४२४
सच्चपण्णा १/११९
सच्चरय १/८२, २/३४६
सच्चवयण १/२१०, २९१
सच्चवयण (उवमा) १/२९२
सच्चवयण (महम्म) १/२९१-२९२
सच्चवयण फल १/२९३
सच्चा १/११९, १२६, १८१, २००, ५१०,
५११, ५१५, ५१८, ५२४, ५३०, ७३१,
७३४
सच्चामोसा १/५१०, ५११, ५१२, ५१५,
५२४, ५२५, ५३०, ७३१, ७३४,
२/१६२
सच्चे पुरिसजात २/२१६, २४४
सच्चं ठाणं २/४६
सछं वविहारी २/१७६
सजण गिह १/५४२
सजण-परिजण गिह १/५४३
सजोगी १/१४७
सज्झाय १/६२, ६३, ६६, ६८, ६९, १३३,
४८६, ७४५, २/२५६, ३०९, ३४२,
३५१
सज्झायअकरणे १/६८
सज्झायजोग २/४२, ३४२
सज्झाय-पडिलेहणा विसोहिं सुत्त
२/८७
सज्झायफल २/३४२
सज्झाय भूमि २/३४३
सज्झाय विहाण १/६३
सङ्गालु १/१३१
सङ्गी कुल २/६७
सङ्गी गिही २/६७
सङ्गी पुरिसजात २/२१६, २२४
सद १/८९, ९०
सणकुमार १/१९८
सणकुमार माहिंदाण (देव) २/५३
सण्ण १/२०५
सण्णकपास १/४२३, ६८९
सण्णि १/५१७
सण्णि-जाह-सरण १/७३२

सण्णि(त्रि)वेस १/१३६, ४६०, ५४४, ६५२
सण्णि(त्रि)वेस दहाणि १/४६१
सण्णि(त्रि)वेस पहाणि १/४६१
सण्णि(त्रि)वेस महाणि १/४६१
सण्णि(त्रि)वेसवहाणि १/४६१
सत्त २/२९, ३०
सत्तकम्मपगडी २/३४६
सत्त मासिया भिक्खु पडिमा
२/२८०, २८६
सत्तसत्तमिया भिक्खु पडिमा २/२९६
सत्ता १/२१५
सत्तिम २/२१६, २४४
सत्ती १/२१९
सत्थ २/४००
सत्थजाय १/५०४
सत्थपरिणामित १/५३३, ५३४
सत्थातीत १/५३३, ५३४
सत्थादाण १/७४९
सत्थारभत्त १/१०८
सत्थारभत्ती १/११२
सत्थोपाडण २/१६९, १७०, १७३
सदारमतभेय २/१०९
सदारसंतोस २/१०८, १०९
सदोस तेगिच्छा १/२५२
सद् १/१३९, ४४४, ४४८, ५३०,
२/२८, ३८५, ३८६
सद्दनय १/२५, २६, २८, २/७९
सद्दपडिमा १/४५१
सद्दफरिसरसरुवगंध २/४११
सद्द-रुव-गंध-रस-फास १/५२२
सद्दसवणासत्ति १/४४८, ४५६, ४५७
सद्दहणसुद्ध २/९९
सद्दहणा १/१३६, १४८
सद्दाइसु मुच्छाणिसेह १/३३०
सद्दाउल्लगं २/३१८
सद्दाणुरत्त २/३८६
सद्दाणुवाय २/११४
सद्दासत्ति णिसेह २/३८५, ३८६
सद्दा २/३९२
सद्धि आहार करण २/२३६
सन्धि १/४४७
सन्धिमुह १/४५५
सन्निवाहय (भाव) १/१६
सन्निहिकरण १/५९९
सन्निहीकाम १/४६
सपज्जवसित १/१६४
सपरिकम्म १/६६४, २/२६०
सपरिग्गहा १/४५४
सप्पदंस तिगिच्छाए विहिं निसेह
२/२३४
सप्पि १/४२३, ४२७, २/२७२
सप्पियासविय १/२२३
सफला राइओ १/४१

सवलत्त १/४४५
सवलदोस २/१८३-१८४
सवीयग १/२२६
सब्भावपच्चक्खाण १/१३३, २/१०४
सभावणा १/७४२, २/५१
सभावसंपन्न १/५३७
सभंठ २/११२, ११३
समच्चरंस १/३१८
समण १/४, १०२, १३७, १४९, १५२,
१५३, १५५, १५८, १६०, १६३, १६८,
१७८, १७९, १८६, १९५, २३६, २४५,
३००, ३२६, ३२७, ३३५, ४१९, ४३६,
४३७, ४४१, ४७४, ४९०, ४९७, ५००,
५०३, ५०४, ५२५, ५२६, ५३५, ५५५,
५९१, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६१७,
६१८, ६२८, ६३३, ६४०, ६४४, ६४५,
६४८, ६५१, ६५२, ६६९, ६७१, ६८४,
६९२, ६९४, ६९७, ७०२, ७०३, ७२२,
७२५, २/२०, ४४, ५२, ५३, ५६, ५७,
११५, १३३, १९८, २३१, २४४, २५५,
२७१, २७२, २७३, २७४, ३३१, ३६३,
३७३, ३७६, ३७८, ३८३, ४०५
समणधम्म १/५८, २/३८
समण-णिगगन्थ २/२०९, २१०, २१५,
२२३, २३१, ३५८, ३५९, ३६०
समण-माहण २/४०३
समणभवण णिदाण करण २/१६६
समणभूय २/११६
समणव्वद १/२३६
समणसरीर परिट्ठवण १/७२१
समणसंघ २/१९८
समणस्स सुद्ध आहार दाण फल
२/११५
समणी २/१३३, १३४, १९८
समणुण्णा २/२०१
समणुण्णं-असमणुण्णाणववहारा २/२३३
समणुण्णसिय १/६७२, ६९५, ६९७
समणोवगरण ओग्गहविहिं १/३०६
समणोवस्सय २/११२, ११३
समणोवमा २/३१-३४
समणोवासग(ये) २/१०५, १०७, १०८,
१०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४,
११५, १२०, १२१, १२४, १२७, १३०,
१३३, १६४, १६५, ३१९, ३९३, ३९४
समणोवासगधम्म २/१०७, १०८
समणोवासगप्पगारा २/१०५
समणोवासग भवण णिदाणकरण
२/७६४
समणोवासगणं तिविहा भावणा
२/१२१
समणोवासिया २/१३४
समत्तदंसी १/१३५
समपायपुत्ता २/२७४

समभावसाहग १/४३४
समभिरूढ (नय) १/२८,२९
समय १/२१६
समयन्त १/१२३
समायारी २/५७,६१,६२,६३,६४,६५,
६६-७८
समायारीए पवत्तण २/५८
समारभ १/१७४,२०८,२०९,२८२
समाहि(ही)(धी) १/८६,१०८,१०९,२१३,
२१९,२२३, २/५४
समाहि(ही)कामी २/४०४,४०५
समाहिजुत्त २/३६६
समाहिजोग १/१००,१३०,३२६,३३५
समाहिट्टाण १/८५
समाहित्तिदिय १/३५
समाहि पडिमा २/२७९
समाहिगत्त २/३९,४०
समाहिमाहिय १/४४६
समाहिविहाण १/१०८
समिद्ध(ती) १/१०४,१२६,२२०,४८५,
७३०
समिद्ध(ति)जोग १/४२५,४२६,४२७
समित १/१८६, २/५२,५५,३९६,३९८
समत्ताराहणा १/२१९
समिद्धी १/२२०
समियदंसण १/४५३
समियपावा १/२२४
समियाए धम्मे १/७३९
समियाचार १/१७८
समुक्कस २/२३,४२
समुट्टाण सुय २/२२३
समुदाणकिरिया १/१६४
समुयाणचरिया १/४१
समोच्छिन्न किरिए अपडिवाह १/३५४
समोसरण १/१६७
सम्म १/७३९
सम्म किरियावायं १/१६८,१७०
सम्मत्त १/५८,१२५,१३७,१९४,७३४,
२/१०७
सम्मत्त अहयारा २/१०७
सम्मत्तदंसिण १/२२६, २/३९३,३९७
सम्मत्तदंसी २/३९७
सम्मत्तधिया वीरियपाउरण २/३९२
सम्मत्त परक्कम १/१३२
सम्मत्त सच्चा १/५११
सम्मत्तसरूव २/१०७
सम्मदिट्ठी १/२२६
सम्मदंसण १/१२७,१३६,१३७,१३८,
१४४
सम्मदंसणपज्जव १/५८
सम्मत्तसद्दहणा १/१३६
सम्मामिच्छदंसण १/१२७
सम्मावाह १/१६७,१७०

सयण १/४५३
सयणकुल १/५४३
सयणासण २/४२
सयमेव उग्गहं अणुगिम्हणया १/३०७
सयंभू (समुद्र) १/६,१६०,३१८
सरज्ज १/५०१
सरहुय १/५७६
सरण १/४५४
सर-दह-तलावयपरिसोसणया २/१११
सरल १/२०१
सराहभत्त १/६
सराहभोयण १/४४६
सराग संजम २/१२
सरिसगस्स संवास आदाण २/२३३
सरिसणिगन्थ १/६६५
सरिसणिगन्धी १/६६५
सरीर १/४५,१५०,१५१,१५२,
१५६,७२२
सरीरपञ्चक्खाण १/१३३,१३४,
२/१०४
सरीरपरिमण्डण १/३३०
सरीर विओसग्ग २/३५५
सरीरवुच्छेयणट्टाय १/६१२
सरीरसक्कारपोसह २/११४
सरीरसंपन्ना १/११८
सरीर संपया २/२०६
सरीसिव १/१७५
सल्लोमचम्म १/६८५,६८६
सल्ल १/४३६
सल्लइपलंब १/५७६
सल्लइपवाल १/५७६
सल्लतिगिच्छा १/२५४
सवण १/१०३
सवणफल १/१०२
सवणाणुकूल वय १/४०
सवत्ति समाणे २/१०५
सवियार २/२६०
सव्वगाय-परिकम्म-विभूसा विप्पमुक्के
२/२७४
सव्वगुणसंपन्नया २/५१
सव्वउण्णाण १/१६४
सव्वकज्जकरण १/४६३
सव्वगुणसंपन्नया १/१३३
सव्वतोभदा २/२७९
सव्वदंसी २/२५
सव्व पञ्चक्खाण पारण सुत्त २/९८
सव्वपमाण १/१२६
सव्वपरिण्णाचारी २/३९७
सव्व पावकम्म २/२०
सव्वप्पग १/१७९
सव्ववल २/१७८
सव्वमूलगुण पञ्चक्खाण २/९९,१००
सव्वविराहय २/१३२

सव्वसमाहिवत्तियागारेण
२/९४,९५,९६,९७
सव्व सुयाणवाह २/२२३
सव्वस्स अमाघाओ १/२२१
सव्वाओ अदिण्णादाणाओ वेरमण
२/१००
सव्वाओ परिग्गहाओ वेरमण २/१००
सव्वाओ पाणाह वायाओ वेरमण
२/१००
सव्वाओ मुसावायाओ वेरमण २/१००
सव्वाओ मेहुणाओ वेरमण २/१००
सव्वााराहय २/१३२
सव्वाहार १/४७६
सव्विन्दिय समाहित १/२८३
सव्वुत्तरगुणपञ्चक्खाण २/१००
सवेट्टय पात्त १/६९९
सव्वोसहिपत्त १/२२२
ससमय १/५९
ससिणिद्ध १/५०५,५०६
ससिणिद्धा पुढवी १/७४२
ससित्थ २/७२
ससीसोवरिय १/५०३,५०६
ससंधिय १/६८४,७०२
सहजदिव्वभोगणिदाण करण २/१६३
सहसक्कार १/४५३, २/३१०
सहसागारेण २/९४,९५,९६,९७
सहसाव्मक्खाण २/१०९
सहस्सार कम्प २/१४०
सहाय पञ्चक्खाण १/१३३, २/१०४
सहायलिच्छू २/४१०
सहिण १/७४५
सहिण कल्लाण १/६७०,७४५
सहिणाणि १/६७०
साहम १/९४,९५,१५२,४४१,४७७,
४७८, ४७९,४८०,४८१,५०८,५०९,
५२०,५२२,५२८,५३७,५४३,५४७,
५४९,५५१,५५५,५५८,५६०,५६१,
५६२,५६३,५६४,५६८,५६९,५७०,
५७१,५७३,५७४,५८५,५८६,५९०,
५९५,५९६,५९७,५९९,६०२,६०३,
६०४,६०५,६०६,६०९,६१०,६११,
६१३,६१६,६१७,६१९,६४१,२/७३,
११५
साएय १/५००
साकेय २/१००
सागरोवम १/१४५, २/१५१
सागार २/१००
सागारकड १/७२२
सागारिय १/६१९,६२०,६२१,६२२,
६२३,६२४,६२५,६३७,६३८,६३९,
६४०, ६४१,६५७,६५८
सागारिय उग्गह १/६५३
सागारियकुल १/६२५

सागारियागारेणं २/९५,९६,९७
 सागारियणिस्ता १/६२५,६३४,६३५
 सागारियपिण्ड १/६२०
 सागारियसंतिय १/६६०,६६१,६६२,
 ७०९,७१७,७२२
 सागारियस्सणाय १/६२३
 सागारियोपजीवी १/६२२
 सागारोवउत्त १/१४७
 साडीकम्म २/१११
 साणय १/६७४,७१०, २/२९३
 साता(यो)गारव १/९०,१६३
 सातियार १/२४
 साधम्मिणी २/३७३
 सामह्य वचसाय १/४६
 सामण्य १/१४१,१४२,१४३,२२६,४३७,
 २/२६०
 सामत्त १/४४५
 सामली (वृक्ष) १/६
 सामवेद १/४६
 सामाह्य १/१३३,७३९, २/११,८२,
 १००,१०८,१११,११७,११८,२४६
 सामाह्यकड २/११२,११२,११६
 सामाह्यकडस्स किरिया २/११२
 सामाह्यकडस्स पेज्जबधण २/११३
 सामाह्यकडस्स ममत्तभाव २/११२
 सामाह्यगगाइ २/१२५
 सामाह्यचरित्त गुणप्पमाण १/२४
 सामाह्य फल २/५२
 सामाह्य सुत्त २/८४
 सामाह्यसंजम २/१४
 सामाह्य-संजम-कप्पट्टिई १/५४
 सामाह्यस्स अणवट्टियस्स करणया
 २/११२
 सामाह्यस्स सह अकरणया २/११२
 सामुदाणिय गवेसणा २/१७६
 सायपडियाय १/५०६
 सायाउल्लग २/५६
 सायाणुगा १/४४६
 सारक्खणविसोही २/१८१
 सारक्खणाणुबधी २/३५२
 सारक्खणोवघात्त २/१८१
 सारक्खाय १/५३५,५३६
 सारणिया २/७
 सारंभ १/२०८,२०९,४५४
 साल १/१००,१०१,२३९
 सालपरियाय १/१००
 सालपरिवार १/१००,१०१
 सालि १/५५०
 सालिसय १/११३,११४
 सालुय १/५७५
 सावज्ज १/८४,१४६,१६८,२१७,५२५,
 ५२६,५२८,५२९,५३०
 सावज्ज(१)किरिया १/२१८,६४५

सावज्जजोग २/४१
 सावज्जजोगपरिवज्जण २/१११
 सावज्जजोगविरइ(ति) २/५२,५३
 सावज्जबहुल २/४८,५१
 सावज्जभासा १/५२४,५२६,५२७,५२८,
 ५२९
 सावज्जवयण १/५२५
 सावज्ज संजुत्त आहार १/५९८
 सावज्जाणुमोयणी १/५२३
 सावत्थी १/५००
 सावय २/१९८
 सावय आसायणा १/९६
 साविया २/१९८
 साविया आसायणा १/९६
 सासय(त्त) १/१६१,१७०
 सासवणालिय १/५७५
 साहम्मिणी १/६९२,७२२
 साहम्मिय १/६५८,६६९,६९१,६९२,
 ७१९,७२१,७२२,२/२१२,२१७,
 २१९,२३१,२३९,३१९,३२०,३२१,
 ३३१
 साहम्मिय अंतकिच्चाइ २/२२९
 साहम्मिय उग्गह १/६५३
 साहम्मिय उग्गहं अणुणविय
 परिभुजणया १/३०७
 साहम्मिय वेयावच्च २/३३८
 साहरइ १/५३८
 साहरिज्जमाणवरए २/२६९
 साहारणपिंडपात्त(य) १/३०८,३०९
 साहारणभत्तपाणं अणुणविय
 परिभुजणिया १/३०७
 साहिररण २/२५५,३३२
 साहिल्लया १/७३,७४
 साहुधम्म १/१९५
 साहुवयणेणं २/९४,९५
 साहु १/१,२,१०८,१२५,१४२,१५२,
 १५४,१८१,१८९,५३१, २/२८
 साहु असायणा १/९६
 साहुणी आसायणा १/९६
 सिद्धिग १/२७४,२७५
 सिक्खावय २/१०८
 सिक्खासील १/८२
 सिज्जस १/३
 सिणाण २/४५
 सिणेह १/२८३
 सिणेह विगती १/५३८
 सिणेहसुहम १/२८५, २/७७
 सिणेहाययण २/७०
 सिद्ध १/१,२,६१,८६
 सिद्ध आसायणा १/९६
 सिद्धट्टाण सरूव १/१९९-२००
 सिद्धा १/१६२
 सिद्धाडसयगुणसंपन्न २/१०४

सिद्धाण संथव २/६३
 सिद्धाणं २/३१२
 सिद्धावास १/२२०
 सिद्धि १/६१,१००,१०३,११०,१३५,
 १५२,१५४,१६२,१६७,१७१,१८९,
 १९१,१९२,७४१
 सिद्धिपह २/३९८
 सिद्धिमग्ग १/१३५,४४६
 सिद्धिविमाण १/३२०
 सिप्प सिक्खावण २/१९४
 सियालखइया २/६
 सियावाद १/१०७
 सिरमुण्डे २/७
 सिमिज्जुत्ता १/११८
 सिरीसिव १/१९१; २/२४५
 सिलावुद्ध १/६३०
 सिलिवय १/१६६,५२८
 सिलोग १/१६५, २/२५७
 सिलोयकामी १/४७३,५६५, २/४२
 सिवं १/२२०
 सिसुणाग २/१७१
 सिहरिणि १/५५०
 सिहाधारण २/११९
 सिही १/१९२
 सिंगपाय १/६९३
 सिंगबेर १/४८१,५७५
 सिंगबेरचुण्ण १/४८१,५७५
 सिंगमालिय १/४२१
 सिंघाडग १/५७६
 सिंघाण १/६४६,७२०
 सिंघाल १/५४८
 सिंबलि १/५८८
 सिंबलिथालग १/५८८
 सीअल १/३
 सीओदय २/३६९
 सीतात्तप सहण णिसेहो २/२८५
 सीतोदा १/३१८
 सीय परीसह २/३६८,३६९
 सीयपिंड १/५४०
 सीयफास २/३७०,३७१
 सीया १/११०,१७४
 सील १/८६,८९,२२०,४३२, २/१३२
 सीलपण्णा १/११९
 सील परिघरो १/२२०
 सीलमंता १/८७
 सीलवन्त २/४०७
 सीलवय-गुणवय २/११७,११८
 सीलव्वत्त(य) २/११२,११३
 सीलव्वय गुणव्वयवेरमण २/१६४,
 १६५,१६७
 सीलसंपन्न २/१३२,१३३
 सीसगपाय १/६९३
 सीसगलोह १/४२२

समभावसाहग १/४३४
समभिरूढ (नय) १/२८,२९
समय १/२१६
समयन्त १/१२३
समायारी २/५७,६१,६२,६३,६४,६५,
६६-७८
समायारीए पवत्तणं २/५८
समारंभ १/१७४,२०८,२०९,२८२
समाहि(ही)(धी) १/८६,१०८,१०९,२१३,
२१९,२२३, २/५४
समाहि(ही)कामी २/४०४,४०५
समाहियुत्त २/३६६
समाहियोग १/१००,१३०,३२६,३३५
समाहिद्व्याण १/८५
समाहित्तिदिय १/३५
समाहि पडिमा २/२७९
समाहिण्त २/३९,४०
समाहिमाहिय १/४४६
समाहिविहाण १/१०८
समिद्ध(ती) १/१०४,१२६,२२०,४८५,
७३०
समिद्ध(ति)जोग १/४२५,४२६,४२७
समित १/१८६, २/५२,५५,३९६,३९८
समत्ताराहणा १/२१९
समिद्धी १/२२०
समियदंसण १/४५३
समियपावा १/२२४
समियाए धम्मे १/७३९
समियाचार १/१७८
समुक्कस २/२३,४२
समुद्वान सुय २/२२३
समुदाणकिरिया १/१६४
समुयाणचरिया १/४१
समोच्छिन्न किरिए अपडिवाइ १/३५४
समोसरण १/१६७
सम्म १/७३९
सम्म किरियावाय १/१६८,१७०
सम्मुत्त १/५८,१२५,१३७,१९४,७३४,
२/१०७
सम्मत्त अइयारा २/१०७
सम्मत्तदसिण १/२२६, २/३९३,३९७
सम्मत्तदसी २/३९७
सम्मत्तधिया वीरियपाउरण २/३९२
सम्मत्त परक्कम १/१३२
सम्मत्त सच्चा १/५११
सम्मत्तसरूव २/१०७
सम्मदिट्ठी १/२२६
सम्मदंसण १/१२७,१३६,१३७,१३८,
१४४
सम्मदंसणपज्जव १/५८
सम्मत्तसहहणा १/१३६
सम्माभिच्छदंसण १/१२७
सम्मावाई १/१६७,१७०

सयण १/४५३
सयणकुल १/५४३
सयणासण २/४२
सयमेव उरगाहं अणुगिम्हणया १/३०७
सयंभू (समुद्र) १/६,१६०,३१८
सरऊ १/५०१
सरहुय १/५७६
सरण १/४५४
सर-दह-तलाबयपरिसोसणया २/१११
सरल १/२०१
सराइभत्त १/६
सराइभोयण १/४४६
सराग संजम २/१२
सरिसगस्स संवास आदाण २/२३३
सरिसणिगगन्थ १/६६५
सरिसणिगगन्थी १/६६५
सरीर १/४५,१५०,१५१,१५२,
१५६,७२२
सरीरपच्चक्खाण १/१३३,१३४,
२/१०४
सरीरपरिमण्डण १/३३०
सरीर विओसग २/३५५
सरीरकुच्छेयणद्वय १/६१२
सरीरसक्कारपोसह २/११४
सरीरसंपन्ना १/११८
सरीर संपया २/२०६
सरीसिव १/१७५
सलोमचम्म १/६८५,६८६
सल्ल १/४३६
सल्लइपलंब १/५७६
सल्लइपवाल १/५७६
सल्लतिगिच्छा १/२५४
सवण १/१०३
सवणफल १/१०२
सवणाणुकूल वय १/४०
सवत्ति समाणे २/१०५
सवियार २/२६०
सव्वगाय-परिकम्म-विभूसा विप्पमुक्के
२/२७४
सव्वगुणसंपन्नया २/५१
सव्वउण्णाण १/१६४
सव्वकज्जकरण १/४६३
सव्वगुणसंपन्नया १/१३३
सव्वतोभदा २/२७९
सव्वदंसी २/२५
सव्व पच्चक्खाण पारण सुत्त २/९८
सव्वपमाण १/१२६
सव्वपरिण्णाचारी २/३९७
सव्व पावकम्म २/२०
सव्वप्पग १/१७९
सव्ववल २/१७८
सव्वमूलगुण पच्चक्खाण २/९९,१००
सव्वविराहय २/१३२

सव्वसमाहिवत्तियागारेण
२/९४,९५,९६,९७
सव्व सुयाणवाई २/२२३
सव्वस्स अमाघाओ १/२२१
सव्वाओ अदिण्णादाणाओ वेरम्
२/१००
सव्वाओ परिग्गहाओ वेरमण
सव्वाओ पाणाइ वायाओ वेरम
२/१००
सव्वाओ मुसावायाओ वेरमण :
सव्वाओ मेहुणाओ वेरमण २/१
सव्वाराहय २/१३२
सव्वाहार १/४७६
सव्विन्दिय समाहित १/२८३
सव्वुत्तरगुणपच्चक्खाण २/१००
सवेटय पात्त १/६९९
सव्वोसहिपत्त १/२२२
ससमय १/५९
ससिणिद्ध १/५०५,५०६
ससिणिद्धा पुढवी १/७४२
ससित्थ २/७२
ससीसोवरिय १/५०३,५०६
ससंधिय १/६८४,७०२
सहजदिव्वभोगिदाण करण २/११५
सहसक्कार १/४५३, २/३१०
सहसागारेण २/९४,९५,९६,९७
सहसान्भक्खाण २/१०९
सहस्सार कप्प २/१४०
सहाय पच्चक्खाण १/१३३, २/१०
सहायलिच्छू २/४१०
सहिण १/७४५
सहिण कल्लाण १/६७०,७४५
सहिणाणि १/६७०
साइम १/९४,९५,१५२,४४१,४७७,
४७८, ४७९,४८०,४८१,५०८,५०९
५२०,५२२,५२८,५३७,५४३,५४७,
५४९,५५१,५५५,५५८,५६०,५६१,
५६२,५६३,५६४,५६८,५६९,५७०,
५७१,५७३,५७४,५८५,५८६,५९०,
५९५,५९६,५९७,५९९,६०२,६०३,
६०४,६०५,६०६,६०९,६१०,६११,
६१३,६१६,६१७,६१९,६४१,२/७३,
११५
साएय १/५००
साकेय २/१००
सागरोवम १/१४५, २/१५१
सागार २/१००
सागारकड १/७२२
सागारिय १/६१९,६२०,६२१,६२२,
६२३,६२४,६२५,६३७,६३८,६३९,
६४०, ६४१,६५७,६५८
सागारिय उरगाह १/६५३
सागारियकुल १/६२५

सागारियागारेण २/९५, ९६, ९७
 सागारियणिस्सा १/६२५, ६३४, ६३५
 सागारियपिण्ड १/६२०
 सागारियसंतिय १/६६०, ६६१, ६६२,
 ७०९, ७१७, ७२२
 सागारियस्सणाय १/६२३
 सागारियोपजीवी १/६२२
 सागारोवउत्त १/१४७
 साडीकम्म २/१११
 साणय १/६७४, ७१०, २/२९३
 साता(यो)गारव १/९०, १६३
 सातियार १/२४
 साधम्मिणी २/३७३
 सामइय वचसाय १/४६
 सामण १/१४१, १४२, १४३, २२६, ४३७,
 २/२६०
 सामत्त १/४४५
 सामली (वृक्ष) १/६
 सामवेद १/४६
 सामाइय १/१३३, ७३९, २/११८, २,
 १००, १०८, १११, ११७, ११८, २४६
 सामाइयकड २/११२, ११२, ११६
 सामाइयकडस्स किरिया २/११२
 सामाइयकडस्स पेज्जबंधण २/११३
 सामाइयकडस्स ममत्तभाव २/११२
 सामाइयंगार्ह २/१२५
 सामाइयचरित्त गुणप्पमाण १/२४
 सामाइय फल २/५२
 सामाइय सुत्त २/८४
 सामाइयसंजम २/१४
 सामाइय-संजम-कम्पट्टिई १/५४
 सामाइयस्स अणवट्ठियस्स करणया
 २/११२
 सामाइयस्स सइ अकरणया २/११२
 सामुदाणिय गवेसणा २/१७६
 सायपडियाय १/५०६
 सायाजलग २/५६
 सायाणुगा १/४४६
 सारक्खणविसोही २/१८१
 सारक्खणानुबंधी २/३५२
 सारक्खणोवघात २/१८१
 सारक्खाय १/५३५, ५३६
 सारणिया २/७
 सारभ १/२०८, २०९, ४५४
 साल १/१००, १०१, २३९
 सालपरियाय १/१००
 सालपरिवार १/१००, १०१
 सालि १/५५०
 सालिसय १/११३, ११४
 सालुय १/५७५
 सावज्ज १/८४, १४६, १६८, २१७, ५२५,
 ५२६, ५२८, ५२९, ५३०
 सावज्ज(१)किरिया १/२१८, ६४५

सावज्जजोग २/४१
 सावज्जजोगपरिवज्जण २/१११
 सावज्जजोगविरइ(ति) २/५२, ५३
 सावज्जवहूल २/४८, ५१
 सावज्जभासा १/५२४, ५२६, ५२७, ५२८,
 ५२९
 सावज्जवयण १/५२५
 सावज्ज संजुत्त आहार १/५९८
 सावज्जाणुमोयणी १/५२३
 सावत्थी १/५००
 सावय २/१९८
 सावय आसायणा १/९६
 साविया २/१९८
 साविया आसायणा १/९६
 सासय(त) १/१६१, १७०
 सासवणालिय १/५७५
 साहम्मिणी १/६९२, ७२२
 साहम्मिय १/६५८, ६६९, ६९१, ६९२,
 ७१९, ७२१, ७२२, २/२१२, २१७,
 २१९, २३१, २३९, ३१९, ३२०, ३२१,
 ३३१
 साहम्मिय अंतकिच्चाई २/२२९
 साहम्मिय उग्गह १/६५३
 साहम्मिय उग्गह अणुणविय
 परिभुजणया १/३०७
 साहम्मिय वेयावच्च २/३३८
 साहरइ १/५३८
 साहरिज्जमाणचरण २/२६९
 साहारणपिंडपात(य) १/३०८, ३०९
 साहारणभत्तपाण अणुणविय
 परिभुजणिया १/३०७
 साहिररण २/२५५, ३३२
 साहिल्लया १/७३, ७४
 साहुधम्म १/१९५
 साहुवयणेष २/९४, ९५
 साहु १/१, २, १०८, १२५, १४२, १५२,
 १५४, १८१, १८९, ५३१, २/२८
 साहु असायणा १/९६
 साहुणी आसायणा १/९६
 सिक्खिग १/२७४, २७५
 सिक्खावय २/१०८
 सिक्खासील १/८२
 सिज्जस १/३
 सिणण २/४५
 सिणेष १/२८३
 सिणेष भिगती १/५३८
 सिणेषुत्तम १/२८५ २/७७
 सिणेषुत्तम २/७७
 सिण १/१, २, ६, ११, १६
 सिद्ध भासायणा १/९५
 सिद्धाण चोत्तम १/९९५-१००
 सिद्धा १/१६२
 सिद्धाइसयगुणसंपन्न २/१०४

सिद्धाण संयव २/६३
 सिद्धाण २/३१२
 सिद्धावास १/२२०
 सिद्धि १/६१, १००, १०३, ११०, १३५,
 १५२, १५४, १६२, १६७, १७१, १८९,
 १९१, १९२, ७४१
 सिद्धिपह २/३९८
 सिद्धिमग्ग १/१३५, ४४६
 सिद्धिविमाण १/३२०
 सिप्प सिक्खावण २/१९४
 सियालखइया २/६
 सियावाद १/१०७
 सिरमुण्डे २/७
 स्मिरिजुत्ता १/११८
 सिरीसिव १/१९१; २/२४५
 सिलावुट्ट १/६३०
 सिलिवय १/१६६, ५२८
 सिलोग १/१६५, २/२५७
 सिलोयकामी १/४७३, ५६५, २/४२
 सिवं १/२२०
 सिंसुणाग २/१७१
 सिहरिणि १/५५०
 सिहाधारण २/११९
 सिही १/१९२
 सिंगपाय १/६९३
 सिंगवेर १/४८१, ५७५
 सिंगवेरचुण १/४८१, ५७५
 सिंगमालिय १/४२१
 सिंघाडग १/५७६
 सिंघाण १/६४६, ७२०
 सिंघाल १/५४८
 सिंबलि १/५८८
 सिंबलिघालग १/५८८;
 सीअल १/३
 सीओदय २/३६९
 सीतातप सहण णिसेहो २/२८५
 सीतोदा १/३१८
 सीय परीसह २/३६८, ३६९
 सीयपिंड १/५४०
 सीयफास २/३७०, ३७१
 सीया १/११०, १७४
 सील १/८६, ८९, २२०, ४३२, २/१३२
 सीलपण्णा १/११९
 सील परिघरो १/२२०
 सीलमता १/८७
 सीलवन्त २/४०७
 सीरावय-गुणवय २/११७, ११८
 सीरावय(य) २/१६२, ११३
 सीरावय गुणवयवेरमण २,
 १६५, १६७
 सीलसंपन्न २/१३२, १३३
 सीसगपाय १/६९३
 सीसगतोह १/७२२

सीसदुवारियकरण १/३५७,३९१,३९७,
४०५

सीसदुवारियकारावण १/३६९,३७६,
३८४

सीह १/५४८

सीहखइया २/६

सीहपुच्छय १/१७५

सुअक्खायधम्म २/११

सुअन्नाणकिरिया १/१६४

सुआइक्ख २/२००

सुइ(ई) १/२००, २/३९२

सुइदिट्टी १/२००

सुइसमायारा १/६४१

सुकज्जाण १/१४७, २/४१,३५१,३५३

सुकज्ञाण अणुप्पेहा २/३५४

सुकज्ञाण आलंबण २/३५४

सुकज्ञाण लक्खण २/३५४

सुकठ १/१५२,१५४

सुकपक्खिय १/१६८

सुकपोग्गल १/४१७,४१८,४१९

सुकलेस(१) १/३०,३१९

सुकाभिजातिय २/५३

सुगिम्ह पडिवा १/६९

सुगिम्हमहापडिवा १/६४

सुगगई २/५६

सुगगय १/११४

सुचिण्णाकम्मा १/१६७,१७१

सुदट्टदित्र १/९८

सुणय १/५४८

सुणिय १/५२७

सुण्णगिह १/७४७

सुण्णसाला १/७४७

सुत २/२८,२००,२०१

सुतधम्म २/४११

सुतित्तिक्ख २/२००

सुत्त १/८४,१२६

सुत्त (रुइ) १/१२६

सुत्तत्थ १/११५,७३०

सुत्तघर १/१०९,१२२

सुत्त पडिणीय १/८९

सुत्तमत्थ १/१०८,११२

सुत्तमय २/१९१,१९२

सुत्त वायणा हेउ २/३४३

सुत्तसिक्खण हेउ २/३४२

सुत्तसुयधम्म १/३०

सुत्तागम १/२३

सुदक्खु जागरिया २/३९४

सुदिट्टपरमत्थ सेवणा १/१३६

सुदंसण (पर्वत) १/५,६,१४५

सुदंसणा १/१००,२००

सुद्ध दंसणा १/२००

सुद्धपण्णा १/११९

सुद्धवियड १/६२८,६३२, २/२६०

सुद्धा १/११९,२००

सुद्धेसणिए २/२७१

सुद्धोवहड २/५३८

सुद्धघर २/२४५

सुद्धागार २/३७४

सुपच्चक्खाणी २/१०१

सुपच्चक्खाय २/१०१

सुपस्स २/२००

सुप्पडियार १/४८,४९

सुपास १/३

सुबोघ्या १/१३०

सुभदा २/२७९

सुमइ (सुमति) १/३

सुमग १/१९६

सुमण १/५०५

सुमिण २/३६६

सुमिणदंसण १/७३२

सुमिणभावणा २/२२३

सु(इ)य १/९,५९,८२,८५,८६,८७,८९,
२७६,२७७,२७८, २/१३२

सुयअवायणिज्जा २/३४४

आराहणा १/१३३

सुय आसायणा १/९७

सुयण(नेो)ण १/१२६

सुयणाणविणय १/७५

सुयणाणोवेक्खा २/१७६

सुयघेर २/१९९,२००

सुयदेवया १/९

सुयदेवया आसायणा १/९७

सुयधम्म १/३०,३१,१२७; २/३४६

सुयधम्माराहणा २/१३५

सुयघर १/२२२

सुयवायणिज्जा २/३४३

सुय विणय १/७२

सुयसमाही १/५५,८५

सुय-सील २/१३२

सुयसंपन्ना १/१२२, २/१३२,१३३

सुयसंपया २/२०६

सुयहीणा १/१२२

सुयंग १/२१९

सुर १/१

सुरणुचरण २/२००

सुरभिपलंब १/५७६

सुरूवा १/१२२

सुल(भ)ह बोही १/१२९,१३०,१६८

सुलूहजीवी १/५६५

सुवण्ण १/१३९,४३२,६४०

सुवण्णपाय १/६९३

सुवण्णलोह १/४२२

सुवण्णसुत्त १/४२१

सुविण(१) १/१४४,१७२, २/७

सुविणीय १/८२,९१,९३

सुविणीयप्पा १/९१

सुविणीयसंसय १/८६

सुविभज्ज २/२००

सुविहि (तीर्थकरे) १/३

सुव्व(ते)य १/२११, २/५२,५५,५६,
१२५,१२६

सुसमण २/५४,५६

सुसमाहिइदिय २/४१

सुसमाहिय २/४७,४८

सुसमाहियप्पा १/७३०

सुसमाहिलेस २/३६६

सुसाण २/३७४

सुसाण सामंत १/६५

सुसाहु लक्खण २/२१-२२

सुसीला १/११९,२००, २/१२५

सुस्सुणया १/१०३

सुस्सुसणाविणय १/७५,७६

सुस्सुसा १/१००

सुसंबुड २/२५

सुहदीहाउअधकारण २/१०७

सुहम १/२१६,२१७

सुहम्म (गणघर) १/७

सुहसायग २/५६

सुहसायया १/१३३,१३४

सुहसाया १/४५५

सुहसेज्जा २/३६

सुहिरीमणा १/३३७

सुहमकिरिय १/१४७, २/३५४

सुहमजीव १/२८३

सुहम पाणा १/४७६

सुहमसंपराय २/११

सुहमसंपरायचरित्तगुणप्पमाण १/२४

सुहम संपराय संजम २/१४

सुहमसंपरायसरारा संजम २/१२

सुहम २/३१८

सुहोवाय १/४४०

सूर्इ १/२२१,७१७

सूकर-करणाणि १/४६१

सूकरजुद्धाणि १/४६१

सूची कुसंग असंवर १/२१२

सुणिय १/१६६

सुयगड २/२२३

सुर (सूर्य) १/१७७,४७७,४७८,४७९,
४८०

सुरिए अत्थमिए विहार णिसेह
२/२८३

सुरोवराय १/६५

सेज्ज(१) १/५३३,६५९,६६४, २/४२

सेज्जाअइयार विसोही सुत्त २/८७

सेज्जा परीसह २/३६८,३७४

सेज्जासमिति १/३०८

सेज्जासयण विहाण २/७४

सेज्जा संघारग १/४७५,६५६,६५७,
६५८,६५९,६६०,६६१,६६२,७१५

सेट्टि १/१४३
 सेठितव २/२५९
 सेण्णसण्णिविट्ठ खेत्त १/५०१
 सेत्तीणा १/१७५
 सेय १/३५२, ३७१, ३७८, ३८५, ३९२,
 ३९९, ४०७
 सेय-पावग १/५८
 सेयंस १/११३, ११४
 सेलकम्म १/४६१
 सेलपाय १/६९३
 सेलेसि १/६१, १३४
 सेवाकरण संकप्प २/३३९
 सेसवं (अनुमान) १/१८, १९, २०
 सेह १/९३, ९४, ९५, ९६, १०४, १०५, ३०७,
 २/२२१
 सेहपडिणीय १/८९
 सेहभूमि २/८
 सेहवेयावच्च २/३३८
 सोइन्दिय १/४६७, ४६८
 सोइन्दियनिग्गह १/१३३, ७३६, २/२९
 सोइन्दिय पच्चक्ख १/१८
 सोइन्दियरागोवरई १/४६७
 सोइन्दियसंजम १/४३०
 सोइन्दियसंवर १/१३४
 सोग २/४१०
 सोगइ १/१०३
 सोणिय १/६५, २५४, २५५, २५६, २५७,
 २५८, २५९, २६३, २६६, २६७, २६९,
 २७०, २७२, २७३, ३४२, ३४३, ३४५,
 ३४६, ३४९, ३५०
 सोत्तपण्णाण १/४५३
 सोत्ता १/४३३
 सोत्तिन्दिय अण्डिसंलीण २/२७८
 सोत्तिन्दिय असंवर १/२१२
 सोत्तिन्दिय मण्डे २/७
 सोत्तियसाला १/६२४
 सोभंज्जण २/४५
 सोमणतिय पडिक्कमण २/८३
 सोमिय १/७४५
 सोय २/३८५
 सोयबल २/१७८
 सोयरिया २/४०३
 सोयंत १/४१४, ४१५
 सोवागकरंडग १/१०१
 सोवीर १/१९९, ६२८, ६३२
 सोवीरय २/२६०
 सोहम्म (कप्प) २/१४७
 सोहम्म (सभा) १/३१८
 सोहम्मीसाण देव २/५३
 सोडिया २/५६
 संकप्प २/१०८
 संका १/१३७, २/१०७
 संकाभीओ २/३७४

संकिण्ण २/३०९
 संकिय (दोस) १/५६८
 संकिलिट्ठ चित्त १/७३२
 संकिलिस्समाणय १/२४
 संकिलेस २/२५२
 संकिलेसठाण १/५४६
 संख १/१३९
 संखढी १/५३१, ५९९, ६१४, ६१५, ६१६,
 ६१७, ६१८
 संखप्पमाण १/१८
 संखपाय १/६९३
 संखमालिय १/४२१
 संखादत्तिए २/२७१
 संखाय वाद २/५४
 संखेव(रुइ) १/१२६
 संगह २/७९
 संगह (नय) १/२५, २६
 संगह-असंगहट्टाणा २/२०८-२०९
 संगहट्टयाए २/३४३
 संगह परिण्णा संपया २/२०६, २०८
 संगहोवग्ग कुसल १/३०५
 संगामसीस २/२७
 संगार १/६७१, ६९४
 संगार पव्वज्जा २/६
 संघ १/७, ८
 संघट्टिय १/५६९
 संघथेर २/२००
 संघघम्म १/३१
 संघपडिणीय १/८८, २/२३२
 संघवेयावच्च २/३३८
 संघाडय २/२४७, २४८, २४९
 संघाडी १/६८९
 संघाडी पमाण १/६७७
 संघाडी सिवावण १/६७७
 संघात्तिम १/४६१
 संछिण्णसोय २/२१
 संजइदिय १/७३०
 संजत १/१६५
 संजम १/१५, ३१, ३३, ३९, ७१, १०२,
 १०३, १३३, २२०, २८६, २८७
 २/११, १२, १३, १४, १५, १६, १७,
 १८, ३७, ४१, ४५, ५१, ५२, ३९२, ४००
 संजमजोग २/३४२
 संजम जोगाजणा २/१७
 संजमट्टाय १/६१२
 संजमप्पगारा २/१४
 संजमफल १/१०२, १०३
 संजमभेयप्पभेया २/१२, १३
 संजमलज्जट्टा २/४६
 संजमाराहणाए फल २/५२
 संज(य)मसामायारी १/७२
 संजय १/४६, ४७, २/३८, ४१, ४७, ४८,
 १७२, ३७७

संजयमणुस्स २/२८
 संजया २/३
 संजयाण लक्खण २/२०
 संजयासंजय १/४६, ४७
 संजुत्ताहिगरण २/१११
 संजोगकाल २/३८६
 संजोगट्टी १/४५३
 संजोयणादोस १/६१०
 संजोयणा पायच्छित्त २/३११
 संठाणविजय २/३५३
 संडासग १/३३६
 संणिघाणसत्थस्स खेतण्ण १/५४१
 संतरित्तय १/५०२
 संति १/३, १९८
 संतिमग्ग १/१७८, २/१७८
 सतोसीभाव २/१९४
 संघडिय १/४७७, ४७९
 संघव २/२५
 संघवो नारीण १/३२४
 संधार १/७१६
 संधारग १/६६०, ६९१, ७११, २/२९२,
 २९३
 संधारेसण पडिमा २/२९२
 संदमाणिया १/१७४
 संधिपत्त २/३९
 संपराइय कम्म २/१९३
 संपराइया १/४८७, ४८८
 संपराइया किरिया २/११२
 संपसारय १/१९०, १९१
 संपागडपडिसेवी २/३१०
 संपातिमा (पाणा) १/२३५, २३६, २३८
 संबुकावट्ट(ी) १/२८५, ५३९, २/२६७,
 २८२
 संभव १/३
 संभिण्णसोय १/२२२
 संभोइय २/२३१, २३२, २४३, ३१९
 संभोग २/२३१
 संभोगकाल २/३८७, ३८८, ३९०, ३९१,
 ४०९
 संभोगपच्चक्खाण १/१३३, १३४,
 २/१०३, २३३
 संभोग(प)वडिया २/२३९, २४०, २४१
 संभोगवत्तिया १/२९४
 संमहा १/७१६
 संमुच्छिमा १/२४१, २४२
 संमेल १/६१७, ६१८, ६१९
 संमोह २/१५४
 संमोहत्त २/१५४
 संलेहणा करणकाल २/२६०
 संवर १/३९, १२५, १२६, १४२, १६०,
 १७०, १८९, २०५, २०६, २०७, २१०,
 २१३, २२१, ३०३, ७३६, २/५६, ५७,
 १२२, १२४, १७४

४७८ परिशिष्ट . २ चरणानुयोग-शब्द सूची

संवरदार १/२१०, २११, २१३, २८२,
२९८, ३०९, ४२७, ४७२, ४७३
संवरबहुल २/१०४
संवर भावणा २/३९६
संवरवरपादप १/४३२
संवरसवुड २/४१
सवास करण १/७४७
सविद्धपह २/४००
सविभागसील १/३०५
संवुड १/१६१, ४८८, ५४०, २/३१,
४०, ५४
सवुड अणगार १/२१४
संवुडकम्म २/५४
सवुडचारिण १/१६८
सवेग १/१३३, १३४
सवेगणी १/३४७
संसट्टुचरण २/२६९, २७१
ससट्टुपिंड १/५९१
ससट्टोवहड १/५३८
ससत्त २/२४८, २४९, ३४५
संसत्त तवोकम्म २/१५४
संसप्पगा पाणा २/२६२
संसयकारिणी १/५१२
संसार १/१६३, १८०, १८९, २१२, २४१
संसारकातार १/४५६
संसारचक्रवाल १/१६३
संसारभीरु १/३२५
संसारमग्ग १/१३५
संसारमावन्न १/४५५
संसारविओसग्ग २/३५५, ३५६
संसेहम(१) १/२४१, २४२, ६३१, ६३२,
२/२५९
संसेदय १/२३६
संसेयमा १/२२६, २४६
हत्यकम्म १/४१८, ४१९
हत्यकम्मकरण १/४१९
हत्यच्छिण्ण १/५२८
हत्यवीणिय १/४५९, ४६०
हत्यसंजय १/७३०
हत्याइपघोवण १/४६३
हत्याइ पघोवण निसेह २/२८४
हत्थि १/५४८
हत्थिणापुर १/५००
हडिबंधण १/१७५
हड्डामालिय १/४२१
हम्मियतल १/६४७, ६८२, ६८३, ७००,
७०१
हय १/४३३
हरतणुय १/२८५
हरदसमो २/२०२
हरिणमिग २/३८५
हरिमय १/१७५

हरिय(त्त) १/२४०, २८३, ४९९, ५०१,
२/३०४
हरियमालिय १/४२१
हरियवीणिय १/४५९, ४६०
हरियसुहम १/२८४, २/७७
हलिअंड १/२८५
हल्लोहलिअंड १/२८५
हरिवस्स १/२६
हरिवंसकुल १/५४९
हरिसेण १/१९८
हाडहडा २/३१२
हार १/४२०, ४२१, ६४०
हारपुडपाय १/६९३
हास १/२९९, २/४१०
हासणिस्सिया १/५११
हासविवेग १/२९६
हासा २/३८०
हितकारगा ठाणा २/२५३
हिमय १/२८५
हिमवन्त १/३१८
हियमाणुलोमिय १/५१०
हिरण्ण १/१३९, ४३२, ६४०, २/२५
हिरण्णपाय १/६९३
हिरण्ण-सुवण्ण-पमाणाइक्रम २/११०
हिरिम १/८२
हिरिवत्तिय १/६७४
हिंगोल १/६१७
हिसप्पयाण २/१११
हिंसाणुबंधी २/३५२
हिंसाणुमोयण २/५५
हीरमाण १/६१७, ६१८, ६१९
हीलियवयण १/२९९, ५२४
हुत १/१९१
हेमन्त १/६३४, ६४९, ६५०, ६६७,
२/६४, ७५, २२४, २२५, २२६
हेमवय १/२६

चरणानुयोग के संकलन में प्रयुक्त सहायक ग्रन्थ सूची

1 प्रकाशक-श्री महावीर जैन विद्यालय, बम्बई-	प्रधान संपादक	युवाचार्य मधुकर मुनि जी
आचारांग सूत्र मूल (संपादक मुनि श्री जम्बूविजय जी)	औपपातिक सूत्र	"
सूयगडांग सूत्र " "	प्रज्ञापनासूत्र भाग 1, 2	"
ठाणांग सूत्र " "	उत्तराध्ययन सूत्र	"
समवायांग सूत्र " "	दशवैकालिक सूत्र	"
व्याख्याप्रज्ञप्ति " (संपादक पं. देचरदास जीवराजदोशी)	नदी सूत्र	"
(भगवती सूत्र) " "	अनुयोगद्वार सूत्र	"
उत्तराध्ययनसूत्र " (संपादक मुनि श्री पुण्य विजयजी)	आवश्यक सूत्र	"
दशवैकालिक सूत्र " "	छेद सूत्र (प्रेस कापी-मुद्रणाधीन)	"
नदी सूत्र " "	4 प्रकाशक-आत्म ज्ञान पीठ, मानसामंडी-	
अनुयोगद्वार सूत्र " "	सूयगडांग सूत्र संपादक श्री अमर मुनि जी	
प्रज्ञापना सूत्र " "	प्रश्नव्याकरण सूत्र भाग 1-2	"
2 प्रकाशक- जैन विश्व भारती, लाहूर-	5 प्रकाशक-आगमोदय समिति, सूरत, बम्बई, इत्यादि-	
अंगसुत्ताणि भाग 1-2-3 (संपादक मुनि श्रीनथमल जी)	आचारांग सूत्र टीका	
उवगसुत्ताणि भाग 1-2	सूयगडांग सूत्र टीका	
नव सुत्ताणि "	ठाणांग सूत्र टीका	
आयारो (सानुवाद) "	समवायांग सूत्र टीका	
सूयगडांग सूत्र भाग 1-2 " टिप्पण युक्त अनुवाद	भगवती सूत्र टीका	
ठाणांग सूत्र " " "	ज्ञाता सूत्र टीका	
समवायांग सूत्र " " "	उपासकदशा सूत्र टीका	
उत्तराध्ययन सूत्र " " "	प्रश्नव्याकरण सूत्र टीका	
दशवैकालिक सूत्र " " "	औपपातिक सूत्र टीका	
3 प्रकाशक- आगम प्रकाशन समिति, व्यावर-	दशवैकालिक सूत्र	
आचारांग सूत्र भाग 1-2	अनुयोगद्वार सूत्र	
प्रधान संपादक युवाचार्य मधुकर मुनि जी	6 प्रकाशक-अखिल भारतीय संस्कृति रक्षक संघ, सैलाना-	
ठाणांग सूत्र "	सूयगडांग सूत्र संपादक मोतीलाल जी मांडोत	
समवायांग सूत्र "	भगवती सूत्र भाग 1 से 7" पं श्री घेवरचन्द्रजी "वीरपुत्र"	
भगवती सूत्र भाग 1-2-3 "	प्रश्नव्याकरण सूत्र " श्री रतनलालजी डोसी	
ज्ञाता सूत्र "	उपासकदशा सूत्र " श्री धीसुलाल जी पीतलिया	
उपासक दशा सूत्र "	औपपातिक सूत्र " मुनि श्री उमेशमुनि जी "अणु"	
अतगड दशा सूत्र "	उत्तराध्ययन सूत्र " पं श्री घेवरचन्द्रजी "वीरपुत्र"	
प्रश्नव्याकरण सूत्र "	दशवैकालिक सूत्र " " "	
विपाक सूत्र "	अंगपविट्ट सुत्ताणि " श्री रतनलाल जी डोसी	
	अनंगपविट्ट सुत्ताणि " " "	

- 7 सुयगशंग सूत्र भाग 1 से 4
संपादक पूज्य आचार्य जवाहरलालजी म सा
- 8 प्रकाशक-आगम अनुयोग प्रकाशन समिति, साठिराव-
स्यानांग सूत्र संपादक-मुनि श्री कन्हैयालाल जी "कमल"
समवायाग सूत्र " "
- 9 प्रकाशक-आचार्य आत्माराम प्रकाशन समिति, लुधियाना-
उत्तराध्ययन सूत्र भाग 1 से 3
सपादक पूज्य आचार्य श्री आत्मारामजी म सा
दशवैकालिक सूत्र " "
आचारांग सूत्र भाग 1-2 " "
ठाणाग सूत्र भाग 1-2 " "
- 10 प्रकाशक-लाला ज्वालाप्रसाद सुखदेव सहाय, सिकन्दराबाद-
कतिपय प्रति संपादक-पूज्य श्री अमोलक ऋषि जी म सा
- 11 प्रकाशक-जैन शास्त्रोद्धार समिति, राजकोट-
कतिपय सूत्र संपादक-पूज्य श्री घासीलालजी म सा
- 12 प्रकाशक-सूत्रागम प्रकाशन समिति, गुडगांव-
सुत्तागमे भाग 1-2 संपादक- पुष्प भिक्खू
- 13 प्रकाशक-श्री अभिधान राजेन्द्र कार्यालय, रतलाम-
अभिधान राजेन्द्र कोश भाग 1 से 7
संपादक-आचार्य श्री राजेन्द्र सूरि
- 14 प्रकाशक-प्राकृत जैन विद्याविकास फण्ड, अहमदाबाद-
प्राकृत हिन्दी कोश संपादक- डा के आर चन्द्र
- 15 न्यू इम्पीरियल बुक डिपो, देहली-
नालंदा अध्ययन कोश संपादक-पुरुषोत्तम नारायण अग्रवाल
- 16 प्रकाशक-भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली, सन्मतिज्ञान पीठ,
आगरा,
निशीथसूत्र (भाष्य चूर्णित युक्त) भाग 1 से 4
संपादक-उपाध्याय कवि अमर मुनिजी महाराज तथा
मुनि श्री कन्हैयालालजी म सा "कमल"
- 17 प्रकाशक-श्री जैन आत्मानंद समा, भावनगर-
वृहत्कल्प सूत्र (भाष्य टीका युक्त) भाग 1 से 6
संपादक-मुनि चतुरविजय पुण्यविजय जी म सा

नोट

चरणानुयोग के मूलपाठ एवं सूत्रांक के लिए महावीर जैन विद्यालय, बम्बई द्वारा प्रकाशित आगम ग्रन्थों का, तथा जो आगम वहाँ से उपलब्ध नहीं हुए उनके लिए आगम समिति ब्यावर द्वारा प्रकाशित आगमों का मूल पाठ, सूत्रांक, व अनुवाद के लिए उपयोग किया है। अन्य विविध संस्थाओं के प्रकाशनों का भी सहायक ग्रन्थ के रूप में उपयोग किया है। अतः हम उन सभी संस्थाओं के प्रति कृतज्ञ हैं।

— संपादक गण





तेरसमीए से कप्पइ चउद्दस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए,
चउद्दस पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्जा
आहारेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लभेज्जा णो आहा-
रेज्जा ।

चउद्दसमीए से कप्पइ पन्नरस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए,
पन्नरस पाणस्स-जाव-एयाए एसणाए एसमाणे लभेज्जा आहा-
रेज्जा, एयाए एसणाए एसमाणे णो लभेज्जा णो आहा-
रेज्जा ।

पुण्णिमाए से य अब्भत्तद्वे भवइ ।

एवं खलु एसा वहरमज्जा चदपडिमा अहासुत्तं-जाव-आणाए
अणुपालिया भवइ । —वव उ. १०, सु ३-४

दत्तिपरिमाण निरूपणं—

६२६ सखादत्तियस्स भिक्षुस्स पडिग्गहधारिस्स गाहावइकुलं
पिण्डवाय पडियाए अणुपविट्ठस्स,
जावइयं जावइयं केइ अन्तो पडिग्गहसि उवइत्ता दलएज्जा
तावइयाओ ताओ दत्तीओ वत्तव्व सिया ।

तत्थ से केइ छव्वएण वा, इत्तएण वा, बालएणं वा, अन्तो
पडिग्गहसि उवइत्ता दलएज्जा सव्वा वि णं सा एगा दत्ती
वत्तव्व सिया ।

तत्थ से बह्वे भुंजमाणा सव्वे ते सयं सय पिण्डं साहणिय
अन्तो पडिग्गहसि उवइत्ता दलएज्जा, सव्वा वि णं सा एगा
दत्ति वत्तव्वं सिया ।

संखादत्तियस्स ण भिक्षुस्स पाणिपडिग्गहियस्स गाहावइकुल
पिण्डवाय-पडियाए अणुपविट्ठस्स,
जावइय जावइय केइ अन्तो पाणिसि उवइत्ता दलएज्जा,
तावइयाओ ताओ दत्तीओ वत्तव्व सिया ।

तत्थ से केइ छव्वएण वा, इत्तएण वा, बालएण वा अन्तो
पाणिसि उवइत्ता दलएज्जा, सव्वा वि णं सा एगा दत्ती
वत्तव्व सिया ।

तत्थ से बह्वे भुंजमाणा सव्वे ते सयं सय पिण्डं साहणिय
अन्तो पाणिसि उवइत्ता दलएज्जा सव्वा वि णं सा एगा दत्ती
वत्तव्व सिया । —वव उ. ६, सु ४३-४४

मोयपडिमा विहाणं—

६२७. दो पडिमाओ पण्णत्ताओ, तं जहा—

१ खुट्ठिया वा मोयपडिमा, २. महल्लिया वा मोयपडिमा ।
खुट्ठियं णं मोयपडिम पडिवन्नस्स अणगारस्स कप्पइ पढम-
अरय-काल समयसि वा चरम-निदाह-काल समयसि वा,
बहिया गामस्स वा-जाव-सन्नियेस्स वा वणसि वा, वणदुग्गंसि
वा, पव्वयंसि वा, पव्वयदुग्गंसि वा ।

तेरस के दिन भोजन और पानी की चौदह-चौदह दत्तियाँ
ग्रहण करना कल्पता है—यावत्—इस प्रकार के अभिग्रह से एपणा
करते हुए आहार प्राप्त हो तो ग्रहण करे, यदि इस प्रकार के अभि-
ग्रह से एपणा करते हुए आहार प्राप्त न हो तो ग्रहण न करे ।

शुक्ल पक्ष की चौदस के दिन भोजन और पानी की पन्द्रह-
पन्द्रह दत्तियाँ ग्रहण करना कल्पता है—यावत्—इस प्रकार के
अभिग्रह से एपणा करते हुए आहार प्राप्त हो तो ग्रहण करे, यदि
इस प्रकार के अभिग्रह से एपणा करते हुए आहार प्राप्त न हो
तो ग्रहण न करे ।

पूर्णिमा के दिन वह उपवास करता है ।

इस प्रकार यह वज्र-मध्य चन्द्र प्रतिमा सूत्रानुसार—यावत्—
जिनाज्ञानुसार पालन की जाती है ।

दत्ति प्रमाण निरूपण—

६२६ दत्तियों की संख्या का अभिग्रह करने वाला पात्रधारी
निर्ग्रन्थ गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रवेश करे उस समय—

(१) आहार देने वाला गृहस्थ पात्र में जितनी बार झुकाकर
(नमाकर) आहार दे उतनी ही “दत्तिया” कहनी चाहिये ।

(२) आहार देने वाला गृहस्थ यदि छव्वी से, वस्त्र से या
चलनी से विना रुके पात्र में झुकाकर दे वह सब एक दत्ती कहनी
चाहिए ।

(३) आहार देने वाले गृहस्थ जहाँ अनेक हो और वे सब
अपना-अपना आहार सम्मिलित कर विना रुके पात्र में झुकाकर
दें वह सब “एक दत्ती” कहनी चाहिए ।

दत्तियों की संख्या का अभिग्रह करने वाला कर-पात्रभोजी
निर्ग्रन्थ गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रवेश करे उस समय—

(१) आहार देने वाला गृहस्थ जितनी बार झुकाकर भिक्षु के
हाथ में आहार दे उतनी ही “दत्तियाँ” कहनी चाहिए ।

(२) आहार देने वाला गृहस्थ यदि छव्वी से, वस्त्र से या
चलनी से विना रुके भिक्षु के हाथ में जितना आहार दे वह सब
“एक दत्ती” कहनी चाहिए ।

(३) आहार देने वाले गृहस्थ जहाँ अनेक हो और वे सब
अपना-अपना आहार सम्मिलित कर विना रुके भिक्षु के हाथ में
झुकाकर दे वह सब “एक दत्ती” कहनी चाहिए ।

मोक-प्रतिमा-विधान—

६२७ दो प्रतिमाएँ कही गई हैं, यथा—

(१) छोटी प्रस्रवण प्रतिमा, (२) बड़ी प्रस्रवण प्रतिमा ।

छोटी प्रस्रवण प्रतिमा शरदकाल के प्रारम्भ में अथवा ग्रीष्म-
काल के अन्त में ग्राम के बाहर—यावत्—सन्नियेश के बाहर,
वन में या वन दुर्ग में, पर्वत पर या पर्वत दुर्ग में अणगार को
धारण करना कल्पता है ।